

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

मुद्रा एवं बैंकिंग

[MONEY AND BANKING]

[अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय
मौद्रिक सत्थाएँ, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार सहित]

(विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों की वी ए तथा बी कॉम परीक्षाओं के
स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार)

डॉ. टी० टी० सेठी

एन ए, पी एच. डी.

स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा

द्वितीय संशोधित संस्करण, 1972

लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, प्रकाशक, आगरा-3

प्रथम संस्करण 1970
द्वितीय संस्करण 1972
(पूर्वतया सशोधित)

मूल्य : बारह रुपये पचास पैसे

© लेखक

सर्वश्री मदनमोहन मालवीय, पुस्तक प्रकाशक, अस्पताल रोड, आगरा-3 द्वारा प्रकाशित
एच डीएस सिटी, त्रिपुरा वजीरगढ़, सेउपली, आगरा-3 द्वारा मुद्रित ।

द्वितीय संस्करण के प्रति

पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे सन्तोष का अनुभव हो रहा है। यद्यपि पुस्तक के मुद्रण में विलम्ब हुआ है परन्तु इससे पुस्तक में नवीनतम सामग्री, तथ्यों तथा आँकड़ों को सम्मिलित करने का अवसर मिला है।

प्रस्तुत संस्करण में अधिकांश अध्यायों में अनेक परिवर्तन, सशोधन एवं परिवर्द्धन किये गये हैं। पुस्तक को नवीनतम सामग्री से सज्जित करके अधिकतम उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम दो वर्षों के कार्यकाल में प्राप्त हुई सफलताओं तथा असफलताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-नीति' के अध्याय में विशेष आहरण अधिकार (SDRs) की योजना तथा डालर-सकट से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सकट की स्थिति का विस्तार-पूर्वक अध्ययन किया गया है। पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट दिया गया है जिसमें दिसम्बर 1971 में किये गये डालर के अवमूल्यन तथा विश्व की प्रमुख मुद्राओं की नयी समतान्दरो का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है, विभिन्न विषयों की व्याख्या नवीनतम आँकड़ों के आधार पर की गयी है। पुस्तक की खण्ड-व्यवस्था में भी परिवर्तन कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण पुस्तक के प्रथम संस्करण से अधिक उपयोगी एवं दृक्कर सिद्ध होगा।

पुस्तक की सुन्दर छपाई के लिए जैनसत प्रिन्टर्स के प्रबन्धक श्री महेन्द्र जैन के प्रति आभारी हूँ। अपने प्रकाशक मैसर्स लक्ष्मीनारायण अग्रवाल से जो प्रकाशन सम्बन्धी सहयोग मिला है उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

'सेठी भवन' }
ताजगज, आगरा-1 }
नववर्ष, 1972 }

—टी० टी० सेठी

प्रथम सस्करण की भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों की बी ए तथा बी. कॉम. वक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार लिखी गयी है। वास्तव में, मुद्रा तथा इससे सम्बन्धित विषयों के अध्ययन के बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन निराधार है। प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रा एवं बैंकिंग के कठिन तथा विस्तृत विषय को सरल व स्पष्ट ढंग में समझाने का प्रयास किया गया है। मुद्रा तथा बैंकिंग के सविस्तार मैक्रान्तिक अध्ययन के साथ-साथ विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय, विनियोग एवं रोजगार से सम्बन्धित विषयों की भी विस्तृत व्याख्या की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहायता का विवेचनात्मक अध्ययन अलग से किया गया है। भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग के विकास, संगठन तथा स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जो न केवल विद्वानतात्मक है अपितु समालोचनात्मक तथा सुभावपूर्ण भी। प्रत्येक अध्याय के अन्त में परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उनके उत्तरों के लिए सक्षिप्त सवेत दिये गये हैं।

प्रस्तुत पुस्तक विषय से सम्बन्धित नवीनतम विचारों, प्रवृत्तियों, सुझावों, तथ्यों व आंकड़ों पर आधारित है। जुलाई 1969 में किये गये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है। पुस्तक के प्रकाशित होने तक जो बुद्ध सामग्री रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य साधनों में उपलब्ध हो पायी है, उसका सामञ्जसपूर्ण ढंग से समावेश कर लिया गया है।

मुझे अपने मित्र प्रो० आर० पी० श्रीवास्तव (ज्येष्ठ, अर्थशास्त्र विभाग, अग्रवाल कॉलेज, जयपुर) से इस पुस्तक के लिखने में जो सहयोग मिला है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ।

पुस्तक के प्रकाशन में श्री प्रकाशनारायण अग्रवाल ने अत्यधिक रुचि ली है। मेरी ओर से विलम्ब हो जाने के बावजूद पुस्तक को घोड़े से समय में ही इतने सुन्दर ढंग में प्रकाशित करने में उन्होंने जो परिश्रम किया है, उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठकों द्वारा दिये गये सुझावों का मैं महर्षि स्वागत करूँगा।

‘मेरी भवन’

नाज़म, आगरा-1
दोपावली, 1969

—टी० टी० नेट्टी

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

प्रथम खण्ड

मुद्रा

1	वस्तु-विनिमय एवं मुद्रा का विकास ✓	1
2	मुद्रा की परिभाषा, कार्य एवं महत्व. ✓	8
3	मुद्रा का वर्गीकरण ✓	13
4	मुद्रा मान— द्वि घातमान ✓	33
5	स्वर्णमान ✓	44
6	पत्र-मुद्रामान ✓	65
7	मुद्रा-मूल्य के सिद्धान्त ✓	74
8	मुद्रा-मूल्य के परिवर्तनों का माप—निर्देशांक ✓	95
9	मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन—मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन ✓	103

द्वितीय खण्ड

साख एवं बैंकिंग

10	साख	131
11	साख-नियन्त्रण	145
12	बैंक—उनके कार्य तथा विविध रूप	162
13	बैंक की कार्य प्रणाली तथा स्थिति-विवरण	179
14	बैंक और ग्राहक का सम्बन्ध	194
15	केन्द्रीय बैंकिंग	200

तृतीय खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

16	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ✓	215
17	भुगतान-सन्तुलन ✓	233
18	स्वतन्त्र व्यापार एवं सुरक्षण ✓	242
19	भारत का विदेशी व्यापार	260

चतुर्थ खण्ड

विदेशी विनिमय

20	विदेशी विनिमय ✓	273
21	विनिमय-नियन्त्रण	295

अन्याय

पृष्ठ

पंचम खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग

22	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष	315
23	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	333
24	अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएँ	343

षष्ठ खण्ड

भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग

25	भारतीय मुद्रा का इतिहास	357
26	भारतीय रुपय का अवमूल्यन	376
27	भारत में बैंकिंग का विकास एवं समस्याएँ ✓	388
28	भारतीय बैंकिंग विधान—सामाजिक नियन्त्रण तथा राष्ट्रीयकरण ✓	398
29	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ✓	412
30	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ✓	432
31	भारत में व्यापारिक बैंक तथा उनका राष्ट्रीयकरण ✓	442
32	विनिमय बैंक ✓	460
33	कृषि-वित्त ✓	466
34	औद्योगिक वित्त ✓	482

सप्तम खण्ड

राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग एवं रोजगार

35	राष्ट्रीय आय	497
36	बचत एवं विनियोग	513
37	बेरोजगारी तथा पूर्ण रोजगार	522
	परिशिष्ट दिसम्बर 1971-म-हाल-का-अवमूल्यन	531

प्रथम खण्ड

मुद्रा
[MONEY]

वस्तु-विनिमय एवं मुद्रा का विकास

[BARTER SYSTEM AND EVOLUTION OF MONEY]

“ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने अपने मूल अनुसन्धान हैं, जैसे—यन्त्रकला म चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में चोट । इसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा आवश्यक आविष्कार है जिम पर अन्य शेष बात आधारित हैं ।”¹ —हात्सर

मानव सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित एवं सरल थीं और उनकी पूर्ति वह स्वयं अथवा अपने परिवार की सहायता से कर लेता था । परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं और उसके लिए आत्म-निर्भर रहना असम्भव हो गया । जैसे-जैसे उसने विशिष्टीकरण (specialization) और विनिमय (exchange) के ढंग अपनाये, उसकी आत्म-निर्भरता समाप्त होती गयी । मनुष्य ने यह अनुभव किया कि विनिमय एक लाभप्रद व्यवस्था है । सामाजिक जीवन के विकाम के साथ-साथ विनिमय का कार्य और भी अधिक लाभप्रद होता गया, और आज के युग में तो विनिमय पर ही सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था आधारित है, क्योंकि उत्पादन तथा उपभोग की ज़ियाएँ विनिमय रूपी शृंखला में बँधी हुई हैं ।

वस्तु-विनिमय पद्धति

विनिमय की प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्यक्ष विनिमय प्रचलित था, जिसे वस्तु-विनिमय अथवा बदल-बदल (Barter) कहते हैं । टॉमस के अनुसार, “एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं।”² यदि एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु उसकी अपनी आवश्यकता में अधिक है तो वह उसके बदले में किसी अन्य व्यक्ति से वह वस्तु प्राप्त करना चाहेगा जिसकी उसे अधिक आवश्यकता है । और, चूँकि दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु की तुलना में पहले व्यक्ति की वस्तु की अधिक आवश्यकता है, इसलिए दोनों व्यक्ति, बिना किसी मध्य-वस्तु की सहायता के, अपनी-अपनी तुलनात्मक कम आवश्यक वस्तु का तुलनात्मक अधिक आवश्यक वस्तु के साथ पारस्परिक (ऐच्छिक एवं वैधानिक) बदल-बदल कर लेते हैं । इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति के अधीन सभी वस्तुएँ बाजार में आ जाती थीं और उनका प्रत्यक्ष रूप से बदल-बदल होता था । वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ

प्रो० म्यूलर³ के अनुसार वस्तु-विनिमय पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को कम उपयोगिता वाली वस्तु के बदले में अधिक उपयोगिता वाली वस्तु

1 “Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In Mechanics, it is the wheel, in Science fire, in Politics the vote. Similarly, in Economics in the whole commercial side of man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based.”—G Crowther *An Outline of Money*, p 4

2 “direct exchange of one commodity for another is termed barter.”—S E Thomas *Elements of Economics*, p 319

3 F W Mueller *Money and Banking*

मिन जाती थी, जिमसे वह अधिकतम मनुष्यवृष्टि प्राप्त कर सकता था। दूसरे, जो व्यक्ति जिस कार्य में अधिक कुशल होता था वह उसी वस्तु के उत्पादन में अपना पूरा ध्यान देकर उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकता था। वस्तु-विनिमय का आरम्भ होने से विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत होना गया और विभिन्न क्षेत्रों का पारस्परिक सम्पर्क बढ़ने लगा।

यह सब होते हुए भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वस्तु-विनिमय की अनेक कठिनाइयाँ थी, और ज्यों-ज्यों प्रय-विश्रय का क्षेत्र बढ़ता गया, इस प्रणाली की कठिनाइयाँ भी बढ़ने लगीं। मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुविधाएँ अथवा कठिनाइयाँ अनुभव की गयीं

(1) आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव (Lack of Double Coincidence of Wants)—वस्तु-विनिमय के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति की अतिरिक्त वस्तु के विक्रेता के लिए दूसरा ऐसा व्यक्ति हो जो उसको चाहे और उसके बदले में ऐसी वस्तु दे सके जिसे पहला व्यक्ति मन के लिए ग्रहण करे। इस प्रकार, न केवल विनिमय के लिए इच्छुक दो व्यक्तियों तथा विनिमय-योग्य दो वस्तुओं की ही आवश्यकता होती है, बरन् ये दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक के पास देने के लिए वह वस्तु हो जिसको दूसरे को आवश्यकता है। उदाहरणतः, अफीम में यात्रा करत समय लफिटनोट केमरन को एक नाव की आवश्यकता हुई। नाविक बदले में हाथीदाँत चाहता था, जो केमरन के पास नहीं था। उसे यह पता चला कि एक अन्य व्यक्ति के पास हाथीदाँत है जो उसके बदले में कपड़ा चाहता है, परन्तु केमरन के पास कपड़ा भी नहीं था। बहुत प्रयत्न के बाद उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास कपड़ा था और उसके बदले में वह तार चाहता था। केमरन न तार देख कर कपड़ा लिया, और कपड़े के बदले में हाथीदाँत, और फिर उसे देख कर तब वही उसे तार मिला पायी।¹

एक छोट-म पिछड़े हुए समाज में जहाँ लोगो की आवश्यकताएँ बहुत ही कम हों और वे एक-दूसरे को जानते हों, सम्भवतः दोहरा संयोग मिल सकता है, किन्तु असौम्य आवश्यकताओं वाले समाज में तो ऐसा संयोग दुर्लभ है। जॉर्ज हाम ने ठीक ही लिखा है—“यह विशेष रूपसे आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में जिनमें एक ही दिन में लाखों व्यक्ति लाखों वस्तुओं और मन्वाओं का विनिमय कर सकते हैं, लगभग असम्भव-सा ही है कि वस्तु-विनिमय करने वाले सभी व्यक्तियों की सभी इच्छाओं की वस्तुओं की धेणी, गुण, मात्रा एव मूल्य के सम्बन्ध में संयोग बैठ जाय।”²

(2) मूल्य के एक सामान्य मापक का अभाव (Lack of a Common Measure of Value)—वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक सर्वमान्य मापक नहीं होता जिसके कारण वस्तुओं की परस्पर अदल बदल का एक निश्चित अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता। वास्तव में, वस्तु-विनिमय की यह बहुत बड़ी कठिनाई है कि विनिमय के लिए तत्पर दोनों पक्ष यह नहीं जान पाते कि किस अनुपात में विनिमय किया जाय। मूल्य के एक सर्वमान्य मापक के अभाव में यह जानना बहुत ही कठिन है कि एक गाय के बदले में कितना गेहूँ दिया जाय, और गेहूँ के बदले में कितना कपड़ा मिले। इस अभाव के कारण विनिमय का अनुपात मनमाने ढङ्ग में निश्चित होगा जो प्रायः दोनों पक्षों की मौदा करने की शक्ति पर निर्भर करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में हजारों वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय-अनुपात का न तो निर्धारण हो सकता है, न उसे लागू किया जा सकता है; और न ही कोई हिसाब-किताब रखा जा सकता है।

(3) कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता (Indivisibility of Certain Commodities)—विनिमय की जाने वाली कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, और यदि रिया जाय तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उदाहरणतः, यदि एक घोड़े का मूल्य दो गायों के बराबर है और घोड़े वाले व्यक्ति को केवल एक ही गाय की आवश्यकता है, तो वह अपने घोड़े के दो भाग तो नहीं कर सकता। उसे पूरा घोड़ा ही देना पड़ेगा जबकि उसके बदले में वह

1 Lt Cameron *All Across Africa*, Quoted by Foster and Catchings in 'Money', p 35

2 "It is next to impossible that all wishes of bartering individuals should coincide as to the kind, quality, quantity and value of the things which are mutually desired, especially in a modern economy in which on a single day millions of persons may exchange millions of commodities and services"—George N. Halm, *Monetary Theory*, p 1.

उसकी बाधी कीमत ही प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार अनेक अविभाज्य वस्तुओं की अबत बदल हो ही नहीं पाती अथवा उनके स्वामी को उनके बदले में कभी उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

(4) क्रय-शक्ति के सचय का अभाव (Lack of Store of Value)—वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के रूप में मूल्य सचय करना न केवल अमुविधाजनक था, वरन् असम्भव भी, क्योंकि अधिकांश वस्तुएँ शीघ्र गल्ट होने वाली थीं। परिणामस्वरूप मनुष्य अपनी कमाई को भावी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रख पाता था और न ही पूंजी का निर्माण हो सकता था जिसकी सहायता से बड़े पैमाने का उत्पादन सम्भव हो सके। जेम्स ने एक पेरिस की ज़ायिका का उदाहरण दिया है, जो एक ऐसे द्वीप में अपना संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने गयी जहाँ वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। उसे अपना पुरस्कार सूअर, भुर्गी, पक्षी तथा फलों आदि के रूप में मिला। खाद्य-सामग्री तो पशु और पक्षी खा गये, गायिका के लिए कुछ बचा ही नहीं, और उनको जीवित रखने के लिए उस बचारी को प्रतिदिन कार्यक्रम देना पड़ा ताकि उनके लिए खाद्य-पदार्थ मिलते रहें। उसका घन उसके लिए एक भुसीबत बन गया और वह धनवान न बन सकी।¹

(5) मूल्य-हस्तांतरण की कठिनाई (Difficulty of Transfer of Value)—वस्तु-विनिमय के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना बहुत ही कठिन है। मान लीजिए, एक व्यक्ति अपना गकान बचकर दूसरी जगह जाना चाहता है, परन्तु उससे बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुएँ बहुत कम अथवा अनुपयुक्त होंगी। वह उन्हें साथ नहीं ले जा सकता और प्रायः उसे अपनी सम्पत्ति छोड़कर ही जाना पड़ेगा। इससे गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक आदान-प्रदान सम्भव नहीं होगा इसलिए आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रहना स्वाभाविक ही है।

(6) स्थगित भुगतानों में कठिनाई (Difficulty of Deferred Payments)—विनिमय में अनेक बार भुगतान तत्काल न कर, कुछ समय पश्चात् किया जाता है। परन्तु वस्तु-विनिमय व्यवस्था में उधार लेन-देन सम्भव नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का भविष्य में मूल्य निर्दिष्ट नहीं होता और उनकी पारस्परिक कीमतें निरन्तर बदलती रहती हैं। इन परिस्थितियों में भुगतान को भविष्य में करने से किसी भी पक्ष को हानि होने का भय बना रहता है।

वस्तु-विनिमय पद्धति की उपर्युक्त कठिनाइयाँ देखने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु विनिमय व्यापार का एक अति अमुविधाजनक एव दोषपूर्ण ढंग है जिसका प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता है।

वस्तु-विनिमय के लिए आवश्यक दशाएँ

वस्तु-विनिमय प्रणाली को यदि कुछ सफलता मिल सकती है तो केवल एक ऐसे समाज में ही जिसकी आवश्यकताएँ अत्यन्त सरल और थोड़ी हों, और विनिमय का क्षेत्र बहुत सीमित हो। इसके लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक है

(1) पिछड़ा समाज—एक पिछड़े समाज की आवश्यकताएँ सीमित हीनी हैं जिनकी पूर्ति वस्तु-विनिमय द्वारा की जा सकती है। एक सम्य समाज में, जहाँ श्रम विभाजन अपने उच्चतम स्तर पर हो, मनुष्य की आवश्यकताएँ अनगिनत होंगी और उनको वस्तु-विनिमय द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता।

(2) विनिमय का सीमित क्षेत्र—एक सीमित क्षेत्र में यह ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है कि किस व्यक्ति को क्या वस्तु चाहिए, और वह कौनसी वस्तु दे सकता है। जब तक उनकी पारस्परिक इच्छाओं का मेल न होया, तब तक विनिमय नहीं हो सकता। एक सीमित क्षेत्र में दोहरा संयोग प्राप्त करना अधिक सरल होता है। इसीलिए प्रायः अविकसित समाजों में (छोटे-छोटे देहातों में रहने वाले) लोग आज भी आपस में वस्तु विनिमय कर लेते हैं।

(3) यातायात की सुविधाओं का अभाव—जिस समाज में यातायात के साधनों का अभाव है वहाँ के निवासियों की आवश्यकताएँ प्रायः कम होती हैं, और विनिमय का क्षेत्र सीमित होने के

कारण उनमें परस्पर सम्पर्क घनिष्ठ हो जाता है। वहाँ के स्थानीय आर्थिक जीवन में आत्म-निर्भरता वृद्धि है और वस्तु-विनिमय की अपमाने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।

जैसे-जैसे सामाजिक संगठन जटिल एवं विस्तृत होता गया, धर्म-विभाजन के महत्व को समझा जाने लगा और मानवीय आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयी, वैसे-वैसे वस्तु-विनिमय की कठिनाइयों भी बढ़ती गयी और मनुष्य विनिमय की किसी अन्य सुविधाजनक प्रणाली की खोज में लग गया। इसी खोज के परिणामस्वरूप उसे मुद्रा का ज्ञान प्राप्त हुआ। हॉम के अनुसार, "छोटे एकाकी समाज मुद्रा के अभाव में अपना कार्य भले ही चला सकते हो, तथा अत्यन्त पिछड़ी परिस्थितियों में वस्तु-विनिमय पर्याप्त हो किन्तु प्रारम्भिक काल तथा अति दूर भविष्य की मुद्रा-रहित व्यवस्थाओं के मध्य जो भी समाज हैं, उनमें यद्यपि अनेक बातों में महत्वपूर्ण अन्तर हैं, तथापि वे सभी मौद्रिक अर्थ व्यवस्थाएँ हैं।"¹

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में वस्तु-विनिमय

यद्यपि आधुनिक युग में वस्तु-विनिमय का केवल एक ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है, तथापि इसका प्रयोग पूर्ण रूप में समाप्त नहीं हुआ। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशों के गाँवों में आज भी लोग अपने उपभोग की आवश्यक वस्तुएँ अथवा जैसी सामान्य स्वीकृति वाली वस्तुओं के बदले में प्राप्त करते हैं। कृषि मजदूरों को कहीं कहीं मजदूरी भी अनाज ही में दी जाती है। यह मन्त्र है कि आर्थिक विकास के साथ साथ गाँवों में भी वस्तु-विनिमय का क्षेत्र सीमित होता गया है और अधिकांश वस्तु-विनिमय मुद्रा में ही होता है, परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सीमित रूप में यह प्रणाली आज भी विद्यमान है, चाहे वह पिछड़ेपन का प्रतीक ही हो।

विकसित देशों में, कभी कभी, वस्तु विनिमय को आज के युग में भी अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मुद्रा-प्रसार के कारण यूरोप के देशों की मुद्रा की इकाइयों का मूल्य बहुत अधिक गिर जाने के कारण इन देशों को प्रत्यक्ष (किन्तु सशोधित) वस्तु-विनिमय प्रणाली का महारा लेना पड़ा था। अमरीका में 1932-33 ई० में मन्दी के कारण छोटे-छोटे वस्तु विनिमय समाज बन गये थे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी में, डॉक्टर मुकिन के अनुसार बनाने वाले कारखानों में श्रमिकों को वर्तन के रूप में वेतन दिया जाता था, जिनके बदले में वे अन्य लोगों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त करते थे।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विदेशी विनिमय की कमी के कारण गत वर्षों में कुछ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों (Bilateral Trade Agreements) हुए हैं जिनके अन्तर्गत सामान के बदले में सामान ही दिया जाता है। भारत में रूस तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ इसी प्रकार के समझौते किए हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आधुनिक काल में, आन्तरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु विनिमय में, मुद्रा ही हिमायत-विलास की इकाई का कार्य करती है और मूल्य के मापदण्ड के रूप में मुद्रा का ही प्रयोग होता है। आज भी व्यापार में प्रत्यक्ष विनिमय का प्रचलन है—गेहूँ के बदले में चावल, चावल के बदले में पन्ना तथा कपड़े के बदले में चमड़ा—किन्तु अब विनिमय की शर्तें मुद्रा को आधार मानकर ही तय की जाती हैं। अपने सशोधित रूप में भी वस्तु-विनिमय का केवल कुछ वस्तुओं तथा कुछ कार्य के लिए केवल कुछ देशों में सीमित रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सामान्य रूप में विश्व भर में मौद्रिक विनिमय ही प्रचलित है।

मुद्रा का विकास

मुद्रा का आविष्कार

मुद्रा का आविष्कार, निस्सन्देह, वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से प्रेरित होकर ही हुआ होगा। आरम्भ में मुद्रा का समाज में हिमायत की इकाई (unit of account)

1 "Small Communities in isolation may do without money, and barter may suffice under primitive conditions. But between the non-monetary orders of earliest times and of perhaps a very distant future we have societies which, though differing in many respects, are all monetary economies" —George N. Halm. *Monetary Theory*, p. 1

अथवा सामान्य मूल्य-मापक (common measure of value) के रूप में प्रयोग में लाया गया था। यद्यपि व्यापार अब भी पहले के समान प्रत्यक्ष वस्तु-विनिमय के रूप में होता था, परन्तु विभिन्न वस्तुओं का विनिमय-अनुपात अब एक आदर्श वस्तु (पशु, अनाज आदि) की महायता में निश्चित किया जाने लगा, जिनमें पहले की सी अनिश्चितता की समस्या को हटा दिया। धीरे-धीरे हिराब की मुद्रा को विनिमय का माध्यम भी बना लिया गया। किसी मनुष्य को धनी बनने के लिए अब मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार, किसी वस्तु द्वारा समाज में मूल्य रूप से तीन कार्यों—हिराब की इकाई, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक—का सम्पन्न किया जाना ही मुद्रा के अविष्कार का आरम्भ है।

मुद्रा के आविष्कार से वस्तु-विनिमय प्रणाली की सभी कठिनाइयों का अन्त हो गया। मुद्रा की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय-अनुपात एक आदर्श वस्तु के सन्दर्भ में स्थिर हो गया। इसमें सन्देह नहीं कि विनिमय का कार्य अब पहले के यमान प्रत्यक्ष एव सरल नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक विनिमय के लिए अब एव के बजाय दो सौदों की आवश्यकता पड़ने लगी। परन्तु मुद्रा-विनिमय (अर्थात् क्रय-विक्रय प्रणाली) द्वारा ही दोहरे सयोग की कठिनाई का अन्त हुआ, क्रय शक्ति का मुविधापूर्वक संग्रह किया जाने लगा, विभाजकता की कठिनाई दूर हो गयी, मूल्य के हस्तान्तरण तथा स्थगित भुगतानों की अनुविधाएँ ममाप्त हुईं। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था एव प्रगति मुद्रा के प्रयोग के बिना कदापि सम्भव न हुई होती। काउचर का विचार निश्चित रूप से गत्व है कि "मुद्रा मनुष्य के मौलिक आविष्कारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है।"¹

मुद्रा के जन्म से सम्बन्धित दो सिद्धान्त

मुद्रा के जन्म के बारे में मुख्यतया दो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं—(1) मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धान्त (Theory of Spontaneous Growth of Money), तथा (2) मुद्रा का विकास का सिद्धान्त (Theory of Evolution of Money)।

मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मानव ने खोज नहीं की, अपितु यह उसे सयोगवश ही मिल गयी। स्पाल्डिंग (Spalding) इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक हैं। ज्या-ज्यों विनिमय का चलन बढ़ता गया, लोगों के सामने कठिनाइयाँ आयीं और उन्होंने किसी एक वस्तु को विनिमय-माध्यम के रूप में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। कुछ समय पश्चात् यदि उन्हें कोई अन्य वस्तु अधिक अच्छी मिल गयी तो वह मुद्रा मान ली गयी। इस प्रकार मुद्रा स्वतः ही अस्तित्व में आयी, इसके लिए कोई विवेक खोज नहीं हुई।

मुद्रा का विकास का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का विकास वस्तु-विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। एडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण (specialization) के साथ हुआ। काउचर के विचारानुसार मुद्रा एक आविष्कार ही था, क्योंकि "सरल वस्तु विनिमय से मौद्रिक लेम्मे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चेतन तर्क-शक्ति की आवश्यकता पड़े थी।"² निरन्तर खोज के परिणामस्वरूप मुद्रा का विकास लेम्मे की इकाई के रूप में हुआ। एक सर्वमान्य वस्तु के अनुपात में अन्य वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया जाने लगा। धीरे-धीरे मूल्य का मापक विनिमय के माध्यम का भी कार्य करने लगा।

उक्त दोनों सिद्धान्तों के पक्ष एव विपक्ष में बहुत कुछ कहा जाता है, परन्तु हमारे लिए तो इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि मनुष्य किसी न किसी प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करने लगा, और अपनी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन करना रहा।

मुद्रा का ऐतिहासिक विकास

मुद्रा का जन्म कब और कैसे हुआ, यह बताना सम्भव नहीं। सम्भना के अन्य मूलभूत तत्वों की भाँति मुद्रा भी एक अत्यन्त प्राचीन तत्व है जिसमें मानव-सभ्यता के विकास के माप-साय

1 "Money is one of the most fundamental of all Men's inventions"—Geoffrey Crowther *An Outline of Money* p. 4

2 "And it undoubtedly was an invention, it needed the conscious reasoning power of man to make the step from simple barter to money accounting"—Crowther *An Outline of Money*, p. 3.

प्रमिक्त विनाम होता थाया है। मुप्रमिद्ध अर्थशास्त्री केम्ब्र ने ठीक ही कहा है—“मुद्रा सम्भ्यता के अनेक अनिवार्य तत्वों की भाँति उससे कहीं अधिक पुरानी है जितना कि हमें कुछ वर्षों पूर्व विश्वास दिलाया जाता था। इसका उद्गम अतीत के कोहरे में खो गया है, जबकि वर्ष पिघल रही थी, इसका विस्तार बहुत पहले मानव इतिहास के अन्तर्हिम काल की स्वर्गिक मध्यान्तरावस्था में पाया जा सकता है।”¹

मुद्रा का प्रयोग उस काल में भी होता था जिसका लिखित इतिहास नहीं मिलता। अलग-अलग सम्भ्यताया ने मुद्रा का विकास अलग-अलग किया। इतिहासकारों के अनुसार अति प्राचीन काल में दक्षिणी महासागर के टापू के रहनेवाले लोग पत्थरों का मुद्रा के रूप में व्यवहार करते थे। प्राचीन भारत में ऋग्वेद के युग में गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इतिहासकार हेरोडोटस (Herodotus) के अनुसार सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम ईसा से छ-सात सौ वर्ष पूर्व लीडिया (Lydia) में हुआ। आजकल तो प्रायः सभी देशों में पत्र-मुद्रा प्रचलित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व फ्रांसीसी क्रान्ति से अधिक पुराना नहीं है।² विकसित राष्ट्रों में साख-पत्रों का व्यवहार भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐतिहासिक रूप से मुद्रा निम्नलिखित क्रमों में होकर विकसित हुई है।

(1) वस्तु-मुद्रा (Commodity Money)—मुद्रा का प्रारम्भिक रूप वस्तु-मुद्रा ही था। आखेट युग में पशुओं की खालें, हड्डियाँ और बाल, पशु-पालन युग में पशु (गाय, बैल, बकरी आदि), कृषि युग में अनाज का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। पशुओं तथा कृषि-पदार्थों के अनिश्चित समय समय पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया। वस्तु-मुद्रा प्रायः समय और स्थान के साथ बदलती रही, यह लोगों के दैनिक जीवन में उपयोगी थी और इस पर किसी का एकाधिकार भी नहीं था।

वस्तु मुद्रा की अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। प्रमापीकरण (standardisation) के अभाव के कारण मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती थी। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं के रूप में धन का संचय करना भी सुविधाजनक नहीं था। वहनीयता (portability) के गुण का भी अभाव था, और चूँकि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न वस्तुएँ मुद्रा के रूप में प्रयोग में लायी जा रही थी, इसलिए उन क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय सुविधापूर्वक नहीं हो पाता था। अतः अब ऐसी वस्तुओं की खोज की जान लगी जो टिकाऊ हो, मूल्यवान हो तथा सर्वमान्य हो।

(2) धातु-मुद्रा (Metallic Money)—मुद्रा के रूप में ताँबा, सोहा, चासा, सोना तथा चाँदी आदि अनेक धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग किया गया। अन्य धातुओं की अपेक्षा सोने और चाँदी का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक समय तक हुआ है। धातुओं के टुकड़ों में परिचायकता (cognisability) के अभाव के कारण बर्देमानी और जाससाजी रोकने के लिए जब निश्चित आकार और तोल के टुकड़ा पर टण्ड (stamp) लगने लगे तो सिक्कों का आरम्भ हुआ। ऐसा पता चलता है कि ईसा में ग्यारहवीं शताब्दी पूर्व चीन में, सातवीं शताब्दी पूर्व एशिया माइनर में तथा चौथी शताब्दी पूर्व भारत में सिक्के चलने में थे। मध्यहवीं और अठारहवीं शताब्दी तक तो प्रायः सभी देशों में सिक्के काम में आने लगे। परन्तु व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को धातु-मुद्रा द्वारा पूरा न किया जा सका और यह अनुभव किया गया कि इनका प्रयोग भी असुविधाजनक है।

(3) पत्र-मुद्रा (Paper Money)—मुद्रा-विकास के इतिहास में सिक्कों के बाद पत्र-मुद्रा का विनाम प्रमिक्त रूप से हुआ है। प्राचीन काल में व्यापारी दूर-दूर स्थानों में सिक्के ले जाने के बजाय मुद्रा की विद्यमानता के लिखित प्रमाण-पत्र ले जाने लगे। इन्हीं प्रमाण-पत्रों का आगे चलकर मुद्रा की तरह व्यवहार होने लगा क्योंकि उनका भुगतान बाहर का किया जाने लगा। बैंकों ने अपने नाट जारी किये ता उनका प्रयोग मुद्रा की भाँति ही किया गया। अल्पकाल से चलने के

1 “Money like certain other essential elements in civilization, is a far more ancient institution than we were brought to believe some few years ago. Its origins are lost in the mists when the ice was melting, and may well stretch back into the paradisaic intervals in human history of the interglacial periods—J. M. Keynes *A Treatise on Money*, Vol. I, p. 13

2 *Ibid.*, p. 15

लिए पत्र मुद्रा जारी करन का अधिकार बाग बलकर केवल केन्द्रीय बैंको तथा स्वयं सरकार तक ही सीमित कर दिया गया। काफी समय तक नोटो को स्वर्ण-मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता था, किन्तु आज सभी देशों में पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय (inconvertible) है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में पत्र-मुद्रा ही पूर्णरूपण मुद्रा है, और इसके केवल सहायक एवं साकेतिक मुद्रा के रूप में चलन में हैं।

(4) साख-मुद्रा (Credit Money)—अधिक विकसित देशों में जहाँ बैंक विकसित अवस्था में हैं, अधिकतर विनिमय का भुगतान बैंक की सहायता से किया जाता है। इन देशों में साख-मुद्रा—जैसे बैंक, ड्राफ्ट आदि—ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है, जिससे ध्यावसायिक भुगतान और भी सुविधाजनक हो गया है।

वास्तव में, मुद्रा का इतिहास मानव-सभ्यता का इतिहास है। अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए मनुष्य इसका निरन्तर विकास करता रहा है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरो के संकेत

1. वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा कसे और कहा तक इन कठिनाइयों को दूर किया जा सका है ?
[संकेत वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का उल्लेख करने के पश्चात् मुद्रा के नार्मों के आधार पर यह स्पष्ट काजिए कि मुद्रा वस्तु विनिमय को सभी कठिनाइयों का विनाश दूर करती है।]
2. मुद्रा का जन्म किस प्रकार हुआ ? मुद्रा के ऐतिहासिक विचार पर प्रकाश डालिए।
[संकेत मुद्रा न जन्म से सम्बन्धित सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए और यह बताइए कि मुद्रा ने कौन-कौनसे रूप धारण किये हैं।]
3. आधुनिक युग में वस्तु विनिमय का क्या स्थान है ? क्या लिए युग इस प्रणाली को अपना रहा है ?
[संकेत आधुनिक युग में वस्तु विनिमय के रूप की व्याख्या के पश्चात् यह स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान युग में वस्तु विनिमय का रूप पहले से निन्न है, क्योंकि यह मुद्रा पर आधारित है।]

मुद्रा की परिभाषा, कार्य एवं महत्व

[DEFINITION, FUNCTIONS AND SIGNIFICANCE OF MONEY]

“मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है।”¹ —मार्शल

भारत में ‘मुद्रा’ शब्द का प्रयोग उम सकेत-चिन्ह अथवा परिचय-चिन्ह के लिए किया जाता था जो राज-दरवार की ओर में किसी व्यक्ति की प्राप्त होता था। वर्तमान युग में भी मुद्रा से अभिप्राय राज्य द्वारा जारी किये गये उम सकेत चिन्ह से है जिसके द्वारा देश में सम्पूर्ण लेन-देन सम्पन्न होता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द ‘मनी’ (Money) लैटिन भाषा के शब्द ‘मोनेटा’ (Moneta) से बना है। ‘मोनेटा’ देवी ‘जूनो’ (Goddess Juno) का दूसरा नाम है, जिसके मन्दिर में प्राचीन रोम में सिक्कों का टकग होना था।

मुद्रा की परिभाषाएँ

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी मुद्रा की परिभाषाएँ इतनी अधिक हैं कि यह निश्चय कर पाना कठिन हो जाता है कि कौनसी परिभाषा को माना जाय। केन्ज ने ठीक ही लिखा है कि “राजनीति अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट डाला है।” विभिन्न परिभाषाओं के वर्गीकरण द्वारा मुद्रा की एक सही परिभाषा जानने में सहायता मिल सकती है। परिभाषाओं का वर्गीकरण अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार तथा परिभाषाओं की प्रकृति के अनुसार किया जा सकता है।

विचारधारा के आधार पर—

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा की दी गयी परिभाषाएँ या तो मुद्रा को विस्तृत या सङ्कुचित अर्थ प्रदान करती हैं।

विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएँ—वाकर तथा हाटेल रिडर्स के अनुसार, “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।”² इसी प्रकार अमरीकी अर्थशास्त्री केट व विचारानुसार “मुद्रा कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मापन के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है।”³ कार्ल हेल्फरिख⁴ तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की इतनी व्यापक रूप में परिभाषा दी है कि मौद्रिक प्रणाली का सम्बन्ध लगभग सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था से स्थापित हो जाता है। इन परिभाषाओं को सन्तोषजनक नहीं माना जाता, क्योंकि यह बैंक, वित्त, इण्डिया आदि को भी मुद्रा में गणित करने लगे हैं, जो मुद्रा का कार्य करते हुए भी वास्तव में मुद्रा नहीं हैं। चूंकि उनकी स्वीकृति धनदायक नहीं है, इसलिए उन्हें मुद्रा का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

सङ्कुचित अर्थ वाली परिभाषाएँ—रॉबर्टसन द्वारा दी गयी मुद्रा की परिभाषा

- 1 “Money is the pivot round which the economic science clusters” —Alfred Marshall
- 2 “Money is that Money does. —Francis A Walker Money in Relation to Trade and Industry, p. 1, Hartley Withers The Meanings of Money.
- 3 Money is “anything that is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value —R. P Kent Money and Banking, p. 4.
- 4 Karl Helfferich Money, Vol I, p. 211

मुद्रा को एक सकुचित रूप प्रदान करती है। उसके विचारानुसार "मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं की कीमत चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों के निपटारे के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किया जाता है।" चूंकि धातु मुद्रा ही विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है, इसलिए इस परिभाषा के अनुसार केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के केवल एक ही कार्य—वस्तुओं और सेवाओं के बदले सर्वमान्यता के गुण—का उल्लेख किया गया है और अन्य कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। स्पष्टतः यह परिभाषा अपूर्ण एवं असन्तोषजनक है।

उचित परिभाषाएँ—विस्तृत तथा सकुचित सीमाओं के बीच कुछ परिभाषाएँ ऐसी भी हैं जो मुद्रा को विस्तृत अर्थ प्रदान कर उसे न अस्पष्ट बनाती हैं और न ही सकुचित रखकर मुद्रा के किसी रूप को परिभाषा के बाहर छोड़ती हैं। फ्रायडर द्वारा दी गयी परिभाषा इसी प्रकार की है। उसके अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो माधारणतया विनियमक माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है (अर्थात् ऋणा का भुगतान करने के हेतु) और साथ-साथ मूल्य के मापक और सञ्चय के आधार का भी कार्य करती है।" एली (Ely) तथा मार्शल द्वारा भी इसी प्रकार की परिभाषाएँ दी गयी हैं। इनके अनुसार धातु-मुद्रा और पत्र मुद्रा ही मुद्रा माने जाते हैं, चूँकि इत्यादि नहीं, क्योंकि इनको सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं होती।

प्रकृति के आधार पर

मुद्रा की परिभाषाओं की प्रकृति के आधार पर उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वर्णनात्मक परिभाषाएँ, वैधानिक परिभाषाएँ, एवं सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ।

वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Descriptive Definitions)—मुद्रा के कार्यों का वर्णन करने वाली परिभाषाएँ वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएँ कही जा सकती हैं। फ्रान्सिस वाकर (Francis A Walker), हार्टले विदर्स (Hartley Withers), सिडज्विक (Sidgwick), व्हिट्लेसी (Whittlesey), नोगारो (Nogaro) तथा एस० ई० टॉमस (S E Thomas) द्वारा इसी प्रकार की परिभाषाएँ दी गयी हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हार्टले विदर्स के अनुसार "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।" टॉमस के अनुसार, "मुद्रा समुदाय के सभी सदस्यों के ऊपर एक प्रकार का अधिकार है, एक ऐसा आदेश अथवा वचन जिस उसका स्वामी अपनी इच्छानुसार कभी भी पूरा करा सकता है। वह स्वयं साध्य नहीं है, अपितु अन्य व्यक्तियों की सेवाया और वस्तुओं पर अधिकार जमाने या केवल साधन मात्र है।"¹

वस्तु। ये परिभाषाएँ मुद्रा का वर्णन करती हैं जबकि 'वर्णन' और 'परिभाषा' में भारी अन्तर है। परिभाषा में वर्ग (genus) तथा विशेषक (differentia) का उल्लेख करना आवश्यक होता है। ये परिभाषाएँ सरल और व्यावहारिक होते हुए भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती हैं।

वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions)—जिसी भी वस्तु के मुद्रा होने के लिए वैधानिक मान्यता आवश्यक है। वैधानिक विचार के अनुसार मुद्रा वही वस्तु है जिसे सरकार मुद्रा घोषित करती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इस विचार के मुख्य समर्थक जर्मनी के प्रो० नेप (Knapp) तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे (Hantrey) हैं। (नेप के अनुसार "बाई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है।"²

1 Money is "a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods, or in discharge of other business obligations —D H Robertson Money, p 2

2 " anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e., as a means of settling debts) and at the same time acts as a measure and a store of value —Crowther An Outline of Money p 33

3 "Money is a kind of claim upon all other members of the community, a sort of order or promise to deliver which can be enforced whenever the owner pleases. It is a means to an end not for its own sake but as a means of obtaining other articles or of commanding the services of others —S E Thomas Elements of Economics, p 400

4 English Translation of Knapp's 'The State Theory of Money,' Lucas and Boner

व्यावहारिक दृष्टिकोण से नैप की परिभाषा सही प्रतीत होती है। परन्तु यदि गम्भीरता से देखा जाय तो विनिमय एक ऐच्छिक कार्य है, और यदि इसे सरकार द्वारा स्वीकृति के दबाव में किया जाय तो यह मन्चे अर्थ में विनिमय नहीं कहा जा सकता। दूसरे, मुद्रा-प्रसार के कारण में जब मुद्रा का मूल्य तीव्र गति में गिरने लगता है तो राज्य द्वारा मान्यता रहते हुए भी मुद्रा का सामान्य स्वीकृति का गुण समाप्त हो जाता है। स्वयं नैप के देश जर्मनी में ऐसा ही हुआ। प्रथम महायुद्ध के बाद जब भीषण मुद्रा-प्रसार हुआ तो जर्मन सरकार की सम्पूर्ण प्रतिष्ठा एवं शक्ति भी मार्क की सामान्य स्वीकृति बनाव रखने में असमर्थ रही। 1944 में हगरी में पेगोस (Pengos) विधि-प्राप्त होने हुए भी जनता की स्वीकृति न प्राप्त कर सका। द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन में भी कानूनी मुद्रा सामान्य स्वीकृति खो बैठी। सर्वप्राहृत्य का वास्तविक आधार जनता का विश्वास है, राज्य की शक्ति नहीं।

नैप द्वारा दी गयी परिभाषा की नुटियों को ध्यान में रखते हुए हाट्टे ने इसमें सुधार के लिए मुद्रा द्वारा ऋण-शक्ति के रूप में किये जाने वाले कार्य को भी जोड़ दिया है। उसके अनुसार मुद्रा के दो पहलू हैं—प्रथम, यह लेने की टकराई (unit of account) है, द्वितीय, यह विधिप्राप्त (legal tender) है।

सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ—सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक आवश्यक गुण है। इसके आधार मानते हुए अनेक परिभाषाएँ दी गयी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

“मुद्रा में वे सब वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं जो बिना विशेष समय अथवा स्थान में, बिना मन्देश या विशेष जांच पड़ताल के, वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और व्यय का भुगतान करने के माध्यम के रूप में सामान्यतया प्रचलित होती हैं।”
—मार्शल

“मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।”
—सेलिंगमैन्

“मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है, और जो ऋणों के अन्तिम भुगतान में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती है।”
—ऐली

‘मुद्रा वह है जिसे दकर ऋण और मूल्य सम्बन्धी अनुबन्धों को पूर्ण किया जा सकता है, और जिसमें सामान्य नय-शक्ति संचित की जाती है।’
—केन्ज

‘मुद्रा केवल ऋण शक्ति है अर्थात् एक ऐसी वस्तु जिससे अन्य वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। यह एक ऐसी वस्तु है जो सामान्यतः तथा विसृत रूप में भुगतान के साधन के रूप में उपयोग की जाती है और साधारणतया ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है।’
—कोल

‘मुद्रा एक वस्तु है जिसे साधारणतया विनिमय के माध्यम तथा मूल्य-मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है।’
—केण्ट

उक्त परिभाषाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर इनमें कुछ अन्तर दिखायी पड़ते हैं, परन्तु सभी में यह स्वीकार किया गया है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण अनिवार्य रूप में होना चाहिए। इन परिभाषाओं में मुद्रा के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं

1. मुद्रा की स्वीकृति सामान्य होनी चाहिए।

2. मुद्रा की स्वीकृति स्वतन्त्र एवं ऐच्छिक हो।

1 “Money includes all those things which are (at any given time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services, and of defraying expenses
—Marshall

2 “Money is one thing that possesses general acceptability”
—Seligman

3 “Anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts”
—Ely.

4 “Money is that by the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held” —J M Keynes.

5 “Money is simply purchasing power—something which buys things—it is anything which is habitually and widely used as a means of payment and is generally acceptable in the settlement of debts”
—G D. H Cole

6 “Money is anything which is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value”
—Kent.

उ मुद्रा विनियम का माध्यम तथा मूल्यों का मापक एक साथ ही मानी जानी चाहिए। इन परिभाषाओं में मुद्रा के वर्ग (genus—अर्थात् वस्तु) और इसके विशिष्ट गुण (diferentia—अर्थात् सामान्य स्वीकृति) का उल्लेख कर दिया गया है, इसलिए ये परिभाषाएँ उचित प्रतीत होती हैं।

मुद्रा के गुणों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे एक व्यापक क्षेत्र में विनियम के माध्यम, मूल्य-मापक, ऋण भुगतान तथा मूल्य संचय के रूप में स्वतन्त्र और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।

मुद्रा की प्रकृति अथवा स्वभाव

मुद्रा की प्रकृति अन्य वस्तुओं से भिन्न है। लोग अनेक वस्तुएँ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे उनके लिए उपयोगी हैं। परन्तु मुद्रा के द्वारा मनुष्य की कोई भी आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्ट नहीं हो पाती। मुद्रा की इच्छा केवल इसलिए होती है कि इसमें श्रय-शक्ति है, यर्थात् इसकी सहायता से आवश्यकता की वस्तुएँ एक मेढारें प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार, मुद्रा केवल साधन (means) है, साध्य (end) नहीं। किसी भी देश का धनी होगा वहाँ की मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तुओं के कुल उत्पादन की मात्रा और निस्म तथा लोगों के लिए उपलब्ध उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। यह सरकार का दायित्व है कि वह मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखे ताकि यह देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास में सहायक हो, स्वावट नहीं।

मुद्रा का आचार उत्तरी सर्वमान्यता है। इसके लिए वैधानिक स्वीकृति का होना अनिवार्य नहीं है। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त मुद्रा अथवा विधिग्राह्य (legal tender) को चलार्थ (currency) कहा जाता है, जबकि मुद्रा में सर्वमान्य साख मुद्रा (credit money) भी सम्मिलित होती है। सभी चलार्थ मुद्रा है, परन्तु सभी मुद्रा चलार्थ नहीं है (All currency is money but all money is not currency)।

आजकल अर्थशास्त्री मुद्रा की परिभाषा देते समय तरलता (liquidity) के गुण को भी ध्यान में रखते हैं। मुद्रा में चलार्थ के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों में रखी गयी चालू जमाओं (current deposits) को ही सम्मिलित किया जाता है, म्यादी जमाओं (time deposits) को नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी इच्छानुसार भाँगने पर किसी भी समय प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह जमा अवधि की समाप्ति पर ही मुद्रा का कार्य कर सकती है। ब्रिटेन की रेडक्लिफ समिति के अनुसार मुद्रा में बैंकों के बाहर चलनशील नोट (जिनकी निवासी प्रमुख रूप से बैंक ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा हुई है) तथा लन्दन, स्वाटलैण्ड और उत्तरी आयरलैण्ड के बैंकों की कुल शुद्ध जमा (net deposits) सम्मिलित होती है।¹

मुद्रा के कार्य

साधारणतया मुद्रा के चार कार्यों—विनियम-माध्यम, मूल्य-मापक, स्थगित भुगताना का मान, तथा मूल्य-संचय—का ही उल्लेख किया जाता है। परन्तु यथार्थ में मुद्रा के कार्य काफी व्यापक हैं। किन्ले (Kinley) ने इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है—(1) मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य (primary functions), (2) सहायक कार्य (subsidiary functions), तथा (3) आकस्मिक कार्य (contingent functions)। इनके अतिरिक्त कुछ और भी कार्य हैं जिन्हें हम अन्य कार्य (other functions) कह सकते हैं।

(क) प्राथमिक कार्य

ये मुद्रा के ऐसे कार्य हैं जिन्हें आधारभूत (basic) कार्य, अनिवार्य (essential) कार्य

¹ Radcliffe Committee (1957) Also known as 'Committee on the Working of Monetary System in Great Britain'

² 'Money is a matter of functions four, A Medium, a Measure, a Standard and a Store

तथा मौलिक (original) कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन कार्यों को मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा स्थिति में किया है, चाहे इसका निजी स्वरूप कुछ भी रहा हो। इस प्रकार के कार्य दो हैं

(1) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)—चूँकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, अतः यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। वस्तु विनिमय काल में दोहरे सयोग का अभाव (lack of double coincidence of wants) एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, जिसे मुद्रा का प्रयोग ने ही हल किया है। अब विनिमय कार्य दो भागों में बँटा रहता है—प्रथम, वस्तु अथवा सेवा को मुद्रा में बदलना, जिसे 'विन्य' (sale) कहते हैं, दूसरे, मुद्रा के बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ अथवा सेवाएँ प्राप्त करना, जिसे 'क्रय' (purchase) कहते हैं। वर्तमान युग में सम्पूर्ण विनिमय मुद्रा के माध्यम से ही होता है।

(2) मूल्य-मापक (Measure of Value)—विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदण्ड द्वारा ही किया जाता है और इसी आधार पर विनिमय-अनुपात का निर्धारण होता है। नाउयर ने लिखा है, 'यह तैले की इकाई के रूप में कार्य करती है। यह मूल्य के मापदण्ड अथवा सर्वमान्य मापक का जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है, कार्य करती है।'¹

मूल्य मापक के रूप में मुद्रा ने आर्थिक हिसाब को बहुत ही सरल बना दिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिस प्रकार मीटर कपडे की मन्वाई का एक निश्चित मापक है उस प्रकार मुद्रा मूल्यों की निश्चित मापक नहीं है। मुद्रा सामूहिक मापक का कार्य करते हुए भी अपने मूल्य में स्थिर नहीं रहती। मुद्रा का मूल्य परिवर्तनीय होता है और वस्तुओं की कीमतों में सामयिक परिवर्तन होता रहता है।

विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मापक कार्यों में सम्बन्ध—वास्तव में मुद्रा के दोनों मुख्य कार्यों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। प्रायः मूल्य-मापन का कार्य विनिमय-माध्यम के पहले होता है। चूँकि सामान्यतः जो वस्तु मूल्यांकन का कार्य करती है वही वस्तु सामान्यतः विनिमय-माध्यम का भी कार्य करती है इसलिए दोनों कार्यों को अलग-अलग निश्चित करना कठिन होता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कार्य दो विभिन्न मुद्राओं द्वारा किए जायें। उदाहरणतः, द्वितीय महायुद्ध काल में चीनी डालरों का अधिक प्रसार होने के कारण मूल्य मापन के लिए अमरीकी डॉलर का प्रयोग किया जाने लगा, जबकि विनिमय-माध्यम चीनी डालर ही रहा। इसी प्रकार, प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी कि मूल्य मापन अमरीकी डॉलर तथा स्विस फ्रैंक के आधार पर किया जाने लगा, किन्तु वास्तविक लेन-देन मार्क में ही होता रहा। वन्हम ने ठीक ही लिखा है कि विनिमय माध्यम तथा मूल्य-मापन के लिए दो भिन्न-भिन्न मुद्राओं का प्रयोग सम्भव है, परन्तु तभी जबकि दोनों मुद्राओं के बीच किसी प्रकार विनिमय-अनुपात स्थापित हो सके।²

सहायक अथवा गौण कार्य ✓

मुद्रा के कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्राथमिक कार्यों के सहायक हैं और जिनका महत्व अत्यन्त-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ बढ़ता रहा है। इस श्रेणी में तीन कार्यों का उल्लेख किया जाता है

(1) स्पष्ट भुगतान (Deferred Payments) का आधार—ऐसे भुगतान जिन्हें तत्काल न कर भविष्य के लिए स्थगित किया जाय, उनके लिए मुद्रा ही आधार है। देनी अथवा विदेशी ऋण तथा उनकी व्याज मुद्रा में ही तय होते हैं। इन कार्यों के लिए मुद्रा अधिक उपयुक्त आधार है, क्योंकि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर होता है, इसमें टिकाऊपन भी अधिक होता है, तथा इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होता है।

1 'It serves as a unit of account. It acts as a yard stick, or standard measure of value to which all other things can be compared'—Crowther *An Outline of Money*, p 3
2 'It is possible for the two units to be different, provided that an exchange ratio between them can somehow be established'—Benham *Economics*, p 424

इस सम्बन्ध में जो एक समस्या सामने आती है वह यह है कि पत्र मुद्रा के विकास के साथ-साथ मुद्रा की मूल्य स्थिरता कम होती गयी है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने से कभी तो ऋणियों को और कभी ऋणदाताओं को हानि उठानी पड़ती है। यह दोष होते हुए भी मावी मुद्दानों के लिए मुद्रा से अधिक अच्छा कोई अन्य आधार नहीं है।

(2) मूल्य सचय (Store of Value) का आधार—वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य के लिए बचत करना कठिन अथवा असम्भव था। परन्तु मुद्रा के प्रयोग द्वारा मूल्य सचय का कार्य अत्यन्त सरल हो गया है। मुद्रा में निष्काङ्गण अथवा अक्षयशीलता का गुण है। थोड़े से स्थान में सुविधापूर्वक तथा सुरक्षापूर्वक इसको जमा किया जा सकता है। इस पर व्याज भी बसायी जा सकती है।

आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पूँजी सचय हो। मुद्रा का मूल्य स्थिर बनाय रखना आवश्यक है ताकि लोग अपनी वचत्तें स्वर्ण, भूमि अथवा किसी अन्य रूप में न रखने लगे।

(3) मूल्य हस्तान्तरण (Transfer of Value) का साधन—आधुनिक काल में विनिमय का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। वहनीयता (Portability) के गुण के कारण मुद्रा के रूप में नये शक्ति अथवा मूल्य का हस्तान्तरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। इसी कार्य के परिणाम स्वरूप आर्थिक जीवन में गतिशीलता बढ़ी है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला है।

(ग) आर्थिक कार्य

किनले (Kinley) के अनुसार प्रत्येक उन्नत अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा मूल्य तथा सहायक कार्यों के अतिरिक्त चार आर्थिक कार्य भी करती है, जो निम्नलिखित हैं

(1) साख का आधार—आज का व्यापार साख पर आधारित है और साख का माप मुद्रा ही है। साख-पत्रों जैसे बैंक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि का प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाने लगा है और बैंक साख का निर्माण करते हैं। यह सब तभी सम्भव हो पाता है जब बैंक के पास पैसे में मुद्रा जमा हो। मुद्रा साख के निर्माण का आधार है।

(2) सामाजिक आय का वितरण—आज के युग में उत्पादन का रूप अत्यन्त जटिल एवं विशाल हो गया है, जिसके लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग लिया जाता है। कुल उत्पादन तथा उससे प्राप्त होने वाली आय इन सभी साधनों के सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है, और उनका विभाजन इन सब में, इनके सहयोग की मात्रा के अनुसार करना होता है। यह कार्य मुद्रा द्वारा सहज ही कर लिया जाता है। मुद्रा के इस कार्य के परिणामस्वरूप ही बड़े-बड़े कारखानों द्वारा उत्पादन सम्भव हुआ है।

(3) अधिकतम सन्तुष्टि तथा अधिकतम उत्पत्ति की प्राप्ति में सहायक—मुद्रा के प्रयोग से ही यह सम्भव हुआ है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं पर व्यय इस प्रकार करे कि सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जिससे उस अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा की सहायता से सभी साधनों की सीमान्त उत्पादकता बराबर करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है।

(4) पूँजी की उत्पादकता बढ़ाना—मुद्रा धन अथवा पूँजी के अनेक रूपों—जैसे, मकान, जमीन, ज्वार, पन्ना आदि—को एक सामान्य रूप (generic value) प्रदान करती है क्योंकि इन सभी को मुद्रा में बदला जा सकता है। इससे पूँजी की तरलता (liquidity) तथा गतिशीलता (mobility) में वृद्धि होती है जो पूँजी की उत्पादकता को बढ़ाती है।

(घ) अन्य कार्य

मुद्रा के उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त तीन और कार्य भी बनाय गये हैं, जो निम्नलिखित हैं

(1) तरलता-दायक (Money Makes Capital Liquid)—बैंक के विचार में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य पूँजी को तरलतम रूप प्रदान करना है। उसके अनुसार पूँजी का मुद्रा के रूप

में रखने के तीन उद्देश्य (motives) हो सकते हैं—कार्य-सम्पादन उद्देश्य (transactions motive), सुरक्षा-उद्देश्य (precautionary motive), तथा सट्टा-उद्देश्य (speculation motive)। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उद्देश्य के लिए लगाया जा सकता है।

(2) निर्णय-वाहक (Bearer of Option)—ग्राहम (Graham) के मतानुसार मुद्रा के रूप में की गयी वस्तु भविष्य में किसी भी उद्देश्य के लिए काम में लायी जा सकती है। चूंकि मनुष्य के उद्देश्य बदलते रहते हैं, इसलिए मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में यह गुण नहीं है कि वह किसी निर्णय के अधीन किसी भी उद्देश्य के लिए काम में लायी जा सके।

(3) शोधन क्षमता सूचक (Guarantor of Solvency)—आर० पी० केण्ट (R. P. Kent) के अनुसार, किसी व्यक्ति अथवा सस्था के पास तरल मुद्रा उसकी भुगतान अथवा शोधन-क्षमता की गारण्टी होती है। दायित्वों का भुगतान न कर पाने पर उन्हें दिवालिया मान लिया जाता है। मुद्रा इस बात की सूचक है कि शोधन-क्षमता को कहां तक बनाये रखा जा सकता है।


मुद्रा के स्थैतिक एवं प्रावैगिक कार्य

कॉलबोर्न (Coulborn) ने मुद्रा के समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में बांटा है—स्थैतिक (static) कार्य तथा प्रावैगिक (dynamic) कार्य। स्थैतिक कार्य वे हैं जो अर्थ-व्यवस्था का संचालन करते हैं, परन्तु उमम गति अथवा वेग उत्पन्न नहीं करते। दूसरी ओर प्रावैगिक कार्य वे हैं जिनसे आर्थिक गति प्राप्त होती है, अर्थात् वे मूल्य-स्तर, रोजगार-स्तर तथा उत्पादन आदि में परिवर्तन लाते हैं। इस आधार पर त्रिनिमय-माध्यम, मूल्य-मापक, क्रय शक्ति के संचय, हस्तान्तरण अथवा स्थगित भुगतान के रूप में मुद्रा के मुख्य एवं सहायक कार्य स्थैतिक कार्य हैं, क्योंकि इनसे प्रत्यक्ष रूप से वेग उत्पन्न नहीं होता। पूंजी को तरलता एवं उत्पादकता के गुण प्रदान करना एवं साथ-साथ के आधार-रूप में कार्य करना प्रावैगिक कार्य है, क्योंकि इनसे गति उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष—वास्तव में आर्थिक विकास के साथ-साथ मुद्रा के कार्यों का भी विकास होता रहा है, और आज भी मुद्रा के कार्यों का विकास रुका नहीं है। “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर” —इस बचन में मुद्रा के कार्यों में परिवर्तनशीलता का आभास मिलता है।

डच अर्थशास्त्री पियर्सन के अनुसार, मुद्रा रेलवे-स्टेशन पर शट्टिङ्ग करने वाले इन्जन की तरह है जो एक समय डिब्बों की एक पंक्ति को खींचता है, और दूसरे समय दूसरी को ढकेलता है। इस प्रकार इसका कार्य सभी डिब्बों को सही पटरियों पर लाना होता है जिससे वे निश्चित स्थान पर पहुँचने में समर्थ हो सकें, किन्तु इन्जन स्टेशन में कभी नहीं जाता।²

मुद्रा के कार्य



1 W. A. L. Coulborn, *An Introduction to Money*, Chapter I
 2 N. G. Pierson, Quoted by Wickseil, *Lectures on Political Economy*, Vol. II, p. 19

मुद्रा का महत्व

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने मुद्रा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने मुद्रा को बजर समझा, और इसकी तुलना एक ऐसी सड़क से की जिस पर तनिक भी धाम नहीं उगती। इन अर्थशास्त्रियों का मत था कि मुद्रा की अनुपस्थिति में जे बी से का सर्वव्यापी बाजार नियम (Law of Markets)—पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है—सहज ढंग से कार्य कर सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारानुसार, “यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहले किसी वस्तु का मुद्रा से विनिमय करना और फिर मुद्रा का किसी अन्य वस्तु से विनिमय करना, विनिमय का एक नया ढंग मात्र है। इस नये ढंग के प्रचलित होने से शोधों की वास्तविक प्रकृति में कोई अन्तर नहीं पड़ता।”¹

वास्तव में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी मान्यताएँ दीर्घकाल पर ही आधारित की जिसमें पूर्ति तथा मांग का समायोजन स्वतः ही जायगा। परन्तु वर्तमान आर्थिक जीवन में तो पूर्ण स्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्थिक अस्थिरता पूँजीवादी व्यवस्था का एक सामान्य लक्षण है। पूँक्ति अस्थिरता का मुख्य कारण कीमती का उतार-चढ़ाव होता है, इसलिए मुद्रा की उपेक्षा की ही नहीं जा सकती।

मुद्रा एक आवरण

प्रथम महायुद्ध से पूर्व इंग्लैण्ड में प्रचलित कुछ कहावतों का उल्लेख प्रो० पीगू ने किया है—‘मुद्रा एक आवरण (veil) है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा हुआ है’, ‘मुद्रा एक आवेष्टन है जिसमें सामान बँधकर आपके पास आता है’,² इत्यादि। इन उक्तियों के पीछे भावना यह है कि उत्पादन तो कुछ अन्य साधनों के सहयोग से होता है जो मुद्रा के आवरण में छिपे हुए हैं, क्योंकि विनिमय के समय मुद्रा ही सामने होती है। यह विचार भी मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने विचारों से मेल खाते हैं, जो भ्रामक तथा अनुपयुक्त हैं। मुद्रा का महत्व केवल विनिमय के लिए ही नहीं है, अपितु उत्पादन के प्रत्येक चरण एवं साधन से सम्बन्धित प्रत्येक क्रिया के लिए मुद्रा एक सक्रिय तथा महत्वपूर्ण तत्व है।

आधुनिक विचार

आज के युग में यह निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि मुद्रा आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि अर्थ-व्यवस्था एक मशीन है तो मुद्रा उस मशीन को चालू रखने वाली शक्ति है। मार्शल ने ठीक ही लिखा है, “मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ-विज्ञान चक्कर लगाता है।” समस्त आर्थिक उतार-चढ़ाव कीमतों की घटा बढी का ही परिणाम होते हैं, और कीमतों का घटना-बढना बहुत कुछ एक मौद्रिक घटना (monetary phenomenon) होती है। चूँकि मुद्रा स्वाभाविक रूप से अस्थिर है, और आर्थिक स्थितियाँ भी निरन्तर परिवर्तनशील हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मुद्रा की मात्रा तथा गति पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जाय। इसे एक ‘सेवक’ की भाँति प्रयोग में लाया जाय, यह ‘मालिक’ न बनने पाये, क्योंकि मुद्रा एक उपयोगी सेवक है, परन्तु उत्तरनाक स्वामी।

मुद्रा के लाभ

आर्थिक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, वल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक क्रियाओं का आधार भी बहुत बड़ी सीमा तक मुद्रा ही है। मुद्रा के लाभों का विश्लेषण मुख्य रूप से तीन आधार मानकर किया जा सकता है—आर्थिक क्षेत्र में महत्व, अन्य क्षेत्रों में महत्व एवं आर्थिक प्रणालियों में महत्व।

1 “It must be evident, however, that the mere introduction of a particular mode of exchanging things for one another by first exchanging a thing for money and then exchanging the money for something else, makes no difference in the essential character of transactions.”—J. S. Mill *Principles of Political Economy*, Book III, Ch 7, Sec 3

2 “Money is a veil behind which the action of real economic forces is concealed”, or “Money is a wrapper in which goods come to you”—*The Veil of Money*, p. 13.

(क) आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व

1 उत्पादन के क्षेत्र में

- (i) आर्थिक हिसाब (economic calculation) के आधार पर ही उत्पादन सम्बन्धी निर्णय किये जाते हैं, और आर्थिक हिसाब मुद्रा के ही माध्यम से होता है।
- (ii) श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण, जो आर्थिक प्रगति के आधार है, मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही सम्भव हुए हैं। वेन्हम के अनुसार, "आधुनिक जीवन जो विशिष्टीकरण पर आधारित है, मुद्रा के अभाव में सम्भव नहीं होगा।"¹
- (iii) मुद्रा पूँजी का सबसे तरल रूप होने के कारण, पूँजी की गतिशीलता प्रदान कर उसे अधिक उत्पादक बनाती है।
- (iv) अधिकतम उत्पादन के लिए मुद्रा उत्पत्ति के माध्यम जुटाने में सहायक होती है। केवल यही नहीं, मुद्रा की सहायता से ही उत्पादक प्रतिस्थापन नियम के अनुरूप विभिन्न साधनों का अनुकूलतम संगठन कर पाता है।
- (v) वचन एवं विनियोग मुद्रा द्वारा ही सम्भव होते हैं, और इनके ही आधार पर पूँजी का निर्माण होता है।

2 उपभोग के क्षेत्र में

- (i) मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता की सत्ता बनी रहती है। वह व्यय तभी करता है जब उसकी इच्छानुसार उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। हॉम के विचार में, "मुद्रा-रहित अर्थ-व्यवस्था की राशनिंग प्रणाली का प्रयोग करना होगा, अर्थात् सामाजिक उत्पत्ति का वितरण पूर्व-निश्चित मात्रा में होगा। इस प्रकार उपभोग सम्बन्धी निर्णय की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायगी।"²
- (ii) मुद्रा न विनिमय-कार्य सरल बना दिया है जिससे उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तुओं की मर्यादा एवं मात्रा बढ़ गयी है। साथ में, उत्पादन करते समय उपभोक्ता की रूचि को ध्यान में रखा जाता है।
- (iii) सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का पालन करने में भी मुद्रा सहायक होती है, जिससे उपभोक्ता को अपने व्यय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त होता है।

3 विनिमय के क्षेत्र में

- (i) मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर विनिमय को सुगम बनाती है।
- (ii) मुद्रा के द्वारा भावी सौदे (future transactions) वर्तमान में किये जाते हैं, जिनके अन्तर्गत भावी कीमत वर्तमान में ही निश्चित हो जाती है।
- (iii) मुद्रा 'मूल्य सयंत्र' (Price mechanism) का आधार है, जिसके अनुसार समस्त आर्थिक निर्णय समायोजित होते हैं।
- (iv) मुद्रा के प्रयोग से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है।
- (v) गांव का निर्माण तथा प्रयोग भी मुद्रा पर ही आधारित है।

4 वितरण के क्षेत्र में

उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार निर्धारित करना तथा उत्पादन पूर्ण होने और बचन से पहले विभिन्न साधनों के पारिश्रमिक को अदायगी कर देना मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही सम्भव हुआ है। यह आवश्यक है कि विभिन्न साधनों में कुल आय का न्यायानुरूप वितरण हो। त्रिमम पारम्परिक गृहयोग की भावना बनी रहे और कल्याण की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होनी रहे। यह सब मुद्रा द्वारा ही सम्भव होता है।

1 "Modern economic life, which is founded on specialization would not be possible without money — Benham *Economics*, p 427

2 "A moneyless economy would have to use a system of rationing, i.e., of distributing the social product in pre-determined proportions. Freedom of choice of consumption would be abolished — G. N. Halm *Monetary Theory*, p 10


5 राजस्व के क्षेत्र में

एक आधुनिक राज्य द्वारा सामाजिक न्याय एवं जन-कल्याण के लिए राजस्व का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य-वित्त का महत्वपूर्ण साधन कर (taxes) तथा लोक ऋण (public debt) हैं, जो मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होते हैं। राज्य अपना व्यय भी मुद्रा के रूप में ही निर्धारित करता है। मुद्रा के बिना तो सरकार द्वारा बजट बनाना और उसके अनुसार आय-व्यय समायोजन करना सोचा भी नहीं जा सकता।

6 मुद्रा एवं आर्थिक जीवन

किसी भी देश के आर्थिक जीवन की रचना में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुद्रा आर्थिक जीवन का नियन्त्रण भी करती है। हमारा आर्थिक जीवन सहज है अथवा अस्त-व्यस्त, इसका अनुमान देश की मुद्रा प्रणाली से लगाया जा सकता है। मुद्रा ने ही आर्थिक उदारतावाद (economic liberalism) को प्रोत्साहन दिया है, जो पूंजीवाद का आधार है। सत्य तो यह है कि यदि मुद्रा न होती तो आर्थिक विकास के उस चिखर तक मानव कभी न पहुँच पाता, जिस पर आज के युग में वह औद्योगीकरण एवं आर्थिक सहयोग की सहायता से पहुँच चुका है। पीगू ने ठीक ही कहा है कि "आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा-रूपी वस्त्र धारण किये हुए हैं।"¹ मार्शल ने मौरिक अर्थ-व्यवस्था के इतिहास को मानव-सभ्यता के इतिहास से सम्बन्धित किया है।² वास्तव में, मुद्रा के महत्व का अनुमान तो तब लगाया जा सकता है जब किसी भी देश अथवा काल में असंगठित मौरिक प्रणाली के प्रभावों को देखा जाय। ट्रेस्कॉट के शब्दों में, "यदि मुद्रा हमारे अर्थ-तन्त्र का हृदय नहीं तो रक्त-स्रोत तो अवश्य है।"³

मुद्रा का चक्राकार बहाव—आर्थिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता मौरिक भुगतानों का चक्राकार बहाव (circular flow) है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने में जो



चित्र 1—मुद्रा का चक्राकार बहाव

भी व्यय करत हैं वह अनक व्यक्ति—जैसे, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता आदि—के हाथों में से होता हुआ पुनः मजदूरी, व्याज, लगान और लाभ के रूप में उपभोक्ताओं के पास लौट आता है। इसमें से कुछ भाग सरकार के पास करों के रूप में पहुँच जाता है, परन्तु वह भी

1 'In the modern world industry is closely enfolded in the garment of money'—A C Pigou *Industrial Fluctuations*, p 117.
 2 Alfred Marshall *Money, Credit and Commerce*, p 264
 3 "If money is not the heart of our economic system, it can certainly be considered its blood stream"—Paul B Trescott *Money, Banking and Economic Welfare*, p 3

सामूहिक कल्याण के लिए व्यय हो जाता है। अर्थ व्यवस्था की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा का चक्राकार बहाव सन्तुलित रूप में बना रहे। इसमें रूकावट पैदा होते ही सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था असन्तुलित हो जाती है। 'तीसा' की महान् मन्दी मुद्रा तथा पूंजी बाजारों के अस्त-व्यस्त होने का ही परिणाम थी। इसी प्रकार, युद्धोत्तर काल में जर्मनी तथा अन्य अनेक देशों में मुद्रा स्फीति की भयानक स्थिति का कारण भी चक्राकार बहाव में वृद्धि हो जाना था। चित्र (1) में आय-व्यय के सामान्य चक्राकार बहाव को प्रदर्शित किया गया है।

7 आर्थिक प्रगति की सूचक

कुंश्चि प्रत्येक आर्थिक कार्य, वस्तु या घटना को मुद्रा द्वारा मापा जाता है, इसलिए किसी देश की आर्थिक प्रगति को भी मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। किसी देश की मुद्रा की दर गिरना वहाँ की कमजोर आर्थिक स्थिति का सूचक है। ऐसे देशों की जिनके निर्यात अधिक होते हैं, मुद्रा की माँग अधिक होने के कारण मुद्रा का मूल्य भी ऊँचा होता है, जो वहाँ की सुदृढ अर्थ-व्यवस्था का सूचक है।

(ख) सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में महत्व

मुद्रा का महत्व केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य गैर-आर्थिक क्षेत्रों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

सामाजिक क्षेत्र में—मुद्रा सामाजिक कल्याण की मापक है। इसके साथ साथ मुद्रा एक अन्यन्त मूल्यवान् सामाजिक साधन (social instrument) है जिसने समाज के आर्थिक कल्याण की वृद्धि की है। मुद्रा के प्रयोग से सामाजिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। मुद्रा-रहित अवस्था में जब मजदूरी वस्तुओं के रूप में दी जाती थी, श्रमिक की स्थिति गुलामों जैसी थी। मुद्रा ने स्वतन्त्रता और प्रतिस्पर्धा स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक दासता से मुक्ति दिलायी है। इससे सामाजिक अलगाव (social isolation) भी समाप्त हुआ है।

राजनीतिक क्षेत्र में—मुद्रा के प्रयोग द्वारा राजनीतिक चेतना बढ़ी है, क्योंकि जब लोगों को कर देना पड़ता है तो वह राजनीतिक व्यवस्था में अधिक रूचि लेने लगते हैं। इससे राजनीतिक स्वतन्त्रता की शक्तियाँ को भी बल प्राप्त हुआ है। प्रत्येक करदाता प्रतिनिधित्व भी चाहता है और सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की आशा रखता है। व्यापारिक सम्बन्ध विस्तृत होने के कारण लोगों के सम्पर्क बढ़े हैं और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायता मिली है। यही नहीं, आर्थिक हितों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता को भी प्रोत्साहन मिलता है और आपसी तनाव कम होने है।

अन्य क्षेत्रों में—मानव के सभी गुणों का मूल्यांकन मुद्रा में ही किया जाता है। एक सफल एवं अच्छा कलाकार गायक अथवा लेखक वही है जिसे अपनी कला से अच्छी मौद्रिक आय प्राप्त होती है। यहाँ तक कि 'शान्ति पुरस्कार', 'सुन्दरता पुरस्कार' अथवा अन्य किसी योग्यता के लिए पुरस्कार भी मुद्रा के ही रूप में दिये जाते हैं।

ट्रेडिन्गपार्ट न ठीक ही लिखा है कि "लगभग समस्त राजनीतिक प्रश्न, जटिल सामाजिक समस्याएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ एवं आर्थिक मान (मुद्रा) पर ही निर्भर हो गये हैं।" मुद्रा के अस्तित्व के बिना आर्थिक जीवन की तात्पर्यता भी नहीं की जा सकती।

(ग) विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में मुद्रा का स्थान

मुद्रा का महत्व प्रत्येक आर्थिक प्रणाली (economic system) के लिए है। अर्थ-व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी, नियोजित हो अथवा अनियन्त्रित, मुद्रा के अभाव में कार्य नहीं कर सकती।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा—मुद्रा पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था (capitalist economy)

1 "Almost all great political issues and almost all absorbing social problems and almost all international complications rest upon a pecuniary standard —Davenport *Economics of Enterprise*, p. 23

का जीवन है, इसके बिना इस व्यवस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा। पूंजीवाद आर्थिक स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति तथा लाभ के उद्देश्यों पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें मार्ग दर्शन कीमत-संयन्त्र (price mechanism) द्वारा किया जाता है। चूंकि कीमत-संयन्त्र केवल मुद्रा के ही रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए यथार्थ में मुद्रा ही पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के संचालन के लिए जीवन-रक्त है। पूंजी ही पूंजीवाद का आधार-स्तम्भ है, जिसका सचय एवं उचित प्रयोग मुद्रा द्वारा ही सम्भव होता है। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मुद्रा पूंजी के निर्माण में सहायक होती है तथा आय का उचित प्रयोग करने में महामता देती है। मुद्रा मूल्य के परिवर्तनों का पूंजीपतियों के लाभ पर प्रभाव पड़ता है। न केवल उत्पादन सम्बन्धी निर्णय मुद्रा के आधार पर किये जाते हैं, बल्कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता (sovereignty) भी मुद्रा पर ही निर्भर करती है। मुद्रा साख का आधार है, तथा वितरण को सरल बनाकर उत्पत्ति के सभी साधनों का सहयोग प्राप्त करती है। निस्तान्देह मुद्रा पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का आवश्यक अंग है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था (socialist economy) एक नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा उपभोग पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने मुद्रा को श्रमिकों के शोषण का साधन बनाया, क्योंकि इसी के माध्यम से पूंजीपतियों को अतिरिक्त मूल्य (surplus value) प्राप्त होता है। वह मुद्रा के उन्मूलन के पक्ष में था। सोवियत रूस में 1917 की बोलशेविक क्रान्ति के पश्चात् मुद्रा के उन्मूलन के कुछ प्रयास किये गये, किन्तु शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि मुद्रा का परित्याग सम्भव नहीं।

समाजवादी क्रान्ति के नेताओं, लेनिन (Lenin) तथा ट्रॉट्स्की (Trotsky), ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आर्थिक हिसाब (economic calculations) के लिए मुद्रा का प्रयोग अनिवार्य है। ट्रॉट्स्की के शब्दों में, "सरकारी कार्यालयों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को व्यापारिक हिसाब के द्वारा अपना आर्थिक औचित्य प्रमाणित करना चाहिए। किन्तु जब तक कोई मुद्रा मीट्रिक इकाई प्रयोग नहीं की जायगी तब तक व्यापारिक हिसाब के प्रयास से अधिक गड़बड़ ही उत्पन्न होगी।" सोवियत रूस में आज मुद्रा ही लेखे की इकाई है। विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मापक है। आर्थिक योजनाएँ मुद्रा प्रसाधनों (money resources) के ही सन्दर्भ में बनायी जाती हैं।

मौरिस डॉब (Maurice Dobb) के विचार में, यदि सम्पूर्ण उत्पादन का निर्धारण केन्द्रीय योजना आयोग कर ल और उपभोक्ता के निर्णय पर भी कुछ प्रतिबन्ध हो, तो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (pricing process) की आवश्यकता नहीं रहेगी। परन्तु ऐसा होने पर भी मुद्रा की अनावश्यकता मिट नहीं जाती, क्योंकि मूल्यों के निर्धारण का आधार चाहे कुछ भी हो, आर्थिक हिसाब तो मुद्रा में ही होगा। डॉब ने ठीक ही लिखा है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था मीट्रिक अर्थ-व्यवस्था ही रहेगी।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा—यदि कोई भी देश अपना आर्थिक विनाश के लिए आर्थिक नियोजन का तरीका अपनाता है, तो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था करना होती है। यदि वित्तीय अथवा मीट्रिक साधन अपर्याप्त हो तो विकास के अन्य साधन बकार ही पड़े रहते हैं। देश की विकास सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हीनाय प्रवर्धन (deficit financing) द्वारा मुद्रा की मात्रा बढ़ाती पड़ती है, जिससे मुद्रा की कीमत गिर सकती है। इसलिए एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लिए यह आवश्यक होना है कि वह अपना मीट्रिक प्रवर्धन इस प्रकार करे कि मुद्रा-विस्तार उत्पादन में सहायक हो, बाधक नहीं। दूसरे

1 "The blue prints produced by the offices must demonstrate their economic expediency through commercial calculation. Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos — L. D. Trotsky *Soviet Economy in Danger*, p. 30

2 "Thus we may safely conclude that a social economy will remain a monetary economy — George N. Halm *Monetary Theory*, p. 13

शब्दों में, नियोजन का उद्देश्य 'स्थिरता के साथ विकास' (growth with stability) हो¹। मौद्रिक साधनों का समायोजन आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर, ए० पी० लरनर का मत पूर्णतया उचित प्रतीत होता है कि "कोई भी अर्थ-व्यवस्था, उसका चाहे जो रूप हो, मूल्य निर्धारक यन्त्र के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती।"² जॉन ला (John Law) ने अठारहवीं शताब्दी में लिखा था, "राजरूपी शरीर के लिए मुद्रा रक्त के समान जीवन-दायिनी शक्ति है, जिमसे प्रत्येक अंग को स्फूर्ति मिलती है। मुद्रा के अभाव में सर्वोत्कृष्ट विधान भी लोगों को न तो रोजगार दिला सकते हैं, और न ही उत्पादन में कोई सुधार कर सकते हैं। व्यापार भी मुद्रा पर निर्भर होता है।"³

मुद्रा के दोष

मुद्रा में अनेक गुणों के होते हुए भी यह मानव के लिए एक 'अमिश्रित वरदान' नहीं है। जहाँ इससे अनेक लाभ हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं—कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से।

आर्थिक दोष

(1) धन की विश्वासघातिनी सरक्षिका—मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता। पन मुद्रा और बैंक के प्रचलन से अस्थिरता और भी बढ़ गयी है। भारत में ही देख लीजिए, युद्धोत्तर काल में मुद्रा की कीमत कितनी गिर गयी है। 1956 से 1966 के बीच, दस वर्षों में ही, मुद्रा के मूल्य में लगभग 65 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। जर्मनी में युद्ध के पूर्व लोग दुकानों पर मुद्रा जेब में रखकर ले जाते थे और मामान टोकरिया में लाते थे। युद्ध के पश्चात स्थिति यह हो गयी कि मुद्रा ही टोकरियों में भरकर जाने लगी और माल जेबों में आने लगा।⁴ लोगों ने मुद्रा को अपने संचित धन का सरक्षण सौंपा और उनका धन ही लुट गया। प्रायः यह ताना दिया जाता है कि 'मुद्रा हमारे धन की एक विश्वासघातिनी सरक्षिका है' (Money is a faithless steward of our wealth)।

(2) आर्थिक जीवन में अनिश्चितता—मुद्रा व्यापार-चक्रों (trade cycles) को जन्म देती है। वैसे तो व्यापार-चक्रों के अनेक कारण बताये जाते हैं, परन्तु इन सब में मौद्रिक कारण ही अधिक प्रभावपूर्ण है। केन्ज के अनुसार, व्यापारिक उतार-चढ़ाव वचत तथा विनियोग (saving and investment) सम्बन्धी निर्णयों में असमानता का परिणाम होते हैं। वचत तथा विनियोग दोनों ही मुद्रा से सम्बन्धित होते हैं, इसलिए व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना ही तो है।

(3) शोषण यन्त्र—मुद्रा के विकास से ही पूंजीवाद का जन्म हुआ, और पूंजी का केन्द्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में हो गया। पूरा ममान 'हजूर' (Haves) तथा 'मजूर' (Have Nots), दो वर्गों में बँट गया। श्रमिक पूंजीपतियों पर आश्रित हुए और मजदूरी कम देकर पूंजीपतियों न उनका शोषण किया। धन तथा सम्पत्ति के वितरण में असमानताएँ बढ़ीं। परिणामतः धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन बनते गये। एकाधिकार स्थापित हो जाने से उपभोक्ता के हितों की रक्षा न हो पायी। यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी धनी देशों ने निर्धन देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण किया है।

(4) अल्पव्ययता में वृद्धि—मुद्रा न मनुष्य को अव्यय बना दिया है। अति-पूंजीकरण (over-capitalisation) तथा अति उत्पादन (over production) को प्रोत्साहन मिला है जिमसे अस्थिरता का बातावरण उत्पन्न होता है। अनुचित रूप से उपभोग पर अनावश्यक व्यय तथा मट्टे-बाजी की प्रवृत्तियाँ भी मुद्रा का ही परिणाम हैं। मुद्रा के उपयोग से ऋणग्रस्तता में भी वृद्धि हुई है।

1 For detailed discussion, see Dr T T Sethi: *Price Strategy in Indian Planning*, Chapters XI and XII

2 "Without price mechanism it is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency" —A P Lerner *Review of Economic Studies*, Vol II, (1934-35) p 55

3 "We used to go to the stores with money in our pockets and came back with food in our baskets. Now we go with money in baskets and return with food in our pockets" —Quoted by P A Samuelson *Economics*, p 283

(5) सेवक नहीं स्वामी—मुद्रा हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं पर इस तरह छा गयी है कि हमारे अधीन नहीं रही, बल्कि हम इसके अधीन हो गये हैं। मुद्रा उपयोगी तभी होती है जब सेवक के रूप में हो, स्वामी के रूप में तो यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकती है। सामाजिक दोष

मुद्रा अनेक सामाजिक तथा नैतिक बुराइयों की जड़ है। जीवन के अभीतिक एवं नैतिक गुणों को समाप्त कर समाज का भौतिकवादी शोषण मुद्रा के ही कारण होता है। मीजिज ने तो यहाँ तक लिखा है कि “मुद्रा को चोरी, हत्या, छल तथा प्रतिज्ञा भंग का कारण माना गया है। जब वैश्या अपना शरीर तथा न्यायाधीश अपना न्याय बेचता है, तो मुद्रा की निन्दा होती है। चरित्रवादी जब बहुत अधिक भौतिकवाद की निन्दा करना चाहता है, तब वह मुद्रा के ही पिरुद्ध कहता है। लालच को मुद्रा-प्रेम कहना और सब बुराइयों को लालच से उत्पन्न मानना अपना महत्व रखता है।”¹ रस्किन ने कहा है कि “मुद्रा के शतानेक आत्माओं को दबा दिया है, किसी भी धर्म अथवा दर्शन में इसे बहिष्कृत करने की शक्ति नहीं दिखायी पड़ती है।”² ऐसा लगता है कि मुद्रा ने ‘साधन’ (means) के बजाय ‘साध्य’ (end) का रूप धारण कर लिया है, इससे न केवल अभीतिक कल्याण में कमी हुई है बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, रिश्वत, बेईमानी आदि को प्रोत्साहन मिला है। निष्कर्ष

मुद्रा के ऊपर बताये गये दोष गम्भीर होते हुए भी, वास्तव में, मुद्रा के दोष नहीं, यह समस्त दोष मुद्रा के अनुचित तथा अव्यवस्थित उपयोग के हैं, जिनके लिए मानव स्वयं उत्तरदायी है। मुद्रा बरदान तभी तक है जब तक इसका नियन्त्रित उपयोग किया जाये। दुरुपयोग इसे अभिशाप बना देता है। रॉबर्टसन (Robertson) ने ठीक ही कहा है कि “मुद्रा जो मानव समाज के लिए अनेक प्रकार से बरदान का स्रोत है, यदि नियन्त्रण के बाहर हो जाती है तो सकट और भ्रम का कारण बन जाती है।”³

आवश्यकता मुद्रा उन्मूलन की नहीं बल्कि मुद्रा-नियन्त्रण की है। बेजहॉट (Bagehot) ने कहा था कि ‘मुद्रा स्वयं अपना नियन्त्रण नहीं करेगी’ (Money will not manage itself)। प्रत्येक सरकार को चाहिए कि वह मुद्रा-प्रबन्धन (monetary management) की उपयुक्त नीति बनाये और उसे कार्यान्वित करे।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1 मुद्रा की आलोचनात्मक परिभाषा दीजिए तथा मुद्रा का स्वभाव बताइए।

[संकेत प्रथम भाग में मुद्रा की परिभाषाओं का, विचारधारा के आधार पर तथा उनकी प्रवृत्ति के आधार पर, उनकी वृत्तियों सहित विवरण दीजिए और मुद्रा की सही परिभाषा दीजिए। दूसरे भाग के लिए मुद्रा के स्वभाव तथा प्रकृति (nature) की विवेचना कीजिए।]

2 मुद्रा कौन है जो मुद्रा का कार्य करती है? विस्तारपूर्वक समझाइए।

[संकेत यह स्पष्ट कीजिए कि हम कथनानुसार धार्मिक नियमों और पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त साध्य-मुद्रा—सौंदा, विल इत्यादि—भी मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। परन्तु इनमें मुद्रा का रूप कृत व्यापक हो जाता है। साथ ही उसी की तभी मुद्रा समझा जायेगा जब उनमें सवमान्यता का गुण होगा। मुद्रा के कार्यों का भी ब्यक्त कीजिए।]

3 मुद्रा के मुख्य एवं सहायक कार्य बताइए। क्या कोई वस्तु मूल्य-मापक हुए बिना वित्तियत का माध्यम हो सकती है?

[संकेत यह बताइए कि मुद्रा वित्तियत का माध्यम है और मूल्य का मापक। इसके सहायक कार्यों—स्वमित्त भुगतानों का आधार, मूल्य-संचय का आधार तथा मूल्य-हस्तांतरण के साधन—का भी ब्यक्त कीजिए। दूसरे भाग में उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें कोई मुद्रा मूल्य-मापन का आधार होने हुए भी वित्तियत का माध्यम नहीं होती।]

1 “Money is regarded as the cause of theft and murder, of deception and betrayal. Money is blamed when the prostitute sells her body and when a judge perverts the law. It is money against which the moralist declaims when he wishes to oppose excessive materialism. Significantly enough, a vice is called the love of money and all evil is attributed to it.” —Ludwig Von Mises *The Theory of Money and Credit*, p. 93

2 “The devil of money has come to possess their souls. No religion or philosophy seems to have the power of driving it out.” —Ruskin

3 “Money which is a source of so many blessings to mankind becomes also, unless we can control it, a source of peril and confusion.” —D H Robertson *Money*, p. 16

4 "मुद्रा के हैं चार—माध्यम मापक सचय, आधार' इत बचन को स्पष्ट रूप से समझाइए ।

[सकेत पहले तो मुद्रा की संशय में परिभाषा दीजिए और फिर उक्त चार कार्यों का विवेचन करने के उपरान्त यह बताइए कि मुद्रा के केवल यही चार कार्य नहीं हैं बल्कि और भी हैं, और संशय में उनका भी उल्लेख करवालिए ।]

5 मुद्रा एक धरो है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण अर्थ तन्त्र घूमता है स्पष्ट कीजिए ।

[सकेत आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्त्व की व्याख्या कीजिए और यह भी बताइए कि आर्थिक क्षेत्र के बाहर भी मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में इसकी आवश्यकता है ।]

6 क्या एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था मुद्रा रहित व्यवस्था हो सकती है ? आर्थिक नियंत्रण के लिए मुद्रा का क्या महत्त्व है ?

[सकेत प्रथम भाग में समाजवादी अर्थ व्यवस्था में मुद्रा के कार्यों का उल्लेख कीजिए और सोवियत संघ के अनुभव का उदाहरण दीजिए । दूसरे भाग में आर्थिक योजनाओं के बनाने और लागू करने में मुद्रा का महत्त्व बताइए ।]

7 "मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है' व्याख्या कीजिए ।

[सकेत सेवक के रूप में मुद्रा के लाभ बताइए इसके उपरान्त यह स्पष्ट कीजिए कि इस पर नियन्त्रण न करने से यह नापसुख भी हो सकती है । यह भी बताइए कि मुद्रा के उपयोग पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ।]

8 मुद्रा एक आवरण है इस कथन पर प्रकाश डालिए ।

[सकेत यह समझाइए कि आवरण (veil) से क्या तात्पर्य है और ऐसा साधना कहा तक उचित है । मुद्रा के महत्त्व की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि मुद्रा एक आवरण नहीं बल्कि आर्थिक इज्जत की वास्तु रखन वाली शक्ति अथवा तन्त्र है ।]

“मुद्रा का स्वयं मूल्यवाना होना आवश्यक नहीं है, इसमें सापेक्षिक दुर्लभता होना आवश्यक है। यदि मुद्रा प्रत्येक वृक्ष से तोड़ी जा सके तो काम नहीं चलेगा। परन्तु इसकी सापेक्षिक दुर्लभता एव मात्रा में स्थिरता बनाये रखने पर तो कागज के टुकड़े जैसी निरूप्य वस्तु अथवा एक लिपिक की बंक के खातों में एक प्रमोट को भी मुद्रा में सम्मिलित किया जा सकता है।”¹

—क्रॉवर

समय-समय पर मुद्रा में विविध रूप धारण किये हैं। मुद्रा के विभिन्न स्वरूपाको समझने के लिए एक उपयुक्त वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण के मुख्यतः तीन आधार ही सकते हैं—मुद्रा की प्रकृति, वैधानिकता तथा मुद्रा पदार्थ।

प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

प्रकृति के आधार पर जे० एम० केन्ज ने मुद्रा का वर्गीकरण ‘वास्तविक मुद्रा’ तथा ‘हिसाब की मुद्रा’ में किया है।

वास्तविक मुद्रा (actual money) से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय-माध्यम तथा भुगतान के आधार के रूप में प्रचलित होती है और त्रय शक्ति का संचय करती है। बेन्हम (Benham) ने इस प्रकार की मुद्रा को ‘चलन की इकाई’ (unit of currency) तथा सेलिंगमैन (Seligman) ने ‘व्यायं मुद्रा’ (real money) कहा है। भारत में विभिन्न सिक्के एव बैंक नोट वास्तविक मुद्रा ही हैं।

हिसाब की मुद्रा (money of account) वह है जिसमें ऋण और कीमते तथा सामान्य त्रय-शक्ति व्यक्त की जाती है। इसी में सभी प्रकार के हिसाब रचे जाते हैं और इसका प्रायः स्थायी नाम होता है, जैसे रुपया भारत की हिसाब की मुद्रा है, जबकि इसका रूप अनेक बार बदल चुका है। इस प्रकार की मुद्रा के लिए बेन्हम ने ‘हिसाब की इकाई’ (unit of account) तथा सेलिंगमैन ने ‘आदर्श मुद्रा’ (ideal money) शब्दों का प्रयोग किया है।

साधारणतः हिसाब की मुद्रा तथा वास्तविक मुद्रा भिन्न नहीं होती हैं, परन्तु ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि यह दोनों भिन्न भी रही हैं। सन् 1923 में जर्मनी में मार्क वास्तविक मुद्रा थी, और हिसाब की मुद्रा फ्रैंक तथा स्विस डालर। भारत में दशमलव मुद्रा के चलन के पूर्व हिसाब पाद्यों में रखा जाता था जबकि पाई वास्तविक चलन में नहीं थी। हिसाब की मुद्रा एक सैद्धान्तिक रूप है और वास्तविक मुद्रा व्यावहारिक रूप। व्यावहारिक रूप में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं जबकि सैद्धान्तिक रूप स्थिर रहता है। वास्तविक मुद्रा के केन्ज ने दो उप-भेद बनाये हैं।


1 “Money need not itself be valuable. It must, indeed, be relatively scarce, since it would hardly do if money could be plucked off every tree. But provided precautions are taken to keep it relatively scarce—and, it may be added comparatively invariable in amount—money can consist of things as worthless as a scrap of paper or the scratch of a clerk’s pen in the books of a bank.”—Crowther *An Outline of Money*, p. 13.

(क) वस्तु-मुद्रा (Commodity Money)—इस प्रकार की मुद्रा का वास्तविक मूल्य (intrinsic value) उसके अंकित मूल्य (face value) के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। इसको पूर्ण-काय मुद्रा (full-bodied money) भी कह सकते हैं। धातु-मुद्रा ही वस्तु मुद्रा की श्रेणी में आ सकती है।

(ख) प्रतिनिधि मुद्रा (Representative Money)—यह मुद्रा विनिमय-माध्यम के रूप में कार्य करती है क्योंकि त्रय शक्ति की प्रतिनिधि होती है। परन्तु इसका यथार्थ मूल्य कुछ न होने के कारण यह त्रय-शक्ति के सचय के लिए उपयुक्त नहीं होती। यह भी दो प्रकार की होती है—
(i) परिवर्तनीय, और (ii) अपरिवर्तनीय।

परिवर्तनीय मुद्रा का वस्तु मुद्रा से बदला जा सकता है परन्तु अपरिवर्तनीय मुद्रा को (सिवाय अपने में अन्य किसी वस्तु-मुद्रा में) बदलने के लिए निर्गम सस्थाएँ अथवा सरकार बाध्य नहीं होती।

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का प्रचलित रूप पत्र मुद्रा है। इसे केन्ज ने 'बलात् मुद्रा' (fiat money) भी कहा है। केन्ज के अनुसार मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है



वैधानिक मान्यता के आधार पर वर्गीकरण

वैधानिक मान्यता के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है

(क) विधिप्राप्त मुद्रा (Legal Tender Money)—यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिसे अस्वीकार करना एक अपराध समझा जाता है।


विधिप्राप्त मुद्रा दो प्रकार की होती है—सीमित विधिप्राप्त जिसे एक निश्चित सीमा के बाद स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता, जैसे, भारत में एक पैसे से पच्चीस पैसे के सिक्कों को 25 रुपये से अधिक स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, असीमित विधिप्राप्त मुद्रा वह है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक एक ही बार में भुगतान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।

असीमित विधिप्राप्त भी दो प्रकार का होता है—(1) 'बहु विधिप्राप्त प्रणाली' (Multiple Legal Tender System) के अन्तर्गत दो या दो से अधिक तरह के धातु के सिक्के प्रामाणिक (standard) रूप में चलन में होते हैं और इनका असीमित मात्रा में भुगतान किया जा सकता है। (2) 'मिश्रित' अथवा 'तालिका' प्रणाली (Composite or Tabular System) जिसके अन्तर्गत मुद्रा वस्तुओं के मूल्य-स्तर के आधार पर लेन-देन में स्वीकार की जाती है।

(ख) ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money)—यह वह मुद्रा है जिसे साधारणतः स्वीकार किया जाता है, परन्तु इसके लिए कानून किसी को विवश नहीं करता। विभिन्न प्रकार के साख-पत्र, बैंक, ड्रियादि ऐच्छिक मुद्रा ही हैं। इस प्रकार की मुद्रा की स्वीकृति बहुत कुछ भुगतान करने वाले की बाजार में गति पर निर्भर करती है।

रॉबर्टसन ने वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण करते हुए विधिप्राप्त को 'साधारण मुद्रा' (Common Money) तथा ऐच्छिक मुद्रा को 'बैंक मुद्रा' (Bank Money) कहा है।

वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण निम्न चार्ट द्वारा दिखाया गया है



मुद्रा-पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण

मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में बांटा जाता है—धातु-मुद्रा तथा पत्र मुद्रा। परन्तु चूँकि आज के युग में पत्र मुद्रा ही मुख्यतः प्रचलित है इसलिए इस वर्गीकरण का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है।

धातु-मुद्रा

जब मुद्रा किसी धातु की बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा (metallic money) कहा जाता है। मुद्रा के विकास का उल्लेख करते समय यह बताया जा चुका है कि आरम्भ में धातुओं के टुकड़े अथवा सलाख ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाते थे। परन्तु इनको बार-बार तोड़ना और परखना पड़ता था और इनकी शुद्धता की भी कोई गारन्टी नहीं थी। इन असुविधाओं से बचने के लिए जब निश्चित वजन एवं मूल्य के टुकड़ा पर चिह्न अंकित किये जाने लगे तो सिक्का का चलन आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे सिक्के टालने की कला का विकास हुआ और सुन्दर सुहृद तथा समरूप सिक्के बनने लगे।

सिक्का की निमाण विधि अथवा ढलाई को टक्कण (coinage) कहा जाता है। टक्कण का मुख्य उद्देश्य ये हात है (1) सिक्का को समरूपता दी जाय ताकि लोग इसे बिना कठिनाई के पहचान सकें (2) सिक्को को ऐसा रूप दिया जाय कि जाली सिक्के न बन पायें (3) इनको काटकर अथवा गलाकर निरुप्युक्त न किया जा सके (4) घटिया धातुओं के मिश्रण द्वारा सिक्को को कठोर बनाना ताकि उनकी अधिक घिसावट न हो तथा (5) सिक्का का कलापूण रूप प्रदान करना।

टक्कण प्रणालियाँ

टक्कण की अलग प्रणालियाँ का दो प्रमुख वर्गों में रखी जा सकती हैं—स्वतन्त्र टक्कण एवं सीमित टक्कण।

(1) स्वतन्त्र टक्कण (Free or Unlimited Coinage)—इस प्रणाली को अपरिमित टक्कण प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधीन जनता का यह स्वतन्त्रता होती है कि वह टक्कणाल को धातु देकर उसके सिक्के ढलाई करे, अथवा इसका बदल में सिक्के प्राप्त करे। इंग्लैण्ड में 1831 तक और भारत में 1893 तक यह प्रणाली प्रचलित थी। चूँकि इस प्रणाली का प्रयोग प्रामाणिक (standard) अथवा पूर्ण शरीर (full bodied) सिक्का के टालने में ही होता था अतः पूर्ण-शरीर सिक्का का प्रचलन समाप्त होने के साथ ही स्वतन्त्र प्रणाली भी समाप्त हो गयी।

स्वतन्त्र टक्कण के तीन उपभेद हैं (अ) निशुल्क टक्कण (gratuitous coinage) जिसके अधीन सिक्का की ढलाई सरकार जनता से बिना कोई शुल्क (fees) लिया करती है। अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में काफी प्रामाणिक सिक्का की ढलाई निशुल्क ही की जाती रही है। (ब) सशुल्क टक्कण (brassage) जिसमें सरकार जनता से सिक्को के ढलाई-व्यय को बराबर शुल्क लेता है। (स) सत्ताप टक्कण (seigniorage) जिसमें सरकार ढलाई-व्यय से अधिक शुल्क लेकर लाभ अर्जित करती है।

द्वलाई-शुल्क या तो नकद मुद्रा में वमूल किया जाता है अथवा शुल्क के बराबर मूल्य की धातु असली धातु से निकालकर उसके बजाय घटिया धातु मिला दी जाती है। जिस दर पर सरकार धातु के बदले में सिक्के देती है उसे धातु का 'टकसाली मूल्य' (mint price) कहते हैं।

(2) सीमित टकण (Limited Coinage)—इस प्रणाली के अधीन जनता को धातु के बदले सिक्के ढलवान का अधिकार नहीं होता। सिक्को के निर्माण की मात्रा स्वयं सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, और फिर आवश्यकतानुसार सरकार धातुओं को धातु-बाजारों से खरीदकर सिक्के ढालती है। प्रतीक अथवा सांकेतिक (token) सिक्को का टकण सदा सीमित ही रहा है। भारत में 1893 के पश्चात् हरशात मसिति (Herschel Committee) की सिफारिश पर टकण सीमित कर दिया गया। आधुनिक काल में सभी देशों में टकण इसी प्रणाली के अनुसार होता है। स्वतन्त्र टकण का केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया है।

सिक्को को निकृष्टता

जब टकण कानून में कोई समोधन किये बिना सरकार सिक्को की तोल, शुद्धता अथवा दोना को ही कम करके सिक्के का आन्तरिक मूल्य (intrinsic value) कम कर देती है तो इस क्रिया को सिक्को की 'निकृष्टता' (debasement) और उन सिक्को को 'निकृष्ट सिक्के' कहा जाता है। उदाहरणतः सन् 1940 में भारत सरकार ने रुपये में विशुद्ध चाँदी की मात्रा को घटा कर $\frac{1}{2}$ कर दिया और उसके स्थान पर गिल्ट मिला दिया जिससे रुपया निकृष्ट सिक्का हो गया।

बहुत समय तक चलन में रहने से भी सिक्के घिसकर निकृष्ट हो जाते हैं। कुछ बेईमान और धोखेबाज लोग अनुचित तरीकों से सिक्को की धातु निकालकर निकृष्ट कर देते हैं, जैसे—

(1) सिक्को के किनारे काटना (Clipping)—सिक्को के किनारों को काटकर या खुरच कर थोड़ी-थोड़ी धातु निकाल ली जाती है। इसको रोकने के लिए सिक्को के किनारे धारीदार (milled edged) बनाये जाने लगे हैं।

(2) सिक्को की घिसाई (Abrasion)—किसी थैली में डालकर जोर से हिलाने से आपस की रगड़ के कारण वे घिस जाते हैं और उनकी कुछ धातु थैली में एकत्रित हो जाती है। इसको रोकने के लिए सिक्का किसी अन्य धातु के मिश्रण से बड़ा कर दिया जाता है।

(3) सिक्को की गलाई (Sweating)—तेजाब आदि से सिक्को की कुछ धातु को गला लिया जाता है और फिर गली हुई धातु के कण तेजाब से अलग कर लिये जाते हैं। इसको रोकने के लिए सिक्को पर काफी उभरे हुए चिह्न अंकित किए जाते हैं।

(4) जाली सिक्के बनाना (Counterfeiting)—कुछ लोग कम शुद्धता अथवा वजन के जाली सिक्के भी बना लते हैं। वैसे सरकार का यह प्रयत्न होता है कि सिक्को की आकृति ऐसी हो कि उनकी नकल न की जा सके और उनकी नकल बनाना दण्डनीय अपराध होता है। परन्तु जाली सिक्के सभी देशों में थोड़े-बहुत बनते ही रहते हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुद्रा की निकृष्टता (debasement) मुद्रा-अवमूल्यन (devaluation) तथा मुद्रा के मूल्य-घटाव (depreciation) से पूर्णतया भिन्न है। अवमूल्यन के अन्तर्गत सिक्का का वजन तथा उसकी शुद्धता पहले जैसी बनी रहने पर भी उसकी विदेशी विनिमय-दर (rate of exchange) कम कर दी जाती है। इसी प्रकार पहले जैसे ही सिक्के रहने पर यदि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ जाती है, अर्थात् मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, तो इस मुद्रा का मूल्य-घटाव कहते हैं।

धातु-मुद्रा के भेद

धातु-मुद्रा अथवा सिक्के दो प्रकार के होते हैं—प्रामाणिक अथवा पूर्ण-माय (standard or full-bodied coins), तथा सांकेतिक (token coins)।

1 प्रामाणिक अथवा पूर्ण-माय सिक्के (Standard or Full-bodied Coins)—इस प्रकार के सिक्को के चार प्रमुख लक्षण होते हैं (1) प्रामाणिक सिक्का देश का प्रधान सिक्का होता है और विनिमय-माध्यम के माय-माय हिमाय की इकाई का भी कार्य करता है, (2) इसका धातु-

मूल्य अथवा आन्तरिक मूल्य (intrinsic value) तथा अकिन् मूल्य (face value) बराबर अथवा लगभग बराबर होते हैं, (3) यह असोमित विधिग्राह्य (unlimited legal tender) होता है, तथा (4) इसका स्वतन्त्र टकण होता है।

20 मितम्बर, 1931 तक इंग्लैण्ड में प्रचलित सॉवरेन (Sovereign) तथा 1893 तक भारत में प्रचलित चाँदी का रूपया प्रामाणिक सिक्के ही थे।

प्रामाणिक सिक्कों में अनेक गुण थे, जैसे—(1) इनका अकिन् मूल्य और धातु-मूल्य बराबर होने के कारण इनमें जनता का पूर्ण विरवास था, (2) पूर्ण-क्रय होने के कारण यह क्रय-शक्ति के सचय के लिए उत्तम साधन था, (3) धातुओं की मात्रा सीमित होने के कारण इनकी अत्यधिक निकासी अथवा मुद्रा-स्फीति का भय नहीं रहता था, और (4) विदेशों में भुगतान में भी इसे स्वीकार कर लिया जाता था।

प्रामाणिक सिक्कों के अवगुण ये थे (1) इनमें बहुमूल्य धातुओं का अपव्यय होता था जिससे यह एक खर्चीली प्रणाली थी, (2) इनमें लोच का अभाव था, अर्थात् मुद्रा की माँग बटने पर पूर्ति नहीं बढ़ पाती थी, और (3) इनमें बहुमूल्य धातुएँ अनावश्यक रूप में धिरी रहती थी।

2 साकेतिक अथवा प्रतीक सिक्के (Token Coins)—इनके भी प्रमुख चार लक्षण होते हैं जो कि प्रामाणिक सिक्कों के लक्षणों से पूर्णतया भिन्न हैं (1) साकेतिक सिक्के देश के गौण अथवा सहायक सिक्के होते हैं जिनका प्रयोग छोटे-छोटे भुगतान करने में होता है, (2) इनका अकिन् मूल्य धातु-मूल्य में प्रायः अधिक होता है, (3) ये सीमित विधिग्राह्य होते हैं, तथा (4) इनका टकण भी सीमित होता है।

साकेतिक सिक्कों के गुण ये हैं (1) इनमें धातु की वचत होती है और इनमें अपव्यय नहीं होता, (2) इनमें लोच अधिक होती है, और (3) इनका सबसे बड़ा लाभ तो यह होना है कि इनके द्वारा छोटे सौदों का भुगतान सम्भव होना है।

साकेतिक सिक्कों के अवगुण भी हैं (1) यह प्रामाणिक सिक्कों की तरह विश्वसनीय नहीं होते, (2) क्रय-शक्ति के सचय के लिए अनुपयुक्त होते हैं, (3) सुखम धातुओं के बने होने के कारण इनकी अत्यधिक निकासी हो सकती है, (4) इनका चलन-क्षेत्र देश की सीमा तक ही होता है।

वास्तविकता यह है कि प्रामाणिक तथा साकेतिक सिक्के विनिमय की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और एक-दूसरे के पूरक हैं।

भारतीय रूपये का स्वरूप

भारतीय रूपये में कुछ लक्षण तो प्रामाणिक मुद्रा के हैं और कुछ साकेतिक मुद्रा के। यह देश की प्रमुख मुद्रा है तथा लोच की इच्छा है। यह असोमित विधिग्राह्य भी है। परन्तु इसका अकिन् मूल्य वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है और टकण भी सीमित है। यह देखते हुए भारतीय रूपये को साकेतिक-प्रामाणिक सिक्का (token standard coin) कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि यह प्रामाणिक तथा साकेतिक मुद्रा का एक मिश्रण है।

धातु-मुद्रा की वर्तमान स्थिति

सम्पूर्ण विश्व में यह अनुभव किया गया है कि परिवर्तनशील तथा गतिमान आर्थिक स्थितियों में धातु-मुद्रा का प्रयोग अनुपयुक्त एवं असुविधाजनक है। मुद्रा को बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोने और चाँदी की पूर्ति अपर्याप्त थी, और जो कुछ थी भी वह विश्व के देशों में असमान रूप से बँटी हुई थी। लोच के अभाव के कारण यह मुद्राकालीन असाधारण आवश्यकताओं को पूरा न कर पायी। विकासशील देशों को भी अपने मौद्रिक साधन बढ़ाने थे और इसके लिए धातु-मुद्रा बढान ही अनुपयुक्त साधन थी। यह भी अनुभव किया गया कि धातु-मुद्रा एक खर्चीली प्रणाली थी और इसके प्रयोग में असुविधाएँ भी थी। सोने-चाँदी के बाजार मूल्यों के परिवर्तन का प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर भी पड़ता था। इन सब वजहों के कारण सोने-चाँदी के सिक्के अब कहीं भी वास्तविक चलन में नहीं हैं। केवल साकेतिक सिक्कों के बनाने में कुछ सस्ती धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आज का युग पत्र-मुद्रा तथा बैंक-मुद्रा के प्रयोग का युग है। मुद्रा एक चिह्न-

मान है जो त्रय शक्ति का माध्यम है, इसका स्वयं मूल्यवान होना आवश्यक नहीं। भविष्य में भी ऐसी कोई सम्भावना नहीं दिखायी पड़ती कि धातु मुद्रा फिर से चलन में आये।

पत्र-मुद्रा

पत्र मुद्रा (paper money) से आसय सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित कागजी नोटों से है जो एक लिखित राशि देने का वचन देते हैं। क्राउथर के अनुसार पत्र-मुद्रा चार अवस्थाओं से होकर निकली है—प्रथम अवस्था में जमा की हुई रकम के बदले में प्राप्त हुए प्रमाण-पत्रों का प्रयोग आरम्भ हुआ, दूसरी अवस्था में बैंक नोट जारी करने लगे, तीसरी अवस्था में बैंक ने अपनी जमा से अधिक नोट छापने शुरू किये, और चौथी अवस्था वर्तमान व्यवस्था की है जबकि नोट छापने का अधिकार या तो सरकार को हो या देश के केन्द्रीय बैंक—अथवा दोनों को।

पत्र मुद्रा चार प्रकार की होती है—प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (representative paper money), परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (convertible paper money), अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा (inconvertible paper money), तथा प्रादिष्ट पत्र मुद्रा (fiat paper money)।

प्रतिनिधि पत्र मुद्रा (Representative Paper Money)—यदि पत्र मुद्रा निर्गमन के लिए शत-प्रतिशत मूल्य के सोना व चाँदी मुरक्षित कोष के रूप में रखे जाते हैं और पत्र-मुद्रा सोना, चाँदी अथवा किसी प्रामाणिक मुद्रा में परिवर्तनशील होती है, तो उसे प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा कहते हैं। अमरीका में स्वर्ण तथा रजत प्रमाण-पत्र (certificates) प्रतिनिधि पत्र मुद्रा ही थे। भारत में भी 1925 में हिल्टन-यंग कमीशन (Hilton-Young Commission) ने स्वर्ण धातु-प्रमाण-पत्रों (Gold Bullion Certificates) के रूप में इसी प्रकार की मुद्रा को अपनाने का सुझाव दिया था, परन्तु इसे अपनाया नहीं गया।

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा में कई गुण हैं (1) अत्यधिक मुद्रा-प्रसार का कोई भय नहीं रहता, (2) जनता का इसमें विश्वास भी अधिक होता है, और (3) बहुमूल्य धातुओं की वचत के कारण यह मितव्ययितापूर्ण होती है।

दूसरी ओर इसके दोष ये हैं—(1) इसमें लोच का अभाव होता है और सकटकाल के लिए अनुपयुक्त होती है (2) सभी देशों की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताएँ बढ़ने के कारण यह प्रणाली अव्यावहारिक है (3) निर्धन अथवा विकासशील देशों के लिए तो यह बहुत ही असुविधाजनक है, और (4) बहुमूल्य धातुएँ कोष में बकाए रखी रहती हैं। इन्हीं कठिनाइयों के कारण यह प्रणाली अद्यत्त दिनों तक चल सकी और धीरे धीरे इसे त्याग दिया गया।

परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (Convertible Paper Money)—प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा की लोच के अभाव को दूर करने के लिए जब ऐसी व्यवस्था की गयी कि शत-प्रतिशत निधि धातु में रखे बिना पत्र मुद्रा का निर्गमन हो जा प्रामाणिक मुद्रा में परिवर्तनशील हो, तो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का आरम्भ हुआ। इस प्रकार की मुद्रा की मुख्य विशेषताएँ ये हैं (1) धातु कोष की व्यवस्था आवश्यक नहीं है परन्तु इस निधि का मूल्य जारी किये गये नोटों के मूल्य से कम होता है, (2) शत-प्रामाणिक मुद्रा अथवा सोना या चाँदी में परिवर्तनशील होते हैं, (3) विदेशी भुगतानों के लिए एक अलग कोष रखा जाता है जिससे सरकार पत्र मुद्रा के बदले सोना व चाँदी देती है, (4) एक पूर्व निश्चित दर पर सरकार सोना व चाँदी का त्रय-विक्रय करती है, (5) परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा के पीछे सरकार कोष में सोना व चाँदी के अतिरिक्त प्रामाणिक व मान्य निधि अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियाँ (approved securities) भी रखती हैं। यह प्रतिभूतियाँ अथवा ऋण-पत्र उत्तम श्रेणी के होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही भुनाया जा सकता है। इस प्रकार कोष के दो भाग होते हैं—धात्विक भाग (metallic portion) तथा अरक्षित भाग (fiduciary portion) जिसमें स्वीकृत प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होती हैं।

प्रथम युद्धकाल में पूर्ण इंग्लैण्ड में पत्र-मुद्रा परिवर्तनशील थी, परन्तु युद्धकाल में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी गयी। सन् 1925 में पीण्ड को फिर से परिवर्तनशील किया गया, किन्तु 1931 में स्वर्णमान के समाप्त होने पर इसकी भी परिवर्तनशीलता समाप्त हो गयी। भारत में

1927 में स्वर्ण-धातुमान अपनाने पर पत्र-मुद्रा को परिवर्तनीय बना दिया गया था, जिसे 1931 में समाप्त कर दिया गया। वारसव में, अब नोटों पर अंकित भुगतान की प्रतिज्ञा (I promise to pay.. .) निरर्थक होती है।

परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के गुण इस प्रकार हैं - (1) परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा में जनता का विश्वास होता है, (2) बहुमूल्य धातुओं की वचत के कारण यह मितव्ययी होती है और बहुमूल्य धातुएँ कोप में बेकार नहीं पड़ो रहती, (3) विदेशी भुगतान की सरलता होती है क्योंकि इसके लिए स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता है, (4) पर्याप्त लोच रहते हुए भी मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण रहता है, क्योंकि, जैसा कि फ्राउथर ने लिखा है, "जब तक परिवर्तनीयता का दायित्व रहता है, यह पत्र-मुद्रा निर्गमन करने वाली संस्था पर कठोर नियन्त्रण रखता है।"

परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के दोष ये हैं—(1) इसमें जनता का विश्वास इतना नहीं होता जितना कि प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा में, (2) इसमें मुद्रा-प्रसार का भी भय हो सकता है, (3) जब तक परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब तक तो ठीक हैं, किसी भी सकट अथवा विपत्ति के कारण जब लोगों का विश्वास सरकार में कम होने लगता है तो परिवर्तनीयता की माँग बढ़ जाती है जिसे समाप्त हो कर देना पड़ता है।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money)—अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वह है जिसे प्रामाणिक सिक्को अथवा मूल्यवान धातुओं में बदलने का कोई आश्वासन नहीं होता, और न ही सरकार को इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है। इस मुद्रा की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं—(1) इसके पीछे साधारणतः सरकारी प्रतिभूतियाँ (securities), बॉण्ड्स (bonds), ट्रेजरी बिल (treasury bills) तथा विदेशी विनिमय (foreign exchange) सुरक्षित कोप में रखे जाते हैं। धातुएँ कोप में रखी ही नहीं जानी अथवा एक सीमित मात्रा में रखी जाती हैं। जैसे, भारत में कुल 115 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण कोप में रखना आवश्यक है। (2) पत्र-मुद्रा को मूल्यवान धातुओं से सरकार द्वारा बदलने की कोई व्यवस्था नहीं होती। (3) मुद्रा को विदेशी विनिमय-दर भी निर्धारित कर दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर का निर्धारण करता है। (4) पत्र-मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा के रूप में कार्य करती है तथा असीमित विधिग्राह्य होती है।

आजकल सारा भर में प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा तथा परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का तो केवल सैद्धान्तिक महत्व ही रह गया है, वास्तविक व्यवहार में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा ही है। जैसा कि टॉमस ने लिखा है, "आगामी काफी वर्षों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा की सभी देशों में प्रामाणिक मुद्रा के रूप में रहने की सम्भावना है।"¹

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा में ये गुण हैं (1) इसके पीछे धातु-कोप न अथवा बहुत कम होने के कारण यह बहुत मितव्ययितापूर्ण होती है, (2) लोचपूर्ण होने के कारण यह एक व्यावहारिक प्रणाली है।

इस प्रणाली के दोष ये बताये जाते हैं (1) इसमें मुद्रा-प्रसार का भय निरन्तर बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति (inflation) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, (2) इसमें जनता का विश्वास भी कम होता है, (3) जैसा कि टॉमस ने लिखा है, "इस प्रणाली में कोई ऐसी मुनिश्चित, स्वचालित व्यवस्था (automatic method) नहीं होती जिसके द्वारा प्रचलित माँग की पूर्ति, मुद्रा-स्फीति से दूर रहकर की जा सके ताकि समाज को अपनी सामान्य आर्थिक क्रियाओं तथा प्रगति के लिए पर्याप्त मुद्रा प्राप्त हो सके।"²

1715' 47 प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा (Fiat Paper Money)—प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का ही रूप है जिसका निर्गमन प्रायः सकटकालीन परिस्थितियों में बिना कोई रक्षित कोप रखे किया जाता है। कुछ लेखकों ने इसे 'सकट-कालीन मुद्रा' (emergency money) कहा है।

¹ Inconvertible Paper .. . is likely to be Standard money currency in all countries for a long time to come" —S. E. Thomas : Elements of Economics, p. 237.

² Ibid., p. 336.


सन् 1789 से 1796 तक फ्रांस में प्रचलित ऐसाइनेट्स (Assignates) तथा अमरीका के कान्तिवानीन कान्टीनेन्टल्स (Continental) और गृह-युद्धकालीन ग्रीनबैक्स (Greenbacks) प्रादिष्ट मुद्रा के उदाहरण हैं। वर्तमान समय में जबकि मुद्रा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए सरकार केवल अपनी आज्ञा के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में नोट जारी करती है, अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा तथा प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा में भेद करना कठिन हो जाता है। केन्ज तथा रॉबर्टसन ने प्रादिष्ट मुद्रा को सामान्य परिस्थितियों में भी अपनाने का सुझाव दिया है।

सैद्धान्तिक रूप से अपरिवर्तनीय तथा प्रादिष्ट मुद्रा में मुख्य अन्तर यह है कि अपरिवर्तनीय मुद्रा के पीछे एक रक्षित कोष होता है, जबकि प्रादिष्ट मुद्रा के पीछे केवल सरकारी आज्ञा होती है। इसके अतिरिक्त यह प्रायः सकटकालीन परिस्थितियों की मुद्रा है और इसका निर्गमन एक सीमित मात्रा में ही होता है।

प्रादिष्ट मुद्रा का सबसे बड़ा गुण यह है कि सरकार की विकास सम्बन्धी अथवा किसी सभ्य सम्बन्धी मुद्रा की बड़ी हुई आवश्यकता को बिना किसी कठिनाई के पूरा किया जा सकता है। यह प्रणाली अत्यन्त लोचदार होने के अतिरिक्त बहुत ही सस्ती एवं मितव्ययितापूर्ण होती है। दोष इसमें यह है कि इसके प्रचलन से अत्यधिक मुद्रा-प्रसार सम्भव होता है और मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे न केवल आन्तरिक व्यवस्था बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होता है। इस मुद्रा में जनता का विश्वास न होना अथवा बहुत कम होना स्वाभाविक ही है।

निष्कर्ष—पत्र मुद्रा में लोच, वहनीयता, मितव्ययिता तथा सुविधा के गुण अन्य किसी प्रकार की मुद्रा में उतनी मात्रा में सम्भव नहीं हैं। मुद्रा शक्ति का माध्यम अथवा चिह्न है, उसमें निहित मूल्य की आवश्यकता नहीं होती। पत्र-मुद्रा की सहायता से ही आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है और सकटकालीन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। परन्तु पत्र-मुद्रा के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका निर्गमन पर्याप्त नियन्त्रण के अधीन रखा जाय ताकि इसका अनुचित प्रसार न होने पाये। यदि इसकी पूर्ति इसकी माँग से अधिक हुई तो इसके दीर्घपूर्ण परिणामों से बचना कठिन हो जाता है।

मुद्रा-पदार्थ के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण से सम्बन्धित उपर्युक्त विवरण को निम्न तानिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है



अच्छे मुद्रा-पदार्थ के गुण

मुद्रा-पदार्थ के आधार पर विभिन्न मुद्राओं के गुण एवं अलग-अलग देगने के पश्चात् यह बताना कठिन नहीं है कि एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में किन गुणों का होना आवश्यक है। वास्तव में, जो पदार्थ मुद्रा के रूप में मुद्रा के कार्यों को अच्छी तरह कर सकता है उसे ही अच्छा मुद्रा-पदार्थ कहा जायगा। जेवन्स (Jevons) ने मुद्रा-पदार्थ के विभिन्न गुणों की विवेचना की है जो अप्रतिष्ठित हैं

(1) उपयोगिता अथवा मूल्य (Utility or Value)—इसे बुद्ध वर्षासास्त्री नामान्य स्वीकृति (general acceptability) का गुण भी कहते हैं। चूंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इसलिए उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है। मुद्रा-पदार्थ में निहित उपयोगिता तथा मूल्य के कारण उसमें सर्वस्वीकार्यता का गुण स्वयं ही आ जाता है। यदि किसी वस्तु में अपनी कोई उपयोगिता अथवा मूल्य नहीं है, जैसे कागज के टुकड़े, तो उसके विधियाह (legal tender) घोषित होने पर ही उसमें सर्वस्वीकार्यता का गुण आ जाता है। परन्तु इस प्रकार की सर्वस्वीकार्यता देश की सीमाओं के भीतर होती है, बाहर नहीं। इस प्रकार की स्वीकृति को स्वाभाविक न कहकर कानूनी कहा जायगा।

(2) वहनीयता (Portability)—वहनीयता से तात्पर्य यह है कि मुद्रा-वस्तु ऐसी हो जिसे बिना कठिनाई के तथा कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। इसके लिए थोड़े बॉल्क में अधिक मूल्य (large value in small bulk) का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से बहुमूल्य धातुएँ ही उपयुक्त पदार्थ हैं। वैसे तो पत्र-मुद्रा में वहनीयता सबसे अधिक होती है, परन्तु उसमें अपना मूल्य न होने के कारण उनकी स्वीकृति का क्षेत्र सीमित होता है।

(3) विभाजकता (Divisibility)—मुद्रा-पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि बिना किसी हानि के उसके अनेक टुकड़े किये जा सकें। अर्थात् एक बड़े टुकड़े का अनेक छोटे टुकड़ों में विभाजन कर देने पर भी उनका सम्मिलित मूल्य बड़े टुकड़े के मूल्य के बराबर हो। मोना व चाँदी आदि धातुओं में यह गुण है। हीरा अति मूल्यवान होने पर भी इस गुण में रहित है।

(4) परिचयता (Cognisibility)—चूंकि मुद्रा का प्रयोग समाज में सभी लोगों द्वारा होता है इसलिए यह आवश्यक है कि साधारणतया सभी व्यक्ति बिना विशेष प्रयत्न अथवा कुशलता के मुद्रा-पदार्थ को पहचान सकें। धातु को मिक्का में टालने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य उनके लिए परिचयता का गुण प्राप्त करना ही होता है। हीरा, मोनी तथा अन्य मूल्यवान पत्थर इस गुण से रहित हैं।

(5) अक्षयशीलता (Indestructibility or Durability)—यदि मुद्रा-पदार्थ शीघ्र नाश होने वाला हो तो उससे बनी मुद्रा मूल्य के संचय का कार्य नहीं कर सकती। जेवन्स (Jevons) के अनुसार, "जिस पदार्थ से मुद्रा बनी हो, वह अलकोहल की तरह हवा में न उड़े, न जानवरों के मांस की तरह सड़कर दुर्गन्ध करे, न लकड़ी की तरह धुने और न सोहे की तरह जग जाय।" ये गुण सोना, चाँदी आदि धातुओं में पाये जाते हैं। कागजी मुद्रा के लिए भी अच्छी प्रकार का कागज प्रयोग किया जाता है जिससे वह शीघ्र फटे नहीं।

(6) ढलाऊपन (Malleability)—मुद्रा-पदार्थ ऐसा हो जिसके सिक्के ढाले जा सकें। यह न तो अधिक कोमल हो और न अधिक कड़ा ही। फ्राउडर ने लिखा है—“मुद्रा के बाद मनुष्य की सबसे बड़ी खोज सिक्कों की ढलाई की है। हर बार मनुष्य को धातु के टुकड़े तोलने न पड़े, उनकी श्रेष्ठता न जाँचनी पड़े, वे चलन में आसानी से धिसें नहीं, इसलिए उन पर निश्चित चिन्ह अंकित कर दिये जाते हैं तथा उनके किनारों को चूड़ीदार कर दिया जाता है।”

(7) एकरूपता (Homogeneity)—अच्छे मुद्रा-पदार्थ के समान भार वाले टुकड़े समरूप होते हैं तथा उनका मूल्य भी समान होता है। सोन-चाँदी के बने सिक्कों में एकरूपता होती है। कागजी मुद्रा में भी यह होता है परन्तु अन्न, पसु आदि पदार्थों में इन गुण का अभाव होता है।

(8) मूल्य में स्थिरता (Stability)—मुद्रा अपने समस्त कार्य तभी ठीक प्रकार में कर सकती है जबकि इसका अपना मूल्य अपेक्षितया स्थायी रहे। बहुमूल्य धातुओं में चूंकि दुर्लभता का गुण होता है इसलिए प्रायः उनका मूल्य स्थिर रहता है। जब कभी धातुओं के मूल्य में परिवर्तन हुआ तब ही मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग असुविधाजनक बन गया। मूल्य वटन में लोगों में मुद्रा गमाने या छिपाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

आधुनिक दृष्टिकोण

उपर्युक्त गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि सोना व चाँदी ऐसी धातुएँ हैं जिनमें ये गुण अधिकांश मात्रा में पाये जाते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण ही इनका प्रयोग

सम्ये समय तत्र मुद्रा के रूप में किया जाता रहा है। ताँवा और गिल्ट आदि में गुणों की मात्रा कुछ कम होने के कारण इनका प्रयोग सार्वेत्तिक सिक्कों के रूप में किया जाता रहा है। परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सोना व चाँदी मुद्रा सम्बन्धी बढ़ती हुई माँग को पूरा नहीं कर पाये और इनका त्याग करना पडा। उपभोगिता, टिकाऊपन आदि गुणों का अभाव होने पर भी, अब पत्र-मुद्रा ही सभी देशों में चलन में है। पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसकी मात्रा माँग के अनुसार नियन्त्रित हो ताकि यह मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके परन्तु अनावश्यक मुद्रा-प्रसार द्वारा अनिश्चित एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न न करे। आउथर के अनुसार उसकी सापेक्षिक दुर्लभता (relative scarcity) ही उसका सबसे बड़ा गुण है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की व्याख्या कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
[संकेत विभिन्न आधारों पर किये गये मुद्रा के वर्गीकरण का उल्लेख करते हुए प्रत्येक मुद्रा की विशेषताएँ बनाइए।]
- 2 पत्र मुद्रा तथा धातु-मुद्रा के गुण-दोषों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।
[संकेत धातु के ही गुण एवं दोष अलग-अलग समझकर यह बताइए कि अधिकांश गुण या धातु मुद्रा में ये पत्र-मुद्रा में नहीं हैं परन्तु पत्र-मुद्रा के अपने कुछ गुण हैं—जैसे लोच, मितव्ययिता, सुविधा आदि—जिनके कारण आज के युग में इसे अच्छा समझा जाना लगा है।]
- 3 अच्छे मुद्रा-व्यय के गुणों पर प्रकाश डालिए। क्या यह ठीक है कि मुद्रा-व्यय अपनी दुर्लभता सम्बन्धी विशेषता के आधार पर चुना जाता है, मूल्य के आधार पर नहीं ?
[संकेत मुद्रा-व्यय के गुणों की व्याख्या के पश्चात् यह बताइए कि ये गुण तो अधिकांश मात्रा में सोना व चाँदी में ही पाये जाते हैं, जबकि आजकल चलन में पत्र मुद्रा है जिसका अपना कोई मूल्य नहीं, परन्तु नियन्त्रित रखे जाने पर यह भी बहुत अच्छी मुद्रा है।]
- 4 पत्र-मुद्रा के भेद बताइए और प्रत्येक प्रकार की पत्र मुद्रा के गुण दोषों पर प्रकाश डालिए।
[संकेत पत्र-मुद्रा के चारों रूपों की विशेषताएँ, गुण तथा दोष अलग-अलग विस्तारपूर्वक लिखिए।]
- 5 तुलनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए—(क) वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा, (ख) बैंधान्तिक मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा, (ग) प्रमाणिक मुद्रा एवं सार्वेत्तिक मुद्रा, (घ) चलन की इकाई एवं हिसाब की इकाई, (च) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा एवं बैंक मुद्रा।
[संकेत प्रत्येक की विशेषताओं के आधार पर अन्तर स्पष्ट कीजिए।]
- 6 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—समुत्क टक्का, सीमित विधिग्राह्य, तथा प्राविष्ट मुद्रा।
[संकेत प्रत्येक की विशेषताओं, गुण तथा दोषों का विवरण दीजिए।]

मुद्रा-मान—द्वि-धातुमान

[MONETARY STANDARDS—BIMETALLISM]

“जबकि द्वि धातुमान वास्तविक चलन में हं तब इसमें स्वर्ण और पत्र दोनों ही मुद्रामानों के निम्नतम दोय उपस्थित होते हैं, और अन्ततः व्यवहार में यह स्वर्ण या रजत एक-धातुमान का रूप ले लेता है।”¹ —ए० डी० गेयर

मुद्रा-मान का अर्थ

‘मुद्रा-मान’ का अभिप्राय उन वस्तुओं, व्यवस्थाओं तथा नियमों से होता है जिनसे सम्बन्ध में मुद्रा की त्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। प्रो० हॉम ने मुद्रा मान का सीमित अर्थ लेते हुए लिखा है कि ‘यह प्रामाणिक मुद्रा की मात्रा तथा उससे विनिमय मूल्य के नियमन की प्रणाली है’।² परन्तु व्यापक रूप में, मुद्रा-मान एक विशिष्ट मूल्य-मान पर आधारित सम्पूर्ण मौद्रिक व्यवस्था है जिसके अधीन प्रामाणिक मुद्रा की मात्रा तथा विनिमय-मूल्य-नियमन के अतिरिक्त सम्पूर्ण मौद्रिक प्रवन्ध एव तत्सम्बन्धी नियम, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के नियमन सम्बन्धी नियम, धातुओं के आयात-निर्यात, विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवहार और बैंक-जमा सभी सम्मिलित होते हैं।

जैसे-जैसे मुद्रा के रूप में परिवर्तन होता गया, मुद्रा-मान का अर्थ भी बदलता गया। वस्तु-मुद्रा काल में मुद्रा-मान का अर्थ था “वह वस्तु जिसमें त्रय-शक्ति व्यक्त की जाती थी।” धातु-मुद्रा काल में इसका अर्थ था “वह धातु जिसमें देश के प्रामाणिक सिक्के बनाये जाते थे।” आधुनिक युग में “एक राष्ट्र के मुद्रा-मान के अन्तर्गत वे सब कानून तथा व्यवहार (law and practice) सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा देश की मुद्रा की मात्रा तथा गुण नियन्त्रित किये जाते हैं।”³

मुद्रा-मान और मूल्य-मान (standard of value) में इतनी अधिक घनिष्ठता है कि अनेक लोग उनका एक ही अर्थ लेते हैं। परन्तु मूल्य-मान से हमारा अभिप्राय मुद्रा की इकाई (जैसे—रुपया, पाण्ड, डालर, मार्क आदि) से होता है जो किसी देश में आधिक मूल्यों का मापती है। यह देश की प्रमुख मुद्रा होती है। दूसरी ओर मुद्रा-मान जैसा कि ऊपर बताया गया है, देश की सम्पूर्ण व्यवस्था से सम्बन्धित होती है और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इस प्रकार मुद्रा मान तथा मूल्य मान में बहुत अन्तर है।

मुद्रा-मान के भेद


मूल्य रूप से मुद्रा-मान दो प्रकार के होते हैं—धातुमान (metallic standard) तथा पत्र-मान (paper standard)। धातुमान के भी दो मुख्य भेद हैं—एक-धातुमान (Monometallism) तथा द्वि-धातुमान (Bimetallism)। कुछ अन्य रूप ऐसे भी हैं

1 'Bimetallism combines the worst features of both the gold and paper standards while it is in actual operation, and tends in practice to become gold or silver monometallism' — A D Gayer *Monetary Policy and Economic Stabilization*

2 G N Halm *Monetary Theory*, p 105

3 Steiner and Shapiro in *Money and Banking*

जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये हैं—बहु-धातुमान, मिश्रित धातुमान, सूचीबद्ध मान, क्षतिपूरक मान तथा प्रादिष्ट मान। पत्र-मान का उल्लेख हम अलग से विस्तारपूर्वक करेंगे। धातुमान का वर्गीकरण निम्न तालिका में दिखाया गया है



अंग्रेजी शब्द 'mono' का अर्थ 'एक' होता है। एक-धातुमान व्यवस्था (monometallism) के अन्तर्गत एक ही धातु का मूल्य-मान के रूप में अपनाया जाता है। यदि यह धातु स्वर्ण हो, तो इसे स्वर्णमान (gold standard) कहते हैं, और यदि रजत तो रजतमान (silver standard)। एक-धातुमान की मुख्य विशेषताएँ हैं—(1) इसमें केवल एक ही धातु का देश की प्रमुख मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, (2) मस्ती धातुओं के सांकेतिक मिकके भी चलन में रहते हैं, (3) प्रमुख मिकका अर्थात् विधिग्राह्य होता है, तथा (4) इसका स्वतन्त्र टकन होता है।

स्वर्णमान और इसके विभिन्न रूपों का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। रजतमान मन् 1873 में पूर्व इंग्लैण्ड का छोटकर अनेक देशों में प्रचलित था। भारत ने इसे 1835 में अपनाया। मन् 1873 में चाँदी के मूल्यों में गिरावट के कारण जर्मनी ने इसका त्याग कर दिया। प्रथम अन्य देश भी इस छोड़ने लगे जिसमें वाजार में चाँदी अधिक हो गयी और मूल्य काफी गिर गया। 1893 में भारत में भी चाँदी के रूपों की स्वतन्त्र दलाई बन्द कर दी गयी, वैसे चाँदी के रूपों 1940 तक चलन में रहे।

एक-धातुमान में अनेक गुण हैं और दोष भी। गुण ये हैं—(1) यह एक सरल प्रणाली है, (2) इसे जनता का विश्वास प्राप्त होता है, (3) विदेशी भुगतान के लिए सुविधाजनक होती है, तथा (4) विनिमय-दर का निर्धारण भी सरलतापूर्वक टकसाली क्षमता के आधार पर हो जाता है। दोष मुख्य रूप में ये हैं—(1) इसमें लोच का अभाव होता है, (2) इसे विश्व के सभी देश नहीं अपना सकते क्योंकि एक धातु की मात्रा इतनी अधिक नहीं हो सकती, (3) धातु की पूर्ति में घटा बढ़ी के कारण इसके वाजार-मूल्य में परिवर्तन होना रहता है जिसके कारण सामान्य मूल्य-स्तर में स्थिरता नहीं रहती।

द्वि-धातुमान

द्वि-धातुमान प्रणाली (bimetallism) के अन्तर्गत दो धातुओं के मिकके प्रामाणित मुद्राओं के रूप में चलन में होते हैं, और इन दोनों मिकको के बीच अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है।

हॉम के शब्दों में, "यदि दो धातुओं का प्रामाणिक मुद्रा के रूप में स्वतन्त्र टकण हो सकता है, और यदि दोनों ही धातुओं के मूल्य में लेखे की इकाई के रूप में अनुपात कातून द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है ताकि केवल एक प्रामाणिक इकाई और कीमतों को केवल एक ही व्यवस्था हो, तो यह द्वि-धातुमान अथवा दोहरा मान होता है।"¹

अपने विमुद्र रूप में द्वि-धातुमान के प्रमुख लक्षण ये बताये जाते हैं (1) इसमें सोने व चाँदी के सिक्के एक साथ चलन में होते हैं, (2) इन सिक्कों के बीच अनुपात टकसात द्वारा निश्चित कर दिया जाता है, (3) दोनों ही धातुओं के सिक्के असीमित विधियाद्य होने हैं, (4) इनकी स्वतन्त्र दलाई होती है, (5) दोनों प्रकार के सिक्कों का अंकित मूल्य इनके घात्विक मूल्य के बराबर होता है, तथा (6) सोने व चाँदी के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

ऊपर बनाय गये सभी लक्षण उपस्थित होने पर देश में 'शुद्ध द्वि-धातुमान' (pure bi-metallism) होता है। परन्तु इसके दो अन्य रूप भी सम्भव हैं। शुद्ध द्वि-धातुमान के अन्य सब लक्षण रहने पर यदि दो म से केवल एक धातु के सिक्के की दलाई स्वतन्त्र होती है दूसरे की नहीं, अर्थात् एक सिक्का पूर्ण प्रामाणिक और दूसरा अपूर्ण प्रामाणिक होता है, तो इस व्यवस्था को 'पंगु द्वि-धातुमान' (lumping bi-metallism) कहा जाता है। यदि शुद्ध द्वि-धातुमान के अन्य सब लक्षण रहने पर स्वर्ण तथा रजत के बीच टकसाली अनुपात निर्धारित नहीं किया जाता और इनका टक-माली अनुपात बाजार-अनुपात के समानान्तर बदलता रहता है तो इसे 'समानान्तर द्वि-धातुमान' (parallel bi-metallism) कहते हैं।

द्वि-धातुमान की क्षतिपूरक क्रिया

एक-धातुमान के अन्तर्गत धातु के मूल्य में परिवर्तना के कारण धातु के बाजार-मूल्य (market-price) तथा टकसाली मूल्य (mint-price) में अन्तर होने की सम्भावना होती है। परन्तु द्वि-धातुमान के अन्तर्गत दोनों धातुओं के बाजार-मूल्य अनुपात तथा टकसाली अनुपात में समानता रहती है, क्योंकि अन्तर होने पर उसे द्वि-धातुमान की क्षतिपूरक क्रिया (compensatory action of bi-metallism) स्वयं ही समाप्त कर देती है। उदाहरणतः यदि स्वर्ण तथा चाँदी के सिक्का का टकसाली अनुपात 1 : 16 है और चाँदी का बाजार-मूल्य गिरने के कारण बाजार-अनुपात 1 : 17 हो जाता है तो परिणामस्वरूप बाजार में चाँदी की माँग बढ़ जायगी, क्योंकि लोग चाँदी के सिक्के टलवाने लगेंगे। दूसरी ओर बाजार में स्वर्ण की पूर्ति बढ़ेगी। चाँदी न, बटती हुई माँग और स्वर्ण की बढ़ती हुई पूर्ति सब तक त्रियाशील रहेगी जब तक स्वर्ण तथा चाँदी का बाजार-अनुपात पुनः टकसाली अनुपात के समान नहीं हो जाता। इसके विपरीत, बाजार-अनुपात 1 : 15 हो जान पर स्वर्ण की माँग तथा चाँदी की पूर्ति बढ़ेगी जिसके प्रभाव में फिर से बाजार-अनुपात टकसाली अनुपात (1 : 16) के समान हो जायेगा।

जेवन्स (Jevons) ने द्वि-धातुमान की क्षतिपूरक क्रिया के उदाहरण बड़े मनोरञ्जक रूप में दिये हैं। उनके अनुसार द्वि-धातुमान शरारत के नसे में चूर दो ऐसे व्यक्तियों के समान है जिन्हें परस्पर बाँध दिया गया है। ये व्यक्ति यदि नसे के प्रभाव में विपरीत दशा में गिरने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो वे सीधे चलते रहेंगे, और यदि दोनों व्यक्ति एक ही ओर गिरते हैं तो उनका गिरना काफी भयंकर होगा। इसी प्रकार यदि द्वि-धातुमान में दो धातुवा में से एक की पूर्ति बढ़ती है और दूसरी धातु की पूर्ति घटती है तो एक धातु का मूल्य नीचे गिरेगा और दूसरी का मूल्य ऊपर उठेगा, और दोनों धातुवा के सामूहिक कोष का मूल्य यथावत् रहेगा। एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है, "यदि पानी की दो ऐसी टकियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक पर पानी की माँग और पूर्ति के अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं और दोनों को जाटने वाले नल का बनावट है, तो उनमें से प्रत्येक टकी के पानी की सतह अपने ही परिवर्तनों से प्रभावित होगी। परन्तु यदि उन्हें बाँध

¹ "If two metals can be coined freely as standard money and if the ratio between the value of the two metals in terms of the units of account is fixed by law, so that there is only one standard unit and only one system of prices, then we have a bi-metallic standard or double standard" —Halm *Monetary Theory*, pp 108 109

दिया जाय तो दोनों का जल एक औमत सतह पर आ जायेगा और किसी भी टकी पर पानी को अधिक मांग अथवा पूर्ति का प्रभाव दोनों ही टकियों पर वितरित होगा।¹²

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि द्वि-धातुमान की धातुपूरक क्रिया तभी सरलतापूर्वक कार्य कर सकती है जब द्वि-धातुमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाय, अन्यथा धातुओं के आयात-निर्यात द्वारा अनुपात में स्थिरता कभी नहीं आयेगी। यह भी आवश्यक है कि सभी देश एक-समान टकताली अनुपात अपनायें और वे अनुपात बाजार-अनुपात से समतुल्य रखने वाले हों। यह भी आवश्यक है कि दोनों धातुओं की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इनके अनुपातों को समायोजित कर लिया जाये। ऐसा न होने पर, जैसा कि क्राउपर ने कहा है, या तो अकेले स्वर्णमान ही रहेगा अथवा अकेले रजतमान।

यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुमान धातुओं के मूल्य-अनुपात एवं विनिमय-दरों को स्थायी बनाये रख सकता है, परन्तु इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनायाना सरल कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है जो सुलभ नहीं है। यदि यह सम्भव हो भी जाय तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि मूल्य-स्तर जिस बिन्दु पर स्थिर होगा वह पूर्ण रोजगार का बिन्दु ही होगा, अथवा ऐसा बिन्दु होगा जिससे विकास सम्बन्धी अडचनें उत्पन्न नहीं होती। इन्हीं कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुमान की स्थापना के लिए किये गये प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली। टॉसिग (Taussig) के अनुसार, "ग्रेट ब्रिटेन कभी भी इसे स्वीकार करने की तैयार न था। ग्रेट ब्रिटेन के बिना जर्मनी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, और इनमें से कम से कम एक की स्वीकृति के बिना अमेरिका भी स्वीकार नहीं करना चाहता था।"

द्वि-धातुमान व्यवहार में

उत्तरीय शताब्दी के मौद्रिक इतिहास में द्वि-धातुमान का विशेष महत्व रहा है। 1870 ई० तक द्वि-धातुमान इंग्लैण्ड को छोड़कर ससार के अनेक महत्वपूर्ण देशों में प्रचलित था। अमेरिका में सर्वप्रथम यह 1792 के मिण्ट एक्ट के अधीन अपनाया गया जो 1873 में समाप्त किया गया। अमेरिका ने स्वर्ण तथा चाँदी के बीच कानून द्वारा निर्धारित अनुपात 1 : 15 का था। परन्तु 1803 में जब फ्रांस ने द्वि-धातुमान अपनाया तो यह अनुपात 1 : 15.5 निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, अमेरिका से सोना उन देशों को जाने लगा जहाँ स्वर्ण का सापेक्ष मूल्य अधिक था। इसको रोकने के लिए विवश होकर अमेरिका ने 1834 में टकताली दर 1 : 16 कर दी जिसके परिणामस्वरूप अब फ्रांस को चाँदी का निर्यात आरम्भ हो गया। अमेरिका में सैद्धान्तिक रूप से द्वि-धातुमान होते हुए भी (प्रेसम के नियम के प्रभाव में) व्यावहारिक रूप में मुख्यतः स्वर्ण डालर ही चलन में रहा। सन् 1873 में एक अधिनियम के अधीन चाँदी की स्वतन्त्र टकराई समाप्त कर दी गयी जिससे द्वि-धातुमान पगु द्वि-धातुमान (humping bimetalism) हो गया। चाँदी के पक्षपातियों को हानि होने के कारण उन्होंने इस नियम को 'Crime of 1873' की सजा दी।

यूरोप के देशों में फ्रांस द्वि-धातुमान का अग्रगण्य देश है। द्वि-धातुमान की रक्षा में उसे भी 1848 के पदचात (जब नयी स्वानों का पता लगाने से स्वर्ण की मात्रा बढ़ी) विनिमय-दर में परिवर्तन करने पड़े। 1865 में उसी के प्रयासों से लैटिन मौद्रिक संधि की स्थापना हुई जिसमें फ्रांस के अनिरीक्त इटली, बेल्जियम तथा स्विटजरलैण्ड सम्मिलित थे। बाद में कुछ अन्य देश भी आ मिले, परन्तु 1873 के पदचात चाँदी के बाजार-मूल्य, उत्पादन में वृद्धि के कारण, गिरने लगे जिसमें चाँदी के निष्काकों का स्वतन्त्र टकण समाप्त करना पड़ा और द्वि-धातुमान पगु हो गया। 1878 में पेरिस और 1893 में ब्रिसेल की दो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सभाओं में द्वि-धातुमान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनायाने के मुझाव रहे गये, परन्तु इंग्लैण्ड ने इसका कट्टर विरोध किया

1 "Imagine two reservoirs of water each subject to independent variation of supply and demand. In the absence of any connecting pipe the level of water in each will be subject to its fluctuations only. But, if we open a connection, the water in both will assume a certain mean level and the effects to any excessive supply or demand will be distributed over the both reservoirs. — Jevons. *Money and the Mechanism of Exchange*

और अन्ततः द्वि-धातुमान सन् 1900 तक पूर्णतः समाप्त हो गया। नोगारो के अनुसार "द्वि-धातुमान अभी बना रह सकता था यदि सत्सार के सभी देशों द्वारा अपनाया जाता।"¹

अमेरिका में 1879 में द्वि-धातुमान का पूर्ण परित्याग कर दिया गया था, परन्तु 1930 की मन्दी के दौर में द्वि-धातुमान को फिर से लाने के लिए अमेरिका ने कुछ प्रयास किये। उन्नीसवीं शताब्दी के मृतक को बीसवीं शताब्दी में पुनः जीवित न किया जा सकता। द्वि-धातुमान का अब केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया है। व्यावहारिक रूप में यह उन्नीसवीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया और इसके पुनः लौटने की अब कोई सम्भावना नहीं है, परन्तु फिर भी सैद्धान्तिक रूप में इसके गुण तथा दोषों की विवेचना की जा सकती है, जो निम्नलिखित हैं।

द्वि-धातुमान के गुण

(1) कीमत-स्तर में स्थिरता—द्वि-धातुमान की क्षतिपूर्क क्रिया (compensatory action) के कारण एक धातु की माँग-पूर्ति सम्बन्धी दिशाएँ दूसरी धातु की माँग-पूर्ति सम्बन्धी दिशाओं के प्रभाव को बेकार कर देती हैं, और धातुओं के मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। परिणामतः मुद्रा की कीमत स्थिर रहने के कारण सामान्य कीमत-स्तर में भी मुद्रा के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अनिश्चित चूँकि दो धातुओं के सिक्के चलन में रहते हैं तो मुद्रा-संकुचन (deflation) का कोई भय नहीं रहता। फिर के अनुसार द्वि-धातुमान ही एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मुद्रा का मूल्य सामान्यतः स्थिर रहता है।

(2) विदेशी व्यापार में सुविधा—देश की मुद्रा का मूल्य दोनों ही धातुओं, स्वर्ण तथा चाँदी, में निर्धारित होता है, इसलिए सुविधापूर्वक स्वर्णमान अथवा रजतमान वाले सभी देशों के साथ विनिमय-दर (rate of exchange) निश्चित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ऊपर बताये गये कीमत-स्तर की स्थिरता का गुण भी विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सहायक होता है।

(3) सुरक्षित कोषों का विस्तार—चूँकि सुरक्षित कोष स्वर्ण तथा चाँदी दोनों ही धातुओं में रखा जा सकता है, इसलिए सुरक्षित कोष में वृद्धि हो सकती है जो अकेले स्वर्ण द्वारा सम्भव नहीं है। परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा की तो सफलता ही पर्याप्त कोष पर निर्भर करती है।

(4) अधिक देशों द्वारा अपनाया जाना सम्भव—यदि सत्सार के सभी देश एक ही धातु की मुद्रा, स्वर्णमान अथवा रजतमान, अपनाना चाहे तो उन धातु की मात्रा दृढ़ता से अधिक नहीं होगी कि सभी देशों के लिए पर्याप्त हो, परन्तु स्वर्ण तथा चाँदी मिलकर अधिक देशों द्वारा अपनाये जा सकते हैं और ये धातुएँ उनकी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक मात्रा में कर सकती हैं।

(5) बैंकों के लिए सुविधाजनक—द्वि-धातुमान के अन्तर्गत बैंक अपने कोषों में स्वर्ण, चाँदी अथवा दोनों ही के प्रामाणिक सिक्के रख सकते हैं। इससे उन्हें कोष निमित्त करने में न केवल सुविधा होती है बल्कि मितव्ययिता भी। मुद्रा अधिक होने के कारण उनकी जमा-राशि (deposits) भी बढ़ जाती है जिससे वे कम व्याज पर ऋण दे सकते हैं।

(6) उत्पादन को प्रोत्साहन—अधिक उत्पादन के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है, और द्वि-धातुमान अधिक मुद्रा तथा साहजिक चलन सम्भव बनाता है। मौद्रिक स्टांक में वृद्धि व्यापार के विस्तार में सहायक होती है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, द्वि-धातुमान के उपर्युक्त लाभ केवल सैद्धान्तिक हैं, व्यावहारिक रूप में दोषपूर्ण होने के कारण सभी देशों ने इसे उन्नीसवीं शताब्दी में ही समाप्त कर दिया था।

द्वि-धातुमान के दोष

(1) प्रेषण का नियम क्रियाशील होना—यदि सत्सार के सभी देश द्वि-धातुमान को न अपनायें तो व्यावहारिक रूप में कुछ समय बाद यह स्वतः एक-धातुमान हो जाता है। प्रेषण का नियम—

¹ "Bimetallism could easily have subsisted if it had been universally adopted"—B. Nogaro *Modern Monetary Systems*, p. 26

दुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से निकाल देती है—द्वि-धातुमान में लागू होता है। अधिकांश लेखक सोने व चांदी के मध्य बाजार-अनुपात तथा टकसाली अनुपात का भिन्न होना नियम के लागू होने का कारण बताते हैं, परन्तु यह मान्यता निराधार प्रतीत होती है। यदि टकसाली विनिमय-अनुपात 1 16 है तो व्यावहारिक रूप में बाजार-विनिमय अनुपात इसमें भिन्न होगा ही नहीं, क्योंकि बाजार में कोई भी उसे एक औंस स्वर्ण के बदले में 17 औंस चांदी नहीं देगा, और 15 औंस वह स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए विनिमय-दर 1 16 ही रहेगी।

वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब टकसाल स्वर्ण के सिक्के के बदले रजत सिक्के, अथवा रजत सिक्का के बदले स्वर्ण सिक्के देने के लिए तैयार न हो। इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि किसी अन्य देश में स्वर्ण तथा रजत विनिमय-अनुपात भिन्न होने के कारण लोग एक धातु का निर्यात उस देश को कर लाभ उपार्जन करने लगते हैं। जैसे, एक देश में तो स्वर्ण रजत टकसाली अनुपात 1 15 है परन्तु दूसरे में 1 16, तो पहले देश से सोने का निर्यात दूसरे देश का होगा, क्योंकि उनके बदले में अधिक मात्रा में चांदी प्राप्त की जा सकती है। कुछ समय पश्चात् पहले देश में केवल चांदी के ही सिक्के चलन में रह जायेंगे। इसके विपरीत, यदि दूसरे देश का अनुपात 1 14 है तो चांदी का निर्यात होगा, क्योंकि कम चांदी देकर अधिक सोना प्राप्त किया जा सकता है, और व्यवहार में स्वर्ण के सिक्के ही चलन में रह जायेंगे। अधि-मूल्य (over-valued) धातु दुरी मुद्रा के लक्षण प्राप्त कर दूसरी धातु की मुद्रा को चलन से निकाल देती है। ए० डी० गेयर न ठीक ही लिखा है कि “जब द्वि-धातुमान वास्तविक चलन में है तब इसमें स्वर्ण और पत्र दोनों ही मुद्रामानों के निम्नतम दोष उपस्थित होते हैं, और अन्ततः व्यवहार में यह स्वर्ण या रजत, एक-धातुमान का रूप ले लेता है।”

(2) द्वि-धातुमान के क्षतिपूरक कार्य में दोष—द्वि-धातुमान का क्षतिपूरक कार्य (compensatory action) व्यावहारिक रूप में लागू नहीं होता, क्योंकि एक धातु का मूल्य बढ़ते ही उसके सिक्के चलन में बाहर हो जाते हैं, और यदि फिर से अनुपात न बदला जाय तो सारी मुद्रा-व्यवस्था ही विगड़ जाती है। यदि क्षतिपूरक कार्य नहीं हो पाता तो वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें स्थिर रहना तो असम्भव ही होता है क्योंकि द्वि-धातुमान के अन्तर्गत कीमतों की स्थिरता तो क्षति-पूरक कार्य का ही परिणाम होती है।

(3) व्यापारिक अव्यवस्था तथा सट्टेबाजी—टकसाली अनुपात तथा बाजार-अनुपात में अन्तर आने पर व्यापारिक अव्यवस्था फैलती है। ऋणियों तथा ऋणदाताओं में विरोध उत्पन्न होते हैं। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी व्यापार में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कॉलबॉर्न के शब्दों में, ‘द्वि-धातुमान वाणिज्य सम्बन्धी अव्यवस्था तथा व्यापारिक प्रणाली की स्वार्थी देश-भक्ति को उत्पन्न करने वाली राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य है।’¹

(4) सफल संचालन में सन्देह—व्यावहारिक दृष्टिकोण में द्वि-धातुमान का सफल संचालन तब ही सम्भव है जब इसे काफी देश अपनायें और वे धातुओं के मूल्यों के बीच एक स्थायी अनुपात बनायें रख सकें। ये दोनों बातें सम्भव न हो पाने के कारण ही द्वि-धातुमान का अस्त हुआ।

(5) कम लोचदार तथा खर्चोला—पत्र मुद्रा के समान न तो द्वि-धातुमान में लोच ही थी और न मिनव्ययिता। चलन में धातुएँ रहने में घिसती थी और अपव्यय होता था। आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा को मात्रा को बड़ाया-घटाया भी नहीं जा सकता था।

द्वि-धातुमान के दोषों को दूर करने के उपाय तभी सम्भव थे जबकि अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुमान की स्थापना होती तथा मजबूत देशों में टकसाली अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय अनुपात के ही अनुरूप होने। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग प्राप्त करने के प्रयाग भी किये गये परन्तु सफलता न मिल पायी और द्वि-धातुमान जीवित न रखा जा सका। अब तो द्वि-धातुमान केवल एक ऐतिहासिक घटना-मात्र रह गया है।

¹ “It (working of bimetalism) is a record of commercial dislocation and national rivalry engendering, for example, egocentric patriotism of the mercantile system”—Coulborn
1 Discussion of Money, p. 125

अन्य मुद्रा-मान

बहु-धातुमान

बहु-धातुमान प्रणाली (multi-metallism) वह है जिसमें अनेक धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में प्रचलित हों, सभी असीमित विधिप्राप्त हों, सभी का वास्तविक मूल्य व अंकित मूल्य बराबर हों, सभी का स्वतन्त्र टकण हो तथा सभी के बीच निर्धारित टकसाली अनुपात हों। सैद्धान्तिक रूप में, यह प्रणाली क्षतिपूरक कार्य कुशलतापूर्वक कर सकती है जिससे सामान्य मूल्य-स्तर में स्थिरता लायी जा सकती है। परन्तु व्यावहारिक रूप में अनेक धातुओं के सिक्कों के टकसाली अनुपात को इसके बाजार-अनुपात के बराबर बनाये रखना असम्भव है। इस प्रणाली में ग्रेशम का नियम तो सदा कार्यशील रहेगा। यह प्रणाली सम्भवतः किसी भी देश में नहीं अपनायी गयी।

मिश्रित धातुमान

चूँकि द्वि-धातुमान की असफलता में ग्रेशम के नियम का लागू होना सबसे बड़ा कारण था, मार्शल (Marshall) ने एक ऐसा मान अपनाने का सुझाव दिया जिसमें द्वि-धातुमान के सभी गुण हों, परन्तु ग्रेशम का नियम क्रियाशील न हो सके। इसी भावना से प्रेरित होकर मार्शल ने मिश्रित धातुमान (symmetallism) का सुझाव दिया जिसके अन्तर्गत (1) सोना तथा चाँदी दोनों धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर छड़ या पामे (bar) तैयार कर लिये जायें, (2) दोनों धातुओं को एक साथ ही मूल्यमान के रूप में प्रयोग किया जाय, तथा (3) देश की मुद्रा को सोने तथा चाँदी में बदलने की सुविधा न हो।

मिश्रित धातुमान में सोने और चाँदी की कीमतों के तुलनात्मक परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, और न ही इनमें ग्रेशम का नियम लागू हो सकता है। तथापि इस प्रणाली को व्यावहारिक नहीं समझा गया, और किसी भी देश ने इसे नहीं अपनाया।

सूची-बद्ध अथवा निर्देशांक मान

यद्यपि सूचीबद्ध अथवा निर्देशांक मान (tabular or index number standard) को इरविंग फिशर (Irving Fisher) की देन समझा जाता है, परन्तु 1822 में लोव (Lowe) तथा 1833 में पौलेट स्करोप (G Poulett Scrope) ने इस मान की विस्तृत रूप से व्याख्या की थी, और बाद में जेवन्स (Jevons) ने भी इसे अपनाने का सुझाव दिया था। इस मान के अन्तर्गत एक आधार वर्ष (base year) में कीमत-स्तर के निर्देशांक (price index numbers) बना लिये जाते हैं और इन्हीं के अनुसार मुद्रा का मूल्य निश्चित किया जाता है। इस प्रकार कीमतों में परिवर्तन के साथ-साथ मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है और मुद्रा की क्रय-शक्ति स्थिर बनी रहती है। मान नीजिए, कीमतों के निर्देशांक में 10% की वृद्धि हुई (अर्थात् मुद्रा का मूल्य 10% घटा) तो इस दशा में एक ऋणी को लिये हुए 100 रुपये के बदले अब 110 रुपये देने होंगे। निर्देशांक में 10% कमी होने पर ऋण के मूल्य में भी 10% की कमी हो जायेगी। इस प्रकार इस मान द्वारा कीमतों के परिवर्तन के कारण किसी भी वर्ष को हानि नहीं होगी।

सूचीबद्ध मान 18वीं शताब्दी में दो बार मैसाचुसेट्स (Massachusetts) में अपनाया गया था। द्वितीय महायुद्ध काल में मजदूरों की दरों को जीवन-निर्वाह-व्यय (cost of living) के साथ समायोजित करने में इस मान के सिद्धान्त को कई अमेरिकन युद्ध बोर्डों तथा व्यावसायिक फर्मों ने अपनाया। अब तो ससार भर के मजदूरों की यह माँग है कि उनकी मजदूरियों को वढते हुए जीवन-निर्वाह-व्यय के साथ जोड़ा जाय।

इस मान में कीमतों में स्थिरता लाने तथा न्यायपूर्ण होने के गुण होते हुए भी व्यावहारिक रूप में इसका अपनाता सम्भव नहीं है। निर्देशांक का निर्माण कठिन ही नहीं बल्कि सीमित रूप में ही उपयोगी होता है। निरन्तर बदलते हुए निर्देशांक के साथ-साथ नीतियाँ बदलना सम्भव नहीं होता।

क्षतिपूरक मान

क्षतिपूरक मान (compensatory standard) का सुझाव अमरीकी अर्थशास्त्री इरविंग फिशर (Irving Fisher) द्वारा दिया गया था। इसके अन्तर्गत चलन की वास्तविक मात्रा को कीमतों

के परिवर्तन के साथ-साथ इन प्रकार घटाते-बढ़ाते रहना चाहिए कि प्रामाणिक मुद्रा की ऋय-शक्ति स्थायी बनी रहे। फिगर का कहना था कि "मेरा उद्देश्य एक निश्चित तोल और परिवर्तनशील ऋय-शक्ति वाले स्वर्ण डालर के स्थान पर स्थिर ऋय-शक्ति और परिवर्तनशील धात्विक मात्रा वाले डालर को प्रचलित करना है।"

उदाहरणतः सामान्य कीमत स्तर 5% बढ़ गया (अर्थात् मुद्रा का मूल्य 5% गिर गया) तो सरकार को मुद्रा की धात्विक मात्रा 5% बढ़ा देनी चाहिए जिससे मुद्रा की मात्रा घट जाय और उसका मूल्य स्वतः ही बढ़ जाय। कीमत-स्तर में 5% की कमी होने पर मौद्रिक इकाई की धात्विक मात्रा भी 5% कम कर दी जाय, मुद्रा की मात्रा बढ़ जायगी और उसका मूल्य स्वतः ही घट जायगा।

सैद्धान्तिक रूप में, क्षतिपूरक मान अपनाते से स्वर्णमान भी बना रह सकता है और मुद्रा की ऋय-शक्ति में यथेष्ट स्थिरता लायी जा सकती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोने की कीमत तथा सामान्य कीमत-स्तर में प्रायः कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं, जिसकी कल्पना पर हम मान का विचार आधारित है। इसके अतिरिक्त, यदि हमें दूसरे देश नहीं अपनाते तो विदेशी व्यापार अस्म-व्यस्त हो सकता है। यह नियम कीमतों की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को भले ही प्रभावित करे, अल्पकालीन उतार-चढ़ाव नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ते ही इसका मूल्य कम हो जाय।

प्रादिष्ट अथवा बलात् मान

पिछले अध्याय में मुद्रा का वर्गीकरण करते समय प्रादिष्ट (Fiat) पत्र-मुद्रा का विवरण दिया जा चुका है। यह आवश्यक नहीं कि प्रादिष्ट मुद्रा कागज की ही बनी हुई हो, यह किसी सस्ती धातु अथवा अन्य किसी चीज की भी बनी हुई हो सकती है। कोई भी मुद्रा जिसमें निम्न लक्षण हों, प्रादिष्ट कहलायगी

- 1 वास्तविक तथा अंकित मूल्य में अत्यधिक अन्तर हो। प्रादिष्ट मुद्रा का वास्तविक मूल्य (intrinsic value) प्रायः कुछ भी नहीं या केवल नाम-मात्र का होता है।
- 2 किसी अन्य मुद्रा में अपरिवर्तनीय होती है।
- 3 सरकार के आदेश पर संचालन में रहती है।
- 4 प्रामाणिक प्रादिष्ट मुद्रा अमीमित विधिग्राह्य होती है।

प्रादिष्ट मुद्रा के गुण अथवा दोष वे ही हैं जो प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में बताये जा चुके हैं। नियन्त्रित और मुच्चवस्थित होने पर मुच्चिधाजनक होती है, अन्यथा यह बहुत खतरनाक तथा हानिपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हममें आवश्यक मुद्रा-प्रसार का सदा भय बना रहना है।

एक अच्छा मुद्रा-मान

यह कहना बहुत कठिन है कि अमुक मुद्रा-मान ही अच्छा है और अन्य सभी दोषपूर्ण हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न मुद्रा-मानों ने युगलतापूर्वक कार्य किया है। सामान्यतः एक अच्छे मुद्रा-मान में मान गुण होना आवश्यक है—मितव्ययता, मूल्य में स्थिरता, लोच, सरलता, स्वय-चालकता, जनता का विश्वास तथा मुद्रा-प्रसार से सुरक्षा। परिवर्तनशीलता भी एक गुण समझा जाता है, परन्तु वर्तमान युग में तो किसी भी मुद्रा की स्वर्ण अथवा चाँदी में परिवर्तनशीलता का आश्वासन देना सम्भव नहीं है। जब तो इसका ही पर्याप्त है कि मुद्रा विदेशी मुद्राओं में परिवर्तनशील हो। उपर्युक्त गुण होने पर कोई भी मुद्रा-मान अच्छा समझा जा सकता है।

प्रेशम का नियम

मानव स्वाभाविक रूप में अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने अपने पास रखना चाहता है और दूसरों को घटिया अथवा बुरी वस्तु ही देना चाहता है। इसी प्रकार, यदि देश में अनेक प्रकार की मुद्राएँ चलन में हों, तो उनके गुण अलग-अलग होने के कारण कुछ अच्छी मुद्राएँ ही चलती हैं और कुछ बुरी। नये और पूरे मूल्य के सिक्के अच्छी मुद्रा होते हैं, जबकि घिमे हुए, कम मूल्य वाले अथवा सोंटे सिक्के बुरी मुद्रा होते हैं। विधिग्राह्य मूल्य समान होने पर भी ऐसे सिक्के जिनका वास्तविक मूल्य से अंकित मूल्य समान होता है, अच्छी मुद्रा हैं, और कम वास्तविक मूल्य वाले सिक्के

बुरी मुद्रा) परिवर्तनशील तथा अपरिवर्तनशील प्रामाणिक मुद्रा एक साथ चलन में होने पर परिवर्तनशील मुद्रा अच्छी मुद्रा समझी जाती है। अधिमूल्य मुद्रा (over-valued currency) तथा अधोमूल्य मुद्रा (under valued currency) एक साथ संचलन में होने पर अधिमूल्य मुद्रा बुरी मुद्रा के गुण ग्रहण करती है तथा अधोमूल्य मुद्रा अच्छी मुद्रा के। जब अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ चलन में हो तो मानव अपने स्वभाव के बसीभूत अच्छी मुद्रा को अपने पास रखेगा और वास्तविक चलन में केवल बुरी मुद्रा ही रहेगी। प्रेमम का निदान्त इसी तथ्य पर आधारित है।

महारानी एलिजाबेथ प्रथम (Elizabeth I) के पूर्व इंग्लैंड में लकड़ का कागज, प्रकार व वजन के सिक्के चलन में थे, जिनमें से अधिकांश सिक्के घिसकर निहृष्ट हो चुके थे। महारानी ने नये सिक्का को चलन में आला जो कुछ समय तक चलन में रहने के पश्चात् धीरे-धीरे लाप हो गया और पुराने तथा निहृष्ट सिक्के ही चलन में रहें। महारानी की आज्ञा, इसके विपरीत, यह थी कि नये सिक्के चलन में आने पर पुराने सिक्के चलन से हटकर नरवारी नोप में सौट आये। अपनी आज्ञा के विपरीत स्थिति देखकर महारानी एलिजाबेथ ने अपने प्रधान मन्त्री सर विलियम सैसिल (Sir William Cecil) की सलाह पर सर टॉमस ग्रेसम (Sir Thomas Gresham), जो एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री एवं व्यापारी थे, के सम्मुख यह समस्या रखी। उन्होंने बताया कि "पुराने कम मूल्य वाले सिक्के के संचलन में होने के कारण अच्छे तथा अधिक शुद्ध सोने के सिक्के लोगों के चलाने अथवा अपने पास धन के रूप में रखने के कारण संचलन से समाप्त हो गये हैं।"

ग्रेसम के पूर्व भी मुद्रा की इस प्रवृत्ति की व्याख्या की जा चुकी थी। ईसा में पूर्व पाँचवीं शताब्दी (5th Century B C) में लिखी गई एरिस्टोफेन (Aristophane) की 'फ्रॉग्स' (Frogs) नामक पुस्तक में इन प्रवृत्ति के कुछ संकेत मिलते हैं। सन् 1364 में वरसिम (Oresm) ने बताया था कि यदि सिक्का का निर्धारित टकसाली अनुपात धातु के वाजार मूल्य से भिन्न होता है तो कम मौद्रिक मूल्य वाला सिक्का संचलन से गायब हो जाता है और धातु-मूल्य से अधिक मौद्रिक मूल्य वाला सिक्का बराबर संचलन में रहता है। परन्तु चूंकि मुद्रा की इस प्रवृत्ति की एक सन्म्यू तथा सरल विवेचना सर्वप्रथम ग्रेसम ने ही की, इसलिए इसे 'ग्रेसम का नियम' ही कहा जाता है।

ग्रेसम के नियम की व्याख्या प्रायः यह कहकर की जाती है कि "हीन मुद्रा में उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति होती है" (Bad money drives good money out of circulation)। इस कथन से न तो हीन तथा उत्तम मुद्रा की पहचान होती है और न नियम की सीमाओं का ज्ञान होता है। मार्शल ने ग्रेसम के नियम की व्याख्या इन शब्दों में की है "यदि बुरी मुद्राएँ परिमाण में सीमित नहीं हैं, तो वे अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं।"¹ मार्शल द्वारा दी गयी परिभाषा में प्रवृत्ति की एक सीमा की ओर संकेत है कि बुरी मुद्रा "परिमाण में सीमित नहीं है"। जान जी० रैन्सल्ट के अनुसार ग्रेसम के नियम का अपभ्रान्त अधिक ठीक स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा, "कोई भी वस्तु जिसके मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दाना ही उपयोग होत हैं, उस उपयोग में आने की प्रवृत्ति दिखानेगी जिसमें उसका मूल्य ऊँचा है।"

ग्रेसम का नियम लागू होने के मुख्य कारण ये हैं—(1) सग्रह अथवा सचय के लिए अच्छी मुद्राएँ चलन से निकाल ली जाती हैं, (2) अच्छे तथा अधिक धात्विक मूल्य वाले सिक्कों को गला कर लोह लाने के माते हैं और बुरे सिक्के ही चलन में रहने हैं, (3) विदेश के मुद्राओं के लिए भी अच्छे सिक्के दिये जाते हैं क्योंकि वहाँ धातु के वजन तथा मूल्य का आधार पर हिमाव लगाना होता है, इसलिए आन्तरिक चलन में कम मूल्य के सिक्के हुए निहृष्ट सिक्के रह जाते हैं।

नियम का क्षेत्र

स्वयं ग्रेसम ने अपन नियम के क्षेत्र का स्पष्टीकरण बवल एव-धातुमान के अन्तर्गत किया था। परन्तु, वास्तव में, यह नियम प्रत्येक मुद्रा-प्रणाली के अन्तर्गत किसी न किसी रूप में लागू होता है।

1 "An inferior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency"
—Marshall *Money, Currency and Credit*

2 "A more proper statement of Gresham's Law is: A commodity that has value in monetary and non monetary use will tend to move to that use in which its value is the higher."
—John G. Ranlett *Money and Banking*, p. 30

(1) एक-धातुमान के अन्तर्गत—एक-धातुमान के अन्तर्गत ग्रेडम का नियम दो परिस्थितियों में लागू हो सकता है। प्रथम, यदि केवल पूर्ण-काय (full-bodied) सिक्के ही प्रचलित होते हैं तो इनमें पुराने तथा घिसे हुए सिक्के बुरी मुद्रा के रूप में नये सिक्कों को चलन से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग गलाने, सचय करने अथवा निर्यात के लिए किया जाने लगता है। द्वितीय, जब पूर्ण-काय सिक्कों के साथ-साथ साकेतिक सिक्के भी प्रचलित होते हैं, तो साकेतिक सिक्के बुरी मुद्रा होंगे और पूर्ण-काय सिक्कों का चलन समाप्त कर देंगे। महारानी विक्टोरिया के चाँदी के रूपों के साथ जब जॉर्ज पट्ट के रूपों भारतीय चलन में आये तो, चूंकि विक्टोरिया के रूपों में चाँदी की मात्रा अधिक थी, जॉर्ज के सिक्कों ने पहले के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया।

(2) द्वि-धातुमान के अन्तर्गत—द्वि-धातुमान के अन्तर्गत स्वर्ण तथा चाँदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में एक साथ चलन में होते हैं, और उनका टकसाली अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में दोनों धातुओं के मध्य विनिमय-अनुपात बाजार में वैधानिक अथवा टकसाली अनुपात से भिन्न हो सकता है। परिणामस्वरूप एक धातु के सिक्के अधिमूल्य (over valued) तथा दूसरी के अधोमूल्य (under-valued) हो जाते हैं। अधोमूल्यक मुद्रा का टकसाली मूल्य बाजार-मूल्य से अधिक होने के कारण यह 'अच्छी' मुद्रा समझी जाती है और इसे अधिमूल्यक मुद्रा, जिसका टकसाली मूल्य कम लगाया जाता है, 'बुरी' मुद्रा होने के कारण, चलन से बाहर कर देनी है। इसका विस्तृत विवरण द्वि-धातुमान के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

(3) धातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा के एक साथ चलन के अन्तर्गत—यदि धातु-मुद्रा और पत्र-मुद्रा का साथ ही साथ प्रचलन हो, तो धातु-मुद्रा अच्छी मुद्रा समझी जाती है और चलन से निकल जाती है। अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा की निकासी अधिक होने पर तो यह प्रवृत्ति और अधिक तीव्र हो जाती है। प्रथम महायुद्ध काल में इंग्लैण्ड में स्वर्ण-मुद्रा के साथ पत्र-मुद्रा भी चलन में आयी, जिसने स्वर्ण-मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। द्वितीय युद्ध काल में भारत में नोटों की मात्रा अधिक हो जाना पर धातु के बने रूपों चलन से बाहर हो गये।

(4) पत्र-मुद्रा मान के अन्तर्गत—पत्र-मुद्रा मान के अन्तर्गत भी अनेक परिस्थितियों में ग्रेडम का नियम लागू होने की सम्भावना रहती है, जैसे—(1) यदि देश में प्रतिनिधि तथा परिवर्तनीय मुद्रा एक साथ चलन में हो, तो प्रतिनिधि मुद्रा अच्छी और परिवर्तनीय मुद्रा बुरी समझी जायगी, (2) परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा एक साथ चलन में होने पर परिवर्तनीय मुद्रा अच्छी तथा अपरिवर्तनीय मुद्रा बुरी समझी जायगी, (3) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा तथा प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा के एक साथ चलन में होने पर प्रादिष्ट पत्र मुद्रा बुरी तथा अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा अच्छी होगी, (4) यदि एक ही प्रकार की पत्र-मुद्रा चलन में हो तो नये नोट अच्छी मुद्रा तथा पुराने और गले हुए नोट बुरी मुद्रा होंगे। इन सभी दशाओं में बुरी मुद्रा अच्छी समझी जाने वाली मुद्रा को चलन से बाहर कर देंगे।

उपर्युक्त धारणा से यह स्पष्ट होना चाहिए कि ग्रेडम के नियम का क्षेत्र किसी एक मुद्रा-मान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काफी विस्तृत क्षेत्र है। परन्तु यह स्मरणीय है कि अच्छी और बुरी मुद्राएँ तुलनात्मक रूप में होती हैं, एकाकी रूप में नहीं। वही मुद्रा जो कुछ परिस्थितियों में अच्छी मुद्रा होती है, अन्य परिस्थितियों में बुरी मुद्रा का रूप धारण कर सकती है। नियम की सीमाएँ अथवा अपवाद

अन्य आर्थिक नियमों की भाँति ग्रेडम के नियम की भी कुछ सीमाएँ हैं, अर्थात् इसका लागू होना तभी सम्भव है जब कुछ विशेष परिस्थितियाँ उपस्थित हों। अनुकूल परिस्थितियों के न होने पर नियम लागू नहीं होता। नियम की परिभाषा देने समय मार्शल ने एक सीमा का उल्लेख किया है कि 'बुरी मुद्रा परिमाण में सीमित न हो'। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से तभी निकाल पायेगी जब इसकी मात्रा देग की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। ग्रेडम के नियम की अन्य सीमाएँ अथवा अपवाद निम्नलिखित हैं।

(1) मुद्रा की कुल पूर्ति माँग की अपेक्षा कम होने पर यह नियम लागू नहीं होता। मुद्रा की कुल पूर्ति अपर्याप्त होने पर लोगों की मौद्रिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती और उन्हें

अच्छी तथा बुरी सभी प्रकार की मुद्रा को चलन में रखना पड़ता है। इसी अपवाद की ओर मार्शल ने भी संकेत किया है।

(2) बुरी मुद्रा का सार्वजनिक बहिष्कार कर देने पर भी यह नियम लागू नहीं होता। अमेरिका में गृह-युद्ध काल में प्राविष्ट पत्र-मुद्रा ग्रीनबैक्स (Greenbacks) के रूप में निर्गमित की गयी थी जिसका फोनीफोनिया के लोगों ने सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया और स्वर्ण के मिक्के प्रचलन में बने रहे।

(3) बुरी मुद्रा जब बहुत ही बुरी दशा में हो तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते और वह स्वयं ही चलन में नहीं रहनी। डिसे-पिटे सिक्के अथवा सैले व फटे-पुराने नोट इसका उदाहरण हैं।

(4) प्रामाणिक तथा सांकेतिक मुद्राएँ अलग-अलग कार्यों के लिए चलन में रहती हैं। सांकेतिक मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा की अपेक्षा हीन होने पर भी प्रामाणिक मुद्रा को चलन से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि यह सीमित विधिग्राह्य होती है और छोटे भुगतानों के काम आती है।

(5) द्वि-धातुमान विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपनाये जाने पर भी यह नियम लागू नहीं होता। यदि सब देशों में मुद्राओं का टकसाली अनुपात समान होता है, तो द्वि-धातुमान की क्षति-पूरक शिवा नियम को लागू नहीं होने देती।

(6) बैंकिंग प्रथा का अधिक विकास होने पर यदि लोग अधिकतर भुगतान बैंको आदि के माध्यम से करने लगते हैं तो प्रेषण का नियम लागू नहीं होता। साख-मुद्रा तो इसके क्षेत्र से बाहर होती है।

(7) जनता द्वारा अच्छी व बुरी मुद्रा में भेद न करने पर इस नियम के लागू होने का प्रद्वन ही नहीं उठता। आज के युग में जब एक ही प्रकार की पत्र-मुद्रा संचलन में होती है, लोग प्राय सभी मुद्रा को एकसा समकते हैं और उसमें अच्छे अथवा बुरे के आधार पर भेद नहीं करते।

वास्तव में, प्रेषण के नियम का महत्व तभी तक था जब तक बैंकों का विकास न होने के कारण लोग त्रय-शक्ति का सचय मुद्रा के ही रूप में करते थे तथा विदेशी भुगतान भी स्वर्ण के माध्यम द्वारा किये जाते थे। प्रवर्धित पत्र-मुद्रा के वर्तमान युग में इस नियम का कोई महत्व नहीं रहा।

परिभोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. द्वि-धातुमान से क्या अभिप्राय है ? इसके गुण तथा दोषों का विवेचन कीजिए।
[संकेत : प्रथम भाग के उत्तर में द्वि-धातुमान की परिभाषा, इसकी विवेचनाएँ तथा सक्षिप्त इतिहास बताइए और दूसरे भाग में गुण तथा दोषों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।]
2. द्वि-धातुमान तथा एक-धातुमान की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। क्या द्वि-धातुमान एक धातुमान की अपेक्षा मूल्य-स्तर को क्षमिक रूप से रखता है ?
[संकेत : प्रथम भाग में द्वि-धातुमान तथा एक-धातुमान की परिभाषाएँ तथा विवेचनाएँ उदाहरण सहित बताइए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि द्वि-धातुमान के जन्मगत नैतिक धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह से हो सकती है, बल्कि क्षतिपूरक कार्य द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है जिससे मूल्य-स्तर स्थिर रहता है। क्षतिपूरक कार्य की गणना की जाएँ भी तथोप में जाइए।]
3. मुद्रा-मान से क्या अभिप्राय है ? एक अच्छे मुद्रा-मान के गुणों की व्याख्या कीजिए।
[संकेत : मुद्रा-मान की परिभाषा बताइए तथा मुद्रा मान और मूल्य-मान में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में उदाहरण सहित अच्छे मुद्रा-मान के गुणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
4. द्वि-धातुमान की मुख्य सुवर्ततर प्रेषण का नियम लागू होने पर प्रतीत होती है। स्पष्ट कीजिए।
[संकेत : प्रेषण के नियम का परिचय का के पन्थात उग परिनिमित्त का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए जिसमें द्वि-धातुमान के अन्तगत यह लागू होता है। इसके वचन के उपाय भी बताइए।]
5. बुरी मुद्रा अथवा मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। व्याख्या कीजिए।
[संकेत : प्रेषण के नियम की परिभाषा, आधार, क्षेत्र तथा सीमाओं की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए।]
6. विषयगत विधिएँ पत्र-द्वि-धातुमान, बहु-धातुमान, मिश्रित धातुमान, त्रय-शक्तिमान तथा द्वि-धातुमान का क्षतिपूरक नियम।
[संकेत : प्रत्येक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और उनकी व्यावहारिकता पर प्रकाश डालिए।]

“स्वर्णमान समाज नियन्त्रण तथा सरकारी नियोजन की दशा में विद्यमान वर्तमान विचारधारा के साथ पूर्णतया बमेल है। यह उन लोगों के विचारों का प्रतीक है जिनके विचार में केवल वही सरकार धोष्ठ है जो न्यूनतम प्रशासन करती है। यद्यपि राज्य की यह विशेषता आरम्भ में अच्छाई विचारी जानी थी, परन्तु आज यही विशेषता चुराई समझी जाती है।”¹

—चार्ल्स ओ. हार्डी

एक-धातुमान के अन्तर्गत स्वर्णमान रजतमान की तुलना में अधिक प्राचीन न होते हुए भी गत 150 वर्षों के मौद्रिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। स्वर्णमान सर्व-प्रथम 1816 में इंग्लैण्ड द्वारा अपनाया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है, जग-भग सन् 1900 तक मसारा के अनेक देशों में द्वि-धातुमान संचलनशील था। द्वि-धातुमान के पतन के पश्चात् मसारा भर में स्वर्णमान अपनाते का क्रम आरम्भ हुआ और धीरे-धीरे अधिकांश देशों में इसे अपना लिया गया। प्रथम युद्ध-काल में परिस्थितियों के बदलने के कारण इंग्लैण्ड तथा अन्य कई देशों को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। युद्धोपरान्त काल में इसे अपनाने के पुनः प्रयास किये गये थे, परन्तु एक बार कदम बड़बुदा जाने पर यह फिर से पहले का सा सम्मान नहीं प्राप्त कर सका। 1931 में इंग्लैण्ड ने इसका पुनः परित्याग कर दिया और उसके पश्चात् द्वितीय युद्ध के आरम्भ तक लगभग सभी देशों ने इसे त्याग दिया। स्वर्णमान का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है, परन्तु मौद्रिक व्यवस्थाओं की विवेचना स्वर्णमान के अध्ययन के बिना अधूरी ही रहेगी।

स्वर्णमान की परिभाषा

माधारण शब्दा में, स्वर्णमान उस मुद्रा-मान को कहते हैं जिसमें देय की मुद्रा का स्वर्ण के साथ एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी व्याख्या अलग-अलग शब्दों में की है। हैबरलर ने तो इसकी व्याख्या बहुत ही सकुचित रूप में की है। उनके अनुसार, “स्वर्णमान सर्वांग अर्थ में ऐसी मुद्रा-प्रणाली है जिसमें प्रामाणिक स्वरूप वाले मिक्के अथवा स्वर्ण-पत्र जिनके पीछे 100% स्वर्ण-कोप ही, चलन में होते हैं।”² इसके अनुसार स्वर्णमान में पूर्ण-काय मिक्के अथवा दत्त-प्रतिशत कोप पर आधारित पत्र-मुद्रा का चलन में रहना आवश्यक है, परन्तु वास्तविकता यह है कि इन दोनों में से किसी भी बात का होना स्वर्णमान के लिए अनिवार्य नहीं है।

1 “The gold standard fits in badly with the current trend of thought in the direction of ‘Social Control and Government Planning’ It reflects the attitude of people who believe that government is best which governs the least. The fact that it required the minimum of managerial direction was a virtue in the days of its origin but now that very characteristic has become a vice —Charles O Hardy *The Post war Role of Gold*, p 11

2 “A gold standard in narrower sense signifies monetary system under which gold coins of standard specification or gold certificates with 100% gold back form the circulating medium”

कॉलबोर्न के मतानुसार, "स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की मुख्य मुद्रा की इकाई एक निश्चित श्रेणी के स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में परिवर्तनीय होती है।" प्रो० टॉमस ने भी इससे मिलती-जुलती परिभाषा दी है कि "एक देश स्वर्णमान पर उभर उभर कहलाता है जब उसकी मुद्रा की इकाई विधान के अनुसार स्वर्ण के निश्चित भार के बराबर रखी जाती है, और उसमें परिवर्तनीय होती है।" इन दोनों परिभाषाओं के अनुसार, स्पष्ट रूप में, परिवर्तनशीलता स्वर्णमान की मुख्य विशेषता समझी गयी है, परन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वर्ण-निधिमान तथा स्वर्ण-समतमान में तो प्रत्यक्ष परिवर्तनशीलता का गुण होता ही नहीं।

रॉबर्टसन तथा केमरर द्वारा दी गयी परिभाषाएँ स्वर्णमान को विस्तृत रूप देती हैं और परिवर्तनशीलता को कोई महत्व नहीं देती। रॉबर्टसन के अनुसार, "स्वर्णमान वह स्थिति है जिसमें कोई एक देश अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य और स्वर्ण की एक निर्धारित मात्रा का मूल्य एक-दूसरे के बराबर रखता है।" केमरर के शब्दों में, स्वर्णमान "वह मौद्रिक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत मूल्य की इकाई, जिसमें कीमतों, मजदूरियों तथा ऋणों को व्यक्त तथा उनका भुगतान किया जाता है, स्वतन्त्र स्वर्ण बाजार में स्वर्ण की एक राशि के बराबर होती है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के विद्वेषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णमान वह मुद्रा प्रणाली है जिसमें प्रधान मुद्रा विधान द्वारा स्वर्ण में परिभाषित होती है। यह आवश्यक नहीं कि स्वर्ण के सिक्के वास्तविक चलन में हों, और यह भी आवश्यक नहीं कि चलन की मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण में बदला जाय, कभी-कभी प्रचलित मुद्रा के बदल में एक निश्चित दर पर कोई विदेशी मुद्रा ही दी जा सकती है।

वास्तव में, स्वर्णमान के दो रूप होते हैं—राष्ट्रीय अथवा घरेलू (domestic), तथा अन्तर्राष्ट्रीय (international)। राष्ट्रीय स्वर्णमान का मुख्य उद्देश्य मुद्रा इकाई के आन्तरिक मूल्य की स्थिरता को बनाये रखना है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सम्बन्ध मुद्रा इकाई के बाह्य मूल्य से है। स्वर्णमान के तीन मुख्य रूपों—स्वर्ण-चलनमान, स्वर्ण-धातुमान तथा स्वर्ण-विनिमयमान—में स्वर्णमान के उक्त दोनों रूप, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय, सामान्यतः विद्यमान रहते हैं। जहाँ इनमें मुद्रा प्रायः अथवा परीक्षारूप में स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। परन्तु स्वर्णमान के अन्य दो रूप—स्वर्ण-निधिमान तथा स्वर्ण-समतमान—केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के रूप हैं और इनमें मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती।

परिवर्तनशीलता का गुण न होने पर कुछ अर्थशास्त्री तो स्वर्ण निधिमान तथा स्वर्ण-समतमान को स्वर्णमान के रूप मानते ही नहीं। परन्तु ऐसा सोचना अनुचित होगा, क्योंकि वास्तव में स्वर्णमान का अन्तर्राष्ट्रीय रूप ही अधिक महत्वपूर्ण रहा है।

स्वर्णमान की विशेषताएँ

सबसे तो स्वर्णमान के पाँच भेद हैं और प्रत्येक की ही कुछ अलग विशेषताएँ हैं, परन्तु फिर भी कुछ सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- 1 स्वर्णमान में स्वर्ण-मुद्रा वास्तविक चलन में होना आवश्यक नहीं, परन्तु देश की प्रमुख मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में निश्चित करना आवश्यक है।
- 2 मुद्रा-अधिकारी को इस प्रकार निर्धारित (टनसाली) मूल्य पर स्वर्ण के त्रय विक्रय की व्यवस्था करनी पड़ती है।

1 "The gold standard is an arrangement whereby the chief piece of money of a country is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specific quality —Coulborn *An Introduction to Money*, p 117

2 "A Country is said to be on the gold standard when its currency unit is exchangeable for and kept at par with legally fixed weight of gold —S E. Thomas *Elements of Economics*

3 "Gold Standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another —D H Robertson *Money*, p 97

4 "Gold standard is a monetary system where the thing of value in which prices and wages and debts are customarily expressed and paid, consists of the value of a fixed quantity of gold in a free gold market —Kemmerer *Gold and the Gold Standard*, pp 135-136

- 3 स्वर्ण के आयात तथा निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता ।
- 4 देश में प्रचलित सभी प्रकार की मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनशील होती हैं तथा उन सब में परस्पर परिवर्तनशीलता कायम रखी जाती है ।
- 5 स्वर्ण-मुद्रा अथवा स्वर्ण में परिवर्तनीय मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है ।
- 6 स्वर्ण-मुद्रा का चलन होने पर उसका टकण स्वतन्त्र होता है ।
- 7 स्वर्णमान-अप्रवस्था सामान्यतः स्वयं-मंचालित होते हुए भी सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के नियमों के अधीन कार्य करती है ।

स्वर्णमान के भेद *fraction*

स्वर्णमान के पाँच भेद बताये जाते हैं—स्वर्ण-चलनमान (Gold Currency Standard), स्वर्ण-धातुमान (Gold Bullion Standard), स्वर्ण-विनिमयमान (Gold Exchange Standard), स्वर्ण-निधिमान (Gold Reserve Standard) तथा स्वर्ण-समतमान (Gold Parity Standard) ।

1 स्वर्ण-चलनमान

स्वर्ण-चलनमान (gold currency standard) स्वर्णमान का सबसे पुराना रूप है जिसके अन्तर्गत देश की प्रमुख मुद्रा विशुद्ध स्वर्ण के एक निश्चित भार के बराबर घोषित कर दी जाती है । प्रथम महायुद्ध के पूर्व यह प्रणाली इंग्लैण्ड, अमरीका तथा यूरोप के अनेक देशों में प्रचलित थी । इंग्लैण्ड की प्रमुख मुद्रा सोवरेन (Sovereign) थी जिसका कुल वजन 123 27447 ग्रेन था जिसमें $\frac{1}{4}$ भाग शुद्ध स्वर्ण तथा $\frac{3}{4}$ भाग टाँका था । इस प्रकार एक सोवरेन 113 $\frac{1}{4}$ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण के बराबर था ।

क्राइसर ने इस प्रणाली को पूर्ण स्वर्णमान (full gold standard) कहा है । इसके अतिरिक्त इसे कई अन्य नामों से भी सम्बोधित किया जाता है, जैसे—स्वर्ण टकमान (gold coin standard), स्वर्ण-मान मूल्य (gold standard proper), स्वर्ण प्रचलन मान (gold circulation standard), कट्टर स्वर्णमान (orthodox gold standard), तथा परम्परागत स्वर्णमान (traditional gold standard), इत्यादि ।

स्वर्ण चलनमान की मुख्य विशेषताएँ

- 1 स्वर्ण के सिक्के वास्तविक चलन में होते हैं तथा उनमें स्वर्ण का भार विधान द्वारा निश्चित कर दिया जाता है ।
- 2 चलन में स्वर्ण के सिक्के पूर्ण-काय होते हैं, अर्थात् उनका वास्तविक मूल्य अर्द्धित मूल्य के लगभग बराबर होता है, उनकी स्वतन्त्र दलाई होती है और वे असीमित विधिग्राह्य होते हैं ।
- 3 स्वर्ण की वृत्त के लिए स्वर्ण मुद्रा के साथ-साथ साकेतिक मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा भी चलन में रह सकती है, किन्तु इन सब का ही स्वर्ण-मुद्रा से एक निश्चित सम्बन्ध होता है और वे हर समय स्वर्ण अथवा पूर्ण-काय सिक्कों में परिवर्तनशील होती हैं ।
- 4 सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिष्ठित मौद्रिक सस्था एक निश्चित दर पर स्वर्ण का प्रय-विभ्रय करती है । उदाहरणतः बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्वर्ण प्रय-दर 3 पीण्ड 17 सि० 9 पैस प्रति औंस थी और विभ्रय-दर 3 पीण्ड 17 सि० 10 $\frac{1}{2}$ पैस प्रति औंस ।
- 5 स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता ।
- 6 स्वर्ण मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनीय होने के कारण स्वर्ण-बोप (gold reserves) का रखना आवश्यक था । बोप में घटा-वृद्धि के साथ-साथ चलन की मात्रा भी घटती-बढ़ती थी ।

स्वर्ण-चलनमान के गुण

वर्तमान युग में तो मायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्ण-चलनमान के अपनाने के पक्ष में हो, परन्तु जिस समय यह प्रणाली अपनायी गयी थी तो इसके अनेक गुणों का उल्लेख किया जाता था, जो अग्रतिमिन है

(1) स्वर्ण-चलनमान में स्वयं-चालकता (automatic working) होती है। बिना किसी विशेष सरकारी हस्तक्षेप के यह प्रणाली निर्धारित नियमों के अन्तर्गत अपने आप कार्य करती रहती है। स्वर्ण-कोपी की मात्रा में घटा-बढ़ी के साथ मुद्रा में घटा-बढ़ी होगी। स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र होने के कारण मुद्रा की मात्रा में अपने आप आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहेंगे, जिससे मूल्यों की स्थिरता बनी रहेगी। मान लीजिए, मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गयी, परिणाम-स्वरूप कीमत-स्तर ऊँचा होगा, निर्यात कम और आयात अधिक होगा। आयात के बढ़ने विदेशी भुगतान करने में मुद्रा-प्रसार अपने आप समाप्त हो जायगा। मुद्रा-संकुचन होने पर इसके विपरीत प्रभाव होगा, और समस्या हल हो जायगी।

(2) आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखना इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण है। चूँकि स्वर्ण की मात्रा तथा द्रुति में अल्पकाल में कोई विशेष परिवर्तन सम्भव नहीं होते, इसलिए मुद्रा की मात्रा तथा इसके मूल्य में भी स्थिरता बनाये रखी जा सकती है। मुद्रा-प्रसार का भय इसलिए नहीं होता क्योंकि कोप बढ़ने पर मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ायी जा सकती।

(3) विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता भी स्वाभाविक रूप से सम्भव हो जाती है। स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र होने के कारण सभी देशों में स्वर्ण के मूल्य लगभग समान रहते हैं, क्योंकि एक देश में कमी अथवा वृद्धि होने पर आयात-निर्यात के माध्यम से अस्थिरता समाप्त हो जाती है।

(4) जनता का विश्वास भी, इस प्रणाली के अन्तर्गत, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ण के सिक्कों का वास्तविक तथा अंकित मूल्य बराबर होता है, और अन्य मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं।

(5) इस प्रणाली की सरलता भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है। इन प्रणाली को अपनाने पर किसी भी जटिल मीट्रिक प्रवृत्त-व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती। लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं और उसमें उनका पूर्ण विश्वास होता है। इसमें किसी भी गलती अथवा भ्रष्टता की सम्भावना बहुत कम होती है। इसीलिए अर्थशास्त्री कैनन (Cannon) ने इसे "मुख-सिद्ध एवं मक्कार-सिद्ध" (fool-proof and knave-proof) प्रणाली कहा है।

स्वर्ण-चलनमान के दोष

स्वर्ण चलनमान के विरोधी इस प्रणाली के उपर्युक्त गुणों को या तो काल्पनिक समझते हैं अथवा ऐसा सोचते हैं कि इन गुणों को किसी अन्य मुद्रामान में कम व्यय पर प्राप्त किया जा सकता है। आलोचकों द्वारा इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित दोष बताये जाते हैं

(1) स्वर्ण का अपव्यय इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष बताया जाता है। यदि स्वर्ण के सिक्के वास्तविक चलन में हों तो उनकी घिसावट से राष्ट्र को हानि होती है। अन्य मुद्राएँ चलन में होने पर स्वर्ण कोप में बेकार पड़ा रहता है जिसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं होगा।

(2) लोच के अभाव के कारण एक विक्रासदील अर्थ-व्यवस्था के लिए यह प्रणाली पूर्णतया अनुपयुक्त है। सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी यह मात्र अन्यावहारिक तथा अनुपयुक्त है। यह केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही भली प्रकार चलता है। इसी कारण इसे 'अच्छे समय का साथी' (a fair-weather friend) कहा जाता है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव में स्व-चालकता का गुण समाप्त हो जाता है। यदि प्रत्येक देश अपने निजी हितों की रक्षा के लिए अलग कदम उठाने लगे तो इसकी स्व-चालकता के गुण को कायम नहीं रखा जा सकता। किसी भी देश द्वारा स्वर्ण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने से उसकी स्व-चालकता समाप्त हो जाती है। यह भी आवश्यक नहीं कि व्यावहारिक रूप में कोई भी देश चलन की मात्रा में स्वर्ण-कोपों के अनुकूल ही परिवर्तन करे।

(4) आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिरता काल्पनिक है। देश की मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर निश्चित करने पर स्वर्ण के मूल्य में प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव कीमत-स्तर पर पड़ेगा। सन् 1820 से 1850 के बीच स्वर्ण की मात्रा अपेक्षाकृत कम होने पर मुद्रा का मूल्य अधिक (अर्थात् नीचा कीमत-स्तर) रहा जो आर्थिक प्रगति के लिए सहायक नहीं था। 1850 के आस-पास आस्ट्रेलिया तथा कैलीफोर्निया में स्वर्ण की खानें मिलने से स्वर्ण

की पूर्ति बढ़ी और मुद्रा का मूल्य गिर गया (अर्थात् धीमत-स्तर जैसा हुआ)। 1873 में फिर से स्वर्ण की पूर्ति माँग की अपेक्षा कम हो गयी और सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।

(5) परिवर्तनशीलता का गुण भी मिथ्या है। अन्य मुद्राओं की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही सम्भव होती है। संकटकाल में मुद्रा की मात्रा को बिना कोप बढ़ाये ही बढ़ाना पड़ता है। जब लोगों के विश्वास में कमी आती है और परिवर्तनशीलता के लिए माँग बढ़ती है तो परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी जाती है। युद्ध-काल में यही तो हुआ था।

(6) स्वर्ण-चलनमान में संकुचन (deflation) की ओर झुकाव अधिक होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार इस मान में मुद्रा-संकुचन की प्रवृत्ति पायी जाती है। प्रतिकूल भुगतान शेष (adverse balance of payments) की स्थिति में जब कोई देश स्वर्ण का निर्यात करता है तो स्वर्ण-कोपो में कमी के साथ उसे मुद्रा की मात्रा भी कम करनी होती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं होता कि स्वर्ण आयात करने वाला देश स्वर्ण-आयात रोक्कने के लिए मुद्रा प्रसार करे। इस कारण झुनाव मुख्य रूप से संकुचन की ओर ही रहता है।

(7) स्वर्ण चलनमान के बिना भी धीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय-दर की स्थिरता को बनाये रखा जा सकता है। स्वर्ण-चलनमान के अन्तर्गत स्वयं-चालकता का गुण प्राप्त करने के लिए अर्थ-व्यवस्था पर काफी जोर देना पड़ता है। स्वर्ण के आयात-निर्यात को स्वतन्त्र रखते हुए इस मुद्रामान को घरेलू आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से संतुलित रखना एक कठिन कार्य होता है। आलोचकों का मत है कि इस प्रकार की स्वयं-चालकता पर निर्भर करने की अपेक्षा व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली (managed currency system) कम असुविधाजनक होगी। केम्ज के शब्दों में, "पत्र-चलन तथा बैंक-साख के आधुनिक विश्व में हम चाहे प्रवन्धित चलन-पद्धति को चाहते हों अथवा नहीं, इससे बचा नहीं जा सकता। स्वर्ण में परिवर्तनशीलता इस तथ्य में अन्तर नहीं लाती, क्योंकि स्वयं स्वर्ण का ही मूल्य केन्द्रीय बैंकों की नीति द्वारा निर्धारित होता है।"¹

प्रथम महायुद्ध द्वारा उत्पन्न हुई संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने में स्वर्ण चलनमान असमर्थ रहा और इसका परित्याग करके प्रवन्धित मुद्रा-प्रणाली को अपनाया गया। अर्थशास्त्रियों ने स्वर्ण-चलनमान की कड़े शब्दों में बुराई की। हार्ट्रे (R G Hawtray) ने इसे साख के नियन्त्रण में अराजकता (anarchy in credit control) लाने का दोषी ठहराया।² रॉबर्टसन ने लिखा है कि "मूल रूप में स्वर्ण को मुद्रा रूप में इसलिए अपनाया गया क्योंकि यह जगली लोगों की रुचि को पूर्ण करता था। यह वस्तु निरर्थक वस्तु है। इस पर मुद्रा के मूल्य तथा औद्योगिक व्यवस्था की स्थिरता को निर्भर रखना उचित नहीं है।"³

2 स्वर्ण-धातुमान

स्वर्ण-मुद्रामान तो प्रथम महायुद्ध-काल में ही समाप्त हो गया था और अब लगभग सभी देशों में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा चलन में थी। युद्धोपरान्त अधिकांश देशों ने स्वर्णमान को पुनः अपनाया, परन्तु स्वर्ण-चलनमान को फिर से अपनाया सम्भव नहीं था। अब न तो शत-प्रतिशत कोप की ही व्यवस्था सम्भव थी और न ही स्वर्ण के पूर्ण-काय मिक्को का संचालन सम्भव था। युद्ध के पश्चात् स्वर्ण चलनमान को संशोधित रूप में अपनाया गया जिसे स्वर्ण-धातु (स्वर्ण पाट अथवा स्वर्ण पिण्ड) मान (Gold Bullion Standard) कहा गया। स्वर्ण-धातुमान के अन्तर्गत पत्र-मुद्रा तथा सांकेतिक मुद्रा ही चलन में रखी गयी, परन्तु इन मुद्राओं का मूल्य सोने के निश्चित रूप में निर्धारित कर दिया गया और उन्हें निश्चित वजन की स्वर्ण-छड़ों (bars) में परिवर्तनीय कर दिया गया। इंग्लैण्ड ने इसे 1925 में तथा भारत ने 1927 में अपनाया तथा 1931 में त्याग दिया। फ्रान्स द्वारा भी यह 1918 में अपनाया तथा 1936 में त्यागा गया। अमेरिका ने 1919 में इसे अपनाया और 1933 में त्याग दिया।

1 Keynes *A Tract on Monetary Reform*, p 184

2 R G Hawtray *Trade Depression and the Way Out*, pp 15 18

3 Robertson *Money*, p 155.

स्वर्ण-धातुमान की मुख्य विशेषताएँ

1. स्वर्ण मूल्य-मापक होता है, विनिमय माध्यम नहीं। दुगरे राज्यों में, प्रमुख मुद्रा स्वर्ण में परिभाषित होती है, परन्तु स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं होते। चलन में पत्र-मुद्रा तथा अन्य सस्ती वस्तुओं के ही सिक्के होते हैं।
2. चलन में मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत (100%) स्वर्ण-कोप नहीं रहता वरन् प्रचलित मुद्रा का केवल कुछ ही प्रतिशत स्वर्ण-कोप आड के रूप में रखा जाता है।
3. मुद्रा स्वर्ण की निश्चित भार वाली स्वर्ण-छड़ों में पूर्व-निर्धारित दर पर परिवर्तनशील होती है। छड़ के एक निश्चित भार से कम सोना नहीं खरीदा जा सकता। फ्रान्स में इसे इसी कारण 'घनी लोगों का मान' (rich man's standard) कहा गया।
4. सरकार एक निर्धारित कीमत पर असीमित मात्रा में स्वर्ण खरीदने तथा बेचने का वचन देती है।
5. स्वर्ण के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

स्वर्ण-धातुमान के गुण

स्वर्ण चलनमान का एक सशोभित तथा परिवर्द्धित रूप होने के कारण स्वर्ण-धातुमान में स्वर्ण-बलनमान के सभी गुणों के अतिरिक्त कुछ और भी गुण हैं जिनके कारण यह मान स्वर्ण-चलनमान की अपेक्षा अधिक अच्छा है।

(1) स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययता होती है। विसावट से होने वाली स्वर्ण की हानि से बचत होती है। सिक्की की ढलाई में भी व्यय नहीं करना पड़ता। कोपों में शत-प्रतिशत स्वर्ण नहीं रखना पड़ता, जिससे स्वर्ण बेकार नहीं रखा रहता तथा कम स्वर्ण वाले देश भी इसे अपना सकते हैं।

(2) मुद्रा-प्रणाली में पर्याप्त लोच आ जाती है। एक अच्छे मुद्रामान में लोच का गुण आवश्यक होता है। स्वर्ण-चलनमान में लोच का अभाव था। इस मान में कम कोप होने पर भी अधिक मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है और मुद्रा-प्रसार का भी भय अधिक नहीं रहता, क्योंकि चलन की मात्रा में वृद्धि के लिए कोप में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है।

(3) स्वर्ण का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होता है। स्वर्ण व्यक्तिगत कोपों में संचित न रहकर सरकारी कोपों में रहता है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में होता है। असम्यकरण परिस्थितियों में स्वर्ण का समूह व्यक्तियों की अपेक्षा सरकार के पास होना अधिक अच्छा होता है।

(4) विनिमय-दरों में स्थिरता रहती है। स्वर्ण-धातुमान में भी स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र होता है, इसलिए विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव स्वर्ण-बिन्दुओं (gold points) के बाहर नहीं होता।

(5) स्वर्ण-चालकता का गुण इस मुद्रामान में भी पाया जाता है। स्वर्ण के ऋण-विक्रय पर प्रतिबन्ध न होने के कारण मुद्रा-प्रसार के समय लोग स्वर्ण की खरीद करते हैं जिससे कोप में स्वर्ण की मात्रा कम हो जाती है, परिणामस्वरूप चलन की मात्रा भी कम करनी पड़ती है। इसी प्रकार, मुद्रा-संकुचन होने पर लोगों द्वारा स्वर्ण की बिक्री बढ़ती है, कोप बढ़ता है तथा चलन की मात्रा भी बढ़ जाती है। मुद्रा की माँग तथा पूर्ति समकक्ष होने पर मूल्य-स्तर तथा विनिमय दर स्थिर रहते हैं।

(6) जनता का विश्वास प्राप्त होता है क्योंकि प्रचलन की मुद्रा स्वर्ण धातु में परिवर्तनीय होती है। इस प्रणाली के सरल होने के कारण भी इसे जनता का विश्वास प्राप्त होता है।

स्वर्ण-धातुमान के दोष

स्वर्ण-धातुमान अपनाते समय कई देशों की यह धारणा थी कि इसमें स्वर्ण-चलनमान के सभी गुण होंगे और यह दोषों में मुक्त होगा। परन्तु गीघ्र ही इसके दोष भी सामने आये, परिणामतः यह मान कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित थे

(1) संकटकालीन परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त होना इस मान का एक बड़ा दोष था। मुद्रा की अधिक आवश्यकता होने पर निर्गमन सम्भव नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए स्वर्ण-

कोप का बढ़ाना आवश्यक होता है। आर्थिक विकास के लिए भी मौद्रिक आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, जिन्हें यह मान यथेष्ट रूप में पूरा नहीं कर पाता।

(2) स्वयं चालकता कम तथा सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है। चूंकि सरकार द्वारा ही पत्र-मुद्रा निर्गमन तथा कोपो की व्यवस्था की जाती है, स्वर्ण-धातुमान एक प्रकार की नियन्त्रित अथवा प्रबन्धित मुद्रा-प्रणाली ही होती है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण यह स्वर्ण-चलनमान के समान "मूर्ख-सिद्ध तथा मक्कार-सिद्ध" नहीं रहता।

(3) जनता के विश्वास में भी कमी होती है। एक तो स्वर्ण जनता के अपने हाथों में नहीं रहता, दूसरे, स्वर्ण के क्रय-विक्रय के लिए एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित होती है जो प्रायः इतनी अधिक होती है कि एक साधारण व्यक्ति उस तक पहुँच ही नहीं पाता। जनता का विश्वास स्वर्ण-चलनमान की तुलना में कम होना स्वाभाविक ही है।

(4) मितव्ययता नहीं होती क्योंकि एक ओर तो स्वर्ण-कोप की व्यवस्था करनी होती है, जिसमें स्वर्ण बेकार रखा रहता है तथा दूसरी ओर प्रबन्धित पत्र-मुद्रा की व्यवस्था करने तथा साक्ष-मुद्रा पर नियन्त्रण रखने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, जो व्ययपूर्ण होती है।

(5) स्वर्णमान कुछ अन्य रूपों में स्वर्ण-धातुमान में रखे गये स्वर्ण-कोपो की अपेक्षा और भी कम कोपो की सहायता से चल सकता है।

केन्ज ने स्वर्ण-धातुमान के प्रति लोगों की भावना को व्यक्त करते हुए लिखा था, "स्वर्ण अब अदृश्य हो गया है—पुनः भूमिगत हो गया है। अब जब देवता (स्वर्ण सिक्के) अपने पीले सर्वाङ्ग कवच धारण किये हुए इस ससार में चलते हुए दिखायी नहीं देते हैं तो हम उनकी युक्ति-पूर्वक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं, शीघ्र ही यह भी समाप्त हो जायेगा।"¹

3 स्वर्ण-विनिमय मान

स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) स्वर्णमान का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें निर्धन देश विना पर्याप्त स्वर्ण-कोप रखे स्वर्णमान के लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस मान के अन्तर्गत देश की मुद्रा न तो स्वर्ण-मुद्रा और न स्वर्ण धातु में परिवर्तनीय होती है, बल्कि किसी ऐसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय होती है जो स्वर्ण-चलनमान अथवा स्वर्ण धातुमान पर हो। चूंकि मुद्रा अधिकारी विदेशी विनिमय को देनी मुद्रा के बदले क्रय-विक्रय करता है, देश में मुद्रा के चलन की मात्रा विदेशी व्यापार तथा पूंजी के आयात निर्यात द्वारा प्रभावित होने वाले भुगतान-सन्तुलन की स्थिति पर निर्भर करती है। मुद्रा अधिकारी द्वारा विदेशी विनिमय खरीदने पर देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा बेचने पर चलन की मात्रा कम होती है।

स्वर्ण-विनिमय मान के दो रूप होते हैं—(1) जिसमें देश में स्वर्ण-कोप नहीं रहते और स्वर्ण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन देशों के स्वर्ण कोपो पर निर्भर रहना पड़ता है जिनकी मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं, (2) जिसमें विदेशी विनिमय के रूप में कुछ सुरक्षित कोप विदेशों में रखा जाता है। कुछ मुद्रा-शास्त्री दूसरे रूप को स्वर्ण-विनिमय मान नहीं मानते, परन्तु व्यवहार में दोनों रूपों को स्वर्ण-विनिमय मान ही कहा जाता है।

स्वर्ण-विनिमय मान का सैद्धान्तिक विश्लेषण सर्वप्रथम डेविड रिचार्डो (David Ricardo) द्वारा किया गया था। 1877 में इसे हॉर्लेण्ड द्वारा अपनाया गया। 1892 में रूस तथा आस्ट्रिया-हंगरी द्वारा भी इसे अपना लिया गया। सन् 1893 में भारत में चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई समाप्त करने के पश्चात् 1898 में विदेशी विनिमय विलो के क्रय-विक्रय के लिए भारत सरकार द्वारा लन्दन में स्वर्ण-कोप स्थापित किया गया था। सन् 1900 में जब रूपयों के बदले लन्दन में विल दिये जाने लगे तो स्वर्ण-विनिमय मान का आरम्भ हुआ। भारतीय रूपया ब्रिटिश पाउण्ड के साथ जोड़ दिया गया तथा उसकी विनिमय दर 1 शि० 4 पैस (1 s 4 d) प्रति रूपया निश्चित की गयी।

1 "Gold is out of sight—gone back again with the soil. But when gods are no longer seen in a yellow panoply walking on the earth, we begin to rationalise them and it is not long before there is nothing left"—Keynes *A Treatise on Money*, Vol. II, p 291

यह व्यवस्था 1917 तक चलती रही किन्तु 1917 में इसे त्यागना पड़ा। तीन वर्ष बाद 1920 में इसे फिर से 2 शि० प्रति रुपया की विनिमय-दर पर अपनाया गया, परन्तु इस नये दर को बनाये रखना सम्भव न हुआ। 1927 में इसे त्यागकर भारत में स्वर्ण-धातुमान को अपना लिया जिसका परिचय 1931 में कर दिया गया। भारत के अतिरिक्त डेनमार्क, जर्मनी, पोलैण्ड, चिली, इक्वेडोर, बोलीविया, पनामा, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया तथा फिलिपाइन्स आदि देशों में भी इसे विभिन्न रूपों में अपनाया गया था।

स्वर्ण विनिमय मान की प्रमुख विशेषताएँ

1. देश में न तो स्वर्ण के सिक्के चलन में होते हैं और न ही प्रतिनिधि अथवा परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का चलन होता है। केवल अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा, साकेतिक सिक्के तथा निरूप्य धातुओं के सिक्के चलन में होते हैं।
2. देश की प्रमुख मुद्रा एक निश्चित विनिमय-दर पर किसी ऐसी विदेशी मुद्रा से जुड़ी होती है जिसका सम्बन्ध स्वर्ण चलनमान अथवा स्वर्ण धातुमान से होता है।
3. सैद्धान्तिक रूप में मुद्रा को विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण अथवा विदेशी विनिमय में बदला जा सकता है, किन्तु व्यवहार में केवल विदेशी विनिमय ही दिया जाता है।
4. देश की मुद्रा का स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होकर केवल परोक्ष सम्बन्ध होता है, क्योंकि देश की मुद्रा के बदले प्राप्त किये हुए विदेशी विनिमय के द्वारा केवल विदेशों में ही स्वर्ण प्राप्त हो सकता है।
5. स्वर्ण का उपयोग विनिमय-माध्यम अथवा मूल्य-मापक के रूप में न होने पर भी देश की मुद्रा स्वर्ण में परिभाषित होती है तथा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें अप्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण की कीमतों द्वारा ही निश्चित होती हैं।
6. स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र नहीं होता। विदेशी भुगतान का कार्य सरकारी सहायता से होता है।

जिस समय भारत में स्वर्ण-विनिमय मान कार्यशील था तो भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने के लिए लन्दन के कोष से काउन्सिल बिल्ल (Council Bills) अथवा रुपये बिल्ल (Rupee Bills) प्राप्त हो सकते थे, जो भारतीय व्यापारियों द्वारा निश्चित दर (1 शि० 4 पैसे प्रति रुपया) पर रुपयों में बदले जा सकते थे। इसी प्रकार विदेशी भुगतान करने के लिए भारत सरकार देशी मुद्रा के बदले रिजर्व काउन्सिल बिल्ल (Reserve Council Bills) अथवा स्टर्लिंग बिल्ल (Sterling Bills) बेचती थी, जिनको ब्रिटिश व्यापारी ब्रिटिश मुद्रा में बदल सकते थे।

स्वर्ण विनिमय मान के गुण

स्वर्ण विनिमय मान के अनेक गुण बताये जाते हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

- (1) यह मुद्रा-मान मितव्ययतापूर्ण है। स्वर्ण के सिक्के चलन में न होने के कारण घिसावट से हानि नहीं होती। चलन की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय न होने के कारण स्वर्ण कोषों में बेकार नहीं पड़ा रहता। विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण का स्वतन्त्र आयात निर्यात न होकर विदेशी विनिमय का प्रयोग किया जाता है जिससे स्वर्ण के आयात निर्यात का व्यय बच जाता है।
- (2) यह लौचदार मुद्रा मान है। मुद्रा का प्रसार स्वर्ण-कोषों पर निर्भर नहीं करता इसलिए आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। इसी कारण यह स्वर्ण-चलनमान तथा स्वर्ण-धातुमान की तरह 'अनुपूल परिस्थितियाँ की कला' (fair weather craft) नहीं है।
- (3) स्वर्णमान के सभी लाभ, बिना स्वर्ण के सिक्कों के, प्राप्त हो जाते हैं। विशेषतः निर्धन देशों के लिए तो यह प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक होती है।
- (4) सरकार को लाभ होता है क्योंकि विदेशों में स्थापित कोष पर व्याज मिलती है। विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय द्वारा भी सरकार आय प्राप्त करती है। स्वर्णमान को संचालित रखने के व्यय से भी सरकार बच जाती है।
- (5) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा तथा विनिमय-दर में स्थिरता के लिए सरकार भरसक प्रयत्न करती है।

स्वर्ण-विनिमय मान के दोष

स्वर्ण-विनिमय मान के अनेक गुण होते हुए भी व्यावहारिक रूप में इसमें अनेक कठिनाइयाँ तथा दोष थे, जिनके कारण इसका त्याग करना पड़ा। इसके प्रमुख दोषों की विवेचना नीचे की गयी है :

(1) इस प्रणाली में स्वय-चालकता का अभाव था। इसमें स्वर्ण-चलनमान तथा स्वर्ण-धातु-मान के समान स्वय-चालकता न होने के कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसीलिए इसे एक प्रबन्धित मान ही कहना उचित होगा।

(2) देश की मुद्रा अनिवार्य रूप से विदेशी मुद्रा पर आश्रित रहती है। वास्तव में, स्वर्ण-विनिमय मान अपनाने वाले देश को मौद्रिक प्रबन्ध के लिए आधार-देश (planet country) की व्यवस्था तथा नीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि किसी कारणवश आधार-देश ही स्वर्णमान को त्याग दे तो उस पर आधारित सभी देशों को स्वर्ण-विनिमय का त्याग करना पड़ेगा। निर्भर देशों की अर्थ-व्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य, विनियोग तथा औद्योगिक विकास आधार-देश द्वारा अपनायी गयी मौद्रिक नीति पर निर्भर करते हैं।

(3) आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली असुरक्षित हो जाती है। अनेक देशों को अपनी स्वर्ण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आधार-देश पर निर्भर रहना आधार-देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। स्वय आधार-देश के पास भी स्वर्ण-कोष सीमित मात्रा में होता है जबकि उस पर उन सब देशों का अधिकार रहता है जिन्होंने अपनी मुद्रा उससे सम्बन्धित कर रखी होती है। यदि स्वर्ण के लिए माँग बढ़ जाय और आधार-देश उसे पूरा करने में असमर्थ हो, तो उनकी मुद्रा-प्रणाली संकट में पड़ जायेगी।

(4) अनेक कोषों की व्यवस्था करनी पड़ती है जो न केवल व्ययपूर्ण है, बल्कि असुविधाजनक भी है। भारत में ही स्वर्ण-विनिमय मान चलाने के लिए तीन कोषों की व्यवस्था करनी पड़ी थी—स्वर्णमान कोष (Gold Standard Reserve), पत्र-मुद्रा कोष (Paper Currency Reserve) तथा भारत सरकार का ब्रिटेन और भारत में जमा किया गया कोष। हिल्टन-यंग कमीशन द्वारा भारत में इस प्रणाली की आलोचना का मुख्य आधार इसका खर्चीलापन ही था।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्तुलन की स्थापना में कठिनाई होती है। इस मान के अन्तर्गत तरल आदेयों (liquid assets) का एक देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण इतनी मात्रा में सरलता से नहीं हो पाता जितना कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण का होता है, क्योंकि स्वर्ण सबसे तरल आदेय है। तरल साधनों का विभिन्न देशों में समुचित वँटवारा न होने से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती।

(6) जनता का विश्वास कम प्राप्त हो पाता है क्योंकि चलन की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील नहीं होती। इस प्रणाली के जटिल होने के कारण माधारण जनता इसे समझ नहीं पाती और इसीलिए इसमें उतना विश्वास नहीं रखती जितना उसे स्वर्ण-चलनमान तथा स्वर्ण धातुमान में होता है।

(7) लोच का गुण बताना भ्रामक है। इस प्रणाली में मुद्रा-प्रसार तो सरलता से हो जाता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन करना बहुत ही कठिन कार्य है। भारत का भी अनुभव यही रहा है। उपर्युक्त व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही स्वर्ण-विनिमय मान का परित्याग कर देना पड़ा।

4 स्वर्ण-निधिमान

इंग्लैण्ड, अमरीका तथा फ्रांस द्वारा क्रमशः सन् 1931, 1933 तथा 1936 में स्वर्णमान का परित्याग करने पर इन देशों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या विनिमय-दर की स्थिरता बनाये रखना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1932 में इंग्लैण्ड ने एक 'विनिमय-समानिकरण कोष' (Exchange Equalisation Fund) की स्थापना की थी। विदेशी मुद्राओं के निश्चित दर पर क्रय-विक्रय द्वारा विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखना इस कोष का मुख्य उद्देश्य था। 1934

मे अमरीका तथा 1936 मे फ्रास द्वारा भी इसी प्रकार के कोष स्थापित किये गये। उक्त तीनों देशों के विनिमय समानीकरण कोष स्थापित हो जाने पर तीनों देशों के बीच 25 सितम्बर, 1936 को एक समझौता हुआ, जिसे 'त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता' (Tripartite Monetary Agreement) कहते हैं। इस समझौते के अनुसार तीनों देशों ने समानीकरण कोषों में उपलब्ध साधनों की सहायता से विनिमय-दरों को स्थिर रखने का वायदा किया। कुछ मास पश्चात बेलजियम, नीदरलैण्ड्स तथा स्विटजरलैण्ड भी इन समझौते में शामिल हो गये। इस समझौते के आधार पर इन देशों द्वारा अपनायी गयी मुद्रा-प्रणाली स्वर्ण निधिमान (Gold Reserve Standard) के नाम से जानी जाती है। यह प्रणाली 1936 से लेकर 1939 तक प्रचलित रही और द्वितीय महायुद्ध के वारम्भ होते ही समाप्त हो गयी।

स्वर्ण-कोषमान स्वर्णमान का बहु रूप है जिसके अन्तर्गत 'विनिमय-समानीकरण कोषों' के माध्यम से केवल सरकार स्वर्ण का आयात-निर्यात करती है और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा विदेशी मुद्रा-बाजार में विनिमय-दर की स्थिरता वायदा रखती है। इसमें आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती।

स्वर्ण-निधिमान की प्रमुख विशेषताएँ

- 1 देश के चलन का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं था। स्वर्ण न तो विनिमय-माध्यम था और न मूल्य का मापक ही। देश के भीतर चलन में पत्र-मुद्रा तथा निकृष्ट धातुओं के सिक्के स्वर्ण में परिवर्तनशील नहीं थे और न ही स्वर्ण की कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता थी।
- 2 स्वर्ण के आयात निर्यात पर सरकार का एकाधिकार था। केवल सरकार द्वारा ही मुद्रा सम्बन्धी कार्यों के लिए स्वर्ण का आयात-निर्यात हो सकता था, अन्य किसी को यह अधिकार नहीं था।
- 3 विनिमय-समानीकरण कोष स्थापित करना समझौते में सम्मिलित सभी देशों के लिए अनिवार्य था। कुछ देशों में इन्हे विनिमय-समानीकरण लेखा (Exchange Equalisation Account) तथा विनिमय कोष (Exchange Fund) भी कहा जाता था। प्रत्येक कोष के पाम विदेशी विनिमय तथा स्वर्ण निधि रखी रहती थी। किसी देश को मुद्रा की भाँग बढ जाने पर वह मुद्रा उस देश के विनिमय-समानीकरण कोष से स्वर्ण लेकर प्राप्त की जा सकती थी। इसी प्रकार, किसी मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर स्वर्ण के बदले वह छोटाया भी जा सकती थी। स्वर्ण प्राप्त करने वाला देश उस स्वर्ण को कोष अथवा निधि में रखकर अपनी मुद्रा में निर्गमित कर सम्बन्धित देश को दे देता था। इस व्यवस्था के कारण ही इस मुद्रामान को स्वर्ण-निधिमान कहा गया। इन कोषों का संचालन केन्द्रीय बैंको द्वारा होना था।
- 4 आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप के बिना तथा व्याज की दर में परिवर्तन किये बिना विदेशी विनिमय-दर अथवा विदेशी मुद्राओं में स्वर्ण का मूल्य स्थिर रखा जा सकता था।
- 5 कोषों की व्यवस्था गोपनीय थी। जनता को यह नहीं बताया जाता था कि कोष क्या स्रोत अथवा बेच रहा है, तथा उसके पाम कितना स्वर्ण अथवा विदेशी मुद्राएँ हैं।

स्वर्ण-निधिमान मौद्रिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित था। द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने ही इंग्लैण्ड तथा फ्रास ने विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्थाएँ लागू कर दी और त्रि-पक्षीय समझौते के अनुकूल नहीं चला जा सका।

स्वर्ण-निधिमान के गुण

(1) स्वर्ण का आयात-निर्यात सरकार के हाथों में रहने के कारण स्वर्ण के मूल्य में प्रायः स्थिरता रहती थी।

(2) विनिमय-ममानीकरण कोप के माध्यम से, विना आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हेर-फेर किए, विनिमय-दरों की स्थिरता बनाये रखी जा सकती थी।

(3) देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं रहता था।

(4) यह प्रणाली अत्यधिक मितव्ययतापूर्ण थी, क्योंकि इसमें स्वर्ण का प्रयोग केवल मौद्रिक उद्देश्य के लिए ही किया जाता था।

(5) यह एक अत्यन्त लोचदार मुद्रा-मान था।

स्वर्ण निधिमान के दोष

(1) विनिमय समानीकरण कोप में पर्याप्त स्वर्ण रहने पर ही यह प्रणाली कार्यशील रह सकती थी।

(2) देशों में पारस्परिक सहयोग के बिना यह प्रणाली नहीं चल सकती थी। परिस्थितियाँ में परिवर्तन के कारण जैसे ही देशों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ कदम उठाये, इसका कार्यशील रहना असम्भव हो गया।

(3) विनिमय समानीकरण कोपों की कार्य-प्रणाली को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता था, जिनमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने ही नहीं पाता था।

(4) जनता का विश्वास बहुत ही कम प्राप्त हो पाता था।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व केवल तीन-चार वर्ष ही कार्यशील रहने के पश्चात् यह प्रणाली समाप्त हो गयी।

5 स्वर्ण समतामान

स्वर्णमान को व्यापक अर्थ में लेने पर 'स्वर्ण-समतामान' (Gold Parity Standard) स्वर्णमान का आधुनिक रूप है, जिसका विकास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप (International Monetary Fund) की स्थापना के साथ हुआ है। इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की मुद्रा स्वर्ण में परिभाषित होती है जिसके आधार पर विनिमय-दर निर्धारित होती है। प्रत्येक मुद्रा का मूल्य स्वर्ण के अतिरिक्त डालर में भी निश्चित होता है। सदस्य देश मुद्रा-कोप के पाम एक निश्चित मात्रा में स्वर्ण-कोप रखने हैं। देश में चलन की मुद्रा स्वर्ण पर आधारित नहीं होनी। मक्षप में, यह कहा जा सकता है कि स्वर्ण-समतामान के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के सदस्य देश अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर को स्वर्ण अथवा डालर की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं।

स्वर्ण-समतामान की मुख्य विशेषताएँ

- 1 स्वदेशी मुद्रा प्रणाली स्वर्ण पर आधारित नहीं होती। स्वर्ण न तो विनिमय-माध्यम होता है और न ही मूल्य मापक। चलन की मुद्रा परिवर्तनशील नहीं होती।
- 2 विदेशी विनिमय दर स्वर्ण पर आधारित होती है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप सदस्य देशों की मुद्राओं का स्वर्ण मूल्य निश्चित करता है, जिससे समता बनाये रखना आवश्यक होता है।
- 3 निर्धारित विनिमय दर को बनाये रखना प्रत्येक देश का वैधानिक उत्तरदायित्व है। विनिमय-दर में कोई भी परिवर्तन करने के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- 4 आवश्यकता पड़ने पर विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने के लिए सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा विदेशी मुद्राओं का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जा सकता है, जिससे सम्बन्धित देश अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर सकता है। भारत भी इस प्रकार के ऋण प्राप्त करता रहा है।
- 5 अलग अलग स्वर्ण-कोपों के स्थान पर स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के पाम केन्द्रित रहता है।

- 6 आन्तरिक मौद्रिक नीति में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहयोग विनिमय दरों को स्थायी बनाये रखने तक ही सीमित होता है।
- 7 विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार विदेशी विनिमय-दरों में परिवर्तन करने की सुविधा होने के कारण यह प्रणाली व्यावहारिक तथा लोचदार है।

स्वर्ण-समतमान को कुछ रूढ़िवादी अर्थशास्त्री स्वर्णमान का एक रूप स्वीकार ही नहीं करते, जबकि कुछ अन्य इसे स्वर्ण-विनिमय मान का एक समोपित रूप मानते हैं। अमरीकी अर्थ-शास्त्री ओस्कर अल्टमान तो दोनों में कोई भेद ही नहीं करते। दोनों में अनेक समानताएँ भी हैं, जैसे—दोनों प्रणालियों में स्वर्ण धरेलू प्रयोग के लिए नहीं मिलता, मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर किसी अन्य मुद्रा में निश्चित होती है, तथा विदेशों में स्वर्ण-कोप रखने की व्यवस्था है। परन्तु स्वर्ण-समतमान का क्षेत्र तथा रूप अधिक व्यापक है जो सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि स्वर्ण विनिमय मान निर्धन देशों द्वारा स्वर्ण-कोपों की कमी के कारण आधार-देशों पर निर्भर रहने वाली व्यवस्था है। दोनों में काफी अन्तर है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्वर्ण-समतमान भी स्वर्णमान का ही एक रूप है, क्योंकि इसके अन्तर्गत विनिमय-दर स्वर्ण के माध्यम से ही निश्चित होती हैं।

स्वर्ण-समतमान के अनेक गुण हैं, जैसे—स्वर्ण की अधिकतम मितव्ययता, विनिमय-दरों में स्थायित्व, सब मानों से अधिक लोचपूर्ण तथा व्यावहारिक, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि तथा स्वतन्त्र आन्तरिक मुद्रा-व्यवस्था। इसमें श्रेय ये हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप पर बड़े देशों, विशेषतः अमेरिका, का प्रभाव बहुत अधिक है, और यदि किन्हीं कारणोंवश कोप भंग हो जाता है तो इस प्रणाली को नहीं बचाया जा सकता।

धरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान

स्वर्णमान के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण-मान के मुख्य रूप से दो कार्य रहे हैं—मुद्रा इकाई के आन्तरिक मूल्य (internal value) की स्थिरता तथा मुद्रा इकाई के बाह्य मूल्य (external value) की स्थिरता। मुद्रा का स्वर्ण से मीघा सम्बन्ध होने के कारण मुद्रा प्रसार के लिए अनिश्चित कोप की व्यवस्था करनी होती है। स्वर्ण की पूर्ति अपरिमित नहीं होती इसलिए कोप सरलता में नहीं बटाये जा सकते। परिणामस्वरूप, स्वर्णमान के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति का भय नहीं रहना। आन्तरिक मूल्य-स्तर को स्थिर रखना स्वर्ण-मान का धरेलू जयवा राष्ट्रीय (domestic) पहलू है। दूसरी ओर, मुद्रा अधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर स्वर्ण का प्रत्येक विनिमय इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिनका उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों को स्थिर बनाये रखना है। यह स्वर्णमान के कार्यों का अन्तर्राष्ट्रीय (international) पहलू कहलाता है।

सामान्यतः स्वर्णमान के उपर्युक्त दोनों पहलू साथ-साथ विद्यमान होते हैं, परन्तु कुछ परिस्थितियों में केवल एक ही पहलू का रहना भी सम्भव है। उदाहरणतः बर्लिन इग्लैण्ड ने 1931 में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को त्याग दिया था, परन्तु देश में मुद्रा का प्रचलन स्वर्ण-कोपों द्वारा ही निर्धारित होता था। यह पहले ही बताया जा चुका है कि स्वर्ण-निधिमान तथा स्वर्ण-समतमान अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के ही रूप हैं और इनका आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। धरेलू स्वर्णमान के गुण

(1) कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखना धरेलू स्वर्णमान का सबसे बड़ा लाभ अथवा गुण है। सामान्यतः स्वर्ण के उत्पादन में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव की सम्भावना नहीं होती, इसलिए किसी वर्ष विशेष में स्वर्ण-कोपों पर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ना जिनसे चलन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में भी अधिक स्थायित्व रहता है।

(2) स्वयं-संवातकता के कारण स्वर्ण का आयात निर्यात चलन की मात्रा को इस प्रकार बटाता-बटाता रहता है कि भुगतान-शेष (balance of payment) सन्तुलित स्थिति में रहते हैं, तथा चलन की मात्रा और स्वर्ण में पूर्व-निर्धारित आदर्श अनुपात स्थिर बना रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सब बिना सरकार द्वारा किसी विशेष हस्तक्षेप के सहज ही प्राप्त हो जाता है।

(3) जनसाधारण में इस मान के प्रति विश्वास होता है, क्योंकि इसमें मुद्रा-प्रभार का अधिक भय नहीं होता और स्वयं-संचालकता के कारण इसमें आवश्यक घटा-वट्टी अपने आप हो जाती है। घरेलू स्वर्णमान के दोष

(1) कीमत-स्थिरता का तर्क मिथ्या है। देश की मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण की एक निर्धारित मात्रा से सम्बन्धित होने के कारण स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तन का मौद्रिक इकाई के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। किसी नयी खान के मिलने अथवा पुरानी खान के बन्द होने अथवा स्वर्ण की उत्पादन प्रविधि में परिवर्तन होने का मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि यह मान भी लिया जाय कि स्वर्ण का उत्पादन प्रायः स्थिर रहता है, यह नहीं माना जा सकता कि किसी व्यक्तिगत देश का स्वर्ण-खोप अथवा स्टॉक भी स्थिर रहता है। कुल स्वर्ण स्टॉक के अलग-अलग देशों में वितरण में परिवर्तन कीमत-अस्थिरता का मुख्य कारण बन सकते हैं। वास्तविकता यह है कि घरेलू स्वर्णमान केवल स्वर्ण तथा मुद्रा के बीच परस्पर सम्बन्ध को स्थिर रखता है, देश में मुद्रा के आकार और मूल्य-स्तर को नहीं। विश्व का मौद्रिक इतिहास इस तथ्य का साक्ष्य है।

(2) देश की आर्थिक समृद्धि में सहायक न होकर कभी-कभी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। स्वयं संचालकता के कारण स्वर्ण-खोपों में परिवर्तन के कारण मुद्रा की मात्रा में भी घटा-वट्टी तो हो जाती है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह घटा-वट्टी देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ही हो। स्वर्ण खोपों में परिवर्तनों का देश की मौद्रिक आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता। मुद्रा की पूर्ति माँग से अधिक होने पर मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी और मुद्रा की पूर्ति माँग की अपेक्षा कम होना पर मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

लोच के अभाव के कारण सामान्य परिस्थितियों में तो स्वर्णमान चलता रहता है, परन्तु किसी भी असाधारण स्थिति का सामना नहीं कर पाता। मुद्रा-व्यय की व्यवस्था करनी हो अथवा आर्थिक विकास की मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करना हो, यह स्वर्णमान के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो पाता, क्योंकि राष्ट्रीय मौद्रिक प्रबन्ध का तो इसमें धेन है ही नहीं। हॉम ने स्वर्णमान की तुलना ऐसी नाव से की है जो शान्त समुद्र पर तो चल सकती है परन्तु तूफान की प्रतिकूल परिस्थितियों में तत्काल टूट जाती है। हुआ भी ऐसा ही, प्रथम महायुद्ध का तूफान आरम्भ होते ही यह टूट गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण

घरेलू स्वर्णमान की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के निम्नलिखित गुण बताये जाते हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के विचार को व्यावहारिकता अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान द्वारा प्राप्त होती है। इसमें समस्त स्वर्णमान वाले देशों को स्वर्ण के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मापक प्राप्त हो जाता है। कैंट (R P Kent) के शब्दों में, "मूल्य के एक अन्तर्राष्ट्रीय मापक के रूप में स्वर्णमान बड़ी सेवा करता है, क्योंकि वह विभिन्न देशों की वस्तुओं की परस्पर तुलना करना सम्भव बना देता है। उदाहरण के लिए, दर्जनों विदेशी बाजारों में क्रय तथा विक्रय करने की सापेक्षिक उपयोगिता का सरलता से निश्चय किया जा सकता है।"

(2) विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनी रहती है। प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में परिभाषित होता है और इस मूल्य पर असीमित मात्रा में स्वर्ण का क्रय-विक्रय करना सरकार का दायित्व होता है। विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव अधिक से अधिक होने पर भी स्वर्ण आयात तथा निर्यात बिन्दुओं (gold import and export points) के भीतर ही रहता है, क्योंकि इनसे कम अथवा अधिक पर स्वतन्त्र आयात-निर्यात द्वारा स्वर्ण का वास्तविक हस्तान्तरण होने लगता है। विनिमय-दरों में स्थिरता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्तीय सम्बन्धों के विकास में सहायक होती है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तरों में समानता एवं स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि इनमें अन्तर होने पर स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा यह समाप्त हो जाती है। किसी देश में कीमतें अधिक होने

पर वस्तुओं का आयात होने लगेगा, जिससे देश में स्वर्ण की मात्रा घटेगी। परिणामस्वरूप, मुद्रा की मात्रा कम हो जायेगी और कीमतें भी गिर जायेंगी। कीमतें कम होने पर इसके विपरीत परिणाम होंगे।

(4) सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाती। मुद्रा की घटा वही स्वर्ण-कोष में परिवर्तनों पर आधारित होती है, न कि सरकार की इच्छा पर। सरकार द्वारा मुद्रा का अनावश्यक प्रसार अथवा सङ्कुचन नहीं हो पाता।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के दोष

(1) मुद्रा-सङ्कुचन (deflation) की स्वाभाविक प्रवृत्ति इस व्यवस्था का मुख्य दोष है। स्वर्ण के निर्यात का प्रभाव मुद्रा सङ्कुचन तो होता ही है, स्वर्ण का आयात होने पर भी मुद्रा व साख का प्रसार होना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, अन्तर्युद्ध-काल में इंग्लैण्ड से स्वर्ण का निर्यात होने से सङ्कुचन तथा बेकारी के रोग उत्पन्न हुए, परन्तु अमेरिका में स्वर्ण के आयात से स्पीनि उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रो० जॉन एच० विलियम्स ने सङ्कुचन की प्रवृत्ति के दो मुख्य कारण बताये हैं— सभी स्वर्णमान देशों के लिए भुगतान शेष (balance of payments) का समान आर्थिक महत्त्व न होना, तथा सभी देशों का आर्थिक दृष्टि से समान आकार न होना।¹

(2) आर्थिक संकट केवल राष्ट्रीय न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। एक देश का आर्थिक संकट दूसरे देशों तक आसानी से पहुँच जाता है। एक देश में अव्यवस्था होने पर लोग स्वर्ण के रूप में अपनी सम्पत्ति एक मुख्यवस्थित देश में भेजना आरम्भ कर देंगे जिसके परिणामस्वरूप वहाँ की मौद्रिक स्थिरता भी भंग हो जायेगी। प्रो० विलियम्स ने अनुमान, "स्वर्णमान एक देश से दूसरे देश में मन्दी तथा तेजी के भयानक रोगों को फैलाने का उत्तम साधन रहा है।"²

(3) स्वयं-चालकता अपूर्ण होती है। युद्ध के पश्चात् स्वर्णमान में स्वयं-मचालकता का भारी अभाव था। यह स्वीकार कर लेने पर भी कि स्वर्णमान एक स्वचालित मान है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसके परिणामस्वरूप मुद्रा तथा साख का प्रसार अथवा सङ्कुचन देशों की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इंग्लैण्ड में मैकमिलन समिति ने लिखा था कि "वर्तमान संसार में जहाँ एक ओर तो स्वर्ण-आयातों को निष्कल करके इनको साख का विस्तार करने से रोकने की धनी सम्भावना है तथा दूसरी ओर कुछ सामाजिक कारणों से साख-सङ्कुचन को मौद्रिक बतनों व अन्य लागतों पर अपना प्रभाव डालने में रोका जाता है, सन्तुलन की पुनः स्थापना के पूर्व ही स्वर्णमान के सम्पूर्ण यन्त्र का खण्डन होना स्वाभाविक है।"³

(4) विनिमय-स्थिरता तथा कीमत-स्थिरता एक साथ सम्भव नहीं होती। अन्तर्युद्ध-काल का अनुभव यह बताता है कि स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कीमत-स्तर के स्थायित्व का बलिदान करना पड़ता है। स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा विनिमय-दर स्थिर रह सकते हैं, किन्तु आन्तरिक कीमत-स्तर के उतार-चढ़ाव स्वतः नहीं बल्कि उनको प्रोत्साहन मिलता है। आन्तरिक स्थिरता के लिए अधिक चिन्तित होना ही युद्धोत्तर स्वर्णमान के खण्डन का मुख्य कारण था।

(5) स्वर्ण-कोषों तथा सिक्कों के रूप में स्वर्ण का अपव्यय होता है। प्रचलित मान को अपनाने से बिना स्वर्ण-कोषों के वही परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं जो स्वर्णमान करता है। स्वर्णमान न होने से स्वर्ण का अधिक उपयोगी प्रयोग किया जा सकता है।

(6) आर्थिक स्थिरता एवं समृद्धि के लिए अनुपयुक्त है। स्वर्ण का असमान तथा असन्तुलित वितरण मुद्रा-स्फीति तथा सङ्कुचन की प्रवृत्तियों को जन्म देता है, जिससे आर्थिक अव्यवस्था फैलती है।

1 John H Williams 'The Adequacy of Existing Currency Mechanism under Varying Circumstances', *American Economic Review*, March 1937, Supplement, p 154

2 John H. Williams 'The Post-war Monetary Plans', *American Economic Review*, March 1944, Supplement, p 373

3 *Macmillan Committee Report*, (Great Britain), 1931, p 108

(7) वर्तमान परिस्थितियों के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है। आज के युग में प्रत्येक अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक व सामाजिक न्याय प्राप्त करना है जिसके लिए कुशल मौद्रिक प्रवन्ध की आवश्यकता होती है। लक्ष्यों की पूर्ति किसी स्वचालित अथवा अर्द्ध-स्वचालित प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकती। केन्ज ने ठीक ही लिखा है कि वर्तमान युग में प्रवर्धित मान एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा स्वर्णमान अब एक वीते युग की बात है।

(8) नियोजित अर्थ-व्यवस्था तथा स्वर्णमान एक-दूसरे के विरोधी हैं। स्वर्णमान का आधार अबन्ध नीति (laissez-faire policy) होती है, जबकि आर्थिक नियोजन राज्य-हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए मौद्रिक विस्तार करना पड़ता है जिसके लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था (deficit financing) को अपनाना आवश्यकता हो जाता है। स्वर्णमान के अन्तर्गत यह सब करना सम्भव नहीं हो पाता है। चार्ल्स ओ. हार्डी के शब्दों में, "स्वर्णमान समाज-नियन्त्रण तथा सरकारी नियोजन की दिशा में विद्यमान वर्तमान विचारधारा के साथ पूर्णतया देमेल है। यह उन लोगों के विचारों का प्रतीक है जिनके विचार में केवल वही सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम प्रशासन करती है। यद्यपि राज्य की यह विशेषता आरम्भ में अच्छाई समझी जाती थी, परन्तु आज यही विशेषता बुराई समझी जाती है।"¹

स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें

स्वर्णमान एक 'स्वतन्त्र मान' (laissez-faire standard) है, जो स्वचालन के गुण के कारण बिना सरकारी हस्तक्षेप (अथवा न्यूनतम हस्तक्षेप) के कार्यशील रह सकता है। परन्तु जैसा कि फ्राउथर ने लिखा है, "स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देवता है। यह तभी कार्य करता है जब एक-मात्र इसी की साधना की जाती है।"² दूसरे शब्दों में, स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि इसके नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाये। इन नियमों को 'स्वर्णमान खेल के नियम' (Rules of the Gold Standard Game) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वे सभी सहायक परिस्थितियाँ मौजूद हों जो स्वर्णमान के स्वतन्त्र संचालन को कार्यशील रख सकें। मुख्य रूप से स्वर्णमान की सफलता निम्न-लिखित बातों पर निर्भर करती है

(1) स्वर्णमान के स्वर्ण नियम (Golden Rule) का अनुसरण—स्वर्णमान का सफल संचालन तभी सम्भव है जब विदेशी विनिमय बाजार में किसी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में स्थायी असन्तुलन न होने पाये। कभी भी असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे स्वर्ण के प्रवाह (movement of gold) द्वारा मुधारा जा सकता है। 'स्वर्ण का प्रवाह सिद्धान्त' यह है कि यदि किसी देश में कीमत-न्तर तथा उत्पादन-व्यय (cost-price structure) ऊँचा हो, तो उस देश की मुद्रा की माँग कम और पूर्ति अधिक होने के कारण उम देश में स्वर्ण का बहिर्प्रवाह (outflow of gold) होगा। इसके विपरीत, विदेशों की अपेक्षा कीमत तथा लागत स्तर नीचा होने पर स्वर्ण का लगातार अन्तर्प्रवाह (inflow of gold) होगा। स्वर्ण के देश के बाहर जाने पर आन्तरिक व्यवस्था में ऐसे उपाय करने होते हैं कि कीमत-लागत स्तर गिरने लगे ताकि बहिर्प्रवाह रक जाये। स्वर्ण के अन्तर्प्रवाह के साथ-साथ कीमत-लागत स्तर ऊँचा होना चाहिए। यह दोनों कार्य साथ के सकुचन तथा विस्तार द्वारा किये जा सकते हैं। फ्राउथर के शब्दों में, "स्वर्णमान का स्वर्ण नियम यह है कि जब देश में स्वर्ण आ रहा हो तो साख का विस्तार करो तथा जब स्वर्ण का निर्यात हो रहा हो तो साख का सकुचन करो।"³

साख का विस्तार अथवा सकुचन व्याज-दर के परिवर्तनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्याज दर बढ़ाने से आन्तरिक तथा विदेशी ऋण कम होंगे अर्थात् साख सकुचन होगा, मूल्य-

1 Charles O. Hardy *The Post war Role of Gold*, p. 11.

2 "Gold Standard is a jealous god. It will work provided it is given exclusive devotion."
—Crowther *An Outline of Money*, p. 306

3 "The golden rule of the gold standard is, expand credit when gold is coming in, contract when gold is going out."
—Crowther, *An Outline of Money*, p. 304

लागत स्तर में कमी होगी तथा विदेशी पूंजी का आगमन होगा। व्याज-दर घटाने का प्रभाव इसके विपरीत होगा। व्याज-दर में कमी के कारण स्वर्ण का अन्तर्प्रवाह 'एव' जाता है और बहिर्प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। अस्थायी असन्तुलन की स्थिति में ये सब उपाय करना आवश्यक नहीं परन्तु यदि स्वर्ण-प्रवाह मूल्य अथवा आय परिवर्तनों (price and income effects) का परिणाम है, तो केन्द्रीय बैंक उपर्युक्त नियम का उल्लंघन अधिक समय तक नहीं कर सकता।

व्यावहारिक रूप में, स्वर्णमान के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र द्वारा स्वतन्त्र आर्थिक नीति अपनाने की अधिक सम्भावना नहीं रहती। मुद्रा प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय बैंको को स्वर्ण-नितियों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा आन्तरिक प्रवृत्तियों के अनुसार ही अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है। प्रत्येक देश की बैंकिंग नीति अन्य देशों के औसत व्यवहार के समान होती है, इसमें देश का ऐच्छिक एव स्वतन्त्र योगदान कम होता है।

(2) स्वतन्त्र विदेशी व्यापार—स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पालन करना स्वर्णमान का दूरगम नियम है। विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध अथवा रकावट न होने पर ही स्वर्णमान सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। सुरक्षण (protection), आयात-निर्यात नियन्त्रण तथा लाइसेंस इत्यादि की नीति अपनाने से आवश्यक समायोजन नहीं हो पाता। भुगतान-शेष सन्तुलित रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतन्त्र होना चाहिए। देश का भुगतान-शेष प्रतिकूल होने पर स्वर्ण का निर्यात होगा और प्रथम नियम के अनुसार मुद्रा की मात्रा कम होगी जिसके परिणामस्वरूप कीमतें गिरने लगेंगी, आयात कम होगा तथा निर्यात बढ़ जायेगा। इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार की नीति से भुगतान-शेष अपने आप सन्तुलित हो जायेगा।

(3) लोचदार अर्थ-व्यवस्था—स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था लचीली (flexible) तथा स्पर्धात्मक (competitive) हो ताकि स्वर्ण-प्रवाहों का प्रभाव तुरन्त ही देश में मुद्रा की मात्रा, वस्तुओं के मूल्यों, मजदूरी-दरों, आय तथा लागत स्तरों पर पड़ सके। स्वर्णमान भन्नी प्रकार कार्य तभी कर पायेगा जब स्वर्ण के निर्यात का प्रभाव मुद्रा-संकुचन (deflation) तथा स्वर्ण के आयात का प्रभाव मुद्रा-स्फीति (inflation) हो। कीमत-स्तरों में आवश्यक परिवर्तन लाना पड़ता है तथा मजदूरी की दरें लचीली रखनी पड़ती हैं। थम-मर्षों के विरोध स्वीकार नहीं किये जा सकते। मान लीजिए, देश में स्वर्ण का आयात हो रहा है परन्तु कीमतों में वृद्धि नहीं होती, तो स्वर्ण का आयात होता ही रहेगा, उसे रोकना कठिन होगा। प्रथम मुद्राकाल में स्वर्ण की गणियों द्वारा उत्पन्न होने वाले कीमत-लागत सम्बन्धी परिणामों में बाधाएँ उत्पन्न होने पर ही स्वर्णमान का सुचारु रूप से कार्य करना असम्भव हो गया।

(4) माँग की मूल्य-सापेक्षता—देश के आयात-निर्यात की मात्रा पर उनकी माँग की मूल्य-सापेक्षता (price elasticity) का भी काफी प्रभाव पड़ता है। भुगतान-शेष में शीघ्र तथा पर्याप्त सन्तुलन-प्राप्ति के लिए आयातों तथा निर्यातों की माँग अत्यधिक मूल्य-सापेक्ष होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, मूल्यों में थोड़ा-सा ही परिवर्तन होने पर आयातों तथा निर्यातों में पर्याप्त परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा होने से सन्तुलन शीघ्र स्थापित होगा।

(5) सन्तुलित भुगतान-शेष—स्वर्णमान अपनाने वाले देश की विदेशी भुगतान सम्बन्धी स्थिति में सन्तुलन अथवा लगभग सन्तुलन होना चाहिए जिससे काफी अधिक मात्रा में स्वर्ण-प्रवाह न हो। बड़े पैमाने पर स्वर्ण का आयात-निर्यात अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, भुगतान-शेष में भारी असन्तुलन रहने पर सम्भव है कि किसी देश को इतना अग्रिम स्वर्ण देना पड़े कि वह स्वर्णमान को छोड़ने के लिए ही विवश हो जाय।

(6) विदेशी ऋण—स्वर्णमान की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन अर्थ-व्यवस्था में अस्तव्यस्तता उत्पन्न न करे। बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह कुछ देशों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परन्तु आवश्यकतानुसार अल्प-कालीन पूंजी-प्रवाह स्वर्णमान के अन्तर्गत सन्तुलन की स्थापना में सहायक होता है और इस पर किसी प्रकार का कृत्रिम नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। स्वर्णमान वाले देशों के लिए ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक है कि उन्हें अन्य देशों से अस्थायी ऋण मिलते रहे जिसमें वे बिना स्वर्णमान का

र्याग किये अपने भुगतान-रोप के असन्तुलन को ठीक कर सके। अधिक ऋण-भार अच्छा नहीं परन्तु थोड़ी मात्रा में अल्पकालीन विदेशी ऋण कभी-कभी तो नितान्त आवश्यक हो जाता है।

(7) स्वर्ण कोपों को यथेष्ट मात्रा तथा समान वितरण—स्वर्णमान अपनाते वाले देश के पास यदि यथेष्ट मात्रा में स्वर्ण-कोप नहीं है, तो वह न तो अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और न ही भुगतान ठीक से कर सकता है। इन परिस्थितियों में उस देश के लिए स्वर्णमान पर बने रहना कठिन हो जायगा। सभी देशों द्वारा समानता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने तथा आर्थिक प्रगति के मार्ग पर साथ साथ बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि सब देशों में स्वर्ण कोपों के वितरण में अधिक असमानताएँ न हों।

(8) स्थिर स्वर्ण-समता दरें—जन-विश्वास प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वर्ण ममता-दरें (gold parity rates) स्थिर रहे। इसके लिए देश के मौद्रिक अधिकारी द्वारा असौमित्र मात्रा में निश्चित कीमत पर स्वर्ण का क्रय विव्रय होते रहना चाहिए ताकि जनता को यह विश्वास हो कि मुद्रा अवमूल्यन (devaluation) का भय नहीं है।

(9) व्यापक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता के लिए अधिक से अधिक देशों द्वारा स्वर्णमान अपनाया जाना आवश्यक है। साथ में यह भी आवश्यक है कि स्वर्णमान अपनाते वाले देशों में परस्पर सहयोग हो, ताकि इस मान में स्वचालकता का गुण बना रह सके। अलग-अलग देशों द्वारा आन्तरिक नीतियाँ भी ऐसी अपनायी जायें कि कीमत-स्तरों में अन्तर्राष्ट्रीय समानता स्थापित हो सके। फ्राउडर ने लिखा है कि “स्वर्ण नियम कीमत-स्तर की गम्भीरता बनाये रखने की पद्धति नहीं है, अपितु इसके अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था रहती है कि प्रत्येक देश का कीमत-स्तर समान रूप से नशे में चूर रहेगा।”¹

(10) राजनीतिक स्थिरता—राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्तरिक अशांति की परिस्थितियों में जनता में भविष्य के प्रति एक अनिश्चितता की भावना उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप, स्वर्ण देश के बाहर भेजा जाने लगता है। स्वर्ण-कोप कम हो जाने पर किसी भी देश का स्वर्णमान पर टिके रहना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वर्णमान अच्छे समय का साथी है, सकटकाल का नहीं।

उपर्युक्त परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर तथा स्वर्णमान के नियमों का पालन करने पर स्वर्णमान सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। जैसे ही परिस्थितियाँ विपरीत हुईं, देशों ने नियमों का उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप स्वर्णमान का अन्त हो गया।

स्वर्णमान का पतन

सन् 1900 से 1914 तक का काल स्वर्णमान के स्वर्ण युग (golden period of the gold standard) कहलाता है, क्योंकि स्वर्णमान के विकास की परिस्थितियाँ अनुकूल थीं और प्रथम युद्ध आरम्भ होने तक यह मान यथेष्ट स्थिरता ग्रहण कर चुका था। परन्तु युद्धकालीन परिस्थितियों में स्वर्णमान लड़खड़ा गया तथा थोड़े समय बाद ही इसका परित्याग करना पड़ा। युद्ध सम्बन्धी बढ़ी हुई मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वर्णमान द्वारा न की जा सकी और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का निर्गमन करना पड़ा, जिससे घरेलू (domestic) स्वर्णमान का अन्त हुआ। स्वर्ण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने से अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान समाप्त हो गया।

युद्धकाल में मुद्रा प्रसार के कारण कीमत स्तर बहुत ऊँच हो गये थे तथा अर्थ व्यवस्थाएँ अस्त-व्यस्त हो गयी थीं। मुद्रा के लिए यह आवश्यक समझा जाने लगा कि स्वर्णमान को फिर से अपनाया जाये। परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं। पत्र मुद्रा का इतना अधिक चलन किया जा चुका था कि उसका संकुचन करना असम्भव था। अनेक देश स्वर्ण की बहुत बड़ी मात्रा खो बैठे थे तथा अमरीका के ऋणी थे। स्वर्ण चलनमान अपनाते का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु युद्धोत्तर-काल में स्वर्ण धातुमान तथा स्वर्ण विनिमय मान के रूप में स्वर्णमान फिर से अपनाया गया।

सन् 1919 में सर्वप्रथम अमेरिका ने स्वर्णमान पुनः जपनाया। बाद में 30 अन्य देशों ने भी इसे अपना लिया। 1928 में फ्रान्स के स्वर्णमान अपना देने पर स्वर्णमान लगभग पूरी तरह पुनः स्थापित हो गया। परन्तु युद्धोत्तर-काल में स्वर्णमान अधिक समय तक कायम न रह सका। इंग्लैण्ड ने 21 सितम्बर, 1931 को इसका परित्याग किया। अमेरिका ने 1933 में और फ्रांस ने 1936 में इसे समाप्त कर दिया। अन्य देश जिनकी मुद्राएँ इन देशों से सम्बन्धित थीं, स्वाभाविक रूप में स्वर्णमान से हट गये। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व एक-एक करके सभी देशों में स्वर्णमान का अन्त हो चुका था।

पतन के कारण

युद्धोत्तर-काल में पुनः स्थापित स्वर्णमान के पतन का मुख्य कारण तीनों की विद्वब्धायी मन्दी (Great Depression) थी, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे जिनमें से निम्न-लिखित विनोप रूप से उल्लेखनीय हैं

(1) नियमों की अवहेलना—स्वर्णमान के संचालन के लिए इसके नियमों का भक्तिभाव से पालन करना आवश्यक है। देश में स्वतन्त्र व्यापार होना चाहिए, स्वर्ण की गतियों में कोई हस्तक्षेप न हो तथा देश की अर्थ-व्यवस्था सौचपूर्ण हो। युद्धोत्तर स्वर्णमान में इन नियमों की अवहेलना की गयी, और जैसा कि प्रो० कॅप्ट ने लिखा है, "स्वर्णमान अब केवल मान्दिक महानुभूतियों पर आधारित रह गया था।"

विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। स्वर्णमान के अन्तर्गत व्यापार का मन्तुलन स्वतन्त्र आयात-निर्यात द्वारा होता है। परन्तु युद्धोत्तर-काल में स्वर्णमान वाले देशों ने विदेशी वस्तुओं पर ऊँचे आयात-कर लगा दिये। यहाँ तक कि अमेरिका ने इन ऊँचे आयात-कर लगा दिये कि अन्य देश ऐसा ही करने के लिए विवश हो गये। यदि एक देश के निर्यात अधिक न हो पायें तो उसे अपने आयात कम करने ही पड़ते हैं। व्यापारिक प्रतिबन्धों के कारण ऋणी देशों को अपने ऋणों का भुगतान स्वर्ण में ही करना पड़ा और उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। इन परिस्थितियों ने स्वर्णमान का संचालन असम्भव बना दिया।

बड़े देशों ने स्वर्ण-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 1920 से 1924 तक अमेरिका ने अपना स्वर्ण आयात अस्थायी बाधा बँहकर देश के बाहर नहीं जाने दिया। 1924 के पश्चात् इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने भी इसी नीति को अपनाया।

स्वर्णमान के स्वर्ण नियम का भी पालन नहीं हुआ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वर्णमान का स्वर्ण नियम (golden rule) यह है कि जब स्वर्ण देश में आ रहा है तो साख तथा मुद्रा का प्रसार करो, और जब स्वर्ण देश से आ रहा है तो सङ्कुचन करो। युद्धोत्तर-काल में जिन देशों के स्वर्ण-बोप बढ रहे थे उन्होंने मुद्रा तथा साख का विस्तार इन अनुपात में ही होन दिया। 1925 में इंग्लैण्ड द्वारा स्टैलिङ्ग का स्वर्ण में अधिकमूल्यन (over-valuation) कर देन पर उसका भुगतान-शेष प्रतिबन्ध हो गया अर्थात् इंग्लैण्ड के आयात बढ गये। विदेशी भुगतान करने में इंग्लैण्ड का स्वर्ण निरन्तर देश के बाहर जा रहा था, परन्तु मुद्रा-सङ्कुचन नहीं किया गया। फ्रांस द्वारा अपनी मुद्रा फ्रैंक (Franc) का अवमूल्यन (devaluation) करने के कारण उसके निर्यात बढे और देश में स्वर्ण आने लगा। परन्तु उसके नाथ-नाथ मुद्रा-प्रसार नहीं होन दिया गया। देशों की आन्तरिक व्यवस्था में सौच के अभाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मन्तुलन स्थापित करना कठिन हो गया और बिबन होकर स्वर्णमान का अन्त करना पड़ा।

(2) कीमत-स्तर की स्थिरता को विनियम-द्वारा स्थिरता से अधिक महत्व देना—स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए विनियम-द्वारा स्थिरता बनाये रखना आवश्यक है, परन्तु युद्धोत्तर-काल में स्वर्णमान वाले देश विनियम-द्वारा स्थिरता की अपेक्षा आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता को अधिक महत्व देने लगे। कुछ देशों में उत्पादक-संघ (cartels) तथा नियंत्रण कम्पनियों (holding companies) स्थापित हो जाने से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हुई तथा मूल्यों में स्पष्टी करना कठिन हो गया। इन परिस्थितियों में स्वर्णमान वाले सब देशों में कीमत-स्तरों में समानता लाना असम्भव हो गया। कीमत-स्थिरता की राष्ट्रीय नीतियाँ स्वर्णमान के सफल संचालन में बाधा बन गयीं।

(3) स्वर्ण का असन्तुलित अन्तर्राष्ट्रीय वितरण—युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण स्वर्ण-कोपो का अन्तर्राष्ट्रीय वितरण असमान हो गया। एक ओर अमेरिका तथा फ्रान्स के पास बड़ी मात्रा में स्वर्ण इकट्ठा हो गया, जबकि दूसरी ओर जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप के देशों के पास स्वर्ण-कोप बहुत कम रह गये। जिन देशों के पास स्वर्ण अधिक था उन्होंने इसके निर्यात पर नियन्त्रण लगा दिया। कुछ देशों के स्वर्ण-कोप निरन्तर बढ़ रहे थे जबकि अन्य कुछ देशों के कोप घटते जा रहे थे। अनेक देशों के लिए स्वर्ण का अभाव स्वर्णमान के पतन का कारण बना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय ऋण-व्यवस्था में शिथिलता—प्रथम युद्ध से पूर्व असन्तुलित भुगतान-शेष वाले देश अपनी अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए अन्य देशों से अल्पकालीन ऋण ले लेते थे। 1927 में अकेले अमेरिका द्वारा दिये गये ऋणों की राशि लगभग 100 करोड़ डालर थी, परन्तु इनके बाद इसमें निरन्तर बमी होने लगी और 1929 में यह केवल 30 करोड़ डालर रह गयी। ऋणों के अभाव में भुगतान शेष सन्तुलित करने के लिए स्वर्ण का निर्यात करना पड़ा जो बहुधा वापस नहीं लौटा, और स्वर्णमान का अन्त हो गया।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान—प्रथम युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और शान्ति-सन्धि के अनुसार उसे विजेता देशों को युद्ध का हर्जाना (war-reparations) देना पड़ा। यह हर्जाना मुख्यतः अमेरिका तथा फ्रान्स को मिलना था। इन देशों ने हर्जाने की अदायगी स्वर्ण के रूप में मांगी, जिसके लिए जर्मनी को सोने की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। मित्र राष्ट्र भी अमेरिका के ऋणी थे। ऊँचे आयात-कर लगाकर अमेरिका ने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। ऋणी देशों को भी ऋण की रकम तथा ब्याज स्वर्ण के रूप में ही अदा करनी पड़ी। संसार का लगभग 80 प्रतिशत सोना अकेले अमेरिका के पास पहुँच गया और जो कुछ अन्य देशों के पास बचा उससे स्वर्णमान नहीं चलाया जा सकता था।

(6) अल्पकालीन शरणार्थी पूंजी का अटक—प्रथम युद्ध के पूर्व अनेक देश लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी पूंजी विदेशों में लगाते थे। युद्धोत्तर-काल में स्वर्ण खोने वाले देशों ने विदेशी पूंजी पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए प्रारम्भ किये। भयग्रस्त विनियोजक अपनी पूंजी अधिक सुरक्षित स्थानों को भेजने लगे। इसी कारण ऐसे शरणार्थी पूंजी (refugee capital) कहा जाने लगा। इस प्रकार की पूंजी का एक देश से दूसरे देश को आवागमन इतना आकस्मिक तथा सीधे था कि सर्वत्र आतंक तथा गड़बड़ी का वातावरण बन गया। फ्रांसीसी पूंजीगतियों ने बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी इंग्लैण्ड में लगा रखी थी। जब उन्होंने उसे वापस मांगा तो इंग्लैण्ड इतना बड़ा भुगतान स्वर्ण में न कर सका और विवश होकर इंग्लैण्ड को स्वर्णमान त्यागना पड़ा।

(7) आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास—प्रथम महायुद्ध के पूर्व प्रत्येक देश ने उन्हीं उद्योगों का विकास किया गया था जिनमें उन्हें सुलनात्मक लाभ था, और अन्य आवश्यकताएँ वे स्वतन्त्र व्यापार द्वारा दूसरे देशों में बनी वस्तुओं में पूरी करते थे। युद्धकाल के अनुभवों ने उन्हें आत्म-निर्भरता के लिए प्रेरित किया। नये उद्योग स्थापित हुए और उन्हें संरक्षण देने के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति का परित्याग करना पड़ा। इंग्लैण्ड ने साम्राज्य अधिमान (Imperial Preferences) की नीति अपनायी तथा अमेरिका ने तट-कर (tariff duties) असाधारण रूप से बढ़ा दिये। यह प्रवृत्तियाँ स्वर्णमान के नियमों के विरुद्ध थीं और इनसे स्वचालकता का गुण समाप्त हो गया तथा अन्त में स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा।

(8) राजनीतिक अस्थिरता—युद्धोत्तर-काल में अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, दलगत राजनीति, भयदूर-मालिक संधर्ष आदि के कारण उत्पादन तथा व्यापार में अस्थिरता उत्पन्न हो गयी। लोगों का सरकार तथा सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों में विश्वास कम हो गया। अस्थिरता के परिणामस्वरूप स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा।

(9) आन्तरिक कीमतों में लोच का अभाव—युद्ध समाप्त होने के बाद विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में लोच का गुण न रहा, जबकि स्वर्णमान केवल लोचपूर्ण व्यवस्था में ही कार्य कर पाता है। एकाधिकार तथा गुटबन्दी के कारण कीमतों में परिवर्तन करना कठिन हो गया था तथा श्रम-संघों (trade-unions) के कारण श्रम-लागतें स्थिर हो चुकी थीं। इंग्लैण्ड में मुद्रा के विदेशी

मूल्य की तुलना में कीमत-स्तर ऊँचा था, परन्तु उसे कम न किया जा सका। दूसरी ओर, अमेरिका में अधिक स्वर्ण आयात के कारण कीमतें बटनी चाहिए थी, परन्तु कीमतों में अनुपात से बहुत कम वृद्धि हुई। यह परिस्थितियाँ स्वर्णमान के लिए हानिकर सिद्ध हुईं।

(10) सभी देशों की पारस्परिक निर्भरता—स्वर्णमान के अन्तर्गत प्रत्येक देश अन्य देशों से सम्बन्धित होता है। यदि एक देश में मुद्रा-प्रसार अथवा सकुचन की स्थिति हो, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। इस प्रकार की निर्भरता को अच्छा नहीं समझा जाने लगा और स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया।

(11) सन् 1929 की महान् मन्दी—स्वर्णमान को सबसे बड़ा आघात 1929 की महान् मन्दी (Great Depression) से पहुँचा। इसका प्रारम्भ अमेरिका में 'वाल स्ट्रीट संकट' (Wall Street Crisis) से हुआ। 1928 में अमेरिकी पूँजीपतियों ने पूँजी का निर्यात बन्द करके उनका प्रयोग वाल स्ट्रीट के मट्टा बाजार में करना शुरू कर दिया। न केवल अमेरिका अपितु यूरोप के पूँजीपतियों की भी पूँजी यहाँ जाने लगी। 1929 में वाल स्ट्रीट में संकट उत्पन्न हुआ जो स्वर्णमान के कारण सभी देशों में फैल गया। मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिरी और वस्तुओं की माँग व पूर्ति में सन्तुलन बिगड़ गया। वाल स्ट्रीट के संतोरियों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। अल्पकालीन ऋणों की वसूली आरम्भ होने पर सर्वप्रथम आस्ट्रिया और उसके पश्चात् हंगरी तथा जर्मनी को विदेशी पूँजी के भुगतान पर न केवल प्रतिबन्ध लगाने पड़े, वरन् स्वर्णमान का भी परित्याग करना पड़ा।

अविश्वास, असहयोग और अव्यवस्था ने अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न किया, स्वर्णमान आर्थिक संकट का सामना न कर सका और अन्ततः बहू टूट गया। स्वर्णमान का परित्याग करते ही विनिमय-दरों की अनिश्चितता और भी बढ़ गयी। इसके पश्चात्, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 1936 में अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन में एक त्रि-पक्षीय सम्मेलन हुआ जिसके अन्तर्गत स्वर्ण-कोप मान अपनाया गया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही इसका भी अन्त हो गया।

स्वर्णमान का भविष्य

स्वर्णमान पुराने रुढ़िवादी स्वयंचालित रूप में समाप्त हो चुका है और इसके पुनर्लौटने की सम्भावना भी नहीं है। घरेलू स्वर्णमान के पुनर्स्थापित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर संसार के सभी देशों ने पुनः एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था अपनाने की इच्छा व्यक्त की जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित रहकर विनिमय-दरों में स्थिरता ला सके और साथ ही देशों को आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रखे। इंग्लैण्ड की ओर से केन्ज योजना (Keynes Plan) तथा अमेरिका की ओर से व्हाइट योजना (White Plan) प्रस्तुत की गयी। 1944 में ब्रेटनवुड (अमेरिका) सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप तथा विरव-वैक स्थापित करने का निश्चय किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा सदस्य देशों के अम्बन्ध (quota) निर्दिष्ट किये गये हैं। प्रत्येक सदस्य देश अपने अम्बन्ध का 25 प्रतिशत (अथवा कुल स्वर्ण तथा चाँदर कोष का 10 प्रतिशत—इसमें जो भी कम हो) स्वर्ण में जमा कराता है। सदस्य देशों की मुद्रा की इकाइयों के सममूल्य (par values) स्वर्ण के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं। इस प्रकार, "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने स्वर्ण समताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को एक परिष्कृत रूप में जिसमें आधारभूत असन्तुलन के समय किसी भी मुद्रा को अवमूल्यन की बराबर अनुमति प्राप्त हो सकेगी, पुनर्स्थापित कर दिया है।"¹ जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कोप द्वारा अपनायी गयी योजना को ही स्वर्ण-समतमान (Gold Parity Standard) का नाम दिया जाता है।

1 "The International Monetary Fund has reinstated an international gold standard with gold parities, modified by a provision for regularly sanctioning devaluation of any money unit in the event of a fundamental disequilibrium"—R G Hawtrey *Currency and Credit*, p. 211.

इसमें सन्देह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा-बाण की याजना में स्वण का महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध गया है। जून 1968 में विश्व का सम्पूर्ण तरल सम्पत्ति (liquidity stock) का 53 प्रतिशत भाग स्वण के रूप में था। परन्तु स्वण का मौद्रिक महत्त्व दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। 1948 से 1964 के बीच स्वण का मासिक स्टॉक वजन 1.4 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा है और उमक बढ़ और भा कम हो गया है। दूसरी ओर गैर मौद्रिक कार्यों के लिए स्वण की मांग इतना बढ़ गई कि माघ 1968 से अमरिका तथा स्वण पूल (Gold Pool) के अय दाना का खूब दाञ्जार में स्वण का विना रोजन का निश्चय करना पया। वृद्ध भा हा स्वण का अब वह महत्व नहीं रहा जो स्वपमान में था। स्वण का अब वजन एक भवक का स्थान प्राप्त है और वह भा एज सबक निसका महत्व घटता जा रहा है। जबकि स्वपमान में स्वण का एन तानागाह (dictator) का स्थान प्राप्त था।¹

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के सकेत

- 1 स्वपमान क्या है? अन्य भातों की अपना यह किस प्रकार उत्तम है?

[सकेत प्रथम भाग में स्वपमान का परिभाषा दार्जिए तथा मुद्रा विणपनाञ्जारा का विवेचना दार्जिए। दूसरे भाग में स्वपमान के अय मय भाषा से तुलनात्मक गुण तथा दाया का व्याख्या दार्जिए और यह बताइए कि स्व मान का अय मय वजन अनुक्त परिनिमित्या में ही प्राप्त होता है।]
- 2 स्वपमान के विभिन्न रूपों का विवरण दार्जिए तथा उनके गुण-दोषों पर प्रकाश दार्जिए।

[सकेत स्वपमान के पाया भाग का विवेचना] गुण तथा दाया विस्तारपूर्वक बताइए।]
- 3 स्वण-मन्गमान तथा स्वण-धनमान में क्या अंतर है? स्वण-मन्गमान का क्यों परित्याग करना पडा?

[सकेत दाना प्रणानिना की विणपनाञ्जारा के आधार पर अन्तर स्पष्ट दार्जिए और स्वण-मन्गमान के दर विन्डारपूर्वक समणान के पञ्चान स्वण-धनुमान का तुलनात्मक अय मय का उल्लेख दार्जिए।]
- 4 स्वण विनिमय मान की विशेषताओं का उल्लेख दार्जिए तथा इसके सापेक्ष गुण-दोषों पर प्रकाश दार्जिए।

[सकेत स्वण विनिमय मान का विणपनाञ्जारा वजन के बाय स्वपमान के अय रूपों का तुलना में इवक रूप तथा दाया समणान।]
- 5 अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमान से क्या अमिप्राय है? अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमान के गुण तथा दोष बताइए।

[सकेत स्वणमान के कार्यों के आधार पर धरेन तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमान का अय स्पष्ट दार्जिए, दाना का विवेचना बताइए तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमान के अय-दाया का विस्तारपूर्वक उल्लेख दार्जिए।]
- 6 स्वणमान के नियम क्या हैं? इन नियमों की किस प्रकार अवहेलना करने से स्वणमान का पतन हुआ?

[सकेत प्रथम भाग में स्वणमान के तान नियम—स्वण नियम (अथात् लोचपुण अय-दोषन्या) स्वजव व्यापार तथा मय स्वण प्रवाह—स्पष्ट रूप से समणान। दूसरे भाग में 1931 के पूर्व स्वणमान दान दान द्वारा इन नियमों का विण प्रकार उल्लेख हुआ और मय वजा प्रभाव हुए विन्डारपूर्वक स्पष्ट दार्जिए।]
- 7 स्वणमान की सफलता के लिए आवश्यक शत क्या हैं? वर्तमान युग में क्या उह पूरा किया जा सकता है?

[सकेत स्वणमान का सफलता के लिए आवश्यक शत वजनों के बाय यह स्पष्ट रूप से बताइए कि वजनों का ही परिनिमित्या में स्वणमान अय वास्तविक रूप में नया अयनाया जा सकता है।]
- 8 स्वणमान के पतन के क्या कारण थे? क्या वर्तमान युग में स्वणमान किसी रूप में प्रचलित है?

[सकेत स्वणमान के पतन के कारण वजनों के पञ्चान अन्तर्राष्ट्रीय मय सञ्च का स्थापना तथा स्वण-मन्गमान का मय विणपनाञ्जारा का विवरण दार्जिए।]

“पत्र-चलन के प्रबन्ध और नियन्त्रण में छोटी-सी भूलें भी विनाशकारी प्रभाव दिखाती हैं जिनकी कल्पना अन्य मुद्रामानों में नहीं की जा सकती है।”¹ —किन्ले

पत्र-मुद्रामान जिसे ‘प्रबन्धित चलन-मान’ (Managed Currency Standard) भी कहते हैं, वह मुद्रा-प्रणाली है जिसके अन्तर्गत देश की प्रमुख मुद्रा कागजी नोटों के रूप में होती है। कुछ निकृष्ट धातुओं के सिक्के भी चलन में होते हैं, परन्तु उनका प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया जाता है और वे प्रायः सीमित विधिप्राह्य होते हैं। पत्र-मुद्रा का मूल्यवान धातुओं—स्वर्ण अथवा रजत—से कोई सम्बन्ध नहीं होता। कुछ अर्थशास्त्री इसे प्राविष्ट मान (Fiat Standard) भी कहते हैं।

पत्र-मुद्रा के चलन का सबसे पहला उल्लेख चीन के इतिहास में मिलता है जहाँ 790 ई० में सग सरकार द्वारा यह प्रचलित की गयी थी। तुलनात्मक रूप से, यूरोप में पत्र-मुद्रा का चलन बाद में हुआ। समय-समय पर अनेक देशों में प्रतिनिधि तथा परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में पत्र-मुद्रा का प्रयोग किया गया। कुछ असाधारण परिस्थितियों में कुछ देशों ने अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा भी निर्गमित हुईं, जैसे—फ्रांसीसी क्रांति के समय एसाइनेट्स (Assignets) तथा अमरीकी गृह-युद्ध के समय में ग्रीनबैक्स (Greenbacks)। परन्तु प्रधान मुद्रा के रूप में सभी देशों में पत्र-मुद्रा का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के समय से आरम्भ हुआ। दोनों महायुद्धों, विश्वव्यापी मन्त्री तथा स्वर्णमान के पतन से पत्र-मुद्रा को विशेष प्रोत्साहन मिला और आज समस्त के सभी देशों में प्रबन्धित चलनमान के रूप में पत्र-मुद्रा चलन में है।

पत्र-मुद्रामान की प्रमुख विशेषताएँ

- 1 पत्र-मुद्रा देश की प्रमुख मुद्रा होती है और असंमित विधिप्राह्य है। कुछ धात्विक सिक्के भी चलन में होते हैं, परन्तु उनका प्रयोग प्रायः छोटे भुगतानों के लिए किया जाता है, और वे सहायक मुद्रा के नाते बहुधा सीमित विधिप्राह्य होते हैं।
- 2 पत्र-मुद्रा का किसी भी मूल्यवान धातु से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह अपरिवर्तनीय होती है इसलिए इसके पीछे धात्विक कोप रखने की आवश्यकता नहीं होती। पत्र-मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है।
- 3 मुद्रा की पूर्ति को माँग के अनुसार नियमित करना सरकार अथवा मुद्रा अधिकारी (प्रायः देश के केन्द्रीय बैंक) का कार्य होता है। प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य कीमत तथा आय-स्तरों में स्थिरता लाना होता है।

1 “Even the minor lapses in the management and control of paper currency may bring disastrous effects that can not be conceived of under any other form of monetary standard” — Kinley, *Money*, p. 35

- 4 विदेशी भुगतानों के लिए स्वर्ण-कोपो अथवा विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्थापना के बाद सदस्य देशों को विदेशी भुगतानों के लिए व्यक्तिगत कोप रखने की आवश्यकता नहीं रहती। विदेशी विनिमय-दर का निर्धारण कोप को सूचित की हुई समता-दरों के आधार पर होता है।

पत्र-मुद्रामान के गुण

पत्र-मुद्रामान में अनेक गुण हैं, जिनमें से निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं

(1) मुद्रा-प्रणाली में लोच का गुण होना आवश्यक होता है। स्वर्णमान में मौद्रिक आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ-साथ मुद्रा की मात्रा को घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता था, परन्तु पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत स्थिरता एवं विकास में सम्बन्धित उपर्युक्त मौद्रिक परिवर्तन सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। केन्ज ने प्रवर्धित चलनमान का समर्थन इसकी लोच के कारण ही किया था।

(2) पत्र-मुद्रामान अत्यन्त मितव्ययी प्रणाली है। सिक्कों की ढलाई आदि पर व्यय नहीं करना पड़ता। धातुविक कोपो की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए निर्यत देश भी इसे अपना सकते हैं। बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग विदेशी भुगतान अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा है "पत्र-मुद्रा आकाश-मार्ग के समान है, उसके नीचे की भूमि भी प्रयोग में आ सकती है और उस पर अन्न आदि का उत्पादन कर मानव की अन्य आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं।"

(3) मुद्रा की पूर्ति को माँग के साथ सन्तुलित करके पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखना सम्भव होता है। इससे आर्थिक विकास तथा व्यावसायिक स्थिरता को प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पत्र-मुद्रामान अपनाने से स्वर्ण-प्रवाहों के प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। देश की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था को बाहरी अस्थिरता के प्रभावों से बचाया जा सकता है। अब यह आवश्यक नहीं रहा कि एक देश में मन्दी अन्य देशों में वैसी ही स्थिति उत्पन्न कर दे।

(5) देशों में उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव होता है। स्वर्णमान की प्रवृत्ति प्रायः मुद्रा-सकुचन की ओर होती है। पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी मुद्रा नीति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि विकास सम्बन्धी मौद्रिक आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके और उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग सम्भव हो सके।

(6) पत्र-मुद्रामान सकटकाल का मित्र है। किसी भी सकटकालीन स्थिति में जब सरकार को अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है उस समय पत्र-मुद्रामान सबसे अच्छा साथी सिद्ध होता है। केन्ज के शब्दों में, "सरकार पत्र-मुद्रा द्वारा उस कठिन समय में जीवित रह सकती है जब अन्य किसी साधन द्वारा जीवित रहना कठिन होता है। यह एक इस प्रकार का कर है जिससे बचत जनता के लिए अत्यधिक कठिन होता है तथा जिसको सबसे अधिक कमजोर सरकार भी, जो अन्य किसी कर को लागू करने में असमर्थ होती है, लागू कर सकती है।"¹

पत्र-मुद्रामान के दोष

पत्र-मुद्रामान में उपर्युक्त गुणों के साथ-साथ निम्नलिखित गम्भीर दोष भी हैं

(1) आवश्यकता से अधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा का प्रचलन करके कोई भी विवेकहीन सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। संसार में अति-स्फीति (hyper-inflation) का सम्बन्ध पत्र-मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन से ही रहा है। पत्र-मुद्रा का प्रयोग करने वाले देशों में मुद्रा-स्फीति का भय निरन्तर बना रहता है।

(2) आन्तरिक कीमतों में अनावश्यक उत्तार-चढ़ाव होते रहते हैं जिनके लिए मुख्य रूप से मौद्रिक कारण ही उत्तरदायी होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत में निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों का मुख्य कारण मुद्रा-प्रसार बताया जाता है।

1 Keynes . A Tract on Monetary Reform, (1923), p. 41

(3) पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दर की अस्थिरता को प्रोत्साहन मिलता है। देश के आन्तरिक कीमत-स्तर दूसरे देशों के कीमत-स्तर की तुलना में अधिक घटने-बढ़ने पर तो विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखना बहुत कठिन हो जाता है। काउथर के शब्दों में, "सन् 1931 के बाद का प्रवृत्त चलनमान स्वर्णमान की भांति ही नितास्त असफल रहा है। निम्नन्देह राष्ट्रों को अपनी इच्छित आन्तरिक नीतियाँ चुनने की स्वतन्त्रता थी, परन्तु नियति उद्योगों में जो संकटों हजारों बेरोजगार हुए वे इस बात के सामोरा गवाह हैं कि विमुक्त आन्तरिक नीति चाहे कितनी ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाये, सीमा-युक्त ही होती है। अस्थिर विनिमय-दरों ने राष्ट्रों के भुगतान-सन्तुलन की विपत्तियों को दूर नहीं किया है, जिससे विदेशी व्यापार पर अब भी अकुच लगाने पड़ते हैं।"¹

(4) स्वयं-क्षालकता के अभाव के कारण पत्र-मुद्रा का प्रबन्ध बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। किन्ले ने ठीक ही कहा है, "पत्र-चलन के प्रबन्ध और नियन्त्रण में थोड़ी-सी भूल विनाशकारी प्रभाव दिखाती है जिसकी कल्पना अन्य मुद्रामानों में नहीं की जा सकती है।"²

(5) पत्र-मुद्रा में जनता का विश्वास कम होता है। चैपमैन के शब्दों में, "एक अपरि-वर्तनीय पत्र-मुद्रा का लोग शका की दृष्टि से देखते हैं। लोगों को यह डर होता है कि कहीं इसका अत्यधिक निर्गमन न कर दिया जाये। जो सरकारें प्रत्यक्ष रूप से अधिक कर लगाकर जनता की लोकप्रियता नहीं खोना चाहती हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से अधिक नोट निकाल कर उस पर कर लगाती हैं। छापेखाने द्वारा प्रसाधन बहुत शीघ्रता से प्राप्त किये जा सकते हैं। जैसे-जैसे अधिक परिवर्तन-शील पत्र-मुद्रा एक निश्चित मात्रा से ऊपर निकाली जाती है वैसे-वैसे उसका मूल्य गिरता जाता है, तथा चलन में जनता का विश्वास भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है।"³

उपर्युक्त तथ्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्र-मुद्रा में बसाये गये दोष वास्तव में पत्र-मुद्रा के नहीं हैं, बल्कि यह दोष मुद्रा-अधिकारी की लापरवाही, अदूरदर्शिता तथा अज्ञानता का परिणाम होते हैं। समस्त दोष पत्र-मुद्रा की मात्रा पर कुशल नियन्त्रण द्वारा दूर हो सकते हैं। आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था का यथोचित विकास करने के लिए पत्र-मुद्रामान सबसे अच्छी प्रणाली है, परन्तु इसे नियन्त्रण में रखना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान और आर्थिक सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने अनुकूल वातावरण तैयार करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है।

वास्तव में, स्वयं-क्षालनमान के अन्तर्गत विनिमय-दर स्थिर रहना और पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत परिवर्तनशील रहना, दोनों ही दोषपूर्ण हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की योजनाओं के अन्तर्गत दोनों का उचित समन्वय हुआ है। विनिमय-दरों की स्थिरता के लिए सदस्य देशों की मुद्राओं का सम-मूल्य स्वयं के रूप में प्रकट किया गया है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर विनिमय-दर में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

नोट-निर्गमन के सिद्धान्त 1475 -

नोट-निर्गमन के दो मुख्य सिद्धान्त हैं—(1) करेन्सी अथवा चलन सिद्धान्त (Currency Principle), तथा (2) बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle)। इन दोनों सिद्धान्तों का सम्बन्ध इंग्लैण्ड में 19वीं शताब्दी के उन दो सम्प्रदायों से है जिनका नाम करेन्सी सम्प्रदाय (Currency School) तथा बैंकिंग सम्प्रदाय (Banking School) के नाम से प्रसिद्ध है।

करेन्सी अथवा चलन सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार नोट-वास्तविक मुद्रा है, 'गाल-पत्र' अथवा मुद्रा का स्थानापन्न नहीं। नोट का निर्गमन-उद्देश्य केवल धातु को घिसने से बचना है, इसलिए नोट काप में रखी धातु का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा उसके प्रमाण-पत्र (certificates) हैं। पत्र-मुद्रा में परिवर्तनशीलता हो

1 Crowther . An Outline of Money, p. 245.

2 Kinley : Money, p. 351.

3 Chapman . An Outline of Political Economy, p. 245

तथा उसके संचालन के पीछे शत-प्रतिशत धात्विक कोप रखा जाये। इस सिद्धान्त में सुरक्षा पर अत्यधिक जोर होने के कारण इसे 'सुरक्षा सिद्धान्त' (Security Principle) भी कहते हैं।

चलन सिद्धान्त के अनेक गुण हैं—(1) चलन के पीछे शत-प्रतिशत कोप रखे होने के कारण सुरक्षा प्राप्त होती है और मुद्रा अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाता। (2) इसमें जनता का पूर्ण विश्वास होता है। (3) धातु की घिसावट से होने वाली हानि की वचत होती है, जबकि धात्विक मुद्रा के सभी लाभ प्राप्त होते रहते हैं।

व्यावहारिक रूप में दोष ये हैं—(1) लोच का अभाव होता है। जब तक कोप की मात्रा न बड़े, चलन की मात्रा भी नहीं बढ़ायी जा सकती, भले ही देश की मौद्रिक आवश्यकताएँ कितनी ही अधिक क्यों न हों। (2) मितव्ययता का भी अभाव होता है, क्योंकि चलन के पीछे धात्विक कोपो के रूप में मूल्यवान धातु बेकार रखी रहती है। (3) निर्धन देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए तथा ऐसे देशों के लिए जिनके पास सोना अथवा चाँदी कम हो, यह सिद्धान्त व्यावहारिक है।

बैंकिंग सिद्धान्त

इस सिद्धान्त द्वारा मुद्रा-प्रणाली में लोच की अनिवार्यता को अधिक महत्व देने के कारण इसे 'लोच सिद्धान्त' (Elasticity Principle) भी कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार कुल मुद्रा-मात्रा के मूल्य का शत-प्रतिशत धात्विक कोप रखना आवश्यक नहीं है। परिवर्तनशीलता थोड़े कोप से भी बनाये रखी जा सकती है। नोट-निर्गमन का कार्य प्रायः एक बैंक (जो देश का केन्द्रीय बैंक होता है) को सौंप दिया जाता है जो मुद्रा की माँग के आधार पर पत्र-मुद्रा का निर्गमन तथा नियमन करता है। आजकल इस सिद्धान्त के अनुसार सप्ताह के सभी देशों में पत्र मुद्रा का निर्गमन होता है। बैंकिंग सिद्धान्त में दो महत्वपूर्ण गुण हैं (1) लोच, तथा (2) मूल्यवान धातुओं की दोहरी वचत। इसके दोष ये हैं (1) सुरक्षा के अभाव के कारण मुद्रा-प्रसार का भय बना रहता है, तथा (2) जनता का विश्वास कम होता है।

निष्कर्ष—पत्र-मुद्रा के निर्गमन के दोनों सिद्धान्तों के गुण तथा दोष देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ चलन सिद्धान्त सम्भवतः सैद्धान्तिक दृष्टि से अच्छा है वहाँ बैंकिंग सिद्धान्त में व्यावहारिकता का गुण है। सुरक्षा का गुण होना आवश्यक है, परन्तु इसके साथ-साथ मुद्रा-प्रणाली में लोच का गुण होना भी उतना ही आवश्यक है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में मुद्रा के चलन के पीछे शत-प्रतिशत धात्विक कोप रखना सम्भव नहीं है, इसलिए व्यावहारिक रूप में केवल बैंकिंग सिद्धान्त ही अपनाया जा सकता है। उचित नियन्त्रण द्वारा इसमें लोच के साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि आज के विश्व में लगभग सभी देशों द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन बैंकिंग सिद्धान्त के आधार पर किया जा रहा है।

पत्र-मुद्रा का निर्गमन कौन करे ?

पत्र-मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसे हो ? यह एक बड़ा विवादपूर्ण विषय रहा है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न तो यह है कि यह अधिकार सरकार को हो अथवा बैंक को ? दूसरा, यदि यह अधिकार बैंक को दिया जाय तो सभी बैंकों को दिया जाय अथवा देश के केन्द्रीय बैंक को—दिया जाय ? इन प्रश्नों को लेकर पत्र-मुद्रा के प्रारम्भिक काल में काफी मतभेद रहे हैं, परन्तु अनुभव के आधार पर अब सभी अर्थशास्त्री एकमत हैं कि चाहे निर्गमन कोई भी करे किन्तु उस पर सरकारी नियन्त्रण रहना आवश्यक है।

सरकार द्वारा नोट-निर्गमन

सरकार द्वारा पत्र-मुद्रा के निर्गमन के पक्ष में कहा जाता है कि—

- 1 सरकार द्वारा पत्र मुद्रा चलन में अधिक सुरक्षा रहती है, क्योंकि सम्पूर्ण देश के हितों को सामने रखा जाता है।
- 2 सरकार पर लोगों का विश्वास होने के कारण सरकार द्वारा जारी किये गये नोटों में भी लोगों का विश्वास होता है।

- 3 सरकारी नोटों के पीछे निनी धात्विक आड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सरकारी नोटों के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रीय सम्पत्ति की आड होती है।
- 4 मुद्रा-प्रणाली का कुशलतापूर्वक प्रबन्ध सरकार द्वारा ही सम्भव होता है, क्योंकि वह कानून बनाने और उनको लागू करने की शक्ति रखती है। सरकार को अधिक विरलमनीय जानकारी, आँकड़े तथा विदोषणों की सहाह उपलब्ध होती है।
- 5 मुद्रा निर्माण का कार्य सदैव सरकार द्वारा किया गया है, इसलिए पत्र-मुद्रा का चलन भी सरकार द्वारा ही किया जाय।
- 6 यदि बैंक पत्र-मुद्रा का निर्गमन करें तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अतएव अच्छी गहरी है कि स्वयं सरकार ही नोटों का निर्गमन करे।

बैंक द्वारा नोट-निर्गमन

बैंको द्वारा निर्गमन के पक्ष में (अथवा सरकार द्वारा निर्गमन के विरुद्ध) प्रायः निर्मालिखित तर्क दिये जाते हैं।

- 1 बैंकों का व्यापार तथा उद्योगों से निकट सम्पर्क उन्हें मौद्रिक आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तन जानने में सहायक होता है, जबकि सरकार द्वारा अनुमान लगा सकता सहज नहीं होता। बैंकों द्वारा नोट-निर्गमन अधिक लोचपूर्ण होता है तथा माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करता है।
- 2 सरकारी कार्यों में विलम्ब होता है, जबकि बैंक मुख्यवस्थित रूप से शीघ्र कार्य कर सकते हैं। मौद्रिक प्रणाली में कुशलतापूर्वक उचित परिवर्तन करने के लिए बैंक द्वारा मुद्रा-प्रणाली का संचालन श्रेष्ठ होता है।
- 3 बैंकों की मौद्रिक नीति राजनीति के प्रभावों से मुक्त रहकर केवल आर्थिक विचारों पर आधारित होती है। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कोई भी सरकार बरों को बम करके उनकी क्षतिपूर्ति पत्र-मुद्रा के निर्गमन से कर सकती है। परन्तु बैंक केवल आर्थिक आवश्यकताओं का ही ध्यान रखना है।
- 4 एक अच्छा राजनीतिज्ञ कुशल बैंक नहीं होता, इसलिए पत्र-मुद्रा के निर्गमन का कार्य राजनीतिज्ञों के हाथ में रखना ठीक नहीं होता।
- 5 नोट निर्गमन सम्बन्धी वैज्ञानिक सिद्धान्तों का पालन बैंक अच्छी तरह से कर सकता है, जबकि सरकार इसकी उपेक्षा भी कर सकती है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नोट-निर्गमन के लिए बैंक अधिक उपयुक्त सत्वा है। लोच, कुशलता, सुरक्षा, सन्तुलन, मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण आदि की दृष्टि से बैंक अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। जहाँ तक जनता के विश्वास का प्रश्न है, सरकार की अपेक्षा बैंक में जनता का विश्वास कम नहीं होता। बैंकों द्वारा नोट-निर्गमन के यदि कुछ दोष हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार उचित नियम बना सकती है। सरकारी नियन्त्रण द्वारा सरकार की आर्थिक नीति तथा बैंक की मौद्रिक नीति में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समार के सभी देशों में मुद्रा-संचालन का कार्य केन्द्रीय बैंक को सौंपा जाता है, क्योंकि यह एक ओर तो प्रायः सरकारी बैंक होता है, दूसरी ओर देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते सभी वैज्ञानिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है।

एक अथवा अनेक बैंकों द्वारा नोट-निर्गमन

यह स्वीकार कर लेने पर कि बैंक द्वारा नोट-निर्गमन होना अधिक अच्छा है, एक प्रश्न और उठता है कि यह कार्य केवल एक बैंक का एकाधिकार हो अथवा अनेक बैंकों द्वारा किया जाय? दूसरे शब्दों में, एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली (Single Note Issue System) अपनायी जाये अथवा बहुल नोट निर्गमन प्रणाली (Multiple Note Issue System) प्रारम्भ में अधिक प्रायः देशों में नोट निर्गमन का अधिकार अनेक बैंकों को था। परन्तु अनुभव किया गया कि इनमें अनेक कुरादियाँ थीं। समार भर में सामान्य प्रवृत्ति केन्द्रीय बैंक को नोट-निर्गमन का एकाधिकार देने की है, और इसे ही अच्छा समझा जाता है।

बहुल नोट-निर्गमन प्रणाली के दोष—अनेक बैंको द्वारा नोट-निर्गमन करने में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं

- (1) नोटों में एकरूपता नहीं रहती तथा मुद्रा में परिचयता का गुण समाप्त हो जाता है।
- (2) बैंको में परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से सामान्य हितों की अवहेलना हो सकती है।
- (3) प्रत्येक बैंक का कार्य, ढंग तथा नीतियाँ अलग-अलग होनी हैं।
- (4) अलग-अलग बैंकों पर सरकार द्वारा प्रभावपूर्ण निरीक्षण सुविधापूर्वक नहीं हो पाता।
- (5) प्रत्येक नोट-निर्गमन करने वाले बैंक को कुछ धात्विक कोप रखना पड़ता है। अनेक कोप होने पर बहुत अधिक मात्रा में धातुएँ कोपों में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। मकट-काल में इन कोपों को एक साथ प्रयोग कर सकने में भी कठिनाई होती है।

एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली के लाभ—जहाँ अनेक बैंकों द्वारा नोट-निर्गमन में अनेक दोष हैं वहाँ एक ही बैंक का एकाधिकार होने में अनेक अच्छाइयाँ हैं, जैसे—

- (1) पत्र मुद्रा में एकरूपता होती है जिनमें उनके खरे-खोटे की पहचान करने में सुविधा होती है।
 - (2) मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के बीच सन्तुलन बनाये रखने में सुविधा होती है।
 - (3) धातु-काप में मितव्ययता होती है, क्योंकि यह एक ही बैंक में केन्द्रित रहता है तथा सकट के समय सुविधापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है।
 - (4) सरकार की निरीक्षण तथा नियन्त्रण रखने में सुविधा होती है।
 - (5) बैंक की प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण उसमें जनता का विश्वास अधिक होता है।
 - (6) पारस्परिक प्रतियोगिता के अभाव के कारण जन-हित सुरक्षित रहते हैं।
- इस प्रकार अनेक बैंकों की अपेक्षा नोट-निर्गमन पर एक ही बैंक का अधिकार होना अधिक उपयुक्त है और यह अधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को ही दिया जाना चाहिए।

नोट-निर्गमन की पद्धतियाँ

पत्र मुद्रा निर्गमन की मुख्य सात पद्धतियाँ हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

1. निश्चित विश्वासार्थित निर्गमन पद्धति (Fixed Fiduciary System)

इस पद्धति के अन्तर्गत मुद्रा अधिकारी एक निश्चित सीमा तक, बिना किसी प्रकार का धातुकोप रहे, केवल सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर पत्र-मुद्रा निर्गमन का अधिकार रखता है। देश की माँद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह सीमा काफी सोच-विचार कर निर्धारित की जाती है, परन्तु बाद में विधान में संशोधन करके आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। चूँकि यह सीमा विश्वास पर आश्रित होती है और निश्चित होती है, इसीलिए इसे निश्चिन् विश्वासार्थित चलन पद्धति कहते हैं। इस सीमा से अधिक नोट जारी करने के लिए सन-प्रतिगत धात्विक कोप की आड़ रखना आवश्यक होता है।

1844 ई० में इंग्लैण्ड में बैंक अधिनियम, जो पील एक्ट (Peel Act) के नाम से प्रसिद्ध है, के अन्तर्गत इस प्रणाली को अपनाया गया था। समय-समय पर विश्वासार्थित सीमा में परिवर्तन होते रहे। जापान तथा नार्वे में भी इस प्रणाली को अपनाया गया था। भारत में यह प्रणाली 1861 से 1920 तक प्रचलित रही।

इस प्रणाली में गुण यह हैं (1) इस प्रणाली में सुरक्षा का गुण पाया जाता है क्योंकि बिना कोप रहे नोट एवं निश्चित सीमा तक ही जारी किये जा सकते हैं और इसके बाद 100% कोप रखना पड़ता है। (2) पत्र-मुद्रा के अति-निर्गमन (over-issue) का भय नहीं होता। (3) इसमें जनता का विश्वास रहता है।

इस प्रणाली के उल्लेखनीय दोष ये हैं (1) इसमें लोच का अभाव होता है। (2) इसमें मुद्रा का अभाव होता है। कोप कम होने ही मुद्रा की मात्रा भी कम करनी पड़ेगी, भले ही

मुद्रा की मांग अधिक हो। (3) यह प्रणाली अपेक्षणीय है, क्योंकि अनावश्यक रूप में कोष रखने पड़ते हैं। (4) मुद्रा की आवश्यकता स्वर्ण की मात्रा से अधिक होने पर मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तथा व्यापारिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

2. अधिकतम विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति (Maximum Fiduciary System)

इस प्रणाली में कानून द्वारा पत्र-मुद्रा निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इस सीमा तक चलन के पीछे धातु-कोष रखना या न रखना मुद्रा अधिकारी द्वारा ही निश्चित किया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक नोट दत्त-प्रतिदत्त धातु-कोष के आधार पर भी नहीं छाप जा सकते। बैंके विधान द्वारा सीमा में परिवर्तन सम्भव होता है। प्रायः यह सीमा देन की सामान्य मौद्रिक आवश्यकताओं से कुछ अधिक ही रखी जाती है। 1928 तक यह प्रणाली प्राम में प्रचलित थी, और समय-समय पर निर्धारित सीमा में परिवर्तन होते रहे। इंग्लैण्ड में भी मैक-मिलन समिति ने यह प्रणाली अपनायी थी।

इस प्रणाली में मुख्य गुण ये हैं (1) इसमें प्रतिक्रियता होती है, क्योंकि धातु-कोष बकार नहीं रखना पड़ता। (2) इसमें लोच का गुण भी होता है, क्योंकि अधिकतम सीमा आवश्यकता-नुसार बदलती रहती है।

इस प्रणाली के दोष ये बनाये जाते हैं (1) सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। अधिकतम सीमा को इतना बढ़ाया जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाय। (2) यह एक रूढ़िवादी पद्धति है जिसमें लोच की अपेक्षा सुरक्षा पर अधिक वन दिया जाता है। (3) बार-बार अधिकतम सीमा में परिवर्तन न करने पर बटनी हुई व्यापारिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती।

3. अनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve System)

यह पद्धति नोट-निर्गमन के वैश्विक सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अन्तर्गत कानून द्वारा यह निर्दिष्ट कर दिया जाता है कि पत्र-मुद्रा निर्गमन के पीछे कितने प्रतिशत कोष रखा जायेगा। शेष भाग अधिकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। यदि 40% धातु-कोष रखना आवश्यक है, तो 100 रुपये के नोट छापने के लिए 40 रुपये के मूल्य की धातु अथवा सिक्के और 60 रुपये की अधिकृत प्रतिभूतियाँ कोष में रखी जायेंगी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह प्रणाली अनेक देशों द्वारा अपनायी गयी। 1927 में भारत में हिल्टन-यंग कमीशन की सिफारिश पर इस प्रणाली का अपनाया गया था, परन्तु 1957 में इनको त्यागकर न्यूनतम निधि प्रणाली को अपना लिया गया। इन प्रणाली के गुण-कोष निम्नलिखित हैं।

गुण—(1) थोड़े से धातु-कोष के आधार पर बड़ी मात्रा में नोट जागे किये जा सकते हैं, इसलिए इस प्रणाली में सोच तथा प्रतिक्रिया के गुण हैं। (2) परिवर्तनशीलता भी बनाये रखना सम्भव हो सकता है, क्योंकि मुद्रा अधिकारों के पास एक निश्चित अनुपात में धातु-कोष रखा रहता है। (3) मुद्रा-प्रसार पर रोक रहती है।

दोष—(1) धातु अनावश्यक रूप से कोष में रखी रहती है। (2) कोष में बनी हो जाने पर मुद्रा-सङ्कत करना बहुत कठिन होता है। (3) परिवर्तनशीलता व्यावहारिक नहीं होती, क्योंकि कोष कम होने पर चलन की मात्रा को कई गुना अधिक कम करना पड़ता है।

4. आंशिक अनुपात निधि पद्धति (Percentage Reserve System)

यह प्रणाली अनुपातिक निधि प्रणाली का ही एक नवोदित रूप है। इसमें धातु-कोष का कुल पत्र-मुद्रा के साथ अनुपात निर्धारित करने के साथ-साथ उसकी न्यूनतम मात्रा भी निर्धारित कर दी जाती है। निर्धारित अनुपातिक कोष में बहुमूल्य धातुओं के अनिश्चित विदेशी प्रतिभूतियों (foreign securities) को भी सम्मिलित किया जा सकता है। 1956 के पूर्व जब यह प्रणाली भारत में प्रचलित थी तो कुल पत्र-मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में कोष में रखना होता था और शेष 60 प्रतिशत अन्य अधिकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता

था। धातु निधि में कम से कम 40 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण रखना होता था और यह मूल्य निर्धारण 21 रु० 3 आना 10 पाई प्रति तोला के हिमाव से होता था।

केन्द्र ने लिखा था कि "मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिशत अथवा आंशिक अनुपात निधि पद्धति का कोई स्वस्थ आधार न तो तर्क में है और न सामान्य बुद्धि में।" इस पद्धति के प्रमुख गुण तथा दोष निम्नलिखित हैं।

गुण—(1) इसमें आनुपातिक निधि पद्धति के सभी लाभ उपलब्ध होते हैं। (2) इस धातु की वचत होती है क्योंकि विदेशी प्रतिभूतियाँ भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। —

दोष—(1) इसमें आनुपातिक निधि पद्धति के सभी दोष होते हैं। (2) विदेशों में कोपा का रखना तथा बिनियाग करना असुरक्षित होता है।

5 साधारण जमा पद्धति (Simple Deposit System)

इस पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण पत्र-मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोप रखना पड़ता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा ही होती है। प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के सभी गुण तथा दोष इसमें पाए जाते हैं।

गुण—(1) यह बहुत सरल प्रणाली है तथा इसमें जनता का बहुत अधिक विश्वास रहता है। (2) मुद्रा-प्रसार का भय नहीं रहता। (3) पत्र मुद्रा परिवर्तनशील होती है।

दोष—(1) लोच का नितान्त अभाव रहता है। (2) धातुएँ कोप में बेकार पड़े रहने के कारण अपव्ययता होती है। (3) वर्तमान परिस्थितियों में अव्यावहारिक है।

6 कोपागार विपन्न जमा पद्धति (The Bonds Deposit System)

इस पद्धति में पत्र मुद्रा के पीछे धातु कोप नहीं रखा जाता, बल्कि नोटों का निर्गमन कोपागार विपन्ना (treasury bills) तथा सरकारी बॉण्ड्स के आधार पर किया जाता है। यह विपन्न अथवा बॉण्ड्स सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्र (I O U's) होते हैं जिनका उद्देश्य पत्र मुद्रा की सुव्यवस्था करना होता है तथा सरकार इन्हीं के द्वारा मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखती है। 1902 में कुछ अंगों में इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया था, किन्तु 1905 में इसका परित्याग कर देना पड़ा। अमेरिका ने भी इसे 1913 के पूर्व कुछ समय के लिए अपनाया था।

गुण—(1) मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता। (2) कोप में धातुएँ व्यर्थ नहीं रखी रहतीं।
दोष—(1) इसमें विश्वास का अभाव रहता है। (2) इसमें लोच का भी अभाव होता है, क्योंकि मुद्रा अधिकारी अपनी पूँजी व कोप की मात्रा से अधिक मूल्य के परिपत्र सरकार से प्राप्त नहीं कर पाता।

7 न्यूनतम निधि प्रणाली (Minimum Reserve System)

इस पद्धति में धातु कोप की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है। यह न्यूनतम निधि रखकर मुद्रा अधिकारी कितनी भी मात्रा में नोट जारी कर सकता है। भारत में आजकल यही पद्धति प्रचलित है। 1957 के अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को पत्र मुद्रा की आड़ में केवल 200 करोड़ रुपये की न्यूनतम निधि रखनी पड़ती है, जिसमें से 115 करोड़ रुपये का सोना होना आवश्यक है। शेष 85 करोड़ रुपये विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं।

गुण—(1) इसमें लोच बहुत अधिक है, तथा (2) सोने की वचत होती है।
दोष—(1) मुद्रा-प्रसार का भय होता है (2) जनता का अधिक विश्वास नहीं होता, तथा (3) बहुत अधिक प्रवर्धित एवं जटिल होती है।

निष्कर्ष—पत्र मुद्रा निर्गमन की अनेक पद्धतियों के गुण तथा दोष देखने के बाद यह प्रश्न उठता है कि कौनसी पद्धति श्रेष्ठतम है। एक श्रेष्ठ पत्र-मुद्रा निर्गमन पद्धति में लोच, मितव्ययता, सरलता, जन-विश्वास, अनावश्यक प्रसार के प्रति सुरक्षा आदि गुणों का होना आवश्यक है। यह सब गुण प्राप्त करने के लिए पत्र मुद्रा की आड़ में धात्विक कोपों की आवश्यकता नहीं होती। जनता का विश्वास मुद्रा की परिवर्तनशीलता के कारण नहीं बरन् सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की स्वस्थ और कुशल नीतियों के कारण होता है। नाउधर के विचार में, "सबसे विवेकपूर्ण पद्धति तो

किसी भी सीमा को निर्धारित न कर मुद्रा अधिकारियां जो समझदारी पर विश्वास करना ही है।" यदि मुद्रा अधिकारी पर नियंत्रण रखना आवश्यक ही हो तो निर्गमन के पीछे न्यूनतम धातु-निधि की मात्रा तथा पत्र मुद्रा निर्गमन की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। इन प्रतिबन्धों के आधार पर अपनायी गयी प्रपाली न्यूनतम कोष प्रपाली तथा अधिकतम विश्वासायित प्रपाली का समन्वित रूप होगी।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. प्रबन्धन चलनमान से क्या अभिप्राय है ? इसके गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।
[संकेत प्रथम भाग में प्रबन्धन चलनमान (अथवा पत्र-मुद्रामान) की परिभाषा कीजिए और विशेषार्थ समझाइए। चन्दे भाग में इनके गुण तथा दोषों का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए।]
2. मोट निगमन के चरमो तथा वैविध सिद्धान्तों में अन्तर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में अधिक उपयुक्त कौनसा सिद्धान्त है ?
[संकेत दोनों सिद्धान्तों का व्याख्या करते हुए उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए तथा दोनों के गुण-दोषों का विवरण का आधार पर यह बताइए कि चलमान युक्त वैविध सिद्धान्त ही अधिक व्यापक है।]
3. सरकार द्वारा मोट निगमन तथा बका द्वारा मोट-निगमन के सार्वजनिक लाभों को बताइए।
[संकेत पत्र सरकार द्वारा मोट छापन के पत्र में एक बँक द्वारा मोट छापन के पत्र में। अन्त में यह स्पष्ट रूप से बताइए कि मोट निगमन का बाह्य कारोबार के लिये सार्वजनिक लाभ तथा आर्थिक विनाशकारी प्रभावों का एक सन्निवृत्त रूप सार्वजनिक लाभ है।]
4. पत्र-मुद्रा निगमन की विभिन्न पद्धतियों के गुण दोषों का विवरण कीजिए। आपसो सम्बन्ध में कौनसी पद्धति सबसे अच्छी है ?
[संकेत साधारण पद्धति तथा पत्र-मुद्रा पद्धति और दो प्रकार के पत्र-मुद्रा पद्धति में अन्तर स्पष्ट रूप से बताइए। इन प्रकार पर चलन कोष प्रपाली तथा आर्थिक विनाशकारी प्रभावों का एक सन्निवृत्त रूप सार्वजनिक लाभ है।]
5. एक अच्छी मुद्रा प्रणाली की विशेषताएँ बताइए। भारतीय पत्र-मुद्रा प्रणाली में ये विशेषताएँ क्या पायी जाती हैं ?
[संकेत कौनसी मुद्रा प्रणाली के अर्थसाधक में वस्तु-व्यय गुण का विशेषता कीजिए। यह बताइए कि इनमें से कौन-कौनसी गुण भारतीय प्रणाली में हैं और कौन-कौनसे नहीं हैं।]
6. मोट निगमन की विभिन्न पद्धतियाँ बताइए। हमारे देश में कौनसी पद्धति अपनायी गयी है ?
[संकेत साधारण पद्धति का विशेषता का उल्लेख कीजिए और भारत का चलन पद्धति—न्यूनतम निधि प्रणाली—का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए।]
7. निम्नलिखित लिखिए कृष्णजी पत्र-मुद्रा निगमन प्रणाली विश्वासायित पत्र-मुद्रा निगमन पत्र-मुद्रा निगमन का चरमो सिद्धान्त।
[संकेत प्रथम भाग में विश्वासायित तथा मुद्रा-व्यय की विवेचना कीजिए।]

मुद्रा-मूल्य के सिद्धान्त

[THEORIES OF VALUE OF MONEY]

“मुद्रा भी अन्य आर्थिक वस्तुओं में से एक है। यत उनका मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भाँति उसकी माँग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाता है।”¹

— रॉबर्टसन

मुद्रा का मूल्य

‘मुद्रा का मूल्य’ एक ऐसा विचार (concept) है जिसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय व्याज-दर से होता है। उनके विचार में वस्तु-बाजार की भाँति मुद्रा का भी बाजार होता है जिसमें मुद्रा का क्रय-विक्रय होता है। किसी व्यक्ति को लौटाने की प्रतिज्ञा पर मुद्रा देना मुद्रा का विक्रय होता है और इसके बदले में जो व्याज ली जाये वही मुद्रा का मूल्य होगा। मुद्रा-बाजार के सम्बन्ध में व्याज को ही मुद्रा का मूल्य समझा जा सकता है, परन्तु वास्तव में मुद्रा के मूल्य में आसय व्याज-दर नहीं है। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के विचार में मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय विदेशी विनिमय-दर से होता है। स्वदेशी मुद्रा का बाह्य मूल्य (external value) अर्थात् इसके बदले में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा को विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में मुद्रा का मूल्य कहा जा सकता है, परन्तु सही अर्थ यह भी नहीं है।

मुद्रा के मूल्य का सही अर्थ मुद्रा की क्रय-शक्ति (purchasing power) है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा से है जो किसी निश्चित समय पर मुद्रा की एक और इकाई के बदले में प्राप्त की जा सकती है।² अब प्रश्न यह उठता है कि मुद्रा विनिमय-माध्यम होने के नाते अपने बदले में अनेक प्रकार की वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त कर सकती हैं, तो क्या हमें मुद्रा का मूल्य इन अलग-अलग वस्तुओं के रूप में व्यक्त करना होगा अथवा इन सब में से किसी एक वस्तु के रूप में? इन दोनों में से कोई सा भी तरीका अपनाना न तो व्यावहारिक है और न उचित है। मुद्रा सामूहिक मूल्य-मापक का कार्य करती है, इसलिए मुद्रा का मूल्य नापने का आधार वस्तुओं तथा सेवाओं की सामूहिक मात्रा होती है। केन्ज ने लिखा है कि “मुद्रा की क्रय-शक्ति किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर आधारित होती है जो मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। इससे यह अर्थ निकलता है कि मुद्रा का मूल्य एक ऐसी सम्पूर्ण वस्तु (composite commodity) के मूल्य द्वारा नापा जा सकता है जो उन विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की अनुपाती मात्राओं की संग्रह है जिनको आम खर्च करके प्राप्त किया जाता है।”³

the more we can keep on the right lines if we start by remembering that money is only of many economic things. Its value, therefore, is primarily determined by exactly the two factors as determine the value of any other thing, namely, the conditions of demand for it and quantity of it available.—D. H. Robertson, *Money*, p. 28

. Robertson *Money*, p. 17.

Keynes : *A Treatise on Money*, Vol. I.

मुद्रा-मूल्य तथा सामान्य कीमत-स्तर

यह तो स्पष्ट ही है कि मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत-स्तर (general price level) से सम्बन्धित होता है। परन्तु यह समझना आवश्यक है कि इन दोनों में विपरीत सम्बन्ध होता है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री इरविंग फिशर के शब्दों में, "मुद्रा की व्रय शक्ति कीमत-स्तर के विपरीत होती है, इसलिए मुद्रा की क्रय-शक्ति का अध्ययन कीमत-स्तर का अध्ययन है।"¹ वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का अर्थ यह होता है कि मुद्रा की एक इकाई (जैसे, एक रुपया) के बदले में अब कम मात्रा में वस्तुएँ मिलती हैं। यह इस बात का सूचक है कि मुद्रा का मूल्य घट गया है। इसी प्रकार कीमत-स्तर घटने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ता है।

सामान्य कीमत-स्तर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत है। इसके घटने-बढ़ने का अर्थ यह नहीं होता कि सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें समान रूप से घट-बढ़ रही हैं। अलग-अलग वस्तुएँ लेने पर यह सम्भव है कि कुछ की कीमतें बढ़ी हों और कुछ की कम हुई हों। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों, जैसे हायेक (Hayek), ने सामान्य कीमत के विचार की आलोचना की है। परन्तु, चूंकि सामान्य कीमत-स्तर सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतों का औसत होता है, इसलिए यह भले ही शत प्रतिशत ठीक न हो, परन्तु फिर भी काफी बराबर तक ठीक होता है।

मुद्रा-मूल्य की धारणा को निश्चित रूप देने के लिए क्राउपर ने मुद्रा के तीन प्रामाणिक मूल्य बताये हैं—थोक मूल्य (Wholesale Value), फुटकर मूल्य (Retail Value), तथा श्रम-मूल्य (Labour Value)। व्यावहारिक रूप में ये तीनों प्रमाण कई वृत्तियों तथा कठिनाइयों से युक्त हैं, परन्तु साधारणतः थोक मूल्य का आधार अधिक उपयुक्त समझा जाता है।

मुद्रा की माँग तथा पूर्ति

बाजार में वस्तुओं का मूल्य उनकी माँग तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। वस्तु की माँग तथा मूल्य का सीधा सम्बन्ध होता है, अर्थात् माँग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है तथा माँग कम होने पर मूल्य घटता है। परन्तु वस्तु की पूर्ति तथा मूल्य का सम्बन्ध विपरीत होता है, अर्थात् पूर्ति बढ़ने पर मूल्य घटता है और पूर्ति घटने पर मूल्य बढ़ता है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण सामान्यतः माँग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा होता है और जिस बिन्दु पर इन दोनों में सन्तुलन स्थापित हो जाय, वही पर वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाता है। यदि मुद्रा की भी अन्य वस्तुओं के समान एक वस्तु माना जाय तो इसके मूल्य निर्धारण के लिए 'मुद्रा की माँग' तथा 'मुद्रा की पूर्ति' के अर्थों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

मुद्रा की माँग—किसी भी वस्तु की माँग उसकी उपयोगिता के कारण की जाती है। परन्तु मुद्रा की उपयोगिता का स्वरूप अन्य वस्तुओं से भिन्न होता है। मुद्रा की उपयोगिता प्रत्यक्ष नहीं होती, बल्कि विनिमय-माध्यम के रूप में अन्य वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त करने में होती है। इस प्रकार, मुद्रा की माँग किसी देश में विनिमय के लिए उपलब्ध होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बाजार में उपलब्ध वस्तुएँ तथा सेवाएँ जो मुद्रा के बदले में प्राप्त की जा सकें, मुद्रा की माँग ही तो है। इन वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा का घटना-बढ़ना मुद्रा की माँग का भी घटना-बढ़ना है।

किसी भी समय में विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा अनेक बातों से प्रभावित होती है, जैसे—उत्पादन के साधनों की जल्दता अथवा मजदूरता, उत्पादन के साधनों की कुशलता अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, उत्पादन का पैमाना और व्यापारिक संगठन, उत्पादन के साधनों का रोजगार स्तर, उत्पादन और उपभोग में अन्तर तथा वस्तुओं के हस्तान्तरण की गति, इत्यादि। इन बातों के अतिरिक्त, जनसंख्या का आकार, देना का क्षेत्रफल और प्राकृतिक साधन तथा मुद्रा की पूर्ति आदि का भी मुद्रा की माँग पर प्रभाव पड़ता है। एक विकसित अथवा विकासशील देश में एक पिछड़े हुए देश की अपेक्षा मुद्रा की माँग अधिक होना स्वाभाविक है।

¹ "The purchasing power of money is the reciprocal of the level of prices, so that study of the purchasing power of money is identical with the study of price level."—Irving Fisher: *The Purchasing Power of Money*, p. 14.

मुद्रा को नकद या तरल (liquid) रूप में रखने की माँग, केन्ज के अनुसार, तीन उद्देश्यों की जाती है (1) लेन-देन सम्बन्धी उद्देश्य (the transactions motive), (2) दूरदर्शिता या मर्तकता-उद्देश्य (the precautionary motive), तथा (3) सट्टा-उद्देश्य (the speculative motive)। स्पष्ट है कि लेन-देन अथवा व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और धन्य उद्देश्यों की पूर्ति में वह मूल्य-संचय का कार्य करती है। इस प्रकार, मुद्रा की माँग के निर्धारण में व्यावसायिक उद्देश्य तथा सम्पत्ति-मूलक उद्देश्य दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं।

मुद्रा की पूर्ति—वे समस्त साधन जिनका प्रयोग विनिमय-माध्यम के रूप में किया जाता है, मुद्रा की पूर्ति है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में विधियाँ मुद्रा (धातुमान तथा पत्र-मुद्रा) एवं ऐच्छिक मुद्रा (साख मुद्रा) सभी सम्मिलित होते हैं। मौद्रिक साधनों की पूर्ति की मात्रा अनेक तत्वों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे—सरकार द्वारा मुद्रा की पूर्ति, राष्ट्र की स्वर्ण सम्पत्ति, बैंकों का सुरक्षित कोष, साख-मुद्रा का विस्तार, आर्थिक विकास का स्तर, विनिमय के लिए वस्तुओं की मात्रा, सामाजिक रिवाज तथा व्यक्तिगत स्वभाव, इत्यादि।

मुद्रा की उपलब्ध मात्रा अथवा पूर्ति किसी निश्चित समय (point of time) से सम्बन्ध रखती है। यदि हमें मुद्रा की पूर्ति किसी निश्चित अवधि (period of time), जैसे एक वर्ष, में देखनी हो, तो उसके लिए मुद्रा की चलन-गति (velocity of circulation) पर विचार करना होगा।

एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितने बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे मुद्रा की चलन-गति कहते हैं। मुद्रा की मात्रा को चलन गति से गुणा करने पर मुद्रा की सप्रभाविता पूर्ति (effective supply) मालूम की जा सकती है। यदि एक रुपये का नोट एक के बाद दूसरे 10 हाथों में जाता है और हर बार विनिमय-माध्यम का कार्य करता है, तो इसकी चलन-गति 10 हुई। चूँकि इस एक रुपये ने 10 रुपये का कार्य किया, इसलिए मुद्रा की सप्रभाविता पूर्ति $1 \times 10 = 10$ रुपये हुई।

मुद्रा की चलन-गति को प्रभावित करने वाली दशाएँ

- 1 मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम होने पर उसकी चलन-गति अधिक होती है, क्योंकि उसका बार-बार प्रयोग होता है। अधिक मात्रा में मुद्रा उपलब्ध होने पर चलन गति कम हो जाती है।
- 2 उपभोग की प्रवृत्ति (propensity to consume) अधिक होने पर चलन-गति अधिक होगी, परन्तु यदि बचत की प्रवृत्ति (propensity to save) प्रबल है, तो चलन-गति कम होगी।
- 3 नकद क्रय-विक्रय की प्रवृत्ति होने पर मुद्रा की चलन-गति अधिक होती है और उधार क्रय-विक्रय की प्रवृत्ति होने पर चलन-गति कम होती है।
- 4 उधार सौदों के भुगतान की औसत अवधि अधिक होने पर चलन-गति कम होगी और यदि थोड़े समय बाद भुगतान किया जाये तो चलन-गति अधिक होगी।
- 5 जनता की तरलता-पसंदगी (liquidity preference) अर्थात् अपने पास नकद धन रखने की प्रवृत्ति अधिक होने पर चलन गति कम हो जाती है और तरलता पसंदगी कम होने पर चलन-गति अधिक होती है।
- 6 उधार सम्बन्धी सुविधाएँ उधार क्रय-विक्रय को प्रोत्साहन देती हैं जिससे चलन गति कम हो जाती है। उधार सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में नकद भुगतान करने पड़ते हैं और चलन-गति बढ़ जाती है।
- 7 मजदूरी के भुगतान का ढग भी चलन-गति को प्रभावित करता है। मजदूरी-भुगतान की अवधि लम्बी होने पर मजदूर को नकद धन बचाकर रखना पड़ता है, इसलिए चलन-गति कम हो जाती है। मजदूरी का भुगतान दैनिक अथवा साप्ताहिक होने पर चलन-गति अपेक्षाकृत अधिक होगी।

8. पातापात और संदेशवाहन के साधन उद्यत द्रवा में होने पर विनिमय का क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसके परिणामस्वरूप चलन-गति बढ जाती है। एक गांव की तुलना में एक बडे शहर में चलन-गति अधिक होती है।
9. कीमत सम्बन्धी भावी अनुमान वृद्धि के होने पर वस्तुओं की मांग बढ जाती है जिसका स्वाभाविक परिणाम चलन-गति में वृद्धि होना होता है। भविष्य में कीमतें गिरने की आशंका होने पर लोग अपनी मांग को भविष्य के लिए टाल देते हैं और चलन-गति कम हो जाती है।
10. आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होने पर विनिमय बढता है तथा चलन-गति में वृद्धि होती है। पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था में चलन-गति अपेक्षाकृत कम होगी।
11. राजनीतिक शान्ति होने पर उधार की प्रथा बढती है और चलन-गति कम हो जाती है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अविश्वास बढता है और नकद भुगतान की प्रवृत्ति के कारण चलन-गति बढती है।
12. साख-मुद्रा की गतिशीलता अधिक होने पर साख-मुद्रा की चलन-गति में भी वृद्धि होती है। देश की आर्थिक सम्पन्नता, आर्थिक विकास में प्रगति तथा बैंकिंग प्रणाली का विकास साख-मुद्रा की चलन-गति बढाते हैं।

मांग-पूर्ति के सन्तुलन द्वारा मुद्रा-मूल्य का निर्धारण

इस प्रकार, एक ओर तो मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ और दूसरी ओर मुद्रा की मात्रा तथा चलन-गति अर्थात् पूर्ति को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ निरन्तर कार्यशील रहती हैं। मुद्रा का मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है जहाँ मांग तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित हो जाय। सन्तुलन बदल जाने पर मूल्य भी बदल जायगा।

मूल्य-निर्धारण का मांग-पूर्ति सिद्धान्त मुद्रा के लिए तभी लागू हो सकता है जब मुद्रा को भी विनिमय की अन्य वस्तुओं के समान समझा जाय। परन्तु, वास्तव में साधारण वस्तुओं में तथा मुद्रा में बहुत अन्तर है।

1. मुद्रा की स्वतः कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती, जबकि अन्य वस्तुएँ प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होती हैं।
2. मुद्रा की चलन में गति होती है। प्रत्येक हस्तान्तरण में यह अपने बदले में वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त करती है जबकि अन्य वस्तुएँ एक ही बार प्रयोग में आती हैं।
3. मुद्रा की मांग अल्पकाल में प्रायः स्थिर रहती है, जबकि वस्तुओं की मांग अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में ही घटती-बढती रहती है।
4. मुद्रा की मात्रा आदि सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है, जबकि वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक तथा अन्य साधनों के उपयोग पर निर्भर करता है।
5. मुद्रा अन्य वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण का माध्यम होती है, अन्य वस्तुओं के ममान नहीं। वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करती है।

मुद्रा तथा अन्य वस्तुओं में उपर्युक्त मौलिक अन्तर होने पर अन्य वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण का सिद्धान्त मुद्रा पर लागू नहीं किया जा सकता। मुद्रा-मूल्य के निर्धारण के लिए किसी अन्य सिद्धान्त को देयता होगा।

मुद्रा-मूल्य का निर्धारण

मुद्रा के मूल्य-निर्धारण में सम्बन्धित महत्वपूर्ण सिद्धान्त ये हैं—(1) मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त, (2) मुद्रा का राजकीय सिद्धान्त, (3) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त, (4) परिमाण सिद्धान्त का केम्ब्रिज समीकरण, तथा (5) मुद्रा का आय सिद्धान्त।

1. मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (Commodity Theory of Money)

मुद्रा के वस्तु सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा अन्य वस्तुओं के समान एक वस्तु है तथा इसका मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भाँति इसकी मांग तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। परन्तु

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुद्रा की माँग तथा पूर्ति से अभिप्राय उस वस्तु से है जिससे मुद्रा बनी है। यदि मुद्रा सोने से बनी है तो मुद्रा का मूल्य सोने की माँग तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित होगा।

मुद्रा-मूल्य का यह सिद्धान्त मुद्रा के प्राचीन रूप वस्तु-मुद्रा (commodity money) पर आधारित है। इस सिद्धान्त के समोपिधत रूप में यह स्वीकार किया गया है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा-वस्तु की मौद्रिक माँग तथा पूर्ति से सम्बन्धित है, जबकि प्राचीन रूप में कुल माँग तथा पूर्ति में इमग्न सम्बन्ध समझा जाता था। इस सिद्धान्त के समर्थकों में रॉबर्टसन तथा जे० एल० लाफलिन (J L Laughlin) के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी अर्थशास्त्री वारेन तथा पियर्सन (Warren and Pearson) ने यह कहा था कि चूँकि डालर के पीछे यथेष्ट मात्रा में स्वर्ण-कोप है, इसलिए डालर का मूल्य स्वर्ण द्वारा निर्धारित होता है। 1930 की मन्दी के काल में भी यह सोचकर कि स्वर्ण का मूल्य बढ़ने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, अमेरिका में स्वर्ण का मूल्य बढ़ा दिया गया था। मुद्रा-कोपा की शक्ति में वृद्धि करने के लिए गत वर्षों में ऑक्मफोर्ड विद्वद्विद्यालय के प्रो० हरोड (Harrod) द्वारा स्वर्ण-मूल्य में वृद्धि की माँग करना इस बात का प्रमाण है कि इस सिद्धान्त का प्रभाव पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाया है।

वास्तव में, वस्तु सिद्धान्त का महत्व तभी तक था जब तक घाटिक मुद्राएँ चलन में थीं। आजकल के युग में जबकि सभी देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा चलन में है, इस सिद्धान्त का कोई महत्व नहीं रहा। यह ठीक है कि पत्र-मुद्रा निर्गमन के पीछे स्वर्ण-निधि रखी रहती है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव यह सिद्ध करता है कि स्वर्ण का मूल्य लगभग स्थिर रहने पर भी सप्ताह के सभी देशों में मुद्रा के मूल्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार वर्तमान युग में इस सिद्धान्त का मुद्रा के मूल्य की व्याख्या करने में कोई महत्व नहीं रहा।

2 मुद्रा का राजकीय सिद्धान्त (State Theory of Money)

इस सिद्धान्त के प्रवर्तक फ्रेड्रिक नैप (Fredric Knapp) के अनुसार "मुद्रा की आत्मा इसकी इकाइयों में प्रयुक्त सामग्री में निहित नहीं है, अपितु उन कानूनी अध्यादेशों में है जो इसके प्रयोग को नियमित करते हैं।"¹ दूसरे शब्दों में, चूँकि मुद्रा का निर्गमन तथा नियन्त्रण सरकार करती है, इसलिए इसका मूल्य भी शासन द्वारा निर्धारित होता है। सरकार मुद्रा के मूल्य को अनेक प्रकार में प्रभावित करती है (i) वैधानिक स्वीकृति देने से मुद्रा का मूल्य उत्पन्न होता है, (ii) मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन द्वारा भी इसका मूल्य प्रभावित होता है, (iii) वस्तुओं का मूल्य-नियन्त्रण (price control) करके भी सरकार मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करती है। मुद्रा के इन राजकीय सिद्धान्त में भी अनेक त्रुटियाँ हैं

(1) यह कहना कि केवल वैधानिक स्वीकृति के आधार पर ही किसी वस्तु को मुद्रा का रूप मिल जाता है, पूर्णतया सत्य नहीं है। वैधानिक मान्यता होने पर भी जनता का विश्वास होना बहुत आवश्यक है। प्रथम मुद्रोत्तर-काल में जर्मनी में मार्क को वैधानिक मान्यता प्राप्त थी, परन्तु जनता ने उसका प्रयोग बन्द कर दिया था। यदि सरकार वर्तमान भुगतान केवल अधिकृत मुद्रा में ही करने के लिए जनता को विवश कर दे, तो भी जनता की स्वीकृति न होने पर यह भविष्य के सौदों तथा वचत की क्रियाओं के लिए प्रयोग नहीं की जायेगी।

(2) यह ठीक है कि मुद्रा की मात्रा का उसके मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु सरकार मात्रा में परिवर्तन करने के लिए केवल माध्यम मात्र होती है, मूल्य का निर्धारण तो मुद्रा की मात्रा द्वारा हुआ है।

(3) सरकार द्वारा वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण का प्रभाव सीमित होता है। एक तो केवल कुछ ही वस्तुओं की कीमत नियन्त्रित की जाती है और वह भी प्रायः प्रचलित कीमतों के आधार पर, दूसरे, नियन्त्रण के बाद भी चौर-बाजार में इन वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता रहता है।

1 "The soul of currency is not in the material of the pieces, but in the legal ordinances which regulate their use"—George F. Knapp *The State Theory of Money*, abridged translation by Bonar, p. 2.

वत सरकार मुद्रा के मूल्य को प्रभावित कर सकती है परन्तु उसका वास्तविक निर्धारण अन्य बातों पर निर्भर करता है। मुद्रा के मूल्य में सरकार की इच्छानुसार परिवर्तन नहीं हो पाते, और न ही उसके निर्धारण में सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है।

3) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) *most*

मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मुद्रा के परिमाण अथवा मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर होता है। इस विचार का उल्लेख 16वीं शताब्दी के कुछ लेखों में सर्वप्रथम मिलता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस विचार का जन्मदाता कौन था। कुछ अर्थशास्त्री डेविलियन विचारक दवन जैन्ती (Davan Zatti) को इसका जन्मदाता होने का श्रेय देते हैं। एक सिद्धान्त के रूप में इसकी क्रमबद्ध व्याख्या सन् 1691 में अंग्रेज तत्वज्ञानी जॉन लॉक (John Locke) ने की थी। 1752 में डेविड ह्यूम (David Hume) ने इसमें सुधार करके सविस्तार व्याख्या की। इन प्राचीन बर्णनों में मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य में पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या की गयी थी, परन्तु यह नहीं बताया गया था कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किस अनुपात में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा। हमारे शब्दों में, मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य के पारस्परिक सम्बन्ध को आनुपातिक सम्बन्ध नहीं समझा गया था।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने मुद्रा के परिमाण-सिद्धान्त को स्पष्ट रूप प्रदान किया। उन्होंने यह बताया कि मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य के बीच विपरीत समानुपातिक सम्बन्ध है। अन्य बातें समान रहने पर, मुद्रा की मात्रा दुगुनी होने में इसका मूल्य आधा रह जायेगा अथवा मात्रा आधी होने पर मूल्य दुगुना हो जायेगा।

जॉन स्टुअर्ट मिल (J S Mill) के अनुसार, "यदि अन्य बातें ग्यारिखर रहे, तो मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं, परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है और परिमाण की प्रत्येक कमी उसे उसी अनुपात में बढ़ाती है।"¹

विकसल (Wicksell) के अनुसार, "मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति में इसकी मात्रा के विपरीत अनुपात में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि या कमी, यदि अन्य बातें समान रहे, वस्तुओं और सेवाओं में उसकी क्रय-शक्ति में आनुपातिक कमी या वृद्धि उत्पन्न करेगी, और इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों में वैसी ही वृद्धि अथवा कमी होगी।"²

टॉसिग (Taussig) के अनुसार, "यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाये, तो अन्य बातों के समान रहते हुए, कीमतें भी पहले की तुलना में दुगुनी हो जायेंगी और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा हो जायेगा। इसके विपरीत, यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाय, तो अन्य बातें समान रहते हुए, कीमतें भी पहले की तुलना में आधी हो जायेंगी और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में दुगुना हो जायेगा।"³

उक्त परिभाषाओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मुद्रा के परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक सम्बन्ध (inverse proportional relationship) होता है तथा मुद्रा के परिमाण और कीमत-स्तर में सीधा आनुपातिक सम्बन्ध (direct proportional relationship) होता है। उदाहरणार्थ, मुद्रा के परिमाण में 10% वृद्धि होने पर कीमत-स्तर (price level) में भी 10% वृद्धि होगी, और मुद्रा का मूल्य 10% घट जायगा। परन्तु ऐसा तभी होगा

1 "The value of money, other things being the same, varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in a ratio exactly equivalent — J S Mill *Principles of Political Economy*, Vol II, p 15

2 "The value or purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of money, other things being equal, will cause a proportionate decrease or increase in its purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all commodity prices" — Wicksell *Lectures on Political Economy*, Vol II, p 141

3 "Double the quantity of money and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money half. Half the quantity of money and other things being equal, prices will be one-half of what they were before and the value of money double — Taussig *Principles of Economics*, p 250

जबकि "अन्य बातें समान रहे"। इस प्रकार, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तभी कार्यशील होता है जब निम्नलिखित बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता

- 1 व्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा की माँग में कोई परिवर्तन न हो।
- 2 वस्तु-वित्निमय के द्वारा सम्पन्न होने वाले सौदों में कोई परिवर्तन न हो।
- 3 साख मुद्रा तथा विधिग्राह्य मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो।
- 4 मुद्रा की चलन-गति में कोई परिवर्तन न हो।

उपर्युक्त मान्यताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मान्यताएँ अवास्तविक तथा अव्यावहारिक हैं। इसी कारण मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की बहुत अभिमानोचना की जाती है तथा इसे अवास्तविक समझा जाता है।

सिद्धान्त का समीकरण

मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तन को समीकरण (equation) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समय-समय पर समीकरण के रूप में भी परिवर्तन होता रहा है, परन्तु इविंग फिशर (Irving Fisher) द्वारा दिया गया समीकरण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फिशर के पूर्व समीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता था

सर्वप्रथम दिया गया समीकरण $P = \frac{M}{T}$ था, जिनमें P से अभिप्राय सामान्य कीमत-स्तर (general price level), M से देन में प्रचलित मुद्रा की मात्रा तथा T से देन में व्यापार की वस्तुओं तथा सेवाओं से था। परन्तु बाद में इस समीकरण को अधूरा समझा गया क्योंकि इसमें चलन-गति को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि मुद्रा की पूर्ति केवल प्रचलित मुद्रा की मात्रा ही नहीं, अपितु उसकी चलन-गति पर भी आश्रित होती है।

बाद में, चलन-गति को सम्मिलित कर लेने पर समीकरण का रूप $P = \frac{MV}{T}$ अथवा $PT = MV$ हो गया। यहाँ V से अभिप्राय मुद्रा की चलन-गति (velocity of circulation) से है। PT , अर्थात् एक विशेष कीमत-स्तर पर उपलब्ध व्यापार की वस्तुएँ तथा सेवाएँ, मुद्रा की माँग होगी। MV , अर्थात् प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा तथा उसकी चलन-गति, मुद्रा की पूर्ति को सूचित करती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, T तथा V को स्थिर माना जाना है। इस प्रकार, M की मात्रा बढ़ जाने पर P भी समानुपातिक रूप में बढ़ जाता है, तथा M घट जाने पर P में समानुपातिक कमी होती है।

फिशर का समीकरण—उपर्युक्त समीकरण की एक मुख्य अपूर्णता यह थी कि इसमें साख-मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान युग में साख-मुद्रा का वित्निमय माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए इविंग फिशर ने परिमाण समीकरण को निम्न तरीके से प्रस्तुत किया

$$MV + M'V' = PT$$

$$\text{Or } \frac{MV + M'V'}{T} = P$$


इसी समीकरण में M' प्रचलन में साख-मुद्रा की मात्रा तथा V' साख-मुद्रा की चलन-गति है। इस प्रकार, कुल प्रचलित मुद्रा \times औसत गति $+$ कुल प्रचलित साख-मुद्रा \times साख-मुद्रा की औसत चलन-गति—कुल व्यापारिक वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा $=$ कीमत-स्तर।

उपर्युक्त समीकरण में $MV + M'V'$ मुद्रा की पूर्ति तथा PT मुद्रा की माँग के सूचक हैं। P अर्थात् कीमत-स्तर एक निष्क्रिय घटक (passive factor) है जो अन्य घटकों के द्वारा

निर्धारित होता है, स्वयं उनको निर्धारित नहीं करता। चूंकि P मुद्रा की कुल पूर्ति ($M + M'V'$) के बराबर है, इसलिए इनका पारस्परिक सीधा आनुपातिक सम्बन्ध है। फिर ने यह समीकरण प्रतिपादित करते समय यह मान लिया है कि V' तथा T स्थिर रहते हैं और M तथा M' के बीच एक निश्चित अपरिवर्तनशील अनुपात रहता है। स्वयं फिर के ही शब्दों में, "अल्पकाल में व्यवसाय अथवा मुद्रा द्वारा किया गया कार्य यथास्थिर रहता है, क्योंकि इस काल में जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होते हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पादित वस्तुओं का जो प्रतिशत उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है, वह भी यथास्थिर रहता है। वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तुओं की चलन-गति भी नहीं बदलती। इस काल में उत्पादन सम्बन्धी रीतियाँ तथा लोगों की उपयोग सम्बन्धी आदतें भी लगभग निश्चिन रहती हैं। अस्तु, मुद्रा की माँग स्थिर होती है।"

उपर्युक्त भावनाओं के आधारे पर यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि V' तथा T स्थिर रहय तथा M और M' में एक निश्चित अपरिवर्तनशील अनुपात रहेगा, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि P (सामान्य कीमत-स्तर) में होने वाले सभी परिवर्तन केवल M के परिवर्तनों के कारण ही होते हैं। P तथा M में सीधा समानुपातिक सम्बन्ध होता है जो रेखाचित्र (2) द्वारा समझा जा सकता है।

प्रचलित मुद्रा की मात्रा (M) OX रेखा पर तथा कीमत-स्तर (P) OY रेखा पर दिखाये गये हैं। मुद्रा की मात्रा OM_1 होने पर कीमत-स्तर OP_1 है। मुद्रा की मात्रा में यदि वृद्धि होकर OM_2 के बराबर हो जाती है तो कीमत-स्तर भी उतना ही बढ़कर OP_2 के बराबर हो जाता है। मुद्रा की मात्रा कम होने पर कीमत-स्तर भी कम होता है, क्योंकि OM मुद्रा की मात्रा होने पर कीमत-स्तर OP है। A , B तथा C बिन्दुओं को मिला देने पर हमें OL वक्र-रेखा प्राप्त होती है जो मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में परिवर्तनों के पारस्परिक आनुपातिक सम्बन्ध को दिखाती है।



चित्र 2

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचना

फिर द्वारा परिमाण सिद्धान्त में मुद्रा तथा संशोधन किन्तु जान पर भी मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की कटु आलोचनाएँ की जाती हैं, जो मुख्यतः निम्न हैं।

(1) मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तभी लागू होता है जब "अन्य बातें समान रहें"। फिर के अनुसार अल्पकाल में V , V' , T तथा M_1 के M से अनुपात स्थिर रहते हैं। परन्तु व्यावहारिक अनुभव यह बताता है कि ये सब अल्पकाल में भी परिवर्तनीय हैं।

1) फिर के समीकरण में यह माना गया है कि विधिवत मुद्रा की पूर्ति (M) में परिवर्तन होने पर उनकी चलन गति (V) स्थिर रहती है, तथा वह एक-दूसरे में स्वतन्त्र हैं। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। M में परिवर्तन होने पर V में अपनों आप ही परिवर्तन हो जाता है। M के बढ़ने से जैसे ही कीमत-स्तर (P) में वृद्धि होगी, भविष्य में कीमत और अतिरिक्त बढ़ जाने की सम्भावना में जन विक्रय बढ़ जायेगा तथा चलन-गति (V) में भी वृद्धि होगी। चलन की मात्रा बढ़ने का यदि प्रत्येक विक्रय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तो चलन की गति अथवा V का बढ़ने में कम हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर प्रत्येक इकाई का प्रयोग कम सुगतानों के लिए किया जाता है। इन प्रकार, M में परिवर्तन होने पर V को स्थिर नहीं रखा जा सकता।

- 2 साख-मुद्रा की मात्रा (M') में परिवर्तन होने पर उसकी चलन-गति (V') को स्थिर मानना भी गलत है। M में परिवर्तन होने पर जिन कारणों से V प्रभावित होती है, वही कारण M में परिवर्तन होने पर V' को भी प्रभावित करते हैं। साख मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर इसकी चलन-गति को स्थिर मानना अवास्तविक है।
- 3 मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने पर देश के व्यापार की मात्रा (T) को स्थिर मानना भी भ्रमपूर्ण है। M के बढ़ने से P में वृद्धि होती है। ऊँची कीमतों से उत्पादकों को लाभ होता है और वह अधिक उत्पादन करने लगते हैं तथा T में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार, M के बढ़ने से T में वृद्धि होगी तथा M के घट जाने पर T कम हो जायेगा।

कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार में, पूर्ण रोजगार के बिन्दु (point of full employment) पर जब उत्पत्ति का प्रत्येक साधन पूर्णतः काम में लगा होता है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की मात्रा स्थिर हो जाती है तथा मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु आलोचकों का मत है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति चिरस्थायी नहीं होती। कुछ समय बाद ही, मनो-वैज्ञानिक कारणोंवशा, मुद्रा की माँग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कीमत-स्तर अनुपात से अधिक बढ़ने लगता है।

- 4 मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त में विविधग्राह्य मुद्रा (M) तथा साख-मुद्रा (M') का अनुपात स्थिर मानना भी अवास्तविक है। M में परिवर्तन होने से M' में परिवर्तन उमौ अनुपात में नहीं होता क्योंकि इनमें कोई भी स्थिर, निश्चित तथा अपरिवर्तनीय सम्बन्ध नहीं होता। प्रायः मुद्रा-प्रसार की स्थिति में एक ओर तो बैंको के निक्षेप बढ़ते हैं तथा दूसरी ओर उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋणों की माँग बढ़ती है जिसके कारण M' में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। मुद्रा-संकुचन के कारण ऋणों की माँग कम हो जाती है तो M' का अनुपात भी कम होता है।

सिद्धान्त की मान्यताएँ गलत होने के कारण कीमत-स्तर पर केवल M का ही प्रभाव नहीं होता, बल्कि V , V' , T तथा M भी उसे प्रभावित करते हैं। P में उस समय भी परिवर्तन हो सकता है जब M में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल V में परिवर्तन होता है। दूसरी ओर, M में परिवर्तन होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि P में भी परिवर्तन हो, क्योंकि T में होने वाला परिवर्तन M के परिवर्तन को अप्रभावी कर सकता है।

(2) समीकरण के तत्वों (factors) का मापना बहुत कठिन है। किसी समय चलन में मुद्रा की मात्रा (M) जानने के लिए निजी कोषों में संचित मुद्रा की मात्रा जानना आवश्यक होता है, परन्तु इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। भारत जैसे देशों में बहुत भारी बिना हिसाब की मुद्रा (unaccounted money) भी चलन में होती है। इसी प्रकार, किसी समय कितने कर पाना कठिन ही नहीं, लगभग असम्भव है। केवल मुद्रा का ही नहीं, वस्तुओं का भी प्रचलन-वेग होता है, क्योंकि उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचने में प्रत्येक वस्तु को अनेक हाथों से होकर जाना पड़ता है। फिर द्वारा V , V' तथा T को स्थिर मान लेने से समस्या हल नहीं होती, क्योंकि ये सब स्थिर नहीं रहते, परिवर्तनीय होते हैं। सामान्य कीमत-स्तर (P) भी औसत होने के कारण वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं करता और न ही यह मुद्रा की नय-शक्ति का सही माप होता है।

(3) कीमत-स्तर केवल मुद्रा की मात्रा द्वारा ही निर्धारित नहीं होता, अमौद्रिक कारणों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। माँग में असाधारण परिवर्तन, अक्सर राजनीतिक अशांति, उत्पादन की मात्रा तथा लागत में परिवर्तन, सरकार की वित्त-नीति, विदेशी बाजारों के उतार-चढ़ाव इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनका रूप अमौद्रिक होते हुए भी इनका कीमत-निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। डी कॉक (De Cock) ने इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए लिखा है,

“इस सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा पर अनावश्यक रूप से बल दिया गया है, मानो यही अधिक परिवर्तन का एकमात्र अथवा प्रमुख कारण हो। यह कीमतों के स्तर पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देता है, जैसे कीमतों में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के सबसे खतरनाक तथा महत्वपूर्ण तत्व हो यही नहीं, मुद्रा के परिमाण और वस्तुओं की कीमतों के स्तर में कोई निकट और प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।”¹

(4) मुद्रा के मूल्य-निर्धारण में यह सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। मुद्रा की माँग (व्यापार की मात्रा) को स्थिर मान लेने से मूल्य-निर्धारण में माँग-पक्ष का महत्व समाप्त-सा हो जाता है और केवल पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों को मूल्य-परिवर्तनों का कारण समझा जाता है, जो सर्वथा गलत है। केन्ज द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त में माँग पक्ष को भी उचित महत्व दिया गया है।

(5) इस सिद्धान्त द्वारा यह स्पष्ट नहीं होता कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन कीमत-स्तर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध पर आधारित है। किन्तु हायेक (Hayek) तथा हॉट्टे (Hawtrey) के विचार में यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष न होकर व्यापार में होने वाले परिवर्तनों द्वारा परोक्ष रूप में होता है। परिमाण सिद्धान्त इस सम्बन्ध के वास्तविक रूप का स्पष्टीकरण नहीं करता, यह इसकी एक बहुत बड़ी चूटि है।

(6) परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की चलन-गति की विवेचना नहीं करता। हम देख चुके हैं कि मुद्रा की चलन-गति अनेक बातों द्वारा प्रभावित होती है, परन्तु यह सिद्धान्त उनकी विवेचना नहीं करता। गार्सल के अनुसार, मुद्रा के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त का मुद्रा की चलन-गति को प्रभावित करने वाले कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

(7) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त व्यापार-चक्रों के कारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता। अधिक क्रियाओं का उतार-चढ़ाव, जिन्हें व्यापार-चक्र (trade cycles) कहा जाता है, एक स्वाभाविक क्रम है। तेजी अथवा समृद्धि (boom or prosperity) के पश्चात् सुस्ती (recession) और फिर मन्दी की स्थिति (depression) आती है, चेतना की स्थिति (recovery) उत्पन्न होने पर अधिक बचा फिर से पुनरुत्थित होती है। मन्दी की स्थिति में मुद्रा की मात्रा अस्थिर रहने पर भी कीमत-स्तर गिर जाता है तथा मुद्रा का मूल्य ऊँचा होता है। तेजी के काल में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हुए बिना ही कीमत-स्तर ऊँचा उठ जाता है तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कीमतों की समस्या के इस पहलू की व्याख्या नहीं करता। काउथर के अनुसार, “परिमाण सिद्धान्त अधिक से अधिक व्यापार-चक्रों के कारणों का अपूर्ण मार्गदर्शक है। मुद्रा का अभाव चेतना को मन्दी में बदल सकता है, किन्तु यह एकमात्र कारण नहीं है, मन्दी उग समय प्रारम्भ हो सकती है जब मुद्रा का कोई अभाव न हो।”

(8) यह सिद्धान्त सापेक्ष कीमतों (relative prices) में उत्पन्न हुए परिवर्तनों को स्पष्ट नहीं करता। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत-स्तर (general price level) के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है, परन्तु व्यक्तिगत कीमतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनका भी महत्व होता है। उदाहरणतः एक निर्धन देश में दाढ़ सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारणों का ज्ञान सामान्य कीमत-स्तर में वृद्धि के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होगा। प्रो० हायेक (F A Von Hayek) तथा प्रो० चेण्डलर (Lester V. Chandler) ने मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की इसी आधार पर आलोचना की है।

(9) विनिर्णय-समीकरण में कुछ असंगतियाँ (inconsistencies) भी हैं। हॉम (Halm) के अनुसार, “हमें समीकरण के इस दोष को नहीं भूलना चाहिए कि यद्यपि मुद्रा की मात्रा (M) समय के क्षण (point of time) से सम्बन्धित है, परन्तु इसकी चलन-गति (V) का सम्बन्ध समय की अवधि (period of time) से है। ऐसी स्थिति में MV का अर्थ यह होगा कि जब तक यह न माना

1 De Cock - Central Banking, p 146.

2 G. Crowther An Outline of Money, p 117.

जाय कि M मुद्रा की वह मात्रा है जो समय के निश्चित क्षण में नहीं बल्कि समय की अवधि में चलन में होती है तब तक दो असमान तत्वों को एक साथ गुणा करने के कारण असंगति की भयानक समस्या उत्पन्न हो जायेगी।¹

(10) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की तर्क-विधि उल्टी है। P को निष्पन्न तत्व मानते हुए, मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को कारण (cause) तथा कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तन को परिणाम (result) समझा गया है। प्रायः होता भी ऐसा ही है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में उतार-चढ़ाव होता है। परन्तु कुछ आलोचकों का मत है कि स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है, अर्थात् कीमतों का उतार-चढ़ाव मुद्रा की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। कीमते बढ़ने पर मुद्रा की चलन-गति तो बढ़ ही जाती है, साख-मुद्रा तथा विधि-प्राप्त मुद्रा की भी मात्रा बढ़ती है।

(11) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रय शक्ति का सही ढंग से माप करने के बजाय नकद सौदों का मापक बन जाता है। सामान्य कीमत-स्तर में केवल उपभोग की वस्तुओं की कीमतें ही नहीं होती बल्कि अनेक उत्पादक वस्तुएँ भी सम्मिलित होती हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं का नमावेश होने के कारण मुद्रा की क्रय-शक्ति की उचित माप नहीं हो पाती जिसका उपभोक्ता की दृष्टि से बहुत महत्व है। इसीलिए केन्ज का विचार है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रय शक्ति की माप करने के स्थान पर नकद व्यवसाय की माप करता है।

(12) यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य का दीर्घकालीन विश्लेषण करता है। सिद्धान्त की मान्यताओं की अवास्तविकता के आधार पर की गयी आलोचना के सम्बन्ध में फिशर ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि ये मान्यताएँ अल्पकाल में कभी-कभी ठीक नहीं भी होती, किन्तु दीर्घकाल में ठीक होती हैं। वास्तव में, अल्पकाल में मुद्रा के मूल्य में इतने भयंकर तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं कि उनकी उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित होगा। केन्ज के अनुसार, "दीर्घकाल के अध्ययन से क्या लाभ है, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।"

(13) परिमाण सिद्धान्त समय विलम्ब के महत्व को स्वीकार नहीं करता। M में होने वाले परिवर्तनों का P पर तत्काल ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि धीरे-धीरे पड़ता है। यह सम्भव है कि इस अन्तरिम काल में परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो जाय तथा कीमत-स्तर (P) में होने वाले परिवर्तन मुद्रा की मात्रा (M) में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात में हों। परिमाण सिद्धान्त इस विषय पर मौन है।

(14) इस सिद्धान्त में मुद्रा के मूल्य सचय कार्य का ध्यान नहीं रखा जाता। मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम होना ही नहीं है, अपितु यह मूल्य का सचय भी करती है। केन्ज के विचार में मूल्य-निर्धारण में मुद्रा की केवल उस मात्रा का महत्व है जो सरल मुद्रा (liquid money) है तथा जो विनिमय-माध्यम के रूप में कार्य करती है। संचित मुद्रा (hoarded money) को मुद्रा की मात्रा (M) में सम्मिलित करना गलत है। परन्तु परिमाण सिद्धान्त का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है।

(15) मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम होता है, मुद्रा की मात्रा का नहीं। फ्राउडर के शब्दों में, "मुद्रा वा मूल्य, यथार्थ में, आयों के योग का परिणाम है न कि मुद्रा की मात्रा का। इस प्रकार, कुल आयों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारणों को खोजने की दिशा में हमें कार्य करना चाहिए।"²

(16) यह सिद्धान्त खर्च के आकार में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता। फिण्डले शिर्राज (Findlay Shirras) के अनुसार, "खर्च के आकार की तुलना में मुद्रा की मात्रा एक गौण कारण है। मूल्य-परिवर्तन आधिक्य प्रणाली की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना नहीं है तथा आज हम सभी का यह कहना है कि मन्दी का कारण आय तथा खर्च की कमी है, न कि

1 G N. Halm *Monetary Theory*, p 22.

2 G Crowther *An Outline of Money*, p 124

मुद्रा की कमी।¹ परिमाण समीकरण द्वारा यह नहीं पता चलता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार खर्चों में परिवर्तन करते हैं जिसके कारण कीमतें प्रभावित होती हैं।

(17) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को सिद्धान्त कहना उचित नहीं है। निकोलसन (Nicholson) के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में सम्बन्ध एक साधारण तथ्य है, ज़ममें केवल एक प्रवृत्ति का पता चलता है और प्रवृत्ति को ही सिद्धान्त कहना युक्तिसंगत नहीं है। मार्गट (Marget) के शब्दों में, "परिमाण समीकरण उन कारणों अथवा तत्वों का जिनका प्रभाव सम्भवतः कीमतों पर पड़ता है, केवल एक शिथिल (shorthand) वर्णन है।"²

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में सत्यता

उपर्युक्त आलोचनाओं के आधार पर कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि मुद्रा का परिणाम सिद्धान्त निरर्थक ही है। केवल के विचारानुसार यह सिद्धान्त न केवल दोषपूर्ण तथा काल्पनिक है, अपितु अपूर्ण भी है। गणित की दृष्टि से भी यह सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण है। यह सब कुछ देखने के पश्चात् भी सत्य तो यह है कि इस सिद्धान्त को पूर्णतः तथ्यहीन नहीं कहा जा सकता। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में भले ही प्रत्यक्ष समानुपातिक सम्बन्ध न हो परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुद्रा की मात्रा का कीमत-स्तर पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहता है। स्वयं फिशर ने अनेक ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण दिये हैं जब मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ा है।

- 1 स्पेन के खोजकर्ताओं द्वारा अमरिका में चाँदी की खानों का पता चलने पर जब उन्होंने चाँदी यूरोप के देशों में भेजनी आरम्भ की तो चाँदी के सिक्कों की मात्रा बढ़ी और कीमत-स्तर भी ऊँचा हो गया। कालान्तर में इन देशों में जनसंख्या बढ़ने पर जब मुद्रा की माँग बढ़ी और दूसरी ओर अमरिका में चाँदी का आयात कम हो गया, तो कीमत-स्तर नीचा हो गया।
- 2 इंग्लैण्ड में सन् 1820-1844 की अवधि में मुद्रा की पूर्ण माँग की अपेक्षा कम होने पर वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आयी थी।
- 3 सन् 1844 के आस-पास आस्ट्रेलिया और कैलीफ़ोर्निया की खानों से जब सोना स्वर्णमान वाले देशों को गया, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ी जिससे मुद्रा का मूल्य गिर गया। परन्तु बाद में जब इन खानों से सोना निकालना बन्द कर दिया गया, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ गया अर्थात् कीमत-स्तर गिर गया।
- 4 1873 में मैक्सिको में चाँदी की खानों का पता चलने पर रजतमान वाले देशों में मुद्रा की मात्रा बढ़ी तथा कीमत-स्तर भी ऊँचा हुआ।
- 5 1896 में ट्रान्सवाल में सोने की खानें मिलने पर स्वर्णमान वाले देशों में कीमत-स्तर बढ़ गया।
- 6 प्रथम महायुद्ध तथा युद्धोत्तर-काल में जर्मनी में पत्र मुद्रा के अधिक प्रसार के कारण कीमतें बहुत अधिक बढ़ गयीं।
- 7 1929 तथा उसके बाद के मन्दो काल में मुद्रा-संकुचन के कारण कीमतें गिरी।
- 8 द्वितीय महायुद्ध-काल में भी पत्र-मुद्रा के अधिक प्रसार के कारण कीमतों में काफी वृद्धि हुई।

यदि हम अपने देश का ही उदाहरण लें तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार कीमतें बढ़ने में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना एक महत्वपूर्ण कारण रहा है।³

1 G Findlay Shirras *Economic Journal*, Sept 1947, p 398

2 "The quantity equations themselves are nothing more or less than shorthand expression designed to indicate the nature of variables whose operation can be shown to influence prices"—A. W. Marget *The Theory of Prices*, p 81

3 इन विषय के विचारपूर्वक अध्ययन के लिए प्रस्तुत पुस्तक बख्त शा० टी० टी० मेरी की पुस्तक 'Price Strategy in Indian Planning' देखिए।

यदि मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त के गणितात्मक स्वरूप पर ध्यान न दें और इसे एक प्रवृत्ति का सूचक मान लें, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मुद्रा की मात्रा का कीमत-स्तर पर आनुपातिक तो नहीं परन्तु कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। रॉबर्टसन के साथ हमें सहमत होना ही पड़ेगा कि "मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र सत्य है जिसका समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमत में सम्पर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है।"

4 केम्ब्रिज विचारधारा (Cambridge Approach)

फिशर की व्याख्या में मुद्रा के रूप में केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों—मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, केन्ज—न एक अन्य व्याख्या प्रस्तुत की है जिसे 'केम्ब्रिज व्याख्या' कहा जाता है। वैसे तो इसकी ओर कुछ संकेत प्राचीन अर्थशास्त्रियों—पैटी, लॉक, केण्टलिन तथा एडम स्मिथ—के लेखों में भी मिलते हैं, परन्तु इसका वास्तविक विकास केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा ही हुआ है। ज़िम् प्रकाश अमेरिका में फिशर की व्याख्या बहुत प्रसिद्ध है यूरोप, विशेषतः इंग्लैंड, में केम्ब्रिज व्याख्या को अधिक मान्यता दी गयी है।

फिशर की व्याख्या को नकद-भुगतान दृष्टिकोण (Cash Transaction Approach) तथा केम्ब्रिज व्याख्या को नकद-शेष दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) भी कहा जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, फिशर की व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से सम्बन्धित है जो एक समय-अवधि (period of time) में विनिमय-कार्यों अथवा नकद भुगतानों के लिए काम में आती है। दूसरी ओर केम्ब्रिज व्याख्या उस मुद्रा मात्रा से सम्बन्धित है जिसे लोग किसी समय बिन्दु (point of time) पर नकद बोध के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं।

फिशर न अपने समीकरण में मुद्रा की माँग को कुल व्यापारिक सौदों के मूल्य के बराबर माना था। केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज की प्रत्येक अवस्था में लोग अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। इसमें उनका उद्देश्य भविष्य में अपने उपभोग की वस्तुएँ खरीदना हो सकता है, अथवा वे इसे भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं आदि के लिए सुरक्षामक उद्देश्य से बचाकर रखते हैं, अथवा इस बचत का उद्देश्य लाभोपार्जन हो सकता है। इस प्रकार नकद रूप में रखी हुई धन-राशि का उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर अधिकार सुरक्षित करना होता है। मार्शल के अनुसार, इस प्रकार समाज द्वारा रखा गया कुल नकद राशि निश्चय ही सम्पूर्ण वार्षिक लाभ तथा सम्पत्ति का अंग होती है। केम्ब्रिज दृष्टिकोण के अनुसार, समाज में मुद्रा की माँग व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, वरन् समाज द्वारा मुद्रा की नकद राशि अपने पास रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। फिशर एवं केम्ब्रिज विचारधारा में यह सबसे बड़ा अन्तर है। चूँकि केम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की माँग सम्बन्धी धारणा को एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण रूप दिया गया है, इसलिए इसे कुछ लोग 'मुद्रा का माँग सिद्धान्त' (Demand Theory of Money) कहते हैं।

केम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की माँग का अर्थ नकद-शेष (cash balances) की माँग से लगाया जाता है। नकद-शेष की यह माँग कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय (real national income) अर्थात् अन्तिम उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के वार्षिक उत्पादन (annual goods and services produced for final consumption) से सम्बन्धित होती है। चूँकि सम्पूर्ण वास्तविक आय का उपभोग एक साथ नहीं कर लिया जाता, इसलिए नकद-शेष की माँग सम्पूर्ण वास्तविक आय के एक अंश के बराबर होती है। इस प्रकार, मुद्रा की माँग से अभिप्राय वास्तविक आय के उस अनुपात से है जिसे मुद्रा के रूप में रखा जाता है। केम्ब्रिज समीकरण में इसे K द्वारा व्यक्त किया जाता है।

मुद्रा की माँग अनेक बातों से प्रभावित होती है, जिनमें से कुछ निम्न हैं :

1. मुद्रा की माँग का आधार कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय है। ऊपर बताया जा चुका है

कि किसी समय समाज द्वारा की गयी नकद-कोष की माँग सम्पूर्ण वास्तविक आय के एक भाग के बराबर होती है।

2. मुद्रा की माँग के निर्धारण में समय-अवधि का महत्वपूर्ण स्थान है जिसे ध्यान में रख कर समाज द्वारा मुद्रा के रूप में नकद राशि रखी जाती है। व्यापार का परिमाण स्थिर रहने पर भी समय-अवधि अधिक होने पर मुद्रा की माँग अधिक होगी तथा कम होने पर मुद्रा की माँग कम होगी। यदि लोग अपनी वार्षिक वास्तविक आय के दो माह के बराबर नकद मुद्रा चाहते हैं तो $K \frac{1}{6}$ होगा। एक माह के बराबर ही नकद मुद्रा चाहने पर $K \frac{1}{12}$ होगा।
3. मुद्रा की चलन-गति (V) तथा मुद्रा की माँग (K) में सर्वथा विपरीत सम्बन्ध है। यदि किसी समय $K \frac{1}{6}$ है तो इतका अर्थ यह हुआ कि सम्पूर्ण वास्तविक आय की खरीद के लिए नकद राशि को छ बार व्यय करना होगा। स्पष्ट है कि $K \frac{1}{6}$ होने पर चलन-गति (V) 6 होगी।¹ इस प्रकार,

$$K = \frac{1}{6}, V = 6 \text{ or } K = \frac{1}{V}, V = \frac{1}{K}$$



4. मुद्रा की माँग लोगों की तरलता-पसन्दगी (liquidity preference) पर निर्भर करती है। संचित मुद्रा का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इसे आयदाद खरीदने के काम में, अथवा वस्तुओं का स्टॉक करने में, अथवा कर्मियों के शेष खरीदने में भी लगाया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से मुद्रा में तरलता (liquidity) बहुत कम हो जाती है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें शीघ्र बेचकर इनके बदले में कुछ और प्राप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु अनुष्य के पास रखे हुए नकद धन में सबसे अधिक तरलता होती है, क्योंकि उसे किसी भी समय किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। केम्ब्रिज विचार के अनुसार व्यक्तियों में तरलता-पसन्दगी अधिक होने पर वे अधिक मुद्रा अपने पास रखना चाहेंगे, और मुद्रा की माँग अधिक होगी। तरलता-पसन्दगी कम होने पर मुद्रा की माँग भी कम होगी।

5 मुद्रा की माँग पर अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे—जाय प्राप्त होने की अवधि, वस्तुओं का कीमत-स्तर, देश की जनसंख्या, धन का वितरण, व्यवसाय की दशा, लेन-देन की आदत, मुद्रा की चलन-गति इत्यादि। वास्तव में, उन सब बातों का जिनसे मुद्रा की चलन-गति बढ़ती है, मुद्रा की माँग पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है।

केम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation)

केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने नकद कोष की विचारधारा के समर्थन में अलग-अलग समीकरण दिए हैं।

मार्शल (Marshall) ने मुद्रा की माँग का आय तथा सम्पत्ति से सम्बन्ध निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया है :

$$M = k_1 J + k' A$$

M मुद्रा की मात्रा वा सूचक है, J मौद्रिक आय की सूचिका करता है, k_1 आय का वह भाग है जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखते हैं, A कुल सम्पत्ति के मूल्य का सूचक है तथा k' सम्पत्ति का वह भाग है जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है।

बाद में मार्शल के समर्थकों द्वारा सम्पत्ति-भाग ($k'A$) को अनावश्यक समझकर हटा दिया गया तथा समीकरण को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया गया

$$M = k_1 J$$

1 फिर के समीकरण की J वास्तव में $1/K$ से बड़ी होगी, क्योंकि वार्षिक मुद्राप्रवाह का मूल्य कुछ वार्षिक वास्तविक आय के मूल्य से अधिक होता है। इन्डियन, A. C. L. Day : *Outline of Monetary Economics*, p. 250 (फुटनोट)।

किसी भी वर्ष की कुल भौतिक आय उस वर्ष में कुल वास्तविक उत्पादन (O) तथा कीमत स्तर (P) का गुणनफल होती है, इसलिए $y=PO$

चूँकि $M=k_1$ अथवा $M=kPO$ का एक ही अर्थ है,

$$\text{इसलिए } P = \frac{M}{kO}$$

प्रो० पीगू (Pigou) न मार्शल द्वारा दिये गये समीकरण को अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्न समीकरण दिया है

$$P = \frac{KR}{M}$$

इस समीकरण में R से अभिप्राय समाज की वास्तविक आय से है जिसका किसी दिये हुए समय (उदाहरणार्थ एक वर्ष) में उपभोग किया जाता है। K वास्तविक आय का वह अनुपात है जो मुद्रा के रूप में रखा गया है। M कुल मुद्रा की मात्रा का तथा P मुद्रा के मूल्य का सूचक है।

उदाहरणार्थ वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में (पीगू ने इसे गेहूँ के रूप में मापा है) यदि वास्तविक आय 1000 इकाइयाँ हैं जिसका $\frac{1}{4}$ भाग नकद मुद्रा के रूप में रखा जाता है, तथा कुल मुद्रा की मात्रा 500 रुपये हैं, तो स्थिति यह होगी $R=1000$, $K=\frac{1}{4}$ तथा $M=500$ रुपये।
एसा हान पर—

$$P = \frac{1000 \times \frac{1}{4}}{500} = \frac{1}{2}$$

इस आधार पर मुद्रा का मूल्य 1 रुपये की $\frac{1}{2}$ इकाई होगा, अथवा प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होगी।

समाज में लोग अपनी आय नकदी के रूप में रखने के अतिरिक्त बैंक जमाओं (bank deposits) के रूप में भी रखते हैं। प्रो० पीगू ने बैंक जमाओं को पृथक स्थान दिया है जबकि केम्ब्रिज समीकरण के मौलिक रूप में इनको जनता के नकद कोषों में ही सम्मिलित कर लिया गया था। सनोघन के पश्चात् समीकरण का रूप निम्नवत् है

$$P = \frac{KR}{M} [C + h(1-C)]$$

अथवा

$$M = \frac{KR}{P} [C + h(1-C)]$$

P , K तथा R का वही अर्थ है जो पहले समीकरण में था। C का अभिप्राय उम (विधिग्राह्य) नकद राशि से है जिसे जनता अपने पास रखती है। h बैंक जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंक अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। $1-C$ विधिग्राह्य नकद कोषों का वह भाग है जिसे लोग बैंकों में जमाओं के रूप में रखते हैं। इस समीकरण में बैंकों की जमा राशि को अलग स्थान देने के अतिरिक्त और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। परन्तु, चूँकि परम्परा से बैंकों में जमा राशि को नकद कोष के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाता रहा है, इसलिए व्यवहार में प्रायः मूल समीकरण $P = \frac{KR}{M}$ का ही प्रयोग किया जाता है।

फिशर एवं केम्ब्रिज विचारधारा में अन्तर

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फिशर तथा केम्ब्रिज विचारधारा में मुख्य अन्तर 'मुद्रा की माँग' की धारणा की व्याख्या में है। फिशर के अनुसार मुद्रा की माँग व्यापार की मात्रा (T) पर निर्भर करती है, अर्थात् मुद्रा की माँग तुरन्त व्यय करने के लिए की जाती है, जबकि केम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा की माँग मुद्रा संचय करने के लिए की जाती है।

इसके अतिरिक्त कीमत-स्तर (P) के निर्धारण में फिशर ने मुद्रा के परिमाण (अर्थात् पूर्ति) को महत्वपूर्ण माना है, जबकि केम्ब्रिज विचारधारा के अन्तर्गत मुद्रा की माँग को अधिक महत्व दिया गया है।

केन्द्र के अनुसार फिजर के समीकरण में P का सम्बन्ध सामान्य कीमत स्तर से है, परन्तु केम्ब्रिज समीकरण में P का सम्बन्ध केवल उपभोग की वस्तुओं से है।

फिजर का समीकरण P का वह चित्र उपस्थित करता है जो क्रय-विक्रय के समाप्त होने के बाद (transaction ex-post) उत्पन्न होता है जबकि केम्ब्रिज समीकरण में P क्रय-विक्रय के पूर्व (transaction ex-ante) का चित्र है।

फिजर के समीकरण में मुद्रा की चलन-गति (V) पर जोर दिया गया है, जबकि केम्ब्रिज समीकरण में नकद-शेषों (cash balances) अथवा K पर जोर दिया गया है। रॉबर्टसन के अनुसार फिजर के समीकरण का सम्बन्ध उड़ती हुई मुद्रा (money on the wings) से है, और केम्ब्रिज समीकरण का सम्बन्ध बैठी हुई मुद्रा (money sitting) से है। दूसरे शब्दों में, फिजर की व्याख्या में मुद्रा के विनिमय माध्यम सम्बन्धी कार्य पर बल दिया गया है, जबकि केम्ब्रिज व्याख्या इसके मूल्य-संचय कार्य पर बल देती है।

दोनों समीकरणों में उपर्युक्त अन्तरो के वादग्रहण कुछ अर्थशास्त्री ऐसा सोचते हैं कि इनमें कोई विशेष मौलिक अन्तर नहीं है। यदि दोनों समीकरण एव ही आधार पर रखे जायें, अर्थात् पीयू के P (मुद्रा-मूल्य) को फिजर के P (मूल्य स्तर) में परिणत कर दिया जाय तथा दोनों में साख मुद्रा को अलग स्थान न देकर कुल मुद्रा में ही सम्मिलित कर दिया जाय, तो स्थिति इस प्रकार होगी

$$P = \frac{MV}{T} \text{ or } P = \frac{M}{KR}$$

MV तथा M समान हैं। अब अन्तर केवल इतना रह जाता है कि T तो समस्त सौदों का योग है, जबकि KR नकद मुद्रा की वह मात्रा है जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर अधिकार प्राप्त करने के लिए रखी जाती है। यह ठीक है कि फिजर के समीकरण में V को महत्व दिया गया है तथा केम्ब्रिज समीकरण में K महत्वपूर्ण है, परन्तु चूंकि K और V का विपरीत सम्बन्ध है, इसलिए

$K = \frac{1}{V}$ कहा जा सकता है। इस आधार पर केम्ब्रिज समीकरण को फिजर के समीकरण के रूप में आसानी से बदला जा सकता है, जैसे—

$$M = KTP \text{ or } M = \frac{1}{V}TP \text{ or } MV = PT$$

इस प्रकार, दोनों समीकरण एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही सिद्धान्त के दो रूप हैं। परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि केम्ब्रिज समीकरण फिजर के समीकरण का एक सुधार है।

केम्ब्रिज विचारधारा की श्रेष्ठता

फिजर की व्याख्या की तुलना में केम्ब्रिज व्याख्या की श्रेष्ठता निम्नलिखित वाता से स्पष्ट हो जाती है

1. केम्ब्रिज समीकरण मुद्रा की माँग तथा पूर्ति दोनों के व्यावहारिक विश्लेषण पर आधारित है, अतः यह मुद्रा के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त की माँग तथा पूर्ति के सामान्य मूल्य निर्धारण सिद्धान्त से समन्वित कर देता है।
2. फिजर की व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं होता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने में कीमत-स्तर में कैसे परिवर्तन होता है, परन्तु केम्ब्रिज व्याख्या कारण-परिणाम सम्बन्ध को स्पष्ट कर देती है। मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर भी मुद्रा रखने की इच्छा में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन का कारण बन सकता है।

1. रॉबर्टसन द्वारा दिये गये समीकरण का यही रूप है। इनमें M मुद्रा की पूर्ति का सूचक है। K समय की अवधि विषय संचय मात्रा है, T व्यापार का परिमाण तथा P कीमत-स्तर, KTP सम्मिलित रूप से माँग के सूचक हैं।

3. फिस्तर की व्याख्या केवल दीर्घकालीन परिवर्तनों को ही महत्व देती है, परन्तु केम्ब्रिज व्याख्या अल्पकालीन परिवर्तनों का भी समाधान प्रस्तुत करती है।
4. हिक्स (Hicks) के अनुसार, केम्ब्रिज व्याख्या में वस्तुओं की माँग के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला गया है और उसके प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया है। फिस्तर की व्याख्या इस दिशा में निष्क्रिय है।
5. केम्ब्रिज व्याख्या के आधार पर 'तरलता पसन्दगी सिद्धान्त' (Liquidity Preference Theory) का निर्माण हुआ है जो आय तथा रोजगार के निर्धारण में तथा आर्थिक मजदूत का नियन्त्रण करने की दृष्टि से मौद्रिक अधिकारियों की सीमाओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

केम्ब्रिज समीकरण में केन्ज द्वारा ससोधन

लॉर्ड केन्ज (Lord J M Keynes) भी केम्ब्रिज सम्प्रदाय के सदस्य थे, परन्तु पीगू द्वारा दिये गये समीकरण से सन्तुष्ट न होने के कारण उन्होंने अपनी पुस्तक '*A Tract on Monetary Reform*' में परिमाण सिद्धान्त का एक अलग से समीकरण दिया। केन्ज की मान्यता यह थी कि उपभोग इकाइयों (consumption units) से सम्बन्धित वास्तविक लेन-देन (real transactions) की एक निश्चित मात्रा के बराबर लोग अपने पास वास्तविक शेष (real balances) रखते हैं। वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन-देन की मात्राओं के आपसी सम्बन्ध अपरिवर्तित रहने पर नकद-शेष की मात्रा वास्तविक शेष में सम्मिलित उपभोग-इकाइयों की कीमतों द्वारा निर्धारित होती है। केन्ज द्वारा दिया गया समीकरण, जिसे 'वास्तविक शेष समीकरण' (Real Balance Equation) कहते हैं, इस प्रकार है

$$n = p(k + rk)$$

जिमम n = चलन में नकद मुद्रा की कुल मात्रा, p = एक उपभोग-इकाई की कीमत, k = उपभोग-इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज नकदी के रूप में रखना चाहता है, r = बैंकों के नकद-शेष का इनकी जमाआ (deposits) से अनुपात, k' = उपभोग-इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज बैंक जमाओं के रूप में रखना चाहता है।

इस प्रकार, k तथा r स्थिर रहने पर (क्योंकि जनता की मुद्रा रखने की आदत में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता) p में n के परिवर्तनों के अनुपात में घटा-बढ़ी होती है। यह समीकरण बतलाता है कि मुद्रा की माँग वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, अपितु जनता की नकदी के रूप में रखी मुद्रा पर आश्रित रहती है। कीमत-स्तर लोगों की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि इसी आधार पर लोग अपनी आय का एक भाग अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं।

केन्ज का समीकरण केम्ब्रिज समीकरण के समान ही है क्योंकि इनके परिवर्तित रूप $p = \frac{n}{k + rk'}$ तथा $p = \frac{M}{KR}$ में कोई अन्तर नहीं है। यह फिस्तर के समीकरण से भी अधिक भिन्न नहीं है। मुख्य अन्तर केवल इतना है कि केन्ज एक नियत समय (point of time) की ओर मक़्त करता है जिसमें समाज नकद के रूप में मुद्रा भविष्य के लेन-देन के लिए रखना चाहता है, तथा फिस्तर समय की एक अवधि (period of time) की ओर मक़्त करता है, जिसमें मुद्रा विनिमय-भुगतानों के लिए आवश्यक समझी जाती है।

केन्ज का समीकरण नुस्त्रियों से रहित नहीं है। स्वयं केन्ज ने ही अपनी एक अन्य पुस्तक '*A Treatise on Money*' में इसकी आलोचना की है

1. केन्ज के समीकरण में p केवल उपभोग की इकाइयों से सम्बन्धित मूल्य स्तर की माप करता है, जबकि मुद्रा का मूल्य उपभोग के अतिरिक्त अनेक व्यापारिक तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार यह मुद्रा के मूल्य का संकुचित अर्थ में अध्ययन करता है।

- 2 मुद्रा संचय के तीन मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं—सौदों के लिए (Transaction motive), सुरक्षात्मक (Precautionary motive), तथा मद्देवाजी का उद्देश्य (Speculative motive)। परन्तु उपर्युक्त समीकरण म नकद मुद्रा रखने के लिए केवल प्रथम उद्देश्य को ही महत्व दिया गया है।
- 3 k , k' तथा r स्थिर रहने पर n और p में एक आनुपातिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि मुद्रा की मात्रा अथवा व्याज-दर में परिवर्तन होने पर स्थिर माने गये तीनों तत्वा में भी परिवर्तन होते हैं और n तथा p में सीधा आनुपातिक सम्बन्ध नहीं रहता।
- 4 k तथा k' की सही माप करना कठिन है। निश्चित रूप से यह नहीं जाना जा सकता कि उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग अपनी आय का कितना भाग नकद अथवा साख-मुद्रा के रूप में रखेंगे। इस अनिश्चितता के कारण समीकरण का व्यावहारिक महत्व कम हो जाता है।

वास्तविक शेष समीकरण के उक्त दोषों को ध्यान में रखते हुए केन्ज ने अपनी पुस्तक 'A Treatise on Money' में इस समीकरण के सुधार के रूप में मौलिक समीकरणों (Fundamental Equations) का निर्माण किया है। इनके द्वारा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तना का प्रभाव केवल कीमत-स्तर पर ही नहीं बल्कि लाभ, उत्पादन तथा आय के विवरण और पूंजी के निःसंचय के सम्बन्ध में भी दिखाने का प्रयास किया गया है। मौलिक समीकरणों में व्यय (expenditure) तथा विनियोग (investment) को विशेष महत्व दिया गया है। परन्तु जैसा कि स्वयं केन्ज ने स्वीकार किया है, "ये समीकरण केवल विधिवत् एकरूपता व मिद्धवचन हैं, जो स्वयं अपने आप कुछ भी नहीं बताते हैं और इस प्रकार मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के ही भिन्न रूपों के समान हैं।"¹ वास्तव में, ये समीकरण केवल मानसिक व्यायाम के साधन मात्र हैं, इनका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है।

3 मुद्रा का आय सिद्धान्त अथवा बचत एवं विनियोग सिद्धान्त

मुद्रा का आय सिद्धान्त मुद्रा-मूल्य के स्पष्टीकरण का आधुनिक सिद्धान्त है। मुद्रा के मूल्य-निर्धारण में यह सिद्धान्त बचत तथा विनियोग को महत्व देता है, इसलिए इसे बचत तथा विनियोग सिद्धान्त भी कहा जाता है।

यह सिद्धान्त केन्ज की ही देन समझा जाता है, यद्यपि इसे केन्ज के पूर्व भी प्रस्तुत किया जा चुका था। इसका उल्लेख टूक, विकसेल, आप्तानलियो, गुम्पटर, हॉट्टे तथा रॉबर्टसन के लेखों में मिलता है। सर्वप्रथम, 1844 में टॉमस टूक (Thomas Tooke) ने लिखा था कि कीमतों का निर्धारण मुद्रा की मात्रा से नहीं बरन् मौद्रिक आय से होता है, मुद्रा की मात्रा तो स्वयं कीमती का परिणाम है।² टूक के सिद्धान्त को आधार मानते हुए स्वीडन के अर्थशास्त्री विकसेल (Wicksell) ने यह मत प्रकट किया कि कीमतों पर आय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विकसेल के अनुसार, आय में परिवर्तन वास्तविक व्याज-दर (natural rate of interest) तथा बाजार व्याज-दर (market rate of interest) पर निर्भर करता है। व्याज-दर सन्तुलित होने पर आय स्थायी होती है तथा कीमतें भी स्थिर रहती हैं। व्याज-दर कम होने पर विनियोग अधिक होगा, आय में वृद्धि होगी तथा कीमत-स्तर ऊँचा होगा। ऊँची व्याज-दर का प्रभाव इसके विपरीत होगा।

सन् 1825 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री आप्तानलियो (Aftalion) ने आय सिद्धान्त को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। यह समीकरण $R=PQ$ है, जिसमें R =मौद्रिक आय, P =कीमत-स्तर, Q =कुल उत्पादन है। इसके आधार पर आप्तानलियो ने विचार प्रकट किया कि कीमत-

1 "All these equations are purely formal; they are mere identities, truisms which tell us nothing in themselves. In this respect they resemble all other versions of the Quantity Theory of Money.—J. M. Keynes, A Treatise on Money, Vol I, p. 133

2 Thomas Tooke. An Enquiry into the Currency Principle, (1844), pp. 123-24

स्तर में परिवर्तन मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय (उत्पादन) के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करता है। वास्तविक आय से मौद्रिक आय अधिक होने पर कीमत-स्तर बढ़ता है तथा मौद्रिक आय कम रहने पर घटता है।

आय सिद्धान्त का श्रेय केन्ज को इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने इसे एक स्पष्ट तथा सरल समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। केन्ज के विचारों में परिवर्तन होता रहा। 'A Treatise on Money' में केन्ज द्वारा व्यक्त किये गये विचार विकसेल के विचारों से मिलते थे। परन्तु अपनी महान् पुस्तक 'General Theory of Employment, Interest and Money' (1939) में उन्होंने पुराने विचारों को बिल्कुल बदल दिया और निम्नलिखित समीकरण को प्रस्तुत किया

	$Y=C+S$		Y —कुल आय
	$Y=C+I$		C —उपभोग
अथवा	$I=Y-C$		S —बचत
	$S=Y-C$		I —विनियोग
	$C+S=C+I$		
अतः	$S=I$		

बचत 'आय' का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता तथा विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) पर व्यय किया जाता है। चूँकि आय केवल दो प्रकार से इस्तेमाल होती है उपभोग पर तथा बचत पर, इसलिए कुल आय = उपभोग + बचत ($Y=C+S$)।

केन्ज की यह मान्यता है कि बचत (S) तथा विनियोग (I) दोनों समान रहते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इनमें अन्तर होना सम्भव है, परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं। इसलिए यह कहना कि कुल आय $C+S$ के बराबर होती है अथवा $C+I$ के बराबर होती है, एक ही बात है। समाज की कुल बचत (S) बराबर होती है आय—उपभोग ($S=Y-C$) के, इसलिए विनियोग (I) भी $Y-C$ के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बचत तथा विनियोग दोनों बराबर होंगे, अतएव $S=I$ ।

केन्ज के अनुसार देश की अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन (equilibrium) तभी तक रहता है जब तक कि बचत तथा विनियोग में समानता होती है। इनमें असमानता होने पर असन्तुलन (disequilibrium) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा से अधिक होने पर कीमत स्तर नीचे गिरता है (अथवा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है), और विनियोग बचत में अधिक होने पर कीमत-स्तर ऊँचा उठता है (अथवा मुद्रा का मूल्य गिरता है)। बचत तथा विनियोग बराबर रहने पर सन्तुलन की स्थिति होती है।

मुद्रा के आय सिद्धान्त के अनुसार अल्पकाल में कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन समाज द्वारा किये गये व्यय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर रहने पर अथवा बढ़ जाने पर यदि उपभोग-व्यय की मात्रा घट जाती है (अर्थात् बचत बढ़ती है), तो कीमत-स्तर नीचे गिर जाता है। इसके विपरीत, यदि वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर रहने पर अथवा बढ़ जाने पर उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में वृद्धि होगी, अर्थात् मुद्रा का मूल्य गिर जायेगा। मन्दी काल में उपभोग-व्यय कम होने के कारण ही कीमतें गिरती हैं, तथा तर्जों के काल में व्यय बढ़ने के कारण कीमतें ऊँची होती हैं। व्यय में परिवर्तनों का कारण आय में होने वाला परिवर्तन होता है। इस प्रकार कीमतों में परिवर्तन का कारण समाज की आय में होने वाला परिवर्तन है, और आय का स्तर समाज की बचत तथा विनियोग की मात्राओं पर निर्भर करता है। आय सिद्धान्त की श्रेष्ठता

आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए परिमाण सिद्धान्त की तुलना में आय अथवा बचत-विनियोग सिद्धान्त को श्रेष्ठ समझते हैं। आय सिद्धान्त मौद्रिक प्रश्नों से सम्बन्धित कुछ ऐसी बातें बताता है जिनकी व्याख्या परिमाण सिद्धान्त द्वारा नहीं की जाती है।

1 आय सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा की कमी के कारण तेजी (boom) कैसे एक जाती है, जबकि मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से मन्दी को नहीं रोका जा सकता। यह एक सर्वविदित बात है कि विनियोग में वृद्धि के लिए बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त होना आवश्यक होता है। ऐसा न होने पर विनियोग की मात्रा वचत की मात्रा से कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें गिरने लगती हैं तथा मन्दी की मृष्टि होने लगती है। इस प्रकार मुद्रा के अभाव में तेजी एक सकती है, परन्तु मन्दी की स्थिति में मुद्रा तथा बैंक ऋणों की मात्रा बढ़ाने से विनियोग की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। विनियोग में वृद्धि लाभ की आशा अधिक होने पर ही सम्भव होती है। मन्दी के समय भविष्य के प्रति निराशा होने के कारण बड़ी हुई मुद्रा विनियोग को नहीं बढ़ा सकती। इस प्रकार मुद्रा की उपमा ग्रामोफोन के नियन्त्रण-गन्ध (गवर्नर) से दी जा सकती है जो ग्रामोफोन की चाल को एक सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देता, परन्तु बन्द हो जाने पर यह ग्रामोफोन को चालू नहीं कर सकता। वचत-विनियोग सिद्धान्त मन्दी अथवा तेजी के कारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की सन्तोषजनक व्याख्या करता है।

2 आय सिद्धान्त परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा मुद्रा की चलन-गति (velocity of circulation) पर अधिक प्रकाश डालता है। परिमाण सिद्धान्त की दोनों व्याख्याएँ (फिडर तथा केम्ब्रिज) से हमें केवल इतना पता चला है कि V तथा K का विपरीत सम्बन्ध है। मुद्रा का नकद संचय (K) अधिक होने पर उसकी चलन-गति (V) कम हो जायेगी। ऐसा क्यों होता है? इसका सन्तोषजनक उत्तर इन व्याख्याओं में नहीं मिलता। आय सिद्धान्त यह स्पष्ट रूप से बताता है कि V तथा K में परिवर्तन लोगों की उपभोग अथवा वचत सम्बन्धी प्रवृत्ति में परिवर्तनों का परिणाम होते हैं।

3 आय सिद्धान्त द्वारा दी गयी व्याख्या का डग अधिक वैज्ञानिक है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने से व्याज-दर कम होती है, जिससे विनियोग की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। विनियोग की वृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि होती है, जिससे आय बढ़ती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा की कीमतों पर प्रभाव व्याज-दर, विनियोग, रोजगार तथा आय के माध्यम से पड़ता है। यह व्याख्या परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा विस्तृत है।

4 व्यावहारिक दृष्टिकोण से आय सिद्धान्त अत्यन्त सरल एवं सूक्ष्म सिद्धान्त है और इसका समीकरण अत्यन्त स्पष्ट है। इसके सब तत्वों Y , S , I तथा C की गणना करना भी कठिन नहीं है, और इनसे सम्बन्धित सही आँकड़े प्राप्त हो सकते हैं।

निष्कर्ष—वैसे तो केन्ज के आय सिद्धान्त को भी आलोचना की जाती है, परन्तु अल्प-कालीन मूल्य-निर्धारण में यह सिद्धान्त मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में श्रेष्ठ है। वास्तविकता यह है कि आय सिद्धान्त तथा परिमाण सिद्धान्त दोनों ही अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। आय सिद्धान्त अल्पकालीन मूल्य-निर्धारण पर प्रकाश डालता है जबकि परिमाण सिद्धान्त दीर्घकालीन मूल्य की व्याख्या करता है। आउपर के शब्दों में, "मुद्रा परिमाण सिद्धान्त समुद्र के औसत स्तर को मापता है जबकि वचत और विनियोग सिद्धान्त इसके ज्वार-भाटों के वेग को।" (The Quantity Theory of Money explains, as it were the average level of sea, the Saving and Investment Theory explains the violence of the tides")

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 मुद्रा की माँग तथा पूर्ति से क्या अभिप्राय है? इन पर तीन-तीनसे बातों का प्रभाव पड़ता है?
[संकेत—मुद्रा की माँग तथा पूर्ति का जड़ स्पष्ट कीजिए और इन दोनों को प्रभावित करने वाली बातों की वचन-अवगति बिल्लारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

- 2 मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए।
[संकेत—परिमाण सिद्धान्त की परिभाषाएँ, मायनाएँ तथा समाकरण बताने के बाद इसकी सीमाओं (आलोचनात्मक) का विश्लेषण कीजिए।]
- 3 मुद्रा के मूल्य से क्या अभिप्राय है? क्या फिशर का परिमाण समीकरण मुद्रा के मूल्य निर्धारण की एक सलोचनमूलक व्याख्या है?
[संकेत—‘मुद्रा के मूल्य का महा अर्थ तथा बीमन स्तर से उभरकर सम्बन्ध की व्याख्या के पश्चात् फिशर का समीकरण समझ में स्पष्ट कीजिए। विस्तारपूर्वक आलोचना के पश्चात् यह बतनाइए कि अधिच उपयाग न हटने पर भी फिशर की व्याख्या पूर्णतः निरर्थक नहीं है।]
- 4 मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का केम्ब्रिज समीकरण कीजिए। क्या आप इसे फिशर के समीकरण पर एक मुद्दा मानते हैं?
[संकेत—केम्ब्रिज समीकरण के विभिन्न रूप स्पष्ट करने के पश्चात् इनका फिशर के समाकरण से अन्तर बतनाइए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि किन किन बातों में यह अन्तर अस्वीकार्य है। अन्त में यह भी बतनाइए कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है।]
- 5 मुद्रा परिमाण सिद्धान्त अर्थशास्त्र में स्थिर रहने पर ही सत्य सिद्ध होता है। यह अर्थशास्त्र क्या है और क्या अर्थशास्त्र में ये स्थिर रहती हैं?
[संकेत—परिमाण सिद्धान्त का परिभाषाओं व आधार पर यह बतनाइए कि इसका कुछ मायनाएँ हैं उनका अर्थशास्त्र के लिए तथा व्यावहारिक जीवन में उनकी व्यावहारिकता पर प्रकाश डालिए।]
- 6 केम्ब्रिज द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के आय सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। यह मुद्रा परिमाण सिद्धान्त से किन बातों में अस्वीकार्य है?
[संकेत—आय अर्थशास्त्र विनियोग सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक समझाइए तथा परिमाण सिद्धान्त की तुलना में इसकी अस्वीकार्यता का उल्लेख कीजिए।]
- 7 टिल्पिंगिया लिखिए (1) केम्ब्रिज का संशोधित केम्ब्रिज समीकरण (2) बचत विनियोग समीकरण (3) मृग की चलन-गति (4) मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त।
[संकेत—प्रत्येक का अर्थ तथा उनमें सम्बन्धित अर्थशास्त्र का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए।]

मुद्रा-मूल्य के परिवर्तनों का माप—निर्देशांक

[MEASUREMENT OF CHANGES IN MONEY-VALUE—INDEX NUMBERS]

“मुद्रा की क्रय-शक्ति का ठीक-ठीक माप न केवल असम्भव है, अपितु
यदिचारणीय भी है।”¹ —मार्शल

मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है जिसमें मदा परिवर्तन होते रहते हैं। चूंकि मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में विपरीत सम्बन्ध है, इसलिए मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत पर पड़ता है। कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यय आदि अनेक आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। जे० एन० हैन्सन के अनुसार, ‘मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अपनी आय मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है और जो मुद्रा के बदले में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विनय में सलग्न हैं।’ किसी भी देश में आर्थिक स्थिति की जानकारी तथा उचित आर्थिकनीतियों के निर्धारण के लिए मुद्रा-मूल्य के परिवर्तनों के माप का बड़ा व्यावहारिक महत्व होता है। इन परिवर्तनों का माप एक गणितीय विधि से किया जाता है, जिसे निर्देशांक अथवा सूचक-अंक (Index Numbers) कहते हैं।

निर्देशांक से अभिप्राय

सेक्रेस्ट (Secretist) के अनुसार, “निर्देशांक अंकों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी भी सामग्री के समय-समय अथवा स्थान-स्थान के परिवर्तनों को नापा जाता है।” मुद्रा के मूल्य का अनुमान वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत से लगाया जाता है। किसी एक समय को आधार मानकर उसकी तुलना में हुई कमी अथवा वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यावहारिक अनुभव यह बताता है कि सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन एक साथ और एक ही दिशा में समान रूप से नहीं होते और न ही उनके घटने-बढ़ने की गति समान होती है। परन्तु इस प्रकार की स्थिति में भी कीमत-परिवर्तन की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है जिसे इन विभिन्न परिवर्तनों के औसत द्वारा जाना जा सकता है। निर्देशांक, जो एक ताजिका के रूप में कमबद्ध किये गये विभिन्न कीमत-स्तरों की औसत संख्या है, सामान्य कीमत-स्तर की केन्द्रीय प्रवृत्ति को प्रकट करता है। बेंडिक्टर के शब्दों में, “कीमत का निर्देशांक आधार-वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों की औसत ऊँचाई को प्रकट करने वाली संख्या है।”²

बढ़ते हुए निर्देशांक इस बात के सूचक हैं कि सामान्य कीमत-स्तर बढ़ रहा है अथवा मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। इसके विपरीत, गिरते हुए निर्देशांक सामान्य कीमत-स्तर के घटने अथवा मुद्रा का मूल्य बढ़ने के सूचक हैं।

¹ “A perfectly exact measure of the purchasing power of money is not only unattainable but even unthinkable” —Marshall

² “An index number of prices is a figure showing the height of average prices at one time relative to their height at some other time that is taken as the base period” —Lester V. Chandler : *An Introduction to Monetary Theory*, p. 10.

निर्देशांको के प्रकार

निर्देशांको के विषय पर सर्वप्रथम पुस्तक ब्रिशप फ्लीटवुड (Bishop Fleetwood) द्वारा 1707 ई० म लिखी गयी थी, परन्तु इसका वास्तविक प्रयोग 1860 के बाद ही आरम्भ हुआ। शुरु में इसका प्रयोग अधिकतर मूल्य-परिवर्तनों की माप के लिए ही किया जाता था, किन्तु आर्थिक विकास के साथ साथ इसका प्रयोग अर्थ व्यवस्था के अन्य अंगों की माप के लिए भी किया जाने लगा। आजकल निर्देशांक अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं।

(1) थोक कीमतों के निर्देशांक (The Wholesale Price Index Numbers)—वस्तुओं की थोक कीमतों के आधार पर तैयार किये गये ये निर्देशांक सामान्य कीमत-स्तर में परिवर्तन मापने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चूँकि इनमें कच्चे पदार्थों (raw materials) की थोक कीमतें भी सम्मिलित होती हैं, इसलिए उत्पादकों के लिए इनका विशेष महत्व होता है। सरकार को भी अपनी मुद्रा तथा कीमत-नीति के निर्धारण में इन निर्देशांकों से काफी सहायता मिलती है। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार (Economic Adviser to the Government of India) द्वारा बनाये गये थोक कीमतों के निर्देशांक की नयी श्रेणी (New Series) में 139 विभिन्न वस्तुओं की थोक कीमतें सम्मिलित हैं। इन वस्तुओं को 7 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है (1) खाद्य-पदार्थ (food articles), (2) शराब तथा तम्बाकू (liquor and tobacco), (3) ईंधन, शक्ति रोशनी तथा स्नेहक पदार्थ (fuel, power, light and lubricants), (4) औद्योगिक कच्चे पदार्थ (industrial raw materials), (5) रासायनिक पदार्थ (chemicals), (6) मशीनरी तथा यातायात का साज सामान (machinery and transport equipment), तथा (7) निमित्त पदार्थ (manufactures)। सभी वस्तुओं को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार (weight) प्रदान किया जाता है। थोक कीमतों के निर्देशांक तैयार करना सग्ल होता है, परन्तु व्यवहार में उपभोक्ता का सम्बन्ध फुटकर कीमतों (retail prices) से अधिक होता है। इसलिए थोक कीमत निर्देशांक के आधार पर ठीक-ठीक अनुमान नहीं लग पाता कि मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तनों का उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(2) जीवन-निर्वाह व्यय-निर्देशांक (Cost of Living Index Numbers)—लोगों के उपभोग व्यय में परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। इनको उपभोक्ता कीमत निर्देशांक (Consumer Price Index Numbers) भी कहा जा सकता है। श्रमिक वर्ग (working class) के लिए यह निर्देशांक अलग से तैयार किये जाते हैं, जिनसे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके वेतन तथा महँगाई भत्ते निर्धारित किये जाते हैं। भारत में श्रमिक-वर्ग के उपभोक्ता कीमत निर्देशांक 27 केन्द्रों के लिए बनाये जाते हैं (जिनमें से 17 केन्द्रों के लिए प्रकाशित होते हैं)। जानकारी प्राप्त करने का मुख्य साधन पारिवारिक बजट होता है। मध्यम-वर्ग के लिए 45 शहरों से 180 वस्तुओं तथा सेवाओं की फुटकर कीमतों के आधार पर भारत में जो सूचकांक बनाये जाते हैं, उनको 'Consumer Price Index Numbers for Urban Non-manual Employees' कहते हैं।

(3) प्रतिभूति कीमत निर्देशांक (Index Numbers of Security Prices)—विभिन्न वर्गों की औद्योगिक तथा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निर्देशांक तैयार किये जाते हैं जिनसे इनके मूल्य में परिवर्तन का ज्ञान होता रहता है। कुछ औद्योगिक प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभों के भी सूचकांक तैयार किये जाते हैं जिनसे उद्योगों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

(4) उत्पादन निर्देशांक (Production Index Numbers)—देश में उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जानकारी के लिए भी निर्देशांक तैयार किये जाते हैं। भारत में कृषि-उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक अलग-अलग होते हैं। इनकी सहायता से उत्पादन स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

(5) आयात निर्यात निर्देशांक (Index Numbers of Imports and Exports)—विदेशी व्यापार में आने वाली वस्तुओं—आयात तथा निर्यात—की कीमतों के आधार पर निर्देशांक तैयार किये जाते हैं जिनसे विदेशी व्यापार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है।

उपयुक्त निर्देशांकों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के निर्देशांक भी होते हैं, जैसे—आय निर्देशांक, आर्थिक स्थिति निर्देशांक इत्यादि। इस प्रकार इनका क्षेत्र केवल वस्तुओं की कीमतों के माप तक ही सीमित नहीं है, परन्तु मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन जानने के लिए कीमत निर्देशांक ही महत्वपूर्ण है।

निर्देशांक का निर्माण

निर्देशांक के निर्माण में साधारणतया निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है

(1) निर्देशांक का उद्देश्य (Purpose of Index Number)—जैसा कि बताया जा चुका है, निर्देशांक अनेक प्रकार के होते हैं तथा अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कोई भी निर्देशांक बनाने के पूर्व इसका उद्देश्य निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा उद्देश्य उत्पादकों की क्रय शक्ति में परिवर्तन का अध्ययन करना है, तो उसके लिए थोक कीमतों या निर्देशांक उपयुक्त होगा। किन्तु यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ताओं पर देखना है, तो फुटकर कीमतों पर आधारित जीवन-निर्वाह व्यय निर्देशांक अधिक उपयोगी होगा। हैबरलर के अनुसार, "एक कीमत-स्तर की आर्थिक दृष्टि से उपयोगी परिभाषा हमारे मस्तिष्क में उद्देश्य से स्वतन्त्र नहीं हो सकती, और प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक भिन्न प्रकार का निर्देशांक तैयार करना चाहिए।"¹

(2) आधार-वर्ष का चुनाव (Selection of the Base Year)—निर्देशांक के निर्माण में हमें एक आधार-वर्ष का चुनाव करना पड़ता है जिसकी तुलना में प्रचलित कीमतों के परिवर्तनों का माप किया जाता है। आधार-वर्ष का औसत निर्देशांक 100 के बराबर मान लिया जाता है। यों तो किसी भी वर्ष को आधार माना जा सकता है, परन्तु सही जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि यह एक सामान्य (normal) वर्ष हो। अभिप्राय यह है कि आधार-वर्ष आर्थिक तथा राजनीतिक अस्त-व्यस्तता से मुक्त हो। न तो यह किसी विशेष मुद्रा प्रसार अथवा संकुचन का वर्ष हो, और न ही युद्ध-काल का। वास्तव में एक उपयुक्त आधार-वर्ष एक जल-विभाजक के समान दो आर्थिक युगों का मध्य-स्थल होता है। भारत में थोक कीमतों के निर्देशांक 1961-62 को आधार मानते हैं।

(3) वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव (Selection of Commodities and Services)—मुद्रा के माध्यम से इतनी अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की कीमत का निर्देशांक तैयार करना असम्भव होता है। अतएव कुछ विशेष वस्तुएँ तथा सेवाएँ चुन ली जाती हैं। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि चुनी हुई वस्तु एक वस्तु-समूह का प्रतिनिधित्व करती हो। निर्देशांक में सम्मिलित वस्तुओं तथा सेवाओं की सख्या न तो इतनी कम हो कि उससे सामान्य प्रवृत्ति का ज्ञान न हो पाय और न ही इतनी अधिक हो कि उनको संभालने में कठिनाई हो। फिशर के अनुसार, "जब तक निर्देशांक में 20 से अधिक वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाय तब तक इसकी कोई विशेष व्यावहारिक उपयोगिता नहीं होगी। यदि यह सख्या 50 तक हो, तो और अच्छी बात है।"

(4) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का चयन (Selection of the Prices of Commodities and Services)—वस्तुओं तथा सेवाओं को चुन लेने के पश्चात् यह निश्चय करना होता है कि निर्देशांक बनाने में इनकी कीमतों की प्रयोग किया जाय। वस्तुओं की कीमतें थोक भी होनी हैं तथा फुटकर भी, इसके अतिरिक्त कुछ नियन्त्रित (controlled) कीमतें भी होती हैं। थोक कीमतें मालूम करना सरल होता है, मुद्रा की सामान्य क्रय-शक्ति की जानकारी के लिए इनको लिया जा सकता है। किन्तु जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक के लिए फुटकर कीमतें ही अधिक उपयुक्त होंगी।

¹ "An economically relevant definition of price level cannot be independent of purpose in mind and for each purpose a separate index number must be computed"—Haberler 'The Meaning and use of a General Price Index', *Quarterly Journal of Economics*, 1928, p. 436

(5) कीमतों का औसत निकालना (To Find out the Average of Prices)—आधार-वर्ष में सब कीमतों को 100 मानते हुए अन्य वर्षों की कीमतों को आधार-वर्ष की कीमत के प्रतिशत में दिखाया जाता है। मान लीजिए आधार-वर्ष में गेहूँ की कीमत 50 रु० प्रति क्विण्टल है और निर्देशांक तैयार किये जाने वाले वर्ष में 200 रु० प्रति क्विण्टल, तब प्रतिशत के रूप में यह $\frac{200 \times 100}{50}$

= 400 होगा। इसी प्रकार, सभी वस्तुओं की कीमत का प्रतिशत अलग-अलग निकालने के बाद इन्हें जोड़कर वस्तुओं की संख्या में भाग देकर जो औसत निकाला जाता है उसे ही निर्देशांक कहते हैं। आधार-वर्ष का औसत 100 ही रहता है, परन्तु अन्य वर्षों का इससे कम या अधिक हो सकता है। इनके अन्तर में ही कीमत परिवर्तन की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। औसत निकालने में एक समस्या यह भी होती है कि औसत निकालने की कौनसी विधि अपनायी जाय। निर्देशांक बनाने में प्रायः जकगणितीय औसत (arithmetical average) तथा रेखागणितीय औसत (geometrical average) का ही प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मदों के मध्य अन्तर अधिक होने पर रेखागणितीय औसत अधिक सही परिणाम देता है।

साधारण निर्देशांक (Simple Index Number)

साधारण निर्देशांक के निर्माण के लिए हम अलग-अलग वस्तुओं की कीमतें आधार वर्ष में देख लेते हैं और प्रत्येक वस्तु की कीमत का निर्देशांक 100 के बराबर मान लेते हैं। तत्पश्चात् चालू वर्ष की कीमतों को आधार-वर्ष की कीमतों के प्रतिशत में दिखाते हैं। चालू वर्ष से सम्बन्धित प्राप्त अंक जोड़ लिये जाते हैं, जिन्हें वस्तुओं की संख्या से विभाजित करने पर निर्देशांक प्राप्त हो जाता है। कुछ काल्पनिक अंकों के आधार पर साधारण निर्देशांक के निर्माण की विधि का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

थोक कीमतों का साधारण निर्देशांक
(आधार 1950=100)

(कीमत प्रति 40 किलो रुपये में)

वस्तु संख्या	वस्तुएं	आधार वर्ष 1950		सन् 1960		सन् 1970	
		कीमत	निर्देशांक	कीमत	निर्देशांक	कीमत	निर्देशांक
1	गेहूँ	10	100	20	200	45	450
2	चावल	20	100	50	250	70	350
3	दान	15	100	30	200	45	300
4	चीनी	30	100	45	150	90	300
5	घी	200	100	300	150	500	250
		500		950		1650	
		5		5		5	
		=100		=190		=330	

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1950, जो आधार-वर्ष है, का निर्देशांक 100 है, यह बढ़कर 1960 में 190 तथा 1970 में 330 हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1950 की तुलना में 1960 में 90 प्रतिशत कीमते बढ़ी है तथा 1970 में 230 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में, 1950 की तुलना में 1960 में मुद्रा का मूल्य 90 प्रतिशत तथा 1970 में 230 प्रतिशत कम हो गया है।

भारतीय निर्देशांक (Weighted Index Number)

साधारण निर्देशांक इस मान्यता पर आधारित होता है कि इसमें सम्मिलित सभी वस्तुएँ समान महत्व की होती हैं। परन्तु वास्तविक जीवन में विभिन्न वस्तुओं का महत्व अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, गेहूँ अथवा चावल की कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव घी की कीमत

के परिवर्तन से अधिक होगा। इसलिए गेहूँ तथा धी को एकसा महत्व देना अवास्तविक होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर खर्च की गयी आय के औसत अनुपात के आधार पर अलग-अलग भार (weight) निर्दिष्ट किया जाता है। कीमत निर्देशांक की किसी वस्तु को दिये गये भार से गुणा करने पर जो गुणफल प्राप्त होता है, उसको भारों के योग से विभाजित करने पर भारतीय निर्देशांक प्राप्त किया जा सकता है। पहले उदाहरण में ली गयी वस्तुओं की कीमतों के भारतीय निर्देशांक नीचे दिये गये हैं।

धोक कीमतों का भारतीय निर्देशांक
(आधार 1950=100)

(कीमत प्रति 40 किलो रुपये में)

वस्तु	वस्तुएं	भार	आधार-वर्ष 1950		सन् 1960		सन् 1970	
			कीमत	निर्देशांक	कीमत	निर्देशांक	कीमत	निर्देशांक
1	गेहूँ	7	10	$100 \times 7 = 700$	20	$200 \times 7 = 1400$	45	$450 \times 7 = 3150$
2	भावल	5	20	$100 \times 5 = 500$	50	$250 \times 5 = 1250$	70	$350 \times 5 = 1750$
3	धान	4	15	$100 \times 4 = 400$	30	$200 \times 4 = 800$	45	$300 \times 4 = 1200$
4	चीनी	3	30	$100 \times 3 = 300$	45	$150 \times 3 = 450$	90	$300 \times 3 = 900$
5	धी	1	200	$100 \times 1 = 100$	300	$150 \times 1 = 150$	500	$250 \times 1 = 250$
			<u>20</u>	<u>2000</u>		<u>4050</u>		<u>7250</u>
				<u>20</u>		<u>20</u>		<u>20</u>
				<u>=100</u>		<u>=202.5</u>		<u>=362.5</u>

वही वस्तुएँ जिनकी कीमत के आधार निर्देशांक 1950 के आधार पर 1960 में 190 तथा 1970 में 330 थे, भारतीय होने पर 1960 में 202.5 तथा 1970 में 353.5 हो जाते हैं। भारतीय निर्देशांक कीमतों में परिवर्तन सम्बन्धी सूचना साधारण निर्देशांक की अपेक्षा अधिक सही तरीके से व्यक्त करते हैं।

निर्देशांक की कठिनाइयाँ

एक सही निर्देशांक के निर्माण में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

(1) आधार-वर्ष के चुनाव में कठिनाई—जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्देशांक के निर्माण में एक उपयुक्त आधार-वर्ष का होना आवश्यक होता है। आधार के रूप में चुन गये वर्ष का आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के दृष्टिकोण से सामान्य (normal) वर्ष होना भी आवश्यक होता है। परन्तु इस प्रकार के वर्ष का चयन करना कोई मरत कार्य नहीं होता, क्योंकि प्रायः कोई भी वर्ष कुछ विशेष घटनाओं से मरबन्धा रहित नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर आधार-वर्ष बदलते रहना पड़ता है। उदाहरणतया वर्तमान परिस्थितियों में द्वितीय युद्ध के पूर्व का कोई वर्ष आधार मानना अनावश्यक तथा अव्यावहारिक होगा।

(2) प्रतिनिधि वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव में कठिनाई—वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव निर्देशांक के उद्देश्य के अनुसार ही करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक बनाना है तो भ्रमिकों के उपभोग पर आधारित निर्देशांक मूल्यम वर्ग के लिए बेकार सा हो होगा, क्योंकि उनके उपभोग की वस्तुएँ भिन्न प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तब पड़ती है कि समय में अन्तर के साथ-साथ वस्तुओं के गुण तथा स्वभाव में भी अन्तर पड़ जाता है। किसी एक वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में भी विभिन्नता आती रहती है।

(3) कीमत-सकलन सम्बन्धी कठिनाई—कीमतों में सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठा करना एक कठिन तथा व्ययपूर्ण कार्य होता है। सगठित बाजार में धोक कीमतें जानने में तो विशेष कठिनाई नहीं होती, परन्तु जीवन-निर्वाह व्यय निर्देशांक के निर्माण में घुटकर कीमतें ही लनी पड़नी हैं, जो

वहुत कठिन कार्य होता है। चूंकि विभिन्न स्थानों में एक ही वस्तु की फुटकर कीमत अलग-अलग होती है, इसलिए इन कीमतों के आधार पर बनाये गये निर्देशांक बहुत अधिक विश्वासप्रद सूचना नहीं दे पाते। कीमतों में विभिन्नताओं के कारण एक समय या एक देश के लिए बनाये गये निर्देशांक दूसरे समय या देश से सम्बन्धित सूचना नहीं दे पाते।

(4) वस्तुओं के भार-निर्धारण में कठिनाई—अलग-अलग वस्तुओं के महत्व में अन्तर होने के कारण निर्देशांक के निर्माण में उन्हें भार (weight) प्रदान करना पड़ता है। किन्तु विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक महत्व तथा भार निश्चित करना एक कठिन कार्य है। एक ही वस्तु अलग-अलग व्यक्तियों तथा वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न महत्व रखती है। समय तथा रुचियों में परिवर्तन के अनुसार भी वस्तुओं का महत्व बदलता रहता है। अतएव विभिन्न वस्तुओं को दिये गये भार अर्ध-वास्तव अनुमानजनक ही होते हैं, जिनका सही होना आवश्यक नहीं होता।

(5) औसत निर्धारण की कठिनाई—औसत निकालने के कई तरीके हैं और अलग अलग तरीकों से औसत निकालने पर अलग-अलग निर्देशांक प्राप्त होते हैं। निर्देशांक-निर्माण के लिए किम औसत का प्रयोग किया जाय, वह निश्चय करना कठिन होता है।

(6) समय में अन्तर के साथ साथ वस्तुओं के सग्रह में परिवर्तन की कठिनाई—दो विभिन्न वर्षों की तुलना करते समय एक कठिनाई जो सामने आती है, यह है कि समय में अन्तर के साथ-साथ बहुत-सी नयी वस्तुएँ उपभोग में आती हैं अथवा महत्वपूर्ण हो आती हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुएँ उपभोग से निकल जाती हैं। उदाहरण के लिए, नायलॉन के बने वस्त्र तथा अन्य वस्तुएँ आज जितनी अधिक उपभोग की जाती हैं, कुछ वर्ष पूर्व नहीं थीं। आदत, अभिरुचि, आविष्कार तथा आय व कीमत में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, मात्रा तथा गुण बदलते रहते हैं, जिसके कारण उनकी तुलना आधार-वर्ष से करना कठिन होता है। इस कठिनाई को कम करने के लिए मार्शल ने शृंखलावद्ध निर्देशांक (Chain Index Numbers) के निर्माण का सुझाव दिया था जिसके द्वारा दो वर्षों की कीमतों की तुलना बीच के वर्षों की कीमतों के साथ कर सकते हैं। परन्तु यह भी कोई मरल पद्धति नहीं है, इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं।

निर्देशांक-निर्माण सम्बन्धी उक्त कठिनाइयों के कारण ही मार्शल ने यह निराशापूर्ण विचार प्रकट किया था कि "मुद्रा की त्रय-शक्ति का ठीक-ठीक माप न केवल असम्भव है, अपितु अविचारणीय भी है।" परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि निर्देशांक पूर्णतया निरर्थक नहीं होते। व्यावहारिक कठिनाइयों के रहते हुए भी इनसे परिवर्तन की मात्रा का कुछ अनुमान तो ही हो जाता है। इस सम्बन्ध में रॉबर्टसन का विचार अधिक विवेकपूर्ण है कि "मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन का उचित माप न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्भव है, न व्यावहारिक दृष्टि से ही। फिर भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है, और यदि पर्याप्त सावधानी से काम लिया जाय तो कुछ व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उनका माप काफी हद तक ठीक हो सकता है।"¹ निर्देशांक के निर्माण में जिन बातों के प्रति सावधानी आवश्यक होती है उनका उल्लेख पहले किया ही जा चुका है। उन बातों को ध्यान में रखने पर पूर्णतया सत्य न सही परन्तु काफी उपयोगी अनुमान प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्देशांक की सीमाएँ

निर्देशांक के निर्माण में न केवल अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं, बल्कि कुछ सैद्धान्तिक सीमाएँ भी होती हैं, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- 1 निर्देशांक अनुमानजनक होने हैं तथा इनमें गणितात्मक सत्यता का अभाव रहता है।
- 2 भारतीय निर्देशांक में भार-निर्धारण अवेज्ञानिक तथा ऐच्छिक होता है। भिन्न भिन्न वर्षों में एक ही वस्तु के भार बदल जाते हैं जिसके कारण परिणामों में भी अन्तर हो सकता है।

1 "The conclusion then is that neither in practice nor perhaps in theory it is possible to measure accurately the changes in the value of money. Nevertheless, there is no doubt that the value of money changes, and if sufficient care is taken, measures accurate enough for some practical purposes can be found and used"—Robertson

- 3 इनका उपयोग केवल एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति तक ही सीमित होना है, क्योंकि जिस विशेष उद्देश्य के लिए निर्देशांक तैयार किया जाता है केवल उसके लिए ही वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- 4 विभिन्न देशों में आर्थिक परिवर्तनों की तुलना करने में यह अधिक उपयोगी नहीं होते क्योंकि अलग अलग देशों में प्रायः आधार-वर्ष, वस्तुओं तथा वस्तुओं की कीमतों में अन्तर होते हैं।
- 5 निर्देशांक द्वारा प्रकट किये गये परिणाम भ्रामक हो सकते हैं क्योंकि यह सब तथ्यों का प्रयोग न कर केवल नमूने के तथ्य ही काम में लाते हैं। वस्तुओं की उचित कीमत की जानकारी प्राप्त करना भी कठिन होता है तथा भार निर्धारण, वस्तुओं के चुनाव तथा उचित आधार के चुनाव में अनेक त्रुटियाँ हो सकती हैं।

निर्देशांक की सीमाओं के बारे में कॉलवोर्न ने लिखा है कि “इस परिवर्तनशील सप्ताह में मैदान्तिक दोषों से बच सकना कठिन है और निकट भविष्य में, जहाँ तक हम देख सकते हैं, मैदान्तिक दृष्टि से निर्देशांक-निर्माण की श्रेष्ठतम पद्धतियों का प्रयोग होना सम्भव नहीं होगा।”¹

निर्देशांको के लाभ

निर्देशांक के निर्माण की व्यावहारिक कठिनाइयाँ तथा सैद्धान्तिक सीमाएँ उनकी उपयोगिता को समाप्त नहीं कर देती। वास्तव में सीमाएँ तो प्रायः सम्पूर्ण आर्थिक खोज में निहित होती हैं, परन्तु सावधानी से इनका बहुत कुछ निवारण किया जा सकता है। निर्देशांक को आर्थिक जगत के दबावों को नापने का यन्त्र कहा जाता है। भले ही यह एक अपूर्ण यन्त्र सही, परन्तु इसका प्रयोग त्याग देना सम्भव नहीं है। व्यावहारिक रूप में निर्देशांको से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं

(1) मुद्रा के मूल्य का माप—मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन कई पहलुओं में आवश्यक है। भविष्य के भुगतानों की सुविधा के लिए उत्पादन तथा रोजगार की दिशा निर्धारित करने के लिए तथा विभिन्न स्थानों अथवा वर्गों के लोगों की वास्तविक आय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को नापना आवश्यक होता है। इस कार्य में निर्देशांक हमारे बहुत बड़े सहायक हैं। फ्राउथर के अनुसार, “निर्देशांक की टेक्नीकल पद्धति के प्रयोग द्वारा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का माप सम्भव है।”

(2) जीवन-स्तर में परिवर्तन का ज्ञान—समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए यह आवश्यक होता है कि उनकी वास्तविक आय (real income) में वृद्धि हो अर्थात् वे अपनी बड़ी हुई आय से वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकें। कीमतें बढ़ते रहने से मौद्रिक आय (money income) में वृद्धि हो जाने पर भी वास्तविक आय नहीं बढ़ती। जीवन-निर्वाह व्यय निर्देशांक से यह पता चलता है कि रहन-सहन का व्यय बढ़ रहा है या घट रहा है, अर्थात् वास्तविक आय में केंसा परिवर्तन हो रहा है। इसी के आधार पर मजदूरों तथा मालिकों के भाड़े भी तय किये जा सकते हैं।

(3) मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता—चूँकि निर्देशांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों का सूचक होता है, इसलिए धमिका की मजदूरी के निर्धारण में इससे बहुत सहायता मिलती है। प्रायः प्रयास यह किया जाता है कि मजदूरों की वास्तविक आय न गिरने पाये जिससे उनके जीवन स्तर में गिरावट न हो।

(4) उत्पादन सम्बन्धी जानकारी—निर्देशांक से यह भी पता चलता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास की स्थिति क्या है। कौन कौनसे उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा है और कौनसे ऐसे हैं जिनमें घट रहा है। कृषि-उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जानकारी के आधार पर औद्योगिक तथा कृषि-विकास की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।

1 “the theoretical shortcomings are ineluctable in a changing world and at no time which we can foresee in the future could the theoretically best methods of compiling index numbers be put into operation” —Coulborn *A Discussion of Money*, p 80

(5) विदेशी व्यापार सम्बन्धी ज्ञान—आयात तथा निर्यात निर्देशांक से विदेशी व्यापार की स्थिति का ज्ञान होता है और इसके आधार पर भुगतान-सन्तुलन सुधारने के प्रयास किये जाते हैं।

(6) व्यापार में सहयोग—निर्देशांक से प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्पादक तथा व्यापारी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाते हैं तथा उसके अनुसार अपनी योजनाएँ तैयार करते हैं। फिचर के अनुसार, “वस्तुओं का कीमत-स्तर स्थायी रखने तथा व्यापार में स्थिरता लाने के लिए निर्देशांक बहुत उपयोगी है।”

(7) मौद्रिक तथा विकास सम्बन्धी नीति का निर्धारण—स्थिरता एव विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को उपयुक्त नीति का निर्माण करना होता है। आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं में कोई भी मौद्रिक अथवा विकास सम्बन्धी नीति विभिन्न प्रकार के निर्देशांकों की सहायता के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती। हॉम के विचार में, “कीमत-स्तर जो निर्देशांकों के माध्यम से सुविधापूर्वक व्यक्त किये जा सकते हैं, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं।”

इस प्रकार, कीमत तथा आय की स्थिरता, व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास, आर्थिक नीति के निर्माण आदि महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में निर्देशांक द्वारा प्राप्त किये गये सकेत बहुत उपयोगी होते हैं। किन्तु, जैसा कि पहले बताया गया है, इनके निर्माण में विनोद योग्यता तथा सत-वंता की आवश्यकता होती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के सकेत

- 1 निर्देशांक क्या हैं और कैसे तैयार किये जाते हैं ? साधारण तथा भारशूल निर्देशांकों में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
[सकेत—निर्देशांक की परिभाषा तथा इनका निर्माण में ध्यान रखने वाली बातों की विवेचना के पश्चात् साधारण तथा भारशूल निर्देशांक में अन्तर उदाहरण की सहायता से समझाएँ ।]
- 2 निर्देशांक के निर्माण में कौन-कौनसी कठिनाइयाँ सामने आती हैं ? इनको कहाँ तक विरलनीय माना जा सकता है ?
[सकेत—निर्देशांक निर्माण की कठिनाइयाँ तथा सीमाओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए और बताएँ कि इनसे प्राप्त परिणाम पूरक तथा सत्य नहीं होते परन्तु फिर भी इनके व्यापार पर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है ।]
- 3 विभिन्न प्रकार के निर्देशांकों का उल्लेख कीजिए तथा इनके महत्व की व्याख्या कीजिए ।
[सकेत—अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बनाये गये निर्देशांकों का विवरण देने के पश्चात् निर्देशांक से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए ।]
- 4 “निर्देशांक देश की आर्थिक प्रगति के सूचक यन्त्र हैं।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?
[सकेत—निर्देशांकों के निर्माण के विभिन्न उद्देश्यों तथा उनमें प्राप्त लाभों की व्याख्या के पश्चात् उनकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए और बताएँ कि ये एक सकेत मात्र हैं ।]

9 May

मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन—मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन

[CHANGES IN MONEY VALUE—INFLATION AND DEFLATION]

“यदि मुद्रा-स्फीति अग्रगण्य है, तो मुद्रा-संकुचन अनुपयुक्त है।”

—केम्बर

प्रत्येक पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के मुख्यतया दो रूप होते हैं—मुद्रा-स्फीति (Inflation), तथा अव-स्फीति अथवा मुद्रा-संकुचन (Deflation)। पिछले 40 वर्षों में दो अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है—नस्फीति (Reflation) तथा अव-नस्फीति (Disinflation)। विनी भी मौद्रिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा-मूल्य में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का स्वरूप तथा स्वभाव भली प्रकार समझ लिया जाय।

मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-स्फीति ~~max~~

मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन—यों दोनों एके शब्द हैं वित्तका प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किया गया है। प्रारम्भ में मुद्रा प्रसार का अर्थ यह समझा जाता था कि मुद्रा की मात्रा का विस्तार उसके पौन्डे रूबे जाने वाले मुरझित कोष के अनुरूप में अधिक हो गया है। परन्तु बाद में इसका प्रयोग उस स्थिति के लिए किया जाने लगा जबकि मुद्रा की मात्रा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में अधिक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। आधुनिक काल में केम्बर तथा उनके समर्थकों ने मुद्रा-प्रसार को रोजगार की स्थिति में सम्बन्धित किया है। मुद्रा-प्रसार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

काउपेर के विचार में, “मुद्रा-प्रसार की सरलतम तथा सर्वाधिक उपयोगी परिभाषा यह हो सकती है कि मुद्रा-प्रसार वह स्थिति है जिसमें मुद्रा-मूल्य गिरता है अर्थात् कीमतें बढ़ती हैं।” “मुद्रा-प्रसार प्रायः बड़नी हुई क्षमता तथा रोजगार में सम्बन्धित किया जाता है।”¹ इसमें मन्देह नहीं कि यह परिभाषा अति सरल है, परन्तु यह नहीं स्थिति को व्यक्त नहीं करती। वास्तव में, मुद्रा की मात्रा में प्रचण्ड वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप कीमतों में होने वाली वृद्धि मुद्रा-प्रसार नहीं कहलायेगी। उदाहरणार्थ, मन्दी-काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा कीमतों का चढ़ाव मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जायेगा, क्योंकि यह अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं, अपितु हितकर होता है। उन्नी प्रकार, रोजगार की स्थिति में प्रचण्ड मुद्रा-प्रसार से सम्बन्धित कला अनुचित होगा।

केम्बर (Kemmerer) के अनुसार, मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें किये जाने

¹ “Inflation is unjust and Deflation is accepted. Of the two perhaps deflation is the worse because it is worse to an impoverished world to provoke unemployment than to disappoint the richer.”—J. M. Keynes. *A Treatise on Monetary Reform.*

² “The simplest and most useful definition seems to be that inflation is a state in which the value of money is falling, i.e. prices are rising. Inflation is usually associated with rising activity and employment.”—Crowther. *An Outline of Money*, p. 107.

वाले व्यापार की तुलना में चलन तथा निक्षेप मुद्रा की मात्रा अधिक हो।¹¹ इस प्रकार केमरर उन स्थिति को मुद्रा प्रसार समझता है जब देश में व्यापार की मात्रा के रूप में प्रकट की जाने वाली मुद्रा की माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। जैसा कि केमरर ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा-प्रसार की स्थिति मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर ही उत्पन्न हो। मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर भी व्यापार की मात्रा में कमी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ने लगे और मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाय।

जैसा कि क्राउवर द्वारा दी गयी परिभाषा में कहा गया है, यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-प्रसार ही हो, कभी कभी यह वृद्धि मन्दी के पश्चात् आर्थिक उत्थान के लिए भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त केमरर की परिभाषा कुछ अस्पष्ट भी है क्योंकि इसने हमें यह नहीं पता चलता कि हम व्यापार तथा व्यवसाय की मौद्रिक आवश्यकताओं को कैसे निर्धारित करें। प्रायः कीमतें बढ़ने पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की माँग से अधिक है। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि कीमतों में वृद्धि किसी अमौद्रिक कारण से हुई हो। इस प्रकार एक ओर तो मुद्रा की माँग का सही अनुमान लगाना कठिन होगा है, दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है, क्योंकि चलन की मात्रा के साथ साथ चलन-गति (velocity) भी पूर्ति को प्रभावित करती है। अतएव मुद्रा की माँग तथा पूर्ति के आधार पर केमरर द्वारा दी गयी मुद्रा-प्रसार की परिभाषा को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

हॉट्टे के अनुसार, "आर्थिक जीवन की वह दशा जिसमें चलन का अत्यधिक निर्गमन हो, मुद्रा-प्रसार है।"¹² केमरर की परिभाषा के समान यह भी अस्पष्ट है क्योंकि "अत्यधिक निर्गमन" से अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। यदि इसका निर्धारण मुद्रा की माँग के आधार पर करना है तो इसकी कठिनाइयों का उल्लेख हम केमरर की परिभाषा की आलोचना करते समय कर चुके हैं।

पीगू ने मुद्रा-प्रसार की परिभाषा में एक विभिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। उनके विचार में, "मुद्रा प्रसार की स्थिति तब होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में बढ़ रही हो।"¹³ एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है कि "मुद्रा-प्रसार उस समय होता है जब उत्पादन के साधनों, जिनको भुगतान के रूप में मौद्रिक आय प्राप्त होती है, के द्वारा किये गये कार्यों की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़ रही होती है।"¹⁴ इस प्रकार, प्रो० पीगू के अनुसार मुद्रा प्रसार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय अधिक बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर मौद्रिक आय बढ़ती है जिसके परिणामस्वरूप उपभोग की वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग बढ़ती है तथा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। धीरे धीरे उत्पादन की वृद्धि तथा मौद्रिक आय की वृद्धि में साम्य (equilibrium) स्थापित हो जाता है। इस बिन्दु के आगे मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। यही असन्तुलन की स्थिति, जबकि मौद्रिक आय की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि से अधिक होती है, मुद्रा-प्रसार की स्थिति होती है।

यह स्पष्ट है कि पीगू के अनुसार कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा प्रसार नहीं है। उनके अनुसार पाँच दशावा में कीमतों की वृद्धि मुद्रा प्रसार की श्रेणी में आती है (1) मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो जबकि उत्पादन की मात्रा स्थिर हो, (2) मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो जबकि राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा घट रही हो, (3) मौद्रिक आय में वृद्धि इतनी तीव्र हो कि उसका अनुपात उत्पादन की वृद्धि से अधिक हो (4) मौद्रिक आय यथास्थिर हो परन्तु राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा हो, तथा (5) मौद्रिक आय घट रही हो और साथ में उत्पादन में भी कमी हो रही हो।


- 1 "Inflation is too much currency in relation to the physical volume of business being done —E W Kemmerer *A B C of Inflation* p 6
- 2 "The state in which there is over issue of currency is called inflation" —Hawtrey
- 3 "Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income earning activity —Pigou 'Types of War Inflation', *Economic Journal* Dec 1941, p 4
- 4 "Inflation is taking place when money income is expanding relatively to the output of work by productive agents for which it is the payment —Pigou *The Veil of Money*, p 34

इस प्रकार प्रो० पीगू की मुद्रा-स्फीति की धारणा उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है, जिससे यह ऊपर बतायी गयी सभी परिभाषाओं में सबसे अधिक व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक है।

पूर्ण तथा अर्द्ध-स्फीति

प्रो० केन्ज ने मुद्रा प्रसार अथवा स्फीति को रोजगार की स्थिति से सम्बन्धित किया है। केन्ज के विचारानुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था तक पहुँचने के पूर्व यदि मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है तो जमका एक भाग तो रोजगार के विस्तार में सहायक होगा, परन्तु दूसरा भाग उत्पादन-लागत में वृद्धि द्वारा कीमतों को बढ़ायेगा। पूर्ण रोजगार की अवस्था के पूर्व की इस स्थिति को केन्ज ने अर्द्ध-स्फीति (semi-inflation) कहा है। पूर्ण रोजगार के बिन्दु तक पहुँचने के बाद यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो यह रोजगार को तो बढ़ायेगी नहीं क्योंकि उत्पादन के अन्य साधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका है, इससे केवल कीमतें ही बढ़ेंगी। केन्ज के अनुसार यह स्थिति पूर्ण-स्फीति (final inflation) की होगी।

प्रस्तुत रेखाचित्र (3) में D रेखा पूर्ण रोजगार की अवस्था को दिखाती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप यदि कीमतों में वृद्धि रेखा D तक होती है, तो यह अर्द्ध-स्फीति की स्थिति होगी, और इसके आगे होना पर पूर्ण स्फीति की। कीमत की वज्र-रेखा पूर्ण रोजगार की रेखा को P बिन्दु पर छूती है।



चित्र 3


आधुनिक अर्थशास्त्री प्रायः केन्ज के विचारों को ही अधिक युक्तिसंगत स्वीकार करते हैं। परन्तु यह विचार भी भ्रष्टियों से रहित नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति एक यथार्थ न होकर एक कल्पना मात्र है। इसको आधार मानना केवल सैद्धान्तिक रूप में ही

ठीक हो सकता है, व्यावहारिक रूप में नहीं। इसके अतिरिक्त, यह विचार मान लेने पर ऐसे देतों में जहाँ पूर्ण विकास नहीं हुआ है, स्फीति की स्थिति कभी भी होने पर उसे अर्द्ध-स्फीति ही कहा जायेगा। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि अधिकांश परिस्थितियों में अकेला मुद्रा-प्रसार विकास को प्रोत्साहित नहीं कर पाता, बल्कि कभी-कभी तो यह अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करके विकास के मार्ग में एक बाधा बन जाता है। यह सब व्यावहारिक कठिनाइयाँ देखने हुए, यही कहना अधिक उपयुक्त है कि मुद्रा की प्रचलित मात्रा में कृत्रिम रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की तुलना में तीव्र तथा अचानक वृद्धि होना मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न करता है।

स्फीतिक अन्तर

मुद्रा-स्फीति की व्याख्या में प्रो० केन्ज ने स्फीतिक अन्तर (inflationary gap) का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह विचार उस स्थिति का निरूपण करता है जिनमें स्फीति के पूर्व (pre-inflation) की कीमतों पर आय का वह भाग जिसे खर्च करने की सम्भावना होती है, उपलब्ध उत्पादन अथवा पूति की मात्रा से अधिक होता है। उपलब्ध उत्पादन रोजगार की मात्रा तथा उत्पादन की तकनीकी (technical) दशाओं पर निर्भर करता है। सम्भावित अथवा नियोजित व्यय (planned expenditure) उपभोग (C), विनियोग (I), तथा सरकारी व्यय (G) द्वारा निर्धारित होता है। जब समाज द्वारा नियोजित व्यय की मात्रा कुल उपलब्ध उत्पादन के मूल्य से (पूर्व-स्फीति कीमतों के आधार पर) अधिक होती है तो स्फीतिक-अन्तर उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए, किसी देश की कुल आय 1,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये करो के रूप में लोगों से ले लिये गये हैं। अब लोगों के पास व्यय के लिए 900 करोड़ रुपये हैं। परन्तु यदि उपलब्ध उत्पादन, स्थिर कीमतों के आधार पर, 800 करोड़ रुपये के मूल्य का ही है, तो स्फीतिक-अन्तर $900 - 800 = 100$ करोड़ रुपये होगा।

प्रस्तुत रेखाचित्र (4) में वास्तविक आय को OX तथा नियोजित व्यय को OY रेखाओं पर नापा गया है। C रेखा द्वारा उपभोग, $C+I$ द्वारा उपभोग तथा विनियोग, और $C+I+G$ द्वारा उपभोग तथा सरकारी व्यय को व्यक्त किया गया है। आय के OM स्तर पर लोगों तथा सरकार द्वारा उपभोग व विनियोग के रूप में किया गया कुल व्यय ($C+I+G$) वर्तमान कीमतों पर कुल आय OM के बराबर है। इस बिन्दु पर वर्तमान कीमतों के आधार पर पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। इस प्रकार आय तथा व्यय सन्तुलित अवस्था में है और स्फीति-अन्तर की मात्रा शून्य है। अब यदि किसी कारण वश सरकारी व्यय (G) में वृद्धि हो जाती है, तो सन्तुलन बनाये रखने के लिए वास्तविक आय अथवा कुल उत्पादन में भी उमी



चित्र 4

अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। अर्थात् वास्तविक आय में MM' वृद्धि होना आवश्यक है, अन्यथा अमान्युलन की स्थिति उत्पन्न होगी और कीमत-स्तर में वृद्धि होगी। $C+I+G'$ रेखा, जो बढ़े हुए सरकारी व्यय को दिखाती है, तथा $C+I+G$ रेखा में अन्तर (ab) स्फीति-अन्तर को दिखाता है। यह अन्तर तब तक बना रहेगा जब तक वास्तविक आय में MM' के बराबर वृद्धि नहीं होती। आय में वृद्धि होने पर स्फीति-अन्तर समाप्त हो जायेगा तथा कीमतों का बढ़ना रुक जायेगा।

मुद्रा-स्फीति की जाँच

जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुद्रा की प्रचलित मात्रा (अथवा पूति) के उत्पादन अथवा आय की मात्रा (अथवा मांग) से अधिक होने से कारण कीमतों में वृद्धि (अथवा मुद्रा-मूल्य में कमी) होने पर मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस प्रकार से कीमत-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा सकता। मन्दी की स्थिति में जब कीमत-स्तर असाधारण रूप से गिर जाता है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से यदि कीमत-स्तर में कुछ वृद्धि होती है, तो उसे मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जायेगा। जैसा कि पहले बताया गया है, केन्ज के अनुसार मुद्रा-स्फीति की स्थिति पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त उत्पन्न होती है, किन्तु सुविधा के लिए हम कीमत-स्तर में होने वाली असाधारण तीव्र वृद्धि को ही मुद्रा-स्फीति का सूचक मानते हैं।

मुद्रा-स्फीति का क्रम एक बार आरम्भ होने पर बढ़ता ही जाता है। कीमतों में वृद्धि के कारण व्यय की मात्रा बढ़ने लगती है तथा बचत की मात्रा कम हो जाती है। व्यापारी भी भविष्य में अधिक लाभ की आशा से वस्तुओं की माँग बढ़ा देते हैं। अधिक व्यय के परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल माँग में वृद्धि हो जाती है जिसका प्रभाव कीमतों, वेतनों, उत्पादन-लागत इत्यादि पर वृद्धि के रूप में पड़ता है। उत्पादन की मात्रा में इसी अनुपात में वृद्धि न होने पर मुद्रा के मूल्य में निरन्तर कमी होने लगती है। इन परिस्थितियों में यदि मुद्रा की मात्रा में और वृद्धि कर दी जाय तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्फीति के क्रम में रकबाट न डालने पर एक व्यवस्था ऐसी आती है जबकि अति-स्फीति (hyper-inflation) अथवा तीव्रगामी स्फीति (galloping inflation) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

स्फीति के रूप

स्फीति कई प्रकार की होती है। इसके विभिन्न रूपों के वर्गीकरण के कई आधार हैं।

(1) कारणों के अनुसार—स्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के कारणों के आधार पर स्फीति के अनेक रूप हो सकते हैं। यदि कीमत-स्तर में वृद्धि वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण होती है,

तो उस स्थिति को 'वस्तु स्फीति' (Commodity Inflation) कहते हैं। यदि कीमतों में वृद्धि चलन में मुद्रा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होती है, तो उसे 'मुद्रा-स्फीति' (Currency Inflation) कहा जाता है। स्फीति का मुख्य कारण साख की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने पर 'साख स्फीति' (Credit Inflation) की स्थिति उत्पन्न होती है। करो में वृद्धि तथा अन्य वित्तीय कारणों से स्फीति उत्पन्न होने पर उसे 'वित्तीय स्फीति' (Fiscal or Budgetary Inflation) कहा जाता है। इसी प्रकार, अति-विनियोगी स्फीति (Over-investment Inflation), अल्प-उत्पादन स्फीति (Under-production Inflation) आदि अन्य अनेक रूप होते हैं।

कारणों के आधार पर माँग-प्रेरित स्फीति (Demand-pull Inflation) तथा लागत-वृद्धि स्फीति (Cost-push Inflation) में भी भेद किया जाता है। माँग-प्रेरित स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए सम्पूर्ण (effective) माँग सम्पूर्ण उत्पादन की तुलना में अधिक होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे चलन तथा साख की मात्रा में वृद्धि होने से लोगों के पास भ्रय-शक्ति का बढ़ जाना, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होना, मीट्रिक आय में वृद्धि होना, उपभोग-प्रवृत्ति में वृद्धि होना इत्यादि।

उत्पत्ति के साधनों का मूल्य, यिना उनकी उत्पादकता (productivity) में किसी प्रकार की वृद्धि हुए, बढ़ जाना अथवा उत्पादकता-वृद्धि से अधिक अनुपात में साधन का मूल्य बढ़ना, उत्पादन-लागत को बढ़ा देता है। श्रम-तापों के बढ़ाव में मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पादन-लागत बढ़ेगी जिनके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ेंगी। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमत पर भी पड़ेगा तथा सामान्य कीमत-स्तर ऊँचा हो जायेगा। उत्पादन-लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई यह स्थिति लागत-वृद्धि स्फीति की होगी।

(2) स्फीति-प्रक्रिया की प्रकृति के अनुसार—उन क्रियाओं के आधार पर जिनके द्वारा स्फीति उत्पन्न होती है, स्फीति के तीन रूप हो सकते हैं

1. घाटा-प्रेरित स्फीति (Deficit-induced Inflation)—सरकार का व्यय अपनी आय से अधिक होने पर जब घाटे की पूर्ति हीनार्थ-प्रदण्डन (deficit financing) द्वारा की जाती है तो चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तथा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
2. वेतन-प्रेरित स्फीति (Wage-induced Inflation) वह स्थिति है जबकि मजदूरी में वृद्धि का अनुपात श्रम की उत्पादकता से अधिक है तथा जिनके कारण उत्पादन-लागत तथा कीमत-स्तर में वृद्धि होती है।
3. लाभ-प्रेरित स्फीति (Profit-induced Inflation) के अन्तर्गत उत्पादन-लागत में कर्मा होने पर कीमतों को नीचे गिराने में जब कृत्रिम उपायों द्वारा रोका जाता है तो उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है। कीमतें बढ़नी तो नहीं परन्तु नीचे भी नहीं आ पाती। इस प्रकार की स्थिति को केन्ज ने लाभ-प्रेरित स्फीति कहा है।

(3) समय के अनुसार—समय के अनुसार स्फीति का वर्गीकरण युद्ध कालीन स्फीति (War-period Inflation), युद्ध-पश्चात स्फीति (Post-war Inflation) तथा शांतिकालीन स्फीति (Peace-time Inflation) में किया जाता है। युद्ध-काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन के ढाँचे में परिवर्तन तथा विदेशी व्यापार की समस्याओं के कारण स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, जो युद्ध-पश्चात काल में भी बनी रहती है। शांति-काल में आर्थिक विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए अथवा किसी अन्य उद्देश्य से मुद्रा को मात्रा में वृद्धि करने पर भी स्फीति की स्थिति हो सकती है।


(4) आकार के अनुसार—आकार के आधार पर स्फीति 'व्यापक स्फीति' (Comprehensive Inflation) तथा 'खण्डीय स्फीति' (Sectional Inflation) हो सकती है। जब सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो व्यापक स्फीति होती है, और जब कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में ही वृद्धि हो तो खण्डीय स्फीति की स्थिति होती है। खण्डीय स्फीति की स्थिति प्रायः अस्थायी प्रकार की होती है।

(5) नियन्त्रण के अनुसार—स्फीति का वर्गीकरण 'खुली स्फीति' (Open Inflation) तथा 'दबो स्फीति' (Suppressed Inflation) में भी किया जाता है। कीमतों की वृद्धि पर किसी प्रकार का नियन्त्रण होने से जब उनमें स्वतन्त्र रूप से वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को 'खुली स्फीति' कहते हैं। 'दबो स्फीति' से अभिप्राय उस परिस्थिति से है जिसमें सरकार द्वारा कीमत नियन्त्रण (price control) तथा राशनिंग की नीतियों द्वारा कीमतों को नियन्त्रित रखने का प्रयास किया जाता है। पूर्ति की मात्रा को नियन्त्रित करके सरकार मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि का प्रभावहीन बना देती है। व्यावहारिक रूप में नियन्त्रण पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाते तथा कीमतों में कुछ वृद्धि ही होती है, परन्तु यह वृद्धि उस वृद्धि की अपक्षा बहुत कम होती है जो नियन्त्रण न रहने की स्थिति में होती।

(6) गति के अनुसार—स्फीति की गति (speed) के आधार पर स्फीति के चार रूप होते हैं

- 1 रेंगती स्फीति (Creeping Inflation)—यह उम परिस्थिति की सूचक है जबकि कीमत-स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि होती है। केन्ज के विचार में इस प्रकार की हल्की-सी स्फीति अर्थ व्यवस्था को विकासोन्मुख रखने के लिए आवश्यक है। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह रेंगती हुई स्फीति वाद में कही चन्दा, बूदना तथा दोड़ना आरम्भ न कर दे।
- 2 चलती स्फीति (Walking Inflation)—रेंगती स्फीति की गति कुछ बढ़ जाने पर जब कुछ क्षतरे के चिह्न दिखायी पडन लगे तो यह चलती स्फीति की स्थिति होती है।
- 3 दौड़ती स्फीति (Running Inflation)—इस स्थिति के अन्तर्गत कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से स्थिर आय वाले लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है।
- 4 सरपट दौड़ती स्फीति (Gallop, Runaway or Hyper Inflation)—यह वह स्थिति होती है जिसमें कीमतें इतनी तीव्रता से बढ़ती हैं कि वृद्धि की कोई सीमा ही नहीं होती और न ही इसके बारे में अनुमान लगाना सम्भव होता है। मुद्रा का मूल्य इतना अधिक गिर जाना है कि लोगों का मुद्रा में विश्वास नहीं रहता। प्रथम युद्ध के पश्चात् जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया में इसी प्रकार की स्थिति हो गयी थी जबकि एक दिन में कई बार थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कीमतों में परिवर्तन होते थे। एक ही ममय में चाय पीने पर पहले प्याले की कीमत दूसरे प्याले की कीमत से भिन्न हो जाती थी। इन परिस्थितियों में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है।

उपर्युक्त चारों स्थितियाँ निम्नांकित रेखाचित्र (5) द्वारा दिखायी गयी हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, रेंगती स्फीति की गति धीमी होती है, परन्तु उसके बाद की स्थितियों में क्रमशः बढ़ती



चित्र 5

सम्भव नहीं होता। इस प्रकार स्फीति अपनी लपटों में to its own flames)।

जाती है, जबकि सरपट दौड़ती स्फीति की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। साधारण रूप से, कीमत-स्तर में लगभग 2 अथवा 3 प्रतिशत के करीब वार्षिक वृद्धि दर रेंगती स्फीति की सूचक होती है। 2-3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच वार्षिक वृद्धि चलती स्फीति तथा 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक दौड़ती स्फीति की स्थिति कही जा सकती है। सरपट दौड़ती स्फीति में तो एक वर्ष में अनिश्चित रूप से कितनी भी वृद्धि हो सकती है। अस्थिरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कोई भी अनुमान लगाना स्वयं ईंधन डालती है। (It adds fuel

स्फीति के उपर्युक्त विभिन्न रूपों के अतिरिक्त वर्गीकरण के कुछ अन्य आधार भी हैं, जैसे समय की अवधि के आधार पर वर्गीकरण अल्पावधि (short period) स्फीति, दीर्घावधि (long-period) स्फीति तथा चिरकालीन (secular) स्फीति में किया जा सकता है। रोजगार की स्थिति के आधार पर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्फीति का वर्गीकरण पूर्ण-स्फीति (full-inflation) तथा अर्द्ध-स्फीति (semi-inflation) में किया जाता है। इस प्रकार स्फीति के रूप, वेग, समय, आकार अथवा कारण इत्यादि अलग-अलग होते हैं।

मुद्रा-स्फीति के कारण *main*

उपर्युक्त व्याख्या से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण मुद्रा की मांग (अर्थात् उत्पादन) का मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा अधिक होना होता है। इसलिए मुख्य रूप से मुद्रा-स्फीति के कारण दो प्रकार के हैं—मुद्रा की मात्रा अथवा मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले, तथा उत्पादन की मात्रा में कमी करने वाले।

(1) मौद्रिक आय में वृद्धि (Increase in Money Incomes)—मौद्रिक आय बढ़ जाने पर वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। उत्पादन के उम अनुपात में बढ़ने पर असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा कीमते बढ़ने लगती हैं। मौद्रिक आय में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है

1. सरकार की मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीति—अत्यधिक मात्रा में पत्र मुद्रा के निर्गमन द्वारा मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि यह मात्रा उचित रूप में नियन्त्रित न हो तो मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहित करती है जो कालान्तर में भयंकर रूप में धारण कर सकती है। केन्द्रीय बैंक की व्याज-दर-नीति (bank rate policy) तथा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का खय-विक्रय (open market operations) साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं। नीची बैंक-दर होने पर ऋणों के लिए मांग बढ़ती है तथा साख का प्रसार होता है। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ (securities) खरीदने पर प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप चलन तथा साख की मात्रा बढ़ने में मौद्रिक आय बढ़ती है जो असन्तुलन की स्थिति में मुद्रा-स्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है।
2. व्यापारिक बैंकों की साख-नीति—साख की मांग अधिक होने पर व्यापारिक बैंक अपनी जमा-राशियों (deposits) के पोछे रके जाने वाले नवद कोषों के अनुपात को कम करके अधिक साख का निर्माण करते हैं। साख का विस्तार मुद्रा-स्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।
3. मुद्रा की चलन-गति में वृद्धि—लोगों की उपभोग-प्रवृत्ति (propensity to consume) तथा पूंजी की सीमान्त कार्यक्षमता (marginal efficiency of capital) बढ़ जाने के कारण अथवा तरलता पसन्दगी (liquidity preference) कम हो जाने के कारण चलन की मात्रा कम होती है। मुद्रा की चलन-गति (velocity) बढ़ जाती है, विशेष रूप से तेजी की स्थिति में तो चलन गति काफी अधिक होती है। चूंकि चलन गति मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, इसलिए इसमें वृद्धि के कारण कीमती में वृद्धि होती है तो मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन मिलता है।
4. घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit Financing)—सरकार का व्यय आय से अधिक होने पर घाटे को अधिक मुद्रा-निर्गमन अथवा साख प्रसार द्वारा पूरा करना घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबन्धन कहलाता है। पाठ्यताव बेरो में यह घाटा प्रायः जनता तथा बैंकों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप साख की मात्रा में वृद्धि होती है। परन्तु भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशों में सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है। केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर मुद्रा के निर्गमन

की मात्रा को बढ़ाकर घाटे को पूरा कर देता है। इस प्रकार हीनार्थ-प्रबन्धन में मुद्रा-प्रसार होता है, मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तथा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।

- 5 अनुत्पादक व्यय में वृद्धि—सरकार द्वारा ऐसा व्यय बढ़ने पर जो उत्पादन-वृद्धि में सहायक नहीं होता, मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। युद्ध तथा रक्षा सम्बन्धी व्यय इसी प्रकार का होता है। प्रशासन-सम्बन्धी व्यय में वृद्धि (कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ने के कारण अथवा प्रशासन के विस्तार के कारण) उत्पादन में प्रायः कोई वृद्धि नहीं होती, जबकि मौद्रिक आय में इसके कारण वृद्धि होती है। दीर्घकालीन उत्पादन के कार्यों में विनियोग (investment) के रूप में लगे धन की वृद्धि से भी तत्काल उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण उस समय तब मुद्रा-स्फीति की स्थिति रहने की सम्भावना रहती है जब तक कारखानों का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तथा उनसे उत्पादन प्राप्त नहीं होने लगता।
- 6 वित्तीय अव्यवस्था—सरकार द्वारा लगाये गये करों की पूरी बसूली न होने पर 'बिना हिसाब की मुद्रा' (unaccounted money) की मात्रा बढ़ जाती है। यह अनियन्त्रित रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग पर दबाव डालती है, जिसके कारण कीमता में वृद्धि होती है तथा मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त, बढ़ती हुई जनसंख्या की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बिना उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि किये मुद्रा की मात्रा बढ़ाना तथा बिना उत्पादकता बढ़े श्रम तथा अन्य साधनों की आय में वृद्धि करना, मौद्रिक आय में वृद्धि के अन्य कारण हो सकते हैं, जिनके परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति को बल प्राप्त होता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि विदेशी पूंजी का निरन्तर आयात परोक्ष रूप से स्फीति का आयात होता है।

(2) उत्पादन में कमी—उत्पादन में कमी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं

- 1 प्राकृतिक कारण—बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियाँ उत्पादन की मात्रा को कम कर देती हैं। इनका प्रभाव मुख्य रूप से कृषि-उत्पादन पर पड़ता है, इसी-लिए एक कृषि-प्रधान देश में सदा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। इन कारणों से कृषि-उत्पादन में कमी होने पर उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हो जाती है तथा कीमते बढ़ती हैं। उपभोक्ता के लिए अन्न की कमी तथा खाद्य-पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। मौद्रिक आय स्थिर रहने पर भी यदि किसी वार्षिक प्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम हो जाता है, तो मुद्रा-स्फीति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं।
- 2 ह्रास नियम के अनुसार उत्पादन—उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) के लागू होने पर अधिक लागत से कम उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन-लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमते बढ़ती हैं तथा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में, विनियोग के अनुपात में उत्पादन कम होना मुद्रा-स्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।
- 3 कच्चे माल की कमी—उत्पादन में वृद्धि तभी सम्भव होती है जब पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो। स्वदेश में उपलब्ध न होने पर इसे विदेशों से सुविधापूर्वक उचित मूल्य पर प्राप्त किया जा सके। कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कमी होगी तथा स्फीति का वातावरण उत्पन्न हो जायेगा।
- 4 सरकार की कर तथा व्यापार सम्बन्धी नीति—उत्पादन पर अधिक कर होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तथा उनकी माग कम हो जाने के कारण उनका उत्पादन भी गिर जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निर्यात (export) को प्रोत्साहन देने पर देश में वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है, तथा कीमतें बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार सरकार की आर्थिक नीति भी मुद्रा-स्फीति का एक कारण बन सकती है।

- 5 उत्पादन के तरीके—यदि उत्पादन के प्राचीन तथा अनुपयुक्त तरीके अपनाये जाते हैं तो उत्पादन-लागत अधिक होती है तथा उत्पादन की मात्रा कम। तकनीकी (technical) जानकारी के अभाव तथा उत्पादन के वैज्ञानिक व उन्नत तरीके न अपनाने पर उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ पाती तथा मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।
- 6 औद्योगिक अशांति—मजदूरों तथा मालिकों के बीच सहयोग की सम्भावना न होने पर जब मजदूर अपने श्रमिक-संघों (trade unions) को संगठित करके हड़तालें धादि करते हैं और उनके विरोध में मिल-मालिक गालेबन्दी की नीति अपनाते हैं, तो उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक होता है और इसका परिणाम मुद्रा-स्फीति होती है।
7. उत्पादन का ढाँचा—उत्पादन के ढाँचे में असन्तुलन के कारण भी मुद्रा-स्फीति हो सकती है। किसी भी देश में अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता होती है। परन्तु यदि उपभोग के पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है तो आय में तो वृद्धि होती है, परन्तु आय के बढ़ने में प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा कम होने के कारण उनकी कीमतें ऊँची होती हैं तथा मुद्रा-स्फीति का कातावरण उत्पन्न हो जाता है। मुद्रा-काल में मुद्रा-स्फीति का कारण उत्पादन के ढाँचे में परिवर्तन होना ही होता है। इसी प्रकार एक विकासशील देश जो उपभोग उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं देता तथा आधार-उद्योगों (basic industries) को प्राथमिकता देता है, मुद्रा-स्फीति को निम्नत्रण देता है।

उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप जब कभी मुद्रा एव साख की मात्रा तथा उपलब्ध उत्पादन की मात्रा में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि अथवा उत्पादन की मात्रा में कमी का परिणाम सदा मुद्रा-स्फीति ही होता है। वास्तव में, मुद्रा स्फीति इन दोनों में असन्तुलन की स्थिति का परिणाम होती है।

मुद्रा-स्फीति के प्रभाव

मुद्रा-स्फीति एक आर्थिक रोग है जो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रो० सी० एन० वकील के शब्दों में, "स्फीति एक डाकू के समान है। दोनों ही अपने-अपन शिकारों को उनकी कुछ वस्तुओं से वंचित कर देते हैं, अन्तर वस इतना है कि डाकू दिखायी देता है, स्फीति दिखायी नहीं देती है। डाकू का शिकार एक समय केवल एक अथवा थोड़े-से व्यक्ति होने हैं, स्फीति का शिकार सम्पूर्ण राष्ट्र होता है। डाकू को न्यायालय में घसीटकर लाया जा सकता है, किन्तु स्फीति वैधानिक होती है।"¹

मुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में समान रूप से परिवर्तन नहीं होने, न ही समाज में सभी व्यक्तियों अथवा वर्गों की मौद्रिक आय में समान रूप से वृद्धि होती है। आय के वितरण में असमानता तथा गेजगार एव उत्पत्ति के साधनों की स्थिति में परिवर्तन के कारण मुद्रा-स्फीति का प्रभाव समाज में विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग पड़ता है।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रो० बेन्ज ने समाज को तीन वर्गों में बाँटा है—व्यापारी अथवा उत्पादन वर्ग, निधियोगी वर्ग तथा श्रमिक या कर्मचारी वर्ग। इनके अनिश्चित हमें दो अन्य वर्ग भी ले सकते हैं—उपभोक्ता वर्ग तथा ऋणी या ऋणदाता वर्ग।

1 "Inflation may be compared to a robber. Both deprive the victim of some possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or a few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal"—C N Vakil *Financial Burden of War* 27-28

यह स्मरण रहे कि समाज के विभिन्न वर्गों को व्यावहारिक रूप में एक-दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए एक ही व्यक्ति पर मुद्रा स्फीति के अलग-अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, परन्तु मुविधा के लिए हमने निम्नलिखित वर्गों को ही अध्ययन का आधार माना है।

उत्पादक वर्ग (Producers)—इस वर्ग में हम कृषक, उद्योगपति, व्यापारी आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। सामान्यतया मुद्रा-प्रसार के कारण इन लोगों को लाभ होता है, जिनके तीन प्रमुख कारण हैं

- 1 स्फीति-काल में उत्पादन-लागत में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती जिस अनुपात में कीमते बढ़ती हैं। उत्पादन की क्रिया में कुछ समय लगता है। कच्चा माल पहले से ही खरीदा जाता है जिसकी कीमत बाद में बढ़ जाती है। इसमें कम लागत पर उत्पादन करके उत्पादक माल महँगे क्षमों में बेचता है।
- 2 स्फीति-काल में वस्तुओं की माँग बहुत अधिक बढ़ जाती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। उत्पादक का माल शीघ्र ही बिक जाता है और उसकी पूँजी माल में फँसी (blocked) नहीं रहती।
- 3 उत्पादन के खर्चें तथा मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ते जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं। इसमें भी उत्पादकों को लाभ होता है।

उत्पादकों के समान व्यापारियों को भी मुद्रा स्फीति से लाभ होता है, क्योंकि जिस समय वे माल खरीदते हैं, कीमते अपेक्षाकृत कम होती हैं, जो माल के बिकने तक निरन्तर रूप से बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ (windfall gains) होता है। उनका द्वारा लिये गये ऋणों का भी वास्तविक मूल्य घट जाता है।

यह स्मरण रहे कि अत्यधिक लाभ की प्राप्ति पूँजीवाद की जड़ों को कमजोर बना देती है। अस्थिरता तथा अनिश्चितता के वातावरण में सट्टेवाजी इत्यादि क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। केन्स के शब्दों में, “यदि मुद्रा के मूल्य में कमी विनियोग को हतोत्साहित करती है तो यह व्यापारियों को बचनाम भी करती है।”¹

विनियोगी वर्ग (Investors)—इस वर्ग में उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो उद्योग एव व्यवसाय में अपने धन का विनियोग (investment) करके उनसे आय प्राप्त करते हैं। विनियोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, वे जिनकी आय निश्चित होती है। इन लोगों ने सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों के ऋण-पत्र (debentures) अथवा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) में धन लगा रखा होता है जिस पर उन्हें निश्चित दर से व्याज मिलती है। द्वितीय, वे जिनकी आय व्यापार अथवा कीमता में परिवर्तन से प्रभावित होती है। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्होंने सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों के अंश (shares) खरीद रखे होते हैं तथा उन पर उन्हें लाभांश (dividend) प्राप्त होता है।

मुद्रा-स्फीति का प्रभाव दोनों वर्गों पर अलग-अलग पड़ता है। प्रथम वर्ग के लोगों की आय स्थिर होने के कारण मुद्रा-स्फीति के कारण उनकी वास्तविक आय (real income) बढ़ाने में गिर जाती है, क्योंकि उनकी आय के बदले में उन्हें प्राप्त होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। परन्तु द्वितीय वर्ग के लोगों को लाभ होता है, क्योंकि कम्पनियों के लाभ में वृद्धि होती है तथा विनियोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभांश बढ़ जाते हैं।

कुछ विनियोजकों को प्राप्त होने वाले लाभ में वृद्धि होने पर भी वास्तविकता यह है कि मुद्रा-स्फीति की दशा में सभी विनियोगों की रकम का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है तथा दीर्घ-काल में उन्हें घाटा ही होता है। स्फीति-काल में लगायी गयी अतिरिक्त मशीनें आदि स्फीति के पश्चात् बेकार हो जाती हैं और विनियोग की पूरी रकम ही डूबती दिखायी पड़ती है।

श्रमिक अथवा वेतनभोगी वर्ग (The Wage-earners)—इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो अपनी सेवाओं की विधि से आय प्राप्त करते हैं। औद्योगिक तथा कृषि मजदूर, दफ्तरो के कर्म

1 “If the fall in the value of money discourages investment, it also discredits enterprise”
—Keynes

चारी, अध्यापक तथा पेंशन प्राप्त करने वाले लोग इसी वर्ग में आते हैं। स्फीति के कारण सबसे अधिक कष्ट मध्यम वर्ग (middle class) को होता है, क्योंकि इस वर्ग में अधिकतर वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी, बुद्धिजीवी, पेंशन प्राप्त करने वाले, व्याज की आय व मकान के किराये के सहारे जीवन-निर्वाह करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं, जो कीमतों बढ़ जाने पर अपनी आय नहीं बढ़ा पाते। कैमरर के शब्दों में, "मध्यम वर्ग, जो अपने बड़े परिश्रम तथा बचत करने की आदत के द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा देने व भविष्य में बीमारी तथा वृद्ध अवस्था का सामना करने के उद्देश्य से कुछ बचत का निश्चय करता है, स्फीति के दिनों में अपने को गम्भीर परिस्थिति में पाता है। आय की तुलना में रहत-सहन का व्यय अधिक बढ़ जाता है। सारी बचत समाप्त हो जाती है तथा कठिन परिश्रम, स्वतन्त्रता व बचत करने की आदत झूठे देवता दिखायी पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में मध्यम वर्ग पर निराशा तथा असफलता की भावना के बादल छा जाते हैं।"¹

श्रमिकों की मजदूरी सदा कीमतों के पीछे रहती है (wages always tend to lag behind prices)। मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होने पर मजदूरी का साथ-साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। इस सम्बन्ध में यह बात देना आवश्यक है कि श्रमिकों पर स्फीति का प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ता जितना मध्यम वर्ग के लोगों पर। श्रमिक-संघों (trade unions) के संगठन द्वारा मजदूर मालिकों पर दबाव डालते हैं कि जीवन-निर्वाह व्यय (cost of living) में वृद्धि के साथ उनकी मौद्रिक आय में भी वृद्धि की जाय और उन्हें अधिक मंहगाई भत्ते दिये जायें ताकि उनकी वास्तविक आय में कमी न आने पाये। इसके अतिरिक्त, स्फीति-काल में रोजगार की स्थिति भी अच्छी होती है, जिससे श्रमिकों को लाभ होता है। श्रमिकों को ये सब लाभ होते हुए भी प्रायः यह देखा गया है कि कीमतों के निरन्तर बढ़ते रहने पर मजदूरी पिछड़ जाती है तथा मजदूर अपनी वास्तविक आय को स्थिर नहीं रख पाते। परिणामस्वरूप औद्योगिक झगड़ों तथा हड़तालों आदि में वृद्धि होती है।

उपभोक्ता वर्ग (Consumers)—समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और इस रूप में उस पर मुद्रा स्फीति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि आम पर ध्यान न दिया जाय तथा व्यय के आधार पर ही देखा जाय तो प्रत्येक उपभोक्ता पर स्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग अवश्य ऐसे होते हैं जिनकी आय स्फीति-काल में बढ़ती है। उनको स्फीति से उपभोक्ता के रूप में अधिक हानि नहीं होती। परन्तु ऐसे लोगों को जिनकी आय में कोई विवेक परिवर्तन नहीं होता, स्फीति के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उनकी वास्तविक आय निरन्तर कम होती जाती है और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तथा उनका जीवन-स्तर गिर जाता है। एक डाकू के समान स्फीति उपभोक्ता को बुरी तरह से छूटी है और वह बेचारा बेवम देखता रह जाता है।

ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग (Debtors and Creditors)—मुद्रा-स्फीति से ऋणी वर्ग को लाभ तथा ऋणदाता वर्ग को हानि होती है। कीमत-स्तर में वृद्धि होने पर पहले में दिये गये ऋणों की व्याज की दर नहीं बढ़ती जिसके कारण ऋणदाता को मिलने वाली व्याज की त्रय शक्ति कम हो जाती है। यदि स्फीति-काल में ही ऋणी मूलधन लौटा देता है तो ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है, क्योंकि जब ऋण दिया गया था उस समय उसकी त्रय-शक्ति अधिक थी, परन्तु अब जब लौटाया जा रहा है तो उसकी त्रय-शक्ति गिरी हुई है। प्रायः यह कहा जाता है कि स्फीति-काल में ऋणों के लिए माँग अधिक होने के कारण ऋणदाता को यह लाभ होता है कि उसे अधिक ऊँची व्याज-दर प्राप्त होती है, जबकि ऋणी को ऊँची व्याज-दर के कारण हानि होती है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि व्याज-दर बढ़ने से ऋणी को वास्तव में हानि नहीं होती क्योंकि वह अधिक लाभ का उपार्जन कर रहा होता है, जबकि ऋणदाता ऊँची व्याज-दर के सामने में पूरी रकम ही खतरे में डाल देता है। निरन्तर कीमतें बढ़ने रहने से हो सकता है कि ऋण की रकम वापस लौटाने पर बहुत ही कम त्रय-शक्ति रह जाय। ऋणदाता

को लाभ तभी हो सकता है जब कीमतों की वृद्धि-दर व्याज-दर से कम हो, अधिक नहीं। मान लीजिए व्याज-दर 10 प्रतिशत वार्षिक है जबकि मुद्रा का मूल्य 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से घट रहा है, तो ऋणदाता को हानि होता स्वाभाविक ही है।

समाज में विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने के अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति के कुछ अन्य आर्थिक, नैतिक अथवा सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

आर्थिक प्रभाव

स्फीति-काल में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है तथा ऋणी उत्पादकों और व्यापारियों को लाभ प्राप्त होता है। परन्तु मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणाम भी कम नहीं होते। इससे न केवल उपभोक्ताओं, विनियोजकों तथा ऋणदाताओं को हानि होती है, बल्कि अनेक अन्य आर्थिक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) धन का पुनर्वितरण—स्फीति-काल में धन तथा आय के वितरण में अनमानताएँ बढ़ जाती हैं। उद्योगपति, व्यापारी तथा परिवर्तनशील आय वाले विनियोगकर्ता जो पहले से ही धनी होते हैं, स्फीति-काल में अधिक लाभ की प्राप्ति के कारण अधिकाधिक धनी होते जाते हैं। दूसरी ओर श्रमिक, बेतन-भोगी तथा निश्चित आय वाले उपभोक्ता अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं तथा अधिकाधिक निर्धन होते जाते हैं। उनकी वास्तविक आय निरन्तर घटती जाती है। धन तथा आय के वितरण में पहले से अधिक विषमताएँ उत्पन्न होना समाज में आर्थिक कल्याण की मात्रा को कम कर देता है।

(2) मुद्रा में अविश्वास—मुद्रा का मूल्य निरन्तर घटते जाने के कारण लोगों का मुद्रा में विश्वास कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप बचते हतोत्साहित होती हैं। बचत में कमी का प्रभाव विनियोग पर पड़ना स्वाभाविक होता है। हॉट्टे के अनुसार, “मुद्रा-प्रसार के कारण मुद्रा में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और इसके फलस्वरूप दीर्घकालीन ऋणों का देना या तो बिलकुल बन्द हो जाता है अन्यथा ऋणदाता मूल्य में हानि के जोखिम की क्षतिपूर्ति के रूप में व्याज को बहुत ऊँची दर माँगते हैं।”¹

(3) करों में वृद्धि—स्फीति काल में सरकार का व्यय भी बढ़ जाता है जिसकी पूर्ति के लिए सरकार अधिकाधिक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाती है जिनसे आय कम हो जाती है तथा वस्तुओं की कीमतों में कर के रूप में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष कर, जो आय तथा सम्पत्ति पर होते हैं, सरकार द्वारा बहुत अधिक नहीं बढ़ाये जा सकते, क्योंकि उनमें अधिक उत्पादन हतोत्साहित होता है। पूंजीपति वर्ग के लोग संगठित रूप से सरकार पर दबाव भी डालते हैं और सरकार को प्रायः उनके आगे झुकना पड़ता है। प्रत्यक्ष करों में अधिक वृद्धि के कारण करों का उपभोक्ता पर भार बहुत अधिक बढ़ जाता है।

(4) सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि—स्फीति-काल में सरकार बजट के घाटे की पूर्ति के लिए यदि हीनार्थ-प्रवन्धन (deficit financing) का ही सहारा ले तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाने का भय होता है। करों में वृद्धि भी असीमित रूप से नहीं की जा सकती, इसलिए सरकार अधिक ऋण लेती है। यदि यह ऋण बैंकों में लिया जाय तो मासिक प्रसार होना है, लेंगिंग से ऋण लेने पर उनके पास मुद्रा की मात्रा कम रह जाती है, जिसमें स्फीति के नियन्त्रण में महायत्न मिलती है। परन्तु इन ऋणों की व्याज के रूप में सरकार के ऊपर दूतना बोझ बढ़ जाता है कि बजट के घाटे में प्रति वर्ष वृद्धि ही होती जाती है और सरकार आर्थिक संकट की स्थिति में रहती है।

(5) विदेशी व्यापार में असन्तुलन—आन्तरिक कीमत-स्तर के बढ़ने जाने के कारण स्फीति-काल में आयात (imports) को प्रोत्साहन मिलता है तथा निर्यात (exports) कम हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में देश का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है तथा सरकार को

1 “Inflation causes distrust of money and thereby long term lending is put a stop to, or the lenders demand compensation for the risk of loss of value in the form of a very high rate of interest”—R. G. Hawtrey. *Currency and Credit*, p. 193

विदेशी विनिमय सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विदेशी मुद्राओं की माँग बढ़ने के कारण उनका मूल्य देश की मुद्रा में बढ़ जाता है। स्फीति की स्थिति वाला देश अधिक दिनों तक विनिमय-दरों में स्थिरता नहीं बनाये रख सकता और उसे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन (devaluation) करना पड़ता है।

(6) नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली—स्फीति-काल में सरकार को आर्थिक क्रियाओं पर अनेक नियन्त्रण लगाने पड़ते हैं, जैसे राशनिंग, मूल्य नियन्त्रण इत्यादि। स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली समाप्त होने के कारण लोगों की सरकार पर निर्भरता बढ़ जाती है। व्यावहारिक दृष्टि में सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं कर पाती क्योंकि नियन्त्रण को पूर्ण रूप से लागू करना सम्भव नहीं होता। लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर काले बाजार (black market) का विकास होता है। नियन्त्रित कीमतों वाली आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने लगती है और ऐसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है जिनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं। प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन (Milton Friedman) के अनुसार दबी अथवा नियन्त्रित (suppressed) स्फीति खुली (open) स्फीति की तुलना में अधिक हानिकारक होती है।

उपर्युक्त आर्थिक दुष्परिणामों के कारण स्फीति पूर्वाधार की जड़ों को हिला देती है। जैसे-जैसे स्फीति के वेग में वृद्धि होती है, आर्थिक अमानुलन भी बढ़ता जाता है। अधिक लाभ के प्रलोभन में उत्पादन बढ़ता जाता है, जबकि दूसरी ओर लोगों की वास्तविक आय में निरन्तर कमी के कारण उत्पादन के लिए माँग कम होत लगी है। परिणामस्वरूप अति-उत्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है, कारखाने बन्द होने लगते हैं तथा बेकारी फैलने लगती है। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है तथा मन्दी की स्थिति उत्पन्न होती है।

नैतिक प्रभाव

स्फीति की दना में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने के लिए चिन्तित रहता है और इसके लिए वह कैसे भी साधन अपनाने को तैयार हो जाता है, भले ही वे अनुचित तथा अनैतिक हों। चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार तथा धूसखोरी आदि बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है तथा समाज का नैतिक पतन हो जाता है। फ्रांसीसी क्रान्ति-काल में मुद्रा-प्रसार के कारण "फ्रांस के प्रमुख शहरों में विलासिता तथा दुराचार, जो लूटने की अपेक्षा अधिक गम्भीर दोष थे, चारों ओर फैल गये थे। देश में जुए की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह दुराचार केवल व्यापारियों तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसका थाप उन उच्च सरकारी अधिकारियों व नेताओं में भी फैल गया था जो कुछ ही समय पूर्व विलासिता, वैश्यावृत्ति तथा बेपरवाही के दोषों से दूर रहते थे।" जर्मनी में युद्ध-परन्तत काल में अति स्फीति की अवस्था में तो लोगों का इतना अधिक नैतिक पतन हुआ था कि "नवयुवतियाँ अपने दोषों की बड़ी शोखी से व्यवहार करती थीं। सोलह साल की अवस्था तक एविन कुमारी रहना उन दिनों बर्लिन में सज्जाजनक समझा जाता था। प्रत्येक लड़की अपने दूषित अनुभवों को बताने में गर्व समझती थी।" प्रो० गैलब्रेथ ने व्यव्यपूर्ण शब्दों में लिखा है कि "मौद्रिक आय की दृष्टि से अगर विचार किया जाय तो जिस समाज में लगातार मुद्रा-स्फीति है उसमें निस्सन्देह शिक्षक, धर्मगुरु या पुलिस का कार्य करने की अपेक्षा सट्टेबाजी या बेव्यावृत्ति करना अधिक लाभदायक है।"³

1 "In the leading French cities now arose a luxury and licence which was a greater evil than the plundering that ministered to it. In the country the gambling spirit spread more and more. Nor was this reckless and corrupt spirit confined to businessmen, it began to break out in official circles, and publicmen who a few years ago, had been thought above all possibility of taint became luxurious, reckless, cynical and finally corrupt. —Andrew D White *Fiat Money Inflation in France*, p 27

2 "Young girls bragged proudly of their perversion, to be sixteen and under the suspicion of virginity would have been considered a disgrace in any school of Berlin at that time, every girl wanted to be able to tell of her adventures, and the more exotic the better." (Quoted from *Hyper-inflation to Devaluation* by S K Muramjan, p 10)

3 "In a free market in an age of endemic inflation it is unquestionably rewarding in purely pecuniary term to be speculator or prostitute than a teacher, preacher or policeman" —Galbraith *Affluent Society*

राजनीतिक प्रभाव

मुद्रा-स्फीति के केवल आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव ही नहीं होते, इसके राजनीतिक परिणाम भी होते हैं। मुद्रा-स्फीति काल में जनता में सरकार के प्रति असन्तोष बढ़ता है तथा तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक पार्टियाँ इस स्थिति से लाभ उठाती हैं तथा राष्ट्र सत्ता को बदल देती हैं। सन् 1923 से 1933 के बीच जर्मनी में हिटलर तथा उसकी नाज़ी पार्टी द्वारा सत्ता हथियाने का एक प्रमुख कारण उस समय विद्यमान स्फीति की भयानक परिस्थिति थी। स्फीति के कारण जनता में असन्तोष होने पर ही इटली, स्पेन, फ्राम आदि में राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। स्फीति के कारण मजदूर वर्ग असन्तुष्ट रहता है तथा राजनीतिक श्रान्ति के लिए प्रयत्न करता है। स्फीति-काल में सरकार द्वारा तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाने पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को आघात पहुँचता है तथा प्रजातन्त्र अव्यावहारिक हो जाता है।

मुद्रा-स्फीति के प्रभावों की व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा-स्फीति एक अनाधिक रोग है। रोग चाहे कैसा ही हो, कभी अच्छा नहीं होता और उसका उपचार करना आवश्यक होता है। मुद्रा-स्फीति एक ऐसा रोग है जिसका उपचार न होने पर यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उत्पत्ति तथा रोजगार के दृष्टिकोण से थोड़ी-सी स्फीति अच्छी होती है। अमेरिका में सेमुअलसन एव सोलो ने अनुमान लगाया है कि कीमतें स्थिर रहने पर 6 प्रतिशत वेकारी में वृद्धि होगी।¹ परन्तु स्फीति का किसी भी रूप तथा मात्रा में समर्थन करना पूर्णतया गलत है। थोड़ी-सी स्फीति बढ़ते बढ़ते भयंकर रूप भी धारण कर सकती है। सी० केन्वी बाल्डरस्टान के शब्दों में, "यह हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम यह विचारने लगते हैं कि थोड़ी-सी स्फीति अच्छी होती है। परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि इतनी थोड़ी-सी स्फीति से भी जब मूल्यों में केवल 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है तो कीमत-स्तर केवल 35 वर्षों में दुगुना हो जाता है। यदि एक बार रोगी हुई स्फीति को समाज स्वीकार कर लेता है, तब कुछ ही समय पश्चात् यह बच्चा रोगना बन्द करके चलने, दौड़ने तथा दूढ़ने लग जाता है।"²

मुद्रा-स्फीति तथा आर्थिक विकास

कीमत-स्तर में परिवर्तनों का आर्थिक विकास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कीमते न केवल उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करती हैं बल्कि आय को भी, और आय में परिवर्तन के द्वारा उपभोग-स्तर भी प्रभावित होता है। कीमते ही बचत तथा विनियोग की मात्रा को निर्धारित करती हैं। प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था—नियोजित अथवा अनियोजित, विकसित अथवा विकासशील—में कीमतों का काफी विस्तृत प्रभाव होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक विकास में किम प्रकार की कीमते अधिक सहायक होती हैं। प्रमुख अर्थशास्त्रियों में अनेक ऐसे हैं जिनके विचार में बढ़ती हुई कीमतें (अथवा मुद्रा-स्फीति) किसी न किसी प्रकार से आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और वे कुछ अंशों में मुद्रा स्फीति को अनिवार्य भी समझते हैं। उदाहरणार्थ, केन्ज ने विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के लिए बढ़ते हुए कीमत-स्तर को आवश्यक समझा तथा अनेक देशों में आर्थिक विकास वा श्रेय लाभ-स्फीति (profit inflation) को दिया।³ प्रो० रोस्टोव (Rostow) ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अनेक देशों के विकास में स्फीति का महत्वपूर्ण हाथ रहा है।⁴

1 P A Samuelson and R M Solow, "Problems of Achieving and Maintaining a Stable Price Level," *American Economic Review*, May 1960, p 192

2 "A misconception that is part of intellectual currency today is that a little inflation is a good thing. A little inflation sometimes thought of as roughly 2 per cent a year would double the price level every 35 years. However, even if we accept this inevitability of creeping inflation and I certainly do not, it is not possible to have just a 'little inflation'. Once community accepts the prospect of continued inflation and begins to make its business decisions in the light of that prospect, the infant ceases to creep. It learns to walk, run and finally gallop even though the gallop may carry it over the brink of the precipice that every one agrees must be avoided."—Address of Mr C Canby Balderston, Vice-Chairman of Federal Reserve Board of Governors, May 1957

3 Keynes *A Treatise on Money*, Vol. II, Chapter 30

4 W. W Rostow, "The Take off into Self-Sustained Growth," *Economic Journal*, March, 1956

प्रो० आर्थर लेविस (Arthur Lewis) के विचारानुसार, मुद्रा-स्फीति विकास की ही एक उपज (by product) होती है। विनियोग में वृद्धि से मौद्रिक आय में वृद्धि होनी है परन्तु उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं होती, निर्माण-कार्यों के पूरा होने में कुछ समय लगता है। परिणामस्वरूप, माँग तथा पूर्ति के असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जो मुद्रा-स्फीति को जन्म देती है। विनियोग की मात्रा की तुलना में वचत की मात्रा का कम होना स्थिति को और भी जटिल बना देता है। एक विकासोन्मुख अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में तो मुद्रा-स्फीति से बचना अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि उत्पादन का ढाँचा पिछड़ा होने के कारण उत्पादन में उस तेजी से वृद्धि नहीं हो पाती जिस तेजी से वस्तुओं के लिए माँग बढ़ती है। ऐसे देशों में साधनों में कमी के कारण हीनार्थ-प्रदन्वयन (deficit financing) की मात्रा भी काफी अधिक होती है।

जो लोग आर्थिक विकास के लिए मुद्रा-स्फीति को आवश्यक समझते हैं, उनके तर्क मुख्य रूप से ये हैं— (1) स्फीति की वशा में विनियोग में वृद्धि होनी है तथा रोजगार बढ़ता है, (2) अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, (3) विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि स्फीति की स्थिति का सामना करने के लिए अधिक उत्पादन तथा आय की आवश्यकता समझी जाती है, तथा (4) विदेशी पूंजी का आयात बढ़ता है जो विकास में सहायक होता है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा लगता है कि स्फीति के पक्ष में दिये गये तर्क केवल मुद्रा-स्फीति के गुणों वाले पहलू को ही देखते हैं तथा इसके दोषों को भूल जाते हैं। मुद्रा-स्फीति के जो कुछ भी लाभ बताये जाते हैं उनमें सच्चाई का अंश बहुत ही कम है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुद्रा-स्फीति के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। यदि कुछ लाभ हैं तो केवल कुछ वर्गों के लिए ही, जिसके कारण आर्थिक विषमताओं अथवा असमानताओं में वृद्धि होनी है तथा आर्थिक व सामाजिक न्याय की जवहेलना होगी है। उत्पत्ति के ढाँचे में ऐसे परिवर्तन होने हैं जिनका उद्देश्य अधिक व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है, सामाजिक हितों की रक्षा करना नहीं। जो कुछ नियन्त्रण लगाये जाते हैं, प्रभावपूर्ण नहीं हो पाते तथा मुद्रा की विनिमय दर गिरने लगती है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति का आर्थिक विकास से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अमेरिका में 1865 से 1879 के बीच पन्द्रह वर्षों में कीमते तो लगभग जाधी रह गयी, जबकि विनाश की गति बहुत तेज थी। इंग्लैण्ड में 1870 से 1895 के बीच कीमते गिरी तथा उसके पश्चात् 1913 तक बढ़ी, परन्तु विकास तथा उत्पादन-वृद्धि-दर उस काल में अधिक ऊँची थी जिसमें कीमते गिर रही थी। वर्तमान समय में भी अनेक देशों में सन्तोषजनक आर्थिक प्रगति की गयी है जबकि उनमें कीमते लगभग स्थिर रही हैं। भारत में भी प्रथम योजना-काल में सन्तोषजनक विकास हुआ, जबकि कीमते लगभग 13 प्रतिशत गिरी। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मुद्रा-स्फीति की स्थिति का होना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। परन्तु यह स्मरण रहे कि इसका अर्थ यह नहीं कि गिरती हुई कीमत ही आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है। वास्तविकता तो यह है कि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-सकुचन दोनों ही अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन को जन्म देती हैं तथा आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, सहायक नहीं होतीं। आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त कीमत-स्तर—स्थिर कीमत-स्तर—है।¹

मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय

मुद्रा-स्फीति के दोषों को देखते हुए इसकी रोकथाम करना प्रत्येक सरकार का आवश्यक कर्तव्य होता है। स्फीति की स्थिति का आरम्भ होते ही इसे दबा देना अधिक अच्छा होता है।² स्फीति के वेग को रोकने के लिए ये उपाय अपनाये जा सकते हैं

1 T T Sethi Price Strategy in Indian Planning, Chapter XI.
2 "If at the outset inflation is allowed to gain a footing, it is only likely to get out of control."
—Hawtrey, Currency and Credit, p 200

(1) **मौद्रिक उपाय (Monetary measures)**—सरकार तथा केन्द्रीय बैंक कुछ ऐसे मौद्रिक उपाय अपनाते हैं जिनका उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करना होता है, अर्थात्—

- 1 सरकार को चाहिए कि मुद्रा-निर्गमन सम्बन्धी नियमों को कड़ा कर दे ताकि केन्द्रीय बैंक सुविधापूर्वक अतिरिक्त मुद्रा जारी न कर सके। इसके लिए पत्र-मुद्रा निर्गमन के पीछे गले जाने वाले कोषों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है।
- 2 मुद्रा स्फीति भयकर होने की दशा में पुरानी मुद्रा समाप्त करके उसके बदले में नयी मुद्रा कम मात्रा में दे दी जाती है। प्रथम महायुद्ध के बाद रूस में इसी नीति को अपनाया गया था।
- 3 साख-नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार के निर्देशन देना है कि वे साख का अधिक सृजन तथा प्रसार न करें। बैंक-दर में वृद्धि, प्रतिभूतियों की बिक्री, बैंकों के न्यूनतम नवद कोषों की मात्रा में वृद्धि, साख की राशनिंग इत्यादि ऐसे उपाय हैं जिनसे साख का सकुचन होता है। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार के आदेश देता है कि वे कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे अनाज इत्यादि, को गोदामों में रखकर उसके आधार पर ऋण न दें। इससे माल बाजार में आने लगता है तथा कीमतों पर प्रभाव पड़ता है।

(2) **वित्तीय उपाय (Fiscal measures)**—मुद्रा-स्फीति के उपचार के लिए मौद्रिक उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित वित्तीय उपायों को भी अपनाना पड़ता है

- 1 स्फीति के नियन्त्रण के लिए यथासम्भव बजट सन्तुलित रखना आवश्यक होता है। घाटे का बजट होने पर सरकार को मुद्रा-निर्गमन करना पड़ता है।
- 2 करा में वृद्धि के द्वारा सरकार अपने साधनों में वृद्धि कर सकती है तथा समाज में अतिरिक्त श्रय-शक्ति को प्रभावहीन बना सकती है।
- 3 सार्वजनिक ऋण में वृद्धि से एक ओर तो लोगों के पास तरल मुद्रा की मात्रा कम होती है, दूसरी ओर सरकार ऋणों से प्राप्त किये गये धन को उत्पादन की वृद्धि करने में प्रयोग करती है, इसलिए स्फीति का वेग नियन्त्रित होता है।
- 4 सरकार को चाहिए कि सरकार द्वारा किये गये उत्पादन-कार्यों में वह पर्याप्त लाभ प्राप्त करे, और ऐसे उपाय अपनाये जिनसे इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके।
- 5 सार्वजनिक व्यय, विशेषकर अनुत्पादक व्यय, को कम करना भी बहुत आवश्यक होता है।
- 6 वित्तीय उपायों द्वारा उपभोग को हतोत्साहित करके बचत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(3) **व्यापार सम्बन्धी उपाय (Commercial measures)**—स्फीति की दशा में आयात की मात्रा को बढ़ाना होता है जिसमें उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो सके। परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाता, क्योंकि बिना निर्यात बढ़े आयात नहीं बढ़ाये जा सकते, और निर्यात बढ़ाना ऐसे देशों के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि आन्तरिक कीमत-स्तर विदेशी कीमतों की अपेक्षा ऊँचा होता है। इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा निरन्तर ऐसे उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है जिनसे नियन्त्रित रूप से आयात तथा निर्यात बढ़ सकें। विदेशी विनिमय-दर को गिराना अथवा अवमूल्यन (devaluation) करना बहुत ही खतरनाक होता है। यदि अधिमूल्यन सम्भव न हो तो कम से कम विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखना चाहिए।

(4) **विनियोग-नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय (Investment Control measures)**—स्फीति काल में प्रायः विनियोग की मात्रा घटती है जिसके कारण न केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, अपितु उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि न होने के कारण मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि विनियोग की वृद्धि को रोक दिया जाय, परन्तु सरकार को यह अवश्य देखना पड़ता है कि बढ़ते हुए विनियोग के परिणामस्वरूप उत्पादन में तत्काल तथा यथेष्ट मात्रा

में वृद्धि हो। ऐसे कार्य जिनमें बहुत अधिक पूंजी का विनियोग होता है तथा उत्पादन की प्राप्ति दीर्घकाल में होती है, स्फीति-काल में उपयुक्त नहीं होते।

(5) आय-नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय (Income Control measures)—पिछले कुछ वर्षों में पाश्चात्य देशों में स्फीति-नियन्त्रण के लिए आय-नीति (income policy) के अपनाने के पक्ष में अनेक सुझाव दिये गये हैं। आय-नीति का उद्देश्य मजदूरी वन्धन (wage freeze) के उपाय करना होता है ताकि बढ़ती हुई मजदूरी उत्पादन की लागत में वृद्धि के द्वारा मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन न दे पाये। मजदूरी बढने से लागत तथा कीमतें बढ़ती हैं जिसके कारण पुन मजदूरी को बढ़ाना पड़ता है, और इस प्रकार एक ऐसा विषम चक्र बन जाता है जिससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। बढ़ती कीमतों की स्थिति में व्यावहारिक रूप से आय अथवा मजदूरी को स्थिर रखना बहुत कठिन होता है, परन्तु, फिर भी, सरकार द्वारा ऐसे उपाय तो किये ही जा सकते हैं कि विभिन्न वर्गों द्वारा आय में अनुचित वृद्धि के लिए दबाव प्रभावपूर्ण न होने पाये।

(6) प्रत्यक्ष नियन्त्रण (Direct Controls)—ऊपर बताये गये सभी उपाय मुद्रा-स्फीति को अप्रत्यक्ष रूप में नियन्त्रित करते हैं। स्फीति कम करने के लिए सरकार वस्तुओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप में भी नियन्त्रित कर सकती है, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को तो नियन्त्रित कर ही देना चाहिए। जिन वस्तुओं की माँग पूर्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है उनका राशनिंग करना चाहिए। विदेशी व्यापार पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा देश की औद्योगिक नीति पर नियन्त्रण भी मुद्रा-स्फीति के विरुद्ध प्रयोग में लाये जाते हैं।

(7) उत्पादन-वृद्धि (Increase in Production)—मुद्रा-स्फीति का प्रभाव कम करने के लिए उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनमें पूंजी का विनियोग तो कम हो परन्तु शीघ्र उत्पादन द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ अधिक में अधिक पूरी की जा सकें। कृषि के उत्पादन में वृद्धि मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण में विशेष रूप में सहायक होती है।

यह स्मरण रहे कि मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण के लिए कोई भी अकेला उपाय प्रभावपूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए एक साथ विभिन्न उपाय अपनाने पड़ते हैं। अप्रत्यक्ष उपायों में मौद्रिक, वित्तीय, व्यापारिक, विनियोग तथा आय सम्बन्धी विभिन्न उपाय एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनको एक-दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष उपायों के साथ-साथ कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रित करना भी आवश्यक होता है तथा उत्पादन-वृद्धि के प्रयास करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार, संतोषजनक रूप से मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण के लिए उपयुक्त सभी उपायों को एक साथ अपनाना ही अधिक उपयुक्त होता है।

मुद्रा-संकुचन अथवा अवस्फीति


स्फीति के समान अवस्फीति (deflation) भी एक आर्थिक रोग है जिसके लक्षण स्फीति के पूर्णतया विपरीत होते हैं। ब्राउथर के अनुसार, "मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात् कीमतें गिरती हैं।" परन्तु जिस प्रकार कीमतों की प्रत्येक वृद्धि को स्फीति नहीं कहा जा सकता, ठीक इसी प्रकार कीमतों की प्रत्येक गिरावट को अवस्फीति नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, स्फीति के पश्चात् कीमतों में गिरावट अवस्फीति नहीं बल्कि विस्फीति (disinflation) कहलाती है। संक्षेप में, अवस्फीति की दशा में कीमतों में गिरावट के अतिरिक्त उत्पादन तथा रोजगार में भी गिरावट होती है। कॉलबोर्न ने ठीक ही लिखा है कि "अनैच्छित बरोजगारी मुद्रा-संकुचन की नसोटी होती है।" कुछ लेखकों ने अवस्फीति को मुद्रा की माँग तथा पूर्ति (अर्थात् उत्पादन तथा मौद्रिक आय) में भी सम्बन्धित किया है। प्रो० पीगू के अनुसार, "मुद्रा-अवस्फीति कीमत-स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं

1 "Deflation becomes a state in which the value of money, is rising, i.e., prices are falling" —Crowther *As Outline of Money*, p 107


2 "Involuntary unemployment is the hall mark of deflation" —Coulborn *Discussion of Money*, p 163

का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है।" इस प्रकार, केवल निम्नलिखित दशाओं में कीमतों का गिरना मुद्रा-सकुचन की श्रेणी में आता है :

- 1 उत्पादन में वृद्धि होती है, किन्तु मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता ।
2. मौद्रिक आय घटती है, किन्तु उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता ।
- 3 मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटते हैं, किन्तु अपेक्षाकृत मौद्रिक आय अधिक तेजी से घटती है ।
- 4 मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, किन्तु उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है ।
5. मौद्रिक आय घटती है, किन्तु उत्पादन बढ़ता है ।

मुद्रा-सकुचन के कारण 

- 1 मुद्रा की मात्रा का मुद्रा की माँग अथवा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से कम होना पर मुद्रा-सकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है । कीमतों के गिरने का चक्र एक बार आरम्भ होने पर आर्थिक जगत में निराशा की भावना फैलती है जिसमें मुद्रा-सकुचन और भी अधिक फैलता है ।
- 2 सरकार चलन को कुछ मात्रा को वापस लेकर अथवा रद्द करके मुद्रा की पूर्ति में कमी कर सकती है जिससे सकुचन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।
- 3 वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाना जबकि मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, मुद्रा-सकुचन का महत्वपूर्ण कारण होता है । अति-उत्पादन (over production) की स्थिति में कीमतें गिरती हैं, कारखाने बन्द होने लगते हैं तथा बेकारी फैलती है ।
- 4 केन्द्रीय बैंक साख-नियन्त्रण की नीति द्वारा मुद्रा-सकुचन की स्थिति पैदा कर सकता है । ऊँची बैंक-दर के कारण साख का सकुचन होता है । प्रतिभूतियों की खुले बाजार में विनी से प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम होती है । बैंको के रक्षित कोष की मात्रा बढ़ाने से तथा जनता से अधिक ऋण प्राप्त करने पर केन्द्रीय बैंक साख तथा मुद्रा का सकुचन कर सकता है ।
- 5 सरकार द्वारा अधिक मात्रा में करारोपण (taxation) करने पर लोगों के पास मुद्रा की मात्रा (अथवा त्रय शक्ति) कम हो जाती है । दूसरी ओर सरकार के वित्तीय साधन बढ़ने में उत्पादन के लिए सरकारी विनियोग की मात्रा बढ़ती है तथा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है । इस प्रकार का असन्तुलन मुद्रा-सकुचन को जन्म देता है ।
6. स्वर्णमान वाले देश में व्यापार तथा उद्योगों का विकास होने पर यदि स्वर्ण-कोषों में अभाव के कारण मुद्रा की मात्रा में उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती थी, तो उन देशों में मुद्रा सकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी । इस कारण का अब तो कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रहा, केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है ।

मुद्रा-सकुचन के प्रभाव 

अवस्फीति अथवा मुद्रा-सकुचन की स्थिति में कीमतें नीचे गिरती हैं तथा उत्पादन घट जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है । इन परिस्थितियों में अवस्फीति सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है और इसका विभिन्न वर्गों पर प्रभाव मुद्रा स्फीति के प्रभाव के विपरीत होता है । विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं

(1) उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग—मुद्रा-सकुचन की स्थिति में उत्पादकों तथा व्यापारियों को हानि होती है क्योंकि कीमतें तेजी से गिरती हैं, जबकि उत्पादन-लागत उस अनुपात में नहीं गिर पाती । लगान, व्याज तथा मजदूरी आदि का गिरना बहुत कठिन होता है । पहले में खरीद हुए बच्चे माल का मूल्य भी गिर जाता है । वस्तुओं की माँग कम होने के कारण उत्पादकों तथा व्यापारियों के पास स्टॉक जमा हो जाते हैं । विशेषकर हृषि-उत्पादकों पर मुद्रा-सकुचन का बहुत

अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनके उत्पादन की मात्रा तथा लागत लगभग स्थिर रहते हैं, जबकि उनके उत्पादन के मूल्य में बहुत अधिक कमी हो जाती है।

(2) विनियोगी वर्ग—अपरिवर्तनीय आय वाले विनियोगी को लाभ होता है क्योंकि उन्हे प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है अर्थात् श्रय-शक्ति बट जाती है। इनके विपरीत, परिवर्तनीय आय वाले विनियोगकर्ताओं को हानि होती है। जैसे, सम्मिलित पूँजी कम्पनियों के असाधारियों (shareholders) के लाभांश कम हो जाते हैं, क्योंकि कम्पनियों घाटे में होंगी हैं।

(3) बेतनभोगी तथा धर्मिक वर्ग—एक प्रकार से तो बेतनभोगी, धर्मिक तथा निश्चित आय वाले लोग मुद्रा-संकुचन काल में लाभ का अनुभव करते हैं क्योंकि उनकी आय में उन अनुपाल में कमी नहीं हो पाती जिन अनुपाल में बीमते गिरती हैं। इन वर्ग को उपलब्ध श्रय-शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है। परन्तु एक अन्य पहलू से देखने पर इन वर्ग में बेरोजगारी बढ़ने के कारण इनको बहुत हानि होती है। पानिकों द्वारा छेड़नी तथा तालाबन्दी के विरुद्ध मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ता है तथा औद्योगिक असाधिन बट जाती है।

(4) उपभोक्ता वर्ग—उपभोक्ता को कम कीमत पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त होनी हैं, इसलिए उन्हें मुद्रा-संकुचन से लाभ होता है। उनकी श्रय-शक्ति बट जाती है तथा वह वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मात्रा खरीद सकता है। परन्तु स्मरण रहे कि उपभोक्ता का मुद्रा-संकुचन से लाभ तभी होगा जबकि उनकी मौद्रिक आय स्थान्धिर रहे। मौद्रिक आय के गिर पाने पर, जैसा कि प्रायः मुद्रा-संकुचन काल में होता है, उपभोक्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(5) ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग—मुद्रा-संकुचन की दशा में ऋणदाता को लाभ तथा ऋणी को हानि होती है क्योंकि ऋणदाता को प्राप्त होने वाली व्याज की श्रय-शक्ति अधिक होती है, और यदि मूलधन इसी काल में लौट आये तो और भी अधिक लाभ होता है। ऋणदाताओं को एक हानि अवश्य होती है कि ऋणों की माँग कम होने पर ब्याज-दर गिर जाती है तथा उनके पान कुछ रकम बेकार रखी रहती है। परन्तु एक निधन तथा कृषि-प्रधान देश में ऋण की माँग घटनी नहीं, बल्कि उपभोग के लिए बट जाती है तथा ऋणदाता मनमानी व्याज-दर प्राप्त करते हैं।

मुद्रा-संकुचन के अन्य प्रभाव

विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने के अनिश्चित मुद्रा-संकुचन सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को अनेक प्रकार में प्रभावित करना है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में देश के निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात कम होने हैं जिनके कारण देश का भुगतान-सन्तुलन (balance of payments) अनुकूल हो जाता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस काल में उत्पादन की मात्रा कम हान के कारण निर्यात-क्षमता अधिक होती ही नहीं। इस प्रकार से मुद्रा-संकुचन के दुष्परिणाम अधिक होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

(1) रोजगार में कमी—वर्तमान शताब्दी में 'लॉस' की महान् अवस्थिति हमें बताने का प्रमाण है कि अवस्फीति-काल कितना कष्टदायक होता है। 1930 में अमेरिका में 1 1/2 करोड़ लोग बेकार थे। इसी प्रकार इंग्लैण्ड में कुल श्रमियों में से लगभग 20 प्रतिशत बेकार थे। इन लोगों के लिए कहीं कोई काम नहीं था तथा इनके भूखी मरने की नीबून आ गयी थी।

(2) कर-भार में वृद्धि—मुद्रा-संकुचन काल में मुद्रा का मूल्य अधिक होने के कारण कर-दाताओं को श्रय-शक्ति के रूप में अधिक कर चुकान पड़ते हैं जबकि मौद्रिक रूप में कर-भार कम होता है। जिन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की आय में कमी होती है उनके लिए तो करों की बढ़ावों और भी अधिक कष्टदायक होती है।


(3) सरकारी ऋणों के भार में वृद्धि—मुद्रा का मूल्य बढ़ने के कारण सरकार पर ऋण का भार बढ़ जाता है जिसका सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। बेकारी की समस्या हल करने के लिए स्वयं सरकार को भी कुछ उत्पादक कार्यों में विनियोग करना पड़ता है और इनके

लिए उसे अतिरिक्त ऋण लेना पड़ता है। करो की बमूली भी कम होने के कारण ऋण की मात्रा बढ़ानी पड़ती है।

(4) बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव—व्यापार तथा उत्पादन में मन्दी होने के कारण ऋणों की मांग कम हो जाती है। पुराने ऋण भी लौट नहीं पाते। इस प्रकार बैंकों व बीमा कम्पनियों का काम केवल मन्दा ही नहीं पड़ता, बल्कि उनके टूटने का भय उत्पन्न हो जाता है।

(5) सामाजिक तथा नैतिक दुष्परिणाम—मजदूरों तथा मालिकों में संघर्ष के कारण औद्योगिक शान्ति भंग होती है। बेकारी बढ़ने के कारण लोगों का नैतिक पतन होता है। एक बेकार व्यक्ति देगद्रोही तथा समाजद्रोही हो सकता है जिससे देश की शान्ति भंग होने का भय बना रहता है।

उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा-संकुचन काल में व्यवसाय, उद्योग, कृषि विनियोजन, बैंक-व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार में मन्दी आ जाती है तथा बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ती है जिसके कारण अर्थ-व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-संकुचन को रोकना अनिवार्य आवश्यक होता है।

मुद्रा-संकुचन को रोकने के उपाय 

मुद्रा-संकुचन को रोकने के लिए उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि होना आवश्यक होता है और इसके लिए अनेक ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिनसे कुल प्रभावपूर्ण मांग (total effective demand) में वृद्धि हो। मुद्रा-संकुचन को रोकने के लिए अपनायी गयी नीतियों का यह उद्देश्य होता है कि उपभोग तथा विनियोग की मात्रा में वृद्धि करके कुल प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो, और इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं।

(1) मौद्रिक उपाय—केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति के अन्तर्गत ऐसे प्रयास करता है कि मांग का प्रसार हो सके। बैंक-दर में कमी करने पर अन्य बैंक कम व्याज पर ऋण दे सकते हैं जिनमें व्यावसायिक क्षेत्र को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऋणों की मांग बढ़ने से मांग का प्रसार होता है। खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा प्रतिभूतियों को ऊँची कीमतों पर खरीदने से लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। मुद्रा तथा साख की मात्रा बढ़ने से समाज में विनियोग की मात्रा भी बढ़ती है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक की मांग तथा मुद्रा प्रसार की नीति व्यावहारिक रूप में बहुत अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती। केन्द्रीय बैंक द्वारा दी गयी सुविधाओं का उपभोग सभी सम्भव होता है जब उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग में भविष्य के प्रति उदासीनता तथा निराशा न हो। आउथर ने इस सम्बन्ध में उद्यमकर्ता की तुलना घोड़े से की है जिसके सामने (अधिक मुद्रा की पूर्ति के रूप में) केन्द्रीय बैंक अधिक पानी रख सकता है परन्तु घोड़े को अधिक पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौद्रिक नीति की सफलता बहुत कुछ उद्यमकर्ताओं की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, जो मुद्रा संकुचन काल में प्रायः निराशापूर्ण होती है।

(2) वित्तीय उपाय—मुद्रा-संकुचन की स्थिति में मौद्रिक उपायों की अपेक्षा वित्तीय उपाय अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए निम्नलिखित वित्तीय उपाय अपनाए जा सकते हैं।

1. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि—रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार आर्थिक विकास तथा निर्माण की विभिन्न योजनाओं को बनाती है जिनको सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि करके पूरा किया जा सकता है। विश्वव्यापी मन्दी-काल में अमेरिका द्वारा अपनायी गयी न्यू डील (New Deal) योजना का यही उद्देश्य था। इस योजना के अन्तर्गत जंगलों को साफ करने, सड़के बनाने आदि अनेक कार्यों पर लोगों को लगाकर बेकारी समाप्त करने का सफल प्रयत्न किया गया था।
2. ऋणों का भुगतान—मुद्रा-संकुचन की दशा में सरकार सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करके ऋणदाताओं के मौद्रिक साधनों की वृद्धि करती है ताकि वे अपने व्यय में वृद्धि कर सकें।

- 3 करो में कमी—करो में छूट देने पर उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है। करो में कमी के कारण करदाताओं के पास अधिक प्रयत्न-शक्ति बची रहती है। यदि उनकी उपभोग प्रवृत्ति प्रबल होती है तो वे अपने व्यय को बढ़ा देते हैं जिससे माँग में वृद्धि होती है।
- 4 आर्थिक सहायता—मुद्रा-संकुचन काल में बन्द हुए उद्योगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वे पुन खड़े हो सकें।

(3) अन्य उपाय (Other Measures)—मौद्रिक तथा वित्तीय उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी अपनाये जा सकते हैं, जैसे—

1. निर्यात में वृद्धि तथा आयातों में कमी—मुद्रा-संकुचन काल में देश में अति-उत्पादन (over-production) की स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार को इन वस्तुओं का निर्यात यथामुम्भव बढ़ाना चाहिए तथा इनके आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।
2. अतिरिक्त उत्पादनों को नष्ट करना—यदि उपलब्ध उत्पादन की विक्री किसी प्रकार सम्भव न हो सके तो उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा को नष्ट कर देना चाहिए। इसमें तत्काल तो उत्पादकों को हानि होती है परन्तु कालान्तर में जैसे ही उत्पादन तथा वीमल-वृद्धि का क्रम आरम्भ होता है, उत्पादक अपनी हानि की पूर्ति कर लेते हैं तथा उन्हें लाभ की प्राप्ति होने लगती है। वैसे, अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करने की अपेक्षा यदि सरकार इसको व्यापारियों से खरीद ले और बाद में धीरे-धीरे इसकी विक्री करे तो भी समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है और डममें हानि भी नहीं होती।

मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन की तुलना — *Madh. au*

मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन दोनों ही आर्थिक रोग हैं जो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। मुद्रा-प्रसार उत्पादन की वृद्धि में सहायक हो सकता है तथा मुद्रा-संकुचन आय के समान वितरण में। परन्तु यह तभी सम्भव है जब ये दोनों ही सरकार के नियन्त्रण में हों। एक निश्चित सीमा के पश्चात् दोनों के परिणाम बहुत सखटपूर्ण होते हैं। तेजी से बढ़ती तथा घटती कीमतें दोनों ही दोषपूर्ण दसाएँ हैं।

प्रो० केन्ज के विचारानुसार, “मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण (unjust) है तथा मुद्रा-संकुचन अनुपयुक्त (inexpedient) है। दोनों में सम्भवतः मुद्रा-संकुचन अधिक खराब है क्योंकि एक निर्धन विश्व में किराये की आमदनी पर निर्भर करने वाले अनुत्पादक व्यक्ति को निराश करने की अपेक्षा बेकारी उकसाना अधिक खराब होता है।”

मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण क्यों ?

मुद्रा-प्रसार अनेक कारणों से अन्यायपूर्ण होता है

(1) बचत करने वाले लोग जो भविष्य के लिए मुद्रा बचाकर रखते हैं, उनको मुद्रा का मूल्य कम हो जाने के कारण बहुत हानि होती है। इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभूतियों आदि के रूप में अपने धन का विनियोग करने वाले लोगों को भी बहुत हानि होती है। प्रो० क्वील ने इसीलिए मुद्रा-स्फीति को लक्ष्य उन्नत कहा है।

(2) ऋणदाता को हानि उठानी पड़ती है। अत्यधिक त्याग करके अपनी मुद्रा दूसरे को देने वाला व्यक्ति तो घाटे में रहता है, जबकि उधार लेने वाले को बैंट-विद्यम अमाधारण लाभ की प्राप्ति होती है। इंग्लैंड में 1919 में ऋण लेने वाले व्यक्ति को 1920 में लीदाने पर लगभग 46% का लाभ हुआ।

(3) केन्ज ने मुद्रा-प्रसार को धन वितरित करने का शक्तिशाली इञ्जन बताते हुए कहा है कि यह इञ्जन बिलकुल अन्याय होकर धन का वितरण करता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का विचार नहीं करता।

(4) मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति एक प्रकार के अदृश्य करारोपण (invisible taxation) की होती है। सरकार बजट सम्बन्धी घाटे की पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा का निर्गमन करके मुद्रा के मूल्य को गिरा देती है जिसके कारण उपभोक्ता अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग में बचि रह जाता है, सरकार उमकी क्रय-शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से छीन लेती है।

(5) मुद्रा प्रसार का भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण उनके लिए पेट भरना भी कठिन हो जाता है। उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग के धनी लोगों की आय में वृद्धि होने के कारण उन्हें तो मुद्रा-प्रसार से लाभ ही होता है, सकट तो केवल निर्धनों के लिए होता है। इस प्रकार स्फीति काल में वितरण में विषमताएं और भी बढ़ जाती हैं।

(6) मुद्रा-प्रसार से देश में जो एक प्रकार की कृत्रिम सम्पन्नता (artificial prosperity) उत्पन्न होती है वह स्थायी नहीं होती। कीमतें बढ़ते-बढ़ते उस सीमा तक जा पहुँचती हैं जहाँ अथ व्यवस्था अस्त व्यस्त होन लगती है तथा अदस्फीतिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आर्थिक स्थिरता न होन के कारण समाज में अलग-अलग वर्गों को कभी लाभ तो कभी हानि होती रहती है।

उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट है कि केन्ज ने मुद्रा प्रसार को अन्यायपूर्ण ठीक ही बताया है।

मुद्रा-सकुचन अनुपयुक्त क्यों ?

यदि मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण है, तो मुद्रा सकुचन अनुपयुक्त है, क्योंकि—

(1) मुद्रा-सकुचन बेकारी की गम्भीर समस्या को उत्पन्न करता है। बेकार लोग समाज के ऊपर एक भार हाते हैं जिनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था तो करनी ही होती है, परन्तु समाज को उनसे मिलता कुछ नहीं। अधिक समय तक बेकार रहने से श्रमिक की कार्यक्षमता अथवा काम करने की योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। स्फीति-काल में तो मजदूर की आधी रोटी छिन जाती थी परन्तु बेकारी के कारण तो उसकी पूरी रोटी ही छिन जाती है, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति और भी अधिक प्रतिकूल हो जाती है।

(2) कृषि, व्यापार तथा उद्योग सभी का पतन होता है तथा उत्पादक वर्ग निराशावादी हो जाता है। गिरती हुई कीमतें उत्पादन पर रोक लगाती हैं तथा देश को निर्धन बना देती हैं।

(3) मुद्रा-सकुचन की स्थिति इसलिए भी अनुपयुक्त है कि एक बार आरम्भ होने पर इसका नियन्त्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। यह एक साधारण नियम है कि ऊपर से नीचे गिरना आसान है परन्तु नीचे से ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। एक व्यापार चक्र में मुद्रा सकुचन काल की अवधि मुद्रा-प्रसार काल की अवधि की अपेक्षा अधिक लम्बी होती है।

मुद्रा-सकुचन की स्थिति में बेकारी फैलती है, उद्योग-धन्धे ठप हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण समाज का आर्थिक पतन होता है, इसीलिए केन्ज ने मुद्रा-सकुचन को मुद्रा-प्रसार से भी अधिक बुरा बताया है।

वास्तविकता तो यह है कि मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन दोनों ही दोषपूर्ण तथा हानि कारक हैं। इन दोनों में से किसी एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा बताना एक चौर तथा डाकू में तुलना करने के समान है। स्वयं केन्ज के शब्दों में, “यह आवश्यक नहीं कि हम एक बुराई को दूसरी से तोलकर देखें। यह स्वीकार कर लेना आसान है कि दोनों ही ऐसी बुराइयाँ हैं जिनसे दूर रहना चाहिए।” सैलिगमैन के अनुसार, “उठती तथा गिरती हुई दोनों ही प्रकार की कीमतें अस्थिरता का जन्म देती हैं, जिससे उद्योगों में अस्तव्यस्तता उत्पन्न होती है तथा विभिन्न वर्गों को असमान लाभ तथा हानियाँ होती हैं। ऊँची तथा नीची कीमतें स्वयं इतनी अहितकर नहीं होतीं, जितनी ऊपर उठती हुई अथवा नीचे गिरती हुई कीमत।”¹ यदि दोनों बुराइयों में चुनाव करना ही पड़ जाय तो मुद्रा-सकुचन अधिक बुरा होता है।

1 “It is not necessary that we should weight one evil against the other. It is easier to agree that both are evils to be shunned” — Keynes *A Tract on Monetary Reform*

2 “Both rising and falling prices create an unstable equilibrium which means disturbance in industry and unequal gains or losses to different classes. It is not high or low prices as such which do the harm, but rising or falling prices — Seligman *Principles of Economics*


मुद्रा-संस्फीति

मुद्रा-स्फीति से मिलती-जुलती एक अन्य स्थिति मुद्रा-संस्फीति (reflation) की होती है। आर्थिक मन्दी की दशा में अर्थ-व्यवस्था को पुनः सन्तुलित स्थिति में लाने के लिए जब नियन्त्रित रूप से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे 'मुद्रा-संस्फीति' अथवा 'मुद्रा-प्रत्यवस्फीति' कहते हैं। कोबे ने लिखा है कि "मुद्रा-संस्फीति को मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए किये जाने वाले मुद्रा-प्रसार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"¹

मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संस्फीति की प्रकृति लगभग एक-सी होती है। दोनों ही न मद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परन्तु फिर भी दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं।

- 1 मुद्रा-स्फीति के कारण प्राकृतिक होते हैं अथवा ऐच्छिक, जबकि मुद्रा संस्फीति सदा ही ऐच्छिक होती है। दूसरे शब्दों में, कीमतों को फिर से सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा-संस्फीति की नीति एक योजना के अनुसार अपनायी जाती है।
- 2 मुद्रा-स्फीति का आरम्भ कीमतों के सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाने पर होता है, जबकि मुद्रा-संस्फीति का उद्देश्य कीमतों को सामान्य स्तर पर लाना होता है। मुद्रा-संस्फीति उद्धार-काल (period of recovery) से सम्बन्धित होती है तथा कीमतों को सामान्य स्तर पर लाने के पश्चात् समाप्त हो जाती है। इसके आगे बढ़ने पर मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- 3 मुद्रा-स्फीति के परिणाम हानिकारक होते हैं तथा यह विनाशकारी हो सकती है, परन्तु मुद्रा-संस्फीति निर्माणात्मक होती है क्योंकि इसका उद्देश्य मन्दी की स्थिति का उपचार करना होता है।
- 4 मुद्रा-स्फीति के अन्तर्गत कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, परन्तु मुद्रा संस्फीति में कीमतें धीरे-धीरे ऊपर उठती हैं।

प्रस्तुत रेखाचित्र (6) में स्पष्ट रूप में दिखाया गया है कि सामान्य कीमत की रेखा से ऊपर मुद्रा-स्फीति होती है। तेजी से मन्दी तक मुद्रा-सकुचन होता है और मन्दी में लेकर सामान्य कीमत-स्तर तक मुद्रा संस्फीति रहती है।



चित्र 6

तेजी से सामान्य कीमत पर आने तक की स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति (disinflation) कहलाती है।

मुद्रा-अपस्फीति

जिस प्रकार मुद्रा-सकुचन का मुद्धार मुद्रा-संस्फीति है, उसी प्रकार मुद्रा-स्फीति का सुधार मुद्रा-अपस्फीति अथवा विस्फीति (disinflation) है। मुद्रा स्फीति के उग्र रूप धारण कर लेने पर कीमतों में इस प्रकार से कमी करना कि उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में किसी प्रकार की कमी न हो, 'मुद्रा-अपस्फीति' की स्थिति कहलाती है। इसका उद्देश्य मुद्रा प्रसार को, बिना मुद्रा-सकुचन की स्थिति उत्पन्न किये, समाप्त करना होता है। कॉलबोर्न के अनुसार, "कीमतों, आय तथा व्यय में जो भी गिरावट लाभकारी होगी, मुद्रा-अपस्फीति होगी।"² द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण के लिए विभिन्न सरकारों ने मुद्रा-अपस्फीति की नीति को अपनाया है।

1 "Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve a depression." — G. D. H. Cole *What Everybody Wants to Know About Money*

2 "... a lowering of prices, incomes and expenditures, when they would be beneficial, would be disinflation" — Coulborn *A Discussion of Money*, p 156

मुद्रा सकुचन तथा मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों की सूचक होती हैं तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक-सी होती है, किन्तु फिर भी दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं।

- 1 मुद्रा-सकुचन प्राकृतिक कारणों से हो सकता है अथवा ऐच्छिक होता है, जबकि मुद्रा अपस्फीति सदा ऐच्छिक ही होती है, जिसे सरकार एक योजनावद्ध नीति के आधार पर करती है।
- 2 मुद्रा-सकुचन की स्थिति में कीमतें सामान्य स्तर से नीचे गिर जाती हैं जबकि मुद्रा अपस्फीति का उद्देश्य बड़ी हुई कीमतों को सामान्य स्तर पर लाना होता है।
- 3 मुद्रा-सकुचन मन्दी की दशाएँ उत्पन्न करता है, परन्तु मुद्रा-अपस्फीति केवल असाधारण आर्थिक स्थिति को सन्तुलित करती है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-अपस्फीति के अन्तर्गत उत्पादन तथा रोजगार में कमी नहीं होती।
- 4 कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि अर्थ व्यवस्था पूर्ण-रोजगार के बिन्दु पर है और कीमतें घटायी जाती हैं, तो यह मुद्रा-अपस्फीति है। परन्तु पूर्ण-रोजगार के बिन्दु में पूर्व ही यदि कीमतें घटती हैं तो यह मुद्रा-सकुचन होता है।

मूल्य-वृद्धि, मूल्य-ह्रास तथा अवमूल्यन

मुद्रा में मूल्य-परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रायः तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है—मूल्य वृद्धि (appreciation) मूल्य-ह्रास (depreciation), तथा अवमूल्यन (devaluation)। इन तीनों का अर्थ अलग-अलग है।

मुद्रा की मूल्य-वृद्धि (Appreciation)—जब किसी देश में मुद्रा की एक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक बन्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने लगती हैं तो इसे मुद्रा की मूल्य-वृद्धि की स्थिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा का आन्तरिक मूल्य घट जाता है, जिससे अभिप्राय यह है कि कीमत स्तर गिर जाता है। मुद्रा की मूल्य-वृद्धि का कारण मुद्रा-सकुचन अथवा मुद्रा-अपस्फीति हो सकता है।

मुद्रा का मूल्य-ह्रास (Depreciation)—मूल्य-वृद्धि के विपरीत मूल्य-ह्रास की स्थिति में किसी देश में मुद्रा की एक इकाई पहले की अपेक्षा कम बन्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने लगती हैं। मुद्रा का आन्तरिक मूल्य घट जाता है, अर्थात् कीमत-स्तर ऊँचा हो जाता है। मूल्य-ह्रास की स्थिति मुद्रा प्रसार तथा सम्पत्ति-बाल में होती है।

अवमूल्यन (Devaluation)—अवमूल्यन का सम्बन्ध मुद्रा के आन्तरिक मूल्य से नहीं होकर मुद्रा के बाह्य मूल्य (external value) में होता है। जब एक देश की मुद्रा का विनिमय दर (rate of exchange) अथवा विदेशी मूल्य अन्य देशों की तुलना में कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। पावल ऐन्जिग के अनुसार, “मुनिश्चित शब्दों में अवमूल्यन से अभिप्राय चलती की अधिकृत समताओं में कमी से होता है।”¹ उदाहरणार्थ, जून 1966 में भारत ने रुपये का मूल्य 21 सेन्ट (cents) से घटाकर 13 13 सेन्ट कर दिया, जिससे भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। प्रायः देखा गया है कि किसी देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उसके बाह्य मूल्य पर भी पड़ता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि दोनों में परिवर्तन साथ-साथ हों। अवमूल्यन के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं (1) निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करना, (2) विदेशी माल की कीमत अघिन हो जाने के कारण देशी उद्योगों को संरक्षण देना, (3) मुद्रा के अधिमूल्यन (over valuation) की स्थिति में विदेशी विनिमय दर में चूटि-मुधार के द्वारा बाजार मूल्य से समन्वय स्थापित करना तथा (4) विदेशी पूँजी को देश में आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बाहर जान की प्रवृत्ति को रोकना।

यह याद रहे कि अवमूल्यन एक दुधारी तलवार के समान है तथा इसका अद्विवेकपूर्ण प्रयाग कभी-कभी बहुत बड़े सबक का कारण बन सकता है। मुद्रा का अवमूल्यन देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की कमजोरी की पहचान है।

1 “Strictly speaking, devaluation means a reduction in the official parities of currencies” — Paul Einzig *Inflation*, p. 107

कीमत-स्थिरता

हम यह देख चुके हैं कि मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन दोनों ही आर्थिक विकास के लिए अनुपयुक्त हैं। आन्तरिक समतुलन को बनाये रखने के लिए कीमत-स्तर में स्थिरता (price stability) बनाये रखना आवश्यक है।

यह समझ लेना आवश्यक है कि कीमत-स्तर स्थिरता से अभिप्राय कीमतों को किसी एक बिन्दु पर स्थिर रखना नहीं है। एक गतिशील आर्थिक वातावरण में जहाँ उत्पादन, आय, रोजगार तथा आय के वितरण में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं, कीमतों को पूर्णतया स्थिर रखना सम्भव नहीं होता। कीमतों को पूर्णतया स्थिर रखने से उनका अन्य आर्थिक परिवर्तनों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वास्तव में, कीमत-स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतों में अन्य आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ ही उतार-चढ़ाव होते हैं और मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और न ही कीमतों में परिवर्तन का अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, कीमत-स्तर में परिवर्तन अन्य आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम है, कारण नहीं। कीमत-स्तर की तुलना समुद्र में जल के स्तर से की जा सकती है, जो ज्वार-भाटा (tides) के साथ-साथ बढ़ता-घटता रहता है तथा स्थिर दिखायी देने पर भी पूर्णतया स्थिर नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ी-बहुत हलचल मदा होती ही रहती है।¹

कभी-कभी सामान्य कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखने का उद्देश्य होते हुए भी कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, जब सामान्य कीमत-स्तर में परिवर्तन हो रहा हो तो कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, खाद्य-पदार्थों की कीमतों में अधिक परिवर्तन होना सकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, सरकार द्वारा एक उपयुक्त कीमत-नीति का अपनाया जाना आवश्यक होता है। इस नीति का उद्देश्य देश में कीमतों के उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण के अतिरिक्त उत्पादन, व्यापार, वित्तीय व्यवस्था, वचत एवं विनियोग तथा मुद्रा तथा साख की मात्रा पर भी उचित नियन्त्रण रखना होता है। किसी भी क्षेत्र में अनावधानी अस्थिरता का कारण बन सकती है और कीमतों में अनुचित परिवर्तन किसी भी क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार, कीमतों की स्थिरता देश के आर्थिक ढाँचे द्वारा प्रभावित होती है और उसी के अनुकूल बनाये रखने के लिए सरकार को निरन्तर प्रयत्न करते रहना होता है।

कीमतों में उपर्युक्त प्रकार की स्थिरता रहने पर जनता का सरकार की नीतियों के प्रति तथा मुद्रा के मूल्य के प्रति विश्वास बढ़ता है, वचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी-निर्माण अथवा विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। कीमत-स्थिरता आर्थिक दान्ति की परिचायक है, जिसके फलस्वरूप देश में उत्पादन, रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार आर्थिक प्रगति में समतुलन, क्रम तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिए कीमत-स्थिरता अति आवश्यक है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. मुद्रा-प्रसार को परिभाषा कीजिए तथा इसके परिणाम बताइए।
[संकेत—मुद्रा-प्रसार की विभिन्न परिभाषाओं को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा मुद्रा-प्रसार के विभिन्न वर्णों पर प्रभाव तथा आर्थिक, नैतिक एवं राजनीतिक प्रभाव बताइए और यह स्पष्ट कीजिए कि मुद्रा-प्रसार की आर्थिक विज्ञान में सहायक समझना समपूर्ण है।]
2. मुद्रा-प्रसार के कारणों को स्पष्टता कीजिए तथा इसके उपचार के उपाय बताइए।
[संकेत—मुद्रा-प्रसार को जन्म देने वाले विभिन्न कारणों का उल्लेख करने के पश्चात् दूसरे भाग में मुद्रा-प्रसार रोक्ने के विभिन्न उपाय (पीट्रिक, वित्तीय, व्यापार, विनियोग, आय, उत्पादन तथा प्रत्यक्ष नियन्त्रण सम्बन्धी) समझाइए।]

3. मुद्रा-स्फीति के विभिन्न रूपों को व्याख्या कीजिए। क्या यह किसी भी रूप में आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है ?
 [सकेत—मुद्रा प्रसार के विभिन्न रूपाका (कारणों के अनुसार प्रकृति के अनुसार, समयानुसार आकार के अनुसार, नियन्त्रण तथा गति के अनुसार) वर्गीकरण कीजिए तथा मुद्रा प्रसार के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि थोड़ी सा स्फीति भी कालान्तर में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है। वापस आकर स्थिर रहना ही अधिक अच्छा है।]
4. मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन में अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव समझाइए।
 [सकेत—मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन की परिभाषाओं के आधार पर दोनों में अंतर समझाइए। दूसरे बात में उत्पादक तथा व्यापारी विनियोगी धार्मिक जयवा वेतनभोगा उपभोक्ता ऋणी तथा ऋणगता पर इन दोनों का प्रभाव स्पष्ट कीजिए।]
5. मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा सकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में सकुचन अधिक बुरा है। विवचन कीजिए।
 [सकेत—मुद्रा प्रसार के विभिन्न प्रभावों के आधार पर इसकी अन्यायपूर्णता स्पष्ट कीजिए और मुद्रा-सकुचन का दोषों का कारण इसकी अनुपयुक्तता समझाइए। मुद्रा-सकुचन का कारण बकारी फैलना है जिसमें बचत से इसे अधिक बुरा कहा है। वास्तव में मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन दोनों ही बुरे हैं परन्तु यदि दो बुराईयों में से एक को चुना आवश्यक हो जाय तो मुद्रा प्रसार को ही चुनना पड़गा।]
6. मुद्रा सकुचन के आर्थिक प्रभावों का विवचन कीजिए और इसकी रोक के उपाय बताइए।
 [सकेत—मुद्रा सकुचन के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव तथा राजस्व उत्पादन वित्तीय ढांचा तथा बैंकिंग व्यवस्था में अर्थ पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए तथा इनके रोकने के मौद्रिक वित्तीय तथा अन्य उपाय बताइए।]
7. मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के दुष्परिणामों का अध्ययन कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि आंतरिक सन्तुलन के लिए मूल्य स्थिरता आवश्यक है।
 [सकेत—मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा सकुचन के साथ बताना तथा मूल्य स्थिरता का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए।]
8. निम्न में भेद कीजिए
 (अ) मुद्रा प्रसार और मुद्रा-स्फीति
 (ब) मुद्रा-सकुचन और मुद्रा-अपस्फीति
 (स) मूल्य-वृद्धि मूल्य-ह्रास तथा अवमूल्यन।
 [सकेत—प्रत्येक का अर्थ बताने हुए एक-दूसरे से अन्तर स्पष्ट कीजिए।]

द्वितीय खण्ड

साख एवं बैंकिंग

[CREDIT AND BANKING]

“साख ने मसार को धनी बनाने में मसार की सारी खानों की अपेक्षा हजार गुना अधिक काम किया है। इसने थम को प्रोत्साहित किया है, निर्माणकर्ताओं को प्रेरित किया है, वाणिज्य को सागरों पार तक विस्तृत किया है, और प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य और मानव की प्रत्येक प्रजाति को प्रत्येक छोटी जाति को परस्पर एक-दूसरे से परिचित करा दिया है।”¹

—डेनियल वेबस्टर

‘साख’ का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ‘Credit’ है जो लेटिन भाषा के शब्द *credo* से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है ‘मैं विश्वास करता हूँ’ (I believe)। इस प्रकार साख का शाब्दिक अर्थ ‘विश्वास’ अथवा ‘भरोसा’ होता है। आर्थिक भाषा में साख शब्द का प्रयोग प्रायः उधार लेने-देने या ‘स्थगित भुगतान’ (deferred payment) के लिए होता है। वैसे ‘Credit’ शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया जा सकता है—उधार लेन-देन में, व्यापार में किसी व्यक्ति की साख का अनुमान लगाने में, तथा हिसाब लेखों में नाम (debit) अथवा जमा की प्रविष्टियों में। साधारण बोलचाल में सभी प्रकार का विश्वास साम्य हो सकता है, परन्तु अर्थशास्त्र में साख का अभिप्राय केवल देनदारी अथवा शोधन-क्षमता के विश्वास से होता है। वर्तमान में मुद्रा अथवा मूल्यवान वस्तुएँ तथा सेवाएँ भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर प्राप्त करना ही साख है। इस प्रकार, व्यावहारिक रूप में, केवल व्यापारिक लेन-देन, बैंकों से ऋण आदि की क्रियाओं को ही साख के सौदों में सम्मिलित किया जाता है।

साख की परिभाषा

विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी साख की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं। जेवन्स (Jevons) के अनुसार, साख शब्द का अर्थ “भुगतान को स्थगित करना है” (postponement of payment)। टॉमस (Thomas) के अनुसार, “साख वह विश्वास है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बहुमूल्य वस्तुएँ तथा सेवाएँ, भले ही वे वस्तुएँ मुद्रा, सेवा अथवा साख-मुद्रा क्यों न हों, देना है, और आशा करता है कि वह व्यक्ति इनको वापस लौटा देगा।”² जीड (Gide) के शब्दों में, “साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के उपरान्त भुगतान करने पर पूर्ण

¹“Credit has done more—a thousand times more—to enrich nations than all the mines of the world. It has excited labour, stimulated manufacturers, pushed commerce on every sea and brought every nation, every kingdom, and every small tribe among the races of men to be known to all the rest.”

—Daniel Webster

²“The term credit is now applied to that belief in a man’s probity and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another, whether that something consists of money, goods, services or even credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation.”—S E Thomas *Elements of Economics*

होता है।¹ इन सभी परिभाषाओं में साख को विश्वास पर आधारित स्थगित भुगतान माना गया है।

साख को व्यक्ति के ऋण प्राप्त करने की योग्यता के रूप में परिभाषित करते हुए किन (Kinley) ने लिखा है, "साख से हमारा अभिप्राय किसी भी व्यक्ति की उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा पर अपनी आर्थिक वस्तुएँ समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। अतः साख ऋणी का एक गुण अथवा शक्ति है।"²

साख को भुगतान पाने का अधिकार अथवा भुगतान करने का दायित्व मानते हुए केन्ट (Kent) ने लिखा है, 'साख की परिभाषा, वस्तुओं के तात्कालिक हस्तान्तरण के कारण मान पर अथवा भविष्य में किसी समय पर भुगतान पाने के अधिकार अथवा भुगतान करने के दायित्व के रूप में की जा सकती है।'³

बैंकों द्वारा साख-निर्माण को ध्यान में रखते हुए कोल (G D H Cole) ने लिखा है, साख वह त्रय-शक्ति है जो आय में प्राप्त नहीं होती, अपितु वित्तीय सस्थाओं के द्वारा निवेश-धारियों (depositors) को बैंकों में जमा निष्क्रिय आय को सक्रिय बनाकर अथवा कुछ नए शक्ति में वास्तविक वृद्धि कर इसका निर्माण किया जाता है।⁴ आधुनिक काल में साख का अर्थ बहुत कुछ कोल के दृष्टिकोण के अनुसार ही किया जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर साख के आवश्यक तत्व (essential elements) निम्नलिखित हैं

- 1 साख विश्वास पर आधारित होती है। साख का सम्बन्ध व्यक्ति या सस्था की आर्थिक प्रतिष्ठा से है जिसके आधार पर उसे कोई अन्य व्यक्ति या बैंक धन उधार देता है।
- 2 साख का निर्माण बैंक द्वारा किया जाता है।
- 3 धन, वस्तु अथवा सेवाओं का हस्तान्तरण एक व्यक्ति अथवा सस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति अथवा सस्था को किया जाना आवश्यक होता है, केवल हस्तान्तरण की प्रतिज्ञा पर्यप्त नहीं होती।
- 4 हस्तान्तरित धन की वापसी तथा माल या सेवा का भुगतान तत्काल नहीं होता, बल्कि भविष्य में किसी निश्चित अथवा अनिश्चित तिथि पर होता है।

साख का आधार

साख देन अथवा प्राप्त करने का आधार क्या है? अधिकतर अर्थशास्त्री साख का मूल्य बड़ा आधार विश्वास मानते हैं। प्रो० चैण्डलर ने साख के तीन आधार निश्चित किये हैं—साख प्राप्त करने वाले का व्यक्तिगत चरित्र, उसकी ऋण चुकाने की शक्ति, तथा उसके अधिकार में पूँजी की मात्रा।⁵ कुछ अर्थशास्त्री ऋणी की आय, ऋण की सुरक्षा तथा समयावधि को भी महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। विशेष रूप से साख के महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित हैं

(1) चरित्र—एक सच्चा, ईमानदार तथा चरित्रवान ऋणी, जिसने भूतकाल में ऋणों को वायदे के अनुसार ठीक समय पर चुकाया है जैसी साख का व्यक्ति होता है, अर्थात् वह अधिक साख प्राप्त कर सकता है।

- 1 'It (credit) is an exchange which is complete, after the expiry of a certain period of time after payment'—Gide
- 2 'By credit we mean the power which one person has to induce another to put economic goods at his disposal for a time on promise of future payment. Credit is thus an attribute or power of the borrower'—David Kinley *Money* p 199
- 3 'Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand at some future time on account of the immediate transfer of goods'—Raymond P Kent *Money and Banking*, p 91
- 4 'Credit is purchasing power not derived from income but created by financial institutions either as an offset to idle incomes held by depositors in the banks, or as a net addition to the total amount of purchasing power'—G D H Cole *Money, Its Present and Future*, p 308
- 5 L V Chandler *Economics of Money and Banking*, p 32

(2) क्षमता—किमी व्यक्ति की ऋण लौटाने की क्षमता उसकी साख का निर्धारण करती है। प्रायः एक शिक्षित, गुणी तथा अधिक आय उपार्जन कर सकने वाले व्यक्ति को ऋण तथा व्याज के भुगतान की क्षमता अधिक समझी जाती है, और उसकी साख ऊँची होती है।

(3) ऋणों को पूंजी तथा सम्पत्ति—ऋणों के पास चल तथा अचल सम्पत्ति की अधिक मात्रा होने पर उसे साख की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होती है। एक निर्धन व्यक्ति के बहुत अधिक चरित्रवान होने पर भी उसकी साख एक धनी की अपक्षा कम होगी।

(4) ऋण की जमानत—ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत की गयी जमानत उसकी साख को प्रभावित करती है। यदि वह मकान आदि अचल सम्पत्ति, जिसको आसानी से बेचा नहीं जा सकता, की जमानत पर ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसकी साख कम होगी। यदि जमानत सोने, चाँदी, बॉण्ड्स (bonds) अथवा अंशों (shares) के रूप में है तो ऋणी की साख अपेक्षाकृत अधिक होगी।

(5) ऋण की समयबद्धि—अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने में इतनी कठिनाई नहीं होती, जितनी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने में। दीर्घकालीन ऋण देने में ऋणदाता को अधिक जोखिम रहता है, क्योंकि ऋणी की क्षमता, आर्थिक स्थिति तथा चरित्र में परिवर्तन होने का भय रहता है।

(6) ऋण की राशि—बोड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करना अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने की अपेक्षा सहज होता है। अधिक मात्रा में ऋण देने में ऋणदाता का जोखिम अधिक होता है तथा वह हिचकिचाता है।

(7) ऋण का उद्देश्य—यदि ऋणी ऋण की मांग उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि करने के लिए करता है, तो उसके प्रयोग से उसकी आय बढ़ती है तथा ऋण लौटाने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके विपरीत, उपभोग के लिए लिये गये ऋण को चुकाने में कठिनाई होती है तथा इस प्रकार के ऋण के लिए साख कम होती है।

(8) विश्वास—उपर्युक्त सभी आधार विश्वास को प्रभावित करते हैं। ऋणी का चरित्र, क्षमता, पूंजी और सम्पत्ति, जमानत, साख की अवधि, राशि तथा उद्देश्य आदि तत्व विश्वास को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, कुछ विद्वानों के अनुसार साख का एकमात्र आधार विश्वास ही है। चेंडलर के शब्दों में, “किमी व्यक्ति, व्यावसायिक फर्म अथवा सरकार की साख प्राप्त करने की क्षमता सम्भाव्य ऋणदाताओं के इस विश्वास पर निर्भर करती है कि ऋणी ऋण का भुगतान करने के लिए क्षम्य तथा तत्पर दोनों ही रहेगा।”¹

साख के प्रकार

साख अनेक प्रकार की होती है। इसके विभिन्न रूपों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है।

(1) स्रोत के अनुसार—साख की प्राप्ति के स्रोत (अर्थात् ऋणदाता) के आधार पर साख तीन प्रकार की हो सकती है।

- 1 व्यक्तिगत साख वह ऋण है जिनके देने वालों का मुख्य व्यवसाय साख का लेन-देन नहीं होता। महाजन, जमींदार अथवा मित्रों या सम्बन्धियों से प्राप्त किया गया ऋण इसी प्रकार का होता है।
- 2 व्यावसायिक साख उस साख को कहते हैं जो विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। इनका भी मुख्य व्यवसाय साख का लेन-देन नहीं होता, परन्तु ये वस्तुएँ तथा सेवाएँ उधार दे देते हैं।
- 3 सस्थागत साख वह साख है जो ऐसी सस्थाओं द्वारा दी जाती है जिनका व्यवसाय साख का लेन-देन है। बैंकों तथा अन्य वित्तीय सस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण इसी प्रकार के हैं।

¹ “The ability of any person, business firm or government unit to get credit, depends on potential creditor's faith that the borrower will be both able and willing to pay”—Chandler: *Economics of Money and Banking*.

(2) प्रयोग के अनुसार—साख का प्रयोग उपभोक्ता, व्यवसाय, उद्योग तथा सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात्—

1. उपभोक्ता साख के अन्तर्गत उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग किमी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति अथवा कोई महँगी वस्तु खरीदने के लिए किया जाता है। जब उपभोक्ता अपनी सामान्य आय से इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो ऋण ले लेता है जिसको वह रिस्क में (hire-purchase system) अथवा इक्ट्ठा ही चुका देता है।
2. व्यावसायिक साख व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा अपनी आय में वृद्धि के उद्देश से ली जाती है, इसलिए यह स्वय-मोघनकारी (self-liquidating) होती है, अर्थात् इसका भुगतान स्वतः ही ऋणी की वशी हुई आय से हो जाता है।
3. औद्योगिक साख उद्योगपतियों द्वारा भूमि, भवन तथा मशीनें आदि खरीदने के लिए प्रयोग में लायी जाती है। इसे विनियोग-साख (Investment Credit) भी कहते हैं। यह प्रायः लम्बे समय के लिए होती है और प्रायः बन्धक (mortgage) के आधार पर प्राप्त की जाती है।
4. सरकारी अथवा सार्वजनिक साख का प्रयोग सरकार द्वारा अपने आय तथा व्यय में घाटे की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका भुगतान सरकार द्वारा भविष्य की बचत अथवा नये ऋणों की प्राप्ति से किया जाता है।

(3) अवधि के अनुसार—यदि साख छोटे समय के लिए दी जाए तो इसे अल्पकालीन साख कहते हैं। इसकी अवधि प्रायः 1 वर्ष तक की होती है। किन्ती भी समय माँग पर देय होने पर इस 'माँग साख' (Demand Credit) कहते हैं। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के ऋण 'मध्यम कालीन साख' तथा इससे अधिक अवधि के ऋण 'दीर्घकालीन साख' कहलाते हैं।

(4) धरोहर के अनुसार—धरोहर अथवा जमानत (security) के अनुसार जिन ऋणों के पीछे गैर-मूल्य की सम्पत्ति जमानत के रूप में रखी रहती है, उन्हें 'पूर्ण सुरक्षित साख' (Fully Secured Credit) कहते हैं। ऋणों के पीछे कोई जमानत न रखकर केवल ऋणी की व्यक्तिगत जमानत पर दी गयी साख 'असुरक्षित साख' (Unsecured Credit) कहलाती है। इन दोनों प्रकार की साख के बीच एक प्रकार की साख ऐसी भी होती है जिसके पीछे साख के मूल्य से कम की सम्पत्ति धरोहर के रूप में रखी जाती है, इसे 'अंशतः सुरक्षित साख' (Partially Secured Credit) कहते हैं।

(5) कार्य के अनुसार—साख का वर्गीकरण कभी-कभी साख के कार्य के अनुसार भी किया जाता है जैसे, उपभोग साख, उत्पादन साख, औद्योगिक साख, कृषि-साख, व्यावसायिक साख आदि।

✓ साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व

साख की मात्रा से तात्पर्य यह है कि किन्ती देश में वर्तमान परिस्थितियों में साख की पूर्ति तथा माँग कितनी है। साधारणतया साख की मात्रा निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है

(1) लाभ की दर—यदि ऋण से विनियोगकर्ता, उत्पादक तथा व्यवसायी को अधिक लाभ प्राप्त होता है, अथवा केन्द्र के शब्दों में 'पूर्वो की सीमान्त कार्यक्षमता' (marginal efficiency of capital) अधिक है, तो ऋण के लिए माँग अधिक होती है। ऋण की माँग अधिक होने पर ध्याज-दर भी ऊँची होती है तथा ऋणों की पूर्ति बढ़ती है।

(2) व्यापार की बहालगी—तेजी के काल में, जब कीमतें बढ़ रही होती हैं, व्यापारिक भविष्य के लिए आशावादी होते हैं। इन परिस्थितियों में ध्याज-दर ऊँची होती है तथा साख का प्रसार होता है। इसके विपरीत, मन्दी काल में कीमतें गिरने के कारण लाभ घटने लगते हैं तथा निराशा का वातावरण उत्पन्न होता है। ऋणों की माँग कम हो जाती है तथा साख की मात्रा कम होती है।

(3) सट्टेबाजी की स्थिति—भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशा होने पर सट्टा बाजार में

अधिक सौदे होने लगते हैं तथा ऋणों की माँग बढ़ती है और साख का विस्तार होना है। भविष्य में कीमते गिरने की सम्भावना होने पर ऋणों की माँग कम होती है तथा साख की मात्रा कम हो जाती है।

(4) देश की राजनीतिक दशा—देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था होने से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है तथा ऋण की माँग एवं पूति में वृद्धि होती है। अशान्ति तथा राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में साख की मात्रा कम हो जाती है।

(5) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति—साख की मात्रा पर केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि सस्ती मुद्रा नीति (cheap money policy) के अन्तर्गत बैंक-दर कम कर दी जाती है तो व्यापारिक बैंकों को भी ऋणा पर व्याज-दर को घटाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप साख का विस्तार होता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा ऊँची बैंक-दर तथा साख-नियन्त्रण की नीति अपनाने पर साख की मात्रा में कमी होती है।

(6) देश की चलन-व्यवस्था—देश की चलन व्यवस्था (monetary system) सुव्यवस्थित होने पर साख का विस्तार होता है। चलन-व्यवस्था से अनिश्चितता तथा मूल्यों में अस्थिरता की स्थिति में साख की मात्रा घट जाती है।

(7) बैंकिंग प्रणाली का विकास—बैंक साख का मुख्य स्रोत होते हैं। अतः बैंकिंग प्रणाली के विकसित होने पर साख का प्रसार होगा तथा अविकसित होने पर साख की मात्रा अधिक नहीं हो सकती। अल्प-विकसित देशों में बैंकिंग प्रणाली भी प्रायः अविकसित होती है तथा साख की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है। उन्नत देशों में बैंकिंग प्रणाली के विकसित होने के कारण साख का अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

क्या साख पूंजी है ?

साख पूंजी के रूप में उत्पादन में सहायक होती है अथवा नहीं ? इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद पाया जाता है। एक ओर तो मैकलीयोड (Macleod) का विचार है कि "मुद्रा और साख दोनों पूंजी हैं। व्यापारिक साख व्यापारिक पूंजी है।"¹ इस विचार का आधार यह है कि साख-पत्रों का मुद्रा की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इनकी सहायता से उत्पादन के अन्य साधन—श्रम, भूमि आदि—खरीदे जा सकते हैं। दूसरी ओर रिकार्डों (Ricardo) तथा मिल (J S Mill) साख को पूंजी नहीं मानते। रिकार्डों के अनुसार, "साख पूंजी का सृजन नहीं करती है, यह तो बस इतना निर्धारित करती है कि पूंजी का प्रयोग किसके द्वारा होना चाहिए।"² मिल ने लिखा है, "उधार देने मात्र से पूंजी का निर्माण नहीं होता, ऐसी स्थिति में तो केवल उस पूंजी का जो पहले से ही ऋणदाता के पास थी, ऋणों को हस्तान्तरण होता है। साख तो केवल दूसरे की पूंजी का उपयोग करने का अधिकार है। इससे उत्पादन के साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता, उनका केवल हस्तान्तरण हो सकता है।"³

अधिकतर अर्थशास्त्री साख को पूंजी नहीं मानते, क्योंकि (1) साख द्वारा पूंजी का केवल हस्तान्तरण होता है, पूंजी का निर्माण नहीं होता। इसी के माध्यम से एक व्यक्ति की पूंजी पर दूसरे को अधिकार प्राप्त होता है। कभी-कभी साख अनुत्पादक सचय को हस्तान्तरण द्वारा उत्पादक कार्यों में लगाती है, परन्तु इसको पूंजी का निर्माण तो नहीं कहा जा सकता। यह केवल निष्क्रिय पूंजी का सक्रिय होना है। (2) जिस प्रकार पूंजी और श्रम उत्पादन के साधन हैं, उस प्रकार साख उत्पादन का एक स्वतन्त्र साधन नहीं है। इसमें मन्देह नहीं कि साख एक ऐसी रीति है जिससे उत्पादन में सहायता प्राप्त होती है, परन्तु स्वयं साख को उत्पादन का साधन नहीं माना जा सकता।

1 Money and credit are both capital Mercantile Credit is Mercantile Capital —Macleod
Elements of Banking

2 'Credit does not create Capital, it only determines by whom capital could be employed'
—Ricardo *Principles of Political Economy and Taxation*

3 "New capital is not created by the mere fact of lending, only the capital that was in the hands of the lender is now transferred to the hands of the borrower Credit being only the permission to use the capital of another person, the means of production cannot be increased by it but only transferred" —J S Mill *Principles of Political Economy*

(3) साख-पत्र स्वयं पूंजी नहीं होते, वे केवल पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साख-पत्र पत्र ने हस्तान्तरण का केवल एक साधन है।

इस प्रकार साख केवल साधन (means) है, साध्य (end) नहीं है। साख को सहायता से पूंजी प्राप्त की जा सकती है, परन्तु साख स्वयं पूंजी नहीं है।

साख तथा कीमतें

साख तथा कीमतों के सम्बन्ध के विषय में भी अर्थशास्त्रियों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। बगरीकी अर्थशास्त्री वाकर (Walker) के अनुसार साख में परिवर्तनों का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके विचार में यद्यपि साख में क्रय-शक्ति (purchasing power) है, परन्तु भुगतान को समाप्त करने की शक्ति (liquidating power) नहीं है। दूसरे शब्दों में, साख के माध्यम से वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं, परन्तु उनका भुगतान अन्त में तो मुद्रा में ही करना होता है। इसके अतिरिक्त, साख-मुद्रा के माध्यम से क्रय-विनय करने पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया में सन्तुलन हो जाता है, इसलिए वस्तुओं की कीमतों पर साख का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

इसके विपरीत, जे० एम० मिल के अनुसार साख की मात्रा में परिवर्तनों का कीमतों पर उसी प्रकार का प्रभाव होता है जैसा कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का होता है। साख में क्रय-शक्ति होनी है जो साख का प्रसार होने पर घट जाती है, अर्थात् कीमतें घट जाती हैं। इस प्रकार, मुद्रा की कुल मात्रा का अनुमान लगाने में चलन की मात्रा के साथ-साथ साख की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण की रीतियों द्वारा साख की मात्रा कम करके कीमतें घटायी जा सकती हैं।

साख तथा कीमतों के सम्बन्ध के बारे में उपर्युक्त विरोधी विचारधाराओं का समन्वय केन्द्र द्वारा किया गया है। केन्द्र के अनुसार साख का कीमतों पर प्रभाव तो पड़ता है परन्तु इतना नहीं जितना मुद्रा का कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। साख पत्र मुद्रा के स्थानापन्न (substitute) नहीं होते, वे केवल मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अन्त में सभी साख-पत्रों का भुगतान मुद्रा में होता है। साख मुद्रा का निर्माण करने में बैंकों को अपने पास नकद-कोष रखने पड़ते हैं। नकद-कोष बढ़ने पर साख का प्रसार होता है तथा घटने पर संकुचन। इस प्रकार साख मुद्रा का निर्माण होते ही दो प्रकार की विरोधी शक्तियाँ एक साथ कार्य करने लगती हैं—यदि साख की मात्रा बढ़ती है तो स्फीतिक प्रवृत्ति (inflationary tendency) कार्यशील होती है तथा कीमतें बढ़ती हैं। परन्तु इसी के साथ-साथ बैंकों के नकद-कोष भी घटते हैं जिनके परिणामस्वरूप चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, विस्फीतिक प्रवृत्ति (deflationary tendency) उत्पन्न होती है तथा कीमतें घट जाती हैं। व्यावहारिक रूप में, नकद-कोषों में वृद्धि की तुलना में साख की मात्रा में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। इसलिए अन्ततः साख की वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है परन्तु उस अनुपात में नहीं जिसमें साख की मात्रा बढ़ती है। केन्द्र के अनुसार, साख की मात्रा में परिवर्तनों का कीमत-स्तर पर प्रभाव तो पड़ता है, परन्तु इतना नहीं जितना कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का।

साख का महत्त्व

वर्तमान समय में साख का महत्त्व इतना अधिक है कि इसे व्यावसायिक संगठन का प्राण कहा जाता है। हॉट्टे (R G Hawtrey) तथा विलिस (H P Willis) ने साख को वर्तमान आर्थिक प्रणाली की आधारशिला कहा है जिस पर सभी आर्थिक क्रियाएँ आश्रित हैं। डेनियल वेबस्टर (Daniel Webster) के शब्दों में, "साख ने सत्तार को धनी बनाने में सत्तार की सारी खानों की अपेक्षा हजार गुना अधिक कार्य किया है। इसने श्रम को प्रोत्साहित किया है, निर्माण कर्ताओं को प्रेरित किया है, वाणिज्य को सागरी पार तक विस्तृत किया है, और प्रत्येक राज्य तथा मानव की प्रत्येक छोटी जाति को परस्पर एक-दूसरे से परिचित करा दिया है।" साख के महत्त्व को साख से प्राप्त होने वाले लाभों द्वारा समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं

(1) पूंजी की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि—जे० एम० मिल ने लिखा है, "यद्यपि साख मुद्रा पूंजी का एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण करना होता है, परन्तु यह हस्तान्तरण उन

व्यक्तियों को दिया जाता है जो पूंजी का उत्पादक उपयोग कर सकते हैं ... व्याज पर उद्यम-कर्ताओं को पूंजी उधार दिये जाने के परिणामस्वरूप इसका उत्पादक उपयोग करना सम्भव हो जाता है। यद्यपि साख-मुद्रा का व्यापक प्रयोग होने में समस्त पूंजी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है परन्तु उत्पादन-क्षमता का उपयोग होने हेतु अभीष्टतम उत्पादन सम्भव हो जाता है।¹²

(2) सरल भुगतान—साख के कारण बैंको आदि संस्थाओं का जन्म हुआ है जिनके माध्यम से भुगतान करना बहुत सरल हो गया है। साख-पत्र के प्रयोग से न केवल देशी तथा विदेशी भुगतान सरलतापूर्वक किये जा सकते हैं, बल्कि विनिमय के माध्यम में वृद्धि होती है जिससे अधिक व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

(3) उपभोग में वृद्धि—साख द्वारा जीवन के भौतिक सुखों की सामयिक पूर्ति में यथेष्ट योगदान मिलता है। एक सम्बन्धित समय तक त्याग तथा बचत करते रहने के पश्चात् उपभोग की वस्तुएँ प्राप्त करने में अच्छा यह है कि वस्तुओं को साख के आधार पर प्राप्त कर लिया जाये और उनका भुगतान धीरे-धीरे होता रहे। जीवन के आरम्भ में ही किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त करना केवल साख के प्रयोग द्वारा ही सम्भव होता है। अनेक व्यापारिक संस्थाएँ निस्तो पर मान उधार देती हैं जिससे उपभोक्ता साख का निर्माण होता है। वस्तुओं की माँग बढ़ती है जिसको पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ता है तथा जीवन सुखमय होने लगता है।

(4) मितव्ययता—साख-मुद्रा का प्रयोग करने से धातु-मुद्रा तथा अन्य वैधानिक मुद्रा की बचत होती है। वैधानिक मुद्रा यदि पत्र-मुद्रा ही है तो भी यह साल-मुद्रा से अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ धानु-कोष रखने की आवश्यकता होती है। साख-पत्रों के प्रयोग के फलस्वरूप वैधानिक मुद्रा के अपव्यय में कमी होती है। दूरस्थ स्थानों के भुगतान तथा बड़ी मात्रा के भुगतान साख-पत्रों द्वारा करना अधिक मितव्ययी, सुरक्षापूर्ण तथा सुविधाजनक होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में विनिमय-विलों का प्रयोग करने से बहुमूल्य धातुओं के आयात-निर्यात की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए बचत होती है।

(5) व्यापारिक उन्नति—साख के कारण देशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है क्योंकि बैंको के माध्यम से व्यापारी एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। व्यापारिक लेन-देन प्रायः साख तथा बैंको के माध्यम से ही किया जाता है।

(6) बचत को प्रोत्साहन—बैंक व अन्य साख-संस्थाएँ जनता की बचतों को अपने पास जमा कर लेती हैं जो वैसे निष्क्रिय ही रहती। व्याज के लोभ में बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा देश में पूंजी-निर्माण की मात्रा में वृद्धि होती है।

(7) कीमतों में स्थिरता—सरकार तथा केन्द्रीय बैंक साख-नियन्त्रण द्वारा कीमतों में स्थिरता बनाये रख सकते हैं। कीमतों में वृद्धि होने पर साख-मबुचन द्वारा उन्हें घटाया जा सकता है। इसके विपरीत, कीमतें गिर जाने पर साख का प्रसार किया जाता है जिससे कीमतें ऊपर उठने लगती हैं।

(8) मुद्रा-प्रणाली में लोच—देश की मौद्रिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर मुद्रा की मात्रा में तत्काल परिवर्तन करना सम्भव नहीं हो पाता, परन्तु यह कार्य साख की सहायता से सुविधापूर्वक किया जा सकता है। व्यापारिक बैंक देश में व्यापार तथा उद्योगों की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार साख की मात्रा का विस्तार व सकुचन करते हैं जिससे देश की मुद्रा प्रणाली में लोच बनी रहती है।

(9) आर्थिक विकास में सहायक—आधुनिक काल में आर्थिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योग होता है। विकास के व्यय में एक बड़ा भाग सरकार हीनार्थ-प्रवन्धन (deficit financing) तथा मार्जिनल ऋणों द्वारा प्राप्त करती है।

(10) उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग—आर्थिक कठिनाइयों के कारण अवरुद्ध औद्योगिक विकास के लिए साख तेल का काम करती है जिसमें औद्योगिक क्षमता एवं कुशलता में

वृद्धि होती है और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। बैंक के विचारानुसार, भावनों की पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने हेतु कीमत-स्तर में मन्द गति से वृद्धि होती रहना चाहिए। व्यापारिक बैंक साख के विस्तार द्वारा यह स्थिति सहज ही उत्पन्न कर लेते हैं। साधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा उत्पादन बढ़ने से रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि होती है तथा आय-स्तर उँचा होगा।

(11) आर्थिक सङ्कट से ब्राण—व्यक्ति तथा सरकार दोनों ही साख की महायन्त्र से आर्थिक सङ्कटों का सामना कर सकते हैं। मुद्रा अथवा अन्य विपत्तियाँ से छुटकारा पाने के लिए सरकार ऋणों द्वारा अपने साधनों में वृद्धि कर सकती है।

(12) नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था—केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख की मात्रा तथा दिशा में नियमित ढंग में परिवर्तनों द्वारा इसे आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप मोड़ सकती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साख नियन्त्रण आर्थिक नियमन का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है।

डीफो (Defoe) के शब्दों में, ‘साख समार में व्यापार तथा वाणिज्य के परिष्कार का तन, हृदयों की मञ्जा, नमा का रक्त तथा हृदय का प्राण है।’ परन्तु इतना होते हुए भी मान में कुछ दोष भी हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है।

साख के दोष

जिग प्रकार मुद्रा का उचित प्रयोग तथा उमकी मात्रा पर उचित नियन्त्रण न रहने पर मुद्रा में अनेक हानियाँ हो सकती हैं, उसी प्रकार अनियन्त्रित रहने पर साख में परिवर्तन आर्थिक सङ्कट का कारण बन सकते हैं। साख की विशेष रूप से उल्लेखनीय हानियाँ ये हैं

(1) अपव्यय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन—जब साख सहज ही प्राप्त हो जाती है तो लोग अपने मायना से अधिक व्यय करने में तथा वे मितव्ययी नहीं रहते। कालान्तर में जब वे ऋणों का भुगदान नहीं कर पाते तो अनेक प्रकार की कठिनवस्तुओं उत्पन्न होती हैं।

(2) सद्दे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन—साख की मात्रा में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कीमता में भी परिवर्तन हात हैं जिनमें सद्दे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। सद्दे की अधिकतर क्रियाएँ बैंक से प्राप्त साख द्वारा होती हैं। कभी कभी तो सद्दे की क्रियाओं के कारण बस्तुओं तथा जरा के भावा में काफी उतार चढ़ाव होने हैं जिससे आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है।

(3) साख स्फीति—तेजी के काल में उँची व्याज-दर के कारण बैंक साख का अत्यधिक विस्तार करत हैं, जो प्रायः उत्पादन की आवश्यकताओं से अधिक होती है। इन परिस्थितियों में साख-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(4) व्यापारिक अनिश्चितता—साख व्यापारिक अनिश्चितता में वृद्धि करती है क्योंकि तेजी के काल में साख का निर्माण बहुत अधिक होता है तथा मन्दी काल में बहुत ही कम होता है, जिससे मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा-नकुचन को और भी अधिक बढ़ावा मिलता है।

(5) अकुशल व्यवसायियों की रक्षा—साख के प्रयोग से अयोग्य व कमजोर स्थिति के व्यापार में भी अधिक पूँजी लगायी जा सकती है, जिससे व्यापारी अपनी वास्तविक स्थिति का छिपाकर व्यवसाय को चालू रखता है। इस प्रकार की खोसली व्यवस्था में व्यवसाय के ढूँढ जाते पर ऋणदाताओं की पूँजी भी ढूँढ जाती है तथा समूचे आर्थिक जीवन को हानि पहुँचती है।

(6) एकाधिकार को प्रोत्साहन—कुँवि अधिक सम्पत्ति वाले व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की साख प्राप्त करने की शक्ति अधिक होती है इसलिए वे साख की महायन्त्र से अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। कम पूँजी वाले व्यवसाय पिछड़ जाते हैं तथा बड़ी दकाइयों में स्पर्द्धा नहीं कर पाते। इस प्रकार एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है तथा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था मुट्टी भर लोगों पर आश्रित हो जाती है।

1 'It is the oil of the wheel, the marrow of the bones, the blood in the veins and the spirit in the breast of all trade and commerce of the world' —Defoe.

(7) धन का असमान वितरण—साख के कारण समाज दो वर्गों में बँट जाता है—ऋण-दाता तथा ऋणी। ऋणी ऋणदाता पर आश्रित होता है और ऋणदाता द्वारा ऋणी का शोषण किया जाता है। ऋणी का ऋण के बोझ से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है, धन तथा आय के वितरण में असमानताएँ उत्पन्न होती हैं तथा वर्ग-सघर्ष का जन्म होता है।

साख के उपर्युक्त गुण शोषों का निष्पक्ष विवेचन करने से पता चलता है कि साख के प्रभावों का अच्छा या बुरा होना साख के उपयोग पर निर्भर करता है। साख से हानियाँ तभी होती हैं जब साख का दुरुपयोग हो तथा इसकी मात्रा पर कोई नियन्त्रण न रहे। रॉबर्टसन का मुद्रा के सम्बन्ध में यह विचार—“मानव-समाज के लिए अनेक वरदानों की स्रोत मुद्रा को यदि हम भली प्रकार नियन्त्रित न कर सकें तो वह सकट और भ्रम का कारण बन सकती है”—साख के सम्बन्ध में भी उतना ही सही है जितना कि मुद्रा के सम्बन्ध में। अतएव, केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-प्रणाली पर समुचित तथा प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है।

बैंको द्वारा साख का निर्माण

वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में साख के महत्व की व्याख्या करने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह देखें कि साख का निर्माण (Creation of Credit) किस प्रकार होता है तथा उसकी सीमाएँ क्या हैं ?

किमी भी देश में जिस प्रकार विधिप्राप्त मुद्रा का निर्माण वहाँ की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था साख का निर्माण करती है।

सेयर्स के अनुसार, “बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली सस्थाएँ नहीं हैं, अपितु एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा की निर्माता भी हैं।” अधिकांश मुद्रा शास्त्री—हार्टने विदम, केन्ज, सेयर्स, हॉम आदि—यह स्वीकार करते हैं कि बैंक का महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण करना है। इसके विपरीत, वाल्टर लीफ तथा डॉ० वैनन ऐसा सोचते हैं कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते। परन्तु व्यवहार में प्रथम विचारधारा ही अधिक ठीक है और इसके समर्थकों की मत्वा काफी अधिक है। बैंको द्वारा साख का निर्माण निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है

(1) बैंक-नोटों के निर्गमन द्वारा साख निर्माण (Creation of Credit by Issue of Bank Notes)—पत्र-मुद्रा के निर्गमन का अधिकार पहले सभी बैंकों को प्राप्त था और सभी बैंक अपने नोटों के रूप में साख का निर्माण करते थे। यह अधिकार अब केवल केन्द्रीय बैंक का रह गया है। केन्द्रीय बैंक पत्र-मुद्रा के निर्गमन के पीछे एक कोष रखता है। परन्तु यह कोष शत-प्रतिशत नहीं होता। थोड़ा-सा धातु कोष रखकर शेष चलन के पीछे विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (securities) रखी जाती हैं। प्रचलन का वह भाग जिसके पीछे धातु कोष नहीं रहता, मुख्य रूप से केन्द्रीय बैंक की साख पर ही आधारित होता है। बैंक-नोट एवं प्रकार के साख-पत्र ही हैं और इन्हें ‘बैंक प्रतिज्ञापत्र’ कहा जा सकता है।

(2) निक्षेपों द्वारा साख-निर्माण करना (Creation of Credit through Deposits)—बैंक अपने कुल नकद निक्षेपों (cash deposits) की कई गुना राशि उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। केन्ज तथा सी० ए० फिलिप्स (C A Phillips) के विचारा के आधार पर प्रो० हॉम (Halm) ने दो प्रकार के निक्षेपों का उल्लेख किया है—प्रारम्भिक निक्षेप (primary deposits), तथा व्युत्पन्न निक्षेप (derivative deposits)। प्रारम्भिक निक्षेपों से अनिप्राय उन निक्षेपों से हैं जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमावतों बैंक में जमा कएते हैं। इनके निमित्त निक्षेप अथवा नकद निक्षेप (cash deposit) भी कहा जाता है। इनके विपरीत, जब बैंक किसी को ऋण देने से उद्देश्य से उसके नकद साख खाते (cash credit account) में कुछ रकम लिख देता है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले निक्षेप व्युत्पन्न निक्षेप कहलाते हैं। इनको साख निक्षेप (credit deposits) अथवा गौण निक्षेप (secondary deposits) भी कहते हैं। व्युत्पन्न निक्षेप प्रारम्भिक निक्षेपों का ही परिणाम होते हैं, क्योंकि बैंक नकद जमा का कुछ भाग काप में

रखकर साख-जमा का सृजन करता है। हॉम के अनुसार, 'व्युत्पन्न निक्षेप का निर्माण ही साख का सृजन है।'¹

मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने एक बैंक के पास 1,000 रुपये जमा किये तो यह बैंक का प्रारम्भिक निक्षेप होगा। क्योंकि बैंक को इस जमा राशि पर व्याज देनी पड़ती है और बैंक यह जानता है कि जमाकर्ता एक साथ सम्पूर्ण राशि निकालने की मांग नहीं करेगा, इसलिए इस रकम का एक निश्चित भाग (मान लीजिए 20 प्रतिशत) नकद-कोष में रखकर शेष 800 रुपये बैंक किसी को ऋण के रूप में दे देना है। यह 800 रुपये की रकम ऋणी के खाते में जमा (credit deposit) कर दी जाती है। इस साख-जमा का पुन 20 प्रतिशत नकद कोष रखकर शेष 640 रुपये का ऋण किसी को दे दिया जाता है। यह क्रम इसी प्रकार चलता है, जब तक कि बैंक अपनी नकद जमा का 5 गुना अधिक रुपया उधार नहीं दे देता। इस प्रकार 100 रुपये की नकद जमा पर व्याज देकर बैंक 4,000 रुपये पर व्याज बसूल करता है, और यही बैंक का लाभ है।

इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतने ही अधिक साख-निक्षेप उत्पन्न होते हैं तथा ऋण का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि निक्षेप साख को जन्म देते हैं और साख निक्षेपों को जन्म देती है (Loans create deposits and deposits create loans)।

ऊपर बनायी गयी साख-निर्माण की प्रक्रिया का विवरण इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि समाज में एक ही बैंक है। परन्तु व्यवहार में प्रत्येक देश में विभिन्न आकार के अनेक बैंक होते हैं, और आर्थिक प्रगति के साथ-साथ बैंक तथा उनकी शाखाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार की बहु-बैंक बैंकिंग प्रणाली में कोई एक बैंक अपनी कुल प्रारम्भिक जमाओं के केवल कुछ भाग को उधार देकर साख का निर्माण करता है। इस बैंक का ऋणी जब भुगतान में बैंक देता है तो ये बैंक अन्य बैंकों में जमा हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाता बैंक की नकदी अन्य बैंक को प्राप्त हो जाती है। परन्तु सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली को देखते हुए साख-निर्माण की प्रक्रिया केवल प्रथम बैंक के ऋण प्रदान करने के साथ समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि यह उस समय तक जारी रहती है जब तक पर्याप्त मात्रा में साख का निर्माण नहीं हो जाता है।

अनेक बैंक होने पर साख-निर्माण की प्रक्रिया का रूप एक-बैंक बैंकिंग प्रणाली के समान ही होता है। पहले का उदाहरण लेते हुए यदि एक बैंक की प्रारम्भिक जमा 1,000 रुपये है, तो इसमें से वह 20 प्रतिशत (अर्थात् 200 रुपये) कोष में रखकर 800 रुपये का ऋण देता है जो ऋणी के खाते में सिख लिये जाते हैं। मान लीजिए, यह 800 रुपये की रकम किसी प्रकार दूसरे बैंक के पास जमा के रूप में पहुँच जाती है तो यह बैंक इसका 20 प्रतिशत (160 रुपये) कोष में रखकर शेष 640 रुपये की रकम पुन उधार दे देगा। यह क्रम इसी प्रकार चलेगा रहेगा और एक बैंक की प्रारम्भिक जमा दूसरे बैंक की व्युत्पन्न जमा बनी रहेगी जब तक कि सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था की जमा पाँच गुनी नहीं बढ़ जाती (नकद-कोष 10% रखने पर वृद्धि दम गुनी होगी तथा 5% रखने पर दोन गुनी)। इस क्रम को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

बैंकिंग प्रणाली में साख-निर्माण की प्रक्रिया

बैंक	नई जमा	जमा के दोसरे रत्ता गया कोष (20%)	ऋण अथवा व्युत्पन्न जमा
प्रथम	₹ 1000 00	₹ 200 00	₹ 800 00
दूसरा	800 00	160 00	640 00
तीसरा	640 00	128 00	512 00
चौथा	512 00	102 40	409 60
पाँचवाँ	409 60	81 92	327 68
छठा	327 68	65 53	262 15
सातवाँ	262 15	52 43	209 72
आठवाँ	209 72	41 94	166 78
प्रथम आठ बैंक का योग	4161 15	832 22	3328 93
अन्य बैंक	838 85	167 78	671 01
सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली	5000 00	1000 00	4000 00

1 "The creation of derivative deposits is identical with what is commonly called the creation of credit."—G N Halm *Monetary Theory*, p 39

तालिका में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि 1,000 रुपये की नकद जमा रहने पर यदि इसका 20 प्रतिशत नकद-क्रोप के रूप में रखकर बाकी का ऋण दे दिया जाय तो देण की बैंकिंग प्रणाली द्वारा 4,000 रुपये के ऋण दिये जाते हैं तथा कुल 5,000 रुपये के निक्षेप (1,000 रुपये प्रारम्भिक + 4,000 रुपये व्युत्पन्न निक्षेप) निमित्त होते हैं।
क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करते हैं ?

साख तथा निक्षेप का निर्माण बैंक करता है अथवा निक्षेपकर्ता ? इस विषय पर अर्थ-शास्त्रियों में आपस में मतभेद है। -

हार्टले विदर्स (Hartley Withers) के अनुसार, "ऋण निक्षेपों को जन्म देते हैं और उनके निर्माण का श्रेय बैंकों को है।" यह ठीक है कि जमाकर्ता तथा ऋणी अपनी रकम को बैंक से निकालने अथवा किसी/अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं, परन्तु यह निकाली गयी या हस्तान्तरित की गयी रकम किसी अन्य बैंक अथवा उसी बैंक में पुन जमा होने की प्रवृत्ति दिखाती है। एक बैंक द्वारा दिया गया ऋण किसी अन्य बैंक अथवा उसी बैंक की जमा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज की बैंकिंग प्रणाली में व्युत्पन्न निक्षेपों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि, सेलिगमैन के अनुसार, "पहले बैंक नकद निक्षेपों में व्यवसाय करते थे, आजकल वे प्रमुख रूप से साख निक्षेपों में व्यवसाय करते हैं।"¹

उपर्युक्त मत के विपरीत डॉ० वाल्टर लीफ (Dr Walter Leaf) तथा प्रो० कैनन (Cannan) के अनुसार साख-निर्माण का श्रेय बैंक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका आरम्भ निक्षेपधारी (depositor) द्वारा होता है। निक्षेपों से ही बैंक को साधन उपलब्ध होते हैं और बैंक ऋण इसीलिए दे पाते हैं कि निक्षेपधारी अपनी पूरी रकम बैंक से एक साथ नहीं निकालते। मान लीजिए, एक ड्राई क्लोथर के पास 100 कोट साफ होने के लिए आते हैं जिनको वह चार दिन तक रख सकता है। यदि इनमें से 80 कोट वह कुछ समय के लिए उधार पर चला लेता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने 80 कोटों का निर्माण कर डाला है। इसी प्रकार के तर्क ध्यान में रखते हुए कैनन ने लिखा है कि "प्रत्येक व्यावहारिक बैंकर जानता है कि वह साख-मुद्रा अथवा किसी अन्य वस्तु का निर्माता नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उन व्यक्तियों से, जिनके पास साधन हैं, अन्य व्यक्तियों को, जो उनका प्रयोग कर सकते हैं, ऋण दिलाने की सुविधा प्रदान करता है।"²

वास्तविकता यह है कि लीफ तथा कैनन के विचार भ्रमात्मक हैं और उन्हें केवल यही तक माना जा सकता है कि बैंकों द्वारा साख-निर्माण के कार्य में निक्षेपधारियों का सहयोग बैंक को प्रोत्साहन देता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बैंक अपने प्रारम्भिक निक्षेपों की राशि में कहीं अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा साख का निर्माण केवल नकद जमा तथा साख-जमा के द्वारा ही नहीं, बल्कि अधिविचरप (overdraft) की सुविधाएँ देकर भी किया जाता है। प्रतिभूतियों (securities) को खरीदकर इनका भुगतान अपने बैंक द्वारा करके भी बैंक साख का मूजन करते हैं। केन्द्रीय बैंक से अपन बिलों को पुन भुनाकर (rediscount) भी बैंक अपनी साख-निर्माण की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए यही कहना अधिक ठीक होगा कि बैंक साख का निर्माण करते हैं।

साख-निर्माण की सीमाएँ

प्रारम्भिक निक्षेपों (primary deposits) के आधार पर साख अथवा व्युत्पन्न निक्षेपों (derivative deposits) का निर्माण मुख्य रूप से चार मान्यताओं के अन्तर्गत ही सम्भव होता है

1 "Loans make deposits and the initiative of creating them goes to the bank"
 —Hartley Withers
 2 Seligman Principles of Economics
 3 "every practical banker knows that he is not a creator of credit or money or anything else, but a person who facilitates the lending of resources by the people who have them to those who can use them" —Cannan An Economist's Protest, p 382

- 1 बैंक पर लिखे गये बैंका का भुगतान जमाकर्ताओं के खातों में बैंक की रकम जमा करके होता है, नकदी के रूप में नहीं।
- 2 बैंको द्वारा केन्द्रीय बैंक को न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात (minimum statutory reserve ratio) का भुगतान करने के अलावा बैंको को नकदी रखने की आवश्यकता नहीं होती।
- 3 जनता बैंका से बैंको की अधिकतम ऋण देने की शक्ति तक ऋण लेने को तैयार है।
- 4 बैंक अपनी अधिकतम ऋण देने की शक्ति तक जनता को ऋण देने के लिए तैयार है।

व्यावहारिक रूप से उपर्युक्त चारों मान्यताएँ अवास्तविक हैं। सभी लोग अपने बैंको को बैंक में जमा नहीं करते, इसलिए नकद भुगतान करने के लिए बैंक को अपने पास कुछ नकदी अवश्य रखनी पड़ती है। यह भी आवश्यक नहीं कि जनता द्वारा बैंक ऋणों की माँग इतनी ही हो जितनी कि बैंक की अधिकतम उधार देने की शक्ति है। ऋण की माँग अनेक बातों से प्रभावित होती है तथा मन्दी काल में तो बहुत ही कम होती है। यह भी आवश्यक नहीं कि बैंक सदा अपनी अधिकतम ऋण देने की शक्ति के बराबर ही ऋण देगा। बैंक को लाभ के साथ-साथ ऋणों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। इन कठिनाइयों के कारण पूर्णतया स्वतन्त्र रहने पर भी बैंक अनियमित मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर पाता। साख-निर्माण की अपनी कुछ सीमाएँ हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(1) देश में विधिप्राप्त मुद्रा की कुल मुद्रा—बैंको के पास आन वाले प्रारम्भिक निक्षेपों की मात्रा देश में विधिप्राप्त मुद्रा की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। साख मुद्रा के आधार पर ही बनती है, मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर बैंको के निक्षेप बढ़ने हैं जिनके आधार पर अधिक साख का निर्माण सम्भव होता है। मुद्रा-स्फीति के दिनों में बैंको के निक्षेप तथा कोष बढ़ जाते हैं तथा उनके दिये हुए ऋणों की मात्रा भी बढ़ती है। इसके विपरीत, मुद्रा-सकुचन की स्थिति में बैंको के नकद अथवा प्रारम्भिक निक्षेपों में कमी होती है जिससे बैंको की साख निर्माण की शक्ति कम होती है।

(2) लोगों की नकदी रखने की आदत—बैंको की साख-निर्माण की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग अपने पान नकद मुद्रा रखना चाहते हैं अथवा भुगतान करने के लिए बैंक का प्रयोग करते हैं। यदि लोग अपने पास नकदी रखना अधिक पसन्द करते हैं तो जैसे ही बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा, ऋणी बैंक से नकद रकम ले लेगा। बैंको के नकद कोष कम हो जाने पर उनकी साख निर्माण की शक्ति भी घट जायेगी। इसके विपरीत, वैकिंग की आदत अधिक होने पर बैंको का अधिक प्रयोग होगा तथा बैंको की साख निर्माण की शक्ति भी अधिक होगी।

(3) बैंको के नकद-कोष—कुल निक्षेपों का न्यूनतम अनुपात जो बैंको द्वारा नकद-कोष के रूप में रखा जाता है, बैंको की साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित करता है। कुछ देशों में इस प्रकार का अनुपात केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। कुल जमा के अनुपात में नकद-कोषों की मात्रा कम रहने पर बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकते हैं। इसके विपरीत, न्यूनतम कोषों का अनुपात अधिक होने पर बैंको की साख-निर्माण की शक्ति काफी सीमित होती है। बैंको के नकद कोषों का अनुपात मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है—बैंको पर कानूनी प्रतिबन्ध जनता द्वारा नकदी की माँग, तथा बैंको की स्थिति।

(4) बैंको के केन्द्रीय बैंक के पास रक्षित कोष—प्रत्येक बैंक को केन्द्रीय बैंक के पास अपनी चालू तथा निश्चित कालीन जमाओं अथवा माँग तथा काल-दायित्वों (demand and time liabilities) का कुछ भाग रक्षित कोष के रूप में रखना पड़ता है। कुछ निक्षेपों के अनुपात में रक्षित कोषों की मात्रा जितनी अधिक होगी बैंको की साख निर्माण की शक्ति उतनी ही अधिक सीमित होगी।

(5) केन्द्रीय बैंक की साख सम्बन्धी नीति—प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक अन्य बैंको की साख निर्माण की सीमा को निर्धारित करने के लिए न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात में परिवर्तनों के अनिश्चित बैंक-दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं (open market operations) के माध्यम से सम्बन्धित

नीति में समय-समय पर परिवर्तन करके बैंको द्वारा साख के निर्माण को प्रभावित करता है। केन्द्रीय बैंक की नीति साख के विस्तार का नियन्त्रण करना होने पर बैंक माख-निर्माण की मात्रा को सीमित रखने पर विवश हो जाते हैं।

(6) अन्य बैंको की साख-निर्माण सम्बन्धी नीति—बहु-बैंक बैंकिंग प्रणाली में साख-निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक बैंक को अन्य बैंको की साख-निर्माण नीति को ध्यान में रखना पड़ता है। एक बैंक विशेष द्वारा अन्य बैंको की तुलना में अधिक साख-निर्माण करने पर उसको नकदी सीमा ही समाप्त हो जायेगी, क्योंकि इस बैंक के ऋणियों द्वारा दिये गये बैंक जब अन्य बैंको के पान पहुँचेंगे तो इस बैंक को अन्य बैंको को नकदी देकर भुगतान करना पड़ेगा। अन्य बैंको की तुलना में साख-निर्माण कम होने पर इस बैंक के नकद-कोष में वृद्धि होगी तथा यह साख का विस्तार करेगा। इस प्रकार कोई एक बैंक अन्य बैंको से भिन्न नीति अपनाकर अपनी बरबादी का उपाय स्वयं ही कर लेता है। सफल संचालन के लिए कोई भी बैंक साख-निर्माण के कार्य में अन्य बैंको के आगे या पीछे अधिक समय तक नहीं रह सकता।

(7) प्रारम्भिक जमाओं की मात्रा—बोणो द्वारा बैंको में अधिक नकद जमा कराने पर बैंक की प्रारम्भिक जमाओं में वृद्धि होगी, क्योंकि बैंको द्वारा साख-निर्माण की आधारशिला उनकी नकद जमा ही है। केज का विचार पूर्णतया सही है कि बैंको द्वारा निक्षेपों का निर्माण उनके प्रारम्भिक निक्षेपों की मात्रा पर निर्भर करता है।¹

(8) व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थिति—मन्दी काल में व्यापारियों व उद्योगपतियों की ऋणों की माँग कम होने पर बैंक अधिक साख का निर्माण नहीं कर पाते। परन्तु तेजी काल में ऋणों की माँग अधिक होती है तथा बैंक अधिक साख का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार तथा उद्योग विकसित होने पर बैंको को अधिक साख-निर्माण का अवसर मिलता है। पिछड़ी हुई परिस्थितियों में बैंक साख का निर्माण कम कर पाते हैं।

(9) जमानतो की श्रेष्ठता—बैंक उचित जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। जमानत जितनी श्रेष्ठ होगी, साख का निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। सेयर्स के अनुसार, "बैंक अपनी नक-निमित्त मुद्रा तत्काल हर किसी को नहीं दे डालते, अपितु केवल उन्हीं व्यक्तियों को देते हैं जो बैंक को इस प्रकार से आदेय (assets) प्रस्तुत करते हैं जिन्हें बैंक आकर्षक समझते हैं।"²

अर्थ-व्यवस्था की मौद्रिक तथा विनियोग सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार साख की मात्रा को नियन्त्रित रखना केन्द्रीय बैंक का उत्तरदायित्व होता है। वैधानिक रूप से केन्द्रीय बैंक को साख-नियन्त्रण के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न रीतियों (जैसे, बैंक-दर, खुले बाजार की क्रिया, न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात, इत्यादि) के रूप में किया जाता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 साख शब्द का अर्थ समझाइए और आधुनिक व्यापार में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
[संकेत—साख की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर साख का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में साख के महत्व की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
- 2 साख को मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्या साख का आधार केवल विश्वास ही है ?
[संकेत—प्रथम भाग में साख की माँग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए, जैसे साख की दर, व्यापार की दशाएँ, मौद्रिक नीति, बैंकिंग प्रणाली का विकास इत्यादि। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि विश्वास साख का महत्वपूर्ण आधार है परन्तु यह स्वयं अन्य आधारों से प्रभावित होता है, जैसे चरित्र, क्षमता, सम्पत्ति, जमानत, उद्देश्य इत्यादि।]

1 "The rate at which the bank can, with safety, actively create deposits by lending and investing has to be in a proper relation to the rate at which it is passively creating them against the receipt of liquid resources from its depositors."—J. M. Keynes *A Treatise on Money*, Vol. 1, p. 35

2 "The banks put this newly created money into the hands not of everybody at once but of those individuals who can offer to the bank the kind of assets which the bank thinks attractive"—Sayers. *Modern Banking*, p. 17

3 क्या साख पूजो का निर्माण करती है ? व्यापार तथा उत्पादन में साख से क्या सहायता मिलती है ?

[सन्देश—साख पूजा का निर्माण करना है अथवा नही इस सम्बन्धित विभिन्न विचारों की व्याख्या कीजिए और यह बतलाए कि साख स्वयं पूजा नहीं है परन्तु इसकी सहायता में पूजा प्रयत्न का जा सकती है । दूसरे भाग में साख के व्यापार तथा उत्पादन के लिए उसके महत्व का विवरण कीजिए ।]

4 साख का कीमती पद क्या प्रभाव पड़ता है ? क्या यह ठीक है कि साख का उचित प्रयोग न होने से यह आर्थिक संकट का कारण बन सकती है ?

[सन्देश—प्रथम भाग में साख तथा कामता से सम्बन्धित वाक्य मिल तथा केन्द्र द्वारा प्रविष्टान्त विचारों का परीक्षण कीजिए और यह बतलाए कि साख का मात्रा में हानि वान परिवर्तन का कामन स्तर पर प्रभाव पड़ता है परन्तु ज्ञान नही जिनका कि मंग का मात्रा में परिवर्तन का । दूसरे भाग में साख के अनियमित प्रयोग से उत्पन्न हानि वान बाधा का व्याख्या कीजिए ।]

5 निम्न साख को जन्म देते हैं तथा साख निक्षेपों को जन्म देती है । इस कथन को विवरण कीजिए ।

[सन्देश—प्राथमिक जमा के आधार पर ही साख का निर्माण होता है और चूकि श्रम नकद न देकर धाना में जमा कर लिया जाता है इस कारण जमा का संग्रह होता है और यह जमा धार चलाता रहता है । विस्तारपूर्वक बतलाए कि इस साख का निर्माण कैसे करत हैं ।]

6 कौनो द्वारा किस प्रकार साख निर्माण किया जाता है ? उनकी क्या सीमाएँ हैं ?

[सन्देश—बसा द्वारा साख निर्माण की विधि का विस्तारपूर्वक विवरण कीजिए तथा कब का साख निर्माण शक्ति का परिमाणित करत वान कारणों को समझाए ।]

15 "बैंक दर में वृद्धि को एक सुव्यवस्थित अर्थ-तन्त्र के लिए चेतावनी की लाल राशनी समझना चाहिए । जबकि बैंक-दर में कमी एक हरी भंडी की भांति है जो मकें देती है कि मार्ग वाधरहित है, और व्यापार का जहां निश्चय प्राप्त जा सकता है ।"

—गिब्सन

पिछले अध्याय में हम यह दख चुके हैं कि साख की मात्रा का नियमन एवं नियन्त्रण केंद्रीय बैंक का प्रधान कार्य है । आधुनिक समय में साख-मुद्रा का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जान के कारण साख की मात्रा में होने वाले परिवर्तना का देश की अर्थ-व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । यहाँ तक कि मुद्रा की मात्रा का नियमन बहुत कुछ साख के नियन्त्रण से ही सम्बन्धित है, क्योंकि 'मुद्रा' में चलन तथा साख दोनों ही सम्मिलित रहते हैं । इसीलिए केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति (monetary policy) तथा साख नियन्त्रण नीति (credit-control policy) में प्रायः कोई विरोध अन्तर नहीं किया जाता । वास्तव में, मुद्रा-नीति के संचालन में सबसे कठिन समस्या साख के नियन्त्रण की ही होती है, चलन की मात्रा को तो आमानी से नियन्त्रित किया जा सकता है ।

साख-नियन्त्रण के उद्देश्य

प्रा० रॉबर्टसन का प्रतिद्ध कथन कि "मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक सुखा का स्रोत है, नियन्त्रण के बिना सफट एवं उलझना का कारण भी बन जाती है," साख-मुद्रा को नियन्त्रित रखने के लिए भी पूर्णतया सत्य है । जहाँ तक साख को नियन्त्रित रखने के उद्देश्य का प्रश्न है, इनमें समय-समय पर परिस्थितियाँ अनुसार, परिवर्तन होना रहा है । जैसा पहल बताया जा चुका है, स्वर्णमान के पतन के पूर्व ऐसा मोचा जाता था कि मुद्रा प्रणाली में स्वयं-संचालकता का गुण होने के कारण यदि विनिमय दरों को स्थिर रखा जा सके तो मुद्रा के आन्तरिक मूल्य अथवा कीमन-स्तर में स्थिरता स्वयं ही आ जायगी । इसलिए साख-नियन्त्रण नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता प्राप्त करना था । परन्तु 1930 की महान् मन्दी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विनिमय स्थिरता की अपेक्षा मूल्य-स्थिरता देश के आर्थिक हितों के लिए अधिक आवश्यक है । इस विचारधारा के अन्तर्गत साख नियन्त्रण का उद्देश्य मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता की प्राप्ति करना समझा जाने लगा । आधुनिक विचारधारा यह है कि विनिमय स्थिरता तथा मूल्य स्थिरता दोनों ही आवश्यक हैं और साख-नियमन का उद्देश्य इन दोनों की प्राप्ति होना चाहिए । विनिमय-दर की स्थिरता बनाय रखने में

1 "A rise in discount rate may be regarded as the amber coloured light of warning of a robot system of finance and economics while a fall in the discount rate may be looked upon as a green light indicating that the coast is clear and the ship of commerce may proceed on its way without caution —Gibson in an article published in *Lord's Banker's Magazine*, April, 1937, Quoted from De Kock • *Central Banking*, p 163

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, तथा आन्तरिक मूल्य-स्थिरता की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय बैंक अनेक विधियों से माख की मात्रा को नियन्त्रित रखने के प्रयास करता है।

केन्द्र द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारधारा के प्रभाव में आय तथा रोजगार के स्तर में स्थिरता को महत्व दिया जाने लगा और ऐसा सोचा जाने लगा कि प्रत्येक आर्थिक नीति का उद्देश्य आय तथा रोजगार में वृद्धि प्राप्त करना होना चाहिए। इस प्रकार साख-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य आय तथा रोजगार को उच्च स्तर पर स्थायी बनाना समझा जाने लगा।

द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रत्येक देश में ऐसे प्रयास किये जाने लगे कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके। इसके लिए अर्द्ध-विकसित देशों ने आर्थिक नियोजन की पद्धति का सहारा लिया। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए विनियोग की मात्रा बढ़ाना तथा अर्थ-व्यवस्था की बढी हुई मात्रा में मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। इन परिस्थितियों में एक ओर तो माख के प्रसार द्वारा उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और दूसरी ओर ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि साख का अनुचित विस्तार तथा प्रयोग न हो। इस प्रकार, वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंकों की साख-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक विकास में सहायक होना है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साख-नियन्त्रण की आवश्यकता के सम्बन्ध में सभी अर्थशास्त्री एकमत हैं, परन्तु साख-नियन्त्रण के उद्देश्य के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये जाते हैं। साधारणतया साख-नियन्त्रण के निम्नलिखित उद्देश्य बताये जाते हैं :

- 1 विनिमय-दरों में स्थिरता (Stability of Exchange Rates),
- 2 आन्तरिक मूल्यों (अथवा कीमत स्तर) की स्थिरता (Stability of Prices),
- 3 आय एवं रोजगार की उच्च स्तर पर स्थिरता (Stability of Income and Employment at High Level), तथा
- 4 आर्थिक विकास की गति में स्थिरता (Maintenance of Normal and Steady Rate of Economic Growth)।

वस्तुतः इन चारों का एक-दूसरे में अत्यन्त घनिष्ठ तथा गहरा सम्बन्ध है। इसलिए एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक अच्छी मौद्रिक एवं माख नीति वही है जो स्थिरता एवं विकास के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित कर सके। इस दृष्टि से इसका निर्धारण तथा प्रयोग अत्यन्त सावधानी, सतर्कता एवं कुशलता से करना चाहिए।

साख-नियन्त्रण की विभिन्न रीतियाँ

प्रत्येक केन्द्रीय बैंक अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार साख-नियन्त्रण की अलग-अलग रीतियाँ अपनाता है। यह नियन्त्रण दो प्रकार के होते हैं

(1) परिमाणात्मक नियन्त्रण (Quantitative Controls)—इनका सम्बन्ध साख की मात्रा तथा उसकी कीमत (ब्याज-दर) के नियन्त्रण से है। इस प्रकार के उपाय बैंकों के नकद-कोपो का नियमन करके उनकी साख-निर्माण की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। बैंक-दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएँ, बैंकों के नकद-कोपो के अनुपात में परिवर्तन, तरल कोपानुपात का निर्धारण ऐसी रीतियाँ हैं जिनका उद्देश्य साख का परिमाणात्मक नियन्त्रण करना होता है।

(2) गुणात्मक नियन्त्रण (Qualitative Controls)—इसमें अभिप्राय उन रीतियों से है जिनका उद्देश्य साख के प्रयोग को नियन्त्रित करना होता है। बैंक की साख-निर्माण की शक्ति को बिना प्रभावित किये इन उपायों के अन्तर्गत साख का प्रयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए करने की अनुमति दी जाती है जिन्हें केन्द्रीय बैंक स्वीकार्य समझना है। गुणात्मक नियन्त्रण की भी अनेक रीतियाँ हैं, जैसे प्रवृत्त (selective) साख-नियन्त्रण, साख का राशनिध, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव, प्रचार, उपभोग माख का नियमन, इत्यादि। इन रीतियों का प्रयोग विदेशी रूप में अमेरिका में किया गया है।

1. बैंक-दर नीति (Bank Rate Policy)

बैंक-दर से अभिप्राय उस व्याज में है जिस पर केन्द्रीय बैंक मदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के विलों की पुनर्वटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती-दर (discount rate) भी कहा जाता है। व्याज की बाजार-दर (market rate) अर्थात् वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक तथा अन्य संस्थाएँ विलों की कटौती करती हैं अथवा किसी जमानत के आधार पर ऋण देती हैं, साधारणतया बैंक-दर से बहुत सम्बन्धित होती है। प्रायः बैंक-दर बढ़ जाने से बाजार-दर में वृद्धि होती है और बैंक-दर कम होने से बाजार-दर घटती है। इसका कारण यह है कि जब व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक को ऊँची व्याज देते हैं तो अपने ग्राहकों से भी ऊँची व्याज-दर वसूल करते हैं और जब व्यापारिक बैंकों को सस्ती व्याज पर केन्द्रीय बैंक से ऋण मिलता है तो वे भी कम व्याज पर अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार बैंक-दर बढ़ने से बाजार-दर भी बढ़ती है तथा ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों की ऋण के लिए माँग पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, तथा साख का संकुचन होता है। इसके विपरीत, बैंक-दर घटा देने पर बाजार-दर कम हो जाती है, ऋणों की माँग बढ़ती है तथा साख का प्रसार होता है। अतः बैंक-दर का सिद्धान्त यह है कि बैंक-दर बढ़ाने से साख का संकुचन होना है तथा बैंक-दर घटाने से साख का प्रसार होता है।

बैंक-दर में परिवर्तन के प्रभाव

समय-समय पर बैंक-दर में किये जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव केवल साख की मात्रा पर ही नहीं पड़ता, वरन् देश की आन्तरिक तथा बाह्य दोनों स्थितियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं

- 1 **साख-संकुचन एवं प्रसार**—जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैंक-दर में वृद्धि का प्रभाव साख-संकुचन तथा कमी का प्रभाव साख का प्रसार होता है। चूँकि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने में अथवा उनके विलों की कटौती के लिए समयानुसार शर्तों में परिवर्तन करता रहता है, इसलिए बैंक-दर केन्द्रीय बैंक से प्राप्त ऋणों के मूल्यों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि उनकी उपलब्धता (availability) को भी प्रभावित करती है। केन्द्रीय बैंक से ऋणों की उपलब्धता की स्थिति व्यापारिक बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति को प्रभावित करती है।
- 2 **आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा रोजगार पर प्रभाव**—बैंक-दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप वचतो में वृद्धि होती है, परन्तु ऋणों के लिए माँग कम हो जाती है। इससे विनियोग गिर जाता है, उत्पादन में कमी होती है तथा रोजगार में भी कमी आने लगती है। उत्पादन तथा रोजगार में कमी के कारण लोगों की माँद्रिक आय में कमी हो जाती है तथा वस्तुओं की माँग कम हो जाती है और उनकी कीमतें गिरने लगती हैं। प्रतिभूतियों की बिक्री बढ़ने के कारण उनके मूल्य में भी गिरावट आ जाती है। संक्षेप में, मुद्रा-संकुचन का क्रम चल पड़ता है। बैंक-दर में कमी से इसके विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
- 3 **विदेशी पूँजी के प्रवाह पर प्रभाव**—बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर भी पड़ता है। बैंक-दर बढ़ने में व्याज की बाजार-दर में भी वृद्धि होती है जिससे अल्पकालीन विदेशी पूँजी के आगमन को प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी ऊँची व्याज-दर के आकर्षण में अल्पकालीन पूँजी भेजने लगते हैं तथा देशवासी भी विदेशों से अपने ऋणों को देश में वापस लाने लगते हैं। विदेशों से धन-राशि का आयात होने पर देश के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में बिना स्वर्ण-नोपों का निर्यात किये सुधार होने लगता है। इसके विपरीत, बैंक-दर कम होने की दशा में अल्पकालीन पूँजी देश के बाहर जाने लगती है।
- 4 **विनिमय-दर पर प्रभाव**—बैंक-दर में परिवर्तन विनिमय-दर को भी प्रभावित करता है। बैंक-दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप जब विदेशी पूँजी देश में आने लगती है तो

देश का भुगतान-मन्तुलन अनुकूल (favourable balance of payment) हो जाता है और विनिमय-दर भी अनुकूल हो जाती है। इसकी विपरीत परिस्थितियाँ उम समय उत्पन्न होती हैं जब बैंक-दर घटा दी जाती है।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि बैंक-दर में परिवर्तनों के द्वारा केन्द्रीय बैंक देश की साख-व्यवस्था, कीमन-स्तर, रोजगार, विनिमय-दर, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह, भुगतान-मन्तुलन की स्थिति आदि को प्रभावित कर सकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बैंक-दर नीति का प्रभाव कुछ विशेष दशाओं में ही होता है, जो निम्नलिखित हैं

1. केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक-दर में किये गये परिवर्तनों का बाजार की मुद्रा एव साख की अन्य दरों पर तत्काल प्रभाव पड़ना चाहिए। यह उम समय और भी अधिक आवश्यक होता है जब केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य बैंक-दर में वृद्धि के द्वारा साख-संकुचन करना होता है।
2. देश की आर्थिक व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में लोच होना भी आवश्यक है ताकि मुद्रा एव साख की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कीमनों, मजदूरी, लगान, उत्पादन तथा रोजगार सभी स्पष्ट रूप में प्रभावित हो सकें।
3. पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर किसी प्रकार का कृत्रिम नियन्त्रण नहीं होता चाहिए। इस प्रकार, स्वर्णमान के अन्तर्गत बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता था।

बैंक-दर नीति के सिद्धान्त

उपरोक्त वातावरण होने पर बैंक-दर में परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, परन्तु यह एक विवादास्पद विषय है कि बैंक-दर का प्रभाव किस प्रकार से होता है। इस सम्बन्ध में हमारे नामक दो महत्वपूर्ण विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा का प्रतिपादन हॉट्ट्रे (Hawtrey) ने 'Art of Central Banking' तथा 'A Century of Bank Rate' नामक पुस्तकों में किया है, जिसके अनुसार बैंक-दर में परिवर्तन व्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूँजी (working capital) के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। दूसरी विचारधारा केन्ज (Keynes) द्वारा लिखित 'A Treatise on Money' (Vol I) में प्रतिपादित की गयी है। केन्ज के अनुसार बैंक-दर में परिवर्तनों का प्रभाव व्याज की दीर्घकालीन दरों तथा स्थिर पूँजी (fixed capital) के माध्यम में पड़ता है। केन्ज ने तीन परम्परागत सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया है, जिनकी विवेचना के पश्चात् हम हॉट्ट्रे तथा केन्ज के विचारों की व्याख्या करेंगे।

परम्परागत विचारधारा (Traditional views)—परम्परागत विचारधाराएँ तीन हैं

1. एक विचारधारा के अनुसार बैंक-दर एक ऐसा साधन है जो बैंक-मुद्रा (bank money) की मात्रा को नियन्त्रित करता है। बैंक-दर में परिवर्तन के द्वारा बैंक-मुद्रा का प्रसार अथवा संकुचन किया जाता है। इस विचारधारा में दोष यह है कि चूंकि बैंक-दर का बैंक-मुद्रा अथवा साख से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि बैंक दर में परिवर्तन का बैंक-मुद्रा पर वांछित प्रभाव पड़े। उदाहरणार्थ, तेजी के काल में यह आवश्यक नहीं है कि बैंक-दर बढ़ाने से साख का संकुचन हो, और इसी प्रकार मन्दी की स्थिति में बैंक-दर घटाने में यह आवश्यक नहीं कि साख का प्रसार हो जाय।
2. दूसरी परम्परागत विचारधारा है कि बैंक-दर में परिवर्तन विदेशी विनिमय दरों को प्रभावित कर देण के स्वर्ण-कोषों के प्रवाह को नियन्त्रित करते हैं। बैंक-दर घटाने का प्रभाव यह होता है कि हमारे देश की पूँजी इस देश में आने लगती है। इस देश की मुद्रा की माँग बढ़ने से विनिमय-दर अनुकूल हो जाती है तथा विदेशी में स्वर्ण-कोषों की प्राप्ति होती है।
3. तीसरी विचारधारा के अनुसार बैंक-दर में परिवर्तनों का प्रभाव द्रव्य की अपेक्षा विनियोग-दर पर अधिक पड़ता है। बैंक-दर में कमी से विनियोग-दर में वृद्धि होगी

तथा बैंक-दर बढ़ने पर विनियोग में कमी होगी। बैंक-दर किस प्रकार विनियोग-दर को प्रभावित करती है, इस विषय पर हॉट्टे तथा केन्ज में काफी मतभेद है।

हॉट्टे की विचारधारा (Hawtrey's viewpoint)—हॉट्टे के अनुसार सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र व्यापारी (trader) होता है, क्योंकि उमी की माँग के अनुसार उत्पादक द्वारा उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक व्यापारी अपने ग्राहकों की माँग को पूरा करने के लिए अपने पास कुछ माल का स्टॉक रखता है। हॉट्टे के विचार में यदि स्टॉक रखने में अधिक व्यय होता है तो व्यापारी अपने पास कम स्टॉक रखते हैं और यदि कम व्यय होता है तो अधिक स्टॉक रखा जाता है। स्टॉक रखने के व्यय में सबसे प्रमुख मद व्याज की होती है, क्योंकि प्रायः ऋण लेकर ही माल का स्टॉक रखा जाता है। इस प्रकार बैंक-दर बढ़ जाने पर स्टॉक रखने का व्यय बढ़ जाता है, व्यापारी अपने पास कम स्टॉक रखते हैं, उत्पादकों को कम माल के ऑर्डर मिलते हैं जिससे उत्पादन, रोजगार तथा आय में कमी होने लगती है और मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत, बैंक-दर में कमी होने पर व्याज-दर गिरती है, ऋणों की माँग बढ़ जाती है, व्यापारी अधिक स्टॉक रखते हैं तथा उत्पादकों को अधिक माल के ऑर्डर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ता है, रोजगार तथा आय में भी वृद्धि होती है, तेजी की सृष्टि होती है जो उत्तरोत्तर तीव्र होती जाती है। इस प्रकार हॉट्टे के अनुसार बैंक-दर कार्यशील पूँजी की माँग को प्रभावित कर तेजी अथवा मन्दी की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें मुद्रा एवं साख का प्रसार अथवा सकुचन होता है।

हॉट्टे का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि व्याज व्यापारियों के व्यय का प्रमुख भाग है, किन्तु व्यवहार में सदा ऐसा होना आवश्यक नहीं है। इस बात का पता लगाना भी कठिन होता है कि माल को स्टॉक करने पर आने वाले व्यय के माध्यम व्याज की राशि का क्या अनुपात है। इसके अतिरिक्त, यह भी पता नहीं चल पाता कि माल के स्टॉक करने की माँग की लोच क्या है। व्यवहार में, व्यापारियों की माँग विन्यक्त लोचदार नहीं होती। अत्यधिक तेजी अथवा मन्दी की स्थिति में व्यापारियों की माँग विलकुल लोचहीन होती है। तेजी के काल में जब व्यापारियों के लाभ में काफी वृद्धि हो रही होती है तो व्याज की दर बढ़ने पर वे माल की माँग में कमी नहीं करते। इसी प्रकार मन्दी के समय हानि की सम्भावना इतनी अधिक होती है कि व्याज की दर में कमी करके माँग को नहीं बढ़ाया जा सकता। अतएव हॉट्टे के सिद्धान्त की कटु आलोचना की जाती है और इसे वास्तविकता से बहुत दूर समझा जाता है।

केन्ज की विचारधारा (Keynes' viewpoint)—हॉट्टे की विचारधारा के विपरीत केन्ज के विचार में बैंक-दर पूँजी-बाजार की दीर्घकालीन व्याज की दर को प्रभावित कर अचल पूँजी (fixed capital) की माँग को प्रभावित करती है। केन्ज के अनुसार विनियोग का अर्थ है अचल पूँजी का उत्पादन और इसमें कमी अथवा वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है—पूँजी की सम्भावित उत्पादकता (prospective yield of capital) तथा व्याज की दर। पूँजी की सम्भावित उत्पादकता व्याज की दर से अधिक होने पर विनियोग अधिक लाभपूर्ण होगा, इसलिए अचल पूँजी की माँग बढ़ेगी। इसके विपरीत, जब व्याज-दर अधिक तथा सम्भावित उत्पादकता कम होगी तो अचल पूँजी की माँग भी कम हो जायेगी। पूँजी की माँग कम होने पर विनियोग-दर गिर जाती है, उत्पादन और आय कम हो जाते हैं तथा बेकारी बढ़ती है।

केन्ज के विचारानुसार बैंक-दर के परिवर्तन देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को दीर्घकालीन व्याज की दरों के माध्यम से प्रभावित करते हैं। व्याज की अल्पकालीन दरों में परिवर्तन दीर्घ-कालीन दरों को प्रभावित करते हैं। अल्पकालीन दरों में वृद्धि के कारण दीर्घकालीन पूँजी-बाजार में पूँजी लगाना कम आकर्षक होगा। लोग अपने ऋणों की लौटाने लगेंगे। जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों ने ऋण लेकर अपनी कार्यशील पूँजी प्राप्त की है, वे अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण वापस करने का प्रयाग करेंगे। इनसे प्रतिभूतियों की कीमतें गिरेंगी। विनियोग में लाभ गिर जाने के कारण लोग अपनी पूँजी को बैंक में जमा रखना अधिक पसन्द करेंगे। इन प्रवृत्तियों का सम्मिलित

प्रभाव यह होगा कि दीर्घकालीन पूंजी-वाजार में कोय का अभाव होगा तथा मुद्रा का प्रवाह मुद्रा-वाजार की ओर होने लगेगा। इनक विपरीत, बैंक-दर कम होने पर दीर्घकालीन कमी के माध्यम में पूंजी-वाजार में कोय बढ़ने और विनियोग तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। स्मरण रहे कि केन्द्र की विवेचना में अनुसार बैंक-दर पूंजी-वाजार की दीर्घकालीन दरों को उन्नी स्थिति में प्रभावित करती है जबकि इसके लिए समुचित वानावरण हो, अर्थात् लोगों की मनोवृत्ति इसके अनुकूल हो।

निष्कर्ष—अधिकतर अर्थशास्त्री केन्द्र की विचारधारा को ही अधिक युक्तिमग्न मानते हैं। किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि वाम्बव में हॉट्टे तथा केन्द्र की विचार-धाराओं में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। ये दोनों एक ही समस्या के अलग-अलग पहलुओं पर जाग देती हैं। व्याज-दर में अलवकालीन परिवर्तन व्यापारियों द्वारा माल का स्टॉक करने की प्रवृत्ति का तो प्रभावित करने ही हैं, माय में व्याज की दीर्घकालीन दर पर भी प्रभाव डालते हैं, जिनमें विनियोग तथा उत्पादन प्रभावित हान हैं। इन प्रकार इन दोनों विचारधाराओं को बहुत कुछ एक-दूसरे का पूरक समना जा सकता है।

बैंक-दर के सिद्धान्त का विकास

माय नियन्त्रण में उद्भव में बैंक-दर का प्रयोग सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने सन् 1839 में किया था। तत्पश्चात् इसका प्रयोग यूरोप के अन्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा भी किया गया। डीकोक के अनुसार, सन् 1900 तक बैंक-दर में इंग्लैण्ड में 400 बार तथा फ्रान्स में 111 बार परिवर्तन किए गए। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का अनुभव यह था कि बैंक-दर का प्रयोग मन्दी अथवा तेजी की प्रवृत्तियों के प्रारम्भ में ही प्रभावपूर्ण हो सकता है, बहुत आगे बढ़ जाने पर नहीं। दूसरे, बैंक-दर को सामान्यतः बाजार-दर से ऊँचा रखा जाय ताकि केन्द्रीय बैंक की सहायता अन्य बैंकों द्वारा केवल सिकट-काल में ही प्राप्त हो जाय।

प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक बैंक-दर का प्रयोग अन्तर्गष्ट्रीय स्वर्णमान के एक आवश्यक सहायक के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता रहा। युद्ध-काल में स्वर्णमान स्थगित कर दिया गया। युद्ध के बाद जब स्वर्णमान का पुनः अपनाया गया तो बैंक दर के प्रयोग में कमी आ गयी, क्योंकि माल नियन्त्रण के लिए बैंक-दर प्रायः विफल सिद्ध होने लगी। इनमें साख-नियन्त्रण के अन्य माध्याम का प्रचलन आरम्भ हुआ। 1929 की भयानक आर्थिक मन्दी तथा 1931 में स्वर्णमान के परित्याग के बाद तो बैंक-दर का प्रयोग तथा महत्व बिलकुल ही घट गया तथा सभी केन्द्रीय बैंकों ने मस्ती मुद्रा-नीति (cheap money policy) को अपनाया। बैंक-दर के महत्व में कमी के मुख्य रूप में निम्नलिखित कारण थे

1. मुद्रा-वाजार की स्थिति में महान् परिवर्तन हुए। व्यापारिक तथा विदेशी बिला का महत्व गिर गया, परन्तु ट्रेजरी बिला तथा अन्य अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का परिमाण मुद्रा-वाजार में बढ़ने लगा। परिणामस्वरूप मुद्रा-वाजार में केन्द्रीय बैंक की अपेक्षा ट्रेजरी अथवा सरकार का महत्व बढ़ने लगा। इनके अनिश्चित एक अन्य परिवर्तन यह हुआ कि युद्ध के पश्चात् लन्दन के मुद्रा-वाजार का अन्तर्गष्ट्रीय महत्व गिर गया तथा न्यूयार्क के मुद्रा-वाजार का महत्व बढ़ने लगा। समार के बहुत सारे देशों में मुद्रा-वाजार की स्थापना होने लगी और इन सब का मुद्रा-वाजार के मगठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
2. बैंक-दर की नीति की मफलता उन दिनों पर निर्भर करती है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में लाभ है अथवा नहीं। प्रथम महायुद्ध के बाद से अनेक देशों की अर्थ-व्यवस्था में लोच की कमी आ गयी और आर्थिक योजनाओं के आधार पर आर्थिक व्यवस्था को संगठित करने में प्रयास किए जाने लगे। सरकार का नियन्त्रण बढ़ गया तथा बैंक दर का प्रभाव कम हो गया। वेजमैन (Wageman) ने ठीक ही लिखा है, "किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में मूल्य, मजदूरी एवं यात्रायान व्यय पर जितना ही अधिक नियन्त्रण होगा तथा राज्य का व्यवस्था के क्षेत्र में जितना ही अधिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, वहाँ व्याज की दर का प्रभाव उतना ही कम होगा।"

3. पहले साख पर नियन्त्रण करने में बैंक-दर का ही प्रयोग होता था, परन्तु अब साख-नियन्त्रण के अन्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा।
4. साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक-दर के महत्व में कमी का सर्वाधिक प्रमुख कारण सस्ती मुद्रा-नीति (cheap money policy) का अपनाया जाना था। सस्ती मुद्रा-नीति को सफल बनाने के लिए बैंक-दर बहुत कम रखी जाती है तथा केन्द्रीय बैंक को साख का अत्यधिक प्रसार करना पड़ता है। वास्तव में, बैंक-दर बहुत अधिक कम होने पर उसमें परिवर्तन का कोई महत्व नहीं रह जाता।

उपर्युक्त कारणों के प्रभाव में प्रथम महायुद्ध के बाद और विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के पतन के बाद से साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक-दर का महत्व बिल्कुल गिर गया। बैंक-दर की रीति जिसे मैकलैमन समिति ने एक सुन्दर एवं नाजुक अस्त्र (beautiful and delicate instrument) बनाया था, अब एक कुण्ठित एवं ढीला-ढाला (halting and clumsy) तरीका हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में और विशेषतः 1950 के पश्चात् बैंकों द्वारा बैंक-दर को फिर से साख-नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 1946 से 1966 तक के बीस वर्षों में इंग्लैण्ड में 30 बार, जर्मनी में 25 बार, अमेरिका में 24 बार, जापान में 21 बार और फ्रान्स में 18 बार बैंक-दर में परिवर्तन किये गये। भारत में भी रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर 1935 के बाद सर्वप्रथम 1951 में बैंक-दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया गया जो 1965 तक बटते-बटते 6 प्रतिशत तक पहुँच गयी। बैंक-दर नीति का क्रमिक प्रयोग पुनः आरम्भ होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि केन्द्र की विचारधारा के प्रभाव में अपनायी गयी सस्ती मुद्रा-नीति के कारण साख का अत्यधिक प्रसार हुआ तथा कीमत-स्तर में स्थिरता लाना अशक्य हो गया। व्यापारिक बैंकों पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण बढ जाने के कारण व्यापारिक बैंकों के तखल कोषों में कमी हुई है और उन्हें अपने साधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय बैंक का सहारा लेना पड़ा है। गत वर्षों में बैंक-दर में वृद्धि के मुख्य कारण मुख्यतः मुद्रा-स्फीति के दबाव को रोकना, विनियोग के प्रसार को सीमित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सन्तुलन स्थापित करना रहे हैं।

यद्यपि आज की अर्थ-व्यवस्था में बैंक-दर का साख-नियन्त्रण की रीति के रूप में पहले की अपेक्षा महत्व अवश्य कम हो गया है, परन्तु फिर भी बैंक-दर का प्रयोग वर्तमान वर्षों में बढ़ा है तथा विकसित एवं अर्द्ध-विकसित सभी प्रकार के देशों में बैंक-दर में अनेक बार परिवर्तन किये गये हैं।

स्मरण रहे कि बैंक-दर की साख को नियन्त्रित करने में सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे केन्द्रीय बैंक और अन्य बैंकों के बीच सम्बन्धों का स्वरूप तथा व्यापारियों एवं विनियोग-कर्ताओं की मनोवृद्धि इत्यादि। वास्तव में, तेजी के काल में लाभ में निरन्तर वृद्धि हो रही है तो बैंक-दर में वृद्धि न तो साख का सकुचन कर पाती है और न विनियोग की मात्रा में कमी। मन्दी के काल में तो बैंक-दर में कमी और भी अधिक असफल सिद्ध होती है। परन्तु सामान्य परिस्थितियों में बैंक-दर में परिवर्तनों का पूँजी तथा विनियोग की मात्रा पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए साख-नियन्त्रण की अन्य रीतियों के साथ-साथ बैंक-दर का भी प्रयोग किया जाता है।

दो कोंफ़ के शब्दों में, "यद्यपि वर्तमान काल की परिस्थितियाँ तथा नीतियाँ स्वतन्त्र कटौती दर की रीति के लिए अधिक भवगर नहीं देती तथापि इस विस्थापन का काफी हद आघात है कि वैधानिक कटौती-दर को अब भी साख-नियन्त्रण की अन्य विधियों के साथ उपयोगी कार्य करना है।"¹

1 "Present day conditions and Government policies do not afford much scope for independent discount rate action, there is good reason to believe that the official discount rate has nevertheless a useful function to perform in conjunction with other measures of control" — De Kock : *Central Banking*, p. 179.

2 खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

विस्तृत अर्थ में, खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा-बाजार में किसी भी प्रकार के ख़िला अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। परन्तु सखीर्ण अर्थ में इसमें अभिप्राय केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सन्पत्कालीन तथा दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विनय होना है।

खुले बाजार की क्रियाओं का सिद्धान्त

साख नियन्त्रण के साधन के रूप में केन्द्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों के नय विक्रय द्वारा चलन की मात्रा तथा बैंकों के नकद-कोषों को प्रभावित करता है। जब साख का सकुचन करना हो तो केन्द्रीय बैंक मुद्रा-बाजार में प्रतिभूतियाँ का विक्रय करने लगता है। प्रतिभूतियाँ व्यापारिक बैंकों अथवा जनता द्वारा खरीदे जाने पर चलन की मात्रा तथा बैंकों के नकद-कोष में कमी होती है, जिससे बैंकों की माल्य निर्माण की शक्ति भी कम हो जाती है। इसके विपरीत, केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियाँ खरीदने पर चलन की मात्रा तथा बैंकों के नकद-कोषों में वृद्धि होती है और साख का प्रसार होता है। इस प्रकार, साख एव मुद्रा के सकुचन अथवा प्रसार पर जबकि बैंक-दर का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, खुले बाजार की नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष एव तत्काल होता है। मुद्रा एव साख की मात्रा में परिवर्तन व्याज की दर को भी प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक कीमती, लागतों, उत्पादन तथा व्यापार में वाछित समायोजन सम्भव होत हैं।

खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से अधिक व्यापक भी हो सकते हैं। (1) स्वणमान व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों के नय विक्रय द्वारा स्वर्ण के आयात और निर्यात के प्रभावा को दूर कर सकता था, जिसमें आन्तरिक कीमती में बहुत अधिक परिवर्तन न हो। (2) प्रतिभूतियाँ का विक्रय करके सरकार विदेशों को निर्यात होने वाली पूंजी को अपनी ओर खींच सकती है और इस प्रकार पूंजी के विदेशों को प्रवाहित होने पर रोक लगाने के उद्देश्य से खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। (3) बैंकों की नकद-कोषों की मांग अत्यधिक बढ़ जाने पर उनकी प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा उनके नकद-कोषों को बढ़ाया जा सकता है ताकि बैंक ग्राहकों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। (4) बैंक-दर की सफलता कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सम्भव रहती है। बैंक-दर के अप्रभावी होने की दशा में एक सहयोगी रूप में खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। (5) खुले बाजार की क्रियाओं का उद्देश्य सरकार की ऋण-नीति की पुष्टि करना भी हो सकता है।

खुले बाजार की नीति की सीमाएँ

खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों का पूरा होना आवश्यक है।

- 1 केन्द्रीय बैंक द्वारा क्रय-विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की मांग तथा पूर्ति निरन्तर बनी रहे। मुद्रा-बाजार में इन प्रतिभूतियों की मांग तथा पूर्ति न रहने पर केन्द्रीय बैंक का खुले बाजार की क्रियाओं में सफलता नहीं मिल सकती।
- 2 खुले बाजार की क्रियाओं के परिणामस्वरूप चलन की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद-कोषों में केन्द्रीय बैंक की नीति के अनुरूप प्रभाव पड़ना चाहिए। साधारणतया केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बचकर चलन तथा साख की मात्रा कम करना चाहता है, परन्तु यदि चलन की मात्रा का कुछ भाग बैंकों के पास आ जाय अथवा लोग अपने सचिन (hoarded) कोषों को बैंकों में जमा कराने लगे अथवा भुगतान-सन्तुलन के अदुबूल होने में विदेशों से बराबर घन था रहा हो और बैंकों में जमा हो रहा हो, तो इन परिस्थितियों में प्रतिभूतियाँ की विक्री द्वारा बैंकों के नकद-कोष नहीं घटाये जा सकते। इसी प्रकार, प्रतिभूतियाँ का क्रय करके केन्द्रीय बैंक मुद्रा एव साख के प्रसार की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, यदि लोगों में सग्रह करने की आदत बढ़ जाय अथवा अन्य किसी कारण से बैंकों के नकद-कोष न बढ़ने पाये।

3. व्यापारिक बैंक अपने नकद-कोपो में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने ऋण तथा विनियोग में परिवर्तन करने के लिए तैयार होने चाहिए।
4. बैंक-मुद्रा की माँग में बैंकों के नकद-कोप में परिवर्तन के अनुसार घटा-बढ़ी होना आवश्यक है। उदाहरणतया, व्यापारिक बैंकों के नकद-कोप विस्तृत हो जाने पर यदि बैंकों के ऋणों की माँग में वृद्धि नहीं होती है तो व्यापारिक बैंक चाहते हुए भी साख का विस्तार करने में असफल रहेंगे।
5. केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की शक्ति पर भी खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता निर्भर करती है। सफलता-प्राप्ति के लिए केन्द्रीय बैंक के प्रतिभूतियों में विनियोग पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है।
6. देश की परिस्थितियाँ असाधारण नहीं होनी चाहिए। असाधारण राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण निक्षेपधारियों तथा ऋणियों के आचरण में असाधारण परिवर्तन हो सकते हैं, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती।
7. खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा-बाजार सुगठित हो, अर्थात् देश में एक मजबूत केन्द्रीय बैंक हो जिसका अन्य साख-संस्थाओं से निकट सम्बन्ध हो तथा जनता में बैंकिंग की आदत हो।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि खुले बाजार की क्रियाओं की उपर्युक्त सीमाओं का यह अर्थ कदापि नहीं है कि इन शर्तों के पूरा न होने पर केन्द्रीय बैंक पूर्णतया असफल रहता है। वास्तविकता यह है कि इन सब सीमाओं के रहते हुए भी खुले बाजार की क्रियाओं का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही दिखायी देता है।

बैंक-दर और खुले बाजार की क्रियाओं में अन्तर—साख-नियन्त्रण के लिए बैंक-दर तथा खुले बाजार की क्रियाएँ दोनों रीतियों को प्रयोग में लाया जाता है, परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से दोनों में कुछ अन्तर पाये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं।

1. बैंक-दर तथा खुले बाजार की क्रियाएँ दोनों ही व्यापारिक बैंकों के नकद-कोपों को प्रभावित करके बैंकों की साख-निर्माण शक्ति को नियन्त्रित करती हैं, परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि बैंक-दर का साख एव मुद्रा पर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव पड़ता है जबकि खुले बाजार की क्रियाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष एव तत्काल होता है। इस प्रकार खुले बाजार की रीति अधिक स्वरित एव प्रभावशाली है, बशर्ते कि देश में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए एक विकसित मुद्रा-बाजार हो।
2. दोनों के परिणाम प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैं। बैंक-दर बढ़ाने से व्याज की बाजार-दर भी प्रायः बढ़ जाती है जिससे बैंक-मुद्रा का प्रसार रुक जाता है। किन्तु खुले बाजार की नीति के अन्तर्गत व्याज की दर में कोई परिवर्तन किये बिना ही केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद-कोपों में परिवर्तन करते हैं।
3. बैंक-दर में वार-वार परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता, जबकि खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग दिन, सप्ताह अथवा मास में कितनी ही बार हो सकता है।
4. बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव सभी बैंकों पर अनिवार्य रूप से पड़ता है, जबकि खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालता। अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लोभ से ही बैंक प्रतिभूतियों के खेन-देन में रुचि रखते हैं।
5. बैंक-दर प्रायः साख-नियन्त्रण की अल्पकालीन नीति को प्रभावित करता है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक केवल अल्पकालीन ऋण देता है तथा अल्पकालीन बिलों की कटौती करता है। इनके विपरीत, खुले बाजार की नीति के अन्तर्गत दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ भी खरीदी तथा बेची जाती हैं जिससे बैंकों की दीर्घकालीन साख-नीति प्रभावित होती है।

खुले बाजार की नीति का विरास

प्रथम महादुर्घ व पूर्व मानव-नियन्त्रण के लिए मुख्यतः बैंक-दर का ही प्रयोग किया जाता था। उन समय बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा जर्मनी में रीच बैंक (Reichs Bank) केवल कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियाँ का कभी कभी ऋण-विक्रय कर लेते थे। युद्ध-काल में तथा उनके कुछ बाद तक इंग्लैंड, जर्मनी तथा जर्मनिका के केन्द्रीय बैंकों ने मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग किया। उस समय तक खुले बाजार की नीति का नियमित रूप में विकास नहीं हो पाया था और इन मुख्य बैंक दर के पूरक के रूप में ही प्रयोग किया जाता था। उस नीति का स्वतन्त्र रूप में नियमित प्रयोग 1930 के बाद स्वयंमान का पतन हो जाने पर ही आरम्भ हुआ। उसके प्रयोग तथा महत्व में वृद्धि के अनेक कारण थे, जैसे सरकार द्वारा आविष्कृत मान्यता की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, बैंक-दर के महत्व में ह्रास, मुद्रा-बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा में वृद्धि, मन्त्री मुद्रा नीति, इत्यादि।

इसके विचारानुसार केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग बैंक-दर के साथ ही होना चाहिए स्वतन्त्र रूप में नहीं। दूसरी ओर केन्द्र तथा अन्य अर्थशास्त्री इस विचार के हैं कि खुले बाजार की नीति में स्वतन्त्र वास्तविकता का गुण है। उनके विचार में यदि खुले बाजार की नीति का ठीक तरीके से प्रयोग किया जाय तो यह बैंक-दर के विना भी अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्थात् राज्य की विविधान नीति जैसा मार्वात्मिक ऋणों को इसके पूरक के रूप में प्रयोग किया जाय।

अधिकार अर्थशास्त्रियों का विचार है कि बैंक-दर नीति तथा खुले बाजार की क्रियाओं का एक साथ अपनाना चाहिए, तभी मात्र नियन्त्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि बैंक के नकद कापा का खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता तो अकेले बैंक-दर में परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्याप्त सफलता की आशा तभी की जा सकती है जब इन दोनों नीतियों का समन्वित प्रयोग किया जाय। कनाडा का कहना है कि "मास्-नियन्त्रण के दृष्टिकोण में खुले बाजार की क्रियाएँ कठोरी-नीति (बैंक दर नीति) की पूरक हैं।"¹

जापान में भी केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों का ऋण विक्रय करते हैं, परन्तु खुले बाजार की क्रियाओं का व्यापक स्तर पर प्रयोग अमेरिका तथा कनाडा में ही होना है, क्योंकि न्यूयार्क मुद्रा-बाजार अधिक विकसित है। अधिकतर देशों में खुले बाजार की क्रियाओं की प्रगति में मुख्य-स्थित मुद्रा बाजार का अभाव एक बड़ा बाधा रही है।

3 बैंकों के नकद कापानुपात में परिवर्तन (Variations in the Cash Reserve Ratio)

केन्द्रीय बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना है। मध्य बैंकों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंक के पास नकद-कोष के रूप में जमा रखें। केन्द्रीय बैंक का यह अधिकार होता है कि वह उस अनुपात में आवेदन पर परिवर्तन करके बैंकों की मास्-निर्माण की शक्ति को नियन्त्रित करे। व्यापारिक बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास रखे जाने वाले नकद-कोष के प्रतिशत जैसा अनुपात में वृद्धि का प्रभाव यह होता है कि उनके पास नकदी की मात्रा कम रहने लगती है और उनकी मास् निर्माण शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत, केन्द्रीय बैंक के पास जमा नकद-कोष के अनुपात में कमी करने पर बैंकों की मास्-निर्माण शक्ति बढ़ जाती है। आइरलैंड, भारत में भी अनुसूचित (scheduled) बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कम से कम 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा रखना पड़ता है। अब यदि यह नियुक्त-नकद बैंक आरक्षित अनुपात 3 में बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया जाय तो बैंकों को तत्काल ही रिजर्व बैंक के पास दुगुने नकद कापा जमा कराने होंगे तब तो उनकी मास् निर्माण की शक्ति कम हो जायगी।

1 "From the standpoint of credit control open market operations are complementary to discount policy. —Clark *The Theory and Practice of Central Banking*, p. 199

गुण—साख-नियन्त्रण की अन्य रीतियों की तुलना में कोपानुपात रीति कई दृष्टियों से अच्छी है। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं—

- 1 बैंक-दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंको के नकद-कोषों को प्रभावित करने का जो कार्य केन्द्रीय बैंक बहुत कठिनाई से सम्पन्न कर पाता है वह कोपानुपात में परिवर्तन द्वारा केन्द्रीय बैंक के एक आदेश मात्र में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार यह एक सरल एक अत्यन्त सुविधाजनक प्रणाली है।
- 2 कोपानुपात पद्धति खुले बाजार की क्रियाओं की अपेक्षा अधिक अच्छी है क्योंकि इसका सब बैंकों के नकद-कोषों पर प्रभाव पड़ना है, जबकि खुले बाजार की क्रियाएँ केवल उन्हीं बैंकों के नकद-कोषों को प्रभावित करती हैं जो प्रतिभूतियों को केन्द्रीय बैंक की नीति के अनुसार खरीदते अथवा बेचते हैं।
- 3 इसमें यह भी गुण है कि प्रतिभूतियों के मूल्य को प्रभावित किए बिना ही यह साख-नियन्त्रण के उद्देश्य को पूरा करती है। खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत यदि नयी प्रतिभूतियाँ ऊँची व्याज वाली होती हैं, तो पुरानी प्रतिभूतियों का मूल्य गिरने लगता है, और यदि नयी प्रतिभूतियाँ कम व्याज वाली होती हैं तो पुरानी प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ने लगता है।
- 4 बैंक-दर में परिवर्तन विदेशी पूँजी के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जबकि कोपानुपात प्रणाली का विदेशी पूँजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- 5 कोपानुपात में परिवर्तन की प्रणाली बैंकों के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति को प्रभावित नहीं करती, इसलिए साख-नियन्त्रण के लिए यह अत्यन्त सरल तथा सीधी प्रणाली है।

दोष—कोपानुपात पद्धति के अनेक दोष भी बताये जाते हैं तथा इसकी आलोचना की जाती है। ह्विटलसी के विचार में यह एक भ्रष्टी, पक्षपातपूर्ण तथा बेचौबदार (clumsy, discriminatory and inflexible) प्रणाली है। मुख्य रूप से, इसके निम्नलिखित दोषों की ओर सन्ने किया जाता है

- 1 कोपानुपात में परिवर्तनों के द्वारा निश्चिन अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बैंकों के नकद-कोषों में वास्तविक परिवर्तन कितना होगा। ह्विटलसी के अनुसार वास्तविक परिवर्तन प्रायः अनुमान से बहुत भिन्न होता है। चूँकि बैंकों के निक्षेपों में परिवर्तन निरन्तर होता रहता है इसलिए कोपानुपात परिवर्तन द्वारा नकद-कोषों में एक निश्चिन मात्रा में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है।
- 2 कोपानुपात नीति का प्रभाव बड़े बैंकों पर कम तथा छोटे बैंकों पर अधिक होता है, क्योंकि छोटे बैंकों के निक्षेप कम होते हैं और बड़े बैंकों के समान ही कोपानुपात रखने पर इन पर अधिक भार पड़ता है। इसीलिए इन प्रणाली को पक्षपातपूर्ण भी कहा जाता है।
- 3 इन प्रणाली में प्रायः खोच का अभाव होता है, क्योंकि वैधानिक न्यूनतम अनुपात में आवश्यकतानुसार भीघ परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता।
- 4 परोक्ष रूप में, इसका प्रभाव प्रतिभूतियों के मूल्य पर पड़ सकता है। यह सम्भव है कि व्यापारिक बैंकों के नकद-कोषों में कमी करने पर वे प्रतिभूतियाँ बेचने लगेँ जिससे उनके मूल्य में गिरावट आ जाये।
- 5 व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक की नीति को विफल कर सकते हैं। जब व्यापारिक बैंकों के पास अधिक नकदी होती है तो यह आवश्यक नहीं कि वे केन्द्रीय बैंक की कोपानुपात रीति का आदर करेंगे।

यह स्मरण रहे कि सतर्कतापूर्ण नीति अपनाकर ही कोपानुपात रीति के उपर्युक्त दोषों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए अनेक सुझाव दिये जाते हैं, जैसे—(1) कोपानुपात रीति तथा

खुले बाजार की क्रियाओं का सम्बन्धायुक्त प्रयोग किया जाना चाहिए, (2) कोषानुपात रीति का प्रयोग धीरे-धीरे किया जाना चाहिए, (3) गोल्डन वीजर (E. A. Golden Weiser) के विचारानुसार व्यापारिक बैंको को एक निश्चित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण जमाओं का एक अथवा केन्द्रीय बैंक में जमा करने की व्यवस्था की जा सकती है ताकि जमाओं में वृद्धि के कारण साख्त का प्रसार न हो, तथा (4) कुछ विशेष क्षेत्रों में विनियोजन करने वाले बैंको को एक निश्चित राशि तक नकद-कोष न रखने की छूट दे दी जा सकती है।

इस रीति में सम्बन्धित वर्जेंस का विचार है कि "बैंकों की कोष सम्बन्धी आवश्यकताओं में वृद्धि अथवा कमी करने की शक्ति की सीमाएँ होते हुए भी यह विशेष रूप से मन्दी की आकस्मिक स्थितियों का आधारभूत रूप में उपचार करने में साख्त-नियन्त्रण के लिए अत्यन्त उपयोगी साधन है।"

नीति का विकास

बैंको के नकद-कोष के अनुपात में परिवर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया। 1933 में फेडरल रिजर्व बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वह सकटकाल में प्रेसीडेंट की अनुमति लेकर सदस्य बैंको के नकद-कोष के अनुपात में परिवर्तन कर सके। 1935 के बैंकिंग एक्ट के अनुसार फेडरल रिजर्व बोर्ड का यह अधिकार स्थायी कर दिया गया, जिसके अनुसार विना प्रेसीडेंट की अनुमति लिये निश्चित सीमाओं के भीतर सदस्य बैंको के कोषों के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। 1936 के पश्चात् अमेरिका में इस रीति का प्रयोग किया जाता रहा है। 1936 में न्यूजीलैण्ड तथा 1940 के पश्चात् एशिया तथा दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों के केन्द्रीय बैंको को यह अधिकार दिया गया है। 1953 के पश्चात् कनाडा, रोडेशिया और न्यानालैण्ड, नार्वे, भारत, सीरिया, दक्षिण अफ्रीका तथा वियतनाम के केन्द्रीय बैंको को विधान द्वारा तथा नीदरलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड में पारस्परिक समझौते द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया गया है।

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुमोचित बैंको की कुल जमाओं का 3 प्रतिशत नकद कोष के रूप में अपने पास जमा रखे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

4 गौण कोष की मांग (Secondary Reserve Requirements)

साधारण न्यूनतम नकद कोषानुपात के अतिरिक्त कुछ केन्द्रीय बैंको का व्यापारिक बैंको में गौण अथवा सहायक (secondary) कोष की मांग करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक अन्य बैंको को यह आदेश देता है कि वे अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात (जो न्यूनतम नकद कोषानुपात के अतिरिक्त होता है) सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य तरल आदेयों (Liquid assets) में लगायें। इसका परिणाम यह होता है कि बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य तरल आदेयों के रूप में रखे गये कोषों की सीमा तक उनकी साख्त-निर्माण शक्ति कम हो जाती है। चूंकि इसके अन्तर्गत बैंको को अपने साधनों का एक भाग अनिवार्य रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना पड़ता है, इसलिए केन्द्रीय बैंक को खुले बाजार की क्रियाओं में मुद्रिधा प्राप्त होती है। गौण कोषानुपात की रीति अपनाते का यह भी प्रभाव होता है कि बैंको के कोषों में तरलता बनाये रखना सम्भव होता है, जिससे ग्राहकों की मांग पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होती तथा देश की बैंक व्यवस्था दृढ होती है। विकासशील राष्ट्रों के लिए यह नीति विशेष रूप से अधिक उपयोगी है, क्योंकि एके ओर तो सरकार को प्रतिभूतियों के आधार पर बैंको से ऋण लेने में सहायता मिलती है और दूसरी ओर बैंको के तरल कोषों पर उचित नियन्त्रण रखा जा सकता है।

गौण कोषानुपात की रीति बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन प्राप्त करने

1 "Despite these limitations, the power (to raise or lower the bank's reserve requirements) is the most useful addition to the system's mechanism for credit control, especially as a means for dealing fundamentally with the large excess of reserve created by the extraordinary events of the depression emergency"—Burgess *Reserve Banks and the Money Market*, p. 207.

में मफ्त रही है, परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि जब ऊँची व्याज-दर पर नयी प्रतिभूतियाँ नियमित की जाती हैं तो बैंकों के मामले एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिभूतियों के बेचने पर बैंकों को हानि होती है और न बेचने पर स्थिति-विवरण में उनका वाजार-मूल्य दिखाना पड़ना है जिससे सम्भावित हानि प्रकट होती है और बैंक के असों का मूल्य गिरने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।

मार्च 1945 में सर्वप्रथम अमेरिका से फेडरल रिजर्व सिस्टम के संचालन बोर्ड ने यह माँग की थी कि साख-नियन्त्रण के लिए उन्हें यह अधिकार दिया जाय कि वह व्यापारिक बैंकों को यह आदेश दे सकें कि वे अपने माँग-निक्षेपो (demand deposits) का 25 प्रतिशत तथा बाल निक्षेपो (time deposits) का 10 प्रतिशत गौण कोषानुपात के रूप में रखें। बेल्जियम में इस रीति को 1946 में अपनाया गया जबकि इस प्रकार के कौषों का अनुपात 50 में 65 प्रतिशत तक बैंकों के आकार तथा निक्षेपो के प्रकार के अनुसार निर्धारित किया गया। इसके पश्चात् फ्रान्स, मैक्सिको, हॉलैण्ड, स्वीडन, भारत, फिलिपाइन्स, आदि देशों के केन्द्रीय बैंकों ने भी इस रीति का प्रयोग किया है।

डी कॉक के विचारानुसार यह रीति "बुद्ध, सगस्त्रोकरण अथवा अन्य असामान्य स्थितियों में उत्पन्न असाधारण मुद्रा-स्फीति स्थितियों में मुद्रा-स्फीति रोकने की निश्चित मोद्रिक नीति में काफी महत्वपूर्ण भाग ले सकती है।"¹

5 प्रवृत्त्य साख-नियन्त्रण (Selective Credit Controls)

ऊपर बतायी गयी साख-नियन्त्रण की रीतियों का मुख्य उद्देश्य बैंकों के तक्कर-कौषों को प्रभावित करके साख की मात्रा तथा कीमत (व्याज-दर) को नियन्त्रित करना होता है। इसके विपरीत, प्रवृत्त्य अथवा चुने हुए साख नियन्त्रण उपायों का उद्देश्य साख के प्रयोग की नियन्त्रित करना होता है और यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित न करके केवल विशेष क्षेत्रों को अधिक अथवा वित्तीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। प्रवृत्त्य साख-नियन्त्रण का निम्न स्वरूप हो सकता है—

(1) ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना—ऐसी वस्तुएँ जिनका स्टॉक प्रायः सट्टेबाजी के उद्देश्य से किया जा रहा हो, उनकी धरोहर के आधार पर व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देना नियन्त्रित कर दिया जाता है, ताकि व्यापारियों को सीमित मात्रा में ही ऋण प्राप्त हो और वे मुनाफाखोरी के उद्देश्य में वस्तुओं का अनुचित सग्रह न कर पायें। इसका साधारण तरीका यह होता है कि धरोहर के रूप में रखे गये माल के मूल्य तथा ऋण की राशि में अन्तर की सीमाओं (margin requirements) को बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए, चावल के स्टॉक करने के लिए बैंकों में 20 प्रतिशत के अन्तर (margin) पर ऋण मिलता है। अब यदि केन्द्रीय बैंक के आदेशानुसार यह अन्तर 40 प्रतिशत कर दिया जाय तो बैंकों द्वारा उन ही माल पर अब 20 प्रतिशत ऋण कम दिया जायेगा। इस प्रकार के नियम मनी आवश्यक वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने के लिए बनाये जा सकते हैं।

(2) भिन्न व्याज अथवा कटौती-दरें—विभिन्न प्रकार के वित्तों के लिए केन्द्रीय बैंक अलग-अलग कटौती-दरें (discount rates) निर्धारित कर देता है ताकि कुछ क्षेत्रों के लिए ऋण की मात्रा को नियन्त्रित कर दिया जाय। यदि केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य कृषि के लिए माल को प्रोत्साहन देना तथा कुछ विशेष व्यापार तथा उद्योगों के लिए ऋण को सीमित करना होता है तो कृषि वित्तों की कटौती-दरें कम निर्धारित की जाती हैं।

(3) ऋणों की प्राप्ति पर नियन्त्रण—कुछ विशेष क्षेत्रों में यदि साख को सीमित करना होता है तो एक निश्चित राशि से अधिक मात्रा में ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं और इनके लिए कभी-कभी केन्द्रीय बैंक से पूर्व-अनुमति भी लेनी पड़ती है। कुछ देशों में व्यापारिक बैंक नयी कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिए ऋण नहीं दे सकते ताकि नयी कम्पनियाँ जनता में पूँजी प्राप्त कर सकें।

¹ The method of secondary reserve requirements "can be made to play a valuable part in any disinflationary monetary policy under conditions of exceptional inflationary pressures caused by war, rearmament or other abnormal circumstances —De Kock *Central Banking*, p. 241

7. प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

केन्द्रीय बैंक को प्रायः यह अधिकार प्राप्त होता है कि यह अन्य बैंकों को अपनी नीति का अनुकरण करने के लिए बाध्य कर सके। केन्द्रीय बैंक के आदेशों का पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध केन्द्रीय बैंक सीधा अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है जिसके अनुसार यह इन बैंकों को पुनः बटीती की सुविधा देना बन्द कर देना है, या बैंक दर में ऊँची दर पर देना है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक की नीति का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक शक्तिशाली हो, मुद्रा-बाजार में उसका पूरा नेतृत्व हो तथा अन्य बैंकों के साथ सहयोग का वातावरण हो।

व्यावहारिक रूप में प्रत्यक्ष कार्यवाही का तरीका सन्तोषजनक नहीं होता क्योंकि इसमें दबाव की भावना निहित होने के कारण बहुधा इसका परिणाम अनुकूल नहीं होता है। व्यापारिक बैंक साधारणतया ऐसा अवसर भी नहीं देते कि केन्द्रीय बैंक को उनके विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े। केन्द्रीय बैंक भी प्रत्यक्ष कार्यवाही से सम्बन्धित यह कठिनाई अनुभव करता है कि यह जानना बहुत कठिन होता है कि क्या कोई बैंक अनुचित प्रयोग के लिए भाव का प्रसार कर रहा है। बैंक भी मातृ के वास्तविक प्रयोग पर नियन्त्रण नहीं रख पाते और न ही आवश्यक एवं कम आवश्यक प्रयोगों में अन्तर कर पाते हैं। चूंकि बैंक ऐसा सोचने लगते हैं कि उगने भूल होने पर केन्द्रीय बैंक उन्हें चेतावनी देगा, वे अपनी सतर्कता में कमी कर देते हैं और बहुत कुछ केन्द्रीय बैंक पर छोड़ देते हैं।

8. नैतिक दबाव (Moral Suasion)

केन्द्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों पर नैतिक दबाव डालकर भी सत्य या गुणात्मक नियन्त्रण किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कुछ परामर्श देता है और इसी के द्वारा उनकी भाव निर्माण नीति को प्रभावित करता है। इस प्रकार नैतिक दबाव का तरीका भी बहुत कुछ प्रत्यक्ष कार्यवाही से मिलना जुलता है। अन्तर केवल इतना है कि इसमें केन्द्रीय बैंक द्वारा शक्ति (force) का प्रयोग नहीं किया जाता और मनोवैज्ञानिक रूप से यह विधि व्यापारिक बैंकों को अरुचिकर नहीं होती। केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के बीच सम्भावना बनी रहती है तथा बैंकों का ऐच्छिक एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

समय-समय पर इंग्लैण्ड, फ्रान्स, स्वीडन, हॉलैण्ड, कनाडा, भारत, आस्ट्रेलिया आदि देशों में इस रीति का प्रयोग किया गया है। प्रो० क्लार्क (Clark) के विचार में, "सात्व नियन्त्रण की पद्धति के रूप में समझाने की रीति को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। निस्सन्देह कभी कभी इन्होंने प्रतिबन्धक प्रभाव डाले हैं किन्तु विस्तार की शक्तियाँ बिना भय अथवा दबाव के चेतावनी के लिए काफी शक्तिशाली सिद्ध हुई हैं।" अमेरिका में डकार्ड बैंकिंग प्रणाली के कारण इसे अधिक सफलता नहीं मिल सकी है, किन्तु भी बर्जेंस (Burgess) का विचार है कि "फेडरल रिजर्व बैंक अपने सुभाषों के द्वारा साधारण सत्य स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, किन्तु यह ऐसा प्रभाव है जो काफी मूल-वृद्ध के निर्णय के बाद प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसके अधिक प्रयोग में इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है।"

नैतिक दबाव की नीति की सफलता मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है (1) केन्द्रीय बैंक का मुद्रा-बाजार पर पूरा अधिकार होना चाहिए, (2) उसे इस सम्बन्ध में पर्याप्त अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तथा (3) केन्द्रीय और अन्य बैंकों के बीच सहयोग एवं सम्भावना होनी चाहिए।

9. प्रचार (Publicity)

सात्व नियन्त्रण का साधन के रूप में केन्द्रीय बैंक प्रचार का भी प्रयोग करता है। नियमित रूप से केन्द्रीय बैंक मुद्रा-बाजार की स्थिति, मातृ तथा बैंकिंग व्यवस्था की समस्याओं, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार तथा आयात-निर्यात आदि के सम्बन्ध में आँकड़े व विवरण प्रकाशित करते हैं, और साथ में विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण भी स्पष्ट करते रहते हैं। विज्ञापन तथा प्रचार के द्वारा केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य अपनी नीति के प्रति प्रभावशाली जनमत (effective public opinion) तैयार करना होता है। प्रचार की रीति का प्रयोग अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंकों

द्वारा बहुत बढ़िया किया जाता है। भारत में भी रिजर्व बैंक देश की महत्वपूर्ण समस्याओं की स्थिति के सम्बन्ध में नियमित रूप से विवरण प्रकाशित करता है।

साख-नियन्त्रण के एक साधन के रूप में प्रचार के प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है। कुछ केन्द्रीय बैंक इसे एक साधन समझते हैं जिनका साख नियन्त्रण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे आर्थिक समस्याओं के सम्बन्धित सूचकांकों का प्रकाशन केवल अपना एक कर्तव्य समझ कर करते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका में इसको साख-नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। एक अमेरिकी विचारक के शब्दों में, "साख में प्रधान तत्व मस्तिष्क की बसा होनी है, और तुम साख का नियन्त्रण उस समय तक नहीं कर सकते जब तक तुम लोकमन को नियन्त्रित नहीं कर लेते।" बर्जस (Burgess) के विचार में, "यह तरीका दीर्घकाल में वित्तीय स्वायत्तत्व स्थापित करने में बैंक-दर अथवा खुले बाजार की नीति की तरह ही महत्वपूर्ण हो सकता है।" यह तो स्वीकार करना पड़ता है कि साख-नियन्त्रण की नीति में प्रचार का महत्व होता है, परन्तु यह कहना कठिन है कि उपर्युक्त कथनों में कहीं तक सत्यता है।

नियन्त्रण—इस प्रकार साख के परिभाषात्मक तथा गुणात्मक नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बैंक अनेक रीतियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर सकता है। यह कहना बहुत कठिन है कि कौनसी रीति अधिक उपयुक्त है और कौनसी कम। वास्तव में, यह देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समस्याओं के स्वरूप पर निर्भर करता है कि कौनसी रीति किसी देश के लिए अधिक प्रभावपूर्ण हो सकती है। व्यवहार में, केन्द्रीय बैंक प्रायः साख-नियन्त्रण की परिभाषात्मक रीतियों के साथ-साथ गुणात्मक नियन्त्रण की रीतियाँ का भी आवश्यकतानुसार समुचित एवं सन्तुलित प्रयोग करने का प्रयास करता है। कोई एक नीति चाहें कितनी ही प्रभावपूर्ण क्यों न हो, अकेले साख का नियन्त्रण नहीं कर पाती। यह प्रभावपूर्ण नहीं होगी जब इसे अन्य रीतियों का भी सहयोग प्राप्त हो। सामान्यतः ऐसा देश जिसमें मुद्रा प्रभाव तथा मुद्रा-सञ्चयन के बुझावा को दूर करना हो, वहाँ परिभाषात्मक मात्र नियन्त्रण का सापेक्ष महत्व अधिक होता है। इसके विपरीत, यदि किसी देश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास करना है तो वहाँ गुणात्मक साख नियन्त्रण को विशेष महत्व देना आवश्यक हो जाता है।

साख-नियन्त्रण की कठिनाइयाँ

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण करना कोई सरल कार्य नहीं है। केन्द्रीय बैंक को साख नियमन में मुख्यतः इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(1) मौद्रिक सस्याओं पर अपूर्ण नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक साख का सख्त नियन्त्रण नहीं कर सकता है जब देश में सभी मौद्रिक सस्याओं पर इसका पूर्ण नियन्त्रण हो। कुछ देशों में तो व्यापारिक बैंकों पर भी केन्द्रीय बैंकों को नियन्त्रण के वैधानिक अधिकार बहुत कम दिये गये हैं। इसके अनिश्चित, कुछ ऐसी सस्याएँ होती हैं जो ऋण के लेन-देन का कार्य करती हैं, परन्तु उन पर नियन्त्रण रखना अमम्भव होता है। भारत में देशी बैंक तथा पाश्चात्य देशों में विदेश-साख कम्पनियों आदि केन्द्रीय बैंकों के नियन्त्रण के बाहर हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों के लिए निर्धारित नियम सहायकारी बैंकों पर लागू नहीं होते हैं।

(2) अस्थिर स्थित बैंक-व्यवस्था—अधिकांश देशों में बैंक-व्यवस्था का न तो पर्याप्त विकास हुआ है और न ही यह जल्दी तरह सशुद्ध है। इन देशों में न तो बैंकों में पारस्परिक सहयोग होता है और न ही उनका केन्द्रीय बैंक से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय बैंक को अपनी नीतियों में सफलता नहीं मिल पाती।

(3) सम्बद्ध बैंकों का असहयोग—अधिक लाभ की प्राप्ति अथवा बैंकों के संचालकों के निजी हितों की पूर्ति करने में बैंक केन्द्रीय बैंक के नियमों का उल्लंघन करने के तरीके ढूँढ़ निकालते हैं,

1 "The principal factor in credit is the state of mind and you cannot control credit until you can control public opinion" —MacLaughlin *American Banker's Association Journal*, August 1936

जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंक को सम्बद्ध बैंको का सहयोग तभी मिल पाता और उसकी नीति विफल हो जाती है।

(4) साख की विभिन्न किस्में—साख कई प्रकार की होती है, जैसे—बैंक-साख, किताबी साख, वाणिज्य-साख इत्यादि। केन्द्रीय बैंक केवल बैंक-साख को नियन्त्रित करता है, अन्य प्रकार की साख को नहीं, जबकि उनका भी अर्थ-व्यवस्था पर ढ़ङ्क-साख जैसा ही प्रभाव पड़ता है।

(5) मुद्रा एवं पूँजी-बाजार की स्थिति—कुछ देशों में मुद्रा एवं पूँजी-बाजार पर केन्द्रीय बैंक की नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कभी-कभी तो केन्द्रीय बैंक ही मुद्रा-बाजार की स्थिति से प्रभावित होकर उसके पीछे चलता है।

(6) परम्पराओं का प्रभाव—ब्रिटिश बैंको की परम्पराएँ ऐसी हैं कि केन्द्रीय बैंक को अपनी साख-नीति का केवल संकेत करना होता है और अन्य बैंक उसका तत्काल पालन करते हैं, परन्तु अधिकतर देशों में ऐसी परम्पराएँ नहीं हैं तथा वहाँ साख-नियन्त्रण एक कठिन कार्य होता है।

(7) साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण की कठिनाई—यह बहुत ही कठिन कार्य है कि केन्द्रीय बैंक साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण रख सके। यदि केन्द्रीय बैंक अन्य बैंको को आदेश देता है कि सट्टेबाजों के लिए ऋण न दिये जायें, तो यह सम्भव है कि बैंको के ग्राहक व्यापारिक कार्यों के लिए ऋण लेकर उनका उपयोग सट्टा-कार्यों के लिए करे। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक को साख-नियन्त्रण के उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाती।

यह सब देखते हुए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक को साख-नियन्त्रण के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों और वह उनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार कुशलतापूर्वक करे। इसके साथ-साथ अन्य बैंको तथा मुद्रा-बाजार का सहयोग प्राप्त होना भी आवश्यक होता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. साख नियन्त्रण की आवश्यकताओं का विवेचन कीजिए तथा यह बताइए कि साख को नियन्त्रित करने में केन्द्रीय बैंक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
[संकेत—प्रथम भाग में साख नियन्त्रण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा दूसरे भाग में उन कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए जिसका साख नियन्त्रण करने में केन्द्रीय बैंक को सामना करना पड़ता है।]
2. "बैंक-दर का उद्देश्य देश की आर्थिक क्रियाओं का नियन्त्रण तथा नियन्त्रण करना है।" व्याख्या कीजिए।
[संकेत—बैंक-दर के अर्थ, सिद्धान्त, प्रभाव तथा भीमानों का उल्लेख कीजिए और वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए।]
3. साख के नियन्त्रण में बुले बाजार की क्रियाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए।
[संकेत—बुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ, प्रभाव तथा भीमानों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। सप्तम में यह भी बताइए कि यह बैंक-दर की तुलना में किन दानों में श्रेष्ठ है।]
4. स्थिर-व्यवस्था के अनुपात तथा गोल-व्यवस्था से अन्तर स्पष्ट कीजिए। उनका देश की साख-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
[संकेत—परिवर्तनीय कोषानुपात तथा गोल-व्यवस्था के अर्थ, उद्देश्यों तथा प्रभावों के आधार पर उनकी तुलना कीजिए और यह बताइए कि वे नीतियाँ किन प्रकार साख की मात्रा का प्रभावित करती हैं।]
5. केन्द्रीय बैंक को परिणामात्मक तथा गुणात्मक साख नियन्त्रण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। इनमें कौनसी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है?
[संकेत—परिमाण मक तथा गुणात्मक पद्धतियों में अन्तर स्पष्ट करने के पश्चात् अन्त-अलग पद्धतियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए और अन्त में यह बताइए कि देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही केन्द्रीय बैंक यह निश्चित कर सकता है कि कौनसी पद्धति श्रेष्ठ है।]

“पहले बैंक नकद निक्षेपों में व्यवसाय करते थे, प्रायःकल वे प्रमुख रूप से साख निक्षेपों में व्यवसाय करते हैं।” —सेलामैन

बैंक' शब्द का प्रयोग काफी समय से होता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह इटलियन भाषा के शब्द 'बैंको' (Banco) से बना है जो फ्रेंच भाषा के 'Banque' में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में 'Bank' हो गया। 'Banco' का अर्थ बैंक होता है। चूंकि इटली में कुछ लोग बैंकों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बन्द होने पर उसका बैंक तोड़ दिया जाता था, अतः कालान्तर में 'बैंको' शब्द का प्रयोग मुद्रा-परिवर्तन करने वाली और बाद में साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। एक अन्य विचार यह है कि 'बैंक' शब्द का स्रोत जर्मन भाषा का शब्द 'Bank' है जिसका अर्थ सम्मिलित स्वयं कोष (joint stock fund) होता है। यह कहना कठिन है कि कौनसा विचार अधिक सही है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आधुनिक बैंकों का आरम्भ यूरोप में ही हुआ, जो क्रमशः पूरे संसार में फैल गया।

बैंक की परिभाषा

बैंक के विचार के प्रागम्भिक काल से लेकर अब तक बैंक के रूप तथा कार्यों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन विभिन्नताओं के कारण बैंक की अलग-अलग परिभाषाएँ दी गयी हैं।

(1) बैंक की कुछ परिभाषाएँ कानूनी आधार पर दी गयी हैं। इंग्लैण्ड के विनिमय बिल विधान (1882) के अनुसार, “बैंकर के अन्तर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वह सम्मिलित हो अथवा नहीं, सम्मिलित होता है।”¹ भारतीय विनिमय साध्य विनिवेश अधिनियम (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार, “बैंकर के अन्तर्गत बैंकिंग का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर वचन बैंक सम्मिलित होता है।” ये दोनों परिभाषाएँ असन्तोषजनक तथा अपयथा हैं क्योंकि इनका आधार यह है कि जो बैंक का कार्य करे वह बैंकर है। परन्तु इन परिभाषाओं से यह अनुमान नहीं लग सकता कि बैंक के कार्य क्या हैं तथा बैंक का स्वरूप क्या है।

(2) बैंक के कार्यों के आधार पर भी अनेक परिभाषाएँ दी गयी हैं। मन् 1949 के भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट की धारा 5 (ब) के अनुसार, “बैंक अथवा बैंकिंग कम्पनी वह है जो ऋण देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए जनता से मुद्रा के

1 “In former times the banks dealt in cash deposits, now a days they deal primarily in credit deposits — Seligman Principles of Economics

2 “... a banker includes any body of persons whether incorporated or not who carry on the business of banking — Bill of Exchange Act of England, 1832

निक्षेपों का स्वीकार करती है, जो माँगने पर अथवा किसी अन्याय से लौटाया जा सके तथा बैंक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके।¹ इस परिभाषा में बैंक के निक्षेप अथवा जमा स्वीकार करने तथा उनको लौटाने के कार्यों का उल्लेख है। परन्तु बैंक के कार्य केवल यही नहीं, कुछ अन्य भी हैं जिनका उल्लेख इस परिभाषा में नहीं किया गया। इसी प्रकार की परिभाषा हार्ट ने भी दी है, "बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अन्तर्गत लोगों की मुद्रा जमा करता है, जिसमें यह व्यक्तियों के बैंकों का भुगतान करता है, जिन्होंने इसे जमा किया है अथवा जिनके खाते में जमा किया गया है।"²

विन्ने के मतानुसार, "बैंक एक ऐसी सस्था है जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है।"³ यह परिभाषा उपर्युक्त परिभाषाओं में श्रेष्ठ मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें बैंक द्वारा जमा स्वीकार करने के साथ-साथ ऋण देन के कार्य का भी उल्लेख किया गया है। परन्तु आधुनिक बैंक के कार्य इतने व्यापक हैं कि उन्हें इन्हीं दो कार्यों तक सीमित रखना अनुचित है।

इंग्लैण्ड के सर जॉन पेजेट (Sir John Paget) ने बैंक की कार्यानुसार परिभाषा को व्यापक रूप देने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा सस्था को तभी बैंकर कहा जा सकता है, जब वह (i) स्थायी जमा (fixed deposits) स्वीकार करे, (ii) चालू जमा (current deposits) प्राप्त करे, (iii) उस पर लिखे गये बैंकों का भुगतान करे, तथा (iv) ग्राहकों में प्राप्त बैंकों की रकम एकाग्र करे। इस परिभाषा को भी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बैंक के केवल कुछेक कार्यों को ही महत्व दिया गया है। इसमें बैंक के एक महत्वपूर्ण कार्य "ऋण देना" तक का उल्लेख नहीं किया गया है।

वास्तव में, कार्यों के आधार पर दी गयी परिभाषाएँ बैंक के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकती। जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने मान से किसी भी व्यक्ति तथा सस्था को बैंक नहीं कहा जा सकता। भारत में देशी साहूकार भी इन कार्यों को करते हैं, परन्तु भारतीय बैंकिंग कम्पनी एक्ट की धारा 7 (1) तथा 7 (2) के अनुसार वे स्वयं को अथवा अपनी फर्म को बैंकर अथवा बैंक नहीं कह सकते।

(3) कुछ विद्वानों ने बैंक को साख का व्यवसाय करने वाली सस्था के रूप में परिभाषित किया है। हॉरिस व्हाइट ने बैंक को "साख का निर्माणकर्ता तथा विनिमय की सुविधा प्रदान करने वाला यन्त्र" कहा है।⁴ फ्राउडर के अनुसार, "बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है।"⁵ सेयर्स के शब्दों में, "बैंक वह सस्था है जिसके ऋण अन्य लोगों के ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किये जाते हैं।"⁶ किण्डले गिराज के अनुसार, "बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी है जिसके पास किसी व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहाँ मुद्रा अथवा चन्दन की जमा अथवा एनबीकरण द्वारा साख का कार्य किया जाता हो और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, बैंक या आदेश द्वारा भुगतान किया जाता हो या जहाँ स्टॉक, वॉण्ड, घातु और विला पर

- 1 Banking means "the accepting for the purpose of lending and investment, of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise" —The Indian Banking Companies Act, 1949
- 2 "A banker is one who in the ordinary course of his business receives money which he pays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it" —Hart
- 3 "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made, and to which individuals entrust money when not required by them for use" —Kinley
- 4 Bank is "a manufacturer of credit and a machine for facilitating exchanges" —Horace White Money and Banking, pp 108-109
- 5 "a banker is a dealer in debts—his own and of other people" —Crowther An Outline of Money
- 6 "A bank is an institution whose debts are widely accepted in settlement of other people's debts to each other." —Sayers

उधार दी जाती हो, अथवा जहाँ प्र तिना-पत्र बट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार किये जाते हो।¹ इस परिभाषा में बैंक के जमा स्वीकार करने, ऋण देने, साख का निर्माण करने तथा एजेंसी के कार्यों की ओर सकेत किया गया। ये परिभाषाएँ अन्य परिभाषाओं की तुलना में अधिक सन्तोषजनक तथा मान्यता-प्राप्त हैं। परन्तु इन परिभाषाओं को सरल नहीं कहा जा सकता, इनकी जटिलता के कारण ही बैंक जैसी गुपरिचित संस्था को समझना भी कठिन हो जाता है।

(4) बैंक की सरल, संक्षिप्त एवं उचित परिभाषा यह हो सकती है—बैंक मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है (Bank is an institution which deals in money and credit)। मुद्रा के व्यवसाय अथवा क्रय-विक्रय में अभिप्राय ऋणों के लेन-देन से होता है। मुद्रा खरीदने का अर्थ होना है बैंक द्वारा जनता में निक्षेप (deposits) स्वीकार करना अथवा ऋण लेना। मुद्रा के बेचने का अर्थ ऋण देना होता है। दोनों ही दशाओं में मुद्रा की कीमत व्याज के रूप में चुकायी जाती है। परन्तु मुद्रा का क्रय-विक्रय तो अन्य लोग भी करते हैं जिन्हें बैंक अथवा बैंकर नहीं कहा जाता। उनमें तथा बैंक में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि बैंक मुद्रा के व्यवसाय के साथ साथ साख का क्रय-विक्रय भी करता है। बैंक साख का निर्माण करता है (हम पहले देव चुके हैं कि बैंक द्वारा किस प्रकार साख का निर्माण होता है), जबकि साहूकार इत्यादि ऐसा नहीं कर पाते। इस प्रकार प्रत्येक बैंक साहूकार का कार्य करता है, परन्तु प्रत्येक साहूकार बैंक के कार्य नहीं कर सकता। मेयर्स ने ठीक ही कहा है, "बैंक केवल मुद्रा-व्यापारी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा निर्माता भी होते हैं।"² अतः यह कहना कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा व साख का व्यवसाय करती है, बैंक की सर्वोत्तम परिभाषा है।

बैंकों का विकास

बैंकिंग कोई नया व्यवसाय नहीं है। प्राचीन काल में आज जैसे बैंक नहीं थे, परन्तु बैंकिंग का कार्य अनेक देशों में महाजन, सुनार, मर्राफ आदि किया करते थे। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व वेबीलोन में साख का लेन देन प्रचलित था। ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में अमीरिया (Assyria) में मिट्टी के टुकड़ों पर साख-पत्र लिखे जाते थे। मारॉल के अगुमार चाल्दिया (Chaldea), फोनीशिया (Phoenicia) तथा मिस्र (Egypt) के प्राचीन इतिहास देखने से प्रारम्भिक बैंकिंग के प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने सिद्धा है कि "मिस्र का डल्डाई के युग के पूर्व ग्रीस में देवता डेलफी के मन्दिर तथा अन्य सुरक्षित स्थान बहुमूल्य धातुओं के भण्डार-गृहों के रूप में प्रयोग में लाये जाते थे। बाद में इन मन्दिरों में व्याज पर निजी तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए धन उधार दिया जाता था।"³ ग्रीस के समान प्राचीन रोम में भी बैंकिंग का काफी अधिक विकास हुआ था। भारत और चीन में बैंकिंग का विकास अपेक्षावत् बाद में हुआ।

रोम की सभ्यता के पतन के पश्चात् ईसामसीह के बाद पाँचवीं शताब्दी से यूरोप के अंधेरे युग (Dark Ages) का आरम्भ होने पर बहुत लम्बे काल के लिए बैंकिंग व्यवसाय प्रायः समाप्त हो गया था, जिसका पुनरुत्थान मध्य-काल (Middle Ages) में हुआ। 12 वीं शताब्दी में, विशेषकर फ्लूडियो के उदय से, बैंकिंग का पुनः आरम्भ हुआ। ईसाइयों को अपने धर्म की ओर से उधार देकर व्याज लेने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए फ्लूडियो को बैंकिंग कार्य में किसी प्रति-योगिता का भय नहीं था। परन्तु कुछ समय पश्चात् इटली के लोगों ने बैंकिंग का कार्य आरम्भ कर दिया तथा लगभग दो शताब्दी के समय में उनकी श्रियाओं का विस्तार मारे यूरोप में हो गया। 1148 में जिनोआ में एक महत्वपूर्ण बैंक (Casa de san Giorgio) स्थापित हुआ और सन् 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। 1401 ई० में बैंक ऑफ वारसीलोगा तथा 1407 ई० में बैंक ऑफ जिनोआ स्थापित किये गये।

- 1 "A banker is a person, firm or company having place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or subject to be paid or remitted upon draft, cheque or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion and B/E and P/N are received for discount and sale"—Findlay Shiras
- 2 "Banks are not merely traders in money but also important manufacturers of money"—Sayers
- 3 Marshall *Money, Credit and Commerce*, (1923), p. 295.

आधुनिक बैंकिंग का वास्तविक विकास सत्रहवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। सन् 1609 में हॉलैण्ड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, सन् 1619 में जर्मनी में बैंक ऑफ हेम्बर्ग और सन् 1694 में इंग्लैण्ड में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना हुई। आर्थिक क्षेत्र में धीरे-धीरे बैंक का महत्व बढ़ने लगा। कालान्तर में संयुक्त पूंजी वाले बैंको (Joint Stock Banks) की स्थापना हुई जिससे विकास की गति तेज हो गयी, और आज बैंकिंग व्यवस्था प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला है।

इस प्रकार आधुनिक बैंकिंग का विकास धीरे धीरे हुआ है। ट्राडर के विचार में अधुनिक बैंकिंग के तीन पूर्वज हैं—यापारी (the merchant), मूलाज (the money lender), तथा मुनार (the goldsmith)।

आधुनिक बैंको के कार्य

जिस प्रकार बैंक का विकास धीरे धीरे हुआ है, उनके कार्य का विस्तार भी धीरे-धीरे ही होता रहा है। प्राचीन काल के बैंकर प्रारम्भ में केवल मुद्राया का अदल बदल ही करते थे, बाद में वे लोगों में व्याज पर ऋण भी स्वीकार करने लगे। उनके पास अधिक धन जमा हो जाने पर उन्होंने इस धन में से ऋण देना भी आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे बैंक का प्रयोग आरम्भ हुआ तथा अन्य साधनों का विकास हुआ। सन् 1708 तक नोटा के निर्गमित करने का अधिकार या तो सरकार के हाथ में था या केन्द्रीय बैंक के हाथ में। संयुक्त पूंजी वाले बैंको का उदय होने पर ये सस्थाएँ विविध प्रकार के एजेंसी कार्य भी करने लगीं। बैंक की परिभाषा का विवेचन करते समय यह बताया गया है कि आधुनिक बैंक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

1. जमा स्वीकार करना (Accepting of Deposits)—बैंक द्वारा जनता में धन मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है—अपने श्रेयस्वरूप, तथा जनता से जमा (अथवा निक्षेप) स्वीकार करके। श्रेयस्वरो की विधि से प्राप्त पूंजी (share capital) बैंक के व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए बैंक को जनता से उनके निक्षेपों के रूप में ऋण लेना पड़ता है। लोग अपनी बचत बैंक में जमा करा देते हैं जिससे उन्हें व्याज मिलती है तथा उनका धन सुरक्षित रहता है। बैंके व्यापारियों को अपना धन बैंक के पास रखने से सुगमता में बड़ी सुविधा होती है।

बैंक में रकम जमा करने के लिए प्रायः पाँच प्रकार के खातों की व्यवस्था होती है, जिनमें से प्रथम तीन प्रकार के खाते तो सभी बैंको में होते हैं, परन्तु अन्तिम दो प्रकार के खातों की व्यवस्था केवल कुछ ही बैंको में होती है। ये विभिन्न खाते निम्नलिखित हैं।

1. निश्चितकालीन जमा खाता (Fixed Deposit Account)—इस प्रकार के खाते में रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है जो प्रायः 3 माह से 5 वर्ष तक के लिए होती है। जमाकर्ता को जमा की रसीद (fixed deposit receipt) दे दी जाती है जिसमें जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, व्याज की दर तथा जमा की अवधि लिखी रहती है। यह रसीद हस्तान्तरणीय नहीं होती और अवधि की समाप्ति पर रकम वसूल करत समय यह रसीद बैंक को लौटा देनी होती है। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले पड़ जाती है तो डिस्काउंट (discount) वाटकर बैंक उसे रकम लौटा देता है। निश्चितकालीन जमा पर बैंक अधिक व्याज देता है। अवधि जितनी ही सम्बन्धी हो व्याज-दर उतनी ही उँची होती है, क्योंकि बैंक को यह विश्वास रहता है कि वह इस रकम का लम्बे समय तक प्रयोग कर सकता है तथा ऋण देकर व्याज कमा सकता है। इस प्रकार की जमा राशि को बैंक की 'बाल-देनदारी (time liability) कहा जाता है।
2. चालू खाता (Current Account)—इस प्रकार के खाते में निक्षेपकारी दिन में जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और निकाल सकता है। जमा राशि प्रायः बैंक द्वारा निवाली जाती है। व्यापारियों तथा बड़ी-बड़ी सस्थाओं के लिए चालू खाते बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में कई सुगतान प्राप्त होते हैं और

अन्य भुगतान करते होते हैं। चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा एक पास बुक (Pass Book) जिसमें लेन-देन का विवरण रहता है, एक चेक बुक (Cheque Book) तथा रकम जमा कराने के फार्म (Pay-in-Slip) दिये जाते हैं। साधारणतया चालू खाते में जमा राशि पर बैंक व्याज नहीं देते और कभी-कभी तो निक्षेपधारी से कुछ सेवा-व्यय भी वसूल करते हैं। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो जमा राशि में एक निश्चित रकम से कम न होने पर थोड़ी सी व्याज देते हैं। जमा राशि के न्यूनतम रकम से कम होने पर धोना के अन्तर पर निक्षेपधारी से व्याज ले ली जाती है। चालू खाते में जमा राशि को बैंक की 'मांग देनदारी' (demand liability) कहा जाता है। अमेरिका में चालू खाते को बैंक खाता (Check¹ or Checking Account) कहते हैं।

- 3 **बचत खाता (Saving Bank Account)**—छोटी बचत वाले लोगों के लिए बचत खाते अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के खाते में सप्ताह में कई बार रकम जमा की जा सकती है, परन्तु एक या दो बार से अधिक निकाली नहीं जा सकती। कुछ बैंक में रकम निकालने की सुविधा का आधार साप्ताहिक न होकर वार्षिक होता है, यर्थात् एक वर्ष में 100 बार के लगभग रकम निकाली जा सकती है। एक बार में एक निर्धारित सीमा में अधिक रकम निकालने के लिए बैंक को पहले से सूचना देनी होती है। इन खातों में स्पष्टा निकासने की दो प्रणालियाँ हैं। एक तो स्पष्टा निकासन समय 'पास बुक' प्रस्तुत करनी होती है और 'स्पष्टा निकासने का फार्म' (withdrawal from) भरकर स्पष्टा निकाला जाता है। दूसरा तरीका चेक द्वारा स्पष्टा निकालने का है। एक निश्चित रकम में कम जमा-राशि न होने पर बैंक बैंको द्वारा स्पष्टा निकालने की सुविधा देते हैं। बचत खाते में एक निर्धारित सीमा में अधिक रकम जमा नहीं की जा सकती, और यदि इसकी अनुमति दे भी दी जाय तो अतिरिक्त रकम पर व्याज नहीं दी जाती। बचतभोगी तथा सामान्य आय वाले लोगों के लिए बचत खात अत्यन्त उपयोगी हैं, क्योंकि इन खातों में जमा रकम पर अच्छी व्याज मिलती है। इस खातों पर निश्चितकालीन जमा की तुलना में व्याज कम होती है, परन्तु यह ध्यान रखा जाता है कि व्याज-दर ऐसी हो जिससे बचत को प्रोत्साहन मिले। [भारत में व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त डाकखानों में भी बचत खाते खोले जाते हैं।]

- 4 **गृह बचत खाता (Home Safe Saving Book Account)**—कुछ बैंकों द्वारा छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्राहकों को घर ले जाने के लिए गुल्लक (safe) दी जाती है, जिसमें व समय-समय पर अपनी बचत डालते रहते हैं। गुल्लक की चाबी बैंक के पास रहती है। कुछ समय बाद गुल्लक बैंक में ले जाने पर उससे रकम निकाल ली जाती है और निक्षेपधारी के खाते में जमा हो जाती है। इस प्रकार की जमा पर व्याज की दर प्रायः कम होती है।

- 5 **अनिश्चितकालीन जमा खाता (Indefinite Period Deposit Account)**—इस खाते के अन्तर्गत अनिश्चित काल के लिए रकम जमा करायी जाती है जिसे कुछ विशेष दशाओं में ही निकाला जा सकता है। निक्षेपधारी केवल व्याज की रकम निकाल सकता है। इस खाते में जमा रकम पर व्याज-दर काफी ऊँची होती है, परन्तु ऐसे खाते हमारे देश में विशेष प्रचलित नहीं हैं।

इस प्रकार बैंक अपना व्यवसाय चलायें के लिए अग्र-पूर्वों के अतिरिक्त जनता से उपयुक्त खातों के अन्तर्गत जमा प्राप्त करता है। इस पर भी यदि बैंक पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाता तो वह अन्य बैंकों से अथवा केन्द्रीय बैंक से ऋण लेता है। केन्द्रीय बैंक अन्य सभी बैंकों की स्थिति का ध्यान रखता है।

1 अमेरिका में Cheque को Check लिखते हैं।

2 ऋण देना (Advancing of Loans)—आधुनिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। जमाकर्ताओं की रकम बैंक के पास रखी नहीं रहती। कुछ नकद कोष रखने के पश्चात् बैंक बाकी रकम जरूरतमन्द व्ययमायियाँ को ऋण के रूप में दे देता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली व्याज की अपेक्षा ऋणों पर अधिक व्याज लेता है, और इन दो दरों में अन्तर ही बैंक का लाभ होता है। बैंकों को ऋण-देन का कार्य काफी सतर्कता से करना होता है क्योंकि असावधानी का परिणाम बैंक के लिए हानिकर हो सकता है। आधुनिक बैंक प्रायः उत्पादन-कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं, तथा उचित जमानत या धरोहर (security) की माँग करते हैं। अधिकतर बैंक ऐसी धरोहर पर ऋण देते हैं जिसे आसानी से बाजार में बेचा जा सके। ऋण की रकम प्रायः धरोहर के मूल्य में कम होती है, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन की सम्भावना के कारण कुछ अन्तर (margin) रखना आवश्यक होता है। कभी कभी बैंक द्वारा व्यक्तिगत जमानत (personal security) पर या दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सम्मिलित जमानत (joint security) पर या चन एव अचल सम्पत्ति की गिरवी (mortgage) पर भी ऋण दिया जाता है। बैंक सामान्यतः निम्न-लिखित चार प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं

1 ऋण तथा अग्रिम धन (Loans and Advances)—एक निश्चित रकम के निश्चित समय के लिए दिये गये ऋण जिनका भुगतान पूर्णतया हाल पर ही ऋण का अन्त होता है, ऋण अथवा अग्रिम धन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऋणों बैंक से जो सम्पूर्ण राशि ऋण के रूप में प्राप्त करता है उसका कुछ अंश लौटा देने पर ऋणी पुनः उसी ऋण के अन्तर्गत उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। बैंक उसे अलग से दूसरा ऋण दे सकता है। इस प्रकार ऋण कभी चालू नहीं रहता। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब कभी इस प्रकार का ऋण दिया जाता है तो ऋण लेने वाले के नाम एक खाता खोलकर ऋण की राशि उसमें निश दी जाती है। ऋण लेने वाला आवश्यकतानुसार बैंक द्वारा समय समय पर रकम निकालता रहता है। ऋण की पूरी रकम पर तत्काल व्याज उठाना आरम्भ हो जाता है, चाहे उस रकम का केवल एक भाग ही निकाला जाय। ऋण प्रायः यथेष्ट जमानत पर आधारित होता है तथा इसकी अवधि निश्चित होती है। व्याज की दर का निर्धारण ग्राहक की साथ, ऋण के उद्देश्य, अवधि तथा धरोहर की किस्म आदि पर निर्भर करता है।

2 नकद साख (Cash Credit)—इस व्यवस्था में अन्तर्गत बैंक एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार दे देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रुपया लेता रहता है और जमा भी करता रहता है। व्याज उसी रकम पर वसूल किया जाता है जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है, परन्तु कभी-कभी बैंक नकद साख की कुल रकम पर ही ऋणी में व्याज लेता है। ऋण के लिए व्यापारिक माल, वौण्ड अथवा स्वीकृत पतिभूतियों (approved securities) की जमानत ली जाती है। यह प्रणाली स्वीटलेण्ड में आरम्भ हुई थी और आज सभी देशों में प्रचलित है।

3 अधिविकल्प (Over draft)—बैंक में चालू खाता (Current Account) रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अन्तर्गत अपनी जमा की राशि से अधिक रकम निवानन की अनुमति ले लेते हैं, निवाली गयी अतिरिक्त रकम को ही अधिविकल्प कहा जाता है। इस प्रकार की सुविधा बैंक द्वारा अल्प समय के लिए ही दी जाती है और यह उचित जमानत देने पर केवल विद्वगनीय ग्राहकों को मिलती है। अधिविकल्प पर व्याज भी अधिक लिया जाता है।

अधिविकल्प तथा नकद साख में मुख्य अन्तर ये हैं—अधिविकल्प प्राप्त करने के लिए बैंक में चालू खाता होना आवश्यक होता है, जबकि नकद साख के लिए यह आवश्यक नहीं। नकद साख के लिए पूरी जमानत ली जाती है, परन्तु अधिविकल्प व्यक्तियुक्त जमानत पर भी दे दिने

जाते हैं। नकद मास की तुलना में अधिविक्रय की अवधि बहुत कम होती है तथा व्याज अधिक ती जाती है।

- 4 विनिमय-बिलों का भुगतान (Discounting of Bills)—मुद्रती बिलों (Usance Bills) की मुद्रत अथवा अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि बिल का भुगतान प्राप्त करने वाला भुगतान चाहता है, तो वह बैंक में बिल भुजा लेता है। भुगतान के बाकी समय की व्याज की कटौती (discount) करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाता है कि इस प्रकार के बिल व्यापारिक बिल ही हों। बिल की कटौती अथवा बट्टा तीन बातों पर निर्भर करता है—बिल की अवधि, बिल की रकम, तथा बिल का जोखिम। बिलों के आधार पर दिये गये ऋण बैंक के लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि (i) बिल के भुगतान के लिए जिम्मेदारी बिल के दोनों पक्षों, अर्थात् बिल लिखने वाले तथा स्वीकार करने वाले, की होती है इसलिए बैंक को दोहरी मरक्षण रहना है, (ii) आवश्यकता पटने पर बैंक इन बिलों को केन्द्रीय बैंक से पुन भुजा (rediscount) सकता है, (iii) यह ऋण अल्पकालीन होता है, तथा (iv) बिलों का मूल्य स्थिर रहता है क्योंकि उनकी रकम निश्चित होती है। इनसे देश के व्यापार को भी लाभ पहुँचना है।

(3) अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य (Agency Functions)—बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए ग्राहक स्वयं अपने बैंक को लिखित अनुमति देते हैं। इनमें से कुछ कार्य निःशुल्क किये जाते हैं तथा कुछ के लिए निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- 1 शाहका द्वारा भेजे गये बैंक, विनिमय-बिल, आदि सात-पत्रों का भुगतान एकत्र करने का कार्य बैंक करत है।
- 2 बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गये बैंक का भुगतान करते हैं तथा कभी-कभी ग्राहकों के बिल भी स्वीकार करते हैं जिनका भुगतान निश्चित दिधि पर कर दिया जाता है।
- 3 ग्राहकों के आदेशानुसार बैंक उनके बीमे के प्रीमियम, कर, व्याज, चन्दे, ऋण की किस्त आदि के भुगतान करने का भी कार्य करते हैं।
- 4 अपने ग्राहकों की ओर से बैंक लाभाज, व्याज, किराया, ऋण की किस्त आदि वसूल भी करते हैं।
- 5 बैंक अपने ग्राहकों के लिए मरकारी प्रतिभूतियाँ, कम्पनिया के शेयर्स तथा ऋणपत्र (debentures) आदि के त्रय विक्रय का कार्य भी करत हैं।
- 6 बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एन स्थान से दूसरे स्थान को रकम भेजने (remittance) की व्यवस्था की जाती है।
- 7 बैंक अपने ग्राहकों की सम्पत्ति के प्रबन्धक, ट्रस्टी अथवा व्यवस्थापक का कार्य भी करते हैं।
- 8 ग्राहकों के लिए बैंक पासपोर्ट तथा यात्रा सम्बन्धी विदेशी विनिमय एव अन्य सुविधाओं के लिए भी पत्र-व्यवहार आदि करते हैं।

(4) विदेशी विनिमय-का क्रय-विक्रय (Purchase and Sale of Foreign Exchange)

—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनाम के लिए बैंक विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करते हैं। यद्यपि यह कार्य मुख्य रूप से विदेशी विनिमय बैंकों का है, परन्तु इस प्रकार के बैंक न होने पर साधारण व्यापारिक बैंक भी यह कार्य करते हैं। भारत जैसे देशों में जहाँ विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय बहुत अधिक नियन्त्रित होता है, यह कार्य केवल केन्द्रीय बैंक अथवा उससे अनुमति प्राप्त किसी अन्य बैंक द्वारा ही किया जाता है।

(5) नोट निर्गमन करना (Issue of Notes)—बैंकों के विकास के प्रारम्भिक काल में नोटों का निर्गमन सभी बैंक करते थे और यह उनका प्रमुख कार्य समझा जाता था। परन्तु आधुनिक समय में यह कार्य केवल देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है।

(6) विविध उपयोगी सेवाएँ (Other Miscellaneous Services)—ऊपर बताये गये अनेक कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक कुछ सामान्य उपयोगी कार्य भी करते हैं, जैसे—

- 1 बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं, जैसे जेवर, कातूनी पत्र, दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार की अलमारियाँ (lockers) अपने पास रखते हैं।
- 2 बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री बैंक (Travellers Cheques) तथा साग्न प्रमाण-पत्र (Letters of Credit) देते हैं, जिनके कारण उन्हें यात्रा करने समय नकद मुद्रा साथ नहीं ले जानी पड़ती।
- 3 बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना अन्य व्यापारियों को देते हैं और पूछे जान पर अन्य व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जाँच-पड़ताल करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं।
- 4 कुछ बड़े बैंक देश के व्यापार तथा उद्योग में सम्बन्धित आकड़े एकत्र करते हैं तथा सूचनाएँ प्रकाशित करते हैं।
- 5 बैंक कम्पनियों के शेयर्स तथा ऋणपत्रों के अभिगोपन (underwriting) का कार्य करते हैं जिससे कम्पनियाँ को पूंजी प्राप्त करने में सुविधा होती है। यह शेयर्स जनता द्वारा न खरीदे जाने पर बचे हुए शेयर्स स्वयं बैंक खरीद लेता है।
- 6 सरकार द्वारा जारी किये गये ऋणों की विप्री की व्यवस्था बैंकों द्वारा की जाती है।
- 7 बाड-पीडियों का कोष, सुरक्षा-कोष आदि राष्ट्रीय चन्दे संग्रह करने का कार्य भी बैंकों द्वारा किया जाता है।
- 8 देश के प्रमुख बैंक स्टॉक एक्सचेंज में समागोचन गृह (Clearing House) का कार्य भी करते हैं तथा सौदों व भुगतान में सहायक होते हैं।
- 9 बैंक अपने ग्राहकों को उपभोग की मछेंगी वस्तुओं, जैसे मोटरकार, स्कूटर, रेफीजरेटर आदि, की उपलब्धि ऋण पर करा देते हैं।
- 10 बैंक एक विशेषज्ञ के समान अपने ग्राहक का उनके धन तथा विनियोग सम्बन्धी मामला में सलाह देता है।

(7) साख-निर्माण का कार्य (Creation of Credit)—अधिक लाभ कमाने के लिए आधुनिक बैंक अपनी जमा-पूंजी तथा जमा राशि की कुल मात्रा से अधिक ऋण देते हैं, जो उनके द्वारा साख का निर्माण करने पर सम्भव होता है। साख-निर्माण के अनुसार बैंकों द्वारा साख का निर्माण तीन प्रकार से होता है—नोट छापकर, ऋण देकर, तथा प्रतिभूतियाँ को भुगारकर। वास्तव में, आधुनिक बैंक-व्यवस्था का विकास बहुत कुछ बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति के द्वारा ही सम्भव हुआ है। बैंकों के साख-निर्माण-कार्य का विस्तृत वर्णन पहले अलग से दिया जा चुका है।

बैंकों का महत्व

वर्तमान समय में प्रत्येक देश का उत्पादन, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था पर केन्द्रित होते हैं। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं की सफलता के लिए प्रत्येक देश बैंकिंग के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देता है। आधुनिक-अर्थ व्यवस्था में बैंकों को वाणिज्य तथा व्यापार का 'धमनी केन्द्र' (nerve centre) कहना अनुचित न होगा। विकसेल (Wicksell) ने बैंकों को आधुनिक चतन व्यवस्था का हृदय तथा केन्द्र बिन्दु कहा है। आर्थिक विकास के माध्यम से बैंकों के कार्य तथा महत्व में भी वृद्धि होती है और एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में तो बैंकों के अभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बैंकों में प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ निम्न-लिखित हैं

(1) बचत का संग्रह करके उत्पादन-कार्यों में लगाना—लोगों के पास अनिश्चित धन की मात्रा को बैंक जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। चूंकि बैंक में जमा धनराशि सुरक्षित रहती है तथा उस पर व्याज मिलता है, इसलिए बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार एकत्रित धन को बैंक उन लोगों को ऋण के रूप में दे देते हैं जिन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए इसकी

आवश्यकता होती है। उत्पादकों की आर्थिक सहायता करके बैंक देश में पूँजी के निर्माण में सहायक होने हैं। इससे न केवल कुछ व्यक्तियों वा वक्तिक तारे समाज का भला होता है।

(2) मुद्रा-प्रणाली में लोच—व्यापार तथा उद्योग की मौद्रिक आवश्यकता में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बैंक देश में साख-मुद्रा का समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रसार एव सञ्चन करते रहते हैं, जिससे मुद्रा-प्रणाली लोचपूर्ण बन जाती है। इसके अतिरिक्त, पहले जब मुद्रा निर्गमन सरकार करती थी तो मुद्रा-प्रणाली में पर्याप्त लोच का अभाव रहता था, परन्तु केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा अधिक लोचपूर्ण होती है।

(3) मुद्रा के हस्तान्तरण में सहायक—बैंकों की सहायता से मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत थोड़े से खर्च से सुरक्षित पहुँचाया जा सकता है जिससे व्यापार में सुविधा होती है।

(4) भुगतान में सुविधा—बैंकों द्वारा भुगतान करने में एक तो लोगों को सिक्के तथा नोट गिनने तथा परखने की अमुविधा नहीं होती, दूसरे भुगतान करने वाले व्यक्ति को भुगतान का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। वाशियों के बैंक, साख प्रमाण-पत्र तथा विदेशी विनिमय की व्यवस्था द्वारा बैंक विदेशी भुगतानों को भी सुविधाजनक बना देते हैं।

(5) बैंकिंग की आदत को प्रोत्साहन—बैंकों के सम्पर्क में आने से लोगों में बैंकिंग की आदत उत्पन्न होती है। विधिशास्त्र मुद्रा (legal tender money) के स्थान पर लॉग बैंकों द्वारा अधिक भुगतान करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में घटत होती है। आधुनिक काल में मास का प्रसार मुख्य रूप से बैंकों की ही देन है, जिराते साख के प्रयोग के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

(6) धन की सुरक्षा—बैंकों में अपना धन जमा करके तथा बैंकों द्वारा एक स्थान में दूसरे स्थान को धन भेजने में तो धन की सुरक्षा प्राप्त होती ही है, इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएँ, आभूषण तथा महत्वपूर्ण पत्र आदि सुरक्षित रखने के लिए अपने पाम मजबूत अलमारियाँ (lockers) की व्यवस्था करते हैं।

(7) ग्राहकों की विविध सेवाएँ—बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार के एजेन्सी कार्य भी करते हैं, जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना अथवा भुगतान देना, रोयर्स आदि खरीदना और बेचना, ट्रस्टी या प्रबन्धक का कार्य करना इत्यादि।

(8) व्यापार तथा उद्योग के लिए सहायक—व्यापार तथा उद्योगों के लिए बैंकों में ऋण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक कम्पनियों के रोयर्स तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन (underwriting) करते हैं। व्यापारियों को एक-दूसरे की आर्थिक स्थिति की जानकारी देने हैं तथा उनके ऋणों की गारण्टी देते हैं। बैंकों के व सञ्चनार्थ प्रस्तावित करने देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देते हैं।

(9) सरकार को सहायता—बैंक केवल जनता को ही नहीं, सरकार को भी विभिन्न प्रकार से सहायता देते हैं। ये सरकारी ऋणों के विक्रय में बहुत सहायक होते हैं। कभी कभी ये सरकार की ओर से कर की वसूली एव सरकारी भुगतानों का भी कार्य करते हैं। सार्वजनिक चन्दों आदि को इकट्ठा करने ये नकटकाल में सरकार की सहायता भी करते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बैंक आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

आधुनिक बैंकों के विविध रूप

वैसे तो बैंक के अनेक कार्य होते हैं, परन्तु प्रत्येक बैंक वहलाने वाली मस्या के कुछ प्रमुख कार्य भी होते हैं और इन्हीं के लिए उसकी स्थापना की जाती है। इनके निक्षेपों के स्वरूप तथा इनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के उद्देश्य भी अलग-अलग होते हैं। उनके प्रमुख कार्यों तथा उद्देश्यों के आधार पर आधुनिक बैंकों के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं।

(1) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)—व्यापारिक बैंक सामान्य बैंकिंग के कार्य करते हैं तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अलाफालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। चूंकि इन बैंकों

के निक्षेप अधिकतर अल्पकालीन (demand deposits) ही होते हैं, इसलिए साधारणतः ये एक वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे पाते हैं। भारत के अधिकांश मिश्रित पूंजी बैंक (Joint Stock Banks) स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक व्यापारिक बैंक ही हैं। व्यापार सम्बन्धी ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक जमा प्राप्त करने, बैंकों का संप्रभु व भुगतान करने तथा एजेन्सी सम्बन्धी अनेक कार्य करते हैं जिनका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं।

प्रो० चैंडलर (Lester V Chandler) के अनुसार इन बैंकों को व्यापारिक बैंक कहना अनुचित तथा भ्रमात्मक है, और इनको किसी अन्य नाम से पुकारा जाना चाहिए।¹ व्यापारिक बैंक कहलाने वाली सस्थाओं के कार्यों का अब अधिक विस्तार हुआ है क्योंकि इनके द्वारा अब केवल व्यापार सम्बन्धी ऋण ही नहीं बल्कि औद्योगिक तथा अन्य कई प्रकार के ऋण भी दिये जाते हैं। इससे अतिरिक्त वे बैंकों के भुगतान, वचत को प्रोत्साहन तथा अनेक प्रकार के एजेन्सी कार्यों के द्वारा अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं। इन सस्थाओं की प्रमुख विशेषता तो यह है कि इनके द्वारा निर्मित सामान्य मुद्रा के समान ही विनिमय-माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। अब यह बैंक नोट तो नहीं छपाते, परन्तु साव का निर्माण अपनी जमाओं के आधार पर करते हैं। यह कार्य अन्य किसी भी प्रकार का कोई बैंक नहीं कर पाता, यह इन्हीं की विशेषता है। इसलिए चैंडलर के अनुसार इन्हें 'बैंक निक्षेप बैंक' (Checking Deposit Banks) कहना अधिक उपयुक्त होगा। परन्तु इनका प्रचलित नाम व्यापारिक बैंक होने के कारण हम इनका यही नाम स्वीकार करना होगा।

(2) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)—उद्योगों के लिए मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली सस्थाएँ औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। अपने पास से ऋण देने के अतिरिक्त ये औद्योगिक फर्मों को उनके शेयर्स, ऋणपत्र तथा वौण्ड आदि विक्रय कर अथवा अभिगोपन (underwriting) द्वारा पूंजी प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। सामान्यतः औद्योगिक बैंकों के तीन प्रकार के कार्य होते हैं—प्रथम, दीर्घकालीन निक्षेप प्राप्त करना, द्वितीय, औद्योगिक कम्पनियों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना, तथा तृतीय, कुछ अन्य कार्य करना, जैसे औद्योगिक कम्पनियों के अद्यो और ऋणपत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होना तथा उनको विनियोग सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देना, इत्यादि।

इंग्लैण्ड तथा अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के काफी बैंक हैं। जर्मनी में मिश्रित बैंकिंग प्रणाली (mixed banking) है जिसके अन्तर्गत बैंक औद्योगिक ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त व्यापारिक वित्त-व्यवस्था का भी कार्य करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) तथा राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation), औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank) आदि की स्थापना देश में औद्योगिक बैंकों के अभाव को दूर करने के लिए की गयी है।

(3) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)—विदेशी मुद्रा में लेन-देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली सस्थाओं को विनिमय बैंक कहा जाता है। इस प्रकार के बैंकों को अपनी शाखाएँ अनेक देशों में स्थापित करनी पड़ती हैं। इन्हें काफी अधिक पूंजी तथा अपेक्षाकृत अधिक पुराल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। आजकल विनिमय बैंक साधारण व्यापारिक बैंकों के समान बैंकों के अन्य कार्य भी करते हैं। इसके विपरीत, व्यापारिक बैंक भी विनिमय बैंकों के कार्य करते हैं। इसलिए इनका कोई अलग वर्ग नहीं है। प्रायः ऐसे बैंकों को जो अन्य बैंकिंग कार्यों के साथ-साथ विदेशी विनिमय का लेन-देन करते हैं, ही विनिमय बैंक कहा जाता है। भारत में विदेशी विनिमय व्यवसाय करने वाले बैंक अधिकतर विदेशी बैंकों की शाखाएँ मात्र हैं। कुछ छोटे से भारतीय व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय का व्यवसाय करते हैं।

1 "Though these institutions have long been called commercial banks, the name is not accurately descriptive and may be misleading. We should prefer to call these institutions checking deposit banks or some other name that would highlight their uniqueness among private financial institutions."—Lester V. Chandler *The Economics of Money and Banking*, 4th Edition, pp. 74-75

(4) कृषि-बैंक (Agricultural Banks)—कृषि की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं से भिन्न प्रकार की होती हैं। कृषक को बीज, खाद, औजार आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण तथा भूमि के स्थायी मुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। परन्तु चूँकि कृषक ऋण-प्राप्ति के लिए उम प्रकार की जमानत नहीं दे पाता जिसे व्यापारिक तथा औद्योगिक बैंक चाहते हैं, अतएव उसके लिए अलग प्रकार के बैंकों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जापान, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में अनेक नामों से कृषि बैंकों की स्थापना की गयी है। भारत में सरकार तथा केन्द्रीय बैंक इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि देश में व्यापारिक बैंक कृषि-वित्त की व्यवस्था करें। कृषि-बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं—सहकारी बैंक तथा भूमि-वन्धन बैंक।

सहकारी बैंक (Co operative Banks)—इनका प्रारम्भ सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। भारत में इनका प्रारम्भ मन् 1904 के 'सहकारी साख समिति एक्ट' में हुआ और समय समय पर इनके संगठन में परिवर्तन होता रहा है। कृषक प्रारम्भिक समितियों (primary societies) के मदद से होते हैं, जो सदस्यों को शेषसं वचकर तथा जमा स्वीकार करके पूँजी इकट्ठा करती हैं। इनकी देखभाल तथा सहायता के लिए केन्द्रीय तथा राज्य समितियों का संगठन किया जाता है, जो प्रारम्भिक समितियों को ऋण प्रदान करती हैं। सहकारी बैंक सदस्यों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भारत में वर्तमान प्रवृत्ति साधन समितियाँ (service co-operatives) के संगठन की हैं जो साख के अतिरिक्त कृषि के विकास से सम्बन्धित अन्य कार्य भी करती हैं।

भूमि ऋणक बैंक (Land Mortgage Banks)—ये ऐसी सहकारी, अर्थात् सहकारी जयवागैर-सहकारी भस्पाएँ हैं जो भूमि को ऋणक रखकर भूमि के स्थायी मुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। इनकी स्थापना सर्वप्रथम 1882 में फ्रान्स में हुई, कालान्तर में इन्हें दूसरे देशों में भी स्थापित किया गया। अधिकांश देशों में ये बैंक मिश्रित पूँजी वाले बैंक होते हैं। ये अपनी अधिकांश कार्यशील पूँजी जमा, ऋणपत्रा तथा दीर्घकालीन निक्षेपा एव ऋणों द्वारा प्राप्त करते हैं। भारत में इनके प्रोसाहन के लिए एक कृषि-पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation) की भी स्थापना की गयी है।

(5) देशी बैंकर (Indigenous Banker)—आधुनिक बैंकों के विविध रूपों के अतिरिक्त भारत में देशी बैंकन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनको महाजन, माहूकार, मर्राफ आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भारतीय केन्द्रीय दीर्घकालीन बैंक समिति के अनुसार, 'देशी बैंकर अथवा बैंक वह व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत फर्म है जो जमा स्वीकार करने, कृषि तथा व्यवसाय करने अथवा ऋण देन का कार्य करती है। ये देश के हर भाग में पाये जाते हैं तथा कृषि एव व्यापार की अधिकतर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये अन्य बैंकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके निक्षेप नहीं अथवा बहुत ही कम होते हैं। ये अल्पकालीन एव दीर्घकालीन ऋणों तथा ऋण के उद्देश्यों में भेद नहीं करते, वैश्विक व साथ अन्य व्यापार अथवा व्यवसाय भी करते हैं तथा बहुत जंची ध्यान दे रखते हैं। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार इनको बैंक अथवा बैंकर नहीं माना गया है, और न ही इन पर अधिनियम की व्यवस्थाएँ लागू होती हैं, परन्तु वर्तमान भारतीय व्यवस्था में इनके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

(6) बचत बैंक (Savings Banks)—पाश्चात्य देशों में कम अथवा निश्चित आय वाले लोगों द्वारा बचत को प्रोसाहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किये जाते हैं, जो प्रायः व्यापारिक बैंकों के महापक बैंक रूप में कार्य करते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत खाता का सम्भालन करते हैं और प्रत्यक्ष में बचत बैंक स्थापित नहीं किये जाते।

उद्योग तथा भारत में उद्योग भी लोगों की बचत जमा के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उन पर व्याज देते हैं। जमाकर्ता सप्ताह में एक या दो गार रूपया निकलवा सकता है। इस प्रकार उद्योग बचत बैंक का कार्य करते हैं। प्रामाण्य धनो में जहाँ व्यापारिक बैंक नहीं हैं, पोस्ट ऑफिस मेसिज बैंक काफी महत्वपूर्ण हैं।

(7) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—प्रत्यक्ष देश में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो देश

की मुद्रा का निर्गमन करने के साथ-साथ मुद्रा तथा साख की मात्रा पर नियन्त्रण रखता है। यह सरकार का बैंक होता है और सरकारके सभी खातों का हिमायत-विताय रखता है तथा सरकार को ऋण देता है। यह बैंकों का बैंक भी होता है, क्योंकि आवश्यकता पडने पर वे इसमें ऋण लेते हैं तथा अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात इसके पास जमा रखते हैं। अन्य बैंक केन्द्रीय बैंक के आदेशों का पालन करते हैं और यह देश की समूची बैंकिंग प्रणाली पर अपना नियन्त्रण रखता है। केन्द्रीय बैंक सरकार को आर्थिक तथा मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है तथा देश की आर्थिक स्थिति में सम्बन्धित बाँझों को इकट्ठा करता है और प्रभावित करता है।

। व्यापारिक बैंकों की संगठन-प्रणालियाँ

संगठन के दृष्टिकोण से व्यापारिक बैंकों को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है—

(1) शाखा बैंकिंग (Branch Banking), तथा (2) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)।

1 शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंक के एक प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाएँ देश भर में फैली होती हैं और कभी-कभी कुछ शाखाएँ देश के बाहर भी होती हैं। इंग्लैण्ड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि देशों में इसी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। इंग्लैण्ड के 'महान् पंच' (Big Five) बैंकों—मिडलैंड, लांयड्स, वर्नेस, वेस्ट मिन्स्टर तथा नेशनल प्रावि-गियल—की शाखाएँ देश भर में फैली हुई हैं तथा इन्होंने इंग्लैण्ड की अधिकांश बैंकिंग समस्याओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। भारत में भी व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ देश भर में फैली हुई हैं। अमेरिका में शाखा बैंकिंग का आरम्भ 1909 में केलीफोर्निया में एक अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था और इसके पश्चात् इसकी उत्पत्ति हुई है।

शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण

(1) बड़े पैमाने के व्यवसाय तथा श्रम-विभाजन के लाभ—एक ही बैंक का विद्यालय संगठन होने के कारण उसके व्यापार की मात्रा अधिक होती है। अनेक शाखाएँ होने के कारण अधिक मात्रा में निक्षेप प्राप्त किये जा सकते हैं, तथा पूँजी का बड़े पैमाने पर लाभदायक विनियोग सम्भव होता है। कार्य का संचालन करने के लिए ये बैंक जितने वेतन पर योग्य विशेषज्ञ रख सकते हैं। समस्त कार्य का वैज्ञानिक पद्धति से विभाजन कर श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण का उपयोग सम्भव होता है जिसके फलस्वरूप कम लागत पर अधिक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है।

(2) नुकद-कोषों में बचत—शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं पर कम मात्रा में नकद कोष रखकर काम चलाया जा सकता है। आवश्यकता पडने पर एक शाखा से दूसरी शाखा को नकदी का हस्तान्तरण किया जा सकता है। जायाएँ न जाने पर बैंक के लिए बड़ी मात्रा में नकद कोष रखना आवश्यक होता है।

(3) रास्ता एवं सुगम मुद्रा का स्थानान्तरण—इस प्रणाली में कम व्यय पर सुविधापूर्वक मुद्रा का स्थानान्तरण (remittance) सम्भव होता है, क्योंकि अनेक स्थानों पर शाखाएँ होने के कारण एक शाखा में दूसरी शाखा को धन भेजने में न तो कोई असुविधा ही होती है और न अधिक खर्च होता है। केवल पत्र के द्वारा ही स्थानान्तरण हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांज की दर भी समान रही रहती है, क्योंकि एक स्थान पर बाजार अल्प हो न रहा अधिक धन आने लगता है और कम होने में पूर्ति कम हो जाती है।

(4) व्यावसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरण—बैंक की शाखाएँ देश भर में फैली होने के कारण जोखिम का भौगोलिक आधार पर वितरण हो जाता है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित अलग-अलग उद्योगों तथा व्यवसायों में बैंक विनियोग करना है तथा उसमें एक क्षेत्र अथवा व्यवसाय में होने वाली हानि की अनिपूर्ति दूसरे क्षेत्र तथा व्यवसाय में प्राप्त लाभ में हो जाती है। यही कारण है कि महान् मन्दी के काल में इंग्लैण्ड के बैंक अपने अर्थ प्रभावित नहीं हुए, जितना प्रभाव प्रमेरिका के बैंक पैसों पर पडा।

(5) बैंकिंग सेवाओं का विस्तार—शाखा बैंकिंग के द्वारा देश के उन सभी छोटे व बड़े नगरों को जहाँ एक स्वतन्त्र बैंक की स्थापना करना सम्भव नहीं होता है, बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

(6) साधनों का कुशल विनियोग—ऐसे बैंकों के पास पर्याप्त साधन तथा योग्य कर्मचारियों के कारण बैंक वेदव अच्छी प्रतिभूतियों में ही धन का विनियोग करते हैं। बैंक को विनियोग के लिए एक विस्तृत क्षेत्र मिलता है और पूँजी उन शाखाओं को भेज दी जाती है जहाँ विनियोग से अधिकारिक लाभ उठाया जा सकता है। इससे बैंकों के लाभ में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

(7) कर्मचारियों का प्रशिक्षण—बैंकिंग का विस्तृत क्षेत्र तथा विविध कार्य होने के कारण बैंक कर्मचारियों को सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय का अनुभव प्राप्त होता है। बैंक अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की विशेष व्यवस्था करते हैं।

(8) देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान—देश के सभी भागों से सम्पर्क होने के कारण इन बैंकों को देश के सभी क्षेत्रों की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती रहती है जिससे बैंक को पूँजी का विनियोग करने की सुविधा रहती है।

शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष

(1) प्रवन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण की कठिनाईयाँ—सभी शाखाओं का प्रवन्ध केन्द्रीय कार्यालय द्वारा होना है। विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा विशालकाम संगठन होने के कारण इस प्रणाली में बुद्धि प्रवन्धन, उपयुक्त निरीक्षण तथा नियन्त्रण के अभाव की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(2) एकाधिकार को प्रोत्साहन—पूँजी का अत्यधिक केन्द्रीकरण होने से आर्थिक सत्ता थोड़े-से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है जिससे एकाधिकार की प्रवृत्ति को अनावश्यक प्रश्रय मिलता है। इससे समाज को बहुत हानि होती है।

(3) व्ययपूर्ण प्रणाली—शाखा बैंकिंग प्रणाली काफी खर्चीली होती है क्योंकि प्रत्येक शाखा की स्थापना पर अलग अलग व्यय करना पड़ता है। शाखाओं की सरया अधिक होने पर सामन्वय, नियन्त्रण तथा निरीक्षण आदि पर भी काफी व्यय करना पड़ता है।

(4) छोटे व्यापारियों की उपेक्षा—छोटे-छोटे व्यापारियों का धन इकट्ठा करके बड़े व्यापारियों को दिया जाता है, क्योंकि एक तो इन बैंकों के संगठन में बड़े व्यापारियों का महत्वपूर्ण हाथ होता है और दूसरे बड़े व्यापारियों को ऋण देना अधिक सुरक्षित तथा लाभदायक समझा जाता है।

(5) प्रतियोगी विकास को प्रोत्साहन—प्रत्येक नगर तथा क्षेत्र में सभी प्रमुख बैंकों की अलग-अलग शाखाएँ होती हैं जिनके बीच प्रतियोगिता की सम्भावना रहती है। बैंकिंग सुविधाओं का अनावश्यक दोहरापन होता है तथा छोटे बैंकों में साथ हानिकारक प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होती है।

(6) दुर्बल शाखाएँ—शाखा बैंकिंग प्रणाली में दुर्बल तथा हानिप्रद शाखाएँ भी सुदृढ़ तथा लाभदायक शाखाओं के बल पर जीवित बनी रहती हैं। यह बैंकों के लिए बहुत अहितकर होता है, क्योंकि यदि बैंक की कुछ शाखाओं में हानि होती है तो उसका प्रभाव सारी शाखाओं पर पड़ता है।

(7) लोच एवं पहल की प्रेरणा का अभाव—शाखाओं की प्रधान कार्यालय के आदेशों का पालन करना होता है जिसके कारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं के मैनेजर स्वतन्त्र निर्णय नहीं ले पाते, फलस्वरूप कार्य में लोच का अभाव रहता है। चूँकि प्रत्येक कार्य प्रधान कार्यालय में पूछकर करना पड़ता है, इसलिए इसमें पहल की प्रेरणा का अभाव (lack of initiative) पाया जाता है।

(8) पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधा—देश के सभी क्षेत्रों में शाखाएँ होने के कारण छोटे तथा पिछड़े स्थानों से पूँजी एकत्रित होकर बड़े-बड़े औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्रों में पहुँच जाती है, क्योंकि बैंक पूँजी का विनियोग वहाँ करना अधिक लाभपूर्ण समझते हैं। इसमें पिछड़े

क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वे विकास के लिए स्वयं अपनी बचतों के प्रयोग से भी वंचित रह जाते हैं।

(9) विदेशों में कठिनाइयाँ—विदेशों में शाखाएँ स्थापित करने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि विदेशों में बैंकिंग कानून, व्यापारिक परिस्थितियाँ तथा मौद्रिक नीतियाँ अलग-अलग होती हैं। विदेशों में इन गाथाओं के राष्ट्रीयकरण का भय भी सदैव बना रहना है।

दूसरे प्रकार, शाखा बैंकिंग प्रणाली के अनेक गुण होते हुए भी एक सीमा के भीतर ही रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा का उल्लंघन करने में व्यापक हानियाँ होती हैं। शाखाओं का अन्धाधुन्ध विस्तार करने से बैंकिंग व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लगते हैं।

2 इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत एक बैंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि एक सीमित क्षेत्र में वे बैंक अपनी कुछ शाखाएँ भी स्थापित कर लेते हैं। वेष्ट के शब्दों में, "इकाई बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था एक पृथक निगम होती है जिसका पृथक पंजीकरण होता है, और जिसकी स्वयं ही अपनी पूंजी, संचालक मण्डल तथा स्वन्व्यधारी होते हैं।" इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में बहुत प्रचलित है जहाँ हजारों छोटे-छोटे बैंक हैं, जिनका बस एक ही कार्यालय होता है। जहाँ बैंक की तुलना में इकाई बैंकों की पूंजी तथा व्यवसाय काफी सीमित होते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली इस विचारधारा पर आधारित है कि एक बैंक का प्रारम्भ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रणाली में बैंक के कार्य का स्थानीय आर्थिक व सामाजिक संगठन के साथ एकीकरण होता है। प्रत्येक स्थानीय बैंक एक अलग संस्था के रूप में अपने क्षेत्र के व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा श्रमिकों से सम्बन्धित होता है।

चूँकि एक बैंक की अपनी शाखाएँ एक सीमित क्षेत्र के बाहर नहीं होती, इसलिए घन व स्थानान्तरण तथा अन्य कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों के बीच आपसी समन्वयता विद्यमान रहता है, जिसके अन्तर्गत एक बैंक दूसरे बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। य बैंक अपने नकद-कोष अन्य बड़े बैंकों में जमा करा देते हैं तथा उनके द्वारा देश के एक भाग में दूसरे भाग को धन का हस्तान्तरण करते हैं। इन बैंकों को 'संचार बैंक' (Correspondent Banks) कहा जाता है।

इकाई बैंकिंग के गुण

(1) प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण में सुविधा—बैंक का व्यवसाय छोटे पैमाने पर सीमित क्षेत्र में होने के कारण प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण की कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती।

(2) स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित—इस प्रणाली में स्थानीय बैंकिंग आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही बैंक के नियम बनाए जाते हैं। स्थानीय जनसंख्या से प्रत्यक्ष तथा व्यक्तिगत सम्पर्क एवं स्थानीय प्रबन्ध होने के कारण बैंक का संचालन तथा इसकी कार्यविधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है।

(3) अकुशल बैंकों की समाप्ति—इकाई बैंकिंग प्रणाली में केवल कुशल बैंक ही जीवित रह सकते हैं। शाखा प्रणाली में तो दुर्बल शाखाएँ कुशल शाखाओं के बल पर जीवित बनी रहती हैं, परन्तु इकाई प्रणाली में अकुशल बैंक समाप्त हो जाता है तो मुद्रा-बाजार के लिए हिनकर होता है।

(4) एकाधिकार के विनाश पर रोक—बैंक छोटे-छोटे एवं स्थानीय होने के कारण यह भय नहीं रहता कि अर्थ-व्यवस्था में कुछ बैंकों का एकाधिकार हो जायगा।

(5) कार्य-कुशलता में वृद्धि—प्रबन्ध स्थानीय होने के कारण बैंक के कार्यों में समन्वयता और निष्पत्ति निया जा सकता है, जिसमें विलम्ब नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था में नीवर-शाही (bureaucracy) तथा दोषमूत्रता (red tapism) का अभाव रहता है।

(6) व्यवसाय के पहलू की प्रेरणा—स्थानीय प्रबन्ध तथा स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी के कारण बैंकों में पहलू की प्रेरणा (initiative) रहती है। इससे बैंकिंग व्यवस्था में लोच का अंग उत्पन्न होता है।

(7) मुक्त उद्यम सिद्धान्त के अनुकूल—इकाई बैंकिंग प्रणाली मुक्त उद्यम (free enterprise) सिद्धान्त पर आधारित है।

इकाई बैंकिंग के दोष

(1) सीमित साधन—बैंको का छोटा आकार तथा सीमित क्षेत्र होने के कारण उनके साधन भी सीमित रहते हैं तथा बड़े-बड़े व्यापारियों तथा उद्योगों को आवश्यकताओं को वे बैंक पूरा नहीं कर पाते, जिससे आर्थिक विनाश में बाधा उत्पन्न होती है।

(2) धम-विभाजन तथा विनिष्ठीकरण का अभाव—व्यवसाय का पैमाना छोटा होने के कारण बैंक में प्रबन्ध-कुशलता, विनिष्ठीकरण तथा कार्यविधियों से सम्बन्धित सुधार करना कठिन होता है।

(3) जोखिम के भौगोलिक वितरण का अभाव—बैंक का कार्य-क्षेत्र स्थानीय होने के कारण जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं होना जिसके परिणामस्वरूप बैंक की स्थिरता कम होती है तथा स्थानीय मन्दी अथवा अन्य कठिनाइया उत्पन्न होने पर बैंको के विफल होने का भय बना रहता है।

(4) बैंकिंग कार्य में अधिक व्यय—बैंक की शाखाएँ न होने के कारण नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना कठिन तथा व्ययपूर्ण होता है। संचार बैंको की सहायता से भी नकदी का स्थानान्तरण अधिक व्ययपूर्ण होता है।

(5) व्याज-दर में असमानता—मुद्रा का स्थानान्तरण (remittance) कठिन तथा व्ययपूर्ण होने के कारण देश के सभी भागों में व्याज की दर में समानता नहीं पाई जाती है।

(6) बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में कठिनाई—इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत छोटे तथा पिछड़े हुए स्थानों में बैंक का विस्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल बड़े शहरों में ही स्वतन्त्र बैंक स्थापित किये जाते हैं।

(7) सरकारी नियन्त्रण में असुविधा—इकाई बैंकिंग प्रणाली में सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंको का नियन्त्रण तथा निरीक्षण असुविधाजनक होता है। प्रत्येक बैंक पर अलग-अलग नियमों की रचना बड़ा कठिन कार्य है।

केण्ट (Raymond P Kent) के अनुसार, "हमारी इकाई बैंकिंग व्यवस्था में वरदावर की अमफलताएँ ऐसे सहस्रा बैंकों को, जिनमें वृहत्ता के पास कार्य करने के लिए न पर्याप्त साधन हैं और न व्यावसायिक अवसर, बनाय रखने के औचित्य पर गम्भीर प्रश्न चिह्न हैं।"

इकाई बैंकिंग प्रणाली में सुधार

इकाई बैंकिंग के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं

(1) शृङ्खलाकारी तथा वर्गीय बैंकिंग का विकास—वर्तमान शताब्दी में अमेरिका में शृङ्खलाकारी बैंकिंग (Chain Banking) तथा वर्गीय बैंकिंग (Group Banking) प्रणालियों के विकास की ओर ध्यान दिया गया है। शृङ्खलाकारी बैंकिंग के अन्तर्गत दो अथवा अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति अथवा वर्ग का प्रभुत्व होता है। वर्गीय बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत दो अथवा अधिक बैंकों का प्रबन्धन एक प्रमण्डल अथवा ट्रस्ट द्वारा होता है। इन प्रणालियों में शाखा तथा इकाई बैंकिंग प्रणालियों के लाभ निश्चयमान होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बैंक अलग-अलग होने पर भी स्वामित्व की एकता के कारण इनमें गहरा सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। 1930 ई० की महान् मन्दी के पूर्व इन प्रणालियों का तेजी से विकास हो रहा था तथा इनके सदस्य बैंको की सहायता निरन्तर बढ़ रही थी। परन्तु मन्दी काल में अनेक शृङ्खला कम्पनियों तथा बैंकिंग गुणों के विफल होने के कारण बाद के वर्षों में इनका धीरे-धीरे पतन होता रहा है।

(2) सीमित क्षेत्र में शाखाओं का विस्तार—कुछ बैंको को सीमित क्षेत्र के भीतर शाखाएँ खोलने का अधिकार दिया गया है। मन् 1960 में शाखाओं वाले बैंको की संख्या 2,164 थी तथा इनकी कुल शाखाएँ 7,259 थी जबकि 1950 में 751 बैंक ही शाखाओं वाले थे तथा उनकी शाखाओं की कुल संख्या 3,522 थी।

(3) कॉरिसपोण्डेंट बैंकों की स्थापना—ये बैंक बड़े नगरों में होते हैं और इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के तथा छोटे बैंक अपने खाते खोलते हैं और नकद-कोष जमा कराते हैं। इन सामान्य (common) बैंकों के द्वारा बैंकों के बीच रकम का लेन-देन आसान हो जाता है। ये बड़े बैंक छोटे बैंकों के फालतू धन को उपयोगी कार्यों में लगाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण देकर उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। वे छोटे बैंकों को व्यावसायिक मामलों पर परामर्श भी देते हैं।

उपरोक्त मुद्धारों के परिणामस्वरूप इकाई प्रणाली वाले बैंकों को भी शाखा प्रणाली के कुछ गुण प्राप्त हो जाते हैं।

शाखा बैंकिंग श्रेष्ठ है अथवा इकाई बैंकिंग ?

दोनों प्रणालियों के गुणों तथा दोषों का विवेचन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी, इसलिए किसी एक प्रणाली के पक्ष में निर्णय देना कठिन है। प्रॉ. टामम ने शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग प्रणालियों की तुलना करते हुए लिखा है, "यद्यपि दोनों प्रणालियाँ अपूर्ण हैं परन्तु दोनों की कार्य-पद्धति को देखने से यह ज्ञात होता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है।" अमेरिका की अपनी वित्त परिस्थितियों में प्रत्येक भाग में पर्याप्त पूँजी तथा अन्य साधन उपलब्ध होने के कारण इकाई बैंकिंग ठीक हो सकती है, परन्तु वहाँ भी सभी मुद्राशास्त्री इकाई बैंकिंग की उपयुक्तता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तथा इस प्रणाली के स्थान पर धीरे-धीरे शाखा बैंकिंग को अपनाया जा रहा है। सन् 1930 की महान् मन्दी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सफ्टकालीन स्थिति का सामना करने के लिए इकाई बैंकिंग की अपेक्षा शाखा बैंकिंग ही अधिक उपयुक्त है।

भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में जहाँ पूँजी की कमी है, जनता की आय कम है, बैंकिंग प्रणाली का विशेष विकास नहीं हुआ तथा देश में अधिकतर पिछड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्र हैं, शाखा बैंकिंग प्रणाली विशेष रूप से लाभदायक है। परन्तु शाखा प्रणाली के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक शाखा अपनी नीति तथा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करे जिससे व्यवसाय की उन्नति हो तथा बैंकिंग व्यवस्था में लोच उत्पन्न हो सके।

भारत में प्रारम्भ में ही शाखा बैंकिंग को अपनाया है और ऐसा करने के कुछ कारण भी रहे हैं। आधुनिक प्रकार के बैंकों की सत्या नग होने के कारण देश के विभिन्न भागों में बैंकिंग की सुविधाएँ बढान का एकमात्र उपाय शाखाओं को स्थापित करना था। साधनों की कमी के कारण प्रत्येक शहर में अलग में स्वतन्त्र बैंक नहीं बनाये जा सकते थे। देश की विशालता एवं पिछड़ेपन को देखते हुए यह प्रणाली देश के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है, तथा भारत में बैंकों की शाखाएँ तेजी से बढ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएँ स्थापित कर रहा है।

श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएँ

आधुनिक युग में किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था का होना आवश्यक है। हम पहले देख चुके हैं कि आर्थिक विकास के लिए बैंकों से अनेक प्रकार की सहायता मिलती है। बचत को प्रोत्साहित कर तथा निष्क्रिय बचतों को एकत्र कर बैंक पूँजी-निर्माण की मात्रा को बढाते हैं। पूँजी के अभाव में बैंक साक्ष के निर्माण द्वारा औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अतएव एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली का होना अनिवार्य आवश्यक है। एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

- 1 एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के लिए देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होना आवश्यक है। कुछ देश विकसित हैं तो कुछ अर्द्ध-विकसित, कुछ उद्योग-प्रधान हैं तो कुछ कृषि-प्रधान और कुछ के लिए विदेशी व्यापार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होती है तो आर्थिक विकास में यह अधिक सहयोग दे सकती है।

- 2 देश के सभी बगीं द्वारा बचत को प्रोत्साहन देना तथा एकत्र करना अच्छी बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा देकर जब छोटी छोटी निष्प्रिय बचतें एकत्र करके विनियोग के लिए दी जाती हैं तो ये सश्रिय पूंजी बन जाती है जिससे औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास में सहायता मिलती है।
- 3 साख के विस्तार में पर्याप्त लोच होते हुए भी उसकी मात्रा पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है। मुद्रा के समान साख भी व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा बरदान है, परन्तु नियन्त्रण के बाहर होने पर यह आर्थिक सकट का एक बहुत बड़ा कारण भी बन जाती है। साख का विस्तार अर्थ-व्यवस्था की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए ताकि विकास के साथ-साथ स्थिरता को भी बनाये रखा जा सके।
- 4 बैंकिंग प्रणाली समन्वित होनी चाहिए। विभिन्न बैंकों में न तो वही अनावश्यक प्रतियोगिता हो और न कहीं बैंकिंग सुविधाओं का नितान्त अभाव हो। बैंकिंग व्यवस्था में उचित समन्वय होना आवश्यक होता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 बैंक की परिभाषा कीजिए तथा उसके कार्यों को व्याख्या कीजिए।
[संकेत—प्रथम भाग में बैंक की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए तथा यह बताइए कि बैंक मुद्रा एवं नाश का व्यवसाय करने वाली संस्था है। दूसरे भाग में बैंक के विभिन्न कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
- 2 'बैंक जमा प्राप्त करने तथा उसे लौटाने वाली संस्था है', इस कथन को व्याख्या कीजिए।
[संकेत—बैंक के कार्यों पर आश्रित बैंक की परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि बैंक नाश तथा मुद्रा का व्यवसाय करने वाली संस्था है। बैंक के विभिन्न कार्यों का उल्लेख कीजिए।]
- 3 'बैंक आधुनिक व्यापार तथा उद्योग की आधारशिला है', व्याख्या कीजिए।
[संकेत—बैंकों के महत्व का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए।]
- 4 'बैंक केवल मुद्रा-व्यापारी ही नहीं, वे एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा उत्पादक भी हैं। (मेक्स) आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
[संकेत—मेक्स का उद्धरण की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिए कि बैंकों का कार्य केवल मुद्रा का लेन-देन ही नहीं, बल्कि वे नाश का निमाण भी करते हैं। यह भी बताइए कि बैंक नाश का निमाण किस प्रकार करते हैं। इनकी व्याख्या अर्थात् 10 में का गई है।]
- 5 बैंकों के विभिन्न प्रकारों तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।
[संकेत—विभिन्न प्रकार के बैंकों की व्याख्या करते हुए उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए।]
- 6 इकाई एवं शाखा बैंकिंग प्रणालियों के सार्वभौमिक गुण दोषों का विवेचन कीजिए।
[संकेत—शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग के अर्थ समझाइए तथा दोनों के गुण दोषों का अलग-अलग व्याख्या कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि दोनों में तुलनात्मक रूप में शाखा प्रणाली ही श्रेष्ठ है।]
- 7 शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? भारत के लिए इनमें से कौनसी प्रणाली अधिक उपयुक्त है?
[संकेत—शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग के अर्थों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए तथा सार्वभौमिक गुण-दोषों के आधार पर यह बताइए कि भारत के लिए शाखा प्रणाली ही अधिक उपयुक्त है। इन सम्बन्ध में भारत को विशेष परिस्थितियों का मॉडल विवरण दीजिए।]

बैंक की कार्य-प्रणाली तथा स्थिति-विवरण

[BANKING OPERATIONS AND BALANCE SHEET]

"साहस व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी, न कि भौत्वा, आधुनिक बैंकिंग का सार है।"¹
—बैंगहॉट

बैंक का प्रमुख कार्य सात तथा मुद्रा का लेन-देन है। बैंक की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए आवश्यक है कि हम यह देखें कि बैंक किस प्रकार पूंजी की व्यवस्था करते हैं, और किस प्रकार उसका बैंकों द्वारा लाभकारी विनियोग किया जाता है।

बैंक की पूंजी के साधन

बैंक द्वारा पूंजी प्राप्त करने के सामान्यतः निम्नलिखित साधन हैं

(1) अंश पूंजी (Share Capital)—आधुनिक बैंकों का संगठन प्रायः समुक्त पूंजी कम्पनियों (Joint Stock Companies) के रूप में किया जाता है, इसलिए ये अन्य कम्पनियों के सयान अंश (shares) बेचकर पूंजी प्राप्त करते हैं। बैंक का सञ्चालक मण्डल यह निश्चित करता है कि बैंक की अधिकृत पूंजी (authorised capital) कितनी होगी। अधिकृत पूंजी का कुछ भाग निश्चित मूल्य के अंश बाजार में बेचकर प्राप्त किया जाता है। जितनी रकम के अंश बाजार में बेचने का निर्णय किया जाता है उन्हीं बैंक की जारी पूंजी (issued capital) कहते हैं, तथा इसमें से जो भाग जनता वास्तव में खरीदती है वह स्वीकृत पूंजी (subscribed capital) कहलाता है। स्वीकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता वास्तव में चुकाती है, प्रदत्त पूंजी (paid-up capital) कहलाता है। स्वीकृत अंशों की पूरी रकम की माँग तत्काल करने से स्वीकृत तथा प्रदत्त पूंजी में अन्तर समाप्त हो जाता है। बैंक की वास्तविक पूंजी उसकी चुकता अथवा प्रदत्त पूंजी ही होती है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 1949 के अनुसार बैंक की स्वीकृत पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी के आधे से कम नहीं होनी चाहिए और, इसी प्रकार, प्रदत्त पूंजी स्वीकृत पूंजी के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) निक्षेप अथवा जमा धन (Deposits)—बैंकों द्वारा पूंजी प्राप्त करने का दूसरा साधन जनता से निक्षेप प्राप्त करना है। सभी बैंक विभिन्न प्रकार के खातों में अलग-अलग नियमों के अन्तर्गत लोगों की रकम जमा करते हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, सभी बैंक स्थायी जमा खाते, घटत खाते तथा चालू खाते खोलने की व्यवस्था करते हैं। अच्छे बैंकों के पास निक्षेपों के रूप में पर्याप्त पूंजी एकत्र हो जाती है।

(3) ऋण (Loans)—बैंकें तो जनता से प्राप्त निक्षेप ही बैंक के ऋण होते हैं, क्योंकि उनकी अदायगी का दायित्व बैंक पर होता है, परन्तु असाधारण परिस्थितियों में बैंक अन्य बैंकों, केन्द्रीय बैंक, सरकार या वित्तीय संस्थाओं में भी ऋण लेते हैं। इस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता प्रायः तब होती है जब निक्षेपकारी इतनी अधिक नकदी

¹ "Adventure is the life of Commerce, but caution, if not timidity, is essence of modern banking"—Bagehot

की मांग करने लगते हैं कि बैंक उसे अपने साधनों में पूरा नहीं कर पाता। ऐसे ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा मौसमी मांग में वृद्धि में उत्पन्न स्थिति सामान्य होने पर नौटा दिये जाते हैं।

(4) साख का निर्माण (Credit Creation)—बैंको द्वारा साख-निर्माण की विधि का विस्तृत विवरण पहले दिया जा चुका है। साख को पूँजी कहना तो ठीक नहीं होगा परन्तु इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि बैंक साख के निर्माण द्वारा पूँजी की अधिक पूर्ति करवाने में सफल होते हैं। आधुनिक युग में साख-निर्माण द्वारा पूँजी प्राप्त करना बैंको का मुख्य कार्य है।

(5) सुरक्षित कोष (Reserves)—बैंक अपने सम्पूर्ण लाभ को अञ्चारियों में नहीं बाँट देते। प्रत्येक बैंक अपने वाणिज्य लाभ का एक भाग सुरक्षित कोष के रूप में रखता है, जिससे उसके पास कुछ वर्षों में एक बड़ी रकम जमा हो जाती है। भारत में 1949 के बैंकिंग अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का कम से कम 20% सुरक्षित कोष में जताना पड़ता है।¹

बैंको द्वारा धन का विनियोग

विभिन्न साधनों से प्राप्त पूँजी बैंक के पास बेकार नहीं पड़ी रहती, बल्कि उसके विनियोग (banking investments) द्वारा बैंक लाभ कमाता है। बैंक द्वारा किये गये कुछ विनियोग अताभ्रद भी होते हैं, परन्तु बैंक की स्थापना का प्रधान उद्देश्य तो पूँजी के विनियोग द्वारा लाभ कमाना ही होता है। विभिन्न देशों में आर्थिक परिस्थितियाँ तथा बाजार की दशाएँ अलग-अलग होने के कारण वहाँ बैंको के विनियोग की नीतियाँ भी अलग-अलग होती हैं। बैंको की विनियोग-नीति क्या हो, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बताये जा सकते। फिर भी बैंक को विनियोग नीति निश्चित करते समय बड़ी सावधानी में काम लेना चाहिए। बैंकहाँट ने ठीक ही कहा है, "साहस व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी, न कि भीरुता, आधुनिक बैंकिंग का मार है।"

विनियोग-नीति के सिद्धान्त

सामान्यतः निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर पूँजी का विनियोग करने से बैंक सुरक्षित रूप से लाभ कमाने में समर्थ हो सकते हैं।

(1) सुरक्षा (Safety of Fund)—विनियोग करते समय बैंक का उद्देश्य 'सुरक्षा सर्व-प्रथम' (safety first) होना चाहिए, क्योंकि विनियोग के सुरक्षित न रहने पर स्वयं बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। विनियोग की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

- 1 बैंक को अपना मारा धन किसी एक ही व्यक्ति अथवा व्यवसाय को ऋण के रूप में नहीं दे देना चाहिए (A bank should not lay all its eggs in one basket)। ऐसा कराने से बैंक अपने अस्तित्व के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यवसाय विशेष पर ही आश्रित हो जाता है और उसके विफल होने पर बैंक जीवित नहीं रह सकता। इसी-लिए कुछ देशों में एक ही व्यक्ति अथवा फर्म को दी जाने वाली अधिकतम ऋण की मात्रा निश्चित कर दी जाती है।
- 2 बैंक को यथामुम्भव दीर्घकालीन ऋण नहीं देने चाहिए।
- 3 ऋणी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जमानत (security) की भली-भाँति जाँच कर लेनी चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि जमानत का बाजार-मूल्य ऋण के मूल्य से अधिक है अथवा नहीं।
- 4 ऋणी के व्यक्तिगत आचरण तथा चरित्र के विषय में सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- 5 बैंको को चाहिए कि वे सस्ती साख-नीति (cheap credit policy) न अपनायें ताकि ऋणियों में अपेक्षित की शक्ति उत्पन्न न होने पाये।

1 1962 के पढ़ाने बैंको द्वारा अपने लाभ का 20% भाग सुरक्षित कोष में धारणा उस समय तक आवश्यक था जब तक कि वह परिदत्त पूँजी (paid-up capital) के बराबर न हो जाय, परन्तु अब इस नियम में मर्यादा खारिज कर दिया गया है। सुरक्षित कोष में चाहे किन्तों ही रकम हो, भाग का 20% वाणिज्य रखना आवश्यक है।

(2) तरलता (Liquidity)—तरलता से अभिप्राय जमा के वक्षे नकद मुद्रा देने की क्षमता में है। बैंक का अस्तित्व जनता के विश्वास पर निर्भर करता है और जनता का विश्वास इन बात पर आधारित रहता है कि बैंक में जमा की नकद मुद्रा में परिवर्तन करने की क्षमता मदा होगी। तरलता की दृष्टि से निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं

- 1 बैंक का सर्वाधिक तरल साधन नकद जमा (cash reserves) है। परन्तु नकद जमा एक निष्प्रय साधन होने के कारण कोई भी बैंक इसे निश्चित मात्रा से अधिक अपने पास नहीं रख सकता। साधारणतः अपनी कुल जमाओं का 20 से 25 प्रतिशत तक बैंक को अपने पास नकदी रखना चाहिए।
- 2 बैंक को चाहिए कि उन साधनों में विनियोग करे जिनमें बिना क्षति के विनिमय-साध्यता (shiftability without loss) का गुण हो। बैंक के अभिवाचित एवं अल्पकालीन ऋण (loans at call and short notice) तथा अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों एवं उच्च कोटि के गैर-सरकारी पत्रों (commercial papers) जैसे, अगव ऋणपत्रों आदि में यह गुण पाया जाता है। इन्हें मुद्रा बाजार में बेचकर बैंक नकदी प्राप्त कर सकता है। बैंक के दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम धन (loans and advances) तथा विनियोग में तरलता के गुण का अभाव होता है।
- 3 बैंक का केवल उन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों (treasury bills) तथा उच्च कोटि के व्यापारिक पत्रों में विनियोग करना चाहिए जो मुद्द आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं ताकि सवट की स्थिति में बैंक द्वारा केन्द्रीय बैंक की अन्तिम सहायक के रूप में सहायता प्राप्त की जा सके।

स्टीड (Stead) के अनुसार 'बैंक को केवल आयसील गुंजी की पूर्ति के लिए ही ऋण देना चाहिए, न कि अचल या स्थायी पूंजी बनाने के लिए।'

(3) लाभदायकता (Profitability)—बैंक बैंक का उद्देश्य अपने विनियोग द्वारा लाभ कमाना होता है इसलिए बैंक को अपने धन का इस प्रकार विनियोग करना चाहिए कि उसमें नियमित रूप में पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होता रहे। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि लाभ तरलता तथा लाभदायकता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नकद जमा पूणत तरल साधन है, परन्तु इससे कोई आय नहीं होती। दूसरी ओर दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम अधिक लाभदायक होते हैं, परन्तु तरल नहीं होते। मफल व्यवसाय के लिए बैंक को तरलता एवं लाभदायकता के दोनों तत्वों पर समान ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि अधिक लाभ के लालच में बैंक विनियोग की सुरक्षा के सिद्धान्त की उपेक्षा न करे। यह सब देखते हुए बैंक को सट्टे व कार्य में कभी धन नहीं लगाना चाहिए, केवल अच्छी प्रतिभूतियों में विनियोग करना चाहिए, अधिक आय परन्तु अमुरक्षित प्रकृति वाले उद्योगों में धन नहीं लगाना चाहिए। ऋण लेकर तभी विनियोग करना चाहिए जब व्याज की दरों में पर्याप्त अन्तर हो।

(4) जोखिम की विविधता (Diversification of Risks)—बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके अधिकांश धन का विनियोग एक ही प्रकार के ऋणा व्यवसायों तथा प्रतिभूतियों में न हो। बैंक को अपना धन विविध प्रकार के ऋणा तथा व्यवसायों आदि में लगाना चाहिए ताकि एक ओर की हानि को दूसरी ओर के लाभ से पूरा किया जा सके। अपने अतिरिक्त जैसा पहले कहा गया है, समस्त ऋण एक ही व्यक्ति अथवा फर्म को देने के बजाय अनेक व्यक्तियों तथा फर्मों को छोटे छोटे ऋण देना अधिक अच्छा होता है।

(5) प्रतिभूतियों की बिक्री-साध्यता (Marketability of Securities)—सुरक्षा तथा तरलता की दृष्टि से ऐसी प्रतिभूतियाँ में विनियोग करना अच्छा होता है जिन्हें आवश्यकता पडने पर आसानी से बाजार में बेचा जा सके। सरकारी तथा उत्तम श्रेणी की व्यावसायिक प्रतिभूतियाँ, अच्छी सम्पत्तियों के अगव तथा ऋणपत्रों, विनिमय-साध्य साख पत्रों तथा तैमर मात्र की जमानत पर ऋण देने में बैंक द्वारा विनियोग करना अच्छा होता है। इनमें विपरीत, अचल सम्पत्ति के आधार पर दिया गया ऋण अच्छा नहीं माना जा सकता।

(6) अन्य सिद्धान्त—बैंको को विनियोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि (i) यथासम्भव विनियोग ऐसी प्रतिभूतियों अथवा वस्तुओं में किया जाय जिनकी कीमती में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है, (ii) यथासम्भव ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोग को प्राथमिकता दी जाय जो आय-कर से मुक्त हो, अथवा जिन पर कर कम लगता हो, तथा (iii) बैंको को अपनी विनियोजन नीति सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर तय करनी चाहिए।

बैंक के विनियोगों के प्रकार (Types of Bank's Investments)

बैंक के विनियोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है (क) अलाभकर विनियोग, तथा (ख) लाभकर विनियोग। बैंक को इन दोनों प्रकार के विनियोगों में धन लगाना पड़ता है। बैंक के सफल संचालन के लिए इन दोनों विनियोगों में उचित समुतन बनाये रखना आवश्यक होता है।

(क) अलाभकर विनियोग (Profitless Investments)—अलाभकर विनियोग में बैंक को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती, परन्तु सुरक्षा तथा तरतता की दृष्टि से इन प्रकार के विनियोग काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अलाभकर विनियोग दो प्रकार के होते हैं (1) नकद-कोष (Cash Reserves), तथा (2) मृत स्वत्व (Dead Stock)।

1 नकद-कोष (Cash Reserves)—ऐसा कहा जाता है कि नकद-कोष बैंकों के लिए सुरक्षा की प्रथम पंक्ति (first line of defence) है। नकद-कोष प्रत्येक बैंक का तरलतम आदेय (liquid asset) होता है। बैंकों के पास यथेष्ट नकद-कोष न होने पर सम्भव है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा न कर सके जिससे बैंक के प्रति ग्राहकों का अविश्वास उत्पन्न हो जाय और बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाय। 1930 की मन्दी में विफल होने वाले अनेक बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी, परन्तु वे ग्राहकों को नकद रकम मुगतान न कर सकने के कारण बन्द हो गये।

नकद-कोषों की मात्रा का निर्धारण—बैंक को कितना नकद-कोष रखना चाहिए, इसके लिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। देश, काल तथा बैंक की स्थिति अलग-अलग होने पर विभिन्न बैंकों की नकद कोष की आवश्यकता में भी अन्तर होता है। आवश्यकता से कम नकद-कोष रखन पर ग्राहकों को मुगतान करने में कठिनाई हो सकती है और आवश्यकता से अधिक नकद-कोष रखन पर बैंक के लाभकर विनियोग की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए कोष की मात्रा के निर्धारण में बहुत सावधानी में काम लेना पड़ता है। नीचे बनावे तत्वों के आधार पर बैंक नकद कोष की मात्रा का निर्धारण कर सकता है।

(1) वैधानिक आवश्यकता—अधिकांश देशों में सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक वैधानिक रूप में बैंकों के नकद-कोषों की न्यूनतम मात्रा निश्चित कर देने हैं। इसका उद्देश्य एक तो बैंकों के साधनों में तरलता बनाय रखना होता है और दूसरे, बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति को भी नियन्त्रित किया जाता है। विधान के अनुसार, बैंक नकद-कोष अपने पास रखते हैं अथवा उनका कुछ भाग केन्द्रीय बैंक के पास रखते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) को अपने मांग दायित्वा (demand liability) तथा काल दायित्वा (time liability) का 3% रिजर्व बैंक के पास नकद अर्थात् कराना पड़ता है जिसे विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा 15% तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि अपने कुल दायित्वा का 25% बैंक अपने कोषों में तरल आदेयों (liquid assets)—सिक्के, बहुमूल्य धातु प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ अथवा नकदी इत्यादि—के रूप में रखें। इस प्रकार भारतीय बैंकों को अपने दायित्वा का कुल 28% भाग नकदी तथा तरल आदेयों के रूप में रखना पड़ता है।

(2) परम्परा—प्रत्येक देश में बड़े-बड़े बैंक अपन अनुभव के आधार पर नकद-कोष रखने से सम्बन्धित परम्पराले निश्चित करते हैं जिनका अनुसरण अन्य बैंक भी करते हैं। प्रायः अलग-अलग परिस्थितियों के कारण विभिन्न देशों में बैंकों के नकद-कोष रखने की परम्परा भी अलग-अलग होनी है।

(3) विनियोगों की प्रकृति—यदि बैंक के अधिकांश विनियोग तरल आदेया, जैसे विनिमय विधियों, अल्पकालीन ऋणों, विनिमयशील प्रतिभूतियों आदि में हैं, तो वे कम मात्रा में नकद कोप रख कर भी काम चला सकते हैं। इसके विपरीत होने पर उन्हें अधिक मात्रा में नकद कोप रखने पड़ते हैं।

(4) निक्षेपों का आकार—बैंक में ग्राहकों की बड़ी बड़ी रकमें जमा होने पर बैंक को अधिक मात्रा में नकद-कोप रखने की आवश्यकता होगी ताकि बड़ी से बड़ी माँग (withdrawal) को पूरा किया जा सके। जब निक्षेपों का आकार छोटा होता है और जमाकर्ताओं की संख्या अधिक होती है तो थोड़ी मात्रा में नकद कोप रखने में ही काम चल जाता है। कभी कभी बैंक बड़ी माँग के जोखिम से बचने के लिए यह नियम बना देते हैं कि एक निश्चित राशि से अधिक की माँग होने पर एक निश्चित अवधि का पहले में नोटिस दिया जाय।

(5) निक्षेपों का स्वरूप—यदि किसी बैंक के अधिकतर निक्षेप नामूल खातों में हैं तो बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोप रखने पड़ते हैं। इसके विपरीत, निश्चितकालीन अथवा बचत खातों में निक्षेपों की मात्रा अधिक होने पर भी थोड़े नकद कोपों से काम चल सकता है।

(6) ग्राहकों की प्रकृति—जिन बैंक में सट्टेवाजों तथा बड़े व्यापारियों के खाते अधिक होते हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में नकद कोप रखने होते हैं, क्योंकि उसके ग्राहकों को धन की माँग बराबर बनी रहती है। यदि बैंक के अधिकांश ग्राहक मध्यवर्गीय नोकरीपेजा लोग हैं तो बैंक को अधिक मात्रा में नकद-कोप नहीं रखने पड़ते, क्योंकि वे लोग प्रायः अधिक रकम नहीं निकालते। व्यापारियों की अपेक्षा कृषकों की नकदी की माँग कम होती है। कृषि की माँग प्रायः मौसमी होती है जबकि व्यापार की माँग सदैव बनी रहती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंकों को अपने पास कम नकद कोप रखने पड़ते हैं।

(7) बैंकिंग विकास तथा बैंक का प्रयोग—यदि देश में बैंकिंग का पर्याप्त विकास हुआ चुका है तथा लोगों में बैंकों द्वारा भुगतान करने की आदत है तो बैंकों को अधिक नकदी रखने की आवश्यकता नहीं होती। बैंकों के विकास के जभाव में समाज में नकद लेन देन की आदत अधिक होने पर बैंकों को अधिक नकद-कोप रखने पड़ते हैं।

(8) समाशोधन गृहों का विकास—जिन स्थानों पर समाशोधन गृह (clearing houses) की सुविधा उपलब्ध होगी, बैंकों का तन्त्राल समाशोधन होने के कारण जनता को बैंकों का प्रयोग करने में प्रोत्साहन मिलेगा। बैंक बैंकों का नकद भुगतान न करके अधिकांश भुगतान केवल खातों में प्रविष्टियों द्वारा ही कर लेंगे। इस प्रकार कम नकद-कोप रखने पड़ेंगे।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताओं के अनुसार अपने पास नकद काप रखते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बहुत कुछ जनता के प्रति विश्वास की मात्रा पर निर्भर करता है। जनता का बैंक में विश्वास बन रहने पर बैंक के सामने साधारणतया कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती, परन्तु जनता का विश्वास न रहने पर बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

2. मृत-स्कन्ध (Dead Stock)—बैंक को प्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक लाभ न होने पर भी अपना व्यवसाय चलाने के लिए भवना का निर्माण करना पड़ता है, कार्यालयों के लिए फर्निचर तथा पैसे जादि की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा मुरम्मा के लिए मजबूत अलमारियाँ, तिजोरियाँ और लॉकर आदि रखने पड़ते हैं। चूंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आमामों में बेचना नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें 'मृत-स्कन्ध' कहते हैं।

अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए प्रायः बैंक अपने कार्यालयों के लिए विंगल एवं मुन्दर भवन बनवाते हैं। इस सम्बन्ध में बैंक को यह देखना चाहिए कि कार्यालयों के लिए भवन किराये पर लेना उस्ता होगा अपना निर्माण कराना। डा० राव के शब्दों में, "बैंक के लिए ईट तथा चूने में पूंजी लगाने के स्थान पर उसे मुद नकद के रूप में रखना अधिक श्रेष्ठ है।" (It is always preferable for a bank to have solid cash in hand than to invest it in bricks and mortar.)

(ख) लाभकर विनियोग (Profitable Investment)—बैंकों द्वारा लाभकर विनियोग अनेक मदा में किये जाते हैं, जैसे याचना-राशि, बिलों की कटौती, सरकारी प्रतिभूतियों तथा विनियोग-पत्रों में विनियोजन, ऋण तथा अग्रिम, इत्यादि। इनका वर्णन नीचे किया गया है।

1 याचना-राशि अथवा अल्प-सूचनायं ऋण (Money at Call or Short Notice)—बैंक द्वारा दिये गये ये ऐसे ऋण होते हैं जिन्हें बैंक बिना किसी पूर्व-सूचना के अथवा अल्प सूचना देकर वापस ले सकता है। इस प्रकार के ऋणों पर बैंक को बहुत कम व्याज प्राप्त होती है परन्तु अति अल्पकालीन होने के कारण ये बैंक के अत्यधिक तरल विनियोग होते हैं। ये ऋण प्रायः स्टॉक-एक्सचेंज के व्यापारी, आडली, बिलों के दलाल तथा डिम्प्राउण्ट-ग्रूह आदि उचित धरोहर के आधार पर लेते हैं तथा शर्त के अनुसार इनके न लौटने पर बैंक धरोहर का विनिमय करने का अधिकारी होता है। भारत में अधिकांश अल्प-सूचनायं ऋण प्रायः एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दिये जाते हैं, इसलिए धरोहर रखन की आवश्यकता नहीं होती।

इस प्रकार के ऋणों में विनियोग करने से बैंक अपने साधनों में तरलता बनाये रखता है तथा साथ में ध्यान भी बना लेता है। इस प्रकार एक साथ दो लाभ प्राप्त हो जाते हैं।¹ यदि नकद-कोष को बैंक की रक्षा की प्रथम पक्ति कहा जाय, तो याचना राशि को 'रक्षा की द्वितीय पक्ति' (second line of defence) कहा जा सकता है। कुछ लोगों के अनुसार इन ऋणों द्वारा सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु भारत में इस प्रकार का भय नहीं क्योंकि सट्टे वालों को याचना-राशि दी ही नहीं जाती।

2 बिलों की कटौती करना (Discounting of Bills)—व्यापारिक बिलों की कटौती करने में बैंक अपने धन का विनियोग करते हैं। इस प्रकार का विनियोग अल्प-कालीन होने के साथ अच्छी आय देने वाला, सुरक्षित तथा तरल होता है, इसलिए इसे बैंक को 'तृतीय रक्षा पक्ति' (third line of defence) भी कहा जाता है। बिलों की कटौती के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण देने से बिलों के प्रयोग की प्रोत्साहन मिलता है तथा बैंक को आय प्राप्त होती है। बिल की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि बैंक को रकम की आवश्यकता पड़ जाय तो बिल बाजार में किसी जयवा केन्द्रीय बैंक से बिल की पुनर्कटौती (rediscounting) द्वारा बैंक अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

बिल अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों के विचार में व्यापारिक बिलों की अपेक्षा कोषागार-विपत्र (Treasury Bills) में विनियोग अधिक सुरक्षित तथा विनियोज्य होता है। किन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यापारिक बिलों की कटौती से बैंक को अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त होती है, तथा इस दृष्टिकोण से अल्पकालीन व्यापारिक बिलों में विनियोग उत्तम होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल प्रथम श्रेणी के उत्तम व्यापारिक बिलों की ही कटौती की जाय ताकि इनकी केन्द्रीय बैंक से पुनर्कटौती सम्भव हो सके।

3 कोषागार-विपत्र तथा प्रतिभूतियाँ (Treasury Bills and Securities)—बैंक अपने साधनों का एक भाग कोषागार-विपत्रों अथवा ट्रेजरी बिलों में विनियोग करते हैं क्योंकि इनसे सरकार को सहायता मिलती है तथा बैंकों को भी आय प्राप्त होती है। ये बिल प्रायः अल्पकालीन होते हैं तथा इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है, इसलिए इनमें किये गये विनियोग में तरलता का गुण होता है।

लाभ-प्राप्ति के उद्देश्य में बैंक अपने धन का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (securities) खरीदने में भी लगाते हैं। भारत में प्रायः तीन प्रकार की प्रतिभूतियाँ पायी जाती हैं (1) सरकारी प्रतिभूतियाँ जिनमें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इन प्रतिभूतियों को सर्वोत्तम

1 In the case of call money, the banker seems to accomplish the impossible feat of having the cake and eating it too.—Dr Rao.

मयमा जाता है। (2) अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ जिनमें नगर महापालिकाओं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा अन्य स्थानीय निवायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ अथवा ऋणपत्र तथा वित्त-निगमों, बिजुल मण्डलों एवं भूमि-व्यवहक बैंकों द्वारा निर्गमित ऋणपत्र सम्मिलित होते हैं। (3) निजी प्रतिभूतियाँ जिनमें मिश्रित पूँजी वाली औद्योगिक और व्यापारिक कम्पनियाँ तथा जनोपयोगी नस्थाओं के अंश (shares) तथा ऋणपत्र (debentures) सम्मिलित होते हैं।

यह बात ध्यान में रखने की है कि बैंकों को प्रतिभूतियों में विनियोग करत समय विनियोग में तरलता, सुरक्षा तथा आय के सिद्धान्तों को सामने रखना चाहिए, तथा यथासम्भव ऐसी प्रतिभूतियों में लेन-देन करना चाहिए जिनके मूल्य में स्थिरता रहनी है और उनमें विक्रयशीलता का गुण होना है। यह आवश्यक नहीं कि यह सभी गुण प्रत्येक प्रतिभूति में हों। इसलिए बैंक को चाहिए कि प्रतिभूतियों में विनियोग को संतुलित रखने के लिए कुछ अधिक तरलता वाली प्रतिभूतियाँ खरीदे तो साथ में कुछ अधिक आय वाली प्रतिभूतियाँ में भी विनियोग करे। प्रायः निजी प्रतिभूतियाँ खरीदने में बैंकों को लाभ-प्राप्ति के साथ-साथ देश में पूँजी-व्याज के विकास में सहायता मिलती है तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु इन प्रतिभूतियाँ में धन विनियोजित करते समय बैंक को इनकी श्रेष्ठता का निश्चय कर लेना चाहिए।

4 ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances)—प्रायः सभी व्यापारिक बैंक अपने साधनों का बहुत बड़ा भाग ऋणों तथा अग्रिमों में विनियोजित करते हैं। इनसे बैंक को काफी आय प्राप्त होती है। चूंकि ऋण तथा अग्रिम उचित धरोहर के आधार पर ही दिये जाते हैं, इसलिए इनमें सुरक्षा का गुण भी होता है। इनसे व्यापारिक तथा औद्योगिक नस्थाओं की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

समय के आधार पर ऋण तथा अग्रिम दो वर्गों में बाँट जा सकते हैं—अल्पकालीन (short-period) तथा दीर्घकालीन (long period)। तरलता की दृष्टि से अल्पकालीन ऋण ही उपयुक्त होते हैं। धरोहर के आधार पर ऋण सुरक्षित (secured) अथवा असुरक्षित (unsecured) होते हैं। यदि ऋण यथेष्ट धरोहर के आधार पर दिया जाता है तो उसे सुरक्षित कहा जाता है, क्योंकि ऋण के न लौटने पर धरोहर को बेचकर रकम वसूल कर ली जाती है। जब किसी महादक प्रतिभूति (collateral security) के बिना केवल व्यक्तिगत नाश के आधार पर ऋण दिया जाता है तो इसे असुरक्षित अथवा गैर-जमानती ऋण (clean loans) कहते हैं। सामान्यतः बैंक सुरक्षित ऋण ही देते हैं।

बैंकों के कार्य बताते समय ऋणों के विभिन्न प्रकार—(1) साधारण ऋण तथा अग्रिम (ordinary loans and advances), (2) अधिविक्रय (overdraft), तथा (3) नकद साख्त (cash credit)—का विवेचन किया जा चुका है, इसलिए उन यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

ऋण देने में सावधानियाँ—ऋण देने समय बैंक को उचित सावधानी रखनी चाहिए। बैंकों द्वारा ऋण व्यक्तियों को भी दिये जाते हैं तथा नस्थाओं को भी। ऋण देने में निम्न सावधानियों की आवश्यकता है :

(1) किसी भी ग्राहक को बहुत लम्बी अवधि के लिए ऋण नहीं देना चाहिए।

(2) किसी एक ग्राहक को बहुत बड़ी रकम का ऋण नहीं देना चाहिए, बल्कि ऋणा के विकेंद्रीकरण की नीति अपनानी चाहिए। इसी प्रकार बहुत अधिक ऋण एक ही स्थान के व्यापारियों तथा एक ही प्रकार के उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए नहीं देना चाहिए। अनेक व्यक्तियों, अनेक व्यवसायों तथा अनेक स्थानों में छोटा-मोटा धन विनियोजित करना सुरक्षापूर्ण होता है।

(3) सट्ट के कार्य तथा उपभोग के लिए ऋण देना अच्छा नहीं होता। उत्पादक कार्यों के लिए दिये गये ऋण स्वयं-शोध (self liquidating) होते हैं, तथा अनु-पादक कार्यों के लिए दिये गये ऋण जड़ होते हैं और उनकी प्रत्यापनी में कठिनाई होती है।

(4) ऋणों का बार-बार व आसानी से नवीनीकरण (renewal) नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऋणों की वसूली करना अल्प में कठिन हो जाता है। बैंक का धन एक 'गतिशील कोष' के समान रहना चाहिए।

(5) ऋणों के लिए उचित व पर्याप्त जमानत प्राप्त करनी चाहिए। जमानत के मूल्य तथा प्रामाण्यता का निश्चय कर लेना आवश्यक होता है तथा जमानत के मूल्य से कम मूल्य का ऋण देना चाहिए।

(6) ऋण लेने वाले की मात्र की ठीक से जांच कर लेनी चाहिए।

(7) बैंक में पारस्परिक स्पर्धा के कारण मस्ते ऋणों की नीति बहुत हानिकारक होती है, इसलिए इसे कभी नहीं अपनाना चाहिए।

(8) समस्याओं को ऋण देने समय उपयुक्त सभी सावधानियों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मस्ये के नियमों तथा उप नियमों का अव्ययत कर लिया जाय, उसके व्यवसाय की उचित जांच की जाय तथा प्रवृत्त-व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की जाय। इन सभी तथ्यों की जानकारी व पदचान ऋण की रकम, व्याज-दर तथा जमानत आदि का निर्धारण करना चाहिए तथा सत्ता के उचित अधिकारों से ऋण सम्बन्धी अधिकार-पत्र के आधार पर ऋण देना चाहिए।

ऋणों के लिए जमानतें (Securities for the Loans and Advances)

ऋणों की सुरक्षा के लिए बैंक अपने ग्राहकों से किसी न किसी प्रकार की जमानत अवशय लेता है। व जमानतें प्रायः दो प्रकार की होती हैं—(1) व्यक्तिगत जमानत (personal security), तथा (2) सहायक जमानत (collateral security)।

(1) व्यक्तिगत जमानत—विना किसी माल या अन्य सम्पत्ति जमानत के रूप में लिये, व्यक्तिगत माल अथवा जमानत के आधार पर दिये गये ऋण अरक्षित अथवा स्वच्छ ऋण (un covered or clean loans) कहलाते हैं। व्यक्तिगत जमानत अथवा प्रतिभूति के आधार पर ऋण देने के पूर्व बैंक ऋणी की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, आय, व्यापारिक कुशलता तथा चरित्र आदि में सम्बन्धित विद्वन्मनीय जानकारी प्राप्त कर लेता है। भारत में व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाने वाले ऋणों में अधिविकल्प (overdraft) सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कभी-कभी ऋणों की व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा सत्ता की गारण्टी भी माँगी जाती है, जिसके अन्तर्गत ऋणी के रकम न चुकाने पर गारण्टी करने वाला दायित्व को अपने ऊपर लेने का आश्वासन देता है। ऐसे ऋणों की दो हस्ताक्षरों वाले कागजी ऋण वस्तु है। व्यक्तिगत जमानत केवल एक विशिष्ट ऋण में सम्बन्धित होने पर उसे विशिष्ट व्यक्तिगत जमानत (specific personal security) कहते हैं तथा भविष्य में लिये जाने वाले समस्त ऋणों से सम्बन्धित होने पर उसे चालू जमानत (current security) कहते हैं।

(2) सहायक जमानत—ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी द्वारा बैंक के पास जमानत के रूप में रखी गयी भौतिक सम्पत्ति तथा वस्तुएँ सहायक जमानत (collateral securities) कहलाती हैं। इन प्रकार की जमानत बैंक के पास प्रायः तीन प्रकार में रखी जाती हैं।

1. रहन अथवा घुहणाधिकार (Lien)—इसमें जमानत के रूप में रखी गयी सम्पत्ति बैंक के पास रहती है। ऋण वसूल न होने पर बैंक अदालत की आज्ञा में इसे बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकता है।

2. गिरवी (Pledge)—इसमें भी सम्पत्ति बैंक के पास रहती है, तथा ऋण का भुगतान न होने की दशा में बैंक ऋणी को सूचना देकर जमानत की सम्पत्ति को बेच सकता है। इसके लिए अदालत की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती।

3. बन्धक (Mortgage)—जब जमानत के रूप में भूमि, भवन आदि अचल सम्पत्ति दी जाती है तो वह बैंक के पास नहीं रहती, उस पर बैंक का अधिकार-नाम होता है। ऋणी द्वारा भुगतान न करने पर इस सम्पत्ति पर बैंक का स्वामित्व ही जाता है।

सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की भौतिक सम्पत्तियों को सहायक जमानत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(क) रकम विनिमय प्रतिभूतियाँ (Stock Exchange Securities)—स्टॉक एक्सचेंज में नियमित रूप में नया विपणन की जाने वाली प्रतिभूतियों में सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त व्यावसायिक तथा औद्योगिक कंपनियों के अग, ऋणपत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा अन्य प्रकार के विनिमयसाध्य साक्ष-पत्र सम्मिलित किये जाते हैं। इन प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देना बैंकों के लिए अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इससे अनेक लाभ होते हैं—(1) इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है इसलिए ये बहुत तरल होती हैं, (2) इनके स्वामित्व-परिवर्तन में कोई कठिनाई नहीं होती, (3) इनका मूल्यांकन करने में कोई कठिनाई नहीं होती, (4) इनके मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होते, तथा (5) इनकी जमानत पर स्वयं बैंक भी ऋण प्राप्त कर सकता है।

इन प्रतिभूतियों में अनेक गुण होने के कारण बैंक इन्हें सदा प्राथमिकता देते हैं। परन्तु ऐसी प्रतिभूतियों को स्वीकार करते समय बैंक को यह चाहिए कि कुछ बातों के प्रति सावधान रहे, जैसे—(1) इनके स्वामित्व में दोष न हो तथा उनका हस्तान्तरण बैंक के पक्ष में उचित प्रकार से किया गया हो, (2) इनका किसी मान्य शेयर-बाजार में भय-विपणन होता हो, (3) इनके मूल्य में अधिक परिवर्तन न हो, तथा (4) ये पूर्ण-प्रदत्त (fully paid) हों।

(ख) माल और माल के अधिकार पत्र (Goods and Documents of Title to Goods)—अनेक प्रकार के माल के गोदामों पर बैंक अपना ताला लगाकर उमकी जमानत पर ऋण देते हैं। जैसे-जैसे ऋणों का भुगतान होता जाता है, गोदाम में माल निकाला जा सकता है। माल के अधिकार पत्रों, जैसे गोदाम की रसीद, रेलवे की रसीद, टाक वारण्ट, आदि की जमानत पर भी बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है।

माल तथा माल के अधिकार पत्रों की जमानत पर ऋण देने में ये लाभ हैं (1) इनको किसी भी समय आसानी से बेचा जा सकता है तथा ऋण का भुगतान न होने पर माल को किसी से बैंक रकम प्राप्त कर सकता है, (2) ये ऋण प्रायः अल्पकालीन होते हैं, (3) मूल्यांकन में विशेष कठिनाई नहीं होती, (4) चूंकि मूल्यों में परिवर्तन एतदम नहीं होते इसलिए गिरावट आरम्भ होते ही सुरक्षा के लिए उचित प्रवन्ध किया जा सकता है अतः जोखिम कम रहता है, तथा (5) व्यावसायिक जनता को प्रोत्साहन मिलता है।

परन्तु माल तथा माल के अधिकार-पत्रों की जमानत पर ऋण देने में कई दोष तथा कठिनाइयाँ भी हैं—(1) अच्छे गोदामों के अभाव के कारण माल के खराब होने का भय रहता है, (2) माल का मूल्य गिर जाने पर पूरा ऋण वसूल करने में कठिनाई होती है, (3) माल की विभिन्न किस्मों के कारण उसका सही मूल्य आंकने में कठिनाई होती है, (4) गोदाम में माल रखते समय घोषे का भय रहता है, जैसे असली माल के बीच नकली या घटिया माल भरा जा सकता है, तथा (5) अधिकार पत्रों में धोखा होने की सम्भावना रहती है।

बैंक को चाहिए कि वह कुछ सावधानियाँ रखे, जैसे—(1) ऋण की रकम तथा माल के मूल्य में यथेष्ट मर्यान्तर (margin) होना चाहिए, (2) शीघ्र विक्रम के लिए माल को ही जमानत के रूप में स्वीकार करना चाहिए, (3) माल के मूल्य तथा अधिकार-पत्रों की ठीक प्रकार से जाँच कर लेनी चाहिए, (4) जमानत के रूप में रखा गया माल न तो शीघ्र नष्ट होने वाला हो और न ही उसके मूल्यों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होगा हो, (5) ऋण-प्रार्थी विश्वसनीय तथा ईमानदार हो, (6) ऋण का उद्देश्य व्यावसायिक हो, न कि मुनाफाखोरी के लिए अधिक समय तक माल रोकना, (7) गोदामों का प्रवन्ध कुशल, ईमानदार तथा उत्तरदायी कर्मचारियों के हाथ में हो, तथा (8) माल का गोदाम सहित बीमा करवा लेना चाहिए।

(ग) विनिमय बिल (Exchange Bills)—विनिमय बिलों की परिपक्वता (maturity) के पूर्व उनकी कटौती (discounting) करने उनका मूल्य चुका देने पर ये बिल बैंक के अधिकार में आ जाते हैं, तथा इनके बदले में दी गयी रकम की जमानत के रूप में ये बैंक के पास रहते हैं।

इनके अनेक लाभ होते हैं—(1) इन बिलों के मूल्य स्थिर रहते हैं, (2) आवकपत्र पडन पर इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है तथा केन्द्रीय बैंक से पुनः कटौती (rediscounting) के

आधार पर रकम प्राप्त की जा सकती है, तथा (3) इनकी बमूली में आसानी होती है क्योंकि बिल के दोनों पक्ष उत्तरदायी होते हैं।

बिनिमय बिलों को स्वीकार करने में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि यदि बिल को स्वीकार करने वाला (दिनदार) बिल का भुगतान करने से इन्कार कर देता है तो बैंक के लिए काफी असुविधा हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक उत्तम श्रेणी के बिलों को ही स्वीकार करें, तथा इनके लिखने वाले और स्वीकार करने वाले पक्षों के चरित्र, साख एवं आर्थिक दशा आदि से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें।

(घ) जीवन-बीमा पत्र (Life Insurance Policy)—बन्धी-बन्धी बैंक ग्राहक की जीवन-बीमा पॉलिसी की जमानत पर भी ऋण देते हैं। पाश्चात्य देशों में इसका काफी प्रचलन है। स्वयं बीमा कम्पनियाँ भी पॉलिसी की जमानत पर ऋण देती हैं।

इस प्रकार की जमानत के कई लाभ हैं—(1) बीमा पॉलिसी का तात्कालिक मूल्यआसानी में ज्ञात किया जा सकता है, (2) पॉलिसी के सही स्वामित्व का पता बीमा कम्पनी से लग जाता है, (3) पॉलिसी पर ज्यो-ज्यो बीमा-मुल्क (premium) चुकाया जाता है, पॉलिसी के मूल्य में वृद्धि होती जाती है अतः ऋण का जोखिम कम होता है, (4) पॉलिसी का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती, (5) बीमा पॉलिसी पर बैंक का अधिकार-हस्तान्तरण आसानी से हो जाता है, तथा (6) पॉलिसी के आधार पर बैंक द्वारा अन्य बैंकों से ऋण लिया जा सकता है।

इसमें कई दोष भी हैं—(1) पॉलिसी में किसी प्रकार तथ्यों का मिथ्यावर्णन (आयु आदि से सम्बन्धित) होने पर पॉलिसी रद्द हो सकती है, (2) ग्राहक द्वारा बीमा शुल्क (premium) नियमित रूप से न चुकाने पर भी पॉलिसी समाप्त (lapse) हो जाती है, (3) ग्राहक की मृत्यु आत्महत्या अथवा किसी भी ऐसे कारण से होने पर जो पॉलिसी की शर्तों में सम्मिलित न हो, पॉलिसी की रकम नहीं दी जाती और इस प्रकार बैंक का भुगतान भी रक जाता है, तथा (4) बीमा पॉलिसी अपने अधिकार में न लेने पर ग्राहक अन्य किसी बैंक से उस पर ऋण ले सकता है।

उपर्युक्त दोषों के कारण बीमा पॉलिसी की जमानत पर ऋण देने के पूर्व बैंक को कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए—(1) पॉलिसी के सम्पूर्ण मूल्य (surrender value) के 90 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं देना चाहिए, (2) पॉलिसी का अभिहस्तावन बैंक के पक्ष में होना चाहिए, (3) पॉलिसी का सम्पूर्ण मूल्य तय करा लेना चाहिए, (4) पॉलिसी चालू होनी चाहिए, (5) मिमादी बन्दोबन्ती (endowment) पॉलिसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, (6) बीमा कम्पनी की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, (7) बीमा कम्पनी को ऋण सम्बन्धी सूचना दे देनी चाहिए, तथा (8) बीमा शुल्क के नियमित भुगतान की कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए।

(ङ.) सम्पत्ति (Property)—सम्पत्ति दो प्रकार की होती है—चल (movable) तथा अचल (immovable)। दोनों प्रकार की सम्पत्ति की आड़ पर बैंक ऋण देते हैं। चल सम्पत्ति के अन्तर्गत माल तथा स्टॉक एक्मचेन्ज प्रतिभूतियों के अतिरिक्त सोना, चाँदी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ आती हैं। माल तथा प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। बैंकों द्वारा बहुमूल्य धातुओं तथा आभूषणों के आधार पर भी ऋण दिया जाता है। चूँकि इन्हे ऋण का भुगतान न होने पर तत्काल बाजार में बेचा जा सकता है, इसलिए इन्हे अत्यन्त तरल सम्पत्ति समझा जाता है। परन्तु धातुओं आदि की जमानत पर ऋण देने के पूर्व बैंकों को चाहिए कि इनकी वास्तविक शुद्धता का अनुमान लगवा लें तथा उनका ठीक मूल्यांकन करा लें।

जमीन, मकान, दुकान, मशीन आदि अचल सम्पत्ति हैं। अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण देने से लाभ ये हैं (1) किसान, जो अपनी भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की जमानत नहीं दे पाते, अचल सम्पत्ति के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, (2) व्यापारी वर्ग के लोगों को भी अन्य कोई जमानत न रहने पर अपनी अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण मिल जाता है, (3) मकान तथा जमीन की जमानत पर ऋण देकर बैंक भवन-निर्माण कार्यों में सहायक होते हैं, तथा (4) सम्पत्ति के मूल्य में वियोग कमी आने की आशंका नहीं होती।

परन्तु व्यावहारिक रूप में बैंक अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देना उचित नहीं

समझते, क्योंकि इसमें कई दोष हैं—(1) सम्पत्ति को आसानी से उचित मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता, (2) सम्पत्ति के स्वामित्व को तय करना कठिन होगा है और इसके लिए बाहुली सत्ताह लेनी पड़ती है, (3) ऋणी द्वारा उसी सम्पत्ति पर अनेक व्यक्तियों से ऋण ले लेने का भय रहता है, (4) सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन करना भी कठिन होता है, (5) सम्पत्ति के मूल्य में ह्रास आदि के कारण कमी आ जाती है, तथा (6) भूमि अथवा मकान को बन्धक आदि रखने के लिए अदालतों कायंवाही करनी पड़ती है।

अबल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देने के पूर्व उसके स्वामित्व में सम्बन्धित सही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी पूरी बाहुली कार्यवाही कर लेनी चाहिए। सम्पत्ति के मूल्य तथा ऋण की मात्रा में पर्याप्त अन्तर (margin) रखना आवश्यक है।

इस प्रकार, बैंक को चाहिए कि महायक जमानतों से सम्बन्धित गुणा तथा दोषों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से काम ले।

बैंकों के ऋण की माँग (Demand for Bank Loans)

गत कुछ वर्षों से, विशेषकर विकसित देशों में, ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि बैंकों के ऋणों की माँग में कमी की प्रवृत्ति है। प्रो० सेयर्स (Sayers) के अनुसार¹ उन प्रवृत्ति के पाँच कारण हैं—(1) औद्योगिक केन्द्रीकरण, (2) बैंक-माल पर आधागित उद्योगों का मापसिक पतन, (3) साख सम्बन्धी विविध सस्थाओं का विकास, (4) शहर बाजार का विकास, तथा (5) फुटकर व्यापार में नकद भुगतान की वृद्धि। इन परिस्थितियों में बैंक को अपनी आय बटान के लिए आपसी प्रतियोगिता करनी पड़ती है।

भारतीय बैंकें उपर्युक्त तत्वों के प्रभाव से पणतया मुक्त तो नहीं हैं, परन्तु देश में औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास के लिए पूँजी की कमी के कारण बैंकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मार्च 1951 से मार्च 1967 के बीच बैंकों के ऋणों की कुल राशि (total bank credit) 5846 करोड़ रुपये से बढ़कर 27173 करोड़ रुपये हो गयी है। बैंकों द्वारा माल के विम्वार पर रिजर्व बैंक द्वारा अनेक नियन्त्रण लगाये जाने पर भी बैंकों की कुल जमाओं के अनुपात में उनकी छाल की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रही है। अब तक भारतीय बैंकों के ऋण मूल्य रूप से उद्योग तथा व्यापार को ही प्राप्त हुए हैं, परन्तु सरकार तथा रिजर्व बैंक इस ओर प्रयत्नशील हैं कि व्यापारिक बैंकें कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हों।

बैंक का स्थिति-विवरण

बैंक का स्थिति विवरण अथवा बिट्टा उनके स्वामित्व तथा दायित्व का विवरण होता है (Balance sheet is a statement of assets and liabilities)। किसी भी मस्या की आर्थिक स्थिति देखने के लिए उसका स्थिति-विवरण महत्वपूर्ण होता है, परन्तु इस प्रकार के विवरण का महत्व बैंकों के लिए अत्यधिक है। बैंक का मुख्य कार्य लेन-देन का व्यापार है, और उसे अपनी लेनदारी तथा देनदारी को गमत्वपूर्ण करना होता है। इस प्रकार किसी बैंक में सम्पूर्ण व्यवसाय तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका स्थिति विवरण देखना आवश्यक होता है। काउपेर ने लिखा है कि "बैंक का सम्पूर्ण व्यवसाय उसका स्थिति विवरण में होता है। इसके अनिश्चित स्थिति-विवरण का यह भी गुण होता है कि उसे एक ही दृष्टि में देखने में वे अनुपात प्रकट हो जाते हैं जिन पर बैंक कार्य कर रहा होता है।

भारत में व्यापारिक बैंकों के स्थिति विवरण का रूप कानून द्वारा निर्दिष्ट होता है, और प्रत्येक बैंक को एक निश्चित अवधि के बाद इसे प्रकाशित करना पड़ता है। स्थिति विवरण में दो कॉलम होते हैं। बायें कॉलम में पूँजी तथा दायित्व (capital and liabilities) और दायें कॉलम में सम्पत्ति तथा स्वामित्व (property and assets) दिखाए जाते हैं। स्थिति-विवरण में दोनों कॉलमों की बिभिन्न रकमों का जोड़ मिला बराबर होता है। एक आध्यात्मिक बैंक के स्थिति-विवरण का मरल तथा कुछ नमूना (specimen) भाग पृष्ठ (p 190) पर दिया गया है।

बैंक के स्थिति विवरण का नमूना

पूँजी तथा दायित्व (Capital and Liabilities)	राशि (Amount)	सम्पति तथा आदेय (Property and Assets)	राशि (Amount)
<p>1 पूँजा (Capital)— अधिकृत पूँजा (Authorised Capital) निष्कृत पूँजा (Issued Capital) स्वीकृत पूँजा (Subscribed Capital) भरि पूँजा (Paid up Capital) प्राथमिक अंश (Preference Shares) साधारण अंश (Ordinary Shares) तथा स्थगित अंश (Deferred Shares)</p> <p>2 रजिस्टर फंड तथा अन्य रजिस्टर फंड (Reserve Fund and other Reserves)</p> <p>3 जमाएँ तथा अन्य खाते (Deposits and other Accounts)</p> <p>4 अन्य बैंकों आम्बताशा आदि के ऋण (Borrowings from other Banking Companies Agents etc)</p> <p>5 सांग्रनीय बिल (Bills Payable)</p> <p>6 संप्रद हेतु बिल दूसरी ओर प्राप्त बिल होने स (Bills for Collection being Bills Receivable as per Contra)</p> <p>7 अन्य दायित्व (Other Liabilities)</p> <p>8 स्वीकृतियाँ बचान तथा अन्य देन—दूसरा आप बिन्दे अनुमति (Acceptances Endorsements and other obligations per Contra)</p> <p>9 लाभ और हानि खाता (Profit and Loss Account)</p> <p>10 अचानक दायित्व (Contingent Liabilities)</p>		<p>1 नकद (Cash)— निजीरी में, रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक में (In hand and with Reserve Bank of India and State Bank of India)</p> <p>2 अन्य बैंकों के पास—बालू खाता में (Balances with other Banks—In Current Accounts)</p> <p>3 याचना राशि तथा अल्प-सूचनाय ऋण (Money at Call and Short Notice)</p> <p>4 विनिर्माण लागत भाग या उससे कम पर (Investments—at or below Cost) केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ और अन्य ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ तथा केंद्र और राज्यों के ट्रेजरी बिल (Securities of the Central and State Governments and other trustee securities, including Treasury Bills of the Central and State Governments)</p> <p>पूरा देत अंश (Fully Paid Shares) आंशिक देत अंश (Partly Paid Shares) ऋणपत्र तथा बॉन्ड (Debentures and Bonds)</p> <p>अन्य विनिर्माण (Other investments) स्वर्ण (Gold)</p> <p>5 अग्रिम ऋण नकद साख अतिविक्रय इत्यादि (Advances Loans, Cash Credits, Overdraft etc) खरादे अथवा इम्फाउण्ट किये गए बिल (ट्रेजरी बिलों के अलावा) (Bills Discounted and Purchased)</p> <p>6 बिलों के लिए प्राप्त बिल (Bills Receivable being Bills for Collection as per Contra)</p> <p>7 स्वीकृतियाँ बचान अन्य देन तथा खातेदारा के दायित्व दूसरी ओर मिले अनुमति (Constituent's Liabilities for Acceptances, Endorsements and other obligations per Contra)</p> <p>8 बैंक भवन (Premises)</p> <p>9 फर्नीचर व अन्य स्थिर सामान (Furniture and Fixtures)</p> <p>10 अन्य आदेय तथा चाँदी (Other Assets including Silver)</p> <p>11 गैर-बैंकिंग आदेय (Non Banking Assets Acquired in Satisfaction of claims)</p>	
कुल जमा (Grand Total)		कुल जमा (Grand Total)	

बैंक के दायित्व (Liabilities of a Bank)

(1) पूंजी—समुक्त पूंजी वाला प्रत्येक बैंक अपनी वार्यशील पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग असा पूंजी (share capital) के रूप में प्राप्त करता है। व्यवसाय चलान के लिए बैंक को स्थापित करते समय जितनी पूंजी की घोषणा 'Memorandum of Association' में की जाती है उसे बैंक की अधिकृत पूंजी (authorised capital) कहा जाता है। इसका जो भाग एक निश्चित कीमत के असा के रूप में विनय के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है, निर्गमित पूंजी (issued capital) कहा जाता है। इसमें से जितनी पूंजी के असा जनता द्वारा वास्तव में खरीदे जाते हैं, उसे स्वीकृत पूंजी (subscribed capital) कहते हैं। परिदत्त पूंजी (paid up capital) स्वीकृत पूंजी का वह भाग होता है जिम्का भुगतान असाधारियों से प्राप्त कर लिया गया होता है। इन चारों प्रकार की पूंजी को बैंक अपने स्थिति-विवरण में अलग अलग दिखाते हैं। बैंक की पूंजी जम्का दायित्व इसलिए होती है कि यह पूंजी असाधारियों की होती है तथा बैंक उनका देनदार होता है। भारत में बैंकों की निर्गमित अथवा स्वीकृत पूंजी का अधिकृत पूंजी से आधा तथा प्रदत्त पूंजी का अधिकृत पूंजी में आधा हाना आवश्यक है।

(2) कोष-निधि—बैंक अपने सम्पूर्ण लाभ का वितरण असाधारियों में करके उसका एक भाग संचित कोष (reserves) में रखता है। इसमें बैंक की वार्यशील पूंजी में वृद्धि हानी है तथा बैंक की वार्यिक स्थिति दृढ़ होती है। कुछ देशों में सुरक्षित कोष का निमाण करना अनिवार्य होता है। इस कोष के धन का प्रयोग केवल सकटकाल में ही किया जाता है।

(3) जमा राशि तथा अन्य खाते—बैंक के दायित्वों में सर्वत्र बड़ी मद निक्षेपों की होती है। चालू, बचत तथा स्थायी खाता में प्राप्त होने वाली राशि बैंक को अलग अलग दिखानी पड़ती है। निक्षेपों का एक भाग ऋणों में उन्पन्न होना है तथा दूसरा नकदी के रूप में प्राप्त होता है। नकद जमा राशि, जिसे प्राथमिक जमा (primary deposit) कहा जाता है, बैंक की नाश-मृचन की शक्ति का आधार होती है।

(4) अन्य बैंकों, अभिकर्ताओं आदि के ऋण—वाचस्पयता पडन पर बैंक अन्य बैंकों अथवा केन्द्रीय बैंक या अभिकर्ताओं (agents) आदि से ऋण लेता है जो प्रायः अल्पकालीन होता है। भारत में प्रत्येक बैंक अन्य देशों अथवा विदेशी बैंकों में प्राप्त ऋणों की राशि को अपने स्थिति विवरण में अलग से दिखाता है।

(5) शोधनीय बिल—इस मद में उन बिलों की कुल राशि आती है जिनके भुगतान करने का दायित्व बैंक पर होता है।

(6) अन्य बिल—इनके अन्तर्गत उन बिलों की राशि दिखायी जाती है जो ग्राहकों द्वारा समय समय पर बैंकों को उनका भुगतान प्राप्त (collection) करने के लिए भेजे जाते हैं और जिनकी राशि को बैंक ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार के बिल स्थिति विवरण में दायित्व के रूप में भी दिखाये जाते हैं तथा आदेय के रूप में भी क्योंकि एक ओर तो बैंक इनका सेनदार होता है और दूसरी ओर इनका भुगतान प्राप्त कर ग्राहकों के खातों में जमा करना होता है।

(7) अन्य दायित्व—कुछ अन्य प्रकार के दायित्वों की राशि इस मद में दिखायी जाती है, जैसे अदत्त लाभांश (unpaid dividend), आय-कर के लिए आयोजन, कर्मचारियों को धोना, कर्मचारियों का मह्यता पात्रा, बाचा के पारस्परिक जमा खर्च, विविध देनदारी खाता, जनजित प्राप्त आय, मांग का अग्रिम भुगतान, इत्यादि।

(8) स्वीकृतियाँ, वेचान तथा इसी प्रकार के अन्य दायित्व—बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए स्वीकार किये गये विनिमय बिल तथा साख पत्रों पर दी गयी गारण्टी आदि की राशि इस मद में सम्मिलित होती है। यह भी बैंक के दायित्व तथा आदेय दोनों ओर दिखाये जाते हैं, क्योंकि इनका भुगतान करना बैंक का दायित्व होता है, परन्तु इनकी रकम ग्राहकों से प्राप्त होती है।

(9) लाभ और हानि खाता—स्थिति-विवरण में लाभ तथा हानि दोनों ही दायित्व के रूप में दिखाये जाते हैं। चूंकि लाभ की राशि का वितरण असाधारणों में करना होता है इसलिए यह बैंक की देनदारी हूँती है।

(10) आर्कस्मिक देनदारी—इसके अन्तर्गत बैंक ऐसी देनदारियाँ दिखाता है जिनकी राशि निश्चित नहीं होनी, परन्तु जिनके भविष्य में उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना होती है। इस प्रकार की देनदारी का अनुमान लगाकर स्थिति-विवरण में सबसे नीचे दिखाया जाता है।

बैंक की लेनदारी अथवा आदेय (Assets of a Bank)

(1) नकदी—ग्राहकों की नकद मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक कुछ नकद कोष अपने पास रखते हैं और कुछ केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य किसी बैंक के पास रखते हैं। स्थिति-विवरण में हाथ की नकदी तथा अन्य बैंकों के पास रखी गयी नकदी को अलग-अलग दिखाया जाता है।

(2) अन्य बैंकों में जमा—बैंक में पारस्परिक लेन-देन के कारण कुछ रकम दूसरे बैंकों के पास चालू खाता में जमा रह जाती है, जिसे स्थिति-विवरण में अलग से दिखाया जाता है।

(3) याचना राशि तथा अल्प-सूचनार्थ ऋण—बैंक के ऐसे अल्पकालीन ऋण जिन्हें बिना किसी पूर्व-सूचना के अथवा एक अल्पकालीन सूचना देकर वसूल किया जा सकता है, इन मद के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं।

(4) विनियोग—इस मद में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ में लगामी गयी रकम, ट्रेजरी बिल, अना, ऋणपत्र, डॉल्डम स्वर्ण आदि में किये जाने वाले विनियोग अलग-अलग दिखाये जाते हैं। ये सब विनियोग प्रतिभूतियाँ आदि के विहित मूल्य अथवा उससे कम मूल्य पर होते हैं।

(5) अग्रिम—इसके अन्तर्गत बैंक के अग्रिम धन, ऋण, नकद साख तथा अधिविकल्प की रकमें दिखायी जाती हैं। खरीद अथवा डिस्काउण्ट किये गये बिलों की राशि भी इसी के अन्तर्गत दिखायी जाती है। ऋण की जमानता तथा ऋणियों के आधार पर बैंक के ऋण और अग्रिम धन अलग अलग दिखाये जाते हैं, जैसे पूर्णतया सुरक्षित ऋण, व्यक्तिगत जमानत पर दिये गये ऋण, ऋण जिन पर ऋणी की व्यक्तिगत जमानत के अलावा अन्य व्यक्तियों की भी व्यक्तिगत जमानत है, बिना जमानत के ऋण, बैंक के संचालकों तथा अधिकारियों को दिये गये ऋण, ऐसी कम्पनियों को दिये गये ऋण जिनमें बैंक के संचालक किसी भी रूप में सम्बद्ध हैं, अन्य बैंकों पर ऋण इत्यादि।

(6) वसूली के लिए प्राप्त बिल—बैंक के पास ग्राहकों की वसूली (collection) के लिए आये हुए बिल इसके अन्तर्गत दिखाये जाते हैं। चूंकि इनकी वसूली के पश्चात् इनका भुगतान ग्राहकों को करना होता है इसलिए ये दायित्वों में भी दिखाये जाते हैं।

(7) स्वीकृतियाँ, वेचान आदि—इसके अन्तर्गत ऐसे बिलों की रकमें दिखायी जाती हैं जिन्हें बैंक अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार करता है और जिनके भुगतान का दायित्व वह अपने ऊपर लेता है। इस प्रकार ये स्पष्ट रूप में बैंक के दायित्व होते हैं, परन्तु चूंकि बैंक इनकी रकम ग्राहकों से वसूल करने का अधिकारी होता है, इसलिए ये बैंक के आदेय अथवा लेनदारी भी हैं। इस मद में आदेय तथा दायित्व दोनों एक-दूसरे में मन्तुलित हो जाते हैं।

(8) धैर-भवन—इसके अन्तर्गत बैंक के कार्यालयों के भवनों का मूल्य, घिसावट (depreciation) निकाल कर, दिखाया जाता है। यह वास्तव में बैंक का मूल्य कम करके आदेय होता है।

(9) फर्नीचर तथा अन्य मूल स्कन्ध—भवनों के समान बैंक के फर्नीचर, पक्के, अलमारियों, लॉकरों आदि का मूल्य भी, घिसावट निकालकर, अलग से दिखाया जाता है।

(10) अन्य आदेय—इस मद में अनेक प्रकार के आदेय दिखाये जाते हैं, जैसे विनियोगों पर प्राप्त आय जिनमें अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, किराया तथा अन्य सेवा सम्बन्धी वसूलियाँ (service charges) जो अभी वसूल करनी हैं, बैंक के पास स्टेशनरी तथा टिकट आदि।

(11) गैर-बैंकिंग आदेय—ये बैंक के ऐसे आदेय हैं जिनमें बैंक ने स्वेच्छा से विनियोग नहीं किया होता, बल्कि जो भुगतान न करने वाले ऋणियों से दावों (claims) की पूर्ति में प्राप्त होते हैं।

स्थिति-विवरण के अध्ययन से लाभ

बैंक का स्थिति विवरण बैंक की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का चित्र होता है। इसके अध्ययन के विशेष रूप से उल्लेखनीय लाभ निम्नलिखित हैं

- 1 बैंक के दायित्वों तथा आदेयों का विश्लेषण करने से बैंक की वर्तमान आर्थिक दशा के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता है।
- 2 चालू वर्ष के स्थिति विवरण की पिछले वर्षों के विवरणों से तुलना करके बैंक की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।
- 3 विभिन्न बैंकों के स्थिति-विवरणों के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है।
- 4 स्थिति विवरण के प्रकाशन से बैंक से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को उनके हितों का धारण म सूचना मिल जाती है। बैंक का असाधारण, निक्षेपकारी, देनदार, लेनदार तथा कर्मचारी सभी को उनके हितों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होती है।
- 5 बैंक का जनता के विश्वास का आधार उनका स्थिति विवरण ही होता है और इसी से जनता को विनियोग के लिए रास्ता मिलता है।
- 6 स्थिति विवरण से बैंक की सुरक्षा तथा तरलता का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 व्यापारिक बैंक अपने पूंजी किन साधनों से प्राप्त करते हैं? विवेकन कीजिए।
[संकेत—पूंजी प्राप्त करने के पचास साधन—असंपूर्ण निधन रूप साधन विभाग तथा स्थापित बीप का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए।]
- 2 "साहस व्यापार का जीवन है परन्तु सावधानी न कि भीखना व्यापारिक बैंकिंग का सार है।" इस वाक्य को व्याख्या कीजिए।
[संकेत—बैंक के लिए यह आवश्यक है कि अपने कार्यों का विस्तार करें परन्तु सावधानी के लिए उन्हें अपनी विनियोग-नीति कुछ निश्चित करने चाहिए। इन निश्चिन्ता का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।]
- 3 किसी बैंक के नकद धोरणों को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारणों की व्याख्या कीजिए।
[संकेत—अलग अलग बैंकों के नकद धोरणों की मात्रा का निर्धारण जिन जिन कारकों से प्रभावित होता है उनको व्याख्या कीजिए।]
- 4 बैंक द्वारा धार्कों को ऋण देते समय जिन गिटान्तों को ध्यान में रखना चाहिए? बैंक के दृष्टिकोण से कौनसे विनियोग सबसे अधिक उपयुक्त हैं?
[संकेत—प्रश्न भाग में विनियोग-नीति के मुख्य गिटान्त बनाइए और इनके भाग में इन्हें के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि कौनसे गिटान्त तथा सामर्थ्यपूर्ण विनियोग ही उपयुक्त हैं। जलवायु का नतीजा न केवल बैंक की प्रविष्टियों तथा जलवायु के विनियोग अथवा विनियोग के परापूर्वक हैं।]
- 5 ऋण देते समय बैंक द्वारा कौनसे जमानतों की मांग की जाती है? इनके अलग-अलग गुण स्पष्ट कीजिए।
[संकेत—ऋणों के लिए अलग-अलग अर्थव्यवस्था तथा सहायक जमानतों के विभिन्न रूपों का विवरण दाखिल और प्रत्येक के गुण तथा दोष बताएं।]
- 6 बैंकों के स्थिति विवरण के दोनों ओर के मुख्य तथ्यों की व्याख्या करें। एक ओर के मद को दूसरी ओर में क्यों दिखाया जाता है?
[संकेत—बैंक के दायित्वों तथा धोरणों का विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि कौन से धोरणों और इनके दायित्वों का आधा है कि इन्हें बैंक एक ओर प्राप्त करना है तो दूसरा ओर धोरणों का दायित्व अलग कर देना है अथवा धोरणों के अन्तर्गत धोरणों का भी अन्तर्गत होना है। इस प्रकार की ही मुख्य रूप से धोरणों के लिए प्राप्त किए गए धोरणों, बचान आदि हैं। एक आर्थिक स्थिति विवरण बनकर उनमें विभिन्न मदों को स्पष्ट कीजिए।]
- 7 "एक अच्छे बैंक को चाहिए कि वह तरलता तथा सामर्थ्यता के बीच सहतुलन बनाये रखे।" व्याख्या कीजिए।
[संकेत—बैंक का तरल विनियोग अधिक लाभकर नहीं होने तथा अधिक लाभकर विनियोग अधिक तरल नहीं होने। तरलता तथा सामर्थ्यता के गिटान्तों के आधार पर इन दोनों में सहतुलन बनाये रखने का आवश्यकता का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए।]

“ ‘ग्राहक’ शब्द एक ऐसे सम्बन्ध की ओर संकेत करता है जिसका प्रथम-
 नुसार निरन्तर बने रहने वाला स्वरूप है, तथा इसमें कम से कम एक पक्ष
 इसे टाटने के लिए अनिच्छुक होता है ।”¹ —चेण्डलर

बैंक का व्यवसाय अपने ग्राहकों के साथ साख एवं मुद्रा का लेन-देन करना होता है।
 इस प्रकार बैंक तथा ग्राहक का पारस्परिक सम्बन्ध काफी घनिष्ठ होता है। इन सम्बन्धों
 की व्याख्या करने के पूर्व ‘ग्राहक’ शब्द का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है।

‘ग्राहक’ की परिभाषा

सामान्यतया किसी व्यापारी से सामान खरीदने वाले व्यक्ति को ग्राहक कहा
 जाता है। इसी प्रकार, बैंक से लेन-देन करने वाले व्यक्ति को बैंक का ग्राहक कहा जा
 सकता है। साधारणतया किसी भी व्यक्ति, कम्पनी या अन्य कानूनी सत्ता के जिसका बैंक
 में खाता है और जिसे बिना पूर्व सूचना के बैंक द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उस बैंक
 में से रुपया निकालने का अधिकार है, बैंक का ग्राहक कहते हैं।

व्यावहारिक रूप में बैंक के ग्राहक की परिभाषा काफी विवादपूर्ण रही है। अधि-
 कांश रूप से वर्यो तक यही धारणा रही है कि बैंक के साथ नियमित रूप से व्यवहार
 करने वाला व्यक्ति ही बैंक का ग्राहक कहलाने का अधिकारी हो सकता है। चेण्डलर ने
 बैंक तथा ग्राहक के सम्बन्ध के “निरन्तर बने रहने वाले स्वरूप” (continuing
 nature) का उल्लेख किया है। जॉन पेजट (Sir John Paget) के अनुसार, “बैंक
 के साथ नियमित रूप से सौदा करने वाले व्यक्ति तथा फर्म ही बैंक के ग्राहकों की श्रेणी
 में आने चाहिए। जिस प्रकार कोई भी विक्रेता अपन कभी-कभी सौदा खरीदने वालों
 को ग्राहक से अलग समझता है, उसी प्रकार किसी बैंक के ग्राहकों की गणना में वे ही
 व्यक्ति या फर्म आ सकती हैं जो उसके साथ कुछ समय से नियमित रूप से बैंकिंग व्यव-
 साय कर रही हों।”

‘ग्राहक’ शब्द की विस्तृत रूप में परिभाषा देते हुए उपर्युक्त विचारधारा का
 खण्डन किया जाता है। बैंक का ग्राहक वह है जिसका बैंक में खाता है, चाहे उसने यह
 खाता आज ही खोला हो और बैंक से लेन-देन पहली बार ही किया हो। दूसरे शब्दों
 में, उसके बैंक में ‘कुछ समय से नियमित सम्बन्ध’ के लिए समय के प्रतिबन्ध की
 आवश्यकता नहीं समझने है।²

इसके अनिश्चित यह भी कहना गलत है कि बैंक का ग्राहक केवल वही है जो बैंक
 में धन जमा करे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बैंक के जमाधारी तथा ऋणी में कोई

1 “The very term ‘Customer’ suggests a relationship that is customarily of a continuing nature and that at least one of the parties involved would be reluctant to break —Lester V. Chandler *The Economics of Money and Banking*, Fourth Edition, p 123

2 “The word ‘Customer’ signifies a relationship in which duration of time is not of essence” —Lord Dugedin.

अन्तर नहीं होना। बैंक के ऋण भी साथ जमा (credit deposit) को उत्पन्न करते हैं। चूंकि बैंक के ऋणी के खाते में भी रुपया जमा होता है, इसलिए बैंक में नकद रुपया जमा करने वालों के साथ-साथ बैंक का प्रत्येक ऋणी भी बैंक का ग्राहक होता है।

किसी व्यक्ति अथवा सस्था को ग्राहक बनाते समय बैंक उसके चरित्र तथा व्यापार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। बैंक नये ग्राहक से उसका परिचय माँगता है तथा उसके बारे में पुराने ग्राहकों से पूछताछ करता है। खाता खोलते समय ग्राहक के हस्ताक्षरों के नमूने (specimen signatures) लिये जाते हैं तथा भविष्य में इन हस्ताक्षरों से मिथान करने के बाद ही ग्राहक के आदेशों के अनुसार भुगतान किये जाते हैं।

बैंक के ग्राहकों के प्रकार

(1) व्यक्ति तथा उसका एजेंट—कोई भी व्यक्ति परिचय देकर बैंक में खाता खोल सकता है। बैंक को आदेश देकर वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है जो उसकी ओर से बैंक से भुगतान प्राप्त कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर संयुक्त खाता (Joint Account) भी खोला जा सकता है जिसमें यह पहले से निश्चिन कर दिया जाता है कि भुगतान दोनों के हस्ताक्षर होने पर किया जायगा या कोई भी व्यक्ति केवल अपने हस्ताक्षरों से भुगतान प्राप्त कर सकेगा।

(2) साझेदारी फर्म—साझेदारी फर्मों के खाते में रुपया तो किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा कराया जा सकता है परन्तु रकम निकालने का अधिकार फर्म के कुछ साझेदारों को ही होता है। एक से अधिक साझेदारों के कभी-कभी एक साथ हस्ताक्षरों से खातों का संचालन होना है।

(3) कम्पनियाँ तथा संस्थाएँ—संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियाँ तथा अन्य संस्थाएँ जैसे क्लब, स्कूल, सभ अथवा ट्रस्ट अपने खातों के संचालन का अधिकार किसी एक अधिकारी को दे देते हैं। ऐसे खातों में से रुपया निकालते समय कम्पनी अथवा सस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ रबर की मुहर भी लगानी पड़ती है।

(4) नाबालिग (Minor)—बैंक में किसी नाबालिग के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। कानूनी तौर पर नाबालिग के साथ किये गये प्रगतिबद्ध (contracts) अमान्य होने के कारण नाबालिग के खाते का संचालन उसके संरक्षक (guardian) द्वारा किया जाता है।

(5) सम्मिलित हिन्दू परिवार—सम्मिलित हिन्दू परिवार के खातों में व्यवसाय-संचालन का अधिकार परिवार के प्रमुख अथवा कर्ता (Karta) को होता है, क्योंकि अन्य सदस्यों के वैधानिक अधिकार व दायित्व सीमित होते हैं।

(6) विवाहित स्त्रियाँ—एक विवाहित स्त्री के निजी खाते पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता और न ही उसकी जवाबदारी होती है। कोई स्त्री यदि चाहे तो अपने पति अथवा किसी अन्य व्यक्ति को खाते चलाने के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर सकती है।

बैंक तथा ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्ध

बैंक और ग्राहक के बीच तीन प्रकार के सम्बन्ध होने हैं—(क) ऋणदाता तथा ऋणी का सम्बन्ध (Creditor and Debtor), (ख) अभिकर्ता तथा प्रधान का सम्बन्ध (Agent and Principal), (ग) धरोहरधारी और धरोहरधर्ता का सम्बन्ध (Bailee and Bailor)।

(1) ऋणदाता तथा ऋणी का सम्बन्ध—सर जॉन पेजट के अनुसार बैंक तथा ग्राहक के सम्बन्धों में ऋणी तथा ऋणदाता का सम्बन्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब बैंक ग्राहकों से जमा प्राप्त करता है तो बैंक ऋणी होता है तथा ग्राहक ऋणदाता। इसके विपरीत, जब बैंक ग्राहक को नकद-भात, अधिविनय अथवा किसी अन्य रूप में ऋण तथा अग्रिम देता है तो बैंक ऋणदाता तथा ग्राहक ऋणी होता है। इस प्रकार कभी ग्राहक बैंक का ऋणी होता है और कभी ऋणदाता की स्थिति में होता है।

बैंक और ग्राहक के उपर्युक्त सम्बन्ध में कुछ विशेषताएँ होती हैं जो सामान्यतः अन्य ऋणियो तथा ऋणदाताओं के बीच नहीं पायी जाती हैं। ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

1. **ऋण लौटाने की स्वतन्त्रता**—जब कोई ग्राहक बैंक में रुपया जमा कराता है तो वह बैंक का ऋणदाता होता है तथा बैंक की स्थिति ऋणी की होती है। एक साधारण ऋणी को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी सुविधानुसार जब चाहे ऋण को लौटा दे तथा अपने को इसके भार से मुक्त कर ले। परन्तु जब बैंक ऋणी की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा करने की स्वतन्त्रता नहीं होती। ग्राहक की जमा अथवा ऋण का भुगतान ग्राहक द्वारा माँगे जाने पर ही किया जाता है। बैंक को यह अधिकार नहीं होना कि बिना माँगे वह अपने ऋणों का भुगतान करे। बैंक के दिवालिया हो जाने की दशा में प्रत्येक जमाकर्ता अपने जमा धन का प्रमाण-पत्र बेकर जमा राशि को बैंक से वसूल करने का दावा करता है और उसका भुगतान हो जाने पर उसका खाता बन्द हो जाता है।
2. **ऋणदाता के आदेश पर ऋण का भुगतान**—एक साधारण ऋण की प्रायः एक निश्चित अवधि होती है और इसके पूर्व ऋणी को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। परन्तु निश्चित अवधि वाले खाते (Fixed Deposit Account) के अतिरिक्त अन्य किसी भी खाते में जमा की गयी रकम को जमाकर्ता (ऋणदाता) पूर्व-निर्धारित शर्तों के आधार पर बैंक आदि के द्वारा लौटाने का आदेश बैंक को दे सकता है। बैंक को यह अधिकार नहीं होता कि बिना किसी न्यायोचित कारण (without any valid reason) के ग्राहक के बैंक द्वारा माँगी गयी रकम का भुगतान करने से इन्कार कर दे। ऐसा करने पर ग्राहक द्वारा बैंक पर मान-हानि का दावा तक किया जा सकता है।
3. **ऋण के उपयोग की स्वतन्त्रता**—एक साधारण ऋण एक निश्चित उद्देश्य के लिए दिया जाता है, परन्तु ग्राहकों द्वारा बैंक को दिये गये ऋण के उपयोग पर बैंक (ऋणी) का पूर्ण अधिकार होता है। वह जहाँ चाहे और जिस प्रकार चाहे इसका विनियोग अथवा व्यय कर सकता है। इसके विपरीत, जब बैंक ऋणदाता तथा ग्राहक ऋणी होता है तो बैंक प्रायः ऋण के उपयोग पर नियन्त्रण रखता है और उपयोग के आधार पर ही ऋण की स्वीकृति देता है।
4. **खातों की गोपनीयता**—बैंक अपने ग्राहकों के खातों से सम्बन्धित सभी बातों को गुप्त रखता है। बिना किसी उचित कारण के बैंक द्वारा ग्राहक की स्थिति प्रकट कर देने पर यदि ग्राहक को कोई हानि होती है तो वह बैंक के ऊपर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। केवल निम्न दशाओं में बैंक द्वारा खातों की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक नहीं होता (i) जब न्यायालय द्वारा ग्राहक के खाते का विवरण माँगा गया हो (ii) जब राष्ट्र, समाज अथवा व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, (iii) जब बैंक द्वारा ग्राहक को दिये गये ऋण की धसूली के लिए अथवा बैंक की अपनी सुरक्षा के लिए खाते की स्थिति को प्रकट करना आवश्यक हो, (iv) जब स्वयं ग्राहक बैंक को आदेश दे और जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने किसी को बैंक का हवाला (reference) दिया हो।

(2) **अभिधर्ता तथा प्रधान का सम्बन्ध**—बैंक और ग्राहक का दूसरा महत्वपूर्ण सम्बन्ध एव अभिधर्ता (Agent) तथा प्रधान (Principal) का है। एजेंट के रूप में बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार अनेक कार्य करता है, जिनका विस्तृत विवरण 'बैंक के कार्यों' के अन्तर्गत दिया जा चुका है। संक्षेप में, एजेंट के रूप में बैंक द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं—ग्राहकों की ओर से भुगतान करना एव वसूली करना, गैरयो व प्रतिभूतियों का त्रय-विनय, एक स्थान से दूसरे स्थान को धन का हस्तांतरण, ग्राहक की ओर से वित्तों व दृष्टियों की स्वीकार करना तथा

उनका भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों के शेयरों पर लाभांश, ब्याज तथा जायदाद का किराया आदि वसूल करना, बीमों के प्रीमियम तथा ब्याज आदि का भुगतान करना, ट्रस्टी व एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करना, ग्राहकों के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करना, इत्यादि ।

बैंक द्वारा एजेंट के रूप में किये गये कार्यों के लिए उत्तरदायित्व ग्राहक का ही होता है । परन्तु यह आवश्यक है कि इन कार्यों को करने के लिए बैंक ग्राहक से लिखित अधिकार-पत्र प्राप्त कर ले । लिखित अधिकार-पत्र के वाहर किये गये कार्यों के लिए उत्तरदायित्व बैंक का ही होता है ।

(3) धरोहरधारी तथा धरोहरकर्ता का सम्बन्ध—बैंक और ग्राहक के बीच तीसरा महत्वपूर्ण सम्बन्ध धरोहरधारी (bailee) तथा धरोहरकर्ता (bailer) का होता है । बैंक के कार्य बताते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बैंक अपने ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुएँ, जैसे धातुएँ, आभूषण, हीरे-जवाहरात, प्रतिभूतियाँ तथा अन्य दस्तावेज इत्यादि, सुरक्षित रखने के लिए स्वीकार करता है । इन वस्तुओं के संरक्षक (custodian) के रूप में किया गया कार्य बैंक को धरोहरधारी (bailee) या प्रत्यासी (trustee) बना देता है और ग्राहक को धरोहरकर्ता (bailer) अथवा प्रत्यासी (beneficiary) बना देता है । बैंक के संरक्षण में रखी गयी वस्तुओं को सुरक्षित लौटाने का उत्तरदायित्व बैंक का होता है । ये वस्तुएँ बैंक के मुरखिन लॉकरों में जमा रहती हैं, जिनकी एक चाबी ग्राहक के पास रहती है तथा दूसरी बैंक के पास । लॉकर का प्रयोग करने पर ग्राहक को किराया देना पड़ता है ।

बैंक से किये गये ऋण की जमानत के रूप में यदि बैंक के पास कोई धरोहर रखी होती है तो बैंक धरोहरधारी होने के नाते इस धरोहर की रक्षा का उचित प्रवन्ध करता है । इसके खो जाने, नष्ट हो जाने या बिगड़ जाने की दशा में बैंक जिम्मेदार होता है ।

बैंक तथा ग्राहक के विशेष सम्बन्ध

उपर्युक्त तीनों प्रकार के पारस्परिक सम्बन्धों के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों के प्रति कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ भी निभाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

(1) बैंकों का भुगतान—प्रत्येक बैंक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने ग्राहकों द्वारा जारी किये गये बैंकों का भुगतान करे । बिना कारण के भुगतान करने से इनकार कर देने पर ग्राहक बैंक पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है । बैंक बैंक को तिरस्कृत (dishonour) तभी करता है जबकि निम्नलिखित में से कोई एक अथवा एक से अधिक कारण हों (1) लेखक की ओर से वसूली के लिए आये हुए बैंकों की वसूली न पाने के कारण खाते में पर्याप्त रकम न होना (Effects not yet cleared), (2) जिस खाते का बैंक दिया गया है उनमें पर्याप्त धन न होना (Not arranged for), (3) लेखक से पूछनाछ करने पर बैंक का भुगतान करना हो (Refer to Drawer), (4) लेखक के हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से न मिलने हो (Signature differs), (5) बैंक में किये गये परिवर्तन पर लेखक के हस्ताक्षर न हो (Alteration requires full signatures), (6) आदाता में वेचान न किया हो (Payee's endorsement required), (7) बैंक पर वेचान ठीक न हो (Payees endorsement irregular), (8) वेचान पर किसी बैंक की गारण्टी आवश्यक हो (Endorsement requires bank's guarantee), (9) बैंक पर आये आन वाली तारीख लिखी हो (Cheque is post-dated), (10) बैंक छह माह में अधिक पुरानी तारीख का हो (Out of date), (11) बैंक की धनराशि अको व शब्दों में एकसूत्री न लिखी हो (Amount in words and figures differs), (12) लेखक के खाते में पर्याप्त रकम न हो (Insufficient funds), (13) बैंक पूर्ण न हो (Incomplete), (14) बैंक फट गया हो, गन्दा हो गया हो या बिगड़ हो गया हो (Mutilated), (15) लेखक ने बैंक का भुगतान रोकने की लिखित आज्ञा दे दी हो (Payment stopped by the drawer), (16) खाता बन्द हो गया हो (Account closed), (17) सरकार ने बैंक का भुगतान न करने का आदेश दिया हो (Garnishee order), (18) लेखक की मृत्यु की सूचना बैंक को मिल चुकी हो (Drawer deceased), (19) लेखक पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो (Drawer declared insane or insol-

vent), (20) रेखांकित चैक का नकद भुगतान मांगा गया हो (Crossed cheque must be presented through a bank) ।

उपर्युक्त कारणों में से कोई भी कारण न होने पर यदि बैंक चैक का भुगतान न करे, तो वह ग्राहक की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी होगा ।

(2) बैंक का ग्रहणाधिकार (Right of Lien)—यदि बैंक को ग्राहक से कुछ रकम वसूल करनी हो तथा कोई पूरा ममभोता न हो तो बैंक द्वारा ग्राहक की इन सम्पत्तियों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है (1) बैंक को वसूली (collection) के लिए अथवा जमानत के रूप में दी गयी प्रतिभूतियाँ, (2) जमानत के तौर पर बैंक के पास रखी गयी प्रतिभूतियाँ जो ऋण चुकाने के बाद भी बैंक के पास छोड़ दी गयी हो, (3) ग्राहक के खाते में जमा रकम । इसके विपरीत ग्राहक की कुछ अन्य सम्पत्तियों पर बैंक ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, जैसे (1) बैंक के सांकरा में रखी हुई ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुएँ, (2) किसी विशिष्ट कार्य के लिए जमा करायी गयी रकम अथवा चैक बिल, आदि (3) बैंक से भुनाये हुए बिलों की रकम, (4) विजय के लिए बैंक के पास जमा सम्पत्ति, (5) बैंक के पास जमा मूल्यवान सम्पत्तियाँ जिन पर ग्राहक का वैधानिक अधिकार नहीं, तथा (6) ऐसा ऋण जिसकी अवधि पूर्ण नहीं हुई है ।

इस प्रकार बैंक का ग्रहणाधिकार उन्ही वस्तुओं तक सीमित होता है जो उनके पास लेन-देन के सामान्य प्रम के अन्तर्गत आती है । सुरक्षा के लिए बैंक के पास ग्राहक द्वारा रखी गयी वस्तुओं पर बैंक का ग्रहणाधिकार नहीं होता ।

जब किसी ग्राहक के एक ही बैंक की दो शाखाओं में अलग-अलग खाते हों तथा एक खाते में वह ऋणदाता हो और दूसरे में ऋणी तो बैंक अपने ऋण की रकम जमा खाते से वसूल कर सकता है । इन खातों को तभी मिलाया जा सकता है जब वे एक ही नाम में हों तथा ग्राहक की इसकी भुचला पट्टे से दे दी गयी हो ।

यदि बैंक को किसी ग्राहक के खाते पर कुर्की का आदेश प्राप्त हो जाय तो वह उस खाते में से रकम निकालने की अनुमति नहीं देगा और न ही चैको का भुगतान करेगा । घरोहर के रूप में रखी गयी वस्तुओं को नहीं रोक जायगा । संयुक्त खाते की रकम पर भी कुर्की आदेश नहीं लागू किया जा सकता । ग्राहक के दिवालिया हो जान पर बैंक उसके खाते में जमा रकम को अधिकृत अवसायक (Official Liquidator) के आदेशानुसार भुगतान करेगा ।

(3) समय-सीमा नियम—समय-सीमा नियम (Time Limitation Law) के अनुसार सामान्यतः यदि ऋण की रकम की मांग तीन वर्ष तक नहीं की जाती तो ऋणदाता ऋणी से वह रकम वसूल करने का काटूनी तौर पर अधिकारी नहीं होता । परन्तु बैंक तथा ग्राहक के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता । ग्राहक द्वारा अपने खाते से अपनी जमा तथा ब्याज निकाले हुए तीन वर्ष से अधिक समय बीत जान पर भी उस अपने खाते में से रकम निकालने का पूर्ण अधिकार रहता है । परन्तु यदि काइ ग्राहक अपने खाते में एक निश्चित तिथि को रकम निकालने की मांग करे और उसका भुगतान तीन वर्ष तक न ल तो समय सीमा नियम लागू होगा ।

इसी प्रकार बैंक द्वारा दिय गये ऋणा पर बैंक को प्राप्त ग्रहणाधिकार पर भी समय सीमा नियम लागू नहीं होता । जब तक ऋणी बैंक से लिये गये ऋण को लौटा न दे, बैंक को ग्राहक की सामान्य लेन देन में प्राप्त हुई वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार रहता है ।

(4) अग्र—बैंक तथा ग्राहक के विषय सम्बन्धों में उपर्युक्त सम्बन्धों के अतिरिक्त, जैसा पहले बताया गया है, बैंक सामान्यतः ग्राहक के खाते को गुप्त रखने के लिए बाध्य होता है ।

बैंक को प्राप्त विषय अधिकारों के अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों से आकस्मिक व्यय (incidental charges) वसूल करने का अधिकारी होता है । किसी पूरे ममभोते के अभाव में बैंक को अपने ग्राहकों को दिय गये ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज (compound interest) लेने का भी अधिकार होता है ।

इस प्रकार बैंक तथा ग्राहक के सम्बन्धों के दो पहलू हैं—वैधानिक तथा व्यावहारिक। वैधानिक नियमों तथा व्यवस्थाओं का पालन करते हुए भी सफल व्यवसाय के लिए दोनों को एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है। ग्राहक बैंक से यथोचित एवं श्रेष्ठ सेवा प्राप्त करने की आशा रखता है और इनके बदले में बैंक उचित मुक्तक प्राप्त करता है। बैंक तथा ग्राहक के सम्बन्धों में विकास के परिणामस्वरूप एक ओर तो देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है तथा दूसरी ओर वैकिंग विकास को बल मिलता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. बैंक और उसके ग्राहकों के शारत्परिक सम्बन्धों की परीक्षा कीजिए।
[संकेत - बैंक और ग्राहक के बीच ऋणी तथा ऋणदाता के सम्बन्ध, प्रदान तथा अधिकता के सम्बन्ध, धरोहर-धारी तथा धरोहरकर्ता के सम्बन्ध तथा अन्य विषेय सम्बन्धों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
2. बैंक का ग्राहक किसे कहा जाता है? उसके तथा बैंक के बीच सामान्य सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।
[संकेत - पहले ग्राहक की परिभाषा दीजिए और फिर बैंक तथा ग्राहक के बीच सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।]
3. बैंक किन परिस्थितियों में ग्राहकों के बैंक छोटा सकता है तथा किन परिस्थितियों में पहणाधिकार का प्रयोग करता है?
[संकेत - प्रथम भाग में बैंक के भुगतान के सम्बन्धित उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके अन्तर्गत बैंक बैंक की निरस्त कर सकता है। दूसरे भाग में बैंक के ग्राहकाधिकार के सम्बन्धित विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।]

प्रतीत से श्रव तक तीन महान आविष्कार हुए हैं—साग पहिया तथा केन्द्रीय बैंक ।¹
—विल रोजर

प्रत्येक देश की बैंकिंग व्यवस्था में वहाँ के केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि अर्थ बैंक इससे निदग्न प्राप्त करते हैं तथा अनेक प्रकार से इस पर निर्भर करते हैं। केन्द्रीय बैंक अर्थ बैंको के लिए एक मित्र दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक (friend philosopher and guide) के रूप में कार्य करता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से अब तक केन्द्रीय बैंक का प्रकृति तथा कार्य प्रणाली में इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि अब ऐसा अनुभव किया जान लगा है कि और अधिक परिवर्तनों की सम्भावना नहीं है। इसलिए वर्तमान केन्द्रीय बैंक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सुनिश्चित विचार व्यक्त किये जा सकते हैं।

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा

केन्द्रीय बैंक की अधिकांश परिभाषाएँ इसके विभिन्न कार्यों पर आधारित हैं। चकि केन्द्रीय बैंक के कार्यों में समय समय पर परिवर्तन होत रहे हैं इसलिए विभिन्न परिभाषाओं में अलग अलग कार्यों को महत्व दिया गया है। बेरा स्मिथ ने केन्द्रीय बैंक के मुद्रा नियमन कार्य का अधिक महत्व देते हुए लिखा है केन्द्रीय बैंकिंग में आस्य उस बैंकिंग प्रणाली में है जिसमें अतगत किसी एक बैंक को नोट प्रचलन का पूर्ण अथवा अवशेष अधिकार प्राप्त होता है।² हाट के विचार में केन्द्रीय बैंक बैंको का बैंक है क्योंकि यह अर्थ बैंको के लिए अंतिम ऋणदाता (lender of the last resort) का कार्य करता है। फ्राउडर ने भी इस बैंक का बैंक (bankers bank) मानते हुए लिखा है कि केन्द्रीय बैंक का अर्थ बैंको के साथ ठीक वही सम्बन्ध होता है जसा स्वयं अर्थ बैंको का जनता के साथ होता है।³

केन्द्रीय बैंक की अधिकांश परिभाषाएँ इसके मुद्रा तथा साख के नियमन के कार्य पर आधारित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-बैंक के अनुसार केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जिसे देश में चयन तथा साख मुद्रा की मात्रा के नियमन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।⁴ शा (Shaw) के अनुसार केन्द्रीय बैंक देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखने वाला बैंक है। वेण्ट के विचार में केन्द्रीय बैंक को एक ऐसी सस्था के रूप में

- 1 There have been three great inventions since the beginning of time. First the wheel and Central Banking. —Will Rogers
- 2 The primary definition of central banking is a banking system in which a single bank has either a complete or residual monopoly of note issue. —Vera Smith *Rationale of Central Banking*
- 3 The Central Bank stands to the Member Banks in exactly the same relation as the Member Banks themselves to the public. —Crowther *A Outline of Money* p. 44
- 4 the Bank in any country to which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in the country. —The Bank of International Settlements

परिभाषित किया जा सकता है जिसे जन-हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन का कार्य दिया गया है।¹

वस्तुतः आधुनिक केन्द्रीय बैंक के कार्य उपर्युक्त परिभाषाओं में बताये गये कार्यों से बड़ी अधिक व्यापक हैं। केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली का सिरताज होना है और वह लोचलित तथा सम्पूर्ण देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जनेक कार्य करता है। यदि केन्द्रीय बैंक की परिभाषा उसके द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों को सम्मिलित करके दी जाय, जैसा डॉ० डी कोक (De Kock) ने किया है, तो उसे परिभाषा के बजाय केन्द्रीय बैंक का कार्य-विवरण कहना अधिक उपयुक्त होगा।

प्रो० मेयर्स ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषा कुछ भिन्न प्रकार से दी है। उनके अनुसार, "केन्द्रीय बैंक का व्यवसाय व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार नियन्त्रित करना होता है जिससे राज्य की सामान्य मौद्रिक नीति को प्रोत्साहन मिल सके। इस कथन में तीन मूल बातें निहित हैं—प्रथम, केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक की भाँति अपने स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होता, द्वितीय, इसके पास व्यापारिक बैंकों को नियन्त्रित करने के लिए कुछ माघन होने चाहिए, और तृतीय, यह राज्य के अधीन सस्था है।"² अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय बैंक देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग ढाँचे की सर्वोच्च सस्था है जो राज्य के अधीन रहकर अपने लाभ के उद्देश्य से नहीं बल्कि समस्त देश की आर्थिक प्रगति के लिए अन्य बैंकों पर नियन्त्रण द्वारा कार्य करती है।

केन्द्रीय बैंकिंग का विकास

पृथिवी समान का सर्वप्रथम केन्द्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, परन्तु 1694 ई० में स्थापित होने वाला बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड 'केन्द्रीय बैंकों की माँ' (Mother of Central Banks) कहा जाता है, क्योंकि इसने जिन पद्धतियों तथा परम्पराओं को अपनाया उन्हें अन्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा भी अपनाया गया। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड को प्रारम्भ में ही नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था, परन्तु इंगने केन्द्रीय बैंक के रूप में सन् 1844 में कार्य करना आरम्भ किया और तब से इसका इतिहास केन्द्रीय बैंकिंग के इतिहास का प्रतिस्वरूप है। 19 वीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप के अधिकांश देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। सन् 1800 में बैंक ऑफ़ फ्रान्स, 1814 में बैंक ऑफ़ नीदरलैण्ड, 1817 में बैंक ऑफ़ नार्वे तथा बैंक ऑफ़ आस्ट्रिया, 1818 में नेशनल बैंक ऑफ़ डेनमार्क, 1850 में नेशनल बैंक ऑफ़ बर्लिन, 1856 में बैंक ऑफ़ स्पेन, 1860 में बैंक ऑफ़ रूस (Russia) तथा 1875 में जर्मनी में रीच बैंक (Reichs Bank) की स्थापना हुई थी। 1882 में बैंक ऑफ़ जापान स्थापित हुआ। 19 वीं शताब्दी में ही पुर्तगाल, जावा, इजिप्ट, तुर्की, बलगारिया, इत्यादि अनेक देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित किये गए।

समस्त में अधिकांश केन्द्रीय बैंकों की स्थापना बीसवीं शताब्दी में ही हुई है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) की स्थापना 1914 में हुई। प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् देशों के आर्थिक जीवन पर सरकारों की आवश्यकता अनुभव होत से केन्द्रीय बैंकिंग के विकास को प्रोत्साहन मिला। सन् 1920 में ब्रुसेल्स (Brussels) में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन (International Financial Conference) में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं वहाँ नीचे ही केन्द्रीय बैंक की स्थापना हो ताकि मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्थाओं में स्थिरता प्राप्त की जा सके। 1920 में 1937 तक (केवल विश्व-

1 "It (Central Bank) may be defined as an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare."—R. P. Kent *Money and Banking*

2 "The business of a Central Bank, as distinguished from a commercial bank is to control the commercial banks in such a way as to promote the general monetary policy of the state. There are three fundamental points implicit in this: first, a Central Bank does not, as a commercial bank does, exist to make maximum profits for its owners; second it must have some means of controlling the commercial banks; and third, it is subordinate to the state."—R. S. Sayers: *Modern Banking*, p. 71.

व्यापी मन्दी के दो सक्कालीन वर्ष, 1929 तथा 1930, छोड़कर) प्रति वर्ष सप्तर के विभिन्न देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित होते रहे। भारत में केन्द्रीय बैंक—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया—की स्थापना 1935 में हुई थी। 1940 के पश्चात् अनेक देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना हुई है। एशिया तथा अफ्रीका के देशों में राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा आर्थिक विकास की इच्छा में वृद्धि के साथ-साथ केन्द्रीय बैंकों की संख्या बढ़ती गयी है।

पिछले तीस वर्षों में केन्द्रीय बैंकों की प्रगति निम्नलिखित कारणों से हुई है

(1) एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है तथा उन्होंने अपनी मौद्रिक एव बैंकिंग व्यवस्था के सुसंचालन के लिए केन्द्रीय बैंक स्थापित किये हैं।

(2) स्वर्णमान समाप्त हो जाने के कारण मुद्रा-प्रणालियों में स्वयं-संचालकता भी समाप्त हो गयी है तथा मुद्रा के उचित नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बैंकों की स्थापना लगभग अनिवार्य हो गयी है। अब मुद्रा अपने आप नियमित नहीं होगी वरन् उसका नियमन करना पड़ता है।

(3) गत वर्षों में बैंकों का बहुत अधिक विकास हुआ है और उनके कार्यों में भी वृद्धि हुई है। उनके कार्यों का नियमन तथा उनका निर्देशन करने के लिए केन्द्रीय बैंक आवश्यक हो गये हैं।

(4) विभिन्न देशों में पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं में लेन देन करने के लिए भी केन्द्रीय बैंकों की स्थापना आवश्यक है।

ब्रिटिश तथा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक पद्धतियाँ

सप्तर में सभी देशों में केन्द्रीय बैंक व्यवस्था की ब्रिटिश पद्धति को अपनाया गया है। परन्तु अमेरिका में केन्द्रीय बैंक-व्यवस्था कुछ भिन्न प्रकार की है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व पद्धति (Federal Reserve System) तथा अन्य केन्द्रीय बैंकों के कार्य तो एकसे हैं, परन्तु इनका संगठन अलग अलग प्रकार का है। ब्रिटिश पद्धति के अन्तर्गत देश में एक ही केन्द्रीय बैंक होता है और इसमें मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने की शक्ति केन्द्रित होती है। इसके विपरीत, अमेरिका में 12 अलग-अलग फेडरल रिजर्व बैंक हैं तथा इस उद्देश्य से पूरे देश को 12 जिलों अथवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक फेडरल रिजर्व बैंक में उस क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों के अंश (shares) होते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंकिंग अधिकार एक संस्था के वजाय देश भर में 12 संस्थाओं को प्राप्त है। इन 12 केन्द्रीय बैंकों का नीति-निर्धारण तथा संचालन फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा होता है, जिसके अन्तर्गत एक बोर्ड (Board of Governors) का गठन किया गया है। वाणिज्य में स्थित यह बोर्ड ही नोट निष्कालने, साख नियन्त्रण, बैंक-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में समस्त फेडरल रिजर्व बैंकों का मार्गदर्शन करता है।

अमेरिका में अन्य देशों में भिन्न केन्द्रीय बैंक-व्यवस्था अपनाने के अनेक कारण हैं, जिनमें से निम्नलिखित तीन कारणों का उल्लेख प्रो० चेण्डलर ने किया है¹

- 1 भौगोलिक क्षेत्र में अन्तर (Differences in Geographical Area)—अधिकतर देशों की तुलना में अमेरिका का भौतिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक एव वित्तीय परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। इसलिए यह उचित समझा गया कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना अलग केन्द्रीय बैंक हो जो उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर सके।
- 2 बैंकों पर अधिकार व्यवस्था में अन्तर (Differences in Allocations of Jurisdiction over Banking)—एक केन्द्रीय बैंक उन देशों के लिए ही उपयुक्त है जहाँ सभी बैंक एक ही प्रकार की नियन्त्रण व्यवस्था के अधीन हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं है। परन्तु अमेरिका की सघीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों में अलग-अलग बैंकिंग विधान हैं, इसलिए एक ही केन्द्रीय बैंक द्वारा सुव्यवस्थित रूप में प्रत्येक राज्य में बैंक-व्यवस्था का नियन्त्रण तथा नियमन करना कठिन कार्य है।

- 3 बैंकिंग पद्धति में अन्तर (Differences in Commercial Banking Structure)—शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत जहाँ थोड़े-से बैंकों की शाखाएँ ही देश भर में फैली हुई हों, एक ही केन्द्रीय बैंक उन पर नियन्त्रण रख सकता है। इसके विपरीत, अमेरिका में अधिकांश बैंक इकार्ड बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं, जिनकी यदि शाखाएँ हैं तो वे केवल एक सीमित क्षेत्र में ही हैं। बैंकों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही केन्द्रीय बैंक स्थापित करना उचित नहीं समझा गया।

इस प्रकार अमेरिका में परिस्थितियाँ अन्य देशों से भिन्न होने पर केन्द्रीय बैंकिंग कार्य 12 फेडरल रिजर्व बैंकों को सौंपा गया है। इनकी मूल नीति एक ही केन्द्र से निर्धारित होती है, परन्तु सुविधा की दृष्टि से उसे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित किया जा सकता है।

केन्द्रीय बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग की तुलना

समानताएँ—(1) केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक दोनों ही मुद्रा का व्यवसाय करते हैं। केन्द्रीय बैंक मुद्रा का निर्माण करता है तथा व्यापारिक बैंक मुद्रा का लेन-देन करता है एवं उसके आधार पर साख-मुद्रा का निर्माण करता है। (2) केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक दोनों ही साख का निर्माण करते हैं। अपर्याप्त प्रतिभूतियों के आधार पर केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट निर्गमन करना साख का निर्माण ही है। व्यापारिक बैंक व्युत्पन्न निक्षेपों (derivative deposits) के आधार पर साख का निर्माण करते हैं। दोनों की साख-निर्माण की विधि में अन्तर होने पर भी कार्य एक-सा है। (3) दोनों ही प्रकार के बैंक प्रायः न तो अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण देते हैं और न ही दीर्घकालीन ऋण।

असमानताएँ—(1) केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था का सिरताज होता है, व्यापारिक बैंक चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, बैंकिंग व्यवस्था में एक इकार्ड-मात्र होता है तथा केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण में कार्य करता है। (2) केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता (lender of the last resort) तथा साख के कोष (reservoir of credit) के रूप में कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक इस प्रकार के कार्य नहीं करते तथा इन कार्यों के लिए केन्द्रीय बैंक पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक 'बैंको का बैंक' होता है। (3) सेयर्स के शब्दों में, "व्यापारिक बैंक का प्रथम लक्ष्य लाभ वमाना है, जबकि केन्द्रीय बैंक अपनी क्रियाओं द्वारा अर्थ-व्यवस्था के कार्यवाहन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करता है।"¹ (4) साधारणतया देश में केन्द्रीय बैंक एक ही होता है और व्यापारिक बैंक अनेक होते हैं। अमेरिका में 12 फेडरल रिजर्व बैंक हैं, परन्तु उनकी मूल नीति का निर्धारण एक ही केन्द्र से होता है। (5) कुछ केन्द्रीय बैंक, जैसे बैंक डि फ्रांस, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ फिनलैण्ड, इत्यादि केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक बैंक के कार्य भी करते हैं। परन्तु ये कुछ अपवाद हैं। साधारणतया केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक के कार्य नहीं करते और जनता से कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रखते, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ व्यवसाय करना होता है। (6) केन्द्रीय बैंक मुद्रा का निर्गमन करता है, इसलिए उसे निर्गमन बैंक (Bank of Issue) भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक मुद्रा का निर्माण नहीं करते, वे केवल व्युत्पन्न निक्षेपों के रूप में साख का निर्माण करते हैं जिसे बैंक द्वारा निकाला जा सकता है, इसलिए चैम्बलर ने व्यापारिक बैंकों को 'चैक-निक्षेप बैंक' (Checking Deposit Bank) की संज्ञा दी है। (7) केन्द्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है। वह सरकारी कोषों को रखता है, सरकारी भुगतान करता है तथा सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करता है, लोक-ऋण की व्यवस्था करता है और सरकार को परामर्श देकर सरकार की नीति को प्रभावित कर सकता है। व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। (8) केन्द्रीय

1 "The commercial bank thinks primarily of profit-making, whereas the Central Bank thinks of the effects of its operations on the working of the economic system"—R. S. Sayers *Modern Banking*, p. 19.

बैंक की मौद्रिक नीति स्वतन्त्र तथा न्यायोनील होती है और अर्थ-व्यवस्था के नियमन के लिए वह एक शक्तिशाली अस्त्र होती है। इसके विपरीत, व्यापारिक बैंको की साख-नीति स्वतन्त्र नहीं होती। वे केन्द्रीय बैंक के निर्देशन तथा नियन्त्रण में कार्य करते हैं। (9) प्रारम्भिक काल में स्थापित किये गये केन्द्रीय बैंको में से अधिकांश में निजी पूंजी का प्रभुत्व था। परन्तु कुछ वर्षों से केन्द्रीय बैंको की स्थापना सरकार द्वारा ही की जा रही है तथा बहुत-से पुराने बैंको को सरकारी अधिकार में ले लिया गया है, और इस प्रकार केन्द्रीय बैंको के सरकारी स्वामित्व की परम्परा स्थापित हो गयी है। परन्तु व्यापारिक बैंक माध्यारणतया मयुक्त पूंजी कम्पनियों के रूप में स्थापित किये जाते हैं और इनमें निजी पूंजी का ही प्रभुत्व होता है।

केन्द्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धान्त

केन्द्रीय बैंक का स्वरूप, मगठन, उद्देश्य तथा कार्य इत्यादि व्यापारिक बैंको से भिन्न होने के कारण केन्द्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धान्त साधारण बैंकिंग के सिद्धान्तों से भिन्न होते हैं। केन्द्रीय बैंक मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाता है

(1) सम्पूर्ण देश का हित—व्यापारिक बैंक अधिकतम लाभ की आकांक्षा में व्यवसाय करते हुए अपने अगधारिया के हित को सर्वोपरि रखते हैं। उनके विनियोगों का उनके लिए लाभ-पूर्ण होना आवश्यक है। इसके विपरीत, केन्द्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना बल्कि लोक तथा राष्ट्र-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर देश के लिए मुद्रा तथा साख की व्यवस्था करना होना है। 'बैंको के बैंक' के रूप में भी केन्द्रीय बैंक जो बिलों की पुनः कटौती, प्रतिभूतियों का द्रव्य विन्यय अथवा बैंको को ऋण देना आदि कार्य करता है उम्कना उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति में महायुक्त होना होता है, लाभ कमाना नहीं। जिन देशों में केन्द्रीय बैंक निजी स्वामित्व में है वहाँ भी उनके द्वारा दिये जाने वाले लाभदायक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य यदि लाभ कमाना हो तो उससे देश के व्यापार तथा उद्योगों को हानि हो सकती है, और मुद्रा-स्थिति का भय निरन्तर बना रहेगा। डी डॉक के मतानुसार, 'केन्द्रीय बैंक का निर्देशक सिद्धान्त यह है कि वह केवल लोकहित और समस्त देश के कल्याण के लिए ही कार्य करे और लाभ को अपना प्राथमिक उद्देश्य न स्वीकार करे।'¹

(2) मौद्रिक तथा वित्तीय नियन्त्रण की सक्रिय नीति—वर्तमान युग आर्थिक नियोजन का युग है जिसमें अर्थ व्यवस्था को माँग तथा पूर्ति की शक्तियों से स्वतन्त्रतापूर्वक प्रभावित होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। देश में मुद्रा, साख, विदेशी वित्तिय तथा सार्वजनिक ऋण के नियमन के लिए केन्द्रीय बैंक की सक्रिय नीति अपनाती चाहिए। केन्द्रीय बैंकिंग नीति का यह उद्देश्य होना चाहिए कि देश में कोई भी आर्थिक उलझन पैदा होने पर यह उसे मुलभाने के लिए सक्रिय नीति का प्रयोग करे।

(3) निष्पक्ष नीति—केन्द्रीय बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी राजनीतिक वर्ग अथवा किसी विशेष समुदाय का पक्षपात करते हुए नीति का निर्धारण न करे, बल्कि सम्पूर्ण देश के हित में निष्पक्ष नीति अपनाय। इसी भावना को सामने रखते हुए केन्द्रीय बैंक का सरकार के अधिकार में रहना जब अच्छा समझा जाना गया है। सरकार और केन्द्रीय बैंक की नीतियों में समन्वय तभी सम्भव है जबकि केन्द्रीय बैंक सरकारी नियन्त्रण में ही कार्य करे, चाहे वह अगधारिया का बैंक ही क्यों न हो।

(4) मुद्रा-चलन पर अधिकार—नोट-निगमन का अधिकार केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य मस्या को नहीं प्राप्त होना चाहिए। एसा होने पर ही यह देश में मुद्रा तथा साख-व्यवस्था पर उचित एवं प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रख सकता है। मुद्रा-निगमन पर केन्द्रीय बैंक का एकाधिनार न होने की दशा में मुद्रा-स्थिति का भय रहेगा तथा आर्थिक स्थिरता स्थापित न हो पायेगी।

1 "The guiding principle of a Central Bank is that it should act only in the public interest and for the welfare of the country as a whole and without regard to profit as a primary consideration" —De Kock *Central Banking*, p. 25.

(5) साधारण बैंकिंग कार्यों से अलग—केन्द्रीय बैंक को चाहिए कि वह साधारण व्यापारिक बैंकों की भांति सामान्य लेन देन के कार्य न करे, अर्थात् वह न तो जनता द्वारा निक्षेप स्वीकार करे और न ही सीधे ऋण दे। उसका ममस्त व्यवहार सरकार तथा व्यापारिक बैंक से होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक द्वारा साधारण बैंकिंग कार्य करने पर केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है जो बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए हितकर नहीं होगी। साधारण बैंकिंग कार्य करने पर अधिक लाभ के प्रलोभन में केन्द्रीय बैंक मुद्रा स्फीति की नीति अपना सकता है। उसे अपना हिमायि कृताव भी अलग-अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों में प्राप्त आय पर अधिकांश रूप में सरकार का अधिकार होता है, जबकि व्यावसायिक कार्यों में प्राप्त लाभ पर स्वयं बैंक का अधिकार होता है। इसलिए यह मिथ्या सर्वमान्य है कि केन्द्रीय बैंक को केवल केन्द्रीय बैंक के ही कार्य करने चाहिए, परन्तु फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, फिनलैंड, मिस्र आदि देशों के केन्द्रीय बैंक साधारण बैंकिंग कार्य भी करते हैं।

केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व

केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व अनेक प्रकार का हो सकता है। केन्द्रीय बैंक की कुल पूंजी सरकारी हो सकती है अथवा व्यक्तिगत असाधारणों की। ऐसा भी सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक की कुल पूंजी व्यापारिक बैंकों की हो, सरकार तथा व्यक्तिगत असाधारणों की सम्मिलित पूंजी हो, सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की सम्मिलित पूंजी हो, व्यक्तिगत असाधारणों तथा व्यापारिक बैंकों की सम्मिलित पूंजी हो अथवा सरकारी, व्यापारिक बैंक तथा व्यक्तिगत असाधारणों की सम्मिलित पूंजी हो।

सुगम रूप से केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व सरकारी हो सकता है अथवा गैर सरकारी। प्रारम्भ में अग्रिमतर देश गैर-सरकारी केन्द्रीय बैंक के पक्ष में थे। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त आर्थिक विकास एवं स्थिरता के लिए मौद्रिक नीतियाँ का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है जिसमें केन्द्रीय बैंक के सरकारी स्वामित्व की विचारधारा का वल मिला है और अनेक देशों में गैर-सरकारी केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में ले लिये गये हैं।

केन्द्रीय बैंक के गैर-सरकारी स्वामित्व के पक्ष अथवा सरकारी स्वामित्व के विपक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि केन्द्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व में होगा तो इसका प्रबन्ध उन लोगों के हाथ में होगा जिनका बैंकिंग समस्याओं का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। अतः बैंक की व्यवस्था अकुशल होगी। सरकारी कर्मचारियों पर प्रायः अकुशलता तथा दीर्घमूर्खता (inefficiency and red-tapism) का दोषारोपण भी किया जाता है। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब केन्द्रीय बैंक देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माधन होने के बजाय मत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की नीति का शिकार बन जाय।

वास्तव में उपर्युक्त तर्क निराधार हैं। इंग्लैंड, फ्रान्स, स्वीडन, कनाडा तथा भारत आदि देशों में सरकारी स्वामित्व में केन्द्रीय बैंकों ने जिस कुशलता से कार्य किया है उससे सरकारी स्वामित्व के विरुद्ध दिये जाने वाले तर्क मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं।

केन्द्रीय बैंक के सरकारी स्वामित्व के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं

1. केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना मात्र न होकर लोक हित में कार्य करना होता है। इस पर असाधारणों का स्वामित्व होने की दशा में यह सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक मार्वांजनिक हितों की अवहेलना करके असाधारणों के व्यावसायिक हितों की पूर्ति करने लगे। अतएव इस पर सरकारी स्वामित्व होना ही उचित है।
2. केन्द्रीय बैंक का कार्य ऐसा है जिसमें लाभ कमाने की प्रवृत्ति न हान पर भी काफी लाभ होता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा अर्जित लाभ को लोक-हित में लगाने के लिए लगभग सभी देशों में उस सरकारी कोष में स्वयान्तरित कर दिया जाता है। इस दृष्टि में इस पर सरकारी स्वामित्व होना ही अधिक उपयुक्त है।
3. केन्द्रीय बैंक का सरकार का बैंकर होने के नाम पर सरकार में घनिष्ठ सम्बन्ध होना है। ऐसी स्थिति में इस पर सरकारी स्वामित्व रहने में कौसी भ्रमविधा रहेगी।

4. गत वर्षों में आर्थिक विकास एव स्थिरता के लिए मौद्रिक तथा सरकार की वित्त नीति (fiscal policy) का अतिआर्थिक प्रयोग किया जाने लगा है। व्यावहारिक रूप में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन दोनों नीतियों में समन्वय आवश्यक है, और केन्द्रीय बैंक पर सरकारी स्वामित्व होने से यह समन्वय प्राप्त करने में सुविधा होती है।
5. आर्थिक जानोदन के अन्तर्गत सभी देशों में मुद्रा, विदेशी व्यापार तथा नाव्यजनित स्थान सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न अटिल हो गयी हैं, और यह सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक तथा सरकार के विभागों में मतभेद हो। इन परिस्थितियों में सरकारी नीति के परिणामन में अधिक क्लिप्त होना स्वाभाविक है। उन आर्थिक विकास की अटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए केन्द्रीय बैंकों को सरकारी अधिकार में रचना अथवा में लेना ही श्रेयस्कर है।

जनशिक्षा के फ्रेण्ड मित्र बैंकों की पुंजी व्यावसायिक बैंकों की है। जर्मनी, जापान, नार्वे आदि के केन्द्रीय बैंकों की कुल पुंजी व्यक्तिगत अन्वयारियों की है। परन्तु इंग्लैण्ड, फ्रान्स, स्वीडन, कनाडा, माग्न आदि के केन्द्रीय बैंक विद्युत् सरकारी स्वामित्व में हैं। गत 15-20 वर्षों में स्थापित किसे गद्य केन्द्रीय बैंक पूर्णतः सरकारी हैं और अनेक बैंक ओ पहले निजी स्वामित्व में थे, सरकारी अधिकार में ले लिये गये हैं। इस प्रकार, हमने कोई संदेह नहीं कि वर्तमान विश्व में केन्द्रीय बैंकों के सरकारी स्वामित्व की परम्परा स्थापित हो गयी है। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक केन्द्रीय बैंक, चाहे उन पर स्वामित्व किमी का भी हो, सरकारी नियन्त्रण के अधीन ही कार्य करता है। उन् मनमाने तरीके में लानाया वितरित करने की छूट नहीं दी जाती और न ही उन् एसी अनुमति दी जाती है कि मनमाने ढंग में लान अतिवृत्त करने के उद्देश्य में वह कार्य करे।

केन्द्रीय बैंक के प्रमुख कार्य

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा देते समय हमने यह देखा था कि केन्द्रीय बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने जलग-अलग विचार प्रकट किये हैं। किमी ने एक कार्य को अधिक महत्व दिया है, तो दूसरे ने किमी अन्य कार्य का अधिक महत्वपूर्ण समझा है। डॉ० वी कौक ने केन्द्रीय बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का एक साथ उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कार्य बताये हैं¹

- 1 नोट-निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of Note Issue),
- 2 सरकारी बैंकर, एजेंट तथा सलाहकार (Government Banker, Agent and Advisor),
- 3 व्यापारिक बैंकों के नकद-कोष का सुरक्षक (Custodian of Cash Reserves of Commercial Banks),
- 4 देश के विदेशी विनिमय कोषों का सुरक्षक (Custodian of the Nation's Reserves of International Currency),
- 5 व्यापारिक विनिमय-पत्रों की पुनर्होती एव अन्तिम श्रृण्डदाना (Bank of Rediscount and Lender of the Last Resort),
- 6 शानो का समागोचन, निरन्तरता तथा स्थानान्तरण (Bank of Central Clearance, Settlement and Transfer),
- 7 माध्य का नियन्त्रण (Control of Credit)।

केन्द्रीय बैंक के कार्यों का विवरण

(1) पत्र-मुद्रा-निर्गमन का एकाधिकार—केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसे वह आरम्भ में ही करना रहा है, देश में पत्र-मुद्रा का निर्गमन करना है। वेरा स्मिथ (Vera Smith) ने इस कार्य को ही केन्द्रीय बैंक की परिभाषा का आधार बनाया है। केन्द्रीय बैंकिंग पद्धति के

विक्रम के पूर्व नोट जारी करने का कार्य राज्य अथवा व्यापारिक बैंको द्वारा किया जाता था, परन्तु दोनों ही इस कार्य के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुए। केन्द्रीय बैंको के विवक्षित होने पर देश में मुद्रा-चलन का एकमात्र अधिकार धीरे-धीरे उन्हें ही सौंप दिया गया और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक उनका यह कार्य इतना महत्वपूर्ण समझा जाने लगा कि उन्हें निर्गमन बैंक (Bank of Issue) कहा जाता था। आजकल पत्र मुद्रा निर्गमन केन्द्रीय बैंक का एकाधिकार है, और अधिकांश केन्द्रीय बैंको ने अपने कार्यों को दो विभागों में बाँट रखा है—बैंकिंग विभाग (Banking Department), तथा निर्गमन विभाग (Issue Department)।

नोट-निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को क्यों दिया गया, इसके मुख्य कारण निम्न हैं।

- 1 मुद्रा प्रणाली में एकस्यता—नोट-निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होने पर देश की मुद्रा-प्रणाली में एकस्यता आ जाती है। इसमें जालमाजी की सम्भावना कम होती है तथा पत्र-मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखना सरल हो जाता है। एक-रूपता के कारण व्यापार में बहुत सुविधा रहती है।
- 2 साख-निर्माण पर नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक को व्यापारिक बैंको की साख निर्माण की शक्ति पर नियन्त्रण रखना होता है। चूंकि साख-निर्माण की शक्ति बहुत बृद्ध चलन (currency) की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए केन्द्रीय बैंक का पत्र-मुद्रा निर्गमन पर एकाधिकार होने की वृत्ति में इनके चलन की मात्रा पर नियन्त्रण करके साख-निर्माण की मात्रा को आसानी से नियन्त्रित किया जा सकता है।
- 3 मुद्रा-प्रणाली में लोच—नोट जारी करने का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होने पर उसे यह ज्ञात रहता है कि मुद्रा की पूर्ति कितनी है और, दूसरी ओर, देश का सर्वोच्च बैंक होने के कारण उसे देश में मौद्रिक आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों का भी ज्ञान रहता है। मुद्रा की मात्रा को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ाकर केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा प्रणाली में कुशलतापूर्वक पर्याप्त लोच बनाये रख सकता है।
- 4 जनता का विश्वास—केन्द्रीय बैंक को सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इसके द्वारा जारी किये गये नोटों के प्रति जनता का विश्वास अधिक रहता है।
- 5 राख्य को लाभ—मुद्रा-निर्गमन एक लाभकर व्यवसाय है। जब यह कार्य जेजे केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है तो बहुत आसानी से यह लाभ सरकार द्वारा अपने कोष में लिया जा सकता है तथा इसका प्रयोग सार्वजनिक हित में किया जा सकता है।
- 6 मुद्रा के मूल्य में स्थिरता—नोट जारी करने का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को होने से मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य को आसानी से स्थिर रखा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करना आसान होता है। इनमें देश में कीमती से अधिक उत्तर-चढ़ाव से बचा जा सकता है तथा विदेशी विनिमय-दर में भी स्थिरता बनाये रखी जा सकती है।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक नोट निर्गमन पर एकाधिकार रखकर देश में सस्ती व उपयुक्त चलन-प्रणाली की व्यवस्था करता है तथा उसके मूल्य में स्थिरता बनाये रखने के प्रयास करता है। देश में व्यापार, उद्योग तथा सरकार सबके लिए यही हितकर है कि नोट निर्गमन का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही दिया जाय।

(2) सरकार का बंधर, एजेंट व सलाहकार—सरकारी बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकार को वही सेवाएँ प्रदान करता है जो जनता को साधारण बैंको से प्राप्त होनी हैं। यह सरकारी विभागों के साथे रहता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को ऋण भी देता है तथा सार्वजनिक ऋणों का प्रबन्ध करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार को और में विदेशी मुद्राओं का खय-विक्रय भी करता है।

सरकारी अभिकर्ता के रूप में यह सरकार की ओर से प्रतिभूतिया, ट्रेजरी बिलों आदि का खय विक्रय करता है। सरकारी ऋणों का प्रबन्ध, विनिमय-नियन्त्रण का संचालन, सरकार

द्वारा किये गये निकासी समझौते (Clearing Agreements) तथा शोधन समझौते (Payments Agreements) का नियमन आदि अनेक कार्य भी केन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाते हैं। केन्द्रीय बैंक के इस प्रकार के कार्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते केन्द्रीय बैंक सरकार को आर्थिक व वित्तीय मामलों में सलाह भी देता है। केन्द्रीय बैंक की सलाह में सरकार मुद्रा एव वैकिंग सम्बन्धी नीति निर्धारित करती है और उस केन्द्रीय बैंक की महायता से ही कार्यान्वित करती है।

“सरकारी बैंकर के रूप में केन्द्रीय बैंक केवल इसलिए कार्य नहीं करता कि वह सरकार के लिए सुविधाजनक तथा मितव्ययी है, वरन् इसलिए भी कि सार्वजनिक वित्त तथा मौद्रिक मामलों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।”¹

(3) व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का सुरक्षक—केन्द्रीय बैंक ‘बैंकों का बैंक’ होता है, अर्थात् इसका अन्य बैंकों के साथ सम्बन्ध तगभग वैसा ही होता है जैसा उनका अपने ग्राहकों का साथ होना है। देश में अन्य बैंकों का खाना केन्द्रीय बैंक में होना है, जिनमें अन्य बैंक केन्द्रीय बैंक के पास नकद-कोष जमा कराते हैं। आरम्भ में तो साधारण बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास नकद जमा करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था, परन्तु अब मसारा के तगभग सभी देशों में इस प्रकार की जमा अनिवार्य रूप में रखने के लिए कानून बना दिये गये हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य मद्रम्य बैंकों के नकद कोषों का सुरक्षण करना है।

बैंकों द्वारा अपने नकद कोषों का कुछ भाग केन्द्रीय बैंक के पास जमा कराने के कई लाभ हैं, जैसे—(1) नकद-कोषों के उपयोग का क्षेत्र बढ जाता है तथा राष्ट्रीय सकट के समय में इस राशि का उचित रूप में उपयोग हो सकता है, (2) इससे साख प्रणाली में लोच पैदा होती है, क्योंकि बैंकों का कुछ नकद-कोष केन्द्रीय बैंक के पास जमा रहने के कारण बाकी नकद रकम के आधार पर बैंक अधिक में अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता पडने पर उन्हें केन्द्रीय कोष में महायता मिल सकती है। (3) केन्द्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण-नीति तथा ऋण-नीति का नियन्त्रित करने का अवसर मिलता है, तथा (4) केन्द्रीय बैंक के माध्यम में बैंकों का आपसी लेन-देन सरल हो जाता है।

केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों का समय समय पर ऋण देता है तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और उचित पथ-प्रदर्शन करता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक (friend, philosopher and guide) का कार्य करता है।

(4) देश के विदेशी विनिमय कोषों का सुरक्षक—पत्र-मुद्रा के निर्गमन के लिए केन्द्रीय बैंक प्रारम्भ से ही अपने पास धात्विक कोष रखता था। बाद में विनिमय मान अपनाये जाने पर उनका देशों के केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय के कोषों के आधार पर भी पत्र-मुद्रा-निर्गमन करने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी के पश्चात् अनेक देशों ने अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर स्थिर रखने के लिए विनिमय-समीकरण खाते अथवा विनिमय-स्थिरीकरण कोषों की स्थापना की थी, जिनका मञ्चालन-भार केन्द्रीय बैंकों को नौपा गया था। अब ऐसी परम्परा स्थापित हो गयी है कि प्रत्येक देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैंक के कोष में रखी रहती है और निर्धारित नियमों के अनुसार केन्द्रीय बैंक इसके उचित प्रयोग की व्यवस्था करता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का सुरक्षक है। अधिकांश देश पत्र-मुद्रा-निर्गमन के पीछे विदेशी विनिमय कोष रखने लगे हैं। अब मुद्रा व्यवस्था में तात्त्विक रूप से रखने के लिए इन कोषों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए भी विदेशी विनिमय कोषों को उचित मात्रा में बनाय रखने की आवश्यकता होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य

1 “The Central Bank operates as the Government’s banker, not only because it is more convenient and economical to the Government, but also because of the intimate connection between public finance and monetary affairs —De Kock *Central Banking*, p 43

यह है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्राओं का कोष रहे, जिससे किमी भी नगम भुगतान का विपरीत सन्तुलन चुकाया जा सके और इस प्रकार देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थिरता रखी जा सके।

(5) विलो की पुनर्कटौती का कार्य एवं अन्तिम ऋणदाता—व्यापारिक बैंको के तरल कोष ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होने पर उन्हें केन्द्रीय बैंक की सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में केन्द्रीय बैंक उनकी दो प्रकार से सहायता कर सकता है—श्रेष्ठ व्यापारिक विलो की पुनर्कटौती द्वारा तथा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ की धरोहर पर ऋण द्वारा।

यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार व्यापारिक विलों की कटौती करते हैं। यदि विल की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही बैंक को नकद राशि की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह इसकी केन्द्रीय बैंक से पुनर्कटौती करा लेता है और अपनी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। चूँकि यह विल प्रायः अल्पकालीन होते हैं, अतएव श्रेष्ठ विलो की पुनर्कटौती करने में केन्द्रीय बैंक को तनिक भी मकोच नहीं होता।

व्यापारिक बैंको को नकद राशि की आवश्यकता पड़ने पर यदि उनके पास पर्याप्त मूल्य के विनिमय बिल न हों, तो वे केन्द्रीय बैंक से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा उनके पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ धरोहर के रूप में रखी जाती हैं। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ऋण तभी दिये जाते हैं जब मुद्रा-बाजार में नकदी की अत्यधिक आवश्यकता हो।

चूँकि केन्द्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर विलो की पुनर्कटौती द्वारा तथा प्रत्यक्ष ऋण देकर मुद्रा-बाजार में पूँजी की मात्रा को बड़ा सकता है, इसलिए इसे 'अन्तिम ऋणदाता' (lender of the last resort) कहा जाता है। सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने यह कार्य आरम्भ किया था, परन्तु अब तो प्रत्येक केन्द्रीय बैंक इस करता है।

(6) खातों का समासोधन, निवटारा तथा स्थानान्तरण—केन्द्रीय बैंक एक समासोधन गृह (clearing house) के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंको के पारस्परिक लेन-देन अथवा एक-दूसरे पर लिखे गये चेकों के भुगतान का निवटारा केवल खाता में आवश्यक परिवर्तन द्वारा किया जा सके। जब लोग अपने भुगतान बैंको द्वारा करते हैं तो चेक एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को भेजे जाते हैं, क्योंकि इनके भुगतान का दायित्वता उन्नी बैंक का होता है जिसके लिए यह लिखा जाता है तथा अन्य बैंक इनको केवल वपूनी के लिए स्वीकार करते हैं। केन्द्रीय बैंक के माध्यम से बैंको के इस प्रकार के पारस्परिक लेन-देन का निवटारा करने में बहुत सुविधा होती है। केन्द्रीय बैंक में सब सदस्य बैंको के खाते खुले होते हैं तथा इन खातों में रकम का स्थानान्तरण (transfer entries in ledger accounts) कर देने मात्र से, बिना नकद भुगतान किये अथवा बहुत कम मात्रा में नकदी देकर, लेन-देन का हिसाब हो जाता है।

शाँ (Shaw), विलिस (Willis) तथा जानसी (Jauncey) आदि अर्थशास्त्रियों ने समासोधन का कार्य केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना है। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने यह कार्य 1854 ई० में आरम्भ किया था। कुछ समय बाद अन्य केन्द्रीय बैंक भी इस कार्य को करने लगे, और अद्यतो प्रत्येक केन्द्रीय बैंक का यह एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। केन्द्रीय बैंक के इस कार्य में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे—(1) बैंको के पारस्परिक भुगतान सरलता से एवशीघ्रतापूर्वक हो जाते हैं, (2) मुद्रा के उपयोग में मितव्ययता होती है एव केन्द्रीय बैंक द्वारा चलन में कम मुद्रा रखने पर भी काम चल जाता है, तथा (3) बैंको को अपने पास कम नकद-कोष रखने पड़ता है और वे अधिक मात्रा में साव का निर्माण कर सकते हैं।

(7) साव का नियन्त्रण—साव का नियन्त्रण करना केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य समझा जाता है। साव-नियन्त्रण से तात्पर्य साव-मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी अथवा वृद्धि करने से है। साव की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तथा कम होने पर मुद्रा-मनुचन के दोष पैदा हो जाते हैं। यही

कारण है कि केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा को नियन्त्रित रखता है। यद्यपि केन्द्रीय बैंक के अन्य कार्यों—जैसे, पत्र मुद्रा का निर्गमन, मरकारी बैंक के रूप में कार्य, धातु तथा विदेशी विनिमय का संरक्षण, अन्तिम ऋणदाता तथा समाशोधन सम्बन्धी कार्य—का अपना अलग-अलग महत्व है, तथापि अनेक अर्थशास्त्री उन्हें साख-नियन्त्रण के प्रधान कार्य का अंग ही मानने लगे हैं। आज के युग में साख नियन्त्रण का कार्य इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लगभग प्रत्येक केन्द्रीय बैंक के विधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के विधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि "बैंक के मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना तथा भारत में मौद्रिक सुरक्षा के हेतु कोष रखना और चलन तथा साख-व्यवस्था को कार्यान्वित करना है।"

1931 के पूर्व साख-नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय दर (अर्थात् मुद्रा का बाह्य मूल्य) में स्थिरता रखना होता था। 1931 में स्वर्णमान का पतन हो जाने के बाद साख-नियन्त्रण का उद्देश्य आन्तरिक मूल्य में स्थिरता बनाये रखना हो गया, क्योंकि देश में आन्तरिक मूल्यों की स्थिरता को आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अधिक आवश्यक समझा जाने लगा है। वस्तुन कीमत-स्तर का प्रभाव विनिमय स्थायित्व पर पड़ता है और विनिमय स्थायित्व आन्तरिक कीमतों को प्रभावित करता है, इसलिए साख-नियन्त्रण का उद्देश्य इन दोनों में स्थायित्व की प्राप्ति होना चाहिए।

साख-नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बैंक अनेक विधियाँ अलग-अलग जयवा एक साथ अपनाता है। इनकी विवेचना हम एक पिछले अध्याय में अलग से कर चुके हैं।

(8) आँकड़े सङ्कलित करना—डी काँक द्वारा बताये गये केन्द्रीय बैंक के उपर्युक्त सात कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश में मुद्रा, साख, बैंकिंग, विदेशी विनिमय आदि स सम्बन्धित आर्थिक स्थिति के बारे में आँकड़े व सूचनाएँ एकत्र करना तथा उन्हें जन हित में प्रकाशित करना है। इन आँकड़ों में व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास के लिए देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, आर्थिक नियोजन की सफलता में सहायता मिलती है तथा विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करना सम्भव होता है।

केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर प्रतिबन्ध

जबो तक उन कार्यों की विवेचना की गयी है जिन्हें केन्द्रीय बैंक करता है। केन्द्रीय बैंक के कार्यों का दिन-प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। परन्तु केन्द्रीय बैंकिंग के सफल संचालन तथा अर्थ-व्यवस्था के हित में केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी होने हैं। डी काँक के अनुसार केन्द्रीय बैंक का जनता में प्रत्यक्ष रूप में केवल इस प्रकार के सम्बन्ध ही रखने चाहिए जो इसकी मौद्रिक तथा बैंकिंग नीति की सफलता के लिए आवश्यक हों। इसको जनता में प्रत्यक्ष रूप में नकदी स्वीकार नहीं करनी चाहिए और न ही जनता को प्रत्यक्ष रूप में ऋण आदि प्रदान करने चाहिए। ये सब कार्य केन्द्रीय बैंक को देश की व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ही सम्पन्न करने देना चाहिए।¹ दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय बैंक को साधारण व्यापारिक बैंकों के कार्य नहीं करने चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, कुछ केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के भी कार्य करते हैं, परन्तु यह सैद्धांतिक रूप में गलत है। इसके द्वारा व्यापारिक बैंकों के कार्य करने पर अन्य व्यापारिक बैंक इसकी प्रतिस्पर्धा में टूटने लगे। केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए इसे निष्पक्ष होकर देश की मुद्रा-प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

भारत में रिजर्व बैंक पर यह प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं कि वह कुछ कार्य नहीं कर सकता है, जैसे—

1 "A further requisite of a real Central Bank is that it should not, to any great extent, perform such banking transactions as accepting deposits from the general public and accommodating regular commercial customers with discount and advances. It is now almost generally accepted that a Central Bank should conduct direct dealings with the public only in such forms and to such extent as, in the circumstances of the particular country, it considers absolutely necessary for the purpose of carrying out its monetary and banking policy. —De Kock *Central Banking*, 3rd Edition, p. 22

- 1 वह किसी उद्योग अथवा व्यापार को नहीं खोल सकता,
- 2 वह किसी बैंक या बन्पनी के शेयर नहीं खरीद सकता,
- 3 अबल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता,
- 4 बिना जमानत के ऋण नहीं दे सकता,
- 5 भिषादी प्रिल न खिल सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है, तथा
- 6 जमाआ पर व्याज नहीं दे सकता है ।

इस प्रकार के प्रतिबन्धा का उद्देश्य केन्द्रीय बैंकिंग काय म निष्पक्षता सुरक्षा तथा तरलता आदि बनाये रखना होना है और इनमे मुद्रा प्रणाली के सफन सचालन म सहायता मिलती है ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरो के सकेत

- 1 केन्द्रीय बक किसे कहते हैं ? केन्द्रीय बक और व्यापारिक बक म अंतर स्पष्ट कीजिए ।
[सकेत प्रथम भाग म केन्द्रीय बक की परिभाषा दीजिए । दूसरे भाग मे केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक की पारस्परिक समानताया तथा असमानताया का उल्लेख कीजिए और यह बताइए कि सामान्यतः केन्द्रीय बैंक की व्यापारिक बैंक क काय नही करन चाहिए ।]
- 2 केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए । केन्द्रीय बैंक पर सरकारी स्वामित्व होना क्यों अच्छा है ?
[सकेत केन्द्रीय बैंक क निर्देशन सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने क पश्चात यह स्पष्ट कीजिए कि केन्द्रीय बक पर सरकारी स्वामित्व क क्या लाभ हुंते हैं ।]
- 3 केन्द्रीय बक के शर्षों का विवेचन कीजिए तथा उनका महत्व बताइए ।
[सकेत केन्द्रीय बैंक द्वारा निचे जाने वान सभी कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और साथ मे यह भी बताइए कि प्रत्येक काय का महत्व क्या है अर्थात इनके वण की वैकिंग तथा व्यावसायिक व्यपस्था की कौन कौनसे लाभ प्राप्त हुंते हैं ।]
- 4 क्या एक देश मे एक ही केन्द्रीय बक होना चाहिए ? क्या किसी देश मे एक से अधिक केन्द्रीय बक भी हैं ?
[सकेत एक ही केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के पश्चात अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि अमेरिका मे इस पद्धति की कुछ विशेष परि स्थितियों के कारण ही अपनाया गया है ।]

तृतीय खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

[INTERNATIONAL TRADE]

“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमा के बाहर व्यापार का विस्तार मात्र है। अतः यह विशिष्टीकरण और इनमें प्राप्त होने वाले लाभ के धन को अधिक व्यापक बना देता है।”¹ —हेन्सवय

जब किसी देश के विभिन्न स्थानों, प्रदेशों अथवा क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रय-विप्रेय होता है, तो इसे 'आन्तरिक व्यापार' (Internal Trade), 'घरेलू व्यापार' (Domestic Trade), 'स्थानीय व्यापार' (Local Trade) अथवा अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार (Inter-regional Trade) कहा जाता है। इसके विपरीत, जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रय-विप्रेय होना है तो इसे 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' (International Trade) अथवा विदेशी व्यापार (Foreign Trade) कहते हैं।

अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता

चूँकि अन्तर्क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय के रूप में ही सम्पन्न होते हैं, और सभी प्रकार के विनिमय का आधार विशिष्टीकरण (specialization) तथा श्रम-विभाजन (division of labour) होता है, इसलिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक समानताएँ हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

1. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों विनिमय के उद्देश्य से ही किये जाते हैं ताकि जिस स्थान पर जो वस्तु प्रचुर मात्रा में उत्पन्न अथवा उपलब्ध होती है, उसे उन स्थानों में भेजा जाय जहाँ उसकी उपलब्धि सीमित होती है। यह बात जितनी अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार के लिए सत्य है उतनी ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी सत्य है।
2. राष्ट्रीय व्यापार में श्रम-विभाजन के कारण ही विशिष्टीकरण होना है और विनिमय की आवश्यकता अनुभव होती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार भौगोलिक श्रम-विभाजन होता है, क्योंकि अलग-अलग देशों के प्राकृतिक माघन तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं।
3. राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का उत्पादन एक स्थान पर कम लागत से किया जा सकता है वहाँ से माल अन्य स्थानों को भेजा जाता है। इसी प्रकार जिन देशों में जो वस्तुएँ सस्ती हैं उन्हें अन्य देश खरीद लेते हैं और इसके बदले में वे वस्तुएँ बेचते हैं जो उनके द्वारा कम लागत पर बनायी जा सकती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का उद्देश्य कम मूल्य पर अधिकतम मनुष्युत्पि प्राप्त करना होता है।

¹ “International trade is simply the extension of the trade beyond the boundaries of a nation. It, therefore, extends the range of specialization and the gains derivable thereupon.” —Ellsworth. *The International Economy*, p. 141.

- 4 राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभार्जन करना होता है।
- 5 राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों को हृदय करते हैं, तथा पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देते हैं।

इस प्रकार सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में काफी समानता है। इसी समानता को देखते हुए ओहलिन (Ohlin) ने कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा मात्र है।"¹

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता

अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में समानता होने के कारण एक प्रश्न उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) का विचार था कि आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ आधारभूत अन्तर है जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता है। इसके विपरीत आधुनिक अर्थशास्त्री, जिनमें ओहलिन (Ohlin) प्रमुख हैं, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तर्देशीय व्यापार में भिन्न नहीं मानते तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त को आवश्यक नहीं समझते।

पृथक सिद्धान्त के पक्ष में तर्क

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार दो देशों में वस्तुओं के उत्पादन की सामंजसिक लागतों में अन्तर होने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उदय होता है और इसके लिए उन्होंने 'तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त' (Theory of Comparative Cost) का प्रतिपादन किया। उनका विचार था कि यह सिद्धान्त केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही लागू होता है, अन्तर्देशीय व्यापार पर नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त के पक्ष में उनके विचार मुख्य रूप से आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार की निम्नलिखित भिन्नताओं पर आधारित थे

(1) धम तथा पूंजी की गतिशीलता—रिकार्डो (Ricardo) तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार में धम तथा पूंजी एक देश की सीमा के भीतर तो गतिशील (mobile) होते हैं, अर्थात् एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की तथा एक उत्पादन-कार्य में दूसरे उत्पादन-कार्य में स्वतन्त्रतापूर्वक आते-जाते रहते हैं। परन्तु दो विभिन्न देशों के बीच में साधन अधिकतर गतिहीन (immobile) होते हैं। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने बताया कि धम में सबसे अधिक गतिहीनता होती है।² पूंजी में धम की अपेक्षा अधिक गतिशीलता होती है, फिर भी जहाँ तक सम्भव होता है, पूंजीपति अपनी पूंजी का विनियोग अपने देश में ही करना चाहते हैं। विभिन्न देशों के बीच पूंजी की गतिशीलता अनेक कारणों से प्रभावित होती है। हैबरलर के शब्दों में, "पूंजी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता में यातायात-व्यय के कारण बाधा नहीं पड़ती, बल्कि इसकी बाधाएँ एक बिलकुल भिन्न प्रकार की होती हैं। इनके अन्तर्गत न्याय पाने में कठिनाई, राजनीतिक अस्थिरता, विदेश में विनियोग के लाभों की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अज्ञानता, वैश्विय व्यवस्था की अपूर्णता, विदेशी मुद्राओं की अयोग्यता तथा विदेशियों में अविश्वास, आदि आते हैं।"³

दो देशों में बीच धम तथा पूंजी में गतिशीलता के अभाव के कारण उत्पादकों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा (perfect competition) की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों में वस्तुओं की उत्पादन-लागत तथा कीमतें भिन्न-भिन्न होती हैं जिससे उनके बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आरम्भ होता है। इसके विपरीत, एक देश के आन्तरिक व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन-लागत तथा कीमतों में समानता रहती है। इस प्रकार, धम तथा पूंजी की अन्त-

1 "International trade is only a special case of inter regional Trade"—Ohlin . *Inter-regional and International Trade*, p 3

2 "Of all sorts of luggage, man is most difficult to be transported"—Adam Smith

3 Haberler *Theory of International Trade* ;

राष्ट्रीय गतिशीलता में अभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को प्रभावित करता है। इसकी व्याख्या के लिए एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता है।

(2) प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों में अन्तर—विभिन्न देशों में न तो प्राकृतिक साधन एक-समान होते हैं और न ही उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ एक-सी होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण विभिन्न देशों में अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण हो जाता है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न देशों को अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

(3) उत्पादन की रीतियाँ एवं सुविधाएँ—विभिन्न देशों में तकनीकी के विकास तथा पूँजी के साधनों आदि में विभिन्नताओं के कारण उत्पादन की अलग-अलग रीतियों का प्रयोग किया जाता है जिसका उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश में सरकारी नीति, उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्थाएँ तथा कर-प्रणालियाँ अलग-अलग होती हैं, और उनका भी उत्पादन-लागत पर प्रभाव पड़ता है। हैरॉड (Harrod) के विचारानुसार, “वास्तविक लागत का सामान्य स्तर एक देश में दूसरे की अपेक्षा केवल इस कारण से नीचा हो सकता है कि सरकार ने अधिक सुविधाएँ प्रदान कर रखी हैं।”

(4) आयात-निर्यात की कठिनाइयाँ—सभी देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी आयात-निर्यात नीति निर्धारित करते हैं तथा अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाते हैं, जबकि आन्तरिक व्यापार में वस्तुओं के आवागमन पर सामान्यतः कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। हैबरलर (Haberler) ने इसीलिए कहा है कि तट कर की दीवारें (tariff walls) विदेशी व्यापार तथा देशी व्यापार के बीच अन्तर उत्पन्न करती हैं।

(5) विभिन्न मुद्रा प्रणालियाँ तथा विदेशी विनिमय की समस्या—सभी देशों में न तो मुद्रा प्रणाली एक-सी होती है और न ही एक-सी मॉड्रिक नीति होती है। विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दरें निर्धारित करना तथा उनमें स्थायित्व बनाये रखना सरल नहीं होता। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा भुगतान-मन्तुलन की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत, आन्तरिक व्यापार में कीमतें निर्धारित करने तथा मूल्य का भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उपर्युक्त अन्तर ध्यान में रखते हुए ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त का होना आवश्यक बनाया था और इसके लिए उन्होंने ‘तुलनात्मक लागत सिद्धान्त’ प्रतिपादित किया, जिसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या आगे की गयी है।

पृथक सिद्धान्त के विरुद्ध तर्क

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के विपरीत आधुनिक अर्थशास्त्री, विशेषतया स्वीडिश अर्थशास्त्री बर्टिल ओह्लिन (Bertil Ohlin), अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशेष दशा मानते हैं और इसके लिए किसी पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं समझते। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा बनायी गयी आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार में अममानताएँ आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में असत्य एवं भ्रमपूर्ण हैं। यह अममानताएँ आधारभूत नहीं बल्कि उनमें केवल अंश (degree) का ही अन्तर है। इनके द्वारा दिये गये निम्नलिखित तर्क यह मुझाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कुछ अग्रे में आन्तरिक व्यापार का ही एक विस्तृत रूप है, अतएव इनके लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है।

(1) श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता, जिसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पृथक सिद्धान्त का आधार बनाया है, ओह्लिन के मतानुसार केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ही विशेष लक्षण नहीं है बल्कि यह एक ही देश के दो विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक क्षेत्र में किसी उद्योग में लगे हुए श्रम में उसी देश के किसी अन्य क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के

उद्योग में जाने की इच्छा नहीं होती। बम्बई की सूती मिला में काम करने वाले मजदूर बिहार में इस्पात के कारखानों अथवा खानों में काम करने के लिए तयार नहीं होते। इसी प्रकार एक उद्योग से दूसरे उद्योग में पूँजी की गतिशीलता का देग के भीतर भी अभाव हो सकता है। वास्तव में विभिन्न देगों के बीच श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता सापेक्ष (relative) होती है। सरल तौर पर श्रम तथा पूँजी के साधन न तो विभिन्न देगों के बीच पूर्णतया गतिशील होते हैं और न ही देग के भीतर पूर्णरूपेण गतिशील। दोनों देगाओं में गतिशीलता में केवल श्रेणी अथवा माना (degree) का ही अंतर होता है। वर्तमान समय में पूँजी तथा श्रम की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता में काफी वृद्धि हुई है। अतः इनकी गतिशीलता का आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(2) प्राकृतिक साधन तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ एक ही देग के अंदर अलग अलग हो सकती हैं। एक देग में विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु, भूमि तथा खनिज सम्पत्ति में अंतर होता है और विनोपतया बड़े देगों जैसे ब्राजील, चीन, भारत, रूस आदि में तो यह अंतर बहुत ही अधिक होते हैं। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार कि हम प्रकार की विभिन्नताएँ केवल भिन्न भिन्न देगों में ही सम्भव हैं ठीक नहीं है।

(3) उत्पादन की रीतियाँ तथा सुविधाएँ एक ही देग के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरणार्थ एक ही वस्तु का एक देग में उत्पादन अलग अलग रीतियों से किया जाता है। यदि इसका उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में हो तो इसके लिए श्रम की कम तथा पूँजी की अधिक लागत होती है। छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन की अन्य सुविधाएँ भी एक ही देग के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं। औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय समतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से सरकारी नीति प्रायः इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि देग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन सम्बन्धी सुविधाएँ तथा स्थितियाँ अलग अलग पायी जाती हैं।

(4) आपात निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ही नहीं होते बल्कि अनेक देगों में एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को माल भजने पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ भारत में खाद्यान्नों के व्यापार में विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों में यह भावना बढती जा रही है कि विभिन्न देग मिलकर अपने-आपने बाजार स्थापित कर तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्ध धीरे-धीरे हटा लिये जाय।

(5) विभिन्न भौतिक प्रणालियों तथा भौतिक नीतियों की समस्या बहुत कुछ हल की जा चुकी है। विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों के निवारण तथा स्थायित्व का भार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषों में अपने ऊपर ले लिया है। विभिन्न देगों के बीच वारिस्पेरिक भुगतान की कोष की सहायता से सुविधापूर्वक हो जाते हैं। यदि कुछ कठिनाइयाँ हों तो भी इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त का आधार नहीं माना जा सकता है। इस विषय में आर्हलिन ने कहा है कि मुद्राओं का अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार का अंतर सूचित नहीं करता बरन एक बाजार के मूल्य सिद्धान्त तथा कई बाजारों के मूल्य सिद्धान्तों के अंतरों का सूचक है।

(6) मुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। एक ही देग में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में विनिष्ठीकरण प्राप्त करते हैं। अतः कि आर्हलिन ने कहा है कि प्रायः और राष्ट्र भी उही कारणों से विनिष्ठीकता प्राप्त करते हैं और एक दूसरे से व्यापार करते हैं जिनसे अधिक विनिष्ठीकता प्राप्त करते हैं तथा व्यापार करते हैं।¹ परंतु के अनुसार सापेक्षता का विचार अतः

1. Regulations and national specialisation and trade with each other for the same reasons that national specialisation and trade. Ohlin, *International and Domestic Trade*.

राष्ट्रीय व्यापार के लिए ही विशेषता नहीं रखता वरन् इसे उन व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सकता है जो एक आर्थिक इकाई के अन्दर रहते हो।¹ एजवर्थ का भी यही कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर वही मौलिक सिद्धान्त लागू होता है जो आन्तरिक व्यापार पर लागू होता है।² प्रो० कैनन (Cannan) के विचारानुसार रिचार्डो (Ricardo) के समय से अब तक के अर्थशास्त्रियों की यह भूल रही है कि उन्होंने राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लए पृथक सिद्धान्त बनाने की चेष्टा की है।

उपर्युक्त विचारों के आधार पर ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त को अनावश्यक तथा अनुपयुक्त ठहराया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विवेचना के लिए ओहलिन ने वालरस (Walras), परेटो (Pareto) तथा कैसल (Cassel) द्वारा प्रतिपादित बाजार में मूल्यों से सम्बन्धित सिद्धान्त—मूल्य के साधारण साम्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory of Value)—को ही पर्याप्त समझा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार की एक विशेष दशा

उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में अनेक समानताएँ हैं। परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं, जिनमें से प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है³ और इसका आधार विभिन्न देशों को भिन्न-भिन्न सुविधाएँ प्राप्त होना है, जैसे—(1) विशेष प्राकृतिक सुविधाएँ, (2) जनसंख्या का असमान वितरण, (3) मालवीय श्रम-ताजा की भिन्नता, (4) पूर्जागन वस्तुओं की संचित पूंति में भिन्नता, (5) राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण की भिन्नता, इत्यादि। विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण कोई देश कुछ विशेष वस्तुओं का ही उत्पादन करता है और अन्य वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्राप्त कर लेता है।
- 2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाले विभिन्न देशों में उत्पादकों की आर्थिक व्यवस्था प्रायः असमान होती है। दो प्रतिस्पर्धी देशों में मजदूरों के जीवन-स्तर तथा मजदूरी-दरों में असमानता कोई असाधारण बात नहीं है। वास्तव में इसी विशेषता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक रूप में विशेष अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है।
- 3 विभिन्न देशों में उत्पादकों को सरकार से प्राप्त सुविधाएँ असमान होती हैं, जबकि आन्तरिक व्यापार में उत्पादकों को सरकार से प्रायः समान सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।
- 4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत विनिमय विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय लन-देनों में विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न होती है।
- 5 अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय व्यापार की तुलना करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि एक क्षेत्र एक राष्ट्र में भिन्न हो सकता है। कुछ क्षेत्र आर्थिक दृष्टि में समान होने हुए भी राजनीतिक दृष्टि में दो विभिन्न राष्ट्र हो सकते हैं। इसके विपरीत, एक विशाल राष्ट्र में अनेक आर्थिक क्षेत्र हो सकते हैं। अतएव अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नदा एक-समान नहीं समझा जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उक्त विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को "अन्तर्देशीय व्यापार का एक विस्तृत रूप" न कहकर "अन्तर्देशीय व्यापार की एक

1 "The consideration of relative advantages is not peculiar to international trade, it can be applied also to individuals who form an economic unit. —Pareto

2 Edgeworth *Pure Theory of International Value*

3 "An exchange in general is necessitated by the division of labour, so foreign trade appears when the division of labour is pushed beyond national frontiers. It is the necessary consequence of an international division of labour" —Harrod *International Economics*, p 9

प्रति इकाई उत्पादन-लागत (श्रम-इकाइयों में)

	भारत	अमरीका
कपास	1	2
जूट	2	1

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में अमरीका की अपेक्षा कपास की उत्पादन-लागत अधिक है और अमरीका में भारत की अपेक्षा जूट की उत्पादन-लागत अधिक है। ऐसी स्थिति में यदि अमरीका केवल कपास का ही उत्पादन करे और भारत केवल जूट या, और दोनों अपने अतिरिक्त उत्पादन को एक-दूसरे को देव दें तो दोनों देशों को लाभ होगा। इसके विपरीत, यदि भारत दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करता है तो एक इकाई जूट त्यागकर केवल $\frac{1}{2}$ इकाई कपास प्राप्त करता है, और इसी प्रकार अमरीका 1 इकाई कपास त्यागकर केवल $\frac{1}{2}$ इकाई जूट का उत्पादन कर पाता है। इन परिस्थितियों में यदि भारत जूट का निर्यात तथा कपास का आयात और अमरीका कपास का निर्यात तथा जूट का आयात करे, और भारत अमरीका को कपास की 1 इकाई के बदले $\frac{1}{2}$ इकाई से कुछ अधिक जूट दे तथा अमरीका भारत को 1 इकाई जूट के बदले $\frac{1}{2}$ इकाई से अधिक कपास दे, तो दोनों देशों को लाभ होगा। इस प्रकार विभिन्न देशों में लागतों में निरपेक्ष अन्तर होने की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तथा दोनों देशों को पारस्परिक लाभ प्राप्त होना है।

(2) लागतों में सापेक्ष या तुलनात्मक अन्तर—लागत में निरपेक्ष अन्तर की स्थिति अत्यन्त सख्त है, परन्तु व्यावहारिक रूप में दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष अन्तर तो कम ही देखने को मिलता है। साधारणतः दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में सापेक्ष अथवा तुलनात्मक अन्तर ही होते हैं, और अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं तुलनात्मक अन्तरों के कारण होते हैं।

लागत में तुलनात्मक अन्तर से अभिप्राय यह है कि कोई भी देश कई वस्तुएँ कम लागत पर उत्पादन करने की स्थिति में हो सकता है, परन्तु फिर भी वस्तुओं के उत्पादन की सापेक्षिक कुशलता अन्य देशों से भिन्न होने पर इस देश को एक विनिमय वस्तु के उत्पादन में सापेक्षिक लाभ अधिक होता है। उदाहरणार्थ, एक देश के लिए विदेशों से पैसे वस्तुओं का आयात करना भी लाभदायक हो सकता है जिन्हें वह स्वयं विदेशों की तुलना में कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह देश अन्य वस्तुओं का उत्पादन करके, जिनमें इसे अधिक कुशलता अथवा विशेषता प्राप्त है, और भी अधिक लाभ उभार सकता है।

बैस्टेबिल (Bastable) ने लागत में तुलनात्मक अन्तर को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है "एक डाक्टर वगैरह के काम में अपने माली में अधिक निपुण हो सकता है, परन्तु डाक्टरों के काम में वह वगैरह के काम में भी अधिक निपुण है। यदि वह अपना मारा समय डाक्टरों में, जिसमें वह अधिक निपुण है, नहीं देगा तो उसे हानि होगी। पूरे समय माली के काम के बदले डाक्टरों का काम करने में ही उसे अधिक लाभ होगा। इसी प्रकार, यदि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अधिक सस्ती बना सकता हो, तो भी उसके लिए सबसे लाभदायक यही होगा कि वह केवल उसी वस्तु के उत्पादन में लगा रहे जिसके उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है। दूसरी ओर, कम निपुणता वाले देश के लिए भी यही लाभदायक होगा कि वह केवल उसी वस्तु के उत्पादन में अपना समय लगाये जिसमें उसे तुलनात्मक हानि सबसे कम हो।"

रिवाडों ने तुलनात्मक लागत में अन्तर की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सम-भाया था :

प्रति इकाई उत्पादन-लागत (श्रम-इकाइयों में)

देश	शराब	बपड़ा
पुर्तगाल	80	90
इंग्लैण्ड	120	100

उक्त उदाहरण में पुर्तगाल उत्पादन की दोनों साखाओं में इगलैण्ड की अपेक्षा अधिक दस्त है, परन्तु यह दक्षता अथवा श्रेष्ठता कपड़े की अपेक्षा शराब में अधिक है। दूसरे शब्दों में, शराब में उत्पादन में पुर्तगाल को तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) प्राप्त है, क्योंकि इसमें उसका लागत-अन्तर (cost difference) (120—80) कपड़े में उसके लागत-अन्तर (100—90) की अपेक्षा अधिक है। ऐसी स्थिति में पुर्तगाल के लिए अपने सभी साधनों द्वारा शराब का तथा इगलैण्ड के लिए अपने सभी साधनों द्वारा कपड़े का उत्पादन करना दोनों देशों के लिए अधिक लाभप्रद होगा। पुर्तगाल द्वारा शराब का इगलैण्ड के कपड़े से विनिमय करके उसे 80 थम इकाइयों की लागत में कपड़े की वह मात्रा प्राप्त हो सकेगी जिसकी उत्पादन-लागत पुर्तगाल में 80 थम इकाइयों से अधिक है। इसी प्रकार इगलैण्ड कपड़ा देकर 100 थम इकाइयों की मदद में शराब की वह मात्रा प्राप्त कर सकेगा जिसकी उत्पादन लागत इगलैण्ड में 100 थम इकाइयों से अधिक है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार उत्पादन-लागत में तुलनात्मक अन्तर ही होता है।

(3) समान अन्तर—यदि एक देश में उत्पादन-लागत अन्य देशों की अपेक्षा कम होती है परन्तु लागत में अन्तर का अनुपात एक-समान होता है तो इसे उत्पादन-लागत में समान अन्तर (equal differences in cost) कहते हैं। यह निम्न कार्त्तिक उदाहरण में स्पष्ट हो जाता है

प्रति इकाई उत्पादन-लागत (थम-इकाइयों में)

देश	जूट	कपास
भारत	50	100
पाकिस्तान	40	80

उक्त उदाहरण के आधार पर भारत में लागत अनुपात 1 इकाई कपास = $\frac{1}{2}$ इकाई जूट होगा, और पाकिस्तान में 1 इकाई कपास = $\frac{2}{3}$ इकाई जूट होगा। इस प्रकार कपास तथा जूट के उत्पादन में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। परन्तु किसी भी वस्तु के उत्पादन में सापेक्षिक लाभ नहीं है तथा दोनों में से कोई भी देश इन दोनों वस्तुओं में से किसी भी वस्तु के उत्पादन में दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। दोनों देशों में कपास का उत्पादन-लागत-अनुपात दोनों देशों में जूट के उत्पादन लागत-अनुपात के समान है।

$$\left(\frac{\text{भारत में कपास की 100 इकाई}}{\text{पाकिस्तान में कपास का 80 इकाई}} = \frac{\text{भारत में जूट की 50 इकाई}}{\text{पाकिस्तान में जूट की 40 इकाई}} \right)$$

चूँकि व्यापार में भारत 1 इकाई कपास के बदले में $\frac{1}{2}$ इकाई जूट से अधिक चाहता है, और पाकिस्तान $\frac{2}{3}$ इकाई जूट से कम देना चाहेगा, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो देशों में वस्तुओं की उत्पादन-लागत में अन्तर होने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय थम विभाजन तथा व्यापार सम्भव होता है। यदि लागत सम्बन्धी अन्तर न हों तो कोई व्यापार सम्भव नहीं होगा।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की मान्यताएँ

जेम्स वाइनर के अनुसार, "प्रत्येक देश अनिवार्य रूप से उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता जिन्हें वह दूसरे देश से सस्ता उत्पन्न कर सकता है, अपितु वह उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिन्हें वह अधिकतम सापेक्षिक लाभ अर्थात् न्यूनतम तुलनात्मक लागत पर उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनमें या तो उसकी श्रेष्ठता सर्वाधिक अथवा निष्कृष्टता न्यूनतम स्पष्ट है।"¹ इस प्रकार, यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त हो तो प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा जिसमें उसके थम की सापेक्षिक कुशलता

1 "Each country tends to produce, not necessarily what it can produce more cheaply than another country but those articles which it can produce at the greatest relative advantage, i. e., at the lowest comparative cost. Each country will produce those articles in the production of which its superiority is most marked or its inferiority least marked." —Jacob Viner

सबसे अधिक है या सापेक्षिक अनुकूलता सबसे कम है, ओर उत वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसके श्रम की सापेक्षिक अनुकूलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक कुशलता सबसे कम है।¹

रिकाडों तथा जे० एम० मिल आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त निम्न अर्थकृत (implied) तथा स्पष्ट (expressed) मान्यताओं पर आधारित है :

- 1 यह सिद्धान्त मूल्य-निर्धारण के 'श्रम सिद्धान्त' (Labour Theory of Value) पर आधारित है और यह मानकर चलता है कि वस्तु की उत्पादन-लागत श्रम-समय (labour hours) के अनुपात में निश्चित होती है।
- 2 समस्त श्रम एक-समान होता है।
- 3 उत्पादन-लागत स्थिर मानी गयी है, अर्थात् यह सिद्धान्त उत्पादन के स्थिर प्राप्ति नियम (Law of Constant Returns) पर आधारित है।
- 4 रिकाडों ने दो देशों और दो ही वस्तुओं पर विचार किया है।
- 5 देश के भीतर उत्पत्ति के साधन पूर्णतः गतिशील (mobile) हैं, परन्तु दो देशों के बीच गतिहीन (immobile) हैं।
- 6 वस्तु की माँग के प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है, अर्थात् माँग स्थिर मानी गयी है।
- 7 यह माना गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतन्त्र तथा प्रतियोगी है।
- 8 दोनों देशों में स्वर्णमान प्रचलित है तथा मुद्रा के परिणाम सिद्धान्त को सत्य स्वीकार किया गया है।
- 9 यातायात व्यय (transport cost) पर कोई विचार नहीं किया गया है।
- 10 दोनों देश स्थायी साम्य (static equilibrium) की ओर बट रहे हैं, व्यापार-चक्रों का हस्तक्षेप स्वीकार न करके दीर्घकालीन समायोजन (long period adjustment) का ध्यान में रखा गया है।
- 11 समान आर्थिक स्थिति वाले दो देशों के बीच तथा समान आर्थिक स्तर वाली वस्तुओं में व्यापार हो रहा है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आप्तोचनाएँ

काफी समय तक, जैसा एल्सवर्थ (Ellsworth) ने बताया है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इतना ही निरपेक्ष, मूल्य और निर्विवाद माना जाता था जितना कि उत्पत्ति ह्यम नियम अथवा श्रम-विभाजन। परन्तु सिद्धान्त की मान्यताएँ तो प्रारम्भ से ही आलोचना का विषय रही हैं और अनेक लेखकों द्वारा इनकी आप्तोचनाएँ होती रहीं हैं। इन सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

(1) उत्पादन-लागत 'श्रम-समय' पर आधारित—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आधारित है। रिकाडों ने लागत मूल्य 'श्रम-समय' (labour time) में नापा है। इन प्रकार इस सिद्धान्त में मौद्रिक लागतों अथवा मूल्य-सम्बन्धी अन्तर (price difference) के दबाव श्रम लागतों पर अधिक बल दिया गया है। कैरनेस (Cairnes) तथा अन्य अनेक अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध किया है कि वस्तु का मूल्य 'श्रम-समय' के अनुपात में नहीं जाता। एक ही देश में श्रमिकों के अप्रतियोगी समूह (non competing groups) पाये जाते हैं, अर्थात् अनेक कार्यों में श्रमिक एक कार्य की छोटकर दूसरे में नहीं जा सकते। परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों में मजदूरी जलग-अलग होती है। अतएव वस्तु का मूल्य 'श्रम-समय' पर आधारित नहीं होना चाहिए। दो गयी मजदूरी पर आधारित होना है। मजदूरी के अनिश्चित उत्पादन-लागत तथा मूल्य पर पूर्ण

1 "This principle states that a country will gain by specialising in the production of those commodities in which its comparative cost advantage is greater (or in which its comparative cost disadvantage is less), exporting these commodities in exchange for commodities in which its comparative cost advantage is less (or its comparative cost disadvantage is greater)." —Benham

के उपयोग, द्राज की दर, उत्पादन का संगठन तथा कार्यक्षमता, श्रम की कुशलता आदि का भी प्रभाव पड़ता है। वास्तविकता यह है कि श्रम लागत दृष्टिकोण उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील सयोगों के तथ्यों से मेल नहीं रखता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात मॉडिक लागत ही तुलना का सर्वोत्तम आधार बन सकती है।

(2) स्थिर लागतों पर आधारित—यह सिद्धान्त लागत तथा उत्पत्ति के स्थिर नियम (Law of Constant Costs or Constant Returns) पर आधारित है जो व्यावहारिक जीवन में केवल एक अपवाद है। वास्तविक जीवन में उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा लागत वृद्धि नियम (Law of Diminishing Returns or Increasing Costs) या उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा लागत ह्रास नियम (Law of Increasing Returns or Diminishing Costs) के अन्तर्गत होता है, जबकि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में इन दोनों वास्तविक नियमों की पूर्ण उपेक्षा की गयी है।

(3) श्रम तथा पूँजी की गतिहीनता—इस सिद्धान्त की यह गाम्यता पूर्ण रूप से अवास्तविक है कि श्रम तथा पूँजी देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील होते हैं, परन्तु दो देशों के बीच पूर्णतया गतिहीन। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वास्तविक जीवन में उत्पत्ति के माधन न तो देश के भीतर पूर्णतया गतिशील होते हैं और न ही दो देशों के बीच पूर्णतया गतिहीन। दोनों देशों में केवल मात्रा (degree) का ही अन्तर होता है। बल्कि कभी-कभी तो आन्तरिक गतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का ही परिणाम होती है, क्योंकि उत्पादन के विशिष्ट रूप को अपनाया वाला देश अन्य वैकल्पिक रूपों को अपनाने में असमर्थ रहता है।

(4) माँग की लोच का प्रभाव—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह तो बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच वस्तुओं की उत्पादन-लागतों में अन्तर के कारण होता है, परन्तु इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ दो देशों के बीच किस अनुपात में और कैसे विभाजित होता है। इस सम्बन्ध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि जिस देश में विदेशी माल की माँग की लोच अधिक होती है, व्यापार की शर्तों (terms of trade) उसके अनुकूल होती हैं, तथा उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत विदेशी माल की माँग की लोच कम होने पर अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होता है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त माँग के प्रभाव की अपेक्षा करता है।

(5) यातायात-व्यय—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर यातायात व्यय (cost of transport) के प्रभाव पर कोई विचार नहीं करता। ऐसी वस्तुएँ जिन पर यातायात-व्यय अधिक होता है, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि, उनकी उत्पादन-लागत कम होने पर उनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत सीमित होता है। एक वस्तु का विदेशी व्यापार तब तक नहीं होता जब तक दो देशों के बीच इसकी उत्पादन-लागत का अन्तर इसे एक देश से दूसरे देश को यातायात करने के व्यय में अधिक न हो।

(6) अपूर्ण विशिष्टीकरण—फ्रैंक ग्राहम (Frank Graham) के विचार में यदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की समस्त मान्यताओं को सही मान भी लिया जाय तो भी विश्व में पूर्णरूपेण प्रादेशिक विनिष्ठीकरण अथवा श्रम-विभाजन सम्भव नहीं होगा। देशों में भौगोलिक तथा आर्थिक असमानताएँ होने के कारण अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। एक छोटा देश विशिष्टीकरण के द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है, परन्तु एक बड़ा देश नहीं। मान लीजिए, भारत को जूट तथा बर्मा को चावल के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है और दोनों ही लाभपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं। परन्तु चावल का उत्पादन बड़ा लेने पर बर्मा न तो भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और न ही बर्मा भारत से जूट को बहुत अधिक मात्रा में खरीद सकता है। इन परिस्थितियों में भारत जैसे बड़े देश को चावल का भी उत्पादन करना पड़ेगा और जूट का भी, और इस प्रकार श्रेयले जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। इसी प्रकार जब व्यापार की वस्तुएँ बराबर मूल्य की न हों, जैसे कपड़ा व शिपिंगलाई, तो कम मूल्य वाली वस्तु में विशिष्टीकरण करने वाला देश अपूर्ण विशिष्टीकरण ही

कर सकेगा। इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण ग्राहम ने लिखा है कि "यदि दो समान कुल उपभोग-मूल्य की वस्तुओं में लगभग समान आर्थिक महत्व के दो देशों के बीच व्यापार होने की कल्पना करके पलड़े बराबर रखे जाएँ, तब ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष मही हो सकता है।"¹

(7) त्रुटिपूर्ण तथा अवास्तविक—ओहलिन ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को अवास्तविक, जटिल, खतरनाक तथा अनावश्यक कहकर इसकी आलोचना की है। वास्तव में, यह सिद्धान्त अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है तथा त्रुटिपूर्ण है। यह सिद्धान्त जटिल इसलिए है कि यह विभिन्न देशों में पूर्ण लागत-भिन्नताओं पर प्रत्यक्ष रूप में विचार नहीं करता और अवास्तविक तत्वों को छोड़ देता है। यह सिद्धान्त स्थैतिक (static) तथा दृढ़ (rigid) है जबकि आर्थिक स्थिति प्रवैगिक (dynamic) तथा परिवर्तनशील है। यह सिद्धान्त दो देशों और दो वस्तुओं के सन्दर्भ में ही विचार करता है, जबकि वास्तविक जगत में अनेक वस्तुएँ एवं अनेक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माय-साय सलन होते हैं। ओहलिन ने इस सिद्धान्त को खतरनाक भी कहा है, क्योंकि दो देशों के बीच दो वस्तुओं के व्यापार की व्याख्या द्वारा यह जिम निष्कर्ष पर पहुँचना है, उसे निस्संकोच बिना किसी संशोधन के वास्तविक स्थिति में लागू कर देना है, जबकि वास्तव में व्यापार अनेक देशों के बीच अनेक वस्तुओं का होता है।

(8) व्यापार-प्रतिबन्ध—यह सिद्धान्त स्वतन्त्र तथा प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कल्पना पर आधारित है। परन्तु वास्तविक जीवन में प्रत्येक देश अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का यत्न करना है और देशी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए विदेशी व्यापार पर अनेक प्रतिबन्ध लगाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता, आयात-निर्यात कर, व्यापार-प्रतिबन्ध, राज्य द्वारा व्यापार (state trading), आर्थिक नियोजन इत्यादि परिस्थितियों में इस सिद्धान्त का क्षेत्र अत्यन्त सीमित कर दिया है। जैकब वाइजर के शब्दों में, "विश्व में अनेक परिवर्तन हुए हैं, तथा आज विश्व की अर्थ-व्यवस्था नियोजित है, राज्य व्यापार करता है, कृषि राष्ट्रीय कीमत-स्तर पाया जाता है प्रतिष्ठित सिद्धान्त वर्तमान परिस्थितियों में कोई सम्बन्ध नहीं रखता और सम्भवन इन परिस्थितियों के लिए कोई अन्य सामान्य सिद्धान्त है भी नहीं और हो भी नहीं सकता।"²

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में सुधार

रिक्वार्डों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि दो देशों के बीच व्यापार की दो वस्तुओं की वास्तविक विनिमय-दर क्या होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा का निर्धारण कैसे होगा। जे० एस० मिल (J S Mill) ने सिद्धान्त में आवश्यक संशोधन करके इस कमी को दूर किया। मिल ने यह स्पष्ट किया कि वस्तुओं की वास्तविक विनिमय-दर तुलनात्मक लागत अनुपात की सीमा के भीतर एक देश की दूसरे देश की वस्तु की माँग के परिमाण तथा लोच पर निर्भर करती है।³ दूसरे शब्दों में, दो देशों के बीच वस्तुओं की विनिमय-दर उनकी परस्परानुवर्ती माँग की मात्रा एवं लोच पर निर्भर करती है। मिल के इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय माँग का समीकरण (Equation of International Demand) अथवा परस्परानुवर्ती माँग का सिद्धान्त (Theory of Reciprocal Demand) कहते हैं।

मिल के पश्चात् कैरनेस (Cairnes) ने अप्रतियोगी समुदाय (non-competing groups) के विचार का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि किसी एक देश के भीतर श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता पूर्ण नहीं होती और न ही दो देशों के बीच श्रम तथा पूँजी की गति-

- 1 The conclusion of the classicists can hold true only "if the dice are loaded by assuming trade in two commodities of approximately equal total consumption value and between two countries of approximately equal economic importance" —Frank D Graham
- 2 "The world has changed greatly and is now a world of planned economies of state trading, of substantially arbitrary and inflexible national price structure. The classical theory is not directly relevant for such a world and it may be that for such a world there is and can be no relevant general theory" —Jacob Viner *International Economics*
- 3 "Within the limits set by comparative cost conditions, the actual ratio at which goods are traded will depend upon the strength and elasticity of each country's demand for the other country's product" —J S Mill

शीलता का पूर्ण अभाव होता है। वैस्टेविल (Bastable) ने दो देशों तथा दो वस्तुओं की अवास्तविक मान्यता को मनास्त करके अपने विश्लेषण में अनेक देशों तथा अनेक वस्तुओं की व्याख्या करके सिद्धान्त की भारी कमी को दूर किया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इस सिद्धान्त में अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० फ्रैंक विलियम टॉसिग तथा जर्मन अर्थशास्त्री प्रो० गार्टफ्राइड वॉन हैबरलर ने महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। इस प्रकार तुलनात्मक लागत के प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical Theory of Comparative Cost) में निम्नलिखित मुख्य सुधार हुए हैं

(1) उत्पादन लागत की मौद्रिक माप—चूँकि उत्पादन-लागत में ध्रम समय के अतिरिक्त अन्य बातें भी सम्मिलित रहती हैं, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री मूल्य के ध्रम सिद्धान्त को नहीं मानते। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में तुलनात्मक सिद्धान्त की विवेचना मौद्रिक लागत के आधार पर की जाती है। न तो सब देशों में ध्रम की इकाइयाँ समान होती हैं और न ही उनकी चुस्तता अथवा मूल्य समान होता है, इसलिए तुलनात्मक लागतें मुद्रा के रूप में ही व्यक्त करना उचित है। वर्तमान अर्थशास्त्री सीमान्त लागत (marginal cost) को मूल्य-सिद्धान्त का आधार मानते हैं, अतएव तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को भी सीमान्त लागत के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनकी सीमान्त उत्पादन लागत कम होती है, तथा उन वस्तुओं का आयात करता है जिनकी सीमान्त उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है।

मुद्रा मूल्य के अन्तर को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार मानते पर रिकार्डों के सिद्धान्त की जाधारशिला हिस जाती है। प्रो० टॉसिग ने रिकार्डों के बचाव में यह तर्क दिया है कि मजदूरी के अन्तर प्रत्येक देश में पाये जाते हैं, इसलिए इनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार ही होता है। परन्तु टॉसिग का बचाव आधुनिक अर्थशास्त्रियों को सन्तुष्ट नहीं कर सका है और वे मुद्रा-मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार मानते हैं।

(2) तुलनात्मक माँग की लोच का प्रभाव—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार में विनिमय-दर का निर्धारण बाजार में वस्तुओं के मोल-भाव द्वारा होता था। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार यह है कि व्यापार की शर्तों (terms of trade) मोल-भाव पर नहीं, बल्कि एक देश में दूसरे देश की वस्तु की माँग की सापेक्ष लोच पर निर्भर करती है। आधुनिक दृष्टिकोण मिल के मत का समर्थन करता है कि दो देशों की परस्परानुवर्ती माँग (reciprocal demand) अथवा इनकी माँग की लोच विनिमय-अनुपात, व्यापार की शर्तों तथा लाभ की मात्रा को निर्धारित करती है।

(3) न्यमागत उत्पत्ति-ह्रास एवं वृद्धि नियमों को सम्मिलित करना—प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की यह मान्यता कि समस्त उत्पादन न्यमागत उत्पत्ति नियम (Law of Constant Returns) के आधार पर होता है, बहुत अधिक आलोचना का विषय रही है। वास्तव में उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) भी लागू होते हैं, अतएव सिद्धान्त की व्याख्या में इनको सम्मिलित करना आवश्यक है। वैस्टेविल तथा टॉसिग ने इन दोनों नियमों की सम्भावनाओं की व्याख्या कर इस सिद्धान्त की एक बहुत बड़ी कमी को दूर किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन के तीनों नियमों की क्रियाशीलता पर विचार करते हैं, और यह उचित भी है।

यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, तो कम लागत पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की सीमा अधिक विस्तृत होती जाती है। इसके विपरीत, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने की स्थिति में लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की सीमा सन्कुचित होती है।

(4) यातायात व्यय का प्रभाव—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में यातायात-व्यय अथवा परिवहन-लागत (cost of transport) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। आधुनिक अर्थ-

अनुकूल होगी। टॉसिंग के शब्दों में, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक लाभ उस देश को होता है जिसके निर्यातों की माँग सर्वाधिक होती है और जिसकी स्वयं अपनी आयात की वस्तुओं अर्थात् अन्य देशों के निर्यातों की माँग बहुत कम होती है। वह देश बहुत कम लाभ प्राप्त करता है जिसकी अन्य देशों की उत्पादित वस्तुओं की माँग सर्वाधिक तीव्र होती है।”¹

(2) निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले धर्म की कार्यक्षमता—टॉसिंग के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले धर्म की कार्यक्षमता कितनी है। धर्म की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण तुलनात्मक लागतों के अन्तर में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप जिस देश की निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने वाले धर्म की कार्यक्षमता अधिक होती है, उस देश में उत्पादन-लागत कम होती है तथा अन्य देशों में उसकी वस्तुओं की माँग अधिक तीव्र होती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ की मात्रा ऐसे देश के लिए स्वाभाविक रूप में अधिक होती है।

(3) कीमतों के अनुपात में अन्तर—प्रो० हैरोड के अनुसार दो देशों के मध्य कीमतों के अनुपात का अन्तर जितना अधिक होता है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ उतना ही अधिक होता है। हैरोड के शब्दों में, “एक देश को विदेशी व्यापार से लाभ उस समय प्राप्त होता है जब व्यापारियों को विदेशों में कीमतों का ऐसा प्रचलित अनुपात मिलता है जो उनके देश के अनुपात से काफी भिन्न हो जिसके कि वे आदी हैं। वे खरीदते वह हैं जो उन्हें सस्ता लगता है और बेचते वह हैं जो महँगा लगता है। उन्हें दिखाई पड़ने वाले नीचे और ऊँचे बिन्दु में जितना अधिक अन्तर होगा और प्रभावित होने वाली वस्तुएँ जितनी अधिक महत्वपूर्ण होंगी, उतना ही व्यापार से लाभ अधिक होगा।”²

उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ का कुछ अनुमान उस देश की मौद्रिक आय के स्तर से भी लग जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप उस देश की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, क्योंकि उसकी निर्यात वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तथा मजदूरी की दर ऊँची होती है। इसके वपरीत, आयातों में वृद्धि होने पर उस देश की मौद्रिक आय कम हो जाती है। इस प्रकार मौद्रिक आय के स्तर से यह पता चल सकता है कि कौनसा देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त स्वीडिश अर्थशास्त्री बर्टिल ओहलिन (Bertil Ohlin) को देन है, जिन्होंने इसकी व्याख्या सन् 1933 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘*Inter-regional and International Trade*’ में की थी। ओहलिन स्वयं वालरस (Walras), परेटो (Pareto) तथा कैसल (Cassel) द्वारा प्रतिपादित मूल्य के सिद्धान्त से प्रभावित थे।

यह बताया जा चुका है कि ओहलिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक अथवा अन्तर्देशीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा मानते थे। इसलिए उनके विचार में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के निर्धारक कारण भी वही है जो आन्तरिक व्यापार में मूल्यों को निर्धारित करते हैं। इसलिए दोनों को ‘साम्य मूल्य सिद्धान्त’ (Equilibrium Theory of Value) द्वारा समझाया जा सकता है।

ओहलिन ने वस्तु की उत्पादन लागत के विस्लेषण के लिए ‘धर्म समय’ को आधार मानना उपयुक्त नहीं समझा तथा मुद्रा-लागत (money cost) पर विचार किया। विभिन्न देशों की वस्तुओं के मुद्रा मूल्य में अन्तर होना ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण होता है, इसलिए यह जानना

1 ‘That country gains most from international trade whose exports are most in demand and which itself has little demand for the things it imports, & ϵ , for the exports of other countries. That country gains least which has the most insistent demand for the production of other country — Taussig

2 ‘A country gains by foreign trade if and when the traders find that there exists abroad a ratio of prices very different from that to which they are accustomed at home. They buy what to them seems dear. The bigger the gap between what to them seems low point and high point and more important the articles affected, the greater will the gain from trade be — Harrod *International Economics*, p 34

आवश्यक है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर क्यों होने हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए ओहलिन ने सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory of Value) को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू किया है।

साम्य सिद्धान्त, संक्षेप में, यह है कि वस्तु का मूल्य माँग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु की माँग दो बातों पर निर्भर करती है—उपभोक्ताओं की इच्छा, तथा उपभोक्ताओं की आय। व्यक्तिगत आय उत्पत्ति के माध्यमों के स्वाभाविक सम्बन्धी दशाओं पर निर्भर करती है। वस्तु की माँग पर वस्तु के स्वयं के मूल्य का तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, वस्तु की पूर्ति वस्तु की उत्पादन-लागत तथा मूल्य से प्रभावित होती है। उत्पादन-लागत साधनों के उपयोग तथा उनको दी जाने वाली कीमत पर निर्भर करती है। यदि उत्पादन के लिए माँग अधिक है तो उत्पादक साधनों की माँग भी अधिक होगी। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की माँग तथा पूर्ति, उत्पादक साधनों की माँग तथा पूर्ति, वस्तुओं की कीमत, उत्पादक साधन की कीमत, उपभोक्ताओं की आमदनी, साधनों का उपभोग इत्यादि एक-दूसरे में सम्बन्धित हैं, अर्थात् सभी एक-दूसरे में निर्धारित होते हैं। इस आधार पर ओहलिन ने लिखा है कि वस्तु की कीमतों में अन्तर दो देशों में उत्पादक साधनों की पूर्ति की भिन्नता के फलस्वरूप होता है। एक विनिमय-दर के स्थापित हो जाने पर सापेक्षिक मूल्य के अन्तर निरपेक्ष मूल्य के अन्तर्गत में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौनसा क्षेत्र या देश कौनसी वस्तुओं का विशिष्टीकरण करेगा। विनिमय-दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार मूल्य परस्परानुवर्ती माँग (reciprocal demand) द्वारा निर्धारित होता है।

सारान यह है कि (1) अन्तर्देशीय व्यापार का तात्कालिक कारण दोनों क्षेत्रों में सापेक्षिक साधन-कीमतों में अन्तर होना है, (2) वस्तुओं की कीमतों में अन्तर उत्पत्ति के माध्यमों की सापेक्षिक दुर्लभताओं में अन्तर होने से पैदा होता है, (3) विनिमय दर की उपस्थिति में सापेक्षिक कीमत भिन्नताएँ निरपेक्ष कीमत भिन्नताओं में बदल जाती हैं, इनमें आधार पर प्रत्येक क्षेत्र अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, तथा (4) विनिमय-दर और अन्तर्देशीय व्यापार वस्तु का मूल्य परस्परानुवर्ती माँग द्वारा निर्धारित होता है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त तथा ओहलिन का सिद्धान्त एक-दूसरे में काफी भिन्न हैं, परन्तु जर्मन अर्थशास्त्री हैबरलर ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि दोनों सिद्धान्तों में काफी सादृश्य है। वास्तविकता यह है कि ओहलिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की तुलना में अधिक जटिल है, क्योंकि यह जटिल मूल्य सिद्धान्त पर आधारित है तथा यह जो तथ्य स्पष्ट करना चाहता है वे भी जटिल हैं, परन्तु जटिल होने हुए भी यह सिद्धान्त पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। ओहलिन का सिद्धान्त जटिल है, परन्तु वास्तविक परिस्थितियों के लिए यथायुक्त है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त सरल है, परन्तु अपूर्ण है, तथा अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश को जनेक आर्थिक लाभ होने हैं, परन्तु अनुचित नीतियों अपनाये जाने पर कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियाँ भी हो सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभों तथा हानियों की विवेचना नीचे की गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ

(1) भौगोलिक श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण—समाज के विभिन्न देश सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जब भौगोलिक श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण सम्भव होता है तो सभी देश उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं जिनके लिए उनकी भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूलतम हैं। इस प्रकार साधनों का उत्तम उपयोग होता है और सभी देशों में वास्तविक आय तथा जीवन-स्तर में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। ऐल्सवर्थ के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमा के बाहर व्यापार का

विस्तार मात्र है। अतः यह विनिष्ठीकरण और इससे प्राप्त होने वाले लाभ के क्षेत्र को अधिक व्यापक बना देता है। जिस प्रकार स्थानीय व्यापार व्यक्तियों की विशेष अभिरुचियों (special aptitudes) का लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश के लिए अन्य देशों की विशेष अभिरुचियों को आकर्षित करना है तथा अपने साधनों को कुशलता के साथ उपयोग करना सम्भव बनाता है।¹

(2) वस्तुओं की कीमतों में समानता—यद्यपि यातायात-खर्च तथा सीमा-कर आदि की हवाबटों के कारण विभिन्न देशों में वस्तुओं की कीमतें समान नहीं हो पाती और इन हवाबटों को दूर करने की लागत के बराबर अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में अन्तर रहता है, परन्तु फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के उत्पादकों की परस्पर प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति स्थापित करना होता है।

(3) उपभोक्ता को लाभ—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही उपभोक्ता को ऐसी अनेक वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं जिनका उत्पादन उनके देश में नहीं होता। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उपयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने में सहायक होता है। यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण किसी एक देश में सामान्यतः वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती, क्योंकि एकाधिकारी व्यवसाय नहीं पनप पाते हैं।

(4) आर्थिक विकास में सहयोग—औद्योगिक विकास के लिए किसी भी देश को अन्य देशों पर निर्भर करना पड़ता है। उत्पादन के लिए मशीनें इत्यादि उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही वह बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। उत्पादक अपनी वस्तुओं का बाजार विस्तृत करने के उद्देश्य से उत्पादन विधियों तथा तकनीक आदि में सुधार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना है। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना वर्तमान औद्योगिक मगठन सम्भव न हो पाता और आधुनिक औद्योगिक समाज की स्थापना असम्भव होती।

(5) कच्चे माल की प्राप्ति—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के अतिरिक्त साधन तथा कच्चा माल उन देशों का उपलब्ध कर देता है जिनको अपने उद्योगों को चलाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। यदि ब्रिटेन को अन्य देशों से कच्चा माल न मिलता तो वह इतना औद्योगिक विकास नहीं कर सकता था। किसी भी देश के साधनों का उचित उपयोग करने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यधिक सहायक होता है। उदाहरणार्थ, स्वीडन में लोहा तो मिलता है परन्तु शक्ति के साधनों का अभाव है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में स्वीडन न तो अपने तौंहों के भण्डारों से लाभ उठा पाता और न ही अन्य क्षेत्रों में विकास कर पाता। भारत को ही यदि पेट्रोल अन्य देशों से न मिले तो अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी स्थिति क्या होगी।

(6) मकड़-काल में सहायक—किसी भी देश पर प्राकृतिक अथवा किसी अन्य प्रकार के मकड़ पड़ने की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अन्य देशों में उन वस्तुओं का आयात कर लिया जाता है जिनकी मकड़ग्रस्त देश में आवश्यकता होती है। अकालों को कम करने का बहुत कुछ श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ही है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों में परस्पर सम्पर्क स्थापित होने हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। इससे विभिन्न देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों में भी दृढ़ता आती है, एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उपर्युक्त लाभ प्रत्येक देश की समान रूप से प्राप्त नहीं होने। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसी भी देश को प्राप्त होने वाली लाभ की मात्रा व्यापार की शर्तों, धर्म की सापेक्षिक कार्यक्षमता तथा कीमतों के अनुपात के अन्तर द्वारा निर्धारित होती है। वर्तमान युग में जबकि प्रत्येक देश अपने हितों की वृद्धि

के लिए विदेशी व्यापार पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाता है, विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों में असमानता बढ़ जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियाँ

(1) **देशी उद्योगों पर विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव**—विदेशी व्यापार के कारण देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इससे विकसित देशों को तो लाभ होता है, परन्तु अविकसित देश औद्योगिक विकास नहीं कर पाते। गरीब देश गरीब ही बने रहते हैं, जबकि समृद्ध देशों में समृद्धि बढ़ती जाती है। भारतीय उद्योग-धन्धे लम्बे समय तक ब्रिटिश प्रतियोगिता के कारण ही नहीं बन पाये।

(2) **आर्थिक निर्भरता**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देश एक-दूसरे पर अनेक प्रकार से निर्भर करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप एक देश में उष्ण आर्थिक सङ्कट थोड़े ही समय में विद्रव सङ्कट के रूप में परिणत हो जाता है। इसीलिए मन्दी अथवा तेजी की स्थिति किसी एक ही देश तक सीमित नहीं रहती बल्कि इसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है।

(3) **कच्चे माल का अदूरदर्शी उपयोग**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कुछ देश अपने खनिज पदार्थ तथा अन्य कच्चे माल उन देशों को निर्यात करने लगते हैं जिनमें उनका प्रयोग करने वाले उद्योगों का विशिष्टीकरण हो जाता है। इनका उपयोग देश के भीतर न होने पर कच्चे माल निर्यात करने वाला देश अनेक लाभों से वंचित रहता है तथा उसका औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। प्राकृतिक साधन एक बार समाप्त हो जाने पर उनका प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता है, इसलिए कच्चे माल का उपयोग करते समय सावधानी तथा संरक्षण की आवश्यकता होती है।

(4) **एकागी आर्थिक विकास**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति के विशिष्टीकरण को जन्म देता है जिसके कारण देश के कितने ही साधन बँकार पड़े रहते हैं, रोजगार का समुचित विकास नहीं होने पाता, तथा देश का आर्थिक ढाँचा अमत्तुलित हो जाता है। युद्धकालीन अथवा अन्य असामान्य परिस्थितियों में जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो एकागी विकास (lop-sided development) के दुष्परिणाम सामने आते हैं। विदेशी आयात बन्द हो जाने के कारण कच्चे माल की कोई सीमा नहीं रहती। यही कारण है कि बीमारी वातावरण में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) की भावना को बल मिला है।

(5) **राशिपातन**—राशिपातन नीति (dumping) के अन्तर्गत विकसित देश विदेशी बाजार हथियाने की दृष्टि से अपने माल को बहुत ही कम कीमतों पर बेचना शुरू कर देते हैं। इसका विकासशील देशों के उद्योगों पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध के पहले के वर्षों में जापान ने अपने कपड़े के राशिपातन द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग को काफी हानि पहुँचायी थी।

(6) **उपभोग की आदतों पर कुप्रभाव**—लाभ की दृष्टि में जब व्यापारी अन्य देशों से विलासिता की अनावश्यक वस्तुएँ अथवा हानिकारक वस्तुएँ आयात करने लगते हैं तो इससे देश में उपभोग की आदतों में परिवर्तन आता है। इनके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन दोनों ही प्रभावित होते हैं। उदाहरणार्थ, नताश्चियों तक चीन के लोग अफीम के आदी रहे जबकि चीन में अफीम का उत्पादन बिलकुल नहीं होता था।

(7) **कृषि-प्रधान देशों की हानि**—औद्योगिक देशों की तुलना में कृषि-प्रधान देशों को विदेशी व्यापार से अधिक हानि होती है। इन देशों को आयात की गयी निर्मित वस्तुओं के बदले में कृषि उत्पादन का निर्यात करना पड़ता है। कृषि-उत्पादन में 'उत्पत्ति ह्रास नियम' (Law of Decreasing Returns) शीघ्र लागू होने के कारण उत्पादन-व्यय बढ़ने लगता है जबकि उद्योगों में काफी समय तक उत्पादन 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' (Law of Increasing Returns) के अनुसार होता है, और उत्पादन की लागत उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर कम होती जाती है।

(8) **जीवन-स्तर में गिरावट**—कभी-कभी विनोद परिस्थितियों के कारण जब किसी देश को अपने निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ती है तो उसके कारण देश में माल की कीमतें कम हो जाती हैं तथा कीमतें बढ़ने लगती हैं। अन्य देशों से पर्याप्त मात्रा में आयात न मिलने पर भी

ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका देश के लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विकसित देशों की अधिक से अधिक बाजार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष का वातावरण उत्पन्न करती है, जिससे युद्ध की सम्भावना बढ़ती है। सन् 1930 के बाद देशों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ने के प्रमुख कारण उनमें तीव्र व्यापारिक प्रतियोगिता ही थी।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उपयुक्त दोषों के कारण ही बीसवीं शताब्दी में स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति के स्थान पर नियन्त्रित व्यापार तथा औद्योगिक संरक्षण की नीति को बल प्राप्त हुआ है तथा राष्ट्रीय मजदूरी के अभाव की भावना बढ़ी है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ तभी सम्भव है जब सभी देश द्वेष की भावना त्यागकर आपसी सहयोग की भावना से प्रेरित हों तथा दूसरे देशों के हितों का उतना ही ध्यान रखें जितना कि अपने हितों का।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आन्तरिक व्यापार में भिन्न सिद्धान्त को क्यों आवश्यकता है? समझाकर लिखिए।
[संकेत अन्तर्राष्ट्रीय तथा आन्तरिक व्यापार के बीच अन्तरा के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। अंत में यह स्पष्ट कीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में अनेक समानताएँ होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनके कारण इनका अलग में अध्ययन करना आवश्यक है।]
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार की एक विशेष दशा है (जोहनिन)। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
[संकेत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार की समानताओं का जोहनिन के विचारों के आधार पर विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएँ हैं जो आन्तरिक व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकता में पायी जाती हैं। भले ही दोनों में स्वल्प का अन्तर न हो, परन्तु मात्रा का अन्तर तो है ही।]
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। इस सिद्धान्त में कौन कौनसे सुधार हुए?
[संकेत दो देशों के बीच उत्पादन लागतों में अंतर तथा तुलनात्मक अन्तर होने की स्थिति में यह स्पष्ट कीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसे लागू होता है। इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ तथा भी उल्लेख कीजिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में किये गये सुधारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
4. तुलनात्मक लागत सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है तथा अनावश्यक है। स्पष्ट कीजिए।
[संकेत तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएँ बताइए तथा इस सिद्धांत की आलोचनाओं की व्याख्या कीजिए। इनके भाग में यह बताइए कि जोहनिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त को अनावश्यक समझा है क्योंकि उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार की एक विशेष दशा है। जोहनिन के विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत का होना आवश्यक है। परन्तु तुलनात्मक लागत सिद्धांत को कुछ सुधारों के पश्चात् ही स्वीकार किया जा सकता है।]
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा प्रभावित करने वाले तत्व समझाइए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ तथा हानियों का भी विवेचन कीजिए।
[संकेत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा को प्रभावित करने वाले टारिफ तथा हैरोड द्वारा बताये गये तत्वों की संविस्तार व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ तथा हानियों की विवेचना कीजिए।]
6. टिप्पणियाँ लिखिए—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त भौतिक अर्थ विभाजन तथा द्विदिष्टीकरण, साधनों की प्रतियोगिता पर प्रतियोगिता रहित समूहों का प्रभाव।
[संकेत प्रत्येक से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की अलग-अलग व्याख्या कीजिए।]

“एक रसायनशास्त्री के लिए जो महत्व तत्वों की आवधिक तालिका का है, वही महत्व एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के लिए भुगतान-सन्तुलन का है।”¹

—जेवन्स

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का अन्य देशों में आयात करता है जिसका उसे भुगतान करना होता है तथा कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है जिसके बदले में अन्य देशों से भुगतान प्राप्त करता है। विदेशी व्यापार से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए प्रत्येक देश को अपने आयातों तथा निर्यातों की कुल मात्रा तथा मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में व्यापार-सन्तुलन (balance of trade) तथा भुगतान-सन्तुलन (balance of payments) दो काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन्हीं के विरलेपण से देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्भावनाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है।

व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन का अर्थ

बेनहम (Benham) के शब्दों में “एक देश का व्यापार-सन्तुलन वह सम्बन्ध है जो एक निश्चित अवधि के भीतर उसके आयात तथा निर्यात के मूल्यों के बीच होता है।”² इस प्रकार व्यापार-सन्तुलन किसी देश के आयातों तथा निर्यातों के अन्तर को और सकेत करता है। किसी देश में एक निश्चित अवधि में यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तो उस देश का व्यापार-सन्तुलन विपरीत (adverse) अथवा प्रतिशूल (unfavourable) कहलाता है। इसके विपरीत, आयात की अपेक्षा निर्यात का मूल्य अधिक होने की स्थिति में व्यापार-सन्तुलन को अनुकूल (favourable) कहा जाता है।

विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आयात-निर्यात के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लेन-देन भी होते हैं, जैसे बीमा, जहाजी किराया, बैंकों का शूल्क, व्याज, लाभ, पूंजी का स्थानान्तरण, सेवाओं के पुरस्कार, इत्यादि। व्यापार-सन्तुलन के अतिरिक्त जब अन्य सभी विदेशी लेन-देन भी सम्मिलित कर दिये जाते हैं तो यह भुगतान-सन्तुलन कहलाता है। इस प्रकार, भुगतान-सन्तुलन किसी देश में एक निश्चित समय में सम्मिलित विदेशी लेन-देन का विवरण होता है। बेनहम के शब्दों में, “एक देश का भुगतान-सन्तुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसके बाकी विदेश के साथ मौद्रिक सौदा का लेखा होता है।”³

- 1 “What the Periodic Table of Elements is to the Chemist, the Balance of Payments is to the International Economist”—Jevons.
- 2 “Balance of trade of a country is the relation, over a period, between the value of her exports and the value of her imports”—Benham *Economics*, p 494.
- 3 “Balance of payments of a country is a record of its monetary transactions, over a period, with the rest of the world”—Benham : *Economics*, p 495.

व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन के अन्तर को समझने के लिए दृश्य व्यापार (visible trade) तथा अदृश्य व्यापार (invisible trade) में अन्तर समझना आवश्यक है। वस्तुओं के आयात तथा निर्यात जिन्हें बन्दरगाहों पर लेखांकित कर लिया जाता है, उन्हें विदेशी व्यापार की दृश्य मदें (visible items) अथवा प्रत्यक्ष व्यापार (direct trade) कहा जाता है। अनेक प्रकार की सेवाओं (बैंकिंग, बीमा, यातायात, विदेशों में शिक्षा, इन्साइ इत्यादि) के आयात-निर्यात, पर्यटन, व्याज तथा लाभांश, सैनिक सहायता, विदेशी दान, जुमनि अथवा मुआवजे तथा अन्य प्रकार के हस्तान्तरण में सम्बन्धित आम एवं भुगतान की राशियाँ, जिन्हें बन्दरगाहों पर लेखांकित नहीं किया जाता, विदेशी व्यापार की अदृश्य मदें (invisible items) अथवा अप्रत्यक्ष व्यापार (indirect trade) कहलाती है।

व्यापार-सन्तुलन में विदेशी व्यापार की दृश्य मदों अर्थात् वस्तुओं के आयात-निर्यात की गणना होती है, जबकि भुगतान सन्तुलन में दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों की गणना होती है। इस प्रकार, भुगतान-सन्तुलन के अन्तर्गत व्यापार सन्तुलन भी सम्मिलित रहता है। भुगतान-सन्तुलन व्यापार-सन्तुलन की अपेक्षा अधिक विस्तृत धारणा है। यदि किसी देश की विदेशों में लेनदारियाँ (credits) देनदारियों (debits) से अधिक होती हैं तो उनका भुगतान-सन्तुलन अनुकूल कहा जाता है। इसके विपरीत स्थिति में भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल कहलाता है।

व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान सन्तुलन में एक अन्तर और भी है। व्यापार-सन्तुलन में सन्तुलन से अभिप्राय अन्तर अथवा अतिरिक्त से है, क्योंकि कोई भी देश सदा अपने आयात तथा निर्यात बराबर नहीं रख पाता। इसके विपरीत, भुगतान-सन्तुलन में सन्तुलन का अर्थ समानता से लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, भुगतान सन्तुलन सदा सन्तुलित रहता है। प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होती ही वह देश विदेशी ऋण अथवा विनियोजन प्राप्त करने के प्रयत्न करता है और यह उसे उन देशों से उपलब्ध हो जाते हैं जिनका भुगतान-सन्तुलन अनुकूल होता है। भुगतान की कठिनाई को स्वर्ण के निर्यात द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहते हुए भी भुगतान सन्तुलन सन्तुलित हो सकता है।

व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन का सापेक्षिक महत्व

मर्कैन्टाइलिस्ट (Mercantilist) अर्थशास्त्रियों का विचार था कि कोई भी देश विदेशी व्यापार में तभी लाभ उठा सकता है जब व्यापार-सन्तुलन उसके अनुकूल हो, क्योंकि अनुकूल व्यापार-सन्तुलन में देश को स्वर्ण तथा बाँदी की प्राप्ति होती है। किन्तु समस्या की गहराई में जाने में पता चलता है कि व्यापार-सन्तुलन की अपेक्षा भुगतान-सन्तुलन का अनुकूल होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। व्यापार सन्तुलन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भुगतान-सन्तुलन का ही एक प्रमुख अंग है। किसी देश का व्यापार-सन्तुलन अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी, परन्तु प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन से सदा ही यह आशय नहीं होता कि देश की आर्थिक दशा असन्तोषजनक है और न ही अनुकूल व्यापार सन्तुलन सदा देश की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक होने का सूचक होता है। द्वितीय महायुद्ध में पूर्व इंग्लैण्ड का व्यापार सन्तुलन भारत के साथ प्रतिकूल रहता था परन्तु इंग्लैण्ड भारत से विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा ऋणों आदि के बदले भुगतान प्राप्त करता था। परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहते हुए भी इंग्लैण्ड की आर्थिक स्थिति हठ थी और भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल होने पर भी भारत गरीब तथा पिछड़ा हुआ था।

किसी देश का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल होने पर भी उसका भुगतान-सन्तुलन ठीक तथा साम्य (equilibrium) की स्थिति में हो सकता है और इस साम्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश प्रयत्नशील भी रहता है। साथ में प्रत्येक देश इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसे भुगतान-सन्तुलन का साम्य किस प्रकार प्राप्त हुआ है। यदि किसी देश की देनदारियाँ अथवा बिकलन (debits) उसकी लेनदारियों अथवा समावलन (credits) से कहीं अधिक हों, और यह देश विदेशी ऋण लेकर अथवा अपने मुरक्षित कोष व्यय कर दोनों में सन्तुलन प्राप्त करता है, तो यह भुगतान-सन्तुलन की असाम्य (disequilibrium) की स्थिति है। यह स्थिति इस बात की सूचक

है कि देश की आर्थिक दशा विगड रही है, और यदि इसे सुधारा न गया तो दीर्घकाल में यह स्थिति उस देश के लिए घातक मिद्ध हो सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देश के व्यापार-सन्तुलन के अध्ययन की अपेक्षा उसके भुगतान सन्तुलन का अध्ययन अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होता है।

भुगतान सन्तुलन के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि विदेशों से हम क्या प्राप्त (receipts) करते हैं और उन्हें हम कितना भुगतान (payments) करते हैं। व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं को देखकर देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है। किसी देश की बदलती हुई आर्थिक स्थिति का अनुमान भी भुगतान-सन्तुलन के विवरणों पर आधारित होना है। किसी देश को प्राप्त विदेशी सहायता का अनुमान भी इसी से लगता है तथा विदेशी विनिमय-कोषों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। भुगतान-सन्तुलन, वास्तव में, एक 'आर्थिक बैरोमीटर' (economic barometer) है जिससे किसी देश की आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जाता है। भुगतान-सन्तुलन किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-व्यवहारों का परिमाणात्मक सारांश (quantitative summary) होने के कारण उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इसीलिए जेक्स ने कहा है कि "एक रसायनशास्त्री के लिए जो महत्व तत्वों की आवधिक तालिका (periodic table of elements) का है, वही महत्व एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के लिए भुगतान-सन्तुलन का है।"

भुगतान-सन्तुलन की मदें

किसी देश का भुगतान-सन्तुलन उसके सम्पूर्ण विदेशी लेन-देन अथवा समाकलन-विकलन (credits and debits) का एक विवरण (statement) अथवा चिट्ठा (balance-sheet) होता है। इसके बायीं ओर सभी समाकलन (credits) अथवा लेनदारियाँ तथा दायीं ओर विकलन (debits) अथवा देनदारियाँ दिखायी जाती हैं। बायीं ओर की राशि तथा दायीं ओर की राशि के अन्तर से भुगतान-सन्तुलन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

भुगतान-सन्तुलन के विवरण में सम्मिलित विभिन्न मदों का वर्गीकरण 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) ने दो मुख्य शीपों के अन्तर्गत किया था, और अधिकांश देश इन्हीं के आधार पर भुगतान-सन्तुलन का विवरण तैयार करते हैं। भुगतान-सन्तुलन का प्रमुख शीप चालू खाता (Current Account) होता है, जिसमें व्यापार की दृश्य (visible) तथा अदृश्य (invisible) मदें सम्मिलित होती हैं। अमौद्रिक उद्देश्यों से विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण का आयात निर्यात (non-monetary gold movements) तथा अनुमान में भूल-चूक की सम्भावनाएँ (errors and omissions) की मदें भी चालू खाते में सम्मिलित रहती हैं। दूसरा शीप पूँजी खाता (Capital Account) होता है जिसके अन्तर्गत विदेशी पूँजी के विनियोजन तथा ऋण की राशियाँ दिखायी जाती हैं। इन दोनों शीपों के आधार पर तैयार किये गये भारत में भुगतान-सन्तुलन के विवरण का नमूना अगले पृष्ठ (236) पर दिया जा रहा है।

दोनों खातों के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न मदों का दोरा निम्न प्रकार है

1 चालू खाता (Current Account)

माल की मद के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात अथवा दृश्य व्यापार (visible trade) के भुगतान सम्मिलित होते हैं। चूंकि इसी मद से व्यापार-सन्तुलन की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसकी राशि भुगतान-सन्तुलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राशि होती है।

अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए स्वर्ण का आयात-निर्यात भी दृश्य व्यापार की एक मद है। परन्तु भारत में स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध होने के कारण भुगतान-सन्तुलन के विवरण में यह मद खाली ही रहती है।

मात्रा, परिवहन, बीमा, ऋणों पर ब्याज तथा पूँजी पर लाभांश की मदें अदृश्य व्यापार (invisible trade) के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार के भुगतान प्रत्येक देश को अन्य देशों को करते पड़ते हैं तथा उसे अन्य देशों से प्राप्त भी होते हैं। इनका आधार विभिन्न देशों के बीच

भारत का समस्त भुगतान-सन्तुलन—घालू खाता
(India's Over all Balance of Payments—Current Account)

(करोड़ रुपया में)

सदें (Items)	समाकलन (Credits)	विकलन (Debits)	अंतर (Net)
1 माल (Merchandise)			
(i) निजी (Private)			
(ii) सरकारी (Government)			
2 नैर-मोडिक स्वयं प्रवाह (Non monetary gold movement)			
3 यात्रा (Travel)			
4 परिवहन (Transportation)			
5 बीमा (Insurance)			
6 विनियोग से आय (Investment income)			
7 सरकारी, अत्र न सम्मिलित न किया गया (Government, not included elsewhere)			
8 विविध (Miscellaneous)			
9 हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments)			
(i) सरकारी (Official)			
(ii) निजी (Private)			
10 कुल घालू लन देन (Total Current transactions)			
11 भूल चूक (Errors and omissions)			

भारत का समस्त भुगतान सन्तुलन—पूंजी खाता
(India's Over all Balance of Payments—Capital Account)

(करोड़ रुपयो में)

सदें (Items)	समाकलन (Credits)	विकलन (Debits)	अंतर (Net)
1 निजी पूंजी (Private Capital)			
(i) दीर्घकालीन (Long-term)			
(ii) अल्पकालीन (Short term)			
2 बैंकिंग पूंजी (Banking Capital)			
3 सरकारी पूंजी (Official Capital)			
(i) ऋण (Loans)			
(ii) परिचायन (Amortisation)			
(iii) विविध (Miscellaneous)			
(iv) आरक्षण (Reserves)			
कुल पूंजी एव मोडिक स्वयं (Total Capital and Monetary Gold)			

आर्थिक एव व्यापारिक सम्बन्धों का होना है। इन भुगतानों के अतिरिक्त किसी देश की सरकार द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों पर व्यय तथा इस देश में विदेशी सरकारों द्वारा अपने दूतावासों पर व्यय भी अदृश्य मदों के अन्तर्गत आते हैं। कभी-कभी एक देश को दूसरे देश से ढण्ड, मुआवजा अथवा युद्ध व्यय के रूप में कुछ राशि प्राप्त होती है अथवा भुगतान करना पड़ता है। अदृश्य व्यापार के अन्तर्गत उक्त मदों के अतिरिक्त अन्य विविध सेवाओं के लिए लेन-देन भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे एक देश से दूसरे देश को जाने वाले तकनीकी विनोदों के वेतन तथा भत्ते, अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को भेजी जाने वाली राशियाँ, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों के व्यय, इलाज के लिए विदेशों में जाने वाले रोगियों के व्यय, विदेशी पत्रिकाओं आदि के चन्दे, फिल्मों के बिराये आदि।

हस्तान्तरण भुगतानों के अन्तर्गत नकद या वस्तु के रूप में भेंट अथवा दान, व्यक्तिगत व पारिवारिक भुगतान, प्रवासियों द्वारा किये गये अन्तरण (transfer), पन्तन की प्राप्ति तथा भुगतान, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के चन्दे इत्यादि सम्मिलित किये जाते हैं। इनको भुगतान-मन्तुलन के विवरण में अलग से दिखाया जाता है।

2 पूंजी खाता (Capital Account)

जिस प्रकार वस्तुओं, सेवाओं तथा कुछ अन्य लेन देनों से चालू खाता बनता है, भुगतान-सन्तुलन के पूंजी खाते में विदेशी ऋण, विनियोग तथा मौद्रिक उद्देश्यों से स्वर्ण के आयात-निर्यात सम्मिलित रहते हैं। ऋण अल्पकालीन हो सकते हैं अथवा दीर्घकालीन और इन दोनों को अलग-अलग दिखाया जाता है। कभी-कभी देन में विदेशी पूंजी का विनियोग होता है। विदेशी पूंजी प्राप्त करने वाले देश की स्थिति ऋणी के समान होती है, तथा विदेशों में पूंजी का विनियोग करने वाले देश की स्थिति ऋणदाता के समान होती है। ऋण तथा पूंजी के लेन देन व्यक्तिगत, बैंकों के बीच अथवा सरकारी हो सकते हैं। प्रत्येक देश का यह प्रयाम होना है कि चालू खाते में अन्तर को विदेशी ऋण तथा पूंजी के विनियोगों से पूरा किया जाय। चालू खाते तथा पूंजी खाते के कुल लेन-देनों का योग करने के पश्चात् जो अन्तर रह जाता है उसे चुकना करने के लिए स्वर्ण का आयात निर्यात किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान युग में अधिकांश देशों के पास न केवल स्वर्ण का अभाव है, बल्कि जितना थोड़ा-सा स्वर्ण है उसे वे कोष में बनाये रखना उचित समझते हैं, इसलिए सामान्यतः स्वर्ण द्वारा कोई भी देश भुगतान नहीं करना चाहता है।

भुगतान-सन्तुलन सदा सन्तुलित रहता है (The Balance of Payments always Balances)

वहीखाते के सिद्धान्तों के आधार पर चूंकि समस्त विवलन (debts) समस्त समा-वलन (credits) के बराबर होन आवश्यक हैं, अतः भुगतान-सन्तुलन में सदा लेन-देन साम्य (equivalence) की स्थिति में रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति का व्यय उसकी वर्तमान आय से अधिक है तो वह वहीं से ऋण लेकर अथवा अपनी पिछली बचत का प्रयोग करके अपने व्यय-व्यय को सन्तुलित करता है। इसी प्रकार यदि किसी देश की देनदारियाँ लेनदारियों की अपेक्षा अधिक होती हैं तो वह देश इस घाटे की पूर्ति ऋण प्रकर से कर सकता है, जैसे एकत्रित विदेशी मुद्रा (accumulated foreign balances) लेकर, विदेशों में ऋण अथवा महायता लेकर, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से महायता लेकर अथवा स्वर्ण निर्यात कर। इनमें से कोई भी उपाय अलग से अथवा अन्य किसी उपाय के साथ मिलाकर अपनाया जा सकता है।

स्मरण रहे कि भुगतान सन्तुलन के अन्तर्गत व्यापार-सन्तुलन अथवा चालू खाता सन्तुलन में सदा साम्य नहीं रहता। परन्तु व्यापार सन्तुलन अथवा चालू खाता प्रतिकूल होने की दशा में उसे पूंजी खाता में परिवर्तनों द्वारा साम्य में लाया जा सकता है। इन सम्बन्ध में यह भी याद रखना आवश्यक है कि भुगतान-सन्तुलन के सदा सन्तुलित रहने का यह अभिप्राय नहीं है कि किसी देश का भुगतान-सन्तुलन प्रायः अन्य देश के साथ, जिसमें उनके व्यापारिक सम्बन्ध हैं, अलग-अलग साम्य की स्थिति में रहे। वास्तविक जीवन में उस देश का भुगतान-सन्तुलन एक देश के साथ अनुकूल हो सकता है, तो दूसरे देश के साथ प्रतिकूल भी हो सकता है। प्रत्येक देश

का भुगतान-सन्तुलन एक अवधि के भीतर सन्तुलित हो जाना चाहिए, परन्तु सभी देशों का भुगतान-सन्तुलन एक साथ अनुकूल नहीं हो सकता। यदि कुछ देशों का भुगतान-सन्तुलन अनुकूल होगा तो कुछ का प्रतिकूल होना स्वाभाविक है।

भुगतान-सन्तुलन में असाम्य (Disequilibrium in the Balance of Payments)

किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में चानू खाते का सन्तुलित होना, अर्थात् विदेशी ऋण, पूंजी अथवा स्वर्ण के आयात-निर्यात के बिना ही सन्तुलन स्थापित हो जाना, वास्तविक सन्तुलन समझना चाहिए। पूंजी खाते के अन्तर्गत पूंजी, ऋण तथा स्वर्ण के आयात-निर्यात के द्वारा कुल लेन (credit) तथा देन (debit) बराबर कर लिये जा सकते हैं, परन्तु ऐसा सन्तुलन अवास्तविक है, क्योंकि इसके अन्तर्गत एक असाम्य (disequilibrium) विद्यमान होता है। असाम्य बल्प-कालीन अथवा मीसमो हो सकता है और दीर्घकालीन भी। लगातार अथवा दीर्घकालीन असाम्य किसी देश के लिए काफी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है। यह वास्तव में इस बात का सूचक है कि देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था कमजोर अथवा असन्तोषजनक है।

किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में असाम्य होने के क्या कारण हैं? जैसा कि बताया जा चुका है, भुगतान-सन्तुलन की प्रमुख मदें हैं दृश्य एवं अदृश्य व्यापार, एकपक्षीय भुगतान एवं प्राप्तियाँ आदि। यदि किसी कारणवश इन मदों के अन्तर्गत किसी देश की देनदारियों तथा लेनदारियों में अन्तर उत्पन्न हो जाय तो भुगतान सन्तुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। यदि लेनदारियों की अपेक्षा देनदारियाँ अधिक हैं, तो भुगतान-सन्तुलन उस देश के प्रतिकूल है।

वस्तुओं का आयात-निर्यात अथवा दृश्य व्यापार भुगतान सन्तुलन की प्रमुख मद होती है। किसी देश के आयात उसके निर्यातों से अधिक होने पर व्यापार-सन्तुलन उसके प्रतिकूल हो जाता है, जिसका प्रभाव भुगतान सन्तुलन पर पड़ता है। निर्यातों में कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन वस्तुओं की माँग में कमी, इनके मूल्य में वृद्धि, देश में इनके उत्पादन में कमी, इत्यादि। आयातों में वृद्धि भी अनेक कारणों का परिणाम हो सकती है, जैसे देश में निरन्तर कमी की स्थिति, औद्योगिक विकास की आवश्यकताएँ, इत्यादि।

अदृश्य मदों के अन्तर्गत यदि आय कम और व्यय अधिक हो तो भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है। विदेशों को भेजी जाने वाली व्याज तथा लाभांश की राशि, यात्रा, परिवहन, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, दूतावासों आदि मदों के अन्तर्गत दिये जाने वाले भुगतान प्राप्तियों की अपेक्षा कम होने पर चानू खाते में भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो सकता है। कुछ अन्य प्रकार के एकपक्षीय भुगतान, जैसे विदेशों को मुआवजा अथवा दण्ड का भुगतान, प्रवासियों द्वारा किये गये अन्तरण, विदेशों को दिये गये दान अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के चन्दे इत्यादि भी अत्यधिक होने की दशा में भुगतान-सन्तुलन को प्रतिकूल कर सकते हैं।

भुगतान-सन्तुलन में सुधार के उपाय

स्वर्णमान के अन्तर्गत भुगतान-सन्तुलन का असाम्य स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा ममाप्त किया जा सकता है। परन्तु वर्तमान युग में, जबकि अधिकांश देशों के पास बहुत कम स्वर्ण रह गया है, और जो कुछ उनके पास है उसकी वे अपने कोषों में रखना चाहते हैं, भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाना पड़ता है। भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल अथवा विपक्ष में होने की दशा में कोई भी देश निम्नलिखित उपायों में से किसी एक अथवा अधिक उपायों को अपना सकता है।

(1) व्यापार-सन्तुलन में सुधार—भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने का प्रमुख तरीका निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित (export promotion and import restriction) करना है।

निर्यात-प्रोत्साहन के कई तरीके हैं, जैसे—उत्पादन-लागत में कमी करना, निर्यात करों में कमी करना अथवा छूट देना, निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता

(subsidies and bounties) प्रदान करना, निर्यात-मूल्यों में कमी करना, विदेशों में प्रचार करना, इत्यादि ।

यदि निर्यातों में वृद्धि की मात्रा असाध्य में सुधार करने के लिए पर्याप्त न हो तो निर्यात में वृद्धि के उपायों के साथ-साथ आयातों को कम करने के उपाय भी अपनाने चाहिए । आयात कम करने के मुख्य उपाय हैं : आयात-कर लगाना अथवा उनमें वृद्धि करना, आयातों के परिमाण को नियन्त्रित करने के लिए आयात कोटा (quota) प्रणाली तथा लाइसेंस प्रणाली अपनाना, कुछ प्रकार के आयातों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाना, आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन करना, इत्यादि ।

(2) मुद्रा-संकुचन—मुद्रा-संकुचन (deflation) की नीति का उद्देश्य आन्तरिक कीमत-स्तर में कमी करना होता है । वस्तुओं की कीमते कम हो जाने पर निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, आयात हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि विदेशी माल देश में महँगा पड़ने लगता है । इस प्रकार मुद्रा संकुचन द्वारा प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन ठीक किया जा सकता है । परन्तु मुद्रा-संकुचन की नीति को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इससे देश की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं । कीमते गिरने से उत्पादकों के लाभ गिर जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी होती है तथा बेकारी बढ़ती है । अत्यधिक मुद्रा-संकुचन देश में मन्दी (depression) की स्थिति उत्पन्न करता है, इसलिए इस नीति का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए ।

(3) अवमूल्यन—यदि कोई देश अपनी मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी करना उचित नहीं समझता तो वह विदेशी मुद्रा के रूप में देश की मुद्रा के मूल्य को कम कर सकता है । देशी मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य गिराना ही अवमूल्यन (devaluation) कहलाता है । अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात विदेशों में मस्ते हो जाते हैं, क्योंकि विदेशियों को इस देश से माल खरीदने पर पहले से कम मुद्रा देनी पड़ती है । इसके विपरीत, इस देश में आयात महँगे हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए विदेशों को पहले से अधिक मुद्रा देनी पड़ती है । परिणामतः निर्यात प्रोत्साहित होते हैं तथा आयात हतोत्साहित, जिससे भुगतान-सन्तुलन की विपक्षता ठीक हो जाती है ।

(4) विनिमय-नियन्त्रण—भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल होने पर सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक का विदेशी विनिमय-बाजार (foreign exchange market) पर नियन्त्रण (exchange control) हो जाता है और फिर अनेक प्रतिबन्धों की सहायता से लेन-देन के बीच समता स्थापित की जाती है । विदेशी विनिमय के सभी मौदे केवल सरकार अथवा किसी अधिकार प्राप्त संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा ही किने जा सकते हैं । निर्यातकर्ताओं को प्राप्त होने वाला विदेशी विनिमय सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाता है । सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय को लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं में बाँट दिया जाता है ।

उपर्युक्त सभी उपायों का विस्तृत वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भुगतान-सन्तुलन की विपक्षता को दूर करने के सभी उपायों की कुछ सीमाएँ हैं । व्यापार-नियन्त्रण अन्य देशों द्वारा प्रतिकार (retaliation) को जन्म दे सकता है, मुद्रा-संकुचन से देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है, अवमूल्यन से देश के सम्मान में घटका पहुँचता है और देणदारियाँ बढ़ जाती हैं, विनिमय-नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में बाधक होता है, तथा अनेक समस्याओं को जन्म देता है । अतएव भुगतान-सन्तुलन के साम्य में सुधार करना कोई सरल कार्य नहीं होता । भुगतान-सन्तुलन की समस्या विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर होती है, क्योंकि औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें काफी मात्रा में आयात करने पड़ते हैं, परन्तु उनका भुगतान करने के लिए उनकी निर्यात करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है । इन परिस्थितियों में विकासशील देशों के लिए आवश्यक है कि वे चान्चल्य में भुगतान-सन्तुलन ठीक

करने के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करे तथा विदेशी पूंजी के विनियोगों को प्रोत्साहन दे। परन्तु इन उपायों पर भी बहुत अधिक मात्रा में निर्भर करना उचित नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि विदेशी पूंजी देश की अर्थ-व्यवस्था पर हावी न होने पाये। साथ में यह भी देखना पड़ता है कि व्याज, लाभांश आदि के भुगतानों का भार देश पर बहुत अधिक न होने पाये, क्योंकि ऐसा भी सम्भव है कि कोई देश इस प्रकार के भुगतान करने के लिए ही विदेशों से निरन्तर ऋण लेता रहे और कभी आत्म-निर्भर न होने पाये।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. व्यापार समतुलन तथा भुगतान-समतुलन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में किसका अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है ?

[संकेत प्रथम भाग में व्यापार-समतुलन तथा भुगतान-समतुलन के अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनमें अन्तर बताइए। दूसरे भाग में यह समझाइए कि भुगतान-समतुलन का अध्ययन अधिक आवश्यक है और इनके अध्ययन के महत्व की व्याख्या कीजिए।]

2. विभिन्न देशों के बीच भुगतानों के समतुलन में कौन कौनसी मदें सम्मिलित होती हैं ? क्या किसी देश का भुगतान-समतुलन सदा समतुलित रहता है ?

[संकेत भुगतान-समतुलन के चालू खाता तथा पूंजी खाता के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली सभी मदों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि चालू खाता में असमतुलन पूंजी खाते में परिवर्तनों द्वारा ठीक किया जा सकता है जिसमें भुगतान-समतुलन समतुलित हो जाता है, परन्तु इस प्रकार का समतुलन बर्दास्तविक ही होता है।]

3. भुगतान-समतुलन के प्रतिकूल होने के कारण बताइए। इसको किस प्रकार सुधारा जा सकता है ?

[संकेत प्रथम भाग में भुगतान-समतुलन प्रतिकूल होने के कारण विस्तारपूर्वक समझाइए। दूसरे भाग में सुधार के उपायों की व्याख्या कीजिए।]

4. दृश्य एवं अदृश्य व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए।

[संकेत दोनों के अर्थ तथा उनमें सम्मिलित मदों को स्पष्ट कीजिए और यह बताइए कि इनमें होने वाले परिवर्तन किस प्रकार भुगतान-समतुलन को प्रभावित करते हैं।]

“अधिक उन्नतशील निर्माण-उद्योग वाले देशों के साथ पूर्णरूपेण स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा की प्रणाली में एक राष्ट्र जो इतना न्युन्नत नहीं है, सभी प्रकार से निर्माण-उद्योगों के लिए साधनों में युक्त होने पर भी बिना संरक्षण प्रणाली के स्वयं कभी भी पूर्णतया विकसित निर्माण-उद्योगों का शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन पायेगा।”¹

—फ्रेडरिक लिस्टर

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित दो प्रकार की व्यवस्थाएँ सरकार द्वारा अपनायी जा सकती हैं—स्वतन्त्र व्यापार (free trade), तथा संरक्षण (protection)। स्वतन्त्र व्यापार से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत विदेशों से माल आयात करने अथवा निर्यात करने पर कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्कावट नहीं लगायी जाती। एडम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में, “स्वतन्त्र व्यापार व्यावसायिक नीति की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें देशी तथा विदेशी वस्तुओं में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है, और इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं और न स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष मुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।” इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कोई कर लगाये ही नहीं जाते हैं। यदि कोई कर लगाया जाता है तो उनका उद्देश्य आय (revenue) प्राप्त करना होता है, माल का व्यापार रोकना नहीं। इनके विपरीत, स्वदेशी उद्योगों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा के उद्देश्य से विदेशी व्यापार पर कोई कानूनी स्कावट लगायी जाती है अथवा विदेशी आयातों पर भारी कर लगा दिये जाते हैं तो इस प्रकार की नीति को संरक्षण (protection) की नीति कहते हैं। संरक्षण की नीति कभी-कभी राजनीतिक उद्देश्य से भी अपनायी जाती है। राष्ट्रीयता के भावों का दिनाम होने पर सरकार स्वदेशी उद्योगों की इस प्रकार रक्षा करने लगती है जैसे कोई देश विदेशों आक्रमण से अपनी रक्षा करता है।

स्वतन्त्र व्यापार

वास्तव में, स्वतन्त्र व्यापार (free trade) का विचार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक सागत सिद्धान्त पर आधारित है। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों के विचार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा भौगोलिक श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ केवल स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाने पर ही प्राप्त किये जा सकते हैं। कर्नेस के अनुसार, “यदि किसी विशेष लाभ के उद्देश्य से कुछ राष्ट्र परस्पर व्यापार करना प्रारम्भ कर दे तो उनके स्वतन्त्र व्यापारिक आदान-प्रदान में किसी प्रकार का

¹ “ Under a system of perfectly free competition with more advanced manufacturing nations, a nation which is less advanced than these, although well fitted for manufacturing, can never attain to a perfectly developed manufacturing power of its own without protective duties ”—F. List *The National System of Political Economy*, Translated by Sampson S Lloyd, M P., (1885), p. 316.

हस्तक्षेप उनको इस लाभ से वंचित कर देगा।¹ इसी प्रकार, एलसवर्थ (Ellsworth) ने भी लिखा है कि "कोई भी देश स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था में अपने भौगोलिक विशिष्टीकरण के यथा-सम्भव लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है।"²

स्वतन्त्र व्यापार की नीति के समर्थकों में इंग्लैण्ड सबसे आगे रहा है, और औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में अग्रगण्य होने के कारण इंग्लैण्ड को इस नीति से विशेष लाभ भी हुआ है। इंग्लैण्ड को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा औद्योगिक ध्रम के लिए सस्ता खाना बाहर से मँगवाना था तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार बनाना था, इसलिए इंग्लैण्ड के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति लाभपूर्ण थी। इंग्लैण्ड ने इस नीति को भारत तथा अपने अन्य उपनिवेशों में भी लागू किया। परन्तु प्रत्येक देश की अपनी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। विशेष रूप से ऐसे देश जो स्वयं अपने उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं कर पाते। आज के युग में तो प्रायः सभी देशों में विदेशी व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगाये जाते हैं, तथा स्वतन्त्र व्यापार का अब केवल सैद्धान्तिक महत्व ही रह गया है। स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (Classical Economists) स्वतन्त्र व्यापार की नीति के समर्थक थे तथा उन्होंने स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किये, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं

(1) अधिकतम सामाजिक उत्पादन—स्वतन्त्र व्यापार भौगोलिक ध्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण को जन्म देता है, अतएव इसके द्वारा प्रत्येक देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव होता है। सभी देशों के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग होने के कारण सम्पूर्ण विश्व में धनोत्पत्ति अधिकतम होती है। प्रो० सेमुअलसन (Samuelson) के अनुसार, "विना रोक-टोक का व्यापार पारस्परिक लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय ध्रम-विभाजन को प्रोत्साहित करता है, प्रत्येक देश में वास्तविक उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सारे विश्व में रहन-सहन का स्तर बढ़ जाता है।"³ सामाजिक उत्पादन में वृद्धि स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में मुख्य तर्क है, क्योंकि केवल इसी आधार पर एक उदार व्यापार नीति को वैज्ञानिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है, यद्यपि राजनीतिक प्रचार की दृष्टि से अन्य तर्क भी दिये जा सकते हैं।⁴

(2) उत्पादन में कार्यक्षमता—स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार न केवल उत्पादों के साधनों का आदर्श वितरण होता है, बल्कि प्रत्येक देश के उत्पादक विदेशी प्रतियोगिता के भय से उत्पादों के तरीकों में समय-समय पर सुधार करते रहते हैं। स्वतन्त्र व्यापार-व्यवस्था होने पर उत्पादन की असाधदायक यथवा अनाधिक इकाइयाँ अधिक समय तक नहीं चल पाती तथा कम लागत पर उत्पादन करने वाली श्रेष्ठ इकाइयाँ ही कार्यशील रहती हैं। इसमें फलस्वरूप उत्पादन में कार्यक्षमता आती है तथा साधनों का दुरुपयोग नहीं होता।

(3) भौगोलिक ध्रम-विभाजन—स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी वस्तुओं के उत्पादन की ओर ध्यान देता है, जिनमें उसे सर्वाधिक प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा है, "व्यक्ति विदेश अपने उद्योगों का इस प्रकार उपयोग करते हैं, जिसमें उन्हें अपने पड़ोसियों में कुछ अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो जायें। जो बात किसी परिवार के लिए

1 "If nations only engage in trade when an advantage arises from doing so, any interference with their free action in trading can only have the effect of depriving them from an advantage —Cairnes

2 "Free trade permits full advantage to be taken out of the possibilities of geographical specialization" —Ellsworth *The International Economy*, p. 199

3 "Unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greatly enhances the potential real national product of all countries and makes possible higher standard of living all over the globe —Paul A. Samuelson.

4 "Only upon this basis, and of course, under the assumption that the desired end is the maximization of the social product, can a liberal trade policy be scientifically justified although it may be that for reasons of political propaganda, other arguments are placed more in the foreground" —Haberler *The Theory of International Trade*, p. 222

बुद्धिमानों की हो सकती है, किसी बड़े राष्ट्र के लिए देवदूषी की नहीं हो सकती है।¹¹ स्पष्ट है कि स्वतन्त्र व्यापार भौगोलिक धम-विभाजन को प्रोत्साहन देता है जिसके अनेक लाभ हैं।

(4) एकाधिकारों की स्थापना पर रोक—स्वतन्त्र व्यापार का आधार प्रतिस्पर्धा है जिसके कारण एकाधिकारी सघो की स्थापना में रूकावट पड़ती है। इसके विपरीत, प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप एकाधिकारों के निर्माण में सहायता मिलती है, उत्पादन लागत तथा मूल्य बढ़ जाते हैं और उत्पादन में कार्यक्षमता घट जाती है।

(5) विस्तृत बाजार—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न होने की स्थिति में एक देश को अपना माल बेचने के लिए विस्तृत बाजार उपलब्ध हो जाता है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अनुसार हो रहा है, तो बाजार जितना अधिक विस्तृत होता है, विभिन्न देशों को निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ भी उतने ही अधिक प्राप्त होते हैं।

(6) उपभोक्ताओं को लाभ—स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत देश में उत्पादन की बड़ी इकाइयाँ जीवित रहती हैं, जिनमें उत्पादन-लागत न्यूनतम होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ वही माल अधिक सस्ता उपलब्ध होता है, वहाँ से आयात कर लिया जाता है। अतएव उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएँ मिल जाती हैं, उनके उपभोग का क्षेत्र विस्तृत होना है तथा उनकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना—चूँकि सभी देश एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनमें आपसी सहयोग तथा सद्भावना का बढ़ना स्वाभाविक है। वास्तव में, स्वतन्त्र व्यापार की नीति सफल तभी होती है, जब अन्य देश भी इसी नीति को अपनायें। एक देश द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने पर अन्य देश भी प्रतिबन्ध लगाने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र व्यापार समाप्त हो जाता है। स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से एक इकाई बन जाता है, तभी विश्व के सभी देशों के आर्थिक हितों की रक्षा होगी है।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का समर्थन किया था। आर्थिक राष्ट्रीयतावाद (Economic Nationalism) तथा नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) के वर्तमान युग में कोई भी देश स्वतन्त्र व्यापार की नीति नहीं अपनाना चाहता। इसलिए स्वतन्त्र व्यापार का केवल ऐतिहासिक अथवा सैद्धान्तिक महत्व ही रह गया है। उन्नीसवीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार नीति के प्रबल समर्थक राष्ट्रों में भी अब संरक्षण की नीति को अपना लिया है।

संरक्षण

संरक्षण (protection) की नीति को सर्वप्रथम समर्थन अमेरिका तथा जर्मनी में प्राप्त हुआ था। 1791 में अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ एलेक्जेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) ने संरक्षण के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया था तथा संरक्षण के कुछ तर्कों को भी बताया था। 1812-15 ई० में अमेरिका एवं इंग्लैंड के बीच युद्ध के कारण जब दोनों देशों ने व्यापारिक सम्बन्ध अस्थायी रूप से स्थगित हो गये तो अमेरिकी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। इससे संरक्षण के समर्थन का दल मिला। फेनमिलवेनिया में हेनरी कैरे (H. C. Carey) के संरक्षण के पक्ष में विचारों को काफी समर्थन प्राप्त हुआ। जर्मनी में संरक्षण की नीति वहाँ की राष्ट्रवादी नीति का परिणाम थी। इनके समर्थन में फ्रेडरिक लिस्ट (Friedrich List) ने अपनी पुस्तक 'National System of Political Economy' में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जोरदार तर्क प्रस्तुत किये। लिस्ट के अनुसार यदि स्वतन्त्र व्यापार की नीति इंग्लैंड के लिए अच्छी है तो आवश्यक नहीं कि अन्य देशों के लिए भी अच्छी हो। राष्ट्रीय हितों का विकास करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश अपने उद्योगों का विकास करे। लिस्ट

1 "Individuals find it for their interests to employ their industry in a way in which they have some advantages over their neighbours. And what is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom." —Adam Smith

का विश्वास था कि जो देश केवल कृषि पर निर्भर करता है वह ऐसे व्यक्ति के समान है जो एक ही हाथ से उत्पादन कार्य करता है।¹ मरक्षण की नीति से सम्बन्धित विचार धीरे-धीरे अन्य देशों द्वारा भी स्वीकार कर लिये गये और वे स्वतन्त्र व्यापार की नीति का परित्याग कर सरक्षण की नीति का अनुसरण करने लगे।

सरक्षण के पक्ष में तर्क

मरक्षण की भावना का प्रसार आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों कारणों से हुआ है, यद्यपि राजनीतिक कारण आर्थिक कारणों से अधिक प्रबल रहे हैं। मरक्षण के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिये जाते हैं, जिनको हैबरलर (Haberler) ने दो श्रेणियों में विभक्त किया है—अनार्थिक तर्क (Non-Economic Arguments), तथा आर्थिक तर्क (Economic Arguments)।

(क) अनार्थिक तर्क

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आत्म-निर्भरता का तर्क (National Defence or Self-sufficiency Arguments)—विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए प्रत्येक देश को रक्षा-उद्योगों (defence industries) का विकास करना आवश्यक है, और इसके लिए सरक्षण की नीति अपनायी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि अन्य देशों पर अत्यधिक मात्रा में निर्भर न रहकर देश अधिक से अधिक मात्रा में आत्म-निर्भर होने का प्रयास करे, चाहे इसके लिए उसे आर्थिक हानि ही क्यों न उठानी पड़े।

(2) राष्ट्र के विशिष्ट गुणों को सुरक्षित रखने का तर्क (Argument for preserving the special ethos of the nation)—राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति, आचार-विचार तथा अन्य विशेष गुण सभी सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जब उस राष्ट्र के लोगों के विदेशियों से अधिक सम्पर्क न हो। मरक्षण के द्वारा राष्ट्र के विशिष्ट गुणों को विदेशी प्रभावों से बचाया जा सकता है, तथा शुद्धता को बनाये रखा जा सकता है।

(3) कुछ व्यवसायों तथा जनवर्गों को सुरक्षित रखने का तर्क (Preservation of Certain Occupations and Classes of Population Argument)—कुछ व्यवसायों तथा जनवर्गों की सुरक्षा न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक आधारों पर भी आवश्यक समझी जाती है। उदाहरणार्थ, कृषक जनसंख्या समाज का एक बफादार एवं परम्परावादी वर्ग होता है। इसी के द्वारा परम्पराओं और रीतियों की रक्षा होती है, और यह वर्ग जनसंख्या में सन्तुलन तथा नैतिक एकता के दृष्टिकोण से आवश्यक होता है। स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाये जाने पर इस वर्ग को हानि पहुँच सकती है। सरक्षण के द्वारा कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों को पतन से बचाया जा सकता है।

(ख) आर्थिक तर्क

(1) शिशु-उद्योग तर्क (Infant Industries Argument)—शिशु-उद्योग सम्बन्धी तर्क सर्वप्रथम 1791 में अमेरिका के एलेक्जेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) ने अपनी पुस्तक 'Report on Manufacturers' में प्रस्तुत किया था। बाद में इस विचार को जर्मनी में फ्रेडरिक लिस्ट का जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ। डगलैण्ड ने मुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे० एम० मिल (J S Mill) ने भी इसका समर्थन किया।

इस तर्क का आधार यह है कि जो राष्ट्र उद्योगों को पहले से स्थापित कर चुके हैं, उनके सामने नये राष्ट्रों के शिशु-उद्योग प्रतिवोगिता में नहीं टहर सकते। एक बालक किसी युवक का बला बँभे समानता कर सकता है। पहले से स्थापित उद्योगों को अनेक प्रकार की मुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जैसा कि लिस्ट के अनुसार, "कम मजदूरी पर अधिक सराया में कुशल तथा अनुभवी कर्मचारी, सर्वोत्तम तकनीकी प्रतिभा, पूर्ण एवं मस्तों मशीनरी, अधिकतम लाभ पर त्रय-विश्रय की

1 "A nation which only carries on agriculture is like an individual who in his material production lacks an arm."—F. List

सुविधा, यातायात के सस्ते साधन, र्वको से कम से कम व्याज पर अधिक में अधिक साख, अच्छे जीजार, इमारतों, विस्तृत गृह बाजार आदि ”। इन सब सुविधाओं के कारण ही नये उद्योग पूर्ण विकसित उद्योगों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, इसलिए विद्यु उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना आवश्यक होता है। टॉसिंग के अनुसार, “प्रारम्भ में स्वदेशी उत्पादक को कठिनाई होगी और विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ होगा। अन्त में वह भीख नेता है कि अधिकतम लाभ के साथ किस प्रकार उत्पादन किया जाय और तब वह विदेशियों की भाँति मस्ती और कभी-कभी उनमें भी सस्ती वस्तु बाजार में लाने में असमर्थ होता है।¹ इसलिए नये उद्योगों को प्रारम्भ में नरक्षण देना आवश्यक होता है। बाद में विकसित हो जान पर बिना किसी नरक्षण के ये भी विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। मिल ने तो यह स्पष्ट रूप में लिखा था कि सरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को दिया जाय जो बाद में उसका परित्याग कर पाने के योग्य हो सकें। इस प्रकार सरक्षण की नीति का सार यह है कि “विद्यु का पालन करो, बालक की रक्षा करो, और युवक को स्वतन्त्र छोड़ दो” (Nurse the baby, protect the child and free the adult)।

मिल द्वारा विद्यु-उद्योग तर्क स्वीकार कर लेने पर स्वतन्त्र व्यापार के धन्य समर्थकों की भी इसे सहमति प्राप्त हुई है, परन्तु इसकी आलोचना भी की जाती है, जो निम्नलिखित है

- 1 विद्यु उद्योगों की पहचान करना कठिन होता है। जो उद्योग स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत अपना अस्तित्व भली प्रकार वापस रख सकते हैं, वे भी नरक्षण की इच्छा करने लगते हैं। मार्शल ने अमरीकी अनुभव के आधार पर लिखा था कि “नरक्षण नीति की योजना कितनी ही सरल क्यों न हो, वह प्रभावपूर्ण ढंग से जटिल बना दी जाती है” “हो” है जिससे वह विशेष रूप से उन्हीं उद्योगों को नहायता दे सकी है जो पहने से ही काफी शक्तिशाली थे, तथा जो बिना नरक्षण के भी कार्य करना सकते थे।²
- 2 नरक्षण की नीति में स्पष्टता की प्रवृत्ति निहित होती है। प्रो० टॉसिंग ने लिखा है कि “अधिकतर रूप में नरक्षण मिल जाने पर निहित स्वार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो सरक्षण के हटाने जाने के विरुद्ध होते हैं।³”
- 3 किसी एक उद्योग को सरक्षण दिये जाने पर अन्य उद्योग भी नरक्षण की माँग करने लगते हैं तथा इसकी प्राप्ति के लिए ऐंभ उपाय अपनाते लगते हैं जिनसे देश में अष्टाचार एवं पक्षपात की भावना बढती है।
- 4 सरक्षण की नीति के कारण उपभोक्ताओं को हानि होती है, क्योंकि उन्हें घटिया माल के लिए अधिक कीमतें देनी पडती हैं।
- 5 कुछ उद्योग जो नरक्षण की आड़ में ही जन्म लेते हैं, नरक्षण हटा लेने पर तुरन्त समाप्त हो जाते हैं। यदि वे सरक्षण के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं तो इनके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि नरक्षण की नीति उनके लिए लाभदायक रही है। अनेक ढंगों में तो बिना नरक्षण के ही उद्योग स्थापित किये गये और विकसित हुए, जबकि कुछ अन्य देश नरक्षण के द्वारा भी पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं कर पाये।

विद्यु-उद्योग तर्क के विरुद्ध उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद नरक्षण की नीति के पक्ष में यह एक महत्वपूर्ण तर्क है और व्यावहारिक रूप में यह प्रभावपूर्ण भी रहा है।

1 “At the outset the domestic producer has difficulties and cannot meet foreign competition. In the end, he learns how to produce to the best advantage and then can bring the article to market as cheaply as the foreigner, even more cheaply —Tausig

2 “... however simple the plan on which a protective policy started it was drawn irresistably to become intricate, and to lend its chief aid to those industries which were already strong enough to do without it.”—Marshall, Quoted by Haberler in *Theory of International Trade*, p 283

3 “Protection given in most cases creates vested interests which are averse to the removal of protection —Tausig

(2) उद्योगों में विविधता का तर्क (Diversification of Industries Argument)—स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति में तुलनात्मक सागत सिद्धान्त के अनुसार सभी देशों में बलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन का विविधतापूर्ण हो जाता है। परन्तु असाधारण परिस्थितियों में इससे किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था को भारी सकट का सामना करना पड़ सकता है। उद्योगों में विविधता का तर्क सर्वप्रथम फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा दिया गया था। सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए, लिस्ट के अनुसार, देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का होना आवश्यक है। कुछ छोटे से उद्योगों का ही विकास करना और उन पर निर्भर रहना आर्थिक दृष्टिकोण में भी हानिकारक होता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। राजनीतिक दृष्टि से अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और युद्ध आदि के समय अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से जब कभी विदेशों में उत्पादित सामान की माँग गिर जाती है तो देश पर भारी आर्थिक नुक़्त आ पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास के क्रम को सन्तुलित रखने के लिए देश में विविध उद्योगों का विकास किया जाय तथा जिन उद्योगों के विकास के लिए देश में अनुकूल परिस्थितियाँ न हों उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिया जाय। इस तर्क के प्रतिपादक भौगोलिक श्रम-विभाजन से प्राप्त होने वाले लाभों को विलकुल मुला देते हैं।

(3) आधार-उद्योग तर्क (Key Industries Argument)—औद्योगिक इन्फ़े के आधार-स्वरूप कुछ प्रमुख उद्योगों, जैसे लोहा इस्पात, बिजली आदि की स्थापना करना आवश्यक होता है। औद्योगिक ढाँचा अपने में पूर्ण, सन्तुलित एवं स्थिर तभी होगा जबकि देश उद्योगों के विकास के लिए भारी मशीनें, प्लांट तथा परिवहन सम्बन्धी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करे। आधार-उद्योगों का विकास करने पर ही किसी देश में औद्योगिक विकास स्वयंचालित (self-sustained) हो पाता है। इस प्रकार के उद्योगों के लिए संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

(4) प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग तर्क (Proper Utilization of Natural Resources Argument)—स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत विविधतापूर्ण के कारण देश में सभी प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात करना राष्ट्रीय हित में अच्छा नहीं होता। जेवन्स (Javons) ने इसी तर्क के आधार पर इंग्लैण्ड में कोयले के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया था। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के पूर्ण एवं उचित उपयोग के लिए देश में ही सम्बद्ध उद्योगों को संरक्षण देकर विकसित किया जा सकता है।

(5) बेकार साधन तर्क (Idle Resources Argument)—स्वतन्त्र व्यापार तथा विविधतापूर्ण के कारण प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त श्रम और पूँजी आदि के साधन भी बेकार पड़े रह सकते हैं। उद्योगों को संरक्षण देकर देश में औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है तथा बेकार साधनों का समुचित प्रयोग किया जा सकता है।

(6) रोजगार सम्बन्धी तर्क (Employment Argument)—इस तर्क का अभिप्राय यह है कि देश में रोजगार बढ़ाने के लिए संरक्षण की नीति द्वारा उपयुक्त उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संरक्षित उद्योगों की स्थापना में आयात कम हो जाने पर बेकारी कम हो सकती है, परन्तु यदि इसके प्रभाव में देश में निर्यात भी कम हो जाय तो निर्यात-उद्योगों में बेकारी बढ़ जायेगी। केन्स (Keynes) ने लिखा था कि "यदि आयात में कमी होने पर तत्काल लगभग निर्यात इतने ही कम हो जायें तो स्पष्ट रूप में तट-कर (और बहुत से अन्य उपाय) रोजगार में वृद्धि करने के लिए पूर्णतया निरर्थक होंगे।"¹

संरक्षण द्वारा देश में बेकारी की समस्या को हल करने के लिए केन्स ने दो सुझाव दिये हैं—(1) संरक्षण के साथ-साथ विदेशियों को ऋण देने की भी व्यवस्था की जाय ताकि वे देश का

1 "If a reduction of imports causes almost at once a more or less equal reduction of export, obviously a tariff (and many other things) would be completely futile for the purpose of augmenting employment. — Keynes *Economic Notes on Free Trade in 'The New Statesman and Nation'* (11th April, 1931), p. 242

माल खरीद सके और निर्यात में कोई कमी न हो। (2) संरक्षण करो से प्राप्त आय निर्यात-उद्योगों को आर्थिक सहायता (bounties and subsidies) देने में लगायी जाय ताकि यह उद्योग अपना माल विदेशों में कम कीमत पर बेच सकें। परन्तु वेन्स के बालोचक इन दोनों सुझावों को अब्यावहारिक समझते हैं। विदेशियों को कब तक और कहां तक ऋण दिया जा सकता है? आयातों पर प्रतिबन्ध होने के कारण विदेशी ऋण का भुगतान कैसे करेंगे? निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता देने पर क्या अन्य देश भी प्रतिस्पर्धा की भावना से निर्यात-मूल्य कम नहीं कर देंगे? इस प्रकार की शकाओं के कारण यह सन्देह होने लगता है कि संरक्षण द्वारा वकरी की समस्या हल नहीं की जा सकती।

दूसरी ओर कुछ अन्य अर्थशास्त्री यह स्वीकार नहीं करते कि संरक्षण की नीति के परिणामस्वरूप आयात कम होने पर निर्यात भी उसी मात्रा में कम हो जायेंगे, और यदि निर्यात कम हो भी जायें तो इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्यात-उद्योगों में वेकरी बढ़ेगी। हैबरलर के विचार में निर्यात-उद्योगों की पुरानी विदेशी माँग का स्थान स्वदेश में ही उत्पन्न माँग ग्रहण कर लेगी।¹ परन्तु व्यावहारिक रूप में यह आवश्यक नहीं कि सभी निर्यात-उद्योगों की वस्तुओं के लिए स्वदेशी माँग में पर्याप्त वृद्धि हो। यदि माँग नहीं बढ़ेगी तो वेकरी में वृद्धि होगी ही। अतएव यह स्पष्ट है कि संरक्षण के लिए रोजगार सम्बन्धी तर्क में अधिक बल नहीं है, परन्तु यह अवश्य है कि संरक्षण से वेकरी दूर करने में कुछ न कुछ सहायता मिलती ही है।

(7) सरकारी आय का तर्क (The Revenue Argument)—संरक्षण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि संरक्षण करो से सरकार को आय प्राप्त होती है। परन्तु जैसा कि हैबरलर ने सकेत किया है, संरक्षण की नीति तथा संरक्षण द्वारा प्राप्त सरकार की आय दोनों ही विरोधी तत्व (inconsistent) हैं, क्योंकि संरक्षण जितना अधिक होता है, आयात कर से प्राप्त आय उतनी ही कम होती है।² संरक्षण तथा सरकारी आय परस्पर विरोधी होने पर भी संरक्षण के पक्ष में सरकारी आय का तर्क दिया जाता है।

(8) स्वदेशी बाजार तर्क (Home Market Argument)—संरक्षण द्वारा आयातों को बन्द करना अथवा महँगा करना इस उद्देश्य से भी किया जा सकता है कि स्वदेशी बाजार में केवल गृह-उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की ही विक्री हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संरक्षण द्वारा स्वदेशी बाजार का विकास सम्भव है, परन्तु साथ में यह भी सम्भावना रहती है कि आयात कम कर देने से निर्यात भी कम हो जाता है। इस सम्बन्ध में केन्ज का विचार है कि संरक्षण के द्वारा रोजगार बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इसके साथ साथ बुल मजदूरी घट जायेगी। हमारे आयात प्राप्तियाँ (receipts) हैं जबकि निर्यात भुगतान (payments) हैं। ऐसी दशा में कोई राष्ट्र अपनी प्राप्तियों में कमी करके अपनी दशा को सुधारने की आशा कैसे कर सकता है?

(9) द्रव्य को देश में रखने का तर्क (To Keep Money at Home Argument)—यह तर्क सर्वप्रथम अमेरिका के प्रेसीडेंट अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने प्रस्तुत किया था। इस तर्क का आधार यह है कि विदेशों से आयात करने पर हम नुनतान करना होगा जिससे हमारा द्रव्य विदेशों को चला जायेगा। संरक्षण के द्वारा गृह उद्योगों का विकास कर लिया जाय तो देश का द्रव्य देश में ही रह जायेगा। इस तर्क की आलोचना में यह कहा जाता है कि किसी देश द्वारा आयात कम कर देने पर उसके निर्यात भी कम हो जायेंगे। अन्ततः आयातों तथा

1 "We must not forget that the purchasing power which was previously spent by consumers on imported goods and used by the foreign recipients to purchase exports from the country in question is now spent by consumers on home produced goods and may be used by the recipients to purchase goods from their own export industries so that a new home demand for the products of the export industries may replace the previous foreign demand — Haberler *Theory of International Trade*, p. 261

2 "The duty which affords the maximum of protection is a prohibitive one which yields no revenue to the state. On the other hand, the revenue yielded by a duty will be the greater the less import of the goods falls off, that is to say, the less the duty fulfills its protective function — Haberler *Theory of International Trade*, p. 239

निर्मातो का सन्तुलन हो जाता है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रव्य खोने अथवा पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विदेशों से आयात करने पर लाभ यह होता है कि थोड़ा द्रव्य देकर आर्थिक सन्तोष की प्राप्ति होती है।

(10) सरक्षित उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि तर्क (Expanding the Production of Protected Industries Argument)—साधारण जनता पर इस तर्क का काफी प्रभाव पड़ता है कि सरक्षण द्वारा सरक्षित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है। जर्मनी तथा आस्ट्रिया ने कृषि को सरक्षण देकर कृषि-उत्पादन में काफी वृद्धि कर ली थी और हंगरी ने सरक्षण के द्वारा ही 10 वर्षों के भीतर पर्याप्त औद्योगिक विकास कर लिया था। इस सम्बन्ध में यह सिद्ध करना कठिन है कि इन देशों में उत्पादन में वृद्धि सरक्षण की नीति का ही परिणाम थी, तथा अन्य तत्वों का उसमें सहयोग नहीं था। यह भी प्रमाणित नहीं होता कि सरक्षण के द्वारा कुल सामाजिक उत्पत्ति अथवा कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। सम्भव है कि सरक्षित उद्योगों में उत्पादन बढ़ जाय परन्तु अन्य उद्योगों में उत्पादन घट जाय, तो इस प्रकार उत्पादन की एक शाखा का विकास अन्य शाखाओं के हितों का बलिदान करके ही किया जाता है।

(11) लागतों में समानता का तर्क (Equalisation of Costs Argument)—इस तर्क के अनुसार सरक्षण की नीति का उद्देश्य यह होता है कि स्वदेश में बनी मंहंगी वस्तुओं और विदेश में बनी सस्ती वस्तुओं को आयात-कर द्वारा समान कर दिया जाय ताकि स्वदेशी और विदेशी उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के बेचने के लिए समान अवसर मिल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि तुलनात्मक लागत को समान करने के लिए जो उद्योग जितना अधिक दुर्बल तथा अकुशल होगा उसे उतना ही अधिक सरक्षण देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में हैबरलर ने कहा है कि तुलनात्मक लागत के लाभ को समान कर देने पर तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त ही हो जायेगा, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तो तुलनात्मक लागतों में अन्तर ही है।¹

(12) क्रय-शक्ति तर्क (Purchasing Power Argument)—सरक्षण मिल जाने पर औद्योगिक विकास सम्भव होगा, तथा औद्योगिक जनसंख्या की क्रय-शक्ति बढ़ जायेगी। औद्योगिक वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग (effective demand) में वृद्धि होने पर उनके द्वारा कच्चे माल आदि की मांग बढ़ेगी और इस प्रकार कृषि का भी विकास होगा। परन्तु यह तर्क दूसरे पहलू को नहीं देखता। सरक्षण के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को वस्तुएँ ऊँची कीमत पर प्राप्त होती हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि उनकी माँद्रिक आय अथवा क्रय शक्ति बढ़ जाने पर वे पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ या सेवाएँ खरीद सकेंगे।

(13) चहुँमुखी सरक्षण तर्क (Protection All-round Argument)—यह तर्क क्रय-शक्ति तर्क का ही दूसरा रूप है। इसके अनुसार जब किसी उद्योग को सरक्षण देने से क्रय-शक्ति में वृद्धि होने के कारण सभी उद्योगों को लाभ होता है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उत्पादन की प्रत्येक शाखा को सरक्षण दे दिया जाय। बिस्मार्क (Bismark) ने कहा था, "सरक्षण प्रणाली जो कुछ स्वदेशी उत्पादन को विदेशी उत्पादकों पर प्राथमिकता देती है किसी वर्ग को अनुचित रूप से कठोर नहीं माहूम होगी, क्योंकि इससे देश के सभी उत्पादक वर्गों को समान रूप से लाभ होगा।"² इस तर्क की आलोचना में हैबरलर ने लिखा है कि "कोई भी देश विश्व की अर्थ-व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभों से जितना अलग हो जायेगा, उसे उतनी ही अधिक सामाजिक उत्पादन में हानि होगी।"³

(14) व्यापार-सन्तुलन सुधार तर्क (Improvement in Balance of Trade Argu-

1 "It is clear that the complete logical application of this postulate would destroy all international trade since this arises only because of differences in cost —Haberler. *Theory of International Trade*

2 Bismark's communication to the Bundestrat on 15th Dec 1878

3 "the more is a country cut-off from the world economy and from the benefits of international division of labour, the greater is the loss to the social products"—Haberler's *op cit*, p 248

ment)—सन् 1931 से बाद पूर्व और मध्य यूरोप में अनेक देशों में संरक्षण की नीति का प्रयोग व्यापार-सन्तुलन की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से ही किया था। मुद्रा प्रसार अथवा मौद्रिक सक्रमों के समय में जब कीमते बढ़ जाने के कारण विदेशी माल भारी मात्रा में स्वदेशी बाजार में आने लगता है तो व्यापारविरोध सन्तुलित रखने के लिए विदेशी आयातों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह समझ लेना आवश्यक है कि संरक्षण द्वारा आयात कम करने से यह आवश्यक नहीं कि आयात-आधिव्यय (import surplus) में भी कमी हो जाय। आयातों में कमी होने पर यदि निर्यात गिर गये तो आयात आधिव्यय ज्यों का त्यों बना रहेगा।

(15) विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध तर्क (To Check the Import of Luxuries Argument)—संरक्षण की नीति का यह उद्देश्य हो सकता है कि विदेशों से विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें ताकि विलासिता पर किये जाने वाले व्यय तथा उपभोग की आदतों को नियन्त्रित किया जा सके। परन्तु इसमें सफलता तभी मिल सकती है जब स्वदेश में भी विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें, अन्यथा विदेशी वस्तुओं से हटकर माँग स्वदेशी विलासिता की वस्तुओं के लिए बढ़ जायेगी।

(16) प्रतिकारी संरक्षण तर्क (Retaliatory Protection Argument)—अन्य देशों द्वारा लगाये गये तट-करों (tariffs) के हानिप्रद परिणामों में बचने के उद्देश्य से जब तट-कर लगाये जाते हैं तो उन्हें 'प्रतिकारी प्रशुल्क' (retaliatory tariffs) कहते हैं। प्रतिकारी तट-कर लगाना तब भी आवश्यक हो जाता है जब दूसरे देशों की नीति राशिपातन (dumping) की हो, अर्थात् वे अपना माल इस देश के उद्योगों की कुचलने के उद्देश्य से अपनी लागत से भी कम मूल्य पर बेचना शुरू कर दें। हैबरलर तथा अन्य अनेक अर्थशास्त्री इस प्रकार की नीति को उचित नहीं समझते। उनके विचार में यदि हम तट-कर लगाकर इसका प्रतिकार करते हैं तो हममें हम स्वयं अपने को और दूसरों को अधिक हानि पहुँचाते हैं, जबकि दूसरे के द्वारा की गयी हानि में हम कुछ भी नहीं कर पाते। हैबरलर के शब्दों में, "यह प्रचलित विश्वास कि विरोधी टैरिफ़ दीवारों से घिरा हुआ देश अपने भुगतान-सन्तुलन को वायम नहीं कर सकता, इतना निरर्थक है कि इसे छोड़ देना ही अच्छा है।"¹

(17) मजदूरी तर्क (Wages Argument)—एसा कहा जाता है कि संरक्षण की आड़ में ही अन्य देशों की अपेक्षा ऊँची मजदूरी-दर सम्भव हो सकती है। ऊँची मजदूरी वाले देशों, विशेष रूप से अमेरिका, में निर्धन श्रम तर्क (Pauper Labour Argument) अत्यन्त लोकप्रिय है। वहाँ जनसाधारण के विचार में यदि संरक्षण प्राप्त न होता तो कम मजदूरी वाले एशियाई देशों की प्रतिस्पर्धा में अमेरिका में औद्योगिकरण सम्भव नहीं हो पाता। आलोचकों के अनुसार यह तर्क भी दासपूर्ण है + यह मान्यता गलत है कि दो देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार से उत्पन्न क साधना का मूल्य (factor prices) और विशेष रूप से मजदूरी में समानता आ जायेगी। मजदूरी दरों में समानता तभी आ सकती है जब श्रम गतिशील हो, अर्थात् कम मजदूरी वाले देशों से श्रम अधिक मजदूरी वाले देशों को जा सके। इस प्रकार बजाय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के मजदूरी-दरों में अन्तर बनाये रखने का सही उपाय यह होगा कि श्रमिका की गतिशीलता अथवा आवास-प्रवास पर रोक लगा दी जाय।

निष्कर्ष—संरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्कों के साथ दी गयी आलोचनात्मक व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि संरक्षण कोई ऐसी जादू की नीति नहीं है जिसे अपनाएने से सदा लाभ ही होता हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनाये जाने पर यह लाभपूर्ण हो सकता है। वास्तव में, स्वतन्त्र व्यापार का तर्क पूर्ण रोजगार की उपलब्धता पर आधारित है, जबकि संरक्षण का तर्क अपूर्ण रोजगार की उपलब्धता पर। इस प्रकार, साधारणतया पूर्ण रोजगार वाली विव

1 "The popular belief that a country surrounded by a ring of hostile tariff walls cannot maintain her balance of payments in equilibrium is so primitive that we can pass it by —Haberler • *et.*, p 250

सित अर्थ-व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र व्यापार अधिक लाभदायक हो सकता है, जबकि अपूर्ण रोजगार वाली अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए संरक्षण की नीति ही उचित है।

संरक्षण के विरुद्ध तर्क

उपर्युक्त परिस्थितियाँ न होने पर संरक्षण की नीति अपनाने से अनेक हानियाँ अथवा कुप्रभाव भी सम्भव होते हैं। टाइबर डि साइटोवस्की (Tibor De Scitovszky) के अनुसार, "जैसे ही तट-रर दीवारें ऊँची उठती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है, प्रत्येक देश का व्यापार कम देशों के साथ हो जाता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आणविक स्वरूप नष्ट हो जाता है और प्रतिवार का भय व्यापक रूप से वास्तविकता ग्रहण करता है।" संरक्षण के विरुद्ध, मुख्य रूप से, निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं

- 1 संरक्षण के कारण विदेशी व्यापार में कमी आती है। चूँकि आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा ही किया जाता है, आयात कम होने पर निर्यात गिर जाते हैं तथा विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाती है।
- 2 संरक्षण अधिकतम सामाजिक उत्पादन (social product) में बाधक होता है। क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। साधनों की गतिशीलता में रुकावटें पैदा होती हैं जिसके परिणामस्वरूप साधनों का वितरण अस्वाभाविक तरीके से होता है, तथा उत्पादन गिर जाता है।
- 3 अकुशल तथा दुर्बल उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। जो संरक्षण के अभाव में अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ होते हैं।
- 4 संरक्षण के कारण अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन (disequilibrium) की स्थिति उत्पन्न होती है। संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योगों में अन्य उद्योगों में लगे हुए साधन आकर्षित होकर आने लगते हैं जिसके परिणामस्वरूप, जैसा कि हैबरलर ने लिखा है, 'संरक्षित उद्योग में उत्पादन में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा अन्य उत्पादन अधिक घट जाता है।'¹
- 5 संरक्षण से उपभोक्ता एवं अरक्षित उद्योगों को हानि होती है, क्योंकि आयात-करों के कारण मस्ता विदेशी माल बाजार में नहीं मिलता तथा संरक्षित उद्योग ऊँची कीमतें वसूल करने लगते हैं।
- 6 विदेशी प्रतियोगिता के समाप्त हो जाने से स्वदेशी उत्पादक लापरवाह हो जाते हैं। वे औद्योगिक कार्य कुशलता में सुधार के लिए प्रयत्न नहीं करते, वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा आधुनिककरण की उपेक्षा करते हैं। उनमें सुस्ती आ जाती है और वे उन्नति नहीं कर पाते।
- 7 किसी उद्योग को एक बार संरक्षण देने पर उसे वापस लेना बहुत कठिन होता है। क्योंकि य उद्योग निरन्तर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि सरकार संरक्षण को वापस न ले, और इसके लिए वे अनुचित साधनों का भी प्रयोग करते हैं।
- 8 संरक्षण के एकाधिकारी सघ (monopoly organizations) की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वे सघ उपभोक्ताओं तथा धर्मियों का शोषण करते हैं।
- 9 संरक्षण से समाज में धन के वितरण में असमानता बढ़ती है। पूँजीपति और अधिक अमीर हो जाते हैं, जबकि कीमतों में वृद्धि के कारण गरीबों पर भार बढ़ जाता है।

1 "As tariff walls mount and international trade dwindles, the number of countries each country trades with will diminish. That will tend to destroy the atomistic nature of international trade and lend increasing reality to the danger of retaliation. —Tibor De Scitovszky 'Theory of Tariffs' in Readings in the International Trade, p. 377.

2 "The decrease in production elsewhere is greater than the increase of production in the protected industry" —Haberler *op cit*, p 246

- 10 संरक्षण राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रेरक है। जिन उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है वे इसे बनाये रखने के लिए सत्तारूढ़ दलों के नेताओं तथा ससद सदस्यों आदि को परोक्ष रूप से रिश्वत देते हैं। जिन उद्योगों को संरक्षण नहीं मिल पाता वे इस पाने की लालसा में शासक दल को प्रभावित करने के अनुचित तरीके अपनाते हैं।
- 11 संरक्षण से राष्ट्रों में परस्पर तनाव बढ़ता है। बढ़ता हुआ मनमुटाव तथा 'शीत युद्ध' (cold war) का वातावरण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए घातक होता है।

वास्तव में, अविकसित अथवा विकासशील देशों में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए संरक्षण की नीति अपनाना अनिवार्य हो जाता है, भले ही इसके कुछ दोष भी हों। विकसित राष्ट्र भी आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना में प्रेरित होकर संरक्षण की नीति अपनाना आवश्यक समझते हैं। संरक्षण के बहुत सारे दोषों से बचा जा सकता है, यदि संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को दिया जाय जिनका विकास संरक्षण के बिना सम्भव न हो, जो आधारभूत उद्योग हों, तथा जिनके विकास के लिए देश में यथेष्ट साधन उपलब्ध हों। इसके साथ-साथ संरक्षित उद्योगों की समय-समय पर जाँच करते रहना चाहिए और स्थिति अनुकूल होने पर उन्हें हटा लेना चाहिए। इस प्रकार विवेचनात्मक तथा अस्थायी संरक्षण के भी लाभ प्राप्त होते हैं और स्वतन्त्र व्यापार के भी।

संरक्षण की रीतियाँ

देश में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन तथा विदेशी माल के आयात को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से अपनायी गयी संरक्षण-नीति की विविध रीतियाँ (methods of protection) निम्न-लिखित हैं

(1) आयात प्रशुल्क (Import Duties or Tariffs)—संरक्षण की सबसे प्राचीन तथा प्रचलित रीति यही है। इसके अन्तर्गत एक प्रशुल्क सारणी (Tariff Schedule) बना ली जाती है जिसमें सभी आयात करों का उल्लेख रहता है। आयात की गयी वस्तु की मात्रा पर लगाया गया कर अथवा प्रशुल्क परिमाण-कर (specific duty) कहलाता है, और जब इसे वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो इसे यथा मूल्य-कर (ad-valorem duty) कहते हैं।

प्रशुल्क कई प्रकार के होते हैं—(1) समान कर प्रणाली (Unilinear or Single Column Tariff System), जिसके अन्तर्गत सभी देशों की समान वस्तुओं पर प्रशुल्क समान दर से लगाये जाते हैं, (2) सामान्य या परम्परागत प्रशुल्क प्रणाली (General or Conventional Tariff System), जिसके अन्तर्गत विशेष सन्धियों अथवा परम्पराओं वाले देशों को छोटकर अन्य सब देशों के लिए समान प्रशुल्क लगाये जाते हैं, (3) अधिकतम एवं न्यूनतम प्रशुल्क प्रणाली (Tariff System with Maximum or Minimum Rates), जिसमें विशेष समझौतों वाले देशों के लिए न्यूनतम तथा अन्य देशों के लिए अधिकतम दरों की व्यवस्था की जाती है, तथा (4) विशेषाधिकारी प्रशुल्क प्रणाली (Preferential Tariff System), जिसके अन्तर्गत घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित देशों के लिए प्रशुल्क सम्बन्धी विशेष रियायतें अथवा छूटें दी जाती हैं।

(2) वैधानिक निषेध (Legal Prohibitions)—कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार कानून द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात अथवा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देती है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पार्लियामेंट यूरोपीय देशों ने इसी रीति के द्वारा अपने उद्योगों को संरक्षण दिया था। प्रथम महायुद्ध काल तथा उसके पश्चात् इस रीति को व्यापक रूप में अपनाया गया। आधुनिक काल में व्यापार-नियन्त्रण की रीति के रूप में अनेक देश इसे अपनाये हुए हैं।

(3) आयात अम्यश (Import Quotas)—इसके अन्तर्गत एक दी हुई अवधि के भीतर विभिन्न वस्तुओं के आयात का परिमाण निर्धारित कर दिया जाता है। विभाजन कौटा (allocated quota) के अन्तर्गत उन्हीं देशों से और उतनी ही मात्राओं में आयात किया जा सकता है जिसे सरकार ने तय कर दिया है, परन्तु विश्व कौटा (global quota) प्रणाली के अन्तर्गत निश्चित सीमा तक माल विश्व के किसी भी देश से मंगाया जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध काल में तथा इसके बाद कौटा प्रणाली का प्रयोग काफी अधिक हुआ है। भारत में भी इसे अपनाया

गया है, और भारत की आयात-नीति की घोषणा में विभिन्न वस्तुओं की आयात की मात्रा स्पष्ट की जाती है।

(4) लाइसेन्स प्रणाली (Licence System)—लाइसेन्स प्रणाली अर्थात् अथवा वॉटा प्रणाली का ही एक विशिष्ट रूप है। इसके अन्तर्गत आयात केवल उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में किया जा सकता है जिसके लिए सरकार ने कुछ गिने-चुने व्यापारियों को लाइसेन्स दिये हैं। किस वस्तु को कितनी मात्रा में तथा किस वे द्वारा आयात किया जाय, इसका निर्णय सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(5) आर्थिक सहायता (Bounties and Subsidies)—किसी विशेष उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उसे अनुदानों, विशेष छूटों, ऋणों आदि के रूप में आर्थिक सहायता देती है। इसके फलस्वरूप सहायता-प्राप्त उद्योगों की उत्पादन-लागत कम हो जाती है तथा वे आन्तरिक एव अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी माल से स्पर्धा कर सकते हैं।

(6) भेदपूर्ण परिवहन-दरें (Discriminating Freight Rates)—आयातकर्ता देश के परिवहन साधन अपने होने पर भेदपूर्ण परिवहन-दरों के द्वारा वह आयातों पर ऊँची परिवहन-दर तथा निर्यातों पर नीची दर लेकर आयातों को हतोत्साहित तथा निर्यातों को प्रोत्साहित कर सकता है।

(7) विदेशी माल का बहिष्कार (Boycott of Foreign Goods)—राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर कभी कभी विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया जाता है। इससे स्वदेशी उद्योगों को स्वाभाविक संरक्षण मिल जाता है।

(8) राजकीय व्यापार (State Trading)—विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार सम्पूर्ण विदेशी व्यापार अपने हाथ में ले लेती है और देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही आयात करती है, जिसके फलस्वरूप वांछित उद्योगों को यथोचित संरक्षण मिल जाता है।

(9) विनिमय-नियन्त्रण (Exchange Control)—विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को नियन्त्रित करने से भी आयात की मात्रा नियन्त्रित की जा सकती है। विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न रीतियाँ आयातों को प्रतिबन्धित करने की विधि के रूप में बहुत प्रभावशाली मानी जाने लगी हैं।

(10) अवमूल्यन (Devaluation)—अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देने से अर्थात् इसका विदेशी मुद्रा में मूल्य गिरा देने से देश के निर्यात विदेशों में सस्ते और विदेशों से आयात महँगे पड़ते हैं। इससे निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात कम हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगों को विकास का अवसर मिल जाता है।

संरक्षण की श्रेष्ठ रीति

यह कहना बहुत कठिन है कि संरक्षण की कौनसी रीति सबसे अच्छी है। प्रत्येक प्रणाली में अपने-अपने गुण तथा दोष हैं। अन्य रीतियों की अपेक्षा आयात प्रशुल्क तथा अर्थात् लाइसेन्स प्रणालियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। आयात प्रशुल्क से स्वदेशी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन तो मिलता है किन्तु यह आश्चर्य बनी रहती है कि वही अन्य देश भी प्रतिकारालव प्रशुल्क न लगा दें। अर्थात् रीति का भी गलत प्रयोग होने की सम्भावना बनी रहती है। लाइसेन्स देने में व्यापारियों के चुनाव के सम्बन्ध में हैबरलर ने लिखा है, "चुनाव का सिद्धान्त 'व्यवसाय में कुशलता' नहीं होता। इसके विपरीत, जब अर्थात् प्रणाली लागू हुई उस समय जो वस्तु का आयात कर रहे हों अथवा जिनका प्रभाव सबसे अधिक हो या जिनके पास रिश्वत देने की सबसे अधिक कुशलता हो, वे ही लोग चुने जाते हैं।" उद्योगों को आर्थिक सहायता भी सीमित मात्रा में ही दी जा सकती है। अन्य रीतियाँ अपनाते से भी विदेशों में प्रतिस्पर्धा होने की आशंका रहती

1 "The import licenses may be distributed, especially if the good is a consumer's good, among traders. Skill in trading ceases to be a principle of selection. Instead, those who happened to be importing the good when the quota system came into force, or those with the most influence or the greatest skill in bribing, are the ones selected" —Haberler *Theory of International Trade*, p. 348

है तथा आपसी मनमुटाव की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। यदि आयात कम होने पर देश के निर्यात भी कम हो जाएँ तो सरक्षण की नीति का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नरक्षण की किसी नीति को मन्त्रेण अर्थात् नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ तो किसी देश की वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नरक्षण की नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रायः एक साथ कई रीतियों का प्रयोग करना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि सरक्षण की प्रत्येक नीति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भावना के विरुद्ध ही है, परन्तु फिर भी वर्तमान युग में कोई भी देश नरक्षण की नीति का परित्याग करके स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहता।

भारत की प्रशुल्क-नीति

भारत में ब्रिटिश सरकार ने दीर्घकाल तक स्वतन्त्र-व्यापार की नीति का ही अनुसरण किया, जिसका भारत के व्यापार तथा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा। सन् 1882 में 1894 तक तो आयात-निर्यात करों का प्रयोग बिलकुल नहीं किया गया। इसके पदचान जब कभी सरकार की आम के उद्देश्य से थोड़े से आयात कर लगाने लगे तो इनका सरक्षणार्थ प्रभाव समाप्त करने के लिए उसी दर पर भारत में उत्पादन-कर (excise duty) भी लगा दिये गये। प्रथम महायुद्ध के बाद बदलती हुई परिस्थितियों ने भारत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय उद्योगों को सरक्षण देने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। 7 जनवरी, 1921 को एक तट-कर आयोग (Fiscal Commission) नियुक्त किया गया। इसका कार्य यह था कि यह सभी हितों को ध्यान में रखते हुए देश की तट-कर नीति निर्धारित करे और साथ ही प्राथमिकता (Imperial Preferences) के सिद्धान्त के अन्तर्गत पर विचार करे। इस आयोग ने भाग्य में 'विवेकात्मक सरक्षण' (discriminating protection) की नीति अपनाएँ की। विवेकात्मक सरक्षण

विवेकात्मक, जिसे विवेचनात्मक अथवा पक्षपातपूर्ण भी कहा जा सकता है, सरक्षण नीति का अर्थ यह है कि सभी उद्योगों को सरक्षण न देकर केवल उन्हीं उद्योगों को सरक्षण दिया जाय जो कुछ विशेष उद्योगों को पूरा करते हैं। तट-कर आयोग ने एक त्रि-वर्ती सूत्र (triple formula) सुझाया जिसके आधार पर सरक्षण प्रदान करने के योग्य उद्योगों को चुना जा सकता था। ये यहाँ इस प्रकार थीं

- 1 उद्योग ऐसा होना चाहिए जिसके लिए देश में पर्याप्त प्राकृतिक भावना, जैसे कच्चा माल, पर्याप्त मान्यता में श्रम तथा रॉक के साधन, विस्तृत घरेलू बाजार उपलब्ध हों,
- 2 उद्योग ऐसा होना चाहिए जिसका विदेशी विदेशी नरक्षण के सम्भव ही न हो अथवा उसके विना ही प्रति बहुत मजदूर हों, तथा
- 3 उद्योग ऐसा होना चाहिए जो अन्तर्गत विदेशी नरक्षण के नीचे विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके अर्थात् आन्तरिक में जिसे नरक्षण की आवश्यकता न रहे।

उक्त तीन बातों के अनिश्चित आयोग ने कुछ और भी सुझाव दिये। यह कहा गया कि आधारभूत उद्योगों व सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्योगों को सरक्षण दिया जाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में उत्पादन-लागत घटती हो उन्हें भी नरक्षण दिया जाय, राजाजी भाड़े की कमी, रोगियों, अनुचित शान, बाधित गृहयोजना प्राप्त आयात आदि के सामना की जाँच की जाय।

1923 में सरकार द्वारा विवेकात्मक नरक्षण का निश्चित मान लिया गया और इसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक वर्ष के लिए एक तट-कर बोर्ड (Tariff Board) की स्थापना की गयी। आयोग ने स्थायी बोर्ड की स्थापना की निराश्रित की थी, परन्तु सरकार ने अस्थायी बोर्ड ही स्थापित किये।

विवेकात्मक नरक्षण-नीति में अनेक कठिनाइयाँ थीं तथा देश के अर्थशास्त्रियों और उद्योग-पतिशानों ने इनकी कटु आलोचना की। इनकी मुख्य आलोचनाएँ ये थीं :

- 1 त्रिशर्ती सूत्र (triple formula) की पहली दो शर्तें विरोधात्मक समझी गयी। पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होने पर सरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी शर्त—उद्योग ऐसा हो जो बिना सरक्षण के पनप न सके—वही उद्योग पूरा कर सकता है जो प्रथम शर्त को पूरा न करता हो। वास्तव में, प्राकृतिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर कोई उद्योग बिना सरक्षण के ही विकास कर सकता है।
- 2 सरक्षण प्रदान करने की शर्तें कड़ी थीं और उनका कठोरता एव अनुदारतापूर्वक पालन किया गया।
- 3 सरक्षण सम्बन्धी एक सीमित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसे आर्थिक विकास के एक माधन के रूप में नहीं बल्कि विदेशी प्रतियोगिता से बचने के एक माधन के रूप में देखा गया।
- 4 सरक्षण की नीति केवल चानू उद्योगों पर ही लागू की गयी। नये उद्योगों को सरक्षण का आश्वासन नहीं दिया गया।
- 5 तट-कर बोर्ड अस्थायी होते थे तथा उनके अधिकार सीमित थे।
- 6 सरकार का रवैया असहानुभूतिपूर्ण था तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था।

यह ठीक है कि विभेदात्मक सरक्षण नीति दोषपूर्ण थी, परन्तु इसके अन्तर्गत सरक्षण प्राप्त उद्योगों ने सन्तोषजनक प्रगति की। लोहा तथा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग तथा कृत्रिम रेशम उद्योग को सरक्षण मिला और इन उद्योगों ने काफी प्रगति की। इन उद्योगों पर मन्दी का प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचने वाला के उत्पादन में वृद्धि हुई। इन उद्योगों के साथ सहायक उद्योगों का भी विकास हुआ। परिणाम-स्वरूप देश में प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई और अर्थ व्यवस्था को बल मिला।

द्वितीय युद्धकाल में सरकार की कठोर आयात-नीति के कारण उद्योगों को एक स्वाभाविक सरक्षण मिल गया था, तथापि 1940 में घोषणा की गयी कि जो उद्योग हरे व्यापारिक नीति पर चलेंगे उन्हें भली-भांति सरक्षण प्रदान किया जायेगा। 1945 में सरक्षण-नीति को पुनः घोषणा की गयी और दो वर्षों के लिए एक अन्तरिम तट-कर बोर्ड (Interim Tariff Board) की नियुक्ति की गयी। अन्तरिम बोर्ड ने कुछ नये उद्योगों को सरक्षण अवश्य प्रदान किया, परन्तु इसने किमी प्रगतिशील दृष्टिकोण को न अपनाकर पुरानी विभेदात्मक नीति को ही अपनाये रखा। 1947 में अन्तरिम बोर्ड की अवधि तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी।

इस प्रकार विभेदात्मक सरक्षण की नीति, जो दो महायुद्धों के बीच की अवधि में और कुछ परिवर्तित रूप में बाद में चलती रही, केवल सीमित रूप में ही सफल रही और स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक इसे अपर्याप्त तथा दोषपूर्ण समझा जाता रहा।

नवीन प्रशुल्क नीति

20 अप्रैल, 1949 को टी० टी० कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में द्वितीय तट-कर आयोग (Fiscal Commission) की नियुक्ति की गयी, जिसे निम्न बातों पर सिफारिशें देनी थी (1) उद्योगों को सरक्षण या सहायता देने के सम्बन्ध में भावी सरकारी नीति एव सरक्षण अथवा सहायता प्राप्त उद्योगों की जिम्मेदारियाँ, (2) नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक मशीनरी, तथा (3) नीति को प्रभावशाली बनाने वाली कोई अन्य बात। आयोग ने जुलाई 1950 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए सरक्षण के विकासात्मक पक्ष को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बहुमुखी औद्योगिक विकास पर बल दिया।

सरक्षण के लिए महत्व के दृष्टिकोण से आयोग ने उद्योगों को तीन भागों में बाँट दिया

(1) प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से सरक्षण दिया जाय, चाहे इसका जनता पर कितना ही भार पड़े, (2) आधारभूत उद्योगों (Basic Industries) को भी सरक्षण दिया जाय, सरक्षण की मात्रा एव स्वरूप टैरिफ बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, और इन उद्योगों

की प्रगति की समय-समय पर जाँच हो, (3) अन्य उद्योग जिनकी योजना में उच्च स्थान प्राप्त हो तथा जो आधारभूत उद्योगों के सहायक अथवा पूरक हों, उनको भी संरक्षण दिया जाय, और टैरिफ बोर्ड इसका निश्चय इस आधार पर करे कि उस उद्योग की वास्तविक व सम्भावित लागत क्या होगी, उसका क्या लाभ होगा, और राष्ट्रीय हित में उसे संरक्षण प्रदान करना वहाँ तक आवश्यक है। आयोग ने सुझाव दिया कि संरक्षण प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाय :

1. संरक्षण प्रदान करने के लिए कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता पर जोर न दिया जाय, यदि उद्योग को श्रम उपतब्धि एवं आन्तरिक बाजार की सुविधाएँ प्राप्त हों।
2. उस उद्योग के लिए यह शर्त न हो कि विकसित होने पर वह सम्पूर्ण माल को पूरा कर सकेगा।
3. उस उद्योग की भावी निर्यात की सम्भावनाओं का भी ध्यान रखा जाय।
4. संरक्षित उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योगों को क्षतिपूरक संरक्षण (compensating protection) दिया जाय।
5. नये उद्योगों को जिनमें बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता हो, संरक्षण प्रदान किये जायें।
6. राष्ट्रीय-हित में आवश्यकता पड़ने पर कृषि-पदार्थों को भी संरक्षण दिया जाय।
7. संरक्षित उद्योगों पर यथासम्भव सरकार को उत्पादन-कर (excise duties) नहीं लगाने चाहिए।

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोग ने यह सिफारिश की कि संरक्षण-करों से प्राप्त होने वाली आय का कुछ भाग प्रति वर्ष विकास-कोष (Development Fund) में जमा किया जाय और इसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के उद्योग-धन्धों को सहायता देने के लिए किया जाय। साधारणतः उद्योग-धन्धों को दीर्घकाल के लिए संरक्षण दिया जाय। सरकार को यथासम्भव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी माल की तुलना में स्वदेशी माल को प्राथमिकता देनी चाहिए। संरक्षित उद्योगों के प्रयोग में आने वाले कच्चे माल की कीमतें, आवश्यक होने पर, सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जायें।

आयोग ने संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योगों के कुछ कर्तव्य अथवा दायित्व (obligations) भी निर्धारित किये। उनके उत्पादन का पैमाना निरन्तर बढ़ना चाहिए, उनकी उत्पादित वस्तुएँ निश्चित किये गये गुणों (quality) के अनुसार हों, वे नवीनतम मशीनों व पद्धतियों का प्रयोग करें, वे शोध एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, यथासम्भव स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करें तथा समाज-विरोधी कार्य न करें।

इस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि एक स्थायी तट-कर बोर्ड (Tariff Commission) की नियुक्ति की जाय जो औद्योगिक मूल्यों, संरक्षण के प्रभावों, संरक्षण-करों एवं संरक्षण से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों की जाँच करे। यह बोर्ड अर्द्ध-न्यायिक (quasi-judicial) ढंग से कार्य करे और इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हों।

भारत सरकार ने कृष्णमाचारी आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए 1952 में टैरिफ कमीशन नियुक्त कर दिया गया। गत वर्षों में नवीन सिद्धान्तों के आधार पर नये-नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तन् 1956 के बाद आयातों पर काफी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। संरक्षित उद्योगों ने सन्तोषजनक प्रगति की है। इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसमें निश्चिन्ता आयी है। उन उद्योगों में प्रायः लाभ ही दिखाये हैं। कई इकाइयों ने अपने आन्तरिक साधनों का विस्तार किया है और विदेशी पूंजी भी आकर्षित की है। 1966 के बाद आयात-प्रतिबन्धों में कुछ ढील दी गयी है ताकि देश के उद्योगों की निर्यात-क्षमता में वृद्धि हो सके। कई उद्योगों पर से संरक्षण उठा भी लिया गया है, क्योंकि उनकी सन्तोषजनक प्रगति हो चुकी है।

डा० वी० के० आर० वी० राय (Dr V K R V. Rao) की अध्यक्षता में सरकार न एक समिति नियुक्त की थी, जिसका कार्य टैरिफ कमीशन के कार्यों एवं नीति की जाँच करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1967 में प्रस्तुत की। इस समिति का मुख्य सुझाव यह है कि टैरिफ कमीशन के अतिरिक्त एक ऐसी सरकारी एजेंसी भी नियुक्त की जाय जो विभिन्न वस्तुओं के लागत-कीमत ढाँचे (cost-price structure) की जाँच करे। इस जाँच में 'मिश्र' उद्योगों को भी शामिल किया जाय। किसी भी उद्योग के लिए प्रतिफल निर्धारित करते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाय।

सिद्धे कुछ वर्षों से टैरिफ कमीशन के कार्य की निरन्तर आलोचना की जाती रही है। प्रशासन सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) ने तो यह सुझाव दिया है कि टैरिफ कमीशन को समाप्त करके एक एमि कमीशन की स्थापना की जाय जो औद्योगिक कीमती तथा लागतों की जाँच की ओर विशेष ध्यान दे सके। यह आवश्यकता ध्यान में रखते हुए एक लागत-कीमत ब्यूरो (Bureau of Costs and Prices) की स्थापना कर दी गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग एवं समझौते

द्वितीय युद्ध के समाप्त होने ही अनेक देशों में यह भावना पायी गयी कि उन सब प्रति-बन्धालम्भ नीतियों को समाप्त कर दिया जाय जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में बाधक हो रही हों। एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (International Trade Organisation) की स्थापना के उद्देश्य से 1947 में एक सम्मेलन जेनेवा में हुआ तथा दूसरा सम्मेलन 1948 में हवाना में हुआ। हवाना सम्मेलन में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चार्टर (International Trade Charter) तैयार किया गया, जो हवाना चार्टर (Havana Charter) के नाम से प्रसिद्ध है। इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध तथा विनिमय-नियन्त्रणों को समाप्त करके प्रत्येक देश को व्यापारिक क्षेत्र में समानता का अधिकार देना था। चार्टर में प्रत्येक देश को प्रत्येक देश द्वारा परमानुग्रहित राष्ट्र-व्यवहार (most favoured nation treatment) देने की व्यवस्था की गयी थी ताकि पूर्ण विश्व में वस्तुओं का निरन्तर प्रवाह होता रहे। भारत ने भी इस चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। दुर्भाग्यवश इन्में बहुत कम देशों द्वारा स्वीकृति मिली और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना का स्वप्न मात्र न हो सका।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उदारता की नीति को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से सन् 1947 में जेनेवा में व्यापार एवं प्रशुल्क-विषयक सामान्य समझौता (General Agreement on Tariffs and Trade) की तैयारी तैयार की गयी, जिस 'गैट' (GATT) के नाम से जाना जाता है। यह समझौता, जिसमें 23 राष्ट्र सम्मिलित थे, 1948 से व्यवहार में लाया गया। इसमें सम्मिलित राष्ट्रों की वर्तमान संख्या 80 है। भारत इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित रहा है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के मार्ग की रक्षाओं को हटाना, पक्षपात-पूर्ण रीतियों को समाप्त करना, आयात-प्रशुल्क में कमी करना तथा ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देशों को पारस्परिक लाभ प्राप्त हो।¹ मुख्य रूप से यह समझौता चार सिद्धान्तों पर आधारित है (1) व्यापार की दृष्टि से कुछ देशों के साथ पक्षपात न करके सभी देशों के साथ समान रूप में परमानुग्रहित राष्ट्र का व्यवहार (most favoured nation treatment) करना, (2) आयात-प्रशुल्क (tariffs) के अतिरिक्त सरक्षण की कोई अन्य नीति न अपनाया, अर्थात् व्यापार के परिमाण पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाया, (3) अन्य किसी सदस्य-राष्ट्र के व्यापारिक हितों को आपात न पहुँचाना, तथा (4) अन्त-

1 The GATT is an inter governmental instrument providing for rights and obligations in the field of commercial policy. Its principle objective is to promote the expansion of international trade through reciprocal and mutually advantageous agreements directed towards the reduction of customs, tariffs and other barriers to trade and the elimination of discriminatory practices' —Lacarte, J. A. 'GATT and the Expansion of Trade of Less Developed Countries' in *Foreign Trade Review*, July-Sept 1966, p. 146

राष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालने वाले प्रतिबन्धों को हटाने तथा प्रमुख-दरों को कम करने के लिए व्यवस्था करना ।

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गैट (GATT) द्वारा निर्धारित नियम काफी लोच-पूर्ण हैं और इस दान का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सदस्यों के विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके । 1955 में यह स्वीकार कर लिया गया कि सदस्य देशों द्वारा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रमुख-दरों को लोचपूर्ण रखा जा सकता है तथा अपने भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में मुधार अथवा आर्थिक विवाम की गति बढ़ाने के उद्देश्य में आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध (quantitative restrictions) भी लगाये जा सकते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सम्बन्धी किमी भी समझौते अथवा व्यवस्था के प्रभावपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि कम विकसित देशों के व्यापार सम्बन्धी हितों की रक्षा की जाय । ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है कि ये देश अपने निर्यात बटा सकें और इसके लिए उन्हें विकसित देशों का सहयोग मिले । इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इन देशों पर ऐसी कोई पाबन्दी न लगायी जाय कि ये भी विकसित देशों को वैसी ही मुविधाएँ दें जैसी कि उन्हें उनमें प्राप्त हैं । यदि विकसित देश कम विकसित देशों के निर्यातों पर कम प्रमुख-दरें लगाये तभी यह सम्भव हो सकता है कि इनके निर्यात बटे तथा उसके बदले में ये विकसित देशों से माल आयात कर सकें ।

गैट (GATT) के अन्तर्गत कम विकसित देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किये गये प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण 'कनेडी राउण्ड समझौता' (Kennedy Round Agreement) है जो अमेरिका के भूतपूर्व प्रेमीडेंट स्वर्गीय श्री कनेडी की दूरदर्शिता तथा मूम-बुद्धि की यादगार है । 1963 के इस समझौते के अन्तर्गत इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है कि विकसित देश कम विकसित देशों से आयात की गयी सभी प्रकार की वस्तुओं, कृषि अथवा गैर-कृषि उत्पादन पर टैरिफ कम करें तथा आयात-प्रतिबन्ध हटाएँ ताकि कम विकसित देशों के आयात बट सकें । इन रियायतों के बदले कम विकसित देशों द्वारा भी ऐसी ही रियायतें विकसित देशों को देना आवश्यक नहीं है ।

व्यावहारिक रूप में, गैट (GATT) के सभी प्रयास कम विकसित देशों की समस्याओं की मुलतानों में अमफल रहे हैं और इन देशों में यह भावना पायी गयी है कि गैट एक 'अमीर देशों की सत्ता' (Rich Nations Club) है । समाजवादी देश तो प्रारम्भ से ही इससे अलग रहे हैं । इस समझौते की आड में पश्चिम के विकसित देशों ने अपने निर्यात बटाय हैं, परन्तु अनेक मनोदों के बावजूद ये देश आयातों पर से प्रतिबन्ध नहीं हटाना चाहते हैं जिसका मुख्य कारण उनका संरक्षण की नीति के प्रति लगाव है । टैरिफ दरों में भी जो कुछ रियायतें कम विकसित देशों को मिल पायी हैं, वे पूर्णतया अपर्याप्त हैं । विकसित देशों की असहयोग की प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कम विकसित देशों का भाग निरन्तर घटता गया है । औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास की योजनाएँ पूरी करने के लिए आयातों पर निर्भरता बढी है, जबकि उत्पादन में वृद्धि हो जान पर भी निर्यातों में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाया है । व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान सन्तुलन कम विकसित देशों के प्रतिकूल हो गये हैं । क्या मसाल के दो-निहाई देशों के हितों की अवहेलना करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भावना को स्थापित किया जा सकता है ? क्षेत्रीय आधार पर कुछ देशों के आपसी व्यापारिक संगठन, जैसे—यूरोपियन कॉमन मार्केट (European Common Market), यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (European Free Trade Association) तथा लैटिन अमेरिका के नात देशों का स्वतन्त्र व्यापार-क्षेत्र (Free Trade Area) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के मार्ग में बहुत अधिक बाधक हैं ।

वर्तमान परिस्थितियों ने कम विकसित देशों को बाध्य कर दिया है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वे गतिन होकर प्रयास करें । इसी भावना में प्रेरित होकर अन्तर्राष्ट्रीय मंच के अन्तर्गत 1964 में (23 मार्च में 16 जून तक) जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मे-

लन (United Nations Conference on Trade and Development—UNCTAD) किया गया। इस सिद्धान्त को मान्यता दी गयी कि विश्व की आर्थिक समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रों में परस्पर सहयोग का होना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में ऐसे वातावरण की आवश्यकता है कि विकासशील दश विनमित दशों को अधिक मात्रा में माल निर्यात कर सकें। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले अधिकांश देशों ने 15 सिद्धान्तों को स्वीकार किया, परन्तु अमेरिका ने इसमें से 9 तथा इंग्लैण्ड ने 5 सिद्धान्त स्वीकार नहीं किये।

जबवा में हुए UNCTAD I सम्मेलन के पश्चात् यह तय हुआ कि UNCTAD II सम्मेलन नई दिल्ली में फरवरी 1968 में हो। इसके पूर्व अक्टूबर 1967 में 86 विकासशील देश (जिनमें 77 का समूह (Group of 77) कहा जाता है, क्योंकि 1964 में विकासशील देशों की एक सम्मिलित घोषणा पर 77 देशों ने हस्ताक्षर किये थे) एलजियर्स (Algiers) में इकट्ठे हुए ताकि वह UNCTAD II के लिए एक नीति निर्धारित कर लें। एलजियर्स सम्मेलन में मुख्य रूप से यह तय हुआ कि विकसित देशों से अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता की माँग की जाय तथा उनसे कहा जाय कि वे विकासशील देशों से आयात किये गये निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित माल से प्रतिबन्ध तथा टैरिफ हटा लें।

भारत में UNCTAD II सम्मेलन 1968 में 58 दिना तक हुआ। विकसित देशों के नामों में अनेक प्रस्ताव रखे गये। समाजवादी देशों के विचार सामान्यतया विकासशील देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थे परन्तु पश्चिमी विकसित देशों का व्यवहार सतर्कता तथा असहयोग का था। बड़े देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्त को तो स्वीकार किया परन्तु इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए किसी भी ठोस नीति को तत्काल अपना देने की सहमति प्रकट नहीं की। दिल्ली सम्मेलन का महत्व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की यात्रा के एक पड़ाव के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है।

विश्व का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले वर्षों में विकसित दश ससार की दो तिहाई जनसंख्या वाले गरीब देशों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यदि गरीब और अमीर देशों के अन्तर बढ़ते गये तो भविष्य अन्धकारमय हो सकता है। वास्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि ससार के विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करें कि कम विकसित देश भी औद्योगिक विकास कर सकें। व व्यापारिक सुरक्षण एक सट कर की दीवारों को हटाये ताकि कम विकसित देशों में निर्मित औद्योगिक पदार्थ विकसित देशों में प्रवेश पा सकें।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. विभिन्न देशों के बीच अधिकतम स्वतंत्र व्यापार के पक्ष का आर्थिक तर्क एक अष्टांशिक सामान्य सिद्धान्त पर आधारित है परन्तु सुरक्षण के पक्ष वाले तर्क विशेष परिस्थितियों पर आधारित हैं तथा इनमें से अनेक अनार्थिक हैं। [विचन कीजिए।]
[संकेत प्रथम भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर आधारित है तथा इसके पक्ष में तर्क दीजिए। दूसरे भाग में सुरक्षण के पक्ष में अनार्थिक तथा आर्थिक तर्कों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
2. सुरक्षण के पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिये जाते हैं? इनकी आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।
[संकेत पहलू सुरक्षण के पक्ष में तथा बाद में सुरक्षण के विपक्ष में दिये गये तर्क समझाइए और साथ में विभिन्न तरीकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।]
3. क्या आप सुरक्षण की नीति के पक्ष में हैं? तर्कों के आधार पर समझाइए।
[संकेत सुरक्षण के पक्ष में दिये गये तर्कों की व्याख्या कीजिए तथा विपक्ष में भी तर्क दीजिए। अंत में यह स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान युग की विविध परिस्थितियों में सुरक्षण की नीति अपनाता, विशेषकर कम विकसित देशों द्वारा, आवश्यक हो गया है परन्तु हमें अपनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप देश के निर्यात की मात्रा कम न हो जाय।]
4. सुरक्षण की विभिन्न रीतियों का उल्लेख कीजिए।
[संकेत सुरक्षण प्रदान करने के विभिन्न तरीकों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

5. भारत में संरक्षण-नीति किन सिद्धान्तों पर आधारित है ? विभेदात्मक संरक्षण की नीति की क्यों अनुपयुक्त समझा गया ?
 [संकेत : प्रथम भाग में 1959 के तट-कर आयोग (Fiscal Commission) की सिफारिशें बनाइए। दूसरे भाग में विभेदात्मक संरक्षण-नीति की त्रुटियाँ स्पष्ट कीजिए ।]
6. द्वितीय युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिए कौन-कौनसे प्रयास किये गये हैं ? क्या इनमें सफलता मिली है ?
 [संकेत : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चार्टर, गैट (GATT), कैंबेरी सड्ड तथा UNCTAD के बारे में विस्तार पूर्वक बनाइए और इनके सफल न होने के कारण भी स्पष्ट कीजिए ।]
7. टिप्पणियाँ लिखिए—विभेदात्मक संरक्षण-नीति, द्वितीय तट-कर आयोग, भारतीय टैरिफ कमिशन, हवाना चार्टर, गैट (GATT), अक्टोब (UNCTAD) ।
 [संकेत प्रत्येक से सम्बन्धित इतिहास, सिद्धान्त तथा कार्य स्पष्ट कीजिए ।]

“श्रीघ्रातिशीघ्र स्वावलम्बन की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की उन सभी योजनाओं को प्राथमिकता दी जायगी जो निर्यात के प्रोत्साहन तथा आयात की प्रतिस्थापना के लिए हैं।”¹

—तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भिक रूपरेखा

अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि किसी देश का विदेशी व्यापार उसके आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख साधन है। व्यापार एवं आर्थिक वृद्धि में वस्तुतः अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध है क्योंकि एक की प्रगति एवं समृद्धि पर दूसरे की प्रगति एवं समृद्धि पर्याप्त मात्रा में निर्भर करती है। रॉबर्टसन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 'विकास का इंजन (engine of growth)'² कहा है। हममें कोई मन्देह नहीं कि किसी देश की व्यापार स्थिति, विदेशी व्यापार की रचना (composition) तथा दिशाएँ (directions) उस देश के आर्थिक विकास की गति एवं स्वरूप पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से आयात तथा निर्यात दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नये उद्योगों की स्थापना के लिए तथा स्थापित उद्योगों को चालू रखने के लिए विदेशों से मशीनें तथा बच्चे माल इत्यादि आयात करने पड़ते हैं और इन आयातों का भुगतान तभी सम्भव हो पाता है जबकि आयात करन वाला देश अपने माल का विदेशों में निर्यात भी करे।

भारत के विदेशी व्यापार का आकार

इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ईसा में 3000 वर्ष पूर्व भारत के विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे। अश्वजों के भारत में आने से पूर्व अनेक प्रकार का माल स्वतन्त्र रूप में निर्यात होता था। परन्तु अश्वजों ने भारत में यह नीति अपनायी कि भारत ब्रिटेन को निरन्तर कच्चा माल भेजना रहे और बदले में वहाँ से निर्मित माल मँगवाना रहे। व्यापार मन्तुलन प्रायः भारत के पक्ष में ही रहता था तबिन व्यापार का आकार बहुत छोटा था और अधिकतर व्यापार ब्रिटेन के साथ ही होता था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार का आकार में निरन्तर वृद्धि हुई है, परन्तु व्यापार मन्तुलन भारत के प्रतिवृत्त ही रहा है। हमारे ना-दोम, हमने आयात अधिक किया है और निर्यात कम, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार मन्तुलन में घाटा बढ़ता ही गया है। आगे की तालिका में पंचवर्षीय योजनाओं के काल में भारत के आयात निर्यात का आकार तथा व्यापार-मन्तुलन की स्थिति दिखायी गयी है।

1 “For ensuring the achievement of self reliance as early as possible, highest priority will be given to all such schemes of agricultural and industrial production as are designed to promote exports and replace imports —Fourth Five Year Plan A Draft Outline, p 16

2 Robertson 'The Future of International Trade' in his *Essay in Monetary Theory*, p 214

भारत का विदेशी व्यापार (करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार-सन्तुलन
1950-51	650 22	600 64	— 49·58
1955-56	774 25	608·90	—165 35
1960 61	1,121 62	642 07	—479 55
1965 66	1,408·52	805·64	—602·88
1966-67*			
अप्रैल-मई	227 06	126 56	—100 50
जून माँच	1,704·42	967 44	—736 98
1967-68	1,986 38	1,198·69	—787 69
1968-69	1,910·20	1,357 78	—552·42
1969-70	1,582 67	1,413 21	—169 46
1970-71			
(प्रारम्भिक)	1,628 17	1,530 65	— 97 52

उपर दिये मंथे आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पचवर्षीय योजनाओं के काल में भारत के व्यापार-सन्तुलन में घाटा निरन्तर बढ़ता रहा है। 1950-51 में केवल 49 58 करोड़ रुपये से बटकर घाटे की राशि 1955-56 में 165 35 करोड़ रुपये, 1960-61 में 479 55 करोड़ रुपये तथा 1965-66 में 602 88 करोड़ रुपये हो गयी। 1966 67 में तो घाटा और भी बढ़ गया। इसके बाद के वर्षों में, विशेषतया 1969-70 तथा 1970-71 में, स्थिति में सुधार हुआ है और घाटा काफी कम हुआ है, परन्तु व्यापार-सन्तुलन अभी तक भारत के प्रतिकूल ही है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में हमारी वास्तविक स्थिति यह रही है कि हमारे लिए आयात करना अत्यावश्यक था जबकि निर्यात बढ़ाना बहुत कठिन कार्य था। हमारे निर्यात मन्द गति से बढ़ते रहे हैं, परन्तु विद्व-निर्यात के प्रतिशत के रूप में भारत का निर्यात-अंश उत्तरोत्तर गिरता चला गया है। उदाहरण के लिए, सन् 1948 में 2 5 प्रतिशत से घटकर यह 1951 में विद्व-निर्यात का 2 0 प्रतिशत, 1961 में 1 3 प्रतिशत तथा 1965 में 1 1 प्रतिशत ही रह गया। इन परिस्थितियों में भुगतान सन्तुलन अधिकाधिक भारत के प्रतिकूल होता गया है जिसके परिणाम-स्वरूप हमारी विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ती गयी है। हम विदेशी विनिमय संकट की डरावनी छाया के नीचे रह रहे हैं।

विदेशी व्यापार का स्वरूप

दीर्घकाल तक भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप एक औपनिवेशिक प्रभासित राज्य की अर्थ-व्यवस्था के समान रहा। भारत के प्रमुख निर्यात कुछ परम्परागत पदार्थ (traditional commodities), जैसे खाद्यान्न, धीनी, चाय, हई, तिलहन, चमड़ा एवं खनिज इत्यादि तक ही सीमित रहे। आयातों में मुख्यतः निमित्त एवं अर्द्ध निमित्त सामग्री की ही प्रधानता रही। परन्तु देश के औद्योगिक स्वरूप में त्रमस परिवर्तन होने के साथ-साथ देश के व्यापार का स्वरूप भी बदलता गया है।

आयात (Imports)—देश में उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण निमित्त उपभोग सामग्री के स्थान पर अन्य प्रकार के आयातों में निरन्तर वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मशीनों तथा यन्त्रों के अतिरिक्त मध्यवर्ती निमित्त पदार्थों तथा औद्योगिक कच्चे मालों के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के आयात में भी काफी वृद्धि हुई है। निमित्त उपभोग पदार्थों के आयात में कमी हुई है।

* 6 जून, 1966 के बाद के आँकड़े रुपये के अवमूल्यन के बाद की दर के हैं। उनकी तुलना इसके पहले के आँकड़ों से नहीं की जा सकती है।

भारत में आयात सरकारी खाते में हाथ है तथा व्यक्तिगत खाते में भी। सरकारी खाते में खाद्यान्नों को छोड़कर शेष सभी आयात पूंजीगत सामग्री से सम्बंध रखते हैं। व्यक्तिगत आयात खाते में विशेष रूप से कुछ खाद्य सामग्री औषधियां वाणिज्य विद्युत् सामग्री रंग एवं रसायन धातुएँ औद्योगिक कच्चा माल (जैसे लुट तथा ऋपास) मशीन तथा खनिज तेल इत्यादि सम्मिलित हैं। सन 1967-68 के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण हमारे खाद्यान्नों के आयात कम हुए हैं। सरकारी खाते में पूंजीगत आयात भी नहीं बढ़े हैं। परन्तु 1966 में अपनायी गयी उदारतापूर्ण आयात नीति के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत खाते के आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी है। कुल मिलाकर सन 1950-51 में भारत द्वारा 650.22 करोड़ रुपये के मूल्य का माल आयात किया गया था। बढ़ते दबते 1967-68 में यह 1986.38 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 1970-71 के लिए अनुमान 1628.17 करोड़ रुपये का है।

निर्यात (Exports)— भारत के निर्यातों में अधिकतर परम्परागत पदार्थों का ही समावेश है। इनमें चाय वस्त्र व धागे लुट कच्चे खनिज तथा चमड़े का सामान प्रमुख है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है। देश के औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन होने के कारण भारत अब कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्यात करने लगा है जिन्हें वह पहले स्वयं आयात करता था। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के काल में हमारे निर्यात लगभग स्थिर बने रहे परन्तु तृतीय योजना काल में निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। तृतीय योजनाकाल में 1964-65 तक निरंतर वृद्धि होती रही परन्तु 1965-66 में कृषि उत्पादन में कमी तथा पाकिस्तान से मध्य का निर्यात पर प्रतिबल प्रभाव पड़ा। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से जून 1966 में रुपये का 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। परन्तु रुपये के अवमूल्यन ने हमारे सामने अनेक समस्याएँ खड़ी कर दी और निर्यातों को प्रोत्साहन देने में यह पूर्णतया प्रभावहीन रहा। सरकार द्वारा अपनाया गयी निर्यात प्रोत्साहन नीति के परिणामस्वरूप 1967-68 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ और वादक वर्षों में भी स्थिति अच्छी रही है।

अधिक सतोंप का विषय यह है कि भारत का निर्यात व्यापार में कुछ गैर-परम्परागत वस्तुओं का भाग बढ़ने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के निर्यात व्यापार में चाय कपास, लुट के मान तथा मूती कपास का भाग 60 प्रतिशत था। आज इन चारों वस्तुओं का निर्यात में 30 प्रतिशत से भी कम भाग है। इसके विपरीत हमारे देश के निर्यात में गैर-परम्परागत औद्योगिक निर्मित पदार्थों का भाग बढ़ा है। 1969-70 में भारत द्वारा किये गये निर्यात में लगभग 1/3 भाग गैर परम्परागत पदार्थों का था जबकि 1947-48 में यह 5 प्रतिशत से भी कम था। आज भी भारत के निर्यात व्यापार में चाय लुट के माल व मूती कपास की प्रधानता है। परन्तु इसके साथ साथ लोहा तथा इस्पात चमड़ा तथा चमड़े का सामान मशीन तथा परिवहन का सामान रसायन तथा अनेक प्रकार के औद्योगिक पदार्थों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। भारत के निर्यातों में जिन निर्मित पदार्थों का समावेश अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है उनका आकार तथा मूल्य की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। परन्तु यह प्रवृत्ति इस बात की प्रतीक है कि भारतीय निर्यातों के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया है। यह निश्चित है कि देश का औद्योगिक आधार अधिक विस्तृत तथा बहुमुखी हो जाने पर आगामी वर्षों में निर्यात के स्वरूप में अधिक तीव्रता से परिवर्तन हो सकेगा। भारत के विदेशी व्यापार के हित में यह आवश्यक है कि उसके निर्यातों में कच्चे एवं अनिर्मित पदार्थों के स्थान पर निर्मित औद्योगिक पदार्थों का अधिकाधिक समावेश हो। व्यापार की दिशा

व्यापार की दिशा (direction of trade) से अभिप्राय विदेशी व्यापार के भौगोलिक वितरण से है। ऐतिहासिक कारणों से भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार इंग्लैण्ड से होता रहा है और आज जब भारत के व्यापारिक सम्बंध अन्य देशों से बढ़ते चले जा रहे हैं इंग्लैण्ड का अब भी महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1951-52 में भारत के 21.1 प्रतिशत आयात इंग्लैण्ड से होते थे। द्वितीय योजना के आरम्भ में यह बढ़कर 25.4 प्रतिशत हो गया परन्तु बाद के वर्षों में इसमें

कमी होती चली गयी। 1960-61 में यह 19.1 प्रतिशत रह गये, और तृतीय योजना के अन्त में यह केवल 10.7 प्रतिशत थे। इस प्रकार निर्यात भी 1950-51 में 23.5 प्रतिशत तथा 1960-61 में 26.1 प्रतिशत से घटकर 1965-66 में केवल 18.1 प्रतिशत रह गये। इस प्रकार गत वर्षों में इंग्लैण्ड में भारत के व्यापार में घटने की प्रवृत्ति पायी गयी है और इंग्लैण्ड के स्थान पर अन्य देशों का भाग बढ़ने लगा है, जिनमें अमेरिका, रूस तथा जापान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों (जिनमें रूस सम्मिलित है) से भारत के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सन् 1960-61 के बाद विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रमुख देशों से भारत के विदेशी व्यापार का विवरण आगे तालिका में (पृष्ठ 264) दिया गया है।

आयात-नीति

गत लगभग 25 वर्षों में भारत की आयात नीति (import policy) में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। आयात-नियन्त्रण कभी तो बहुत कठोर कर दिये गये और कभी उदार नीति अपनायी गयी। भारत की वर्तमान आयात-नीति का मूल मन्त्र देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण के दृढ़ एवं विस्तृत आधार का निर्माण करना, देश की प्रतिरक्षा को दृढ़ करना, तथा इन उद्देश्यों के लिए विदेशी विनिमय को अधिक से अधिक मात्रा में दक्षाना हो। 1961 में आयात नियन्त्रण के उद्देश्यों की व्याख्या केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री ने निम्न शब्दों में की थी "आयात-नियन्त्रण की नीति व पद्धति को इस रूप में संचालित किया जाना चाहिए कि यह योजना के मुख्य उद्देश्यों व नीति के अनुरूप हो। आयात-नियन्त्रण को औद्योगिक विवाम के साधन, विदेशी विनिमय के रक्षक एवं निर्यात मवर्द्धन के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे देश के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करना चाहिए, आर्थिक ढांचे में विविधता लानी चाहिए और आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का की दशाओं को उत्पन्न करना चाहिए, जिसमें देश अपनी शक्ति से ही यथासम्भव आगे बढ़ सके।"¹

आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयात के सम्बन्ध में एक चयनशील (selective) नीति का अनुसरण किया जा रहा है। स्थापित उद्योगों को चालू रखने (maintenance) के लिए और नये उद्योगों को स्थापित करने (development) के लिए आवश्यक कच्चे माल व अन्य सामान के आयात का महत्व स्वीकार किया गया है, परन्तु उपभोग सामग्री के आयात पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। विवास सम्बन्धी आयातों में भी केवल उन्हीं पदार्थों के आयात को प्राथमिकता दी जाती है जो देश के आन्तरिक बाजार में उपलब्ध न हों।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी आयात-निर्यात समिति (मुद्रानियंत्रण समिति) ने 1962 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में वर्तमान उद्योगों को चालू रखने के लिए आवश्यक कच्चे माल व अन्य सामान के आयात की सुविधाएँ दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। नये उद्योगों के लिए समिति ने आयात-सुविधाओं के लिए निम्न प्रकार के उद्योगों को प्राथमिकता देने के सुझाव दिये

- (अ) शक्ति व परिवहन, जिनका विकास न होने से आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं,
 - (आ) निर्यात उद्योग,
 - (इ) इस समय आयात किये जाने वाले कच्चे माल व अन्य सामान का उत्पादन करने वाले उद्योग, विशेष रूप में ऐसे उद्योग जो विदेशी विनिमय में सबसे अधिक वचत कर सकें,
 - (ई) ऐसे उद्योग जो घरेलू कच्चे माल पर निर्भर करने हैं और मशीनरी आदि के आयात के लिए स्वयं अपने निर्यातों द्वारा विदेशी विनिमय की व्यवस्था कर लेते हैं।
- आयात-पद्धति के सम्बन्ध में समिति ने वार्षिक आयात-नाइमेन्स देने का सुझाव दिया,

(नोटोड रुपयों में)

व्यापार की विद्या

देश/विश्व	1960 61			1965 66			1969 70		
	आयात	निर्यात	संतुलन	आयात	निर्यात	संतुलन	आयात	निर्यात	संतुलन
जर्मनी	70 68	48 99	-21 70	55 82	61 84	+6 02	141 43	88 12	-53 31
उत्तरी अमेरिका	347 41	120 15	-227 27	565 60	168 04	-397 56	533 85	264 30	-269 55
यूनायटिड किंगडम	19 86	17 62	-2 24	30 52	20 29	-10 24	73 89	26 33	-47 55
संयुक्त राज्य अमेरिका	327 56	102 53	-225 03	535 08	147 75	-387 33	459 96	237 97	-221 99
कैनिडा	1 75	16 78	+15 04	3 35	10 46	+7 11	10 79	4 68	-6 11
अन्य अमेरिकी देश	3 02	1 32	-1 70	0 01	1 61	+1 60	0 34	2 13	+1 79
एशिया एवं सुदूर पूर्व के देश (ECAFE)	179 35	142 72	-36 63	219 40	158 97	-60 43	260 03	378 09	+118 06
आस्ट्रेलिया	17 79	22 39	+4 60	24 18	17 54	-6 63	31 28	24 44	-6 84
जापान	60 78	35 27	-25 51	79 33	57 12	-22 22	66 82	179 36	+112 54
एशिया के अन्य देश एवं ओमानिया	27 35	22 95	-4 40	15 86	28 89	+13 03	37 01	73 02	+36 01
पूर्वी यूरोप	44 31	49 56	+5 25	156 68	156 58	-0 10	281 40	307 64	+26 24
मोन्टेनेग्रो	15 87	28 81	+12 94	83 17	92 99	+9 82	170 40	176 37	+5 98
यूरोपीय समझौता (ECM)	195 89	51 75	-144 13	206 39	55 29	-151 10	170 39	100 50	-69 88
एशिया के अन्य देश	122 52	19 87	-102 65	137 15	18 16	-118 99	83 73	29 89	-53 84
यूरोपीय समझौता व्यापार संधि (UFTA)	247 50	178 47	-69 03	182 59	155 66	-26 93	129 22	183 37	+54 15
ब्रिटेन	217 15	172 48	-44 68	150 09	145 71	-4 38	100 38	165 07	+64 69
अन्य यूरोपीय देश	4 35	9 36	+5 28	2 82	8 30	+5 48	7 44	11 35	+8 91

और पद्धति से सम्बन्धित अनेक विषयों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। इस समिति द्वारा दिये गये उपयोगी सुझाव सरकार ने आवश्यक परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिये।

6 जून, 1966 को रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों (priority industries) को कच्चा माल व अन्य आवश्यक साज-सामान मँगाने के लिए उदारता-पूर्वक आयात-लाइसेन्स देने की नीति अपनायी है। उद्देश्य यह है कि ये उद्योग अपनी उत्पादन-क्षमता का सर्वाधिक उपयोग कर सकें और निर्यात बढ़ाने में सहायक हों। परन्तु इस नीति के जो परिणाम अभी तक सामने आये हैं, उन्हें सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट है कि हमारी आयात-नीति प्रतिबन्धात्मक होने के साथ-साथ औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी उदार है। इस नीति को सफल तभी कहा जा सकता है जब यह उत्तरोत्तर उत्पादन में वृद्धि करने तथा निर्यातों को बढ़ावा देने में सहायक हो। देश में आर्थिक विकास की गति तथा देश की सुरक्षा में दृढ़ता इसी पर निर्भर करते हैं।

आयात-प्रतिस्थापन

आयात-प्रतिस्थापन (import substitution) का अर्थ यह है कि जो वस्तुएँ विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं उनका उत्पादन देश में ही कर लिया जाय ताकि उन्हें आयात न करना पड़े। अनेक अर्थशास्त्रियों की यह धारणा है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अर्द्ध-विकसित देशों को कोई लाभ नहीं पहुँचता, इसलिए उन्हें विदेशी आयातों पर निर्भरता समाप्त करनी चाहिए।¹

पिछले कुछ वर्षों से आयात-नीति के अन्तर्गत आयात-प्रतिस्थापन पर काफी जोर दिया गया है। विदेशी विनिमय के अभाव और विदेशी सहायता की अनिश्चितता ने इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह तो सर्वविदित ही है कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए हम कितने अधिक प्रयत्नशील हैं ताकि हम खाद्यान्नों के लिए आत्म-निर्भर हो सकें। औद्योगिक क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के उद्योग देश में स्थापित हो चुके हैं और हमारी अर्थ-व्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन के लिए अन्तर्निहित प्रवृत्ति स्थापित हो चुकी है। औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों, यन्त्रों, कच्चे माल तथा अन्य साज सामान (components) का उत्पादन देश में होने लग गया है और इस प्रकार केवल वही पदार्थ विदेशों से आयात करने की अनुमति दी जाती है जो देश में उपलब्ध न हों। अनेक वस्तुओं के लिए हम आत्म-निर्भर हो चुके हैं। यह सब होने पर भी हमारे आयातों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि इसलिए होती रही है कि एक उद्योग की स्थापना करने से अनेक प्रकार के अन्य पदार्थों के लिए माँग उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिकरण के प्रारम्भिक काल में यह क्रम चलता रहता है। भविष्य में औद्योगिक उत्पादन में जैसे-जैसे विविधता आती है, आयात प्रतिस्थापन में वृद्धि होती जाती है और आत्म निर्भरता बढ़ती है।

आयात-प्रतिस्थापन की कुछ व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं, जैसे उद्योगों के आरम्भ में ऊँची उत्पादन-लागत, बायेंकुशलता में कमी तथा उत्पादन की घटिया श्रेणी। अतएव आयात प्रतिस्थापन के लिए उद्योगों का चुनाव करने में मुख्यतः तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—उत्पादन लागत, माल की श्रेणी तथा दुर्लभ साधनों, जैसे पूँजी एवं कच्चे माल का उचित उपयोग। भविष्य में कुछ औद्योगिक कच्चे माल व अन्य पदार्थों के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, परन्तु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अधिकाधिक समर्थ होते जायें।

निर्यात-प्रोत्साहन नीति (Export Promotion Policy)

यह तो स्पष्ट ही है कि भारत के निर्यातों में वृद्धि करना न केवल दशक व्यापार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक है, बल्कि देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने तथा देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। निर्यातों में वृद्धि करके ही हम आयातों का भुगतान और विदेशी ऋणों के मूलभूत तथा व्याज की अदायगी कर सकते हैं। भारत के भुगतान मन्तुलन की स्थिति में सुधार तभी सम्भव है जबकि उमके निर्यातों में वृद्धि हो।

1 H. W. Singer, Gunnar Myrdal, Raul Presbisch and several other economists

निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1949 में एक निर्यात-प्रोत्साहन समिति (Export Promotion Committee) की नियुक्ति की थी, जिसने डालर-क्षेत्र में निर्यातों की वृद्धि करने तथा निर्यात-सुविधाएँ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। सन् 1957 में पुनः एक निर्यात-प्रोत्साहन समिति (गोरवाला समिति) ने निर्यात-मजदूरों के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। समिति ने सिफारिश की कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा निर्यात की वस्तुओं की बीमती को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर कायम रखा जाय, निर्यात की वस्तुओं तथा निर्यात बाजारों में विविधता लायी जाय, विदेशी बाजारों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किया जाय, निर्यात-करों में आवश्यक परिवर्तन किये जायें, और घरेलू उपभोग को कम करके भी निर्यात बढ़ाये जायें।

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाये हैं, जिनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं।

(1) संस्थागत उपाय—निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से अनेक विशेष सगठनों की स्थापना की गयी है। मई 1962 में व्यापार बोर्ड (Board of Trade) की स्थापना की गयी, जिसका 1 जनवरी, 1968 को पुनर्गठन किया गया है। यह बोर्ड व्यापार तथा उद्योग की सलाह में आयात-प्रोत्साहन नीति की जाँच करता है। एक सलाहकार सस्था के रूप में बोर्ड ने कुछ समितियाँ तथा अध्ययन-मण्डल नियुक्त किये हैं जो निर्यात-प्रोत्साहन से सम्बन्धित विषयों की जाँच कर सकें।

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यात-प्रोत्साहन परिषदों (Export Promotion Councils) की स्थापना की गयी है। इन परिषदों के कार्यों में समन्वय लाने तथा विकास कार्यों में उन्हें सहायता एवं निर्देशन देने के लिए भारतीय निर्यात सगठन मघ (Federation of Indian Export Organisation) की स्थापना की गयी है।

निर्यात की कुछ विशेष वस्तुओं, जैसे चाय, नारियल-जटा (coir), कॉफी, इलायची, दस्त-कारियों, हथकरघा तथा रेशम के लिए वस्तु बोर्ड (Commodity Boards) भी स्थापित किये गये हैं।

सन् 1964 के प्रारम्भ में निर्यात जोखिम बीमा निगम को 'निर्यात साख व गारण्टी निगम' (Export Credit and Guarantee Corporation) में बदल दिया गया है। बीमा कार्य के साथ-साथ यह बैंको को निर्यात-वित्तों पर पुनर्वित्त के रूप में मध्यकालीन निर्यात साख प्रदान करता है जिससे निर्यातकों को साख की सुविधा प्राप्त हो जाती है।

निर्यात की वस्तुओं की क्वालिटी को नियन्त्रित रखने से सम्बन्धित एक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए निर्यात जाँच सलाहकार परिषद (Export Inspection Advisory Council) स्थापित की गयी है। सूती कपड़े के लिए 1964 से एक अलग से टेक्सटाइल समिति (Textiles Committee) स्थापित की गयी है।

भारतीय वस्तुओं के विदेशों में प्रचार, मेलों व नुमाइशों आदि की व्यवस्था का कार्य प्रदर्शनी निदेशालय (Directorate of Exhibitions) करता है और इसके सहायक के रूप में बम्बई में स्थापित भारतीय व्यापार मेला एव प्रदर्शनी परिषद (Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions) कार्य करती है।

सन् 1964 में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान (Indian Institute of Foreign Trade) की स्थापना की गयी है। इसका कार्य निर्यात-प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, शोध, बाजारों का सर्वेक्षण तथा वस्तुओं का अध्ययन करना है।

भारतीय सवेष्टन संस्थान (Indian Institute of Packing) की स्थापना 1966 में की गयी है। इसका मुख्य कार्य पैकिंग के सामान (packing materials) से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा पैकिंग की लागत में कमी आदि विषयों पर विचार-विमर्श करना है।

केन्द्रीय व्यापार एव वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत कई निदेशालय तथा राज्यों में सलाह-कार बोर्ड निर्यात-प्रोत्साहन के कार्यों में विभिन्न प्रकार से सहायता देते हैं।

(2) वित्तीय प्रेरणाएँ (Fiscal Incentives)—कुछ गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नकद सहायता (cash assistance) प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इन वस्तुओं में इजीनियरी का माल, लोहा और इस्पात, रसायन और सम्बद्ध पदार्थ, तेल-कूद का सामान, तैयारशुदा खाद्य-पदार्थ आदि महत्वपूर्ण हैं। एक बाजार विकास कोष (Market Development Fund) का भी निर्माण किया गया है। परम्परागत वस्तुओं के निर्यात-करो में कमी की गयी है।

समय-समय पर सरकार तथा रिजर्व बैंक ने ऐसे कदम उठाये हैं कि निर्यातकों को कम ब्याज पर ऋणों से भ्रूण मिल सके। व्यापारिक बैंक निर्यातकों को जहाज पर माल के लदान से पहले और बाद में रियायती दर पर अग्रिम राशि देते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त भी मिल सकता है। भारत का औद्योगिक विकास बैंक व्यापारिक बैंकों के सहयोग से पूँजीगत सामान और मशीनरी के निर्यातकों को सीधे ही अग्रिम राशि देता है।

(3) अन्य सुविधाएँ (Other Facilities)—6 जून, 1966 को रुपये के अवमूल्यन के पूर्व निर्यातकों को कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थी। उन्हें कच्चे माल व मशीनों के आयात अधिकार (import entitlements) प्राप्त थे। 450 करोड़ रुपये के लगभग वार्षिक निर्यात वाली 30 से अधिक वस्तुओं पर कुछ प्रतिशत तक कर जमा सर्टीफिकेट (tax credit certificates) दिये जाते थे। उत्पादन-कर में छूट दी जाती थी। परन्तु यह सब उपाय निर्यात बढ़ाने में अधिक कारगर नहीं हुए थे, इसलिए सरकार को अवमूल्यन का कदम उठाना पड़ा। अवमूल्यन की घोषणा के साथ ही निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ समाप्त कर दी गयीं अथवा उनमें संशोधन किये गये।

अवमूल्यन के पश्चात् 59 'प्राथमिकता प्राप्त' उद्योगों को उदारतापूर्वक आयात लाइसेंस दिये गये हैं। गूँजीगत माल, राज-सामान तथा कच्चे माल के वितरण में निर्यात उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। देशी कच्चा माल, जैसे पिंग लोहा, प्राइम इस्पात, टिन प्लेटें, प्लास्टिक का कच्चा माल आदि की उपलब्धि की भी विशेष सुविधाएँ निर्यात इकाइयों को प्राप्त हैं। चाय के बागानों को उर्वरक (fertilizers) तथा वित्त की सुविधाएँ दी गयी हैं।

निर्यात बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की सहायता और प्रेरणा दी जाती है, जैसे परिवहन की सुविधाएँ, प्रशिक्षण की व्यवस्था, मंडियों की खोज, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा देना, आयात का पुनर्भरण, दुर्लभ कच्चा माल देते समय प्राथमिकता देना और कुछ कच्चे माल रियायती कीमतों पर देना, आयात और उत्पाद शुल्कों की वापसी इत्यादि।

(4) राजकीय व्यापार (State Trading)—मई 1956 में एक परिमित कम्पनी के रूप में सरकार द्वारा राजकीय व्यापार निगम (State Trading Corporation) की स्थापना की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्वी यूरोप के राजकीय व्यापार वाले देशों में निर्यातों को बढ़ाना है तथा कुछ आवश्यक वस्तुओं के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर आयात की व्यवस्था करना है। देश के निर्यातों में विविधता लाना, बाजार का विस्तार करना, निर्यात माँग की पूर्ति के लिए उत्पादन को संगठित करना और निर्यात हेतु उत्पादन करने वाली इकाइयों को कच्चा माल व अन्य आवश्यक सामान सुलभ करना इत्यादि इसके अन्य प्रमुख कार्य हैं।

निगम के निर्यात-कार्यक्रम 5 प्रमुख समूहों में बांटे गये हैं (1) रेलवे वैगन व रेलों का अन्य सामान, (2) इजीनियरिंग का सामान, मशीन, औजार व लघु उद्योगों के सामान महित, (3) रसायन तथा दवाएँ आदि, (4) उपभोग पदार्थ, जैसे जूते, बाल तथा बालों से निर्मित विंग (wigs and wiglets), वस्त्र, पोशाकें व हौजरी का सामान, (5) खाद्य-पदार्थ, जैसे मछली ताजे फल, फलों के रस, अच्छा चावल तथा दालें।

इस निगम ने अपने कार्यकाल में सराहनीय कार्य किये हैं। 1956-57 में इसने कुल 92 करोड़ रुपये का व्यापार किया था जो दस वर्षों में अर्थात् 1966-67 में बढ़ते बढ़ते 1564 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। सन् 1967-68 में इस निगम ने 1813 करोड़ रुपये का व्यापार

किया। इस निगम ने अनेक देशों में भारत की नयी वस्तुओं के लिए बाजार ढूँढा है और इस प्रकार भारत की निर्यात सम्भावना में विविधता लाने में सहायता दी है। राजकीय व्यापार वाले देश, विशेषतः पूर्वी यूरोप के देशों, में व्यापार को व्यवस्थित किया है, भारी वस्तुओं का आयात किया है और निर्यात से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए मूल्य-सहाय (price supports) तथा बफर-स्टॉक (buffer-stock) की प्रियाएँ की हैं।

कुछ ही वर्षों में राजकीय व्यापार निगम का कार्य-भार इतना बढ़ गया कि 1 अक्टूबर, 1963 से इसके कुछ कार्य करने के लिए एक अलग निगम की स्थापना की गयी। यह दूसरी 'खनिज व धातु व्यापार निगम' (Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd) है जिसके प्रमुख कार्य खनिज व धातु पदार्थों के आयात-निर्यात की व्यवस्था करना है। यह निगम भी मराहनीय प्रगति कर रहा है।

रही लोहम धातु (ferrous scrap) के निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा सगठित करने के उद्देश्य से मितम्बर 1964 में रही धातु व्यापार निगम (Metal Scrap Trading Corporation) स्थापित किया गया है। इस निगम ने अधिकांश निर्यात जापान को किये हैं।

राजकीय व्यापार निगम के सहायक के रूप में दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Export Corporation) भी कार्य कर रहा है।

सोच-क्षेत्र में स्थापित अन्य व्यापारिक निगम भारतीय चल-चित्र निगम (Indian Motion Pictures Corporation) तथा भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) हैं।

राजकीय व्यापार सगठनों ने आशाजनक प्रगति की है। इनकी सफलताओं के आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में राज्य-व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करने की भी गुंजायश है।

(5) व्यापारिक समझौते (Trade Agreements)—विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने समय-समय पर सप्तर के विभिन्न देशों से व्यापारिक समझौते किये हैं जो अधिकांश में द्विपक्षीय (bilateral) व्यापार-समझौते हैं। व्यापारिक समझौते में 'तट-कर एवं व्यापार के सामान्य समझौता' (G A T T), यूरोपीय साभ बाजार (E C. M.) तथा यूरोपीय स्वतन्त्र बाजार सघ (E F T A) के देशों से व्यापारिक समझौते के अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के देशों से किये गये समझौते विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। इन समझौतों के उद्देश्य हैं भारत के विदेशी व्यापार को बहुमुखी बनाना, देश के भुगतान-मन्तुलन की स्थिति में सुधार करना, विभिन्न देशों से प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना तथा साम्यवादी देशों के लिए भारतीय व्यापार का द्वार खोलना।

द्विपक्षीय समझौते, जो भारत ने रूस, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, रमानिया तथा बल्गारिया जैसे देशों से किये हैं, रुपये में भुगतान किये जाने वाले समझौते (rupee payment agreements) हैं, जिनमें विदेशी विनिमय की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती और अन्ततः वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं में ही होता है। इन समझौतों से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं (1) पूर्वी यूरोपीय देशों से सीधे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं और इन देशों से व्यापार में वृद्धि हुई है, (2) विदेशी विनिमय साधनों पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना पूँजीगत माल व औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त किया जा सका है, (3) आयात का उपयोग निर्यातों के स्वचालित विस्तार के लिए किया गया है, (4) निर्यात की नयी वस्तुओं के लिए नये बाजार स्थापित हुए हैं, (5) विदेशी व्यापार के स्वरूप तथा दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, (6) इन देशों से व्यापार के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण तथा कौशल सम्बन्धी बहुमूल्य सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं।

रुपया भुगतान समझौते के अन्तर्गत व्यापारिक सम्बन्धों की अनेक कमियाँ बतायी गयी हैं। इन समझौतों को व्यापार का एक कृत्रिम साधन माना गया है और दीर्घकालीन दृष्टि से इन्हें एक उचित व्यवस्था नहीं समझा जाता। इन समझौतों के अन्तर्गत किया गया व्यवहार यह सिद्ध

नहीं करता कि भारत के निर्यातों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति आ गयी है। यह भी कहा जाता है कि भारत से माल खरीद कर इन देशों द्वारा कम दामों पर माल फिर से उन देशों को बेचा गया है जहाँ हमारे प्रत्यक्ष निर्यात होते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के समझौतों के विरुद्ध की गयी आलोचनाओं का कोई ठोस आधार नहीं है इसलिए इनके विरुद्ध कुछ भी कहना कठिन है। हो सकता है कि कुछ कठिनाइयाँ सामने आयी हों, परन्तु कुल मिलाकर इन समझौतों ने भारत को सहायता ही मिली है और इनका प्रभाव गुणकारी रहा है।

निर्यात-प्रोत्साहन की कठिनाइयाँ

निर्यात-प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रयास किये जाने पर भी हमारे निर्यातों में सन्तोषजनक वृद्धि नहीं हो पा रही है। कुल निर्यात में परम्परागत वस्तुओं का भाग अब भी 70 प्रतिशत से अधिक है। हमारे कुल निर्यात 1964-65 में 817 करोड़ रुपये (अवमूल्यन के बाद की दर पर 1,287 करोड़ रुपये) के थे। इसके बाद के वर्षों में हम इससे भी नीचे गिर गये। 1968-69 में कुछ वृद्धि के अनुमान लगाये गये हैं, परन्तु यह वृद्धि बहुत थोड़ी है। वास्तविकता यह है कि निर्यात-संवर्द्धन में हमारे सामने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं

- 1 देश में कीमत-स्तर ऊँचा होने के कारण उत्पादकों को घरेलू बाजार अधिक आकर्षक प्रतीत होता है और वे निर्यात करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हो पाते।
- 2 निर्यात उद्योगों की उत्पादन-लागत ऊँची है तथा माल की श्रेणी (quality) भी अधिक अच्छी नहीं है। राष्ट्र सभ द्वारा नियुक्त वी० एफ० कोगन (B. F. Coggan) की अध्यक्षता में 7 सदस्यों के एक दल ने फरवरी 1967 में अपनी रिपोर्ट में लागत कम करने तथा श्रेणी सुधारने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है और राष्ट्र सभ द्वारा 10 करोड़ रुपये की सहायता देने का मुझाव दिया है।
- 3 भारत की विदेशी बाजारों में अपने प्रमुख परम्परागत निर्यातों (चाय, सूती कपड़ा व जूट के सामान) के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हमारे निर्यातों के लिए विश्व के बाजारों में माँग अनिश्चित व अस्थिर हो गयी है।
- 4 विकसित देशों का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है। उनके द्वारा अपनायी गयी प्रतिवन्धात्मक आयात नीति अर्द्ध-विकसित देशों के निर्यात बढने में एक बहुत बड़ी बाधा है। विश्व के बढते हुए निर्यात-व्यापार में विकसित देश का भाग बढता गया है, जबकि विकाम-शील देशों का भाग निरन्तर रूप से कम हुआ है।
- 5 औद्योगीकरण की गति भी धीमी रही है और उद्योगों की निर्यात-क्षमता सीमित रही है।
- 6 आयात-प्रतिस्थापन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, क्योंकि हम यह सोचते रहे हैं कि केवल आयात-प्रतिस्थापन से ही हम अपना भुगतान-सन्तुलन ठीक कर लेंगे।
- 7 निर्यात की वस्तुओं में विविधता लाने में बहुत कम प्रगति हो पायी है।

उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण ही हमारे निर्यात सन्तोषजनक ढंग से नहीं बढ़ पाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान-सन्तुलन अधिनाशिन हमारे प्रतिबल होता गया है और विदेशी ऋणों पर हमारी निर्भरता बढी है। आने वाले वर्षों में हमारे आर्थिक विकास की गति बहुत कुछ हमारी निर्यात-संवर्द्धन में सफलता पर निर्भर करेगी। योजना-आयोग का लक्ष्य है कि चतुर्थ योजनाकाल में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से हमारे निर्यात बढें। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनका हल निकालने के लिए हमें निम्न दसाओं में प्रयत्न करने होंगे

- 1 देश में कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि की जाय और इसके लिए नियोजित विकास अत्यन्त आवश्यक है।
- 2 घरेलू उपभोग की माँग पर उचित नियन्त्रण लगाये जायें।
- 3 निर्यात की बनावट (composition) तथा दिशा (direction) दोनों में ही परिवर्तन

राना आवश्यक है अर्थात् आयाता में विविधता लायी जाय तथा विश्व में नया बाजार ढूँढे जायें।

4. निर्यात उद्योगों का आवश्यकतानुसार कच्चे माल, अन्य साज-सामान तथा पयाप्य मात्रा में साम्र का उपलब्ध किया जाना भी आवश्यक है।
5. निर्याता में स्थिरता बनाय रखन के लिए पर्याप्त भण्डारों (stocks) के निर्माण की व्यवस्था की जाय।
6. निर्यात संबद्धन के लिए दी जाना वाला प्रेरणादायी तथा सुविधादायी में वृद्धि हो।
7. विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण किया जाय तथा विदेशों में अधिक प्रचार की व्यवस्था हो।
8. निर्यात-संबद्धन के लिए सार प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब विकसित देश उदार आयात-नीति अपनायें तथा अल्प विकसित देशों का विशेष व्यापारिक सुविधाएं दें।

निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रगतिशील राष्ट्रीय नीति का सफलतापूर्वक अनुमरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए न केवल कृषि खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों की निर्यात-योग्य वस्तुओं में वृद्धि करनी है तथा इनकी धरेतु खपत पर प्रतिबन्ध लगाने हैं बल्कि यह भी आवश्यक है कि इन वस्तुओं की कीमत तथा क्वालिटी एम्पी हों कि विश्व के बाजारों में हम प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। घातकमक इजानिपरी तथा रसायन धारा में निर्यात बढ़ाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम नया बाजार भी ढूँढन हाग। इन सब प्रयत्नों में सफलता के लिए हम नया विकसित देशों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

परिक्षेपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. भारत के विशेषी व्यापार के स्वरूप तथा दिशा में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।
[संकेत पंचवर्षीय योजनाओं के काल में विद्यमान रूप से द्वितीय योजना के बाद भारत के आयात निर्यात के प्रकार में हुए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। फिर यह बताइए कि आयात निर्यात का प्रमुख वस्तुएँ कौन कौनसे हैं तथा उनके मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह भी बताइए कि हमारे विभिन्न देशों में व्यापारिक सम्बन्धों में क्या परिवर्तन हुए हैं।]
2. भारत सरकार की 'आयात-नीति क्या है और इसमें क्या-क्या सफलता मिल पायी है ?
[संकेत आयात नियन्त्रण तथा प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति के उद्देश्य तथा इनसे सम्बन्धित प्रयत्नों का व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि हम अपने आयातों को नहीं कर पाय है और निर्यातों में सम्पूर्णतः वृद्धि क्या नज़र आ पायी है।]
3. निर्यात-संबद्धन हमारे लिए क्यों आवश्यक है ? इससे सम्बन्धित कठिनाइयाँ क्या हैं ?
[संकेत आर्थिक विकास के सहायक के रूप में देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में निर्यातों का महत्त्व स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में निर्यात-संबद्धन की कठिनाइयाँ बताइए और सन्ध में हल भी बताइए।]
4. आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन हमारा प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। इन दोनों क्षेत्रों में हम क्या-क्या कर सफल हो पाये हैं ?
[संकेत दूसरे प्रश्न के उत्तर के समान इसका भी उत्तर दीजिए।]
5. टिप्पणियाँ लिखिए आयात प्रतिस्थापन रूपी प्रगतान व्यापारिक समझौते राजकीय व्यापार नियम।
[संकेत प्रत्येक के उद्देश्य मूल्य तथा गण-दाया का व्याख्या कीजिए।]

चतुर्थ खण्ड

विदेशी विनिमय

[FOREIGN EXCHANGE]

“विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-विनिमय का विज्ञान एव कला है।”¹
—हार्टले विदर्स

विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राओं का प्रचलन है जिनका नियन्त्रण वहाँ के केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि विदेशी भुगतान के लिए कौनसी मुद्रा प्रयोग में लायी जाय। स्वर्णमान के दिनों में यह समस्या अधिक जटिल नहीं थी, क्योंकि विदेशी भुगतान स्वर्ण के माध्यम से किया जा सकता था। परन्तु वर्तमान युग में, जबकि प्रत्येक देश अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना चाहता है, विदेशी दायित्वों को चुकाना एक जटिल समस्या है जिसका विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है।

विदेशी विनिमय का अर्थ

‘विदेशी विनिमय’ शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है जिनको दो ध्येयों में बाँटा जा सकता है—सकुचित अर्थ, तथा विस्तृत अर्थ।

सकुचित अर्थ में, विदेशी विनिमय के अनेक अर्थ लगाये जाते हैं (1) कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि विदेशी विनिमय से अभिप्राय देश में विदेशी मुद्राओं के कोष से होना है। प्रायः यह कहा जाता है कि विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होनी है। यहाँ विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग विदेशी मुद्राओं का खोना है। (2) जब विदेशी विनिमय बैंक विदेशी विनिमय का श्रय-विक्रय करते हैं तब इनका आशय केवल विदेशी विनिमय विलों से होता है। (3) जब हम कहते हैं कि विदेशी विनिमय हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल है तब इसका अभिप्राय विदेशी विनिमय-दर (foreign exchange rate) से होता है।

विस्तृत अर्थ में, विदेशी विनिमय का अभिप्राय उभर समूची रीति में होना है जिसके द्वारा दो देश अपने दायित्वों का भुगतान करते हैं। हार्टले विदर्स के अनुसार, “विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-विनिमय का विज्ञान एव कला है।” विज्ञान के रूप में इसका सम्बन्ध विदेशी विनिमय-दर तथा उनमें सम्बन्धित अन्य समस्याओं से है। कला के रूप में इसका सम्बन्ध उन नमस्त-संस्थाओं, पत्रों तथा रीतियों से है जो विदेशी भुगतान करने में योग्य देते हैं। सैपमैन के शब्दों में, “विदेशी विनिमय में अभिप्राय उभर यन्त्र से है जिसके द्वारा विदेशी वाणिज्य में भुगतान कार्य होता है।”² इस प्रकार, व्यापक अर्थ में विदेशी विनिमय वह पद्धति है जिसके द्वारा दो क्षेत्रों के बीच, जिनमें विभिन्न प्रकार की मुद्रा चलन में है, भुगतान होता है।³

- 1 “Foreign Exchange is the Art and Science of International Money Exchanging” —Hartley Withers. *Money Changing*
- 2 “The machinery whereby payments are effected in foreign commerce is known as foreign exchange” —Sir S J Chapman
- 3 “The mechanism through which payments are effected between two areas that employ different currency systems is known as foreign exchange” —Steiner, Shapiro, Solomon in *Money and Banking*

था, केवल बैंक ही अपने आधिक्य कोषों के स्थानान्तरण के लिए स्वर्ण का प्रयोग करते थे। आज के युग में विदेशी भुगतान स्वर्ण के माध्यम से नहीं किये जाते।

विदेशी भुगतान का एक अन्य तरीका आयात के बदले निर्यात करना है। वैसे तो प्रत्येक देश की यह नीति होती है कि उसके आयात का भुगतान निर्यात करके ही चुकाया जाय, परन्तु प्रत्येक देश के साथ आयात और निर्यात को सन्तुलित करना न केवल अत्यन्त कठिन होता है बल्कि दोषपूर्ण भी। इस प्रकार के व्यापार में वस्तु विनिमय (barter) प्रणाली की सभी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और व्यापार का क्षेत्र सीमित हो जाता है। यह सम्भव हो सकता है कि दूसरा देश अपने माल के बदले में वह माल न लेना चाहे जिसे आयातकर्ता देना चाहता है और इस कारण उन देशों के बीच व्यापार हो ही न पाये। विदेशी मुद्राओं की कमी के कारण गत वर्षों में कुछ देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते (bilateral trade agreements) हुए हैं जिनके अन्तर्गत एक देश के माल का भुगतान दूसरे देश के माल द्वारा ही किया जाता है। रूस तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ भारत ने इसी प्रकार के समझौते किये हैं। परन्तु इस प्रणाली का प्रयोग केवल कुछ वस्तुओं तथा कुछ काल के लिए केवल कुछ देशों तक ही सीमित है। सामान्य रूप में सम्पूर्ण विश्व में मौद्रिक विनिमय ही प्रचलित है।

वास्तव में, विदेशी भुगतान प्रायः बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करके किये जाते हैं और इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के साख-पत्रों का प्रयोग किया जाता है। विदेशी भुगतानों के लिए इस प्रकार के साख-पत्रों की बैंकों के पास उपलब्ध मात्रा 'विदेशी मुद्रा की पूर्ति' तथा इनके प्रयत्न की मात्रा 'विदेशी मुद्रा की माँग' कही जा सकती है। विदेशी भुगतान के लिए प्रयोग किये जाने वाले साख-पत्र मुख्यतः निम्नलिखित हैं :

(1) विदेशी विनिमय बिल—कुछ वर्षों पूर्व तक विदेशी व्यापार के भुगतान में विदेशी विनिमय बिलों (foreign bills of exchange) का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था तथा विदेशी विनिमय-बाजार में विनिमय बिलों की प्रधानता थी। वास्तव में, विनिमय बिल विदेशी भुगतान के साधन नहीं है, परन्तु इनका प्रयोग विदेशी भुगतान को अनावश्यक बना देता है। एक साख-पत्र के रूप में, विनिमय बिल एक शर्त-रहित आज्ञापत्र है जिसमें लेनदार देनदार को आदेश देता है कि वह उसे या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को बिल में लिखी राशि का नियत अवधि में भुगतान कर दे। देनदार अपने हस्ताक्षर कर बिल को स्वीकृति दे देता है और इसके बाद बिल लेनदार के पास वापस पहुँच जाता है। विदेशी विनिमय बिल ऋणियों की ओर से प्रायः संस्थाओं (बैंकों व स्वीकृति-गृहों) द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की अपेक्षा संस्थाओं की साख अधिक होती है।

दो देशों के बीच अनेक लेन-देन होने के कारण कई बिलों का आदान-प्रदान होता है। मान लीजिए, 'क' व्यापारी ने दूसरे देश के व्यापारी 'ख' के नाम 10,000 रुपये का बिल जारी किया जिसे स्वीकृति देने के बाद 'क' को लौटा दिया गया। 'क' इस बिल को अपने देश में 'ग' को बेच देता है जिसे इस बिल की रकम में बराबर भुगतान 'ग' को करना होता है जो 'ख' के ही देश का है। 'ग' इस बिल को 'घ' के पास भेज देता है जो इसकी रकम अपने देश में इस बिल के मूल देनदार 'ख' से निर्धारित समय पर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के आदान-प्रदान के द्वारा बिना स्वर्ण का आयात-निर्यात किये आसानी से विदेशी दायित्वों का भुगतान हो जाता है।

विदेशी व्यापार में पहले विनिमय बिलों का इतना अधिक प्रयोग किया जाता था कि विदेशी विनिमय-बाजार को साधारणतया विदेशी विनिमय बिल-बाजार ही कहा जाता था। इन बिल-बाजारों में विदेशी विनिमय बिल खरीदे या बेचे जाते थे जिनकी सहायता से विदेशी भुगतान लय किये जाते थे। मुद्रिषा के लिए बिलों को स्वीकार करने के लिए स्वीकृति-गृह (Accepting Houses) स्थापित किये गये अथवा इनकी स्वीकृति तथा भुगतान बैंकों द्वारा ही किये जाने लगे। इस प्रकार लेनदार बिल बनाकर जब किसी विदेशी विनिमय बैंक को दे देता है तो बैंक देनदार

के देश में स्थित अपनी शाखा को यह कागज भेज देता है। बैंक की यह शाखा देनदार से स्वी-कृति और भुगतान ले लेती है और बैंक के द्वारा लेनदार को भुगतान कर दिया जाता है। यदि बिल मुद्दती है और लेनदार उसका भुगतान अवधि के पूर्व चाहना है तो बैंक वाकी अवधि की व्याज वाटकर (discount) भुगतान कर देता है।

बहुत दिनों तक विदेशी भुगतान का उपर्युक्त तरीका प्रचलित था। किन्तु विनिमय बिलों द्वारा भुगतान की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में एक दिशा की ओर भुगतान दूसरी दिशा के भुगतान के बराबर हो। आजकल विदेशी विनिमय की समस्या एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तनों की समस्या है जिसके परिणामस्वरूप विनिमय बिल प्रणाली का विदेशी भुगतानों के लिए उपयोग कम हो गया है।

(2) बैंक ड्राफ्ट—विदेशी विनिमय बैंकों की शाखाएँ प्रत्येक महत्वपूर्ण देश में पायी जाती हैं और जहाँ शाखा नहीं है वहाँ वे अन्य बैंकों से सम्बन्धित होती हैं। मान लीजिए, यदि भारत के एक व्यापारी को अमेरिका में किसी व्यापारी का भुगतान करना है तो उसके लिए भारतीय व्यापारी अमरीकी व्यापारी को बैंक ड्राफ्ट (bank draft) भेज देगा जिसके आधार पर उसे डालरो में भुगतान प्राप्त हो जायेगा। ड्राफ्ट की रकम की अदायगी करने वाला बैंक ड्राफ्ट जारी (issue) करने वाल बैंक से यह रकम विपरीत दिशा वाले किसी ड्राफ्ट या किसी अन्य साख-पत्र के द्वारा प्राप्त कर लेता है।

(3) साख-पत्र—साख पत्र (letters of credit) के द्वारा निर्यातकर्ता को अपने माल का तत्काल भुगतान प्राप्त हो जाता है। आयातकर्ता अपने बैंक में एक निश्चित रकम का साख-पत्र ले लेता है और निर्यातक को भेज देता है। इसके साथ ही साख-पत्र जारी करने वाला बैंक निर्यातक व्यापारी के देश में स्थित अपनी शाखा या किसी सम्बन्धित बैंक की शाखा को आदेश भेज देता है कि अमुक व्यक्ति अथवा फर्म का अमुक रकम का खाता खोल लिया गया है और उसको निर्यात किये गये माल का भुगतान निर्यातक को कर दिया जाय। निर्यातकर्ता माल जहाज में लदवाते ही अपने अधिकार-पत्र आयातकर्ता के बैंक को सौंप देता है और उनके आधार पर निश्चित रकम तक का भुगतान प्राप्त कर सकता है।

बुद्ध बैंक यात्रिया के लिए भी निश्चित रकम के साख पत्र लिखते हैं जिनके आधार पर उन्हें विदेशों में नकदी मिल जाती है।

(4) यात्री चैक—मुविधा एव सुरक्षा की दृष्टि से यात्री अपने साथ विदेशों में नकद मुद्रा न ले जाकर अपने बैंक में निश्चित रकमों के यात्री चैक (traveller's cheques) खरीद लेते हैं। यह चैक शाखाओं तथा प्रतिनिधि बैंक पर लिखे जाते हैं और इनका प्रयोग नोटों के समान ही हो सकता है। इन चैकों पर ग्राहक का एक हस्ताक्षर पहले से किया होता है और दूसरा हस्ताक्षर भुगतान प्राप्त करते समय करना पड़ता है। ग्राहक स्वयं इन चैकों को सम्बन्धित बैंकों से भुना सकता है और इन्हें होटल, यात्रा स्थान, व्यापारिक सस्थाएँ आदि भी भुगतान में स्वीकार कर लेते हैं।

(5) टेलीग्राफिक ट्रान्सफर—विदेशों में भुगतान करने के लिए ग्राहक अपने बैंक के पाम रकम जमा करा देता है और आदेश देता है कि यह रकम अमुक स्थान के अमुक व्यक्ति को दी जाय। रकम तथा आदेश प्राप्त होते ही यह बैंक अपनी विदेश स्थित शाखा अथवा प्रतिनिधि बैंक को तार अथवा समुद्री तार (cable) द्वारा निश्चित व्यक्ति को रकम चुकाने का आदेश देता है। भुगतान को इस रीति को टेलीग्राफिक ट्रान्सफर (telegraphic transfer or T T) कहते हैं। इसी प्रकार साधारण डाक द्वारा भी रकम का स्थानान्तरण किया जा सकता है जिसे मेल ट्रान्सफर (mail transfer or M T) कहते हैं, परन्तु इसमें भुगतान में विलम्ब होता है। बैंक ड्राफ्ट प्रायः डाक द्वारा ही भेजे जाते हैं।

विनिमय-दर

विनिमय-दर (exchange rate) से अभिप्राय एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत से है। दूसरे शब्दों में, यह वह अनुपात है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाती

है। कुछ अर्थशास्त्री विनिमय-दर को मुद्रा का बाह्य-मूल्य (external value) भी कहते हैं। यदि एक डॉलर के बदले में 75 रुपये देने पड़ते हैं तो यह डॉलर की रुपये से विनिमय-दर है। इस प्रकार अलग-अलग मुद्राओं की विनिमय-दर भी अलग-अलग होती है। विनिमय-दर की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं -

“विनिमय-दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा इकाइयाँ मिल सकती हैं, उसका माप है।” — साउथर


“विनिमय-दर एक देश की इकाई मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में कीमत है।” — हेग्स

“चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय-दर कहा जाता है।” — सेयर्स

स्वतन्त्र विनिमय बाजार में बाजार विनिमय दर (market rate) तथा सामान्य विनिमय-दर (normal rate) में अन्तर हो सकता है। बाजार-दर में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, किन्तु यह परिवर्तन प्रायः कुछ सीमाओं के आसपास ही होते हैं तथा सामान्य दर पर लौटने की प्रवृत्ति रखते हैं। विनिमय-दर में वृद्धि देश के लिए अनुकूल होती है और उसमें कमी होना प्रतिकूल होता है। विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से अनुकूल विनिमय-दर का यह प्रभाव होना है कि विदेशी आयातों के बदले कम मुद्रा देनी पड़ती है, विदेशी आयात सस्ते पड़ते हैं और उनकी मांग बढ़ने लगती है, देश में उत्पादन करने के बजाय बाहर से माल मँगवाना मस्ता होने के कारण देश में उत्पादन गिरने लगता है, निर्यात कम हो जाते हैं और विनिमय-दर भी गिर जाती है। विनिमय-दर का गिर जाना देश के लिए प्रतिकूल होता है। देशी की मुद्रा सस्ती होने के कारण निर्यात बढ़ने लगते हैं, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, व्यापार-सन्तुलन पक्ष में हो जाता है, देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है और विनिमय-दर भी बढ़ने लगती है। इस प्रकार किसी भी देश की मुद्रा की विनिमय-दर बहुत अधिक समय तक अनुकूल या प्रतिकूल नहीं रह पाती।

विनिमय-दर का निर्धारण

विनिमय-दर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में मूल्य है। जिस प्रकार अन्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण उनकी माँग और पूर्ति द्वारा होता है उसी प्रकार स्वतन्त्र विनिमय बाजार में विनिमय-दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति की प्रतियोगी शक्तियों के द्वारा होता है। प्रस्तुत चित्र द्वारा विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति पर विनिमय-दर पर पड़ने वाला प्रभाव दिखाया गया है। OX रेखा विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति तथा OY रेखा विनिमय-दर को प्रदर्शित करती है। DD रेखा विदेशी मुद्रा की माँग तथा SS रेखा विदेशी मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करती है। ये दोनों रेखाएँ P बिन्दु पर एक-दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर माँग तथा पूर्ति (OL) दोनों बराबर हैं और विनिमय-दर OR है। इस बिन्दु पर निर्धारित दर को ‘समता दर’ (par of exchange) कहा जाता है। यदि विदेशी मुद्रा की माँग में कोई परिवर्तन न हो और पूर्ति बढ़कर OM हो जाय तो विनिमय-दर गिरकर OR_1 हो जाता है। इसके विपरीत, जब पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता परन्तु माँग बढ़कर OM_1 हो जाती है तो विनिमय-दर बढ़कर OR_2 हो जाती है।



विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति

चित्र 1

1 "It (rate of exchange) measures the number of units of one currency which exchange in the foreign exchange market for one unit of another" — Crowther
 2 "Exchange rate is the price of one currency stated in terms of another currency" — Haines
 3 "The prices of currencies in terms of each other are called foreign exchange rates" — R. S. Sayers *Modern Banking*, p 158

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में जब पूर्ति यथास्थिर रहते हुए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो विनिमय-दर में वृद्धि होती है, और जब मांग यथास्थिर रहे परन्तु पूर्ति बढ़ जाय तो विनिमय-दर गिर जाती है। साथ में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति से क्या अभिप्राय है। संक्षेप में, हमारी विदेशी मुद्रा की मांग के पीछे किसी देश से किये गये कुल आयात का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा की पूर्ति के पीछे हमारे निर्यात होते हैं जिनका भुगतान करने के लिए विदेशी अपनी मुद्रा देकर हमारी मुद्रा खरीदना चाहते हैं। जब हम रुपये के बदले में डालर की मांग अथवा पूर्ति की चर्चा करते हैं तो डालर की मांग रुपये की पूर्ति है और डालर की पूर्ति रुपये की मांग है। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पर वैसे तो दो देशों के बीच पूंजी तथा व्याज के गमनागमन इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है, परन्तु मुख्य प्रभाव विदेशी व्यापार सम्बन्धी भुगतानों का ही होता है। साधारणतया जब एक देश के किसी देश में आयात उस देश के निर्यात के मूल्य में अधिक होते हैं तो विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति से अधिक होती है, और यदि निर्यात अधिक और आयात कम होते हैं तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति मांग से अधिक होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में विनिमय-दर का समता-दर से भिन्न होना स्वाभाविक है। [विदेशी मुद्राओं की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारणों का उल्लेख आगे किया गया है।]

अब प्रश्न यह उठता है कि विनिमय-दर किस सीमा तक समता-दर के ऊपर उठ सकती है अथवा नीचे गिर सकती है? ये सीमाएँ विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होती हैं। विनिमय की समता-दर स्वयं भी विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार में निर्दिष्ट होती है। भिन्न-भिन्न मुद्रा-व्यवस्थाओं में विनिमय दर का निर्धारण भिन्न-भिन्न होता है, इसलिए यह देखना आवश्यक है कि उन दोनों देशों में किस प्रकार की मुद्रा-व्यवस्था है।

साधारणतः मुद्रा-व्यवस्थाएँ चार प्रकार की हो सकती हैं (1) दोनों देशों में स्वर्णमान अथवा रजतमान हो, (2) दोनों देशों में से एक में स्वर्णमान तथा दूसरे में रजतमान हो, (3) दोनों देशों में से एक में स्वर्णमान और दूसरे में पत्र-मुद्रामान हो, (4) दोनों देशों में पत्र-मुद्रामान हो। रजतमान के अन्तर्गत विनिमय-दर का निर्धारण स्वर्णमान के ही समान होता है। चूंकि सस्यर में रजतमान कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नहीं रहा इसलिए स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दर के निर्धारण का अध्ययन करना ही पर्याप्त है। जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रामान पर आधारित होता है तो विनिमय-दर का निर्धारण स्वर्ण के आधार पर ही होता है। पत्र-मुद्रामान वाले देश में मुद्रा की एक इकाई जितना स्वर्ण खरीद सकती है, और स्वर्ण-मुद्रामान वाले देश में मुद्रा की एक इकाई जितना स्वर्ण के बराबर घोषित है, उन दोनों के अनुपात पर ही विनिमय दर आधारित होती है। वास्तव में, विनिमय-दर के निर्धारण की समस्या का अध्ययन केवल दो परिस्थितियों में करना ही काफी है—(1) जब दोनों देशों में स्वर्णमान का प्रचलन हो, तथा (2) जब दोनों देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का प्रचलन हो।

स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दर—टकसाली समता सिद्धान्त ✓
(Mint Par Theory of Exchange)

स्वर्ण पर आधारित मुद्राओं का स्वर्ण के साथ एक निश्चित दर पर सम्बन्ध रहता है। देश में मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोषों के अनुपात में रखी जाती है और स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। साथ ही स्वर्ण का आयात-निर्यात भी स्वतन्त्र रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार स्वर्णमान वाले देशों में विनिमय-दर के निर्धारण का आधार दोनों देशों की मुद्राओं में निहित स्वर्ण का अनुपात होता है। उदाहरण प्रथम महायुद्ध के पूर्व एक डालर में विद्युद्ध स्वर्ण की मात्रा 23 22 ग्रेन थी और एक पीण्ड में 113 0016 ग्रेन। इसी अनुपात के आधार पर विनिमय-दर 1 पीण्ड = 4 866 डालर थी। इस प्रकार दो देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा (gold contents) के आधार पर जो विनिमय-दर निर्धारित होती है, उस 'विनिमय की टकसाली दर' या 'दर समता-दर' (mint par of exchange) अथवा 'स्वर्ण समता-दर' (gold par exchange) कहते हैं।

टॉमस के शब्दों में, 'विनिमय की टकसाली दर वह अनुपात है जो एक ही धातु पद्धति वाले देशों की प्रामाणिक मुद्राओं की वैधानिक धातु मात्रा के साम्य से व्यक्त होती है।'¹

यदि स्वर्णमान वाले देशों में स्वर्ण चलनमान के स्थान पर स्वर्ण धातुमान अथवा स्वर्ण विनिमय मान होता है, (अर्थात् देग में स्वर्ण मुद्राएँ चलन में नहीं होनी बल्कि पत्र-मुद्रा, जिसका मूल्य स्वर्ण में निश्चित कर दिया जाता है, चलन में होनी है), तो भी विनिमय दर निर्धारण में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उन मुद्राओं की स्वर्ण-तुल्यता वा अनुपात ही उनकी टकसाली समता होती है और यही विनिमय-दर के निर्धारण का आधार होती है। टॉमस के वाक्य में "वैधानिक" (statutory) शब्द में अभिप्राय यह है कि स्वर्णमान पर आधारित देशों की मुद्रा के "वैधानिक विशुद्ध स्वर्ण-मूल्य" से ही टकसाली दर निश्चित की जाती है, न कि उसके "वास्तविक मूल्य" से। इस प्रकार टकसाली दर तब तब परिवर्तन नहीं होता, जब तक कोई वैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाता। इसी-लिए क्वेयर तथा क्रम्प ने लिखा है कि "विनिमय की टकसाली दर सिक्के के वास्तविक रूप पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी वैधानिक व्याख्या पर निर्भर करती है। जब तक विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, टकसाली दर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।"²

स्वर्ण-बिन्दु (Gold or Specie Points)

व्यावहारिक रूप में, विनिमय दर टकसाली दर के बराबर केवल उस स्थिति में हो सकती है जब विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति बराबर हो। चूँकि माँग में और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इन परिवर्तनों के अनुसार विनिमय-दर में भी सदैव उतार-चढ़ाव होते हैं। इस प्रकार स्वर्णमान वाले देशों में विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति टकसाली दर के बराबर होने की होती है, किन्तु व्यवहार में विनिमय-दर टकसाली दर से कभी ऊपर तो कभी नीचे रहती है। यह उतार-चढ़ाव असीमित नहीं होते, बल्कि उच्चतम स्वर्ण बिन्दु (upper gold point) तथा निम्नतम स्वर्ण-बिन्दु (lower gold point) के बीच सीमित रहते हैं।

मान लीजिए, इंग्लैण्ड और अमेरिका के बीच भुगतान सन्तुलन अमेरिका के प्रतिबल है, अर्थात् अमेरिका को इंग्लैण्ड का भुगतान प्राप्त से अधिक करना है तो यह स्वाभाविक है कि अमेरिका में पौण्ड की माँग उसकी पूर्ति से अधिक होगी, जिसके परिणामस्वरूप पौण्ड का मूल्य बढ़ जायगा। अब देखना यह है कि इसमें कितनी सीमा तक वृद्धि सम्भव है। यह तो हम जानते ही हैं कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। अब यदि अमरीकी व्यापारी यह देखता है कि विदेशी विनिमय-बाजार में पौण्ड का मूल्य बढ़ गया है तो वह अपना भुगतान इंग्लैण्ड को स्वर्ण का निर्यात करके भी कर सकता है। परन्तु इसके लिए उसे स्वर्ण के आयात, पैकिंग, बीमा आदि पर व्यय सहन करना पड़ेगा। मान लीजिए, प्रति 1 डालर के मूल्य का स्वर्ण इंग्लैण्ड को भेजने में 0.1 डालर का अतिरिक्त व्यय होता है और टकसाली विनिमय-दर 1 पौण्ड = 4.866 डालर है। अब यदि पौण्ड का मूल्य बाजार में 4.966 से अधिक माँगा जाता है तो अमरीकी व्यापारी इंग्लैण्ड को स्वर्ण के निर्यात द्वारा भुगतान करेगा। इसलिए यह बिन्दु अमेरिका के लिए स्वर्ण निर्यात बिन्दु अथवा उच्चतम स्वर्ण-बिन्दु (gold export point or upper gold point) होगा और इंग्लैण्ड के लिए स्वर्ण आयात बिन्दु अथवा निम्नतम स्वर्ण-बिन्दु (gold import point or lower gold point) होगा।

इसके विपरीत, जब इंग्लैण्ड का भुगतान-सन्तुलन प्रतिबल है तो डालर की माँग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होने के कारण डालर के मूल्य में वृद्धि होगी। यदि स्वर्ण के निर्यात पर इंग्लैण्ड को भी उतना ही व्यय करना पड़ता है जितना उक्त उदाहरण में अमरीका द्वारा किया जाता है तो इंग्लैण्ड के व्यापारी भी डालर का अधिकतम मूल्य 1 पौण्ड = 4.966 डालर ही दोगे।


1 "The Mint Par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same metallic standard — S. E. Thomas *Principles and Arithmetic of Foreign Exchange*, p. 44

2 The Mint Par depends, in short, not on the coin itself but on the legal definition of it, not on the sovereignty de facto but on the sovereignty de-jure. Unless and until the law is altered, the mint par cannot alter — Clare and Crump *A B C of Foreign Exchange*

इसने अधिक होने पर इंग्लैण्ड से स्वर्ण का निर्यात होगा। यह इंग्लैण्ड के लिए स्वर्ण निर्यात बिन्दु तथा अमेरिका के लिए स्वर्ण आयात बिन्दु होगा। दूसरे शब्दों में, इंग्लैण्ड में यदि डालरों को पौण्ड में बदलना हो तो विनिमय-दर 1 पौण्ड = 4 766 डालर से कम नहीं हो सकती; क्योंकि इससे कम होने पर इंग्लैण्ड का व्यापारी अपने डालरों के बदले अमेरिका से स्वर्ण का आयात करेगा।

इस प्रकार किसी समय पर स्वर्ण भेजने के व्यय को टकमाली विनिमय-दर में जोड़ने से विनिमय-दर की उच्चतम सीमा (upper limit) निर्धारित होती है जो स्वर्ण निर्यात बिन्दु होता है। इसके विपरीत, स्वर्ण भेजने के व्यय को टकमाली विनिमय-दर से घटा देने पर विनिमय दर की निम्नतम सीमा (lower limit) निर्धारित होती है जो स्वर्ण आयात बिन्दु होता है। विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव इन्हीं दो सीमाओं के बीच होते हैं। इन सीमाओं का उल्लंघन होने पर स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा विनिमय-दर इन दो बिन्दुओं के बीच पुनः आ जायेगी।

प्रस्तुत रेखाकृति में *MP* रेखा टक-समता दर को व्यक्त करती है। *UG* उच्चतम स्वर्ण



चित्र 2

कीमत स्तर गिर जाता है, आयात कम हो जाते हैं और निर्यात बढ़ते हैं। दूसरी ओर, स्वर्ण आयात करने वाले देश में मुद्रा-प्रसार होता है जिससे कीमते बढ़ती हैं, वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन मिलता है और निर्यात गिर जाते हैं। इस प्रकार दोनों देशों में स्वर्ण के आयात निर्यात से व्यापार अपने आप सन्तुलित हो जाता है। प्रतिक्रम (classical) अर्थशास्त्री इस क्रिया को 'कीमत-स्वर्ण प्रवाह क्रिया' (Price-Specie flow mechanism) कहते थे।

अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रामान के अन्तर्गत विनिमय-दर—क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory)

जब दो देशों में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा चलन में होती है तो उनमें विनिमय-दर का निर्धारण दोनों मुद्राओं की न्य-शक्ति के अनुपात द्वारा होता है। क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory) की अपूर्ण स्वरूपा 1802 में जॉन व्हीटले (John Wheatley) और 1810 में विलियम ब्लेक (William Blake) के लेखों में मिलती है, जिसको डेविड रिचार्डो (David Ricardo) ने पुनः प्रस्तुत किया। इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप में वैज्ञानिक ढंग से विवक्षित करने का श्रेय स्वीडन के अर्थशास्त्री प्रो० गुस्ताव कॅसल (Gustav Cassel) को है। क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का विकास कैमल द्वारा प्रथम महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों में किया गया जब स्वर्णमान त्याग देने में यूरोप के देशों में अधि-स्फीति की समस्या गम्भीर हो गयी थी तथा विदेशी विनिमय दरों में बड़े तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। उन्होंने मुख्य रूप से समस्या के दो पहलुओं का अध्ययन किया—एक तो यह कि विनिमय-दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, और दूसरे, विनिमय-दर में परिवर्तन क्या और कितने होते हैं?

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की व्याख्या

क्रय-शक्ति समता के सिद्धान्त के अनुसार जो देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रामान पर होते हैं,

उनके बीच 'उचित विनिमय-दर' (proper rate of exchange or equilibrium rate of exchange) इन देशों की मुद्रा की क्रय-शक्ति साम्य (purchasing power par) के आधार पर निर्धारित होती है। इसकी ध्याख्या भिन्न-भिन्न लेखकों ने इस प्रकार की है

स्वयं गुस्ताव कैसल के अनुसार, "दो मुद्राओं के मध्य विनिमय-दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आन्तरिक क्रय शक्तियों के भजनफल पर निर्भर होनी चाहिए। यदि हम इस सत्य पर ध्यान दें तो यह सहज ही देखा जा सकता है कि जो मूल्य हम विदेशी मुद्रा में देते हैं वह ऐसा मूल्य है जिसका अन्तिम दशा में देनी बाजार में वस्तुओं के मूल्यों से एक निश्चित सम्बन्ध होता है।"¹

प्रो० कोल के अनुसार, "राष्ट्रीय मुद्राओं का पारस्परिक मूल्य, जब विशेष रूप से वे स्वर्ण-मान पर नहीं होनी, दीर्घकाल में उनकी वस्तुओं और सेवाओं में क्रय शक्ति द्वारा निर्धारित होता है।"²

टॉमस के शब्दों में, 'एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के रूप में किसी विशेष समय पर बाजार की माँग और पूर्ति की दशाओं द्वारा निर्धारित होता है, दीर्घकाल में यह मूल्य उन देशों की मुद्राओं के सापेक्षिक मूल्य द्वारा निश्चित होता है, जबकि उन देशों की मुद्रा की क्रय-शक्ति अपने-अपने देश की वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होती है। दूसरे शब्दों में, विनिमय-दर में उसी बिन्दु पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति समान होती है। इस बिन्दु को ही क्रय-शक्ति साम्य कहते हैं।'³

साधारण तौर पर यदि अमेरिका में एक डालर की क्रय-शक्ति भारत में रुपये की क्रय-शक्ति से पाँच गुना अधिक है तो डालर और रुपये की विनिमय-दर 1 डालर=5 रुपये होगी। इसी प्रकार यदि इंग्लैण्ड में पौण्ड की क्रय शक्ति अमेरिका में डालर की क्रय-शक्ति से चार गुना अधिक है तो पौण्ड और डालर में विनिमय-दर 1 पौण्ड=4 डालर होगी। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मुद्रा की क्रय शक्ति अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग होती है। यदि किसी एक वस्तु में दो देशों की मुद्राओं के क्रय-शक्ति साम्य के आधार पर विनिमय-दर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है तो वह सही नहीं है। वास्तव में, पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जिसे विभिन्न देशों में मुद्रा की क्रय-शक्ति के मापक के रूप में स्वीकार किया जा सके। इस कठिनाई को सामने रखते हुए मुद्रा की क्रय-शक्ति का अनुमान किसी एक वस्तु की कीमत के आधार पर नहीं अपितु वस्तुओं के एक समूह की कीमत के आधार पर लगाया जाता है। इस उद्देश्य से पत्र-मुद्रामान वाले देशों के लिए आवश्यक है कि वे सामान्य कीमत निर्देशांक (general price index) एकत्र करें। इसमें सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार तथा मात्रा का चुनाव बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए और सामान्यतः उन सभी वस्तुओं को इसमें शामिल कर लेना चाहिए जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों देशों में मुद्राओं की सामान्य क्रय-शक्ति के अनुपात के आधार पर उन दोनों के बीच विनिमय-दर का निर्धारण होता है।

विनिमय दर में परिवर्तन—क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तनों

- 1 "The rate of exchange between two currencies must stand essentially on the quotient of the internal purchasing power of those currencies. This is easily seen if we reflect on the fact that the price paid in foreign currency is ultimately a price which must stand in a certain relation to the prices of commodities in the home market" —Gustav Cassel in his article on 'Foreign Exchange in Encyclopedia Britannica
- 2 "The relative values of national currencies, specially when they are off the gold standard, in the long-run are determined by their relative purchasing powers in terms of goods and services" —G D H Cole *What Everybody Wants to Know About Money*
- 3 "While the value of the unit of one currency in terms of another currency is determined at any particular time by the market conditions of demand and supply, in the long run, that value is determined by the relative values of the two currencies as indicated by their relative purchasing power over goods and services in their respective countries. In other words, the rate of exchange tends to rest at that point which expresses equality between the respective purchasing powers of two currencies. This point is called the Purchasing Power Parity" —S E Thomas *The Principles and Arithmetic of Foreign F*

के कारणों के साथ-साथ परिवर्तन के अनुपात को भी स्पष्ट करता है। प्रो० कैसल के अनुसार विनिमय-दर ठीक उमी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में अन्य देशों की अपेक्षा कीमत-स्तर में वृद्धि होती है और ठीक उमी अनुपात में कम होती है जिस अनुपात में अन्य देशों की अपेक्षा कीमत-स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार जब दो देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति (अर्थात् सामान्य कीमत-स्तर) में परिवर्तन हो गया है तो उनके बीच विनिमय-दर में भी परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन का अनुपात जानने की रीति प्रो० कैसल ने यह बताया है कि जब दो मुद्राओं का प्रसार हुआ है तो उनके बीच सामान्य विनिमय-दर दोनों देशों में स्फीति की मात्रा के भजनफल (quotient) को पुरानी विनिमय-दर में गुणा करके ज्ञान किया जा सकता है।¹ इसे ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है कि—

$$\text{विनिमय दर} = \frac{\text{आधार वर्ष में विनिमय-दर} \times \text{आन्तरिक कीमत-निर्देशांक}}{\text{विदेशी कीमत-निर्देशांक}}$$

मान लीजिए, आधार वर्ष में जब भारत तथा अमेरिका दोनों देशों में सामान्य कीमत-निर्देशांक 100 था तो 1 डालर की क्रय-शक्ति 5 रुपये के बराबर होने के कारण विनिमय-दर 5 रुपये=1 डालर थी। दोनों ही देशों में मुद्रा स्फीति के कारण कीमतें बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप भारत में कीमत-निर्देशांक 300 हो गया और अमेरिका में 200। इस प्रकार भारत में अमेरिका की अपेक्षा कीमतों में अधिक वृद्धि हुई, अर्थात् रुपये के आन्तरिक मूल्य में डालर के आन्तरिक मूल्य की अपेक्षा अधिक गिरावट हुई। इसका प्रभाव यह होगा कि डालर की तुलना में रुपये का विदेशी मूल्य गिर जायेगा और विनिमय-दर में इस प्रकार परिवर्तन होगा—

$$\text{विनिमय-दर} = \frac{5 \text{ रुपये} \times 300}{200} = 7.50 \text{ रुपये}$$

इस प्रकार वर्तमान विनिमय-दर 7.50 रुपये=1 डालर होगी। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है—

$$\text{डालर} \times \text{अमेरिकी कीमत-निर्देशांक} = \text{रुपया} \times \text{भारतीय कीमत-निर्देशांक, अथवा 1 डालर} \\ \times 200 = 5 \text{ रुपये} \times 300 \text{ अर्थात् } 200 \text{ डालर} = 1500 \text{ रुपये अथवा 1 डालर} = 7.50 \text{ रुपये।}$$

यह स्पष्ट है कि उक्त उदाहरण के अनुसार रुपये की क्रय शक्ति डालर की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक कम हुई है और ठीक इसी अनुपात में रुपये की डालर से विदेशी विनिमय-दर भी गिर गयी है।


प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दर की प्रवृत्ति टक-समता दर के समान रहने की होती है और बाजार-दर इसी के आसपास रहती है, अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत बाजार विनिमय-दर की प्रवृत्ति भी क्रय-शक्ति साम्य पर आधारित सामान्य विनिमय-दर के बराबर रहने की होती है। बाजार-दर इसमें बहुत अधिक भिन्न होने पर माँग और पूर्ति की सापेक्षिक गतियाँ इसे पुनः मन्तुलित कर देती हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि धातुमान देशों में और पत्र-मुद्रामान देशों में विनिमय-दर के निर्धारण में कुछ आधारभूत अन्तर होते हैं।

स्मरण रहे कि टक-समता (mint par) एक निश्चित व स्थिर समता है, जिसमें विधान में परिवर्तन किये बिना कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं होता, जबकि क्रय शक्ति-समता एक अस्थिर समता (moving par) है जिसमें समय समय पर कीमतों में परिवर्तन के कारण घटा-बढ़ी होती रहती है। इसके अतिरिक्त, स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दर में परिवर्तन स्वर्ण-बिन्दुओं (gold points) तक सीमित रहते हैं। इसी प्रकार पत्र-मुद्रामान के अन्तर्गत बाजारी विनिमय-दर में घटा-बढ़ी की सीमाएँ वस्तुओं के परिवहन-व्यय, निर्यात व आयात कर, धीमे व वैक की सेवाओं

1 "When two currencies have undergone inflation, the normal rate of exchange will be equal to the old rate multiplied by the quotient of the degree of inflation in the one country and in the other."—Gustav Cassel *Money and Foreign Exchange after 1914*

के व्यय, विदेशों में विज्ञापन व्यय आदि द्वारा निर्धारित होनी है। परन्तु यह सीमाएँ भी स्वर्णमान में स्वर्ण-विन्दुओं के समान निश्चित नहीं होती हैं। अल्पकाल में चिन्ही आर्थिक कारणों से यह सीमाएँ प्रायः ऊपर-नीचे होती रहती हैं।

प्रस्तुत रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि त्रय शक्ति समता सिद्धान्त के अन्तर्गत न तो सामान्य विनिमय-दर ही एक स्थिर समता है और न ही इसके उतार-चढ़ाव की सीमाएँ स्थिर होती हैं। बाजार विनिमय-दर का अस्थिर रहना तो स्वाभाविक ही है। *PP* रेखा क्रय-शक्ति-समता की अस्थिर दर (purchasing power parity moving rate), *UP* रेखा उच्चतम सीमा तथा *LP* निम्नतम सीमा को व्यक्त करती है। *MP* रेखा बाजार विनिमय-दर को दर्शाती है।



चित्र 3

क्रय-शक्ति-समता-सिद्धान्त की आलोचनाएँ

समय-समय पर त्रय-शक्ति सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की गयी हैं जो इसकी विभिन्न त्रुटियों पर प्रकाश डालती हैं। मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

(1) विनिमय-दर का निर्धारण एकमात्र कीमत-स्तर में परिवर्तनों के आधार पर नहीं होता — क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त के अनुसार मुद्राओं की क्रय-शक्ति (अथवा दो देशों में कीमत-स्तर) में परिवर्तन विनिमय-दर को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि कीमत-स्तर में कोई परिवर्तन न होने पर भी देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर में निम्न कारणों से परिवर्तन हो सकते हैं

- 1 विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति—मुद्रा-बाजार में विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति का निर्धारण केवल माल के आयात-निर्गत से ही प्रभावित नहीं होता। वास्तविकता यह है कि वस्तु आयात-निर्यात के अतिरिक्त विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति कुछ अन्य कारणों से भी उत्पन्न होनी है, जैसे विदेशी ऋण अथवा विनियोजन, सट्टे वालों के सौदे, विदेशी मुद्रा के अनेक प्रकार में प्रत्यक्ष लेन-देन इत्यादि। किन्हीं कारणों से किसी देश के मुद्रा-बाजार में डालर की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक हो जाने पर, कीमत-स्तर पर कोई प्रभाव पड़े बिना, डालर की विनिमय-दर कम हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि डालर की पूर्ति माँग की अपेक्षा कम है तो उसकी विनिमय-दर में स्वभावतः वृद्धि होगी। इन प्रकार विनिमय-दर का निर्धारण अनेक वस्तुओं की कीमतों में ही नहीं बल्कि उन मुद्राओं की माँग तथा पूर्ति से भी प्रभावित होता है। इस सिद्धान्त द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह की उपेक्षा करने के कारण ही केन्ज ने इसकी आलोचना की थी।
- 2 वस्तुओं की माँग में परिवर्तन—हॉम के अनुसार दो देशों के बीच साम्य विनिमय-दर (equilibrium rate of exchange) दो देशों की पारस्परिक वस्तुओं की माँग में वृद्धि और कमी के द्वारा प्रभावित होती है, चाहे कीमत-स्तर में कोई परिवर्तन न हो।¹ आय और रोजगार की स्थिति में परिवर्तन वस्तुओं की माँग को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय-बाजार में मुद्राओं की माँग एवं

1 "The equilibrium rate of exchange between the monetary units of two countries is affected by every increase or decrease of one country's products even though the price levels may stay the same — Halm *Monetary Theory*, p. 205.

पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण उनकी विनिमय-दरें भी प्रभावित होती हैं। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धान्त राष्ट्रों की आय तथा रोजगार के महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा कर केवल कीमत-स्तर के परिवर्तन को ही महत्वपूर्ण तत्व मानता है। साथ ही यह सिद्धान्त व्यापार-चक्र के विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की भी अवहेलना करता है।

प्रो० रैगनर नर्कसे (Ragner Nurkse) ने क्रय-शक्ति-समता-सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है, "यह सिद्धान्त केवल कीमत परिवर्तनों को ही माँग का कारण समझता है तथा व्यापार चक्र की अवधि में आय तथा व्यय में होने वाले भारी परिवर्तनों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। यह सिद्धान्त अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों के प्रभाव को बिलकुल मुला देता है। यह सिद्धान्त इस महत्वपूर्ण मूल्य पर कोई प्रकाश नहीं डालता है कि किस प्रकार व्यापार-चक्र के काल में मूल्य स्थिर रहते हुए आय तथा व्यय में उर्ध्वावचन होने पर विनिमय दर में भी उर्ध्वावचन उत्पन्न हो जाते हैं।"¹

3 तट-कर नीति का प्रभाव—विनिमय-दर पर आयात व निर्यात-करों की दरों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि एक देश अपने आयातों पर कर लगा देता है तो उस देश की मुद्रा इकाई के विदेशी मुद्रा मूल्य अथवा विनिमय-दर में वृद्धि होती है। कोई भी देश जिसकी विदेशी विनिमय-बाजार में स्थिति अच्छी है, तट-कर के द्वारा अपनी मुद्रा की विनिमय दर को ऊँचा रख सकता है। मान लीजिए, अमेरिका इंग्लैण्ड के माल पर भारी आयात-कर लगाकर उसके माल के आयात को बहुत कम कर देता है, परन्तु इंग्लैण्ड आर्थिक परिस्थितियों के कारण अमेरिका से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य है। परिणामस्वरूप अमेरिका से इंग्लैण्ड को निर्यात अधिक होंगे और इंग्लैण्ड से अमेरिका को आयात कम। इंग्लैण्ड में डालर की माँग उसकी पूर्ति से अधिक होगी और डालर का पाँउ में मूल्य बढ़ जायेगा, जबकि डालर के आन्तरिक मूल्य अथवा क्रय-शक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

4 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन—किन्हीं दो देशों में कीमतों के समान रहते हुए भी पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन हो जाने से विनिमय दर में परिवर्तन हो सकता है। इन दो देशों के बीच विदेशी व्यापार के क्षेत्र में यदि कोई तीसरा प्रतियोगी देश प्रवेश कर ले तो इनके पारस्परिक व्यापार की मात्रा पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप विनिमय-दर भी प्रभावित होगी।

5 सामान्य अनुभव—व्यावहारिक रूप में भी अभी तक का सामान्य अनुभव क्रय-शक्ति-समता-सिद्धान्त की सत्यता को सिद्ध नहीं करता है। गत वर्षों का अनुभव यह बताता है कि विनिमय-दर मुद्राओं की क्रय शक्ति-समता के आधार पर निर्धारित नहीं होती। कीमतों में परिवर्तन हो जाने पर भी सरकार ऐसे उपाय करती है जिससे विनिमय-दर में स्थिरता बनी रहे। इस प्रकार इस सिद्धान्त का व्यावहारिक जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है।

(2) क्रय-शक्ति समताएँ नापने की कठिनाइयाँ—क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त का बहुत बड़ा दोष यह है कि क्रय शक्ति समताएँ ठीक प्रकार से नापी नहीं जा सकती। इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती हैं

1 निर्देशांक की त्रुटियाँ—मुद्राओं की क्रय-शक्ति नापने का साधन निर्देशांक (index numbers) हैं। वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए निर्देशांक प्रायः विश्वमनीय साधन नहीं होते। इनमें कीमत-स्तर में परिवर्तनों की केवल अनुमानजनक जानकारी प्राप्त हो सकती है। अनुमानजनक परिवर्तन वास्तविक परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। निर्देशांक में एक अन्य दोष यह रहता है कि ये सदा ही भूतकाल से सम्बन्धित रहते

हैं। इनकी सहायता से वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती, इसलिए इन पर आधारित विनिमय-दर का वास्तविक विनिमय-दर से भिन्न होना स्वाभाविक ही है।

2 सामान्य कीमत-स्तर में सम्मिलित वस्तुएँ—मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन की मात्रा का अनुमान सामान्य कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर लगाया जाता है। सामान्य कीमत-स्तर में सम्मिलित वस्तुओं की सूची विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होती है। प्रायः देश में उपभोग की जाने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु इनमें सम्मिलित होती है, चाहे उसका विदेशी व्यापार में कुछ भी महत्व न हो। केवल देशी व्यापार की वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन विनिमय-दर को प्रभावित नहीं करते। विनिमय-दर के निर्धारण के लिए वास्तव में आवश्यकता इस बात की होती है कि सब प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण देशी तथा विदेशी व्यापार के महत्व के आधार पर किया जाय। परन्तु ऐसा कर पाना सम्भव नहीं होता, क्योंकि एक वस्तु एक समय विदेशी व्यापार के महत्व की हो सकती है, परन्तु अन्य किसी समय में उमका आयात-निर्यात न होने के कारण उसका महत्व नहीं रहता। इसके साथ साथ हमें ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर भी विचार करना होता है जिनमें वर्तमान समय में विदेशी व्यापार नहीं होता है, किन्तु जिनमें भविष्य में व्यापार की सम्भावनाएँ हैं। चूंकि सामान्य कीमत-स्तर से केवल औसत (average) स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, इसके आधार पर निर्धारित विनिमय-दर वास्तविक विनिमय-दर के अनुरूप नहीं होती है।

3 कीमत-स्तर की अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण धारणा—कीमत-स्तर में परिवर्तन निर्देशांक के द्वारा नापे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कीमत-निर्देशांकों में थोक कीमतों (wholesale prices) का निर्देशांक सबसे उत्तम समझा जाता है। परन्तु यदि इसके आधार पर दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति-समता नापी जाय तो हमें हम सेवाओं तथा अदृश्य व्यापार की अन्य मदों को छोड़ देते हैं। दूसरी ओर, यदि जीवन-स्तर निर्देशांक (cost of living index) को आधार माना जाय तो इसमें कई प्रकार के व्यय (जैसे मकान का किराया) सम्मिलित होंगे जिनका विदेशी व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार कीमत-स्तर एक ऐसी अस्पष्ट धारणा है जिसे न केवल नापना बहुत कठिन होता है बल्कि उसका विनिमय-दर के निर्धारण के लिए महत्व निश्चित करना और भी अधिक कठिन होता है।

(3) विनिमय-दर का कीमत-स्तर पर प्रभाव—गुस्टाव कंसल के अनुसार कीमत-स्तर में परिवर्तन विनिमय-दर को प्रभावित करते हैं, किन्तु विनिमय-दर में परिवर्तन का कीमत-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यावहारिक अनुभव से पता चलता है कि विनिमय-दरों में होने वाले परिवर्तन कीमत-स्तर को अवश्य प्रभावित करते हैं। जो देश विदेशी व्यापार पर अधिक आश्रित है, उनमें तो यह प्रभाव विशेष रूप से काफी अधिक होता है। मान लीजिए, किन्हीं कारणों से पौण्ड का विदेशी मूल्य गिर जाता है तो इंग्लैण्ड में आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री तथा अन्य वस्तुएँ महँगी हो जायेंगी। परिणामस्वरूप कीमत-स्तर ऊँचा हो जायेगा, अर्थात् पौण्ड की क्रय-शक्ति गिर जायेगी। इसका दूसरा प्रभाव यह होगा कि जिन देशों की मुद्राओं का मूल्य पौण्ड के रूप में अधिक हो गया है, वे इंग्लैण्ड से अधिक माल मँगवायेंगे। इंग्लैण्ड का माल विदेशों में सस्ता पड़ने के कारण इसका प्रभाव आयात करने वाले देश के कीमत-स्तर पर भी पड़ेगा। इस प्रकार विनिमय-दर में परिवर्तन हो जाने पर न केवल उम देश में कीमत-स्तर पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि अन्य देशों के कीमत-स्तर भी प्रभावित होते हैं।

वास्तव में, किसी वस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है या नहीं, इसके लिए विनिमय-दर पहले से मालूम होनी चाहिए। क्रय-शक्ति-समता-सिद्धान्त की यह मान्यता कि विनिमय-दर का निर्धारण कीमत-स्तर पर निर्भर करता है, एक प्रकार से धोड़े के आगे गाड़ी रख देना है।

(4) गलत मान्यताएँ—त्रय शक्ति समता का निर्धारण इस मान्यता पर आधारित है कि सम्बन्धित देशों में कीमतों में होने वाले परिवर्तन सभी वस्तुओं को समान अनुपात में प्रभावित करते हैं।¹ केन्ज के मतानुसार यह मान्यता गलत है। ऐसा सोचना केवल एक कल्पना मात्र है कि सभी वस्तुओं की कीमतों पर एक ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है।

त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की एक अन्य मान्यता यह है कि देश की वस्तुओं की विदेशों में माग इकाई अथवा सम (unity) के बराबर होती है, अर्थात् जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में माँग में भी परिवर्तन होता है। व्यवहार में प्रायः विदेशी वस्तुओं की माँग की लोच इकाई से कम या ज्यादा होती रहती है। इसका इकाई के बराबर रहना आवश्यक नहीं है।

यह सिद्धान्त इस बात को मानकर चलता है कि ससार के सब देशों में स्वतन्त्र व्यापार (free trade) होता है। यह मान्यता भी पूर्णतया गलत है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में आयात नियान तथा स्वतन्त्र लेन-देन पर प्रतिबन्ध है।

(5) दीर्घकालीन विवेचना—त्रय शक्ति समता-सिद्धान्त, वास्तव में, विदेशी विनिमय-दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति की आर सक्त करता है। अल्पकालीन दृष्टि से यह सिद्धान्त पूर्णतया अमन्तोपजनक है। व्यवहार में, अल्पकालीन तत्वों के प्रभावों के उपचार के लिए दीर्घकाल तक प्रतीक्षा कर पाना असम्भव होता है क्योंकि, जैसा कि केन्ज ने कहा है, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं और कोई आर्थिक समस्या रहती ही नहीं।

निष्कर्ष—उपयुक्त विविध आलोचनाओं से यह नहीं समझना चाहिए कि त्रय शक्ति-समता-सिद्धान्त का कोई महत्व है ही नहीं। टकसाली समता सिद्धान्त की तुलना में यह सिद्धान्त कहीं अधिक व्यावहारिक समानानुक्त तथा सरल है। इस सिद्धान्त की यह विशेषता है कि यह सब प्रकार की चलन पद्धति अथवा सब प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है। इस सिद्धान्त की आधारभूत मान्यता कि कीमत स्तर तथा विनिमय दर के बीच एक निश्चित सम्बन्ध होता है, मौद्रिक नीति के लिए व्यावहारिक महत्व की बात है और इससे राष्ट्रों को एक प्रकार की चेतावनी भी मिलती है। क्राउडर के शब्दों में इस बात का ज्ञान कि कीमतों और विनिमय दर में गहरा सम्बन्ध है, मुद्रा नीति की दृष्टि से बहुत कुछ व्यावहारिक महत्व का है, क्योंकि 'त्रय शक्ति समता-सिद्धान्त सचेत करता है कि अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति कीमतों और विनिमय दर के सम्बन्ध के कारण सम्भव नहीं हो सकती।'²

यह ठीक है कि त्रय शक्ति समताओं द्वारा साम्य दरों को निकालने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं परन्तु फिर भी असाधारण परिस्थितियों में इस सिद्धान्त के आधार पर विनिमय-दर में परिवर्तन को अनुमानजनक सीमाएँ तो निर्धारित की जा सकती हैं। हॉम के अनुसार, "त्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त का लाभ व पूर्ण उपयोग उस समय सम्भव हो सकता है जब हम पूर्णरूपेण अधकार में हो उदाहरणार्थ दीर्घकालीन विनिमय-नियन्त्रण अथवा भयकर मुद्रा प्रसार के काल के पश्चात्। ऐसी स्थिति में त्रय शक्ति समता यदि वास्तविक नहीं तो कम से कम अनुमानजनक सन्तुलित विनिमय दर की सीमाएँ निश्चित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।"³

इस प्रकार इस सिद्धान्त की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी समय में दो देशों के बीच व्यापार का रुझ (direction of trade) किस दिशा में होगा। इसकी सहा-

1 'Calculation of purchasing power parity rests strictly on the proviso that the rise in prices in the countries concerned has affected all commodities in a like degree —Gustav Cassel *Money and Foreign Exchange after 1914* p 139

2 'The recognition that there is a close connection between prices and exchange rates has a certain practical importance from the point of view of currency policy, for it warns countries that there are certain things they cannot do —Crowther *An Outline of Money*, p 232

3 'The purchasing power approach may be used with advantage when we are entirely in the dark as after long periods of exchange control or after violent fluctuations Then it is valuable to use it for finding atleast the approximate range within which the equilibrium rate should be located —George N Halm *Monetary Theory* p 228

यता मे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मुद्रा के आन्तरिक मूल्यों में परिवर्तन का विदेशी व्यापार की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।¹

विद्युत्ने कुछ वर्षों में भारत में कीमतें अन्य देशों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़नी रही है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये का वैधानिक बाह्य मूल्य स्थिर रहने पर भी इन्की बाजार में विनिमय-दर गिर गयी। जून 1966 में रुपये के अवमूल्यन (devaluation) का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सन्तुलित विनिमय-दर में क्रय-शक्ति के आम-प्राप्त निश्चिन्त होने की प्रवृत्ति पायी जाती है, भले ही यह अल्पकाल में इसमें भिन्न हो।

भुगतान-सन्तुलन-सिद्धान्त (Balance of Payments Theory)

जिम प्रकार टक समता सिद्धान्त मुद्रा के टकसाली मूल्य तथा क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त मुद्रा की आन्तरिक क्रय शक्ति पर आधारित हैं, विनिमय दर निर्धारण का भुगतान सन्तुलन-सिद्धान्त इन तथ्य पर आधारित है कि निर्यात ही आयातों का भुगतान करते हैं (Exports pay for the imports)। इससे अभिप्राय यह है कि सन्तुलित विनिमय-दर के निर्धारण के लिए किसी देश के कुल आयातों व कुल निर्यातों का मूल्य समान होना चाहिए ताकि प्रत्येक देश के भुगतान (payments) तथा आय (receipts) समान हो। इस सिद्धान्त को विदेशी विनिमय का सन्तुलन-सिद्धान्त (The Equilibrium Theory of Foreign Exchange) भी कहा जाता है। इस प्रकार, इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि विनिमय-दर का निर्धारण देश की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति से प्रभावित होता है।

सामान्य रूप में तो आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा किया जाता है, अर्थात् निर्यातों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का प्रयोग आयातों के भुगतान करने के लिए किया जाता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि किसी भी देश का व्यापार-सन्तुलन सदा सन्तुलित रहे। भुगतान सन्तुलन में व्यापार-सन्तुलन के अतिरिक्त लेन-देन की अन्य मदें भी सम्मिलित रहती हैं। अतः भुगतान-सन्तुलन अनुकूल भी हो सकता है तथा प्रतिकूल भी। इस सिद्धान्त के अनुसार भुगतान सन्तुलन की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता विनिमय-दर में परिवर्तनों को प्रभावित करती है।

भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में उस देश द्वारा विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। विदेशी मुद्रा, अधिक माँग होने के कारण, इस देश के लिए महँगी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, देश की मुद्रा का विदेशी मूल्य गिर जाता है। इसके विपरीत, अनुकूल भुगतान सन्तुलन के परिणामस्वरूप इस देश की मुद्रा की माँग विदेशों में बढ़ जाती है जिससे इस मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ जाता है तथा विनिमय-दर इस देश के अनुकूल हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की मुद्रा का विदेशी बाजारों में मूल्य विदेशी विनिमय-बाजार में किसी भी मुद्रा विशेष की माँग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। भुगतान-सन्तुलन-सिद्धान्त वास्तव में विदेशी विनिमय की सामान्य माँग और पूर्ति का सिद्धान्त है, क्योंकि माँग और पूर्ति के पारस्परिक व्यवहार द्वारा ही मुद्राओं की विनिमय-दर निर्धारित होती है।

आलोचना—विनिमय-दर निर्धारण का भुगतान-सन्तुलन-सिद्धान्त भी त्रुटियों से रहित नहीं है, इसलिए इसकी निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं

(1) गलत मान्यताएँ—इस सिद्धान्त द्वारा भुगतान-सन्तुलन को एक स्थिर अथवा निश्चित मात्रा (fixed quantity) मानना तथा विदेशों से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं का आयात पूर्णतया बेलोच (perfectly inelastic) स्वीकार करना सर्वथा गलत है। वास्तविकता यह है कि वस्तु, चाहे वह कितनी ही आवश्यक क्यों न हो, की माँग पूर्णतया बेलोच नहीं होती। उनकी माँग में कुछ न कुछ लोच का अंग अवश्य होता है।

(2) कीमतों का प्रभाव—देश में कीमत-स्तर आयात तथा निर्यात की मात्रा को प्रभावित

1 "At best the purchasing power par can be utilized by nations on the convertible paper standard as a "compass" with which to locate the approximate leanings of the equilibrium rate of exchange between any pair of countries"—Steiner, Shapiro, Solomon

करते हैं। कीमत-स्तर नीचा होने पर निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात कम होते हैं। विदेशी व्यापार की मात्रा में परिवर्तन अन्ततः भुगतान-सन्तुलन को प्रभावित करते हैं¹ जिसका विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विनिमय-दर-निर्धारण में कीमत-स्तर की पूर्ण उपेक्षा करना ठीक नहीं है।

(3) विनिमय-दर का भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव—यह सिद्धान्त भुगतान-सन्तुलन के आधार पर विनिमय-दर के निर्धारण की व्याख्या करता है। व्यवहार में, स्वयं भुगतान-सन्तुलन विदेशी विनिमय दर द्वारा प्रभावित हो सकता है। विनिमय-दर गिर जाने पर भुगतान-सन्तुलन अनुकूल होने लगता है तथा विनिमय-दर ऊँची होने पर निर्यात घट जाने के कारण भुगतान-सन्तुलन की स्थिति प्रतिकूल होने की सम्भावना रहती है।

(4) अन्य प्रभाव—विनिमय-दर का निर्धारण अकेले विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इन पर चलन सम्बन्धी दशाओं, राजनीतिक दशाओं, सट्टा-वाजार की स्थिति, वैको की क्रियाओं, विदेशी आर्थिक सहायता तथा विनियोग की मात्रा आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अतएव भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त का मौलिक आधार कि अन्य वस्तुओं के समान मुद्रा का विदेशी मूल्य भी उसकी माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, केवल आसिक् रूप से सत्य है।

उपर्युक्त त्रुटियों के रहते हुए भी विनिमय-दर-निर्धारण के लिए भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त सरल, स्पष्ट तथा तर्कसंगत है। भुगतान-सन्तुलन की स्थिति के आधार पर यह जानकारी सहज ही प्राप्त हो जाती है कि किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के क्षेत्र में स्थिति कैसी है। भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल होने की दशा में वह देश अनेक उपायों (जैसे, निर्यात-प्रोत्साहन एवं आयात-प्रतिबंध, मुद्रा-व्यवमूल्यन, मुद्रा-विस्फीति, विनिमय-नियन्त्रण आदि) द्वारा अपनी स्थिति को सुधार सकता है। अतः किसी देश के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति का ज्ञान काफी महत्वपूर्ण होता है।

साम्य विनिमय-दर

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक प्रायः सभी विचारकों का यह विश्वास था कि विदेशी विनिमय-दर स्थिर रहनी चाहिए। विनिमय-दरों के स्थायित्व के अनेक लाभ बताये जाते थे; जैसे, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, व्यापार की गति बढ़ने के कारण औद्योगिक उन्नति, कीमतों तथा मजदूरी-दरों में स्थायित्व, पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी-प्रवाह, विनिमय व्यवस्था में सुविधा आदि। परन्तु समस्या यह है कि विनिमय-दरों में स्थायित्व कैसे लाया जाय? प्रायः व्यापार-सन्तुलन विकसित देशों के पक्ष में रहता है तथा विकासशील देशों के विपक्ष में। यदि विकसित देश विकासशील देशों को नियमित रूप से ऋण दें तथा उन देशों में पूँजी का विनियोजन करें तो सम्भवतः कुछ समय तक विनिमय-दरों को स्थिर बनाये रखा जा सकता है। परन्तु विकास के प्रयासों के परिणामस्वरूप विकासशील देशों में मुद्रा की क्रय-शक्ति गिरना अवश्यम्भावी है, जिसका विनिमय-दर पर भी प्रभाव पड़ता है। विदेशी ऋणों की व्याज और भुगतान की क्रिस्तों का भार उन्हें विनिमय-दर गिराने को बाध्य कर देता है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से विनिमय-दरों को सदा एक विशेष बिन्दु पर स्थिर रखना सम्भव नहीं होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई ऐसी व्यवस्था अपना ली जाय जिसमें विनिमय दर को परिस्थितियों के अनुसार निरन्तर बदलते रहने की छूट दे दी जाय। निरन्तर परिवर्तनशील विनिमय दरें देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए सर्वथा घातक होती हैं।

भुगतान-सन्तुलन के साथ जुड़ा हुआ साम्य विनिमय-दर का विचार है। प्रो० गैगरन नर्वर्न के अनुसार साम्य विनिमय-दर "किसी एक निश्चित समय में वह दर है जो देशों के मुद्रा-कोषों

1 "The balance of payments is partially dependent on the exchanges"—G. V. Haberler, *The Theory of International Trade*, p. 35

में कमी किये बिना भुगतान-सन्तुलन बनाये रख सकती है।¹ इस प्रकार की विनिमय-दर के द्वारा जैसा कि नक्सं ने एक अन्य स्थान पर कहा है, बिना देश में अन्य देशों से अधिक बेकारी बढ़ाये भुगतान-सन्तुलन में साम्य बनाये रखा जा सकता है।² इस प्रकार, साम्य विनिमय-दर वह दर है जिसके बनाये रखने से देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर कोई बोझ नहीं पड़ता और देश के विदेशी विनिमय-बाजार में भुगतान-सन्तुलन की समता स्थापित हो जाती है। साधारण शब्दों में, जिस विनिमय-दर पर आयात तथा निर्यात के बीच सन्तुलन प्राप्त होता है, वह विनिमय की साम्य-दर होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए देश में उत्पत्ति के साधनों, वस्तुओं की कीमतों, राष्ट्रीय आय एवं माँग और अन्य देशों की कीमतों, आय तथा माँग के बीच सन्तुलित सम्बन्धों का होना आवश्यक है। एक्सवर्ग के अनुसार इस प्रकार का सन्तुलन स्थापित करना साम्य विनिमय-दर का प्रमुख लक्षण है।

प्रो० हॉम के विचारानुसार साम्य विनिमय-दर एक 'तटस्थ' (neutral) दर है, क्योंकि इससे किसी भी देश के लिए कृत्रिम रूप से निर्यात के लाभ अथवा हानियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं और न ही इस दर पर देश की मुद्रा अवमूल्यित अथवा अधिमूल्यित होती है।³ इस प्रकार की विनिमय-दर के लिए प्रो० हॉम ने तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है (1) यह दर आन्तरिक स्थायित्व की सामान्य स्थिति के अनुरूप होती है, (2) इस दर को बनाये रखने में विदेशी मुद्रा-कोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा (3) यह दर किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित लाभ अथवा हानि नहीं पहुँचा सकती। यदि किसी समय सरकार अपने विदेशी व्यापार तथा भुगतान-सन्तुलन के उतार-चढ़ाव से यह अनुभव करे कि वर्तमान विनिमय-दर उक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसमें उचित परिवर्तन कर देना चाहिए। इस प्रकार, साम्य-दर एक प्रकार की लोचपूर्ण विनिमय-दर है। प्रो० हॉम ने इसे 'प्रवन्धित लोच' (managed flexibility) कहा है।

सबसे कठिन समस्या यह है कि साम्य विनिमय-दर निर्धारित कैसे की जाय? एक तरीका यह हो सकता है कि सरकार कुछ समय तक विदेशी विनिमय-बाजार की क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करे ताकि कुछ परिवर्तनों के परिचाय अपने आप साम्य-दर निर्धारित हो जाय। परन्तु यह तरीका बहुत दोषपूर्ण है। विनिमय-दर में परिवर्तन सट्टेबाजी तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी-प्रवाह को प्रभावित करेगा और साम्य की स्थिति तक कभी नहीं पहुँचा जायेगा। वास्तव में यह सरकार का कर्तव्य है कि वह न केवल विनिमय-दर की व्यवस्था करे बल्कि उसमें हस्तक्षेप भी करे और अपने सामान्य व्यापारिक अनुभव के आधार पर एक ऐसी विनिमय-दर निश्चित करे जो न तो अधिक ऊँची हो और न ही नीची। साम्य विनिमय-दर एक दोषकालीन दर है। स्केगेल (Scammell) ने इसके निर्धारण के लिए दो या तीन वर्षों की अवधि का सुझाव दिया है,⁴ जबकि नक्सं (Nurkse) के विचारानुसार 5 और 10 वर्षों के बीच की अवधि अधिक उपयुक्त होगी।

अग्रिम विनिमय

विदेशी विनिमय-दर दो प्रकार की हो सकती है—वर्तमान अथवा हाज़िर दर (spot rate) तथा अग्रिम दर (forward rate)। अभी तक हमने हाज़िर दर से सम्बन्धित समस्याओं का ही अध्ययन किया है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय-दर में निरन्तर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जिससे विदेशी व्यापार में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। परिणामस्वरूप व्यापारियों को हानि होने का मदा भय बना रहता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय

- 1 "The rate which, over a certain period, maintains the balance of payments in equilibrium without any net change in the international currency reserve" —Ragner Nurkse *International Currency Experience*, p 124
- 2 "maintains the balance of payments' equilibrium without a degree of unemployment greater than in the outside world" —Ragner Nurkse *Essays in International Finance*, p 6
- 3 "This equilibrium rate could also be specified as the rate which is 'neutral' because it would not create artificial export advantages or disadvantages. At the equilibrium rate the currency in question would not be under or over-valued" —G N Halm *Monetary Theory*, p 219
- 4 W. M Scammell *International Monetary Policy*, 1957, p 50

व्यापार में रकावटें पड़ने लगती हैं। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा जोखिम से बचने के लिए व्यापारी अग्रिम विनिमय अथवा अग्रिम सौदे (forward contracts) कर लेते हैं, जिनके अन्तर्गत विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय का किसी भविष्य की तिथि के लिए सौदा वर्तमान में ही कर लिया जाता है।

जब कोई आयात अथवा निर्यातकर्ता भविष्य में विदेशों से माल खरीदने अथवा बेचने का सौदा करता है तो इसके साथ ही वह फेयरवन्दी सविदा (hedging contract) भी कर लेता है, जिसके अधीन वह वर्तमान विनिमय-दर पर किसी भावी तिथि में विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का सौदा कर लेता है। इससे वह स्वयं को भविष्य में होने वाले विनिमय-दर के परिवर्तनों से सुरक्षित कर लेता है। मान लीजिए, इंग्लैण्ड में एक अयातकर्ता को तीन माह के बाद अमरीकी निर्यातकर्ता को भुगतान करना है। सम्भव है कि इसी बीच पौण्ड और डालर के बीच विनिमय-दर में परिवर्तन हो जाय। यदि पौण्ड की विनिमय-दर गिर जाती है तो इंग्लैण्ड में अयातकर्ता को नुकसान होगा, क्योंकि उसे अधिक पौण्ड देने पड़ेगे। इसके विपरीत, विनिमय-दर बढ़ जाने पर निर्यातकर्ता को हानि होती है। इस अनिश्चितता से बचने के लिए आयातकर्ता सटोरियो (speculators) अथवा किसी विदेशी विनिमय बैंक से वर्तमान दर पर आयात के मूल्य के बराबर डालर खरीद लेता है जिसका भुगतान वह इसी दर पर तीन माह बाद करेगा। दूसरी ओर निर्यातकर्ता अपने माल की कीमत के डालर बेच देता है जिसका भुगतान वह तीन माह बाद लेगा। इस प्रकार आयातकर्ता को भुगतान के लिए विदेशी विनिमय पूर्व निश्चित दर पर प्राप्त हो जाता है और निर्यातकर्ता को भुगतान में प्राप्त विदेशी विनिमय पूर्व-निश्चित दर पर बिक जाता है।

अग्रिम विनिमय-दर तथा हार्जिर विनिमय-दर में प्रायः घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, क्योंकि अग्रिम दर हार्जिर दर पर ही आधारित होती है। अग्रिम दर का निर्धारण करते समय बैंक भविष्य में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए विदेशों की बैंक-दर, ब्याज की अल्पकालीन दर, मुद्रा-नीति, व्यापारिक प्रतिबन्ध, नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ आदि ध्यान में रखते हुए अग्रिम दर वर्तमान दर से कुछ ऊँची या कुछ नीची हो सकती है। डालर की अग्रिम दर वर्तमान दर की तुलना में ऊँची होने पर पौण्ड के लिए डालर तेजी पर (at premium) होता है, और डालर की अग्रिम दर नीची होने पर डालर कटौती पर (at discount) होता है।

अग्रिम सौदों के द्वारा व्यापारी तो जोखिम तथा अनिश्चितता से बच जाते हैं, परन्तु ऐसा सन्देह होने लगता है कि बैंकों को बहुत बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है। वास्तविक स्थिति यह है कि बैंकों को इन सौदों से काफ़ी लाभ होता है। वे विदेशी विनिमय के अग्रिम सौदों के लिए क्रेताओं तथा विक्रेताओं से शुल्क (commission) प्राप्त कर लेते हैं और अग्रिम विनय को अग्रिम श्रेय से सन्तुलित करके अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं। भविष्य के लिए क्रय-विक्रय दोनों ही करने से एक सौदे की हानि को दूसरे के लाभ से पूरा कर लिया जाता है। बैंकों द्वारा सौदों के पलटने के परिणामस्वरूप जो अग्रिम श्रेय विक्रय में मिलाप कर लिया जाता है उसे 'marrying a transaction' कहते हैं। इस कार्य में बैंकों को सटोरियो से बहुत सहायता मिलती है। कुछ अग्रिम सौदों का मिलाप न होने की दशा में बैंक वह निश्चित राशि या तो सम्बन्धित देश के किसी बैंक में जमा कर देते हैं अथवा वहाँ की सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर देते हैं। बैंक अग्रिम दर निर्धारित करते समय विदेशों ब्याज की दर को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए बैंकों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है कि उन्हें विदेशों में जमा अथवा विनियोजित राशियों पर ब्याज की कोई हानि न होने पाये। प्रायः दो देशों की ब्याज-दरों में जितना अधिक अन्तर होगा उन्हीं अग्रिम दरों पर अधिक तेजी या बढ़ा होगा।

वैसे तो प्रथम महायुद्ध से बहुत पहले जर्मनी तथा इटली में अग्रिम विनिमय-बाजार का विकास हो चुका था, परन्तु अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में अग्रिम बाजारों का विकास बाद में ही हुआ। इस प्रकार के बाजारों के लिए एक विकसित बैंकिंग व्यवस्था के अतिरिक्त विश्वास की भावना की

होना आवश्यक होता है। 1931 में स्वर्णमान के पतन से विश्वास को आपात पहुँचा जिसे अग्रिम बाजार ठप पड़ गये। वर्तमान अग्रिम विनिमय-बाजारों का विकास वर्तमान विदेशी विनिमय-बाजारों के साथ-साथ हुआ है, परन्तु कुछ देशों में इनका इस आधार पर विरोध किया जाता है कि यह एक प्रकार की सट्टेबाजी ही है।

वास्तविकता यह है कि स्वतन्त्र विदेशी विनिमय-बाजार में अग्रिम विनिमय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके द्वारा भावी विनिमय-दरों में सम्बन्धित अनिश्चितता नहीं रहती। साथ ही विनिमय-दरों में होने वाले परिवर्तन अधिक नियन्त्रित हो जाते हैं, क्योंकि अग्रिम दर ऊँची होते ही इसके ऊपर जाने की सम्भावना से अग्रिम सौदों की संख्या बढ जाती है, जिसके फलस्वरूप हाजिर दर भी ऊँची हो जाती है तथा अग्रिम दर और हाजिर दर में अधिक अन्तर नहीं रहता। अनिश्चितता के अभाव में विदेशी पूंजी आकर्षित होती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी-प्रवाह को गति मिलती है।

अन्तरपणन क्रियाएँ

विभिन्न मुद्रा-बाजारों में किसी मुद्रा की विनिमय-दरों में अन्तर होने पर लाभार्जन की दृष्टि से सस्ते बाजार में मुद्रा खरीद कर उसे महँगे बाजार में बेचना अन्तरपणन की क्रियाएँ (arbitrage operations) कहलाती हैं। दो देशों के बीच इस क्रिया (two point arbitrage) को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। न्यूयार्क तथा लन्दन के मुद्रा-बाजारों में मान लीजिए, विनिमय-दर क्रमशः 1 पौण्ड = 3 डालर तथा 1 पौण्ड = 3.05 डालर है। अमरीकी व्यापारी अथवा बैंको के प्रतिनिधि पौण्ड को 3 डालर की दर पर न्यूयार्क विनिमय-बाजार से खरीद कर 3.05 डालर की दर से लन्दन के बाजार में बेच देगे, इससे उन्हें प्रति पौण्ड 5 सेंट का लाभ हो जायेगा। इस प्रकार की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों बाजारों में विनिमय-दर समान नहीं हो जाती है। कभी-कभी तो अन्तरपणन की क्रियाएँ अनेक मुद्राओं के लिए एक साथ की जाती हैं। जिस किसी मुद्रा के लेन-देन में लाभ दिखाई पड़ता है और अन्तरपणन का कार्य आरम्भ हो जाता है, जैसे डालर का पौण्ड, पौण्ड का फ्रैंक, फ्रैंक का मार्क, मार्क का रुपये में लाभार्जन के लिए परिवर्तन किया जा सकता है।

मुद्राओं का इस प्रकार का क्रय-विक्रय करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि कार्य में विलम्ब न होने पाये क्योंकि कुछ समय बीतने पर विनिमय-दर में और परिवर्तन हो सकता है। अतः यह सारे सौदे तार (cablegram or telegraphic transfer) द्वारा किये जाते हैं। विनिमय दरों में अन्तर अल्पकालीन रहने के कारण बहुत सतर्क रहने पर ही लाभ कमाया जा सकता है।

इन क्रियाओं का लाभ यह होता है कि विभिन्न विनिमय-बाजारों में विनिमय-दरों अधिक समय तक असमान नहीं रह सकतीं, क्योंकि जहाँ कहीं भी अन्तर होता है, इन क्रियाओं द्वारा उस मुद्रा की माँग तथा पूर्ति को प्रभावित करके उसकी विनिमय-दर में समानता लायी जाती है। स्मरण रहे कि इन क्रियाओं का क्षेत्र केवल स्वतन्त्र विनिमय-बाजारों तक ही सीमित रह सकता है। वर्तमान विनिमय नियन्त्रण के युग में इनका कोई महत्व नहीं है।

विनिमय-दर को प्रभावित करने वाले कारण

एक स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में विदेशी विनिमय-दर प्रायः विनिमय की साम्य दर (equilibrium rate of exchange) से भिन्न होती है। विनिमय-दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति स्थिरता की होने पर भी अल्पकाल में उच्चावचन होते ही रहते हैं जिनका आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था, वयोप रूप से उत्पादन, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विनिमय दर में होने वाले उच्चावचन के अनेक कारण हो सकते हैं जो अलग-अलग अथवा एक साथ मिलकर विनिमय-दर को प्रभावित करते हैं। इन समस्त कारणों को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(1) विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति की स्थिति, (2) चलन सम्बन्धी दशाएँ, तथा (3) राजनीतिक स्थिति।

(1) विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति की स्थिति (Demand and Supply Conditions of Foreign Exchanges)—विदेशी मुद्राओं की माँग तथा पूर्ति में परिवर्तन विनिमय-दर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पूर्ति की तुलना में विदेशी विनिमय की माँग अधिक होने पर विनिमय-दर में वृद्धि की सम्भावना होती है। इसी प्रकार विदेशी विनिमय की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक होने पर विनिमय-दर में कमी हो सकती है। माँग और पूर्ति के विनिमय-दर निर्धारण पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तारपूर्वक उल्लेख पीछे किया गया है। अल्पकाल में विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है -

1. विदेशी व्यापार की स्थिति (Trade Conditions)—यदि किसी देश के निर्यात अधिक और आयात कम होते हैं तो विदेशों में उस देश की मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से अधिक होती है और स्वदेश में विदेशी मुद्रा की माँग कम तथा पूर्ति अधिक होती है जिसके परिणामस्वरूप इस देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत, देश के आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक होने पर विदेशी विनिमय की माँग पूर्ति से अधिक होती है तथा विदेशी मुद्राओं का मूल्य देश की मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है। इस प्रकार व्यापार-सन्तुलन की स्थिति विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति को प्रभावित करके विनिमय-दर को भी प्रभावित करती है।
2. स्टॉक बाजार अथवा स्टॉक एक्सचेंज का प्रभाव (Stock Exchange Influences)—भविष्य में विनिमय-दर में परिवर्तनों की आशा से जब किसी देश के लोग अन्य देशों में स्टॉक, शेयर अथवा प्रतिभूतियाँ खरीदने लगते हैं तो उनके भुगतान के लिए विनिमय की माँग बढ़ जाती है तथा विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब विदेशी किसी देश में स्टॉक, शेयर तथा प्रतिभूतियाँ खरीदने लगते हैं तो देश की मुद्रा का मूल्य ऊँचा उठ जाता है। इसी प्रकार ऋणों, ब्याज तथा सामान्य के लेन-देन और सट्टे के रूप में होने वाले लेन-देन का भी विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है और विनिमय-दर में परिवर्तन हो जाता है।
3. बैंकिंग प्रभाव (Banking Influences)—विनिमय-दर में परिवर्तन देश की बैंकिंग नीति के भी परिणाम हो सकते हैं। ऊँची बैंक-दर विदेशी पूँजी को आकर्षित करती है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्राओं की पूर्ति माँग से अधिक हो जाती है तथा उनका देश की मुद्रा में मूल्य गिर जाता है। अन्य देशों की अपेक्षा किसी देश में बैंक-दर नीची है तो इस देश की पूँजी अन्य देशों को जाने सकेगी। विदेशी मुद्रा की माँग अधिक होने पर विनिमय-दर गिर जायेगी।
4. मध्यस्थों की क्रियाएँ अथवा अन्तरापणन क्रियाएँ (Arbitrage operations)—जैसा कि पहले बताया गया है, अन्तरापणन क्रियाओं के अन्तर्गत मध्यस्थों द्वारा सस्ते बाजारों में विदेशी मुद्राएँ खरीद कर महँगे बाजार में बेची जाती हैं। सस्ते विनिमय-बाजार में विदेशी विनिमय की माँग अधिक होती है तथा महँगे बाजार में पूर्ति अधिक। यह क्रियाएँ विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति को प्रभावित करके विनिमय-दर पर प्रभाव डालती हैं।
5. विदेशी विनियोग, ऋण तथा अन्य भुगतान (Foreign Investments, Loans and other Payments)—जब किसी देश द्वारा अन्य देश में पूँजी-विनियोजन किया जाता है अथवा ऋण दिये जाते हैं अथवा अन्य किसी प्रकार के भुगतान किये जाते हैं, तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने के कारण देशी मुद्रा की विनिमय-दर में वृद्धि की सम्भावना उत्पन्न होती है। स्थिति इसके विपरीत होने पर विनिमय-दर में कमी हो सकती है।

उपर्युक्त कारणों के अनिश्चित कुछ अन्य कारण भी विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति (अतएव विनिमय-दर) को प्रभावित करते हैं, जैसे वास्तविक राष्ट्रीय आय, देश की उत्पादन-शक्ति एवं लागत मूल्य, इत्यादि।

(2) चलन सम्बन्धी दशाएँ (Currency Conditions)—देश की चलनस्थिति का विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। मुद्रा स्थिति की स्थिति उत्पन्न होने पर मुद्रा की आन्तरिक क्रय-शक्ति गिर जाती है, अर्थात् कीमत स्तर ऊँचा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप देश के निर्यात कम हो जाते हैं तथा आयात में वृद्धि होती है। विदेशी मुद्राओं की माँग अधिक हो जाने पर उनका मूल्य भी बढ़ जाता है तथा स्वदेशी मुद्रा की विनिमय-दर गिर जाती है। मुद्रा सकुचन का इसके विपरीत प्रभाव होगा तथा विनिमय-दर बढ़ने लगेगी। कभी-कभी कोई देश स्वयं ही वैधानिक रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन (devaluation) कर देता है जिसमें विनिमय-दर कम हो जाती है।

(3) राजनीतिक स्थिति (Political Conditions)—यदि देश में स्थायी सरकार है, शान्ति और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है, सरकारी नीति निष्पक्ष है, औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हैं, तो ऐसे देश में अधिक विदेशी पूँजी का आगमन होगा तथा इससे विदेशी व्यापार का भी विस्तार होगा। ऐसी दशा में विनिमय-दर इस देश के पक्ष में होगी। जिन देशों में निरन्तर गृह-कलह, युद्ध अथवा राजनीतिक अस्थिरता एव अशान्ति रहती है उनकी मास पर अन्य देशों को विश्वास नहीं रहता, उन्हें विदेशी पूँजी अथवा ऋण प्राप्त नहीं होते जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अस्थिर और सकट-मय हो जाती है और उनकी मुद्राओं की विनिमय-दर गिरने लगती है।

उपर्युक्त प्रभावों के अन्तर्गत अल्पकाल में विदेशी विनिमय-दर में निरन्तर उच्चावचन होते रहते हैं। गिरती हुई विनिमय-दर देश के लिए प्रतिकूल होती है, और बढ़ती हुई विनिमय-दर देश के लिए अनुकूल होती है। विनिमय-दर अनुकूल होने की दशा में विदेशों से आयात करना सस्ता होता है। परिणामस्वरूप आयात बढ़ जाते हैं, और वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं। परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती। आयात सस्ते होने पर देश में उत्पादन करना महँगा पड़ता है। अतः उद्योग बन्द होने लगते हैं, बेकारी फैलती है और निर्यात गिर जाते हैं। इन परिस्थितियों में व्यापार-सन्तुलन देश के विपक्ष में हो जाता है, और विनिमय-दर में गिरावट आरम्भ हो जाती है। प्रतिकूल विनिमय-दर की दशा में देश के निर्यातों में वृद्धि होती है, व्यापार-सन्तुलन अनुकूल होने लगता है, तथा विनिमय-दर घटने लगती है। इस प्रकार, दीर्घकाल में विनिमय-दर की प्रवृत्ति विनिमय की साम्य दर के आस-पास रहने की होती है, परन्तु अल्पकाल में अस्थिरता बनी रहती है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 विदेशी विनिमय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विदेशी विनिमय की समस्या से क्या तात्पर्य है ?
[संकेत विदेशी विनिमय के सङ्घटित तथा विस्तृत अर्थ की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि एक देश की मुद्रा अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने की समस्या ही विदेशी विनिमय की समस्या है, और इस प्रकार यह कहाँ उचितता से सम्बन्धित है।]
- 2 विदेशी विनिमय-दर किसे कहते हैं ? विनिमय-दर में परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए।
[संकेत विनिमय-दर की परिभाषा कीजिए, तथा विनिमय-दर में परिवर्तन के विभिन्न कारण—विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति की स्थिति, चलन सम्बन्धी दशाएँ, राजनीतिक स्थिति—स्पष्ट कीजिए।]
- 3 वर्तमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? इस प्रकार की व्यवस्था में क्या विनिमय-दरों के उच्चावचन को कोई सीमाएँ हैं ?

अथवा

विनिमय की टक्काली-समता दर से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? स्वयं विन्डुओं का इसके अन्तर्गत क्या स्थान है?

[संकेत प्रथम भाग में टक्काली-समता-दर का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि विनिमय-दर में परिवर्तन उच्चतम स्वर्ण-विन्डु तथा निम्नतम स्वर्ण-विन्डु के बीच ही सीमित रहते हैं।]

- 4 ऋण शक्ति-समता सिद्धान्त का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

अथवा

ऋण-शक्ति-समता-सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए और उससे कमियाँ बताइए।

[संकेत केंद्रन द्वारा प्रतिपादित ऋण-शक्ति-समता-सिद्धान्त की अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वाले दो देशों के बीच ऋण-शक्ति-समता की काल्पनिक उदाहरण के आधार पर विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा दूसरे भाग में इस सिद्धान्त की आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए।]

- 5 विदेशी विनिमय के भुगतान-सन्तुलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा साम्य विनिमय-दर का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
 [सकेत भुगतान सन्तुलन का अर्थ बताइए तथा समझाइए कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति किस प्रकार विनिमय दर में परिवर्तनों को प्रभावित करती है । भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त की आलोचनाओं का भी संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए । दूसरे भाग में साम्य विनिमय-दर का अर्थ विस्तारपूर्वक समझाइए और स्पष्ट कीजिए कि यह स्थिर विनिमय दर तथा परिवर्तनीय विनिमय दर से श्रेष्ठ है ।]
- 6 विनिमय दरों में परिवर्तन की सीमाओं का उल्लेख कीजिए । ये सीमाएँ कसे निर्धारित होती हैं ?
 [सकेत स्वयंमान के अन्तर्गत स्वर्ण बिन्दुओं द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लेख कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए की टर्क-ममता में स्वर्ण परिवहन-व्यय का जोड़ व घटाकर स्वर्ण बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं । अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रायाण के अन्तर्गत विनिमय दर में उच्चावचन की कोई निश्चित सीमाएँ नहीं होती हैं और न ही सामान्य विनिमय दर एक स्थिर समता होती है । विनिमय-दर में परिवर्तन विदेशी मद्रा की मांग तथा पूर्ति चलन की स्थिति तथा राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं ।]
- 7 अग्रिम विनिमय से क्या तात्पर्य है ? अग्रिम विनिमय के सौदों का क्या प्रभाव होता है ?
 [सकेत अग्रिम विनिमय के अर्थ उद्देश्य तथा महत्व की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए ।]
- 8 टिप्पणियाँ लिखिए—अन्तरपणन कियाएँ साम्य विनिमय दर अग्रिम दर स्वर्ण बिन्दु भुगतान सन्तुलन विदेशी भुगतान की रीतिमाः अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय-दर ।
 [सकेत प्रत्येक का अर्थ और उनसे सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या कीजिए ।]

“नियोजन तथा निजी व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप के वर्तमान युग में विदेशी विनिमय-बाजार पर कोई नियन्त्रण न होना एक विचित्र बात होगी।”¹

—काउथर

एक स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में जहाँ विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है, विनिमय-दर में निरन्तर उच्चावचन होते रहते हैं। प्रवृत्तिगत पत्र मुद्रामान के अन्तर्गत तो विनिमय-दर में परिवर्तनों की कोई सीमाएँ ही नहीं होती हैं। एक स्वतन्त्र हुई विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता और जोखिम को बढ़ा देती हैं, जिससे व्यापार तथा माख बोना ही हतोत्साहित होते हैं। आज की आयोजित अर्थ-व्यवस्था के युग में प्रत्येक सरकार का यह उद्देश्य होता है कि विनिमय-बाजार में हस्तक्षेप द्वारा विनिमय-दरों में अनियन्त्रित रूप से परिवर्तन न होने दिये जायें। स्वतन्त्र विनिमय-बाजार का अब केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया है, क्योंकि वर्तमान सरकारें विनिमय-नियन्त्रण के प्रयोग द्वारा विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न करती हैं।

विनिमय-नियन्त्रण का अर्थ

विनिमय-नियन्त्रण का अभिप्राय सरकार द्वारा अपनाये गये ऐसे तरीको से है जिनका उद्देश्य विदेशी विनिमय-बाजार को नियन्त्रित करके विनिमय-दर को प्रभावित करना होता है। मुद्राशास्त्रियों ने ‘विनिमय नियन्त्रण’ शब्द का प्रयोग विस्तृत तथा सङ्कुचित दोनों ही अर्थों में किया है। विस्तृत अर्थ में विदेशी विनिमय बाजार में किये गये प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप को विनिमय नियन्त्रण कहा जा सकता है। प्रो० हैबरलर के शब्दों में, “विनिमय-नियन्त्रण उस सरकारी हस्तक्षेप को कहने हैं जो विदेशी विनिमय-बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने देता।”² पॉल एन्ज़िग (Paul Einzig) के अनुसार, “विनिमय नियन्त्रण का अभिप्राय मौद्रिक अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय-दरों या उनसे सम्बन्धित बाजारों को प्रभावित करने के लिए किये जाते हैं।”³ हीलपेरिन (Heilpenn) के अनुसार, “विनिमय-नियन्त्रण वह व्यवस्था है जिसमें विनिमय सम्बन्धी प्रत्येक व्यवसाय पर सरकार का अधिकार होता है।”⁴

वर्तमान समय में विनिमय-नियन्त्रण शब्द का प्रयोग अधिकतर सङ्कुचित अर्थ में ही किया जाता है। इस अर्थ में विनिमय नियन्त्रण का आशय केवल उन हस्तक्षेपों तथा

- 1 “In this age of planning and governmental interference with private business, it would be strange if the foreign exchange markets were not subject to some degree of control — Crowther *An Outline of Money*
- 2 “Exchange Control is the state regulation excluding the free play of economic forces from the foreign exchange market” —Haberler *Theory of International Trade*, p 83
- 3 Paul Einzig *Exchange Control*, p 10
- 4 Heilpenn: *International Monetary Economics*

प्रतिबन्धों से होना है जो विनिमय-व्यवहारों (transactions) के सम्बन्ध में किये जाते हैं। इस प्रकार विनिमय-नियन्त्रण तथा विनिमय-प्रतिबन्ध (exchange restriction) में अधिक अन्तर नहीं किया जाता है। विदेशी विनिमय का रूप कुछ भी हो, विनिमय-नियन्त्रण से तात्पर्य यह है कि समस्त विदेशी मुद्रा सरकार के हाथ में होनी है तथा विदेशी विनिमय का कार्य सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा अधिकृत बैंक अथवा व्यक्ति ही कर सकते हैं। निश्चित दर पर उतने ही भुगतानों की अनुमति दी जाती है जो निर्धारित नीति अथवा नियमों के अनुकूल होते हैं। प्रो० कोल (Cole) के अनुसार, "विनिमय-नियन्त्रण का सार यह है कि नियन्त्रित मुद्रा के स्वामी को यह अधिकार नहीं होता कि वह बिना विशेष आज्ञा के इसे विदेशी मुद्रा में बदल सके।"¹

विनिमय नियन्त्रण, स्पष्ट रूप में, आर्थिक नियोजन का ही एक अंग होता है। एल्सवर्थ (Elsworth) के अनुसार, 'विनिमय नियन्त्रण भुगतान-सन्तुलन की कठिनाइयों का समाधान करने का ऐसा साधन है जो बाजार की शक्तियों की उपेक्षा कर उन्हें सरकारी कर्मचारियों के निर्णयों द्वारा प्रतिस्थापित करता है। आयात तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-समानताओं के स्थान पर राष्ट्रीय आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित होते हैं।'²

विनिमय-नियन्त्रण की प्रमुख विशेषताएँ

- (1) विदेशी विनिमय-बाजार पर सरकार का पूर्ण अधिकार होता है।
- (2) विदेशी विनिमय का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त बैंक या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही कर सकते हैं।
- (3) विदेशों में माल भेजने के पूर्व निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- (4) निर्यात अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय की सम्पूर्ण राशि सरकार अथवा नियन्त्रण अधिकारी के हाथ में रहती है।
- (5) देश के आयातों पर नियन्त्रण रखा जाता है तथा विदेशी विनिमय का वितरण आयात के महत्व के आधार पर किया जाता है।
- (6) पूंजी के निर्यात पर प्रतिबन्ध रहता है।
- (7) विदेशी विनिमय-दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

स्मरण रह कि उक्त विशेषताएँ पूर्ण विनिमय नियन्त्रण की हैं जिनको भुगतान-सन्तुलन स्थिति के असाधारण रूप में प्रतिकूल होने पर लागू किया जाता है। साधारण परिस्थितियों में आंशिक नियन्त्रण ही पर्याप्त होता है, जिसके अन्दर्गत उक्त प्रतिबन्ध केवल कुछ मुद्राओं के ही सम्बन्ध में लागू होते हैं, कुछ आयात कम करने के प्रयत्न किये जाते हैं, तथा विदेशी विनिमय पर साधारण निरीक्षण रखा जाता है।

विनिमय-नियन्त्रण का विकास

पॉल एन्ज़िग (Paul Einzig) के अनुसार विनिमय-नियन्त्रण विभिन्न देशों में सोशलिस्ट एवं फासिस्ट (Fascists) सरकारों के मस्तिष्क की उपज थी ताकि वे राजनीतिक व आर्थिक हितों की दृष्टि से पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर सकें। प्रथम महायुद्ध काल में मसारा के सभी देशों में, विशेष रूप से जर्मनी तथा इटली में, आर्थिक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। परिस्थितियों के अनुसार विदेशी विनिमय पर भी सरकारी नियन्त्रण बढ़ता गया। 1926 के पश्चात् यह नियन्त्रण कुछ ढीले किये गये, परन्तु 1931 में स्वर्णमान के पतन ने देशों को विनिमय नियन्त्रण की नीति का पुनः प्रयोग करने के लिए उत्साह प्रदान किया। महान् मन्दी

1 "The essence of exchange control is that the possessor of the controlled currency has no right, without special leave, to convert it into foreign currency" — G D H Cole *Money Its Present and Future*, p 293

2 "Exchange Control, the means of dealing with balance of payment difficulties disregards market force and substitutes for them the arbitrary decisions of Government officials. Imports and other international payments are no longer determined by international price comparisons, but by considerations of national need — P T Elsworth. *The International Economy*, p 332

के काल में अनेक देशों में केन्द्रीय बैंकों को विनिमय-नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार दिये गये। कुछ अन्य देशों ने विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund) स्थापित किये। वास्तव में, अब आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था और सभी देश विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों से बचने के लिए कर रहे थे। 1934 में जर्मनी में विनिमय-नियन्त्रण पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ताकि जर्मनी युद्ध की तैयारी करने के योग्य बन सके। द्वितीय महायुद्ध काल में विनिमय-नियन्त्रण का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। युद्ध की समाप्ति पर अनेक देशों के भुगतान-सन्तुलन इतने अधिक प्रतिकूल हो चुके थे कि उनके लिए विनिमय-नियन्त्रण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन ही नहीं था। भुगतान-असन्तुलन दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सहयोग के बावजूद भी विनिमय-नियन्त्रण को हटाना अधिकतर देशों के लिए सम्भव नहीं है। आधुनिक अर्थ व्यवस्था में विनिमय-नियन्त्रण सरकारी हस्तक्षेप की नीति का अनिवार्य अंग है।

विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य

विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जिनमें से प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) व्यापार-सन्तुलन की स्थिति में सुधार करना—देश का भुगतान-सन्तुलन विपरीत होना देश के हित में नहीं होता। ऐसी स्थिति में विनिमय-नियन्त्रण का उद्देश्य आयात का सकुचन तथा निर्यात में वृद्धि करना होता है, ताकि व्यापार-सन्तुलन के द्वारा भुगतान-सन्तुलन की स्थिति को सुधारा जा सके।

(2) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों से बचाना—रैगनर नर्कस (Ragnar Nurkse) के अनुसार, "विनिमय-नियन्त्रण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई भी देश, स्वतन्त्र रूप से, मन्दी की सृष्टि को रोकता है अथवा आर्थिक व्यवस्था को मन्दी के प्रभाव से मुक्त करता है। विनिमय-नियन्त्रण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच एक प्रकार की आय की सृष्टिकर स्वतन्त्र मौद्रिक एवं आर्थिक नीति के अनुसरण में सहायक होता है।"¹

(3) नियोजित अर्थ-नीति को सफल बनाना—आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए देश के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को नियन्त्रित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय तथा विनिमय-दर को बाजार की शक्तियों के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता। नियोजित अर्थ-नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से विनिमय-नियन्त्रण आवश्यक होता है।

(4) पूँजी के निर्यात पर रोक—तीसरे की महान् मन्दी तथा द्वितीय महायुद्ध काल के बीच पूँजी के बहिर्प्रवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से जर्मनी, डेनमार्क, अर्जेंटीना आदि देशों ने विनिमय-नियन्त्रण को अपनाया था। यदि पूँजी के असाधारण निर्यात को न रोका जाय तो इससे देश के विदेशी मुद्रा-कोष में कमी होने लगती है और विनिमय-दर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मन्दी के समय पूँजी के बाहर जाने के और भी अधिक दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि इसके कारण आय तथा रोजगार में कमी आती है तथा कीमतें और अधिक गिर जाती हैं। अतः विनिमय-नियन्त्रण के प्रयोग का उद्देश्य पूँजी के निर्यात को रोकना भी हो सकता है।

(5) उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना—देशी उद्योगों को विदेशी प्रतिযোগिता से बचाने के लिए विनिमय-नियन्त्रण द्वारा कुछ वस्तुओं के आयातों को रोकना अथवा कम किया जा सकता है। विवादास्पद देशों में औद्योगिक विकास के लिए तुलनात्मक रूप से कम सुविधाएँ होने के कारण उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक होता है। संरक्षण की नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के उद्देश्य से विनिमय-नियन्त्रण की नीति अपनायी जाती है।

(6) व्यापारिक भेद-भाव की नीति को सफल बनाना—विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक

1 "We may consider exchange control as a means of enabling an individual country to pursue an independent policy of preventing depression or providing recovery from depression. Exchange Control places a barrier between world and domestic prices so that monetary and general economic policies could be chosen and executed without regard to their effects on the balance of payments."—Ragnar Nurkse *International Currency Experiences*

सम्बन्धो को अनुकूल बनाये रखने के उद्देश्य से कोई देश व्यापारिक भेद-भाव की नीति अपना सकता है, जिसके अन्तर्गत कुछ देशों के आयात-निर्यात पर विशेष प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं और अन्य देशों को कुछ रियायतें दी जाती हैं। इस प्रकार की नीति का अनुमरण करने के उद्देश्य से विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग किया जाता है।

(7) विदेशी विनिमय की पर्याप्त व्यवस्था करना—स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्राओं की वृत्त करके उन्हें आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग में लाने के उद्देश्य से भी विनिमय-नियन्त्रण किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के आयात पर होने वाले विदेशी मुद्राओं के व्यय पर प्रतिबन्ध लगे दिये जाते हैं।

(8) अन्य महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं से विनिमय-दर स्थायी रखना—प्रायः ऐसा भी हुआ है कि विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया है कि अन्य महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं के साथ अपनी मुद्रा के सम्बन्ध को स्थिर रखा जा सके। उदाहरण के लिए, 1931 में ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान का परित्याग कर देने पर स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों ने इंग्लैण्ड के साथ अपनी विनिमय-दर स्थायी रखने के उद्देश्य से विनिमय-नियन्त्रण की कार्यवाही की थी। इसी प्रकार, 1949 में इंग्लैण्ड द्वारा पौण्ड का अवमूल्यन कर देने पर अन्य कुछ देशों ने भी, जिनमें भारत भी था, अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया था।

(9) युद्धकालीन उद्देश्य—युद्धकाल में विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे शत्रु द्वारा क्रय-शक्ति के प्रयोग की रोकथाम, विदेशी विनिमय के सौधनों की सुरक्षा, सरकार की आय में वृद्धि इत्यादि। विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग 'जवाबी कार्यवाही' (retaliatory action) के लिए भी किया जाता है, अर्थात् जब कोई देश ऐसे प्रतिबन्ध लगाता है कि किसी देश का माल वहाँ न आने पाये तो दूसरे देश को भी ऐसी ही कार्यवाही करने के लिए विनिमय-नियन्त्रण का प्रयोग करना पड़ता है।

विनिमय-दर प्रभावित करने के उद्देश्य

विनिमय नियन्त्रण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, परन्तु प्रत्येक स्थिति में सरकार का उद्देश्य विनिमय नियन्त्रण द्वारा एक ऐसी विनिमय-दर निश्चित करना होता है जो स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में स्वाभाविक रूप से निर्धारित होने वाली विनिमय-दर से भिन्न होती है। फ्राउडर के शब्दों में, "विनिमय-बाजार के नियन्त्रण का सबसे महत्वपूर्ण कारण नियन्त्रण के अभाव में निर्धारित होने वाली विनिमय-दर से भिन्न विनिमय-दर रखना है। यदि सरकार विदेशी विनिमय-बाजार में माँग तथा पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होने वाली विनिमय-दर से सन्तुष्ट है तो विनिमय-नियन्त्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।"¹

विनिमय-दर को स्वतन्त्र बाजार की स्वाभाविक दर से भिन्न बनाने में सरकार के तीन सम्भावित उद्देश्य हो सकते हैं (1) विनिमय-दर को सामान्य दर से ऊँचा रखना, अर्थात् अधिमूल्यन (over-valuation), (2) विनिमय-दर को सामान्य दर से नीचा रखना, अर्थात् अवमूल्यन अथवा अधोमूल्यन (under-valuation), तथा (3) विनिमय-दर को सामान्य दर पर स्थायी रखना (exchange stabilization)।

अधिमूल्यन (Over-valuation)—स्वतन्त्र बाजार में निर्धारित होने वाली साम्य विनिमय-दर (equilibrium rate of exchange) विनिमय-नियन्त्रण का सहारा लेती है। मान लीजिए, अमेरिका तथा भारत के बीच विनिमय-दर 1 डालर = 7 50 रुपये से बढ़कर 1 डालर = 9 रुपये हो जाती है तो हम यह कहेंगे कि डालर का अधिमूल्यन हुआ है, क्योंकि पहले की अपेक्षा डालर की क्रय-शक्ति अब बढ गयी है। मुद्रा के अधिमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि

1 "The most important reason for controlling the exchange market is to make the rate of exchange different from what it would be without control. If the Government is satisfied with the rate of exchange determined by free interplay of demand and supply, there is no need for management." —Crowther. *An Outline of Money*, p. 236

विदेशों में वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा इस देश की वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा का अधिमूल्यन आयात को प्रोत्साहित तथा निर्यात को हतोत्साहित करता है। स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में तो कोई भी मुद्रा अधिक समय तक अधिमूल्यन की स्थिति में नहीं रह सकती, परन्तु विनिमय-नियन्त्रण द्वारा काफी समय तक इस स्थिति को बनाये रखा जा सकता है।

कोई देश अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन उस दशा में करता है जब विनिमय-बाजार को अनियन्त्रित छोड़ देने पर राष्ट्रीय मुद्रा की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक होने की सम्भावना होती है। मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से अधिमूल्यन की आवश्यकता होती है

- 1 अधिमूल्यन की आवश्यकता उस देश को होती है जिसे अचानक विदेशों से बहुत अधिक खरीदारी करने पड़ती है। उदाहरणार्थ, युद्धकाल में किसी देश के लिए निर्यात को बढ़ाना तो कठिन होता है परन्तु अन्य देशों से आयात की माँग बढ़ जाती है। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के समय भी प्रायः इसी प्रकार की स्थिति पायी जाती है।
- 2 जब किसी देश को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा में ऋण चुकाना होता है तथा ऋणों पर व्याज का भुगतान करना होता है तो उसके लिए भी अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन करना लाभपूर्ण होता है।
- 3 जब देश में मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्तियाँ सिर उठा रही हों तब भी मुद्रा को अधिमूल्यन करना उचित होता है। अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात कम होते हैं जिससे बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने लगती है। आयात सस्ते होने के कारण विदेशी वस्तुएँ देश में कम कीमत पर बिकती हैं जो अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी घिरा देती हैं। विदेशी व्यापार देश के कुल व्यापार का महत्वपूर्ण भाग होने की दशा में अधिमूल्यन और भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है।
- 4 अधिमूल्यन उस स्थिति में भी उचित होता है जब किसी देश का अधिकतर विदेशी व्यापार किसी एक अन्य देश के साथ होता है और वह देश इस देश के निर्यातों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उदाहरणतः पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का मूल्य 1949 में नहीं गिराया था जबकि स्ट्रिंग क्षेत्र के अन्य देशों ने अपनी मुद्राओं का अधिमूल्यन किया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारत छूट के आयात के लिए पाकिस्तान पर अत्यधिक निर्भर था और पाकिस्तान अधिमूल्यन द्वारा भारत से छूट के निर्यात पर अधिक कीमत प्राप्त कर सकता था।
- 5 विकासशील देशों को योजनाएँ पूरा करने के लिए प्रायः वर्षों तक अत्यधिक आयात करने पड़ते हैं। वे अधिमूल्यन के द्वारा अपनी मुद्रा में कम मूल्य-चुकाकर आयात प्राप्त कर सकते हैं।

अधिमूल्यन के कभी-कभी गम्भीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मुद्रा का अधिमूल्यन देश में कीमतों और लागतों को अन्य देशों की अपेक्षा बढ़ा देता है जिससे निर्यात कम हो जाते हैं तथा आयात बढ़ते हैं। इससे क्रमशः व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है। यह दशा मन्दी के काल में, जबकि अर्थ-व्यवस्था पहले से ही निम्न-स्तर पर होती है, अत्यन्त अवाछनीय है। साधारणतया युद्ध एवं अभाव के समय मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाता है, परन्तु मन्दी के समय यह बहुत ही हानिकारक होता है। 1925 से 1931 के बीच इंग्लैण्ड तथा 1932 से 1936 के बीच फ्रान्स ने अधिमूल्यन के दुष्परिणामों को अनुभव किया था। फ्राउडर के मतानुसार, "जिस देश की मुद्रा अधिमूल्यन होती है उसकी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था एक प्रकार के क्रमशः बढ़ते हुए पक्षाघात की शिकार हो जाती है।"¹

अधोमूल्यन (Under-valuation)—मुद्रा की विनिमय-दर स्वतन्त्र बाजार में निर्धारित

1 "A sort of progressive paralysis appears to creep over the whole economy of a country whose currency is over valued —Crowther *op cit*, p 240

होने वाली साम्य-दर से कम रखने की नीति, यानी अधोमूल्यन अथवा अवमूल्यन, का परिणाम अधि-मूल्यन के ठीक विपरीत होता है। जब कोई देश विनिमय-नियन्त्रण द्वारा अपनी मुद्रा की विनिमय-दर सामान्य से नीचे निर्धारित करता है तो उस देश के निर्यात अन्य देशों के लिए सस्ते हो जाते हैं, जबकि दूसरे देशों से आयात का इसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार निर्यात प्रोत्साहित होते हैं और आयात हतोत्साहित, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार-सन्तुलन पक्ष में हो जाता है।

अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूल स्थिति में सुधार करना होता है। आयात कम होने तथा निर्यात बढ़ने से देश में उत्पादन रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है तथा कीमत-स्तर ऊपर उठने लगता है। व्यावहारिक रूप में, अधोमूल्यन की नीति केवल उन देशों के लिए प्रभावपूर्ण होती है जिनकी अर्थ-स्थिति में उनके निर्यातों का महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु विश्व के व्यापार में उनका भाग महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब बड़े देश अधोमूल्यन की नीति अपनाते हैं तो उनको विशेष लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि अन्य देश स्पर्धात्मक रूप में अनेक नियन्त्रण लगाकर उनके निर्यात बच कर देते हैं। इसके विपरीत, न्यूजीलैण्ड, डेनमार्क, फिनलैण्ड जैसे छोटे देश अधोमूल्यन की नीति सरलता से अपना सकते हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार स्वयं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी विश्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

इसमें सन्देह नहीं कि अधोमूल्यन द्वारा कोई भी देश अपने निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकता है, परन्तु नैतिक दृष्टिकोण से यह एक स्वार्थी नीति है। इससे जो भी लाभ एक राष्ट्र को प्राप्त होता है वह निश्चय ही दूसरे राष्ट्र की, जिसके इसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं, हानि होती है। प्रो० हॉम के अनुसार, "यह एक खतरनाक नीति होती है क्योंकि इसका उद्देश्य अपने पड़ोसी को गरीब बनाना होता है, और अन्त में इससे किसी को लाभ नहीं हो पाता।" ¹¹ क्राउथर के शब्दों में, "अधोमूल्यन एक ऐसा खेल है जिसे कोई भी खेल सकता है, परन्तु यदि सब राष्ट्र इसे खेलना प्रारम्भ कर दें और विश्व की मुद्राओं में एक होड़-सी लग जाय कि किसका मूल्य कम से कम रखा जा सकता है तो इसका परिणाम यह होगा कि विश्व की सभी मुद्राएँ मूल्यहीन हो जायेंगी।" ¹² इस प्रकार अधोमूल्यन की नीति तभी अपनानी चाहिए जब भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के अन्य उपायों का प्रयोग कर लिया गया हो तथा उनमें पर्याप्त सफलता न मिल पायी हो।

अधिमूल्यन तथा अधोमूल्यन में कौन अधिक उपयुक्त है, यह देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परन्तु किसी भी दशा में स्पर्धात्मक अधोमूल्यन की नीति अपनाना किसी भी देश के लिए हितकर नहीं होता। क्राउथर के विचार में सिद्धान्त यह होना चाहिए कि "युद्ध एवं अभाव के समय मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाय तथा मन्दी एवं आधिक्य के समय मुद्रा का अधोमूल्यन किया जाय।" ¹³

विनिमय-स्थायित्व (Exchange Stabilization)—विनिमय-नियन्त्रण का उद्देश्य विनिमय-दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकना हो सकता है ताकि परिवर्तन की सामयिक एवं अस्थायी प्रवृत्तियों से अर्थ-स्थिति को बचाया जा सके। विनिमय-दर में स्थायित्व आर्थिक प्रगति, उद्योग, व्यापार तथा रोजगार के विकास में महायक होता है। स्वर्ण-मान के पतन के पश्चात् इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा फ्रांस में स्थापित किये गये विनिमय समानीकरण कोषों (Exchange Equalisation Funds) का उद्देश्य न तो मुद्रा का अधिमूल्यन करना था और न ही अधोमूल्यन, बरन् विनिमय-दरों में होने वाले सामयिक तथा अस्थायी परिवर्तनों को रोकना था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) का भी बहुत कुछ यही उद्देश्य है।

- 1 "The most dangerous beggar-my-neighbour policy which benefits no body in the end"—G N Halm. *Monetary Theory*, p 250
- 2 "Under-valuation is a game that anyone can play, but if every one plays at it and currencies enter upon a competition to see which can be pushed furthest below its real value, it quickly develops into a race to render all currencies worthless"—Crowther. *op. cit.*, p 243.
- 3 "In times of war and scarcity, over-value your currency, in times of slump and surplus, under-value your currency."—*Ibid.*, p 240

विनिमय-नियन्त्रण की रीतियाँ

विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति को नियन्त्रित करने के अनेक तरीके हैं। पॉल एन्ज़ग (Paul Einzig) ने विनिमय-नियन्त्रण की 41 रीतियों की विवेचना की है। इनमें से प्रमुख रीतियों के अध्ययन के लिए इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है -

(1) एकपक्षीय रीतियाँ (Unilateral Methods)—इनसे तात्पर्य उन प्रणालियों से है जिन्हें कोई भी देश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिना अन्य देशों से कोई समझौता किये अथवा अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभावों को और ध्यान दिये, अपनाता है। बैंक-दर का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, विनिमय उद्बन्धन, अवरोध खाता, विदेशी विनिमय राशानिग आदि इसी प्रकार की रीतियाँ हैं।

(2) द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय रीतियाँ (Bilateral or Multi-lateral Methods)—जिन्हें दो अथवा अधिक देश पारस्परिक समझौतों के द्वारा अपनाते हैं और इनके द्वारा वे अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। समारोधन समझौते, भुगतान समझौते, विगम्बवाल हस्तान्तरण तथा ग्यास्वियर समझौते आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं।

विनिमय-नियन्त्रण की रीतियों का वर्गीकरण एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है—

(1) प्रत्यक्ष रीतियाँ, तथा (2) परोक्ष रीतियाँ। प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत वे कार्यवाहियाँ आती हैं जिनका उद्देश्य विदेशी विनिमय को नियन्त्रित करना तथा विनिमय-दर को प्रभावित करना होता है। परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाये जाते हैं, परन्तु साथ में इनसे विनिमय-दर भी प्रभावित होती है। इन दोनों प्रकार के विनिमय-नियन्त्रणों की व्याख्या निम्नलिखित है।

विनिमय-नियन्त्रण की प्रत्यक्ष रीतियाँ

प्रत्यक्ष विनिमय-नियन्त्रण की रीतियाँ दो प्रकार की होती हैं— (1) हस्तक्षेप (intervention), तथा (2) विनिमय-प्रतिबन्ध (exchange restriction)। विनिमय-प्रतिबन्ध के अन्तर्गत सरकार विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाकर निजी व्यापारियों को विदेशी विनिमय के इच्छानुसार क्रय-विक्रय की स्वतन्त्रता समाप्त कर देती है। इसके विपरीत, हस्तक्षेप की नीति के अन्तर्गत व्यापारियों को विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय की स्वतन्त्रता समाप्त किये बिना सरकार विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय की दर घोषित करती है तथा स्वयं विनिमय-बाजार में क्रय-विक्रय करके माँग तथा पूर्ति को प्रभावित करती है। इस प्रकार इन तरीकों में प्रधान अन्तर यह है कि एक में विनिमय-बाजार में मुक्त प्रवेश पर नियन्त्रण रहता है जबकि दूसरे में विनिमय-बाजार सब के लिए खुला रहता है किन्तु इसमें एक कृत्रिम तत्व रख दिया जाता है। एक में विदेशी मुद्रा के लेन-देन में कमी हो जाती है, दूसरे में वृद्धि होती है। इन दोनों रीतियों से सरकार विनिमय नियन्त्रण करती है, परन्तु उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों के अन्तर्गत अलग-अलग तरीके अपनाये जाते हैं।

हस्तक्षेप (Intervention)

विनिमय-बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के द्वारा सरकार अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को एक निश्चित स्तर पर बनाये रखने के प्रयास करती है। हस्तक्षेप का प्रमुख तरीका दर-अधिनालीन (pegging) है। विनिमय-दर में परिवर्तन को रोकने के लिए विनिमय समानीकरण (exchange equalisation) अथवा स्थिरीकरण कोषों का निर्माण भी किया जा सकता है।

(1) अधिकांशतः पद्धति अथवा विनिमय उद्बन्धन (Exchange Pegging)—जब सरकार अपने हस्तक्षेप द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्धारित होने वाली विनिमय-दर से भिन्न दर निर्धारित करना चाहे और उसे निश्चित स्तर से घटने-बढ़ने न दे तो इसे विनिमय-अधिकालीन अथवा 'पेगिंग' कहते हैं। किसी ऊँचे स्तर पर विनिमय-दर बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया हस्तक्षेप ऊँचा अधिकालीन (pegging up) कहलाता है। जब विनिमय-दर को किसी नीचे स्तर पर निर्धारित किया जाय तो उसे नीचा अधिकालीन (pegging down) कहते हैं। साधारणतः पेगिंग के

द्वारा विनिमय-दर को ऊँचा ही रखा जाता है अर्थात् 'पेकिंग अप' ही होता है, परन्तु कभी-कभी अवमूल्यन के उद्देश्य से 'पेकिंग डाउन' की नीति भी अपनायी जा सकती है।

अधिकारिणी पद्धति के अन्तर्गत सरकार (अथवा केन्द्रीय बैंक) विनिमय-बाजार में विदेशी मुद्राओं के बदले में अपनी मुद्रा का क्रय-विक्रय करती है, और उसकी माँग तथा पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। यदि सरकार का उद्देश्य 'पेकिंग अप' करना होता है तो सरकार अपने प्रयत्नों द्वारा अपनी मुद्रा की माँग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी कर देती है। इसके विपरीत, 'पेकिंग डाउन' के लिए सरकार को अपनी मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी होती है। इस प्रकार, विनिमय-दर को ऊँचा अटकाने (पेकिंग अप) के लिए सरकार विदेशी मुद्राओं को असंमित मात्रा में बेचने तथा अपनी मुद्रा को निर्धारित दर पर असंमित मात्रा में खरीदने के लिए तैयार रहती है, जिसके परिणामस्वरूप विनिमय-बाजार में विदेशी मुद्राओं की मात्रा में वृद्धि तथा देशी मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके विपरीत, विनिमय-दर को नीचे अटकाने (पेकिंग डाउन) के लिए सरकार को निर्धारित की गयी विनिमय-दर पर असंमित मात्रा में देशी मुद्रा को विदेशी मुद्राओं के बदले में बेचना पड़ता है, जिससे बाजार में विदेशी मुद्राओं की मात्रा में कमी और देशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होन लगे।¹

हस्तक्षेप की उक्त रीति का प्रयोग समय-समय पर किया जाता रहा है। प्रथम महायुद्ध काल में ब्रिटेन की सरकार ने पौण्ड को ऊँची दर पर 'पेग अप' कर दिया था और पौण्ड की डालर में विनिमय-दर 1 पौण्ड = 4 765 डालर पर टांक दी थी। इस दर को बनाये रखने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से ऋण लिया था तथा लन्दन के विनिमय बाजार में विदेशी मुद्राओं की खरीद की थी। 1919 में जैसे ही हस्तक्षेप हटा दिया गया, विनिमय-दर गिरकर 1 पौण्ड = 3 40 डालर हो गयी। 1933 में न्यूजीलैंड ने अपने पौण्ड को 'पेग डाउन' किया था।

विनिमय अधिकारिणी की नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के पास मध्येष्ट मात्रा में विदेशी विनिमय के भण्डार हो ताकि विनिमय-दर ऊँची करने के लिए वह उन भण्डारों से अपने देश की मुद्रा खरीद कर उसकी माँग में वृद्धि के द्वारा उसका मूल्य बढ़ा सके। इसके लिए विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। किन्तु ऐसा बहुत समय तक सम्भव नहीं हो पाता जिसके कारण 'पेकिंग अप' की सीमा काफी संकुचित होती है। इसके विपरीत, 'पेकिंग डाउन' की सफलता के लिए सरकार को बान्तरिक मोद्रिक साधनों में वृद्धि करनी होती है। ऐसा अनेक तरीकों से किया जा सकता है, जैसे—करारोपण (taxation), जनता से ऋण (public borrowing) तथा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। परन्तु कर भी एक निश्चित सीमा तक ही लगाये जा सकते हैं और जनता से ऋण भी एक निश्चित सीमा से अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार के ऊपर इसकी व्याज का बोझ पड़ता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से मुद्रा-स्फीति का भय रहता है। कीमत-स्तर में वृद्धि से 'पेकिंग डाउन' को निस्तन्देह बल मिलेगा। परन्तु मुद्रा-स्फीति स्थायी रूप से सहायक नहीं हो सकती। इन सब सीमाओं को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि विनिमय की अधिकारिणी नीति केवल अस्थायी रूप में सम्भव हो सकती है, स्थायी रूप में नहीं।

(2) विनिमय समानीकरण खाता (Exchange Equalisation Account)—स्वर्णमान के पतन के पश्चात् 1932 में इंग्लैंड में विनिमय समानीकरण खाता अथवा विनिमय स्थिरीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund) की स्थापना की गयी थी। इंग्लैंड के अतिरिक्त फ्रांस, अमेरिका, हालैंड, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड में भी इस प्रकार के कोषों की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि विनिमय-दरों का अधिमूल्यन अथवा अबोमूल्यन किये बिना इनमें अस्थायी परिवर्तनों को रोका जा सके। क्रम्प (Crump) के अनुसार इंग्लैंड में इस कोष के दो उद्देश्य थे।

1 "A Government that is 'pegging' its currency must be in a position to pay out foreign currencies and receive its own currency; a Government that is 'pegging down' its currency must be in a position to pay out its own currency and receive foreign currencies; and both must be prepared to go on indefinitely unless they want either to resort to restriction or to fail in that purpose of controlling the rate of exchange."—Crowther *An Outline of Money*, p. 249

समस्त विदेशी विनिमय तथा विदेशी स्वर्ण के लिए एक 'विश्राम-स्थल' स्थापित करना, और दूसरे, सटोरियो की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्यवाहियों पर उचित नियन्त्रण रखना।

इस रीति के अन्तर्गत देश के केन्द्रीय बैंक के पास स्वर्ण, विदेशी मुद्रा और देशी मुद्रा का कोप बना दिया जाता है, जिसका प्रयोग विदेशी विनिमय के त्रय-वित्रय के लिए किया जाता है, और इस प्रकार विनिमय-दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा सकता है। इन कोपों का उपयोग दीर्घकालीन अथवा स्थायी प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि विनिमय-दर में होने वाले अस्थायी परिवर्तनों को रोकना होता है।

इस प्रकार के कोप के प्रभावशील होने के लिए इसमें दृष्टिमाना में विदेशी तथा देशी मुद्रा का होना आवश्यक होता है। इसकी वास्तविक शक्ति विदेशी मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। साथ में पर्याप्त मात्रा में देशी मुद्रा का होना इसलिए आवश्यक होता है ताकि विदेशी मुद्राएँ खरीदी जा सकें। इन कोपों ने विनिमय-दरों में स्थायित्व लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परन्तु चूंकि कोप का कार्य एक देश के हाथ में सीमित होता है और यही देश विनिमय-दर निर्धारित करता है, इसलिए यह सम्भावना रहती है कि निर्धारित दर किसी अन्य देश के हित में न हो और वह देश मौद्रिक संघर्ष शुरू कर दे।

विभिन्न कोपों में पारस्परिक सहयोग की भावना से इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा फ्रांस के कोपों के बीच 1936 में एक त्रिपक्षीय समझौता (tripartite agreement) किया गया था। इसके अनुसार कोई भी देश अन्य दो देशों की अनुमति के बिना विनिमय-दर में परिवर्तन नहीं कर सकता था। तीनों देशों ने आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरे को निश्चित दर पर स्वर्ण बेचना भी तय किया था। बाद में हॉलैण्ड, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैण्ड भी इस समझौते में सम्मिलित हो गये। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही (1939 में) इन कोपों तथा त्रिपक्षीय समझौते का अन्त हो गया।

विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction)

द्वितीय महायुद्ध काल में यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रत्यक्ष विनिमय-नियन्त्रण के लिए हस्तक्षेप की नीति बहुत अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होती। अतएव एक अधिक प्रबल युक्ति के रूप में विनिमय-प्रतिबन्ध का प्रयोग किया जाने लगा। विनिमय-प्रतिबन्ध के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-बाजार में देशी मुद्रा की पूर्ति अनिवार्य रूप से कम कर दी जाती है, और इस प्रकार विनिमय-बाजार में लेन-देन को कम कर दिया जाता है। विनिमय-प्रतिबन्ध रीति की मुख्य विशेषताएँ ये हैं : विदेशी विनिमय के लेन-देन पर सरकार का एकाधिकार होता है, सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अथवा संस्था विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय नहीं कर सकती, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी सरकार का नियन्त्रण रहता है।

इस प्रकार विनिमय-प्रतिबन्ध की नीति के अन्तर्गत दो प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है—(1) अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी एवं स्वर्ण के आवागमन पर नियन्त्रण, तथा (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के कार्य के मुख्यतः तीन पहलू हैं—(1) आयात एवं निर्यात की प्रकृति, परिणाम, दिशा आदि सभी बातों को नियन्त्रित करना, (2) देश के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक को सौंप देना, तथा (3) इस विदेशी मुद्रा का आयातकों के बीच वितरण राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों पर अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं अथवा कुछ समझौते कर लिये जाते हैं जिनके अन्तर्गत पारस्परिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। विनिमय-प्रतिबन्ध के प्रमुख तरीके निम्न लिखित हैं

(1) अवरोध खाते (Blocked Accounts)—इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार यह प्रति

1 रैगनर नर्स (Ragner Nurkse) के अनुसार विदेशी विनिमय क नियंत्रण से सम्बन्धित चार प्रकार के निश्चय करने पड़ते हैं, अर्थात् भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए, भिन्न भिन्न व्यापारियों अथवा फर्मों के बीच तथा भिन्न-भिन्न देशों के बीच सम्पूर्ण विदेशी विनिमय का वितरण किस परिमाण में किया जाय।

बन्ध लगा देती है कि विदेशी अपनी पूंजी अथवा सम्पत्ति देश के बाहर नहीं ले जा सकते। लेन-दार (creditor) देशों के ऋण तथा ध्याज के भुगतान बन्द कर दिये जाते हैं। विदेशी पूंजी तथा विदेशी भुगतानों की रोकें हुईं कुल राशि केन्द्रीय बैंक के पास 'अवरुद्ध खाते' में जमा करा दी जाती है। कभी-कभी विदेशियों को सुविधा दे दी जाती है कि वे इस पूंजी का उसी देश में उपयोग कर सकते हैं। इन खातों के द्वारा विदेशी भुगतान बन्द करने का परिणाम यह होता है कि विदेशी विनिमय चुकाने का भार कुछ समय के लिए कम हो जाता है और विनिमय-दर को गिराने में बचाया जा सकता है।

अवरुद्ध खाते की व्यवस्था को सर्वप्रथम नार्जी जर्मनी ने तथा बाद में आस्ट्रिया तथा मध्य यूरोप के देशों ने अपनाया था। जर्मनी में इस नीति का जन्मदाता शॉट (Schacht) था और इसके अन्तर्गत यहूदियों को देश से निकालकर उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति अवरुद्ध खाते में लिख ली गयी थी। सन् 1940 में इंग्लैण्ड ने भी विदेशियों की स्टैलिंग सम्पत्ति अवरुद्ध खाते में रख ली थी। परन्तु धीरे-धीरे इनका हस्तान्तरण अन्य विदेशियों को करने का अधिकार दिया गया था, इसके परिणाम-स्वरूप अमेरिका में अवरुद्ध स्टैलिंग सम्पत्ति काफी कटौती के साथ बिकी।

अवरुद्ध खाता में घिरी हुई अपनी पूंजी को वापस पाने के लिए विदेशी व्यापारी सरकार की अनुमति से इसी देश में ही माल खरीदकर अपना भुगतान ले लेते हैं अथवा अपनी मुद्रा को प्रचलित विनिमय-दर में कम दर पर बेच देते हैं। ऋणी देशों को प्रत्येक अवस्था में लाभ होता है। परन्तु यह व्यवस्था अवरुद्ध सम्पत्ति के 'काले बाजार' को जन्म देती है जिसे "ब्लैक बोर्स" (Black Bours) कहा जाता है। इसमें दूसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि अवरुद्ध खाते वाले देश के विदेशी व्यापार को बहुत हानि होती है, क्योंकि इसे कोई भी देश माल नहीं भेजना चाहता और इसके आयातों के भुगतान अन्य देशों में रोक लिये जाते हैं। जब विदेशी विनिमय का लेन-देन ही बन्द हो जाता है तो विनिमय-दर का कुछ महत्त्व नहीं रहता। इस प्रकार इस क्रिया का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

(2) विदेशी विनिमय की राशानिग (Rationing of Foreign Exchange)—इस प्रणाली के अन्तर्गत विदेशी विनिमय का स्वतन्त्र क्रय-विक्रय समाप्त कर दिया जाता है। निर्यातकों को उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्राएँ सरकार को सौंप दी जाती हैं। विदेशी विनिमय के वितरण के लिए आयातों की आवश्यकता के अनुसार राशानिग किया जाता है। आयात के लिए एक प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर लिया जाता है और उसी के अनुसार विदेशी विनिमय के भुगतान की राशि निर्धारित की जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली का प्रयोग आयात की मात्रा को कम करके भुगतान-संगतुलन की स्थिति सुधारने के लिए किया जाता है।

(3) अभ्यस प्रणाली (Quota System)—जिस प्रकार विदेशी विनिमय की राशानिग प्रणाली का उद्देश्य अलग-अलग वस्तुओं के आयात की मात्रा निश्चित करना होता है, अभ्यस प्रणाली का उद्देश्य भिन्न-भिन्न देशों से आयात के परिमाण को निश्चित करना होता है। आयात एवं निर्यात की मात्रा मरनुचित करने के लिए उन देशों से आयात कम कर दिया जाता है जिनकी निर्यात कम दिये जाते हैं। इस नीति का प्रयोग महान् आर्थिक मन्दी के बाद फ्रान तथा स्टैलिंग समुदाय के अन्य देशों ने किया था।

(4) बहुमुल्य विनिमय-दरें (Multiple Exchange Rates)—इस रीति के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी विनिमय लेन-देन के लिए भिन्न-भिन्न विनिमय-दरें अपनायी जाती हैं। आयातों को कम करने तथा निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विनिमय-दर को न अपनाकर अनेक विनिमय-दरों को अपनाया जाता है। इस पद्धति को सर्वप्रथम 1930 की महामन्दी के काल में लैटिन अमेरिका के देशों ने अपनाया था। बाद में जर्मनी ने अनेक प्रकार के मार्क (Marks) प्रचलित किये,¹ जिनके लन्दन के विनिमय-बाजार में

1 Register Marks, Handel Marks, Block Marks, Travel Marks, Sonder Marks, Askü Marks, etc

अलग-अलग मूल्य थे। यह प्रणाली भुगतान-सन्तुलन को ठीक बनाये रखने के लिए विकासशील देशों द्वारा भी अपनायी जा सकती है, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह एक जटिल प्रणाली है और इसका संचालन करना कठिन होता है।

(5) समझौते समझौते (Clearing Agreements)—समाशोधन समझौते मुख्यतः दो देशों के पारस्परिक भुगतान केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से सन्तुलित रखने के लिए किये जाते हैं। इन समझौतों के अनुसार दोनों देशों में आयातकर्ता अपने देश की मुद्रा में ही देश के केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य अधिकृत बैंकों को भुगतान करते हैं। इसी प्रकार निर्यातकर्ता अपने माल का भुगतान अपने देश की मुद्रा में केन्द्रीय बैंक अथवा अधिकृत बैंकों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुद्राओं का एक देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण हुए बिना दोनों देशों में भुगतान हो जाता है। दोनों देशों के आयात तथा निर्यात बराबर न होने की दशा में भुगतानावशेष को चुकाने की रीति भी समझौते में निर्धारित कर ली जाती है और प्रायः इसके लिए भी विदेशी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों सरकारें समझौते द्वारा विनिमय की दर निश्चित कर लेती हैं। साथ में यह भी तय कर लिया जाता है कि भुगतान करते समय किन-किन मदों को प्राथमिकता दी जायगी। व्यापार का नियमन दोनों सरकारें करती हैं और उनका प्रयास यही होता है कि व्यापार-असन्तुलन हस्तक्षेप द्वारा ठीक कर दिया जाय।

1931 से 1939 तक विभिन्न देशों में इस प्रकार के अनेक समझौते किये गये थे। हेबरलर (G V Haberler) के मतानुसार यह समझौते उन देशों के बीच होते हैं जिनकी भुगतान-सन्तुलन में समानता नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में विनिमय-बाजार का कार्य ही समाप्त हो जाता है और विदेशी व्यापार लगभग वस्तु विनिमय (barter) का रूप धारण कर लेता है। यह ठीक है कि इन समझौतों की सहायता से असन्तुलित भुगतान स्थिति वाले देशों को लाभ होता है और द्विपक्षीय (bilateral) व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु इनके कई दोष भी होते हैं। मुख्यतः (1) माल का भुगतान माल के रूप में ही प्राप्त करने की प्रथा विदेशी व्यापार के क्षेत्र में स्वतन्त्रता को समाप्त कर देती है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार की मात्रा कम हो जाती है, (2) इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर देशों का शोषण होता है, (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित न होकर मजबूरी पर आधारित होता है, क्योंकि माल के बड़े माल लेना ही पड़ता है, चाहे इसमें हानि ही क्यों न हो, (4) दूसरे देश द्वारा दिये गये माल को खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। जर्मनी इन समझौतों के अन्तर्गत अन्य देशों से आवश्यक वस्तुएँ खरीदकर अपनी अर्थ-व्यवस्था को युद्ध के लिए सुदृढ़ कर सका, परन्तु हंगरी को स्विट्जरलैण्ड से बहुत बड़ी मात्रा में घड़ियाँ खरीदनी पड़ी थी जिनकी उसे आवश्यकता नहीं थी।

(6) भुगतान समझौते (Payments Agreements)—इस प्रकार के समझौतों के अन्तर्गत एक प्रकार से विनिमय की राशनिग की व्यवस्था की जाती है। इनका मुख्य रूप से उद्देश्य यह होता है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि ऋणी (debtor) देश ऋणदाता (creditor) देश को मूलधन तथा व्याज आदि चुका सके। इसके अन्तर्गत ऋणदाता देश ऋणी देश से आयातों को यथा-सम्भव बिना किसी प्रतिबन्ध के ही स्वीकार करता है। इसके विपरीत, ऋणी देश ऋणदाता देश से आने वाले आयातों को यथासम्भव कम रखता है और उसे भेजे जाने वाले निर्यातों को बढ़ाने के प्रयास करता है। केवल इस प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होने पर ही ऋणी देश पुराने विदेशी ऋणों को चुका पाता है। एल्लवर्थ (Ellsworth) के अनुसार, “जिन देशों के विनिमय-नियन्त्रण वाले देशों में या तो द्विपक्षीय समझौतों के परिणामस्वरूप अथवा निर्यातकर्ताओं की अधिक जल्दबाजी के कारण भारी मात्रा में ऋण एकत्र हो जाते हैं, उनकी इन देशों में आधेया की तरलता समाप्त हो जाती है। भुगतान समझौता उनमें तरलता उत्पन्न करने के साधन की व्यवस्था करता है।”

1 “Countries that build up substantial credits in exchange control countries, either prior to the introduction of controls, as a result of the operation of bilateral accord, or simply because of the rashness of exporters, acquire a frozen asset. A payments agreement provides the means to thaw it.”—Ellsworth : *The International Economy*, p. 340

द्वितीय महायुद्ध काल में अनेक देशों ने इस प्रकार के समझौतों द्वारा विदेशी विनिमय के राशानिग के प्रयास नियत किये।

(7) स्थिर समझौते (Standstill Agreements)—इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य दो देशों के बीच पूँजी के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाना होता है ताकि ऋणी देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। पूँजी के आवागमन को रोकने के उद्देश्य की पूर्ति दो प्रकार से की जा सकती है—प्रथम, विदेशी भुगतान एकदम न करके धीरे-धीरे किस्तों में किये जाते हैं, तथा दूसरे, अल्पकालीन ऋणा को दीर्घकालीन ऋणों में बदला जा सकता है। इन दोनों तरीकों से ऋणी देश को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और इसी बीच वह देश अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। पूँजी के आवागमन को नियन्त्रित करने से विनिमय-दर में भी स्थिरता बनाये रखी जा सकती है। 1931 की महान् मन्दी के पश्चात् जर्मनी ने इस रीति का प्रयोग किया था।

(8) क्षतिपूर्ति समझौता (Compensation Agreements)—यह विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक प्रकार के वस्तु विनिमय पद्धति अपनाते के लिए एक समझौता होता है। इसके अन्तर्गत आयात का भुगतान निर्यात द्वारा किया जाता है और भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया ही नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, आयातकर्ता देश आयात किये गये माल के मूल्य के बराबर मूल्य का माल निर्यात कर देता है जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के भुगतान एक-दूसरे से रद्द हो जाते हैं। इस प्रकार के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन की कार्यक्षमता गिर जाती है, देश की प्रतियोगिता करने की शक्ति को घटका तगता है तथा उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता में अनुचित सरक्षण मिलता है।¹

(9) विलम्बकाल हस्तांतरण (Transfer Moratoria)—इस नीति के अन्तर्गत आयात तथा विदेशी पूँजी पर व्याज एवं लाभांश आदि का भुगतान तत्काल न करके कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आयातकर्ता द्वारा देशी मुद्रा में ही केन्द्रीय बैंक के पास भुगतान जमा कर दिया जाता है और इसी राशि का केन्द्रीय बैंक निश्चित अवधि के पश्चात् विदेशी मुद्राओं में निर्मातकर्ता अथवा ऋणदाता को भुगतान कर देता है। कभी-कभी ऋणदाताओं को विशेष अधिकार भी दिये जा सकते हैं कि वे केन्द्रीय बैंक के पास जमा राशि का भुगतान की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही देश में प्रयोग कर लें। इस प्रकार, विलम्ब काल की अवधि में ऋणी देश की सरकार को विनिमय सम्बन्धी आवश्यक समायोजन करने का अवसर मिल जाता है और प्रायः विदेशी मुद्राओं के हस्तांतरण के बिना ही भुगतान समायोजित हो जाते हैं।

इस प्रकार विनिमय प्रतिबन्ध के अनेक तरीके हैं, और इन सभी का उद्देश्य विनिमय-बाजार में देश की मुद्रा की प्रति प्रति स्थिति को नियन्त्रित करना होता है। कुछ परिस्थितियों में तो विनिमय प्रतिबन्ध की इच्छा न रहते हुए भी इसे अपनाया अनिवार्य हो जाता है। हस्तक्षेप की तुलना में विनिमय प्रतिबन्ध एक अधिक बढोतर, प्रत्यक्ष एवं सार्थक नीति है। जर्मनी के अनुभव से यह सिद्ध होता है कि विनिमय-प्रतिबन्ध की नीति के द्वारा कोई भी देश एक विनिमय-दर को बनाये रख सकता है जो उसके आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है।

✓ विनिमय-नियन्त्रण की परोक्ष रीतियाँ ८.

हस्तक्षेप तथा प्रतिबन्ध के प्रत्यक्ष तरीकों के अनिरिक्त विनिमय-नियन्त्रण के कुछ परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके भी हैं। इनमें आयात-निर्यात-नीति तथा व्याज-दर में परिवर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

आयात निर्यात-नीति—देश के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति प्रतिबुद्ध होने की दशा में सरकार आयात कर लगाकर देश के आयात को गुणात्मक तथा परिमाण-आत्मक दृष्टि से सीमित कर देती है। इसी प्रकार विभिन्न आयातों की मात्रा (quota) निश्चित करके भी इस उद्देश्य को प्राप्त

किया जा सकता है। कभी-कभी उन देशों के नाम भी निश्चित कर दिये जाते हैं जिनसे वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। विदेशी व्यापार के द्वारा विनिमय की स्थिति सुधारने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देना उतना ही आवश्यक होता है जितना आयातों को सीमित करना। इसके लिए निर्यातों पर करों में छूट अथवा अधिदान (bounty) दिया जाता है। निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और देश के बजट में इसकी व्यवस्था की जाती है। आर्थिक भाषा में इसे 'Dumping' की नीति कहते हैं। आयात सीमित करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये इन कार्यों के परिणामस्वरूप विदेशों में देश की मुद्रा की प्रति कम हो जाती है, परन्तु उसकी माँग बनी रहती है और विनिमय-दर ऊँची बनाये रखी जा सकती है। इस प्रकार की नीति अन्य देशों द्वारा अपना लिये जाने पर यह सब प्रयत्न बफल हो जाते हैं, परन्तु फिर भी यदि अन्य बातें समान रहे तो आयात को सीमित करने तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रभाव देशी मुद्रा की विनिमय-दर बढ़ाने का होता है।

व्याज-दर—व्याज की दरों अथवा बैंक-दर में परिवर्तन द्वारा भी देश की मुद्रा की माँग तथा प्रति को प्रभावित किया जा सकता है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजी के विनियोग पर कोई रुकावट न हो तो व्याज-दर बढ़ाने पर विदेशी पूँजी देश में आने लगती है। इसके परिणामस्वरूप देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है, भुगतान-सन्तुलन पक्ष में हो जाता है, और विनिमय दर ऊँची होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। व्याज की दर कम होने का प्रभाव इसके विपरीत होता है। इस प्रकार सामान्यतः ऊँची बैंक-दर विनिमय-दर ऊँची रखने में तथा नीची बैंक-दर विनिमय-दर नीची रखने में सहायक होती है। 1924 तथा 1930 के बीच जर्मनी ने व्याज-दर ऊँची करके विदेशी पूँजी को आकर्षित किया था जिससे मार्क की माँग में वृद्धि हुई तथा उसकी विनिमय-दर ऊँची हो गयी।

इस प्रकार विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्यों को विभिन्न परोक्ष तरीका से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रत्यक्ष तरीकों की तुलना में परोक्ष तरीके कम कठोर होते हैं और उनका प्रभाव भी कम होता है। वास्तव में, व्यापार-नीति तथा व्याज-दर में सीमित मात्रा में ही परिवर्तन सम्भव होते हैं, क्योंकि अधिक परिवर्तन होने की दशा में अन्य देशों द्वारा प्रतिक्रिया (retaliation) का भय रहता है। इसीलिए विनिमय-नियन्त्रण की परोक्ष रीतियों को बहुत सावधानी से अपनाना पड़ता है।

निष्कर्ष—विनिमय-नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों की उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कोई भी देश विनिमय-नियन्त्रण के लिए अनेक रीतियों का प्रयोग कर सकता है। इनमें कौनसी रीति किस देश के लिए अधिक उपयुक्त है, यह उस देश की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चूँकि देश की आवश्यकताओं में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है इसलिए विनिमय नियन्त्रण के लिए अपनायी जाने वाली नीतियों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। प्रायः एक समय में एक साथ कई रीतियों को अपनाना आवश्यक हो जाता है ताकि नियन्त्रण का उद्देश्य पूरा हो जाय।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य यूरोप दोनों के द्वारा विनिमय प्रतिबन्ध की रीतियों का प्रयोग किया गया जबकि इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में हस्तक्षेप के ही उपाय अपनाये गये। युद्धकाल में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण सभी देशों ने विनिमय-प्रतिबन्ध की नीति को ही अपनाया और विभिन्न देशों ने इन उद्देश्यों की प्रति के लिए गुट बना लिये। युद्ध के समाप्त होते ही ऐसा सोचा जाने लगा कि विनिमय प्रतिबन्ध भुगतान सन्तुलन की समस्या का वास्तविक हल नहीं है। विभिन्न देशों द्वारा विनिमय-नियन्त्रण की रीतियों का प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोग किये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयाँ कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्योप में यही दृष्टिकोण अपनाया है। इन भावनाओं के बावजूद लगभग सभी देश विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों का प्रयोग कर रहे हैं और विकास अथवा स्थायित्व से सम्बन्धित विभिन्न उद्देश्यों की प्रति के लिए इन्हें महत्वपूर्ण समझते हैं।

विनिमय-नियन्त्रण के दोष

विनिमय-नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य देश के असन्तुलित भुगतान को सन्तुलित करना होता है। एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, जैसा कि पहले बताया गया है, विनिमय-नियन्त्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी सहायता से ही देश को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभावों से बचाया जा सकता है और आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में कीमतों में स्थिरता लायी जा सकती है। परन्तु जब सभी देशों में विनिमय-नियन्त्रण प्रणाली अपनाते हैं एक होड़ की सी भावना उत्पन्न हो जाय तो नियन्त्रण-व्यवस्था से अनेक हानियों की भी सम्भावना हो सकती है। इनकी संक्षिप्त विवेचना निम्नलिखित है।

- 1 कठोर नियन्त्रण-व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में बाधक होती है। अनेक देशों द्वारा नियन्त्रण-व्यवस्था अपना लिये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संकुचन होता है। विनिमय-नियन्त्रण के परिणामस्वरूप आयातों में कमी देश के निर्यातों की मात्रा को भी प्रभावित करती है। 19 वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के आरम्भ के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अच्छा विकास हुआ था, परन्तु विनिमय-नियन्त्रण की रीतियों ने इस विकास में बाधा पहुँचायी है।
- 2 विनिमय-नियन्त्रण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों में कमी हो जाती है, क्योंकि इससे बहुपक्षीय व्यापार तथा मुद्राओं की परिवर्तनशीलता की लाभदायक प्रथा के स्थान पर द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों तथा मुद्रा की अपरिवर्तनशीलता को प्रोत्साहन मिलता है।
- 3 अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के स्थान पर आर्थिक राष्ट्रीयता की भयानक भावना को प्रोत्साहन मिलता है। प्रायः शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वार्थ में छोटे तथा कमजोर राष्ट्रों के हितों की अवहेलना करते हैं तथा उन्हें दबा लेते हैं।
- 4 विनिमय-नियन्त्रण प्रणाली अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' (Comparative Cost Theory) की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। स्वतन्त्र व्यापार के स्थान पर दो देशों के बीच पारस्परिक सहमति के अनुसार नियन्त्रित व्यापार होने लगता है। नियन्त्रण प्रणाली के कारण देश को सस्ते से सस्ते बाजार में माल खरीदने का अवसर नहीं मिल पाता और इसी प्रकार अच्छे से अच्छे बाजार में माल बेचने में भी बाधा पड़ती है।
- 5 प्रतिवन्धों के द्वारा आयातों के भुगतान स्थगित करने पर देश में मुद्रा-प्रसार की सम्भावना बढ़ती है। मुद्रा-प्रसार के कारण मुद्रा की क्रय-शक्ति में कमी होती है जिसका परिणाम यह होता है कि साम्य (equilibrium) विनिमय दर अधिमूल्यत (over-valued) विनिमय-दर में परिवर्तित हो जाती है।
- 6 विनिमय-नियन्त्रण भ्रष्टाचार तथा चोरबाजारी को प्रोत्साहित करता है। विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करना गैरकानूनी होता है। परन्तु दुर्लभ विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर भ्रष्ट किया जाता है और इन मुद्राओं में चोरबाजारी का आरम्भ होता है।
- 7 विनिमय नियन्त्रण प्रणाली एक अत्यन्त खर्चीली प्रणाली होती है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कभी-कभी नौकरशाही के गलत निर्णय, असावधानी अथवा अयोग्यता के कारण देश को बहुत बड़ी हानि की सम्भावना रहती है।
- 8 एलसवर्थ के अनुसार, "यह (विनिमय-नियन्त्रण) घाटे का समाधान करता है, न कि उसके कारणों का, और यह उन कारणों को बढ़ा देता है जो आधारभूत असन्तुलन को जन्म देने वाली प्रवृत्ति दशाते हैं।"¹

¹ "It deals only with the deficit, not its causes, and it exacerbates those causes, tending to create a more basic disequilibrium — Ellsworth *The International Economy*, p 348

विनिमय-नियन्त्रण के उपर्युक्त दोष, वास्तव में, इसके गलत प्रयोग के दोष हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक देश को विनिमय-दर में स्थायी साम्य स्थापित करने के उद्देश्य से विनिमय-नियन्त्रण के तरीकों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। साथ में यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक रीति अपनाते के पूर्व उसके हार पहलू पर सावधानी से विचार कर लिया जाय, क्योंकि बार-बार नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता और इससे अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न होता है। विनिमय-नियन्त्रण को लागू करते समय कुछ देशों अथवा देश में कुछ वर्गों अथवा व्यक्तियों के साथ पक्षपात करना इसके प्रभाव को कम कर देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा लगाये गये विनिमय-नियन्त्रणों को समाप्त करना है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई रुकावट न हो। कोष की स्थापना के समय यह आशा की गयी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिक परिस्थितियाँ सामान्य हो जाने पर विनिमय-नियन्त्रणों को हटा दिया जायगा। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में जबकि विनिमय-नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का अविच्छिन्न अंग बन गयी है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की आशाओं के पूरा होने की सम्भावना बहुत कम है।

भारत में विनिमय-नियन्त्रण

प्रथम महायुद्ध काल में रुपये की विनिमय-दर पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इसके परिणाम-स्वरूप विनिमय-दर में काफी उतार-चढ़ाव होते रहे, विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी चलती रही तथा देश के व्यापार और उद्योगों पर प्रतिबल प्रभाव पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर सितम्बर 1939 में भारत में विनिमय-नियन्त्रण की नीति को अपनाया गया। भारत सुरक्षा अध्यादेश (Defence of India Rules) के अन्तर्गत विनिमय-नियन्त्रण की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को सौंप दी गयी। रिजर्व बैंक ने इस कार्य के लिए 'विनिमय-नियन्त्रण विभाग' की स्थापना की। 4 सितम्बर, 1939 को रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय-नियन्त्रण की नीति से सम्बन्धित विज्ञापित प्रकाशित की गयी जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा में क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण लगा दिया गया। विदेशी विनिमय का प्रयोग केवल रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जा सकता था।

युद्धकाल में विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य से समस्त ब्रिटिश साम्राज्य को एक मुद्रा इकाई में समन्वित किया गया और इसे 'स्टर्लिंग क्षेत्र' (Sterling Area) कहा गया। सामान्य नीति यह थी कि स्टर्लिंग क्षेत्र की मुद्राओं का लेन-देन तथा इस क्षेत्र में कोषों का स्थानान्तरण तो विनिमय-नियन्त्रण के कार्यक्षेत्र से मुक्त रहा, परन्तु इस क्षेत्र से बाहर के देशों को किये जाने वाले भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। पूंजी के निर्यात तथा विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी रोकने के उद्देश्य से स्टर्लिंग क्षेत्र की मुद्राओं का क्रय-विक्रय भी केवल अधिकृत बैंकों द्वारा ही किया जा सकता था। युद्धकाल में विनिमय-नियन्त्रण मुख्यतः स्टर्लिंग क्षेत्र से बाहर की मुद्राओं पर लागू किया गया था, ताकि विशेष रूप से डाहतर की वचत हो सके। रिजर्व बैंक को अपनी नीति में पर्याप्त सफलता मिली। देश के निर्यात आयात से अधिक ये और भारत ने स्टर्लिंग क्षेत्र के 'डालर पूल' (Dollar Pool) की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के इंग्लैण्ड में जमा स्टर्लिंग शेपों (Sterling Balances) में वृद्धि होनी गयी।

युद्ध की समाप्ति पर भारत की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति काफी सन्तोषजनक थी, परन्तु विनिमय-नियन्त्रण की नीति को समाप्त नहीं किया गया। आयातों के लिए माँग बढ़ रही थी। विदेशी विनिमय का भुगतान इंग्लैण्ड में जमा स्टर्लिंग शेपों से किया जा सकता था, परन्तु इंग्लैण्ड ने भुगतान-सन्तुलन प्रतिबल होने के कारण इनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे। सन् 1947 का विदेशी विनिमय-नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) 25 मार्च, 1947 को लागू किया गया जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक को विनिमय-नियन्त्रण के स्थायी अधिकार प्राप्त हो गये। विनिमय नियन्त्रण की नीति का कार्यक्षेत्र अब और अधिक

व्यापक हो गया तथा जुलाई 1947 से स्टलिंग धोन के देशों से होने वाले लेन-देन पर भी विनिमय-नियन्त्रण लागू कर दिया गया। विरोध परिस्थितियों के कारण केवल पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ लेन-देन फरवरी 1951 तक विनिमय-नियन्त्रण के क्षेत्र से बाहर रखा गया। 1947 के एकट के अनुसार रिजर्व बैंक को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग भारतीय स्वर्ण के निर्यात, विदेशों से भारत में आने वाली पूंजी एव उमके भुगतान तथा विदेशी मुद्रा के ऋय-विक्रय आदि पर नियन्त्रण रखने में होता है।

1947 के पश्चात भारत में विनिमय-नियन्त्रण की नीति के ढाँचे में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु पचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में इस नीति के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारतीय विनिमय-नियन्त्रण नीति अब देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण यन्त्र है। देश में औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी तथा ऋणों का आयात करना आवश्यक है। 1957 के बाद अनावश्यक वस्तुओं के आयात समाप्त कर दिये गए हैं, परन्तु फिर भी आवश्यक वस्तुओं के आयात के भुगतान के लिए विनिमय-नियन्त्रण की आवश्यकता काफी बढ गयी है। विनिमय-नियन्त्रण नीति न केवल विदेशी भुगतानों को नियन्त्रित करती है, बल्कि 1947 के आयात-निर्यात-नियन्त्रण अधिनियम (Imports and Exports Control Act, 1947) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को लागू करने में भी सहायक होती है। इस प्रकार भारत में विनिमय नियन्त्रण तथा व्यापार-नियन्त्रण के उपाय एक-दूसरे के सहायक के रूप में लागू किये गये हैं।

1947 के विदेशी विनिमय-नियमन अधिनियम के अन्तर्गत विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को प्राप्त हैं। रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय में लेन-देन करने के लिए 37 अधिकृत व्यापारियों (authorised dealers) की नियुक्ति की हुई है, जिनमें से 21 भारतीय अनुमूचित बैंक तथा शेष विदेशी बैंक हैं। साधारण जनता तथा व्यापारी वर्गों की विदेशी विनिमय की आवश्यकताएँ इन्हीं अधिकृत बैंकों द्वारा पूरी की जाती हैं। विदेशी विनिमय की आधारभूत दरें तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्रोप की मान्यता के अनुसार ही निर्धारित होती हैं, परन्तु बाजार-दरें निश्चित सीमाओं में घट-बढ सकती हैं। अधिकृत व्यापारियों द्वारा निश्चित दर पर विदेशी विनिमय का ऋय-विक्रय किया जाता है। [पौण्ड-स्टलिंग की वर्तमान (नवम्बर 1967 में पौण्ड के अवमूल्यन के पश्चात) ऋय-दर (buying rate) 1 पौण्ड=17 72 रुपये है तथा विक्री-दर (selling rate) 1 पौण्ड=18 25 रुपये है। इसी प्रकार, डालर की (जून 1966 में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात) ऋय-दर 1 डालर=7 35 रुपये तथा विक्री-दर 1 डालर=7 60 रुपये है।] जून 1966 के पूर्व अग्रिम विनिमय (forward exchange) का भी ऋय-विक्रय होता था, परन्तु अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशासन रिजर्व बैंक के विनिमय-नियन्त्रण विभाग द्वारा किया जाता है जो उप-नियन्त्रक (Deputy Controller) की देख-रेख में कार्य करता है। बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर में विनिमय-नियन्त्रण विभाग के उप-कार्यालय सहायक नियन्त्रकों (Assistant Controllers) की देख-रेख में विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य करते हैं। विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी सभी प्रार्थना-पत्र उप-कार्यालयों को ही भेजे जाते हैं।

भारत में आयातों पर प्रतिबन्ध होने के कारण प्रायः समस्त आयातों के लिए लाइसेंस प्राप्त करन पडते हैं। इन्हीं लाइसेंसों के साथ विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए परमिट दिये जाते हैं, जिनके आधार पर आयातकर्ता अधिकृत बैंकों से निश्चित राशि तक विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकते हैं। आयातों के भुगतान के अतिरिक्त अन्य कई कारणों से भी रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। ये भुगतान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हो सकते हैं

1. राष्ट्रीय कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्तियों की विदेश यात्रा, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की प्राप्ति जिनकी भारत में उचित व्यवस्था न

- हो, किसी रोग का इलाज कराने के लिए यदि उसकी भारत में उचित व्यवस्था न हो, व्यापारिक कार्यों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए,
- 2 धार्मिक यात्राओं, मुख्यतः हज यात्रा के लिए । [हज यात्रियों को विशेष प्रकार के नोट दिये जाते हैं जो अरब के नोटों में परिवर्तनशील हैं ।]
 - 3 विदेशों से लौटते समय विदेशी मुद्रा में चुकाये गये भाड़े तथा आयातों के विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले भाड़े के लिए,
 - 4 भारत स्थित विदेशियों की बीमा पॉलिसियों के शुल्क (premium) विदेशों में भेजने के लिए,
 - 5 भारत स्थित विदेशी कर्मचारियों अथवा व्यवसायियों को अपने परिवारों के निर्वाह के लिए अथवा विदेशों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भारत से पैगम प्राप्त करने के अधिकारी हैं,
 - 6 स्वदेश वापस लौटने वाले विदेशियों को अपनी द्रव्य, प्रोवीडेंट फण्ड तथा सम्पत्ति की विक्री से प्राप्त राशि को अपने देश की मुद्रा में बदलकर ले जाने के लिए अथवा भारतीयों के दूसरे देशों में जाकर बसने के लिए,
 - 7 विदेशी पूंजी पर लाभांश तथा विदेशी ऋणों पर व्याज भेजने के लिए, तथा
 8. बनेक प्रकार के फुटकर भुगतानों के लिए, जैसे विदेशों में विज्ञापन, पत्रिकाओं का चन्दा, शिक्षा की फीस इत्यादि ।

समय समय पर विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी नियमों में होने वाले परिवर्तन भारत सरकार के गजेट (Gazette of India) में प्रकाशित किये जाते हैं और विज्ञापित्यं जारी की जाती हैं ।

जिस प्रकार विदेशी भुगतान के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, उसी प्रकार निर्यातों के बदले में प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय पर भी रिजर्व बैंक का पूर्ण अधिकार रहता है । भारत में रहने वाले किसी भी भारतीय को विदेशी प्रतिभूतियाँ खरीदने, बेचने अथवा रखने का, बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के, अधिकार नहीं है । माल निर्यात करने के लिए भी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है और एक निश्चित अवधि के अन्दर ही माल निर्यात कर देना होता है । माल के निर्यात से प्राप्त विदेशी विनिमय अधिकृत बैंकों में जमा हो जाता है तथा उसके बदले में रुपया में भुगतान प्राप्त हो जाता है । विदेशों में 50 रुपये के मूल्य तक के भेट (gift) पार्सल भेजने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

विदेशी यात्री अपने साथ किसी भी मात्रा में विदेशी मुद्रा ला सकते हैं, परन्तु उन्हें इसकी सूचना क्वार्टर अधिकारियों को देनी पड़ती है । विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत में चाहे जितनी मात्रा में मुद्रा स्थानान्तरित कर सकते हैं, परन्तु विदेशियों को एक निश्चित राशि से अधिक मुद्रा भारत में भेजने के पूर्व रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है । विदेशी पूंजी भारत में लगाने के पूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय तथा पूंजी निर्गमन नियन्त्रक (Controller of Capital Issues) से अनुमति लेनी पड़ती है । स्वर्ण, हीरे-जवाहरात तथा मूल्यवान घातुओं के आयात-निर्यात के लिए भी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है । भारत से बाहर जाने वाले यात्री एक निश्चित मात्रा में ही भारतीय मुद्रा अपने साथ ले जा सकते हैं, और इसी प्रकार विदेशी यात्री भी भारत में अपने साथ भारतीय मुद्रा एक निश्चित मात्रा में ही ला सकते हैं । भारतीय मुद्रा लाने तथा ले जाने की सीमा 75 रुपये है परन्तु पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के लिए यह सीमा केवल 50 रुपये ही है । रिजर्व बैंक के विशेष प्रकार के नोटों और ईरान की खाडी के देशों में प्रचलित हैं अथवा जो हज यात्रा करने वालों को दिये जाते हैं, उनका आयात इन स्थानों से भारत में किया जा सकता है ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय विनिमय-नियन्त्रण की नीति के अन्तर्गत एक ओर विदेशी यात्रियों, व्यापारियों तथा विनियोजकों के लिए काफी उदारता अपनायी जाती है, तो दूसरी ओर, भारतीय व्यापारियों तथा यात्रियों के द्वारा किये जाने वाले विदेशी भुगतानों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जाता है । इस नीति का उद्देश्य यह है कि हमारी विदेशी विनिमय की

प्राप्ति या म वृद्धि तथा भुगताना म कमा हो ताकि देण की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति जा पहल स हा प्रतिकूल है और अधिक प्रतिकूल न हान पाय । पिछन कुछ वर्षों स प्रतिबन्ध कुछ कडे कर दिव हैं, परन्तु फि ना नियम काफी लोचदार हैं । परिस्थितियों के अनुमार उनम समय-समय पर पत्रिनन हान रहत हैं और आवश्यकतानुमार कभी-कभी इह कुछ ढीला भी कर दिया जाता है । भारत म वनमान विद्या विनिमय सचट की स्थिति म आत्मनिभर अय-व्यवस्था के निमाण करन क उद्देश्य स यदि आगामा वर्षों म विद्या विनिमय पर प्रतिबन्ध अधिक कडे कर दिये जायें ता अनुचित न होगा ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरो के सकेत

1 विनिमय नियन्त्रण का अय स्पष्ट कात्रिए तथा इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए ।

[सकेत विनिमय नियन्त्रण का अय विस्तारपूर्वक समयाइए । दूसरे भाग मे विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों का व्याख्या कीत्रिए ।]

2 विनिमय-बाजार को नियन्त्रण करने का सबसे प्रमुख कारण विनिमय-दर को उस दर से भिन्न रखना है जो नियन्त्रण क अभाव में प्रचलित होनी है । इस कथन को व्याख्या कीत्रिए तथा विनिमय नियन्त्रण क उद्देश्यों का विश्लेषण कीत्रिए ।

[सकेत विनिमय नियन्त्रण द्वारा मुद्रा व अधिमूल्यन अथामूल्यन तथा विनिमय-स्थायित्व के कारणों तथा परिणामों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करिए और विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्य स्पष्ट कीत्रिए ।]

3 विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों का उल्लेख कीत्रिए तथा भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी विनिमय नियन्त्रण प्रणाली की सभ्य में विश्लेषण कीत्रिए ।

[सकेत प्रथम भाग मे विनिमय नियन्त्रण की प्रथम एवं पराप्त रीतियों का विस्तारपूर्वक व्याख्या कात्रिए तथा दूसरे भाग में भारत में विनिमय नियन्त्रण नाति से सम्बन्धित उपायों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीत्रिए ।]

4 विनिमय-बाजारों में हस्तक्षेप तथा 'विनिमय प्रतिबन्ध' मे अन्तर स्पष्ट कात्रिए तथा इनकी विभिन्न रीतियों पर प्रकाश डालिए । इनमें से आप अधिक उपयुक्त किसे समझते हैं ?

[सकेत 'हस्तक्षेप' तथा 'प्रतिबन्ध' के अय बनाइए और इन दोनों के उद्देश्य तथा तरीकों के आधार पर इनमें अन्तर समयाइए । 'हस्तक्षेप' तथा 'प्रतिबन्ध' का विभिन्न रीतियों की विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट कीत्रिए कि विनिमय प्रतिबन्ध हस्तक्षेप की अपणा अधिक प्रयुक्त कडोर एवं प्रभावशाली नीति है । इनम कौनसी अधिक उपयुक्त है यह दृष्ट का परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।]

5 विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किन परिस्थितियों मे आवश्यक होता है ? क्या इससे कुछ हानियों की भी सम्भावना रहनी है ?

[सकेत प्रथम भाग म विनिमय नियन्त्रण क उद्देश्य का व्याख्या कीत्रिए तथा दूसरे भाग मे विनिमय नियन्त्रण क दोष समयाइए ।]

6 निम्नलिखित लिखिए विनिमय समायोकरण काय विनिमय अधिकालाज (Pegging) अवस्था खाता समायोचन समायोचन ।

[सकेत प्रत्येक के अय स्वरूप रण तथा दोषों की अन्तरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर व्याख्या कीत्रिए ।]

पचम खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग

[INTERNATIONAL MONETARY
CO-OPERATION]

“एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सस्था की स्थापना जन्हीं कारणों का परिणाम है जिन्होंने बहुत समय पूर्व राष्ट्रीय साख व्यवस्था में केन्द्रीय बैंकों को जन्म दिया था । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष केन्द्रीय बैंकों का बैंक तथा विश्व की मौद्रिक व्यवस्था की आच्छादन शिला होगा ।”¹ —हॉम

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के स्थान पर आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गयी थी । 1930 के विश्वव्यापी अवसाद (depression) तथा 1931 में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के पतन ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में विघटन की शक्तियों को और भी अधिक बढ़ावा दिया । प्रत्येक देश अपने आयातों में कमी तथा निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्पर्धात्मक विनिमय-अवमूल्यन (competitive currency devaluation) तथा विनिमय-नियन्त्रण की नीतियाँ अपनाते लगा, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, लेन-देन एवं पूंजी के आवागमन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था अनिश्चितता तथा अस्थायित्व के शपेटों से व्याकुल होने लगी । द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही कुछ बड़े देशों के बीच आपसी समझौते भी समाप्त हो गये । विनिमय-दरों में इतने अधिक उच्चावचन होने लगे कि अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन तथा व्यापार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी । इतने परिस्थितियों में द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व ही राष्ट्रों में यह विदवास बढ़ने लगा कि मानव-जाति का कल्याण एक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है ।”

मौद्रिक सहयोग की योजनाएँ

द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम चरण से ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग (international monetary co-operation), विदेशी व्यापार के विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के समुचित प्रवाह के लिए एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो विभिन्न राष्ट्रीय मौद्रिक स्वतन्त्रताओं को सुरक्षित रखते हुए एक स्थायित्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को जन्म दे सके । इस दिशा में ब्रिटेन तथा समुक्त राज्य अमेरिका के अर्थ विदोपज्ञों ने अलग-अलग सुझाव रखे ।

ब्रिटेन की ओर से लॉर्ड केन्ज द्वारा 1943 में “अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन सघ के लिए प्रस्ताव” (Proposal for an International Clearing Union) रखा गया, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन सघ की स्थापना तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा ‘बैंकोर’ (Bancor) को चलाने के सुझाव थे । इस योजना के प्रमुख सुझाव थे कि

1 “The creation of an international monetary institution is the consistent conclusion of the same development which long ago led to the establishment of Central banks within national credit systems. The International Monetary Fund will be a bank of Central banks, the capstone in the world's monetary system —G N Halm *Monetary Theory*, p 264

2 Meur and Baldwin *New Pattern of International Development*, p 272

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के अन्तर वैकीर में चुकाये जायें जिनका मूल्य स्वर्ण में परिभाषित हो, समस्त लेन-देन समागोचन सघ के माध्यम से किये जायें और इसमें सभी सदस्य देशों के खाते हो, तथा लेन-देन में समानता रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र सघ से एक निश्चित अवधि के लिए अधिविचय (overdraft) की सुविधा प्राप्त कर ; इस प्रकार केन्ज का प्रस्ताव एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय वैकिंग व्यवस्था की स्थापना करने का था ताकि सदस्य देश "एक सम्मिलित तरलता भण्डार की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा भुगतान-सन्तुलन के सकटों से अपनी रक्षा कर सकें।"¹

अमेरिका की ओर से हारवर्ड के अर्थशास्त्री डॉ० हैरी डैक्सटर ह्वाइट (Dr. Harry Dexter White) ने 1943 में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण कोष—"A United States Proposal for a United and Associated Nation's Stabilization Fund"—की स्थापना का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित कोष के उद्देश्य भुगतानों में सन्तुलन बनाये रखना, विनिमय-दरों में स्थिरता लाना अतिरिक्त विदेशी विनिमय साधनों का उचित उपयोग करना तथा विनिमय-नियन्त्रणों से मुक्त वातावरण में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना थे। लेखे की इकाई के रूप में 'यूनिटास' (UNITAS) अपनाये जाने का सुझाव दिया गया, जिसका मूल्य 10 डालर रखा गया।

सन् 1943 में जब 19 राष्ट्रों के प्रतिनिधि वाशिंगटन में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर रहे थे तो 'केन्ज योजना' तथा 'ह्वाइट योजना' को समन्वित करके कनाडा ने एक तीसरी योजना—"Tentative Draft Proposal of Canadian Experts for an International Exchange Union"—प्रस्तुत की, परन्तु यह अस्वीकार कर दी गयी।

अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों ही एक-दूसरे के सुभाव नृतिपूर्ण समझते थे। दोनों पक्षों में वाद-विवाद के बाद सन्निहित रूप में अप्रैल 1944 में एक संयुक्त वक्तव्य—"The Joint Statement by Experts on the Establishment of an International Monetary Fund"—प्रकाशित किया गया। इस योजना पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए जुलाई 1944 में ब्रेटनवुड्स (Brettonwoods) नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन (Brettonwoods Conference) में काफी विचार-विमर्श के बाद एक योजना स्वीकार की गयी, जो ब्रेटनवुड्स समझौते (Brettonwoods Agreement) के नाम से जानी जाती है। इसके अन्तर्गत तय हुआ कि निम्नलिखित दो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाओं की स्थापना की जाय

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund), और
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एव विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 को हुई। इस सस्था ने अपना कार्य 1 मार्च, 1947 से प्रारम्भ किया। यद्यपि आरम्भ में इनके सदस्यों की संख्या केवल 30 थी, परन्तु आज साम्यवादी देशों को छोड़कर लगभग सभी राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 118 है।

प्रो० हॉम ने मुद्रा-कोष की चर्चा करते हुए कहा है कि यह कोष 'केन्द्रीय बैंकों का बैंक' (a bank of Central banks) तथा विश्व की मौद्रिक व्यवस्था का प्रधान (the capstone in the world's monetary system) होगा। जिस प्रकार किसी राष्ट्र का केन्द्रीय बैंक अपने देश के व्यापारिक तथा अन्य बैंकों के नकद कोषों की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार यह कोष सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त किये गये साधनों का केन्द्रीकरण करके अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। जिस प्रकार केन्द्रीय बैंक साख नीति में मामजस्य स्थापित करता है, उसी

¹ "protected by a common pool of liquidity against international liabilities and against balance of payment crisis"—K. K. Kurahara *Monetary Theory and Public Policy*, p. 341.

प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों की मौलिक एवं आर्थिक नीतियों में समायोजन कर सन्तुलन लाने का प्रयास करता है। यह सब होते हुए भी यह समझ लेना आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक और मुद्रा-कोष की प्रकृति में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं। केन्द्रीय बैंक मुद्रा का निर्माण कर साख की कमी को दूर कर सकता है जबकि मुद्रा-कोष के पास मुद्रा-निर्माण की कोई शक्ति नहीं है। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आदेशों के पालन के लिए विवदा कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा-कोष की स्थापना मौद्रिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एवं पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच एक समझौता मात्र है।¹

मुद्रा-कोष के उद्देश्य

कोष के समझौता पत्र की धारा 1 के अनुसार कोष के निम्नलिखित छ उद्देश्य हैं

- (1) एक स्थायी मौद्रिक सहायता के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग (international monetary co-operation) को प्रोत्साहन देना।
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार एवं सन्तुलित विकास (expansion and balanced growth of international trade) के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करना और इस प्रकार राष्ट्रों में रोजगार के उच्च स्तर को स्थापित करना एवं उसे बनाये रखना (to promote and maintain a high level of employment)।
- (3) सदस्य राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन (competitive exchange depreciation) को रोककर विनिमय-स्थायित्व (exchange stability) को प्रोत्साहित करना तथा एक नियमित विनिमय व्यवस्था को बनाये रखना।
- (4) चालू व्यवसायों के लिए बहुपक्षी भुगतान पद्धति (multi-lateral system of payments) की स्थापना कर सदस्य राष्ट्रों के मध्य विनिमय सम्भव करना तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों (exchange restrictions) को समाप्त करना।
- (5) समुचित सुरक्षा के साथ सदस्य राष्ट्रों के लिए कोष के साधन उपलब्ध कर उनमें विश्वास उत्पन्न करना और इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति को नष्ट करने वाले उपाय अपनाये बिना भुगतान-सन्तुलन के गलत समायोजनों (maladjustments in the balance of payments) को सुधारने में सहायता देना।
- (6) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-सन्तुलन के असन्तुलन की अवधि एवं उसकी मात्रा (duration and degree of disequilibrium) को कम करना।

इस प्रकार, मुद्रा-कोष की स्थापना से उपर्युक्त उद्देश्यों के महारे एक ऐसी सुदृढ व्यवस्था की नींव पड़ी जो अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से पर्याप्त लचीलापन (sufficient flexibility) बनाये रखने के साथ-साथ मौद्रिक अनुशासन के उन सिद्धान्तों पर आधारित है जिनके बिना कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था समुचित तरीके से नहीं चल सकती है।²

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कार्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का प्रमुख कार्य सदस्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलनों को ठीक करके अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा बहुपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धों के विकास को प्रोत्साहित करना है। आइवर रूथ (Ivor Rooth) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के तीन प्रमुख कार्य हैं अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-सन्तुलन को पुन प्राप्त करना, सदस्य देशों की मुद्राओं में परिवर्तन का गुण स्थापित करना, एवं व्यापारिक उर्चावचनों तथा अस्थिरताओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव को कम करना।³

1 G N Halm *Monetary Theory*, Chapter XV

2 "It was necessary to establish something new and more strongly founded, a kind of system which would provide at the same time, sufficient flexibility through international assistance and yet adhere to those principles of monetary discipline, without which no international system can function properly" —Per Jacobson, Managing Director, I M F

3 Ivor Rooth, Chairman of the Board of Directors of IMF, "Tasks Before I M F" Annual Number of *Commerce*, December 1953, p. 35.

मुद्रा-कोप के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं .

(1) अल्पकालीन अन्तर्राष्ट्रीय साख की व्यवस्था—सदस्य देशों के भुगतान-सन्तुलन में उत्पन्न होने वाले अल्पकालीन असन्तुलन को समाप्त करने अथवा कम करने के उद्देश्य से मुद्रा-कोप एक तो प्रत्यक्ष रूप में अपने सदस्यों को विदेशी मुद्रा बेचना है, अर्थात् ऋण देता है, दूसरे उनको आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा बेचने के वचन देता है, जिन्हें 'stand-by agreements' कहा जाता है। सदस्य राष्ट्र प्रायः किसी सकटकालीन स्थिति, चाहे भुगतान-असन्तुलन अथवा सामयिक विनिमय-कठिनाइयों का सामना करने के लिए मुद्रा-कोप से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपातकालीन वचनों (stand-by agreements) की व्यवस्था का आरम्भ 1952 से हुआ। इनकी अवधि प्रायः एक वर्ष होती है, परन्तु उसे बढ़ाया भी जा सकता है।

(2) सर्घापूर्ण अवमूल्यन पर रोक—विभिन्न मुद्राओं की विनिमय-दरों अथवा सममूल्य दरों के निर्धारण तथा नियन्त्रण द्वारा मुद्रा-कोप उनमें एक सीमा से बाहर परिवर्तन नहीं होने देता। परन्तु साथ में कोप यह भी ध्यान में रखता है कि किसी भी देश में दीर्घकालीन असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। इसी उद्देश्य से मुद्रा-कोप सदस्य देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में आधारमूलक परिवर्तन होने पर उन्हें अपनी मुद्राओं की समता-दरों बदलने की अनुमति देता है।

(3) मौद्रिक तथा अन्य आर्थिक विषयों पर परामर्श—वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त मुद्रा-कोप सदस्य देशों को विभिन्न मौद्रिक तथा आर्थिक विषयों पर परामर्श (अर्थात् तकनीकी सहायता) भी देता है। इस प्रकार की सहायता के अन्तर्गत कोप के विशेषज्ञ कुछ समय के लिए किसी भी सदस्य देश की समस्याओं के अध्ययन तथा परामर्श के लिए भेजे जा सकते हैं। इस उद्देश्य से कोप बाहर के विशेषज्ञों को भी नियुक्त कर सकता है। सदस्य देशों द्वारा भेजे गये पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1964 में एक प्रशिक्षणालय (I. M. F. Institute) स्थापित किया गया है। मुद्रा-कोप ने विभिन्न प्रकाशन सदस्य देशों में तकनीकी ज्ञान का प्रचार करते हैं। कोप के इस प्रकार के कार्यों से सदस्य देशों की आर्थिक विकास की नीतियाँ अपनाते तथा कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुद्रा-कोप के कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी है। मुद्रा कोप निजी क्षेत्र को सस्याओं अथवा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता। यह केवल केन्द्रीय बैंक स्थायीकरण कोप अथवा किसी अन्य अधिकृत केन्द्रीय मौद्रिक संस्था के साथ ही लेन-देन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कोप सदस्य राष्ट्र की आन्तरिक व्यवस्था तथा अर्थ-नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल परामर्श दे सकता है। किसी सदस्य राष्ट्र के व्यापारव्यवशेष में अस्थायी सन्तुलन को दूर करने के लिए कोप केवल अल्पकालीन, अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए, सीमित भाना में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। मुख्य रूप से, कोप का कार्य सदस्य देशों में मौद्रिक अनुशासन की भावना को जाग्रत करना है, परन्तु उसका पालन करने के लिए किसी भी देश को विवश करने का अधिकार कोप को प्राप्त नहीं है।

मुद्रा-कोप की पूंजी

मुद्रा-कोप की पूंजी का निर्माण सदस्य देशों से प्राप्त निर्धारित अन्शों (quotas) के रूप में स्वर्ण तथा उनकी वैधानिक भुजाओं द्वारा हुआ है। यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक सदस्य देश अपने निर्धारित कोटा का 25 प्रतिशत भाग अर्थात् अपने स्वर्ण तथा डालर के कुल अधिकृत कोप (net official holding) का 10 प्रतिशत भाग, इनमें से जो भी कम हो, स्वर्ण के रूप में कोप के पास जमा करे और शेष भाग अपनी वैधानिक मुद्रा के रूप में जमा करे। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अथवा सदस्य राष्ट्र की प्रार्थना पर 4/5 बहुमत से किसी भी देश के कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए सदस्य देश की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

आरम्भ में मुद्रा-कोप के साधन 1000 करोड़ डालर आँके गये, किन्तु रूस के इसमें सम्मिलित न होने से इसकी कुल पूंजी 880 करोड़ डालर ही रह गयी। जिन देशों ने 31 दिसम्बर, 1945 के पूर्व कोप की सदस्यता स्वीकार कर ली थी वे इसने मौलिक सदस्य (original mem-

bers) कहलाते हैं। भारत भी कोष का मौलिक सदस्य है। बाद में सम्मिलित होने वाले देशों का कोटा मौलिक सदस्यों द्वारा निश्चित किया गया है। अन्यथा निर्धारित करते समय प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के राजनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व, उसकी राष्ट्रीय आय, उसके स्वर्ण और विदेशी विनिमय-कोष तथा भुगतान-सन्तुलन की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

कोष की स्थापना के पश्चात् 13 वर्षों तक सदस्य देशों के मौलिक कोट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अक्टूबर 1958 में मुद्रा-कोष के गवर्नरो (Board of Governors) की एक बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें कोष के साधनों में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इससे अनुसार सदस्य देशों के अग्रे 50 प्रतिशत बढ़ा दिये गये। कनाडा, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान में अधिक आर्थिक विकास होना के कारण उनके कोटों में विशेष वृद्धि की गयी। 26 फरवरी, 1965 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सिफारिश पर सदस्य देशों के अग्रे 50 प्रतिशत में एक बार फिर 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। साथ ही, 16 सदस्य देशों के कोटों में इससे भी अधिक वृद्धि का निर्णय किया गया। उद्देश्य यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (international liquidity) में वृद्धि की जा सके। परिणामस्वरूप, कोष की कुल पूंजी बढ़कर 2,100 करोड़ डालर हो गयी।

सदस्य राष्ट्रों के अग्रे 50 प्रतिशत में तीसरी बार वृद्धि करने के निश्चय को फरवरी 1970 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य अग्रे 50 प्रतिशत में लगभग 355 प्रतिशत की वृद्धि करना है ताकि अग्रे 50 प्रतिशत की कुल राशि 2,890 करोड़ डालर हो जाय। सदस्य देशों को अपने अग्रे बढ़ाने के लिए 15 नवम्बर, 1971 तक का समय दिया गया।

ऋण प्राप्त करने के सामान्य समझौते (General Agreements to Borrow) के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर कोष कुछ विदेशी मुद्राएँ भी प्राप्त कर सकता है। इनका उपयोग समय-समय पर उत्पन्न होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है।

सदस्य राष्ट्रों का वोट देने का अधिकार उनके अग्रे की राशि पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से प्राप्त होने वाली सदस्य देशों की सहायता भी उनके अग्रे द्वारा निर्धारित होती है।

मुद्रा-कोष का प्रशासन एवं संगठन

मुद्रा-कोष के लिए एक गवर्नरो का बोर्ड है तथा दूसरा सचालकों का बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश 5 वर्ष की अवधि के लिए एक गवर्नर नियुक्त करता है। सदस्य देश एक विकल्प गवर्नर (Alternate Governor) भी नियुक्त कर सकता है जो गवर्नर की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक में भाग ले सकता है। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। सदस्य देशों के कोटों में संचोधन, नये सदस्यों के प्रवेश, सचालकों (Directors) के चुनाव तथा सदस्य देशों की मुद्राओं की समता-दरों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार इसी बोर्ड को प्राप्त हैं।

कोष के दिन-प्रतिदिन के कार्य का संचालन करने के लिए 20 सदस्यों का एक सचालक बोर्ड है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य उन देशों द्वारा नामजद किये जाते हैं जिनके कोट सबसे अधिक होते हैं। 1 सदस्य कनाडा द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। 5 सदस्य सुदूरपूर्व एवं प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों द्वारा चुने जाते हैं। अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिकी देशों तथा यूरोपीय देशों द्वारा तीन-तीन सदस्य चुने जाते हैं। सचालक बोर्ड अपनी बैठकों का आयोजन कोष के वाशिंगटन स्थित कार्यालय पर ही करता है।

सचालक बोर्ड का अध्यक्ष प्रबन्धक-सचालक (Managing Director) कहलाता है और वह मुद्रा-कोष का मुख्याधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए एक सहायक (Deputy) प्रबन्धक-सचालक भी होता है। प्रशासन के दृष्टिकोण से कोष का संगठन विभिन्न विभागों में बँटा हुआ है। प्रत्येक विभाग कोष के एक वरिष्ठ अधिकारियों की देख-रेख में कार्य करता है।

विनिमय-दरों अथवा मुद्राओं की समता-दरों का निर्धारण

जैसा कि बताया जा चुका है, मुद्रा-कोष की स्थापना का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच

विनिमय-साध्यता तथा विनिमय-स्वायत्तत्व को प्रोत्साहित करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोप के विनिमय-दरों के निर्धारण के लिए स्वर्ण को सामान्य-आधार (common denominator) के रूप में चुना गया। सदस्य देशों को अपनी-अपनी मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण अथवा अमेरिकी डालर में निर्धारित करने के लिए कहा गया। स्वर्ण को सामान्य आधार मान लेने से विनिमय-दरों अथवा विभिन्न मुद्राओं की समता-दरों का निर्धारण करना काफी सहज हो गया।

पिछले अनुभवों के आधार पर ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की भाँति विनिमय-दरों को स्थायी रखते हुए भी मुद्रा-कोप इन्हे पूर्णतया बेलोच न बनायेगा, अर्थात् सदस्य राष्ट्रों को एक सीमा के अन्दर विनिमय-दरों में परिवर्तन करने की सुविधा दी जायगी। लॉर्ड केन्ज ने स्पष्ट किया कि "किमी भी चलन-मुद्रा का बाह्य-मूल्य स्वर्ण में व्यक्त होगा, किन्तु वह स्वर्ण को किसी निश्चित मात्रा में स्थायी रूप में बँधकर नहीं चलेगा। इस कोप की ऐसी कोई वित्तीय नीति नहीं होगी जो घरेलू चलन (domestic currency) के आन्तरिक मूल्यों को स्वर्ण में अभिव्यक्त बाह्य मूल्यों से ताल-मेल बैठाने को विवश करे।"¹

विनिमय-दरों के निर्धारण में मुद्रा-कोप ने व्यवस्थित परिवर्तनशीलता (managed flexibility) के सिद्धान्त को अपनाया है। स्वर्ण के माध्यम में विभिन्न मुद्राओं के बीच विनिमय की समता-दरें (par values of exchange) तय होती हैं। सदस्य देशों द्वारा स्वर्ण के क्रय-विक्रय के लिए समता-दरों से अधिकतम और न्यूनतम सीमाएँ (margins) भी तय कर दी जाती हैं। यह सीमा अथवा मार्जिन केवल $\frac{1}{4}$ प्रतिशत निश्चित किया गया है। इससे प्रतियोगिता करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है तथा विनिमय-दरों में स्वायत्तता आता है। दूसरी ओर प्रत्येक सदस्य देश को अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं में परिवर्तनों के अनुसार विनिमय-दरों में छटा-बड़ी करने की भी स्वतन्त्रता प्राप्त है।

कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी मुद्रा की प्रारम्भिक समता-दर (initial par value) में 10 प्रतिशत तक का परिवर्तन केवल कोप की सूचना देकर कर सकता है। 10 से 20 प्रतिशत के बीच किसी भी दिशा में परिवर्तन करने के लिए मुद्रा-कोप से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कोप को यह अधिकार है कि वह इसके लिए स्वीकृति दे अथवा न दे, परन्तु उसे अपने निर्णय की सूचना 72 घण्टे के भीतर देनी होती है। 20 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन की स्वीकृति कोप के $\frac{2}{3}$ सदस्यों की सहमति से ही दी जा सकती है। कोई भी सदस्य राष्ट्र मुद्रा-कोप की सहमति के बिना भी अपनी मुद्रा के समता-मूल्यों में परिवर्तन कर सकता है बशर्ते कि सदस्य राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। स्पष्ट है, मुद्रा-कोप के अन्तर्गत विनिमय दरों में स्थिरता पर तो बल दिया गया है, दृढ़ता (rigidity) पर नहीं। अर्थ-व्यवस्था में किसी भी मौलिक अथवा स्थायी असन्तुलन (fundamental disequilibrium) के सुधार के लिए मुद्रा-कोप से विनिमय-दरों में परिवर्तन करने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है ताकि विपरीत भुगतान-सन्तुलन अथवा विकट बेरोजगारी जैसी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके।

यदि कोई सदस्य देश अनधिकृत तरीके से अपने चलन के समता-मूल्यों में परिवर्तन करता है तो मुद्रा-कोप उसे दो प्रकार से दण्ड दे सकता है—कोप के साधनों के प्रयोग का निषेध करके अथवा उस देश की सदस्यता को समाप्त करके।

विनिमय-नियन्त्रण

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्थापना विनिमय-नियन्त्रणों (exchange controls) को समाप्त करने के उद्देश्य से की गयी थी ताकि राष्ट्रों के मध्य बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले। किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कोप ने यह तय किया कि कुछ परिस्थितियों में सदस्य देशों द्वारा नियन्त्रण अथवा प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति देना उचित होगा, जैसे—

1 "The external value of a currency was expressed in terms of gold without being rigidly tied to a fixed quantity of gold or involving a financial policy which compels the internal value of the domestic currency to conform to this external value as fixed in terms of gold"
—Lord Keynes

(1) पूंजी के अत्यधिक और निरन्तर प्रवाह की रोकथाम के लिए, (2) किसी राष्ट्र की मुद्रा के दुर्लभ (scarce) होने की स्थिति में, तथा (3) सन्नान्ति काल (transitional period) में।

चूँकि मुद्रा-कोप की स्थापना के समय अधिकांश देशों के भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल थे, अतएव सम्झौते की धारा 14 के उपखण्ड 2 के अनुसार चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन (current international transactions) पर पाँच वर्ष के सन्नान्ति काल के लिए भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उन्हें अवरोधित करने (retention) की अनुमति दी गयी थी। भुगतान-सन्तुलन की स्थिति ठीक हो जाने पर प्रतिबन्धों को हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि धारा 8 के उपखण्ड 2 (अ) और धारा 6 के उपखण्ड 3 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र मुद्रा-कोप की सहमति और स्वीकृति के बिना चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के भुगतानों पर साधारण परिस्थितियों में प्रतिबन्ध नहीं लगा सकेगा।

कुरीहारा (K. K. Kurihara) के शब्दों में, "मुद्रा-कोप एक जोर विनिमय-दृढ़ता के बिना विनिमय-स्थापित्व बनाये रखने की आशा करता है और दूसरी ओर कुछ विनिमय-नियन्त्रण के साथ विनिमय की लोचपूर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की आशा करता है।"¹

मुद्रा-कोप के लेनदेन

मुद्रा-कोप सदस्य राष्ट्रों के भुगतान-सन्तुलन के अस्थायी घाटों (temporary deficits) को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्राएँ उनकी अपनी मुद्राओं के बदले में बेचता है। कोप चूँकि सभी सदस्य देशों की मुद्राओं की निधि रखता है अतः कोई भी सदस्य राष्ट्र भुगतानादयोग के अस्थायी असन्तुलन को ठीक करने के उद्देश्य से एक वर्ष में अपने अम्यरा के 25% तक के मूल्य की विदेशी मुद्राएँ अपनी मुद्रा के बदले में खरीद सकता है। उसके कोटे के इस भाग को 'gold tranche' कहते हैं। कुल मिलाकर 5 वर्षों में अपने अम्यरा के 125% तक के मूल्य की विदेशी मुद्राएँ खरीदी जा सकती हैं। किसी भी समय कोप के पास किसी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा की निधि उसके अम्यरा के 200% से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात् अपने मूलभूत अम्यरा अथवा हिस्से का 75% तथा शेष 125% विदेशी मुद्राओं के क्रय के लिए हो सकता है। साथ ही, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है कि प्रत्येक देश प्रति वर्ष कोप में बड़ी हुई अपनी मुद्रा की वापसी अथवा पुनःक्रय (repurchase) का एक निश्चित ऋण के अनुसार प्रबन्ध करे।

स्मरण रहे कि कोप से सहायता तभी प्राप्त की जा सकती है जब किसी देश के सामने विपरीत भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने की समस्या हो। बिना आवश्यकता बार-बार विदेशी मुद्राओं के क्रय पर कोप ने कुछ प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, जिनके अन्तर्गत कोप से प्राप्ता की गयी सहायता की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ व्याज-दर उँची होती जाती है। सहायता की अवधि अधिक होने पर भी व्याज-दर अधिक हो जाती है। अम्यरा के 25% के बराबर ऋण पर प्रथम तीन माह कुछ भी व्याज नहीं देनी पड़ती, परन्तु यह अवधि के साथ-साथ बढ़ती जाती है और $\frac{1}{2}$ % से 2 $\frac{1}{2}$ % तक हो सकती है। अम्यरा के 25% से अधिक ऋण होने पर तो व्याज-दर 4% तक होनी है। अधिक से अधिक 15 वर्ष के लिए सहायता दी जा सकती है।

पेर जेकोबसन (Per Jacobson) ने ठीक ही कहा था कि "मुद्रा-कोप आग बुझाने वाले इञ्जन की तरह है, जिसका प्रयोग केवल संकटकाल में किया जाना चाहिए।"

दुर्लभ मुद्राएँ

यह अनुमान था कि युद्धोपरान्त कुछ मुद्राएँ, विशेषतया डालर, सीमित अथवा दुर्लभ हो जायेंगी (अर्थात् मुद्रा-कोप पर उनकी माँग उनकी पूर्ति से अधिक होगी) और काप अपने साधनों से उनकी पूर्ति न कर सकेगा। अतएव कोप के विधान में दुर्लभ मुद्राओं (scarce currencies) के लिए अलग से व्यवस्था की गयी है। किसी देश की मुद्रा दुर्लभ होने पर कोप उस देश से उधार

1 "... hopes to maintain exchange stability without exchange rigidity on the one hand, and to promote exchange flexibility with some exchange control on the other" — K. K. Kurihara. *Monetary Theory and Public Policy*, p. 351

लेकर उम मुद्रा की मांग पूरी कर सकता है। स्वर्ण लेकर कोप उम मुद्रा का श्रय भी कर सकता है। परन्तु फिर भी यदि वह मुद्रा दुर्लभ बनी रहती है तो मुद्रा-कोप उम देश को सूचना देकर उम मुद्रा विनिमय का गणितम (rationing) कर सकता है और अन्य मध्यम देशों को यह अधिकार देना है कि वे दुर्लभ मुद्रा वाले देश के साथ होने वाले विनिमय पर नियन्त्रण लगायें।

प्रश्न यह उठता है कि यदि मुद्रा दुर्लभ बनें होती है? सम्भवतः इसके चार प्रमुख कारण हो सकते हैं (1) वह अधोमूल्य मुद्रा (under valued currency) है, या (2) उस देश में बहुत ऊँची प्रमुख अथवा तट-रक्ष दीवारें (tariff walls) खड़ी कर रखी हैं, या (3) उम देश में बहुत बड़े पैमाने पर अपनी पूँजी का विदेशों में विनियोग किया है, या (4) उम देश ने बड़े पैमाने पर अपनी वस्तुओं का विदेशों में गणिपातन (dumping) किया है।¹

गुणवत्त-मन्तुवन निरन्तर दुर्लभ मुद्रा वाले देश के पक्ष में रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय-स्वातन्त्र्य के दृष्टिकोण में न तो उम देश का व्यवहार उचित है और न ही उम देश का जिसमें निरन्तर जमन्तुवन की स्थिति बनी रहती है। इन दोनों देशों की व्यवस्था ठीक करने के लिए सबसे उचित तरीका यह है कि मुद्रा-कोप दुर्लभ मुद्रा वाले देश को इसकी सूचना दे। साथ ही उमें यह भी जादेश दे कि वह मुद्रा का पुनर्मूल्यन (revaluation) करे ताकि लागतों व कीमतों में वृद्धि हो जिसके परिणामस्वरूप जायान और निर्यात कम हो। ऐसा होने पर दुर्लभ मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और मजदूरी कम हो जायगी।

कोप की योजना में स्वर्ण का स्थान

स्वर्ण-मान के अन्तर्गत स्वर्ण की एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था, क्योंकि देश की मुद्रा स्वर्ण के साथ जोड़करता में जुड़ी रहती थी। स्वर्ण की पूर्ति में जो उतार-चढ़ाव होते थे उनका प्रभाव विनिमय-दरों पर पड़े बिना नहीं रहता था। मुद्रा-कोप प्रणाली के अन्तर्गत मुद्राओं के समान-मूल्य स्वर्ण पर आधारित होना है, परन्तु स्वर्ण के उत्पादन तथा उत्खनन (production and mining of gold) का मुद्रा के मूल्यो अथवा विनिमय-दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विनिमय-दरों के उच्चावचन की उपयुक्त सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती हैं।

इतना कुछ होने के बावजूद भी स्वर्ण का स्थान मुद्रा-कोप प्रणाली में कुछ कम महत्व बही रहता है। मध्य राष्ट्रों की मुद्राओं की प्रारम्भिक विनिमय-दर स्वर्ण में ही बाँकी गयी हैं और स्वर्ण एक सामान्य मापक (common denominator) के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र निर्धारित दर पर ही स्वर्ण का खय-विक्रय करता है। साथ ही, नियमानुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने अन्तर्गत का एक निश्चित भाग अथवा प्रतिशत कोप के पास स्वर्ण में जमा करता है। घाट वाले देश स्वर्ण लेकर विदेशी मुद्रा खरीदते हैं और अधिक्य वाले देश स्वर्ण लेकर अपनी अतिरिक्त मुद्रा खरीदते हैं। प्रो० जीन एच० विलियम्स ने जुलाई 1943 के 'The Foreign Affairs' में लिखा था कि वेन्ज तथा ह्याडट द्वारा प्रस्तावित दोनों ही योजनाएँ अनिवार्य रूप से स्वर्ण-मान याजनाएँ थीं और कोप से निये गये लेन-देन मध्यम देशों में वैश्वीकरण के कोपों को उसी प्रकार प्रभावित करते हैं जिस प्रकार स्वर्ण-मान के अन्तर्गत स्वर्ण के प्रवाह का प्रभाव पड़ता है।²

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की व्यवस्था में स्वर्ण मुख्यतः तीन कार्य करता है - (1) यह सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का सामान्य मूल्य-मापक है, (2) यह अस्थायी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-मन्तुवन की स्थिति को दूर करता है, तथा (3) जब कोई देश अन्य देशों के साथ स्वर्ण-समानता में परिवर्तन करता है तो यह विनिमय-दरों को स्थिरता प्रदान करने में योग देता है। स्वर्ण-मान की बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली के समान ही मुद्रा-कोप भी मुद्राओं को परिवर्तनशीलता प्रदान कर बहुपक्षीय भुगतानों को प्रोत्साहित करता है। स्वर्ण-मान विनिमय-नियन्त्रण के विरुद्ध था और मुद्रा-कोप भी वैद्वान्त्रिक रूप में विनिमय-नियन्त्रण के विरुद्ध है। मुद्रा-कोप की कार्य-प्रणाली में स्वर्ण

1 Norman Crump *The ABC of Foreign Exchange*, p. 228

2 "essentially gold standard plans, and the transactions with the Fund affected bank reserves in precisely the same manner as the movements of gold under the gold standard"
—John H. Williams *Post war Monetary Plans*, pp 8-9.

को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कोष से विदेशी मुद्रा खरीदने वाले देश की स्थिति स्वर्ण-मान के अन्तर्गत स्वर्ण खोने वाले के समान होती है। इन सब बातों से क्या यह समझा जाय कि मुद्रा-कोष की स्थापना स्वर्ण-मान की वापसी की ओर एक कदम है? हॉम ने लिखा है, "मुद्रा-कोष की स्थापना स्वर्ण-मान की वापसी की ओर एक कदम है? हॉम ने लिखा है, "मुद्रा-कोष की स्थापना स्वर्ण-मान की वापसी की ओर एक कदम है? हॉम ने लिखा है, "मुद्रा-कोष की स्थापना स्वर्ण-मान की वापसी की ओर एक कदम है?"

स्वर्ण-मान के अनेक गुण मुद्रा-कोष की व्यवस्था में पाये जाने पर भी यह कहना गलत होगा कि मुद्रा-कोष प्रणाली, वास्तव में, स्वर्ण-मान ही है। लॉर्ड वेन्ज ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lords) में 23 मई, 1944 के भाषण में स्वर्ण-मान और मुद्रा-कोष के स्वर्ण प्रयोग में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा था कि स्वर्ण-मान प्रणाली में देश की मुद्रा का बाह्य-मूल्य पूर्णतया स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में बँधा रहता है, किन्तु इसके विपरीत मुद्रा-कोष व्यवस्था में स्वर्ण को केवल एक ऐसे सामान्य मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में बिना कठिनाइयों के समय-समय पर परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह सैद्धान्तिक आधार स्वर्ण-मान प्रणाली से अलग ही है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी आन्तरिक आर्थिक नीति में स्वतन्त्र रहकर विनिमय-स्थायित्व के साथ-साथ आर्थिक स्थायित्व का सामंजस्य करता है। स्वर्ण-मान प्रणाली में विनिमय-दर बिलकुल स्थायी होती है जबकि मुद्रा-कोष की योजना में व्यवस्थित लोच (managed flexibility) को महत्व दिया जाता है। कोष की योजना में अन्तर्राष्ट्रीय योजना के द्वारा एक ऐसी नयी प्रणाली का निर्माण किया गया है जो स्वर्ण-मान की पुरानी दृढ़ प्रणाली से कोसों दूर है।¹

इस प्रकार, यद्यपि मुद्रा-कोष प्रणाली में स्वर्ण-मान के अनेक गुण विद्यमान हैं, किन्तु फिर भी यह पूर्णरूपेण स्वर्ण-मान नहीं है। इस प्रणाली में स्वर्ण की स्थिति एक सेबक की है, स्वामी की नहीं। इसमें स्वर्ण-मान के अनेक गुण होने हुए भी यह स्वर्ण-मान के दोषों से रहित है।

विशेष आहरण अधिकार या कागजी स्वर्ण

मुद्रा-कोष उचित सुरक्षा के साथ सदस्य राष्ट्रों के लिए कोष के साधन उपलब्ध करके उनके भुगतान-सन्तुलन के गलत समायोजनों (maladjustments) को सुधार कर मुद्राओं की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करता है, अतः वह एक रक्षित कोष की भाँति कार्य करता है। इसके लिए उसे अपने साधनों में तरलता बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। कोष के वित्तीय साधनों में स्वर्ण, विदेशी मुद्रा-कोष, आवश्यकता पजने पर प्राप्त होने वाली अन्य परिसम्पत्ति तथा कोष व अन्य वित्तीय सस्थाओं में ऋण प्राप्त करने से सम्बन्धित सुविधाएँ सम्मिलित हैं। परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोष के वित्तीय साधन सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहे हैं। 1969 में अनुमान लगाया गया था कि पिछले 20 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 2887 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों में केवल 591 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पायी थी। आगामी वर्षों में भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 8 प्रतिशत वार्षिक के लगभग वृद्धि होने की सम्भावना है। इनके अतिरिक्त, विकासशील देशों पर विदेशी ऋणा का भी अत्यधिक बोझ है। उन्हें इसके भुगतान तथा ब्याज आदि धुक्का की व्यवस्था करना होती है, जबकि उनकी निर्यातों के द्वारा विदेशी विनिमय कमाने की क्षमता सीमित है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुद्रा-कोष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सोपाधिक (conditional) नकदी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परन्तु अनौपाधिक (unconditional) नकदी प्राप्त करने की इसकी क्षमता अत्यन्त सीमित रही है।

इन परिस्थितियों में मुद्रा-कोष के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने साधन बढ़ाने की रही

1 "The Fund's gold provisions are not just window dressing. Gold plays a really important role as the Fund's most liquid asset and as a common anchorage for the member currencies — Halm Morelsby Theory, p. 285
2 Keynes' speech delivered before the House of Lords on May 23, 1944, quoted in 'The New Economics', ed by S. E. Harris, p. 376

है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कोप के सदस्य राष्ट्रों के अन्वेषों में अब तक तीन बार वृद्धि की जा चुकी है। परन्तु इससे साधनों की कमी की समस्या हल नहीं हो पायी है। इसे हल करने के लिए अनेक प्रकार के सुभाव तथा योजनाएँ मुद्रा-कोप के विचाराधीन रही हैं। इनो प्रकार की एक योजना 'विशेष आहरण अधिकार' (Special Drawing Rights—SDRs) की है। इसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) योजना भी कहा जाता है। सितम्बर 1967 में रियो डी जेनेरो में हुई कोप की वार्षिक मीटिंग में इस योजना को सैद्धान्तिक मान्यता प्रदान की गयी। मई 1970 के आरम्भ से इसे लागू करने का निरन्तर कोप की सितम्बर 1969 की वार्षिक मीटिंग में किया गया। इस प्रकार, मुद्रा-कोप के पास अब दो प्रकार के खाते हैं—प्रथम, सामान्य खाता जिसमें स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के लेन-देन सम्मिलित हैं, द्वितीय, विशेष आहरण खाता जिसके अन्तर्गत SDRs की सुविधा प्रदान की गयी है।

विशेष आहरण अधिकारों का स्पष्ट उद्देश्य बिना कोप में स्वर्ण अथवा मुद्राओं का भण्डार बढ़ाये अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए उपयुक्त तरल साधनों की मात्रा में वृद्धि करना है। यह एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा-कोप के द्वारा साक्ष का सृजन है। इसके अन्तर्गत जब किसी देश को SDRs का कौटा दे दिया जाता है तो उस देश को एक ऐसी अनीपाधिक रक्षित परिसम्पत्ति (unconditional reserve asset) प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा बिना स्वर्ण का महारा लिये वह विदेशी भुगतानों के लिए अन्य सदस्य देशों से, जिन्होंने SDRs स्वीकार किये हैं, परिवर्तनीय मुद्राएँ (convertible currencies) प्राप्त कर सकता है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) SDRs एक ऐसी परिसम्पत्ति है जिसके द्वारा सदस्य देशों को अधिकारों के तुल्य विदेशी विनिमय प्राप्त करने की सुविधा मिल जाती है। विदेशी विनिमय की उस निश्चित राशि का उपयोग करने के लिए सदस्य देश को मुद्रा-कोप में पुन अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इस प्रकार, अनीपाधिक तरलता (unconditional liquidity) की मात्रा में वृद्धि होती है।

(2) SDRs के सृजन के द्वारा एक ऐसे विचार को व्यावहारिक रूप दिया गया है (जिसकी चर्चा बहुत समय पहले से हो रही थी) जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में, बिना स्वर्ण को आधार माने हुए, एक ऐसी रक्षित परिसम्पत्ति का निर्माण किया गया है जिसका मूल्य तथा कार्य स्वर्ण के ही समान होगा। इन्हे निरपेक्ष रूप से स्वर्ण के मूल्य की गारण्टी (absolute gold value guarantee) प्राप्त होगी और अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण के समान ही कार्य करेंगे। इसीलिए इन्हें 'कागजी स्वर्ण' (Paper Gold) की सजा दी गयी है।

(3) प्रति तीन माह के बाद मुद्रा-कोप सदस्य देशों के भुगतान-सन्तुलन तथा विनिमय कोषों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक निश्चित राशि के SDRs स्वीकार करने का आदेश देता है। सदस्य देश को SDRs स्वीकार करने पड़ते हैं और मांग किये जाने पर अन्य देशों को अपनी मुद्रा देनी पड़ती है।

(4) SDRs की योजना तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है जब मुद्रा-कोप के सभी सदस्य देशों का सहयोग प्राप्त हो। इसे लागू करने तथा अतिरिक्त SDRs का सृजन करने के लिए मुद्रा-कोप की कुल वोट-शक्ति का 85 प्रतिशत बहुमत इसके पक्ष में होना आवश्यक है।

(5) SDRs का वितरण सदस्य देशों के वर्तमान कौटो के अनुपात में किया गया है। कुल मिलाकर जनवरी 1970 के बाद के तीन वर्षों में 95 बिलियन डालर के SDRs का सृजन करने का निर्णय किया गया है। प्रथम वर्ष में 35 बिलियन डालर तथा अन्य दो वर्षों में प्रति वर्ष 30 बिलियन डालर के SDRs का सृजन करने की योजना है।

(6) SDRs के सृजन तथा प्रयोग पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इनसे सम्बन्धित सभी लेन-देन मुद्रा-कोप के माध्यम से सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंक करेंगे। इन्हें प्रयोग सदस्य देश अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाले प्रतिभूत भुगतानावशेषों की पूर्ति के लिए ही कर सकता है। प्रत्येक देश को अपने SDRs के 70 प्रतिशत तक मूल्य की विदेशी मुद्रा का 5 वर्ष तक बिना

भुगतान के दायित्व के उपयोग करने का अधिकार है। परन्तु 70 प्रतिशत से अधिक आहरण सहायता प्राप्त करने पर उसे चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार, 70 प्रतिशत के बराबर SDRs की इकाइयाँ ही नवीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का रूप धारण करेंगी।

SDRs की व्यवस्था मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु विकासशील देश इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हैं। चूँकि SDRs का वितरण सदस्य देशों के वर्तमान कोटों के अनुपात में किया गया है, अतः इनका अधिकांश भाग पश्चिम के विकसित देशों को मिला है। विकासशील देशों की विदेशी विनिमय की माँग बहुत है और न्यायपूर्ण भी, इसलिए SDRs का अधिकांश भाग उन्हें मिलना चाहिए था। चूँकि इस योजना का आधार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसलिए अच्छा यह होगा कि विकसित देश अल्प-विकसित देशों की समस्याओं को समझे और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें। इसके लिए अनेक प्रकार के समायोजनों की आवश्यकता होगी।

भारत तथा मुद्रा-कोष

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में भारत भी उन 44 देशों में था जिन्होंने अधिवेशन की गतिविधियों में भाग लिया। मार्च 1947 में भारत ने अपने 400 मिलियन डालर के अभ्यन्त की अदायगी इस प्रकार की थी—स्वर्ण 27,486,453 61 डालर, अमरीकी डालर 40,000 डालर तथा भारतीय रुपये एवं बिना व्याज के प्रतिज्ञापत्र 372,473,546 39 डालर। भारत का 400 मिलियन डालर का प्रारम्भिक कोटा 1959 में बढ़कर 600 मिलियन डालर और 1965 के बाद 750 मिलियन डालर हो गया। इस समय भारत का कोटा 940 मिलियन डालर है। फरवरी 1970 में की गयी कोटों में वृद्धि के पूर्व कोटे के आधार पर भारत का कोष के सदस्य में पाचवाँ स्थान था, इसलिए कोष के संचालक बोर्ड में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रहता था। परन्तु अब भारत का कोटा (940 करोड़ डालर) जापान, कनाडा तथा इटली से भी कम हो गया है। अतः संचालक बोर्ड में भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गयी है।

भारतीय रुपये का समता मूल्य प्रारम्भ में 0 268601 ग्राम शुद्ध स्वर्ण अथवा 30 225 अमरीकी सेंट (Cent) (अर्थात् 1 डालर=3 508 रुपये) के बराबर निर्धारित किया गया था। सितम्बर 1949 में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् रुपये की समता-दर 0 186621 ग्राम स्वर्ण अथवा 21 सेंट (1 डालर=4 75 रुपये) हो गयी। जून 1966 में रुपये का पुनः अवमूल्यन हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीय रुपया अब 0 118516 ग्राम स्वर्ण अथवा 13 33 सेंट (1 डालर=7 50 रुपये) के बराबर रह गया है।

सन् 1949 में रुपये के अवमूल्यन के पूर्व भारत का व्यापार-सन्तुलन विपरीत था, अतः भारत ने मुद्रा-कोष से 100 मिलियन डालर का ऋण लिया। अवमूल्यन के बाद भारत के व्यापार-सन्तुलन में सुधार हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही भारत के विदेशी विनिमय कोष कम पड़ने लगे। फरवरी 1957 में भारत ने अपने भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने के लिए मुद्रा-कोष से 200 मिलियन डालर का ऋण लिया जिसे जून 1957 तक तीन किस्तों में प्राप्त किया गया। अक्टूबर 1958 में दिल्ली में हुए कोष के एक अधिवेशन में सदस्यों के अभ्यर्शों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया गया। अप्रैल 1959 में अतिरिक्त अभ्यर्श की 209 मिलियन डालर की राशि चुका दी गयी, जिसमें 25% स्वर्ण था। अब भारत का अभ्यर्श 600 मिलियन डालर हो गया जिसमें भारत के ऋण प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि हुई।

तृतीय योजना-काल के आरम्भ में ही, जुलाई 1961 में, भारत को 250 मिलियन डालर की विदेशी मुद्राएँ कोष से निकालने की अनुमति दी गयी। इसमें 6 मुद्राएँ सम्मिलित थी—डालर, पौण्ड स्टर्लिंग, मार्क्स, फ्रैंक्स, श्वीर तथा येन। जुलाई 1962 में 100 मिलियन डालर का सहायता बचन (stand-by agreement) प्राप्त किया गया। परन्तु स्थिति में कुछ सुधार होने के कारण 1962-63 में केवल 25 मिलियन डालर की विदेशी मुद्राएँ ही कोष से ली गयी। मार्च

1965 में भुगतान-मन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए मुद्रा-कोष ने भारत को 200 मिलियन डॉलर के मूल्य का एक अग्र्य सकटकालीन ऋण (stand-by credit) प्रदान किया। अग्र्य की राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण फरवरी 1966 में भारत ने कोष को 37.5 मिलियन डॉलर के मूल्य का स्वर्ण दिया। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों तथा गिरते हुए सुरक्षित कोष के कारण अप्रैल 1966 में भारत को 187.5 मिलियन डॉलर की मुद्रा-कोष से निश्चालनी पड़ी। इसी बीच आन्तरिक तथा बाह्य दबावों के कारण भारत को अपनी मुद्रा का बून 1966 में 36.5 प्रतिशत का अवमूल्यन करना पड़ा। देश में मूला तथा लगभग अकाल की स्थिति में 1967 में कोष को क्षतिपूर्व वित्तीय योजना (Compensatory Financing Scheme) के अन्तर्गत भारत को 90 मिलियन डॉलर का एक और ऋण प्राप्त हुआ। दिसम्बर 1967 के बाद स्थिति में कुछ सुधार होने के कारण मार्च 1968 में 58 मिलियन डॉलर के ऋण मुद्रा के पुनः क्रय द्वारा लौटा दिया गया। कुल मिलाकर 31 मार्च, 1968 तक भारत ने 817.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्राओं का क्रय किया, जिसमें से 480 करोड़ रुपये की पुनः क्रय द्वारा अदायगी कर दी गयी। जनवरी 1968 के पश्चात् भारत मुद्रा-कोष से बिना और ऋण लिये पुनः क्रय (repurchases) की क्रिया के द्वारा ऋण लौटाता रहा है। मार्च 1971 में मुद्रा-कोष को 55 मिलियन डॉलर की अन्तिम विस्तृत चुवाने के बाद भारत ने मुद्रा-कोष से प्राप्त किये गये ऋणों को पूर्ण रूप से चुका दिया है। सन् 1970-71 में ही कोटा बढ जाने के कारण भारत ने मुद्रा-कोष को 142.5 करोड़ रुपये (190 मिलियन डॉलर) का भुगतान किया है जिसमें से 35.62 करोड़ रुपये (47.5 मिलियन डॉलर) का मोना है और शेष रुपये प्रतिभूतियों (rupee securities) के रूप में है।

विशेष आहरण अधिकार (SDRs) की योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष (1970) में भारत को 126 मिलियन डॉलर के SDRs दिये गये। इनमें से भारत ने 84 मिलियन डॉलर का प्रयोग किया और 42 मिलियन डॉलर के शेष SDRs विदेशी विनिमय कोष में जोड़ दिये गये। सन् 1971 के लिए भारत ने 100.58 मिलियन डॉलर के SDRs प्राप्त किये हैं। साथ ही, भारत की विदेशी विनिमय स्थिति में सुधार देखते हुए कोष ने भारत को आदेश दिया कि वह जुलाई से सितम्बर 1970 में समाप्त होने वाली तिमाही में 14 मिलियन डॉलर तक के SDRs स्वीकार करे (अर्थात् अन्य सदस्य देशों से मांगे जाने पर परिवर्तनीय मुद्रा दे)। इसके बाद की तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर 1970) में 14 मिलियन डॉलर के SDRs और स्वीकार करने के लिए कहा गया। अगली तिमाही (जनवरी से मार्च 1971) में 45 मिलियन डॉलर के SDRs स्वीकार करने को नहा गया। इस प्रकार, SDRs की योजना में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं

1. मुद्रा-कोष की सहायता से भारतीय रुपया अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए एक स्वतन्त्र मुद्रा बन गया है। इसके पूर्व यह पौण्ड स्टर्लिंग से बंधा हुआ था तथा उसी में इसकी विनिमय-दर निर्धारित होती थी।
2. कोष से विदेशी मुद्राओं के क्रय द्वारा भारत को विदेशी विनिमय के सकट तथा भुगतान-मन्तुलन की प्रतिकूलता का सामना करने में सहायता मिली है।
3. मुद्रा-कोष का मददगार होने के नाते भारत को विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त हुई, जिसने आर्थिक विकास के लिए समय-समय पर ऋण प्रदान किये हैं।
4. अपनी आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में भारत को समय-समय पर मुद्रा-कोष से बहु-मूल्य परामर्श प्राप्त हुआ है।
5. सकटकालीन परिस्थितियों में भारत को यह आशा रहती है कि वह मुद्रा-कोष से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेगा।
6. मुद्रा-कोष की व्यवस्था में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और मुद्रा-कोष की नीति

के निर्धारण में भारत महत्वपूर्ण भाग लेता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में भारत का महत्व बड़ा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत को मुद्रा-कोष से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत के प्रति कोष की नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है और भारत ने भी कोष के नियमों का मदेव आदर किया है।

मुद्रा-कोष के कार्यों का मूल्यांकन

मुद्रा-कोष की अब तक की सफलताओं पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इस संस्था ने 'अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक' (International Reserve Bank)¹ तथा 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली' की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास (ingenious attempt to meet the requirements for international currency system)² के रूप में विश्व को सन्तुष्टपूर्ण आर्थिक स्थिति से निकलने में सहायता दी है। एक ओर यह स्वतन्त्र विनिमय-दर और अत्यधिक विनिमय-नियन्त्रण दोनों के बीच का मार्ग है और दूसरी ओर यह एक मिश्रित मान के समान है जिसमें स्वर्ण-मान और पत्र-मुद्रा मान दोनों की विशेषताएँ हैं।

मुद्रा-कोष के प्रारम्भ के दो वर्षों में ही अनेक राष्ट्रों के मामले डालर के अभाव की समस्या थी। इसे हल करने के दो ही रास्ते हो सकते थे—अमेरिका से आयात करना एकदम बन्द कर दिया जाय, अथवा स्थिति में सुधार के लिए किसी अन्य योजना को अपनाया जाय। इन परिस्थितियों में यूरोपीय देशों की 'मार्शल सहायता योजना' (Marshall Aid Plan) से काफी सहायता मिली।

मुद्रा-कोष के नियमों के विरुद्ध फ्रांस ने बहुचलन प्रणाली (multiple-currency practices) प्रारम्भ कर दी, किन्तु कोष के हस्तक्षेप से फ्रांस को अक्टूबर 1948 में इस प्रणाली का त्याग कर देना पड़ा। 1950 में फ्रांस तथा इटली ने त्रिना कोष को सूचना दिये अपनी मुद्राओं की विनिमय-दरों में परिवर्तन कर लिया। कनाडा ने भी उनका अनुसरण किया और कोष द्वारा निर्धारित समता-दर को त्याग दिया। परन्तु 1951 के पश्चात् कोष ने सदस्य देशों की विनिमय कार्यवाहियों पर प्रभावपूर्ण तरीके से नियन्त्रण किया है और उसे सफलता भी मिली है। हम देख चुके हैं कि 1950 के पश्चात् विश्व के विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई है और इसमें मुद्रा-कोष ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। परन्तु स्मरण रहे कि विभिन्न देशों द्वारा विदेशी विनिमय तथा व्यापार पर लगाये गये सभी प्रतिबन्धों को हटवाने में मुद्रा-कोष समर्थ नहीं हुआ है।

मुद्रा-कोष समझौते का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ है कि विशेषतया 1952 के पश्चात् विदेशी पूंजी के विनियोगों में वृद्धि हुई है। कम विकसित देशों में आर्थिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी पूंजी की माँग में निरन्तर वृद्धि हुई है। कोष ने अपने सदस्य देशों को चालू सरकारी व्यय (current government expenditure) में घौमी दर में वृद्धि करने की सलाह दी है ताकि विनियोग के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सके।

मुद्रा-कोष के प्रारम्भिक काल में सदस्य देशों द्वारा विदेशी मुद्राओं का क्रय कम किया गया, परन्तु 1956-57 के पश्चात् कोष के साधनों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। 1948 से 30 अप्रैल, 1968 तक के बीस वर्षों में सदस्य देशों द्वारा कुल 14595 60 मिलियन डालर (लगभग 14 6 बिलियन डालर) की विदेशी मुद्राओं का क्रय किया गया है। सदस्य देशों ने 7664 31 मिलियन डालर की मुद्राओं का पुनः क्रय (repurchase) भी किया है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है।³ यहाँ यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि कोष से मुद्राओं का क्रय अधिकतर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और बाद में फ्रांस द्वारा किया जाता रहा है। अल्प-विकसित देशों की सहायता के लिए कुछ विशेष योजनाएँ अपनाये जाने पर भी इन देशों को कोष

1 G. N. Halm - *International Monetary Co-operation*, p. 51.

2 Crowther - *An Outline of Money*, p. 334

3 I. M. F. Annual Report, 1968, p. 105.

से प्राप्त होने वाली सहायता को महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। विशेष आहरण अधिकारो (SDRs) के सम्बन्ध में भी यही स्थिति देखने में आ रही है।

मुद्रा-कोष की प्रमुख सफलताएँ

- 1 मुद्रा-कोष को प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा-अवमूल्यनो पर रोक लगाने में सफलता मिली है और अनेक कठिनाइयों के दावबूद विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व बनाये रखने में सफल हुआ है।
2. विनिमय-दरों में स्थायित्व के लिए सदस्य देशों को आन्तरिक आर्थिक नीतियों की स्वतन्त्रता का त्याग नहीं करना पड़ा। आन्तरिक स्थिति में परिवर्तन होने पर विनिमय दरों में भी परिवर्तन किये जा सके हैं।
- 3 काप न सदस्य राष्ट्रों के भुगतानावशेष के अस्थायी असन्तुलनों को सुधारने में पर्याप्त सहायता दी है और अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (international liquidity) की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- 4 मुद्रा-कोष ने सन्नति काल में राष्ट्रों को विनिमय-नियन्त्रण की अनुमति देकर उन्हें असन्तुलन के मकड़ का सामना करने का अवसर दिया है। साथ में, यह भी आशा व्यक्त की है कि मन्तुलन स्थापित होते ही सदस्य देश विनिमय-नियन्त्रण हटा लेंगे।
- 5 मुद्रा-कोष ने विनिमय-स्थायित्व को व्यवस्थित लोच (managed flexibility) के आधार पर प्रोत्साहित कर बहुपक्षी भुगतान-व्यवस्था (multi-lateral system of payments) की स्थापना करने में सहायता दी है, जिसके परिणामस्वरूप सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास का मार्ग सुला है।
- 6 मुद्रा-कोष ने सदैव सदस्य राष्ट्रों की साख-नीतियों में अधिकतम समायोजन (integration and coordination) करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है।¹
- 7 मुद्रा-कोष ने राष्ट्रों द्वारा प्रचलित बहुचलन प्रणाली (multiple currency system) जैसी हानिकारक व्यवस्थाओं को समाप्त किया है।
- 8 मुद्रा-कोष के कार्यों से स्वर्ण-मान के लाभ प्राप्त हुए हैं जबकि स्वर्ण-मान के दोषों से मुक्ति मिली है।

मुद्रा-कोष की विफलताएँ

मुद्रा कोष की सफलताओं से सम्बन्धित उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि मुद्रा-कोष अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। इसके आलोचकों का दावा है कि इसकी व्यवस्था तथा कार्यों में अनेक त्रुटियाँ रही हैं। इसकी आलोचना के कुछ आधार निम्न-लिखित हैं

- 1 सदस्य राष्ट्र विनिमय-नियन्त्रण की नीति को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वे सभी अवसाद के रोग (contagion to depression) से अपना बचाव करना आवश्यक समझते हैं।
- 2 कोष मुख्य रूप से केवल चालू लेन-देन (current transactions) से सम्बन्धित विदेशी विनिमय की समस्याओं को अल्पकालीन सहायता के द्वारा हल करने का प्रयास करता है। चूंकि यह पूँजी के आयात-निर्यात, आर्थिक विकास अथवा युद्ध सम्बन्धी ऋणों आदि के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र सीमित रह जाता है।
- 3 कुछ आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रों के अन्तर्गत किसी उचित एवं वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये। ब्रिटेन तथा अमेरिका के कोटे निर्धारित करते समय

उनके राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखा गया है। अर्थात् यह होता कि कोटो के निर्धारण में किसी सर्वमान्य सिद्धान्त को आधार बनाया जाता।

- 4 मुद्रा-कोष राष्ट्रों की साख-योग्यता (creditworthiness) को देखे बिना ही ऋण अधिकार (purchasing rights) दे देता है, जिससे सकट की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है।
- 5 फ्रान्स जैसे कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कोष के नियमों की अवहेलना की है तथा कोष की आज्ञा प्राप्त किये बिना अपनी मुद्राओं के समता-मूल्यों में परिवर्तन कर लिये हैं। कोष इन देशों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं कर सकता है।
- 6 प्रो० कोल (G D H Cole) ने 'Money, Trade and Investment' में लिखा है कि वर्तमान पुनः प्रय (repurchase) पद्धति असन्तोषजनक है क्योंकि मुद्रा-कोष का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्फीति एवं अवसादों की गति (international transmission of inflations and depressions) पर कोई नियन्त्रण नहीं है।
- 7 साम्यवादी देशों का कोष के बाहर रहना मुद्रा-कोष के कार्यक्षेत्र को सीमित करता है। 'अन्तर्राष्ट्रीय' सस्या कहलाने का अधिकारी यह तभी हो सकता है जब ससार के सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कॉलबोर्न ने लिखा है, "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का समझौता उस पारदर्शक कागज की तरह है जिसमें विश्व की राजनीतिक व्यवस्था की प्रत्येक दरार दिखाई पड़ती है।"
- 8 आलोचकों का यह भी कहना है कि मुद्रा-कोष का व्यवहार सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ एकसा नहीं है। धनी देशों को प्रायः विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं जबकि विकसित देशों की उपेक्षा की जाती है। अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों ने इसे 'धनिकों का क्लब' (richmen's club) कहा है।
- 9 एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि मुद्रा-कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता का वितरण उचित नहीं है और इसमें अर्द्ध विकसित देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता।
- 10 दालर-सकट से उत्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सकट की स्थिति को हल करने में मुद्रा-कोष असमर्थ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में, मुद्रा-कोष द्वारा स्थापित समता-दरों की व्यवस्था खतरे में पड़ गयी है।

सुधार

मुद्रा-कोष की कार्य-प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। स्टाम्प योजना (Stamp Plan) में मुद्रा-कोष द्वारा साख-प्रमाणपत्रों के निर्गमन करने का सुझाव दिया गया है। ट्रिफ्लिन योजना (Triffin Plan) में मुद्रा-कोष को अन्तर्राष्ट्रीय उच्च-केन्द्रीय बैंक (Super Central Bank) बनाने का सुझाव दिया गया है ताकि यह कम विकसित देशों की अधिविकल्प (overdraft) की सुविधाएँ दे सके। बर्न्स्टीन योजना (Bernstein Plan) में सुझाव दिया गया है कि अनुकूल भुगतान-सन्तुलन वाले देश अनिवार्य रूप में मुद्रा-कोष को ऋण दे। 1961 में मुद्रा-कोष ने बर्न्स्टीन योजना को सशोधित रूप में स्वीकार कर लिया था। 1970 में लागू की गयी 'Special Drawing Rights' योजना का उद्देश्य कोष के साधनों में वृद्धि करके इसे एक प्रकार से साख-सृजन के अधिकार देना है।

सुधार की कोई भी योजना अपनाते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उमका उद्देश्य कोष को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कोष को 'केन्द्रीय बिन्दु' (focal point) मानकर ही सुधार के उपाय अपनाये जायें।¹ कम विकसित देशों के लिए कोष तभी अधिक उपयोगी होगा जब यह उन्हें केवल अस्थायी असन्तुलनों को ठीक करने के लिए नहीं अपितु विवास

¹ But it is obvious that any scheme of international monetary co-operation must have the I. M. F. as the focal point of reform.—S. L. N. Sinha *Essays on Finance*, p. 1

कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उदारतापूर्वक दीर्घकालीन सहायता भी दे मकेगा। इसके लिए विकसित देशों को चाहिए कि वे कोप के साधन बढ़ाने में सहायक हों।

डालर-संकट से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ से ही अमेरिका सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। अमेरिका में बढ़ते हुए स्वर्ण-कोपो ने डालर को एक दृढ़ एवं विश्वसनीय मुद्रा का रूप दिया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के क्षेत्र में अमेरिकी डालर सम्पूर्ण पूँजीवादी विश्व की मौद्रिक व्यवस्था का 'मस्रोट' बन गया। डालर का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के माध्यम के रूप में किया जाने लगा और विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने के लिए डालर एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। सन् 1934 में अमेरिकी कांग्रेस ने डालर का स्वर्ण-मूल्य 35 डालर प्रति औंस निर्धारित किया था और यह सरकारी दर आज तक अपरिवर्तित रही है। 1944 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के स्थापित होने पर अमेरिकी डालर को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था में अधिकृत मान्यता प्राप्त हुई और डालर ने लगभग वही स्थान ग्रहण कर लिया जो स्वर्ण को प्राप्त था।

किमी भी मुद्रा की शक्ति बहुत बड़ी सीमा तक भुगतान-सन्तुलन की स्थिति और आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिति पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की रही हैं कि अमेरिका का भुगतान-सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल होता गया है और देश में कीमत-स्तर में निरन्तर वृद्धि होने से डालर की आन्तरिक शक्ति में गिरावट आयी है। परिणाम-स्वरूप, अमेरिकी डालर निरन्तर दुर्बल होते-होते अब संकट की स्थिति तक आ पहुँचा है और इसने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति को भी काफी प्रभावित किया है।

डालर-संकट के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पूँजीवादी विश्व में आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परन्तु कुछ अन्य देशों ने अमेरिका को अनेक क्षेत्रों में पछाड़ना आरम्भ कर दिया है। अमेरिका की तुलना में पश्चिम जर्मनी तथा जापान में औद्योगिक उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। 1950 से 1970 के बीच जापान की वार्षिक औसत विकास दर 14.8 प्रतिशत रही है। इसी काल में पश्चिम जर्मनी में औसत विकास दर 7.8 प्रतिशत रही है। इसके विपरीत, अमेरिका में औसत विकास-दर केवल 4.2 प्रतिशत रही है। गत वर्षों में तो यह 3 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। अमेरिका में वैजारी अनुमानत 6 प्रतिशत है और डालर की शक्ति गिरती जा रही है। अमेरिका के निर्यातों की तुलना में आयात अधिक बढ़े हैं जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल हो गया है। अमेरिका में व्याज-दरें अन्य देशों की तुलना में नीची होने के कारण भारी मात्रा में निजी पूँजी विनिमय के लिए अन्य देशों में जाती रही है। इन कारणों के साथ-साथ वियतनाम युद्ध तथा अन्य देशों में बढ़ते हुए सैनिक-व्यय के परिणामस्वरूप अमेरिका का भुगतान-सन्तुलन बहुत अधिक प्रतिकूल हो गया है। 1970 में अमेरिका के भुगतान-सन्तुलन में 10,000 मिलियन डालर का घाटा था। 1971 की पहली तिमाही में ही घाटे की राशि 5,000 मिलियन डालर थी। अमेरिका के स्वर्ण का सुरक्षित भण्डार 1950 में 22,820 मिलियन डालर का था, जो 1970 में लगभग आधा होकर 11,072 मिलियन डालर रह गया है।

गत कुछ वर्षों में डालर की गिरती हुई स्थिति का आभास हो रहा था, परन्तु 1971 में डालर को शायद अपनी निरूप्यता पराजय का सामना करना पड़ा है। गत दो वर्षों में यूरोप के मुद्रा-बाजारों में अमेरिकी डालरों के अनवरत प्रवाह के कारण इन देशों को गम्भीरतम मुद्रा-संकट का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय बाजारों में डालर के बहुत बड़ी मात्रा में अटकते फिरने से ही डालर-संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। पश्चिम जर्मनी के भुगतान-सन्तुलन की अतिरेक दशा डालर के वर्तमान संकट का मूल कारण बतायी जाती है। अक्टूबर 1969 में जर्मन मार्क के पुनर्मूल्यन के बावजूद पश्चिम जर्मनी के भुगतान-सन्तुलन ने इस वर्ष इस परिकल्पना को बल दिया कि मार्क का एक और पुनर्मूल्यन होने की सम्भावना है। मार्क में साभजनक विनिमय की आशा से यूरोप के सभी भागों से बहुत बड़ी मात्रा में डालर पश्चिम जर्मनी में आने लगे। अपनी अर्थ-

व्यवस्था को मुद्रा-स्फीति से बचाने के लिए पश्चिम जर्मनी द्वारा विदेशी मुद्रा-बाजार तथा डालर में व्यापार बन्द कर देना पडा। स्विस, डच, आस्ट्रियन और बेल्जियन बैंकों ने भी शीघ्र इसका अनुसरण किया। लन्दन में विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने डालर के मुकाबले महाद्वीपीय मुद्राओं के मूल्य उद्धृत करने से इन्कार कर दिया। डालर विपत्ति में पड गया और डालर-सकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी। विश्व के मुद्रा-बाजारों में डालर का मूल्य गिर गया। स्वर्ण का बाजार में डालर मूल्य प्रति औंस 35 डालर की सरकारी दर से बढ़कर 40 डालर से भी अधिक हो गया।

उपयुक्त परिस्थितियों में अमेरिकी प्रेसीडेंट श्री निक्सन ने 15 अगस्त, 1971 को एक नयी आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके अनुसार विदेशी खजानों तथा केन्द्रीय बैंकों के लिए डालर की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता (convertibility) अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गयी। स्वर्ण के सरकारी मूल्य (35 डालर प्रति औंस) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, परन्तु अन्य राष्ट्रों के साथ बातचीत के द्वारा डालर तथा विदेशी मुद्राओं के बीच नयी उपयुक्त विनिमय-दरें निर्धारित करने के लिए कहा गया। यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि दृढ़ मुद्रावाले देश, मुख्यतः जापान, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड, अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन (revaluation) करें। इसके अतिरिक्त, परिमाणात्मक प्रतिबंधों से मुक्त आयातों पर 10 प्रतिशत अतिभार (surcharge) लगाने, विदेशी आर्थिक सहायता में 10 प्रतिशत की कटौती करने, 90 दिन के लिए कीमत तथा मजदूरी आदि को वर्तमान स्तर पर जमाये (freeze) रखने, सरकारी व्यय में कमी करने तथा करो में सशोधन के लिए कांग्रेस को सलाह देने की घोषणा की गयी। इस प्रकार, प्रेसीडेंट निक्सन ने विनिमय-दरों की स्थिरता की अपेक्षा आन्तरिक स्थिरता को अधिक महत्व दिया है।

प्रेसीडेंट निक्सन की घोषणा ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजारों में डालर का मूल्य बाफी गिर गया है। बड़े पश्चिमी देशों तथा जापान ने अपनी मुद्राओं को बाजारों में अपनी विनिमय-दर स्वयं तय करने (floating) की छूट दे दी है। इन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा स्थापित समता-दरों की व्यवस्था खतरे में पड गयी है। अमेरिका द्वारा आयातों पर लगाया गया 10 प्रतिशत अतिभार गैट (GATT) के सिद्धान्तों तथा कैंनेडी राज्ज समझौते के विरुद्ध है। जापान जैसे देशों के व्यापार के लिए इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसा लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की सम्पूर्ण व्यवस्था पर ही सकट के बादल छा गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सकट की स्थिति का सामना करने के लिए अनेक सुझाव दिये जा रहे हैं। अधिकांश देशों की राय यह है कि अमेरिका डालर का अवमूल्यन (devaluation) करे, परन्तु अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। यह कहा जाता है कि डालर के अवमूल्यन के लिए स्वर्ण का मूल्य बढ़ाना होगा जिससे स्वर्ण के उत्पादक देश तथा सटटबाज अनुचित लाभ उठावेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली, जो स्वर्ण से चिपकी हुई है, गम्भीर रूप से प्रभावित होगी। डालर के अवमूल्यन से अमेरिका की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचेगा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की व्यवस्था में भी गड़बड़ी होगी। एक अन्य सुझाव यह दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था में डालर तथा स्वर्ण के स्थान पर कोई अन्य आधार अपनाया जाय और इसके लिए सम्भवतः कागजी स्वर्ण (Paper Gold or SDRs) ही अधिक उपयुक्त होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के समय सॉड केन्ज ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में 'बैंकोर' (Bancor) अपनायाने का सुझाव दिया था जिसका मन्चालन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय निवासी संध (ICU) की स्थापना के लिए कहा गया था। लॉर्ड केन्ज की इस योजना का उल्लेख इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है। इस योजना पर पुनः विचार करने का भी सुझाव दिया जा रहा है। कोई सा भी उपाय अपनाया जाय, यह बात स्पष्ट है कि कोई भी उपाय प्रभावपूर्ण नहीं होगा जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के माध्यम से अपनाया जाय। अलग-अलग गुटों अथवा समूहों द्वारा अपनाये गये उपाय प्रभावपूर्ण नहीं हो पायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के अन्तर्गत निर्धारित समता-दरों में और अधिक लोच की

व्यवस्था की जा सकती है। विकासशील देशों को भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना आवश्यक होगा। अनुशासन-रहित व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते नहीं सुलभेंगे। मितम्बर 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के वार्षिक सम्मेलन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सदस्य देशों से वापस किया गया है कि वे विनिमय तथा व्यापार की स्थिरता के लिए विनिमय-दरों का एक सन्तोषजनक ढांचा अपनायें जिसमें परिवर्तन की उचित सीमाएँ निर्धारित हों, व्यापार तथा विनिमय पर नियन्त्रण कम करें और ऐसी नीतियाँ अपनायें जिनसे वर्तमान मौद्रिक स्थिति को सुधारा जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के लिए ठीक प्रकार से कार्य करना सम्भव हो सके।

वर्तमान स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-पद्धति को अपनाना आवश्यक हो गया है। उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को सक्रिय रूप में आगे जाना होगा।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना किन उद्देश्यों से की गयी थी ? यह अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हुआ है ?
[संकेत प्रथम भाग में मुद्रा-कोष के उद्देश्यों की विवेचना करिए। दूसरे भाग में इसकी सफलताओं तथा कमियाँ को विस्तृत व्याख्या कीजिए।]
- 2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कार्यों को विवेचना करिए। वह विदेशी विनिमय-दरों में किस प्रकार स्थायित्व रखता है ?
[संकेत प्रथम भाग में मुद्रा-कोष के कार्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में विनिमय की मर्याद-दरों के निवारण तथा उनमें परिवर्तनों से सम्बन्धित नियमों को विस्तारपूर्वक समझाए।]
- 3 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष पर एक सशक्त विष्णु की निष्पत्ति और इसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं-मान से कीजिए।
[संकेत मुद्रा-कोष के उद्देश्य तथा कार्यों का क्षमिष्ठ परिचय दीजिए। दूसरे भाग में इसकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं-मान की विशेषताओं के आधार पर समानताओं तथा फरकों को स्पष्ट कीजिए और यह बताइए कि मुद्रा-कोष प्रणाली में स्वयं-मान के सभी लाभ हैं, परन्तु यह उनके दोषों से मुक्त है।]
- 4 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता से भारत को क्या लाभ हुआ है ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मुद्रा-कोष द्वारा बुलाने वाली दमकल की भाँति है ?
[संकेत प्रथम भाग में भारत को मुद्रा-कोष से प्राप्त हुई सहायता तथा अन्य लाभों का उल्लेख कीजिए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि मुद्रा-कोष के वन अस्थायी असन्तुलना की स्थिति में सहायता देता है तथा इसका कार्यक्रम सीमित है, परन्तु यह अधिक उपयोगी नहीं होगा जब विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूरा करे।]

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

[INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT]

“विश्व बैंक ने अपने विशिष्ट क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में सफलता प्राप्त कर ली है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-यन्त्र में एक अनिवार्य तत्व है।”¹

—डॉ० कॉक

विश्व बैंक की स्थापना

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना का भी निर्णय किया गया था। यह मस्यौदा, जिसे विश्व बैंक (World Bank) भी कहते हैं, मुद्रा-कोष की एक पूरक संस्था के रूप में 27 दिसम्बर, 1945 को स्थापित हुई और 25 जून, 1946 से इमने अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

युद्ध-विनष्ट अर्ध-व्यवस्थालोके के पुनर्निर्माण तथा समार के अविकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन पूंजी के विनियोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। इन कार्यों के लिए व्यक्तिगत पूंजी पर निर्भर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि विनियोगों में जोखिम की अधिकता के कारण व्यक्तिगत पूंजी बिना किसी प्रकार की गारण्टी के प्राप्त करना बहुत कठिन था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यह संस्था अपने साधनों में तरलता बनाये रखकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती थी। यह सब ध्यान में रखते हुए ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए राय दी जो न केवल दीर्घकालीन पूंजी की स्वयं व्यवस्था करे, बल्कि व्यक्तिगत पूंजी को भी अपनी गारण्टी देकर अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रदान करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गयी। मुद्रा-कोष की स्थापना का उद्देश्य अस्थायी असन्तुलनों को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता प्रदान करना था जबकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रों के बीच दीर्घकालीन सन्तुलन होना भी अनिवार्य है और यह केवल दीर्घकालीन विनियोगों द्वारा ही सम्भव हो सकता है। मुद्रा-कोष तथा विश्व बैंक स्थापित्व एवं विकास के उद्देश्यों पर आधारित हैं। मुद्रा-कोष 'स्थापित्व' पर अधिक बल देता है और विश्व बैंक 'विकास' पर। विश्व बैंक की स्थापना 'विनियोग बैंक' (Investment Bank) की धारणा के आधार पर हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन में वर्णित ये शब्द महत्वपूर्ण हैं: “विश्व बैंक मुद्रा-कोष की पूरक संस्था के रूप में विशेष रूप से एक उच्च और

¹ “The bank has achieved a great measure of success in its particular sphere and has demonstrably become an essential cog in the machinery of international payments.”—DeCock. *Central Banking*, p. 317.

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग स्तर की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ऊँचा स्तर बनाये रखा जा सके और उत्पादन तथा रोजगार को प्रोत्साहन मिले।¹²

विश्व बैंक के उद्देश्य

कुरीहारा के शब्दों में, "विश्व बैंक राष्ट्रों के बीच कुछ पूर्व-निर्धारित विस्तृत योजनाओं के अनुसार जिनमें रोजगार में स्थिरता भी है, दीर्घकालीन पूँजी के आवागमन को नियन्त्रित करने की दिशा में पहला प्रयास है। इसके संगठन का बहुराष्ट्रीय स्वरूप 'भिन्नुक मेरा पड़ोसी' नीति का कट्टर विरोधी है।"¹³

विश्व बैंक के समझौते की धारा 1 के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

(1) **सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास**—विकास बैंक का सर्वप्रथम उद्देश्य युद्ध से विध्वंसित अर्थ-व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा अविकसित एवं अर्द्ध-विकसित सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास के कार्यों में सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन विनियोगों को प्रोत्साहित करना है ताकि उत्पादन तथा बाय में वृद्धि हो और स्थायी विश्व-शान्ति की स्थापना सम्भव हो सके।

(2) **व्यक्तिगत विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करना**—विश्व बैंक का दूसरा उद्देश्य विदेशी पूँजी के विनियोगों में वृद्धि करना है। व्यक्तिगत तथा सत्यागत विनियोजकों को उनके ऋणों के भुगतानों की गारण्टी देकर अथवा उनके साथ विनियोजकों के रूप में सम्मिलित होकर सदस्य राष्ट्रों में विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करना है। व्यक्तिगत पूँजी के अभाव में स्वयं बैंक को उचित दरों पर अपनी पूँजी तथा साधनों में से उत्पादक कार्यों के लिए ऋणों की व्यवस्था करना है।

(3) **दीर्घकालीन सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना**—बैंक का तीसरा प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों के माध्यम से उत्पादन-क्षमता में वृद्धि, जीवन-स्तर तथा धर्म-स्थितियों में सुधार के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थायी सन्तुलित विकास में सहायता प्रदान करना तथा सदस्य देशों के भुगतानावशेषों में स्थायी सन्तुलन स्थापित करना है।

(4) **अधिक आवश्यक उत्पादन के कार्यों को प्राथमिकता देना**—विश्व बैंक का एक उद्देश्य यह भी है कि वह ऐसे ऋणों को प्रदान करे अथवा उन पर गारण्टी दे जो अधिक आवश्यक उत्पादक कार्यों में लगाये जाने हों ताकि अधिक उपयोगी और नितांत आवश्यक प्रोजेक्ट—चाहे वे छोटे अथवा बड़े हों—प्राथमिकता प्राप्त कर सकें।

(5) **शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था स्थापित करना**—विश्व बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्थाओं को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए उचित दसाएँ उत्पन्न करना है।

विश्व बैंक की सदस्यता

प्रत्येक राष्ट्र जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का भी स्वतः ही सदस्य बन जाता है। इस प्रकार इन दोनों सस्याओं की सदस्यता साथ-साथ चलती है। एक की सदस्यता का परित्याग करने पर दूसरे की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। 1944 में जिन राष्ट्रों ने मुद्रा-कोष की सदस्यता स्वीकार की थी, वही विश्व बैंक के भी मौलिक सदस्य (original members) हैं। सदस्यों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है और जून 1970 तक यह 113 हो चुकी थी।

1 "It is intended to serve as an essential adjunct to the Monetary Fund and in particular to ensure a high and stable level of international investment with a view to promoting the maintenance of a high level of international trade and thus of production and employment"
—Quoted by Cairn Cross in *Essays in International Finance*.

2 "The International Bank for Reconstruction and Development is the first attempt to regulate long-term capital movements among nations according to some pre-conceived long-range plans, including employment stabilization. The multi-national character of its organisation is a strong presumption against beggar-my neighbour policy" —Kenneth K. Kurihara *Monetary Theory and Public Policy*, p. 380

यदि कोई सदस्य राष्ट्र बैंक की सदस्यता का परित्याग करना चाहता है तो वह धारा 6 के अन्तर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एक लिखित प्रार्थना-पत्र भेजता है। सदस्यता का परित्याग करने के पूर्व उस देश को विश्व बैंक के प्रति अपने समस्त दायित्वों को पूरा कर देना पड़ता है। यदि कोई देश बैंक के अविनियमों का पालन नहीं करता अथवा उनके पालन में बाधा डालता है तो उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है।

विश्व बैंक की पूंजी

आरम्भ में बैंक की अधिकृत पूंजी (authorised capital) 10,000 मिलियन डालर थी जो 1 लाख डालर के एक लाख अंशों (shares) में विभाजित थी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने अंश का 20 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होता था, जिसमें 2 प्रतिशत भाग स्वर्ण अथवा स्वर्ण में परिवर्तित मुद्रा (डालर) में तथा शेष 18 प्रतिशत भाग अपनी वैधानिक मुद्रा में चुकाना पड़ता था। कुल अंश का शेष 80 प्रतिशत भाग बैंक द्वारा माँगे जाने पर (called up) जमा करना पड़ता था। स्पष्ट है कि इस प्रकार बैंक द्वारा तुरन्त ऋण देने के लिए किसी देश के चन्दे का केवल 2 प्रतिशत भाग उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त शेष 18 प्रतिशत जिस देश को मुद्रा ही उमकी अनुमति से ऋण दिया जा सकता है। बाकी का 80 प्रतिशत जो सदस्य देशों के पास ही रहता है, ऋण देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, इसका उपयोग बैंक अपने दायित्वों के भुगतान के लिए करता है। इस प्रकार इसका स्वरूप एक 'गारण्टी कोप' का सा है।¹

बैंक के कार्यों के विस्तार तथा सदस्य राष्ट्रों की पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक के साधनों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। 1958 में दिल्ली में हुई गवर्नर्स-मण्डल की बैठक में बैंक की पूंजी में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गया। सदस्य राष्ट्रों ने भी इसमें काफी उत्साह का परिचय दिया। परिणामस्वरूप, सदस्यों के चन्दों में 100% की वृद्धि कर दी गई। कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि 17 देशों ने 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि स्वीकार की। सितम्बर 1959 में बैंक की अधिकृत पूंजी 21,000 मिलियन डालर हो गयी। बाद में दिसम्बर 1963 में इसमें फिर वृद्धि की गई और यह 22,000 मिलियन डालर हो गई। सदस्यों की सख्या में वृद्धि हो जाने के कारण बैंक की स्वीकृत पूंजी (subscribed capital) 30 जून, 1969 को 23036 मिलियन डालर थी।

बैंक की पूंजी में अमेरिका का भाग (6,350 मिलियन डालर) सबसे अधिक है। दूसरा स्थान इंग्लैण्ड का है (2,600 मिलियन डालर)। तीसरे स्थान पर पश्चिम जर्मनी तथा फ्रान्स हैं (प्रत्येक का भाग 1,050 मिलियन डालर) और चौथे स्थान पर भारत (800 मिलियन डालर) है।

विश्व बैंक का संगठन

विश्व बैंक का संगठन भी मुद्रा-कोष के संगठन की भाँति है। बैंक के संगठन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रशासनिक सचालक बोर्ड (Board of Executive Directors), मलाहकार समिति तथा ऋण समिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर की नियुक्ति करता है जो सामान्यतया उस देश का वित्त मंत्री होता है। एक ब्याकअप (alternate) गवर्नर की भी नियुक्ति की जाती है जो गवर्नर की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इनका कार्य-काल 5 वर्ष होता है, परन्तु इसके पूर्व भी इन्हें बदला जा सकता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है जो प्रायः मुद्रा-कोष की वार्षिक बैठक के साथ ही होती है। वार्षिक बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किये जाते हैं।

कार्यकारिणी सचालक बोर्ड के सदस्यों की सख्या 20 है। उनमें से 5 उन देशों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिनका बैंक की पूंजी में सर्वाधिक हिस्सा होता है। इस समय अमेरिका, इंग्लैण्ड, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स तथा भारत के स्थायी सचालक हैं। शेष 15 सचालक अन्य सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक सचालक का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। प्रत्येक सचालक को उसके

देश के चन्दे की राशि के अनुसार मताधिकार प्राप्त होते हैं।¹ सलाहकार समिति तथा ऋण समिति की नियुक्ति सचालक बोर्ड द्वारा होती है। सचालक बोर्ड की मीटिंग एक महीने में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। सचालक समिति का अध्यक्ष बैंक का प्रधान अधिकारी होता है और वह बैंक के सभी साधारण कार्यों की देखभाल करता है। अध्यक्ष को केवल अपना निर्णायक मत (casting vote) देने का अधिकार होता है, साधारण मताधिकार नहीं। टेक्नीकल, विपणन, कानूनी तथा प्रशासनीय मामलों के विभागों के अतिरिक्त अलग-अलग क्षेत्रों के लिए भी अनेक विभाग स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक विभाग एक डायरेक्टर के अधीन कार्य करता है।

विश्व बैंक की ऋण-क्रियाएँ

विश्व बैंक तीन प्रकार से अपने सदस्य देशों को ऋण देता है (1) अपने कोष में से प्रत्यक्ष ऋण देना, (2) विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के मुद्रा-बाजारों से उधार ली गयी पूंजी से ऋण देना, तथा (3) व्यक्तिगत विनियोजकों को गारण्टी देकर ऋण दिलाना।

यह पहले बताया जा चुका है कि प्रत्येक सदस्य देश अपने चन्दे का 20% भाग कोष में जमा करता है और शेष 80% उससे आवश्यकता पड़ने पर मांगा जा सकता है। 20% प्राप्त की गयी राशि में 2% स्वर्ण अथवा डालर किसी देश को ऋण देने के लिए बैंक प्रयोग कर सकता है। यदि ऋण किसी देश की मुद्रा में देना हो तो उस देश से अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऋण देने से पूर्व विश्व बैंक कुछ शर्तों की पूर्ति चाहता है।

विश्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य देश के मुद्रा-बाजार से पूंजी उधार भी ले सकता है परन्तु इसके लिए बैंक को उस देश से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। इसी प्रकार उस देश की अनुमति लेकर ही बैंक उस उधार ली गयी मुद्रा को स्वर्ण अथवा अन्य मुद्राओं में बदल सकता है।

विश्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निजी विनियोजकों को गारण्टी देकर उनकी पूंजी अन्य देशों को दिलाना है।

विश्व बैंक यथासम्भव यही प्रयत्न करता है कि अपने कोषों में से ऋण देने की अपेक्षा व्यक्तिगत विनियोजकों से गारण्टी देकर ऋण दिलवाया जाय। उत्पादन की विशिष्ट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही विदेशी विनिमय की प्राप्ति हेतु ये ऋण सदस्य देशों को दिलवाये जा सकते हैं। ऋण की स्वीकृति के पूर्व प्रस्तावित परियोजना की स्थिति की भली-भाँति आँच-पड़ताल कर ली जाती है। ऋण प्राप्त करने वाले तथा ऋण प्रदान करने वाले दोनों ही देशों की अनुमति भी ले ली जाती है। बैंक अपने नियमों की धारा 3 (उपखण्ड 4) के अन्तर्गत गारण्टी करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति चाहता है

- 1 यदि किसी परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने वाला कोई व्यक्तिगत व्यवसायी अथवा गैर-सरकारी संस्था है, तो इस ऋण की गारण्टी उस देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक को देनी पड़ती है जिसकी सीमा के भीतर यह परियोजना स्थित है।
- 2 विश्व बैंक ऋण की गारण्टी तब करता है जब इस बात की पुष्टि हो जाय कि ऋण चाहने वाला देश और कहीं से उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में असमर्थ है।
- 3 विश्व बैंक यह भी देखता है कि ऋण की व्याज-दर तथा अन्य व्यय प्रस्तावित परियोजना के लिए उचित हैं।
- 4 विश्व बैंक अपने को सन्तुष्ट कर लेता है कि ऋणी अथवा उस ऋण की गारण्टी देने वाला देश ऋण सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को सुविधापूर्वक पूरा करने में समर्थ होगा।
- 5 विश्व बैंक कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी विशेष योजना को पूर्ण करने के लिए ऋण की गारण्टी देता है। इस ऋण का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए यह प्रदान किया गया है।

¹ प्रत्येक सदस्य राष्ट्र ने 250 वोट दिये हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक 100,000 डॉलर के चन्दे पर एक अतिरिक्त वोट प्राप्त होता है।

6 गारण्टी देने के लिए बैंक प्रत्येक ऋण कर कमीशन लेता है जो साधारणतया 1 से 1.5 प्रतिशत तक होना है।

ऋण के लिए बैंक को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर किमी उचित एवं अधिवृत्त सस्या की सिफारिश होना आवश्यक है। चूंकि बैंक ऋणी तथा ऋणदाता दोनों के हितों को ध्यान में रखता है, इसलिए ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व एक मिशन (Mission) से प्रस्तावित परियोजना की स्थिति, ऋण चाहने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य सम्बन्धित घातों की जाँच-पड़ताल करा नेता है। मिशन की अनुकूल सिफारिशों तथा शर्तों की पूर्ति होने पर बैंक ऋण प्रदान करने की ऋण समिति (Loans Committee) से सिफारिश प्राप्त करता है। यह सब कार्यवाही पूरी हो जाने पर ऋण की राशि उस देश के केन्द्रीय बैंक में जमा करा दी जाती है। स्मरण रहे कि विश्व बैंक पर यह प्रतिबन्ध है कि वह अपने कुल साधनों से अधिक न तो स्वयं ऋण दे सकता है और न ही उसकी गारण्टी कर सकता है। ऋणी देश को ऋण का भुगतान स्वर्ण में अथवा उस मुद्रा में करना होता है जिसमें वह ऋण लिया गया था। वास्तव में, विश्व बैंक एक असाधारण सस्या है जो बैंकिंग के सिद्धान्तों को ऐसे कार्यों में जोड़ती है जो बहुत कम बैंकों के साधारण कार्यों जैसे हैं।

तकनीकी सहायता

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त विश्व बैंक सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। विश्व बैंक ने सर्वप्रथम 1949 में कोलम्बिया की अर्थ-व्यवस्था का सामान्य पर्यवेक्षण (general survey) कराया था। तब से यह सुविधा अनेक देश प्राप्त कर चुके हैं। विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ तैयार करने में सदस्य देशों को विश्व बैंक से तकनीकी तथा प्रबन्धकीय मामलों पर सलाह मिलती है और विभिन्न परियोजनाओं के प्रबन्ध तथा सगठन सम्बन्धी प्राथमिक-ताएँ निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है। विकास सम्बन्धी विनियोग का आकार तथा रचना निर्धारित करने में सदस्य देश विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करते हैं। विकास सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिए विश्व बैंक विशेषज्ञों को सदस्य देशों में भेजता है। पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका के देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने नैरोबी तथा अबिदजान में स्थायी क्षेत्रीय मिशन नियुक्त कर रखे हैं जो कृषि तथा यातायात के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। सदस्य देशों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से 1945 में वाशिंगटन में आर्थिक विकास संस्थान (Economic Development Institute) स्थापित किया गया है, जो मसतार की प्रमुख भाषाओं में अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करता है।

विश्व बैंक की प्रगति

चूंकि विश्व बैंक को काफी कठिन परिस्थितियाँ में से गुजरना था, इसलिए इसके कार्य-काल के प्रथम तीन वर्षों औपचारिक रूप से परीक्षणान्मक ही रहे। 1947 में विश्व बैंक द्वारा यूरोप के चार देशों—फ्रांस, लक्जमबर्ग, डेनमार्क तथा नीदरलैंड—को 496.8 मिलियन डालर के ऋण पुनर्निर्माण के लिए प्रदान किये गये। 1948 में मार्शल प्लान (Marshall Plan) की स्वीकृति के बाद यूरोपीय देशों की समस्याएँ कुछ हल हुईं और विश्व बैंक ने अर्द्ध-विकसित देशों के विकास की ओर ध्यान दिया। सन् 1947 से जून 1956 के बीच बैंक ने कुल 2,667 मिलियन डालर के 150 ऋण दिये, जिनमें पुनर्निर्माण के लिए केवल 497 मिलियन डालर थे और शेष राशि विकास के लिए थी। गत वर्षों में विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सत्या तथा राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है और ऋण प्राप्त करने वाले देशों की सत्या में भी वृद्धि हुई है। जून 1960 तक कुल मिलाकर विश्व बैंक ने 53 देशों को 265 ऋण प्रदान किये थे जिनकी कुल राशि 5,068 मिलियन डालर थी। जून 1968 तक 85 देशों ने 552 ऋण प्राप्त किये जिनकी कुल राशि 11,247 मिलियन डालर थी। इसी बीच बैंक के कुल सदस्या की संख्या 68 से बढ़कर 107 हो गयी। 1968 के वित्तीय वर्ष में बैंक की कुल आय (gross income) 356 मिलियन डालर

तथा शुद्ध आय (net income) 169 मिलियन डालर थी, जबकि 1960 में बैंक की कुल आय 151 मिलियन डालर तथा शुद्ध आय 59 मिलियन डालर ही थी।

विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों का वितरण देखने से पता चलता है कि 496.8 मिलियन डालर की राशि के अतिरिक्त, जो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के लिए दी गयी, बाकी के सभी ऋण विकास कार्यों के लिए दिये गये हैं और इनमें सबसे अधिक ऋण एशिया तथा मध्य-पूर्व के देशों को मिले हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1964-65 के बाद विश्व बैंक के सामने वित्तीय साधनों की कमी की समस्या रही है। इसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक के ऋण 1964-65 में 1,023 मिलियन डालर से गिरकर आगामी तीन वर्षों (1965-66 से 1967-68 तक) में 854 मिलियन डालर की वार्षिक औसत पर आ गये। 1968 में बैंक ने अपने नये अध्यक्ष के नेतृत्व में एक योजना बनायी जिसका उद्देश्य 1968 से 1973 तक के 5 वर्षों में बैंक तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा ऋणों में इतनी वृद्धि करना है जो पिछले 5 वर्षों की तुलना में लगभग दुगुनी हो। क्षेत्रीय आधार पर एशिया के देशों को दी जाने वाली सहायता में पर्याप्त वृद्धि करनी है परन्तु लैटिन अमेरिका के लिए दुगुनी तथा अफ्रीका के लिए तिगुनी वृद्धि करनी होगी। इस योजना के प्रथम वर्ष (1968-69) में विश्व बैंक ने 1,399 मिलियन डालर के 84 ऋण प्रदान करने के बचन (commitments) दिये। 1969-70 में 1,680 मिलियन डालर के 70 ऋणों के लिए विश्व बैंक बचनबद्ध था। नई योजना के पूर्व, 1967-68 में विश्व बैंक ने केवल 847 मिलियन डालर के 44 ऋणों की ही स्वीकृति दी थी।

भारत तथा विश्व बैंक

जैसा कि बताया जा चुका है, भारत विश्व बैंक का मौलिक सदस्य है तथा इसे बैंक के प्रशासनिक संचालक मण्डल में स्थायी स्थान प्राप्त है। 1950 में पेरिस से हुई बैंक की वार्षिक बैठक का सभापतित्व भी इसने किया था। इसकी सदस्यता से भारत को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं।

भारत के आर्थिक विकास कार्य में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। सर्व-प्रथम अगस्त 1949 में भारत को रेलों के पुनर्निर्माण के लिए 34 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया गया था। कुल मिलाकर, प्रथम योजना की अवधि में भारत ने विश्व बैंक से 145 मिलियन डालर के ऋण प्राप्त किये। भारत के प्रति बैंक की नीति संबंध सहानुभूतिपूर्ण रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत को विश्व बैंक के अन्य सभी सदस्यों की अपेक्षा सबसे अधिक ऋण दिये गये हैं। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार 30 जून, 1968 तक भारत को कुल 36 ऋण दिये गये जिनकी सम्पूर्ण राशि 1007.2 मिलियन डालर थी। 1968-69 में भारत को विश्व बैंक से 45 मिलियन डालर के ऋण प्राप्त हुए। 1969-70 में 40 मिलियन डालर का एक और ऋण प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान प्रथम है। जिन परियोजनाओं के लिए भारत को विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुए हैं, वे हैं (1) रेलों की आवश्यक सामग्री तथा कल-पुर्जों का आयात, (2) बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कृषि-मशीनों का आयात, (3) दामोदर घाटी निगम (DVC) की विद्युत परियोजनाएँ, (4) एयर इण्डिया निगम (Air India Corporation) द्वारा हवाई-जहाजों का क्रय, (5) कलकत्ता एव मद्रास के बन्दरगाहों का विकास, (6) महाराष्ट्र की कोयला विजली परियोजना, (7) टाटा सोडा एव इस्पात कम्पनी तथा इण्डियन लोहा एव इस्पात कम्पनी के विस्तार, (8) ट्रामवे में विजलीघर की स्थापना, (9) विजली के तार के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री का आयात, (10) आन्ध्र प्रदेश में कोटागुदम विजली-घर का विस्तार, (11) निजी क्षेत्र में कोयला उद्योग का विकास, तथा (12) भारतीय औद्योगिक साक्ष एव विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation of India) द्वारा निजी कम्पनियों को ऋण देने में

1. स्वयं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) को दी जाने वाली 100 मिलियन डालर की राशि सम्मिलित थी।

सहायता। 1969-70 में ऋण-उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व बैंक ने भारत को 13 मिलियन डालर का ऋण देने की स्वीकृति दी है। 30 जून, 1971 तक भारत को विश्व बैंक से 1,088 मिलियन डालर के ऋण प्राप्त हुए हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 629.74 मिलियन डालर है और शेष 458.37 मिलियन डालर के ऋण निजी क्षेत्र को प्राप्त हुए हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋणों का वितरण इस प्रकार हुआ है। कृषि 20 मिलियन डालर, उद्योग 435 मिलियन डालर, शक्ति एवं बिजली 163 मिलियन डालर, यातायात एवं सन्देशवाहन 470 मिलियन डालर।

भारत में आर्थिक विकास की योजनाओं की सफलता के लिए भारी मात्रा में प्रत्यक्ष ऋण देने के अतिरिक्त विश्व बैंक ने 1958 में कनाडा, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड तथा अमेरिका का एक सम्मेलन वाशिंगटन में बुलाया। विचार-विमर्श के बाद इन देशों ने विश्व बैंक के नेतृत्व में एक सघ (Consortium) स्थापित किया, जिसको 'Aid India Club' के नाम से भी पुकारा जाता है। बाद में बेल्जियम, इटली, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया तथा नीदरलैंड भी इसमें सम्मिलित हो गये और इस प्रकार सघ के सदस्यों की संख्या 10 हो गयी। सघ की प्रथम बैठक सितम्बर 1960 में पेरिस में तथा दूसरी बैठक मई 1961 में वाशिंगटन में हुई, जिनमें भारत को तृतीय योजना की अवधि में ऋण देने के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ। भारत सहायता क्लब ने तृतीय योजना के 5 वर्षों के लिए 5,472 मिलियन डालर की सहायता देने की घोषणा की, जिससे भारत को योजना पूरी करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। 1967-68 में भारत को प्राप्त विदेशी ऋणों में 97 प्रतिशत भाग भारत सहायता क्लब के सदस्य देशों द्वारा दिये गये ऋणों का था जिनमें से 80 प्रतिशत ऐसे ऋण थे जो किसी विशेष परियोजना से बंधे हुए नहीं थे। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के बढ़ते हुए ऋण-भार तथा उस पर व्याज आदि के भुगतानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक भारत को ऋण-सुविधाएँ (debt relief) दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। विश्व बैंक के नेतृत्व में ही भारत सहायता सघ ने गत वर्षों में भारत को ऋण-राहत सहायता (debt relief), बिना किसी परियोजना से बंधी सहायता (non project aid) तथा विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता (project aid) दी है तथा इसकी आवश्यकता अनुभव की है।

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त विश्व बैंक ने भारत को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। समय-समय पर भारत में भेजे गये विशेषज्ञों ने विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन करके उनसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भारत को न केवल विश्व बैंक से सहायता मिली है बल्कि विकास की योजनाओं के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन भी मिला है।

देश के विभाजन के पश्चात् भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल-विभाजन सम्बन्धी विवाद ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1952 में दोनों देशों के बीच बातचीत आरम्भ हुई तथा 1954 में बैंक ने सिन्धु-घाटी के जल-विभाजन सम्बन्धी योजना प्रस्तुत की। अन्ततः 19 जनवरी, 1960 को दोनों देशों का बीच समझौता हो गया। इस झगड़े को समाप्त कराने के लिए विश्व बैंक को स्वयं 80 मिलियन डालर का ऋण देने के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा जर्मनी से सिन्धु-घाटी विकास कोष (Indus Basin Development Fund) की स्थापना करने के लिए 640 मिलियन डालर की सहायता देने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी थी। इस झगड़े का सफलतापूर्वक निपटारा करके विश्व बैंक ने यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रों के आपसी विवाद शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा समाप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कई बार भारत में अपने विशेषज्ञों की टोलियाँ भेजकर आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया है और सुझाव दिये हैं।

वास्तविकता यह है कि एक सच्चे मित्र, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में विश्व बैंक ने भारत को जो आर्थिक तथा तकनीकी (technical) क्षेत्रों में सहायता दी है उससे भारत को आर्थिक विकास के कार्य में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। भारत को दिया गया सहयोग न केवल मात्रा में सब देशों से अधिक है बल्कि मानवी मूल्यों में सर्वोच्च है।

विश्व बैंक के कार्यों का महत्व

विश्व बैंक द्वारा किये गये अब तक के कार्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि एक नव्ये महायुद्ध के रूप में उसने विकासशील देशों को आर्थिक तथा प्रावधिक सहायता देकर विकास के मार्ग पर जाने बटने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। बैंक ने न केवल स्वयं सहायता दी है, बल्कि इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास मन्त्र सभ जैसी मन्त्रालयों की स्थापना करने में भारी मात्रा में सहयोग प्रदान किया है। अमीर देशों में इस भावना को जाग्रत किया है कि गरीब देशों के विकास में हाथ बँटाना उनका उत्तरदायित्व है और स्थायी विन्व-शान्ति की स्थापना के लिए आवश्यक है। गरीब देशों को अमीर देशों में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता में सम्बन्धित विषयों की जाँच करने के लिए विश्व बैंक ने अगस्त 1968 में कनाडा के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री पियरसन (Lester B Pearson) की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था। सितम्बर 1969 में पियरसन कमीशन ने अपनी रिपोर्टें पेश कीं। कमीशन ने सुझाव दिया है कि विकास के लिए दी जाने वाली सहायता में विकसित देशों की सरकारें वृद्धि करें ताकि 1975 (अधिक में अधिक 1980) तक वे अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) का कम से कम औसत 0.70 प्रतिशत सहायता के रूप में दे सकें। 1968 में यह औसत 0.39 प्रतिशत था। कमीशन ने सुझाव दिया है कि सहायता कम से कम 3 वर्ष के लिए दी जाय और ऋणी देशों को अनेक सुविधाएँ दी जायें। अन्तर्राष्ट्रीय विकास मन्त्र सभ द्वारा दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि हो। इसके लिए विकसित देश प्राप्त होना वाले SDRs का एक भाग विकास मन्त्र सभ को दें। विश्व बैंक को अपने उद्देश्यों में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। डी कॉक के अनुसार विश्व बैंक ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में काफी मात्रा में सफलता प्राप्त कर ली है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग यन्त्र में एक महत्वपूर्ण तत्व है।¹ कुरीहारा ने लिखा है कि "विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार स्थिरता की दिशा में आशावादी प्रगति की है।"² केवल यही नहीं, विश्व-शान्ति के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में भी विश्व बैंक ने भांगत-पाकिस्तान निम्बु-घाटी जल-विवाद तथा स्वयं नहर कम्पनी के अर्थों की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित विवाद का निपटारा करा कर प्रशासकीय कार्य किया है।

विश्व बैंक के विकास ऋणों के महारे अँधेरी शोरछियों तक प्रकाश पहुँचा है, मशीनों के पहियों में गति आई है, नये कल-कारखानों का निर्माण हुआ है, सूखे क्षेत्रों को पानी मिला है और रेगिस्तान नखलिस्तान (oasis) में परिणत हुए हैं। नये जल, थल तथा नभ मार्गों के लिए यातायात एवं मन्देस-बाहनों की सुविधा मिली है और विन्व की दूरियाँ समाप्त होने लगी हैं। इन सब सफलताओं में भी अधिक महत्वपूर्ण हैं वह भावनाएँ जिनसे विश्व बैंक को प्रेरणा मिली है। विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन आर० ब्लैक (Eugene R Black) ने 1962 में कहा था कि "बैंक के इन कार्यों का महत्त्व पराजय, दरसात तथा क्वरीट से निर्मित जड़ स्मारकों के रूप में नहीं आंकना चाहिए। उनके उद्देश्य व्यापक और गहन हैं—पृथ्वी की साधन-सम्पन्नता का विस्तार करना, मानव को प्रकाश एवं उष्णता प्रदान करना, अकर्मण्यता तथा निराशावाद से उनका उद्धार करना तथा उस दिवस की प्राप्ति के लिए जब विपुलता दूर-स्थित स्वप्न न रहकर एक वास्तविक सम्भावना बन सकेगी, विचारों को जन्म देना, और उनके लिए क्रियाशील सगठनों और रीतियों की समझाने की रचि उत्पन्न करना।"³

1 De Cock *Central Banking*, p 317

2 "The International Bank is a hopeful step in the direction of international employment stabilization"—Kunhara *Monetary Theory and Public Policy*, p 335.

3 "The Bank's work is not to be assessed in terms of the building of cold monuments of stone and steel and concrete, it has had a deeper purpose—to enlarge the riches of earth, to give men light and warmth, to lift them out of drudgery and despair, to interest them in the stirring of ideas and in the grasp of organization and techniques toward the realization of a day in which plenty will be a real possibility and not a distant dream"—Quoted by G. L. Mehta in his article published in *Commerce*, 8th December, 1962

विश्व बैंक के कार्य की आलोचना

विश्व बैंक के कार्य तथा नीतियों की अनेक कारणों से आलोचना की जाती है .

(1) प्रारम्भ में विश्व बैंक पर यह आरोप लगाया गया कि इस सस्था ने युद्ध-विनष्ट अर्थ-व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के कार्य को अधिक महत्व दिया है और अर्द्ध-विकसित देशों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया है । यह आरोप ठीक है । परन्तु विश्व बैंक का विचार यह था कि एक स्वसित भवन का पुनर्निर्माण एक नये भवन के निर्माण की अपेक्षा सीधा और आसान होता है । साथ में यह भी सोचा गया कि यूरोप के आर्थिक उत्थान से अर्द्ध-विकसित जगत को अपने विकास-कार्यक्रम पूरा करने में अनेक प्रकार से सहयोग तथा सहायता प्राप्त होने की सम्भावना हो सकती थी । वास्तविकता यह है कि आरम्भ के वर्षों को छोड़कर विश्व बैंक ने सदैव विकास के कार्यों में ही सहयोग दिया है ।

(2) कुछ राष्ट्रों ने इस बात की सकाप्रकट की है कि विश्व बैंक के कार्य पूर्णतया निष्पक्ष नहीं रहे हैं । ऋणदाता देश ऐसा सोचने हैं कि बैंक के सगठन में ऋण लेने वाले देशों को बहुमत प्राप्त है, इसलिए शर्तों का निर्धारण जन्ही के पक्ष में होता है । दूसरी ओर ऋणी देश बैंक के सगठन तथा नीति-निर्धारण में अमेरिका तथा अन्य बड़े देशों का प्रभाव बहुत अधिक पाते हैं । यथार्थ में विश्व बैंक अपने सभी सदस्य देशों के हितों की सुरक्षा चाहता है । बैंक की कार्य-प्रणाली इस प्रकार की है कि प्रत्येक ऋण का जोखिम सभी सदस्य देशों पर व्यक्तिगत तथा समुक्त रूप से आकर पड़ता है । विश्व बैंक के माध्यम से ऋणी तथा ऋणदाता देश दोनों को ही लाभ हुआ है । ऋणदाता देशों को सुरक्षित रूप में अपनी अतिरिक्त पूंजी का विदेशों में विनियोग करने का अवसर मिला है और ऋणी देशों को अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रम पूरा करने में सहायता मिली है ।

(3) ऋणी देशों का कहना है कि विश्व बैंक का ऋण देने का कार्य बड़ा विलम्बपूर्ण है तथा ऋण देने से पूर्व 'ऋण चुकाने की शक्ति' (repaying capacity) पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है । बैंक के ऋण वित्तिष्ट परियोजनाओं से बंधे होने के कारण ऋणी देश विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों से जकड़ा रहता है । इस सम्बन्ध में यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि विश्व बैंक एक व्यापारिक वित्तीय सस्था होने के नाते प्रत्येक ऋण देने के पूर्व उसकी सुरक्षा के लिए सन्तुष्ट होना चाहता है और उसके लिए छानबीन भी करता है । वास्तव में, इससे ऋणी देश को भी लाभ होता है क्योंकि प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित आर्थिक पहलू की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल हो जाती है । ऋण की राशि को किसी वित्तिष्ट परियोजना के साथ बाँधने में बैंक का उद्देश्य यह होता है कि ऋणी देश में उत्पादन की मात्रा में अधिकतम वृद्धि हो सके । बैंक का अभी तक का अनुभव यह रहा है कि सामान्य विकास के लिए दिये गये ऋण अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए ।¹

(4) कुछ आलोचकों के विचार में विश्व बैंक की तुलना में व्यक्तिगत देशों द्वारा दिये गये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण अधिक उपयुक्त होते हैं, परन्तु विश्व बैंक व्यक्तिगत देशों तथा व्यक्तिगत विनियोजकों का कार्य-क्षेत्र सीमित कर देता है । यह आलोचना भी निराधार है । विश्व बैंक किसी ऋण की व्यवस्था तभी करता है जब किसी देश को अन्य किसी साधन से यह उचित शर्तों पर न मिल सके । विश्व बैंक निजी पूंजी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि उसे प्रोत्साहन देता है और गारण्टी देकर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है ।

(5) विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों पर व्याज की दर ऊँची है । व्यावसायिक दृष्टिकोण से दीर्घकालीन ऋणों पर 5½% या 6 प्रतिशत व्याज-दर अधिक ऊँची नहीं कही जा सकती, परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों की दृष्टि से यह दर काफी ऊँची है । इसके अतिरिक्त बैंक 1 से 1½ प्रतिशत तक का अपना कमीशन अलग से लेता है । यह ठीक है कि इससे बैंक लाभ कमाता है और आर्थिक सफ़टों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि गरीब देशों की आर्थिक स्थिति और भुगतान-शक्ति को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण काफी महँगे

होते हैं और इन पर ग्याज-दर तथा कमीशन में कमी होना आवश्यक है। इन शिकायतों को दूर करने में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ की स्थापना से कुछ सहायता मिली है।

(6) एशिया तथा अफ्रीका के गरीब देशों को विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता उनके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। यही कारण है कि इन देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में बैंक की ऋण-नीति की आलोचना की है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व बैंक अविकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अधिकाधिक विदेशी पूंजी के संधनों को जुटाने के प्रयासों को तीव्र करे।

इसमें सन्देह नहीं कि गत वर्षों में विश्व बैंक का महत्व बढ़ा है और इसका अनुमान इसी से हो जाता है कि इसके सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ी है और इसे सहायता प्राप्त करने वाले देशों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। विश्व बैंक ने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एक वरदान मात्र नहीं बल्कि यथार्थ है और प्रभावपूर्ण हो सकता है। परन्तु विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी की जड़े इतनी गहरी हैं कि विश्व बैंक के लिए अभी बहुत कार्य करना बाकी है। आगे आने वाले वर्षों में विश्व बैंक की सफलता इसके प्रबन्धकों की कुशलता तथा निष्पक्षता, बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति, ऋणी देशों के ऋण वापस करने की क्षमता तथा इस सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग पर निर्भर करेगी। विश्व बैंक को एक ऐसे मजबूत पुस का कार्य करना है जिसके सहारे अमीर देशों के धन-कोष व्यवस्थित ढंग से निरन्तर स्वतन्त्र विश्व के तीन-चौथाई गरीब देशों की ओर बढ़े ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सन्तुलन की स्थापना हो सके।

परीक्षेपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारत को इस सत्या से क्या लाभ प्राप्त हुआ है ?
[संकेत विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करिए और यह स्पष्ट कीजिए कि यह केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ही नहीं है बल्कि इसका कार्य जनक श्रेया से सम्बन्धित है। दूसरे भाग में विश्व बैंक से भारत को प्राप्त होने वाली आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता का विवरण दीजिए।]
- 2 विश्व बैंक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए तथा स्पष्ट कीजिए कि उनकी प्राप्ति में यह कहां तक सफल हुआ है।
[संकेत प्रथम भाग में विश्व बैंक के उद्देश्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में विश्व बैंक की प्रगति का विवरण दीजिए और इसका मूल्यांकन करिए, अर्थात् सक्षम में बैंक के कार्य की आलोचनाओं का भी उल्लेख कीजिए।]
- 3 अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के उद्देश्यों, संगठन तथा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए इसका मूल्यांकन कीजिए।
[संकेत सर्वप्रथम विश्व बैंक के उद्देश्य बताइए, इनके बाद सत्या के संगठन तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। अन्त में विश्व बैंक की प्रगति तथा कमियों की व्याख्या कीजिए।]
- 4 विश्व बैंक किस प्रकार कार्य करता है ? इसमें सक्षम के आर्थिक विकास में क्या योगदान दिया है ?
[संकेत विश्व बैंक की कार्य-प्रणाली का उल्लेख कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि ऋण देने तथा ऋणों पर गारण्टी देने में बैंक किन शर्तों की पूर्ति चाहता है। दूसरे भाग में बैंक के कार्यों में प्रगति तथा दृष्टियों का विवेचनात्मक विवरण दीजिए।]
- 5 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि भारत को इनसे क्या लाभ पहुँचा है।
[संकेत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य अलग-अलग समझाइए। दोनों ही का अपने-अपने क्षेत्र में महत्व स्पष्ट करते हुए भारत को इनमें प्राप्त होने वाली सहायता का विवरण दीजिए।]

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएँ

[OTHER INTERNATIONAL MONETARY AGENCIES]

“यदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार कभी अच्छा था तो वह आज और भी अधिक अच्छा है।”
—रॉबर्ट एन गार्नर

विश्व बैंक, जैसा कि हम देख चुके हैं, अपने विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है, परन्तु इसकी स्थापना के कुछ वर्ष बाद से ही यह अनुभव किया जाने लगा कि इसके द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता में अनेक कमियाँ हैं। यह देखा गया कि न केवल विश्व बैंक के साधन अत्यधिक सीमित हैं तथा व्याज की दरें ऊँची हैं, बल्कि इसकी मददसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल ऋण देता है, वित्तियोगों में हिस्सेदार नहीं बनता, जबकि विकासशील देश ऋणों पर व्याज के भार से बचने के लिए साम्य वित्तीय प्रवर्धन (equity financing) की व्यवस्था अधिक उपयुक्त समझते हैं। यह भी देखा गया कि विश्व बैंक से निजी उद्योगों को विशेष सहायता नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें ऋण केवल सरकार की गारण्टी पर दिये जा सकते हैं।

उपर्युक्त कठिनाइयाँ ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास सम्बन्धी आर्थिक सुविधाएँ अधिक मात्रा में प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) तथा विश्व बैंक (World Bank) के अतिरिक्त कुछ अन्य मौद्रिक संस्थाएँ भी स्थापित की गयी हैं। इनमें से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation), अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ (International Development Association), एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में यह चर्चा की गयी थी कि हिस्सेदारी के आधार पर विकासशील देशों में पूँजी के वित्तियोग (equity financing) की व्यवस्था की जाय, परन्तु लॉर्ड कैन्ज तथा बरिन् गियरसन आदि विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया और अन्ततः यही तय हुआ कि विश्व बैंक बिना सरकार की गारण्टी के निजी उपक्रमों को ऋण न दे। 1951 में अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार बोर्ड (United International Development Advisory Board) ने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण का सुझाव दिया जो निजी उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था करे और ऋण प्रदान करने के साथ-साथ पूँजी वित्तियोजन द्वारा उनकी सहायता करे। इसके पश्चात् इस सुझाव पर विभिन्न स्तरों पर विचार होता रहा। दिसम्बर 1954 में संयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा (General Assembly) ने एक प्रस्ताव में विश्व बैंक से प्रार्थना की कि वह इस प्रकार की संस्था के लिए एक मसौदा (Charter) तैयार करे। 11 अप्रैल, 1955 को विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की व्यवस्था सम्बन्धी मसौदा अपन मसौदा

1 “So if the concept of I F C was ever a good one, today it is even better”

के मामले रखा। जुलाई 1956 में इनके सदस्यों की संख्या 31 हो जाने पर इसकी विधिवत् स्थापना कर दी गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य

निगम का मूल उद्देश्य, विश्व बैंक के एक पूरक के रूप में, उत्पादनशील निजी साहस के विकास को, विशेषतः अर्द्ध-विकसित देशों में, प्रोत्साहन देना है। इसके मसौदे की धारा 1 में वर्णित इनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) निजी उद्योगों के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना और इसके लिए विना सरकार की गारण्टी के सदस्य देशों में स्थित निजी उद्योगों में विनियोग करना,

(2) विनियोग के अवसरों, देशी और विदेशी निजी पूंजी तथा अनुभवी प्रबन्धन को परस्पर मिलाना और उनमें समन्वय स्थापित करना, तथा

(3) सदस्य राष्ट्रों में घरेलू तथा विदेशी ध्यत्सिगत पूंजी को उत्पादनशील विनियोगों में प्रवाहित कर उन परिस्थितियों का जन्म देना जो विकास में सहायक हों।

स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य निजी उद्योगों के साथ मिलकर, विना सम्बन्धित सरकार की गारण्टी लिये, उनमें पूंजी का विनियोग करना है। जिस उद्योग में पूंजी लगाई जाती है, उसके प्रबन्ध में निगम शामिल नहीं होता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निगम के उद्देश्यों में घरेलू तथा विदेशी पूंजी दोनों की ही चर्चा है, अर्थात् निगम दोनों प्रकार की पूंजी के विनियोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है। वास्तव में, इस निगम का उद्देश्य विनियोग के अवसरों, निजी पूंजी के साधनों तथा अनुभवी प्रबन्ध-कौशल के लिए एक समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में कार्य करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता एवं प्रबन्ध

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता केवल उन्हीं देशों को मिल सकती है जो विश्व बैंक के सदस्य हैं। बैंक विश्व बैंक के सदस्यता के लिए इस निगम की सदस्यता ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। निगम का प्रबन्ध भी विश्व बैंक के प्रबन्ध की भांति है। इसका भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जिसमें वित्त निगम के सदस्य देशों द्वारा जो गवर्नर विश्व बैंक में मनोनीत किये गये हैं, वे वित्त निगम के भी गवर्नर होते हैं। निगम के दिन-प्रतिदिन के कार्य-संचालन के लिए एक सचालक बोर्ड (Board of Executive Directors) होता है जिसमें विश्व बैंक के सचालक बोर्ड के वे सदस्य जो वित्त निगम के भी सदस्य हैं, सम्मिलित होते हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष वित्त निगम के सचालक बोर्ड का पदेन (ex-officio) चयरमन होता है। उसकी सहमति से निगम द्वारा अपना अध्यक्ष चुना जाता है जो निगम के नियमित कार्य-संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।

30 जून, 1969 को निगम के सदस्य देशों की संख्या 86 थी। विश्व बैंक की भांति ही निगम के प्रत्येक सदस्य को 250 मत प्राप्त होने हैं और प्रति 1000 डालर के चन्दे पर एक अनिश्चित मत प्राप्त होता है।

वित्त निगम विश्व बैंक की एक मन्वद्ध इकाई के रूप में कार्य करता है, परन्तु इसका अस्तित्व विश्व बैंक से सर्वथा अलग है। निगम के कोष तथा हिसाब-किताब बैंक से अलग रखे जाते हैं। विश्व बैंक के अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग करने पर उनका शुल्क बैंक को दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की पूंजी

प्रारम्भ में निगम की अधिष्ठित पूंजी 100 मिलियन डालर रखी गयी थी जो 100 डालर मूल्य के एक लाख शेयरों में विभाजित की गयी थी। सदस्य देश अपने हिस्से की राशि स्वयं अथवा डालर में धुका सकते थे। समय के साथ-साथ इनके सदस्यों की संख्या बढ़ती गयी और पूंजी में भी वृद्धि हुई। 30 जून, 1968 का निगम की स्वीकृत पूंजी 101,368,000 डालर थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, जर्मनी तथा कनाडा के हिस्से क्रमशः 35,168, 14,400, 5,815, 4,431; 3,655 तथा 3,600 हजार डालर थे। इस प्रकार भारत का निगम की पूंजी में चौथा स्थान था।

- 6 बैंक इस बात पर भी ध्यान देगा कि ऋणी देश ऋण समझौते में वर्णित शर्तों के पालन करने योग्य हैं अथवा नहीं।
- 7 बैंक से प्राप्त ऋण, विनियोग अथवा अन्य राशियों का उपयोग सदस्य देशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए ही किया जायगा। दो-तिहाई डायरेक्टग्रे के बहुमत से इनका उपयोग गैर-सदस्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है।
- 8 बैंक अपने कार्यों में ठोस बैंकिंग सिद्धान्तों (sound banking principles) का पालन करेगा।

चूंकि बैंक को विश्व के पूंजी-बाजार में अपनी साख जमाना है इसलिए बैंक प्रायः बठोर शर्तों पर ऋण (hard loans) प्रदान करता है। प्रारम्भिक काल में बैंक 'कोमल ऋण' (soft loans) नहीं देगा, परन्तु आगे चलकर यह इन ऋणों के लिए अपनी स्वीकृत पूंजी के 10% से एक विशेष कोष स्थापित कर सकता है। इस प्रकार के कोष की स्थापना के लिए अमेरिका ने 100 मिलियन डालर की राशि अलग से देने की घोषणा कर दी है। 1968-69 में जापान तथा कनाडा की सहायता से दो विशेष कोष स्थापित किये गये हैं जिनका उद्देश्य विवादाशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण देना है।

वास्तविक स्थिति

एशियाई विकास बैंक की अक्ष-पूंजी में भारत का हिस्सा 93 मिलियन डालर है। पूंजी के आधार पर एशियाई देशों में जापान का हिस्सा 200 मिलियन डालर सबसे अधिक है और दूसरा स्थान भारत का है। अमेरिका का हिस्सा भी 200 मिलियन डालर है। बैंक की स्थापना के आरम्भ से बैंक के उद्देश्य और विशेष रूप से अमेरिका और जापान के इरादों को सन्देहपूर्ण दृष्टि से देखा गया है। सम्भवतः इसी कारण रुम ने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। यह सब होते हुए भी एशिया तथा सुदूरपूर्व (ECAFE) के लगभग सभी देश इससे यह आशा लेकर सदस्य बन गये हैं कि सायद उन्हें कुछ लाभ पहुँच सके।

1968 में एशियाई विकास बैंक ने कुल 41.6 मिलियन डालर के ऋणों की स्वीकृति दी थी। 1969 में 98.1 मिलियन डालर के ऋण स्वीकार किये। 1970 में स्वीकृत ऋणों की राशि बढ़कर 245.2 मिलियन डालर हो गयी। ऋणों की राशि में वृद्धि तो अवश्य हुई है परन्तु अब तक अधिकांश ऋण प्रायः उन्ही देशों को मिले हैं जिन्हें आर्थिक विकास की नीति में अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास के स्थान पर अवस्थापना (infra structure) के लिए अधिक मात्रा में ऋण दिये गये हैं।

वास्तव में एशियाई बैंक विश्व बैंक का ही एक नमूना है, जो बहुत बड़ी मात्रा में ऋण देने के पश्चात् भी विकासशील देशों को यह विश्वास नहीं दिला पाया है कि वह उनके हितों की रक्षा करता है तथा उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है। विश्व बैंक के ऋणों के समान ही एशियाई बैंक के ऋणों पर ब्याज की दर काफी ऊँची है और ऋणों की शर्तें कठोर हैं। इनके उपयोग पर अनेक प्रतिबन्ध हैं। इनका उपयोग साधारणतया सदस्य देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्ति करने (procurement of goods and services in member countries) के लिए ही किया जा सकता है। एशियाई बैंक के ऋण निश्चित परियोजनाओं के साथ बँधे होते हैं और उनमें लोच का अभाव होता है। बैंक का प्रशासन इस प्रकार का है कि पूंजी में अधिक हिस्सा होने के कारण अमेरिका, जापान तथा अमेरिकी गुट के देशों को बहुत अधिक मताधिकार प्राप्त हैं और एशिया के गरीब देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप, बैंक का अधिकतर कार्य अमेरिकी नीति द्वारा ही प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। सांवेनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान न देकर निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

एशियाई विकास बैंक का अभी तक का कार्य सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। भारत

ने अभी तक हममें कोई सहायता प्राप्त नहीं की है। परन्तु यदि यह सस्ती ठीक प्रकार से कार्य करे तो भारत को इससे अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग की भावना का विकास होने पर हमारे निर्यात बढ़ सकते हैं तथा हमारे औद्योगिक उत्पादन के लिए एक निश्चित विदेशी बाजार का विकास हो सकता है। हमें आवश्यकता भी इसी बात की है कि हमारे तैयार किये हुए इजीनियरिंग पदार्थों, पूंजीगत मालो तथा अन्य निमित्त पदार्थों के लिए विदेशों में मांग बढ़े। एशियाई विकास बैंक तथा ECAFE की बैठकों में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि एशियाई बैंक विकसित देशों द्वारा दी गयी निर्यात साख के पुनर्वित्त (refinancing of export credits) की सुविधा देने पर विचार करे ताकि ये देश अपने निमित्त पदार्थों की विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति में सुधार कर सकें। आने वाले वर्षों में बैंक की मफलता बहुत कुछ बैंक के अधिकारियों के व्यवहार तथा विकसित देशों की अर्द्ध-विकसित देशों के प्रति सहयोग की भावना पर निर्भर करेगी। विकसित देशों के माधुन्यता का विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए उपयोग करने के लिए एशियाई बैंक एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।¹

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 विश्व बैंक के होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय निगम की स्थापना की क्या आवश्यकता थी? निगम को अपने उद्देश्यों में सहायक सफलता मिली है?
[संकेत विश्व बैंक द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता की कर्मियों स्पष्ट कीजिए और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य विस्तारपूर्वक समझाइए। दूसरे भाग में निगम के कार्यों में प्रगति तथा इसकी आलोचना का उल्लेख कीजिए।]
- 2 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्यों तथा इसकी कार्य-प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। विकासशील देशों के लिए इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए।
[संकेत अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य तथा इसके द्वारा ऋण दिये जाने की शक्ति तथा उसके सम्बन्धित निदानों का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए। दूसरे भाग में निगम के कार्यों के आधार पर इसका विकासशील देशों के लिए महत्व स्पष्ट कीजिए।]
- 3 अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ की स्थापना किन उद्देश्यों में की गयी है? विकासशील देशों के लिए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
[संकेत अन्तर्राष्ट्रीय सभ विकास की स्थापना की मशियत पृष्ठभूमि तथा इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में इसके द्वारा दी गयी मुलभ ऋण सहायता तथा इसकी कार्य-प्रणाली के आधार पर विकासशील देशों के लिए इसका महत्व स्पष्ट कीजिए।]
- 4 एशियाई विकास बैंक के उद्देश्यों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसकी सफलता की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए।
[संकेत प्रथम भाग में एशियाई विकास बैंक के उद्देश्य तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए और सभ में यह भी बताइए कि यह अपने कार्यों में किन निदानों को सामने रखता है। दूसरे भाग में इसकी नीति तथा कार्य का सूच्यचित्र कीजिए और भविष्य की सम्भावनाओं का उल्लेख कीजिए।]
- 5 विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम एशियाई विकास सभ तथा एशियाई विकास बैंक की ऋण-व्यवस्था में मौलिक अन्तर स्पष्ट कीजिए।
[संकेत चारों संस्थाओं की ऋण प्रणाली तथा ऋण-व्यवस्था पहले अलग-अलग समझाइए और फिर उनमें बुधनात्मक रूप से जलन कराइए।]
- 6 टिप्पणियाँ लिखिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ, एशियाई विकास बैंक।
[संकेत प्रत्येक के उद्देश्य कार्य-प्रणाली, सदस्यता, मगउन एवं पूजी तथा कार्यों में प्राप्त प्रगति का मणित्त विवरण दीजिए।]

1 "The Asian Development Bank can be a major vehicle for the sustained and effective deployment of resources and the responsible approach that the Bank has taken in facing the problems of the region should surely establish its entitlement to some priority of access to the limited world resources available for development —First Annual Report, Asian Development Bank, 1968

पष्ठ खण्ड

भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग

[INDIAN CURRENCY AND BANKING]

भारत में मुद्रा का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता आया है। हिन्दू काल में स्वर्ण तथा चाँदी के सिक्कों का प्रचलन था। मुगल शासकों ने इनकी बनावट तथा निर्माण विधि में कई सुधार किये और स्वर्ण तथा चाँदी के सिक्कों के साथ-साथ ताँबे के कम मूल्य के सिक्कों का भी निर्माण किया। मुगल साम्राज्य के कमजोर हो जाने पर देश कई छोटी-छोटी स्वतन्त्र इकाइयों में विभाजित हो गया और इनमें से अधिकांश ने अपनी अलग-अलग मुद्राएँ जारी कीं। जिस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में आयी, देश में विभिन्न वजन तथा शुद्धता के 994 प्रकार के सोने तथा चाँदी के सिक्के प्रचलित थे। इन मुद्राओं की अदला-बदली का बाजार उनमें पाये जाने वाली धातु की मात्रा थी। एक निश्चित मुद्रा-मान के अभाव में देश में उद्योग एवं वाणिज्य का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं था। सन् 1835 तक भारत में एक प्रकार का अव्यवस्थित द्विधातुमान प्रचलित था क्योंकि सोने तथा चाँदी के सिक्के एक साथ प्रचलन में थे। इन सिक्कों के बीच कोई निश्चित कानूनी अनुपात निर्धारित न होने के कारण व्यापार में असुविधा होना स्वाभाविक ही था। देश की मुद्रा-प्रणाली को व्यवस्थित रूप देने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1835 में रजत-मान (Silver Standard) की स्थापना की। वास्तव में, भारतीय मुद्रा का इतिहास यहीं से आरम्भ होता है।

सन् 1835 से 1925 तक का इतिहास

रजत-मान—सन् 1835 के भारतीय टकन अधिनियम (The Indian Coinage Act, 1835) के अन्तर्गत देश में रजत-मान (Silver Standard) की स्थापना की गयी। चाँदी के रुपये का वजन 180 ग्रेन था जिसमें 165 ग्रेन शुद्ध चाँदी थी। इस प्रकार रुपये की शुद्धता $11/12$ थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शासित सम्पूर्ण क्षेत्र में रुपया प्रमाणित सिक्का घोषित कर दिया गया और इसकी स्वतन्त्र एवं अपरिमित दलाई की गयी।

सन् 1841 में यह घोषणा की गयी कि सरकारी भुगतान सोने की मुहरों में भी किये जा सकते थे। सोने की मुहर का मूल्य 15 रुपये निर्धारित किया गया। आरम्भ में तो सोने का बाजार मूल्य उसके टकसाली मूल्य से अधिक था, परन्तु 1848 से 1851 के बीच आस्ट्रेलिया तथा केलीफोर्निया में सोने की खानें मिल जाने से सोने का बाजार-मूल्य गिरना आरम्भ हो गया। इन परिस्थितियों में जनता द्वारा अधिकतर भुगतान स्वर्ण मुहरों में किये जाने लगे। इसमें सरकार के पास बहुत अधिक सोना इकट्ठा होने लगा और सरकार को हानि होने लगी। परिणामस्वरूप, सरकार ने 25 दिसम्बर, 1852 की एक घोषणा के अनुसार सोने के सिक्के भुगतान में स्वीकार करना बन्द कर दिया और इस प्रकार सोने का पूर्णतया विमुद्रीकरण (demonetisation) हो गया।

सोने के सिक्कों के विमुद्रीकरण के पश्चात् मौद्रिक उपयोग के लिए चाँदी की माँग बढ़ गयी, परन्तु इसी बीच चाँदी का उत्पादन घट जाने से इसके बाजार-मूल्य में

वृद्धि होने लगी। परिणामस्वरूप, लोगों ने रुपये को गलाकर धातु में परिवर्तित करना प्रारम्भ कर दिया। इन कारणों से देश में मुद्रा के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी और व्यापार में कठिनाइयाँ आने लगी। सन् 1864 में सर चार्ल्स ट्रेवेलियन के सुझाव पर इंग्लैण्ड तथा आस्ट्रेलिया के सावरेन भारत सरकार द्वारा 18 रुपये की दर से स्वीकार किये जाने लगे और सरकार भी इनके द्वारा अपने भुगतान करने लगी। परन्तु इससे कठिनाइयाँ दूर नहीं हुईं और देश में स्वर्ण मुद्रा मान अपनाने पर जोर दिया जाने लगा।

देश में मुद्रा की कमी की समस्या पर विचार करने के लिए 1866 ई० में मैन्सफील्ड कमीशन (Mansfield Commission) की नियुक्ति की गयी, जिम्मे 5, 10 और 15 रुपये की स्वर्ण मुद्राएँ जारी करने की सिफारिश की। यह सुझाव भी दिया गया कि भारत की मुद्रा सोने चादी और कागज तीनों की होनी चाहिए। सरकार ने इस कमीशन की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

इसी बीच सन् 1872 के बाद रजत मान का चलाने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं जिनका प्रमुख कारण चादी के मूल्य में गिरावट होना था। मेक्सिको तथा अन्य देशों में चादी की नयी खान मिल जाने से चादी के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। जर्मनी, स्वीडन, नार्वे एव डेनमार्क आदि देशों ने रजत मान का त्याग कर दिया था। 1873 में लेटिन सभ के देशों ने फ्रांस की देखी देखी चादी के सिक्कों को चलन से निकाल दिया था। अमेरिका ने भी चाँदी की खरीद करना बन्द कर दिया। इन कारणों से चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हुई और इसके मूल्य में गिरावट आयी। परिणामस्वरूप भारत में चादी का आयात बढ गया जिससे मुद्रा स्कीति की स्थिति उत्पन्न हो गयी। रुपये का आन्तरिक मूल्य गिरने के साथ साथ रुपये की विनिमय दर में भी गिरावट आ गयी। 1871 में एक रुपया लगभग 2 शिलिंग के बराबर था, जो 1875 में 1 शिलिंग 9½ पैसे 1883 में 1 शिलिंग 7½ पैसे तथा 1892 में 1 शिलिंग 2 पैसे के बराबर रह गया। विनिमय दर गिर जाने के कारण सरकार को गृह व्यय (home charges) के भुगतान में अब पहले से अधिक रुपये देना आवश्यक हो गया। भारत में विदेशी पूँजी का आयात कम हो गया और विदेशी व्यापार में हानि हुई। इन परिस्थितियों में भारत सरकार के लिए रजत मान बनाये रखना कठिन हो गया और देश में स्वर्ण मान अपनाने की जोरदार माँग की जाने लगी।

उपरोक्त कठिनाइयों पर विचार करने तथा समस्या को सुलझाने के उद्देश्य में भारत सरकार ने 1892 में हर्शेल समिति (Herschell Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने सुझाव दिये कि चाँदी तथा सोने की स्वतन्त्र ढलाई बन्द कर दी जाय, रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैसे रखी जाय (अर्थात् 1 पौण्ड 15 रुपये के बराबर हो), तथा रुपया देश की असीमित कानूनी मुद्रा बना रहे। भविष्य में स्वर्ण मान अपनाने का सुझाव दिया गया था। हर्शेल समिति ने एक प्रकार से देश में रजत मान के स्थान पर पगुमान (Lumping Standard) को स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की थी जिसके अन्तर्गत चाँदी अथवा सोने के सिक्कों का स्वतन्त्र टक्का नहीं कराया जा सकता था, परन्तु चाँदी के रुपये को असीमित विधिशाह्य (unlimited legal tender) माना गया था। अन्तरिम काल में स्वर्ण अथवा चलाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता था और समिति ने यह सुझाव दिया कि सोने की मुद्रा सरकारी खजानों में 1 शिलिंग 4 पैसे की दर से स्वीकार की जाय।

सरकार ने हर्शेल समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 1893 में भारत में रजत मान का त्याग कर दिया गया। पुराने विधान में सुधार करने के लिए 1893 में एक नया चलन अधिनियम बनाया गया। चाँदी का स्वतन्त्र टक्का बन्द हो जाने से चाँदी की मुद्राओं की पूर्ति कम हो गयी जिससे रुपये की विनिमय दर बढ़कर 1898 में 1 शिलिंग 4 पैसे हो गयी। वास्तव में सन् 1893 के बाद के कुछ वर्ष सन्नान्ति काल के (transitional) थे और इस काल में अपनाये गये उपायों का उद्देश्य कुछ समय बाद देश में स्वर्ण मान अपनाने के लिए प्रयास करना था।

फाउलर समिति, 1898 (Fowler Committee, 1898)

भारत में स्वर्ण मान की स्थापना के लिए सरकार ने भारत सचिव को 8 मार्च, 1898 को सिफारिश की, जिस पर विचार करने के लिए अप्रैल 1898 में सर हेनरी फाउलर (Sir Henry Fowler) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। फाउलर समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं

- (1) भारत में ब्रिटिश सॉवरेन तथा अर्द्ध-सॉवरेन असीमित विधिग्राह्य मुद्रा मान लिये जायें और इनकी स्वतन्त्र ढलाई हो।
- (2) सोने के सिक्कों के साथ-साथ चांदी का रुपया असीमित विधिग्राह्य बना रहे, परन्तु इसका स्वतन्त्र टकण न हो। इस प्रकार रुपया सहायक सिक्का बनकर देश में चले।
- (3) विनिमय-दर को 1 शिलिंग 4 पेंस पर स्थायी बनाया जाय। इस दर पर सरकार सोने के बदले रुपये दे, परन्तु रुपये के बदले सोना देने के लिए बाध्य न हो।
- (4) विदेशी व्यापार की स्थिरता के लिए भारत सरकार सोने का पर्याप्त कोष इकट्ठा करे ताकि व्यापार-सन्तुलन विपरीत होने की स्थिति में सरकार सोना देने के लिए तैयार हो।
- (5) रुपये की ढलाई से जो लाभ प्राप्त हो उसे एक स्वर्ण-मान कोष में जमा किया जाय। भारत सरकार ने फाउलर समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया। 1899 में भारतीय टकण अधिनियम (Indian Coinage Act) पास किया गया जिसके अनुसार देश भर में सॉवरेन तथा अर्द्ध-सॉवरेन क्रमशः 15 रुपये और 7½ रुपये के बराबर घोषित कर दिये गये। सरकारी खजानों तथा डाकखानों आदि को आदेश दिया गया कि वे यथासम्भव जनता को सोने के सिक्कों में ही भुगतान दें।

व्यावहारिक रूप में सरकार को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल सकी। सरकार द्वारा दिये गये सोने के सिक्के फिर से वापस आने लगे और रुपये की मांग बढ़ने लगी, यहाँ तक कि सॉवरेन बाजार में चार आने बट्टे पर बिकने लगा। इसका कारण यह था कि देश में निरन्तर दो-तीन वर्ष तक अकाल की स्थिति रही और छोटे भुगतानों के लिए छोटे सिक्कों की अधिक आवश्यकता थी, जबकि सरकार ने चारों ओर से जनता पर सॉवरेनों की एकदम बौद्धि कर दी थी।

स्वर्ण-विनिमय मान—फाउलर समिति के सुझावों पर अमल करने में असफलता के कारण 1893 से लेकर 1907 के आर्थिक मकड़ के समय तक भारत सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किये जिनके परिणामस्वरूप स्वर्ण-मान के बजाय देश में स्वर्ण-विनिमय मान (Gold Exchange Standard) की स्थापना हो गयी। सरकार द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयत्न निम्नलिखित थे

- (1) सन् 1900 में ही सरकार ने सोने के सिक्कों को चलाने के प्रयत्न कमजोर कर दिये और बहुत बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों का टकण प्रारम्भ कर दिया था।
- (2) भारत में स्वर्ण टकसाल स्थापित करने की जो सिफारिश फाउलर समिति ने दी थी, ब्रिटिश ट्रेजरी के विरोध के कारण रद्द कर देनी पड़ी।
- (3) रुपये की ढलाई के लाभ से निर्मित स्वर्ण-कोष भारत में न रखकर इंग्लैण्ड में रखा जाने लगा।
- (4) भारत सरकार ने लन्दन में कागजी मुद्रा रक्षित कोष (paper currency reserve) तथा स्वर्ण-मान रक्षित कोष (gold standard reserve) स्थापित किये।
- (5) सन् 1907 में स्वर्ण-कोष की एक शाखा भारत में भी स्थापित की गयी, जिसका उद्देश्य स्वर्ण के बदले में रुपया देना तथा विनिमय-दर को 16 पेंस पर स्थिर रखना था। इस प्रकार स्वर्ण-मान कोष की दो शाखाएँ हो गयी—एक लन्दन में स्टैबिलि प्रतिभूतियों के रूप में तथा दूसरी भारत में चांदी के रुपये के रूप में।

उपर्युक्त कार्यों के फलस्वरूप भारत में आकस्मिक रूप से बिना किसी पूर्व-योजना के स्वर्ण-विनिमय मान स्थापित हो गया। फाउलर समिति ने स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना का कोई सुझाव नहीं दिया था। भारत स्वर्ण-मान अपनाना चाहता था, परन्तु परिस्थितियों के प्रभाव में उसे स्वर्ण-विनिमय मान ही स्वीकार करना पड़ा।

भारत में अपनाये गये स्वर्ण-विनिमय मान की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी :

1. देश के भीतर सोने के सिक्के चलन में नहीं थे, बल्कि चाँदी के रुपये तथा नोट प्रचलित थे ।
2. भारत सरकार स्वर्ण-मान कोष (gold standard reserve) तथा पत्र-चलन कोष (paper currency reserve) लन्दन में रखती थी । इनकी शाखाएँ भारत में भी रखी गयी थी ।
3. भारतीय रुपये को इंग्लैण्ड के पाँण्ड में सम्बन्धित कर दिया गया था । 1 बिलिंग 4 पेंस (अर्थात् 16 पेंस) की दर से इसे पाँण्ड में बदला जा सकता था और पाँण्ड निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तनीय था ।
4. रुपये की विनिमय-दर स्थिर रखने के लिए काउन्सिल बिल्लय (council bills) तथा रिवर्स काउन्सिल बिल्लय (reverse council bills) खरीदे व बेचे जाते थे ।

काउन्सिल बिल्लय अथवा परिपद विपत्र एक प्रकार से रुपये के ड्राफ्ट (rupee drafts) थे जिनमें भारत सचिव की ओर से भारत सरकार को आदेश होता था कि उन पर लिखी रुपये की राशि बिल लाने वाले को दे दी जाय । इंग्लैण्ड के जिन व्यापारियों को भारत में रुपया भेजना होता था, वे काउन्सिल बिल खरीदते थे । इसके विपरीत, रिवर्स काउन्सिल बिल अथवा प्रति परिपद विपत्र में भारत सरकार भारत सचिव को यह आदेश देती थी कि वह बिल में लिखी स्टर्लिंग की राशि वा भुगतान कर दे । ये बिल्लय भारतीय बैंको तथा व्यापारियों द्वारा इंग्लैण्ड में भुगतान करने के उद्देश्य से खरीदे जाते थे । इन बिल्लो की रकम इंग्लैण्ड में भारत के पत्र-चलन कोष में जमा हो जाती थी । लन्दन में भारत सचिव द्वारा काउन्सिल बिल्लय 1 शि० 4 $\frac{1}{2}$ पें० की दर से बेचे जाते थे । इसके विपरीत, भारतीय व्यापारी भारत सरकार से रिवर्स काउन्सिल बिल्लय 1 शि० 3 पें० की दर से खरीदते थे । इस प्रकार रुपये के पाँण्ड मूल्य में परिवर्तन की सीमाएँ निर्धारित थी ।

स्वर्ण-विनिमय मान के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता है कि इससे भारत को अनेक लाभ प्राप्त हुए । इसके अपनाने से स्वर्ण मान के सभी लाभ प्राप्त हो गये, परन्तु सोने के सिक्के चलन में न रहने के कारण सोने के उपयोग में बहुत अधिक वृद्ध हुई । काउन्सिल बिल्लो की व्यवस्था के द्वारा रुपये की विनिमय-दर को स्वर्ण के आयात-निर्यात के बिना स्थिर रखा जा सकता था । लन्दन में सुरक्षित कोष में रखा गया सोना भारत तथा ब्रिटेन दोनों देशों की मुद्राओं के सुरक्षित कोष का काम करता था । इन सब बातों के बावजूद, व्यावहारिक रूप में, स्वर्ण-विनिमय मान को एक द्रापपूर्ण प्रणाली समझा गया और इसकी काफी आलोचना की गई । मुख्य आलोचनाएँ ये थी

(1) इससे विनिमय-दर में तो स्थिरता आ गयी परन्तु देश के अन्दर कीमत-स्तर में स्थिरता लाने में यह सफल नहीं हो सका । इससे व्यापार में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी तथा पूंजी के विकास में बाधा आने लगी ।

(2) चूंकि यह प्रबन्धित मान (managed standard) था इसलिए सरकार को इसके संचालन के लिए निरन्तर हस्तक्षेप करना पड़ता था ।

(3) केन्द्रीय बैंक के अभाव में सरकारी कर्मचारी ही इसका प्रबन्ध करते थे । बाजार तथा व्यापार की परिस्थितियों से उनका सम्पर्क न होने के कारण उनका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण था ।

(4) कोषों में अनावश्यक दोहरापन था ।

(5) विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित होने के कारण इंग्लैण्ड की मौद्रिक दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का भारत पर भी प्रभाव पड़ता था ।

स्वर्ण-विनिमय मान के उपर्युक्त दोषों के कारण भारत में इसकी काफी आलोचना की गयी और देश में यह माँग की जाती रही कि स्वर्ण-मान की स्थापना की जाय । स्वर्ण-विनिमय मान के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा भारत सचिव के बीच मतभेद पैदा हो गये थे । भारतीय मुद्रा एव विनिमय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए अप्रैल 1913 में श्री चेम्बर-

लेन (Chamberlain) की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गयी। चेम्बरलेन आपोप द्वारा 1914 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में ये सुझाव दिये गये

- (1) भारत में स्वर्ण-विनिमय मान को चालू रखा जाय,
- (2) स्वर्ण-मान कोय लन्दन में ही रखा जाना चाहिए,
- (3) भारत में सोने के सिक्कों की दलाई के लिए टकसाल स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए देश में टकसाल की स्थापना की जा सकती थी,
- (4) स्वर्ण-मान कोय की रजत-शाखा, जो भारत में थी, बन्द कर देनी चाहिए,
- (5) देश की पत्र-मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचदार बनाने के लिए नोटों का अरक्षित भाग (fiduciary issue) बढ़ा दिया जाय और नोटों का प्रयोग अधिक किया जाय।
- (6) विनिमय दर की स्थिरता बनाये रखने के लिए सरकार को 1 मिलियन 3३३३ पैसे की दर से रिवर्स काउन्सिल बिल्ले बेचने की गारण्टी देनी चाहिए।

चेम्बरलेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1914 में पेश की। इस पर विचार हो ही रहा था कि जुलाई 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध प्रारम्भ होते ही जनता में सरकार के प्रति एक व्यापक अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी। सेविंग बैंक खातों से रुपया निकाला जाने लगा तथा नोटों को स्वर्ण में परिवर्तित करने की मांग बढ गयी। 5 अगस्त, 1914 से सरकार ने आवश्यक व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त सोना देना बन्द कर दिया। इसके पश्चात नोटों के बदले चाँदी की मांग बढ गयी। बिगडो हुई स्थिति को सुधारने और जनता का विश्वास जमाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किये। विनिमय-दर में गिरावट को रोकने के लिए जनवरी 1915 तक भारत सरकार द्वारा लगभग 87 लाख पाँड के रिवर्स काउन्सिल बिल्ले बेचे गये। 1915 के अन्त तक स्थिति सुधरने लगी। व्यापार-सन्तुलन भारत के पक्ष में हो गया और रुपये की विनिमय-दर में वृद्धि होने लगी। रुपये की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा बड़े मात्रा में चाँदी खरीदी गयी। चाँदी के भाव बढ़ने से रुपये का वास्तविक मूल्य उसके वैधानिक मूल्य से अधिक हो गया। ऐसी दशा में रुपये के सिक्के गलाये जाने लगे और मुद्रा की कमी हो गयी। चाँदी के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण रुपये की विनिमय-दर को स्थिर रखना असम्भव हो गया। काउन्सिल बिल्ले की बिक्री बन्द कर देनी पडी जिससे स्वर्ण विनिमय मान का आधार ही समाप्त हो गया। चाँदी के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ रुपये की विनिमय-दर में वृद्धि होती गयी, जो 1917 में 1 सि० 4½ पैसे में बढ़कर 1918 में 2 सि० 4 पैसे हो गयी। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय मान बिना किसी औपचारिक घोषणा के टूट गया और सरकार इसकी रक्षा न कर सकी। यह प्रणाली साबुन के बुलबुले की भाँति समाप्त हो गयी।¹

युद्ध-काल की विपम परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में चाँदी खरीदी गयी, चाँदी तथा सोने के निर्यात पर रोक लगा दी गयी, सोने-चाँदी के सिक्के गलाना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया, छोटे सिक्कों में मिश्रत का प्रयोग किया गया, 1 रुपये तथा 2½ रुपये के नोट निकाले गये और नोटों को रुपये में बदलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इन सब उपायों के बावजूद न तो स्वर्ण-विनिमय मान की रक्षा की जा सकी और न ही विनिमय-दर को स्थिर रखा जा सका। विनिमय दर चटते-चटते 1919 में 2 सि० 4 पैसे तथा 1920 में 2 सि० 11 पैसे तक पहुँच गयी।

बैबिंगटन स्मिथ समिति, 1919 (Babington Smith Committee, 1919)

मई 1919 में सर हेनरी बैबिंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी, जिसका कार्य भारतीय मुद्रा-प्रणाली की जाँच करना, विनिमय-दर की स्थिरता के लिए सुझाव देना तथा मौद्रिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के बारे में सुझाव देना था। फरवरी 1920 में समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें ये मुख्य सुझाव दिये गये

1 "But now that the standard (gold exchange) broke down, the enchantment was at an end, the mirage evaporated, the soap bubble burst and the chariot of Cinderella relapsed into its original pumpkins and mice — J. M. Keynes, *Indian Currency and Finance*, p. 29

(1) रुपये का विनिमय मूल्य 2 शिलिंग निर्धारित किया जाय, अर्थात् रुपये और सॉवरेन में 10 1 का अनुपात हो।

(2) रुपया और सॉवरेन दोनों ही असीमित विधिप्राह्य हो, परन्तु सॉवरेन के बदले में रुपये के सिक्के देने के लिए सरकार का कोई दायित्व न हो।

(3) स्वर्ण-मान कोप का अधिकांश भाग मोने में रहे तथा शेष सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। कोप की कम से कम आधी रकम भारत में रखी जाय।

(4) पत्र मुद्रा कोप का सोना-चांदी भारत में ही रखा जाय। नोट-निर्गमन में लोच उत्पन्न करने के लिए आनुपातिक कोप प्रणाली (proportional reserve system) अपनायी जाय और नोटों के पीछे 40 प्रतिशत स्वर्ण कोप अवश्य रखा जाय। अरक्षित मुद्रा (fiduciary currency) का निर्गमन 120 करोड़ रुपये तक ही रखा जाय और यह केवल एक निश्चित अवधि के लिए हो।

(5) सोने के छोटे सिक्के ढालने के लिए बम्बई में एक टंकाल स्थापित की जाय।

(6) स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो। चांदी का आयात बढ़ाया जाय परन्तु निर्यात पर रोक लगा दी जाय।

(7) रुपये की विनिमय-दर स्टलिंग के बजाय मोने में व्यक्त की जाय।

(8) आवश्यकता पडने पर काउन्सिल विल्स तथा रिर्वर्स काउन्सिल विल्स असीमित मात्रा बेचे जायें।

बैकिंगटन स्मिथ कमेटी के एक भारतीय सदस्य श्री डी० एम० दलाल ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए रुपये की विनिमय-दर 2 शिलिंग के बजाय 1 शि० 4 पें० रखने का सुझाव दिया था। परन्तु बहुमत की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने रुपये की विनिमय-दर 2 शि० पर निश्चित कर दी जो काफी ऊँची थी। इस ऊँची विनिमय-दर का देश के व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। देश के आयात बढ़ गये और उनके भुगतान के लिए रिर्वर्स कौन्सिल विल्स की माँग बढ़ी। 1920 में विदेशी व्यापार भारत के विपन्न में होने लगा। स्टलिंग की माँग बढ़ने के कारण रुपये का बाजार मूल्य गिरने लगा। रुपये के मूल्य को गिरने से बचाने के लिए वड़ी मात्रा में रिर्वर्स काउन्सिल विल्स बेचे गये जिनका भुगतान करने के लिए पत्र-चलन कोप में से स्वर्ण प्रतिभूतियों तथा सरकारी हूण्डियों का विक्रय करना पड़ा। 15 रुपये के भाव से खरीदी गयी यह हूण्डियाँ 7 से लेकर 10 रुपये तक बेची गयीं जिससे भारत सरकार को 35 करोड़ रुपये की हानि हुई। मुद्रा सकुचन की नीति का भी प्रयोग किया गया, परन्तु विनिमय-दर का गिरना बन्द न हुआ।

सरकार 2 शिलिंग की विनिमय-दर बनाये रखने में सफल न हो सकी। रुपये की विनिमय-दर जून 1920 में 1 शि० 5 पें० से गिरकर मार्च 1921 में 1 शि० 2½ पें० ही रह गयी। जिन व्यापारियों ने आयात के ऑर्डर पहले से दे रखे थे, वे दरवाद हो गये। विनिमय-दर बढ़ाने के सभी प्रयत्न असफल हो जाने पर 1922 में सरकार ने काउन्सिल विल्स बेचना बन्द कर दिया और विनिमय-दर को परिस्थितियों पर छोड़ दिया गया। सन् 1922 के बाद की भारत सरकार की मुद्रा नीति को 'बेजोड अकर्मप्यता' (masterly inactivity) की नीति कहा गया है। इससे व्यापार को भारी धक्का पहुँचा और सरकार को भी बहुत हानि उठानी पड़ी थी। यह सब बैकिंगटन स्मिथ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में जल्दवाजी का परिणाम था।

सन् 1923 से आर्थिक दशाओं में कुछ सुधार होने लगा और विनिमय-दर धीरे-धीरे बढ़ने लगी। 1925 में जब विनिमय दर 1 शि० 6 पें० पर आकर रूक गयी तो सरकार ने इसे इस स्तर पर स्थिर रखने का निश्चय किया। वास्तव में, 1922 से 1925 तक का समय सत्रमण काल था क्योंकि युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में बदल रही थी। ऐसे समय में किसी भी मुद्रा-नीति की सफलता सन्देहपूर्ण रहना स्वाभाविक था। 1925 से समार की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने लगी। इंग्लैण्ड ने स्वर्ण-मान को फिर से अपना लिया, जिनमें स्टलिंग व

स्वर्ण के मूल्य समान हो गये। भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि देश की मुद्रा-प्रणाली को नये रूप से सर्गठित करने का यह अच्छा अवसर था और इसके लिए अनेक प्रयत्न किये गये।

सन् 1925 से 1939 तक का इतिहास

हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission, 1925)

25 अगस्त, 1925 को भारत सरकार ने लेफ्टिनेण्ट कर्नल हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की जिसके कुल 11 सदस्य थे जिनमें से 4 भारतीय थे। इस कमीशन को मुख्य रूप से तीन बातों से सम्बन्धित सुझाव देने थे (1) देश के लिए एक उपयुक्त मुद्रा-प्रणाली के बारे में, (2) विनिमय-दर की स्थिरता के सम्बन्ध में, तथा (3) देश में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने के विषय में।

हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1926 में पेश की। इसकी सिफारिशों का देश की मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग व्यवस्था के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कमीशन के मुख्य सुझाव ये थे (1) देश में स्वर्ण धातु मान (gold bullion standard) अपनाया जाय, (2) रुपये की विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पैसे रखी जाय, तथा (3) देश में एक केन्द्रीय बैंक—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया—की स्थापना की जाय।

स्वर्ण धातु मान का सुझाव—स्वर्ण-मान के विविध रूपों की उपयुक्तता पर विचार करते हुए कमीशन ने भारत के लिए स्वर्ण-धातु मान को ही उपयुक्त समझा और स्वर्ण-विनिमय मान, स्वर्ण-मुद्रा मान तथा स्टर्लिंग-विनिमय मान का विरोध किया।

हिल्टन यंग कमीशन ने स्वर्ण-विनिमय मान के निम्नलिखित दोष बताये (1) यह एक जटिल प्रणाली है जिसे साधारण जनता ठीक से समझ नहीं पाती है। (2) इसमें स्वचालन का अभाव रहता है। (3) इसमें पर्याप्त लोच का भी अभाव रहता है क्योंकि मुद्रा के प्रसार अथवा सकुचन के लिए काउन्सिल तथा रिजर्व काउन्सिल विलो की सहायता लेनी पड़ती है। (4) इस प्रणाली में स्वर्ण की बचत के स्थान पर उसका अपव्यय होता है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में सोना कोप में रखना पड़ता है। (5) देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा से जुड़ी होने के कारण यह एक पराधीन मुद्रा प्रणाली है। इंग्लैंड में होने वाले मौद्रिक परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ता था। (6) यह प्रणाली रुपये के मूल्य में स्थिरता बनाये रखने में असफल रही थी। (7) इस प्रणाली के अनुसार दो प्रकार के कोप—स्वर्ण कोप तथा पत्र-मुद्रा कोप—भारत तथा इंग्लैंड दोनों देशों में रखने की व्यवस्था की भी दोषपूर्ण कहा गया।

कमीशन ने भारत में स्वर्ण-मुद्रा मान स्थापित करने का भी विरोध किया, क्योंकि (1) इसे चलाने के लिए भारत के पास स्वर्ण की पर्याप्त मात्रा नहीं थी और न ही भारत बड़ी मात्रा में सोना खरीद सकता था, (2) सोने को खरीदने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में चाँदी बेचना पड़ेगी, इससे सोना महँगा होने तथा चाँदी का मूल्य कम हो जाने की सम्भावना होगी, (3) भारत जैसे गरीब देश के लिए यह एक महँगी मुद्रा-प्रणाली होगी, (4) इसके अपनाने से मुद्रा-प्रणाली में लोच कम हो जायगी, तथा (5) इससे के अधिवास देशों में यह प्रणाली असफल रही थी और इसे छोड़ दिया गया था।

स्टर्लिंग-विनिमय मान के सम्बन्ध में कमीशन का विचार था कि इसमें स्वर्ण विनिमय मान के सब दोष पाये जाते हैं तथा इंग्लैंड पर निर्भरता बट जाती है।

अतएव हिल्टन यंग कमीशन ने भारत के लिए स्वर्ण-धातु मान की सिफारिश की थी, जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(1) सोने के सिक्के तथा सॉवरेन का देश में चलन नहीं होगा। चाँदी के सिक्के तथा कागज के नोट चलन में रहेंगे।

(2) यद्यपि स्वर्ण बाल्मबिक रूप में मुद्रा की भाँति नहीं चलेगा, परन्तु रुपया स्वर्ण से सम्बन्धित रहेगा। नोटों के बदले एक निश्चित दर पर सोने की छड़ें (gold bars) किसी भी कार्य के लिए मित्त सकेंगी।

(3) मुद्रा-संचालक असीमित मात्रा में शुद्ध सोना एक निश्चित दर पर खरीदेगा तथा देवेगा।

(4) रिजर्व बैंक द्वारा निकाले भये नोटों पर सरकार की गारण्टी होगी। 1 रुपये के नोट स्वयं सरकार जारी करेगी जो पूर्णतया वैधानिक ग्राह्य होते हुए भी रुपये के सिक्कों में नहीं बदले जा सकेंगे।

(5) स्वर्ण कोप तथा पत्र-मुद्रा कोप मिलाकर एक कर दिये जायेंगे। इस सम्मिलित कोप में स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ 40% से कम न होंगी और घेप 60 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों अथवा व्यापारिक विलों के रूप में होगा।

स्वर्ण-धातु मान अपनाने के हिल्टन यंग कमीशन ने कई लाभ बताये थे, जैसे—(1) इस मान को स्वर्ण मुद्रा मान के सभी लाभ प्राप्त होंगे, (2) यह एक सरल प्रणाली होने के कारण जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेगी, (3) जनता में बैंकिंग तथा विनियोग की आदत बढेगी, (4) स्वर्ण का प्रयोग केवल कोप के रूप में होने के कारण यह प्रणाली अधिक अपव्ययी अथवा खर्चीली न होगी, (5) चलन के विस्तार और संकुचन में स्वचालकता का गुण आ जायगा, (6) इससे स्वर्ण कोपों में वृद्धि होगी और विनिमय-दर को स्थिर रखा जा सकेगा, (7) इस प्रणाली को इंग्लैण्ड में भी अपनाया गया था, तथा (8) यह प्रणाली स्वर्ण मुद्रा मान अपनाने की दिशा में पहला कदम होगा।

मर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने, जो इस कमीशन के सदस्य थे, स्वर्ण-धातु मान का विरोध किया था और देश में स्वर्ण-मुद्रा मान की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत सरकार ने कमीशन की स्वर्ण-धातु मान की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1927 के करंसी एक्ट द्वारा इस प्रणाली की स्थापना कर दी। सॉवरेन का मुद्रा के रूप में चलन बन्द कर दिया गया। सरकार ने घोषणा की कि वह वर्म्बई की टंकाल म 21 रुपये 3 आने 10 पाई प्रति तोला के हिसाब से स्वर्ण छड़ों के रूप में सोने को खरीदेगी तथा बेचेगी, परन्तु ऐसी खरीद 400 औंस या 1065 तोले से कम नहीं हो सकेगी। छड़ों के रूप में सोना लन्दन में भी दिया जायगा। रुपये तथा नोट के बदले सोना या स्टलिंग देने की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार, कुछ लोगों के विरोध के बावजूद भारत में स्वर्ण-धातु मान स्थापित कर दिया गया।

विनिमय दर सम्बन्धी सुझाव—हिल्टन यंग कमीशन ने बहुमत से यह सुझाव दिया था कि रुपये की विनिमय दर 1 शि० 6 पें० रखी जाय। परन्तु सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने अपनी असहमति रिपोर्ट में 1 शि० 4 पें० विनिमय दर रखने के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किये थे। इस प्रकार रिपोर्ट प्रकाशित होते ही विनिमय दर के सम्बन्ध में गम्भीर विवाद उठ खड़ा हुआ था।

विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पेंस रखने के पक्ष में निम्नलिखित मुख्य तर्क दिये गये थे

(1) 1 शि० 6 पें० (अथवा 18 पेंस) की विनिमय-दर एक स्वाभाविक दर थी, क्योंकि यह दर भारत तथा अन्य देशों की आर्थिक दशाओं के समायोजन (adjustment) पर आधारित थी और पिछले दो वर्षों से यह दर स्थिर रही थी।

(2) काफी समय से यह दर भारत में चालू रहने के कारण देश की कीमतों, मजदूरी, उत्पादन-व्यय आदि से इस दर का समायोजन हो चुका था।

(3) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बजट इसी दर के आधार पर बनाये गये थे।

(4) 16 पेंस की दर कृत्रिम दर होगी जिसे बनाने रखने के लिए मुद्रा-प्रसार करना होगा और कीमत-स्तर में 12½ प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना होगी।

(5) 16 पेंस की दर पहले भी सफल नहीं हुई थी और अब भी केवल विनिमय दर कम रखने से सोने का आयात नहीं रोका जा सकेगा।

(6) 16 पेंस की दर रखने पर चाँदी का भाव 43 पेंस प्रति औंस होगा जिससे चाँदी के रुपये गलाने लगेंगे। विनिमय-दर 18 पेंस रखे जाने पर चाँदी का भाव 48 पेंस प्रति औंस होगा और रुपये के सिक्के गलाने का भय नहीं रहेगा।

(7) कमीशन का विचार था कि व्यापार मन्तुलन बनाये रखने के लिए 18 पेंस की दर अधिक उचित होगी।

(8) 18 पेंस की दर अपनाने पर भारत सरकार द्वारा इंग्लैण्ड को दिये जाने वाले गृह-सर्चों (home charges) का भार भी कम होगा।

(9) 18 पेंस की दर ऋणदाताओं तथा ऋणियों के प्रति अधिक न्यायपूर्ण होगी क्योंकि ऋण तथा व्यापार के अल्पकालीन प्रविद्धे (contracts) इसी दर पर किये गये होंगे।

उपर्युक्त तर्कों के विरोध में सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास ने 18 पेंस की दर के विपक्ष में तथा 16 पेंस (1 नि० 4 पें०) की दर के पक्ष में निम्नलिखित प्रमुख तर्क प्रस्तुत किये

(1) सर पुत्पोत्तमदास ठाकुरदास ने 18 पेंस की दर को प्राकृतिक दर नहीं माना और यह अस्वीकार किया कि इस दर पर भारत के मूल्यों का अन्य देशों के मूल्यों के साथ कोई स्थायी समन्वयन हो गया था।

(2) 18 पेंस की दर स्वीकार कर लेने पर भारत के आयात बढ़ेंगे और निर्यात हतोत्साहित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप भारत को सोने का भारी निर्यात करना होगा।

(3) मजदूरी का 18 पेंस की दर पर समायोजन स्वीकार नहीं किया गया। मजदूरी का समायोजन इस दर पर न होने तक भारतीय उद्योगों को मजदूरी पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, उनकी उत्पादन-लागत अधिक होगी। भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम हो जायेगी तथा विदेशी उद्योगों को अप्रत्यक्ष लाभ होगा।

(4) अन्य किसी भी देश ने अपनी विनिमय-दर को नहीं बढ़ाया था, इसलिए यह उचित नहीं था कि रुपये की विनिमय-दर को प्रथम महायुद्ध के पहले की दर से ऊँचा किया जाय।

(5) 16 पेंस की विनिमय-दर पुगनी और वास्तविक दर थी। केवल युद्धकाल की परिस्थितियों के कारण इनमें गड़बड़ी पैदा हुई थी। युद्धोत्तर काल में पुरानी विनिमय-दर को ही अपनाना ठीक होगा।

(6) 18 पेंस की दर से किसानों के ऋण में प्रायः 12½ प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसलिए इसका किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 16 पेंस की दर से भारत के अग्र्य किसानों को लाभ होगा।

(7) प्रतिकूल व्यापार-मन्तुलन की दशा में 16 पेंस की दर ही उचित होगी क्योंकि इसमें स्वर्ण कोष पर कम बोझ पड़ेगा।

(8) 16 पेंस की विनिमय-दर का देश के कुछ ही व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा परन्तु 18 पेंस का बहुत बड़े वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 16 पेंस की दर अपनाने से निर्यात बढ़ेंगे, उद्योग व कृषि की उत्पत्ति होगी और अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा।

सरकार ने बहुमत की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 1927 में चलन अधिनियम (Currency Act) पास करके 1 नि० 6 पेंस की विनिमय-दर को अपनाने का निश्चय किया। इस निर्णय का औचित्य इस बात से सिद्ध हो जाता है कि 1927 में निश्चित की गयी 18 पेंस की विनिमय-दर 5 जून, 1966 तक बनी रही।

केन्द्रीय बैंक की स्थापना सम्बन्धी मुताब—हिल्टन यंग कमीशन की तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि देश की मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने तथा मुद्रा के नियन्त्रण के लिए देश में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' के नाम से केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय। उस समय की व्यवस्था, जिसमें मुद्रा-नियन्त्रण का कार्य सरकार करती थी और साख-नियन्त्रण का कार्य इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया, कमीशन ने कोषपूर्ण बताया। दोहरे प्रणय के कारण मुद्रा एवं साख-नीति में सहयोग तथा समन्वय का अभाव था और विनिमय-दर को स्थिर करने के प्रयत्न में सफलता नहीं मिलती थी। मुद्रा, साख तथा विनिमय-दर पर एक साथ नियन्त्रण रखने के लिए ही हिल्टन यंग कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना का प्रस्ताव दिया था।

सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास ने रिजर्व बैंक की स्थापना सम्बन्धी मुताब का भी विरोध

किया था और इम्पीरियल बैंक को ही देश का केन्द्रीय बैंक बना देने की सलाह दी थी। इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्यों को अवश्य करता था, किन्तु यह एक व्यापारिक बैंक था और कमीशन का बहुमत इसे केन्द्रीय बैंक में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं था। कमीशन ने अलग से रिजर्व बैंक की स्थापना एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में करने का सुझाव दिया। सरकार ने कमीशन के इस सुझाव को मान लिया, परन्तु विभिन्न कारणों से 1934-35 के पूर्व रिजर्व बैंक की स्थापना न की जा सकी।

हिल्टन यंग कमीशन के सुझावों का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर प्रभाव—सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन के सभी सुझाव स्वीकार कर लिये थे, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह कहना कठिन है कि भविष्य में भारतीय मुद्रा प्रणाली का विकास पूर्णतया हिल्टन यंग कमीशन के सुझावों के अनुसार हुआ। कमीशन ने स्वर्ण-धातु मान का सुझाव रुपये का स्वर्ण के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से दिया था। परन्तु व्यवहार में सरकार ने रुपये का सम्बन्ध सोने के अतिरिक्त स्टर्लिंग से भी रखा। इस प्रकार भारत में स्थापित मुद्रा-मान स्वर्ण धातु मान तथा स्टर्लिंग-विनिमय मान का मिला-जुला रूप (Gold Bullion-cum Sterling Exchange Standard) था। स्टर्लिंग के मूल्य में परिवर्तनों का रुपये के मूल्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। रुपये को स्टर्लिंग अथवा स्वर्ण में बदलना सरकार की इच्छा पर निर्भर था। व्यवहार में रुपया स्टर्लिंग में ही परिवर्तनीय था और स्टर्लिंग स्वर्ण पर आधारित होने के कारण रुपया परोक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तनीय था। 1931 में ब्रिटेन द्वारा स्वर्ण मान का परित्याग कर देने पर भारत में स्टर्लिंग-विनिमय मान प्रत्यक्ष रूप में अपना लिया गया। इस प्रकार नाममात्र का स्वर्ण-धातु मान भी 4 ही वर्ष बाद समाप्त कर देना पड़ा।

18 पैसे की विनिमय-दर, जिसे सरकार ने कमीशन के सुझाव पर अपनाया, रुपये की स्वाभाविक दर नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसने देश में गम्भीर वाद-विवाद को जन्म दिया और केवल सरकार के सहारे यह दर टिक सकी।

कमीशन के रिजर्व बैंक की स्थापना सम्बन्धी सुझाव को अवश्य सफलता मिली, परन्तु इस सुझाव को भी 1935 में ही कार्यान्वित किया जा सका।

यह बात अवश्य सत्य है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों तथा उनसे सम्बन्धित विवादों ने भारतीय मुद्रा के इतिहास को काफी विषय-सामग्री प्रदान की है, परन्तु यह कहना कठिन है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली का विकास कमीशन के वास्तविक उद्देश्यों के अनुसार ही हुआ। भारत में स्टर्लिंग-विनिमय मान (Sterling Exchange Standard, 1931-1947)

सितम्बर 1931 में इंग्लैण्ड द्वारा स्वर्ण मान का परित्याग कर देने पर 24 सितम्बर, 1931 से भारत ने स्वर्ण-धातु मान को छोड़कर स्टर्लिंग-विनिमय मान को अपना लिया। 1927 के करैसी अधिनियम को रद्द करके सरकार ने विदेशी व्यापार के कार्यों के लिए नोटों व रुपयों को 1 सि० 6 पैसे की दर पर स्टर्लिंग में बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली।

स्टर्लिंग-विनिमय मान के पक्ष में कहा गया कि रुपये का स्टर्लिंग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाने के कारण विनिमय-दर में अधिक घटा-बढ़ी नहीं हो पायेगी, जिससे भारतीय व्यापार को लाभ होगा। साथ में, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार स्टर्लिंग में होता था और भारत को प्रति वर्ष गृह-वस्तुओं के रूप में इंग्लैण्ड को एक बड़ी रकम चुकानी होती थी, इसलिए रुपये को स्टर्लिंग के साथ जोड़ना अधिक लाभप्रद था। इसके विपरीत, स्टर्लिंग-विनिमय मान के विपक्षियों का कहना था कि इससे राजनीतिक दामता के साथ-साथ भारत का आर्थिक भाग्य भी इंग्लैण्ड के साथ बँध जायगा। स्वर्ण-मान छोड़ देने के कारण स्टर्लिंग का स्वर्ण-मान वाले देशों की तुलना में 30 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया था, इसलिए आलोचकों का कहना था कि स्वर्ण-मान वाले देशों से आयात करने पर हमें अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। रुपये का स्वर्ण में मूल्य कम हो जाने के कारण स्वर्ण का भारत से निर्यात होने लगेगा, और वाद में हुआ भी ऐसा ही।

स्वर्ण एवं रजत का निर्यात—सन् 1931 में स्टर्लिंग का सोने में मूल्य गिर गया, अर्थात्

स्वर्ण का मूल्य बढ़ गया। रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से जोड़ देने पर भारत में भी स्वर्ण का मूल्य बढ़ गया। 1931 के मध्य में सोने का भाव 21 रुपये 13 आने 3 पाई प्रति तोला था जो उस वर्ष के अन्त तक 29 रुपये 2 आने हो गया। एक ओर सोने के भाव बढ़े, दूसरी ओर सन् 1931 के आर्थिक संकट तथा मन्दी के कारण कृषि-पदार्थों के मूल्य बहुत गिर गये। इन परिस्थितियों में किसानों ने स्वर्ण के रूप में अपना संचित धन बेचना शुरू किया। इंग्लैण्ड में स्वर्ण का मूल्य विशेष रूप से बढ़ गया था। अतः लाभ कमाने के उद्देश्य से भारतीय व्यापारी बड़ी मात्रा में इंग्लैण्ड को स्वर्ण निर्यात करने लगे। 1935 में सोने का भाव 35 रु० प्रति तोला हो गया और लोग घड़ा-घड़ा सोना बेचने लगे। अनुमान लगाया जाता है कि 1931 से 1940 तक के नौ वर्षों में भारत में कुल 362.45 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना दूसरे देशों को निर्यात किया गया था।

स्वर्ण के निर्यात के साथ-साथ चाँदी भी बाहर जाने लगी। इसके मुख्य कारण ये थे कि विदेशों में चाँदी का मूल्य अधिक था और सरकार ने नोटों को चाँदी में बदलना बन्द कर दिया था जिससे रजत कोप की आवश्यकता कम हो गयी थी। 1931 से 1934 तक लगभग 2 करोड़ औंस चाँदी का निर्यात किया गया। 1935 में अमेरिका द्वारा बहुत अधिक मात्रा में चाँदी खरीदने के कारण चाँदी के भाव ऊँचे हो गये और निर्यात को प्रोत्साहन मिला। इन परिस्थितियों में चीन ने रजत-मान छोड़ दिया और अमेरिका ने भी चाँदी खरीदना बन्द कर दिया। 1936 में चाँदी के भाव गिर गये, परन्तु भारत सरकार समय-समय पर चाँदी बेचती ही रही।

सन् 1931 के पश्चात् जबकि भारत का व्यापार-मन्तुलन मुख्यतः प्रतिकूल था, स्वर्ण तथा चाँदी के निर्यात की सहायता में सरकार 1 शि० 6 पैसे की विनिमय-दर को बनाये रख सकी। साथ में, बड़ी मात्रा में स्टर्लिंग खरीदकर भारतीय मुद्रा के सुरक्षित कोप में पर्याप्त वृद्धि की जा सकी। स्वर्ण-निर्यात की सहायता से भारत अपने स्टर्लिंग के दायित्वों का भुगतान कर सका। लोगों के पास संचित स्वर्ण लाभदायक क्षेत्रों में विनियोजित हुआ, जिससे आर्थिक प्रगति में सहायता मिली। परन्तु भारतीय जनमत स्वर्ण-निर्यात के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे भारत अपनी युगों की संचित कमाई खो रहा था और भविष्य में स्वर्ण-मान स्थापित करने की सम्भावनाएँ समाप्त हो रही थीं। स्वर्ण जैसी मूल्यवान् वस्तु बेचकर जनता उपभोग की वस्तुएँ खरीद रही थी। स्वर्ण को छोड़कर भारत अन्तर्राष्ट्रीय साख का आधार ही खो रहा था। लोगों का कहना था कि स्वर्ण-निर्यात के बजाय सोना सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा खरीदा जाय। यदि सरकार चाहती तो सोने को बाहर जाने से रोक सकती थी, परन्तु विदेशी सरकार की लापरवाही के कारण भारतीय जनता की युगों की कमाई कुछ ही वर्षों में देश के बाहर चली गयी। ऐसे समय में जबकि सप्ताह का प्रत्येक देश स्वर्ण-संचय में लगा हुआ था, भारत का सोना लुट रहा था।

इस समय की एक विशेष घटना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना थी। 6 अगस्त, 1934 को भारतीय विधान सभा द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। देश के सम्पूर्ण चलन तथा साख के नियन्त्रण का एकाधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया तथा 1 शि० 6 पैसे की विनिमय-दर को स्थायी रखने का दायित्व भी इसे ही दिया गया।

द्वितीय युद्धकालीन इतिहास

द्वितीय महायुद्ध की घोषणा 3 सितम्बर, 1939 को की गयी। रुपये का स्वतन्त्र अस्तित्व न होने के कारण भारत की मुद्रा प्रणाली पर युद्ध के अति गम्भीर प्रभाव पड़े। जनमें में कुछ की संक्षिप्त विवेचना निम्न प्रकार है

(1) मुद्रा-भूति की समस्या—युद्ध प्रारम्भ होते ही जनता में घबराहट फैल गयी और लोग नोटों को चाँदी के मिक्को में बदलने की माँग करने लगे। माँग इतनी बढ़ गयी कि छूत से अगस्त 1940 तक के तीन महीनों में सरकार को 22 करोड़ रुपये के नोटों के बदले चाँदी के मिक्को देने पड़े। सरकार के लिए इतनी तेजी से सिक्के ढालना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त जनता द्वारा नोटों के बदले प्राप्त किये गये रुपये चलन से निकलकर भूमिगत (hoarding) हो रहे थे और उन्हें

गलाया भी जा रहा था। परिणामस्वरूप देश में मुद्रा की कमी हो गयी, जबकि उत्पादन तथा व्यवसाय में वृद्धि के कारण मुद्रा की माँग काफी बढ़ गयी। मुद्रा की कमी की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये

1 15 जून, 1940 से रुपये के नियन्त्रित वितरण की योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं से अधिक अपने पास सिक्के नहीं रख सकता था। इससे रुपये की माँग तो कम हो गयी परन्तु नोट बढ़ते पर मिलने लगे और देश में रेजगारी की कमी आ गयी।

2 रुपये की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 25 जून, 1940 से एक रुपये के नोट तथा फरवरी 1943 से दो रुपये के नोट छापना प्रारम्भ किया। एक रुपये का नोट असीमित ग्राह्य होते हुए भी सिक्कों में परिवर्तनीय नहीं था।

3 रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए रेजगारी गलाना तथा संग्रह करना अपराध घोषित कर दिया गया और साथ ही अधिक मात्रा में नये तथा सस्ते छोटे सिक्के ढाले जाने लगे। 1944 में सरकार प्रति मास 21 करोड़ 60 लाख रुपये की रेजगारी का मुद्रण करती थी।

4 1940 में भारतीय टुकण एक्ट (Indian Coinage Act) में संशोधन करके रुपये, अठगनी तथा चवथी के सिक्कों की शुद्धता $\frac{1}{2}$ से घटाकर $\frac{1}{4}$ कर दी गयी, ताकि उपलब्ध चाँदी से अधिक सिक्के ढाले जा सकें। 1940 में महारानी विक्टोरिया की छाप वाले रुपये तथा अठन्नियाँ, 1941 में एडवर्ड सप्तम की छाप वाले रुपये और अठन्नियाँ तथा 1943 से जार्ज पंचम तथा पट्ट की छाप वाले रुपये तथा अठन्नियाँ जिनमें चाँदी की मात्रा $\frac{1}{2}$ थी, प्रचलन से निकाले लिये गये। इनके स्थान पर 30 दिसम्बर, 1943 से नवीन किटकिटीदार रुपये चलाये गये जिनमें केवल नाम-मात्र ही चाँदी थी। इस प्रकार युद्धकाल में भारतीय रुपये का सम्पूर्ण निष्कृष्टीकरण करके उसे साकेतिक मुद्रा मात्र रहने दिया गया।

(2) मुद्रा-स्फीति की समस्या—युद्धकाल में बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति के लिए तथा सामग्री खरीदने के लिए सरकार को अधिक रकम की आवश्यकता थी, अतएव सरकार ने अधिक मात्रा में नोट छापना शुरू कर दिया। 1939 में नोटों की मात्रा 196 64 करोड़ रुपये थी जो 1945 में बढ़कर 1147 14 करोड़ रुपये हो गयी। मुद्रा-प्रसार के कारण मास का भी काफी फँसाव हुआ। उत्पादन में वृद्धि इतनी पर्याप्त नहीं थी कि मुद्रा-स्फीति को प्रभावहीन बनाया जा सके। परिणामस्वरूप थोक कीमतों के सूचक अन् (1939=100) 349 तक पहुँच गये।

मुद्रा-स्फीति की स्थिति का सामना करने के लिए कन्ट्रोल तथा राशनिंग की व्यवस्था लागू की गयी, विभिन्न प्रकार की वचत योजनाएँ लागू की गयीं, करो तथा रेल, डाक, तार आदि के शुल्कों में वृद्धि की गयी और कर्मचारियों को महँगाई भत्ते दिये गये।

(3) विनिमय-नियन्त्रण—युद्ध आरम्भ होते ही सन् 1939 में भारत रक्षा नियमों (Defence of India Rules) के अन्तर्गत विनिमय नियन्त्रण के अधिकार रिजर्व बैंक को सौंप दिये गये। रिजर्व बैंक में एक अलग से विनिमय-नियन्त्रण विभाग खोला गया। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य करने का अधिकार कुछ बैंकों तथा व्यक्तियों को दिया गया और इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिये गये। विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण लगाये गये तथा विदेशी विनिमय के भुगतान के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। सोने के आयात-निर्यात के लिए लाइसेंस प्रथा आरम्भ की गयी। विनिमय नियन्त्रण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सब देशों को 'स्टलिंग क्षेत्र' मान लिया गया था। सरकार की नीति यह थी कि स्टलिंग क्षेत्र की मुद्राओं का ऋण-विश्रय स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता था, परन्तु स्टलिंग क्षेत्र के बाहर की मुद्राओं के ऋण विषय पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य विनिमय-दर को 1 शि० 6 पे० पर बनाये रखना था और इसमें सफलता भी मिली।

(4) साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool)—युद्धकाल में डालर एक दुर्लभ मुद्रा (hard currency) हो गयी थी, क्योंकि युद्ध सम्बन्धी सभी प्रकार का सामान केवल अमेरिका ही

दे सकता था। डालर की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्य के देशों ने मिलकर 1939 में साम्राज्य डालर कोष की स्थापना की जिसमें वे सभी प्रकार से अर्जित डालर जमा कर देते थे। इस कोष का संचालन बैंक ऑफ इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश ट्रेजरी द्वारा होता था। प्रत्येक सदस्य देश को आवश्यकतानुसार इस कोष से डालर मिल सकते थे, किन्तु सभी देशों ने यह नैतिक बन्धन स्वीकार कर लिया था कि वे अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही डालर की माँग करेंगे। युद्धकाल में भारत का अमेरिका के साथ भुगतान-सन्तुलन अनुकूल था, इसलिए डालर कोष में भारत के 114 करोड़ रुपये के बराबर डालर जमा रहे। आलोचका का कहना है कि साम्राज्य डालर कोष के साधनों का उपयोग अधिकांशतः ब्रिटेन के हित में ही किया गया था और भारत को इस कोष में से उसका उचित हिस्सा नहीं मिल सका। 1947 में भारत इस कोष से अलग हो गया और उसे अपने डालर उपार्जनो के व्यय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिल गयी।

(5) पीण्ड पावने (Sterling Balances)—युद्धकाल में इंग्लैण्ड ने भारत से बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदा था। इस सामान का भुगतान भारत में व्यापारियों को तो भारतीय मुद्रा के प्रसार द्वारा तत्काल कर दिया गया था, परन्तु भारत सरकार को इंग्लैण्ड से केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ प्राप्त हुईं जिनके आधार पर नये नोटों का निर्गमन किया जाता रहा। युद्ध के पूर्व भारत को इंग्लैण्ड का लगभग 36 करोड़ पीण्ड का ऋण देना था, किन्तु युद्धकाल में न केवल यह ऋण चुकता हो गया बल्कि भारत 1662 करोड़ रुपये का लेनदार हो गया। भारत को इंग्लैण्ड से यह लेनदारी 'पीण्ड पावना' कहलाती है। पीण्ड पावनों की रकम की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रकम	वर्ष	रकम
1939	64	1944	755
1940	91	1945	1182
1941	169	1946	1549
1942	211	1947	1662
1943	394		

पीण्ड पावनों की इतनी बड़ी राशि जमा होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे

(1) युद्धकाल में इंग्लैण्ड ने भारत से बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदा जिसका भुगतान स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में किया गया।

(2) मित्र-राष्ट्रा ने भी भारत से भारी मात्रा में माल खरीदा जिसका भुगतान स्टर्लिंग में लन्दन में जमा कर दिया गया। इससे भी पीण्ड पावनों में वृद्धि हुई।

(3) युद्धकाल के छह वर्षों में भारत ने लगभग 1738 करोड़ रुपये का रक्षा व्यय (defence expenditure) किया था जबकि युद्ध से पूर्व रक्षा व्यय केवल 50 करोड़ रुपये वार्षिक था। 1939 के एक समझौते के अनुसार भारत सरकार द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक किया गया रक्षा-व्यय उसे इंग्लैण्ड से प्राप्त करता था। यह रकम भी स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में जमा की गयी जिससे पीण्ड पावनों में वृद्धि हुई।

(4) साम्राज्य डालर कोष में भारत द्वारा अमेरिका तथा कुछ अन्य दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से अर्जित विदेशी मुद्रा जमा की जाती रही। भारत में रखी गयी अमेरिकी सेना पर भारत द्वारा निये गये व्यय के बदले में प्राप्त डालर भी इसी कोष में जमा किये गये। इन जमावों के बदले इंग्लैण्ड में भारत के खाते में स्टर्लिंग जमा कर दिये गये।

(5) सोना तथा चाँदी बेचने का जो क्रम 1932 में आरम्भ हुआ था वह युद्ध के आरम्भ होने के कुछ समय बाद तक चलता रहा। उसकी बिक्री की रकम भी इंग्लैण्ड में स्टर्लिंग में जमा हो गयी।

युद्धकाल में भारत के पीण्ड पावने की तीव्र गति से वृद्धि ने भारत में पत्र मुद्रा की मात्रा के विस्तार में महत्वपूर्ण योग दिया। रिजर्व बैंक स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के आधार पर नोट जारी

करता था जिसके फलस्वरूप जैसे-जैसे पीण्ड पावने की राशि बढ़ती गयी, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोटों की मात्रा भी बढ़ती गयी। यह कहना कि युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार का एकमात्र कारण पीण्ड पावनों का सग्रह ही था, अधिक युक्तिमगत नहीं है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि पीण्ड पावने का सग्रह युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण था।

पीण्ड पावनों के भुगतान की समस्या

युद्ध समाप्त होने पर भारत ने पीण्ड पावनों के भुगतान का प्रश्न उठाया। इंग्लैण्ड में इस प्रश्न को लेकर एक कमिशन आन्दोलन आरम्भ हो गया कि भारत के पीण्ड पावनों को या तो रद्द कर दिया जाय अथवा इनकी मात्रा कम की जाय। इंग्लैण्ड की ओर से दिये गये प्रमुख तर्क निम्नलिखित थे

(1) इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री सर विन्सटन चर्चिल का यह तर्क था कि इंग्लैण्ड ने युद्ध केवल अपने लिए नहीं लड़ा है, इसमें भारत की भी जापान से सुरक्षा हुई है। अतएव युद्ध-व्यय का भार भारत पर भी पड़ना चाहिए।

(2) दूसरा तर्क यह रखा गया था कि पीण्ड पावने कोई व्यापारिक ऋण नहीं थे। यह तो युद्ध ऋण थे और जिम् तरह अमेरिका ने अपने युद्ध-ऋणों की माफ कर दिया था उसी तरह भारत भी उन्हें स्वेच्छा से माफ कर दे।

(3) पीण्ड पावनों को कम करने के पक्ष में यह कहा गया कि युद्धकाल में रुपये की विनिमय-दर ऊँची रखी गयी थी और भारत ने इंग्लैण्ड को बेचे गये माल की ऊँची कीमतें लगायी थी, अतः पीण्ड पावनों की राशि में आनुपातिक कमी की जानी चाहिए।

(4) इंग्लैण्ड की ओर से यह कहा गया कि युद्ध के कारण इंग्लैण्ड की अर्थ व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इतना बड़ा ऋण चुकाना उसकी शक्ति के बाहर था, अतएव इतने भारी कमी होनी चाहिए।

उपर्युक्त तर्कों के विरोध में भारत की ओर से निम्नलिखित उत्तर दिये गये

(1) यह कहना गलत था कि भारत पर युद्ध का भार कम पड़ा। युद्धकाल में भारत को बहुत अधिक रक्षा-व्यय करना पड़ा था।

(2) स्टैलिंग ऋण ब्रिटेन ने भारत पर जबरन थोपा था, भारत स्वेच्छा से ऋण नहीं देना चाहता था। इसलिए इनका भुगतान अवश्य करना चाहिए।

(3) श्री मनु सूबेदार ने केन्द्रीय विधान सभा में 1 मार्च, 1946 को कहा था कि यह सत्य है कि पीण्ड पावने व्यापारिक ऋण नहीं हैं, परन्तु यह ऋण राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारत से नियन्त्रित कीमतों पर उस माल के रूप में लिये गये हैं जिनकी स्वयं इस देश के लोगों को बड़ी आवश्यकता थी। इस ऋण की अदायगी न करना न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि अनैतिक भी।

(4) भारत की अमेरिका से तुलना करना गलत है क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर है। भारत द्वारा इंग्लैण्ड को दिया गया ऋण भारतीय जनता के महान् त्याग एवं कष्ट का परिणाम था। जनता ने नगे, भूखे व कष्ट में रहकर इंग्लैण्ड को माल भेजा था।

(5) भारत सरकार ने माल एकाधिकारों के रूप में नियन्त्रित कीमतों पर खरीदा था, इसलिए कीमतों के अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब थी कि अपने आर्थिक विकास के लिए इन्ने दूसरे देशों की सहायता की आवश्यकता थी। भारत किसी भी प्रकार से पीण्ड पावने छोड़ सकने की स्थिति में नहीं था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के समय भारतीय प्रतिनिधि ने पीण्ड पावने का प्रश्न सम्मेलन के सामने रखा था। सम्मेलन ने तो इस प्रश्न पर विचार नहीं किया, परन्तु ब्रिटेन के प्रतिनिधि लॉर्ड केन्ज ने यह आश्वासन दिया कि इंग्लैण्ड ईमानदारी से पीण्ड पावनों के ऋण को चुकायेगा।

पौण्ड पावने के भुगतान सम्बन्धी समझौते

सन् 1947 में इंग्लैण्ड की लेबर सरकार ने भारत के पौण्ड पावने सम्बन्धी दावे को स्वीकार कर लिया। इनके भुगतान के लिए भारत तथा इंग्लैण्ड के बीच समय-समय पर निम्न-लिखित समझौते हुए :

(1) जनवरी 1947 का समझौता—पौण्ड पावनों के भुगतान सम्बन्धी यह पहला समझौता था जिसके अन्तर्गत भारत को पौण्ड पावनों की राशि से स्टैलिंग क्षेत्र से माल खरीदने का अधिकार दिया गया और स्टैलिंग क्षेत्र के बाहर से माल आयात करने के लिए भारत को कुछ सीमित मात्रा में स्टैलिंग को डालर में परिवर्तित करने की छूट दे दी गयी। यह समझौता अधिक समय तक नहीं चला, किन्तु इसके फलस्वरूप पौण्ड पावनों के भुगतान सम्बन्धी सभी शकाओं का अन्त हो गया।

(2) अगस्त 1947 का समझौता—इस समझौते के अनुसार पौण्ड पावनों की कुल राशि 112.5 करोड़ पौण्ड अथवा 1634 करोड़ रुपये आंकी गयी, जिसे बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के पास दो खातों में बाँट दिया गया। खाता न० 1 चालू खाता (Current Account) रखा गया और इसमें 86.6 करोड़ रुपये डाले गये जिनका प्रयोग किसी भी देश से किसी प्रकार का माल खरीदने में किया जा सकता था। खाता न० 2 अवरोध खाता (Blocked Account) रखा गया जिसमें डाली गयी 1466.6 करोड़ रुपये की राशि का प्रयोग केवल पूंजीगत माल खरीदने के लिए किया जा सकता था।

इस समझौते की अवधि 31 दिसम्बर, 1947 तक ही थी परन्तु इसे छ माह के लिए और बढ़ा दिया गया। 24 करोड़ रुपये के स्टैलिंग खाता न० 2 में से खाता न० 1 में हस्तान्तरित कर दिये गये। इस काल में भारत ने सामने आर्थिक विकास की कोई निश्चित योजना न होने तथा आयातों की कमी के कारण केवल 4 करोड़ रुपये (3 मिलियन पौण्ड) के स्टैलिंग का उपयोग किया गया।

(3) जुलाई 1948 का समझौता—पुराना समझौता 30 जून, 1948 को समाप्त हो जाने पर यह समझौता किया गया। इस समझौते के समय भारत का कुल पौण्ड पावना 1550 करोड़ रुपये आंका गया, जिसमें से 133 करोड़ रुपये ब्रिटेन द्वारा भारत में छोड़े गये फौजी सामान के, 224 करोड़ रुपये भारत से रिटायर होकर इंग्लैण्ड में बसने वाले अग्नेजों की पेन्शन के तथा 126 करोड़ रुपये पाकिस्तान का भाग काट लिये गये। इस प्रकार में बचे 1067 करोड़ रुपये के पौण्ड पावनों में से भारत को 30 जून, 1951 तक के तीन वर्षों में 214 करोड़ रुपये के पौण्ड पावनों का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग करने का अधिकार दिया गया। इस राशि में से प्रति वर्ष अधिक से अधिक 20 करोड़ रुपये की रकम दुर्लभ मुद्रा अथवा डालर में बदली जा सकती थी। इस समझौते में भारतीय व्यापारी तथा अर्थशास्त्री सन्तुष्ट नहीं हुए क्योंकि इसमें भारत को बहुत कम राशि के प्रयोग की छूट दी गयी थी, अतः इस समझौते की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही जुलाई 1949 में एक नया समझौता किया गया।

(4) जुलाई 1949 का समझौता—सन् 1948 के समझौते में 1949 के लिए पूंजीगत माल खरीदने के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी थी। जुलाई 1949 में किये गये समझौते के अनुसार भारत को 1949 में 81 करोड़ पौण्ड के मूल्य का पूंजीगत माल पौण्ड पावनों की राशि में से खरीदने का अधिकार मिल गया। 1950 तथा 1951 में पूंजीगत माल के आयात के लिए पहले भारत को 8 करोड़ पौण्ड का अधिकार दिया गया था जो अब बढ़ाकर 10 करोड़ पौण्ड कर दिया गया। इस प्रकार, 1949 से 1951 तक 181 करोड़ पौण्ड पूंजीगत माल के आयात के लिए तथा 16 करोड़ पौण्ड खुली खरीद के लिए भारत द्वारा पौण्ड पावनों में से व्यय किये जा सकते थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन ने उन आयातों के लिए भी स्टैलिंग देने की घोषणा की जिनके लिए खरीद के ऑर्डर इस समझौते से पहले ही भेजे जा चुके थे। इस समझौते के अनुसार भारत को पौण्ड पावनों में से 15 करोड़ डालर देना भी तय किया गया था। परन्तु

सितम्बर 1949 में स्टैलिंग के अवमूल्यन के फलस्वरूप डालरो में बदलवाये जाने वाले पीण्ड पावनों का मूल्य 30.5 प्रतिशत कम हो गया। 1949 के समझौते की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही इसके द्वारा अधिकृत राशि का उपयोग कर लिया गया था।

(5) जुलाई 1951 का समझौता—पूर्व समझौते की अवधि समाप्त होने पर जुलाई 1951 में एक नया समझौता किया गया जिसके अनुसार 31 करोड़ पीण्ड की राशि खाता नं० 2 में से खाता नं० 1 को हस्तान्तरित कर दी गयी। यह राशि रिजर्व बैंक द्वारा चलन निधि (currency reserve) के रूप में रखी जानी थी।

(6) फरवरी 1952 का समझौता—इस समझौते के अनुसार जुलाई 1951 का समझौता 30 जून, 1957 तक बढ़ा दिया गया। इस समय भारत के पीण्ड पावनों की रकम लगभग 57 करोड़ पीण्ड (761 करोड़ रुपये) आंकी गयी। प्रति वर्ष 3.5 करोड़ पीण्ड की रकम खाता नं० 2 से खाता नं० 1 में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की गयी। यह भी निश्चय किया गया कि 1 जुलाई, 1957 को खाता नं० 2 में जो भी राशि होगी उसे खाता नं० 1 में स्वतः ही हस्तान्तरित कर दिया जायगा और इसका प्रयोग भारत सरकार स्वेच्छापूर्वक कर सकेगी।

सन् 1951 तथा 1952 के समझौतों को मिलाकर 20 जुलाई, 1953 को एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। 30 जून, 1957 को खाता नं० 2 में बचे हुए पीण्ड पावन खाता नं० 1 में हस्तान्तरित कर दिये गये। इसके बाद पीण्ड पावनों के भुगतान सम्बन्धी कोई नया समझौता करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

पीण्ड पावनों का उपयोग

सन् 1951 के पूर्व पीण्ड पावनों के उपयोग की गति धीमी रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 290 करोड़ रुपये के पीण्ड पावनों को उपयोग में लाने का विचार था परन्तु वास्तव में केवल 120 करोड़ रुपये के पीण्ड पावनों का उपयोग किया जा सका। दूसरी योजना में 200 करोड़ रुपये के पीण्ड पावनों खर्च करने का विचार था, परन्तु योजना के पहले ही वर्ष में 219 करोड़ रुपये के पीण्ड पावनों को उपयोग में लाना पड़ा। 1955-56 में भारत के पीण्ड पावनों की राशि 748 करोड़ रुपये थी। दूसरी योजना काल में इनका इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया कि तीसरी योजना के आरम्भ में यह राशि केवल 136 करोड़ रुपये रह गयी। तीसरी योजना की अवधि में भी पीण्ड पावनों की राशि बराबर घटती गयी और 1965 में यह केवल 73 करोड़ रुपये रह गयी। वास्तव में, स्टैलिंग पावनों का अब केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया है।

भारत सरकार ने जिस प्रकार पीण्ड पावनों का उपयोग किया है, उसकी देस में बहुत आलोचनाएँ हुई हैं। भारतीय जनता द्वारा वर्षों के त्याग एव दक्षिण से क्रमायें गये पीण्ड पावनों को सरकार ने बहुत कम समय में खर्च कर दिया। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इनमें से एक बहुत बड़ी राशि अनुपेक्षित तथा अनावश्यक कार्यों पर खर्च कर दी गयी। उपभोग की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त युद्ध की पुरानी सामग्री खरीदने तथा पेन्शन आदि के भुगतान के लिए इनका अधिक उपयोग किया गया। इन पर हमें केवल 0.78% की दर से ब्याज दी गयी। यह सब आलोचनाएँ ठीक होते हुए भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि पीण्ड पावनों के उपयोग से भारत अपने पुराने ऋणों को चुका सका, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामग्री तथा साज-सामान खरीदने और जनता को भूख से बचाने के लिए भी इनका उपयोग किया गया। यह अवश्य कहा जा सकता है कि पीण्ड पावनों का और अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता था, जिससे देस के औद्योगिक विकास में अधिक सहायता मिल सकती थी।

भारतीय पत्र-मुद्रा

सन् 1861 के पत्र-मुद्रा अधिनियम (Paper Currency Act) के अनुसार भारत में नोट-निर्गमन का करैसी सिद्धान्त (currency principle of note issue) अपनाया गया था और निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली (fixed fiduciary method) के आधार पर सरकार नोट छापती थी। सन् 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने देस की पत्र-मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में कई सुझाव

दिये । कमीशन के प्रमुख मुद्दाय ये थे : (1) देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय जिसे नोट जारी करने का एकाधिकार हो, (2) एक रुपये के अपरिवर्तनीय नोट जारी किये जायें, (3) नोट रूपयों के बजाय 400 औंस के स्वर्ण पिण्ड (gold bullion) में परिवर्तनीय हो, (4) स्वर्ण-मान कोप (gold standard reserve) तथा पत्र-चलन कोप (paper currency reserve) का एकीकरण किया जाय, तथा (5) आनुपातिक कोप प्रणाली (proportional reserve system) के आधार पर नोट जारी किये जायें जिसके लिए 40 प्रतिशत धातु-कोप रखा जाय ।

आनुपातिक कोप प्रणाली

सरकार ने हिल्डन यंग कमीशन के आनुपातिक कोप प्रणाली सम्बन्धी मुद्दाय को स्वीकार कर लिया था, परन्तु इस पर अमल सन् 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के बाद ही किया जा सका । सन् 1935 से 1956 तक रिजर्व बैंक इसी प्रणाली के अन्तर्गत नोट जारी करता रहा । रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नोटों के पीछे पत्र-चलन कोप रखना आवश्यक था, जिसका 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण, स्वर्ण के सिक्के तथा स्टलिंग प्रतिभूतियों में होना अनिवार्य था । 1948 के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के सदस्य देशों की मुद्राओं को भी इस कोप में रखनेका अधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया गया । एक प्रतिबन्ध यह लगाया गया कि इस कोप में कम से कम 40 करोड़ रुपये के मूल्य का (21 रुपये 3 आने 10 पाई प्रति तोला की कीमत पर) स्वर्ण अवश्य रखा जाय । कोप का शेष 60 प्रतिशत भाग रुपये के सिक्के, सरकारी प्रतिभूतियों, स्वीकृत विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों में रखना पड़ता था । स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों का अनुपात कभी भी 40 प्रतिशत से कम हो जाने पर रिजर्व बैंक के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था ।

भारत में अपनायी गयी आनुपातिक कोप प्रणाली के प्रमुख गुण ये थे

(1) 40 प्रतिशत कोप रखने की आवश्यकता के कारण अनियन्त्रित मात्रा में नोट नहीं छापे जा सकते थे, परन्तु स्वीकृत विनिमय बिलों तथा विदेशी प्रतिभूतियों के आधार पर नोट जारी करने की व्यवस्था ने इस पद्धति को लोचपूर्ण बना दिया था । अतएव इस प्रणाली में नियन्त्रित लोच होता इसका सबसे बड़ा गुण था ।

(2) विशेष परिस्थितियों में कोप सम्बन्धी छूट मिल सकने की व्यवस्था ने इस प्रणाली को संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अधिक उपयुक्त बना दिया था ।

(3) स्वर्ण-मान कोप तथा पत्र-चलन कोप को मिला देने में काफी मितव्ययता ही गयी थी । स्वर्ण जैसी मूल्यवान् धातु को एक सीमित मात्रा में ही कोप में रखना इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण था ।

(4) कोप में विदेशी प्रतिभूतियों को रखने की व्यवस्था से न केवल इस प्रणाली में लोच उत्पन्न हुई, बल्कि इससे विनिमय-नियन्त्रण का समुचित नियमन भी सम्भव हो सका ।

आनुपातिक कोप प्रणाली में अनेक गुण होते हुए भी यह विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थी । इसके प्रमुख दोष निम्न लिखित थे

(1) अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बढ़ाकर नोटों की संख्या में वृद्धि करने से मुद्रा प्रसार का भय रहता था ।

(2) इस प्रणाली में रुपये की विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखने पर अधिक ध्यान दिया जाता था और आन्तरिक कीमत-स्थिरता की उपेक्षा की जाती थी ।

(3) यह एक प्रवर्धित प्रणाली थी जिसके संचालन के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक था । इसमें पर्याप्त मात्रा में लोच का अभाव था ।

(4) देश की मौद्रिक आवश्यकताओं तथा मुद्रा की मात्रा में समायोजन सम्भव न होने के कारण यह प्रणाली विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ थी ।

देश में पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक

हो गया था जबकि विदेशी मुद्रा के कोप में कमी होने लगी। इन परिस्थितियों में आनुपातिककोप प्रणाली का परित्याग करना आवश्यक हो गया।

नोट-निर्गमन की वर्तमान प्रणाली—न्यूनतम कोप प्रणाली

सन् 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन करके पुरानी आनुपातिक कोप प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोप प्रणाली अपनायी गयी। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को अपने पास कुल 115 करोड़ रुपये के मूल्या का सोना और 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना आवश्यक कर दिया गया। इसके पूर्व रिजर्व बैंक के पास केवल 40 21 करोड़ रुपये का सोना था जो 21 रुपये 13 आने 10 पाई प्रति तोला की दर से मूल्यांकित था। परन्तु नई व्यवस्था में सोने का मूल्य 62 ₹ 50 पैसे प्रति तोला की दर से आँका जाना था।

सन् 1956 के अन्त में ही भारत के सामने विदेशी विनिमय संकट उपस्थित हो गया जिससे विदेशी प्रतिभूति कोप की व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। 31 जनवरी, 1957 को एक अध्यादेश जारी कर [जो बाद में Reserve Bank of India (Second Amendment) Act, 1957 हो गया] रिजर्व बैंक के न्यूनतम कोप की मात्रा घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गयी, जिसमें 115 करोड़ रुपये का सोना (62 50 रुपये प्रति तोला की दर में) होना आवश्यक था।¹ इस प्रकार, विदेशी प्रतिभूतियों के कोप की न्यूनतम सीमा 95 करोड़ रुपये ही रह गयी। केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति से रिजर्व बैंक इस कोप की मात्रा में और भी कमी कर सकता है।

भारत की वर्तमान नोट-निर्गमन प्रणाली में निम्नलिखित गुण हैं।

(1) यह एक लोचपूर्ण व्यवस्था है। आर्थिक नियोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा हीनार्थ-प्रबन्धन (deficit financing) इसी प्रणाली के कारण सम्भव हुआ है।

(2) यह एक मितव्ययी प्रणाली है। न्यूनतम कोप की व्यवस्था कर लेने पर बिना कोप की मात्रा बढ़ाये कितनी ही मात्रा में पत्र-मुद्रा सहज ही जारी की जा सकती है।

(3) संकटकालीन स्थिति में कोप की मात्रा को और भी कम किया जा सकता है, इसलिए यह अधिक उपयुक्त है।

(4) रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम कोप रहने के कारण इस प्रणाली में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता भी पायी जाती है जिससे अनिश्चयता का इसमें विश्वास बना रहता है।

(5) भारतीय रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप से सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखना सरल हो गया है।

न्यूनतम कोप प्रणाली में कुछ दोष भी बताये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं

(1) इस प्रणाली में मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध कोई रोक न होने के कारण अनावश्यक मुद्रा-प्रसार करना सम्भव हो गया है जिससे रुपये के आन्तरिक मूल्य में निरन्तर कमी हुई है।

(2) यह एक प्रबन्धित मुद्रा प्रणाली है जिसमें मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन सरकारी हस्तक्षेप द्वारा होते हैं, न कि अर्थ-व्यवस्था की मौलिक आवश्यकतानुसार। दूसरे शब्दों में, इसमें स्वचालकता का अभाव है। नोटों की निक्कासी करना सरल होता है परन्तु चलन से अतिरिक्त मुद्रा को वापस निकाल पाना कठिन होता है।

(3) प्रबन्धित तथा कृत्रिम प्रणाली होने के कारण यह एक जटिल प्रणाली है।

(4) रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट रुपये में परिवर्तनीय है, परन्तु रुपये के सिक्के का आन्तरिक मूल्य नगण्य होने के कारण परिवर्तनशीलता की गारण्टी अर्थहीन है। नोट स्वर्ण अथवा चाँदी में बदलने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक नहीं लेता है।

वास्तविकता यह है कि रुपये की विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा नियन्त्रित

1 31 जनवरी, 1969 तक स्वर्ण-कोप का मूल्यांकन 53 58 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से किया जाता था, परन्तु इसके बाद 84 39 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से किया जाने लगा है।

होती है। रुपये के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक की मुद्रा-प्रसार की नीति विवेकपूर्ण हो। तनिक-सी असावधानी बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। नोट-निगमन की वर्तमान प्रणाली की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार तथा रिजर्व बैंक को जनता का कितना विश्वास प्राप्त है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत में स्वर्ण-विनिमय मान के बावदाहन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
[संकेत : भारत में स्वर्ण-विनिमय मान की स्थापना, इसकी विशेषताओं तथा पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि पाउंडर कमेटी ने स्वर्ण-मुद्रा मान की निवारिका की थी, परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण स्वर्ण विनिमय मान स्थापित हो गया। स्वर्ण विनिमय की विशेषताएँ तथा इनकी कार्य-प्रणाली समझाइए। अन्त में इसकी दुर्घटियों की व्याख्या कीजिए चित्तके फलस्वरूप यह प्रणाली समाप्त हो गयी।]
 2. हिस्टन यग कमीशन की मुख्य सिफारिशों का विवेचन करिए और बताइए कि उनका भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा।
[संकेत : प्रथम भाग में हिस्टन यग कमीशन द्वारा दी गयी निवारिकाओं की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि कैसे जो कमीशन की सभी निवारिकाएँ स्वीकार कर ली गयी थी, परन्तु यह कहना कठिन है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली का विकास कमीशन के वास्तविक उद्देश्यों के अनुसार ही हुआ। 1931 में स्टैबिलि-विनिमय मान अपनाया गया जो कमीशन की निवारिकाओं के विरुद्ध था।]
 3. हिस्टन यग कमीशन द्वारा दी गयी निवारिकाओं के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इनका कुछ क्षेत्रों में विरोध क्यों किया गया ?
[संकेत : प्रथम भाग में हिस्टन यग कमीशन द्वारा अपनी निवारिकाओं के पक्ष में दिये गये तर्कों समझाइए। दूसरे भाग में इन सुझावों के विपक्ष में, विशेषतः सर पुद्दोममशास टाकुरदाल द्वारा दिये गये तर्कों की विवेचना कीजिए।]
 4. सन् 1931 में रुपये की स्टैबिलिटी क्यों सम्बन्धित किया गया था ? उसके परिणाम क्या हुए थे ?
[संकेत : प्रथम भाग में स्टैबिलि-विनिमय मान की स्थापना के पक्ष में दिये गये तर्कों स्पष्ट कीजिए और यह बतलाइए कि चित्त-वृत्तियों में इस प्रणाली की स्थापना हुई। दूसरे भाग में भारत से सोने तथा चाँदी के भाटी माला में निर्यात तथा इसके सम्बन्धित समस्याओं की विवेचना कीजिए।]
 5. भारतीय मुद्रा प्रणाली पर द्वितीय महायुद्ध के क्या प्रभाव पड़े ? वर्णन कीजिए।
[संकेत : युद्धकाल में मुद्रा-पूर्ति की समस्या तथा मुद्रा-स्फीति की समस्या का वर्णन कीजिए और इनको हल करने के लिए किये गये उपाय बताइए। युद्धकाल में अपनायी गयी विनिमय-नियन्त्रण नीति का भी उल्लेख कीजिए। मलेय में, साभ्रायल डालर कोष तथा पीण्ड पावनों के बारे में भी बताइए।]
 6. द्वितीय युद्धकाल में भारत के इंग्लैण्ड के पास भारी राशि में स्टैबिलि पावने कितने जमा हुए ? बाद में इनके मुग-स्तान के लिए भारत तथा इंग्लैण्ड के बीच हुए समझौतों का वर्णन कीजिए। क्या भारत ने इनका ठीक उपयोग किया ?
[संकेत : प्रथम भाग में ब्रिटेन के पास भारत के स्टैबिलि पावनों के एकत्रित होने के मुख्य कारण बताइए। दूसरे भाग में मुगस्तान सम्बन्धी विभिन्न समझौतों की शर्तें बताइए। अन्त में, पीण्ड पावनों का भारत द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में की गयी आलोचनाओं की व्याख्या कीजिए।]
- भारत में सन् 1956 में नोट-निगमन की आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर 'न्यूनतम कोष प्रणाली' क्यों अपनायी गयी ? वर्तमान प्रणाली के गुण और दोष बताइए।
- [संकेत : प्रथम भाग में दोनों प्रणालियों की विशेषताओं के आधार पर यह बताइए कि आनुपातिक कोष प्रणाली लोच के अभाव तथा अधिक कोष रखने की आवश्यकता के कारण अव्यावहारिक हो गयी और इसका परि-त्याग करना पड़ा। दूसरे भाग में न्यूनतम कोष प्रणाली के गुण-दोषों की व्याख्या कीजिए।]

अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य जान वृद्धकर कम कर देने से होना है। इसके परिणामस्वरूप देश की मुद्रा की क्रय-शक्ति विदेशी मुद्राओं के रूप में कम हो जाती है। पॉल एन्जिंग के अनुसार, "मुद्राओं की अधिकृत समताओं (official parities) में कमी करना अवमूल्यन है।" सरल शब्दों में, जब कोई देश अपनी मुद्रा को बदले दूसरे देशों की मुद्राएँ पहले से कम लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं।

अवमूल्यन से देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयातों में कमी होती है। परिणामतः देश के भुगतान-सन्तुलन में स्थायी असन्तुलन को दूर किया जा सकता है। अवमूल्यन करने वाले देश की मुद्रा अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में मजबूत हो जाने से विदेशी कम मुद्रा लेकर अधिक माल खरीद सकते हैं। इस देश की वस्तुएँ अन्य देशों के लिए सस्ती हो जाने के कारण उनकी माँग बढ़ती है और इस प्रकार निर्यात बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत, अवमूल्यन करने वाले देश को अन्य देशों में माल खरीदना महँगा पड़ता है, क्योंकि उसे कम माल के लिए अधिक मुद्रा देनी पड़ती है। इस देश में विदेशी माल की माँग गिरने लगती है और आयात कम हो जाते हैं। इस प्रकार, किसी देश की सरकार भुगतान-सन्तुलन की स्थायी प्रतिकूलता को दूर करने अथवा कम करने के लिए अवमूल्यन का सहारा ले सकती है। कुरीहारा के शब्दों में, "जब कोई देश मुद्रा-संकुचन नहीं करना चाहता और स्थिर विनिमय-दरों के लाभ में भी वंचित नहीं होना चाहता तो वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है।"

अवमूल्यन के कारण एवं परिणाम

साधारणतया अवमूल्यन निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है

(1) जब किसी देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य व बाह्य मूल्य में अन्तर होता है अथवा देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य अधिक होता है, तो व्यापार-सन्तुलन देश के विपरीत होने लगता है। मुद्रा का अवमूल्यन करके इस स्थिति को सुधारा जा सकता है।

(2) मुद्रा के बाह्य तथा आन्तरिक मूल्य में कोई अन्तर न होने पर भी कोई देश अपने निर्यात बढ़ाने तथा आयात कम करने के उद्देश्य से अवमूल्यन कर सकता है।

(3) मुद्रा-संकुचन की स्थिति में जब देश में माँग की कमी के कारण कीमतें गिरने लगती हैं तो अवमूल्यन के द्वारा देश के माल की विदेशों में माँग बढ़ायी जा सकती है और देश में कीमत-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है।

(4) जब कोई दूसरा देश अपनी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं का मूल्य

1 "A country which wishes neither to deflate nor to forego the advantage of stable exchange rates may elect to devalue its currency — K. Kurishara *Monetary and Public Policy*, p. 307.

गिरा देता है अथवा राशिपातन (dumping) की नीति अपनाता है तो उसके हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए अवमूल्यन करना आवश्यक हो जाता है ।

(5) जब दो देशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध होते हैं तो एक देश द्वारा अवमूल्यन करने पर दूसरा देश भी ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाता है ।

(6) विदेशी ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से भी अवमूल्यन का सहारा लिया जा सकता है ।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यात तथा आयात की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी उस देश के निर्यात तथा आयात की माँग की लोच पर निर्भर करती है । अवमूल्यन का लाभ केवल उस देश को मिल सकता है जिसके द्वारा निर्यात किये गये माल की विदेशी माँग लोचपूर्ण हो और स्वयं उसके आयातों की माँग भी लोचपूर्ण हो । यदि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यात विनिमय-दर में की गयी कमी से कम अनुपात में बढ़ते हैं, तो अवमूल्यन का प्रभाव ऋणात्मक (negative) कहलाता है । इसके विपरीत, यदि निर्यात विनिमय-दर में की गयी कमी से अधिक अनुपात में बढ़ते हैं, तो अवमूल्यन का प्रभाव धनात्मक (positive) होता है ।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अवमूल्यन का उपाय कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सफल हो सकता है, जैसे अवमूल्यन के बाद देश की निर्यात-वस्तुओं की कीमत में वृद्धि न हो, सरकार सट्टेबाजी पर रोक लगाकर तथा अन्य उपायों के द्वारा आन्तरिक कीमत-स्तर को जँबा न उठने दे, दूसरे देश आयात-नियन्त्रण न लगायें तथा दूसरे देश अपनी मुद्रा का उतना ही अवमूल्यन न कर लें । इन परिस्थितियों के अभाव में प्रायः एक बार अवमूल्यन करने के बाद पुनः अवमूल्यन की आवश्यकता अनुभव होने लगती है । बार-बार अवमूल्यन करने से लाभ के बजाय हानि की सम्भावना अधिक होती है और अन्य देशों का उस देश की मुद्रा में से विश्वास उठ जाता है ।

सन् 1949 में रुपये का अवमूल्यन

18 सितम्बर, 1949 को इंग्लैण्ड द्वारा स्टर्लिंग का 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन घोषित करने के दो दिन बाद 20 सितम्बर, 1949 को भारतीय रुपये का भी 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया । परिणामस्वरूप, रुपये का स्वर्ण मूल्य 0 268601 ग्राम से घटकर 0 186621 ग्राम रह गया । रुपये का डालर मूल्य 30 225 सेंट से घटकर 21 सेंट हो गया । परन्तु स्टर्लिंग का भी अवमूल्यन हो जाने के कारण स्टर्लिंग के साथ रुपये की विनिमय-दर (1 शि० 6 पैसे प्रति रुपया) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

अवमूल्यन के कारण

सन् 1949 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे

(1) स्टर्लिंग का अवमूल्यन—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय रुपये का स्टर्लिंग से बैधानिक तौर पर सम्बन्ध टूट चुका था, परन्तु व्यवहार में रुपये का स्टर्लिंग से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार में रुपये का स्टर्लिंग से स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था । ब्रिटेन द्वारा स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर देने पर जब स्टर्लिंग क्षेत्र के 28 अन्य देशों ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया तो परिस्थितियों से विवश होकर भारत सरकार को भी रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा ।

(2) निर्यात व्यापार की रक्षा—इस समय भारत का 75 प्रतिशत विदेशी व्यापार स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ होता था । ऐसी स्थिति में जब स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों ने (पाकिस्तान को छोड़कर) अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया तो अपने निर्यातों की बनावट रखने के लिए भारत द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन करना आवश्यक हो गया । ऐसा न करने पर अन्य देशों के लिए भारत का मान महँगा हो जाता और भारतीय माल का निर्यात कम हो जाता ।

(3) डालर की कमी—भारत का अमेरिका के साथ प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन था और डालर की कमी अनुभव की जा रही थी । ऐसी परिस्थितियों में यदि भारत अवमूल्यन न करता तो अमेरिका उन देशों से माल खरीदने लगता जिन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया था ।

भारतीय माल महँगा होने के कारण भारत के अमेरिका को जाने वाले निर्यात काफी कम हो जाते तथा व्यापार-सन्तुलन और भी अधिक प्रतिकूल हो जाता।

(4) **पौण्ड पावनों की समस्या**—उम समय भारत के स्टर्लिंग कोप में लगभग 1733 करोड़ रुपये की राशि थी। ब्रिटेन ने जब स्टर्लिंग का मूल्य गिरा दिया तो भारत द्वारा रुपये का अवमूल्यन न करने पर इंग्लैण्ड में रखे उसके पौण्ड पावनों का मूल्य कम हो जाता क्योंकि रुपये की विनिमय-दर 1 स्टर्लिंग 6 पैसे से ऊपर चली जाती।

(5) **भारत का ऊँचा कीमत-स्तर**—भारत में भारी मुद्रा-प्रसार के कारण 1949 में देश का कीमत-स्तर अन्य देशों की अपेक्षा ऊँचा था। यदि भारत अवमूल्यन न करता तो उसका माल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता न कर पाता और निर्यात व्यापार की रक्षा न हो पाती।

अवमूल्यन का दम में काफी विरोध किया गया और हमें देश की आर्थिक नीति की पराधीनता का प्रतीक कहा गया, परन्तु उन समय जब देश के मम्मुख स्टर्लिंग क्षेत्र पर व्यापारिक निर्भरता, प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन, ऊँचे कीमत-स्तर, आर्थिक विकास का नीचा स्तर आदि अनेक समस्याएँ थीं, रुपये की कीमत ऊँची रखने से सम्भव था कि हमारा विदेशी व्यापार अस्तव्यस्त हो जाता। इन परिस्थितियों में भारत रुपये का अवमूल्यन करने के लिए विवश हो गया। इस प्रकार अवमूल्यन स्वेच्छा में नहीं किया गया, बल्कि परिस्थितियों के दबाव में भारत ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। तत्कालीन वित्त मंत्री डा० जॉन मथाई ने कहा था, "मैं अनुभव करता हूँ कि इस मामले में मुझे तर्क पर आधारित अपने विद्वानों पर नहीं अपितु परिस्थितियों की विवशता के कारण कार्य करना पड़ा है।"

अवमूल्यन के प्रभाव

भारत की अर्थ-व्यवस्था पर रुपये के अवमूल्यन के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े जो मुख्य रूप में निम्नलिखित थे

अच्छे प्रभाव

(1) **भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में सुधार**—अवमूल्यन से भारत के भुगतान-सन्तुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। सन् 1948-49 में भुगतानावधि का घाटा 183 45 करोड़ रुपये था, परन्तु 1949-50 में यह घाटा कम होकर 118 89 करोड़ रुपये रह गया और 1950-51 में केवल 22 01 करोड़ रुपये ही रह गया। घाटे की रकम में इस उल्लेखनीय कमी को मूलतः अवमूल्यन का ही प्रभाव मानना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसी समय आयातों पर लगाये गये नियन्त्रणों का भी अवश्य प्रभाव पड़ा था। परन्तु श्री चिन्तामणि दशमुख के मतानुसार स्थिति में हुए सुधार का प्रमुख कारण अवमूल्यन ही था।

(2) **अमेरिकी आर्थिक सहायता एवं व्यापार**—अवमूल्यन के कारण डालर क्षेत्र में हमारे निर्यातों को प्रोत्साहन मिला और आयातों में कमी हुई। देश में अमेरिकी पूँजी का आगमन बढ़ा। टखोगो से अमेरिकी पूँजी का विनियोग बढ़ गया और इस प्रकार भारत को आर्थिक विकास के कार्य में सहायता मिली।

(3) **स्टर्लिंग क्षेत्र के डालर कोषों में वृद्धि**—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की रिपोर्टों के अनुसार 1949 में स्टर्लिंग क्षेत्र के डालर कोप 1688 मिलियन डालर थे, परन्तु वे बढ़कर जून 1950 में 2422 मिलियन डालर हो गये थे। स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य होने के नाते भारत को भी इन कोषों के उपयोग का अवसर मिला।

बुरे प्रभाव

(1) **अल्पकालीन अनुकूल प्रभाव**—जैसा कि ऊपर बताया गया है, सन् 1950-51 में भारत के भुगतान-सन्तुलन में केवल 22 01 करोड़ रुपये का घाटा रह गया था, परन्तु अगले ही वर्ष अर्थात् 1951-52 में यह घाटा पुनः बढ़कर 209 63 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसका

1 "I feel in this matter, I have had to act, not to conviction born of logic necessarily, but, so to speak, by the compulsion of events"
—Dr John Mathai

प्रमुख कारण यह था कि पाकिस्तान द्वारा अपने रुपये का अवमूल्यन न करने पर वहाँ से बच्चे बूट व कपाम के आयात का मूल्य बढ गया जिससे भारत में कपडे बजूट के सामान के उत्पादन की लागत बढ गयी । इसका इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पडा । इस प्रकार, आयात तथा निर्यात दोनों में भारत को हानि हुई ।

(2) सामान्य कीमत-स्तर में वृद्धि—अवमूल्यन के बाद भारत में अनेक वस्तुओं की कीमतों तथा स्फीतिक दवावों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पडी । उन वस्तुओं की कीमतों में विशेष रूप से अधिक वृद्धि हुई जिनका आयात अमेरिका से किया जाता था । भारत के बडे हुए निर्यातों के कारण भी देश में आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो गया । दूसरी ओर कोरिया युद्ध तथा देश में मुद्रा-प्रसार के कारण वस्तुओं की माँग बढ गयी । इन परिस्थितियों में कीमत-स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक था । बडी हुई कीमतों का भारतीयों का जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पडा ।

(3) देश के आर्थिक विकास में बाधा—पाकिस्तान में आयात की जान वाली कपास तथा जूट की कीमते बढ जान के कारण भारत में कपडा एवं जूट उद्योगों के लिए सखट उत्पन्न हो गया । अमेरिका से आयात किये जाने वाला पूँजीगत माल भी महँगा हो गया । सरकार को विषय होकर आर्थिक विकास की कुछ योजनाओं को स्थगित करना पडा जिससे हमारे आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न हो गयी ।

(4) विदेशी ऋणों के भार में वृद्धि—भारत न अमेरिका तथा विश्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण ले रखे थे । चूँकि यह ऋण डालरों में थे और अवमूल्यन के बाद डालर महँगे हो गये, इसलिए भारत पर विदेशी ऋणों का भार बढ गया ।

(5) पौण्ड पावनों के डालर मूल्यों में कमी—रुपये के अवमूल्यन के कारण भारत के पौण्ड पावनों के डालरों में परिवर्तनीय भाग में 30.5 प्रतिशत की कमी हो गयी । भारत द्वारा डालर क्षेत्र में तर्ज किय गये पौण्ड पावनों का मूल्य गिर गया जिसके परिणामस्वरूप इतने प्राप्त होने वाले माल की मात्रा कम हो गयी ।

उत्तरण रहे कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर उपर्युक्त प्रभाव पूर्णतया अवमूल्यन के प्रभाव नहीं बह जा सकते हैं । इनमें से कुछ प्रभाव उन समय की आर्थिक व राजनीतिक दशाशा का भी परिणाम थे । अवमूल्यन के प्रभावों को निरिचय दिना देन के उद्देश्य से सरकार ने 5 अक्टूबर, 1949 को एक आठ-नूत्री कार्यक्रम (Eight-point Programme) की घोषणा की । इनकी मुख्य बातें इस प्रकार थी (1) विदेशी विनिमय के अपव्यय को रोकना, (2) सरकारी व्यय में बचत करना, (3) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी करना, (4) भारत द्वारा अपनी मौल-भाव करने की शक्ति का उपयोग करना ताकि अधिमूल्यन मुद्रा वाले देशों से उचित मूल्यों पर माल खरीदा जा सके, (5) विनियोग को प्रोत्साहन तथा प्राचीण क्षेत्रों में वैकिय सुविधाओं का विस्तार, (6) मुद्रावाली छिपी हुई आम को बाहर निर्यातने के लिए करों के ऐच्छिक मुगताप की व्यवस्था, (7) साख सुविधाओं का नियमन और स्टूटवाजी पर रोक, तथा (8) कुर्भ मुद्रा वाले देशों को किये जाने वाले निर्यातों पर कर लगाकर विदेशी विनिमय-उपायों में वृद्धि करना । इस प्रकार, अष्टनूत्री कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य दो थे पहला, आन्तरिक कीमत-स्तर की वृद्धि को रोकना, तथा दूसरा, देश में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना ।

घोषित नीति के अनुसार कीमता पर नियन्त्रण रखने, औद्योगिक करों में कमी करन, बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने तथा आयातों में कमी करने के प्रयत्न किये गये । परन्तु आठ-नूत्री कार्यक्रम को कोई विशेष सफलता न मिल सकी और कीमत-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती गयी । परिणामतः अवमूल्यन के लगभग एक वर्ष बाद ही रुपये के पुनर्मूल्यन (revaluation) की माँग की जाने लगी । जुलाई 1951 में जॉन मेथाई ने एक लेख में रुपये के पुनर्मूल्यन के पक्ष में जोरदार तर्क दिये जिनके आधार पर रुपये के पुनर्मूल्यन की माँग और भी तीव्र हो गयी । किन्तु उत्पत्तीत वित्त मन्त्री श्री चिन्लामणि देशमुख पुनर्मूल्यन के पक्ष में दिये गये तर्कों से प्रभावित न हुए और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार पुनर्मूल्यन के लिए तैयार नहीं थी । 31 जुलाई,

1955 को पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवमूल्यन करके उसे भारतीय रुपये के बराबर कर दिया और इससे पूनर्मूल्यन की माँग समाप्त हो गयी।

जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन

रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन 6 जून, 1966 को किया गया। तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री शचीन चौधरी ने 5 जून की रात्रि को इसकी घोषणा की और इसके कुछ ही घण्टे बाद 6 जून को रात के 2 बजे इसे लागू कर दिया गया। अवमूल्यन द्वारा स्वर्ण में रुपये का मूल्य 0-186621 ग्राम से घटकर 0 118489 ग्राम रह गया। इस प्रकार स्वर्ण के रूप में रुपये का अवमूल्यन 36.5 प्रतिशत हुआ। अवमूल्यन के पूर्व एक डालर का मूल्य 4 76 ₹ के बराबर था जो अवमूल्यन के बाद 7 50 ₹ हो गया। स्टर्लिंग के साथ रुपये की विनिमय-दर 13.33 ₹ प्रति पाउंड के स्थान पर 21 रुपये हो गयी।¹ हमी रुबल 8 33 रुपये के बराबर हो गया जबकि इसके पूर्व 5 21 रुपये के बराबर था। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि स्वर्ण के रूप में तो भारतीय रुपये का अवमूल्यन 36.5 प्रतिशत ही हुआ, परन्तु विदेशी मुद्राओं का मूल्य भारतीय रुपये में 57.5 प्रतिशत बढ़ गया।² इसका अर्थ यह हुआ कि अवमूल्यन के कारण हमारे निर्यातों का मूल्य 36.5 प्रतिशत घट गया है, परन्तु चूँकि आयातों का भुगतान विदेशी मुद्राओं में करना होता है, इसलिए आयातों का मूल्य हमारे लिए 57.5 प्रतिशत बढ़ गया है।

रुपये के अवमूल्यन की घोषणा के साथ-साथ वित्त मन्त्री ने कुछ अन्य निर्णयों की भी घोषणा की। प्रथम, आयात की गयी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें यथासम्भव अवमूल्यन पूर्व स्तर पर बनाये रखने के लिए सरकार अपनी ओर से उपदान (subsidies) देगी। दूसरे, सभी तत्कालीन निर्यात-श्रोताहान परि योजनाएँ (export incentive schemes) समाप्त कर दी जायेंगी। तीसरे, कुछ निर्यातों पर निर्यात कर लगाये जायेंगे। चौथे, आयातों में उदारता (import liberalization) की नीति अपनायी जायगी।

अवमूल्यन के कारण

मिसेम्बर 1949 में रुपये का अवमूल्यन स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण किया गया था, परन्तु जून 1966 में भारत सरकार ने किसी अन्य देश के निर्णय से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि स्वयं अपनी परिस्थितियों के कारण स्वतन्त्र रूप से अवमूल्यन किया है। 1966 में रुपये का अवमूल्यन निम्नलिखित कारणों से हुआ

(1) रुपये का अधिकमूल्यित होना—किसी मुद्रा की अधिकृत दर (official rate) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बोप की व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट रहती है। इसके विपरीत, स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में मुद्रा की माँग व पूर्ण के आधार पर स्थापित विनिमय-दर प्रभावकारी दर (effective rate) कहलाती है। इन दो दरों में अधिक मात्रा में तथा स्थायी अन्तर होना अर्थ-व्यवस्था में आधार-भूत असन्तुलन का प्रतीक है। जब किसी मुद्रा का अधिकृत मूल्य उसके प्रभावकारी अथवा वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है तो वह अधिकमूल्यित मुद्रा (over-valued currency) हो जाती है। भारत में आन्तरिक कीमत-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती गयी परन्तु रुपये की अधिकृत विनिमय-दर अपरिवर्तित रही। स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में रुपये का प्रभावकारी मूल्य उसके

1 18 नवम्बर, 1967 को ब्रिटिश सरकार ने पाउंड का 14 3 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब 1 पाउंड=18 रुपये हो गया है।

2 अवमूल्यन के कारण एक डालर 4 76 ₹ से बढ़कर 7 50 ₹ के बराबर हो गया, अर्थात् उसमें (7.50-4.76)=2.74 ₹ की वृद्धि हुई, जो

$$\frac{2.74}{4.76} \times 100 = 57.5 \text{ प्रतिशत के बराबर हुई।}$$

इसी प्रकार, पाउंड के मूल्य में (21-13.33)=7.67 ₹ की वृद्धि हुई, जो

$$\frac{7.67}{13.33} \times 100 = 57.5 \text{ प्रतिशत के बराबर हुई।}$$

अधिकृत मूल्य से कम हो गया, अर्थात् रुपये का अवमूल्यन हो गया। इससे देश में तस्कर व्यापार (smuggling) को प्रोत्साहन मिला और देश के विदेशी मुद्रा कोष पर अनुचित दबाव पड़ने लगा। इस स्थिति के निराकरण के उद्देश्य से ही रुपये का अवमूल्यन किया गया।

प्रो० सी० एन० वकील¹ के मतानुसार रुपये का वस्तुतः (de facto) अवमूल्यन तो पहले ही हो चुका था, सरकार ने जून 1966 में कानूनी (de-jure) अवमूल्यन करके उसको नियमित रूप प्रदान किया है। इसी प्रकार डा० गांगुली के अनुसार,² कुछ समय तक रुपये के 'छिपे हुए' अवमूल्यन को जून 1966 में 'खुले' अवमूल्यन में बदल दिया गया।

(2) भुगतान-असन्तुलन की स्थिति—निरन्तर कई वर्षों से भारत के विदेशी व्यापार में घाटा रहने के कारण भारत के सामने भुगतान सम्बन्धी बाधारभूत असन्तुलन (fundamental disequilibrium) की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थिति काफी गम्भीर हो चुकी थी। विदेशी विनिमय की आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही थी, जबकि सुरक्षा-व्यय में वृद्धि, खाद्यान्नो के असाधारण मात्रा में आयात, ऋणों तथा उन पर व्याज के भुगतान की बढ़ती हुई रकम तथा विदेशी सहायता में कमी, आदि कारणों से विदेशी भुगतानों का बोझ बढ़ रहा था। देश में तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई थी। निर्यात के बिलों में कम मूल्य दिखाने (under-invoicing of exports) तथा आयात के बिलों में अधिक मूल्य लगाने (over-invoicing of imports) की व्यवस्था के द्वारा विदेशी मुद्रा की चोरी की प्रवृत्ति विकसित हुई थी। परिणाम यह हुआ कि भारत का विदेशी विनिमय-कोष जो द्वितीय योजना के आरम्भ में 785 करोड़ रुपये के बराबर था, मार्च 1966 के अन्त में केवल 184 करोड़ रुपये के बराबर रह गया। भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में सुधार के लिए कुछ लोगों के विचार में रुपये का अवमूल्यन करना आवश्यक समझा गया।

(3) निर्यात-प्रोत्साहन में कठिनाई—पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय के उपार्जन के लिए निर्यातों का बढ़ाना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवमूल्यन के पूर्व कई उपाय अपनाये गये। निर्यात बिल साक्ष योजना (Export Bills Credit Scheme) के अन्तर्गत मुहूर्ती निर्यात बिलों (usance export bills) के आधार पर रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को ऋण देने में विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की थी। आयात अधिकार योजना (Import Entitlement Scheme) के अन्तर्गत निर्यातकों को कुछ सीमा तक अपनी इच्छानुसार आयात करने के अधिकार दिये गये थे ताकि वे निर्यात की हानि को आयात के लाभ से पूरा कर सकें। कर-साक्ष प्रमाण पत्र (tax credit certificates) चालू किये गये जिनके आधार पर निर्यात-उद्योगों के लिए साक्ष सम्बन्धी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। निर्यातों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष सहायता (export subsidy) भी प्रदान की गयी। परन्तु इन सब उपायों के बावजूद निर्यात स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातों के मूल्य ऊँचे थे और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं बढ़ पा रहे थे। इसके विपरीत, देश में ऊँची कीमतों तथा अधिक माँग के कारण उत्पादकों के लिए घरेलू बाजार अधिक आकर्षक हो गया था। इन परिस्थितियों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत सुधारों की आवश्यकता समझी गयी और अवमूल्यन कर दिया गया।

(4) आयात-प्रतिस्थापन की आवश्यकता—आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि विदेशों से आवश्यक मशीनें, साज-सामान तथा अन्य आवश्यक पदार्थ आयात करने के बजाय उनका उत्पादन देश में ही किया जाय, अर्थात् आयात प्रतिस्थापन (import substitution) को बढ़ावा दिया जाय। भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में भारी कठिनाई अनुभव की जा रही थी, क्योंकि भारी आयात-करो के बावजूद विदेशी मशीनें भारतीय मशीनों की तुलना में मस्ती पड़ती थीं। ऐसा सोचा गया कि अवमूल्यन करने से आयात

1 C. N. Vakil *The Devaluation of the Rupee—A Challenge and An Opportunity*
2 B. N. Ganguli *Devaluation of the Rupee.*

महँ हो जायेंगे जिससे देश में आयात-प्रतिस्थापन उद्योगों में पूँजी के विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा ।

(5) विदेशी सहायता की माँग—आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने तथा भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए हमारी विदेशी सहायता के लिए माँग बढ़ गयी थी, परन्तु चौथी योजना को लागू करने के लिए विदेशी सहायता की स्थिति अनिश्चित थी । विदेशी पूँजी को देश में आकर्षित करने के लिए अवमूल्यन का सहारा लिया गया । विदेशी पूँजी का रूपों में मूल्य बढ़ा देने से आशा की गयी कि भारत में विदेशी पूँजी का प्रवाह बढ़ेगा । विश्व बैंक के बेल मिशन (Bell Mission) ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट में रुपये के अवमूल्यन की माँग की थी । प्रायः यह कहा जाता है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन किया है ।

उपर्युक्त कारणों से जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा । इससे सम्बन्धित निर्णय की घोषणा अचानक की गयी जिसने सबको चौंका दिया । इसके पूर्व सर्वैव सरकार अवमूल्यन का विरोध करती रही और यह खुले आम कहा जाता रहा कि अवमूल्यन हमारी समस्याओं का उपचार नहीं हो सकता था । अवमूल्यन के पूर्व प्रो० शेनॉय (B R Shenoy) आदि कुछ इने-गिन अर्थशास्त्रियों को छोड़कर देश में सामान्य विचारधारा अवमूल्यन के विरुद्ध ही थी ।

अवमूल्यन के पक्ष में तर्क

अवमूल्यन के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने उठाये गये कदम के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये थे

(1) निर्यात-प्रोत्साहन—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि होगी और निर्यात-उद्योगों में पूँजी का विनियोग बढ़ेगा । परम्परागत निर्यातों पर थोड़ा शुल्क बढ़ाकर अपरम्परागत निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जायगा जिससे हमारे निर्यातों में विविधता आयेगी और हमारे विदेशी व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होगा ।

(2) आयातों में कमी—अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्राओं का रूपों में 57.5 प्रतिशत मूल्य बढ़ गया है । अतः भारत को आयातों के बदले अधिक रकम देनी पड़ेगी, जिससे आयातों की मात्रा कम होगी ।

(3) भुगतान-सन्तुलन में सुधार—निर्यात बढ़ने तथा आयात कम होने से फलस्वरूप भुगतान-सन्तुलन की स्थिति अनुकूल होने में सहायता मिलेगी । सम्भव है कि अवमूल्यन के कारण अदृश्य उपाजनों (invisible earnings) में सुधार हो, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कमाये गये लाभ विदेशों को न भेजकर भारत में ही रक्के जायें तथा भारतीय लोग विदेशों में जमा अपनी रकमें स्वदेश लाने के लिए प्रोत्साहित हों । इन सब का भुगतान-सन्तुलन की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(4) रुपये के वित्तीय मूल्य का निर्धारण—अवमूल्यन के पूर्व स्वतन्त्र विनिमय-बाजार में रुपये का अधिमूल्यन हो चुका था, अर्थात् विनिमय-बाजार में रुपये का वास्तविक मूल्य उसके अधिकृत मूल्य से कम हो चुका था । यह आशा की गयी कि अवमूल्यन से भारतीय रुपये का मूल्य अपने वित्तीय अथवा वास्तविक स्तर पर पहुँच जायगा ।

(5) उत्पादन को प्रोत्साहन—निर्यात-प्रोत्साहन व आयात-संकुचन अथवा आयात प्रतिस्थापन से औद्योगिक उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी । विनियोग, रोजगार तथा आय आदि का भी विकास होगा जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी । अवमूल्यन के बाद आयात-नीति में थोड़ी-सी ढील देकर कच्चे माल, मशीनों तथा पुर्जों आदि की पूर्ति में वृद्धि होगी । इससे उत्पादन बढ़ाने में सुविधा होगी । उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि मुद्रा स्फीति को कम करने में सहायक होगी ।

(6) विदेशी पूँजी का विनियोग—अवमूल्यन से देश में विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा । विदेशी पूँजी का रूपों में मूल्य बढ़ जाने से आकर्षित होकर विदेशी विनियोजक भारत में अधिकाधिक मात्रा में पूँजी लगायेंगे । आयात कम होने से विदेशी उद्योगपति भारत में

ही उत्पादन करने लगे। इससे भारत के अदृश्य उपाजनों (invisible earnings) में वृद्धि की आशा की जा सकती है। अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता में भी वृद्धि होगी।

(7) सरकार को लाभ—निर्यात-प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा निर्यात-उपदान (export subsidies) के रूप में दी जा रही करोड़ों रुपये की रकम बच जायेगी। इस बचत का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अवमूल्यन के कुछ समय पूर्व व्यापार मन्त्री ने निर्यात प्रोत्साहन पर व्यय के लिए 200 करोड़ रुपये की माँग की थी। अवमूल्यन से सरकार को न केवल बचत होगी बल्कि अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। अवमूल्यन के साथ ही सरकार ने 12 वस्तुओं पर निर्यात-कर लगाने की घोषणा की ताकि अवमूल्यन के कारण निर्यात व्यापार को प्राप्त होने वाले लाभ का एक अंश सरकार को भी मिले। इन करों से सरकार को प्रति वर्ष लगभग 140 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया गया।

(8) अवाञ्छनीय क्रियाओं का अन्त—अवमूल्यन के समर्थन में यह कहा गया कि इसमें अवाञ्छनीय, गैर-कानूनी तथा समाज-विरोधी व्यापारिक क्रियाएँ, जो अनुचित रूप से लाभ-उपाजन के लिए देश में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, समाप्त हो जायेंगी। इससे तस्क़र व्यापार (smuggling) पर रोक लगेगी। बिलों में निर्यात का मूल्य कम तथा आयात का मूल्य अधिक (under-invoicing of exports and over-invoicing of imports) दिखाने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। आयात-निर्यात लाइसेन्सों में चोरबाजारी का अन्त होगा और यात्रो चैको तथा विदेशी मुद्राओं को चोरबाजार में उँचे दामों नहीं बेचा जा सकेगा। इन कार्यवाहियों का अन्त हो जाने पर देश के विदेशी मुद्रा-उपाजनों में वृद्धि होगी तथा देश का विदेशी मुद्रा-कोष सुदृढ़ होगा।

(9) अन्य देशों का अनुभव—अवमूल्यन के समर्थन में फ्रांस तथा यूगोस्लाविया के उदाहरण दिये गये, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F) की सलाह पर अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया था और उनको इससे आर्थिक लाभ प्राप्त हुए थे। अवमूल्यन के बाद इन दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ आगे बढ़ी हैं।

अवमूल्यन के पक्ष में दिये गये उपर्युक्त तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रुपये का अवमूल्यन मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया गया कि देश में प्रतिकूल भुगतान-मन्तुजन की समस्या का कोई हल निकल सके, निर्यात-उद्योगों और आयात-प्रतिस्थापन उद्योगों के लिए अधिक पूँजी उपलब्ध हो सके तथा इनका उत्पादन बड़े और भारतीय अर्थ-व्यवस्था हर प्रकार से सुदृढ़ बने।

भारतीय अर्थशास्त्री प्रो० वी० आर० शैनाय तथा डा० जगदीश भगवती अवमूल्यन के पूर्व ही अवमूल्यन का समर्थन कर रहे थे, बल्कि प्रो० शेनॉय तो 36 5 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन चाहते थे। अवमूल्यन के पश्चात तुरन्त ही प्रकाशित की गयी पुस्तक में प्रो० वी० एन० गागुली ने अवमूल्यन के वदम का कहीं भी विरोध नहीं किया, बल्कि इसे देश की आर्थिक परिस्थितिया का स्वाभाविक परिणाम माना। प्रो० सी० एन० बक्रील ने इसे एक 'प्रायश्चित्त' (penance) कहा। उनके मतानुसार भारत को घाटे की वित्त-व्यवस्था तथा अनुचित व्ययों के पापों के लिए प्रायश्चित्त करना था जो अवमूल्यन के रूप में किया गया। इन विचारों के विपरीत, साधारण जनमत अवमूल्यन के विरुद्ध था और अधिकांश विचारकों का कहना था कि अवमूल्यन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेगा बल्कि इससे लाभ के बजाय हानियाँ अधिक होंगी।

अवमूल्यन के विपक्ष में तर्क

अवमूल्यन के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं

(1) निर्यात-प्रोत्साहन की सीमित सम्भावनाएँ—भारतीय मुद्रा का मूल्य गिर जाने से विदेशी आयातकों को भारत से आयात किये गये माल का पहले से कम मूल्य देना होगा, जिससे हमारे निर्यात बढ़ने की आशा की जा सकती है। परन्तु भारत को नियन्त्रित द्वारा पहले के बराबर विदेशी विनिमय उपाजित करने के लिए 57 5 प्रतिशत अधिक माल का निर्यात करना होगा। यदि वृद्धि इससे कम रही तो पहले के बराबर भी विदेशी मुद्रा नहीं मिल पायेगी। वास्तविक स्थिति का

विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि हमारे परम्परागत निर्यात (traditional exports) तो पहले ही उच्चतम सीमा पर पहुँच चुके हैं। हाँ, नये निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। किन्तु अधिक निर्यात के लिए अधिक उत्पादन होना चाहिए और इन मार्गों में देश में अनेक बाधाएँ हैं। साथ ही, हमें घरेलू बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को भी पूरा करना है अन्यथा देश में कीमतें और भी अधिक बढ़ सकती हैं।

भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की सन् 1965-66 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि हमारे 82.8 प्रतिशत निर्यात ऐसे थे जिन्हें बिना किसी सरकारी सहायता अथवा उपदान के अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही बेचा गया था। केवल 17.2 प्रतिशत निर्यातों को ही सरकारी उपदान देने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि इन वस्तुओं की आन्तरिक कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से ऊँची थी। उक्त रिपोर्ट में अवमूल्यन का स्पष्ट रूप में विरोध किया गया था। रुपये के अवमूल्यन से केवल 17.2 प्रतिशत निर्यातों को प्रोत्साहन मिल सकता है और शेष 82.8 प्रतिशत निर्यातों पर अवमूल्यन के कारण देश को हानि होगी। यदि भारतीय निर्यातक रुपये में कुछ मूल्य बढ़ा देते हैं अथवा सरकार निर्यात-कर लगा देती है तो उस सीमा तक विदेशी मुद्रा की हानि 36.5 प्रतिशत से कम हो सकती है। परन्तु विदेशी आयातकर्ता इन उपायों का विरोध करेंगे और यह सन्देहपूर्ण है कि भारतीय निर्यातों का विदेशी मुद्रा में मूल्य बढ़ सके। यह सब बातें ध्यान में रखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती कि भारत के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि हो सकती है अथवा बढ़े हुए निर्यातों से भारत को कोई विशेष लाभ हो सकता है। विदेशों में भारतीय माल की माँग बेलोच है और भारत में निर्यात-माल की पूर्ति बेलोच है। ऐसी स्थिति में अवमूल्यन से सुधार की अधिक आशा करना एक बहुत बड़ी गलती है।

(2) महँगे आयात—हमारे देश में आयात माल की माँग बेलोच है। विशेषकर योजनाबद्ध आर्थिक विकास की अवधि में बहुत-से आयात तो अनिवार्य रहेंगे। उनके कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक अनावश्यक आयातों का प्रश्न है, उन पर सरकार ने पहले से ही नियन्त्रण लगा रखा था। आयातों की मात्रा में कोई विशेष कमी न होने पर अवमूल्यन के कारण आयातों के मूल्य बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ जायगा। अनुमान लगाया गया है कि भारत द्वारा विदेशों से आयात किये जा रहे कच्चे माल, कलपुर्जों तथा मशीनों आदि की कीमतें अवमूल्यन के कारण लगभग 34 से 38 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन-लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(3) आन्तरिक कीमतों में वृद्धि—अवमूल्यन के पक्ष में सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पिछले दस वर्षों में आन्तरिक कीमत-स्तर में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए विनिमय-दर में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। यह समझ में नहीं आता कि बढ़ती हुई कीमतों की समस्या का उपचार अवमूल्यन द्वारा कैसे किया जा सकता है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में आयातित माल की कीमतें बढ़ जाने तथा निर्यात-सर्वद्वन की ओर अधिक ध्यान देने से आन्तरिक कीमतों में और अधिक वृद्धि होगी। यदि उपदान देकर (जिनका भार अन्ततः जनता पर ही पड़ता है) सरकार गिनी-पुनी वस्तुओं की कीमतों को न बढ़ने देती भी सामान्य कीमत-स्तर को बढ़ने से नहीं रोकना जा सकता।

वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से हम निर्यात-वस्तुओं के मूल्य ही देखने चाहिए, न कि सामान्य कीमत-स्तर। सन् 1955 से 1965 तक भारत में सामान्य धोक कीमतों में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु निर्यात-वस्तुओं की कीमतें केवल 12 प्रतिशत बढ़ी। कीमतों में वृद्धि अकेले भारत में ही नहीं हुई बल्कि अन्य देशों में भी, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के प्रतिद्वन्द्वी हैं, कीमतें बढ़ी हैं। यदि किसी निर्यात-पदार्थ की कीमत बहुत अधिक बढ़ गयी थी तो उसके लिए अलग से कदम उठाये जा सकते थे। अवमूल्यन के द्वारा सभी वस्तुओं के लिए एकसा उपाय अपनाया उचित नहीं कहा जा सकता है।

(4) रुपये के अधिमूल्यन का भ्रामक तर्क—यह कहना कि रुपये का अधिमूल्यन इसलिए

करना पडा कि इसके विनिमय की अधिकृत दर बाजार-दर से भिन्न थी, अर्थात् विनिमय-बाजार में रुपया अधिमूल्यित था, एक भ्रामक तर्क है। तस्कर बाजार अथवा काले बाजार की दर को मुद्रा की सच्ची विनिमय-दर नहीं माना जा सकता है। यदि ऐसा होने लगे तो काले बाजार का अर्थशास्त्र ही सच्चा अर्थशास्त्र बन जायगा। आयाती पर प्रतिबन्ध होने के कारण यदि तस्कर चोरी से देश में अनावश्यक अथवा विलासता की वस्तुएँ बाहर से ले आते हैं तो उनके बदले में वे अधिक कीमत लेगे ही। तस्कर बाजार की दर को मुद्रा की वास्तविक दर मानना उसी प्रकार गलत होगा जिस प्रकार किसी वस्तु का वितरण नियन्त्रित होने पर काले बाजार में उस वस्तु की कीमत को वास्तविक या सच्ची कीमत मान लिया जाय। यदि रुपया वास्तव में अधिमूल्यित था तो पिछले 15 वर्षों में प्रति वर्ष 600 से 800 करोड़ रुपये तक का निर्यात कैसे किया जाता रहा है। एक विनियोजित अर्थ-व्यवस्था में यदि विनिमय-दर का निर्धारण काले बाजार की स्थिति के आधार पर किया जाता है तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायगा।

(5) उत्पादन सम्बन्धी गलत धारणाएँ—अवमूल्यन करने में सरकार की यह धारणा रही है कि इससे निर्यात-वस्तुओं तथा आयात-प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए केवल माँग का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पूँजी, प्रावधिक ज्ञान व उपकरणों आदि की आवश्यकता होती है, जिनका हमारे देश में अभाव है। इन्हीं के कारण निम्न उत्पादकता, ऊँची लागत, कम उत्पादन तथा ऊँची कीमतों आदि की समस्याएँ हमारे सामने हैं। अवमूल्यन से इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अवमूल्यन के कारण उत्पादन-लागत में वृद्धि होगी, कमी नहीं। इससे विकास की गति तीव्र होने के बजाय धीमी होने की सम्भावनाएँ अधिक हैं।

(6) विदेशी ऋण के भार में वृद्धि—पंचवर्षीय योजनाओं के काल में भारत सरकार विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेती रही है। 31 मार्च, 1966 को भारत का कुल विदेशी ऋण लगभग 2629 18 करोड़ रुपये था, जो अवमूल्यन के कारण अनुमानत 4000 करोड़ रुपये के लगभग हो जायगा। मूलधन के अतिरिक्त व्याज का भार भी बढ़ जायगा। आगामी वर्षों में विदेशी विनिमय की समस्या हल होने के बजाय और जटिल हो जायगी।

(7) विदेशी विनियोग एवं सहायता की अनिश्चितता—यह सोचना कि केवल अवमूल्यन करने से विदेशी पूँजी अथवा विदेशों से आर्थिक सहायता को आकर्षित किया जा सकता है, सर्वथा भ्रमपूर्ण है। आज के युग में अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी-प्रवाह अनेक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों से प्रभावित होता है। अतः सरकार का यह तर्क कि रुपये का अवमूल्यन विदेशी पूँजी आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया है, अवास्तविक प्रतीत होता है।

वास्तविकता यह है कि विदेशी ऋणदाताओं द्वारा भारत सरकार पर रुपये का अवमूल्यन करने के लिए बहुत दबाव पड़ रहा था और उसी दबाव के कारण अवमूल्यन करना पडा। इस सम्बन्ध में हमारी स्वतन्त्रता उस विमान-बालक की स्वतन्त्रता के समान थी जिसे विमान में रखे बम (bomb) का विस्फोट हो जाने के कारण विमान से बूदना पडता है। इण्डोनेशिया का अनुभव हमारे सामने है जहाँ एक बार अवमूल्यन करने पर बार-बार अवमूल्यन करना पडा। सन् 1952 में 1 अमरीकी डालर 31 72 इण्डोनेसी रुपये के बराबर था। सन् 1965 में यही विनिमय दर 1 डालर=10,000 इण्डोनेसी रुपये हो गयी। इण्डोनेशिया में सरपट-स्फीति फूट पड़ी और स्थिति को संभालना कठिन हो गया। भारत में अवमूल्यन के दुष्प्रभावों से बचने के अनेक उपाय किये गये हैं, परन्तु यह स्वीकार करना पडता है कि रुपये का अवमूल्यन करना सरकार द्वारा उठाया गया एक गलत बदन था जिससे देश को हानि हुई है।

अवमूल्यन के प्रभाव

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अवमूल्यन के साथ ही सरकार ने निर्यात-प्रोत्साहन के अन्य उपाय, जैसे आयात-अधिकार योजना व कर-अमा-प्रमाणपत्र योजना, तुरन्त समाप्त कर

दिये। विदेशों में वेल्फेयर मांग वाली वस्तुओं पर निर्यात-करों में वृद्धि कर दी गयी। निर्यात-प्रोत्साहन तथा आयात-प्रतिस्थापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयातों में उदारता (import liberalization) की नीति अपनायी गयी, जिसके अन्तर्गत 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए कच्चे माल व अन्य साज-सामान के आयात की स्वतन्त्रता दी गयी। आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से अनेक उपाय अपनाये गये। आयात की गयी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये गये। खाद्यान्नों व उर्वरकों (fertilizers) के लिए आर्थिक सहायता (subsidy) देने की घोषणा की गयी तथा मिट्टी के तेल व डीजल तेल के भावों को आयात व उत्पादन-करों में परिवर्तन करके स्थिर रखने की नीति अपनायी गयी। कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रासायनिक खादों आदि को आयात-कर से मुक्त करने का निर्णय किया गया। आवश्यक मशीनों, कल-पुर्जों तथा कच्चे माल पर लगे आयात-करों में कमी कर दी गयी। उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखन तथा उनके उचित वितरण की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार ने अनेक उपाय अपनाये। इस प्रकार, अवमूल्यन का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा अवमूल्यन के पश्चात् अपनाये गये विभिन्न उपायों के तीन प्रमुख उद्देश्य रहे हैं— निर्यात-प्रोत्साहन, कीमत-वृद्धि को रोकना, तथा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना।

अवमूल्यन के वास्तविक परिणामों को देखने से पता चलता है कि यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अमफल रहा है। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि करना था, किन्तु 1966-67 में भारत के कुल निर्यात गत वर्ष की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत कम रहे। सन् 1966 में कृषि-उत्पादन में कमी, कच्चे माल के अभाव, उत्पादन-लागतों में वृद्धि तथा ऊँची कीमतों आदि का भी देश के निर्यातों पर प्रभाव पड़ा, परन्तु इनकी कमी का मुख्य कारण जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन ही था। अवमूल्यन से विदेशी व्यापार की स्थिति अस्त-व्यस्त हो गयी और इसके सुरंगत वाद हमारे निर्यात तेजी से घटे। वाद के महीनों में स्थिति कुछ सुधरने लगी, परन्तु गत वर्ष की तुलना में निर्यात कम ही रहे। जून 1966 से मार्च 1967 तक भारत के निर्यात 179 मिलियन डॉलर कम हो गये।

अवमूल्यन के बाद सरकार द्वारा अपनायी गयी उदार आयात-नीति के अनुसार आयात लाइसेन्स अधिक सख्या में दिये गये थे, परन्तु 1966-67 में कुल आयात गत वर्ष की तुलना में कम रहे। इसके बावजूद, निर्यातों की असाधारण कमी के कारण भुगतान-सन्तुलन में घाटा बढ़ गया। परिणामस्वरूप, 1 जुलाई, 1966 से 30 जून, 1967 के बीच विदेशी विनिमय कोष में 15.9 करोड़ डॉलर की कमी हो गयी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में उसमें 9.3 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई थी।

अवमूल्यन से न तो विदेशी पूंजी आकर्षित हुई और न विदेशी सहायता को ही कोई प्रोत्साहन मिला। तृतीय योजना के अन्तिम चरण में विदेशी सहायता की वार्षिक औसत 130.5 करोड़ डॉलर थी, जो 1966-67 में 10.5 करोड़ डॉलर के बराबर रही। शायद विदेशी पूंजीपति तथा सरकारें रुपये के अवमूल्यन की मात्रा से सन्तुष्ट नहीं हुईं।

सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयत्नों के बावजूद आन्तरिक कीमत-स्तर में वृद्धि को नहीं रोकना जा सका। यद्यपि कीमतों के निर्देशक में 1966-67 में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 1965-66 में 15.2 प्रतिशत तथा उसके पूर्व दो वर्षों में प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1966-67 में खाद्यान्नों की कीमतें विशेष रूप से काफी अधिक बढ़ी, जिसका लोगों के जीवन-स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा।

सूखे के कारण कृषि-उत्पादन में कमी हो गयी, जिसका प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ा क्योंकि कच्चे माल की पूर्ति कम हो गयी। सन् 1965-66 की तुलना में सन् 1966-67 में यद्यपि राष्ट्रीय आय 3 प्रतिशत बढ़ी, किन्तु 1964-65 की तुलना में यह लगभग 6 प्रतिशत कम रही।

इस अवधि की एक विशेष घटना यह रही है कि सामान्य कीमत-वृद्धि और स्फीतिक दबाव के साथ कुछ उद्योगों, विशेष रूप से इन्जीनियरिंग, धातु-उत्पादन से सम्बन्धित तथा अन्य बहुत-से

आधारभूत उद्योगों में शिथिलता की प्रवृत्ति (recessionary trend) भी दिखाई पड़ी। इससे हमारी कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ गयी।

आयात की उदार नीति में न तो उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है और न ही आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन मिला है। उद्योगपतियों ने आयात लाइसेन्सों का प्रयोग अपने लाभ में वृद्धि के लिए किया है।

अवमूल्यन के तुरन्त बाद के वर्ष में अवमूल्यन के उद्देश्यों में हमें कुछ भी सफलता नहीं मिल पायी, जिसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि यह वर्ष असाधारण परिस्थितियों का वर्ष था जिसमें हमें प्राकृतिक तथा अन्य कारणों से अनेक सत्रों का सामना करना पड़ा। बाद के वर्षों में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। निर्यातों में वृद्धि हुई है तथा उत्पादन बढ़ा है। परन्तु कुल मिलाकर, देश में एक अनिश्चितता का वातावरण रहा है। नियोजित विकास के कार्यक्रमों को स्थगित कर देना पड़ा है और देश में आर्थिक नियोजन का भविष्य सन्देहपूर्ण बन गया है। वर्तमान परिस्थितियों में, जून 1966 में उठाये गये कदम के दौरे निकालने में कोई प्रयोजन मिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको अब आसानी से बदलना सम्भव नहीं है। हाँ, हमें भविष्य के लिए सतर्क रहना है कि ऐसी परिस्थितियाँ फिर उत्पन्न न हों कि सरकार रुपये का मूल्य और अधिक गिराने के लिए विवश हो जाय।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है ? सितम्बर 1949 में किन कारणों से भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ ?
[सन्नेत अवमूल्यन का अर्थ समझाइए। दूसरे भाग में 1949 में रुपये के अवमूल्यन के कारणों की विस्तार-पूर्वक व्याख्या कीजिए।]
- 2 सितम्बर 1949 में किये गये रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
[सन्नेत 1949 के अवमूल्यन के कारणों तथा अच्छे व बुरे प्रभावों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए।]
- 3 जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया ? इसके प्रमुख अपेक्षित लाभ क्या थे ?
[सन्नेत प्रथम भाग में जून 1966 के अवमूल्यन के कारण बताइए। दूसरे भाग में इनके पक्ष में दिये गये तर्कों की विवेचना कीजिए।]
- 4 जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन करना कहां तक ठीक था ? इसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
[सन्नेत अवमूल्यन के पक्ष तथा विपक्ष में दिये गये तर्कों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है। वास्तव में, इसने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल पायी है।]

भारत में बैंकिंग का विकास एवं समस्याएँ

[GROWTH AND PROBLEMS OF BANKING IN INDIA]

भारतीय इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ईसा से 2000 से 1400 वर्ष पूर्व के काल में भारत में ऋणों के लेन-देन का कार्य प्रचलित था। बौद्धकालीन इतिहास में 'श्रेष्ठी' वर्ग का विवरण मिलता है। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व यह वर्ग व्यापारियों तथा राजाओं को उनकी व्यक्तिगत अथवा चल व अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देने का कार्य करता था। मुगलमानों के शासन-काल में भारत में महाजन, माहूकार तथा मराफ बहुत बड़ी माना में ऋणों का लेन-देन करते थे। इनमें से कुछ तो इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें 'जगत सेठ' की उपाधि दी गयी। ब्रिटिश शासन-काल में देशी बैंकरो के पतन का क्रम आरम्भ हुआ और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास होने लगा। भारत में प्राचीन बैंकिंग व्यवस्था अभी तक पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। अब भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दो अंग हैं (1) प्राचीन अथवा असंगठित अंग, जिसमें महाजन व देशी बैंकर आते हैं, तथा (2) आधुनिक अथवा संगठित अंग, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, व्यापारिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ हैं।

आधुनिक बैंकिंग का आरम्भ

17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में 'एजेंसी गृहों' (Agency Houses) की स्थापना हुई। इन्हीं एजेंसी गृहों की स्थापना से भारत में आधुनिक बैंकिंग का इतिहास आरम्भ होता है। ये एक प्रकार की व्यापारिक फर्म थी जो व्यापार के साथ बैंकिंग का कार्य भी करती थी। इनके पास अपनी पूंजी नहीं होती थी अतः जमा धन से ही ऋण दिये जाते थे। ये विनिमय-पत्रों का लेन-देन भी करते थे। आगे चलकर कम्पनी के बैंकर के रूप में भी ये कार्य करने लगे।

सन् 1770 में एलेक्जेंडर एण्ड क० नाम के एजेंसी गृह ने भारत में आधुनिक ढंग का सबसे पहला बैंक 'दी बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' स्थापित किया। किन्तु 1832 में एलेक्जेंडर एण्ड क० के फेल हो जाने पर यह बैंक भी बन्द हो गया। सन् 1785 में स्थापित दो अन्य बैंक 'बंगाल बैंक' तथा 'दी जनरल बैंक ऑफ इण्डिया' भी कुछ वर्ष कार्य करने के बाद समाप्त हो गये। सन् 1770 से 1870 के बीच देश में 39 बैंक स्थापित हुए, किन्तु इनमें से अधिकतर डूब गये। इन बैंकों ने इतना अवश्य किया कि देश में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की नींव डाली।

भारत में आधुनिक बैंकिंग के विकास का दूसरा युग प्रेसीडेन्सी बैंको की स्थापना में आरम्भ हुआ। सन् 1806 में 'बैंक ऑफ कलकत्ता' की स्थापना हुई, जिसे 1809 में 'बैंक ऑफ बंगाल' की सत्ता दी गयी। सन् 1840 में 'बैंक ऑफ बम्बई' तथा सन् 1843 में 'बैंक ऑफ मद्रास' की स्थापना हुई। इन तीनों बैंको के शेपर्स खरीद कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इन्हें पूंजी प्रदान की थी। सन् 1862 तक इन बैंको को पत्र-मुद्रा निकालने का अधिकार था। इन बैंको के कार्य में अनेक दोष होते हुए भी इनका

भारतीय बैंकिंग के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। सन् 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर 'इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना की गयी। 1 जुलाई, 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' में बदल दिया गया।

सन् 1860 में सीमित दायित्व (limited liability) के आधार पर मिश्रित पूंजी वाले बैंक (Joint-stock Banks) स्थापित करने का कानून पास किया गया था। इसके बाद इन व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारिक बैंक स्थापित किये जाने लगे जिनकी सख्या सन् 1874 तक 14 हो गयी। ये सब बैंक यूरोपीय लोगो द्वारा स्थापित किये गये थे। सबसे पहला भारतीय बैंक 'अवध कॉमर्सियल बैंक' था जिसकी स्थापना 1881 में हुई। भारतीयों के प्रयास से ही 1894 में 'पंजाब नेशनल बैंक' तथा 1901 में 'पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना हुई। किन्तु 'इलाहाबाद बैंक' (1865) तथा 'पंजाब नेशनल बैंक' को छोड़कर अन्य सभी बैंक डूब गये।

सन् 1906 के स्वदेशी आन्दोलन से भारतीय बैंकों की स्थापना को बल मिला। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक कई बड़े बैंकों की स्थापना हुई। भारत के प्रमुख बड़े बैंक, जैसे 'बैंक ऑफ इण्डिया', 'सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया', 'बैंक ऑफ बड़ोदा', 'बैंक ऑफ मैसूर' और 'इण्डियन बैंक ऑफ मद्रास' इसी काल में स्थापित हुए। सन् 1913 तक 5 लाख रुपये में अधिक पूंजी और संचित कोष वाले बैंकों की सख्या 9 से बढ़कर 18 हो गयी। इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे बैंकों की भी स्थापना हुई, जिनकी सख्या लगभग 500 हो गयी।

बैंकिंग सैकट का काल

सन् 1913 से बैंकों के सैकट के चिह्न दिखाई देने लगे। प्रथम विश्वयुद्ध काल में तो स्थिति अत्यधिक खराब हो गयी। सन् 1913 से 1917 के बीच कुल 87 बैंक फेल हुए और उनकी लगभग 175 लाख रुपये की चुकता पूंजी डूब गयी, जो उस समय के कुल बैंकों की चुकता पूंजी की लगभग आधी थी। इसमें बैंकिंग व्यवसाय के प्रति जनता में अविश्वास की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इस काल में बैंकों के फेल होने के प्रमुख कारण ये थे कि स्वदेशी आन्दोलन के भावनात्मक प्रभाव में बहुत-से ऐसे बैंक स्थापित हो गये जिनके पास न तो पर्याप्त साधन थे और न ही जिनके प्रबन्ध तथा संचालन की उचित व्यवस्था थी। अधिक जमा आकर्षित करने के लिए बैंक ऊँची दरों पर ब्याज देते थे। अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से एक ओर तो इन बैंकों को अपने साधन सट्टेबाजी जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने पड़ते थे और दूसरे नकद-कोष की मात्रा कम करनी पड़ती थी। परिणाम यह होता था कि आवश्यकता पड़ने पर जमाकर्ताओं की माँग के भुगतान करने के लिए बैंक दिये गये ऋणों को वापस नहीं ले पाते थे। इस काल में देश में न तो कोई केन्द्रीय बैंक था और न ही बैंकों में पारस्परिक सहयोग की भावना थी। जनता में भी बैंकिंग की भावना का अभाव था, इसलिए जरा-सी अप्वाह फेलने पर जमाकर्ता बैंक पर दौड़ (run on the bank) लगा देते थे और अपना धन वापस माँगने लगते थे। ऐसे सैकटग्रस्त बैंकों द्वारा माँग के भुगतान न कर पाने पर उनका फेल हो जाना निश्चित हो जाता था। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवसाय जनता के विश्वास पर निर्भर करता था और जिस किसी बैंक में जनता का विश्वास गिर गया वही फेल हो गया। इन प्रकार सन् 1913 में 1917 तक का काल बैंकिंग सैकट का काल था।

प्रथम महायुद्ध के बाद से द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ तक (1918-38)

सन् 1918 से बैंकों की दशा में कुछ सुधार होने लगा। युद्ध-काल में मुद्रा-प्रसार के कारण जनता के पास अधिक धन पहुँच जाने से बैंकों के पास जमा राशि बढ़ने लगी। पुराने बैंकों ने व्यापार का विस्तार किया और कई नये बैंकों की स्थापना हुई। सन् 1918 से 1921 तक के काल में देश में कुछ औद्योगिक बैंक भी खोले गये। सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी जो बैंकिंग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।

सन् 1921 में सरकार की मुद्रा-संकुचन की नीति से उत्पन्न व्यापारिक मन्दी के कारण

बैंकों पर फिर में मकड़ आ गया। मन् 1921 में 1924 के बीच बैंकों की जमा राशि 84 करोड़ रुपये में घटकर 55 करोड़ रुपये रह गई। परिणामस्वरूप, 447 बैंक जिनमें 8 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी, फेल हो गये।

मन् 1924 में म्युचुअल बैंक मुवार होने लगा और 1930 तक फेल होने वाले बैंकों की संख्या बहुत कम रही। मन् 1930 में आरम्भ हुई विश्वव्यापी मन्दी के कारण भारत में बैंकों के फेल होने का क्रम फिर से शुरू हो गया जो द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक चलता ही रहा। मन् 1922 से 1936 तक कुल 373 छोटे-बड़े बैंक फेल हुए थे और 1936 से 1940 तक और 372 बैंक फेल हो गये। मन् 1936 के बाद विद्येय रूप से दक्षिण भारत के बैंक अधिक संख्या में फेल हुए। केवल 1936 में ट्रावन्कोर में 30 बैंक फेल हुए थे।

महान् मन्दी के प्रारम्भ होने पर मन् 1930 में भारत सरकार ने केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (Central Banking Inquiry Committee) को नियुक्त किया था, जिनमें दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए—(1) देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना हो, तथा (2) एक व्यापक बैंकिंग कम्पनीज एक्ट बनाया जाय। देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में मन् 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। मन् 1936 में इण्डियन कम्पनीज एक्ट (1913) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्धित नियमों में संशोधन किये गये।

दो महायुद्धों के बीच के काल में यद्यपि बहुत-से बैंक फेल हो गये, किन्तु अनेक नये बैंकों की भी स्थापना हुई। चूंकि नये बैंक देश के सभी भागों में नहीं खोले गये, इसलिए बैंकिंग व्यवसाय का स्थानीकरण हुआ। जनता के निक्षेप (deposits) भी कुछ बड़े बैंकों के पास केन्द्रित हो गये। देश में बैंकिंग के अव्यवस्थित विकास के अनेक कारण थे, जैसे बैंकिंग व्यवसाय का इन्फ्लिमेंट व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होना, नये बैंकों के खोलने में इम्पीरियल बैंक तथा विनिमय बैंकों के अनुकरण की प्रवृत्ति, देशी गिद्यासता तथा छोटे नगरों में बैंक न खोलने की प्रवृत्ति, आर्थिक पहलुओं की जवहेलना की प्रवृत्ति, आदि।

द्वितीय महायुद्ध काल

मन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर भारतीय बैंकिंग को नया जीवन मिला। इस काल में मुद्रा-प्रसार के कारण ध्यापारियों व उद्योगपतियों के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। फलतः सभी बैंकों के निक्षेप बढ़ गये, जिसमें बैंकों को अपने व्यापार का विस्तार करने तथा अधिक साख्त का निर्माण करने का अवसर मिला। व्यापार तथा उद्योग में तेजी के कारण बैंक के ऋणों की मांग भी अधिक थी, जिससे बैंकों की आय बढ़ गयी। रिजर्व बैंक ने भी साख्त-विस्तार की उद्धार नीति अपनायी थी। इन सब कारणों से द्वितीय युद्धकाल में भारतीय बैंकों में आसातीत उन्नति की। इस काल में बैंकिंग विकास की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(1) युद्धकाल में, विद्येय रूप से मन् 1942 से 1946 के बीच, बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। मन् 1939 में इम्पीरियल बैंक सहित अनुसूचित (Scheduled) व विनिमय (Exchange) बैंकों की कुल संख्या 51 थी जो 1946 में 93 हो गयी। इस काल में स्थापित होने वाले बैंकों में यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक, हिन्दुस्तान मर्चण्टाइल बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, जोधपुर कॉमर्शियल बैंक तथा हबीब बैंक आदि प्रमुख थे।

(2) बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हुई। इस अवधि में अनुसूचित बैंकों के कुल कार्यालयों की संख्या 1328 से बढ़कर 3106 हो गयी। छोटे बैंकों को भी शाखा-विस्तार का यथोचित अवसर मिला।

(3) बैंकों को जमा राशि में वृद्धि हुई। युद्ध के प्रारम्भिक दो वर्षों में तो जनता ने बैंकों से 5.12 करोड़ रुपये निकाल लिये थे, परन्तु 1941 से बैंकों की जमा राशि बढ़ने लगी। भारत में बैंकों की कुल जमा राशि मन् 1939 में 249.45 करोड़ रुपये थी जो 1946 में बढ़कर 1,097 करोड़ रुपये हो गयी।

(4) व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा सरकार द्वारा बैंकों से ऋणों की माँग बढ़ जाने के कारण बैंकों की आय में वृद्धि हुई। इससे बैंक की स्थिति मजबूत हो गयी।

(5) बैंकों के नकद-कोष बढ़ गये। युद्ध के पहले अनुमूचित बैंकों के नकद कोष 11 प्रतिशत के लगभग थे जो युद्धकाल में 25 प्रतिशत हो गये।

(6) बैंकों की विनियोग नीति में परिवर्तन हुआ। युद्ध के पहले बैंक अपनी कुल जमा का 54% ऋण, नकद साख या विलों में लगाने थे। परन्तु 1946 में यह प्रतिशत घटकर केवल 32 ही रह गया। इसके विपरीत, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन 54 प्रतिशत में बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया।

इसमें सन्देह नहीं कि युद्धकाल में बैंक का विकास तेजी में हुआ, परन्तु यह विकास पूर्ण-तया दोष रहित नहीं था। बैंकों की स्थापना तथा विस्तार इस तेजी में हुए कि स्थान की उप-युक्तता, कोषा के प्रयोग, प्रबन्ध-व्यवस्था तथा हिमाव-विताव की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। अव्यवस्था छुपाने के लिए कुछ बैंकों ने तो लखों में हूर-फेर तथा अन्य अनुचित रीतियाँ भी अपनायी। सामान्य अविद्वानों तथा अव्यवस्था के कारण सन् 1939 से 1943 तक के 7 वर्षों में क्रमशः 117, 107, 94, 50, 59, 28 तथा 27 (कुल 482) बैंक फेल हुए, जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी लगभग 94 लाख रुपये थी। स्पष्ट है कि फेल होने वाले बैंक छोटे तथा दुर्बल बैंक ही थे।

बड़े तथा मजबूत बैंकों का विकास भी, बिना किसी पूर्व योजना के, असन्तुलित ढंग में हुआ। देश के सभी भागों में बैंकिंग सुविधाओं का समान विकास नहीं हुआ। नये बैंकों की स्थापना प्रायः देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा की गयी थी और उन्होंने बैंकों के जमा धन का अपन ही हित में प्रयोग किया। लाभ बढ़ जाने के कारण बैंक द्वारा अपने शेयर्स पर ऊँचे लाभांश घोषित किये गये जिससे बैंकों के शेयर्स में मद्देवाजी बढ़ गई। अधिक लाभांश देकर बैंक ने अपने सुरक्षित कोष बढ़ाने का स्वर्ण अवसर खो दिया। योग्य एवं कार्यकुशल कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अभाव के कारण बैंकों में कार्यकुशलता का स्तर भी नीचा रहा। अपने लाभ बढ़ाने के लिए बैंक अपने अनिश्चित धन को सट्टा कार्यों में लगाते रहे जिसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई विनियोग उपाय नहीं अपनाये।

युद्धोत्तर काल

युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था का अन्त होते ही व्यापार, आयात, निर्यात आदि अपने सामान्य रूप में आने लगे जिससे भारतीय बैंकों की सम्पत्ति एवं दायित्व राशियों में परिवर्तन आरम्भ हो गया। निक्षेप गिरने लगे तथा उनकी रचना में परिवर्तन होने लगा। परन्तु युद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद बैंकों के विकास में कोई बाधा नहीं आयी। सन् 1946 में एक छोटा सा सबूट आया, किन्तु इसका प्रभाव मुख्य रूप से बंगाल के बैंकों पर ही पड़ा था।

15 अगस्त, 1947 को देश स्वतन्त्र हुआ और इसके साथ ही देश का विभाजन हो गया। इसका देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान को जाने वाले क्षेत्रों में स्थित बैंकों को काफी अधिक हानि हुई। कई बैंकों ने पाकिस्तान स्थित शाखाओं को बन्द कर दिया और शरणार्थी जनसंख्या की भाँति भारत में शरण ली। पाकिस्तान स्थित शाखाओं को अपना धन वहीं छोड़ जाना पड़ा तथा उनके ऋणों की वसूली न हुई। सबसे अधिक हानि पंजाब नेशनल बैंक को उठानी पड़ी थी। इन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक एकटौती धारा 17 में सञ्चयन कर पैर-अनुमूचित बैंकों को भी उचित प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गयी। पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली बैंकिंग अध्यादेश (Ordinance), 1947 के अन्तर्गत पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली में स्थित प्रधान कार्यालय वाले बैंकों के विरुद्ध तीन माह तक कोई भी वानुनी कार्यवाही करने की मनाही कर दी गयी। सकल प्रस्त बैंकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की सहायता देने की भी व्यवस्था की गयी। सरकार तथा रिजर्व बैंक के सहयोग से कई बैंक फेल होने से बच गये। 1947 से 1951 तक प्रति वर्ष फेल होने वाले बैंकों की संख्या क्रमशः 37, 45, 53, 45 तथा 62 थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं जिनके फलस्वरूप बैंको की कार्य-प्रणाली में सुधार हुआ है, मुद्रा-बाजार अधिक सगठित हो गया है तथा 'स्थिरता एवं विकास' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंको पर सरकार तथा रिजर्व बैंक का नियन्त्रण बड़ा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने में आयी हैं

(1) बैंको के राष्ट्रीयकरण की ओर झुकाव—रिजर्व बैंक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तथा बैंकिंग व्यवस्था को सगठित करने के लिए 1 जनवरी, 1949 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की नीति में समानता लाना था, ताकि रिजर्व बैंक देश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के कार्य में पहले से अधिक सहयोग दे सके।

देश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसे एक नये आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नाम में पुनः सगठित किया गया। बाद में देशी राज्यों के 8 बैंको को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का सहायक (subsidiary) बना दिया गया जिससे ये भी सरकार के स्वामित्व में आ गये।

देश में व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीयकरण की माँग पिछले कुछ वर्षों से की जा रही थी। जुलाई 1969 में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वित्त मन्त्रालय अपने हाथ में लेने के तीन दिन बाद ही देश के 14 प्रमुख बैंको के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। इसका अध्ययन आगे अलग से किया गया है।

(2) बैंकिंग कम्पनी कानून, 1949—स्वतन्त्रता से पूर्व बैंको के समुचित नियन्त्रण तथा नियमन के लिए कोई अलग कानून नहीं था। 16 मार्च, 1949 से देश में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट लागू किया गया जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण करने के विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। इस कानून में बैंको के कार्यों, सगठन, पूँजी, शाखा-विस्तार, ऋण-नीति, हिमाव-किताब, लाभांश वितरण आदि से सम्बन्धित व्यापक नियम बनाये गये हैं। इस कानून में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाते रहे हैं। सितम्बर 1965 में इसे बैंकिंग नियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) की संज्ञा दी गयी। 1968 में किये गये संशोधन का उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय पर सामाजिक नियन्त्रण (social control) लागू करना था।

(3) बैंको का एकीकरण—गत वर्षों में सरकार तथा रिजर्व बैंक ने कमजोर व छोटे बैंको के एकीकरण तथा विलीनीकरण (amalgamation) की ओर विशेष ध्यान दिया है। सन् 1950 में बंगाल के चार बैंको को मिलाकर एक नये बैंक 'दी यूनिटन बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना की गयी थी। सन् 1951 में भारत बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना करते समय दस देशी रियासतों के बैंको को भी इसमें मिला देने का सुझाव दिया गया था, परन्तु इस पर अमल नहीं किया जा सका। सन् 1960 में रिजर्व बैंक को कमजोर बैंको का अनिवार्य रूप से विलीनीकरण करने की शक्ति प्रदान की गयी। 1960 से 1968 तक आठ वर्षों की अवधि में 204 बैंको का अन्य बैंको के साथ विलीनीकरण किया गया है।

(4) बैंकिंग शिक्षा की व्यवस्था—बैंको के सफल संचालन के लिए बैंको के कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य में रिजर्व बैंक ने 1954 में एक स्टाफ ट्रेनिंग कालेज बम्बई में स्थापित किया था। प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की माँग को पूरा करने के लिए 1963 में मद्रास में दूसरा कालेज खोला गया। तीसरे कालेज के भवन का शिलान्यास रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा मई 1967 में पूना में किया गया। ये कालेज व्यापारिक तथा सहकारी बैंको के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को बैंकिंग की उच्च शिक्षा देते हैं।

(5) जमा बीमा योजना—जमाकर्ताओं की सुरक्षा तथा बैंको में जनता का विश्वास जमाने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 से जमा बीमा निगम की स्थापना की गयी है। यह निगम बैंको

के पास जनता की जमा का बीमा करता है जिससे बैंक के फेल हो जाने पर भी जमाकर्ता को हानि नहीं होती है।

(6) व्यापार का विस्तार—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में व्यापारिक बैंको के व्यापार का विस्तार हुआ है। बैंकिंग व्यवसाय में सुदृढता (consolidation) लाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मार्च 1951 में अनुसूचित व्यापारिक बैंको की संख्या 93 थी जो मार्च 1967 में घटकर केवल 73 ही रह गयी। 1970-71 के अन्त में भी यह संख्या 73 ही थी। भारत में गैर-अनुसूचित बैंको की संख्या मार्च 1956 में 378 थी। मार्च 1961 तक यह संख्या 256 रह गयी। दिसम्बर 1970 में इस प्रकार के केवल 12 बैंक ही कार्य कर रहे थे। अनुसूचित बैंको की संख्या कम हुई है, परन्तु इनकी शाखाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। मार्च 1961 में 89 अनुसूचित व्यापारिक बैंको के कुल 4166 कार्यालय थे। सन् 1970 तक बैंको की संख्या तो 73 हो गयी, परन्तु इनके कार्यालयों की संख्या 11,040 थी। अनुसूचित व गैर-अनुसूचित व्यापारिक बैंक मिलाकर दिसम्बर 1970 में भारत में कुल 11,184 बैंकिंग कार्यालय थे। इस प्रकार प्रति 52,000 में भी कम जनसंख्या के लिए एक व्यापारिक बैंक कार्यालय उपलब्ध था। कार्यालयों के विस्तार के साथ साथ बैंको की जमा व साख दोनों में वृद्धि हुई है। मार्च 1951 से मार्च 1971 के बीच अनुसूचित व्यापारिक बैंको की कुल जमा 880 61 करोड़ रुपये से बढ़कर 5893 42 करोड़ रुपये हो गयी है। इस प्रकार यह राशि 20 वर्षों में छह गुनी से भी अधिक हो गयी है। इसी अवधि में इन बैंको द्वारा दी गयी साख की मात्रा भी 546 93 करोड़ से बढ़कर 4649 28 करोड़ रुपये हो गयी है।

(7) उपेक्षित वर्गों के लिए साख-सुविधाएँ—गत वर्षों में सरकार तथा रिजर्व बैंक इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि बैंको द्वारा उचित व्याज पर उन व्यक्तियों तथा व्यवसायियों को भी साख प्रदान की जाय जो आवश्यक उत्पादक कार्यों में लगे हुए हैं परन्तु उनके निजी साधन कम हैं। इसी नीति के अन्तर्गत छोटे किसानों, कारखानेदारों, परिवहन परिचालकों तथा छोटे व्यापारियों आदि को ऋण दिलाने के लिए बैंको को अनेक प्रकार की सुविधाएँ और छूटें दी गयी हैं। छोटे साधनों वाले व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की गारण्टी के लिए जनवरी 1971 में भारतीय साख गारण्टी निगम (Credit Guarantee Corporation of India Limited) की स्थापना की गयी है। इस निगम द्वारा निर्धारित छोटे ऋणों से सम्बन्धित गारण्टी योजना अप्रैल 1971 से लागू हुई है। इसके पूर्व, जुलाई 1960 से रिजर्व बैंक का औद्योगिक वित्त विभाग छोटे उद्योगों को दिये गये ऋणों की गारण्टी देता रहा है। प्रमुख बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि तथा छोटे उद्योगों आदि को बैंको से प्राप्त होने वाली साख की मात्रा में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विकसित हुई है तथा इसमें सुदृढता आयी है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक निरन्तर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि देश के आर्थिक विकास के कार्य में बैंको से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही 14 प्रमुख व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

जमा बीमा निगम

किसी बैंक के फेल हो जाने की स्थिति में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जमा बीमा व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। भारत में इस आवश्यकता का समर्थन सर्वप्रथम ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (1950) द्वारा किया गया था। बाद में 1954 में थ्रॉफ समिति (Committee on Finance for Private Sector) ने भी अमेरिकी पद्धति के अनुरूप भारत में जमा बीमा व्यवस्था थारम्भ करने की सिफारिश की थी। सन् 1960 में लक्ष्मी बैंक तथा पलाई सेण्ट्रल बैंक के फेल हो जाने के कारण इस व्यवस्था को लागू करने की मांग और तीव्र हो गयी। सन् 1961 में पास किये गये कानून के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1962 से जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation) की स्थापना की गयी।

जमा बीमा निगम का उद्देश्य छोटे तथा मध्यम वर्ग के जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करना है। 31 दिसम्बर, 1967 तक निगम एक जमाकर्ता के एक बीमित बैंक में एक खाते की 1500 रुपये तक की जमा का बीमा करता था, किन्तु 1 जनवरी, 1968 से यह सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गयी। 1 अप्रैल, 1970 में यह सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी है। इस प्रकार, किसी बैंक के फंड हो जाने पर प्रत्येक जमाकर्ता को 10,000 रुपये तक की जमा सुरक्षित रहती है। प्रत्येक बैंक को प्रति 100 रुपये की जमा के लिए 5 पैसे वार्षिक के हिसाब से प्रीमियम अदा करना पड़ता है। निगम की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये है जो सब की सब रिजर्व बैंक द्वारा लगायी गयी है। आवश्यकता पड़ने पर निगम रिजर्व बैंक से 5 करोड़ रुपये तक के ऋण भी ले सकता है। निगम का प्रबन्ध 5 सदस्यों वाले एक संचालक-मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें रिजर्व बैंक का गवर्नर अध्यक्ष होता है।

सितम्बर 1970 के अन्त में बीमित बैंकों (insured banks) की संख्या 83 थी। यह संख्या एक वर्ष पूर्व 86 थी और 1966 तथा 1967 के अन्त में क्रमशः 103 और 285 थी। बीमित बैंकों की संख्या में कमी का कारण बैंकों के एकीकरण तथा विलयन द्वारा बैंकों की संख्या में बराबर कमी होते रहना है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को बीमित बैंकों के रूप में अपनी स्थिति बनाये रखन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

सितम्बर 1967 के अन्तिम शुक्रवार को बीमाकृत बैंकों के पास जमा खाता की संख्या 155 26 लाख थी जिनमें से 118 67 लाख खातों (जिनमें वकाया राशि 1,500 रुपये से अधिक नहीं थी) अर्थात् 76 4 प्रतिशत खातों का निगम के पास बीमा हो चुका था। 1 जनवरी, 1968 से बीमा की सीमा 5,000 रुपये कर देने से 91 प्रतिशत खाते सुरक्षित हो गये। अप्रैल 1970 में बीमा की सीमा 10,000 रुपये कर देने के बाद सितम्बर 1970 के अन्त में बीमाकृत बैंकों के कुल 240 39 लाख खातों में से 231 65 लाख खातों (अर्थात् 96 4 प्रतिशत) का निगम के पास बीमा हो चुका था। बीमाकृत जमा को कुल राशि 3,367 28 करोड़ रुपये थी।

जमा बीमा निगम के कार्य की विनोद रूप से बड़े बैंकों में बहुत आलोचना की है। उनका कहना है कि बड़े एवं दृढ़ बैंकों तथा दुर्बल बैंकों के बीच जमाकर्ताओं के लिए भेद समाप्त हो जाता है जिसका बड़े बैंकों की जमाओं पर प्रभाव पड़ता है। इससे लोगो में बड़ी जमाएँ एक ही खाते तथा एक ही बैंक में न रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। निगम द्वारा प्रीमियम बैंक की कुल जमा राशि पर लिया जाता है, न कि बीमा किये गये अंश पर। इसके फलस्वरूप अधिक जमा वाले बैंकों पर भार अधिक पड़ता है। परन्तु वास्तव में, ये सब तर्क निराधार हैं तथा दृढ़ बैंकों के प्रति अन्याय की बात भ्रामक है। जमा बीमा से लोगो का बैंकों में विश्वास बढ़ता है और इनमें निदचय ही बड़े बैंकों को अधिक लाभ होना है। जमा बीमा व्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था में दृढ़ता आयी है जिससे बैंकिंग की आदत तथा बैंकों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोष

इसमें सन्देह नहीं कि गत वर्षों में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का काफी विकास हुआ है, परन्तु इतना होने पर भी यह दोषों से रहित नहीं है। इन दोषों के कारण ही देश के आर्थिक विकास में अब तक बैंकों का पर्याप्त महयोग नहीं मिल पाया है। भारतीय बैंकिंग के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं

(1) अपर्याप्त बैंकिंग विकास—भारत के आकार, जनसंख्या तथा वार्षिक विकास के माय-माय बैंकिंग सम्बन्धी बड़ी हुई आवश्यकताओं को देखते हुए अभी तक देश में बैंकिंग का जितना विकास हुआ है उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात छोड़िए, अप्रैल 1969 में देश में 617 कस्बे तथा नगर एंसे थे जिनमें किसी भी व्यापारिक बैंक का कोई कार्यालय नहीं था। इनमें से 136 कस्बे 10,000 से अधिक आबादी वाले थे और बाकी के 481 कस्बे 5,000 से 10,000 आबादी वाले थे। बैंकिंग सुविधाओं से रहित 617 कस्बों में से 173 में सहकारी बैंक थे। यदि इनको निचाल दिया जाय तो भी देश में 444 कस्बे ऐसे थे जिनमें किसी

भी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी¹ यह बहना गलत नहीं होगा कि भारतीय बैंको का वर्तमान विकास असमान एवं असन्तुलित है क्योंकि बैंको की नयी शाखाएँ अधिकांशतः उन्हीं बड़े-बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्रों में खोली गयी हैं जहाँ पहले ही बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त रूप में उपलब्ध थी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों को अभी तक पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पायी हैं।

(2) उद्योगपतियों का प्रभाव—भारत के अधिकांश मिश्रित पूंजी वाले बैंको पर देश के बड़े-बड़े उद्योगपति छाये रहे हैं। वास्तव में, प्रमुख बैंको के राष्ट्रीयकरण के पूर्व विभिन्न बैंको के साथ बड़े व्यवसायी गृहों के नाम जुड़े हुए थे, जैसे बिडला का बैंक, टाटा का बैंक आदि। एकाधिकार आयोग रिपोर्ट, औद्योगिक लाइसेंसिंग रिपोर्ट तथा दत्त समिति की रिपोर्ट में बड़े व्यापारियों तथा बैंको की पारस्परिक निर्भरता का उल्लेख किया गया है। परिणामस्वरूप, बैंको द्वारा साख का अधिकांश भाग उन उद्योगों के लिए दिया जाता रहा है जिनमें उनके डायरेक्टरों के स्वार्थ निहित होते थे। मार्च 1951 में बैंको द्वारा दी गयी साख में उद्योगों का हिस्सा 34 प्रतिशत था, जो बढ़ते-बढ़ते मार्च 1967 में 64.3 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, सरकार तथा रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रयासों तथा अनुरोधों के बावजूद कृषि तथा लघु उद्योगों के बैंक-ऋण में हिस्से में वृद्धि नहीं हो पायी। कृषि का हिस्सा मार्च 1951 में 2.1 प्रतिशत था जो मार्च 1967 में भी उतना ही रहा।

(3) बैंको की कार्यशील पूंजी की कमी—अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय बैंको की कार्यशील पूंजी बहुत कम है। विरोध रूप से गैर-अनुसूचित बैंक बहुत कमजोर तथा छोटे हैं जिनका बैंकिंग व्यवस्था में कोई महत्व नहीं है। सन् 1969-70 के अन्त में भारत में केवल 86 ऐसे बैंक थे जिनकी श्रुक्ता पूंजी 5 लाख रुपये से अधिक थी। भारतीय बैंको की दुर्बलता का प्रमुख कारण उनके निक्षेपों का कम होना है। भारतीय बैंको के निक्षेपों की हीन स्थिति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय आँकड़ों (International Financial Statistics) के आधार पर सन् 1965 में भारतीय बैंको के प्रति व्यक्ति निक्षेप केवल 68 रुपये थे जबकि लका तथा पाकिस्तान में भी प्रति व्यक्ति निक्षेप क्रमशः 142 तथा 130 रुपये थे। विकसित देशों से तो तुलना की ही नहीं जा सकती। अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा जापान में प्रति व्यक्ति निक्षेप क्रमशः 10,700, 4,200 तथा 4,050 रुपये थे।

(4) दोषपूर्ण बैंकिंग प्रणाली—भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित बैंक अधिकांशतः व्यापारिक बैंक ही हैं। औद्योगिक, कृषि, सेविंग्स तथा विदेशी विनिमय आदि के लिए विशिष्ट बैंको (specialised banks) का देश में लगभग पूर्ण अभाव है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का यह एक बड़ा दोष है। भारतीय बैंको की कार्य-पद्धति में समानता का भी अभाव है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था मुख्य रूप से दो भागों—संगठित (organised) क्षेत्र तथा असंगठित (un-organised) क्षेत्र—में बँटी हुई है। इन दोनों भागों के बीच किसी भी प्रकार का सम्पर्क अथवा सम्बन्ध नहीं है। संगठित क्षेत्र में भी बैंक अनेक प्रकार के हैं। कुछ बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और कुछ निजी क्षेत्र में। इनके साथ-साथ विदेशी बैंक हैं और सहकारी बैंक भी। परिणामस्वरूप, भारतीय बैंको की ऋण, विनियोग अथवा निक्षेप नीति में एकता लायी जा सकी है। प्रायः देखा गया है कि भारतीय बैंको की ऋण सम्बन्धी नीति विमुद्द बैंकिंग सिद्धान्तों पर आधारित नहीं होती। अपर्याप्त जमानत पर ऐसी ऋणियों तथा सस्याओं को ऋण दिये जाते हैं जिनमें बैंको के डायरेक्टरों अथवा प्रबन्धकों के स्वार्थ निहित होते हैं। अचल सम्पत्ति के आधार पर भी ऋण दिये जाते हैं।

(5) अपर्याप्त सुविधाएँ—देश में विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न व्यवसायों के लिए बैंकिंग सुविधाओं के असमान तथा असन्तुलित वितरण के अतिरिक्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष यह भी है कि अनेक बैंकिंग सुविधाएँ अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जाती हैं। रिजर्व बैंक के भरमक प्रयत्नों के बावजूद भी देश में अभी तक विल बाजार का समुचित विकास नहीं हो

पाया है। भारतीय बैंको द्वारा व्यक्तिगत ऋणों, किस्त ऋणों तथा धन-प्रेषण सुविधा (remittance facility) जैसी अन्य सेवाओं के प्रदान करने में विशेष रुचि नहीं दिखायी गयी है जबकि विकसित देशों में ये सुविधाएँ बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। भारतीय बैंकों की कार्यकुशलता का स्तर भी बहुत नीचा है जिसका मुख्य कारण कुशल, योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का अभाव है। बैंकों के डायरेक्टरों तथा प्रबन्धकों को प्रायः बैंकिंग व्यवसाय सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान भी नहीं होता है। फलतः बैंकों में अनेक प्रकार की अनियमितताएँ चानू रहती हैं।

(6) रिजर्व बैंक का अपूर्ण नियन्त्रण—देश की बैंकिंग व्यवस्था के उचित नियमन के लिए रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिये गये हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप में न तो रिजर्व बैंक अपनी शक्ति का कठोरता में प्रयोग करता है और न ही इसके आदेशों का पूरी तरह से पालन हो पाता है। बड़े बैंकों के पास निजी साधन अधिक होने के कारण रिजर्व बैंक की सख्त-नियन्त्रण नीति भी सफल नहीं हो पाती है। रिजर्व बैंक के निरीक्षणों के सम्बन्ध में भी समय-समय पर धाशकाएँ प्रकट की गयी हैं।

उपर्युक्त समस्याओं के कारण ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव दिये जाते रहे हैं। सन् 1968 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (social control) तथा जुलाई 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार की भावना से प्रेरित होकर ही किये गये हैं। हम चाहते यह है कि देश के आर्थिक विकास के कार्य में बैंक अधिक से अधिक सहयोग दें तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में कार्य करें।

बैंकिंग कमीशन, 1969

14 दिसम्बर, 1967 को श्री मोरारजी देसाई, तत्कालीन उप-प्रधान मन्त्री एवं वित्त मन्त्री, ने लोकसभा में घोषणा की थी कि बैंकिंग के विकास से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन के लिए एक बैंकिंग कमीशन नियुक्त किया जायगा। 29 जनवरी, 1969 को भारत सरकार ने श्री आर० जी० सरैया (R G Saraiya) की अध्यक्षता में बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके तीन और सदस्य हैं—श्री एन० रामानन्द राव (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मैनेजिंग डायरेक्टर), प्रो० भावातोष दत्त (अर्थशास्त्री) तथा श्री वी० जी० पट्टारकर (रिजर्व बैंक के प्रमुख सलाहकार)। कमीशन को निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के लिये कहा गया है

(1) व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली के आकार, फँलाव तथा कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित वर्तमान ढाँचे का अध्ययन करना और उसमें सुधार के उपाय सुझाना,

(2) व्यापारिक बैंकों के भौगोलिक तथा कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्र के विस्तार के लिए सुझाव देना,

(3) बैंकों की कार्य प्रणाली तथा प्रबन्ध में सुधार के लिए सुझाव देना,

(4) बैंकों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी लागत तथा पूँजी के ढाँचे की जाँच करना तथा उनको उपलब्ध अधिशेष तथा कोषों (surplus and reserves) की समीक्षा करना और प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर सिफारिशें देना,

(5) बैंकों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा इस प्रकार के अन्य विषयों से सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना तथा सुझाव देना,

(6) सहकारी बैंकों के कार्य का अध्ययन करना और बैंकिंग के विस्तार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के समन्वित विकास के लिए सुझाव देना,

(7) गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों (non banking financial intermediaries) के विभिन्न वर्गों के कार्य की समीक्षा करना, उनके ढाँचे तथा कार्य विधि की जाँच करना तथा उनके नियमित विकास के उपाय सुझाना,

(8) देशी बैंकरो (indigenous banking agencies) के विभिन्न वर्गों के कार्य की

समीक्षा करना, मुद्रा-बाजार में उनके महत्व की जाँच करना तथा अध्ययन से प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर निष्कारिमें देना,

(9) व्यापारिक व सहकारी बैंकों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना, तथा

(10) जाँच से सम्बन्धित किसी अन्य विषय पर जिसे कमीशन महत्वपूर्ण नमने अथवा जिसे सरकार कमीशन के विचारार्थ रखे, सुझाव देना ।

कमीशन की पहली मीटिंग 7 मार्च, 1969 को नई दिल्ली में हुई जिसमें श्री जार० जी० नरैया ने यह विश्वास दिलाया कि कमीशन के सुझावों का उद्देश्य देश में वित्तीय संस्थाओं की सामाजिक तथा आर्थिक सध्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माधम बनाना होगा । बाधा थी कि कमीशन सन् 1970 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगा, परन्तु कमीशन को जाँच के लिए दिये गये विषयों की व्यापकता और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए कमीशन ने रिपोर्टें देने के लिए और अधिक समय की मांग की है । जाना है कि कमीशन की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर सरकार बैंकों के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगी ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. भारत में बैंकिंग के विकास पर संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।

[संकेत : 17वीं शताब्दी में एनेन्की पृष्ठी की स्थापना से लेकर 1969 में बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण तक बैंकिंग के विकास की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए । बैंकिंग विकास की वर्तमान प्रवृत्तियों का भी उल्लेख कीजिए ।]

2. सन् 1947 के बाद भारतीय बैंकिंग की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना करिए और वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था के दोषों का वर्णन करिए ।

[संकेत : प्रश्न भाग में वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए और यह बताइए कि बैंकों का विस्तार हुआ है, उनमें सुन्नता आयी है तथा उनकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ है । उन पर नरदार तथा रिजर्व बैंक का नियन्त्रण भी बताइए । हमारे भाग में वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोषों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए ।]

3. क्या आप सोचते हैं कि भारतीय बैंकिंग का विकास अनियोजित तथा अनियमित रूप से हुआ है ? बैंकिंग कमीशन, 1969 की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गयी है ?

[संकेत : भारतीय बैंकिंग के इतिहास के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि भारत में समय-समय पर राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन बैंकिंग के विकास को प्रभावित करते रहे हैं । उनका विकास नियोजित तथा नियन्त्रित रूप से नहीं हो पाया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार तथा रिजर्व बैंक का बैंकों पर नियन्त्रण बना है परन्तु अब तक इसके बहुत अधिक प्रभावपूर्ण न होने के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनेक दोष रहे हैं । हमारे भाग में बैंकिंग कमीशन को विचारार्थ दिये गये विषयों (Terms of Reference) का उल्लेख कीजिए ।]

4. भारतीय जमा बीमा नियम पर टिप्पणी लिखिए ।

[संकेत : जमा बीमा नियम के उद्देश्य, धूर्तों व सचयन तथा कार्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।]

भारतीय बैंकिंग विधान— सामाजिक नियन्त्रण तथा राष्ट्रीयकरण

[INDIAN BANKING LEGISLATION—
SOCIAL CONTROL AND NATIONALISATION]

वर्तमान युग में प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था में बैंको का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंक एक ओर तो जमा के रूप में लोगों से धन प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर व्यापार एवं उद्योग के विकास के लिए साख की व्यवस्था करते हैं। बैंको की चालू पूंजी का अधिकांश भाग अग्राधारियों का न होकर जमावर्तीया का होता है, जबकि बैंक की प्रबन्ध-व्यवस्था अल्पसंख्यक अग्राधारियों के अधिकार में होती है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंको की क्रियाओं पर वैधानिक नियन्त्रण होना आवश्यक हो जाता है। इससे अतिरिक्त, सभी देशों में साख मुद्रा के प्रयोग में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि बैंको की ऋण-नीति अथवा माघनों के उपयोग पर नियन्त्रण रखना बहुत आवश्यक हो गया है।

सन् 1949 के पूर्व

सन् 1913 के इण्डियन कम्पनीज एक्ट (Indian Companies Act, 1913) में अन्य कम्पनियों के अतिरिक्त बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में भी कुछ नियम बनाये गये थे, परन्तु उनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित था। सन् 1913-14 के बैंकिंग संकट-काल में जब अनेक बैंक फेल हो गये तो एक व्यापक बैंकिंग विधान की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। सन् 1929 में नियुक्त की गयी केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने सन् 1931 में पेश की गयी अपनी रिपोर्ट में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया तथा इस बात पर जोर दिया कि बैंको के सगठन, संचालन, अन्वेषण, निरीक्षण आदि विविध पहलुओं पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए वैधानिक नियमों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में समिति ने कुछ सुझाव भी दिये जिन्हें ध्यान में रखकर सरकार ने सन् 1936 में 1913 के इण्डियन कम्पनीज एक्ट में संशोधन कर बैंकिंग सम्बन्धी कुछ धाराएँ जोड़ दीं। परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि यह वैधानिक व्यवस्था देश की बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने के लिए अपर्याप्त थी। आने वाले वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा एक पूर्णकाल एव स्वतन्त्र बैंकिंग विधान की माँग की जाने लगी।

सन् 1939 में रिजर्व बैंक ने स्वतन्त्र बैंकिंग विधान लागू करने के लिए एक बैंकिंग विधेयक (Bill) का मसौदा सरकार के सामने प्रस्तुत किया। परन्तु द्वितीय महा-युद्ध छिड़ जाने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। युद्धकाल में सन् 1942 तथा 1944 में कम्पनीज एक्ट में संशोधन करके कुछ नये नियम जोड़ दिये गये। सन् 1939 के बैंकिंग विधेयक में कुछ परिवर्तन करके रिजर्व बैंक ने इसे पुनः सरकार के सामने रखा, जिसे नवम्बर 1944 में भारतीय व्यवस्थापिका सभा के सामने प्रस्तुत

किया गया। व्यवस्थापिका सभा ने इसे प्रवर समिति (Select Committee) को सौंप दिया। परन्तु व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन 1 अक्टूबर, 1945 से आगे न बढ़ सकने के कारण यह विधेयक कानून न बन सका। सन् 1946 में पुनः एक नया बैंकिंग कम्पनी विधेयक प्रस्तुत किया गया और यह भी प्रवर समिति को विचार करने के लिए सौंप दिया गया। प्रवर समिति ने इन पर विचार करने में काफी समय ले लिया और इसमें इतने अधिक संशोधन करने का सुभाव दिया कि उसे बिलकुल नये सिरे से तैयार करना पड़ा। इसी बीच देश में बैंकों ने तेजी में शाखा-विस्तार करना शुरू कर दिया था। अवांछित शाखा-विस्तार रोकने के लिए 1946 में बैंकिंग कम्पनी शाखा निरोधक अधिनियम (Banking Companies Restriction of Branches Act, 1946) पास किया गया। उसी वर्ष बैंकिंग कम्पनी (निरीक्षण) अध्यादेश [Banking Companies (Inspection) Ordinance, 1946] पास किया गया तथा सन् 1948 में बैंकिंग कम्पनी (नियन्त्रण) अध्यादेश [Banking Companies (Control) Ordinance, 1948] पारित हुआ।

सन् 1949 का बैंकिंग अधिनियम

मार्च 1948 में विधान-निर्मात्री सभा (Constituent Assembly) के समक्ष प्रस्तुत किया गया बैंकिंग कम्पनी विधेयक फरवरी 1949 में कुछ संशोधनों के साथ "बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949" (Banking Companies Act, 1949) के नाम से पास कर दिया गया। गवर्नर जनरल की स्वीकृति के पश्चात् 16 मार्च, 1949 से यह कानून जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। सितम्बर 1965 के एक संशोधन के द्वारा इसका नाम बदलकर 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' (Banking Regulation Act) कर दिया गया है।

(1) परिभाषा—इस कानून की धारा 5 (ब) के अनुसार, "बैंकिंग का अर्थ है उधार देने अथवा विनियोग करने के उद्देश्य से जनता से ऐसी जमा स्वीकार करना जो माँग पर या किसी अन्य प्रकार से बैंक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी माध्यम से देय हो।"¹ इस प्रकार बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। धारा 7 के अन्तर्गत प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के लिए अपने नाम के साथ 'बैंक', 'बैंकर' या 'बैंकिंग' शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। बैंकिंग व्यवसाय न करने वालों को इन शब्दों का प्रयोग करने में रोक रखा है। इस दृष्टि से साहूकार तथा महानजन बैंकर नहीं कहे जा सकते हैं। मूल रूप में यह कानून सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होता था, परन्तु सन् 1965 के संशोधन के पश्चात् यह उन पर भी लागू होता है और राज्य-महवारी बैंकों को अनुमोचित बैंकों की श्रेणी में ले लिया गया है।

(2) बैंकिंग व्यवसाय—अधिनियम की धारा 6 में उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जो बैंकों द्वारा किये जा सकते हैं। इन कार्यों की सूची में एक आधुनिक बैंक के सभी कार्यों का समावेश कर दिया गया है। धारा 8 और 9 में उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जो बैंकों के लिए निषिद्ध कर दिये गये हैं। कोई भी बैंक बैंकिंग के अतिरिक्त कोई अन्य व्यापार नहीं कर सकता है और न ही कोई सहायक कम्पनी स्थापित कर सकता है। बिना रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति के बैंक के अपने उपयोग में न आने वाली अचल सम्पत्ति को कोई भी बैंक सात वर्षों से अधिक के लिए नहीं रख सकता है। बैंक को किसी अन्य कम्पनी की प्राप्त पूंजी के 20 प्रतिशत अथवा अपनी परिदत्त पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक रकम के शेयर्स खरीदने का अधिकार नहीं है। बैंक ऐसी कम्पनियाँ के शेयर्स नहीं खरीद सकता जिनमें बैंक के संचालकों अथवा प्रबन्धकों का स्वार्थ हो।

(3) प्रबन्ध—अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी बैंक अपने प्रबन्ध के लिए मैनेजिंग एजेंट्स की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्धक नहीं हो सकता जिसको कम्पनी द्वारा पारिश्रमिक कमीशन अथवा लाभांश के रूप में दिया जाता हो, जो किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ हो, जो किसी दूसरी कम्पनी का भी संचालक हो, जो

1 "Banking means the accepting, for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, are withdrawable by cheque, draft, order or otherwise."

बैंकिंग कम्पनी की सहायक नहीं है, जो कभी दिवालिया घोषित हो चुका हो अथवा जिसे किसी फौजदारी अदालत द्वारा नैतिक अपराध के लिए दण्ड दिया गया हो।

(4) पूंजी—अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत बैंको के कार्य-क्षेत्र के आधार पर उनकी निम्नतम पूंजी की मात्रा निर्दिष्ट की गयी है। यदि बैंक का एक ही कार्यालय है, जो कलकत्ता या बम्बई में नहीं है, तो उसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी तथा प्रारक्षित कोष मिलाकर 50 हजार रुपये होनी चाहिए। यदि कार्यालय एक से अधिक राज्यों में हैं, किन्तु कलकत्ता या बम्बई में नहीं हैं, तो न्यूनतम पूंजी व कोष 5 लाख रुपये होना आवश्यक है और यदि कार्यालय कलकत्ता या बम्बई अथवा दोनों में हो तो पूंजी तथा कोष की राशि 10 लाख रुपये होनी चाहिए। इस प्रकार, बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी भारतीय बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा सुरक्षित कोष की कुल राशि मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्येक विदेशी बैंक के लिए, जिसकी भारत में शाखाएँ हैं, पूंजी और कोष मिलाकर 15 लाख रुपये और यदि शाखाएँ कलकत्ता, बम्बई अथवा दोनों में हैं तो 20 लाख रुपये, नकद अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक के पास जमा रखना आवश्यक है। 1962 के पश्चात् विदेशी बैंको के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त वे भारत में कमाये गये वार्षिक लाभ का 20 प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा कराएँ। बैंक के फैन हो जाने पर रिजर्व बैंक अपने पास जमा की गयी राशि का उपयोग उसके भारत में दायित्वों के भुगतान के लिए कर सकता है।

बैंकिंग अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कोई भी बैंक अपना कार्य तभी आरम्भ कर सकता है जब उसकी प्राथित पूंजी अधिकृत पूंजी की तथा प्रदत्त पूंजी प्राथित पूंजी की आधी से कम न हो।

सन् 1962 के सशोधन के अनुसार 16 सितम्बर, 1962 के बाद स्थापित होने वाले किसी भी भारतीय बैंक की प्रदत्त पूंजी व सुरक्षित कोष मिलाकर 5 लाख रुपये से कम नहीं हो सकते।

(5) सुरक्षित कोष—अधिनियम की धारा 17 में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक बैंक अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत भाग तब तक सुरक्षित कोष में जमा करता रहे जब तक उसका सुरक्षित कोष प्रदत्त पूंजी के बराबर न हो जाय। सन् 1962 के सशोधन के अनुसार अब सुरक्षित कोष प्रदत्त पूंजी के बराबर हो जाने के बाद भी प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का 20% सुरक्षित कोष में डालना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि बैंको की प्रदत्त पूंजी और सुरक्षित कोषों की राशि कुल निक्षेपों के 6 प्रतिशत तक पहुँच जाय ताकि बैंको की आर्थिक स्थिति अधिक दृढ़ हो जाय।

(6) नकद कोष—रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 (1) और बैंकिंग अधिनियम की धारा 18 में सितम्बर 1962 में किये गये सशोधनों के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपनी कुल जमा का कम से कम 3 प्रतिशत न्यूनतम नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। (इसके पूर्व मियादी जमाओं का 2 प्रतिशत तथा चानू जमाओं का 5 प्रतिशत नकद-कोष रखना आवश्यक था।) गैर-अनुसूचित बैंक अपनी कुल जमाओं का 3 प्रतिशत न्यूनतम नकद-कोष कुछ अपने पास और कुछ भाग रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक के पास रख सकते हैं।

उपर्युक्त नकद-कोष के अतिरिक्त, बैंकिंग अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, जो सन् 1962 में सशोधित की गयी, यह आवश्यक है कि प्रत्येक बैंक अपने कुल जमा देय-घन (liabilities) के कम से कम 25 प्रतिशत मूल्य के बराबर नकद, सोना अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियाँ अपने पास रखे। (इस सशोधन के पूर्व कुल दायित्वों का केवल 20 प्रतिशत ही तरल रूप में रखना आवश्यक था।) इस प्रकार सभी बैंको को अपने कुल दायित्वों का कम से कम 28 (3+25) प्रतिशत तरल

1 "Cash, gold or unencumbered approved securities, valued at a price not exceeding the current market price"

रूप में रखना आवश्यक है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक 40 (15+25) प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

धारा 25 के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कुल दायित्वों के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य के बराबर परिसम्पत्ति (assets) भारत में ही रखे।

(7) ऋणों पर प्रतिबन्ध—अधिनियम की धारा 21 के अनुसार किसी एक बैंक या सभी बैंकों को रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार के ऋण देने से रोक सकता है और दिये जाने वाले ऋणों पर निर्धारित सीमान्त (margins) रखने का आदेश दे सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा वरपात्मक साख्त-नियन्त्रण (selective credit controls) इसी अधिकार के अन्तर्गत लगाये जाते हैं। धारा 20 के अनुसार कोई भी बैंक अपने अशो की जमानत पर तथा अपने संचालकों को बिना प्रतिभूति के ऋण नहीं दे सकता है। बैंक ऐसी किसी भी कम्पनी को ऋण नहीं दे सकता है जिसमें उसका कोई संचालक साझेदार, प्रबन्धक अभिकर्ता अथवा ऋणों की प्राप्ति के लिए जमानतदार हो।

(8) अन्य प्रतिबन्ध—अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए प्रत्येक बैंक के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है। बैंक की स्थिति अथवा नीति सन्तोषजनक न होने पर उसका लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है। धारा 23 के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए नई शाखा खोलने या पुरानी शाखा का स्थान बदलने के पूर्व रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना आवश्यक है। धारा 27 के अनुसार प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास महीने के अन्तिम शुरुवार के दिन अपनी पूंजी और दायित्वों का सम्पूर्ण विवरण भेजना अनिवार्य है। धारा 29, 30 और 31 में बैंकों द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्तिम खातों के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। प्रत्येक बैंक को 31 दिसम्बर (सहकारी बैंकों को 30 जून) तक के खाते तैयार करने पड़ते हैं, जिनका ग्राह्य निश्चित कर दिया गया है। विस्तृत अन्वेषण के बाद प्रत्येक बैंक को अपने अन्तिम खातों का विवरण अन्वेषण (audit) रिपोर्ट सहित तीन प्रतिपों में प्रति वर्ष 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के पास भेजना होता है। बैंक को अन्तिम खाते की जानकारी सर्वसाधारण को भी देनी पड़ती है। बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के कोई भी बैंक स्वेच्छापूर्वक निस्तारण (liquidation) करने का अधिकार नहीं रखता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के विशेषाधिकार

बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत देश के व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण बनाये रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक को कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

(1) रिजर्व बैंक स्वयं अपनी इच्छा से अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेश पर किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है। बैंक की स्थिति असन्तोषजनक होने पर उसे निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अपने संचालकों की बैठक बुलाने तथा रिपोर्ट में दिये गये सुझावों का पालन करने का आदेश दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार है कि वह असन्तोषजनक स्थिति वाले बैंक को प्रबन्ध बदलने अथवा अपना कारोबार बन्द करने का आदेश दे सकता है।

(2) रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग कम्पनी को अथवा सभी बैंकिंग कम्पनियों को किसी विशेष प्रकार के लेन-देन करने से रोक सकता है या उन्हें आवश्यक सलाह अथवा चेतावनी दे सकता है।

(3) अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक बैंकों की परिदत्त पूंजी तथा रक्षित कोषों से सम्बन्धित नियमों में छूट दे सकता है। किसी भी बैंक को सात वर्ष से अधिक काल के लिए अचल सम्पत्ति रखने की छूट दी जा सकती है। रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह किसी भी बैंकिंग कम्पनी को ऋण अथवा अग्रिम देकर सहायता प्रदान करे।

(4) रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति व उनके वेतन आदि से सम्बन्धित नियम बनाये तथा उनको स्वीकृति प्रदान करे। रिजर्व बैंक को किसी बैंक के अध्यक्ष, प्रबन्धक अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उसके पद से हटाने का भी अधिकार दिया गया है।

(5) रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह बैंको से विविध प्रकार के विवरण तथा सूचनाएँ प्राप्त करे, उनका अवलोकन करे तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही करे।

(6) किसी बैंकिंग कम्पनी का दूसरी कम्पनी के साथ एकीकरण (amalgamation) करने के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी अदालत बिना रिजर्व बैंक की स्वीकृति के एकीकरण की योजना पर स्वीकृति नहीं दे सकती है।

(7) प्रत्येक बैंक को नई शाखाओं की स्थापना तथा अपनी पुरानी शाखाओं के स्थान परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है।

(8) रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक अथवा सभी बैंको की ऋण-नीति पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त है।

(9) किसी बैंक की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक होने पर रिजर्व बैंक उस बैंक के लिए कानूनी तौर पर विलम्बकाल (moratorium) घोषित करने की सिफारिश कर देता है, जिसकी अवधि 6 मास तक बढ़ायी जा सकती है।

(10) किसी बैंक का समापन (winding up) अदालत के सामने विचाराधीन होने पर यदि रिजर्व बैंक उसके लिए सरकारी निस्तारक (official liquidator) के रूप में कार्य करना चाहे तो यह कार्य उसे ही दिया जायगा। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक किसी बैंक के अनिवार्य समापन के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है।

(11) रिजर्व बैंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था की प्रगति व प्रवृत्ति (trend and progress of banking) से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट से बैंकिंग व्यवस्था की प्रगति तथा दृढ़ता से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हो जाती है।

भारतीय बैंकिंग विधान में सशोधन

बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949 में अब तक कई सशोधन हो चुके हैं। इनका मक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सशोधन सन् 1950 में हुआ जिसके द्वारा (1) नई शाखाएँ खोलने तथा पुरानी शाखाओं का स्थान-परिवर्तन करने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक हो गया, (2) एकीकरण से सम्बन्धित कुछ और नियम बनाए गये और अन्तिम निर्णय का अधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया, तथा (3) बैंक व उसके ऋणदाता के बीच होने वाले सभी समझौते तभी कार्यान्वित हो सकेंगे जब ये रिजर्व बैंक द्वारा मान्य हों।

सन् 1951 के सशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को राज्य सहकारी बैंक की लेखा-पुस्तक निरीक्षण के लिए माग सकने का अधिकार दिया गया।

सन् 1953 के सशोधन का उद्देश्य मुख्य रूप से बैंकिंग कम्पनियों के समापन व निस्तारण (liquidation) कार्य को मरल बनाना था।

सन् 1956 के सशोधन का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण दृढ़ करना था। इसके द्वारा रिजर्व बैंक को अन्य बैंको से उनके कार्य की सूचना माँगने तथा उन्हें आदेश देने का अधिकार दिया गया। प्रबन्ध संचालकों तथा मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। बैंको के कार्य की जांच के लिए रिजर्व बैंक को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अधिकार मिला।

सन् 1959 के सशोधन के द्वारा रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया कि वह भारतीय बैंको की विदेशों में स्थित शाखाओं का भी निरीक्षण कर सके। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक स्वयं किसी बैंक के समापन के लिए अदालत के सामने आवेदन कर सकता है। यदि किसी बैंक का संचालक, व्यवस्थापक अथवा प्रशासनिक अधिकारी रिजर्व बैंक की दृष्टि में अवाञ्छनीय व्यक्ति हो तो रिजर्व बैंक उसे उसके पद से हटा सकता है। इस प्रकार बैंकिंग मस्याओं पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण और भी कठोर कर दिया गया। बैंको को अधिकार दिया गया कि वे रिजर्व बैंक की

पूर्व-अनुमति से भारत के बाहर बैंकिंग का कार्य करने के लिए गौण कम्पनियाँ (subsidiary companies) स्थापित कर सकें।

सन् 1960 के सशोधन के द्वारा किन्हीं दशाओं में बैंकों के अनिवार्य एकीकरण (compulsory amalgamation) की व्यवस्था की गयी।

सन् 1961 के सशोधन के द्वारा एकीकरण की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट किया गया। इसकी आवश्यकता सन् 1963 में केरल के पलाई सेन्ट्रल बैंक के फेल हो जाने के बाद अनुभव की गयी थी।

सन् 1962 के सशोधन के अनुसार निश्चित किया गया कि अनुसूचित बैंक सभी प्रकार की सामूहिक जमाओं का 3 प्रतिशत न्यूनतम नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखें, जिसे रिजर्व बैंक 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, अपनी जमाओं का 25 प्रतिशत तरल सम्पत्ति (liquid assets) के रूप में रखना अनिवार्य कर दिया गया और इसके लिए बैंकों को दो वर्ष का समय दिया गया। इसके पूर्व तरल सम्पत्ति की न्यूनतम सीमा 20 प्रतिशत थी। किसी भी बैंकिंग कम्पनी की स्थापना के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूँजी 5 लाख रुपये होना अनिवार्य कर दिया गया। सरक्षित कोष प्रदत्त पूँजी के बराबर हो जाने पर भी उसमें 20 प्रतिशत लाभ रखना आवश्यक कर दिया गया। निर्यात व्यापार में ऋण देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दी गयी सुविधाएँ बढा दी गयीं।

सन् 1963 के सशोधन का उद्देश्य बैंकों पर नियन्त्रण कठोर करना था। बैंकों के प्रबन्ध तथा ऋण-नीति से सम्बन्धित अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये। किसी भी अग्रधारी का अधिकतम मतदान 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया।

सन् 1965 के सशोधन द्वारा 'बैंकिंग कम्पनी अधिनियम' का नाम बदलकर 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' (Banking Regulation Act) हो गया है। यह अधिनियम अब सहकारी बैंकों पर भी लागू होता है। 2 जुलाई, 1966 को 12 राज्य सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में ले लिया गया।

दिसम्बर 1967 में लोक सभा में प्रस्तुत किये गये सशोधन बिल का उद्देश्य बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण का विस्तार करना था। यह बिल प्रवर समिति (Select Committee) को सौंप दिया गया और बाद में कुछ सशोधन के साथ पास कर दिया गया।

भारतीय बैंकिंग विधान का मूल्यांकन

भारतीय बैंकिंग विधान के अन्तर्गत बैंकों के नियन्त्रण तथा नियमन की व्यवस्था का स्वतन्त्र पूँजीवाद के समर्थकों द्वारा अत्यधिक विरोध किया गया है। उनके विचार में स्वतन्त्र उद्यम (free enterprise) पर प्रतिबन्ध लगाना अवाञ्छनीय है। अच्छे बैंकिंग व्यवस्था अच्छे बैंकों के होने से बनायी जा सकती है, न कि अच्छे कानूनों द्वारा। नियन्त्रण साहसिक कार्य करने की प्रेरणा समाप्त कर देते हैं।

वास्तव में, बैंकों को अनियन्त्रित रखने के पक्ष में दिये गये विचार निराधार एवं पक्षपातपूर्ण हैं। आज के युग में स्वतन्त्र पूँजीवाद कहीं भी नहीं है। आर्थिक क्रियाओं का नियमन एवं नीतियों का निर्धारण प्रत्येक सरकार के कार्यों का एक अभिन्न अंग बन गया है। विशेष रूप से बैंक पर नियन्त्रण रखना और भी आवश्यक होता है, क्योंकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करनी होती है। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शब्दों में, "बैंक प्रणाली एक ऐसी सेवा-व्यवस्था है, जिसका सम्बन्ध हमारे लाखों देशवासियों के जीवन से है, और होना ही चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि यह व्यवस्था देश के सामाजिक आदर्शों से जुड़ी हो और राष्ट्र के उद्देश्य को वागे बटाने में सहायक हो।"

बैंकिंग कानूनों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकों के नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। देश की बैंकिंग व्यवस्था के अनक दोष दूर हुए हैं अथवा कम हो गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बैंकिंग कानूनों के परिणामस्वरूप देश की बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सुधार

हुआ है। उदाहरणार्थ, बैंको द्वारा ऋण देने के सिद्धान्त निर्धारित कर दिये गये हैं और बैंको के समुचित सुरक्षित कोषों के निर्माण की व्यवस्था कर दी गयी है। इससे एक ओर तो बैंको की आर्थिक स्थिति में दृढ़ता आयी है और दूसरी ओर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हुई है। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि भारतीय बैंकिंग विधान पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है।

भारतीय बैंकिंग विधान मुख्य रूप से व्यापारिक बैंको पर लागू होता है, जबकि भारतीय साख प्रणाली में देशी बैंकर भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देशी बैंकरो पर बैंकिंग नियमन अधिनियम लागू ही नहीं होता। गत वर्षों में भारत में सहकारी बैंको का काफी विकास हुआ है। सन् 1965 के पूर्व सहकारी बैंक बैंकिंग अधिनियम की पाबन्दियों से पूर्णतः मुक्त थे और अब केवल राज्य सहकारी बैंक इसके अन्तर्गत लिये गये हैं। इस प्रकार बैंकिंग अधिनियम तथा उसमें संशोधनों के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध मुख्यतः देश में व्यापारिक बैंको पर ही लागू होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारिक बैंको का विकास हुआ है, परन्तु विभिन्न नियन्त्रणों के बावजूद उन्होंने जिस ढंग से कार्य किया है उसे दोष-रहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ तो उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक पर रखा जा सकता है, क्योंकि इसने अपने अधिकारों का कठोरतापूर्वक प्रयोग न करके बैंको के प्रति उदारतापूर्ण नीति अपनायी है। परन्तु अधिक जिम्मेदारी स्वयं व्यापारिक बैंको तथा उनके प्रबंधकों व संचालकों की है जिन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक हितों की अवहेलना करके अपने हितों की रक्षा की ओर ही अधिक ध्यान दिया है। उनकी नीति तथा कार्यों को पूर्ण रूप से नियन्त्रित करने में भारतीय बैंकिंग विधान अमफल रहा है।

भारतीय बैंकिंग विधान की दुर्बलता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न नियन्त्रणों तथा प्रतिबन्धों के बावजूद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की अवांछनीय प्रवृत्तियों को नहीं रोका जा सका है। देश में व्यापारिक बैंको से सम्बन्धित निम्नलिखित त्रुटियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं -

(1) भारत में बैंकिंग व्यवस्था ने आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण (concentration of economic power) को बढ़ावा दिया है। अधिकांश बैंकिंग व्यवसाय छोटे से बड़े बैंको में ही केन्द्रित रहा है और ये बैंक कुछ इने-मिने उद्योगपतियों अथवा व्यावसायिक गृहों (business houses) के नियन्त्रण में रहे हैं। सन् 1967 में बैंको द्वारा औद्योगिक तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए दिये गये 1800 करोड़ रुपये के ऋणों में से 1400 करोड़ रुपये केवल 572 खातों में दिये गये थे। यदि छान-बीन की जाय तो पता चलेगा कि इन सब खातों का सम्बन्ध केवल चार या पाँच व्यावसायिक गृहों से था।¹ व्यापारिक बैंको तथा बड़े उद्योगपतियों में साठ गाँठ के कारण बैंक-ऋणों का एक समुचित औद्योगिक क्षेत्र में सकेन्द्रण हुआ है। बैंक-ऋणों पर व्याज-दर बाजार की व्याज-दर से कम होने के कारण उद्योगपतियों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का लाभ हुआ है। एकाधिकार जाँच आयोग (Monopolies Enquiry Commission) ने बैंको की भेदपूर्ण तथा अनुचित ऋण-नीति को देश में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

(2) बैंको के साधनों का बहुत बड़ा भाग उनके संचालकों अथवा उनसे सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाओं के लाभ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकतर बैंको के संचालक अन्य कम्पनियों के भी संचालक रहे हैं। 20 बड़े बैंको के 188 संचालक 1100 अन्य कम्पनियों से भी सम्बन्धित थे। संचालकताओं के अन्तःकालीन (interlocking of directorships) के कारण बैंक अपने वित्तीय साधनों का दुरुपयोग करते रहे हैं।

(3) बैंको की ऋण नीति व्यापक राष्ट्रीय हितों के प्रति अवहेलनापूर्ण रही है। योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं (plan priorities) की ओर ध्यान न देकर बैंक मनमाने ढंग से निजी क्षेत्र के उद्योगों को ही अधिकतर ऋण देते रहे हैं। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत भाग लघु उद्योग द्वारा उत्पादित होता है, परन्तु व्यापारिक बैंको का इनके प्रति रवैया

1 Report on Banking by four economists (Prof H K Manmohan Singh, Dr V B Singh, Dr S C Gupta and Dr S K Gupta) presented to the Congress President at the Jabalpur Session of AICC in 1967

उपेक्षापूर्ण रहा है। कृषि-क्षेत्र के प्रति भी बैंको का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अवहेलनापूर्ण रहा है, जबकि कुल राष्ट्रीय आय तथा निर्यात का लगभग आधा अकेले कृषि-क्षेत्र में प्राप्त होता है। इस प्रकार, व्यापारिक बैंको द्वारा योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण नहीं दिये गये जिससे उनका आर्थिक विकास के कार्य में योगदान बहुत कम रहा है।

(4) बैंक-ऋणों का प्रयोग जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे समाज-विरोधी तथा अवाञ्छनीय कार्यों के लिए भी किया जाता रहा है। बैंको द्वारा अनुमानतः लगभग 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के ऐसे ऋण दिये जाते हैं। इससे कीमत-स्तर में वृद्धि हुई है।

(5) भारतीय बैंको के विकास तथा शाखा-विस्तार की स्थिति असन्तुलित रही है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में बैंकिंग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने की ओर व्यापारिक बैंको ने कोई ध्यान नहीं दिया।

देश में एकाधिकारी प्रवृत्ति, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण, साधनों का गलत विनाश में प्रयोग रोकने तथा विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने के उद्देश्य से गत वर्षों में यह अनुभव किया जाने लगा कि बैंक देश के सर्वाधिक हित में कार्य सभी कर सकते हैं जब उन पर राष्ट्र का स्वामित्व हो। पिछले कुछ वर्षों से बैंको के राष्ट्रीयकरण की मांग निरन्तर बढ़ती ही रही है।

बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण

तृतीय योजना के अन्त तक बैंको के राष्ट्रीयकरण की मांग काफी तीव्र हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के अन्य प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग बराबर राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुरूप बैंको पर नियन्त्रण लगाने की बात तो स्वीकार कर ली थी, परन्तु पूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग का विरोध किया जाता रहा। राष्ट्रीयकरण की बढ़ती हुई मांग को शान्त करने के लिए कांग्रेस ने सन् 1967 के चुनाव घोषणा-पत्र में बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण (social control) लगाने का निर्णय सम्मिलित किया था। मई 1967 में कांग्रेस द्वारा अपनाये गये दस-बिंदु कार्यक्रम (Ten-Point Programme) में भी बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण लागू करने का निर्णय था। केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने सामाजिक नियन्त्रण की समस्या का अध्ययन करने तथा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देने का काम रिजर्व बैंक के एक विशेषज्ञ श्री वी० ए० पाई पनाण्डिकर (V. A. Pai Panandikar) को सौंपा। श्री पनाण्डिकर की रिपोर्ट छपी तो नहीं, परन्तु उसके सम्बन्ध में जो कुछ सूचना प्राप्त हुई उससे पता चला कि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में बैंको के राष्ट्रीयकरण को अनुपयुक्त माना। श्री पनाण्डिकर ने सिफारिश की कि बैंको पर प्रभावशाली सामाजिक नियन्त्रण लागू किया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1967 में कांग्रेस पार्टी के जबलपुर अधिवेशन में प्रगतिशील सदस्यों ने बैंको के राष्ट्रीयकरण की नवी मांग की थी। कांग्रेस ससदीय दल के मन्त्री श्री चन्द्रशेखर के अनुरोध पर चार अर्थशास्त्रियों¹ की बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखी गयी। वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने पूर्ण राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, परन्तु अधिक से अधिक 6 माह के अन्दर बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण लागू कर देने की घोषणा की। वित्त मन्त्री का विश्वास था कि प्रभावशाली सामाजिक नियन्त्रण द्वारा बैंको की कार्य-पद्धति में सुधार किया जा सकता है, इसलिए बैंको का राष्ट्रीयकरण जरूरी नहीं है।

सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ

सामाजिक नियन्त्रण की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गयी है। समाजवाद से सम्बन्धित कांग्रेस पार्टी के अन्य नारों की भाँति सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ भी अस्पष्ट है। परन्तु इसके अन्तर्गत अपनाये गये उपायों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियन्त्रण से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये बिना, बैंको की सार्वजनिक नीति का निर्धारण तथा इनके प्रबन्ध का नियमन इस प्रकार किया जाय ताकि बैंको के साधनों का

1 शोभनर एच० के० मनमोहनसिंह, डा० वी० वी० पिट्ट, डा० एच० के० गोयल तथा डा० एम० वी० गुप्ता।

राष्ट्रीय हितों और लक्ष्यों के अनुसार अधिकाधिक उपयोग सम्भव हो सके। दूसरे शब्दों में, सामाजिक नियन्त्रण की योजना ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसमें "बैंक सरकारी निर्देशानुसार जमा की गतिशील बनाने तथा अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक दृष्टि के अधिक उपयोगी अगों के लिए साल उपलब्ध कराने में अधिकाधिक सहयोग करें।"¹ इस प्रकार, सामाजिक नियन्त्रण राष्ट्रीयकरण व मुक्त साहम (free enterprise) के बीच का रास्ता है जिसमें बैंक निजी स्वामित्व में रहते हुए व्यापक राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों तथा प्रतिबन्धों का पालन करते हैं। यह व्यवस्था फ्रांसीसी बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं

(1) बैंक-साख का वितरण आर्थिक योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार हो। राष्ट्रीय हितों और लक्ष्यों को सबसे आगे रखा जाय।

(2) कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात जैसे उपेक्षित क्षेत्रों के लिए अधिक बैंक-साख उपलब्ध हो।

(3) बैंक रहित क्षेत्रों, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय बैंकों का अधिकाधिक प्रवेश हो।

(4) बैंकों के साधनों का थोड़े से लोगों द्वारा उपयोग तथा बैंकिंग शक्ति का उनके हाथों में केन्द्रीकरण रोका जाय।

(5) बैंकों के प्रवन्ध में व्यापारिक हितों के स्थान पर व्यवसायीकरण की व्यवस्था की जाय।

सामाजिक नियन्त्रण की योजना

बैंकों पर लागू की गयी सामाजिक नियन्त्रण योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

1 राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना—22 दिसम्बर, 1967 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय साख परिषद (National Credit Council) की स्थापना की घोषणा की। इसकी निम्नलिखित कार्य सौंपे गये

(i) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा बैंक-साख की माँग का पता लगाना,

(ii) उपलब्ध साधनों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेषतया कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर, बैंक-ऋणों या विनियोगों में सम्बन्धित प्राथमिकताएँ निर्धारित करना,

(iii) साधनों के उचित एवं कुशल उपयोग के उद्देश्य से व्यापारिक बैंकों तथा महकारी बैंकों एवं विविध सस्थाओं की ऋण तथा विनियोग सम्बन्धी नीतियों में समन्वय स्थापित करना, तथा

(iv) परिषद के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा सुभाष्ये गये अन्य सम्बन्धित विषयों पर विचार करना।

इस प्रकार, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना एक मलाहकार (advisory) तथा विचार-विमर्श करने वाली सस्था (deliberative body) के रूप में की गयी। इसकी मुख्य कार्य यह सौंपा गया कि नियोजित विकास के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह बैंकों के लिए ऋणों तथा विनियोगों से सम्बन्धित पथ प्रदर्शक दिशा (guide line) निर्धारित करे।

राष्ट्रीय साख परिषद के सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती है। इनमें में 5 स्थायी सदस्य हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके उपाध्यक्ष हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मन्त्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा कृषि पुनर्वित्त निगम के अध्यक्ष इसके अन्य स्थायी सदस्य हैं। अन्य 20 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो बैंकों, महकारी समितियों, उद्योगों, कृषि व्यापार आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1 "Social control over banks may be defined as greater participation of banks (with active state guidance) in the mobilisation of deposits and distribution of credits to the socially desirable sectors of the economy —Banker, November 1967, p 716

अर्थशास्त्री एवं अन्य विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित होने हैं। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। एक वर्ष में परिषद की कम से कम दो बैठकें होना अनिवार्य है।

2 बैंकिंग कानून में संशोधन—सामाजिक नियन्त्रण की योजना प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 23 दिसम्बर, 1967 को लोक सभा में बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक (The Banking Laws (Amendment) Bill, 1967) पेश किया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग नियम अधिनियम, 1949, रिजर्व बैंक अधिनियम, 1930 तथा स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में आवश्यक संशोधन करना था। यह विधेयक प्रवर समिति (Select Committee) को मॉप दिया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 6 मई, 1968 को दी। प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में लोक सभा ने इसको पास कर दिया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं

(1) बैंको को अपने संचालक-मण्डल को पुनर्गठन इस प्रकार करना होगा कि उनके कम से कम 51 प्रतिशत सदस्य उद्योगपति न हों, बल्कि ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें लेखा-प्रणाली, कृषि, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, लघु उद्योग, सहकारिता, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, विधि अथवा वित्त का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, जो बैंको के लिए उपयोगी हो सकें। कम से कम दो संचालक ऐसे होने चाहिए जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, सहकारिता तथा लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करें।

(2) प्रत्येक व्यापारिक बैंक का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष (full time chairman) होना आवश्यक है जो किसी अन्य कम्पनी अथवा फर्म से सम्बन्धित न होकर पेशेवर (professional) बैंकर हो। उसे व्यापारिक बैंकिंग अथवा वित्त, आर्थिक अथवा व्यापारिक प्रशासन का विरिष्ट ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं की जायगी और इसके लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अध्यक्ष बैंक के संचालक मण्डल के निर्देशन तथा नियन्त्रण में कार्य करेगा।

(3) कोई भी बैंक अपने किसी संचालक अथवा किसी ऐसी व्यावसायिक सस्था को, जिसमें वह संचालक, छात्रेदार, प्रबन्धक, कर्मचारी, प्रबन्ध अधिकर्ता अथवा बड़े असाधारी के रूप में कोई हित रखना हो, ऋण नहीं दे सकता है और न ही ऋणों पर गारण्टी दे सकता है। यदि किसी संचालक को पुराने बायदे के अनुसार ऋण दिया गया है तो उसे एक वर्ष में वसूल कर लिया जायगा। रिजर्व बैंक इस अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है।

(4) भारत में व्यवसाय करने वाले प्रत्येक विदेशी बैंक के लिए अनिवार्य होगा कि वह एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करे, जिसके सभी सदस्य भारतीय हों और उनका चुनाव उन्हीं नियमों के आधार पर किया जाय जो भारतीय बैंको के संचालकों के चुनाव के लिए निश्चिन किये गये हैं। विदेशी बैंको के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वह अपने भारतीय व्यवसाय के लेखों का परोक्षण भारत में रजिस्टर्ड लेखा-परीक्षकों (auditors) से करायें।

(5) यदि कोई बैंक सामाजिक नियन्त्रण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का एक बार में अधिक उल्लंघन करेगा अथवा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशनों का पालन नहीं करेगा, अथवा अन्य प्रकार से कानून का उल्लंघन करेगा, तो मुद्राकजा देकर सरकार उसे अपने अधिकार में ले सकेगी।

(6) बैंक के कार्य में अनुचित ढाचाएँ उत्पन्न करना, धमकीपूर्ण प्रदर्शन करना जो सामान्य व्यवसाय में बाधक हो तथा इन प्रकार की कोई कार्यवाही करना जिससे जमाकर्ताओं का बैंक में विश्वास कम हो, गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। परन्तु बैंको के कर्मचारी सामान्य वैधानिक ट्रेड यूनियन त्रियाएँ कर सकेंगे।

प्रारम्भ में सामाजिक नियन्त्रण की उपर्युक्त योजना 25 करोड़ रुपये व इनमें अधिक जमा वाले बड़े बैंको पर लागू की जायगी। बाद में यह सभी बैंको पर लागू होगी।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंक पर सामाजिक नियन्त्रण के अन्तर्गत बैंक सलाह को निश्चित दिशा देने का प्रयास किया गया। साथ में, संचालक मण्डल के पुनर्गठन की व्यवस्था की गयी और संचालकों को अथवा उनकी इच्छानुसार अन्य सस्थाओं को ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। परन्तु ये सब व्यवस्थाएँ अल्पकालीन स्वभाव की थीं। भारतीय

बैंकिंग के स्थायी सुधार के लिए सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन नीति यह थी कि शाखा-विस्तार द्वारा ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जमा प्राप्त करने का प्रयास किया जायगा, बैंकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि के लिए उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार किये जायेंगे और प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ायी जायेंगी। बैंकिंग व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक 'बैंकिंग कमीशन' की नियुक्ति की गयी जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

सामाजिक नियन्त्रण का प्रभाव

सामाजिक नियन्त्रण की योजना का बैंकों की ओर से विरोध किया गया। जिन आरोपों के आधार पर इस नियन्त्रण की आवश्यकता हुई, भारतीय बैंक संघ ने उनको निरावार तथा असत्य बनाया। परन्तु वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीयकरण के विकल्प के रूप में इसका स्वागत ही हुआ। सभी बैंकों ने इस योजना के अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया। बड़े बैंकों ने योजना के अनुसार अपने संचालक मण्डलों का पुनर्गठन किया और पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किये जो पेशेवर व्यवस्थापक थे। जुलाई 1969 में जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनके कुल 160 संचालकों में से लगभग 100 ऐसे थे जिनकी नियुक्ति सामाजिक नियन्त्रण योजना की व्यवस्था के अनुसार की गयी थी और ऐसे ही उन सभी के अध्यक्ष थे। सामाजिक नियन्त्रण लागू करने के बाद 9 महीने की अवधि में (जुलाई 1968 से मार्च 1969 तक) राष्ट्रीय साख परिषद की इच्छानुसार, बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में 55 प्रतिशत तथा कृषि-क्षेत्र को दिये गये ऋणों में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई।¹

व्यावहारिक रूप में, सामाजिक नियन्त्रण योजना लागू करने के बाद जो परिणाम सामने आये उन्हें सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। सामाजिक नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य बैंक साख का राष्ट्रीय हितों तथा लक्ष्यों के अनुसार वितरण करना था। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था अपर्याप्त थी। राष्ट्रीय साख परिषद को केवल सलाह देने का कार्य सौंपा गया था, अपनी नीति लागू करने की शक्ति नहीं दी गयी। रिजर्व बैंक के अधिकारों की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गयी। इस प्रकार बैंकों द्वारा साख के वितरण में काफी मनमानी करने की गुंजायश थी। परिणामस्वरूप, सामाजिक नियन्त्रण के बावजूद बड़े उद्योगपति बैंकों से अनुचित लाभ उठाते रहे हैं। बैंकों को जो कुछ निर्देशन दिये गये उनमें निहित भावनाओं की अवहेलना की गयी। यह बात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि कृषि-क्षेत्र के लिए दी गयी अधिकतर साख राज्य सरकारों को उर्वरक (fertilisers) खरीदने के लिए दी गयी, न कि सीधे किसानों को।

यह ठीक है कि सामाजिक नियन्त्रण की योजना के अन्तर्गत बैंकों ने अपने संचालक मण्डलों का पुनर्गठन कर लिया था, परन्तु व्यवहार में बैंकों के पुराने संचालक अब भी किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव डालते रहे और बैंकों के प्रबन्ध तथा नीति-निर्धारण में उनके हस्तक्षेप से बचा नहीं जा सका। वही-वही तो यह प्रभाव बैंकों के उन पुराने अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों द्वारा डाला गया जो अब भी संचालक मण्डलों से अपना सम्बन्ध बनाये हुए थे। रिजर्व बैंक को केवल कुछ विरोध परिस्थितियों में ही बैंकों के किसी संचालक को हटाने का अधिकार दिया गया था और वह केवल सीमित सख्या में बैंकों के संचालक नियुक्त कर सकता था।

वास्तविकता यह है कि जब किसी नीति को किसी दबाव के कारण माना जाता है तो उसके प्रति यह उत्साह नहीं रहता जितना कि उसे स्वेच्छा से अपनाने पर होता है। सामाजिक नियन्त्रण बैंकों पर एक दबाव था और इसके प्रति उनमें उत्साह न होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसमें अनेक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ सम्मिलित थे, सामाजिक नियन्त्रण की नीति से सन्तुष्ट न हो सका। इने भारत सरकार, विशेषतया वित्त मंत्रालय, की एक चाल माना गया जिसके द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग को दबा देने का प्रयास किया गया था। सामाजिक नियन्त्रण से बहुत अधिक आशा रखना एक भूल थी। इसके परिणामों

की बहुत अधिक प्रतीक्षा न करके प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वित्त मन्त्रालय अपने हाथों में लेकर 19 जुलाई, 1969 को देश के 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी।

चौदह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण

श्री मोरारजी देसाई से वित्त मन्त्रालय लेने के तीन दिन बाद प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 19 जुलाई, 1969 को देश के 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। ये सभी बैंक ऐसे थे जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस आधार पर ये बैंक क्रमशः इस प्रकार थे (1) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) बैंक ऑफ बड़ोदा, (5) यूनाइटेड कॉमर्सियल बैंक, (6) कनारा बैंक, (7) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, (8) देना बैंक, (9) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (10) इलाहाबाद बैंक, (11) सिंडीकेट बैंक, (12) इण्डियन ओवरसीज बैंक, (13) इण्डियन बैंक, तथा (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अचानक घोषणा ने पूरे देश को चौंका दिया। उसी शाम आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अपने सन्देश में प्रधान मन्त्री ने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति अब तेजी से कर सकेंगे और बैंकिंग विकास की त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। बैंक-माल का उचित उपयोग सम्भव हो सकेगा। कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था की जा सकेगी। बैंकों पर से इने-भिने लोगों का नियन्त्रण समाप्त करके प्रबन्ध-व्यवस्था में व्यावसायिक कुशलता लायी जा सकेगी। उद्योग के क्षेत्र में आने वाले नये साहसियों को प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकों के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी और उन्हें अन्य सुविधाएँ दी जा सकेंगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक नियन्त्रण की नीति अपर्याप्त थी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो गया था।

राष्ट्रीयकरण के लिए कानूनी व्यवस्था

19 जुलाई, 1969 को बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एंड ट्रान्सफर ऑफ अण्डरटेकिंग्स) अध्यादेश, 1969 [The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1969] जारी किया गया। इसके अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा-राशि वाले अनुसूचित बैंक, जिनकी संख्या 14 है, सरकार ने अपने स्वामित्व में लेने की घोषणा की। विदेशी बैंकों पर यह लागू नहीं किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की परिसम्पत्ति तथा दायित्वों पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो गया और पुराने बैंकों को मुआवजा देने के नियम निर्धारित किये गये। मुआवजे की रकम तय करने से सम्बन्धित विवादपूर्ण विषयों को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अलग-अलग इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया, परन्तु उनके नामों के साथ से 'लिमिटेड' शब्द हटा लिया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 द्वारा बैंकों पर लगाये गये नियन्त्रण तथा रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंकों से सम्बन्धित अधिकार इन बैंकों पर पूर्ण रूप से लागू होंगे। पुराने बैंकों के चैरमैन कोई अन्य व्यवस्था न होने तक बैंक के परि-रक्षक (Custodian) के रूप में कार्य करेंगे, जिनको सलाह देने तथा सहायता करने के लिए सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) नियुक्त किये जायेंगे। नये संचालक-मण्डलों के बन जाने पर सलाहकार बोर्ड भंग कर दिये जायेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आदेश मानने के लिए बाध्य होंगे और निर्धारित नियमों का पालन करेंगे।

अध्यादेश जारी करने के तुरन्त बाद सरकार के सामने एक कानूनी बाधा उत्पन्न हो गयी। अध्यादेश के विरुद्ध रिट याचिकाओं (writ petitions) के आधार पर¹ सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई

1 य याचिकाएँ स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री एम० जार० मसानी, एम पी, भारतीय जनसंघ के नेता श्री बलराज मधोक तथा एक बैंक के संचालक डॉ० भार० शी० कूपर द्वारा दायर की गयी थी।

को अध्यादेश में सम्मन्वित तीन बार्ने लागू करने पर अन्तरिम रोक (interim stay) लगा दी। केन्द्रीय सरकार को आदेश दिया गया कि वह (1) याचिकाओं पर निर्णय होने तक मनाहकार वोटों नियुक्त नहीं करेगी, (2) इन बैंकों के चेयरमैन नहीं हटायेगी, तथा (3) बैंकिंग विधान में दी गयी व्यवस्था में निम्न कोई आदेश नहीं देगी। प्रधान मंत्री ने समद में दिये गये वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये आदेश अध्यादेश की आवश्यक बार्नों को लागू करने में कोई बाधा नहीं डालते थे और न ही सरकार को बैंकों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने से रोका गया था। परन्तु फिर भी सरकार द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण में सम्मन्वित अध्यादेश को नीचे ही कानून में बदल दिया जाय, ताकि अनिश्चितता का आभावपूर्ण समाप्त हो और राष्ट्रीयकरण के विरोधियों को रकावटें डालने का समय न मिले।

19 जुलाई, 1969 को जारी किये गये बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश को समद द्वारा कानून का रूप दिलाने के उद्देश्य में 25 जुलाई को लोक सभा में विधेयक (Bill) रखा गया। स्वतन्त्र पार्टी तथा भागनीय जनसंघ के सदस्यों ने इसका विरोध रूप में विरोध किया। परन्तु इन सब के बावजूद यह विधेयक रोकट मस्य में पारित हो गया। 4 अगस्त को लोक सभा ने तथा 8 अगस्त को राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया। 9 अगस्त को कार्यवाहक राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हो जाने में यह बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रान्स्फर ऑफ अण्टरटेकिंग्स) एक्ट, 1969 [Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969] बन गया। इस कानून में राष्ट्रीयकरण की मूल व्यवस्था तो वही रही जो 19 जुलाई के अध्यादेश में दी गयी थी, परन्तु इसमें कुछ साधारण संशोधन कर दिये गये। विरोधी दलों की माँग पर यह स्वीकार कर लिया गया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक-मण्डलों तथा अस्थायी सलाहकार मण्डलों में जमाकर्ताओं, बैंक कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायगा। कोई अन्य व्यवस्था न होने तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रबन्ध 'कस्टोडियन' के रूप में इन बैंकों के पहले के चेयरमैनों द्वारा किये जाने की अनुमति दी गयी। कानून में अस्थायी सलाहकार बोर्डों की भी व्यवस्था की गयी। मुआवजे की अदायगी का विषय बहुत विवादपूर्ण रहा है। अन्त में यही तय हुआ कि मुआवजा धेयरहोल्डरों को नहीं बल्कि बैंकों को दिया जायगा। मुआवजे के रूप में बैंक 4½ प्रतिशत व्याज-दर पर 10 वर्षीय अथवा 5½ प्रतिशत व्याज-दर पर 30 वर्षीय बॉण्ड ले सकेंगे। मुआवजे की रकम निर्धारित करने से सम्मन्वित नियम एक्ट की द्वितीय सूची में दिये गये थे। अनुमान लगाया गया है कि मुआवजे की कुल रकम लगभग 75 करोड़ रुपये होगी।

चौदह बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण

बैंकों के राष्ट्रीयकरण में सम्मन्वित अध्यादेश तथा कानून के विरोध में दायर की गयी रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी, 1970 को अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कानून के दो दोष बताये गये। प्रथम, यह कानून चौदह बैंकों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया क्योंकि इन बैंकों की बैंकिंग बिजनेस (banking business) करने से रोक दिया गया था जबकि अन्य वर्तमान देशी अथवा विदेशी बैंकों अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले बैंकों पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। द्वितीय, बैंकों को दिये जाने वाले मुआवजे को निर्धारित करने के लिए अपनाये गये मिद्धान्त तथा तरीके को भी गलत बताया गया। इन दो दोषों के कारण बैंकों के राष्ट्रीयकरण कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उन्हीं चौदह प्रमुख बैंकों का विद्युती निधि अर्थात् 19 जुलाई, 1969 में पुनः राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य में राष्ट्रपति ने 14 फरवरी, 1970 को एक अध्यादेश जारी किया। 27 फरवरी, 1970 को समद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रान्स्फर ऑफ अण्टरटेकिंग्स) एक्ट, 1970 के रूप में पाम कर दिया गया। इस नये कानून को 31 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी।

पुनःराष्ट्रीयकरण के नये कानून में चौदह बैंको द्वारा बैंकिंग बिजनेस करने पर रोक नहीं लगायी गयी। केवल यह कहा गया कि यदि ये बैंकिंग कम्पनियाँ बिजनेस करना चाहेगी तो उन्हें एक आवश्यक कानून के अन्तर्गत लाइसेन्स लेना होगा। एक्ट की द्वितीय सूची में मुआवजे से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया गया है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए बैंकों के सामने कई विकल्प रखे गये हैं। मुआवजा नकद रूप में अथवा 4½ प्रतिशत वार्षिक व्याज वाली 10 वर्ष की प्रतिभूतियों (securities) में अथवा 5½ प्रतिशत वार्षिक व्याज वाली 30 वर्ष की प्रतिभूतियों में अथवा इन तीनों तरीकों को मिलाकर किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

प्रत्येक बैंक के मुआवजे की अलग-अलग रकम निर्धारित कर दी गयी है, जो कुल मिलाकर 87 40 करोड़ रुपये हैं। दो बैंकों ने मुआवजे की रकम नकद रूप में माँगी है, जो उन्हें तीन वार्षिक किस्तों में दी जायगी। अन्य 12 बैंकों ने आंशिक रूप से नकदी तथा शेष प्रतिभूतियों के रूप में मुआवजा प्राप्त कर लिया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विस्तृत अध्ययन भागे अलग से किया गया है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. भारतीय बैंकिंग विधान को मुख्य व्यवस्थाओं का विवरण दीजिए। इसका भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

[संकेत बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 तथा बाद में किये गये संशोधनों के आधार पर बैंकों पर लगाये गये उनके कार्यों, शाखा-विस्तार, पूंजी व लाभांश, प्रबंध, नकद-कोष, ऋण व अधिम सम्बन्धी तथा अन्य प्रतिबन्धों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरे भाग में भारतीय बैंकिंग विधान का मूल्यांकन कीजिए और यह बताइए कि इनसे बैंकिंग व्यवस्था के अनेक दोष दूर हुए हैं और व्यवसाय में हड़ता आयी है, परन्तु अनेक त्रुटियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सका है।]

2. भारतीय बैंकिंग विधान के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखने के बोनसे अधिकार दिये गये हैं ? इनके प्रयोग में रिजर्व बैंक को कितनी सफलता मिली है ?

[संकेत बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 तथा बाद में किये गये संशोधनों और रिजर्व बैंक बाफ इण्डिया एक्ट, 1934 के द्वारा रिजर्व बैंक को दिये गये नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख कीजिए। वर्तमान बैंकिंग प्रवृत्तियों के बाजार पर रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये कदमों का परीक्षण कीजिए और यह बताइए कि अनेक नियन्त्रण सफलतापूर्वक लगाने के बावजूद रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवस्था को कुछ अवांछनीय प्रवृत्तियों को नहीं रोक पाया है।]

3. 'बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण' का अर्थ तथा उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

[संकेत बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ बताइए और यह स्पष्ट कीजिए कि यह राष्ट्रीयकरण से किस प्रकार भिन्न है। सामाजिक नियन्त्रण की योजना के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि इसे किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू किया गया है। अन्त में इसकी नगियों का भी संक्षिप्त विवरण दीजिए जिनसे कारण प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है।]

4. 'बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण' व 'बैंकों के राष्ट्रीयकरण' में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

[संकेत 'सामाजिक नियन्त्रण तथा राष्ट्रीयकरण' का अर्थ समझाइए। दोनों प्रकार की व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और यह समझाइए कि राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था किस प्रकार सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था से भिन्न है।]

भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई। भारत में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता तो बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी। सन् 1913 में चैम्बरलेन आयोग ने, जिसके एक सदस्य लॉर्ड केन्ज भी थे, भारत के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। किन्तु प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने से इस सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जा सका। सन् 1921 में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी जिसे केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य दिये गये। परन्तु इम्पीरियल बैंक मुख्यतः एक व्यापारिक बैंक था और उसे नोट छापने का अधिकार नहीं दिया गया था। अतएव इम्पीरियल बैंक भारत में केन्द्रीय बैंक की कमी को पूरा नहीं कर सका। सन् 1925 में हिल्टन यंग कमीशन ने देश में एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की जोरदार शब्दों में सिफारिश की, जिसके आधार पर जनवरी 1917 में सर बेसिल ब्लैकट ने केन्द्रीय असेम्बली में एक बिल रखा। परन्तु बिल की मूल धाराओं पर बहुत अधिक विरोध प्रकट किया गया और सरकार ने उसे वापस ले लिया। सन् 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। सन् 1933 के गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिक अधिकार देने के साथ-साथ भारत में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का भी निर्णय किया गया। 8 सितम्बर, 1933 को विधान सभा के सामने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल रखा गया जो 1934 में एक एक्ट के रूप में पास हुआ। इसी एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई और इसने 1 अप्रैल, 1935 से कार्य आरम्भ कर दिया।

रिजर्व बैंक के उद्देश्य

रिजर्व बैंक की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी थी।

- (1) रुपये के आन्तरिक और बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना,
- (2) सभी बैंकों से नकद-कोष प्राप्त करके एक टूट केन्द्रीय कोष का निर्माण करना जिससे बैंकिंग संकट को रोका जा सके तथा मुद्रा बाजार में लोभ पैदा हो,
- (3) देश में साख व मुद्रा की मात्रा उसकी कुल मांग के अनुरूप धनाये रखना,
- (4) भारतीय मुद्रा व साख-व्यवस्था तथा बैंकिंग व्यवसाय आदि विविध विषयों पर आंकड़े इकट्ठे करना व उन्हें प्रकाशित करना,
- (5) सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से ऋण लेना, भुगतान करना, विदेशी विनिमय का लेन-देन करना तथा सम्बन्धित विषयों पर सरकार को सलाह देना,
- (6) कृषि-साख सम्बन्धी विभिन्न विषयों का अध्ययन करना तथा प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करना।
- (7) देश के बैंकिंग व्यवसाय पर नियन्त्रण रखना और उसको सही दिशा में विकसित करने का प्रयत्न करना, तथा
- (8) विदेशों से मौद्रिक सम्पर्क स्थापित करना।

वास्तव में, सन् 1920 के पश्चात समार भर में यह स्वीकार कर लिया गया था कि प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक हो। आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम तभी सफलतापूर्वक चल सकते हैं जब देश की मुद्रा व साख्त-व्यवस्था में दृढता हो और यह दृढता बहुत कुछ बैंको की दृढता व सफलता पर निर्भर करती है।

रिजर्व बैंक का विधान

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की स्थापना असाधारियो (shareholders) के बैंक के रूप में हुई थी। इसकी अधिकृत पूंजी (authorised capital) 5 करोड़ रुपये थी जिसे 100 रुपये के मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित किया गया था। कार्य के कुशल संचालन तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश को पांच क्षेत्रों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तथा रंगून में—विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र के लिए असाधारियो की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गयी थी।¹

रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह विवाद उठ खड़ा हुआ था कि यह असाधारियो का बैंक हो अथवा इस पर राज्य का स्वामित्व हो। दोनों विचारों के पक्ष-विपक्ष में अनेक तर्क दिये गये थे। परन्तु चूंकि उस समय सत्तार में अधिकतर केन्द्रीय बैंक असाधारियो के अधिकार में थे और स्वयं ब्रिटिश सरकार पूंजीवादी सिद्धांतों का अनुसरण करती थी, इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना असाधारियो के बैंक के रूप में ही हुई।

भारत के स्वतन्त्र होने के बाद जनमत विशेष रूप से रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हो गया और इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो गयीं। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड, बैंक ऑफ फ्रान्स तथा यूरोप के अन्य देशों में केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। सितम्बर 1948 में भारतीय संसद ने कानून [Reserve Bank of India (Transfer to Public Ownership) Act, 1948] पास किया जिसके अनुसार 1 जनवरी, 1949 से रिजर्व बैंक पर सरकार का अधिकार हो गया। बैंक के असाधारियो को प्रति 100 रुपये के अंश के लिए सरकार ने 118 रुपये 10 आने मुआवजा देकर सभी अंश ले लिये। मुआवजे की रकम प्रति अंश 18 रु० 10 आने के बराबर नकद में दी गयी और शेष 100 रु० के बदले 3 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी बीण्ड दिये गये।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक था

- (1) युद्धोत्तर काल में आर्थिक पुनर्निर्माण की योजनाओं की सफलता के लिए केन्द्रीय बैंक का सरकारी स्वामित्व में होना तथा सरकार की नीति के अनुसार कार्य करना आवश्यक था।
- (2) सरकार को मुद्रा-नीति पूर्ण रूप से तभी सफल हो सकती थी जब केन्द्रीय बैंक की नीति संचालको द्वारा प्रभावित न होकर सरकार के निर्णय द्वारा प्रभावित हो।
- (3) रिजर्व बैंक के अंशों को थोड़े से लोगों के हाथों में केन्द्रित होने से नहीं रोका जा सका था। यह स्थिति देश के हित में नहीं थी।
- (4) सरकार की आर्थिक नीति के संचालन में केन्द्रीय बैंक के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। केन्द्रीय बैंक अर्थ-नीति के संचालन का अस्त्र तभी बन सकता है जब इस पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो।
- (5) विश्व के महत्वपूर्ण केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था।
- (6) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया ताकि वह सरकार का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके।

1 प्रत्येक क्षेत्र के अंशों की उच्चतम सीमा बंधी होने के बावजूद रिजर्व बैंक की स्थापना के कुछ ही वर्ष बाद हस्तान्तरण द्वारा अधिकांश अंश बम्बई में ही केन्द्रित हो गये थे। इसे रोकने के लिए सन् 1940 में रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन करके किसी भी व्यक्ति के पास 20,000 रुपये से अधिक के अंश होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। किन्तु इनके बाद भी बैंक के अंशों को बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने से न रोका जा सका।

(7) देश में मुद्रा-बाजार का ठीक प्रकार से सगठन करने, बैंकिंग व्यवस्था में दृढ़ता लाने, बैंको की वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने तथा देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में केन्द्रीय बैंक का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो गया।

(8) वास्तविक रूप में, रिजर्व बैंक सरकार के नियन्त्रण में ही कार्य कर रहा था। इस प्रकार जब वह सरकारी नियन्त्रण में ही था तो उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना ही उचित था।

रिजर्व बैंक का प्रबन्ध

रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Board of Directors) द्वारा होता है। सारे देश को चार भागों में बांटा गया है—उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र। इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड (local board) होता है।

केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की संख्या 20 होती है। इनमें से 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार पांच वर्ष के लिए करती है। चार संचालक चारों स्थानीय बोर्डों (प्रत्येक से एक) से केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। दस अन्य संचालक तथा एक सरकारी अधिकारी भी सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किये गये ये संचालक उद्योग, व्यापार, सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है जो केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार कितने भी समय तक बोर्ड में बना रह सकता है।

स्थानीय बोर्डों के कार्यालय दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं और उनको सौंपे गये विषयों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है।

रिजर्व बैंक का प्रधान अथवा केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में स्थित है। नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थानीय प्रधान कार्यालय हैं। बैंक ने अपने कार्यालय कानपुर, बगलौर, नागपुर, इत्यादि स्थानों पर स्थापित किये हैं। जहाँ कहीं रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं हैं, स्टेट बैंक इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

सगठन के दृष्टिकोण से, रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय दस विभागों में विभक्त है : सेक्रेटरी का कार्यालय, चीफ एकाउन्टेण्ट का कार्यालय, निरीक्षण विभाग, कानूनी विभाग, बैंकिंग कार्य-कलाप विभाग, बैंकिंग विकास विभाग, कृषि-साख विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, वित्तिय-नियन्त्रण विभाग तथा अनुसन्धान व सांख्यिकी विभाग।

केन्द्रीय कार्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों का सगठन दो भागों में बांटा जा सकता है—(1) नोट-निर्गम विभाग (Issue Department), तथा (2) बैंकिंग विभाग। निर्गम विभाग भी दो भागों में विभक्त रहता है—सामान्य विभाग (General Department) तथा नकद विभाग (Cash Department)। नोट-निर्गम विभाग के कुल सात कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, कानपुर, नागपुर और बगलौर तथा दो उप-कार्यालय गोहाटी व हैदराबाद में हैं। बैंकिंग विभाग द्वारा रिजर्व बैंक वे सभी कार्य करता है जो इसे सरकार के बैंक या बैंकों के बैंक के रूप में करने पड़ते हैं। यह विभाग चार उप-विभागों में बांटा गया है—जमा खाता विभाग (Deposit Accounts Department), प्रतिभूति विभाग (Security Department), सरकारी खाता विभाग (Public Accounts Department), तथा सरकारी ऋण विभाग (Public Debt Department)।

रिजर्व बैंक के कार्य

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1934 की प्रस्तावना (Preamble) के अनुसार रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने तथा देश के हित में मुद्रा तथा साख

प्रणाली का संचालन करने के उद्देश्य से नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा रक्षित कोषों को रखना है।¹ देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ, देश की परिस्थितियों के अनुसार रिजर्व बैंक को कुछ अन्य प्रकार के कार्य भी करने पड़ते हैं। देश के आर्थिक विकास के कार्य में उचित मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों द्वारा सहयोग देना रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। रिजर्व बैंक कुछ ऐसे भी कार्य करता है जिन्हें साधारण बैंकिंग कार्य कहा जा सकता है। इस प्रकार, रिजर्व बैंक के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है—केन्द्रीय बैंकिंग के कार्य, तथा साधारण बैंकिंग कार्य।

केन्द्रीय बैंकिंग के कार्य 478

(1) नोट-निर्गमन (Issue of Paper Currency)—एक रुपये के नोट को छोड़कर, जो भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं, अन्य सब नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। ये सभी नोट अनोमित विधि-ग्राह्य होते हैं और केन्द्रीय सरकार की उन पर गारण्टी रहती है। कानूनी दृष्टि से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नोट परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (convertible paper money) हैं। परन्तु व्यावहारिक रूप में इनके बदले में रिजर्व बैंक को पूर्ण मूल्य की बहु-मूल्य धातुएँ देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, केवल एक रुपये के सिक्के प्राप्त किये जा सकते हैं।

भारत की वर्तमान नोट-निर्गमन व्यवस्था का अलग से विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। सन् 1956 से न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) अपनायी गयी है। नवम्बर 1957 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में किये गये द्वितीय संशोधन के अनुसार नोटों के बदले परिसम्पत्ति के रूप में रिजर्व बैंक का 200 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष में रखनी पड़ती हैं, जिसमें से 115 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना अथवा सोने के सिक्के होना आवश्यक है। 31 जनवरी, 1969 तक स्वर्ण कोष का मूल्य 53 रुपये 58 पैसे प्रति 10 ग्राम की दर से आँका जाता था। वर्तमान दर 84 रुपये 39 पैसे प्रति 10 ग्राम है।

नोट-निर्गमन के लिए रिजर्व बैंक का एक अलग विभाग—Issue Department—है, जिसका स्थिति-विचरण बैंकिंग विभाग से अलग रखा जाता है। बैंकिंग विभाग की माँग तथा उसके द्वारा हस्तांतरित विनिमय विलों अथवा सरकारी या अनुमोदित प्रतिभूतियों आदि के आधार पर निर्गमन विभाग नोट जारी अथवा रद्द करता है। भारत में व्यापारिक दृष्टि से अक्टूबर-नवम्बर से अप्रैल-मई तक का काल 'व्यस्त काल' (busy season) होता है जिसमें मुद्रा तथा साव की माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत, मई-जून से सितम्बर-अक्टूबर तक का काल 'मिथिल काल' (slack season) कहलाता है जिसमें व्यापारी तथा उद्योगपति अपने ऋण लौटाने लगते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि रिजर्व बैंक 'व्यस्त काल' में निर्गमित नोटों की मात्रा बढ़ाता है और 'मिथिल काल' में कम कर देता है।

जैसा कि बताया जा चुका है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोटों को चलन में लाने अथवा रखने के लिए निर्गमन विभाग के सात कार्यालय तथा दो उप-कार्यालय हैं। इनके अनिश्चित, देश भर में लगभग 1,300 स्थानों पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की प्रमुख शाखाओं के पाम चलन तिजोरियाँ (Currency Chests) रखी रहती हैं जिनमें रिजर्व बैंक के नोट जमा रहते हैं। देश में अन्य व्यापारिक बैंक इन्हीं तिजोरियों में विनिमय-पत्र अथवा सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के आधार पर साख प्राप्त करते हैं। चलन तिजोरियों में जमा राशि चलन मुद्रा नहीं मानी जाती, बल्कि बैंकिंग विभाग की जमा समझी जाती है। इनमें से निक्वाली गयी राशि ही चलन मुद्रा मानी जाती है और इसकी सूचना रिजर्व बैंक को प्रत्येक शुक्रवार को भेज दी जाती है।

1 "The main function of the Bank is to regulate the issue of Bank notes and the keeping of reserve with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage"—Reserve Bank of India Act, 1934

30 अप्रैल, 1971 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नोटों की कुल राशि 4,335 10 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 4,330 95 करोड़ रुपये के नोट चलन में थे और शेष 4 15 करोड़ रुपये के नोट बैंकिंग विभाग में जमा थे ।

स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक का कार्य न केवल पत्र-मुद्रा का निर्गमन करना है बल्कि मुद्रा की मात्रा को आवश्यकतानुसार नियन्त्रित करना भी है । यदि रिजर्व बैंक को मुद्रा-प्रसार करना हो तो बैंकिंग विभाग से प्रतिभूतियाँ निर्गमन विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाती हैं जिनके मूल्य के बराबर नये नोट छाप दिये जाते हैं । बैंकिंग विभाग से ली गयी प्रतिभूतियों को सौटा देने पर उतने मूल्य के नोट रद्द कर देने पड़ते हैं जिससे मुद्रा की मात्रा में कमी होती है ।

(2) साख-नियन्त्रण (Control of Credit)—साख-नियन्त्रण से अभिप्राय बैंको की ऋण देने की नीति को नियन्त्रित करना है । आज के युग में केवल चतान-मुद्रा की मात्रा नियन्त्रित करके ही विकास एव स्थिरता सम्बन्धी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती है । साख की मात्रा को भी आवश्यकतानुसार नियन्त्रित रखना अनिवार्य होता है । देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को साख-नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं और यह इनका प्रयोग भी करता है । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक को साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से बैंक-दर में परिवर्तन करन, खुले बाजार की क्रियाएँ करन तथा बैंको के नकद-कोषों की मात्रा में परिवर्तन करने के अधिकार प्राप्त हैं । बैंकिंग नियमन अधिनियम में दिये गये अधिकारों के अनुसार रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंको की ऋण-नीति, व्याज-नीति तथा विनियोग नीति को पूर्ण रूप से नियन्त्रित कर सकता है । इस प्रकार, रिजर्व बैंक को साख-नियन्त्रण के वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य केन्द्रीय बैंकों को दिये जाते हैं । साख-नियन्त्रण के सामान्य उपायों, जैसे बैंक-दर में परिवर्तन तथा खुले बाजार की क्रियाओं आदि के अनिश्चित रिजर्व बैंक ने साख-नियन्त्रण के गुणात्मक अथवा चयनात्मक (qualitative or selective) उपायों का भी प्रयोग किया है । रिजर्व बैंक की साख-नियन्त्रण की नीति तथा विभिन्न रीतियों के प्रयोग का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है ।

(3) बैंको का बैंक तथा अन्तिम ऋणदाता (Banker's Bank and Lender of the Last Resort)—देश की बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण होने के नाते रिजर्व बैंक एक ओर तो बैंको पर नियन्त्रण रखता है तथा दूसरी ओर उनके लिए अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है ।

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारतीय बैंकिंग विधान के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अन्य बैंको पर नियन्त्रण रखने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं । प्रत्येक अनुमूचित बैंक को अपनी कुल जमा का 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है, जिसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप एक तो देश के बैंकिंग आरक्षण (banking reserves) केन्द्रित होते हैं जिससे रिजर्व बैंक को साख-नियन्त्रण में सुविधा होती है और दूसरे बैंको के जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हो जाते हैं । बैंको पर नियन्त्रण रखने के अनेक अधिकार जो रिजर्व बैंक को दिये गये हैं, मुख्यतः इस प्रकार हैं - बैंको को साइसेन्ना देना, बैंको के शाखा-विस्तार पर नियन्त्रण रखना, बैंको के एकीकरण की योजनाओं की जाँच करना तथा स्वीकृति देना, बैंको का निरीक्षण करना, बैंको से विवरण प्राप्त करना तथा उनकी जाँच करना, कमजोर बैंको की समाप्ति की सिफारिश करना, ऋण-नीति की जाँच करना, सुभाव तथा सलाह या निर्देशन देना, बैंको की प्रवृत्त-व्यवस्था का नियमन करना, आदि ।

आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक अन्य बैंको के लिए अन्तिम सहारा अथवा अन्तिम ऋणदाता का कार्य करता है । अनुमोदित प्रतिभूतियों की धरोहर पर अनुमूचित बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं । रिजर्व बैंक इन बैंको द्वारा प्रस्तुत बिलों की पुनर्कटौती (rediscount) करता है । यह इनको नि:शुल्क अथवा सस्ती प्रेषण सुविधाएँ (remittance facilities) प्रदान करता है । जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक के कार्यालय हैं वहाँ यह अनुमूचित बैंको को समाशोधन गृह (clearing house) की सुविधाएँ प्रदान करता है ।

(4) सरकार का बैंकर (Banker to the Government)—सरकारी बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा राज्यों के बैंकर, एजेण्ट तथा सलाहकार का कार्य करता है। यह सरकार के नकदी गेप जमा करता है तथा अन्य सस्थाओं या लोगों द्वारा सरकार को चुकाई जाने वाली राशि वसूल करके सरकार के हिमाव में जमा करता है। सरकारी खाते में जमा धन-राशि की सीमा तक रिजर्व बैंक सरकार के आदेश से भुगतान भी करता है। रिजर्व बैंक सरकारी कोपो का स्थानान्तरण करता है तथा सरकार के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। सरकार के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए रिजर्व बैंक को कोई कमीशन नहीं दिया जाता, पर सरकारी जमाओं पर इसे व्याज भी नहीं देना पड़ता है।

सरकार के एजेण्ट के रूप में रिजर्व बैंक सार्वजनिक ऋणों (public debt) का प्रबन्ध करता है। सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने की पद्धति एवं व्यवस्था से लेकर निश्चित तिथि पर व्याज तथा मूलधन के भुगतान तक का सारा प्रबन्ध रिजर्व बैंक ही करता है और इसका हिसाब-किताब रखता है। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक सरकार की ओर से कोषागार विपत्र (treasury bills) बेचकर अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक को 2,000 रुपये प्रति करोड़ वार्षिक शुल्क मिलता है।

रिजर्व बैंक सरकार को कामचलाऊ ऋण देता है, जिन्हें 'उपाय एवं साधन अग्रिम' (ways and means advances) कहा जाता है। इन ऋणों का भुगतान अधिक से अधिक 90 दिन के अन्दर कर देना पड़ता है। इन पर बैंक-दर से 1 प्रतिशत कम व्याज लिया जाता है।

सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक सरकार को मौद्रिक, वित्तीय तथा आर्थिक कार्यों में सलाह देता है और इनसे सम्बन्धित सरकारी नीति को सफल बनाने की दिशा में भी कार्य करता है। सरकार के आदेश पर रिजर्व बैंक अपने अधिकारी विदेशों में तथा देश में विभिन्न पदों पर विशेषज्ञ-रूप में कार्य करने के लिए भेजता है।

(5) विनिमय-नियन्त्रण का कार्य (Regulation of Foreign Exchange)—रिजर्व बैंक का विनिमय-नियन्त्रण विभाग देश में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति का सम्पूर्ण लेला-जोखा रखता है और उत्तम सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास करता है। विदेशी मुद्राओं का ममस्त राष्ट्रीय कोष रिजर्व बैंक के अधिकार में रहता है और इसमें से कोई भी भुगतान उसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है। रुपये की विनिमय-दर को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक निर्धारित दरों पर विदेशी विनिमय का प्रय-विक्रय करता है अथवा किसी अन्य बैंक को इसके लिए अपना प्रतिनिधि बना सकता है, जिसे 'अधिकृत लेन-देन कर्ता' (authorised dealer) कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) द्वारा निर्धारित रुपये की दर में स्थिरता बनाये रखना रिजर्व बैंक का दायित्व है।

(6) कृषि-साख की व्यवस्था (Provision of Agricultural Credit)—रिजर्व बैंक का एक पृथक कृषि-साख विभाग है जिसके कार्य (1) कृषि-साख सम्बन्धी प्रश्नों का अध्ययन करना, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और राज्य सहकारी बैंकों व अन्य बैंकों को सलाह देना, तथा (2) कृषि-साख प्रदान करने वाली सस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना है। कृषि को उदारतापूर्ण सहायता देने के लिए 1956 में रिजर्व बैंक द्वारा दो कोषों की स्थापना की गयी—राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund] तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]। रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि-कार्यों तथा फसलों की विल्ली के लिए अल्पकालीन ऋण तथा कुछ विशिष्ट कृषि-प्रयोजनों के लिए मध्यकालीन ऋण रियायती दर पर देता है। राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देता है ताकि वे सहकारी साख सस्थाओं की शैयर पूँजी में भाग ले सकें। भूमि-बन्धक बैंकों को उनके ऋण-पत्र (debentures) खरीदकर व बेचकर उनके आधार पर ऋण दिये जाते हैं। व्यापारिक बैंकों को भी आदेश दिये गये हैं कि वे कृषि-साख को प्राथमिकता दें।

(7) अन्य कार्य—देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक उपर्युक्त कार्यों के अनिरीक्त कुछ अन्य कार्य भी करता है

(i) समाशोधन कार्य (Clearing House Function)—बैंको का बैंक तथा अन्तिम ऋणदाता होने के कारण रिजर्व बैंक शुरू से ही समाशोधन का कार्य कर रहा है। बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा हैदराबाद के समाशोधन गृहों की व्यवस्था स्वयं रिजर्व बैंक करता है। अन्य समाशोधन गृहों का संचालन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया करता है। गत वर्षों में समाशोधन गृहों में आने वाले बैंकों की संख्या और उनकी राशि में काफी वृद्धि हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में बैंकों का प्रयोग दिनोदिन बढ़ रहा है।

(ii) औद्योगिक वित्त (Industrial Finance)—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश में स्थापित औद्योगिक वित्त संस्थाओं को रिजर्व बैंक से महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों में रिजर्व बैंक ने अक्ष-पूर्वी लगा रखी है। औद्योगिक विकास बैंक व यूनिट ट्रस्ट की अक्ष-पूर्वी में भी रिजर्व बैंक का हिस्सा है। सन् 1964 में रिजर्व बैंक अधिनियम में एक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन कार्य) कोष [National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund] की स्थापना की गयी है जिसका उद्देश्य बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना है। लघु व मध्यम आकार के उद्योगों को बैंको व वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता दिलाने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 1960 से भारत सरकार ने साख गारण्टी योजना (Credit Guarantee Scheme) चालू की है। इस योजना के अन्तर्गत यद्यपि गारण्टी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, परन्तु इस योजना का संचालन रिजर्व बैंक ही करता है। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में, परीक्ष रूप में, महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

(iii) सूचना प्रकाशन (Provision of Monetary and Financial Information)—रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा, साख तथा आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वस्त जानकारी प्रकाशित करना है। रिजर्व बैंक देश के मुद्रा-बाजार के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करता है और करैन्सी, वित्त, बैंकिंग तथा सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में भी रिपोर्टें प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक प्रति वर्ष संचालक-मण्डल की वार्षिक रिपोर्टें, भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्टें तथा मुद्रा और वित्त की रिपोर्टें प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक का मासिक बुलेटिन महत्वपूर्ण आर्थिक सूचनाएँ तथा आँकड़े देता है।

(iv) बैंकिंग में प्रशिक्षण (Training in Banking)—बैंकों के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का होना आवश्यक है। सितम्बर 1954 में रिजर्व बैंक ने बम्बई में 'बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज' की स्थापना की जहाँ व्यापारिक बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साधारण बैंकिंग कार्य

केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक कुछ साधारण बैंकिंग कार्य भी करता है, जो निम्नलिखित हैं

(1) रिजर्व बैंक केन्द्रीय व राज्य सरकारों तथा व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी, अर्द्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से जमा प्राप्त कर सकता है। किन्तु इन जमाओं पर रिजर्व बैंक व्याज नहीं देता है।

(2) रिजर्व बैंक ऐसे व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय तथा पुनः कटौती (rediscount) करता है, जिनकी अवधि 90 दिन से अधिक न हो, जिनका भुगतान भारत में होने वाला हो तथा जिन पर दो प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हो, जिनमें एक किमी सदस्य बैंक का हो।

(3) ऐसे कृषि बिलों को रिजर्व बैंक भुना अथवा खरीद-बेच सकता है जो फसल की वित्री अथवा कृषि के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से लिये गये हों जिनकी अवधि 15 माह से अधिक न हो।

(4) रिजर्व बैंक ऐसे विदेशी विनिमय बिलों का नय-वित्रय कर सकता है जिनकी अवधि

90 दिन से अधिक न हो तथा जिनका भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के किसी सदस्य देश में होना हो।

(5) सदस्य बैंको से रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय कर सकता है, परन्तु यह 1 लाख रुपये से कम मूल्य का नहीं होना चाहिए।

(6) विदेशी सरकारों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ रिजर्व बैंक द्वारा खरीदी-बेची जा सकती हैं, परन्तु इनका भुगतान खरीदने की तिथि से 10 वर्षों के अन्दर हो जाना चाहिए।

(7) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक कामचलाऊ ऋण (ways and means advance) देता है, जिनकी अवधि 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती है।

(8) अनुसूचित बैंको तथा राज्य सहकारी बैंको को स्वीकृत प्रतिभूतियों, उच्च कोटि के ऋण-पत्रों, सोना-चाँदी आदि की जमानत पर अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए ऋण दिये जा सकते हैं।

(9) आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक किसी सदस्य बैंक या विदेशी केन्द्रीय बैंक से अपनी ही सम्पत्ति की जमानत पर अधिक से अधिक 30 दिन के लिए ऋण ले सकता है, परन्तु ऋण की कुल रकम बैंक की कुल पूंजी से किसी प्रकार भी अधिक नहीं होनी चाहिए।

(10) रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के किसी सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक के यहाँ खाता खोल सकता है, उससे एजेंसी सम्बन्ध बना सकता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं के साथ लेन-देन कर सकता है।

(11) रिजर्व बैंक स्वर्ण के सिक्के तथा स्वर्ण-धातु का क्रय-विक्रय कर सकता है।

(12) रिजर्व बैंक और भी कई प्रकार के साधारण बैंकिंग कार्य कर सकता है, जैसे— अपने कार्यालय पर देय दर्शनी ड्राफ्ट (demand draft) बेचना, नकद रूपया, प्रतिभूतियाँ या बहु मूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखना, ऋण-पत्रों पर भुगतान लेना, अपने किसी दावे के भुगतान में हाथ में आई हुई चल या अचल सम्पत्ति को बेचना और उसका मूल्य प्राप्त करना, आदि।

रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य

अनेक साधारण बैंकिंग कार्य करने के बावजूद रिजर्व बैंक कोई साधारण व्यापारिक बैंक नहीं है और न ही यह किसी व्यापारिक बैंक के साथ प्रतियोगिता कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 18 के अनुसार रिजर्व बैंक को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति नहीं है

(1) जनता से व्याज पर जमा स्वीकार नहीं कर सकता।

(2) किसी प्रकार का व्यापार नहीं खोल सकता, किसी व्यापारिक सस्था में न हिस्सा ले सकता है और न ही उसे आर्थिक सहायता दे सकता है। अपने ऋण को वसूल करने के लिए कुछ निश्चित काल के लिए रिजर्व बैंक किसी उद्योग अथवा व्यवसाय में हिस्सा ले सकता है।

(3) निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता है।

(4) गैर-जमानती (unsecured) ऋण नहीं दे सकता है।

(5) अचल सम्पत्ति की जमानत पर न तो ऋण दे सकता है और न ही अपने काम के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से अचल सम्पत्ति खरीद सकता है। ऐसी किसी प्रतिभूति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता है जो उसके द्वारा अनुमोदित न हो।

(6) किसी कम्पनी के अंश न तो खरीद सकता है और न ही उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है।

(7) वह न तो ऐसे विलों को लिख सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है जो मांग पर शोधनीय (payable on demand) न हो।

रिजर्व बैंक को ऐसे सभी कार्य करने की मनाही कर दी गयी है जिनसे इसकी सुरक्षा पर आंच आने की सम्भावना हो अथवा अन्य बैंको से प्रतियोगिता करना सम्भव हो सके।

रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन

रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर अब तक इसके सामने कई समस्याएँ आयीं और इसने उन

मूल का बुधनतापूर्वक मामला किया है। अपने वारों में रिजर्व बैंक को अनेक सफलताएँ मिली हैं और कुछ क्षेत्रों में यह असफल भी रहा है। इसकी सफलताओं तथा विफलताओं का मशिक्षित विवरण निम्न प्रकार है

रिजर्व बैंक की सफलताएँ

(1) मुद्रा की सुलभता—रिजर्व बैंक ने सदैव प्रयत्न किया है कि देश में उद्योग, व्यापार तथा वृत्ति के लिए कम व्याज पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो सकें। नवम्बर 1935 में बैंक-दर 3 प्रतिशत निश्चिन्त की गयी और मन् 1951 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मन् 1951 के बाद बैंक-दर में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है, परन्तु यह बाजार की व्याज-दर से सदैव बहुत नीची रही है। मस्ती मुद्रा-नीति के कारण रिजर्व बैंक देश में साधारण व्याज-दर कम करने में सफल रहा है। व्यस्त ऋतुओं में अतिरिक्त मुद्रा तथा साक्ष की व्यवस्था करके रिजर्व बैंक बड़ी हुई मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के सदैव प्रयत्न करता रहा है।

(2) व्याज दरों में स्थिरता—मुद्रा-बाजार की दरों में होने वाले समय-समय पर अथवा ऋतु-अनुसार उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करने में रिजर्व बैंक सफल रहा है। विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों में प्रचलित व्याज-दरों में पाय जान वाले परिवर्तन समाप्त हो गये हैं।

(3) प्रेषण-सुविधाएँ—रिजर्व बैंक ने अनुमोचित बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा सरकार आदि को सस्ती प्रेषण सुविधाएँ (remittance facilities) प्रदान कर्ने तथा इनका विस्तार करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इसमें देश-मकम खर्चों पर धन का हस्तान्तरण करना सरल हुआ है।

(4) बैंकिंग व्यवसाय में हड़ता—मुद्रा-बाजार में रिजर्व बैंक के अस्तित्व तथा अन्य बैंकों पर इसके नियन्त्रण के कारण देश में बैंकिंग का स्वस्थ विकास सम्भव हो सका है। देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बैंकिंग व्यवसाय के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न हुआ है। बैंकों के फेल होने की प्रवृत्ति कम हुई है तथा बैंकों के एकीकरण द्वारा रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था में हड़ता लाने के प्रयास करता रहा है।

(5) बैंकिंग विधान—रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 1949 के निर्माण करने तथा उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मन् 1950 से यह अन्य बैंकों का नियमित रूप में निरीक्षण करता रहा है। बैंकिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अधिकारों तथा शक्तियों के सफलतापूर्वक प्रयोग द्वारा देश में बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर करने में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

(6) मुद्रा तथा साक्ष की मात्रा पर नियन्त्रण—मुद्रा तथा साक्ष की मात्रा को नियन्त्रित करने के लिए रिजर्व बैंक को विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों के प्रयोग द्वारा रिजर्व बैंक का व्यापारिक बैंक पर अधिक नियन्त्रण सम्भव हो सका है। इसकी मात्रा नियन्त्रण तथा मौद्रिक अनुनामन की नीति ने मुद्रा-स्फीति के दवावों को रोकने में बड़ी सहायता की है। रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा साक्ष नीति के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं—विक्रम एव स्थिरता (growth with stability), अर्थात् विक्रमशील अर्थ-व्यवस्था की मात्रा सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करके विकास में सहायता देना तथा मुद्रा-स्फीति के दवावों को नियन्त्रण में रखना। इन उद्देश्यों में पूर्ण सफलता न मिलने के बावजूद यह स्वीकार करना पड़ता है कि मुद्रा तथा साक्ष-नियन्त्रण के क्षेत्र में रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है।

(7) विनिमय-दरों में स्थिरता—रिजर्व बैंक ने न केवल विनिमय-नियन्त्रण को सफलतापूर्वक चलाया है, बल्कि कई बार भारी दवावों के बावजूद रिजर्व बैंक रुपये की विनिमय-दर को स्थिर बनाये रखने में सफल रहा है। इस कार्य को करने के लिए रिजर्व बैंक ने अनेक विदेशी मुद्राओं को अपने पास रखा है तथा निश्चिन्त दरों पर विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का कार्य किया है। रिजर्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से सम्बन्ध रखकर विदेशी विनिमय-दरों को स्थायी रखने का प्रयास किया है।

(8) सरकार का बैंकर—सरकारी बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक ऋणों का

प्रबन्धन, सरकारी ऋणों की सुरक्षा तथा सरकार की ओर से लेन-देन आदि कार्यों को सुचारु रूप से किया है। गत वर्षों में रिजर्व बैंक ने अत्यन्त सफलतापूर्वक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से कम दरों पर ऋण (floated loans) जारी किये हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसन सरकार को अल्पकालीन वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

(9) आर्थिक सलाहकार—रिजर्व बैंक न केवल सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बल्कि गत वर्षों में इसने अपने विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (F A O) जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत सरकार के आदेशानुसार भेजे हैं। रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ सूडान, तनजानिया, घाना, जाम्बिया, लीबिया, युगांडा आदि अनेक अफ्रीकी देशों के केन्द्रीय बैंकों में सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे हैं। देश के भीतर जमा-बीमा निगम, कृषि-पुनर्वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, अनेक राज्य सहकारी बैंक तथा व्यापारिक बैंक आदि संस्थाओं में रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

(10) वित्त-बाजार का विकास—देश में विनिमय-वित्त का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सन् 1952 में एक वित्त-बाजार योजना (Bill Market Scheme) चालू की। इसके अन्तर्गत अधिक आयश्यकता के समय बैंक अपने निवेश ढाँचे में बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी किये अधिक वित्त प्राप्त कर सकते हैं तथा मन्दी के समय उसको लौटा सकते हैं। इस प्रकार देश में साख-व्यवस्था लोचपूर्ण हो जाती है।

(11) कृषि वित्त-व्यवस्था—कृषि की वित्त-व्यवस्था में रिजर्व बैंक का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। रिजर्व बैंक के प्रयास से ही देश में सहकारिता का विकास हुआ है। राज्य सहकारी बैंकों को उदारतापूर्वक ऋण तथा अन्य सुविधाएँ देकर रिजर्व बैंक ने प्रथमनीय कार्य किया है। कृषि-साख के विकास के लिए रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श, सहायता एवं सहयोग प्रदान करता है।

(12) औद्योगिक वित्त-व्यवस्था—औद्योगिक वित्त के लिए विभिन्न संस्थाओं, जैसे औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम तथा औद्योगिक विकास बैंक आदि का निर्माण करने में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इसने अपने सहायक के रूप में औद्योगिक विकास बैंक स्थापित किया है। रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक साख कोष तथा औद्योगिक वित्त विभाग की भी स्थापना की गयी है।

(13) आर्थिक विकास में सहयोग—देश में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने में रिजर्व बैंक ने सरकार को सहयोग दिया है। इसने कृषि, उद्योग तथा विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई साख आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करके आर्थिक विकास में सहायता दी है। माघना की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था (deficit financing) का संचालन रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया है।

(14) बैंकिंग विकास को प्रोत्साहन—रिजर्व बैंक ने बैंकों के नित्र, दार्शनिक तथा मार्ग-दर्शक के रूप में कार्य किया है। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद ही देश में स्वस्थ बैंकिंग परम्परा का विकास हुआ है तथा देश में बैंकिंग सेवाओं की वृद्धि हुई है। समाशोधन व्यवस्था के विकास द्वारा बैंक द्वारा लेन-देन सुविधाजनक हो गया है। जमा दरों (deposit rates) का अधिक नियमित ढाँचा लागू करने से लोगों को दीर्घकालीन जमा रखने के लिए प्रेरणा मिली है। देश में प्रसिद्धित बैंकिंग कार्यकर्ताओं व विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। जमा-बीमा निगम की स्थापना एवं संचालन में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

(15) अनुसन्धान तथा अंक-प्रकाशन—रिजर्व बैंक के मासिकी विभाग (Statistics Department) ने मुद्रा, साख तथा देश की आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुसन्धान किया है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित मुद्रा, मूल्य, वित्त आदि सम्बन्धी सूचनाएँ तथा आंकड़े हमें देश की आर्थिक स्थिति से परिचित कराते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ने देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इमने अपने कार्यों द्वारा देश में मौद्रिक स्थिरता, बैंकिंग मुधार एवं प्रसार तथा मुद्रा बाजार के परिष्कार (re-orientation) का सूत्रपात किया है। परन्तु कुछ क्षेत्र अथवा कार्य ऐसे भी हैं जिनमें रिजर्व बैंक को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है, इसलिए इसके कार्य आलोचना से रहित नहीं हैं।

रिजर्व बैंक की असफलताएँ

(1) मुद्रा-बाजार के पूर्ण संगठन में असफलता—इममें सन्देह नहीं कि गत वर्षों में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने काफी प्रगति की है, परन्तु विकसित देशों की तुलना में अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी असफलता यह है कि यह देश के मुद्रा-बाजार को अच्छी तरह संगठित नहीं कर पाया है। देशी बैंकर भारतीय मुद्रा-बाजार का प्रमुख अंग होने हुए भी रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नहीं आ सके हैं। सहकारी साख्त समितिया तथा छोटे बैंकों पर भी इमका नियन्त्रण प्रभावनाली नहीं रहा है। मुद्रा-बाजार के विभिन्न भागों व अंगों में कोई ताल-मेल नहीं है और भारतीय मुद्रा-बाजार में एक अविकसित मुद्रा-बाजार के सब लक्षण विद्यमान हैं।

(2) रुपये के आन्तरिक मूल्य में अस्थिरता—रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति रुपये के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता बनाये रखने में असफल रही है। रिजर्व बैंक की साख्त-नियन्त्रण नीति भी पूर्णतया प्रभावपूर्ण नहीं हुई है। मुद्रा तथा साख्त की पूर्ति में निरन्तर वृद्धि होने के कारण देश में कीमत-स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इमका जनता की आर्थिक स्थिति तथा देश में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश में मुद्रा-स्फीति की स्थिति के लिए एकमात्र उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक का नहीं है, यह अनेक कारणों का परिणाम है। परन्तु यदि रिजर्व बैंक का नियन्त्रण अधिक कठोर होता तो स्थिति इतनी अधिक न बिगड़ पाती।

(3) रुपये के विदेशी मूल्य में गिरावट—रिजर्व बैंक भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य भी स्थिर नहीं रख पाया है। सन् 1949 में रुपये का अवमूल्यन बहुत कुछ विदेशी कारणों के प्रभाव में किया गया था। परन्तु 1966 में रुपये का अवमूल्यन हमारी आन्तरिक आर्थिक नीतियों की विफलता का परिणाम था। विदेशी विनिमय-बाजार में रुपये का मूल्य गिर चुका था, जून 1966 के अवमूल्यन द्वारा इमने केवल सरकार ने नियमित रूप प्रदान कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 'छिपा हुआ' अवमूल्यन 'खुल' अवमूल्यन में बदल गया है।

(4) व्याज की दरों में भिन्नता—रिजर्व बैंक देश में व्याज की दरों में समानता लाने में भी विफल रहा है। भारतीय मुद्रा-बाजार में प्रचलित व्याज की दरों में भारी भिन्नता पायी जाती है। देशी बैंकर, साहूकार तथा महाजन ऊँची व्याज दर असूल करते हैं और बैंक-दर में परिवर्तनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(5) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त साख्त-व्यवस्था—देश के आर्थिक विकास की योजनाओं में कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। अनेक प्रयास करने के बावजूद रिजर्व बैंक इन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त साख्त की व्यवस्था करने में असमर्थ रहा है। बैंकों पर 'सामाजिक नियन्त्रण' लागू करने के बाद भी अधिक सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिल सके। विवश होकर बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है।

(6) बिल-बाजार का अभाव—रिजर्व बैंक देश में एक स्वतन्त्र, सुसंगठित तथा विस्तृत बिल-बाजार की स्थापना करने में असमर्थ रहा है। बिलों की पुनः कटौती की पर्याप्त मुविधाएँ प्रदान नहीं की जा सकी हैं। रिजर्व बैंक की बिल-बाजार योजना से बैंकों को ध्यस्त मौसम में धन प्राप्त करने की मुविधा हुई है, परन्तु उमसे स्वतन्त्र बिल-बाजार की स्थापना नहीं हो सकी है।

(7) दोषपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था—देश में बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने के विस्तृत अधिकार प्राप्त होने पर भी रिजर्व बैंक बड़े व्यापारिक बैंकों के कार्य तथा नीति को पूर्णतया

नियन्त्रित नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने साधनों का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है तथा देश में बड़े उद्योगपतियों व पूंजीपतियों के हित में कार्य किया है। इनके कारण देश में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है। इन्हीं कारणों से जुलाई 1969 में इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। अब भी विदेशी बैंक सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं। विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रवर्धन तथा विनिमय सम्बन्धी कार्यों के लिए अभी भी हमें बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है।

निष्कर्ष

वास्तविकता यह है कि रिजर्व बैंक के कार्य तथा उत्तरदायित्व इतने अधिक हैं कि सभी दिशाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त करना इसके लिए सम्भव नहीं हो पाया है। एक विकासशील देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते इसकी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई हैं। यह अनुभव किया जाने लगा है कि सफल संचालन के लिए रिजर्व बैंक के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। रिजर्व बैंक का कार्य-भार कम करने के लिए इसके कुछ कार्य अन्य सस्थाओं को सौंप देने चाहिए। एक सुझाव यह भी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, अमरीकी फेडरल रिजर्व सिस्टम की भाँति, अलग-अलग क्षेत्रीय रिजर्व बैंक संगठित किये जायें। सेयर्स के अनुसार, भारत जैसे बड़े देशों को, जिनमें जनसंख्या अधिक है और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सघात्मक (federal) सस्थाओं की आवश्यकता होती है।¹ रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों के कार्यों व नीतियों में समानता लाने के लिए केन्द्रीय समन्वय बोर्ड की स्थापना की जा सकती है। भारतीय मुद्रा-बाजार के नियमित विकास के लिए रिजर्व बैंक को निरन्तर प्रयत्नशील रहना है और देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के सफल संचालन पर ही देश में बैंकिंग व्यवस्था का भविष्य निर्भर करेगा। बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारत की बैंकिंग व्यवस्था को नया मोड़ मिला है। आशा है कि सरकार के राष्ट्रीय दृष्टिकोण व रिजर्व बैंक की सजग नीति से देश में बैंकिंग का समुचित विकास शीघ्र ही सम्भव हो सकेगा।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अथवा साख-नियन्त्रण नीति

उद्देश्य

एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के लिए ऐसी क्रियाशील मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है जो आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ-साथ देश में स्थिरता कायम रख सके। भारत में नियोजित आर्थिक विकास के काल में रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य 'स्थिरता के साथ आर्थिक विकास' (growth with stability) की प्राप्ति के लिए प्रयास करना रहा है। इस प्रकार रिजर्व बैंक की नीति का उद्देश्य एक ओर तो आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना तथा दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति दबावों (inflationary pressures) को नियन्त्रण द्वारा कम करना रहा है।

देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायक होने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने साख-विस्तार (credit expansion) के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। कृषि और औद्योगिक वित्त के लिए रिजर्व बैंक ने कई विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं की स्थापना में सहायता की है। सहकारी समस्याओं तथा छोटे उद्योगों के लिए विशेष रूप से साख का प्रवर्धन किया है। भारत के निर्यात बढ़ाने तथा उनके लिए वित्त का प्रवर्धन करने में भी रिजर्व बैंक ने सराहनीय कार्य किया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए रिजर्व बैंक की नीति उदारतापूर्ण रही है। सरकारी प्रतिभूतियों को विभेदात्मक आश्रय (discriminatory support) प्रदान करके सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने में सहायता की है। रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति न केवल आर्थिक विकास के लिए विनियोग प्रोत्साहित

1 "Large countries, like India, with huge population, particularly when they are economically backward, need federal type of institutions both in government and for the management of money, modelled on the American system."—R. S. Sayers. *Modern Banking*, p. 296

करने के लिए प्रयत्नशील रही है, वल्कि व्याज-दरों में आवश्यक वृद्धि करके इसने बचतों को भी प्रोत्साहन दिया है।

स्थिरता कायम रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने देश के उत्पादक साधनों के अनुरूप बैंक साख के विस्तार को नियमित करने और आर्थिक प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए इसे नियन्त्रित करने की नीति अपनायी है। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फूर्ति की सम्भावनाएँ निरन्तर बनी रहती हैं, क्योंकि विनियोग की मात्रा बढ़ती जाती है और उत्पादन तथा आय में साथ-साथ उस अनुपात में वृद्धि न होने के कारण बचत की दर कम होनी है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक होता है कि मुद्रा-नीति द्वारा साख की लागत, मात्रा तथा प्रयोग को नियन्त्रित किया जाय।

उपर्युक्त उद्देश्यों को सामने रखते हुए रिजर्व बैंक ने 'नियन्त्रित साख-विस्तार' (Controlled Credit Expansion) की नीति अपनायी है। इस प्रकार की मुद्रा-नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य साख का विस्तार करना होता है, किन्तु अल्पकाल में इसके विस्तार की गति को नियन्त्रित करने का प्रयास किया जाता है।

साख-नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक ने सामान्य साख नियन्त्रणों (general credit controls) तथा गुणात्मक साख-नियन्त्रणों (selective credit controls) का प्रयोग किया है। अब हम रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किये गये साख-नियन्त्रण के अस्त्रों का अध्ययन करेंगे।¹

(1) बैंक-दर (Bank Rate)—4 अप्रैल, 1935 को रिजर्व बैंक की बैंक-दर 3½ प्रतिशत घोषित की गयी थी, किन्तु नवम्बर 1935 में उसे 3 प्रतिशत कर दिया गया। तब से 14 नवम्बर, 1951 तक, अर्थात् सोलह वर्ष तक, बैंक-दर 3 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। देश की आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए, परन्तु रिजर्व बैंक ने बैंक-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया। सन् 1951 तक रिजर्व बैंक ने बैंक-दर का प्रयोग साख-नियन्त्रण के एक अस्त्र के रूप में नहीं किया। व्यापारिक बैंकों की जमाओं में वृद्धि हो जाने के कारण वे न तो रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता लेने के इच्छुक थे और न ही उन्हें इसकी कोई विशेष आवश्यकता थी। इस काल में रिजर्व बैंक सस्ती मुद्रा-नीति (cheap money policy) का अनुसरण करता रहा, जिसके परिणामस्वरूप न केवल असाधारण रूप से साख का विस्तार हुआ अपितु इससे व्यापारिक क्षेत्र में सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला और भुगतान-सन्तुलन के घाटे में वृद्धि हुई।

15 नवम्बर, 1951 को बैंक-दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दी गयी। 16 मई, 1957 को बैंक दर 4 प्रतिशत कर दी गयी, जिससे बैंक-दर मुहूर्ती विषयों की वास्तविक दर के समान हो गयी। 3 जनवरी, 1963 से बैंक-दर में ½ प्रतिशत की और वृद्धि की गयी और इस प्रकार यह 4½ प्रतिशत हो गयी। तृतीय योजना काल में बढ़ती हुई मुद्रा-स्फूर्ति को रोकने के लिए 25 सितम्बर, 1964 को बैंक-दर 5 प्रतिशत कर दी गयी। लगभग 6 माह के भीतर ही बैंक-दर में और वृद्धि करना आवश्यक समझा गया। पहली बार एक साथ 1 प्रतिशत की वृद्धि करके 17 फरवरी, 1965 को बैंक-दर 6 प्रतिशत कर दी गयी। तृतीय योजना-काल के बाद देश में औद्योगिक शिथिलता (recession) की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें सुधार लाने के लिए 2 मार्च, 1968 को बैंक-दर घटाकर पुनः 5 प्रतिशत कर दी गयी। 8 जनवरी, 1971 से बैंक-दर पुनः बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1963 के बाद बैंक-दर में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं। सामान्य प्रवृत्ति बैंक-दर को ऊँचा उठाने की ही रही है।

1 अक्टूबर, 1960 से 25 सितम्बर, 1964 तक रिजर्व बैंक ने व्याज-दर की खण्ड-प्रणाली (slab system of lending rates) अपनायी। इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास अनुमूचित बैंकों की कुल वैधानिक जमाओं (statutory deposits) के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर उनके मूल कोटे (basic quota) निर्धारित कर दिये गये। निर्धारित कोटे की सीमा तक रिजर्व बैंक से बैंक-दर पर ऋण लिया जा सकता था। इससे अधिक ऋण लेने पर बैंक दर के अतिरिक्त व्याज

1. साख नियन्त्रण के विभिन्न अस्त्रों की प्रकृति तथा प्रभावों का वर्णन के 'दीर्घ बैंकिंग' के अध्याय में किया जा चुका है।

की दण्ड-दर (penal rates) देनी पड़ती थी। श्रेणीबद्ध दरों (graded lending rates) को इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक बैंक-दर के बजाय बहुमुखी दरों (multiple rates) की रीति अपनायी गयी थी।

सन् 1960 में बैंक-दर की त्रिसूत्री प्रणाली (Three-Tier System) चालू हुई, जिसके अनुसार अपनी वैधानिक जमाओं की 50 प्रतिशत राशि तक अनुसूचित बैंक बैंक-दर पर ऋण ले सकते थे। इसके बाद बोटों के 200 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत अधिक और इससे अधिक ऋण पर बैंक-दर से 2 प्रतिशत अधिक व्याज देनी पड़ती थी। 2 जुलाई, 1962 को इस प्रणाली को चतुःसूत्री (Four-Tiers System) बना दिया गया और मूल कोटा वैधानिक जमाओं के 25 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया। 31 अक्टूबर, 1962 को कुछ और परिवर्तन किये गये। 2 जनवरी, 1963 में यह व्यवस्था की गयी कि अनुसूचित बैंक अपनी वैधानिक जमाओं के 50 प्रतिशत तक ऋण बैंक-दर (4½ प्रतिशत) पर ले सकेंगे और शेष 50 प्रतिशत ऋण लेने के लिए 6 प्रतिशत व्याज देनी पड़ेगी। इससे अधिक ऋण देना रिजर्व बैंक की इच्छा पर निर्भर करेगा और उनके लिए 6½ प्रतिशत व्याज देनी पड़ेगी। कोटा-प्रणाली में 30 अक्टूबर, 1963 तथा 11 मार्च, 1964 को भी कुछ परिवर्तन किये गये।

बैंक-दर की बहुमुखी दरें लागू करने का उद्देश्य बैंकों को आवश्यकता से अधिक ऋण लेने से रोकना था। परन्तु यह प्रणाली शीघ्रितया अथवा समता के सिद्धान्त के विरुद्ध थी, क्योंकि अधिक जमाओं वाले बैंक रिजर्व बैंक से बैंक-दर पर अधिक ऋण प्राप्त कर सकते थे। इसके विपरीत, छोटे बैंक रिजर्व बैंक में कम ऋण ले सकते थे और उन पर दण्ड-दर का भार भी अधिक पड़ता था।

25 दिसम्बर, 1964 को व्याज-दर की खण्ड-प्रणाली समाप्त कर दी गयी और इसका स्थान पर भेदपूर्ण व्याज-नीति (differential interest rate policy) लागू की गयी। रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों पर व्याज का निर्धारण अब बैंकों की तरलता स्थिति (liquidity position) के आधार पर किया जाने लगा। किसी भी बैंक द्वारा बैंक-दर (5 प्रतिशत) पर ऋण प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वह अपनी कुल मांग तथा नगण्य जमाओं (demand and time deposits or liabilities) का 28 प्रतिशत या इससे अधिक विमुद्ध तरलता अनुपात (net liquidity ratio) के रूप में अपने पास रखे।¹ इस अनुपात में प्रत्येक 1 प्रतिशत की कमी पर व्याज की दर ½ प्रतिशत बढ़ जायेगी। साथ ही, यह भी निश्चित कर दिया गया कि बैंक अपने द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर अधिक में अधिक 9 प्रतिशत तक व्याज ले सकेंगे।

17 फरवरी, 1965 को बैंक-दर 6 प्रतिशत कर देने के साथ-साथ बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए विमुद्ध तरलता अनुपात 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। बैंक द्वारा ली जाने वाली व्याज-दर की उच्चतम सीमा 1 प्रतिशत बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी।

उपर्युक्त परिवर्तनों के बावजूद साख विस्तार की गति बटनी ही गयी और अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि हुई। सन् 1966 के प्रारम्भ से देश में औद्योगिक स्थिरता (recession) की स्थिति पैदा हो गयी। इसे दूर करने के उद्देश्य में रिजर्व बैंक ने उदार साख-नीति का सहारा लिया और 2 मार्च, 1968 को बैंक-दर 6 प्रतिशत में घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी।

1968 में बैंक-दर में की गयी कमी, वास्तव में, अनावश्यक थी और अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। बाद में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों ने और भी स्पष्ट कर

1 विमुद्ध तरलता अनुपात किसी बैंक की विमुद्ध तरल परिसम्पत्ति की उसकी मांग व समय बंधनकारिता के बीच अनुपात है। विमुद्ध तरल परिसम्पत्ति बैंक में नकद राशि, रिजर्व बैंक के पास बकाया राशि, अन्य बैंकों के पास धारण आना व बकाया राशि तथा सरकारी व स्वीडन प्रतिभूतियाँ व वित्तियोग के षड्द म सं उसक द्वारा रिजर्व बैंक से बैंक और औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त ऋण की राशि का घटाव से बचने वाली राशि व बराबर है। बैंक के वैधानिक तरलता अनुपात से यह भिन्न है क्योंकि इसमें स्वीडन प्रतिभूतियाँ व अतिरिक्त अन्य विला पर रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण तथा औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त ऋण सम्मिलित नहीं हैं। इसीलिए इस विमुद्ध तरलता अनुपात कहा गया है।

दिया कि बैंक-दर में पुनः वृद्धि करना आवश्यक था। 1970 में मुद्रा की पूर्ति 12 प्रतिशत बढ़ गयी क्योंकि बैंक-साख में वृद्धि का अनुपात बैंको की जमा-राशि में वृद्धि से काफी अधिक था। अधिक साधन प्राप्त करने के लिए बैंको की रिजर्व बैंक के साधनों पर निर्भरता बढ़ गयी। एक वर्ष पूर्व की तुलना में 19 दिसम्बर, 1970 को थोक कीमतों का निर्देशांक 7.4 प्रतिशत ऊँचा था।

विवश होकर रिजर्व बैंक को 9 जनवरी, 1971 से बैंक-दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर पुनः 6 प्रतिशत कर देनी पड़ी। बैंक-दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए विशुद्ध तरलता अनुपात 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही, बचत को बढ़ावा देने तथा बैंको की जमा-राशि में वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज-दरों में भी वृद्धि की गयी है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए रिजर्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए रियायती दरों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि गत वर्षों में रिजर्व बैंक ने बैंक-दर को साख-नियन्त्रण के सक्रिय उपाय के रूप में अपनाया है। रिजर्व बैंक की नीति यह रही है कि एक निश्चित सीमा के पश्चात् बैंको द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लेना हतोत्साहित किया जाय। 2 मार्च, 1968 की कटौती को छोड़कर बैंक-दर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का उद्देश्य मुख्यतः स्फीतिक दबावों को कम करना था। परन्तु इसका प्रयोग बहुत भिन्नकर किया जाता रहा है, इसलिए यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में अधिक प्रभावपूर्ण नहीं रही है। वास्तव में, भारत में बैंक-दर ब्याज की बाजार-दरों का अनुसरण करती रही है। बाजार-दरों को प्रभावित करने के बजाय यह उल्टे बाजार-दरों से प्रभावित हुई है।

(2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—जैसा कि 'केन्द्रीय बैंकिंग' के अध्याय में बताया जा चुका है, खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा-पत्रों आदि के क्रय-विक्रय से है। साख-नियन्त्रण के एक उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएँ विशेषकर बैंक-दर में परिवर्तनों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए की जाती हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रिजर्व बैंक को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी व अर्द्ध-सरकारी सस्याओं द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के अतिरिक्त ऐसे व्यापारिक बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों को खरीद, बेच अथवा पुनः भुना सकता है जिनका भुगतान 90 दिन के भीतर भारत में होने वाला हो तथा जिन पर कम से कम दो प्रतिशत हस्ताक्षर हो (इनमें से एक हस्ताक्षर किसी सदस्य बैंक का हो)। रिजर्व बैंक 15 माह तक की अवधि के लिए लिखे गये ऋण बिलों को भी खरीद, बेच या पुनः भुना सकता है।

रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित रही हैं। भारत में सभी अनुमूचित बैंको को अपने कुल दायित्वों का कम से कम 25 प्रतिशत तरल रूप (नकद राशि, स्वर्ण तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों) में रखना होता है जिसका अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। सन् 1951 तक बैंक रिजर्व बैंक को असीमित मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर नकदी प्राप्त कर लिया करते थे जिसके आधार पर साख का प्रसार कर लेते थे। नवम्बर 1951 में रिजर्व बैंक ने बैंको से उदारतापूर्वक प्रतिभूतियाँ खरीदने की नीति में परिवर्तन कर दिया। यह घोषणा कर दी गयी कि बैंको को सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदेगा नहीं, बल्कि इनके आधार पर ऋण देगा। यह नीति नवम्बर 1956 तक प्रचलित रही। इन पाँच वर्षों में रिजर्व बैंक ने केवल 50 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा, जबकि सन् 1948 से 1951 तक के तीन वर्षों में बैंक ने लगभग 200 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को खरीदा था। रिजर्व बैंक की इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि बैंक-दर पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण हो गयी और बैंकिंग सस्याओं पर रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया। परन्तु बैंको की शिकायत यह थी कि नयी नीति उनके लिए महँगी, अमुविधाजनक तथा कष्टदायक थी।

बाजार में मुद्रा की सभी को दूर करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1956 से समय-समय पर सरकारी ऋण-पत्रों की खरीदने की नीति को अपनाया। यह नीति एक वर्ष से भी

कम समय तक प्रचलित रही और सन् 1957 से बैंक ने ऋण पत्रों को अधिक मात्रा में बेचना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1960 में रिजर्व बैंक ने अधिक मात्रा में ऋण-पत्रों को खरीदा था। 1962 के पश्चात् रिजर्व बैंक के खुले बाजार की क्रियाओं का उद्देश्य देश में मुद्रा स्फीति को कम करना रहा है और इसके लिए रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता रहा है। ऋण-पत्रों के प्रत्यक्ष क्रय-विक्रय के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अपने निवेशों में सन्तुलन रखने तथा निवेशकर्ताओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से समय-समय पर एक श्रेणी के ऋण पत्रों को बेचकर दूसरी श्रेणी के ऋण-पत्रों को खरीदता रहा है। इसे बदला क्रियाएँ (switch operations) कहते हैं।

स्पष्ट है कि सन् 1951 के पश्चात् खुले बाजार की क्रियाओं का काफी प्रयोग किया जाता रहा है। परन्तु साख-नियन्त्रण के एक उपाय के रूप में यह अधिक प्रभावपूर्ण नहीं रहा है। भारतीय मुद्रा-बाजार के अभागीकृत होने के कारण खुले बाजार की क्रियाओं का प्रभाव केवल बैंकों पर पड़ता है। रिजर्व बैंक के अधिकार भी सीमित हैं, क्योंकि यह कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय कर सकता है। विकास के लिए साधनों की कमी की समस्या के कारण रिजर्व बैंक द्वारा इन क्रियाओं का प्रयोग एक ही दिशा में, अर्थात् प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए, करने की सम्भावना अधिक है।

16 जनवरी, 1952 से रिजर्व बैंक ने देश में 'बिल-बाजार योजना' (Bill Market Scheme) चालू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा देश में व्यापार और उद्योग की आवश्यकतानुसार साख की मात्रा में वृद्धि करना और इस प्रकार मुद्रा बाजार में लोच पैदा करना है। इस योजना का सविस्तार विवरण आगे दिया गया है।

(3) बैंकों के नकद कोषानुपातो में परिवर्तन (Variable Cash Reserve Ratio)— रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अनुमूचित बैंक के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपनी माँग जमा (demand deposits) का 5 प्रतिशत तथा भिषादी अथवा काल जमा (time deposits) का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकदी में जमा कराये। सन् 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह माँग जमाओं के लिए न्यूनतम नकद कोषानुपात 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक तथा भिषादी जमाओं के लिए 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक कर सकता है। साथ ही, रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया कि वह अनुमूचित बैंकों को आदेश दे सकता है कि एक निश्चित तिथि के बाद प्राप्त की गयी अनिश्चित जमाओं पर वे रिजर्व बैंक के पास 100 प्रतिशत तक नकद कोष जमा करावें। परन्तु अनिश्चित जमाओं पर अतिरिक्त कोष रखने पर भी नकद-कोष कुल माँग जमा व मुद्दी जमा के क्रमशः 20 प्रतिशत और 8 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते थे।

सन् 1956 में प्राप्त किये गये अधिकारों का प्रयोग रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम 1960 में किया। 11 मार्च, 1960 को यह नियम लागू किया गया कि इस तिथि के बाद प्रत्येक अनुमूचित बैंक को जमा-राशि में वृद्धि का 25 प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। 6 मई, 1960 से यह सीमा 50 प्रतिशत कर दी गयी। रिजर्व बैंक के पास जमा किये जाने वाले ये नकद-कोष वैधानिक न्यूनतम कोषानुपात (माँग जमा का 5 प्रतिशत तथा मुद्दी जमा का 2 प्रतिशत) के अतिरिक्त थे और इन पर निश्चित दर पर ब्याज देने की व्यवस्था की गयी थी। इन नियमों का प्रभाव यह हुआ कि व्यस्त काल में मुद्रा-बाजार में अत्यधिक दुर्लभता की स्थिति अनुभव की जाने लगी। अतः 13 जनवरी, 1961 से अतिरिक्त जमाओं का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकद-कोष के रूप में जमा करवाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी।

16 सितम्बर, 1962 को रिजर्व बैंक एक्ट तथा बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में संशोधन किये गये। रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 42 (1) में संशोधन के अनुसार माँग जमा तथा मुद्दी जमा पर नकद-कोष की अलग-अलग प्रतिशत रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और कुल जमा पर कम से कम 3 प्रतिशत नकद-कोष रखने का नियम लागू किया गया। रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वह इस अनुपात को 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। यह

नियम गैर-अनुसूचित बैंकों पर भी लागू होता है, उन्हें छूट केवल इतनी दी गयी है कि वे चाहे तो नकद-कोष की राशि रिजर्व बैंक के पाम न रखकर अपने पास ही रख सकते हैं।

बैंकिंग नियमन एक्ट की धारा 24 में नशोधन के अनुमार बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे (रिजर्व बैंक के पाम रखे वैधानिक कोपानुपात के अतिरिक्त) अपनी कुल जमा का कम से कम 25 प्रतिशत तरल परिसम्पत्तियों (liquid assets)¹ के रूप में अपने पास रखें। यह व्यवस्था 2 वर्ष बाद, अर्थात् 16 सितम्बर, 1964 से लागू हुई।

इस प्रकार, बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कम से कम 28 प्रतिशत (25% तरल परिसम्पत्तियाँ + 3% न्यूनतम नकद-कोपानुपात) कोष (reserves) रखें, जिन्हें 40 प्रतिशत (25% + 15%) तक बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बैंक-दर पर रिजर्व बैंक से ऋण उन्हीं बैंकों को मिल पाता है जिनके तरल-कोष उनकी कुल जमा के कम से कम 34 प्रतिशत होते हैं। वास्तविकता यह है कि साख-नियन्त्रण के लिए कोपानुपात में परिवर्तन अभी प्रभावपूर्ण होता है जब इसके साथ साथ साख-नियन्त्रण के अन्य अस्त्र भी प्रयोग में लाये जायें।

(4) वरणात्मक साख-नियन्त्रण (Selective Credit Controls)—साख-नियन्त्रण की उपर्युक्त सामान्य (general) अथवा परिमाणात्मक (quantitative) रीतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष क्षेत्र अथवा कार्यों के लिए साख-नियन्त्रण करने के उद्देश्य से वरणात्मक अथवा गुणात्मक (qualitative) उपायों का प्रत्यक्ष प्रयोग भी किया जा सकता है। इन उपायों का प्रयोग करके केन्द्रीय बैंक साख की दिशा का नियमन करता है जबकि मामान्य उपायों के प्रयोग द्वारा साख की मात्रा निश्चित की जाती है।

बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसार रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणा पर मूल्यान्तर (margin) निर्धारित कर सकता है, कुछ विशेष प्रकार के ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है और कुछ प्रकार के ऋण देने के पूर्व अनुमति लेने के आदेश दे सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा वरणात्मक साख-नियन्त्रण की नीति का प्रयोग सर्वप्रथम 17 मई, 1956 को किया गया जबकि अनुसूचित बैंकों को आदेश दिया गया कि वे चावल व धान की जमानत पर किसी व्यक्ति अथवा नस्था का 50 हजार रुपये से अधिक ऋण न दे और इनके मूल्यान्तर में 10 प्रतिशत वृद्धि करे। सितम्बर 1956 में इस प्रकार के नियम अन्य साक्षान्तों पर भी लागू कर दिये गये। इसके बाद समय-समय पर रिजर्व बैंक खाद्यान्नों के अतिरिक्त दात, तेल, तिलहन, चीनी, कपाम, जूट, मूँगफली, वनस्पति आदि अनेक वस्तुओं पर वरणात्मक साख-नियन्त्रण लगाता रहा है। यह नियन्त्रण मुख्यतः मूल्यान्तर निश्चित करने तथा ऋणों की सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित रहे हैं। कम्पनियों के अंशों (shares) पर सट्टेबाजी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक को चेतावनी देता रहा है कि वे अंशों की जमानत पर ऋण न दे। 11 मार्च, 1960 को अंशों की जमानत पर दिये जाने वाले 5,000 रुपये से अधिक के ऋणों के लिए 50 प्रतिशत मूल्यान्तर निश्चित कर दिया गया। बैंकों को यह भी आदेश दिया गया कि वे अंशों के 'बदला' सौदों के लिए प्रत्यक्ष ऋण न दे।

वरणात्मक साख-नियन्त्रण मुख्यतः दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाये जाते रहे हैं। प्रथम, आवश्यक वस्तुओं के सट्टे, सग्रह तथा मुनाफाखोरी के लिए साख की सुविधाओं पर रोक लगाना, दूसरे, इन वस्तुओं की कीमतों को अनुचित रूप में बढ़ने से रोकना। परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर नियमों तथा आदेशों में परिवर्तन किया जाता रहा है। इन नियमों का प्रभाव यह हुआ है कि सट्टेबाजी अथवा सचय करने के लिए व्यापारी बैंकों से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। परन्तु देश में रिजर्व बैंक के नियन्त्रण के बाहर ऐसे अनेक साधन रहे हैं जिनसे व्यापारियों को आसानी से ऋण प्राप्त होते रहे हैं और सट्टेबाजी तथा मुनाफाखोरी जैसे समाज-विरोधी कार्यों को नहीं रोका जा सका है।

1 This comprises till money, gold, excess over statutory reserves, balances with the State Bank of India and with notified banks and unencumbered approved securities.

(5) नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)—साख-नियन्त्रण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपायों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नैतिक प्रभाव डालकर तथा बैंकों को समझा-बुझाकर भी साख-नियन्त्रण का कार्य किया है। रिजर्व बैंक समय-समय पर अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों की सभाएँ आमन्त्रित करता रहा है और अपने गश्ती-पत्रों (circular letters) द्वारा उन्हें सलाह देता रहा है। सितम्बर 1949 में, रुपये के अवमूल्यन के पश्चात्, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करके उन्हें सलाह दी थी कि वे सट्टे की क्रियाओं के लिए ऋण न दें। जून 1957 में गश्ती-पत्र भेजकर तथा जुलाई 1957 में बैंकों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला कर गवर्नर ने बैंकों को अपने अग्रिमों (advances) में कमी करने की सलाह दी थी। 15 जून, 1959 तथा 8 मई, 1960 को पत्रों द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों के साख में कमी करने पर जोर दिया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे रिजर्व बैंक के साथ सहयोग करें। दिसम्बर 1961 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने कोषों में वृद्धि करने की सलाह दी थी। वास्तव में, नैतिक प्रभाव डालने का तरीका साख नियन्त्रण का एक कमजोर अस्त्र समझा जाता है और इसके परिणाम भी अनिश्चित होते हैं। परन्तु बैंकों की साख क्रियाओं को निश्चित दिशाओं में नियोजित करने में इसका कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है।

बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह न मानने पर साख-नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के अधिकार भी दिये गये हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकों के लाइसेन्स प्रदान करने तथा रद्द करने, शाखा-विस्तार को नियन्त्रित करना, कमजोर बैंकों का एकीकरण करने अथवा उन्हें बन्द करने, बैंकों के खातों का निरीक्षण करने तथा किसी ब्रिटेन प्रचार के लेन-देन करने से रोकने आदि से सम्बन्धित विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का प्रयोग करके रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था को सही दिशा में चलाने के लिए मजबूर कर सकता है।

रिजर्व बैंक की साख-नियन्त्रण नीति का मूल्यांकन 1971

रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी 'नियन्त्रित साख-विस्तार' (controlled expansion) की नीति में 'साख-विस्तार' जना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना इसका 'नियन्त्रण'। आर्थिक विकास के उद्देश्य से रिजर्व बैंक कृषि, उद्योग, सहकारिता तथा निर्यात के लिए पर्याप्त साख सुविधाएँ दिलाने में काफी सफल रहा है। इस उद्देश्य में कई विशिष्ट सत्याजों की स्थापना भी हुई है। परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, देश में व्यापारिक बैंक पर बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का नियन्त्रण होने के कारण बैंक साख का अधिक उपयोग वे ही करते रहें और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (priority sectors) को पर्याप्त मात्रा में सुविधाएँ नहीं दी जा सकी हैं। जुलाई 1969 में बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। अब आशा की जा सकती है कि भविष्य में देश के आर्थिक विकास कार्य में बैंक से अधिक मात्रा में सक्रिय योगदान प्राप्त हो सकेगा।

रिजर्व बैंक द्वारा साख की मात्रा नियन्त्रित करना उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थिरता (stability) बनाये रखना रहा है। विकास तथा स्थिरता दोनों को एक साथ प्राप्त करना एक जटिल समस्या है। रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर बदलती रही है और इसे अधिक व्यावहारिक बनाने का निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह रही है कि जब प्रकार के साख नियन्त्रण मध्यम-वर्गीय क्षेत्रों के प्रयोग के वावजूद अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिक दबाव (inflationary pressures) बढ़ते ही रहे हैं। इसके लिए कुछ सीमा तक तो रिजर्व बैंक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति बहुत ढीली-ढाली रही है और इसे बहुत शिथिल के साथ लागू किया जाता रहा है। हट मुद्रा एवं साख-नीति के अभाव में नीमत-स्तर में वृद्धि को नहीं रोका जा सका है।

वास्तविकता यह है कि मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए केवल मुद्रा-नीति ही पर्याप्त नहीं

होती। मुद्रा-नीति तभी प्रभावपूर्ण होती है जब इसे सरकार की राजकोषीय नीति (fiscal policy) का भी सहयोग प्राप्त हो। न्य-शक्ति में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में भी आनुपातिक वृद्धि होना आवश्यक होता है। जब सरकार द्वारा उत्पादक तथा अनुत्पादक व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही हो और माघनों की कमी घाटे की वित्त-व्यवस्था (deficit financing) द्वारा पूरी की जा रही हो, देश में गुप्त व काली मुद्रा (unaccounted or black money) अत्यधिक माना में हो, विनियोग में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न हो रही हो, तो अकेले मुद्रा-नीति क्या कर सकती है? वैसे भी, मुद्रा-नीति एक सुव्यवस्थित तथा संगठित अर्थ-व्यवस्था में अधिक प्रभाव-शाली सिद्ध होती है, न कि हमारे जैसी अल्प-विकसित तथा असंगठित अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ अनेक प्रकार के अभाव हैं और जहाँ संगठित बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त विस्तृत असंगठित बैंकिंग क्षेत्र है जिस पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है। इन सब सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि रिजर्व बैंक अपनी मुद्रा एव मास-नीति को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रयत्नशील रहा है।

रिजर्व बैंक की बिल-बाजार योजना

भारतीय मुद्रा-बाजार में विलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा देश में व्यापार व उद्योग की आवश्यकतानुसार मास की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 1952 से एक 'बिल-बाजार योजना' आरम्भ की। इस योजना के अनुसार रिजर्व बैंक ने अनु-मूचित बैंकों को यह सुविधा दी कि यदि वे चाहें तो अपने ग्राहकों से नकद-मास, अधिविकल्प या ऋणा के बदले में प्राप्त मांग पर देय प्रतिज्ञा-पत्रों (demand promissory notes) को 90 दिनों के मुद्दी प्रतिज्ञा-पत्रों (usance promissory notes) अथवा बिलों में बदल सकते हैं और फिर इन मुद्दी बिलों की जमानत पर वे रिजर्व बैंक से मांग-ऋण ले सकते हैं। आरम्भ में यह योजना केवल उन्हीं अनुमूचित बैंकों तक सीमित रखी गयी जिनकी कुल जमा 10 करोड़ रुपये से कम नहीं थी। किसी एक बैंक को कम से कम 25 लाख रुपये का ऋण लेना पड़ता था और एक बिल की रकम कम से कम 1 लाख रुपये होनी चाहिए थी। इन शर्तों के कारण इस योजना का लाभ कुछ बड़े बैंक ही उठा सकते थे। जून 1953 से यह योजना उन बैंक पर भी लागू कर दी गयी जिनकी कुल जमा 5 करोड़ रुपये अथवा इसमें अधिक थी। सन् 1953 में इस योजना के अन्तर्गत बैंक ने रिजर्व बैंक से 61 करोड़ रुपये के अधिम प्राप्त किये थे। सन् 1954 के प्रथम छ महीना में योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अधिमों की राशि 122 करोड़ रुपये थी। श्रॉफ समिति (Shroff Committee) की सिफारिश पर 14 जुलाई, 1954 से इस योजना में वे सभी बैंक शामिल कर लिये गये जिन्हें 1949 के बैंकिंग अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त था। ऋण की न्यूनतम सीमा घटाकर 5 लाख रुपये और प्रति बिल न्यूनतम रकम 50 हजार रुपये कर दी गयी। इस प्रकार प्रत्येक अनुमूचित बैंक को बिल-बाजार योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार मिल गया।

योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए आरम्भ में रिजर्व बैंक ऐसे ऋणों पर बैंक-दर (3½%) से 1 प्रतिशत कम (3%) व्याज लेता था। परन्तु आगे चलकर 1 मार्च, 1956 से ¼ प्रतिशत और 21 नवम्बर, 1956 से शेष ¼ प्रतिशत की छूट वापस ले ली गयी। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत उधारदान-दर (lending rate) बैंक-दर के बराबर हो गयी। आरम्भ में रिजर्व बैंक ने मांग बिलों को मुद्दी बिलों में बदलने के लिए स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) के रूप में होने वाले व्यय का बोधा भार स्वयं उठाने की छूट दी थी, परन्तु 1 मार्च, 1956 से यह छूट भी समाप्त कर दी गयी। फरवरी 1957 से मुद्दी बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर में वृद्धि हो जाने के कारण योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों पर वास्तविक व्याज-दर 4 प्रतिशत हो गयी। यह देखते हुए मई 1957 से बैंक-दर भी 4 प्रतिशत कर दी गई।

अक्टूबर 1958 से निर्यात बिलों (export bills) को भी बिल-बाजार योजना में सम्मिलित कर लिया गया। सर्वप्रथम यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए ही की गयी और इसके अन्तर्गत

ऋणों की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपये तथा प्रति बिल न्यूनतम रकम 20 हजार रुपये निश्चित की गयी। रिजर्व बैंक ने स्टाम्प ड्यूटी का आधा भार उठाने की भी सुविधा दी। अक्टूबर 1959 से यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गयी। ऋणों की न्यूनतम सीमा घटाकर 1 लाख रुपये तथा प्रति बिल न्यूनतम रकम 10 हजार रुपये कर दी गयी। स्टाम्प ड्यूटी का पूरा भार रिजर्व बैंक ने अपने ऊपर ले लिया। जनवरी 1961 से प्रति बिल न्यूनतम रकम घटाकर 5000 रुपये कर दी गयी। सितम्बर 1962 में रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया कि वह 180 दिन तक की अवधि के निर्यात बिलों की पुनर्कटौती कर सकता है, उन्हें खरीद सकता है अथवा उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है। निर्यात व्यापार में और अधिक वित्तीय सहायता दिलाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 23 मार्च, 1963 से 'निर्यात बिल साख योजना' (Export Bills Credit Scheme) चालू की है। इस योजना के अनुसार अधिकृत बैंकों को माँग पर देय प्रतिज्ञा-पत्रों पर ऋण लेने का अधिकार दिया गया है। ऋण लेने वाले बैंकों को उनके द्वारा नये किये गये अथवा मुनाये गये मुद्दी निर्यात बिलों का विवरण देना पड़ता है।

बिल-बाजार योजना के द्वारा व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक में काफी मात्रा में ऋण प्राप्त कर सके हैं। सन् 1956-57 तक तो इसके अन्तर्गत लिये जाने वाले ऋणों में निरन्तर वृद्धि हुई, क्योंकि इसके प्रोत्साहन के लिए कई रियायतें दी गयी थीं। यह सब होते हुए भी इस योजना द्वारा देश में एक पूर्ण बिल-बाजार का निर्माण नहीं हो पाया है। यह योजना केवल बैंकों को रिजर्व बैंक से ऋण और अग्रिम दिलाने से सम्बन्धित रही है। देशी बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया गया और न ही कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है। ऋण प्राप्त करने के लिए माँग बिलों को मुद्दी बिलों में बदलना न केवल असुविधाजनक होता है बल्कि अनाधिक भी होता है। वास्तव में, इस योजना को सही अर्थों में बिल-बाजार योजना नहीं कहा जा सकता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना किन उद्देश्यों से की गयी थी? अपने कार्यों से रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना का औचित्य कहाँ तक सिद्ध किया है?

[संकेत - प्रथम भाग में विस्तारपूर्वक समझाइए कि रिजर्व बैंक की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी थी। दूसरे भाग में रिजर्व बैंक की सफलताओं तथा विफलताओं का विवरण दीजिए और देश की बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक के महत्व की व्याख्या कीजिए।]

2. रिजर्व बैंक के कार्यों पर प्रकाश डालिए। 1975

[संकेत - रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों तथा माध्यम बैंकिंग कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। रिजर्व बैंक के वर्तमान कार्यों भी बनाइए। देश की बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक के महत्व का सक्षिप्त वर्णन कीजिए।]

3. रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? इसकी सफलताओं तथा विफलताओं का उल्लेख कीजिए।

[संकेत - प्रथम भाग में स्पष्ट रूप से समझाइए कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना क्या आवश्यक था। दूसरे भाग में इसके कार्यों से सम्बन्धित इसकी सफलताओं तथा विफलताओं का वर्णन कीजिए।]

4. रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति का विवेचन कीजिए। इसमें वृत्त कहाँ तक सफल रहा है?

[संकेत - रिजर्व बैंक की 'नियन्त्रित साख-विस्तार' की नीति के उद्देश्य स्पष्ट करत हुए उन सभी उपायों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा नियन्त्रित करने में प्रयास करता रहा है। दूसरे भाग में, रिजर्व बैंक की साख-नियन्त्रण नीति का मूल्यांकन कीजिए और यह बनाइए कि इस नीति में सौश्र्णिक मात्रा में सफलता प्राप्त करना स्वाभाविक था।]

5. भारत के आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक के महत्व का सक्षिप्त वर्णन तथा मूल्यांकन कीजिए।

[संकेत : रिजर्व बैंक के कार्यों तथा इसकी मुद्रा-नीति के उद्देश्यों के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि देश के आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक ने क्या योग दिया है। इसमें न केवल सरकार को अनेक प्रकार से सहायता दी है, बल्कि देश की मुद्रा एवं साख-व्यवस्था को नियन्त्रित रखने के प्रयास किये हैं वरिष्ठ 'रिपरता' के साथ आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। कृषि तथा औद्योगिक साख के क्षेत्र में रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए। रिजर्व बैंक की सफलताओं तथा विफलताओं के आधार पर रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।]

6. रिजर्व बैंक का 'बिल-बाजार योजना' पर टिप्पणी लिखिए।

[संकेत - 'बिल-बाजार योजना' का अर्थ, विवरण तथा महत्व स्पष्ट कीजिए।]

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके की गयी थी। अतः स्टेट बैंक का अध्ययन करने के पूर्व इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया

इम्पीरियल बैंक की स्थापना सन् 1921 में तीन प्रेसिडेन्सी बैंकों को मिलाकर की गयी थी। इनकी स्थापना के लिए प्रो० वेन्ज ने भी सुझाव दिया था। भारतीय मुद्रा-बाजार तथा बैंकिंग व्यवस्था में इम्पीरियल बैंक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यह न केवल एक माघन-सम्पन्न प्रमुख व्यापारिक बैंक था बल्कि रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व यह आंशिक रूप से केन्द्रीय बैंक के कार्य भी करता था। सरकार के बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों की देखभाल इम्पीरियल बैंक ही करता था और अन्य बैंकों का बैंकर भी था।

सन् 1927 में जब हिण्टन यंग कमीशन ने देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना के विषय पर विचार किया तो कमीशन के एक सदस्य सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास ने इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया था। परन्तु यह सुझाव नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा करने से इसे व्यापारिक बैंकिंग के कार्य बन्द करने पड़ने और इसकी बहूत-सी शाखाएँ बन्द हो जाती। यदि केन्द्रीय बैंक बना देने के बाद भी इसे व्यापारिक बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दे दी जाती, तो उसकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती कि अन्य बैंक उसकी स्पष्टी में टिक ही नहीं पाते। वस्तुतः इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध अधिकांशतः विदेशियों के हाथों में था। उसके सचालक तथा अगुवारी न तो व्यापारिक कार्य छोड़ने को तैयार थे और न ही अपने अधिकारों का परित्याग करना चाहते थे। अतः इसकी स्थिति में परिवर्तन करना असम्भव था।

इम्पीरियल बैंक मूलतः एक व्यापारिक बैंक था, परन्तु आंशिक रूप से केन्द्रीय बैंक होने के नाते इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। वह छ मास से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता था और न ऋणों के पीछे अपने अगुव अथवा अक्षय सम्पत्ति की जमानत या व्यक्तिगत जमानत स्वीकार कर सकता था। अपनी निर्जीव आवश्यकताओं के अतिरिक्त यह विदेशी विनिमय का कार्य भी नहीं कर सकता था और न ही इसे देश के बाहर जमा या ऋण लेने का अधिकार था।

सन् 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाने से केन्द्रीय बैंकिंग के सभी कार्य इम्पीरियल बैंक से ले लिये गये। फलतः उस पर लगाये गये प्रतिबन्ध भी हटाने के लिए पड़े। इम्पीरियल बैंक को अब छूट दे दी गयी कि वह विदेशों में अपनी शाखाएँ खोल सकता था अथवा जमा या ऋण प्राप्त कर सकता था। विदेशी विनिमय का कार्य करने तथा माल को अपने पाम रखने के बजाय उसे माल के अधिकार-पत्रों की जमानत पर ऋण देने की भी छूट मिल गयी। इम्पीरियल बैंक अब रिजर्व बैंक के अगुव,

स्वायत्त संस्थाओं के ऋण-पत्रों तथा लिमिटेड कम्पनियों के अग्रे की जमानत पर ऋण दे सकता था। इस प्रकार, सन् 1935 के पश्चात् इम्पीरियल बैंक केवल एक व्यापारिक बैंक ही रह गया था, परन्तु अन्य व्यापारिक बैंकों से इसकी स्थिति अब भी भिन्न थी। इसका मन्चालन एक अलग कानून के अन्तर्गत होता था। ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं थी, इम्पीरियल बैंक उसके एजेंट के रूप में कार्य करता था। इन स्थानों पर यह सरकारी बोध जमा करने तथा सरकार की ओर से लेन-देन आदि कार्य भी करता था। इनके लिए इम्पीरियल बैंक को पूर्व-निश्चित दर पर कमोशन मिलता था।

रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भी इम्पीरियल बैंक अपने साधना, सम्बन्धों तथा प्रतिष्ठा के कारण भारतीय मुद्रा-बाजार का गैर-सरकारी नेता बना रहा। भारतीय जनता तथा अन्य व्यापारिक बैंक सरकार की इससे प्रति पक्षपातपूर्ण नीति से बहुत असन्तुष्ट थे। उनका कहना था कि अकेले इसी बैंक को सरकारी कार्य सौंपना न्यायसंगत नहीं था। इम्पीरियल बैंक पर यह आरोप लगाया जाता था कि इसकी अधिकांश पूंजी विदेशियों के हाथ में थी और इनके अधिकांश उच्चाधिकारी भी विदेशी थे। यह बैंक भारतीय व्यापारियों तथा बैंकों के विरुद्ध भेद भाव की नीति बरतता था। इससे देश में हठ विल-बाजार स्थापित करने की कोशिश नहीं की और न ही वृत्ति-क्षेत्र की मात्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया। इससे प्रति असन्तोष के कारण यह माँग की जाने लगी कि इम्पीरियल बैंक की विनोद स्थिति समाप्त कर दी जाय अथवा इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् और विनोद रूप से रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का निर्णय हो जाने पर इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग तीव्र हो गयी। फरवरी 1948 में भारत के तत्कालीन वित्त-मन्त्री ने घोषणा की कि सरकार इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के विचार को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार करती है, परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण उसका अभी राष्ट्रीयकरण करना सम्भव नहीं है। सन् 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने स्वीकार किया कि इस बैंक के विरुद्ध भारतीय जनता का रोष न्यायसंगत था। इसका भारतीयकरण करने के लिए समिति ने कुछ सुझाव भी दिये और ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक द्वारा 5 वर्षों में कम से कम 270 शाखाएँ व उप-शाखाएँ खोलने की सिफारिश की। इम्पीरियल बैंक ने 30 जून, 1954 तक के 5 वर्षों में 114 नयी शाखाएँ खोलने का स्वीकार किया था, परन्तु यह केवल 63 शाखाएँ ही खोल सका। सन् 1951 में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गयी ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने सुझाव दिया कि इम्पीरियल बैंक तथा देशी रियासतों से सम्बन्धित दम अन्य बैंकों को मिलाकर 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना की जाय जिसके आधे से अधिक अंश सरकार के हों। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करे, सहायता बैंकों को सहायता प्रदान करे तथा राष्ट्रीय नीति के अनुसार कार्य करे। सरकार ने यह सुझाव मान लिया और इम्पीरियल बैंक को अपने नियन्त्रण में लेने की घोषणा कर दी।

स्टेट बैंक की स्थापना

16 अप्रैल, 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक संसद में पारित हुआ, जिससे पारित हो जाने पर 1 जुलाई, 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना कर दी गयी। इम्पीरियल बैंक की सम्पत्ति परिसम्पत्ति तथा दायित्व स्टेट बैंक को हस्तान्तरित हो गये। इम्पीरियल बैंक के असाधारणों को मुआवजा देने का निर्णय किया गया। मुआवजे की दर पूर्ण प्रदत्त (fully paid) अंश (500 रुपये) के लिए 1765 रुपये 10 आने तथा अंश प्रदत्त (partly paid) अंश (125 रुपये) के लिए 431 रुपये 12 आने 4 पैसे निर्धारित की गयी। 10,000 रुपये तक का मुआवजा नकद में देने की व्यवस्था कर दी गयी और रेष के लिए 35 प्रतिशत वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ दी गयीं।

पूंजी

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की अधिकृत पूंजी (authorised capital) 20 करोड़ रुपये है जो 100 रुपये प्रति शेयर के मूल्य के 20 लाख शेयरों में विभाजित है। इसकी निर्गमित, स्वीकृत तथा प्रदत्त पूंजी (issued, subscribed and paid-up capital) 56 करोड़ रुपये है जिसे बिना सरकार की पूर्व-अनुमति के 12.5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1955 में व्यवस्था की गयी है कि स्टेट बैंक की निर्गमित पूंजी में कम से कम 55 प्रतिशत अर्ध रिजर्व बैंक अपने पास रखेगा और शेष 45 प्रतिशत अर्ध इम्पौरियल बैंक के पुराने अर्धधारियों तथा अन्य प्राथियों को बेच सकेगा। कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक के 200 से अधिक अर्ध अपने पास नहीं रख सकता है। स्पष्ट है कि स्टेट बैंक पूर्ण रूप से सरकारी बैंक नहीं है। परन्तु चूंकि इसके 92 प्रतिशत अर्ध रिजर्व बैंक के पास है और केवल 8 प्रतिशत अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्राप्त हैं, इसलिए इस पर प्रभावनाली सरकारी नियन्त्रण हो गया है।

प्रबन्ध

स्टेट बैंक का प्रबन्ध 20 सदस्यों वाले केन्द्रीय बोर्ड के अधीन है। मूल कानून में इसके गठन की व्यवस्था इस प्रकार की (1) एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक के परामर्श में सरकार द्वारा की जायेगी। (2) दो प्रबन्ध सचालक (Managing Directors) जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड सरकार की स्वीकृति लेकर नियुक्त करेगा। (3) छह सचालक रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य अर्धधारियों द्वारा चुने जायेंगे। (4) आठ ऐसे सचालक केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक की सम्मति में मनोनीत करेगी जो प्रादेशिक तथा आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें से कम से कम दो को सहकारिता तथा ग्रामीण वित्त का विशेष ज्ञान होना चाहिए। (5) एक सचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा, तथा (6) एक सचालक रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत होगा।

चूंकि रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य अर्धधारियों ने स्टेट बैंक की पूंजी में 45 प्रतिशत के बजाय 8 प्रतिशत अर्ध ही प्राप्त किये, इसलिए दिसम्बर 1964 में उपर्युक्त व्यवस्था में यह संशोधन कर दिया गया कि यदि निजी अर्धधारियों के पास 10 प्रतिशत से कम अर्ध रहेंगे तो उन्हें केवल 2 सचालक चुनने का अधिकार होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह से कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 सचालक नियुक्त किये जायेंगे, जो वाणिज्य, सहकारिता, उद्योग, व्यापार, वित्त और बैंकिंग आदि के विशेषज्ञ होंगे।

स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में है जहाँ से केन्द्रीय बोर्ड इसकी नीति निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक की प्रबन्ध-व्यवस्था 7 स्थानीय बोर्डों (Local Boards) में विभक्त है, जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, फानपुर, अहमदाबाद तथा हैदराबाद में स्थित हैं।

स्टेट बैंक की प्रबन्ध-व्यवस्था लगभग पूर्णतः भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अधिकार में है। निजी अर्धधारियों के अधिकार बहुत सीमित हैं। किसी भी अर्धधारी व्यक्ति अथवा संस्था को 1 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है, चाहे उसके पास कितने ही अर्ध हों।

सहायक बैंक (Subsidiary Banks)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्टेट बैंक की स्थापना के लिए ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इसके साथ देशी रियासतों के 10 बैंक मिलाने का सुझाव दिया था। स्टेट बैंक की स्थापना के बाद उन्हें मिलाने के प्रयास आरम्भ हुए। बैंक ऑफ वडोदा को मिलाने का प्रश्न तो आरम्भ से ही अलग कर दिया गया, क्योंकि स्वतन्त्र रूप में ही यह एक विशाल बैंक था। अन्य 9 बैंक भी स्टेट बैंक के साथ मिलने के लिए तैयार न हुए और अन्ततः विलयन का प्रयास छोड़ दिया गया। इसके बाद इन बैंकों को स्टेट बैंक का सहायक (subsidiary) बनाने का सुझाव रखा गया जिसे बैंक ऑफ राजस्थान को छोड़कर धीरे-धीरे अन्य 8 बैंकों ने मान लिया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 [State Bank of India (Subsidiary Banks)

Act, 1959] के अनुसार 1 अक्टूबर, 1959 को बैंक ऑफ हैदराबाद, 1 जनवरी, 1960 को बैंक ऑफ ब्रीकानेर, बैंक ऑफ इन्दौर, बैंक ऑफ जयपुर और बैंक ऑफ ट्रावनकोर, 1 मार्च, 1960 को बैंक ऑफ मैसूर, 1 अप्रैल, 1960 को बैंक ऑफ पटियाला तथा 1 मई, 1960 को बैंक ऑफ सौराष्ट्र सहायक बैंक बनाये गये और उनके नाम के पहले 'स्टेट' शब्द जोड़ दिया गया। आगे चलकर 1 जनवरी, 1963 से स्टेट बैंक ऑफ ब्रीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का एकीकरण हो गया। इस प्रकार स्टेट बैंक के सहायक बैंक की संख्या 7 हो गयी।

सहायक बैंको के कम से कम 55 प्रतिशत अथवा स्टेट बैंक के पास है और शेष 45 प्रतिशत पुराने असाधारण अथवा अन्य लोग के पास रह सकते हैं, परन्तु उनमें से किसी एक के पास 200 से अधिक अंश नहीं रह सकते। स्टेट बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी असाधारण को 5 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है। एक सहायक बैंक साधारण बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में वे सब कार्य करता है जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा उस सौंपे जाते हैं। रिजर्व बैंक स्टेट बैंक की सलाह से इसे निर्देशन दे सकता है। रिजर्व बैंक की स्वीकृति से स्टेट बैंक सहायक बैंको के लिए नियम बना सकता है। कोई भी सहायक बैंक स्टेट बैंक की स्वीकृति से अन्य किसी भी बैंक की सम्पत्ति और दायित्व ले सकता है।

सहायक बैंक का प्रबन्ध एक संचालक बोर्ड करता है जिसके गठन में स्टेट बैंक का मुख्य हाथ होता है। इस बोर्ड के 5 संचालक स्टेट बैंक द्वारा ही मनोनीत किये जाते हैं। सहायक बैंक के जनरल मैनेजर की नियुक्ति स्टेट बैंक रिजर्व बैंक की स्वीकृति से करता है। वाद में स्टेट बैंक को सहायक बैंको पर नियन्त्रण रखने के अधिक अधिकार दिये गये हैं। स्टेट बैंक किसी भी सहायक बैंक के संचालक या प्रमुख अधिकारी को उसके पद से हटा सकता है और आवश्यकता पडन पर अतिरिक्त संचालक नियुक्त कर सकता है।

स्टेट बैंक के कार्य

स्टेट बैंक के अधिकांश कार्य वे ही हैं जो इम्पीरियल बैंक के कार्य थे। साधारण बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त यह रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ग्रामीण साख की व्यवस्था में सहायता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के विकास सम्बन्धी कार्य भी स्टेट बैंक को दिये गये हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1955 के अनुसार इस निम्नलिखित कार्य करने के अधिकार प्राप्त हैं

(1) उन सभी स्थानों पर जहाँ स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं परन्तु रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग की शाखाएँ नहीं हैं, रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करना। इस नाते स्टेट बैंक सरकार के बैंक के रूप में तथा बैंको के बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक की ओर से यह समा-शोधन गृह (cleaning house) का कार्य करता है। धन का हस्तान्तरण भी करता है। समय-समय पर रिजर्व बैंक के आदेशानुसार अन्य कार्य भी करता है।

(2) स्टॉक, स्वायत्त संस्थाओं, कम्पनियों तथा विधान द्वारा स्थापित निगमों के ऋण-पत्रा, स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्रों, सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के पूर्ण चुकता अंशों आदि की जमानत पर ऋण, अग्रिम, नकद-साख या अधिविकल्प देना।

(3) जमानत के रूप में प्राप्त ऋण-पत्रों, अंश, माल, आदि को ऋण की धमूली न होने पर बेचकर अपनी रकम वसूल करना।

(4) विनिमय विला तथा अन्य विनिमय-साध्य साल-पत्रों को लिखना, स्वीकार करना, धुनाना अथवा उनका नये विक्रय करना।

(5) अपने बोपा का मान्य प्रतिभूतिया में विनियोग करना।

(6) दर्शनी ड्राफ्ट जारी करना तथा तार या अन्य प्रकार से धन का हस्तान्तरण करना, या साख-पत्र (letters of credit) जारी करना।

(7) स्वर्ण तथा चाँदी का क्रय-विक्रय करना।

(8) जमा प्राप्त करना तथा नकद खाते खोलना।

(9) सभी प्रकार के बीण्ड, प्रतिभूतियाँ, अधिकार-पत्र व बहुमूल्य वस्तुओं को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना ।

(10) ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त चल या अचल सम्पत्तियों को बेचना व अन्य प्रकार से उन्हें प्रयोग में लाना ।

(11) विधानतः स्थापित किसी पंजीकृत (registered) सहकारी बैंक के अभिकर्ता (agent) के रूप में कार्य करना ।

(12) जिन अशों, ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों में बैंक को विनियोग करने का अधिकार प्राप्त है, उनका अभिगोपन (underwriting) करना ।

(13) कमीशन लेकर एजेंट के काम करना, क्षतिपूर्ति (indemnity), गारण्टी या जमानतदारी (suretyship) के प्रसविदे करना ।

(14) ग्रन्थासी (executor), ट्रस्टी या निस्तारक के रूप में कार्य करना ।

(15) भारत के बाहर शोधनीय विनियम-पत्र या लेटर ऑफ़ क्रेडिट लिखना ।

(16) विदेशों में भुगतान होने वाले उन मुद्दती विलों को खरीदना जिनकी अवधि कृपि सम्बन्धी विलों के विषय में 15 मास तथा अन्य विलों के विषय में 6 मास में अधिक न हो ।

(17) अपने व्यवसाय के लिए अपनी परिसम्पत्ति की जमानत पर ऋण लेना ।

(18) भारत में रजिस्टर्ड किसी कम्पनी या सहकारी सस्था को समापन (liquidation) में बचाने या समापन की सुविधा देने के लिए उसकी सम्पत्ति की जमानत पर अकेले या किसी के साथ मिलकर ऋण देना ।

(19) रिजर्व बैंक की अनुमति में किसी अन्य बैंक को अपने सहायक के रूप में स्थापित करना, उसे चलाना अथवा किसी बैंक के अशों का क्रय-विक्रय करना ।

(20) उन सभी कार्यों को करना जिनका अधिकार केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान करे । मुख्य कार्यों को करने के लिए यदि कुछ अन्य सहायक कार्य करना आवश्यक हो जाय तो उन्हें भी सम्पन्न करना ।

स्टेट बैंक के निषिद्ध कार्य

स्टेट बैंक आफ इण्डिया एक्ट की धारा 34 के अन्तर्गत इसको निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार नहीं है

(1) स्टेट बैंक अपने ही स्टॉक अथवा अशों की प्रतिभूति पर या अचल सम्पत्ति अथवा उनके अधिकार-पत्रों के आधार पर 6 माह में अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे सकता है ।

(2) यह ऐसे विलों को न तो भुना सकता है और न उनकी आड पर ऋण दे सकता है जिनकी परिपक्वता (maturity) की अवधि 6 मास से अधिक है, परन्तु मौसमी कृपि-श्रियाओं के लिए लिखे गये विलों की इस प्रकार की अवधि 15 मास तक हो सकती है ।

(3) इस बैंक को ऐसे विनियम-विल खरीदने, बटौती करने या उनके आधार पर ऋण देने का अधिकार नहीं है जिन पर कम से कम दो व्यक्तियों या फर्मों के हस्ताक्षर न हों । ऐसे व्यक्तियों या फर्मों में साभेदारी का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए ।

(4) किसी व्यक्ति या फर्म को निश्चित प्रतिभूतियों की जमानत पर एक निश्चित रकम से अधिक ऋण नहीं दे सकता ।

(5) अपने व्यावसायिक प्रयोग के लिए अथवा अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के निवास के लिए ही यह बैंक अचल सम्पत्ति रख सकता है । अन्य किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति रखने का इसे अधिकार नहीं है ।

सन् 1955 के कानून के अनुसार स्टेट बैंक सामान्यतया 6 मास से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता था । कृपि-साख के लिए यह अवधि 15 मास थी । सन् 1957 के संशोधन के द्वारा स्टेट बैंक कुछ उद्योगों को 7 वर्ष तक के ऋण दे सकता है । एव अन्य संशोधन के द्वारा स्टेट बैंक को निर्यात सम्बन्धी कार्यों के लिए भी 7 वर्ष तक के ऋण देने का अधिकार दिया गया है । बैंकिंग

विधान (सशोधन) विधेयक, 1967 [The Banking (Amendment) Bill, 1967] पर विचार करते हुए प्रवर समिति (Select Committee) ने स्टेट बैंक अधिनियम में संशोधन करने का भी सुझाव रखा, ताकि स्टेट बैंक 6 मास के बजाय 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण तथा अग्रिम दे सके। एक्ट की धारा 33 के अनुसार, स्टेट बैंक किसी भी हालत में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे सकता है। देश में बदली हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति ने इस सीमा को 15 वर्ष तक बढ़ा देने का सुझाव दिया है।

स्टेट बैंक के उद्देश्य

स्टेट बैंक मूलतः एक व्यापारिक बैंक है। परन्तु अपने उद्देश्यों के कारण स्टेट बैंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक विशेष स्थान प्राप्त है। स्टेट बैंक के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं

(1) स्टेट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग को सरकारी नियन्त्रण में लाना था, ताकि देश की आर्थिक नीतियों के संचालन में इससे आवश्यक सहायता मिल सके।

(2) इसकी स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना था, ताकि ग्रामीण जनता में बचत करने की आदत को प्रोत्साहन मिले और उनकी बचत राष्ट्रीय उपयोग में आ सके। स्टेट बैंक से तय हुआ कि वह प्रथम पाँच वर्षों में ग्रामीण या अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 400 नयी शाखाएँ खोलेगा। नयी शाखाओं पर होने वाली हानि अथवा ज़ात्ताधारण व्यय के बोझ से बचन के उद्देश्य से एक अनुकूलन एवं विकास कोष (Integration and Development Fund) के बनाने की व्यवस्था की गयी।

(3) कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के विकासार्थ सरल शर्तों पर सहकारी संस्थाओं को ऋण देना, साइसेन्स-प्राप्त गोदामों और विन्नी-समितियों की स्थापना में आर्थिक सहायता देना तथा केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र खरीदना अथवा उनकी जमानत पर ऋण देना।

(4) छोटे उद्योगों के लिए वित्त प्रबन्ध करना तथा उनके विकास में सहायक होना।

(5) रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रहकर उसकी मौद्रिक नीति का पालन करना तथा उसे अधिक सक्रिय बनाने में सहायक होना।

(6) बैंकिंग विकास सम्बन्धी कार्य करना और अन्य बैंकों की सहायता करना।

स्टेट बैंक की प्रगति तथा सफलताएँ

अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में स्टेट बैंक निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। जून, 1955 में अपनी स्थापना के बाद स्टेट बैंक ने सभी क्षेत्रों में सन्तोषजनक प्रगति की है और इसे पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है। स्टेट बैंक की विविध क्षेत्रों में प्रगतियों तथा सफलताओं का वर्णन निम्न प्रकार है

(1) शाखाओं का विस्तार—स्टेट बैंक की स्थापना के समय जून 1955 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालयों सहित इसकी कुल 466 शाखाएँ थीं। स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 16 (5) के अनुसार यह निश्चित किया गया कि स्टेट बैंक प्रथम पाँच वर्षों में (जुलाई 1955 से जून 1960 तक) कम से कम 400 नयी शाखाएँ खोलेगा, जिनमें से अधिकतर शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाएंगी। प्रारम्भिक काल में शाखा विस्तार के कार्य में अनेक प्रशासनिक व प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ थीं उपयुक्त स्थानों का चुनाव करना था, नयी शाखाओं के लिए उपयुक्त भवन प्राप्त करने थे, इनके लिए आवश्यक साज-सामान तथा उपकरण निर्दिष्ट स्थानों पर भेजने थे तथा इनके संचालन के लिए दक्ष व प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध करना था। इन कठिनाइयों के कारण अनेक व्यक्तियों ने बैंक के शाखा-विस्तार के कार्यक्रम को अव्यावहारिक बनाया तथा इसका विरोध किया। इन सब कठिनाइयों और शक्यों के बावजूद स्टेट बैंक ने अपने निर्धारित सध्य की पूर्ति निश्चित अवधि से एक मास पूर्व, 1 जून, 1960 को

कराना (उत्तर प्रदेश) में 400वीं शाखा खोलकर कर दी। 30 जून, 1960 तक स्टेट बैंक ने 416 नयी शाखाएँ खोली, जिनमें से 274 शाखाएँ 25 हजार से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर खोली गयी।

शाखा-विस्तार का प्रथम चरण पूरा होने पर प्रो० डी० जी० वर्बे की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी केन्द्रीय बोर्ड की एक उपसमिति के मुभाव पर जुलाई 1960 से जून 1965 तक 300 नयी शाखाएँ खोलने का निश्चय किया गया। इनमें से 145 शाखाएँ स्टेट बैंक द्वारा और 155 शाखाएँ सहायक बैंकों द्वारा खोलने का कार्यक्रम निश्चित हुआ। बाद में इस लक्ष्य को क्रमशः 151 और 221 कर दिया गया। 30 जून, 1965 तक स्टेट बैंक द्वारा 114 तथा सहायक बैंको द्वारा 190 शाखाएँ खोली गयी। शाखा-विस्तार का द्वितीय कार्यक्रम पूरा होने के पहले ही! जनवरी, 1964 में 31 दिसम्बर, 1968 तक 319 नयी शाखाएँ खोलने का तीसरा कार्यक्रम चालू किया गया। 1968 के अन्त तक बैंक की शाखाओं की संख्या 1,557 तक पहुँच गयी थी।

नवम्बर 1970 तक स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या 2000 हो गयी। आगामी तीन वर्षों में 1000 नयी शाखाएँ खोलने की योजना बनायी गयी। इस प्रकार प्रथम एक हजार शाखाएँ खोलने के लक्ष्य तक पहुँचने में स्टेट बैंक को आठ वर्ष लगे। अगली एक हजार शाखाएँ सात वर्ष के समय में खुली। अब बैंक का लक्ष्य तीन ही वर्ष में एक हजार और शाखाएँ खोलने का है। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक की नयी शाखाओं में 80 प्रतिशत ऐसी हैं जिन्हें उन स्थानों पर खोला गया है जहाँ पहले बैंकिंग सुविधाएँ बिल्कुल नहीं थी। अधिकतर शाखाएँ अर्द्ध सहरौरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। स्टेट बैंक के सहायक बैंक भी अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहे हैं। 30 जून, 1970 को सहायक बैंको की शाखाओं की संख्या 1060 थी।

(2) कुल जमा—स्टेट बैंक की जमा-राशि (deposits) में काफी अधिक वृद्धि हुई है। जुलाई 1955 में स्टेट बैंक की कुल जमा-राशि 202 करोड़ रुपये थी, जो जुलाई 1969 तक 1200 करोड़ रुपये के लगभग हो गयी। इस प्रकार, चौदह वर्षों में बैंक की जमा-राशि लगभग छह गुना बढ़ गयी। कुल अनुसूचित बैंको की जमा-राशि में स्टेट बैंक का भाग 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया। सहायक बैंको की जमा-राशि साथ मिला लेने से यह अनुपात 22 प्रतिशत हो जाता है। इस साल में स्टेट बैंक के जमा-खातों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि हुई। सन् 1955 में 5 लाख खातों थे जो सन् 1969 तक लगभग 25 लाख हो गये। स्टेट बैंक के लगभग 88 प्रतिशत जमा-खाते छोटी रकमों के हैं और इनमें प्रत्येक की रकम 5,000 रुपये से कम है। स्टेट बैंक समूह की कुल जमा-राशि मई 1969 के अन्त में 1225.4 करोड़ रुपये थी, जो एक वर्ष बाद 16.7 प्रतिशत बढ़कर 1430.4 करोड़ रुपये हो गयी। मई 1971 में यह राशि 1693.2 करोड़ रुपये थी जो समस्त अनुसूचित व्यापारिक बैंको की कुल जमा का 27 प्रतिशत भाग थी। मई 1970 से मई 1971 तक के एक वर्ष में स्टेट बैंक समूह की जमा-राशि में 18.4 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(3) ऋण तथा विनियोग—जून 1955 में स्टेट बैंक के कुल ऋण 110 करोड़ रुपये तथा विनियोग 87 करोड़ रुपये थे। 1 अगस्त, 1969 को स्टेट बैंक द्वारा किये गये ऋण तथा अधिमो की राशि 937.65 करोड़ रुपये थी, जिनमें से 258.14 करोड़ रुपये वित्तों की खरीद तथा कटौती के रूप में दिये गये थे। स्टेट बैंक द्वारा किये गये विनियोगों की राशि 340.68 करोड़ रुपये थी, जिनमें से 332.64 करोड़ रुपये सरकारी तथा अन्य न्यास (trustee) प्रतिभूतियों में लगे हुए थे। स्टेट बैंक के ऋणों तथा विनियोगों में निरन्तर वृद्धि इसके वलते हुए व्यवसाय तथा महत्व का प्रतीक है। इसमें न केवल निजी क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योगों तथा कृषि के विकास में सहायता मिली है, बल्कि स्टेट बैंक ने अपनी जमा-राशि का बड़ा अंश सरकारी प्रतिभूतियों में लगाकर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए वित्त का प्रवन्ध करने में महत्वपूर्ण योग दिया है।

(4) लघु उद्योगों को सहायता—छोटे उद्योगों के लिए वित्त का प्रवन्ध करना अब स्टेट बैंक के कार्यों का एक अभिन्न अंग बन गया है। अप्रैल 1956 में स्टेट बैंक द्वारा लघु उद्योगों को

वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एक अग्रगामी योजना (Pilot Scheme) आरम्भ की गयी। 1 जनवरी, 1959 से इस योजना को सब शाखाओं द्वारा अपना लिया गया। लघु उद्योगों के प्रति स्टेट बैंक की ऋण-नीति अति सरल और उदार है। प्रायः सभी प्रकार के कच्चे अथवा निर्मित माल की जमानत पर उन्हें ऋण दिया जा सकता है। सरकार द्वारा गारण्टी मिलने पर गैर-जमानती ऋण भी दिये जा सकते हैं। इन उद्योगों के नवीनीकरण, विस्तार या मशीनों को बदलने के उद्देश्य से स्टेट बैंक उन्हें मध्यावधि ऋण भी देता है। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चाबू की गयी साख गारण्टी योजना के अन्तर्गत भी स्टेट बैंक उदारतापूर्वक सहायता दे रहा है। सन् 1962 से स्टेट बैंक ने किस्तों में अदा होने वाली साख (instalment credit) प्रदान करने की योजना भी चलाई है जिसके अन्तर्गत लघु व मध्य आकार के उद्योगों को मशीनें या औजार खरीदने के लिए मध्यावधि ऋण दिये जाते हैं जिनकी अदायगी वे किस्तों में कर सकते हैं।

स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की सीमाओं (limits) की मधुरी जून 1969 में 212.58 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी थी जो एक वर्ष पूर्व की राशि से 88.01 करोड़ रुपये अधिक थी। जून 1968 में ऋण-अवशेष (loans outstanding) 66.74 करोड़ रुपये थे, जो एक वर्ष बाद, अर्थात् जून 1969 में, 103.01 करोड़ रुपये हो गये। जून 1969 तक 25,908 औद्योगिक इकाइयों को स्टेट बैंक से सहायता मिल चुकी थी, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ ऐसी थी जिनके पास 1 लाख रुपये से कम मूल्य की मशीनें थी। अगस्त 1970 में 42,895 इकाइयों के लिए 299.86 करोड़ रुपये की ऋण-सीमाएँ स्वीकृत थीं और 171.21 करोड़ रुपये के ऋण वकाया थे। स्पष्ट है कि लघु उद्योगों को स्टेट बैंक उदारतापूर्वक सहायता दे रहा है।

(5) कृषि के लिए सहायता—सन् 1967 तक स्टेट बैंक की नीति किसानों को प्रत्यक्ष ऋण न देने की रही है। बैंक सहकारी समितियों तथा भूमि-बन्धक बैंकों को ही ऋण देता रहा है। सन् 1967 से स्टेट बैंक ने सीधे किसानों को भी बीज, उर्वरक आदि खरीदने, प्रोसेसिंग करने तथा गोदामों में माल रखने के लिए ऋण देना आरम्भ कर दिया है। मालगोदामों (warehouses) में रखे गये माल की रसीदों की जमानत पर बैंक ऋण की सुविधा देता है।

किसानों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सीधे ऋण देने के उद्देश्य से पहले कुछ ही केन्द्र चुने गये थे, परन्तु अब स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों की लगभग सभी शाखाएँ यह कार्य कर रही हैं। कृषि-ऋणों के लिए स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत अधिक आगे निकल गये हैं। जुलाई 1968 के आरम्भ में कृषि-ऋणों के लिए 41 करोड़ रुपये की सीमाएँ मजूर की गयी थी, जो जून 1969 के अन्त तक 174.33 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार कृषि-ऋण की सीमाओं की मजुरी (loans sanctioned) में एक वर्ष में 325 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई 1968 से जून 1969 के बीच वाकी (outstanding) ऋणों की राशि 17.26 करोड़ रुपये से बढ़कर 116.68 करोड़ रुपये हो गयी और इस प्रकार एक वर्ष में इसमें 99.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस एक वर्ष के समय में स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों द्वारा दिये गये कृषि-क्षेत्र के लिए ऋण कुल अग्रिमों के 4 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गये। 1970 के अन्त तक स्टेट बैंक समूह ने लगभग 3 लाख किसानों को सीधे ऋण दिये। इनमें से 2 लाख से भी अधिक ऐसे छोटे किसान थे जिनके पास 4 हेक्टर से भी कम भूमि थी। स्टेट बैंक समूह ने किसानों को 75 करोड़ रुपये की सीधी ऋण-सहायता दी है। स्टेट बैंक का इस दिशा में कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है।

(6) सहकारिता को सहायता—स्टेट बैंक सहकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं, जैसे सहकारी शक्कर फॅक्टरियों, विप्रेय एव विधायन समितियों, उत्पादन समितियों, थोक उपभोक्ता भण्डारों आदि को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की सुविधाएँ प्रदान करता है। स्टेट बैंक भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र (debentures) खरी-

दता है तथा इनकी जमानत पर ऋण देता है। सहकारी सस्थाओं के बीच धन का आदान-प्रदान सरल बनाने तथा सहकारी सस्थाओं को सहायता देने के उद्देश्य से स्टेट बैंक राज्य सहकारी बैंको तथा उनसे सम्बद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंको को निःशुल्क प्रेषण-सुविधाएँ (remittance facilities) प्रदान करता है। प्रति बप 800 करोड़ रुपये की निःशुल्क प्रेषण-सुविधाएँ दी जा रही हैं।

वास्तविकता यह है कि सहकारी सस्थाओं को व्यापारिक बैंको द्वारा दिये जाने वाले 87 प्रतिशत ऋण स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंका द्वारा ही दिये जाते हैं। जुलाई 1961 से जून 1969 के बीच आठ वर्षों में सहकारी सस्थाओं को दी गयी सहायता 17 गुना बढ़ी है। जुलाई 1961 में वाकी ऋण 7 67 करोड़ रुपये थे जो जून 1969 में 130 29 करोड़ रुपये हो गये। इसी समय मजूर किय गये ऋणों की सीमाएँ 27 46 करोड़ रुपये से बढ़कर 207 23 करोड़ रुपये हो गयी हैं। स्टेट बैंक तथा इनके सहायक बैंका द्वारा दिये जाने वाले कुल अप्रिमो का लगभग 1/10 भाग सहकारी सस्थाओं को चला जाता है। स्टेट बैंक के कार्यों से सहकारी बैंको के विकास का बढ़ावा मिला है।

(7) विदेशी विनिमय का व्यापार—स्टेट बैंक ने विदेशी विनिमय के व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। आयातका, निर्यातको तथा पर्यटको के लाभ के लिए एक सूचना सेवा (Information Service) आरम्भ की गयी है। स्टेट बैंक यात्री चैक (Traveller's Cheque) भी बचता है। यह प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा में लेन-देन करता है और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए विलम्बित भुगतान के आधार पर वित्त प्रदान करता है। विदेशों में अपने प्रतिनिधिया तथा कार्यालयों द्वारा यह विदेशी ऋण दिलाने में भी सहायता देता है। सन् 1956 से 1968 के बीच स्टेट बैंक का विदेशी विनिमय व्यापार (turn over) 207 करोड़ रुपये से बढ़कर 2278 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार इन बारह वर्षों में विदेशी विनिमय व्यापार 11 गुना बढ़ा है। भारतीय निर्यातको को माल जहाजा में लाने से पूर्व (pre-shipment) तथा बाद में (post-shipment) ऋण देकर स्टेट बैंक ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता दी है।

(8) प्रशिक्षण-व्यवस्था—स्टेट बैंक ने विविध स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। कलकों की ट्रेनिंग के लिए 9 केन्द्र स्थापित किये गये हैं व 6 प्रशिक्षण विद्यालय चलाये जा रहे हैं। सन् 1961 में बैंक ने हैदराबाद में प्रशिक्षण कालेज (Staff Training College) स्थापित किया जिसमें उच्चस्वरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। बैंक के कलकत्ता कार्यालय में विदेशी विनिमय से सम्बन्धित व्यावहारिक ज्ञान कराने की व्यवस्था है।

निष्कर्ष

उपयुक्त व्याख्या में स्पष्ट है कि स्टेट बैंक ने भारतीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योग दिया है। इसने अपने कर्मचारियों के कल्याण से सम्बन्धित अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है। बैंक के आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग का कार्य भी सन्तोषजनक रहा है। यद्यपि इसकी स्थापना एक व्यापारिक बैंक के रूप में की गयी थी, परन्तु व्यवहार में अपने कार्यों द्वारा स्टेट बैंक ने देश में मिश्रित बैंकिंग प्रणाली (Mixed Banking System) का सूत्रपात किया है। व्यापारिक बैंक के कार्यों के साथ-साथ यह आर्थिक रूप से औद्योगिक तथा कृषि-बैंक के कार्य भी कर रहा है। इसने विदेशी विनिमय बैंको के एकाधिकार को भी कम करने का प्रयास किया है। स्टेट बैंक ने बैंकर की व्यापारिक दृष्टि तथा सामाजिक आयोजनकर्ता की प्रगतिशील प्रवृत्ति के सुन्दर मिश्रण का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। आयोजित आर्थिक विकास के उद्देश्य के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने में स्टेट बैंक ने महत्वपूर्ण योग दिया है। स्टेट बैंक का यह दावा कि "बड़ा देश का सबसे बड़ा बैंक होते हुए भी छोटे में छोटे आदमी की सेवा करता है" (The biggest bank serves the smallest man) बहुत कुछ सत्य पर आधारित है। वास्तव में, स्टेट बैंक ने देश में अत्यधिक वित्तीय महत्व रखने वाली राष्ट्रीय सस्था का रूप धारण किया है और इसने अपने कार्यों में सफलता तथा प्रगति से अन्य बैंको के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रेरणा दी है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। स्टेट बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

[संकेत प्रथम भाग में इम्पीरियल बैंक के सगठन, प्रबन्ध तथा कार्यों में पाये जाने वाले दोषों एवं त्रुटियों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण इसे स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया। दूसरे भाग में स्टेट बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य विस्तारपूर्वक समझाइए।]

- 2 स्टेट बैंक के कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए।

[संकेत स्टेट बैंक एक्ट, 1955 तथा इसके बाद के संशोधनों के अनुसार स्टेट बैंक को सौंपे गए कार्य विस्तारपूर्वक समझाइए। स्टेट बैंक के निम्नलिखित कार्यों का भी वर्णन कीजिए।]

- 3 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और बताइए कि इनको पूरा करने में वह कहां तक सफल हुआ है।

[संकेत स्टेट बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य बताने के बाद स्टेट बैंक द्वारा विविध क्षेत्रों में प्राप्त सफलताओं का विस्तारपूर्वक विवरण दीजिए।]

- 4 स्टेट बैंक के 'सहायक बैंकों' पर नोट लिखिए।

[संकेत दशरी रियासतों के 10 बैंक स्टेट बैंक के नाथ विलयन के प्रस्ताव से लेकर सन् 1959 के कानून के अन्तर्गत सहायक बैंकों की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन कीजिए। सहायक बैंकों की पूर्णता, सगठन व प्रबन्ध का उल्लेख कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि इन पर स्टेट बैंक किस प्रकार अधिकार रखता है।]

भारत में व्यापारिक बैंक तथा उनका राष्ट्रीयकरण

[COMMERCIAL BANKS IN INDIA AND THEIR NATIONALISATION]

भारत में व्यापारिक बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जो सभी साधारण बैंकिंग कार्यों सम्पन्न करते हैं और जिनका नियमन व नियन्त्रण भारतीय बैंकिंग विधान के अनुसार होता है। इन्हें प्रायः मिश्रित पूंजी बैंक (Joint Stock Banks) भी कहा जाता है। भारत में एक परम्परा बन गयी है कि इण्डियन कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत स्थापित किये गये बैंक मिश्रित पूंजी बैंक कहलाते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि मिश्रित पूंजी वाले सभी बैंक व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं और न ही यह अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक की स्थापना मिश्रित पूंजी के सिद्धान्त पर की जाय। वह सरकार के स्वामित्व में भी हो सकता है।

भारत में व्यापारिक बैंकों के विकास तथा समस्याओं का विस्तृत विवरण हम पीछे एक अलग अध्याय में देखेंगे हैं। देश की अर्थ व्यवस्था में इन बैंकों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण

रिजर्व बैंक से सम्बन्धी के आधार पर व्यापारिक बैंकों को प्रायः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—अनुसूचित बैंक, तथा गैर-अनुसूचित बैंक।

अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks)—जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में दर्ज रहता है, वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं

(क) इनकी प्रदत्त पूंजी (paid up capital) और संचित कोष (reserve fund) मिलाकर 5 लाख रुपये में कम नहीं होने चाहिए।

(ख) इन बैंकों को अपनी कुल जमा का कम से कम 3 प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक इसे 15% तक बढ़ा सकता है।

(ग) इन्हें भारत में बैंकिंग व्यवसाय करना चाहिए तथा इनका समूह भारतीय बैंकिंग विधान के अन्तर्गत होना चाहिए।

(घ) इन बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए।

अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित हो जाता है और उन्हें वे सभी सुविधाएँ प्राप्त होने लगती हैं जो रिजर्व बैंक 'बैंकों के बैंक' के रूप में प्रदान करता है। रिजर्व बैंक इन्हें स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है, इनके विरोधी की पुनः बटौती करता है, धन स्थानान्तरण (remittance) सम्बन्धी मस्ती सुविधाएँ प्रदान करता है तथा समाप्तोपन गृह की सुविधाएँ देता है। इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति-विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है तथा रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करना होता है।

गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Banks)—वे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं होता, गैर-अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व माधारणतः 5 लाख रुपये से कम होते हैं। ये बैंक रिजर्व बैंक से वे सब सुविधाएँ नहीं प्राप्त कर पाते जो अनुसूचित बैंकों को मिलती हैं। बैंकिंग विधान के अनुसार गैर-अनुसूचित बैंकों पर भी रिजर्व बैंक अनेक प्रकार से नियन्त्रण रखता है। बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस

प्राप्त करना होता है तथा रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई बैंक नयी शाखा नहीं खोल सकता है। गैर-अनुमूचित बैंको को भी अपनी कुल जमा का 3 प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रखना पड़ता है, पर उनके लिए यह कोष रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य नहीं है।

व्यापारिक बैंकों के कार्य

भारतीय व्यापारिक बैंक प्रायः वे सभी कार्य करते हैं जो सामान्यतया एक व्यापारिक बैंक को करने चाहिए। व्यापारिक बैंकिंग कार्यों का सविस्तार वर्णन एक अलग अध्याय में पहले किया जा चुका है। संक्षेप में, भारतीय व्यापारिक बैंको द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं।

(1) व्यापारिक बैंक जनता से जमा (deposits) प्राप्त करते हैं। जमा धन प्रायः तीन प्रकार के खातों द्वारा प्राप्त किया जाता है—चाच खाता, मुद्दती खाता तथा बचत खाता। अपने व्यवसाय चलाने के लिए बैंक अधिकांश धन जमाओं द्वारा ही एकत्र करते हैं। बैंक की पूंजी के अन्य साधन, जैसे संचित कोष, अज्ञात पूंजी तथा अन्य बैंको व रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण, जमा धन की तुलना से बहुत कम होते हैं।

(2) व्यापारिक बैंक विभिन्न प्रकार की जमानतों पर ऋण देते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जमा के रूप में प्राप्त किये गये धन से कम से कम 25 प्रतिशत मूल्य के बराबर प्रत्येक बैंक को अपने पास तरल कोष रखना पड़ता है, जिसमें सोना, नकद या स्वीकृत प्रतिभूतियाँ आदि सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त, कुल जमा का कम से कम 3 प्रतिशत नकद-कोष (जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है) रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। गैर-अनुमूचित बैंको को भी इसी अनुपात में नकद-कोष अपने पास अथवा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसके बाद जो धन बच जाता है, वह ऋण के रूप में दिया जाता है। ऋण देने के कई तरीके हैं, जैसे अधिविकल्प (overdraft), नकद साख, प्रत्यक्ष ऋण, अभियाचना व अल्पयाचना पर देय ऋण (money at call and short notice), विनिमय-पत्रों की कटौती या खरीद आदि। बैंक प्रायः अच्छे सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण नहीं देते हैं। भारतीय बैंक मुख्य रूप से व्यापारिक कार्यों के लिए ही अल्पकालीन ऋण देते हैं। ऋणों पर ली जाने वाली व्याज-दर की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है। देश में बिल-बाजार पूर्णतया विकसित न होने के कारण भारत में बैंक बिलों की खरीद अथवा कटौती के आधार पर ऋण बहुत कम मात्रा में देते हैं और अपना धन अधिकतर नकद-साख देने में ही लगाते हैं।

(3) भारतीय बैंक अपना धन विनियोगों में लगाते हैं। अधिकांश विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाते हैं। अन्य विनियोगों में उच्च कोटि की कम्पनियों के अज्ञात ऋण-पत्र, ट्रस्टी प्रतिभूतियाँ आदि शामिल हैं।

(4) कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय व्यवसाय करते हैं। परन्तु इस क्षेत्र में आधिपत्य, मुख्य रूप से, विदेशी बैंको का ही है।

(5) व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को धन का हस्तान्तरण करते हैं। चैक, ड्राफ्ट आदि लिखकर धन एक स्थान में दूसरे स्थान पर भेजने में सहायता दी जाती है और इसके लिए बैंक कमीशन प्राप्त करते हैं।

(6) भारतीय बैंक व्यापारिक बैंको द्वारा किये जाने वाले सभी एजेंसी कार्य करते हैं तथा सामान्य उपयोगिता की सेवाएँ करते हैं। इन कार्यों का विस्तृत वर्णन व्यापारिक बैंको के कार्यों की व्याख्या करते समय किया जा चुका है।

व्यापारिक बैंकों के विकास की गति व प्रवृत्ति

भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय व विकास ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, परन्तु इस विकास की निश्चित दिशा व गति देने का कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बैंकिंग व्यवस्था का विकास निश्चित नीतियों के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियन्त्रित रूप में करने का ध्येय सामने रखा गया है। देश में नियोजित आर्थिक विकास के आरम्भ से अब तक के काल में व्यापारिक बैंको की स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। निम्न तालिकाओं में व्यापारिक बैंको के व्यापार से सम्बन्धित सन् 1950-51 से 1970-71 तक के आवश्यक आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके विश्लेषण द्वारा वास्तविक स्थिति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसूचित व्यापारिक बैंको का भारत में व्यवसाय
(वय के अन्तिम शुक्रवार को, करोड़ रुपये में)

	1950-51	1960 61	1965 66	1966 67	1967 68	1968 69	1969-70	1970 71
1 बैंको की संख्या	93	89	76	75	73	73	72	73
2 कुल जमा	880 61	1 746 06	2,949 83	3,425 51	3,855 98	4,338 18	5,028 19	5,893 42
(1) मौज जमा	592 55	719 72	1,426 86	1,649 72	1,844 32	1,934 11	2,234 80	2,626 47
(11) पियादी जमा	288 06	1,026 34	1 522 97	1,775 79	2,011 66	2,404 07	2,793 39	3,266 95
3 नकदी तथा रिजर्व बैंक के पास जमा	93 30	116 58	170 80	215 62	221 34	274 85	321 88	358 47
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	10 6	6 7	5 8	6 3	5 7	6 3	6 4	6 1
4 सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग		558 58	810 69	892 80	967 03	1,054 61	1,166 83	1,362 98
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात		32 0	27 5	26 1	25 1	24 3	23 2	23 1
5 बैंक-साथ	546 93	1,319 54	2,288 14	2,693 55	3,032 99	3,396 32	3,971 03	4,649 28
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	62 1	75 6	77 6	78 6	78 6	78 3	79 0	78 9

गैर-अनुसूचित व्यापारिक बैंक

(वर्ष के अन्तिम शुक्रवार को, करोड़ रुपये में)

	1955-56	'60-61	'65-66	'66-67	'67-68	'68-69	'69-70
1. बैंकों की संख्या	378	256	33	24	19	17	14
2. कुल जमा	66.81	42.73	23.82	23.75	25.16	26.88	24.75
3. नकदी तथा रिजर्व बैंक के पास जमा	4.67	3.22	1.63	2.04	1.73	2.05	1.71
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	7.0	7.5	6.8	8.6	6.9	7.6	6.9
4. विनियोग	30.32	14.80	7.76	6.73	7.69	8.38	7.20
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	45.4	34.6	32.6	28.3	30.6	31.2	29.1
5. बैंक-साख	41.71	29.11	14.14	14.05	14.21	15.15	13.78
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	62.4	68.1	59.4	59.2	56.5	56.4	55.7

भारत में व्यापारिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या

	30 जून, 1969 को	30 जून 1970 को
1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	1569	1875
2. स्टेट बैंक के महाक बैंक	893	1060
3. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	4133	5318
4. विदेशी बैंक	130	131
5. अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंक	1320	1554
6. गैर-अनुसूचित बैंक	217	193
कुल व्यापारिक बैंक	8262	10131

उपर्युक्त तालिकाओं में दिये गये आंकड़ों का विस्तार करने पर निम्नलिखित तथ्य हमारे सामने आते हैं

(1) बैंकों की संख्या—सन् 1950-51 में अनुसूचित बैंकों की संख्या 93 थी, जो अब 73 रह गयी है। इनमें से 15 विदेशी बैंक हैं। इस प्रकार, भारतीय अनुसूचित बैंकों की संख्या केवल 58 ही है। बैंकों की संख्या में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि गत वर्षों में दुर्बल बैंकों को मिलाकर बड़े बैंकों में बदल देने या उन्हें बड़े बैंकों के साथ मिला देने की नीति अपनायी गयी है। बैंकों के एकीकरण (amalgamation) तथा विलयन (merger) के द्वारा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में दृढ़ता आयी है।

बैंकिंग व्यवस्था में सुदृढीकरण (consolidation) की प्रक्रिया का परिचय हमसे भी मिलता है कि मार्च 1956 में गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या 378 थी, जो घटकर मार्च 1961 में 256 तथा मार्च 1966 में केवल 33 रह गयी। सन् 1969-70 में इनकी संख्या केवल 14 ही थी। गैर-अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में भी निरन्तर कमी हुई है जबकि अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश में बैंकिंग सेवाओं के मनुष्यवित्त विकास की दृष्टि से गत वर्षों में रिजर्व बैंक ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है कि बैंक द्वारा माखा विस्तार की योजनाओं में बैंक-विहीन स्थानों तथा ग्रामीण या अर्द्ध-सहरी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाय।

(2) जमा-राशि में वृद्धि—अनुसूचित बैंकों की कुल जमा में अमाधारण वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 से सन् 1960-61 के बीच बैंकों की जमा-राशि लगभग दुगुनी हो गयी। इसके बाद के वर्षों में जमा-राशि में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है कि सन् 1970-71 के अन्त में अनुसूचित बैंकों की कुल जमा राशि 5,893.42 करोड़ रुपये थी जबकि 1950-51 तथा 1960-61 में यह राशि क्रमशः 880.61 करोड़ रुपये तथा 1746.06 करोड़ रुपये थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि केवल अनुसूचित बैंकों की कुल जमा में वृद्धि हुई है। गैर-अनुसूचित बैंकों की जमा-राशि 1960-61 के अन्त में 42.73 करोड़ रुपये थी जो 1969-70 के अन्त तक 24.75 करोड़ रुपये रह गयी।

अनुसूचित बैंको की कुल जमा में वृद्धि के साथ जमा-रचना (composition of deposits) में भी परिवर्तन हुआ है। सन् 1950-51 के अन्त में मियादी जमा का कुल जमा के साथ अनुपात 33 प्रतिशत था। किन्तु इसके बाद मियादी जमा का अनुपात निरन्तर बढ़ता रहा है। सन् 1970-71 के अन्त में यह अनुपात लगभग 55 प्रतिशत था। मियादी जमा का अनुपात बढ़ने का कारण यह है कि देश में मुद्रा-प्रसार व आय-वृद्धि के कारण मध्यम वर्ग की जनता में मियादी जमा के लिए धन बचाने की शक्ति पैदा हुई है। मियादी जमा का अनुपात बढ़ जाना बैंको के लिए लाभ-पूर्ण होता है। अनुसूचित बैंको की जमा के स्वामित्व की दृष्टि से व्यक्तिगत जमा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

बैंको की जमा-राशि में वृद्धि तथा व्यक्तिगत जमाओं का बढ़ता हुआ अनुपात बैंको में जनता के बढ़ते हुए विकास का प्रतीक है। यह न केवल बैंको की स्थिति में दृढ़ता का चोत्क है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि देश में बैंको का महत्व बढ़ता जा रहा है।

(3) तरलता अनुपात (Liquidity Ratio)—बैंको की तरल परिसम्पत्तियों (liquid assets) में सामान्यतया नकद-राशि, रिजर्व बैंक के पास जमा, अन्य बैंको के पास चालू खाते में जमा, याचना तथा मांग पर देय ऋण (money at call and short notice), स्वीकृत विनिमय विलों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग सम्मिलित किये जाते हैं। इन विनियोगों की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही नकद-राशि में बदला जा सकता है। बैंको की कुल जमा तथा तरल परिसम्पत्तियों के बीच अनुपात पर्याप्त तथा स्थिर रहना बैंको की दृढ़ता की एक बहुत बड़ी कसौटी है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तरल कोषों के अनुपात के सम्बन्ध में बैंको को वैधानिक नियमों का पालन करना पड़ता है। बैंक-दर पर रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बैंको को कम से कम 34 प्रतिशत के बराबर तरलता का अनुपात बनाये रखना पड़ता है।

बैंको की तरल परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है :

(क) नकदी तथा रिजर्व बैंक के पास जमा—बैंको की नकदी तथा रिजर्व बैंक के पास जमा (cash in hand and balances with Reserve Bank) की राशि सन् 1950-51 में 93 30 करोड़ रुपये थी। यह राशि बढ़कर 1970-71 के अन्त में 358 07 करोड़ रुपये हो गयी है। इस रकम में तिगुनी से भी अधिक वृद्धि होने के बावजूद इसके कुल जमा से अनुपात में कमी हुई है। सन् 1950-51 में यह अनुपात 10 6 प्रतिशत था, जो 1955-56 में 8 1 प्रतिशत हो गया। सन् 1960 61 के बाद यह अनुपात 6 प्रतिशत के लगभग ही रहा है। मार्च 1971 के अन्त में यह अनुपात 6 1 प्रतिशत था। साख-नियन्त्रण तथा बैंकिंग दृढ़ता के उद्देश्य से यह अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा होना चाहिए।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग—भारतीय बैंको द्वारा विनियोग में लगाये गये धन का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में लगाया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग की राशि सन् 1955-56 में 359 90 करोड़ रुपये थी जो सन् 1960 61 में बढ़कर 558 58 करोड़ रुपये हो गयी। सन् 1970-71 के अन्त में यह राशि 1,362 98 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 1955-56 से 1970-71 के बीच लगभग चार गुना हो गया है। परन्तु इस विनियोग का कुल जमा से अनुपात निरन्तर गिरता गया है। सन् 1955-56 में बैंको ने अपनी कुल जमा का 34 5 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में लगा रखा था जो सन् 1970-71 के अन्त तक केवल 23 1 प्रतिशत ही रह गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि बैंको की बड़ी हुई जमाओं में से सरकार को आर्थिक विकास के कार्यक्रम पूरा करने में पर्याप्त सहायता नहीं मिली है। इनका प्रयोग बैंको द्वारा साख का विस्तार करने तथा अपने लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

(4) बैंक-साख का विस्तार—एत वर्षों में अनुसूचित बैंको की साख का काफी विस्तार हुआ है। सन् 1950-51 के अन्त में अनुसूचित बैंको के ऋणों की कुल राशि 546 93 करोड़ रुपये थी, जो सन् 1960-61 के अन्त तक 1,319 54 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च 1971 में

यह राशि 4,649 28 करोड़ रुपये थी जो सन् 1950-51 की तुलना में आठ गुने से भी अधिक थी। भारतीय बैंको द्वारा अधिकतर साख प्रत्यक्ष ऋणों, नकद-साख तथा अधिविकल्प (loans, cash credits and overdrafts) के रूप में दी जाती है। देशी तथा विदेशी बिलों को भुनाकर या उन्हें खरीदकर भी भारतीय बैंक ऋण देते हैं, परन्तु देश में पूर्णतया विकसित बिल-बाजार न होने के कारण बिलों के आधार पर दिये गये ऋण बहुत कम हैं। मार्च 1971 में 4,649 28 करोड़ रुपये की कुल बैंक-साख में 3,697 61 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रत्यक्ष ऋण, नकद-साख तथा अधिविकल्प के रूप में थे। इस प्रकार, ऋण, नकद-साख तथा अधिविकल्प के रूप में दी गयी राशि कुल बैंक-साख का लगभग 80 प्रतिशत भाग थी।

कुल जमा के अनुपात में सन् 1950-51 के अन्त में बैंक-साख की राशि 62.1 प्रतिशत थी। साख-जमा अनुपात सन् 1960-61 में 75.6 प्रतिशत हो गया। इसके बाद के वर्षों में यह 75-80 प्रतिशत के बीच रहा है। मार्च 1971 में साख-जमा अनुपात 78.9 प्रतिशत था। बैंकिंग विधान तथा रिजर्व बैंक एक्ट में दिये गये नियमों के अनुसार बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कम से कम 28 प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (statutory liquidity ratio) बनाये रखने के बावजूद बैंकों का साख-जमा अनुपात 72 प्रतिशत से अधिक रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वैधानिक तरलता अनुपात के निर्धारण के उद्देश्य से बैंकों के कुल दायित्वों अथवा जमाओं की गणना में बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक से लिये गये ऋण नहीं जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार, विदेशों से प्राप्त बैंकिंग ऋण भी सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के देशी तथा विदेशी ऋणों से बैंकिंग साधनों में वृद्धि होती है और बैंकों द्वारा साख का विस्तार करना सम्भव होता है। इन राशियों को भले ही बैंकों के कुछ दायित्वों की गणना में न सम्मिलित किया जाय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बैंकों द्वारा साख का विस्तार करने में ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि बैंकों की साधारण जमाएँ।

बैंकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों अथवा क्षेत्रों के लिए दिये गये ऋणों का वितरण इस प्रकार हुआ है कि इनका सबसे अधिक भाग उद्योगों को प्राप्त हुआ है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। सन् 1951 में कुल अग्रिम राशि का 34 प्रतिशत उद्योगों को दिया गया, जो बढ़ते-बढ़ते सन् 1961 में 50.8 प्रतिशत तथा सन् 1967 में 64.3 प्रतिशत हो गया। इसमें छोटे उद्योगों को प्राप्त होने वाला भाग बहुत कम था। सन् 1961 के अन्त में छोटे उद्योगों को कुल अग्रिम राशि का 2.6 प्रतिशत दिया गया था, जो मार्च 1966 में 3.9 प्रतिशत हो गया। सन् 1966-67 में कुछ सुधार हुआ और मार्च 1967 में इनको कुल बैंक-साख का 6.6 प्रतिशत प्राप्त हुआ। वाणिज्य के लिए सन् 1951 में 36 प्रतिशत बैंक-साख दी गयी थी जो मार्च 1967 तक घटकर 19.4 प्रतिशत रह गयी। सन् 1951 से 1967 के बीच कृषि (बागानों सहित) को बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि 2 प्रतिशत के लगभग ही रही थी।

स्पष्ट है कि बैंकों के बढ़ते हुए साधनों से अधिकांश लाभ निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों को ही होता रहा है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश में बड़े बैंकों पर बड़े उद्योगपतियों तथा व्यवसायी ग्रुहों का ही नियन्त्रण रहा है। कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध किये गये बैंक ऋण भी पर्याप्त सीमा तक वास्तविक किमान अथवा छोटे उद्योगपति तक नहीं पहुँचे हैं। बैंकों ने राष्ट्रीय हितों के बजाय अधिकतम लाभ अर्जित करने की ओर अधिक ध्यान दिया है। इस प्रकार की दोषपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के कारण ही प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है।

व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण

28वें अध्याय में यह बताया जा चुका है कि 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के द्वारा देश में ऐसे चौदह प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनमें प्रत्येक की जमा-राशि 50 करोड़ रुपये में अधिक थी। 9 अगस्त, 1969 में अध्यादेश के स्थान पर बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) विधेयक, 1969 लागू हो गया। परन्तु 10 फरवरी, 1970 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे अवैध घोषित कर देने पर पुनः राष्ट्रीयकरण की

व्यवस्था करनी पड़ी। 14 फरवरी, 1970 को राष्ट्रपति ने पिछली तिथि (19 जुलाई, 1969) से उन्ही चौदह बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण किया। ससद द्वारा पास किया गया नया विधेयक 31 मार्च, 1970 से लागू हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का परिचय

जिन चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वे देश व प्रमुख व्यापारिक बैंक हैं। रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आँकड़ों के अनुसार सन् 1968 के अन्त में इन बैंकों की कुल जमा-राशि (deposits) 2741.46 करोड़ रुपये तथा अग्रिम राशि (advances) 1743.66 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार समस्त अनुसूचित बैंकों की कुल जमा-राशि का 72 प्रतिशत तथा कुल अग्रिम राशि का 65 प्रतिशत भाग इन चौदह बैंकों के पास था। इन बैंकों की कुल चुकता पूंजी (paid up capital) 28.50 करोड़ रुपये थी जो इनके कुल साधनों का लगभग 1 प्रतिशत भाग थी। स्पष्ट है कि ये बैंक अपना व्यवसाय दूसरों की पूंजी से ही चला रहे थे और उसमें इनका अपना भाग केवल नाममात्र का था। इन बैंकों के अपने कोष (owned funds) 66 करोड़ रुपये के बराबर थे जिनके आधार पर इनको दिये जाने वाले मुआवजों की राशि निर्धारित करनी थी। इन बैंकों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ की राशि 6.64 करोड़ रुपये थी।

चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति तथा व्यवसाय से सम्बन्धित आवश्यक आँकड़े

(31 दिसम्बर, 1968 को, करोड़ रुपये में)

बैंक	स्थापना का वर्ष	कार्यालयों की संख्या	जमा राशि	अग्रिम राशि	अपने कोष	शुद्ध लाभ
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	1911	504	433.27	296.27	11.88	1.19
बैंक आफ इण्डिया	1906	250	394.97	253.05	10.49	1.50
पंजाब नेशनल बैंक	1894	544	355.96	209.40	6.83	0.74
बैंक ऑफ बड़ौदा	1908	333	313.80	196.14	5.66	0.63
यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	1943	323	240.58	144.00	6.97	0.55
बनारस बैंक	1906	302	146.44	96.72	3.21	0.19
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1950	178	143.69	96.61	4.05	0.26
बेना बैंक	1938	214	121.88	74.08	2.93	0.31
मुम्बई बैंक आफ इण्डिया	1919	213	115.22	68.63	2.56	0.22
इलाहाबाद बैंक	1865	128	112.72	69.93	2.54	0.20
सिण्डिया बैंक	1925	254	112.19	70.61	2.66	0.31
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1936	188	93.22	58.32	2.15	0.51
इण्डियन बैंक	1907	190	84.59	57.16	2.06	0.13
बैंक आफ महाराष्ट्र	1935	140	73.07	49.74	2.02	0.24
कुल जाट	—	3,761	2,741.76	1,743.66	66.00	6.64

स्पष्ट है कि चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है और सबसे नया यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया। परन्तु चूंकि यूनाइटेड बैंक की स्थापना पहले के चार बैंकों को मिलाकर की गयी थी इसलिए इसे नया नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर सन् 1943 में स्थापित किया गया यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक सबसे बाद का बैंक है। इस प्रकार, ये सभी बैंक कई वर्षों से कार्य करते रहे हैं। इन बैंकों में सबसे अधिक कार्यालय अथवा शाखाएँ पंजाब नेशनल बैंक की और सबसे कम इलाहाबाद बैंक की हैं। वास्तव में, किसी बैंक की स्थिति उसकी जमा राशि तथा अग्रिम राशि द्वारा जानी जाती है। इन बैंकों में सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया है क्योंकि इसकी जमा तथा साख की राशियाँ अन्य सभी बैंकों से अधिक हैं। इसी प्रकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे छोटा बैंक है। उपर्युक्त तालिका में दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश जमा तथा साख ऊपर के 5 बैंकों के अधिकांश में है। बैंकों के अपने कोषों का 64 प्रतिशत इन्हीं 5 बैंकों का है और उनका लाभ में हिस्सा 70 प्रतिशत है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व

इलाहाबाद बैंक एक विदेशी बैंक—चार्टर्ड बैंक—का भारतीय सहायक (subsidiary) बैंक था। शेष सभी बैंक पूर्ण रूप से भारतीय बैंक थे और इनमें से अधिकांश बड़े व्यवसायी गृहों के नियन्त्रण में थे।

19 जुलाई, 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इसके 7 सहायक बैंक लगभग राष्ट्रीयकृत बैंक ही थे और इनका देश की बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेने के बाद अब देश में कुल 73 अनुसूचित बैंकों में से 22 बैंक सरकार के अधिकार में आ गये हैं। सत्या की दृष्टि से तो देश में एक-तिहाई से भी कम बैंक राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में हैं। परन्तु व्यावसायिक दृष्टि से देश में बैंकिंग व्यवसाय का बहुत थोड़ा-सा भाग निजी क्षेत्र में रह गया है और बाकी सब पर सरकार का अधिकार स्थापित हो गया है। यदि दिसम्बर 1967 के अन्त की स्थिति के आधार पर देखा जाय तो कुल अनुसूचित बैंकों की 81 प्रतिशत शाखाएँ इन्हीं 22 बैंकों की थीं और कुल जमा तथा साख का प्रमश 84 प्रतिशत तथा 83 प्रतिशत भाग इनके अधिकार में था। सन् 1967 के बाद इन बैंकों के व्यवसाय का और भी अधिक विस्तार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इनका कुल बैंकिंग व्यवसाय में भाग बढ़ा है। इस प्रकार, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से देश में बैंकिंग व्यवसाय का 1/3 से भी कम भाग निजी क्षेत्र में रह गया है।

विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। इसके लिए मुख्य कारण यह बताया गया है कि इनसे हमें विदेशी व्यापार आदि से सम्बन्धित विशिष्ट सेवाएँ प्राप्त होती हैं और इनका वर्तमान स्वरूप बनाये रखना ही उचित है। रिजर्व बैंक द्वारा इन पर इतने नियन्त्रण लगाये गये हैं कि इनसे किसी अव्यवस्था फैलाने की आशंका नहीं की जा सकती है। भविष्य में इन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति तभी दी जायगी जब इसे आवश्यक समझा जायगा।

50 करोड़ रुपये से कम जमा पूँजी वाले बैंक भी निजी क्षेत्र में रहने दिये गये हैं, क्योंकि इनके व्यवसाय का क्षेत्र सीमित होता है और ये प्रायः छोटे ऋण ही दे पाते हैं। सरकार के आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने के लिए केवल बड़े बैंक ही उपयुक्त हो सकते हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता

बैंक किसी देश या समाज के वित्तीय साधनों के संरक्षक (custodian) होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ऋण का अधिकांश भाग जमा के रूप में उनके पास इकट्ठा होता है। समाज के वित्तीय साधनों का विशालतम भाग बैंकों के नियन्त्रण में रहने के कारण अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्र अपनी धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन पर आश्रित हो जाते हैं। इससे बैंकों को प्रचुर वित्तीय सत्ता प्राप्त हो जाती है जिसका उपयोग वे अर्थ-व्यवस्था के हित में कर सकते हैं और अहित में भी। एक विकासशील देश में बैंकों का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि बैंकों का स्वामित्व कुछ निजी हाथों में केन्द्रित होने पर आपत्ति की जाय और इनके राष्ट्रीयकरण की माँग की जाय।

व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के हैं (क) सैद्धान्तिक, तथा (ख) भारतीय बैंकों के दोषपूर्ण संगठन से सम्बन्धित।

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक तर्क

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर, सेयर्स (Sayers) के अनुसार, पाँच दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए, जो ये हैं कार्यकुशलता, एकाग्रता अथवा एकत्वता, मुद्राकरण, व्यापक समाजीकरण तथा सत्रमण से सम्बन्धित विचारणीय विषय। इन सभी के आधार पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तर्क भी दिये जाते हैं जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। सैद्धान्तिक रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं

(1) कार्यकुशलता सम्बन्धी तर्क (Efficiency Issue)—व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि निजी बैंकों की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंक अधिक कार्यकुशल होते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रथम, निजी बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने के कारण

शाखाएँ आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं और प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय बढ़ जाता है। इसके विपरीत, बैंको का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर अनावश्यक स्पर्द्धा व ध्वंस की स्थिति समाप्त हो जाती है। द्वितीय, राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रबन्ध व संचालन के लिए देश में एक ही विद्यालय संगठन होता है, जिससे बड़े पैमाने की मितव्ययताएँ प्राप्त होती हैं तथा विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबन्ध के कार्यक्रम अधिक सरलतापूर्वक कार्यान्वित हो सकते हैं। तृतीय, निजी बैंको में प्रबन्ध-व्यवस्था तथा कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध ठीक न होने से अशान्ति तथा असहयोग का वातावरण बनता है जिससे कार्यकुशलता गिर जाती है। राष्ट्रीयकरण होने पर कर्मचारियों का दृष्टिकोण बदल जाता है और सरकार उनका सहयोग प्राप्त करती है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकृत बैंको का प्रबन्ध-व्यय अपेक्षाकृत कम होता है।

(2) एकता अथवा एकरूपता सम्बन्धी तर्क (Integration Issue)—केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति का सफलतापूर्वक संचालन तभी कर सकता है जब उसका देश के व्यापारिक बैंको पर समुचित नियन्त्रण रहे। यद्यपि व्यापारिक बैंको पर केन्द्रीय बैंक का वैधानिक नियन्त्रण रहता है, किन्तु वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी वे राष्ट्रीय नीतियों की अवहेलना कर सकते हैं। साथ ही, यह आवश्यक नहीं है कि व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक का नेतृत्व सदा सहर्ष स्वीकार करें। अतएव केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए केन्द्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था के बीच एकता अथवा एकरूपता आवश्यक है और यह तभी सम्भव हो पाता है जब दोनों पर सरकारी स्वामित्व रहे।

(3) मुद्राीकरण सम्बन्धी तर्क (Monetisation Issue)—देश में मुद्रा की कुल मात्रा केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित वास्तविक मुद्रा और व्यापारिक बैंको द्वारा निर्गमित साख मुद्रा की कुल मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। यदि केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति को माँग के अनुसार नियन्त्रित करना चाहे, तो साख मुद्रा की मात्रा को भी नियन्त्रित करना अनिवार्य होगा। विकसित देशों में साख मुद्रा का महत्व और भी अधिक होता है। चूँकि व्यापारिक बैंक साख के सृजन द्वारा ही अपने लाभ का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त करते हैं, इसलिए उनकी साख-नीति पर सफल व प्रभावकारी नियन्त्रण तभी स्थापित हो सकता है जब व्यापारिक बैंक सरकार के स्वामित्व में हों। बैंको पर सरकारी स्वामित्व होने से इनके द्वारा अर्जित लाभ सरकार को प्राप्त होता है जो इसे राष्ट्रीय हित के कार्यों में व्यय कर सकती है।

(4) समाजोकरण सम्बन्धी तर्क (Socialization Issue)—यदि किसी देश में आर्थिक विकास के लिए समाजवादी सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाता है, तो समाजोकरण अथवा राष्ट्रीयकरण की नीति के सफल संचालन के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होता है। बैंकिंग व्यवसाय अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण व आधारभूत अंग होता है जिसे निजी पूँजीपतियों के हाथ में छोड़ना युक्तिमत्त नहीं है। राष्ट्रीय पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग निजी स्वामित्व में बना रहने पर राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों के विकास में बाधा पड़ सकती है और समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है।

(5) संक्रमण सम्बन्धी तर्क (Transition Issue)—सेयर्स ने ठीक ही कहा है कि समाजवादी सिद्धान्तों को मानने वाले देशों में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अथवा नहीं, विवाद केवल राष्ट्रीयकरण के लिए उचित समय के सम्बन्ध में है। यह एक विवादपूर्ण प्रश्न है कि बैंको का राष्ट्रीयकरण आरम्भ में ही कर लेना चाहिए अथवा अन्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बाद किया जाय। वास्तव में, यदि निजी व्यापारिक बैंक राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधा पहुँचा रहे हों तो इनका राष्ट्रीयकरण पहले ही कर लेना उचित है। बैंको के राष्ट्रीयकरण से समाजवादी नीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन सही ढंग से होता है।

(6) अन्य तर्क—सैद्धान्तिक आधार पर, उपर्युक्त तर्कों के अतिरिक्त कुछ अन्य तर्क भी दिये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं

1. दृढ़ बैंकिंग व्यवस्था—बैंको के राष्ट्रीयकरण से स्वस्थ एव दृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की

स्थापना होती है जिससे बैंको के फेल होने का भय नहीं रहता, जमाकर्ताओं का धन पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है और बैंको के माध्यम से अधिवाधिक मात्रा में पूंजी एकत्र करना सम्भव होता है।

2 आर्थिक विकास में सहयोग—राष्ट्रीयकरण करने से बैंक देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देते हैं। बैंको पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना अधिक सरल हो जाता है।

3 नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल—बैंको के राष्ट्रीयकरण से नियोजित अर्थ-व्यवस्था के संचालन में सहायता मिलती है। प्रथम, बैंको के वित्तीय साधनों का प्रयोग मुनियोजित ढंग से निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार होने के कारण आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति अधिक मुनिश्चित हो जाती है। द्वितीय, साख-नियन्त्रण का कार्य अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सकता है जिससे कीमतों तथा लागत के ढाँचे में स्थिरता आयी जा सकती है। तृतीय, बैंको से सरकार को लाभ प्राप्त होता है जिसमें विकास कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार, योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण अनेक प्रकार से सहायक होता है।

4 एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक—बैंको का निजी स्वामित्व में रहना बड़े उद्योगों व बैंको में गठबन्धन को प्रोत्साहित करता है। उद्योगपति बैंको पर अधिकार जमा कर बैंको के साधनों का अपने उद्योगों के लिए प्रयोग करने लगते हैं। इसमें आर्थिक शक्ति का थोड़े-से लोगों के हाथों में केन्द्रीकरण होता है और एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यह स्थिति सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध होती है और इसका अन्त करने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो जाता है।

5 अवाञ्छनीय क्रियाओं का नियन्त्रण—निजी स्वामित्व वाले बैंको के सामने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने लिए अधिक लाभ कमाना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक समाज-विरोधी अवाञ्छनीय कार्यों, जैसे सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी, अनुचित सग्रह, चोरबाजारी आदि के लिए भी ऋण देते हैं। इससे आन्तरिक व्यापार में अव्यवस्था फैलती है, तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिलता है और बैंकिंग साधनों का दुरुपयोग होता है। ऐसे कार्य रोकने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य होता है।

चास्तव में, सरल के उचित प्रयोग तथा आर्थिक विकास की योजनाओं के सफल संचालन के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण अत्यन्त वाञ्छनीय है। यदि व्यापारिक बैंक एक सांवेजनिक सस्या की भाँति अर्थ-व्यवस्था के हित में कार्य नहीं करते हो तब तो आयोजित आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत बैंको का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य ही हो जाता है

(स) भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोष

भारतीय बैंको के विकास तथा उनके दोषों का विस्तृत अध्ययन पहले किया जा चुका है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गत वर्षों में देश में बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार हुआ है। बैंका की सस्या अवश्य कम हुई है, परन्तु जैसा कि बताया जा चुका है, इसका कारण बैंको का एकीकरण तथा विलीनीकरण रहा है जिससे बैंकिंग व्यवसाय में सुदृढता आयी है। सन् 1951 के अन्त में अनुसूचित बैंको के कार्यालयों की सख्या 2,647 थी जो सन् 1969 के अन्त तक 8,045 हो गयी। इनके अतिरिक्त, गैर-अनुसूचित व्यापारिक बैंको के भी 217 कार्यालय थे। इस प्रकार, कुल मिलाकर देश में व्यापारिक बैंको के 8,262 कार्यालय थे। मार्च 1951 से मार्च 1969 के बीच अनुसूचित बैंको की कुल जमा-राशि 880 61 रुपये से बढ़कर 4,338*18 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार इसमें लगभग पाँच गुनी वृद्धि हुई। बैंक-साख तथा बैंको द्वारा विनियोग की राशि में भी उस्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। बैंको के साधन बढ़ने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि हुई है और बैंकिंग व्यवसाय में सुदृढता आयी है। सन् 1951 के अन्त में अनुसूचित बैंका के कुल उपार्जन (total earning) की राशि 45 करोड़ रुपये थी जो सन् 1966 के अन्त तक 297 करोड़ रुपये हो गयी। तृतीय योजनाकाल के बाद के दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में शिथिलता की स्थिति (recession) रहने पर भी बैंको का निरन्तर विकास होता रहा है।

वैकिंग विकास की दिशाओं को निर्धारित करने तथा देश में वैकिंग व्यवसाय का नियमन करने के उद्देश्य में भारतीय वैकिंग विधान के अन्तर्गत बैंको पर अनेक नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। रिजर्व बैंक को भी बैंको के नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। परन्तु इन सबके बावजूद भारतीय वैकिंग व्यवस्था की अवाछनीय प्रवृत्तियों को रोकना सम्भव नहीं हो पाया। इस सम्दर्भ में प्रायः यह प्रश्न किया जाता रहा है कि क्या बैंको से सम्बन्धित विद्याल सत्ता निजी हार्थों में छोड़ देना उचित है? क्या वैकिंग व्यवस्था निजी क्षेत्र में रखकर देश में समाजवादी मिद्धान्तों पर आधारित नियोजित विकास के कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किये जा सकते हैं? भारतीय वैकिंग व्यवस्था के निम्नलिखित दोष विवेक रूप से चिन्ता का विषय रहे हैं।

(1) वैकिंग व्यवसाय का थोड़े-से बैंको में केन्द्रीकरण—अनुसूचित बैंको की कुल सख्या 73 है, परन्तु अधिकांश वैकिंग व्यवसाय 8 बड़े बैंको में ही केन्द्रित रहा है। दिसम्बर 1967 के अन्त में इन 8 बड़े बैंको के पास, जिनमें प्रत्येक की जमा-राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक थी, समस्त अनुसूचित बैंको की कुल जमाओं का 62 प्रतिशत भाग था और इनका कुल बैंक-साख में 63 प्रतिशत भाग था। इस प्रकार, दो-तिहाई वैकिंग व्यवसाय केवल 8 बैंको के पास केन्द्रित था। इनके अतिरिक्त, 50 से 100 करोड़ रुपये की जमा-राशि वाले 6 बैंको के पास बैंक जमा का 13 प्रतिशत व बैंक साख का 12 प्रतिशत भाग था। स्पष्ट है कि बैंको की कुल जमा-राशि तथा कुल साख का 75 प्रतिशत भाग केवल 14 बैंको के पास था। अन्य 44 भारतीय अनुसूचित बैंको का कुल जमा तथा साख में हिस्सा क्रमशः 14 तथा 13 प्रतिशत था। शेष 15 अनुसूचित बैंक विदेशी बैंक थे जिनके पास कुल जमा का 11 प्रतिशत तथा साख का लगभग 12 प्रतिशत भाग था। इस प्रकार, वैकिंग सत्ता थोड़े-से बड़े बैंको में केन्द्रित हो गयी और बाकी के बैंक छोटे होने के कारण दुर्बल अवस्था में रहे। यह स्थिति देश में मही ढग में वैकिंग विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी।

(2) एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन—देश में बड़े बैंक, जिनके अधिकार में अधिकांश वैकिंग व्यवसाय रहा है, कुछ इने-गिने बड़े उद्योगपतियों अथवा व्यावसायिक गृहों के नियन्त्रण में रहे, यहाँ तक कि विभिन्न बैंको के साथ तो बड़े व्यवसायी गृहों के नाम तक जोड़े जाने लगे। एकाधिकार आयोग रिपोर्ट, औद्योगिक लाइसेंसिंग पर प्रो० हजारी की रिपोर्ट तथा सन् 1969 की सुविमल दत्त समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि बड़े व्यापारी और बड़े बैंक किस प्रकार आन्तरिक निर्णय द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका यह गठबन्धन किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक है। बैंको के संचालक अन्य व्यापारिक तथा औद्योगिक कम्पनियों के संचालक रहें हैं।¹ परिणामस्वरूप बैंको के साधनों का बहुत बड़ा भाग उनके संचालकों अथवा उनसे सम्बन्धित व्यापारिक सस्थाओं के लाभ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इससे आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण व एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला है। बैंको की जमा-राशि अधिकांश रूप से व्यक्तिगत साधनों द्वारा प्राप्त की गयी है, परन्तु उसका अधिकांश भाग देश में थोड़े-से व्यवसायियों और उद्योगपतियों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट, व्यपत्ति, आर्थिक शक्ति, बचत, के लिए किया है। वैकिंग व्यवस्था के इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से बैंको पर 'सामाजिक नियन्त्रण' की नीति के अन्तर्गत कुछ विशेष उपाय अपनाये गये थे। संचालकों की नियुक्ति तथा अधिकारों पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप स्थिति में कुछ परिवर्तन तो हुआ परन्तु विशेष सुधार न हो सका।

(3) वैकिंग साधनों का अनुचित उपयोग—व्यापारिक बैंको तथा व्यवसायियों में साठ-गौठ के कारण बैंको द्वारा दिये गये ऋण एक सकुचिन् औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रित हो गये। जैसा कि हम देख चुके हैं, बैंको द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि तथा अनुपात में निरन्तर वृद्धि हुई है। मार्च 1967 के अन्त में बैंको की कुल अग्रिम राशि का 64.3 प्रतिशत उद्योगों को प्राप्त हो रहा था। वाणिज्य का हिस्सा 19.4 प्रतिशत था। इस प्रकार, ये दो क्षेत्र मिलकर 84

1 20 बड़े बैंको का कुल 188 संचालक थे। इन्हें 1100 अन्य कम्पनियाँ व 1452 संचालकताएँ (directorships) प्राप्त थीं।

प्रतिशत बैंक-साख प्राप्त कर रहे थे। बैंक-ऋणों पर व्याज-दर बाजार की व्याज-दर से कम होने के कारण उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का लाभ हो रहा था। इससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों को तो बढ़ावा मिला ही, साथ में बैंकिंग साधनों का दुरुपयोग भी हुआ। यह भन्ती-भाँति विदित है कि अनेक नियन्त्रणों के बावजूद बैंक-ऋणों का उपयोग जमाखोरी और सट्टेवाजी जैसे समाज-विरोधी तथा अवाञ्छनीय कार्यों के लिए भी किया जाता रहा है। इससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे थोड़े-से लोगों ने अनुचित लाभ उठाया है।

(4) योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं की उपेक्षा—व्यापारिक बैंकों की ऋण-नीति योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं (priorities) के प्रति उपेक्षापूर्ण रही है जिससे उनका आर्थिक विकास के कार्य में योगदान बहुत कम रहा है। निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों को मनमाने ढंग से ऋण दिये जाते रहे हैं और लघु उद्योगों की आवश्यकताओं के प्रति अवहेलनापूर्ण रवैया अपनाया गया है, जबकि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 35 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों का है। कृषि देश में मुख्य व्यवसाय है और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था कृषि-उत्पादन की स्थिति पर निर्भर करती है। रिजर्व बैंक, सरकार तथा योजना आयोग के विभिन्न निर्देशों, अनुस्मरणों और अनुरोधों के बावजूद कुल बैंक-साख का केवल 2 प्रतिशत कृषि के लिए दिया जाता रहा है। लघु उद्योगों तथा कृषि के लिए दिये गये ऋण पर्याप्त मात्रा में छोटे उत्पादक तथा वास्तविक किसान तक न पहुँचकर थोक व्यापारियों और विक्रेताओं के हाथ में जाते रहे हैं। हमारे लिए नियत बढ़ाना भी अनिवार्य है, परन्तु इस क्षेत्र में बैंकों को अनेक सुविधाएँ देने पर भी उनसे पर्याप्त सहायता नहीं मिल पायी। व्यापारिक बैंकों की नीति देश के सामाजिक आदर्शों तथा आर्थिक कार्यक्रमों में जुड़ी न होने के कारण इनसे राष्ट्र के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायता नहीं मिली।

(5) सरकारी प्रतिभूतियों में अपर्याप्त विनियोग—बैंकों की कुल जमा-राशि के अनुपात में व्यापारिक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग निरन्तर गिरता गया। सन् 1956 में यह अनुपात 34.5 प्रतिशत था, परन्तु मार्च 1969 के अन्त तक यह 24.3 प्रतिशत ही रह गया। बैंकों ने अधिकतर विनियोग क्षीघ्र परिपक्व (mature) होने वाली प्रतिभूतियों में ही किया। बैंक प्रायः इस प्रकार के विनियोग तब करते रहे हैं जब उनके साधन बाजार में ऋणों की माँग में अधिक रहे हैं। स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंकों के बढ़ते हुए साधनों में सरकार को आर्थिक विकास के कार्यक्रम पूरे करने में पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है।

(6) असन्तुलित विकास—देश में व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी शाखाएँ बड़े-बड़े शहरों या व्यापारिक केन्द्रों में ही खोली गयी और ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही है। भौगोलिक आधार पर औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में बैंकों की संख्या अधिक और कम विकसित राज्यों में कम रही है। वही-कही तो एक ही स्थान पर बैंकों की भीड़ होती चली गयी जबकि देश का बहुत बड़ा भू-भाग पर्याप्त मात्रा में बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पाया। पिछड़े क्षेत्रों में बैंक-साख की राशि उस क्षेत्र में प्राप्त की गयी जमा-राशि से कम रही और इस प्रकार वे अपनी ही वंचत तथा पूँजी के पूर्ण उपयोग से वंचित हो गये। दूसरी ओर, तीन सर्वाधिक उद्योगीकृत राज्यों—महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल तथा तामिलनाडु—को बैंकों से जमा-राशि से अधिक ऋण प्राप्त हुए। वास्तव में, व्यापारिक बैंकों का सर्वोच्च लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना रहा है और अधिकतम लाभ बड़े उद्योगों को ही ऋण देकर अर्जित किया जा सकता था। अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर बैंक लाभ अर्जित करने की ओर ही अधिक ध्यान देते रहे हैं।

(7) प्रबन्धकीय अकुशलता—व्यापारिक बैंकों के अधिकतर संचालक प्रायः अयोग्य व अनु-भयहीन व्यक्ति रहे हैं, जिनका अन्य कर्मनियतों तथा संस्थाओं से भी सम्बन्ध बना रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग साधनों का अपने हित के लिए उपयोग करना रहा है, भले ही इससे बैंकिंग के सुदृढ सिद्धान्तों की अवहेलना होती हो। बैंकिंग विकास की ओर ध्यान देने के लिए न तो वे पूरा

समय ही दे पाते थे और न ही उनमें पर्याप्त योग्यता तथा अनुभव थे। वैकिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे वैकिंग कार्य में प्रायः अकुशल ही रहे हैं। परिणामतः व्यापारिक बैंकों में कार्य-कुशलता का स्तर प्रायः निम्न श्रेणी का रहा है, जिससे बैंकों के ग्राहकों को अनेक प्रकार की अनुविधाएँ होती रही हैं।

(8) 'सामाजिक नियन्त्रण' का प्रभावपूर्ण न होना—व्यापारिक बैंकों के कार्यों तथा नीति पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाये जाते रहे हैं। सन् 1968 में लागू की गयी बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण की नीति का उद्देश्य बैंकों की प्रवृत्तियों-व्यवस्था में सुधार करना, बैंकों का विस्तार करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की साक्ष्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति करना तथा राष्ट्रीय हितों की ओर अधिकतम ध्यान देना था। परन्तु इसके आरम्भ से यह स्पष्ट हो गया कि यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वृत्ति हुई माँग को टालने का केवल एक बहाना था और इससे अधिक सतपोजनक परिणामों की आशा नहीं की जा सकती थी। सामाजिक नियन्त्रण की नीति तथा इससे सम्बन्धित ऋतियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख अलग से किया जा चुका है। सामाजिक नियन्त्रण के प्रयोग के परिणामों की वृत्त अधिक प्रतीक्षा किये बिना 19 जुलाई, 1969 को 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी गयी।

उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए मैदान्तिक आधार तो था ही, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण पहलू देश में वैकिंग व्यवस्था के दोषों में सम्बन्धित था। देश में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों तथा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार की दोषपूर्ण वैकिंग व्यवस्था को तो उन देशों ने भी सहन नहीं किया जाता जो समाजवाद का नाम तक नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर फ्रांस, इटली, जर्मनी तथा स्वीडन जैसे देशों में भी प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था।

राष्ट्रीयकरण का विरोध

देश के प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा श्रेय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की है। जनसाधारण में नई आशाएँ जागी हैं और उन्होंने इसका हार्दिक स्वागत किया है। परन्तु देश में ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है तथा इसकी आवश्यकता व उपयोगिता में सम्बन्धित अनेक आशंकाएँ प्रकट की हैं, जो निम्नलिखित हैं।

(1) राष्ट्रीयकरण के विरोधियों का कहना है कि जिस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अचानक घोषणा की गयी, वह आपत्तिजनक है। इसने पूरे देश को चौंका दिया और इससे औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र को घबरा पड़ना है। वास्तविकता यह है कि देश की आर्थिक नीति से सम्बन्धित कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से बनाये बिना ही लागू करना होता है। देश की मौद्रिक अथवा वित्तीय नीति में कोई विशेष परिवर्तन अथवा मुद्रा का अवमूल्यन आदि इसी प्रकार के निर्णय होते हैं। इनकी मफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन्हें लागू करने में पहले इनके बारे में लोगों को पता न चले। यदि लोग पहले से ही जान जाएँ तो अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न होता है, सट्टेवाजी बढ़ती है तथा व्यावसायिक अव्यवस्था फैलती है। सन् 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण और सन् 1966 में रुपये का अवमूल्यन भी अचानक ही किये गये थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बहुत अधिक घौंकन के कुछ विशेष कारण भी नहीं दिखाई पड़ते। राष्ट्रीयकरण की माँग काफी समय से की जा रही थी और कांग्रेस के वगलौर अधिवेशन में जिस प्रकार इस पर जोर दिया गया था, उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि हवा किस दिशा में चल रही है।

(2) प्रायः यह कहा गया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि में आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारण अधिक महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस पार्टी में आन्तरिक फूट राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा कारण बतायी जाती है। परन्तु ऐसा मोचना गलत है। वास्तविकता यह है कि इस

प्रकार के विषय, जिनका देश में शक्तिशाली तत्वों पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक होते हुए भी राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। लोकात्मिक व्यवस्था में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए राजनीतिक दबाव एक प्रभावपूर्ण अस्त्र होता है। स्वतन्त्र पार्टी तथा भारतीय जनसंघ द्वारा राष्ट्रीयकरण के विरोध का आधार आर्थिक न होकर राजनीतिक ही था। राष्ट्रीयकरण राजनीतिक मतभेद के कारण नहीं किया गया बल्कि सत्य तो यह है कि राष्ट्रीयकरण ने राजनीतिक मतभेद को जन्म दिया है।

(3) अनेक लोगों के विचार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सामाजिक नियन्त्रण की नीति के अन्तर्गत बैंकों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये जा चुके थे और उनकी व्यवस्था तथा कार्यों में सुधार हो रहा था। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वे सामाजिक नियन्त्रण की योजना द्वारा भी पूरे किये जा सकते थे। इस सम्बन्ध में पहले विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है कि सामाजिक नियन्त्रण की नीति केवल एक टोंग थी, जिसका उद्देश्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यापक मांग को टालना था। यह एक अस्पष्ट तथा प्रभावहीन व्यवस्था थी, जिसका देश में आरम्भ से ही विरोध किया जा रहा था। बिना राष्ट्रीयकरण के सामाजिक नियन्त्रण की बात करना निरर्थक था। सामाजिक स्वामित्व के बिना सामाजिक नियन्त्रण केवल एक घोसा है। इसमें सन्देह की कुछ भी गुंजाइश नहीं है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था, बल्कि बहुत पहले से ही कर लेना चाहिए था।

(4) यह आसना प्रकट की गयी है कि व्यावहारिक रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे जिनके लिए राष्ट्रीयकरण किया गया है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य छोटे किसानों, उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए बैंकों के दरवाजे खोलना है, परन्तु यह मन्देहपूर्ण बताया जा रहा है कि ये लोग बड़ी सख्या में इन दरवाजों में घुस पायेंगे और पर्याप्त मात्रा में मुविषाएँ प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में, इस प्रकार की शकलें निराधार हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पढ़ने बैंकों से पर्याप्त सहायता इसलिए नहीं मिल पायी क्योंकि वे अपने साधनों का अधिकतम उपयोग बड़े औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों की वित्तीय शक्ति बढ़ाने के लिए करते रहे हैं। तब तो यह है कि बैंक अभी तक मुख्यतः अधिकतम लाभ अर्जित करने की ओर ध्यान देने रहे हैं। पचास राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक लाभ अर्जित करना चाहेंगे, परन्तु ऋण की प्राथमिकताएँ अब लाभ की दर द्वारा नहीं बरन् अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होंगी। बड़े व्यवसायी गुहों को अपनी उचित आवश्यकताओं के अनिश्चित मूट्टवाजी तथा अन्य फनों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के वित्तीय प्रपच के लिए मनचाहे टंग से धन नहीं मिल पायेगा। लघु उद्योग, कृषि तथा निर्यात आदि क्षेत्रों के लिए बैंक अधिक ऋण दे सकेंगे, जिससे अर्थ-व्यवस्था में अगस्तुलन को कम किया जा सकेगा। बैंकों की सहायता से देश में एक नये मध्य-स्तर के साहनी वर्ग का विकास सम्भव होगा। आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ बैंकों द्वारा अपने साधनों में तरलता बनाये रखना तथा अपने ऋणों को सुरक्षित करना कठिन कार्य नहीं होगा। इनके लिए आवश्यक नियम बनाये जा सकते हैं।

(5) बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण आंशिक मद्य-निषेध व समान अन्तर् कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा— निजी क्षेत्र में देशी तथा विदेशी बैंक अधिक जमा प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लगभग 85 प्रतिशत बैंकिंग व्यवसाय पर सरकार का अधिकार हो गया है। निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक इतने छोटे हैं कि उनसे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है। विदेशी बैंकों की भारत में शाखाओं का राष्ट्रीयकरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनसे हमें विदेशी व्यापार सम्बन्धी विशिष्ट सेवाएँ प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त, उनका राष्ट्रीयकरण करने से कुछ अन्य समस्याएँ भी हो सकती थीं। जैसे रिजर्व बैंक के बैंकों पर नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार इतने विस्तृत हैं कि जरा-सी गड़बड़ी पर निजी बैंकों को मनमाने टंग से चलने में रोकना जा सकता है। ऐसा सोचना तो विलकुल गलत है कि ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले अधिक

जमा प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक स्थिति इनके विपरीत है। अभी तक बैंकों की जमाओं में अधिकांश भाग व्यक्तिगत जमाओं का ही रहा है और जनता में सरकारी सस्थाओं के प्रति विश्वास की भावना अधिक है, कम नहीं। राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों की जमाओं में वृद्धि हुई है। ग्रामीण तथा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करके ये बैंक और भी अधिक जमा प्राप्त कर सकेंगे। पिछले वर्षों का अनुभव यह बनाता है कि निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े बैंक स्टेट बैंक के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर पाये। अब यह मोक्षना निराधार है कि निजी क्षेत्र के छोटे-छोटे बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंक को किसी प्रकार का भय हो सकता है।

(6) एक आनंदा यह प्रकट की गयी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबन्ध-व्यवस्था इतनी कुशल नहीं होगी जितनी कि इनकी पहले थी। सरकारी व्यवस्था विलम्ब, फीनासाही तथा अव्यवहारिकता के लिए काफी बदनाम है और इनका प्रभाव बैंकों पर भी पड़ेगा। ऐसा सोचना भी पूर्णतया निराधार है। वास्तव में, बैंकों की प्रबन्ध-व्यवस्था पहले अकुशल थी, क्योंकि इनके अधिकांश मंचानक अन्य व्यवसायों में लग होने के कारण बैंकों की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। बैंकों के कर्मचारियों को कार्य में अधिक रूचि नहीं रखने थे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का प्रबन्ध केवल व्यावहारिक योग्यता वाले प्रबन्धकों के हाथ में दिया जायगा। बैंक कर्मचारियों ने जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है उसमें यह अनुमान लगाना गलत नहीं है कि उनसे अधिक महयोग की आशा की जा सकती है। अभी तक बैंकिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं। इस कमी को पूरा करने की ओर भी अब ध्यान दिया जायगा। यह दलील पूर्णतया गलत है कि जो कर्मचारी निजी फर्मों में कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, सार्वजनिक उद्योगों में अपनी योग्यता का परिचय नहीं दे सकते हैं।

बैंकों की कार्यकुशलता बनाये रखने के उद्देश्य में उन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद अलग-अलग इकाइयों के रूप में रूढ़न दिया गया है। उनकी सम्मिलित व्यवस्था के लिए किसी निगम आदि की स्थापना न करने का निर्णय किया गया है। इसमें इन इकाइयों में विकास तथा कार्यकुशलता के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाये रखा जा सकेगा। फ़ारम में राष्ट्रीयकृत बैंकों को अलग-अलग इकाइयों के रूप में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने दिया जाना है और इनके फलस्वरूप उनकी कार्यक्षमता तथा प्रबन्ध-व्यवस्था में निरन्तर सुधार हुआ है।

राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति

बैंकों का राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य ये थे राष्ट्रीयकरण के बाद देश में बैंकिंग का विकास होगा, योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए अधिक ऋण-सुविधाएँ प्राप्त होगी, छोटे-छोटे व्यक्ति भी उत्पादन-आवश्यकताओं के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, निजी उद्योगों एवं व्यापार की आवश्यक मातृ-आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जायगी परन्तु बैंक-साल का उपयोग मट्टे तथा अन्य अनुपादक कार्यों में सम्भव न हो सकेगा, सार्वजनिक उपग्रमा तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों को बैंकों के साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, तथा बैंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबन्ध के विकास का पर्याप्त बानावरण उत्पन्न होगा।

हम देखना यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में कहीं तक सफल हो पाये हैं। परस्पर विरोधी भावनाओं से अनेक प्रतिद्वन्द्वी आँकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनके द्वारा कहीं तो उनकी कार्य-प्रणाली की अकुशलता और कहीं उनके कार्य के उज्ज्वल पक्ष प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्थिति की निष्पक्ष जाँच के लिए हमें कुछ निर्विवाद तथ्यों पर दृष्टिपात करना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की निम्नलिखित मुख्य सफलताएँ विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं।

(1) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विशाल स्तर पर अपनी नयी शाखाएँ खोली हैं। 19 जुलाई, 1969 के बाद 30 अप्रैल, 1971 तक भारत में व्यापारिक बैंकों ने कुल 3,419 नयी शाखाएँ खोली हैं। इस प्रकार नयी शाखाएँ खोलने का वार्षिक औसत 1,900 हो गया है जबकि राष्ट्रीयकरण के पूर्व के 9 वर्षों में वार्षिक औसत केवल 362 था। इन 3,419 नयी शाखाओं में से

2,934 शाखाएँ लोकक्षेत्र के बैंको (स्टेट बैंक समूह तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंको) द्वारा ही खोली गयी हैं। अप्रैल 1971 के अन्त में व्यापारिक बैंको की शाखाओं की कुल संख्या 11,703 थी। जून 1969 में औसत 65,000 जनसंख्या के लिए एक शाखा थी। अप्रैल 1971 में औसत 47,000 जनसंख्या के लिए एक शाखा हो गयी है।

(2) अधिकांश नयी शाखाएँ उन स्थानों पर खोली गयी हैं जहाँ पहले किसी भी बैंक की कोई शाखा कार्य नहीं कर रही थी। लोकक्षेत्र के बैंको ने 70 प्रतिशत के करीब नयी शाखाएँ बैंक रहित केन्द्रों (unbanked centres) पर ही खोली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जुलाई 1969 में लोकक्षेत्र के बैंको की 23 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थी। अब 36 प्रतिशत के करीब शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 1971 में बैंक-रहित केन्द्रों (मुख्यतः ग्रामीण केन्द्रों) पर 1,195 नयी शाखाएँ खोलने के लक्ष्य निर्धारित किये गए।

(3) बैंको की जमा-राशि (deposits) में वृद्धि हुई है। मई 1969 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंको की जमा-राशि 2513.2 करोड़ रुपये थी। मई 1970 तक इसमें 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2896.8 करोड़ रुपये हो गयी। मई 1971 के अन्त में इन बैंको की जमा राशि 3407.9 करोड़ रुपये थी जो मई 1970 की जमा-राशि से 17.6 प्रतिशत अधिक थी। अनेक बैंको ने बचत खातों में जमा-राशि को कुछ शर्तों के अन्तर्गत नि:शुल्क जीवन धीमा के साथ जोड़ने की योजना अपनायी है।

(4) राष्ट्रीयकरण के बाद उपेक्षित वर्गों को बैंको से प्राप्त होने वाली सहायता में निरन्तर वृद्धि हुई है। कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिववाहकों, फुटकर व्यापार एवं लघु व्यापार, व्यावसायिक एवं अपने काम में लगे (self-employed) व्यक्तियों तथा शिक्षा से सम्बन्धित ऋण-खातों (borrowal accounts) की संख्या लोकक्षेत्र के बैंको में जून 1969 के अन्त में 2.8 लाख थी। जून 1970 में इन खातों की संख्या 9.2 लाख तथा मार्च 1971 में 11.7 लाख हो गयी। इन खातों में बकाया ऋणों की राशि जून 1969 में 438.5 करोड़ रुपये थी जो लोकक्षेत्र के बैंको द्वारा दिये गये कुल ऋणों (aggregate advances) का 14.5 प्रतिशत भाग थी। जून 1970 तथा मार्च 1971 में यह राशि बढ़कर क्रमशः 760.8 करोड़ रुपये तथा 897.2 करोड़ रुपये हो गयी जो कुल ऋणों का क्रमशः 21.2 तथा 22.8 भाग थी।

किसानों को प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष ऋणों में विशेष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जून 1969 से मार्च 1971 के बीच लोकक्षेत्र के बैंको में इस प्रकार के खातों की संख्या 1,71,880 से बढ़कर 7,95,745 हो गयी है। इन खातों में बकाया रकम 38 करोड़ रुपये से बढ़कर 198.8 करोड़ रुपये हो गई है। जून 1969 में इस प्रकार के ऋण इन बैंको के कुल ऋणों का 1.2 प्रतिशत भाग था। मार्च 1971 में इनका भाग 5 प्रतिशत हो गया। इसी काल में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों का भाग भी 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गया है।

(5) 'लीड बैंक' योजना (Lead Bank Scheme) के अन्तर्गत लोकक्षेत्र के सभी बैंको को अलग-अलग जिले सौंपे गये हैं, जिनमें उन्हें गहन अध्ययन तथा सर्वेक्षण के द्वारा बैंकिंग विकास की स्थिति, साधनों एवं सम्भावनाओं का पता लगाना है और कमियों को दूर करने के उपाय ढूँढने हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र पर दृष्टि रखते हुए बैंको को क्षेत्रीय आर्थिक विकास के कार्यों के साथ सम्बद्ध किया गया है। 1971 के अन्त तक 200 सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त होने की आशा है।

बैंक-राष्ट्रीयकरण की उपर्युक्त उपलब्धियों के साथ-साथ कुछ असफलताएँ अथवा त्रुटियाँ भी सामने आयी हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं।

(1) शाखा विस्तार के बावजूद बैंकिंग विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ बहुत अधिक हैं। देश में औसत 47,000 जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा कार्य कर रही है, परन्तु अनेक राज्यों में प्रति शाखा औसत जनसंख्या बहुत अधिक है। प्रति शाखा औसत जनसंख्या विहार में 135,000, उड़ीसा में 129,000, उत्तर प्रदेश में 82,000 तथा मध्य प्रदेश में 77,000 है।

(2) बैंको की जमा-राशि में वृद्धि की दर असन्तोषजनक है। राष्ट्रीयकरण के बाद प्रथम

वर्ष में 18 जुलाई, 1969 में जुलाई 1970 के बीच जमा-राशि में 595 39 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि इसमें पिछले वर्ष में 644 72 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीयकरण के दूसरे वर्ष में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु इसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। बैंक शाखाओं की सख्या में हुई विशाल वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बैंकों की जमा-राशि में तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए थी। स्पष्ट है कि बैंकों की नयी शाखाएँ पर्याप्त मात्रा में जमा-राशियाँ प्राप्त करने में अधिक मफलता नहीं प्राप्त कर पायी है। भारत में कुल व्यापारिक बैंकों की जमा-राशि राष्ट्रीय आय का लगभग 16 प्रतिशत भाग है, जबकि जापान तथा अमेरिका में यह प्रतिशत क्रमशः 69 तथा 41 है। अनेक अल्प-विकसित देशों में जमा-राशियों का राष्ट्रीय आय से अनुपात भारत की तुलना में काफी ऊँचा है।

(3) बैंक-साख का जमा-राशि से अनुपात काफी ऊँचा रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद प्रथम वर्ष में जमा-राशि में हुई वृद्धि की तुलना में बैंक-साख की राशि में अधिक वृद्धि हुई। 18 जुलाई, 1969 को बैंक-साख की राशि 3,627 32 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष बाद जुलाई 1970 में 4,197 68 करोड़ रुपये हो गयी और बढ़ते-बढ़ते दिसम्बर 1970 तक 4,452 46 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। परिणामस्वरूप, 1970 में मुद्रा की पूर्ति 12 प्रतिशत बढ़ गयी और थोक कीमतों का निर्देशांक एक वर्ष में लगभग 8 प्रतिशत बढ़ गया। इन परिस्थितियों के कारण ही जनवरी 1971 में बैंक-दर में एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी। बैंक-राष्ट्रीयकरण के दूसरे वर्ष में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। एक ओर तो जमा-राशि में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर साख-प्रसार की मात्रा में कमी हुई है। 4 जून, 1971 को समाप्त होने वाले एक वर्ष में जमा-राशि में 937 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि बैंक-साख में 532 69 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई है। परन्तु अब भी साख-जमा अनुपात 77 प्रतिशत के लगभग है जिसमें और अधिक कमी की आवश्यकता है।

(4) राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकों के सभ्य, कार्य-प्रणाली अथवा नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। बैंक-शाखाओं का विस्तार तथा कुछ विशेष वर्गों को बैंकिंग सुविधाएँ देने का कार्य तो राष्ट्रीयकरण के बिना भी किया जा सकता था। बैंक-राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य जन-साधारण को अल्प-व्ययता को प्राप्त करना और बैंकिंग सुविधाओं को उन तक पहुँचाना था। इन दिशाओं में अभी तक सन्तोषजनक मफलता नहीं मिली है। राष्ट्रीयकरण के दो वर्ष बाद भी बैंकों द्वारा दी जान वाली सहायता का अधिकांश भाग धनी तथा समृद्ध वर्गों को प्राप्त होता है। कान्तार, छोट किसान तथा कारीगर तो बैंकों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, गहरो में रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलक जैसे विलासता के उपभोग्य पदार्थ खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। बैंकों की ऋण-नीति न तो रोजगार के अवसर बढ़ाने में अधिक सहायक हुई है और न ही दुर्बल वर्गों को पर्याप्त सहायता मिली है। विद्येपक व्याज-दरों (differential interest rates) की नीति के अन्तर्गत कुछ विशेष वर्गों को थोड़ी-सी रियायत दी गयी है, परन्तु विभिन्न वर्गों के दुर्बल व्यक्तियों को रियायत देने की कोई योजना नहीं अपनायी गयी है। बैंकों द्वारा नयी शाखाएँ चोलते समय भी पिछड़े हुए क्षेत्रों को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना विकसित क्षेत्रों को मिला है।

नियंत्रण

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए अभी दो ही वर्ष हुए हैं। इस थोड़े-से समय में इन्होंने अनेक सफलताएँ प्राप्त की हैं। कुछ दिशाओं में अभी तक ये असफल भी रहे हैं। असफलताओं का मुख्य कारण यह रहा है कि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार प्रायः उन क्षेत्रों में किया जाता रहा है जहाँ लोगों का पहले बैंकों से कोई सम्बन्ध नहीं था और न ही उनमें बैंकों के साथ कार्य करने की आदत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई शाखाओं के लिए कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बैंक पुरानी ऋण-नीति पर अमल करने के आदी थे। इसे एकदम बदलने में अनेक प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं। जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, बैंकिंग व्यवस्था,

1 अक्टूबर 1970 में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गयी एक समिति ने अनुमान लगाया है कि व्यापारिक बैंक आगामी पाँच वर्षों में तीस लाख लोगों में लिए काम उत्पन्न कर सकते हैं यदि प्रति वर्ष बैंकों की प्रत्येक शाखा एक वर्ष में पचास बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता दे।

2 दिसम्बर 1970 में रिजर्व बैंक द्वारा डॉ. जार के हजायी की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी समिति ने विभिन्न वर्गों के दुर्बल व्यक्तियों को दिने जाने वाले छोटे ऋणा पर विशेषक व्याज-दरों की सुविधा देने के सुझाव दिये हैं।

कार्य-प्रणाली तथा नीति में भी सुधार होते जायेंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद के प्रथम वर्ष की तुलना में द्वितीय वर्ष में बैंकों का कार्य अधिक सन्तोषजनक रहा है।

देश के प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। थोड़े-से लोगों के स्वार्थपूर्ण हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र के व्यापक हितों की अवहेलना अधिक समय तक नहीं की जा सकती थी। परन्तु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेने मात्र से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गयी। वास्तव में, नयी जिम्मेदारियाँ राष्ट्रीयकरण के बाद आरम्भ हुई हैं। राष्ट्रीयकरण कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम जो चाहे प्राप्त कर लें और न ही राष्ट्रीयकरण कर लेने से अपने आप समाजवाद की स्थापना हो जाती है। सफलता की प्राप्ति के लिए अनेक समस्याओं के हल ढूँढने होंगे। बैंकों के कार्यों, नीति, प्रवृत्तियों व सगठन आदि से सम्बन्धित उपयुक्त नीति निर्धारित करनी होगी। जनता की वचत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शाखाओं का विस्तार करना होगा। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा अपने प्रति जनता का विश्वास प्राप्त करना। विश्वास प्राप्त करने के लिए बोरी बातों की आवश्यकता नहीं होती, कहने के अनुसार कार्य करके दिखाना होता है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कार्य निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित हो, उन्हें कुशलतापूर्वक लागू किया जाय तथा देश में सभी वर्गों की वाञ्छित आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय। निर्धारित सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप तभी दिया जा सकता है जब इनके अनुसूप निरीक्षण, सगठन व प्रवृत्तियों की व्यवस्था कायम की जा सके। स्पष्ट है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को बहुत कुछ करना होगा। सहायता अथवा सेवा की भावना रखते हुए भी बैंकिंग सिद्धान्तों के विपरीत कार्य करना उचित नहीं होगा। व्यावसायिक सस्थाएँ होने के नाते इन्हें अपने ऋणों तथा विनियोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन इनके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के अतिरिक्त इनके द्वारा अर्जित लाभ की मात्रा के आधार पर किया जायगा। राष्ट्रीयकृत बैंक अपने उद्देश्यों में कहीं तक सफल होंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु इतना तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें बहुत कुछ करना होगा।

परिक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1. भारत में व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। 'अनुसूचित' तथा 'गैर-अनुसूचित' बैंकों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
[संकेत . साधारण बैंकिंग कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए और यह बताइए कि भारत में व्यापारिक बैंक सामान्यतः इन सभी कार्यों को करते हैं। दूसरे भाग में यह बताइए कि अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित बैंकों में अन्तर भारत में व्यापारिक बैंकों के रिजर्व बैंक के साथ सम्बन्धों पर आधारित है। उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।]
2. जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व भारतीय बैंकों की स्थिति तथा प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए।
[संकेत . मन् 1969 से पूर्व व्यापारिक बैंकों के विकास की गति व प्रवृत्ति का आवश्यक आँकड़ों पर आधारित विवरण दीजिए। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोषों का भी उल्लेख कीजिए।]
3. जुलाई 1969 में प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? क्या आप इसे एक सही कदम मानते हैं?
[संकेत . राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्तिक तथा बैंकिंग व्यवस्था के दोषों से सम्बन्धित कारणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक सही कदम है और इसका विरोध करना गलत है।]
4. चौदह प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसके विपक्ष में दिये गये तर्क कहीं तक सही हैं?
[संकेत . राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिचय के आधार पर यह विस्तारपूर्वक समझाइए कि देश में अधिकांश बैंकिंग व्यवस्था सरकार के अधिकार में आ गया है। दूसरे भाग में राष्ट्रीयकरण के विपक्ष प्रवृत्तियों की सभी बाधाओं की जाँच कीजिए और यह बताइए कि ये निराधार हैं। राष्ट्रीयकरण एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, परन्तु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कहीं तक सम्भव हो पाती है।]
5. 'बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं था, इन पर सामाजिक नियन्त्रण ही पर्याप्त था।' ध्यातया कीजिए।
[संकेत . भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोषों के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक नियन्त्रण की नीति प्रभावपूर्ण होने की आशा नहीं की जा सकती थी। यह एक अयोग्य व्यवस्था थी, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा।]

विनिमय बैंको में अभिप्राय उन बैंको से है जो विदेशी विनिमय का लेन-देन करते हैं तथा विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन करते हैं। वास्तव में, विदेशी विनिमय का लेन-देन करना व्यापारिक बैंको का ही कार्य है। परन्तु भारत में यह व्यवसाय मुख्य रूप से कुछ विदेशी बैंको की भारत में स्थित शाखाओं द्वारा ही किया जाता रहा है। गत वर्षों में कुछ भारतीय व्यापारिक बैंको ने भी विदेशों में अपनी शाखाएँ खोली हैं और वे विदेशी विनिमय का लेन-देन करने लगे हैं। किन्तु देश में अधिकांश व्यापारिक बैंक यह कार्य नहीं कर पाते और यह व्यवसाय अधिकतर विदेशी बैंको के ही हाथ में है। अतएव विदेशी विनिमय का व्यापार करते वाले बैंको का अलग से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

विनिमय बैंको के कार्य

विनिमय बैंक कोई विशेष प्रकार के बैंक नहीं हैं। व्यापारिक बैंको के अन्य कार्यों के साथ-साथ विदेशी विनिमय के व्यापार से सम्बन्धित विशिष्ट कार्य करने के कारण इन बैंको को भारत में 'विदेशी विनिमय बैंक' अथवा 'विनिमय बैंक' कहा जाता है। इनके माध्याम वेदिक सम्बन्धी कार्यों—जैसे, जमा लेना, ऋण देना, धन का स्थानान्तरण करना तथा एजेन्सी के कार्य करना—का अध्ययन न करके हम उनके विशिष्ट कार्यों का ही अध्ययन करेंगे।

(1) विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन—विनिमय बैंक विदेशी व्यापार के दोगो पहलुओं—निर्यात तथा आयात—से सम्बन्धित आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

मान लीजिए, भारत का व्यापारी इंग्लैण्ड के किसी व्यापारी को माल निर्यात करता है और उससे सम्बन्धित जहाजी बिल्टी व अन्य अधिकार-पत्र प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भारतीय व्यापारी इंग्लैण्ड के व्यापारी के नाम अथवा उसके बैंक के नाम विनिमय बिल (Bill of Exchange) लिखता है। यह बिल दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम, स्वीडिति पर देय प्रलेख (Documents against Acceptance—D/A), जिसकी स्वीकृति हो जाने पर उसके साथ नवी अधिकार-पत्र दे दिये जाते हैं। दूसरे, भुगतान पर देय प्रलेख (Documents against Payments—D/P), जिससे सम्बन्धित अधिकार-पत्र भुगतान प्राप्त कर लेने पर ही दिये जाते हैं। भारतीय निर्यातकर्ता अधिकतर पहली प्रकार के बिल लिखता है तथा इनकी अवधि माध्यामक तीन माह होती है। यदि भारतीय व्यापारी इसका भुगतान अवधि पूर्ण होने के पूर्व चाहता है तो वह इस बिल को किसी विनिमय बैंक से भुना लेता है। विनिमय बैंक द्वारा बिल का भुगतान भारत में ही रूपों में कर दिया जाता है। विनिमय बैंक द्वारा यह बिल लन्दन के मुद्रा-बाजार में फिर से भुनाया (rediscount) जा सकता है अथवा इसकी अवधि पूरी होने पर आयातकर्ता अथवा उसके बैंक से इसका भुगतान प्राप्त किया जा

सकता है। विनिमय बैंक द्वारा इन प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक को बेचकर रुपये प्राप्त कर लिये जाते हैं। स्पष्ट है कि विनिमय बैंको की सहायता में निर्यातकर्ता को माल का भुगतान शीघ्र मिल जाता है, विदेशी आयातकर्ता को निश्चित अवधि के लिए ऋण मिल जाता है तथा बैंको को अपने कार्य के लिए कमीशन प्राप्त होता है।

जिस प्रकार भारत में माल निर्यात करने में विनिमय बैंको से सहायता मिलती है उसी प्रकार माल आपात करने में भी वे विल स्वीकार कर अथवा तत्काल भुगतान द्वारा सहायक होते हैं। यदि भारतीय आयातकर्ता का कोई कार्यालय लन्दन में भी है, तो लन्दन में निर्यातकर्ता अपने बिल पर स्वीकृति आयातकर्ता के लन्दन स्थित कार्यालय से ले लेता है। इस बिल को लन्दन के मुद्रा-बाजार में भुगतान निर्यातकर्ता भुगतान प्राप्त कर लेता है। लन्दन का बैंक विल से सम्बन्धित जहाजी बिल्टी, बीमा पॉलिसी व बीजक आदि प्रलेख भारत स्थित अपनी शाखा अथवा किसी अन्य बैंक को भेजकर आयातकर्ता को माल दिना देता है। भारत स्थित बैंक विल की राशि वसूल करके लन्दन के बैंक के पास भेज देता है। भारतीय आयातकर्ता का लन्दन में कोई कार्यालय न होने की दशा में निर्यातकर्ता भारतीय व्यापारी पर विल लिखकर उसके साथ जहाजी रसीद आदि नथी करके लन्दन के किसी बैंक को बेच देता है। यह बैंक निर्यातकर्ता के माल पर अधिकार प्राप्त करके उसे तुरन्त भुगतान कर देता है। लन्दन का बैंक अब विनिमय बिल तथा उससे सम्बन्धित अधिकार पत्र भारत स्थित विनिमय बैंक को भेज देता है। यदि विल 'स्वीकृति बिल' (D/A) है तो बैंक को तुरन्त रकम मिल जाती है और यदि 'भुगतान बिल' (D/P) है तो निश्चित अवधि समाप्त होने पर रकम मिल जाती है। जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक के लिए बैंक आयातकर्ता से ट्रस्ट-रसीद (Trust Receipt) लिखवाकर माल पर अपना अधिकार रखता है।

इस प्रकार, विनिमय बैंको की सहायता से विदेशी व्यापार के भुगतान की समस्या सरलतापूर्वक हल हो जाती है। विनिमय बैंक विभिन्न देशों में धन भेजने के लिए विनिमय विलों के अतिरिक्त चैक, डाफ्ट, तार की टुण्डियो (Telegraphic Transfer—T/T) आदि का प्रयोग करते हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय-नियन्त्रण के लागू किये जाने से विनिमय बैंको को विदेशी विनिमय का व्यवसाय करने के लिए अधिकृत व्यापारी बना दिया गया है, किन्तु अब विदेशी विनिमय सम्बन्धी सभी कार्यों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है। देश में आयातों पर कड़े नियन्त्रण हैं तथा निर्यात व्यापार के विस्तृत नियमन तथा विनिमय-नियन्त्रण की नीति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार के लिए अनियमित वित्त की व्यवस्था बहुत कुछ समाप्त हो चुकी है।

(2) आन्तरिक व्यापार में सहायता—विनिमय बैंको का कार्य भारतीय बन्दरगाहों में माल दूसरे देशों तक पहुँचाने से सम्बन्धित आर्थिक सहायता प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, ये बैंक देश के आन्तरिक व्यापार में भी आर्थिक सहायता देते हैं। विशेष रूप से ये बैंक देश में निर्यात के लिए माल एकत्र करने वाले केन्द्रों से बन्दरगाहों तक माल लाने व आयात किये गये माल को बन्दरगाहों में आन्तरिक नगरों या व्यापारिक केन्द्रों तक ले जाने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए इन्होंने आन्तरिक व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों में अपनी शाखाएँ खोल रखी हैं। देश के आन्तरिक व्यापार में हिस्सा लेने से व्यापारिक बैंको के हाथ में बन्दरगाहों और आन्तरिक भागों के बीच के व्यापार का एक बड़ा भाग छिन जाता है, परन्तु इससे आयात व निर्यातकर्ताओं को मुविधा होती है। आन्तरिक व्यापार के उन क्षेत्रों को भी इन बैंको में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जिनका व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, कानपुर के चमड़े का व्यापार तथा बंगाल का जूट व्यापार इन बैंको से काफी आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। अनुमानतः ये बैंक अपनी कुल पूँजी का ३ भाग आन्तरिक व्यापार में ही लगाते हैं।

(3) विनिमय बिलों का प्रय-विक्रय—विनिमय बिलों का प्रय विक्रय विनिमय बैंको का मुख्य व्यवसाय है। ये बैंक देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के विनिमय बिलों का लेन-देन करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विदेशी बिलों के प्रय विक्रय द्वारा ही ये बैंक विदेशी व्यापार में सहायता देते हैं। निर्धारित नियमों व प्रतिबन्धों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर, ये बैंक अपने विदेशी बिलों का निश्चित दर पर रिजर्व बैंक से प्रय विक्रय कर सकते हैं।

(4) अन्य विशिष्ट कार्य—विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था व भुगतान का प्रवण्य करने के अतिरिक्त, विनिमय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व सहयोग बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना भारतीय व्यापारियों को और भारतीय व्यापारियों

पारियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना विदेशी व्यापारियों को देकर ये बैंक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योग देते हैं। विदेशी विनिमय बैंक अपने देश से पूंजी आयात कर भारतीय उद्योग तथा व्यवसाय को उपलब्ध कराते हैं। विदेशों में भ्रमण करने वालों अथवा शिक्षा या चिकित्सा के लिए जाने वालों को ये बैंक विदेशी मुद्राएँ उपलब्ध कराते हैं।

उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त विनिमय बैंक अन्य सभी प्रकार के बैंकिंग सम्बन्धी कार्य भी करते हैं। इनकी आर्थिक दृढता व कार्यकुशलता के कारण इनकी प्रतिष्ठा सामान्यतः बहुत अच्छी है। भारतीय मुद्रा बाजार में ये बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ साधारण बैंकिंग के क्षेत्र में प्रति योगिता कर रहे हैं। ये सब अनुसूचित बैंक हैं और इनके पास विशाल साधन हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र के बाहर 60 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग व्यवसाय विदेशी बैंकों के हाथ में ही है।

विनिमय बैंकों की वर्तमान स्थिति

भारत में विनिमय बैंकों का प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शानन-काल में हुआ। आरम्भ से ही ब्रिटिश सरकार ने विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की पूर्ण मुक्ति प्रदान की थी। सरकार का संरक्षण पाकर विदेशी विनिमय बैंकों ने अपनी आर्थिक स्थिति काफी दृढ़ कर ली और विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था के क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकार प्राप्त कर लिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय बैंकों ने समय-समय पर विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न किये, परन्तु सफल न हो सके। विदेशों में शाखाएँ स्थापित करने व विदेशी विनिमय व्यवसाय करने के लिए न तो भारतीय बैंकों के पास यथेष्ट पूंजी थी और न ही उनके पास अधिक कुशल और अनुभवी कर्मचारी थे। विदेशों में भारतीय बैंक वहाँ के बैंकों की तुलना में पर्याप्त जमा और व्यापार भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत, भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः विदेशियों के हाथों में था जो विदेशी बैंकों को प्रधानता देते थे। इनमें भारतीय व्यापारियों का भी विश्वास अधिक था। परिणामस्वरूप, भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् मन् 1949 के बैंकिंग अधिनियम द्वारा विदेशी विनिमय बैंकों पर कुछ नियन्त्रण स्थापित किये गये। भारतीय व्यापारिक बैंकों ने भी विदेशों में अपनी शाखाएँ खोली तथा प्रतिनिधि नियुक्त किये। भारत के कुछ बड़े बैंक, मुख्यतः स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, सेट्रल बैंक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमर्सियल बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि विदेशी विनिमय व्यवसाय में हिस्सा लेने लगे हैं। इससे विदेशी विनिमय बैंकों का एकाधिकार समाप्त हो गया है। इस प्रकार, भारत में दो प्रकार के विनिमय बैंक कार्य कर रहे हैं (1) विदेशी बैंकों की शाखाएँ तथा (2) भारतीय व्यापारिक बैंक (जो राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में आ गये हैं)।

वास्तविकता यह है कि विदेशी विनिमय बैंक अभी तक विदेशी विनिमय व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी दृढ़ है। विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता की प्राप्ति से सम्बन्धित उनसे हमें अनेक विशिष्ट सेवाएँ प्राप्त होती हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय बैंक उनकी तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं और अपने देश में भी उनका स्थान ग्रहण करने में काफी समय लाग सकता है। देश की बैंकिंग व्यवस्था में विदेशी बैंकों के विशेष महत्व के कारण ही उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, जबकि उनमें से कुछ के निक्षेप 50 करोड़ से काफी अधिक हैं। प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में इनके महत्वपूर्ण स्थान की व्याख्या की है।¹

1 * Foreign banks are part of a world wide organisation and this enables them to give certain special facilities and services to exporters. For this type of service Indian banks do not have adequate net work of branches abroad. Foreign banks have an intimate knowledge of parties in other countries on whom export bills are drawn by Indian customers. Foreign banks thus have a distinctive part to play in advancing foreign currency loans and administering them on behalf of their parent office, rendering service to tourists and in the spreading of information about business opportunities in India and in other countries in which they operate. —Prime Minister's Speech in the Lok Sabha during the debate on the Bank Nationalisation Bill on July 29, 1969

भारत में कुल 15 विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों में से 5 ब्रिटिश, 3 अमेरिकन, 2 जापानी, 2 पाकिस्तानी तथा शेष 3 हांगकांग, नीदरलैंड्स और फ्रान्स के बैंक हैं। भारत में स्थित विदेशी बैंकों में ब्रिटिश बैंकों का प्रभुत्व है। घन 1970 के अन्त में भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या 131 थी। इनमें से अधिकांश शाखाएँ बन्दरगाह केन्द्रों में हैं। विदेशी बैंकों द्वारा भारत में किये गये कुल व्यवसाय का विवरण निम्न तालिका से व्यक्त होता है

विदेशी बैंकों का भारत में व्यवसाय (करोड़ रुपये में)

	1960-61	'65-66	'66-67	'67-68	'68-69	'69-70	'70-71
1 कुल जमा	217.85	349.42	375.68	403.03	444.86	491.39	552.03
2 बैंक-साख	233.95	281.54	325.75	350.49	387.95	410.32	463.43
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	107.39	80.57	86.71	86.96	87.21	83.50	83.95
3 सरकारी प्रतिभूतियाँ में विनिमय	40.46	94.27	100.66	107.71	111.64	126.10	152.66
कुल जमा का प्रतिशत अनुपात	18.57	26.98	26.79	27.73	25.10	25.66	27.65

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में विदेशी बैंकों की कुल जमा तथा साख में निरन्तर वृद्धि हुई है। उनके द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग की राशि तथा उनकी कुल जमा के अनुपात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। विदेशी बैंकों का भारत में व्यवसाय देखने से पता चलता है कि उनके द्वारा दिये गये ऋण तथा विनियोग की राशि उनकी जमा-राशि से अधिक रही है। जमा-साख अनुपात में पहले की अपेक्षा कमी हुई है, परन्तु जमा विनियोग अनुपात बढ गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी बैंकों ने भारत में ऋण देने तथा विनियोग करने के लिए अपने केन्द्रीय कार्यालय अथवा अन्य विदेशी शाखाओं से वित्तीय सहायन प्राप्त किये हैं। इससे देश के आर्थिक विकास में सहयोग मिला है। देश में प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेने के बाद अनुमान है कि निजी क्षेत्र के बैंकिंग व्यवसाय में कुल जमा का 3/5 तथा कुल बैंक-साख का 2/3 भाग विदेशी बैंकों के अधिकार में रहेगा।

विदेशी विनिमय बैंकों की आलोचना

इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को देश में विकसित करने में विदेशी बैंकों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। भारतीय मुद्रा-बाजार का विदेशी मुद्रा-बाजार के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है और विदेशी व्यापार के विकास में सहयोग दिया है। फिर भी इनकी दोषपूर्ण व्यावसायिक नीति व कार्यप्रणाली के कारण इनकी देश में बहुत आलोचना की जाती है। तन् 1949 के बैंकिंग विधान के लागू होने के पूर्व ये बैंक भारतीय कानून के बन्धन से पूर्णतया मुक्त थे और अपने मनमाने ढंग से कार्य करते थे। अब इन पर अनेक नियन्त्रण लगाये गये हैं। इन बैंकों की निरकुशता में कमी आई है। विदेशी विनिमय व्यापार में भारतीय बैंकों का महत्व बढ़ने के कारण विदेशी बैंकों का प्रभुत्व कम हुआ है और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। यह सब होते हुए भी इनका कार्य आलोचना से रहित नहीं है। इनके विरुद्ध मुख्य मिकायलें निम्नलिखित हैं।

(1) विदेशी को लाभ—बैंकिंग प्रणाली का एक बड़ा लाभदायक अंग विदेशी बैंकों के हाथ में है जिनके कारण भारत को प्रति वर्ष व्याज तथा कमीशन आदि के रूप में एक बहुत बड़ी राशि इन बैंकों को देनी पड़ती है, जिससे से अधिदान घन विदेशी की चला जाता है। ये बैंक भारत में एच.वि.न. जमा-पूँजी से विदेशी कम्पनियों के नेचर्स तथा बिल आदि त्रय करने का कार्य करते हैं। इससे भारत में जमा की गयी पूँजी का लाभ विदेशी उद्योगों को होता है।

(2) एकापक्षपूर्ण व्यवहार—इन बैंकों के विरुद्ध यह शिकायत रही है कि ये भारत में विदेशी व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ देते हैं। विदेशी व्यापारियों को ये स्वीकृति दिना (D/A) के आधार पर आयात करने की सुविधाएँ देते रहे हैं, जबकि भार-

तीय आयातकर्ताओं को अधिकतमत भुगतान विलो (D/P) पर ही माल मँगाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय व्यापारियों को आर्थिक व व्यावसायिक स्थिति के सम्बन्ध में ये विदेशों में अनुकूल सूचनाएँ नहीं देते हैं। अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में भी भारतीय व्यापारियों के साथ विदेशियों की तुलना में ये कई प्रकार से भेद-भाव करते हैं। ये बैंक उच्च पदों पर अधिकतर विदेशियों को ही रखते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ही सरकारी दबाव के कारण भारतीय-करण करना आरम्भ किया गया है।

(3) विदेशी सत्याओं का प्रचार—ये बैंक विदेशी व्यापार में सहायक भारतीय बीमा कम्पनियों, जहाजी कम्पनियों, दलाओं आदि को प्रॉन्साह्न नहीं देते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय व्यापारियों पर दबाव डालते हैं कि वे विदेशी कम्पनियों की ही सेवाओं को प्राथमिकता दें।

(4) भारतीय बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा—यह हम देख चुके हैं कि विदेशी विनिमय बैंक साधारण वैकिंग के कार्य भी करते हैं। इस प्रकार इन्होंने देश के आन्तरिक व्यापार में भी भारतीय बैंकों से स्पर्द्धा की है। प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब यह आमका प्रकट की जाने लगी है कि देश के बड़े व्यापारियों को विदेशी बैंक अपनी ओर खींचने के प्रयाग करेंगे जिससे भारतीय बैंकों का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों की जमा-राशि में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है।

(5) अपर्याप्त नकद-कोष—विदेशी बैंक अपनी जमा-राशि का केवल 4% प्रतिगत के लगभग ही नकद-कोष के रूप में अपने पास रखते हैं। इस प्रकार इनका व्यवसाय इनकी साख व प्रतिष्ठा के आधार पर चलता है, न कि इनकी वास्तविक दृढ़ता पर। कम नकद-कोष रखकर ये बैंक अपने लाभ में काफी वृद्धि कर लेते हैं।

(6) साख-नियन्त्रण में कठिनाई—साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों पर भी नियन्त्रण लगाये गये हैं। परन्तु व्यावहारिक रूप में इन नियन्त्रणों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। विदेशों में स्थित अपने प्रमुख कार्यालयों से आवश्यकता पड़ने पर ये अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते हैं।

विदेशी बैंकों पर कानूनी प्रतिबन्ध

वैकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा भारत में विदेशी बैंकों पर मुख्यतः ये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं

(1) अधिनियम की धारा 11 (2) के अनुसार प्रत्येक विदेशी बैंक को भारत में कार्यालय रखने के लिए चुकता पूंजी तथा आरक्षित कोष के रूप में कम से कम 15 लाख रुपये की राशि रिजर्व बैंक के पास रखनी होगी। यदि इसका कार्यालय बम्बई अथवा कलकत्ता में हो तो यह राशि 20 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) धारा 11 (4) के अनुसार विदेशी बैंकों के फेल होने पर उनकी रिजर्व बैंक के यहाँ जमा धन-राशि पर प्रथम दावा भारतीय जमाकर्ताओं का होगा।

(3) धारा 22 के अनुसार प्रत्येक विदेशी बैंक को भारत में व्यवसाय आरम्भ करने अथवा शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी बैंक द्वारा राष्ट्र-विरोधी अथवा जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर उसे भारत में अपना कारोबार बन्द करने का आदेश दे दे।

(4) धारा 25 (1) के अनुसार प्रत्येक विदेशी बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वह भारत में प्राप्त की गयी कुल जमा-राशि का कम से कम 75 प्रतिशत भारत में ही रखे अथवा विनियोग करे।

(5) अधिनियम की धारा 29 और 30 के अनुसार, विदेशी बैंकों द्वारा अपने भारतीय कारोबार का विवरण, अकेशण (audit) रिपोर्टें सहित, रिजर्व बैंक के पास भेजना अनिवार्य है।

(6) धारा 33 के अनुसार विदेशी विनिमय बैंकों के लाभ-हानि खाते व स्थिति-विवरण का सर्वसाधारण के हितार्थ प्रकाशन करना आवश्यक है।

(7) धारा 35 के अनुसार रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार किसी भी बैंक का निरीक्षण करके उसे उचित निर्देश या आदेश दे सकता है।

(8) सन् 1962 में अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार विदेशी बैंक को भी अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है।

सन् 1968 में लागू की गयी सामाजिक नियन्त्रण की योजना के अनुसार प्रत्येक विदेशी बैंक से कहा गया है कि वह एक सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की नियुक्ति करे जिसका सभी सदस्य भारतीय हों। प्रत्येक बैंक अपनी नीति निश्चित करन व उसे संचालित करन में इस सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

विदेशी विनिमय बैंक पर लगाये गये प्रतिबन्धा का प्रभाव यह हुआ है कि ये रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में आ गये हैं। इनके विस्तार को सीमित करन के लिए यह नियम बनाया गया है कि इनको केवल बन्दरगाह केन्द्रों में ही शाखाएँ खोलनी अनुमति दी जायगी। देश के आन्तरिक केन्द्रों में इनकी पुरानी शाखाएँ तो कार्य कर रही हैं, परन्तु नयी शाखाएँ खोलनी साधारणतया अनुमति नहीं दी जाती है। प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजर्व बैंक विदेशी बैंक के विस्तार की अनुमति तभी देगा जब इसे विदेशी व्यापार अथवा पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त करन के लिए आवश्यक समझा जायगा।

प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद विदेशी बैंक पर कठोर नियन्त्रण रखना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इन बैंकों का मत ही राष्ट्रीयकरण न किया जाय परन्तु इन पर इस प्रकार का नियन्त्रण रखना अति आवश्यक होगा कि ये कम से कम आन्तरिक व्यापार के क्षेत्र में, व्यापारिक बैंकों के साथ अनावश्यक स्पर्धा न कर सकें। यदि आवश्यक समझा जाय तो इन बैंकों द्वारा भारत में जमा प्राप्त करन की उच्चतम सीमाएँ निर्धारित कर दी जाय। यदि राष्ट्रीयकृत बैंक ठीक ढंग से कार्य करेंगे तो उन्हें विदेशी बैंकों से प्रतियोगिता का कोई भय नहीं रहेगा। विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा एक भारतीय विदेशी विनिमय बैंक (Indian Foreign Exchange Bank) की स्थापना के सुभाव पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार का एक सघन एवं शक्ति-सम्पन्न बैंक विदेशों में शाखाएँ खोल कर बड़े विदेशी बैंकों से उचित रूप में स्पर्धा कर सकेगा और भारत का अधिकांश विदेशी विनिमय व्यापार अपने हाथ में ले सकेगा। हम न केवल विदेशी बैंकों की शक्ति नियन्त्रित करन की बात सोचनी है, बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के सकेत

- विदेशी विनिमय बैंकों के साथ तथा महत्त्व समझाकर लिखिए।
[सकेत विदेशी विनिमय बैंकों के साथ विस्तारपूर्वक समझाइए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि इनका भारतीय बैंक व्यवस्था में क्या स्थान है और ये किस प्रकार अपने विशिष्ट क्षेत्र में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयोगी हैं।]
- विदेशी विनिमय बैंकों पर क्या आरोप लगाये जाते हैं? बकिंग विद्यालय के अंतर्गत इन पर क्या-क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं?
[सकेत प्रथम भाग में विदेशी विनिमय बैंकों का आलोचना कीजिए। दूसरे भाग में इन पर लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लेख कीजिए।]
- विदेशी विनिमय बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया है? इनसे सम्बन्धित कौनों-कौनों तर्कों का उचित हलका है?
[सकेत विनिमय बैंकों के विशिष्ट कार्यों तथा उनका पूरा करने के लिए उनका विशेष नियति का वर्णन कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया है, जिनका विदेशी बैंकों से अधिक सम्बन्ध नहीं है। अन्तर्गत विदेशी बैंकों पर इस प्रकार के नियन्त्रण को अनावश्यक लागू करने हमारे लिए के आन्तरिक व्यापार के क्षेत्र में भारतीय बैंकों को अनावश्यक स्पर्धा न करनी। विदेशी विनिमय व्यापार के लिए हम अपनी शक्ति व साधन बनायेंगे।]

कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था का मुख्य अंग है। देश के वार्षिक विकास की योजनाओं में कृषि-विकास के कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। कृषि-विकास सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त चाहिए। कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण किसान के निजी साधन बहुत कम हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किसान द्वारा साख की मांग निरन्तर बनी रहती है। बहुत बड़ी सख्या में ऐसे किसान भी हैं जिन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनाये रखने के लिए साख की आवश्यकता होती है। ठीक समय पर और उचित मात्रा में साख उपलब्ध न होने पर किसान के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट है कि कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित प्रकार की साख को व्यवस्था करना अनिवार्य है।

कृषि-वित्त का स्वरूप

कृषि-वित्त का स्वरूप व्यापारिक अथवा औद्योगिक वित्त के स्वरूप से काफी भिन्न है। कृषि-व्यवसाय के स्वभाव तथा कृषि की समस्याओं के कारण किसानों का संगठित मुद्रा-बाजार (अर्थात् व्यापारिक बैंक) से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना कठिन हो जाता है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान को प्रायः ऐसे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनके लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते। वास्तव में, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए ऋण लेना आपत्तिजनक नहीं है। यदि ऋण का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है तो इसे एक प्रकार से आवश्यक विनियोग माना जायगा और इसका अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किन्तु ऋण का अनुत्पादक तथा अनावश्यक कार्यों के लिए दुरुपयोग करना आगे चलकर विपत्ति का कारण बन जाता है। दुर्भाग्यवश भारतीय किसान शादी, मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि अनुत्पादक कार्यों के लिए तथा उपभोग पर व्यय करने के लिए ऊँची व्याज-दर पर बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेता है। इस प्रकार, कृषि-माला की वास्तविक समस्या ऋण की विधि, उसके सम्बन्ध में अनियमितताओं तथा उसकी दुरुपयोगपूर्ण अथवा अनुत्पादक व्यय-विधि में सम्बन्धित है।

अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) ने सन् 1954 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा था, "आजकल जिस प्रकार की कृषि-साख उपलब्ध है वह सही मात्रा से कहीं कम है, सही प्रकार की नहीं है, सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती और कमीटी के सन्दर्भ में प्रायः सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती है।"¹ तब से अब तक कृषि-वित्त-व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक उपाय किये गये हैं, परन्तु स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। कृषि के विकास की

1 "Today the agricultural credit that is supplied falls short of the right quality, is not of right type, does not serve the right purpose, and by the criterion of need often fails to go to the right people"—All India Rural Credit Survey.

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में ऋण चाहिए। यह ऋण उप-योगी सभी हो सकता है जब यह पर्याप्त मात्रा में, उपयुक्त समय पर और सस्ती व्याज-दर पर उपलब्ध हो सके। इस प्रकार के ऋणों को केवल बड़े किसानों तक ही सीमित न रखा जाय, बल्कि छोटे किसानों तक भी पहुँचाया जाय।

समय के आधार पर, किसानों को तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है

(1) अल्पकालीन या मौसमी साख—कृषि के चालू व्यय, फसल बोने में लेकर कटने तक का व्यय, किसान के घरेलू व्यय आदि को चलाने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है। इसकी अवधि 15 माह से अधिक नहीं होती है। इनकी राशि अधिक नहीं होती और प्रायः फसल विक्रम पर इसे चुका दिया जाता है।

(2) मध्यकालीन साख—पशु व यन्त्र खरीदन, सिंचाई की व्यवस्था करने, खेती में अस्थायी प्रकृति के सुधार आदि करने के लिए 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के ऋण मध्यकालीन कहलाते हैं। इस प्रकार के ऋण अल्पकालीन ऋणों की अपेक्षा बड़े होते हैं।

(3) दीर्घकालीन साख—जमीन या कीमती यन्त्र (ट्रैक्टर आदि) खरीदने, जमीन की चक्करी या उसमें कोई स्थायी सुधार करने, ऋणों को चुकाने आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण लिये जाते हैं। इनकी अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है और इनको किरतों में लौटाया जाना है।

कृषि-साख उचित, उपयुक्त तथा पर्याप्त सभी होगी जब अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था हो।

कृषि-साख का आकार एवं स्रोत

भारत में कृषि-साख के आकार से सम्बन्धित समय-समय पर विभिन्न अनुमान लगाये गये हैं। एडवर्ड मैकलागन, एम० एल० डालिय, पी० जे० टॉमस, केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मन् 1951-52 के लिए ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अनुमान लगाया था कि कृषि के लिए वार्षिक ऋणों की मात्रा 750 करोड़ रुपये के लगभग थी। 10 वर्ष बाद, मन् 1961-62 में, ग्रामीण ऋण व विनियोग सर्वेक्षण (All India Rural Debt and Investment Survey) का अनुमान 1,034 करोड़ रुपये का था। गत वर्षों में कृषि-उपज की कीमतें उँची रहने के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। परन्तु कृषि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषकों द्वारा ऋण की माँग बढ़ी है, कम नहीं हुई। मन् 1965-66 में कृषि-क्षेत्र के लिए अनुमानित 1400 करोड़ रुपये की साख की आवश्यकता थी, जो अब तक 2000 करोड़ रुपये के लगभग हो चुकी होगी। कुल ग्रामीण साख की माँग से सम्बन्धित अनुमान लगाया गया है कि मन् 1973 तक अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख की माँग क्रमशः 2000 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये तथा 1500 करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी।¹ साख की बढ़ती हुई माँग के साथ-साथ इनकी पूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

कृषि-साख की पूर्ति में सबसे अधिक भाग महाजनो का है और सबसे कम भाग व्यापारिक बैंको का। सरकार का हिस्सा भी बहुत कम है। गत वर्षों में सहकारी नमिनिया द्वारा साख का काफी अधिक विस्तार हुआ है। मन् 1951-52 में ग्रामीण साख में सहकारी साख का हिस्सा केवल 3 प्रतिशत था। तब से अब तक इसमें लगभग दस गुना वृद्धि हुई है। परन्तु अब भी स्थिति यह है कि कृषि-साख की पूर्ति में सत्यागन साख की अपेक्षा व्यक्तिगत साख की प्रधानता है। व्यक्तिगत साख के लिए मुख्य एजेंसी महाजन है और सत्यागन साख के लिए सहकारी नमिति। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है

महाजन अथवा साहूकार

कृषि साख का प्रमुख साधन महाजन अथवा साहूकार (money-lender) है। मन् 1951-52 में ग्रामीण साख का 69.7 प्रतिशत महाजन से प्राप्त होता था। मन् 1961-62 में महाजन

¹ All India Rural Credit Review Committee Report, July 30, 1969

का हिस्सा घटकर 49.2 प्रतिशत रह गया। पिछले कुछ वर्षों में सहकारी साख का तेजी से विस्तार तथा महाजन पर सरकारी नियन्त्रण में वृद्धि होने के कारण महाजन का ऋण-साख की पूर्ति में हिस्सा निरन्तर घटता गया है, परन्तु अब भी ग्रामीण वित्त व्यवस्था में उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।

महाजन दो प्रकार के होते हैं (1) पेशेवर (professional), तथा (2) कृषक (agriculturist) अथवा गैर-पेशेवर। पेशेवर महाजन केवल ऋण देने का ही कार्य करते हैं। गैर-पेशेवर महाजन ऋण देने का कार्य सहायक अथवा पूरक धन्धे के रूप में करते हैं। इस वर्ग में बड़े किसानों के अतिरिक्त व्यापारी, वृद्ध, विधवाएँ तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोग शामिल रहते हैं। सन् 1951-52 में ग्रामीण साख का 45 प्रतिशत पेशेवर महाजन से तथा 25 प्रतिशत कृषक महाजन से प्राप्त होता था। सन् 1961-62 में यह अनुपात क्रमशः 13 प्रतिशत और 36 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, पेशेवर महाजनों का महत्व कम हो गया है और कृषक महाजनों का महत्व पहले की अपेक्षा अधिक हो गया है।

महाजनों की कार्यप्रणाली अत्यन्त सरल होती है। आवश्यकता पड़ने पर किसान उनसे किसी भी समय ऋण प्राप्त कर सकता है। इनका अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत परिचय होता है, इसलिए ऋण देने के पूर्व न तो ऋण लेने वाले की आर्थिक स्थिति की जाँच की जाती है और न ही जमानत पर अधिक जोर दिया जाता है। ऋणों के लिए ये हर प्रकार की जमानत (जैसे, जमीन, मकान, फसल, जेवर आदि) स्वीकार कर लेते हैं। महाजन का ऋण के उद्देश्य से कोई सरोकार नहीं होता है। उत्पादक, अनुत्पादक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण दिये जाते हैं। ऋण की अदायगी के लिए कोई कठोर नियम नहीं होते। ग्राहकों की सुविधा के अनुसार ऋण की अवधि घटा बड़ा ली जाती है। इन सब गुणों के कारण ही ग्रामीण वित्त-व्यवस्था में महाजन महत्वपूर्ण स्थान पाये हुए हैं।

महाजन की कार्य-प्रणाली में लोच व ऋणों की शीघ्र प्राप्ति के अतिरिक्त कोई भी सराहनीय बात नहीं है और बहुत कुछ वाते इसको निष्कण्ट व हेय बनाने वाली ही है। किसान को हर समय ऋण की आवश्यकता बनी रहती है और महाजन अपनी थोड़ी-सी पूँजी लगाकर उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इन परिस्थितियों में महाजन से ली गयी साख किसान को बहुत महँगी पड़ती है। महाजन सामान्यतः 12 से 36 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेते हैं। इनके द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर कई बार तो 30 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक होती है।¹ ब्याज की रकम थोड़े-थोड़े समय बाद मूलधन में जोड़ दी जाती है। इस प्रकार महाजन चक्र-वृद्धि ब्याज लेते हैं। इसके अतिरिक्त, हिमाब में कई प्रकार की गडबडी करके वे किसानों का शोषण करते हैं। ऋण देते समय वे ब्याज व अनेक प्रकार की कटौतियाँ पहले ही फाट लेते हैं। कोरे कामज अथवा प्रोनोट पर अँगूठा लगवा लेते हैं अथवा बहुत बड़ा-चढ़ाकर रकम लिखवाते हैं। कभी कभी वे किसान द्वारा अपनी फसल उन्हीं के हाथ बेचने की भी शर्त तय कर लेते हैं। ऋण की बसूली में भी देईमानी करते हैं। वास्तव में, उनकी नजर हमेशा किसान की भूमि पर रहती है जिसे अवसर पाते ही वे हड़प कर जाना चाहते हैं। महाजन का लेन-देन का ढंग ऐसा है कि एक बार उसमें फँस जाने पर उससे निकलना कठिन हो जाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ठीक ही कहा था कि "व्यक्तिगत साख, जो सामान्यतः अनुपयुक्त होती है, अधिक उत्पादन के लिए नियोजन के सन्दर्भ में तो पूर्णरूपेण अनुपयुक्त होती है।"²

महाजन की अनुसूचित कार्यवाहियों की प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से अनेक राज्यों में कानून पास किये गये हैं। इनके अन्तर्गत महाजनों द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अतिरिक्त, महाजनों द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज लेने, अनुचित कटौतियाँ करने, मूलधन

1 ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार सन 1951-52 में ब्याज की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग थी। बिहार व उत्तर प्रदेश में 30%, पश्चिमी बंगाल व हिमाचल प्रदेश में 40% और उड़ीसा में 70%।

2 Private credit, generally unsuitable, is wholly unsuitable in the context of planning for large production — All India Rural Credit Survey, 1951-52

के अतिरिक्त किसी प्रकार के भूठे दावे पेश करन, ऋण की वसूली के अनुचित तरीके अपनाने, राज्य के बाहर भुगतान करने के समझौते करने आदि कार्यों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। परन्तु इन कानूनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। व्यावहारिक रूप में महाजन बिना किसी साइसेन्स के ऋण देने के कार्य करते रहे हैं और उन्होंने कानूनी प्रतिबन्धों की निरन्तर उपेक्षा की है। कुछ लोग महाजन को एक 'आवश्यक बुराई' मानते हुए इमको समाप्त करने के वजाय इममें सुधार करने का मुभाव देते हैं। परन्तु यह विचार अधिक सारयुक्त नहीं है। वास्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण साख के सत्यागत साधनों का तेजी से विवास करके महाजनों के महत्व को समाप्त कर देना चाहिए। साथ में, महाजनों को यह सुविधा देना भी आवश्यक होगा कि वे अपनी पूंजी का अन्य क्षेत्रों में विनियोग कर सकें।

देशी बैंकर

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में देशी बैंकर (indigenous bankers) को विशेष स्थान प्राप्त है। कार्य-क्षेत्र के आधार पर देशी बैंकर दो प्रकार के होते हैं—ग्रामीण तथा शहरी। दोनों की कार्य-प्रणाली में समानता होते हुए भी इन दोनों के कार्यों तथा स्वरूप में अनेक अन्तर होते हैं। देशी बैंकर वे व्यक्ति या फर्म हैं जिनका मुख्य व्यवसाय ऋण देना व हण्डियों के लेन-देन का व्यवसाय करना है। वे प्रायः जमा भी स्वीकार करते हैं।

देशी बैंकर तथा महाजन के बीच अन्तर स्पष्ट करते हुए पंजाब बैंकिंग जांच समिति ने लिखा था कि "देशी बैंकर मुख्यतः व्यापार तथा उद्योग के लिए वित्त प्रदान करता है, किन्तु महाजन मुख्यतः उपभोग के लिए ऋण देता है। दोनों ही बिना जमानत ऋण दे देते हैं परन्तु देशी बैंकर प्रायः जमानत पर ही ऋण देता है। बैंकर ऋण के उद्देश्यों पर ध्यान देता है किन्तु महाजन इसकी कम चिन्ता करता है। एक बैंकर के ग्राहक प्रायः ऋण समय पर लौटा देते हैं किन्तु महाजन को अधिकांश ऋणियों पर इम हेतु दबाव डालना पड़ता है। इसके अतिरिक्त देशी बैंकर महाजन की अपेक्षा कम व्याज लेता है।" दोनों में अन्तर अवश्य है परन्तु समानताएँ भी कम नहीं हैं। दोनों ही अव्यवस्थित और असंगठित हैं तथा सारे देश में फैले हुए हैं। दोनों ही परम्पराओं तथा लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करते हैं। साधारणतया इन दोनों का कारोबार एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में होता है और प्रायः दोनों ही अपनी निजी पूंजी से कार्य करते हैं।

देशी बैंकर दो प्रकार के कार्य करते हैं— बैंकिंग कार्य तथा गैर-बैंकिंग कार्य। इनके बैंकिंग कार्यों में मुख्य कार्य ऋण देना है। इनके द्वारा ऋण प्रतिज्ञापत्रों, दस्तावेजों, साधारण रसीद, हाथ-उधार तथा रहन आदि के आधार पर दिये जाते हैं। ये ऋण अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के होते हैं। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि देशी बैंकर किसानों को प्रायः प्रत्यक्ष ऋण न देकर महाजनों तथा व्यापारियों के माध्यम से देते हैं। इनका एक अन्य बैंकिंग कार्य हण्डियों का व्यापार करना है। ये हण्डियों को खरीदते हैं तथा ग्राहकों द्वारा पेश की गयी हण्डियों की बटौती करते हैं। कई बैंकर लोगों से अमानती रूपसे लेकर जमा भी करते हैं, परन्तु अधिकांश देशी बैंकर अपने व्यवसाय के लिए अपनी ही पूंजी पर निर्भर करते हैं। बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अधिकांश देशी बैंकर व्यापार भी करते हैं तथा सट्टे का व्यवसाय करते हैं।

कार्यों के आधार पर देशी बैंकर न तो महाजन के समान हैं और न ही व्यापारिक बैंक के समान। इनका अपना अलग ही स्वरूप है। भारतीय मुद्रा-बाजार में इनका अलग से विशेष स्थान रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा श्री ए० डी० थॉफ की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने सन् 1954 में अनुमान लगाया था कि देश के आन्तरिक व्यापार के लगभग 75 से 90 प्रतिशत भाग को देशी बैंकरो द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। किन्तु रिजर्व बैंक के गवर्नर का अनुमान है कि इम समय आन्तरिक व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत भाग इन पर निर्भर करता है। वास्तविकता यह है कि गत वर्षों में माख-नियन्त्रण की नीति के कारण व्यापारियों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बैंकों पर अनेक प्रतिबन्ध रहे हैं। परिणामस्वरूप, व्यापारियों की देशी बैंकरो पर निर्भरता बढ़ी है। परन्तु देश में बिना लेखे की मुद्रा (unaccounted money) का परिमाण बढ़ता रहा है, इसलिए देशी बैंकरो से किये गये लेन-देन का सही विवरण नहीं मिल पाता है। यह

निस्सन्देह रूप से सत्य है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था में असंगठित बैंकिंग व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

देशी बैंकरो की कार्य-प्रणाली में अनेक दोष बताये जाते हैं। इनके व्यवसाय का ढग अत्यन्त पुराना तथा दोषपूर्ण है। वे खातो को आधुनिक ढग से नहीं रखते और न ही प्रकाशित करते हैं। इनके पास साधनों की कमी रहती है, क्योंकि इनके द्वारा जमा प्राप्त करने के विशेष प्रयत्न नहीं किये जाते और वे अधिकतर अपनी पूँजी से ही कार्य करते हैं। इनके द्वारा लेन-देन हुण्डियो के वजाय अधिकतर नकद पूँजी द्वारा चलाया जाता है। इनके आपस में कोई संगठन नहीं होते और न ही संगठित बैंकिंग क्षेत्र के साथ इनका कोई प्रत्यक्ष तथा निरतन्त्र सम्बन्ध रहता है। इनके कार्य में जोखिम भी अधिक है, क्योंकि ऋण देते समय बैंकिंग के सिद्धान्तों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वे उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋणों में अन्तर नहीं करते हैं तथा अधिकतर ऋणों के लिए पर्याप्त जमानत नहीं रखते हैं। बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ अन्य व्यापारिक कार्यों तथा स्टूटवाजी आदि मिला देने से जोखिम में और भी वृद्धि होती है। यह स्वाभाविक ही है कि देशी बैंकर आधुनिक बैंकों की तुलना में ऊँची व्याज-दर लेते हैं।

देशी बैंकरो की कार्य-प्रणाली में उपर्युक्त दोषों के कारण इनकी बहुत अधिक आलोचना की जाती है। कभी-कभी तो इनको पूर्ण रूप से समाप्त करने का भी सुझाव दिया जाता है। परन्तु अधिकतर लोगों का विचार है कि इनकी कार्य-प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में सुधार के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव दिये जाते रहे हैं। यह कहा जाता है कि इनको अपनी कार्यविधि आधुनिक ढग में बदलनी चाहिए और अपने बैंकिंग कार्यों को व्यापारिक कार्यों में अलग रखना चाहिए। उनको चाहिए कि वे हुण्डियो तथा विपत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्हें अधिक से अधिक जमा प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि इनका रिजर्व बैंक के साथ वही सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए जो अनुमूचित बैंकों का है। दूसरे शब्दों में, देशी बैंकरो को भी रिजर्व बैंक से पुनः कटौती (rediscount) तथा धन के हस्तान्तरण (remittance) की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। इनमें से जो बैंकर अपना गैर-बैंकिंग व्यवसाय नहीं छोड़ सकते और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें स्टेट बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से आवश्यक सुविधाएँ मिलनी चाहिए। एक सुझाव यह भी है कि देशी बैंकरो के सघों को संगठित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना व्यापार बड़े पैमाने पर कर सकें तथा रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों से अधिक से अधिक मात्रा में सुविधाएँ प्राप्त कर सकें।

सन् 1937 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने सुझाव दिया था कि देशी बैंकरो को रिजर्व बैंक से सम्बद्ध कर देना चाहिए। इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए सन् 1938 में रिजर्व बैंक ने एक योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि उन देशी बैंकरो को जो अपनी पूँजी पाँच वर्षों में 5 लाख रुपये तक कर लें, रिजर्व बैंक की स्वीकृति सूची में शामिल कर लिया जाय और इन्हें रिजर्व बैंक से पुनर्कटौती, अग्रिम तथा विप्रेय की सुविधाएँ प्रदान की जायें। परन्तु साथ में, सूचीबद्ध बैंकरो पर ये प्रतिबन्ध लगाये जायें कि वे बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय न करें, उचित प्रकार में हिसाब-किताब रखें तथा उनका अकेक्षण करवायें, अपने स्थिति-विवरण प्रकाशित करें तथा रिजर्व बैंक के पाम निरीक्षण के लिए समय-समय पर विवरण भेजें। देशी बैंकरो ने रिजर्व बैंक की योजना को स्वीकार नहीं किया। सन् 1961 में रिजर्व बैंक ने देशी बैंकरो के सम्बन्ध में अपनी नीति फिर से पेश की कि वे संगठित बैंकिंग प्रणाली में सम्बन्ध जोड़ने के लिए अपना बैंकिंग कार्य व्यापारिक कार्य से अलग रखें, हिसाब-किताब की जांच पड़ताल करवायें तथा रिजर्व बैंक के निरीक्षण व नियन्त्रण में रहने के लिए तैयार रहें। रिजर्व बैंक के सुझाव देशी बैंकरो को मान्य नहीं हैं क्योंकि वे न तो अपने व्यापारिक कार्य छोड़ना चाहते हैं और न ही अपने हिसाब-किताब प्रकाशित करने को तैयार हैं।

एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में किसी भी अंग को अनियन्त्रित रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साख व पूँजी बाजार पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने के लिए देशी

बैंकरो के कार्यों को पूर्ण रूप से नियन्त्रित करना आवश्यक है। साथ ही, यह भी प्रयास करते रहना है कि सहकारी बैंको तथा व्यापारिक बैंको द्वारा अपनी कार्य प्रणाली में इस प्रकार के सुधार किये जायें कि देशी बैंकरो का महत्व समाप्त हो जाय। देशी बैंकरो को सम्मिलित रूप से मिश्रित पूंजी बैंक अथवा सहकारी बैंक बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उनकी पूंजी तथा कार्यों पर रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो सके और उनके कार्यों का सही दिशा में निर्देशन सम्भव हो पाय।

सहकारी बैंक

भारत में सहकारी समितियों का आरम्भ बीमवी शताब्दी के गुरु में हुआ। सन् 1904 के सहकारी साख समिति कानून के द्वारा सहकारिता आन्दोलन को कानूनी मान्यता मिली और तब से देश में सहकारी साख समितियों का संगठन किया जाने लगा। वैसे तो अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सहकारी समितियाँ संगठित की गयी परन्तु मुख्य रूप से साख समितियों के संगठन को ही अधिक महत्व दिया जाता रहा है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ के पूर्व तक सहकारी समितियों का कृषि-साख की पूर्ति में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सन् 1951-52 में कृषक की साख आवश्यकताओं के केवल 31 प्रतिशत भाग की पूर्ति सहकारी समितियों द्वारा होती थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सन् 1954 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सहकारिता आन्दोलन की विफलता पर खेद प्रकट किया था। समिति का विचार था कि भारत में सहकारिता को सफल बनाना ही होगा, नहीं तो ग्रामीण भारत की प्रगति की आशा धूमिल पड़ जायगी। समिति द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण साख की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) सरकार ने स्वीकार कर ली और उसके अनुसार कार्य होने लगा। पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारिता के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। परिणामस्वरूप, 1961-62 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण व विनियोग-सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण साख की पूर्ति में सहकारिता का हिस्सा बढ़कर 15.5% हो गया।¹

सहकारिता के विकास का क्रम निरन्तर चलता रहा है। सहकारी साख समितियों द्वारा दिये गये अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणों की राशि सन् 1960-61 में 203 करोड़ रुपये थी, जो सन् 1967-68 में 429 करोड़ रुपये के लगभग हो गयी।² 1968-69 में प्रारम्भिक साख समितियों ने 456.39 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण तथा 47.48 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण दिये। इसके अतिरिक्त, भूमि विकास बैंको द्वारा 143.62 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये।³ गत वर्षों में वृद्धि की दर से प्रोत्साहित होकर चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) की रूपरेखा में आशा प्रकट की गयी है कि योजना के अन्त तक सहकारी समितियाँ 750 करोड़ रुपये की अल्प व मध्यकालीन साख प्रदान करने लगेगी।⁴ 1969-70 में प्रारम्भिक समितियों द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 540*1 करोड़ रुपये थी।

सहकारी को बैंक संगठन

भारत में सहकारिता के ढांचे की तुलना एक पिरेमिड से की जा सकती है जिसकी नींव प्राथमिक समितियाँ (Primary Societies) हैं। इनके ऊपर प्रायः प्रत्येक जिले के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank) है। सब के ऊपर राज्य-स्तर पर शीर्ष अथवा राज्य सहकारी बैंक (Apex or State Co-operative Bank) होता है। प्राथमिक समितियाँ तथा राज्य बैंक के बीच केन्द्रीय सहकारी बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी के समान कार्य करता है। जून 1970 में केन्द्रीय बैंक की सख्या 340 तथा राज्य सहकारी बैंको की सख्या 25 थी। जैसा कि

1 यदि प्राथमिक समितियों से प्राप्त ऋण में भूमि-बन्धक बैंक, प्राथमिक विप्रेषण समितियों व परिनिमाण समितियों से प्राप्त ऋण भी जोड़ दिया जाय तो कुल राशि (1034 करोड़ रुपये) में से 267 करोड़ रुपये (25.8 प्रतिशत) सहकारी समितियों से प्राप्त हुआ था।

2 Fourth Five Year Plan, p. 214

3 Report on Currency and Finance, 1969-70, p. 125

4 Fourth Five Year Plan, 1969-74, p. 219

पहले बताया जा चुका है, बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949, मार्च 1966 से सहकारी बैंको पर भी लागू कर दिया गया है। इस समय 14 राज्य सहकारी बैंक अनुसूचित बैंको की श्रेणी में हैं।¹ मई 1970 के अन्त में 24 राज्य सहकारी बैंको के रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन के सम्बन्ध थे। इन्होंने 255.21 करोड़ रुपये के ऋण रिजर्व बैंक से और 50.31 करोड़ रुपये के ऋण स्टेट बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम तथा राज्य सरकारों से ले रखे थे। इनकी अपनी जमा-राशि 147.36 करोड़ रुपये थी और इन्होंने 137.78 करोड़ रुपये की साख दे रखी थी। इस प्रकार साख-जमा अनुपात 93.5 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि ऋण देने के लिए ये बैंक रिजर्व बैंक तथा अन्य सस्थाओं पर बड़ी मात्रा में निर्भर करते हैं।

प्राथमिक साख समितियों से क्रमानुसार की सीधा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार की समितियों के अन्तर्गत बड़े आकार की साख समितियाँ² (Large Sized Credit Societies), सहकारी साखन अथवा सेवा समितियाँ (Service Co-operatives) तथा छोटे आकार की सहकारी समितियाँ सम्मिलित हैं। सेवा समितियाँ साख के अतिरिक्त किसानों को कृषि-उपज बढ़ाने के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध कराती हैं। आजकल ऐसी समितियों की स्थापना पर ही जोर दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में अन्न बैंको (Grain Banks) का भी संगठन किया गया है जो सदस्यों को वस्तु के रूप में ऋण देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक समितियों के संगठन में कुछ सुधार के उपाय किये जाते रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि ये उपयुक्त आकार की (viable units) हो ताकि ठीक ढंग से विकास कर सकें। परिणामस्वरूप, इन समितियों की संख्या सन् 1960-61 में 2.12 लाख में कम होकर जून 1970 के अन्त तक 1.63 लाख रह गयी। अनुमान यह है कि पूर्ण पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या 1.20 लाख रह जायगी। सहकारी साख आन्दोलन की समस्याएँ

योजना-काल में सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता तथा उनके द्वारा दिये गये ऋणों की राशि में जिस तेजी से वृद्धि हुई है उसे असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। परन्तु आन्दोलन की वास्तविक स्थिति देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक दोषों व समस्याओं के कारण सहकारिता आन्दोलन केवल सीमित रूप में ही सफल रहा है। इसकी मुख्य समस्याएँ निम्न हैं

(1) देश के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। विद्येय रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान में सहकारी साख आन्दोलन का विकास बहुत ही कम हो पाया है। देश का पूर्वी क्षेत्र सहकारी साख का केवल 9 प्रतिशत भाग प्राप्त कर पाया है जबकि इसमें देश की 27 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहती है।

(2) सहकारिता आन्दोलन से सभी किसानों को समान रूप में लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अधिकतर धन बड़े किसान प्राप्त करते रहे हैं, जिन्होंने सहकारी समितियों से लिये गये ऋणों का उपयोग कृषि के विकास के लिए नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में लाभ कमाने के लिए किया है। 1969-70 में प्रारम्भिक समितियों द्वारा छोटे किसानों को कुल 134 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे जो कुल ऋण-राशि का 33.2 प्रतिशत भाग थे।³ छोटे किसानों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं की गयी हैं, क्योंकि जमीन के स्वामित्व का आकार ही ऋण प्राप्त करने की योग्यता (creditworthiness) का आधार माना जाता रहा है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने फसल-ऋण योजना (crop loan system) अपनाने का सुझाव दिया था, परन्तु इसे अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है।

(3) जैसा कि ऊपर बताया गया है, बहुत छोटी समितियाँ को विक्रम-क्षम (viable) बनाने के उद्देश्य से उनके एकीकरण की योजनाओं पर अमल किया जाता रहा है और कुछ कार्य किया भी गया है। परन्तु अभी तक बहुत बड़ी संख्या में ऐसी समितियाँ बनी हुई हैं जिनका आकार बहुत छोटा है और वे लगभग निष्क्रिय (dormant) हैं। 1969-70 में इस प्रकार की

1 अनुसूचित बैंको की कुल संख्या 87 है जिनमें से 73 अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं।

2 इनका स्थापना सन् 1954 के बाद ग्रामीण साख सर्वेक्षण की निष्कारियों के आधार पर की गयी थी।

3 R. B. S. Statistical Statements relating to Co-operative movement in India, 1969-70

समितियों की संख्या 19,000 में अधिक थी। सन् 1959 में सहकारी साख से सम्बन्धित महत्ता समिति की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया था कि प्राथमिक समितियों का विकास-क्षम इकाइयों के रूप में संगठन किया जाना अनिवार्य है।

(4) केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकारी साख आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। परन्तु कुछ क्षेत्रों में ये इतने अधिक दुर्बल रहे हैं कि इनसे आन्दोलन को कोई सहायता नहीं मिली है।

(5) सहकारिता का आधार स्वावलम्बन (self-help) है, परन्तु भारत में सहकारिता प्रारम्भ से ही सरकार पर निर्भर रही है। लोगों में सहकारिता की भावनाओं का अभाव रहा है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ठीक ही कहा था कि भारत में सहकारिता एक ऐसे पौधे के समान है जिसे सरकार दोनों हाथों से थामे हुए है, क्योंकि इसकी जड़ें भूमि में जाने को तैयार नहीं हैं। सहकारी समितियों के साधन उस तेजी से नहीं बढ़ पाते जिस तेजी से उनके ऋणों की मांग बढ़ती है।

(6) सहकारी समितियों से लिये गये ऋणों का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इन ऋणों का बड़े पैमाने पर अनुत्पादक उपयोगों की ओर हस्तान्तरण किया जाता रहा है। परिणाम यह हुआ है कि सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋणों की अदायगी समय पर नहीं हुई है। प्राथमिक समितियों के ऋणों में रूके हुए ऋणों (overdues) का अनुपात 1960-61 में 20% था जो 1968-69 में 35% हो गया। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में यह अनुपात 12.4% से बढ़कर 27% हो गया। कुछ केन्द्रीय बैंकों में रूके हुए ऋणों का अनुपात 50% से भी अधिक है।

(7) समितियों में कुछ निहित स्वार्थी वर्ग (vested interest) अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीति के खिलाड़ी स्वावलम्बन की इस सीटी को भी अपनी काँच में दबाकर उससे अधिकार और सत्ता की मन्जिल पर चढ़ने की होड़ और स्पर्धा में लगे हुए हैं। हिस्से खरीदकर और उसके लिए अपने पास से भी धन लगाकर सदस्य-मर्यादा में इसी प्रकार की वृद्धि की जाती है जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ फर्जी सदस्य बनाकर उनसे चुनाव में बाजो जीतने की शक्ति प्राप्त करती हैं। सहकारी समिति में पद प्राप्त करके अर्थ-लाभ के लिए सहकारिता के साधनों का उपयोग तो किया ही जाता है, साथ में प्रतिनिधित्व की शक्ति पाकर राजनीतिक शिखर पर चढ़ने का साधन भी प्राप्त होता है।

सहकारिता आन्दोलन के उपर्युक्त आन्तरिक दोषों के अतिरिक्त समितियों की कार्यप्रणाली, सदस्यों के व्यवहार तथा ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक वातावरण आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं जो आन्दोलन की सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

भविष्य के लिए सुझाव

भविष्य में कृषि-साख की मांग में और भी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। मांग में वृद्धि के साथ-साथ पूर्ति में वृद्धि करना भी आवश्यक है। इस दिशा में सहकारिता से सक्रिय योगदान प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे।

चाँची पंचवर्षीय योजना (1969-74) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सहकारी समितियाँ सन् 1973-74 तक 750 करोड़ रुपये के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण देने के लक्ष्य को तभी पूरा कर पायेंगी जब इन्हें पुनर्गठन द्वारा विकास-क्षम इकाइयों के रूप में बदला जाय, प्राथमिक समितियों के संगठन तथा विकास को महत्व दिया जाय, रूके हुए ऋणों में कमी हो, समितियों की जमा बटे, अधिक लोगों को, विशेषतया छोटे किसानों को, उदारतापूर्वक ऋण दिये जा सकें तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

गत वर्षों में भारत में सहकारिता से सम्बन्धित अनेक समितियाँ नियुक्त की गयी हैं और उन्होंने सहकारिता विकास के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। जुलाई 1966 में रिजर्व बैंक ने श्री वी० बैकटापिआ (सदस्य, योजना आयोग) की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Review Committee) नियुक्त की थी, जिसने तीन वर्षों के अध्ययन के बाद 30 जुलाई, 1969 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की है। सहकारी साख समि-

नियों की आन्तरिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए समिति ने सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सहकारी बैंकों को अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करे और उनके प्रदासन तथा प्रशिक्षण आदि में सहायता दे। समिति ने ऐसी विकास-क्षम समितियों को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया है जो न केवल अधिक मात्रा में साख तथा अन्य मुविधाएँ प्रदान कर सकें बल्कि जो अधिक जमा भी प्राप्त कर सकें। छोटे किसानों को अधिक सहायता दी जाय और बड़े किसानों से उत्पादन बढ़ाने तथा विकास करने के लिए इन समितियों में जमा के रूप में अधिकाधिक मात्रा में साधन प्राप्त किये जायें।

समितियों की आन्तरिक व्यवस्था में उपर्युक्त सुधारों के अतिरिक्त ग्रामीण साम्य पर्यवेक्षण समिति ने कुछ और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जो निम्नलिखित हैं

(1) रिजर्व बैंक में एक कृषि-साख मण्डल (Agricultural Credit Board) स्थापित किया जाय और ग्रामीण साख कार्यों का पुनर्गठन किया जाय।

(2) देश भर में कुछ चुन हुए जिलों में छोटे किसानों के लिए विकास एजेंसी (Small Farmer's Development Agency) की स्थापना की जाय जिसका उद्देश्य कृषि-विकास के लिए छोटे किसानों को सहायता देना हो।

(3) एक ग्रामीण विद्युत्करण निगम (Rural Electrification Corporation) की स्थापना की जाय जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि-क्षमता वाले अविकसित क्षेत्रों के विकास में सहयोग दे।

(4) कृषि-पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation) के कार्यों का विस्तार किया जाय तथा इसके साधनों में वृद्धि की जाय।

(5) सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बैंकों से उचित समय पर और पर्याप्त मात्रा में साख प्राप्त करने के उपाय किये जायें।

उपर्युक्त सुझावों में से कुछ तो अन्तरिम सिफारिशों के रूप में पहले ही दिये जा चुके थे और उन्हें अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित होने के पूर्व स्वीकार भी कर लिया गया था। छोटे किसानों के लिए विकास एजेंसी तथा ग्रामीण विद्युत्करण बोर्डों की स्थापना के प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में पहले से ही सम्मिलित कर लिये गये थे। फरवरी 1970 में रिजर्व बैंक में 14 सदस्यों का कृषि साख बोर्ड स्थापित किया गया। पर्यवेक्षण समिति द्वारा दिये गये अन्य सुझावों पर भी अमल करने के प्रयास किये गये हैं। आगामी वर्षों में सहकारिता को सफल बनाने के अनेक प्रयास किये जायेंगे। परन्तु जैसा कि पर्यवेक्षण समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कृषि-विकास को अकेले सहकारी साख के साथ नहीं बाधा जा सकता है। कृषि-साख की आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति अन्य साधनों से करनी होगी। व्यापारिक बैंकों को कृषि-साख के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में योग देना होगा तभी कृषि में हरित क्रान्ति (Green Revolution) को बनाये रखा जा सकेगा।

भूमि-विकास बैंक

किसानों की अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताएँ सहकारी साख समितियों द्वारा पूरी की जा सकती हैं, परन्तु भूमि में स्थायी सुधार, भूमि अधवा मशीनों खरीदने तथा पुराने ऋणों को चुनाने के लिए कृषक को दीर्घकालीन साख की भी आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में भूमि-बन्धक बैंकों (Land Mortgage Banks) की स्थापना की गयी। भूमि-बन्धक बैंक किसान की भूमि को बन्धक अथवा गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण देता है, जिसकी अवधि प्रायः 20 वर्ष होती है। चूँकि इन ऋणों का मुख्य उद्देश्य कृषि के विकास कार्य में सहायता देना होता है, इसलिए भूमि बन्धक बैंकों को 'भूमि विकास बैंक' (Land Development Bank) पुकारा जाने लगा है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कृषि का विकास करना है और इसके लिए भूमि-बन्धक बैंक महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं।

भूमि-विकास बैंकों का ढाँचा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार है। इस आधार पर चार श्रेणियों की जा सकती हैं (1) मामिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक

तथा उनके नीचे प्राथमिक भूमि बैंक पाये जाते हैं; (2) महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों में केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक अपनी शाखाओं द्वारा भी कार्य करते हैं और प्राथमिक भूमि-विकास बैंकों के द्वारा भी, (3) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक अपनी शाखाओं के द्वारा व्यक्तियों को सीधे ऋण देते हैं; तथा (4) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में केन्द्रीय भूमि बैंक केवल राज्य सहकारी बैंकों के विभागों के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ कहीं केन्द्रीय भूमि बैंक तथा प्राथमिक भूमि बैंक एक साथ कार्य कर रहे हैं, वहाँ कृषकों में सीधा सम्पर्क प्राथमिक भूमि-विकास बैंकों का होता है, परन्तु पूँजी के लिए उन्हें केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार, दीर्घकालीन मास की व्यवस्था में अधिक महत्व केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों का ही है।

भूमि-बन्धक बैंक अपने वित्तीय साधन शेयर पूँजी, जमा तथा कोषों से प्राप्त करते हैं। परन्तु उनका मुख्य साधन ऋण-पत्रों (debentures) की विप्रेषण करना है। इन ऋण-पत्रों के मूल-धन तथा व्याज की अदायगी के लिए राज्य सरकारें गारण्टी देती हैं। देश में सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों तथा स्टेट बैंक के अतिरिक्त रिजर्व बैंक भी इन ऋण-पत्रों को खरीदता है। भूमि-विकास बैंकों को पूँजी प्रदान करने में रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको कृषि-पुनर्वित्त निगम से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

भूमि-बन्धक बैंकों का विकास तथा उनकी समस्याएँ

भारत में सबसे पहला भूमि-बन्धक बैंक सन् 1920 में पंजाब में खोला गया था। परन्तु इस प्रकार के बैंकों का वास्तविक आरम्भ सन् 1929 में हुआ जबकि मद्रास में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक स्थापित किया गया। सन् 1951-52 में केवल 6 केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक थे जिनके द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 2.5 करोड़ रुपये थी। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इनके सम्बन्ध में लिखा था कि "भूमि-बन्धक बैंकों के साधन अपर्याप्त हैं जिनका माँग में कोई सम्बन्ध नहीं है। इनके द्वारा दिये गये ऋणों का विकास से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। इनके कार्यों से ऐसा लगता है कि विकास की अपेक्षा पुराने ऋणों की अदायगी अधिक महत्वपूर्ण है। ये ऋण केवल बड़े किसानों तक पहुँच पाते हैं और वह भी बहुत देरी में।"¹

योजनाकाल में भूमि-बन्धक बैंकों में काफी प्रगति थी। तीसरी योजना के अन्त तक (अर्थात् सन् 1965-66 के अन्त में) केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों की संख्या 18 हो गयी। जून 1969 के अन्त में इनकी संख्या 19 थी। 1968-69 में इनके द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 143.62 करोड़ रुपये थी। उसी वर्ष प्राथमिक भूमि-विकास बैंकों की संख्या 740 थी जो जून 1970 तक 809 हो गयी। इतने विकास के बावजूद स्थिति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। 65 प्रतिशत भूमि-विकास बैंक केवल तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों में केन्द्रित हैं। कुछ राज्यों में प्राथमिक भूमि-विकास बैंक नहीं हैं और वहाँ केन्द्रीय भूमि बैंक कृषकों को सीधे ऋण देते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में ऋण पुराने ऋणों को चुकाने के लिए ही दिये जाते हैं। कृषि-विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

जगस्त 1966 में प्रस्तुत की गयी चौथी योजना की रूपरेखा में सन् 1971 तक भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा 300 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनुमान लगाया गया कि भूमि-बन्धक बैंकों को 275 करोड़ रुपये के ऋण-पत्र बेचने पड़ेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना में दिये गये अनुमानों के अनुसार 1960-61 से 1968-69 के बीच दीर्घकालीन साख 12 करोड़ रुपये से बढ़कर 120 करोड़ रुपये हो गयी है। चौथी योजना-काल (1969-74) के लिए आना प्रकट की गयी है कि भूमि-विकास बैंकों से 700 करोड़ रुपये

1 "It may be said of the land mortgage banking system of India that, at its best, it raises inadequate funds in a manner ill-related to demand and usually lends them in a manner uncoordinated with development, acts as if prior debts, and not production, had prior claim on its attention, reaches mainly the large cultivator and reaches him late — Rural Credit Survey Committee.

के ऋण प्राप्त हो सकेंगे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से भूमि-उद्धरण (land-reclamation), भू-रक्षण (soil-conservation) तथा मिचाई के छोटे साधनों (minor irrigation) के विकास के लिए किया जायगा।

स्पष्ट है कि जागामी वर्षों में भूमि-विकास बैंकों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि पिछड़ी अवस्था में है और विकास के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। परन्तु यह सम्भव तभी होगा जब भूमि-विकास बैंकों को पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो पायेगी और वे अपने साधनों का उपयोग विकास कार्यों के लिए ही करेंगे।

कृषि-पुनर्वित्त निगम

कृषि-विकास में सम्बन्धित बड़े कार्यक्रमों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 1963 को कृषि-पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation) की स्थापना की गयी। निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये है जो 10,000 रुपये प्रति शेयर की दर से 25 हजार शेयरों में विभक्त है। प्रारम्भ में 5 करोड़ रुपये के मूल्य के 5,000 शेयर ही निर्गमित किये गये। इसमें से 2,500 शेयर ही निर्गमित किये गये। इसमें से 2,500 शेयर रिजर्व बैंक ने लिये हैं। बाकी शेयर राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों अनुमूचित बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य बीमा और विनियोग कम्पनियों ने खरीदे हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने भारत सरकार में व्याज-मुक्त दीर्घकालीन ऋण भी लिये हैं। निगम का प्रबन्ध एक सचालक बोर्ड को सौंपा गया है जिसके 9 सदस्य हैं। रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर इसका अध्यक्ष है। तीन सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। एक सदस्य रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय भूमि बैंक, अनुमूचित बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा बीमा और विनियोग कम्पनियाँ का एक-एक प्रतिनिधि बोर्ड में सम्मिलित रहता है।

कृषि-पुनर्वित्त निगम द्वारा इन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है (1) भूमि को कृषि-योग्य बनाना अथवा भू-रक्षण कार्य करना ताकि मिचाई की सुविधाओं का उपयोग किया जा सके, (2) विशेष प्रकार की फसलों, जैसे सुपारी, नारियल, काजू, इलाइची, रबड़, चाय इत्यादि के विकास के लिए, (3) यन्त्रीकृत खेती के विकास और नल-रूप एवं पम्पों आदि द्वारा बिजली के प्रयोग के लिए, तथा (4) पशु-पालन, डेरी फार्मों और मुर्गीपालन आदि योजनाओं के लिए। निगम से पुनर्वित्त की सुविधा केन्द्रीय भूमि बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुमूचित बैंक तथा सहकारी बैंक (जो निगम के अगुवारी हैं) प्राप्त कर सकते हैं। निगम द्वारा पुनर्वित्त के रूप में इन संस्थाओं को ऋण व अग्रिम दिये जा सकते हैं तथा उनके ऋण-पत्र खरीदे जा सकते हैं। मध्य-कालीन वित्तीय सहायता अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए तथा दीर्घकालीन सहायता 15 वर्ष (विशेष परिस्थितियों में 20 वर्ष) के लिए दी जा सकती है।

मार्च 1971 तक कृषि-पुनर्वित्त निगम ने कृषि-विकास की कुल 427 योजनाओं को स्वीकार किया है। इन योजनाओं के लिए कुल 304 79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की गयी है जिसमें से 253 12 करोड़ रुपये के लिए निगम वचनबद्ध है। इन योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों द्वारा, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा और अनुमूचित बैंकों द्वारा की जानी है। योजनाओं के कार्यान्वित होने की गति धीमी होने के कारण मार्च 1971 तक निगम से कुल 76 18 करोड़ रुपये की धन-राशि प्राप्त की गयी थी। मन् 1968-69 के बाद निगम ने अपने कार्यों का विशेष रूप में विस्तार किया है। विद्व बैंक तथा उसके सहायक अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ में कृषि-विकास के लिए प्राप्त किये गये ऋणों का एक अंग पुनर्वित्त निगम को प्राप्त हुआ है।

अगिल भारतीय श्रामीण साक्षर पर्यवेक्षण समिति ने कृषि-पुनर्वित्त के कार्यों तथा साधनों के विस्तार का सुझाव दिया है, और यह उचित भी है। छोटे किमनों की विकास एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि-विकास योजनाओं के लिए निगम ने पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना स्वीकार कर

निया है। चौथी योजनाकाल में कृषि-विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने में यह निगम महत्वपूर्ण योग दे सकता है।

रिजर्व बैंक तथा कृषि-वित्त

प्रारम्भ से ही रिजर्व बैंक में कृषि-साख विभाग (Agricultural Credit Department) खोला गया, जिसे ये कार्य सौंपे गये (1) कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय व राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बैंक मिलाह ले सकें, (2) राज्य सहकारी बैंकों या कृषि साख सम्बन्धी कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना, तथा (3) ग्रामीण वित्त और सहकारिता में सम्बन्धित व्यवस्था का अध्ययन करना एवं सुधार के उपाय सुझाना। सरकार के सलाहकार के रूप में प्रारम्भ से ही रिजर्व बैंक समय-समय पर कृषि-साख व्यवस्था में सुधार अथवा पुनर्गठन के सुझाव देता रहा है। रिजर्व बैंक ने कृषि के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों का प्रबन्ध किया है और सहकारिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है।

रिजर्व बैंक तथा सहकारी साख

जैसा कि बताया जा चुका है, सन् 1951 में रिजर्व बैंक ने जखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण की निर्देशक समिति नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर 1954 में प्रकाशित हुई। इस समिति ने कृषि-साख की एकीकृत योजना (integrated scheme) का सुझाव दिया जिसका मुख्य आधार सहकारिता का पुनर्गठन तथा विकास करना था। सहकारी संगठन में राज्य की सहायता, साख व गैर-साख क्षेत्रों में समन्वित सहकारी विकास तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। स्टेट बैंक की स्थापना का सुझाव भी इसी समिति ने दिया था। एकीकृत योजना का लागू करने के लिए रिजर्व बैंक को मुख्य स्थान दिया गया। सन् 1956 में रिजर्व बैंक में दो कोष स्थापित किये गये (1) राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन कार्य) कोष [National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund], तथा (2) राष्ट्रीय कृषि-साख (स्थिरकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]। इन कोषों में राज्य सरकारों की गारण्टी पर केन्द्रीय भूमि-विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण दिये जाते हैं।

कृषि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया वित्त जितना तक राज्य सहकारी बैंकों तथा भूमि-विकास बैंकों के माध्यम से पहुँचता है। इन संस्थाओं के लिए रिजर्व बैंक दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना है, परन्तु इसके द्वारा प्रदान की गयी अल्पकालीन सहायता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह राज्य सहकारी बैंकों को कृषि में सम्बन्धित मौसमी कार्यों तथा फसल की बिक्री के लिए बैंक-दर में 2 प्रतिशत कम दर पर अल्पकालीन वित्तीय सहायता देता है।

प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने सहकारी साख के क्षेत्र में अनेक प्रकार की अन्य सेवाएँ भी प्रदान की हैं। विभिन्न स्तर के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। निरीक्षण द्वारा सहकारी संस्थाओं की स्थिति की जाँच की जाती है तथा आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशिष्ट अध्ययन सर्वेक्षण के द्वारा सहकारिता की स्थिति तथा समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई है और सहकारी साख-व्यवस्था के विकास तथा पुनर्गठन की योजनाएँ लागू की गयी हैं। 1 मार्च, 1966 से वैज्ञानिक नियमन अधिनियम सहकारी समितियों पर भी लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत जाने पर अब सहकारी बैंकों को भी नकद-कोष, तरल कोषानुपात, ऋण-नियन्त्रण, निरीक्षण, लाइसेंस आदि विषयों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में रहना पड़ता है और इनके बदले में इनको वे सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो व्यापारिक बैंकों को प्राप्त हैं।

कृषि वित्त-व्यवस्था

कृषि के लिए रिजर्व बैंक अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन—तीनों प्रकार के ऋण

देता है। ये ऋण सीधे किसानों को न देकर सहकारी संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से उन तक पहुँचाये जाते हैं।

अल्पकालीन साख दो प्रकार से दी जाती है—(1) अग्रिम या ऋणों (advances or loans) के रूप में, तथा (2) पुनर्कटौती की सुविधा (rediscount facilities) के रूप में। यह दोनों प्रकार की सुविधाएँ बैंक-दर से 2 प्रतिशत कम दर पर दी जाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों, स्वीकृत बिलों व प्रॉमिसरी नोटों की जमानत अथवा स्टेट बैंक की गारण्टी पर अग्रिम देने की व्यवस्था की गयी है। इनकी अवधि सामान्यतया 9 महीने होती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में यह 15 महीने तक बढ़ायी जा सकती है। रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बिलों तथा प्रॉमिसरी नोटों व बिलों की पुनर्कटौती की जा सकती है जिनका भुगतान 15 महीने के भीतर होना हो तथा मौसमी कृषि-कार्यों अथवा फसलों की बिक्री के लिए बनाये गये हों। इन बिलों पर किसी अनुमूचित बैंक व राज्य महकरी बैंक के हस्ताक्षरों का होना आवश्यक है।

मध्यकालीन ऋणों के लिए रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की गारण्टी पर राज्य सहकारी बैंकों को 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण दे सकता है। इनका उद्देश्य कृषि सम्बन्धी मन्दावधि स्थानों की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता देना है। इन ऋणों पर रिजर्व बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम ब्याज-दर लेता है।

दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों को राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष में से दिये जाते हैं। इन बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र (debentures) खरीदकर भी दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को सहकारी साख संस्थाओं की गेयर-पूँजी में हिस्सा लेने के लिए भी दीर्घकालीन ऋण देता है।

रिजर्व बैंक द्वारा कृषि-क्षेत्र के लिए बड़े उदार ढंग से सहायता दी जा रही है जो रिजर्व बैंक अधिनियम में समय-समय पर किये गये संशोधनों का परिणाम है। कृषि-वित्त-व्यवस्था तथा गृहकारिता विकास के कार्य में रिजर्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। आगामी वर्षों में कृषि विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि-साख की माँग में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक के कृषि के लिए वित्त व्यवस्था में सम्बन्धित कार्यों का भी विस्तार होगा। इन परिस्थितियों में, ग्रामीण साख पर्यवेक्षण समिति (All India Rural Credit Review Committee) के अनुसार, रिजर्व बैंक की वर्तमान प्रवृत्ति-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समिति ने रिजर्व बैंक में कृषि-साख बोर्ड (Agricultural Credit Board) की स्थापना करने का सुझाव दिया था। इस बोर्ड में कृषि साख, सहकारिता तथा बैंकिंग आदि के क्षेत्रों में विशेष अनुभव तथा योग्यता रखने वाले सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए कहा गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 14 सदस्यों के कृषि साख बोर्ड की स्थापना फरवरी 1970 में की जा चुकी है। एक अन्य समस्या जिस पर समिति ने ध्यान दिया था, यह है कि सहकारी समितियों की रिजर्व बैंक पर निर्भरता बहुत अधिक है, जो उनकी दुर्बलता का प्रतीक है। ऐसे उपाय करना आवश्यक होगा, कि सहकारी बैंकों की जम्मा में कृषि क्षेत्र के कृषि-साख साधन बढ़ा सके। समिति का यह भी सुझाव था कि सहकारी बैंकों की रिजर्व बैंक पर अत्यधिक निर्भरता हतोत्साहित करने के लिए ब्याज-दर में रियायत 2 प्रतिशत से कम करके $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी जाय, ताकि इनके द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों पर ब्याज दर 3 प्रतिशत के बजाय $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत हो जाय।

व्यापारिक बैंक

पिछले अध्यायों में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है कि कृषि साख की पूर्ति में व्यापारिक बैंकों का भाग नगण्य रहा है। प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व कुल बैंकिंग साख का केवल 2 प्रतिशत ही कृषि-क्षेत्र को दिया जाता रहा है जिससे इस क्षेत्र की साख आवश्यकताओं के केवल 0.4 प्रतिशत भाग की ही पूर्ति हुई। यह नाममात्र के ऋण भी वास्तव में बागानों (plantations) को दिये गये। अनेक सुझाव, आदेश तथा निर्देश देने के बावजूद व्यापारिक बैंकों

(करोड़ रुपये में)

अनुसूचित व्यापारिक बैंको द्वारा दिये गये कृषि ऋण

	जून 1968			जून 1969			जून 1970					
	प्रत्यक्ष ऋण			अप्रत्यक्ष ऋण			प्रत्यक्ष ऋण					
	राज्य सीमाएं	बनारस राज्य	उत्तराखण्ड राज्य	राज्य सीमाएं	बनारस राज्य	उत्तराखण्ड राज्य	राज्य सीमाएं	बनारस राज्य	उत्तराखण्ड राज्य			
ट १० सयूट	2 50	1 09	38 51	16 17	29 90	11 06	119 43	88 85	94 53	55 51	178 82	86 40
एनिसूचित बैंक	9 14	4 69	23 26	5 89	49 87	29 16	111 35	33 27	137 53	104 87	107 48	54 87
अनुसूचित व्यापारिक बैंक	9 60	8 52	13 74	8 22	15 75	13 39	20 70	12 69	27 92	23 59	27 33	16 52
कुल	21 24	14 30	75 51	30 28	95 52	53 61	251 48	134 81	259 98	183 98	313 63	157 79

ने अपने आप को कृषि-क्षेत्र से दूर रखा। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना का तो मुख्य उद्देश्य ही यह था कि यह बैंक कृषि साख की व्यवस्था में अधिक योग दे सकेगा। परन्तु इसके द्वारा भी कुछ समय पूर्व तक कृषि-वित्त का व्यवसाय केवल कुछ चुनी हुई शाखाओं द्वारा किया जाता रहा है और कृषक से सीधा सम्बन्ध नहीं रखा गया। स्टेट बैंक ने मुख्य रूप से सहकारी बैंकों को सहायता देकर ही कृषि-वित्त-व्यवस्था में सहयोग दिया।

1968 के बाद व्यापारिक बैंकों को कृषि-साख से सम्बन्धित नीति में परिवर्तन हुआ है। 1968 में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के सम्मिलित प्रयास से कृषि-वित्त निगम (Agricultural Finance Corporation) की स्थापना हुई। इस निगम की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 5 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य कृषि-विक्रम के लिए व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को बढ़ावा देना है और कृषि-कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सगठनों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना है।

व्यापारिक बैंकों से प्राप्त होने वाली कृषि-साख दो प्रकार की है (1) अप्रत्यक्ष ऋण (indirect finance), जिसके अन्तर्गत रासायनिक खादों आदि के वितरण के लिए दिये गये ऋण, विद्युत बोर्डों को सिंचाई के लिए बिजली देने हेतु ऋण, भूमि-विकास बैंकों के ऋण-पत्रों की खरीद तथा अन्य प्रकार के ऋण सम्मिलित है। (2) प्रत्यक्ष ऋण (direct finance) जो सीधे किसानों को दिये जाते हैं। गत पृष्ठ पर दी गयी तालिका में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि साख के क्षेत्र में की गयी प्रगति का विवरण प्रस्तुत है।

अब तक संस्थागत कृषि-साख का मुख्य स्रोत सहकारी बैंक ही रहे हैं। आगामी वर्षों में, जैसा कि अनुमान है, कृषि साख की माँग में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसकी पूर्ति अकेले सहकारी बैंक नहीं कर पायेगा। इस दशा में सरकार से भी अधिक आशा नहीं की जा सकती है। स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंकों को कृषि साख की पूर्ति में महत्वपूर्ण भाग लेना पड़ेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी ऋण-नीति को अर्थ-व्यवस्था के हित में निर्देशित करना अब कठिन कार्य नहीं रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के कुछ दिन बाद ही ग्रामीण साख पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि व्यापारिक बैंकों का कृषि वित्त की पूर्ति में हिस्सा बढ़ाना अनिवार्य है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से समिति की सिफारिशों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना कठिन कार्य नहीं होगा।

कृषि-साख की समस्या का उचित हल यही है कि सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त व्यापारिक बैंक भी कृषि विकास के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करें। यदि किसानों को सीधे ऋण देने में कोई कठिनाई हो तो सहकारी समितियों के माध्यम द्वारा ऋण दिये जा सकते हैं। व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक मिलकर कृषि-साख की उलझी हुई समस्या को सुलझा सकते हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

1 कृषि साख की समस्या का उल्लेख कीजिए। इसको किन किन साधनों से प्राप्त किया जाना है ?

[संकेत कृषि के लिए साख का महत्व स्पष्ट कीजिए और इसके आधार तथा स्वल्प की व्याख्या के आधार पर यह बताइए कि कृषि-साख की वास्तविक समस्या ऋण की विधि, उसके सम्बन्धित अनियमितताओं तथा उसके दुरुपयोग से सम्बन्धित है। दूसरे भाग में कृषि-साख के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि कृषि-साख की पूर्ति में संस्थागत साख का अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।]

2 महानगर व देशी बैंक में क्या अंतर है ? क्या इनको समाप्त करना आवश्यक है ?

[संकेत महानगर तथा देशी बैंक के कार्यों के आधार पर दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि इनमें सरलता तथा सौजन्य के गुण होने हुए भी दोष बहुत अधिक हैं जिनके मद्देनारे के लिए कुछ उपाय किये भी गये हैं। परन्तु इनका सुधार करना बहुत कठिन है क्योंकि इन पर जो भी नियन्त्रण लगाया जाते हैं उनमें बचने के उपाय या साधन ही बढते हैं। इनके वर्तमान रूप को समाप्त करना ही होगा, परन्तु उनसे पूर्व अन्य माधुन्य का इस प्रकार विचार कर लिया जाय कि इनका महत्व समाप्त हो जाय।]

3 भारत की सहकारी बैंक व्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। सहकारी बैंक अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं ?

[संकेत सहकारी बैंकों के सगठन का विवरण दीजिए। दूसरे भाग में सहकारी साख आन्दोलन की प्रगति तथा समस्याओं की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

4. भारत में सहकारी बैंकों के विकास के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उनमें कहां तक सफलता मिली है ?
 [संकेत : सन् 1951-52 के बाद सहकारिता विकास के क्षेत्र में अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए । ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति तथा ग्रामीण साख पर्यवेक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझावों का विवेक रूप से विवरण दीजिए । दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि समितियों की सख्या में वृद्धि हुई है और उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की राशि में भी वृद्धि हुई है, परन्तु अभी तक इनके कार्यों से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ बनी हुई हैं ।]
5. भूमि विकास बैंक क्या हैं ? इनका कृषि-वित्त में महत्व बताइए ।
 [संकेत : भूमि-व्यय (विकास) बैंकों के गठन, कार्य तथा उद्देश्यों का विवरण दीजिए । दूसरे भाग में इनके कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालिए और इनके दोषों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए ।]
6. कृषि-वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की सेवाओं का उल्लेख कीजिए ।
 [संकेत : रिजर्व बैंक के कृषि-साख विभाग के कार्यों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यवाही का विवरण दीजिए । सहकारी बैंकों तथा राज्य सरकारों की रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले कृषि-ऋणों का स्वरूप तथा महत्व स्पष्ट कीजिए । सुधार के लिए दिये गये सुझाव भी बताइए ।]
7. व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त-व्यवस्था में सहयोग देना क्यों आवश्यक है ? स्टेट बैंक ने इस दिशा में क्या प्रगति की है ?
 [संकेत : कृषि-साख की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यापारिक बैंकों के सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए । दूसरे भाग में स्टेट बैंक के कृषि तथा साख सहकारिता के विकास से सम्बन्धित कार्यों की सफलता का उल्लेख कीजिए ।]
8. नोट लिखिए - कृषि-भुनवित्त नियम ।
 [संकेत : नियम के उद्देश्य, कार्य तथा महत्व का उल्लेख कीजिए ।]

वित्त उद्योग का जीवन रक्त है। उद्योगों की स्थापना, संचालन तथा विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है। उद्योगों में लगे पूंजी साधारणतया दो प्रकार की होती है—(1) स्थायी (fixed) अथवा दीर्घकालीन पूंजी, और (2) कार्यशील (working) अथवा अल्पकालीन पूंजी। स्थायी पूंजी की आवश्यकता नया उद्योग आरम्भ करते समय भूमि, भवन, मशीनें तथा औजार आदि खरीदने के लिए होती है। चालू उद्योगों को भी परिवर्तन, सुधार व विस्तार कार्यक्रमों के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कार्यशील पूंजी कच्चे तथा तैयार माल का स्टॉक रखने, श्रमिका के वेतन के भुगतान तथा अन्य दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है। स्थायी अथवा दीर्घकालीन पूंजी को पूंजी-बाजार (capital market) से प्राप्त किया जाता है। कार्यशील तथा अल्पकालीन पूंजी मुद्रा-बाजार (money market) से प्राप्त होती है जिसमें बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है।

वित्त की आवश्यकता सभी प्रकार के उद्योगों के लिए होती है। सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) के उद्योगों के लिए वित्त का प्रदत्त करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार आन्तरिक साधनों से अथवा विदेशों से ऋण लेकर पूरा करती है। वित्त की वास्तविक समस्या निजी क्षेत्र (private sector) के उद्योगों के लिए है। ये उद्योग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी-बाजार तथा मुद्रा-बाजार पर निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र के उद्योगों का सही ढंग से विकास तभी सम्भव हो पाता है जब इनके लिए पर्याप्त मात्रा में, अनुकूल समय पर तथा उचित दरो पर औद्योगिक वित्त की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था करना छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के उद्योगों के लिए आवश्यक है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए वित्त-व्यवस्था

भारत के औद्योगिक ढाँचे में छोटे उद्योगों¹ के महत्व को स्वीकार किया गया है और इनके विकास को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा गया है। इन उद्योगों के लिए भी पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। परन्तु इन्हें न तो संगठित पूंजी-बाजार से ही सहायता मिल पाती है और न ही व्यापारिक बैंक इनमें पूंजी लगाना चाहते हैं। छोटे उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गत वर्षों में निम्नलिखित साधनों द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है

(1) राज्यों में उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Act) बनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण दिये जाते हैं।

(2) सन् 1951 में भारत सरकार द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम पास

1 साधारणतया 5 लाख रुपये तक की कुल स्थायी पूंजी (gross fixed capital) वाले उपक्रम छोटे उद्योगों की श्रेणी में, 5 से 20 लाख रुपये की कुल स्थायी पूंजी वाले उपक्रम मध्यम आकार के उद्योगों की श्रेणी में तथा 20 लाख रुपये या इसमें अधिक की कुल स्थायी पूंजी वाले उपक्रम बड़े उद्योगों की श्रेणी में रखे जाते हैं।

किया गया, जिसके अन्तर्गत लगभग सभी राज्यों में राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation) स्थापित किये गये हैं। ये छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों को मध्यम व दीर्घ-कालीन साख प्रदान करते हैं, प्रत्यक्ष ऋण देने के अतिरिक्त, कम्पनियों के असा व ऋण-पत्रों का अभिगोपन करते हैं, ऋण-पत्रों की बिक्री पर गारण्टी देते हैं तथा स्वयं भी ऋण-पत्र खरीदते हैं। कुछ राज्यों में छोटे उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए ये राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

(3) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) की स्थापना सन् 1955 में की गयी। यह छोटे उद्योगों की सहायता के लिए अनेक कार्य करता है। इनके लिए आवश्यक मशीनें तथा साज-सामान किस्तों पर दिये जाते हैं। इस निगम को यह भी अधिकार है कि छोटे उद्योगों को बैंकों तथा अन्य साख-संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋणों की गारण्टी दे और उनका अभिगोपन करे।

(4) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा उसके सहायक बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योग देते रहे हैं। इस उद्देश्य से स्टेट बैंक ने अनेक प्रकार की योजनाएँ अपनायी हैं तथा सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं में सहयोग दिया है।

(5) व्यापारिक बैंक भी छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यापारिक बैंकों ने मुख्य रूप से बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की ओर ही अधिक ध्यान दिया है। परन्तु अब छोटे उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि निरन्तर बढ़ रही है।

(6) रिजर्व बैंक राज्य वित्त निगमों तथा राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा छोटे उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों पर रिजर्व बैंक गारण्टी देता है।

स्पष्ट है कि छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों के लिए आवश्यक वित्त का आयोजन करने के लिए अनेक प्रबन्ध किये गये हैं। परन्तु अभी तक प्राप्त होने वाली सुविधाएँ इस प्रकार के उद्योगों के विकास की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए अपर्याप्त रही हैं। अनुमोचित व्यापारिक बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों को दिये गये ऋणों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

अनुमोचित व्यापारिक बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों को दिये गये ऋण (करोड़ रुपये में)

	साख 1969			साख 1970			साख 1971		
	इकाइया की संख्या	लाभ सीमाएँ	बनाया राशि	इकाइया की संख्या	लाभ सीमाएँ	बनाया राशि	इकाइया की संख्या	लाभ सीमाएँ	बनाया राशि
स्टेट बैंक समूह	24069	179 2	93 1	36935	276 9	152 2	48731	320 4	197 0
राष्ट्रीय बैंक	20057	270 0	135 8	37072	393 4	198 7	46238	459 1	243 5
अन्य अनु० व्या० बैंक	5605	59 1	32.8	7718	79 0	43 0	8581	88 8	52 6
कुल	49731	508 3	261 7	81725	749 3	393 9	103550	868 3	493.1

बड़े उद्योगों के लिए वित्त-व्यवस्था

बड़े उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त करने के मुख्यतया दो साधन हैं (1) आन्तरिक, तथा (2) बाह्य। आन्तरिक साधनों से अभिप्राय लाभ के पुनर्विनियोग (ploughing back of profits) से है। विकसित देशों में औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में आन्तरिक साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परन्तु भारत में उद्योग बाह्य साधनों पर ही मुख्य रूप से निर्भर करते रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व उद्योगपतियों ने अपने स्वयं के वित्तीय साधनों को सग्रह करके, कम्पनियों के असा बेचकर, बैंकों से ऋण लेकर अथवा मैनेजिंग एजेंटों के द्वारा वित्त सग्रह करके उद्योगों की स्थापना की। औद्योगिक बैंकों की स्थापना के लिए सन् 1906 से 1913 के बीच तथा सन् 1917 से 1921 के बीच प्रयत्न किये गये। दोनों समय अनेक औद्योगिक बैंक बने भी, परन्तु बाद में वे सब फेल हो गये। इस प्रकार, अधिकांश औद्योगिक वित्त व्यक्तिगत साधना से ही प्राप्त होता रहा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगीकरण की योजनाएँ बनायी गयीं। विनियमन के

सन् 1961-62 के बाद देश में तेजी से औद्योगीकरण का कार्य आरम्भ हुआ। बड़े उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त (institutional finance) की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गयी है। इस प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योग अपनी स्थापना, संचालन तथा विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उद्योगपतियों के निजी साधनों तथा लाभ के पुनर्विनियोग के अतिरिक्त अगों तथा ऋण-पत्रों (debentures) की बिक्री, मनेजिंग एजेंटों, बैंकों तथा विभिन्न विशिष्ट वित्त निगमों अथवा संस्थाओं से प्राप्त कर सकते हैं।

विशिष्ट वित्त संस्थाएँ

औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त कई वित्त संस्थाओं की स्थापना की गयी है। इनकी स्थापना तथा संचालन में सरकार ने विशेष सहयोग दिया है। इन संस्थाओं के कारण देश में औद्योगिक वित्त के साधनों का विस्तार हुआ है तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को महत्वपूर्ण सहायता मिली है। व्यापारिक बैंक उद्योगों के लिए मुख्यतया कार्पोरेट पूंजी का ही प्रवन्ध कर पाते हैं। वित्तीय संस्थाएँ उद्योगों की मध्य तथा दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनके कारण औद्योगिक वित्त के साधनों का विस्तार हुआ है। इनमें से प्रमुख संस्थाओं का विस्तृत वर्णन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India)

मार्च 1948 में पास किये गये अधिनियम के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई। निगम का उद्देश्य ऐसे उद्योगों के लिए मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना है जिनका सम्बन्ध उत्पादन, खनन अथवा किसी अन्य प्रकार के उत्पादन (विद्युत शक्ति, जहाजरानी आदि) से हो और जिनको देश की बैंकिंग संस्थाओं या अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली सहायता पर्याप्त न हो।

निगम के कार्य—निगम का कार्यक्षेत्र तथा इसके द्वारा दी जाने वाली सहायता का आकार वडाने के उद्देश्य से इससे सम्बन्धित अधिनियम में सशोधन किये जाते रहे हैं। अब तक निगम को केवल सार्वजनिक सीमित कम्पनियों (Public Limited Companies) तथा सहकारिता के आधार पर गठित औद्योगिक संस्थाओं को ऋण देने का अधिकार था। निजी सीमित कम्पनियों (Private Limited Companies), साझेदारी व एकाकी संस्थाओं तथा सरकारी औद्योगिक संस्थाओं को सहायता नहीं दी जा सकती थी। परन्तु अब सरकार ने निगम को अनुमति दे दी है कि वह लौह-क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी कम्पनियों को भी वित्तीय सहायता दे सकता है, यदि उनके द्वारा कुछ विनोद सत्तों पूरी की जाती हो। सन् 1960 के सशोधन के अनुसार निगम को औद्योगिक संस्थाओं के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया, जो पहले नहीं था। निगम की इच्छा से उनके द्वारा दिये गये ऋण की रकम को उस उद्योग के स्टॉक या शेयर्स में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी एक फर्म को 2 करोड़ रुपये तक का वित्त प्रदान किया जा सकता है। पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपये थी।

औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक संस्थाओं की कई प्रकार से सहायता कर सकता है

(1) यह औद्योगिक संस्थाओं को 25 वर्ष तक की अवधि के अग्रिम व ऋण देकर अथवा उनके ऋण-पत्र खरीदकर सहायता कर सकता है।

(2) औद्योगिक कम्पनियों द्वारा खुले बाजार में लिये गये 25 वर्ष तक की अवधि के ऋणों पर यह गारण्टी दे सकता है।

(3) यह कम्पनियों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड या ऋण-पत्रों का निम्नांकन अथवा अभियोगन (underwriting) कर सकता है। परन्तु यह कार्य करते समय जो ऋण-पत्र व शेयर निगम के पास रह जायें वे सात वर्ष के भीतर अवश्य बच देने चाहिए।

(4) कुछ विशेष उद्योगों को विदेशी मुद्रा में सहायता प्रदान करता है।

(5) देश के बाहर के किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण व साख-प्रवन्ध पर गारण्टी देता है।

(6) कुछ स्वीकृत औद्योगिक सस्थाओं द्वारा विदेशों से आयात की गयी व देश में खरीदी गयी पूंजीगत वस्तुओं पर विलम्बित भुगतान पद्धति (deferred payments) के सम्बन्ध में गारण्टी देता है।

(7) औद्योगिक सस्थाओं के स्टॉक व शेयर खरीदता है।

अनेक प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम कई दिशाओं में प्रवर्तकों (promoters) को बहुमूल्य परामर्श व निर्देशन प्रदान कर सकता है। औद्योगिक सस्थाओं की विभिन्न प्रकार से की जाने वाली सेवाओं के बदले निगम कमीशन प्राप्त करता है।

सन् 1948 से 30 जून, 1971 तक औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 365 67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है जिसमें से 318 76 करोड़ रुपये का वास्तविक वितरण (disbursement) हो चुका है। निगम द्वारा स्वीकृत सहायता में 43 58 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्राओं में ऋण भी सम्मिलित है। अब तक दी गयी सहायता में सबसे अधिक भाग सहकारी चीनी मिश्री को प्राप्त हुआ है। राज्यों में सबसे अधिक सहायता महाराष्ट्र को मिली है।

1969-70 में निगम ने 20 8 करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी थी, परन्तु वास्तविक वितरण 16 4 करोड़ रुपये का ही हुआ था। 1970-71 में स्वीकृत ऋणों की राशि 35 32 करोड़ रुपये हो गयी, परन्तु वितरण की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में सगठित सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को भी निगम द्वारा सहायता दी जाने लगी है। दूसरे, पिछड़े जिलों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को रियायती दरों पर ऋण देने की व्यवस्था की गयी है।

निगम की पूंजी के साधन—निगम की कुल अधिकृत पूंजी 10 कराड़ रुपये है जो पाच-पांच हजार रुपये के 20 हजार अंशों में विभक्त है। आरम्भ में निगम द्वारा केवल 10 हजार शेयर निर्गमित किये गये थे। बाद में दो शृंखलाओं में और अंश निर्गमित किये गये। इस समय निगम की प्रदत्त पूंजी (paid-up capital) 8 35 करोड़ रुपये है। आरम्भ में निगम के अंशों का वितरण भारत सरकार, रिजर्व बैंक, बीमा कम्पनियों और सहकारी बैंकों के बीच किया गया। 1 जुलाई, 1964 को भारतीय विकास बैंक (IDBI) स्थापित हो जाने पर भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा क्रय किये गये शेयर उसको हस्तान्तरित कर दिये गये। इस समय निगम के 50 प्रतिशत शेयर औद्योगिक विकास बैंक के पास हैं। औद्योगिक वित्त निगम की अंश-पूंजी के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि इसके अंश केवल वित्तीय सस्थाओं को ही दिये गये हैं। शेयरों में लगी पूंजी तथा लाभांश पर केन्द्रीय सरकार ने गारण्टी दी है। निगम अपना कार्य करने के लिए निम्न साधन से पूंजी प्राप्त करता है

(1) ऋण-पत्र या बॉण्ड बेचकर निगम बाजार से ऋण ले सकता है। ऋणों की कुल मात्रा कुल प्रदत्त पूंजी व सरक्षित कोष के दस गुने से अधिक नहीं हो सकती। स्थापना के समय यह सीमा पांच गुनी थी, जो सन् 1967 में दस गुनी कर दी गयी। बॉण्डों के मूलधन व ब्याज पर केन्द्रीय सरकार की गारण्टी होती है।

(2) सन् 1952 में किये गये संशोधन के अनुसार निगम रिजर्व बैंक से 18 गहीने तक के लिए 3 करोड़ रुपये तक के ऋण ले सकता है।

(3) निगम केन्द्रीय सरकार से भी ऋण ले सकता है। अप्रैल 1971 में केन्द्र सरकार से लिये गये ऋणों की बकाया राशि 77 73 करोड़ रुपये थी।

(4) निगम विश्व बैंक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से विदेशी मुद्रा में भी ऋण ले सकता है। विदेशी मुद्राओं में लिये गये ऋणों की बकाया राशि अप्रैल 1971 में 21 25 करोड़ रुपये के बराबर थी।

(5) निगम को जनता से जमा लेने का भी अधिकार है परन्तु जमा की अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, और रकम अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपये हो सकती है।

निगम का प्रबन्ध—निगम का प्रबन्ध एक संचालक बोर्ड द्वारा होता है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। दो संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा तीन औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मनोनीत होते हैं। छह संचालक अनुसूचित वर्गों व अन्य मस्याओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रबन्ध-संचालक (Managing Director) की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। इसके अतिरिक्त, पाँच सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति भी होती है जिसमें प्रबन्ध-संचालक भी सम्मिलित होता है। यह समिति दिन प्रति दिन के कार्यों में संचालक मण्डल की सहायता करती है। पाँच विशेष परामर्शदाता समितियाँ जिनका सम्बन्ध वस्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन, धोनी तथा विधि उद्योगों से है।

निगम के कार्यों की आलोचना—औद्योगिक वित्त निगम ने अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि की और भारत के औद्योगिक टांचे में अपना निश्चित स्थान बना लिया है। परन्तु कई कारणों से निगम के कार्यों की आलोचना की जाती है। सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि इसने देश में आर्थिक नृत्ति के सङ्कीर्णकरण में सहायता दी है। ऋण स्वीकृत करने में मनमानी और पक्षपात से काम लिया गया है। अधिकतर लाभ कुछ बड़े उद्योगपतियों को ही मिला है। निगम से प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्या में काफी अन्तर पाया जाता है। पिछड़े हुए राज्या को बहुत कम सहायता मिल पाई है। ऐसे औद्योगिक उपग्रामों को अधिक ऋण मिले हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिकता क्रम में नीचे थे। ऋण बवल सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों तथा सहकारी मस्याओं तक ही सीमित रखे गये हैं। निगम द्वारा दिये गये अधिकांश ऋण मध्यकालीन रहे हैं, दीर्घकालीन नहीं। प्रसासनिक व्यवस्था कुशल न होने के कारण ऋण स्वीकार करने तथा वांटने में काफी समय लगता है। निगम के कार्य तथा नीति में सुधार की आवश्यकता है।

राज्य वित्त निगम (State Financial Corporations)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना से बड़े उद्योगों को ही सहायता मिल सकती है। लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की दीर्घ तथा मध्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सन् 1951 के राज्य वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित किये गये हैं।

अधिनियम के अनुसार राज्य वित्त निगम की अधिकतम पूंजी 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस पूंजी का 75 प्रतिशत राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य वित्तीय मस्याओं से प्राप्त होना चाहिए। शेष 25 प्रतिशत पूंजी शेयर बचकर जनता से प्राप्त की जा सकती है। इसके शेयरों पर राज्य सरकार की गारण्टी होती है। मई 1971 में कुल 18 राज्य वित्त निगम थे और उनकी चुकता पूंजी 21.11 करोड़ रुपये थी।

शेयर पूंजी के अतिरिक्त राज्य वित्त निगम अपनी चुकता पूंजी व सरक्षित कोष के 5 गुने तक वॉण्ड व ऋण-पत्र बेचकर पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। ये निगम अन्य वित्तीय मस्याओं से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता पडने पर रिजर्व बैंक से अल्पकालीन अथवा माँग पर देय ऋण प्राप्त करते हैं। कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए जनता से जमा प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु कुल जमा राशि चुकता पूंजी की राशि में अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य वित्त निगम लघु व मध्यम आकार की मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों, सहकारी मस्याओं, निजी कम्पनियों, साझेदारी की अथवा एकाकी फर्मों को अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण दे सकते हैं। किसी एक मस्या को 15 हजार रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। ये निगम औद्योगिक मस्याओं द्वारा जारी किये गये अगो, वॉण्डो तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन भी करते हैं। इन्हें औद्योगिक मस्याओं द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए लिये गये ऋणों पर गारण्टी देने का अधिकार है।

इस समय दसमें 18 राज्य वित्त निगम हैं। इनके दायित्व तथा परिमम्पत्तियाँ (liabilities and assets) की कुल राशि मई 1971 में 165.80 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 130.73 करोड़ रुपये ऋणों में, 9.67 करोड़ रुपये असो में, 2.18 करोड़ रुपये सरकारी प्रतिभूतियाँ में तथा 67 लाख

रूपसे ऋण-पत्रों में लगे हुए थे। अन्य परिसम्पत्तियों की राशि 15.71 करोड़ रुपये थी। इनके पास 6.84 करोड़ रुपये नकदी के रूप में अथवा बैंकों के पास जमा थे।

राज्य वित्त निगमों का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। परन्तु व्यावहारिक रूप में इन्होंने मध्यम श्रेणी के उद्योगों की ओर ही अधिक ध्यान दिया है, छोटे उद्योगों को बहुत कम मात्रा में पूंजी मिल पायी है। इन्होंने साख गारण्टी योजना का भी पूरा लाभ नहीं उठाया है। इन्होंने निम्नांकन के कार्य में पर्याप्त प्रगति नहीं की है और न ही ऋणों की गारण्टी करने के कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया है। कुछ के पास कोषों का अभाव पाया जाता है तो अन्य के पास कोष निष्क्रिय पड़े रहते हैं। कार्यक्षमता में कमी के कारण राज्य वित्त निगमों द्वारा दिये गये ऋणों की बसुली भी सन्तोषजनक नहीं रही है।

राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporations)

राज्य औद्योगिक विकास निगम 14 राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इनका उद्देश्य स्वयं अपने ही प्रबन्ध में अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ साझे में उद्योगों की स्थापना करना तथा औद्योगिक विकास के लिए सहायता देना है। ये निगम औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करते हैं और औद्योगिक वस्तियाँ स्थापित कर सकते हैं। इनको निजी अथवा सार्वजनिक उद्योगों की अंश-पूँजी में सम्मिलित होने, अभिनोपन करने तथा ऋणों पर गारण्टी देने के भी अधिकार प्राप्त हैं। व्यावहारिक रूप में इन निगमों ने अपने कार्यक्षेत्र को अपने राज्य की औद्योगिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित कुछ मुख्य बाधों तक ही सीमित रखा है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा तामिलनाडु में विकास निगमों के अतिरिक्त विनियोग निगम भी कार्य कर रहे हैं। 1969-70 में राज्य विकास निगमों ने 17.1 करोड़ रुपये की सहायता की स्वीकृति दी और 9.3 करोड़ रुपये की सहायता का वितरण किया।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation)

इस निगम की स्थापना 20 अक्टूबर, 1954 को भारत सरकार के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। इसकी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये है, जो भारत सरकार द्वारा ही लगायी गयी है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का उद्देश्य एक सरकारी एजेंसी की भाँति विशेष क्षेत्रों में कुछ विशेष उद्योगों का विकास करने में सहायता देना है। देश में सन्तुलित व एकीकृत औद्योगिक विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से यह निगम सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास के कार्य में सहायता देना है, वित्त प्रदान करना इसका केवल गौण उद्देश्य है। यह औद्योगिक परियोजनाओं का अध्ययन करता है, उनकी परीक्षा करता है तथा उन्हें कार्यान्वित करने में आवश्यक प्राविधिक सहायता प्रदान करता है। अन्य दशाओं में वह स्वयं भी उद्योग स्थापित कर सकता है जो आगे चलकर निजी क्षेत्र में सहायक उद्योग स्थापित करने में सहायक होंगे।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निगम किसी भी औद्योगिक संगठन को आर्थिक सहायता दे सकता है, चाहे वह सरकारी उद्योग हो अथवा निजी उद्योग, चाहे वह कंपनी हो या किसी प्रकार की फर्म अथवा वैधानिक सत्ता। निगम उद्योगों को ऋण एवं अधिम प्रदान कर सकता है, उनके अंश व ऋण-पत्रों की खरीद, अभिनोपन या लेन-देन कर सकता है तथा अन्य साधनों से प्राप्त ऋणों पर गारण्टी दे सकता है। उद्योगों द्वारा निर्गमित अंशों और ऋण-पत्रों पर वह गारण्टी भी दे सकता है।

प्रारम्भ में इस निगम का मुख्य उद्देश्य झूट तथा सूती वस्त्र उद्योगों के पुनर्स्थापन (rehabilitation) तथा अभिनवीकरण (modernisation) के लिए वित्तीय सहायता देना था। बाद में मशीन-दून उद्योग भी सम्मिलित कर लिया गया। झूट तथा सूती वस्त्र उद्योगों में नयी मशीनें लगाने के अतिरिक्त निगम ने लोहे की ढलाई के कारखानों, छपाई की मशीनरी तथा लकड़ी की

लुगदी इत्यादि कारखानों को भी सहायता दी है। फरवरी 1963 के बाद इस निगम ने नये ऋणों के लिए आवेदन-पत्र नहीं लिये हैं।

भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation of India)

विश्व बैंक के विशेषज्ञों की सिफारिश पर इस निगम की स्थापना जनवरी 1955 में एक निजी सीमित कम्पनी के रूप में की गयी। इसकी पूंजी में विदेशी वित्तीय सस्थाओं तथा विदेशी निजी विनियोगकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है।

इस निगम के प्रमुख उद्देश्य ये हैं (1) निजी क्षेत्र के उद्योगों के निर्माण, विकास तथा नवीनीकरण में सहायता देना, (2) ऐसे उद्योगों में देशी व विदेशी निजी पूंजी के प्रवेश को प्रोत्साहन देना, तथा (3) औद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना और विनियोग बाजार का विस्तार करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निगम निम्न प्रकार की सहायता दे सकता है (1) निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण देना या उनके शेयर खरीदना, (2) शेयरों और ऋण-पत्रों का अभिगोपन करना, (3) अन्य निजी विनियोग के साधनों से प्राप्त ऋणों पर गारण्टी देना, (4) जितनी जल्दी सम्भव हो सके, एक उद्योग में से विनियोग की रकम निकाल कर उसके पुनः विनियोग (re-investment by revolving investments) की व्यवस्था करना, तथा (5) भारतीय उद्योगों को प्रबन्धकीय, तकनीकी एव प्रशासकीय परामर्श देना और इनमें सम्बन्धित सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता देना।

मार्च 1970 के अन्त में इस निगम के कुल साधन 166.8 करोड़ रुपये थे, जिनमें से 97.8 करोड़ रुपये के साधन विदेशी मुद्राओं में और 69 करोड़ रुपये के साधन रूपों में थे। साधनों के रूप में 7.5 करोड़ रुपये की अक्ष-पूंजी तथा 6.2 करोड़ रुपये के रक्षित कोष के अतिरिक्त इस निगम ने भारत सरकार से 32 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक विकास बैंक से 12.3 करोड़ रुपये के ऋण लिये थे। ऋण-पत्रों के आधार पर प्राप्त किये गये ऋणों की राशि 11 करोड़ रुपये थी। विदेशी मुद्राओं के साधन में प्रमुख भाग विश्व बैंक से लिये गये ऋणों (79.4 करोड़ रुपये) का था।

सन् 1955 में अपने आरम्भ से लेकर मार्च 1970 के अन्त तक निगम ने कुल 548 कम्पनियों को 264.6 करोड़ रुपये की सहायता की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 153.1 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्राओं में ऋण, 46.8 करोड़ रुपये के रूपों में ऋण, 6.9 करोड़ रुपये की गारण्टी और 57.8 करोड़ रुपये के अभिगोपन, शेयरों तथा ऋण-पत्रों में प्रत्यक्ष योगदान सम्मिलित थे। स्पष्ट है कि इस निगम द्वारा दी गयी सहायता में आधी से अधिक विदेशी मुद्रा के रूप में है। इससे औद्योगिक विकास कार्य में महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India)

देश में अनेक वित्तीय सस्थाओं की स्थापना के बावजूद एक ऐसी सस्था की आवश्यकता थी जिसके विशाल वित्तीय साधन हो ताकि वह उद्योगों की निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। साथ ही, विभिन्न औद्योगिक वित्त सस्थाओं के कार्यों में तात्-मेल बैठाने की भी आवश्यकता थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद द्वारा पास किये गये कानून के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी है। रिजर्व बैंक की एव सहायक सस्था के रूप में इसने अपना कार्य 1 जुलाई, 1964 से आरम्भ किया।

पूंजी के साधन—औद्योगिक विकास बैंक की कुल अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है जिसे आवश्यकतानुसार 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। आरम्भ में इसकी चुकता पूंजी 10 करोड़ रुपये थी जिसमें 10 करोड़ की वृद्धि 1967-68 में और पुनः जनवरी 1971 में की गयी। इस प्रकार इसकी कुल चुकता पूंजी 30 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी है।

औद्योगिक विकास बैंक की पूंजी का मुख्य साधन केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त किये गये ऋण हैं। मार्च 1971 तक इसने 176.78 करोड़ रुपये के ऋण सरकार से तथा 29.84

करोड़ रुपये के ऋण रिजर्व बैंक से प्राप्त किये हैं। इस बैंक को पूंजी-बाजार में बाँड जारी करने तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत शर्तों पर कम से कम 12 माह की अवधि के लिए जनता से जमा प्राप्त करने का भी अधिकार है।

कार्य—औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च (apex) सस्था के रूप में कार्य करता है। यह केवल एक वित्तीय सस्था ही नहीं है बल्कि विशेष महत्व वाले उद्योगों, जैसे रासायनिक खाद, मिश्रधातु तथा विशेष इस्पात (alloy and special steels), पेट्रो केमिकल (petro-chemical) आदि के विकास में सहायता देना इसकी विशेष जिम्मेदारी है। व्यापक दृष्टि से इस बैंक का मुख्य कार्य देश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए वित्तीय प्राविधिक सहायता की व्यवस्था करना है। इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत रखा गया है। वस्तु-निर्माण, सनन, जहाजरानी, रूपांतरण, परिवहन और होटल उद्योग इससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में। उद्योग या तो सीधे ही अथवा अन्य सस्थाओं के माध्यम से इस बैंक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता निम्न प्रकार की हो सकती है

(1) उद्योगों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन प्रत्यक्ष सहायता देना। इसके अन्तर्गत औद्योगिक सस्थाओं को दी जाने वाली निम्न सहायता आती है प्रत्यक्ष ऋण, शेयरों व डिबेंचरों की खरीद या अभिगोपन (underwriting), अन्य साधनों से लिये जाने वाले ऋणों पर गारण्टी और देशी मशीनरी के विलम्बित भुगतानों (deferred payments) के आधार पर द्वित्री से उत्पन्न मुद्दती बिलों की पुनर्कटौती (rediscount) की सुविधा।

(2) पुनर्वित्त (refinance) के रूप में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष सहायता दी जाती है। वित्तीय सस्थाओं द्वारा 3 से 25 वर्ष तक के लिए दिये गये ऋणों और अनुमूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 3 से 10 वर्ष के लिए दिये गये ऋणों पर पुनर्वित्त की सुविधा दी जाती है। अनुमूचित और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दी गयी मध्यकालीन निर्यात साख पर भी पुनर्वित्त की सुविधा मिलती है।

सन् 1958 में स्थापित किये गये उद्योग पुनर्वित्त निगम (Refinance Corporation for Industry) को 1 सितम्बर, 1964 से औद्योगिक विकास बैंक में मिला दिया गया है।

(3) औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में सर्वोच्च सस्था होने के नाते औद्योगिक विकास बैंक दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन औद्योगिक ऋण देने वाली सस्थाओं के शेयर, बाँड तथा डिबेंचर खरीदकर उन्हें प्रत्यक्ष सहायता देता है। इन सब सस्थाओं (जिनमें जीवन बीमा निगम भी शामिल है) के कार्यों में ताल-मेल (co ordination) कायम रखना भी बैंक का कार्य है। बैंक के बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की इन सस्थाओं के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें पारस्परिक विचार-विमर्श का अवसर मिलता है।

(4) औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं की जाँच-पड़ताल का कार्य करता है। विनी तथा विनियोग सम्बन्धी अनुसन्धान व सर्वेक्षण तथा तकनीकी व आर्थिक अध्ययन करता है। नये उद्योगों विशेषतया मूल उद्योगों की स्थापना में सहायता करता है। देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास, नये साहसियों को प्रोत्साहन तथा विभिन्न प्रवर्तक समूहों का कार्यक्रमों के लिए सहायता में प्रवाह को नियमित करने के उद्देश्य से प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास बैंक का कार्य औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन व नेतृत्व प्रदान करना है। औद्योगिक वित्त की सुविधाएँ बढ़ाने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उनको नयी दिशा देने की जिम्मेदारी औद्योगिक विकास बैंक की है।

बैंक द्वारा दी गयी सहायता—औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता का आकार देश की आर्थिक परिस्थितियों, औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं, औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति, अन्य वित्तीय सस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा आदि तत्वों पर निर्भर करता है। इसलिए बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता के आकार में प्रति वर्ष परिवर्तन

होन रहना स्वाभाविक ही है। सहायता प्रदान करने में बैंक ने सुरक्षा-उम्मुख, आयात-व्यवस्था, निर्यात-उम्मुख उद्योगों और कृषि-विक्रम व औद्योगिकरण का आधार बनाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी है। जब तक बैंक ने पैट्रो-केमिकल, रासायनिक खाद, मशीनरी, कपड़ा, मिथेनानु एवं विनोप उन्नत, तथा सीमेंट और कागज के उत्पादन में सम्बन्धित उद्योगों में विशेष रूप से सहायता प्राप्त की है। सन् 1967-68 में बैंक ने अनेक प्रकार के उद्योगों द्वारा सहायता के लिए दिये गये आदेश-पत्रों पर उदारतापूर्वक विचार करना आरम्भ कर दिया है। बैंक का प्रयास यह है कि कोई भी मध्यम आकार का आवश्यक उद्योग सहायता के अभाव के कारण निरस्त न हो सके।¹

1 जुलाई, 1964 से 30 जून, 1970 तक के छ वर्षों में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित की गयी विभिन्न प्रकार की सहायता का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है

औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा स्वीकृत व वितरित की गयी सहायता (30 जून, 1970 तक)
(करोड़ रुपये में)

सहायता का रूप	कुल स्वीकृत सहायता	कुल वितरित सहायता
1 औद्योगिक उद्योगों का प्रारम्भ ऋण (उद्योगों के लिए छाड़कर)	107.4	84.8
2 उद्योगों के विस्तार प्रारम्भ ऋण	17.8	2.9
3 औद्योगिक उद्योगों के विस्तार व विविधता में आसानी तथा अभिमान	22.9	15.9
4 औद्योगिक ऋण का पुनर्वितरण	100.1	96.9
5 विभिन्न माध्यम का पुनर्वितरण	10.3	6.7
6 विभिन्न माध्यम का पुनर्वितरण	61	52.7
कुल 1 से 6 तक का ऋण	319.9	259.9
7 विभिन्न माध्यम का पुनर्वितरण व बाण्डों का खपत (IFCI का छाड़कर)	20.1	20.1
कुल 1 से 7 तक का ऋण	340.0	280.0
8 ऋण व निरन्धित पूंजी पर गारण्टी	26.7	19.1
9 बैंकिंग पूंजी पर गारण्टी (विभागात् पर)	0.6	0.3

स्पष्ट है कि औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में विकास बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु इसके द्वारा दी गयी सहायता को मन्तव्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असन्तुलन की समस्या हल करने की ओर हम सस्था न अब तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। इसके द्वारा स्वीकृत की गयी सहायता का लगभग 3/4 भाग अकेले महाराष्ट्र को मिला है। अन्य राज्यों में गुजरात, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त बाकी के राज्यों में देने में बहुत कम सहायता प्राप्त की है। मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ भी बैंक में सहायता प्राप्त नहीं कर पायी हैं। बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India)

औद्योगिक वित्त व वित्तियोग के क्षेत्र में यूनिट ट्रस्ट एक विनोप स्थान रखता है। इसके माध्यम में छोटी व मध्यम आकार के लोगों को देश के विभिन्न उद्योगों में वित्तियोग करन तथा औद्योगिक समृद्धि से लाभ उठाने का अवसर मिला है। सन् 1954 में श्रीफ. कमेटी ने इसकी स्थापना का सुझाव दिया था। 1 फरवरी, 1964 को एक कानून के अन्तर्गत इसकी स्थापना की गयी।

यूनिट ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी 5 करोड़ रुपये रखी गयी जिनमें रिजर्व बैंक का भाग 2.5

¹ "The IDBI's main endeavour now is to ensure, as far as possible, that no worthwhile project of medium or small medium size should be allowed to languish for insufficiency of institutional supports. —Fourth Annual Report of the IDBI

करोड़ रुपये, जीवन बीमा निगम का 75 लाख रुपये, स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों का 75 लाख रुपये तथा अनुसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का भाग 1 करोड़ रुपये रखा गया। तत्कालीन वित्त मंत्री ने आगा प्रवक्त की थी कि यूनिट ट्रस्ट के कोष अन्ततः 100 करोड़ रुपये तक पहुँच जायेंगे।

यूनिट ट्रस्ट कम साधन वाले लोगों की वचत एवत्र करने के लिए 'यूनिटों' की वित्री करता है। एक यूनिट का निर्धारित मूल्य 10 रुपये है और किसी एक व्यक्ति को कम से कम दस यूनिटें खरीदनी पड़ती हैं। इनकी वित्री 1 जुलाई, 1964 से आरम्भ हुई। 31 जुलाई, 1964 तक इन्हें निर्धारित मूल्य पर ही बेचा गया, परन्तु उसके बाद इनकी वित्री बाजार-भाय पर करने की व्यवस्था की गयी है। यूनिटों को बेचने की व्यवस्था के साथ-साथ इनका हस्तान्तरण (transfer) भी किया जा सकता है। ट्रस्ट इनको स्वयं भी खरीदने को तैयार रहता है। यूनिटों की जमानत पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। यूनिटों की वित्री से प्राप्त पूँजी लाभपूर्ण ढग से प्रविभूतियों म लगायी जाती है जिनमे वैधानिक निगमों, कम्पनियों व अन्य संस्थाओं के शेयर, बॉण्ड व अन्य स्टॉक शामिल हैं। इन विनियोगों म पूँजी की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है क्योंकि ट्रस्ट ने 6 प्रतिशत लाभाल अवश्य देने का लक्ष्य रखा है। यूनिट ट्रस्ट की आय आय-कर से मुक्त है। यूनिट खरीदने वालों की यूनिटों से प्राप्त होने वाली 100 रुपये तक आय आय-कर तथा अधिकर (super-tax) से मुक्त रहती है। यूनिट ट्रस्ट विनियोजकों को यूनिटों से प्राप्त आय (कम से कम 100 रुपये) पुनर्विनियोग (re-investment) करने की सुविधा देता है।

जून 1970 के अन्त में 3,33,000 यूनिट-होल्डर (unit-holders) में जिनके पास 77.4 करोड़ रुपये के मूल्य के यूनिट थे। 31 मार्च, 1968 तक ट्रस्ट ने कुल 84.6 करोड़ रुपय विनियोग किये थे। ट्रस्ट ने कम्पनियों को अभिगोपन की सुविधाएँ भी दी थीं। 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में ट्रस्ट की कुल आय 6.3 करोड़ रुपये थी जबकि इससे पिछले वर्ष में यह आय 4.8 करोड़ रुपये ही थी। प्रति यूनिट 72 पैसे का लाभाल दिया गया। इससे पिछले दो वर्षों में लाभाल क्रमशः 70 और 71 पैसे दिया गया था।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया संसार भर में सरकार द्वारा स्थापित किया गया अपनी प्रकार का पहला ट्रस्ट है। इसे अपने कार्य में बृद्ध सफलता भी मिली है। परन्तु इसकी पूँजी भारत जैसे विचाल देश के लिए अपर्याप्त है। ब्रिटेन व अमेरिका की भाँति यहाँ भी कई ट्रस्ट स्थापित किये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में अभी भारत सरकार द्वारा काफी कार्य करना बाकी है।

औद्योगिक वित्त-व्यवस्था की समस्याएँ

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात देश में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करके औद्योगिक वित्त की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम ने भी औद्योगिक वित्त की पूर्ति में महत्वपूर्ण भाग लिया है। द्वितीय योजनाकाल में वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल 121.0 करोड़ रुपये की सहायता की स्वीकृति (sanction) दी गयी थी, जिसमें से 76.4 करोड़ रुपये की राशि वितरित (disburse) हुई। तृतीय योजनाकाल में इन संस्थाओं ने 559.1 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की और 362.4 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गयी। इसमें विदेशी मुद्राभा में स्वीकृत तथा वितरित ऋणा की राशि क्रमशः 71.9 करोड़ रुपये तथा 43.1 करोड़ रुपये थी। इसके बाद, 1966-67 से 1969-70 तक के चार वर्षों में 594.1 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी है जिसमें से 522.4 करोड़ रुपये की सहायता वितरित हुई है। स्पष्ट है कि गत वर्षों में देश में अवधि वित्त-व्यवस्था का आकार काफी बड़ा है। परन्तु देखना यह है कि इस सहायता का उपयोग किस प्रकार हुआ है और इससे अर्थ-व्यवस्था को कितना लाभ प्राप्त हुआ है।

यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता के परिणामस्वरूप देश में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण (centralisation of economic power) को

प्रोत्साहन मिला है। अधिकांश सहायता बड़े औद्योगिक गृहों को प्राप्त हुई है और इसके सहयोग में उन्होंने अपनी आर्थिक शक्ति में निरन्तर वृद्धि की है।

कम्पनियों के मामलों से सम्बन्धित विभाग (Department of Company Affairs) द्वारा किये गये तीन औद्योगिक गृहों—टाटा, बिडला तथा मफतलाल—के अध्ययन से पता चलता है कि सन् 1963-64 से सन् 1966-67 तक के तीन वर्षों में इनके साधनों में क्रमशः 32, 74 तथा 127 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह विस्तार मुख्य रूप से वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त की गयी सहायता के कारण ही सम्भव हुआ।¹ यह खेदपूर्ण है कि ऐसा एकाधिकार जांच आयोग (Monopolies Inquiry Commission) द्वारा रिपोर्ट देने के बाद हुआ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (Industrial Licensing Policy Inquiry Committee) की, जो 'दत्त समिति' के नाम से जानी जाती है, रिपोर्ट जुलाई 1969 में सदन में पेश की गयी। इस समिति ने वित्तीय सस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता के स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया है। इसके अनुसार इन सस्थाओं के द्वारा दी गयी सहायता का 56 प्रतिशत भाग बड़े औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। देश में 20 औद्योगिक गृहों का इनमें हिस्सा 23 प्रतिशत रहा है और इनमें भी थोड़े-से बड़े गृहों ने अधिकांश भाग प्राप्त किया है। इनको दी गयी कुल सहायता में बिडला का भाग 25 प्रतिशत और मफतलाल व टाटा का भाग क्रमशः 14.4 तथा 10 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार देश में 20 औद्योगिक गृहों को प्राप्त होने वाली सहायता का लगभग $\frac{1}{3}$ भाग केवल 3 गृहों को मिला है। जीवन बीमा निगम तथा स्टेट बैंक ने भी अधिकांश भाग बड़े औद्योगिक गृहों को महत्व दिया है। इनके द्वारा दिये गये ऋणों में बड़े औद्योगिक क्षेत्र का भाग क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत रहा है। जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट ने अधिकतर बड़े औद्योगिक क्षेत्र की कम्पनियों के ऋण तथा डिबेंचर खरीदे हैं। अभिगोपन की सुविधाओं में भी इस क्षेत्र का भाग 69 प्रतिशत रहा है। दत्त समिति ने बताया है कि कुछ औद्योगिक सस्थाओं ने परियोजना लागत का 60 से 75 प्रतिशत तक वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त किया है, जबकि इनके प्रवर्तक समूहों का हिस्सा सामान्यतया 6 से 24 प्रतिशत ही रहा है।

स्पष्ट है कि वित्तीय सस्थाओं द्वारा दी जाने वाली अधिकांश सहायता बड़े उद्योगों के क्षेत्र को ही मिली है और इसे देश में बड़े औद्योगिक गृहों ने प्राप्त करके अपनी आर्थिक शक्ति में वृद्धि की है। इससे अर्थ-व्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है।

वित्तीय सस्थाओं की नीति के कारण देश के औद्योगिक ढाँचे में निजी क्षेत्र अपने विकास के लिए पूंजी मुख्यतया सरकार से ही प्राप्त करता रहा है। 'लोक उद्योग' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वित्तीय सस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र को वितरित सहायता तृतीय योजनाकाल में इस क्षेत्र के कुल स्थिर विनियोग (gross fixed investment) का 18.1 प्रतिशत थी, जबकि द्वितीय योजनाकाल में यह अनुपात 7.9 प्रतिशत तथा प्रथम योजनाकाल में 4.1 प्रतिशत ही था। यह तो सब जानते ही हैं कि जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट के अतिरिक्त अन्य सब सस्थाएँ अपने अधिकांश वित्तीय साधन सरकार से अथवा सरकार की सहायता से प्राप्त करती हैं। जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट जैसी सार्वजनिक सस्थाओं ने सकट के समय औद्योगिक प्रतिभूतियाँ खरीदकर निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों से भी इस क्षेत्र को काफी सहायता मिली है। इस प्रकार भारत में निजी क्षेत्र अपने विकास के लिए राज्य द्वारा दी गयी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करता रहा है, जबकि पाश्चात्य देशों में निजी क्षेत्र अपने लिए सहायता वित्त की व्यवस्था स्वयं ही करता है। भारत में इस स्थिति के लिए मुख्य कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था का अर्द्ध-विकसित स्वरूप बताया जाता है। परन्तु इससे तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य कुछ उद्यमहीन व्यक्तियों के हितों के वजाय सम्पूर्ण देश के हितों की रक्षा करे। आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निरन्तर विस्तार हो, न कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के विकास के लिए एक माध्यम का कार्य करे।

दत्त समिति ने मुझाव दिया है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी उद्योगों को दिये गये ऋणों को ईक्विटी शेयरों (equity shares) में बदल दिया जाय। औद्योगिक वित्त निगम को तो पहले से ही वैधानिक रूप से यह अधिकार प्राप्त है। निजी औद्योगिक क्षेत्रों में इस मुझाव का कड़ा विरोध किया गया है। औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष ने भी इस मुझाव का विरोध किया है और इसे अव्यावहारिक बताया है।

दत्त समिति के मुझाव के आधार पर सरकार ने मई 1971 में वित्त निगमों को निर्देशन दिये हैं कि 25 लाख रुपये तक के ऋणों में सम्बन्धित समझौतों में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तन-शीलता की शर्त जोड़ना आवश्यक नहीं है। 25 से 50 लाख रुपये के ऋण-समझौतों में इस प्रकार की शर्त जोड़ने के लिए वित्त निगम अपने निर्णय का प्रयोग करेंगे। परन्तु किसी एक इनाई को 50 लाख रुपये से अधिक ऋण देने पर समझौते में "सामान्यतः" यह शर्त जोड़ी जायेगी। यह शर्त केवल रूपों में दी गयी ऋण-राशि पर लागू होगी, विदेशी गुद्राओं में दिये गये ऋणों पर नहीं। स्पष्ट है कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट नीति बहुत उदार है। वास्तव में, सच्चे अर्थ में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना तभी होती है जब सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की उन औद्योगिक संस्थाओं की सम्पन्नता में भाग ले सके जो इससे सहायता प्राप्त करते हैं।

वित्तीय संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें। विशेष महत्व वाले उद्योगों के विकास के अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास में सन्तुलन स्थापित करने की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों अथवा राज्यों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को सहायता देने में प्राथमिकता दें। ये संस्थाएँ देश में मध्यम तथा लघु स्तरीय उद्योगों को उदारतापूर्वक सहायता देकर राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं। स्पष्ट है कि इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं के कार्य, नीति व उद्देश्यों में अनेक परिवर्तन या सुधार वरन होंगे।

निजी क्षेत्र में बड़े उद्योगों के विकास अथवा विस्तार के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ये जनता द्वारा की गयी दत्त अपनी ओर आकर्षित करे, अर्थात् ऐसे उपाय करे जिनसे जनता को उद्योगों में विनियोग करने के लिए उत्साहित किया जा सके। इसके लिए निर्गमन गृहों (Issue Houses), विनियोग न्यासों तथा यूनिट ट्रस्टों की स्थापना की जा सकती है और जनता द्वारा शेयरों के क्रय-विक्रय की अधिक सुविधा दी जा सकती है। परन्तु यह सब कुछ सम्भव तभी होगा जब निजी क्षेत्र जनता में अपने प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न कर पायेगा। उद्यमकर्तारों व प्रबन्धकों को चाहिए कि वे अपने हितों के साथ-साथ विनियोजकों के हितों को भी सामने रखें। जब तक औद्योगिक विकास के लिए निजी उद्यम का महत्व स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक उद्यमकर्ता समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 औद्योगिक वित्त-व्यवस्था के क्षेत्र में भारत में स्थापित विविध वित्तीय संस्थाओं के कार्यों पर प्रकाश डालिए।
[संकेत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्यों तथा उनकी सफलताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। मूल्य स उनके कार्यों के अर्थसाधक तत्त्वों का भी उल्लेख कीजिए।]
- 2 औद्योगिक वित्त के लिए स्थापित की गयी विविध वित्तीय संस्थाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए। इनका कार्य वहाँ तक समतोषजनक रहा है ?
[संकेत वित्तीय संस्थाओं के उद्देश्यों का वर्णन-जला उल्लेख कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि वे संस्थाएँ अपने उद्देश्यों की वहाँ तक पूर्ति कर पायी हैं। दूसरे भाग में बनाइए कि इन संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता की मात्रा काफी बड़ी है और इन्होंने औद्योगिक वित्त-व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है परन्तु इनके द्वारा दी गयी सहायता से मुख्य तथा बड़े उद्यमपरिषदों में ही लाभ उठाया है। इनके कार्यों तथा नीतियों में सुधार की आवश्यकता है।]
- 3 भारत में छोटे उद्योगों की वित्त-व्यवस्था के लिए शीन-बोनसे साधन हैं ? इन उद्योगों की पर्याप्त वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए क्या सुधार किये जायें ?
[संकेत छोटे उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले साधनों को ध्यान में रखिए। दूसरे भाग में सुविधाओं के विस्तार के लिए सुझाव दीजिए।]
- 4 टिपणियाँ लिखिए (क) औद्योगिक वित्त निगम, (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट।
[संकेत प्रत्येक संस्था के उद्देश्यों, साधनों, कार्यों, सफलताओं व समस्याओं पर प्रकाश डालिए।]

सप्तम खण्ड

राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग एवं रोजगार

[NATIONAL INCOME, SAVINGS,
INVESTMENT AND EMPLOYMENT]

“राष्ट्रीय आय तबत महत्वपूर्ण सूचक है जो किसी देश की आर्थिक सम्मान्य शक्तियों और जननत्या के जीवन-स्तर पर, अर्थ-व्यवस्था के तलेवर पर और साधनों के उपयोग तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था की प्रगतिशीलता के लक्षणों पर प्रकाश डालता है।”¹

—वी० कुदरोव

सभी आर्थिक क्रियाएँ किसी न किसी रूप में उत्पादन तथा आय से अवरुद्ध सम्बन्धित होती हैं। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभान (national dividend) किसी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। अर्थ-व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को इसी के द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा किसी राष्ट्र के आर्थिक बल्याण, उसके विकास के स्तर तथा विकास की सम्भावनाओं का बहुत कुछ अनुमान प्राप्त हो सकता है।

राष्ट्रीय आय की परिभाषा

राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभान से अभिप्राय साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की विद्युद्ध मात्रा से होता है। दोहरी गिनती से बचने के लिए केवल अन्तिम वस्तुओं का मूल्य ही आँका जाता है। विदेशों से प्राप्त होने वाली विद्युद्ध आय भी इसी में जोड़ी जाती है।

राष्ट्रीय आय की विचारधारा से सम्बन्धित विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाये हैं। मार्शल, पीगू तथा फिजर द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कोलिन क्लार्क तथा कुजनेट्स के विचार भी काफी महत्वपूर्ण हैं।

मार्शल की परिभाषा

मार्शल के अनुसार, “देश का धन और पूँजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक तथा अर्थिक वस्तुओं के शुद्ध योग का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं, उत्पादन करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय, आगम या राष्ट्रीय लाभान होता है।”² मार्शल द्वारा उत्पादन के शुद्ध योग पर बल दिया गया, क्योंकि उन्होंने उत्पादन क्रिया में लग हुए धन तथा अन्य पंजीगत

1 “National income is the most important synthetic indicator which characterizes the country's economic potential and the living standard of the population, the structure of the economy and also the progressiveness of a social system from the standpoint of utilization of resources and economic growth rates” —V. Kudrov ‘On Methods of Comparing National Incomes of U.S.S.R. and U.S.A.’, *International Socialist Miscellany*, p. 35, No. 1, 1961

2 “The labour and capital of the country, acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend” —Marshall *Principles of Economics*, p. 523.

पदार्थों की घिसावट अथवा क्षय (depreciation) को कुल उत्पादन के योग में से घटा देना आवश्यक समझा था।¹ उनका विचार था कि कच्चे माल तथा अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर किये गये व्यय को भी कुल उत्पादन में से घटा दिया जाय। विदेशी विनियोगों में प्राप्त हुई शुद्ध आय इममें जाड़ देनी चाहिए। अपनी विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करते हुए मार्शल ने लिखा कि राष्ट्रीय लाभांश में उन वस्तुओं को, जिन्हें व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को बिना मूल्य प्रदान करता है तथा अपनी निजी सम्पत्ति से अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति से वह जो लाभ प्राप्त करता है (जैसे चुगो से मुक्त पुलों की सुविधा), सम्मिलित नहीं करना चाहिए।² मार्शल की विचारधारा के अन्तर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी नवीन वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि मार्शल के विचार में किसी एक वर्ष का कुल उत्पादन ही उस वर्ष का कुल उपभोग है।

आलोचना—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मार्शल की परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मन्तोपजनक है क्योंकि इसे शुद्ध वैज्ञानिक आधार देने का प्रयत्न किया गया है। यह सरल और स्पष्ट है और महज ही इसका खण्डन नहीं किया जा सकता है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करने पर कई कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, जिनके कारण इस परिभाषा की आलोचना की जाती है।

(1) सही गणना में कठिनाई—एक वर्ष में विभिन्न प्रकार की असह्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और प्रत्येक की विभिन्न किस्में होती हैं। व्यावहारिक रूप में सम्पूर्ण उत्पादन की गणना कर लेना कोई सहज कार्य नहीं है। एक नियमित अर्थ-व्यवस्था की तुलना में एक स्वतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रात्मक अर्थ-व्यवस्था में गणना की कठिनाई और भी अधिक होती है, क्योंकि असह्य छोटे-बड़े साहसी व्यक्तिगत रूप से असम-अलग उत्पादन कार्य करते हैं।

(2) विनियम में न आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की समस्या—कुछ ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ भी होती हैं जो विनियम के लिए बाजार में आती ही नहीं और उनका सीधा उपभोग हो जाता है। जो वस्तु बाजार में विक्रय के लिए आयेगी ही नहीं, उसका मूल्यांकन करना एक अत्यन्त कठिन समस्या है। इस प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में काफी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है जो उपयोगी तथा दुर्लभ होते हुए भी मुद्रा के सम्पर्क में नहीं आती हैं और उनका मूल्य-निर्धारण नहीं हो पाता है। इस प्रकार की सभी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना एक कठिन समस्या है।

(3) दोहरी गणना की सम्भावनाएँ—यद्यपि मार्शल ने राष्ट्रीय आय की सही गणना करने के उद्देश्य से उत्पादन के 'शुद्ध योग' (net aggregate) पर काफी बल दिया है, परन्तु इससे गणना करने में दोहरे योग (double counting) की सम्भावना समाप्त नहीं होती है। वास्तव में, कच्चे माल तथा अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में तो दोहरी गणना की सम्भावना बहुत ही अधिक रहती है। उदाहरणतया, यह एक साधारण-भी गलती है कि कृषि-उत्पादन का अनुमान लगाते समय बन्ने तथा कपास की मात्रा को उसमें सम्मिलित कर लिया जाय और फिर औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इनसे बनायी गयी चीनी और कपड़े को भी शामिल कर लिया जाय। यही स्थिति अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं (intermediate goods) के सम्बन्ध में भी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मार्शल की परिभाषा उचित होने हुए भी उपर्युक्त व्यावहारिक कठिनाइयों में युक्त है।

प्रो० पीगू की परिभाषा

प्रो० पीगू के शब्दों में, " राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत या भौतिक आय का,

1 "If we look chiefly at the income of a country, we must allow for the depreciation of the sources from which it is derived —Marshall *Principles of Economics*, p 80

2 *Ibid*, p 524

जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित की जाती है, वह अर्थ है जिसका माप मुद्रा में हो सकता है।¹ प्रो० पीगू ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनका वास्तव में मुद्रा के बदले में विन्य होना है।² इस प्रकार, प्रो० पीगू की विचारधारा के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय तथा मुद्रा के मापदण्ड द्वारा मापी जा सकने वाली आय सम्मिलित की जा सकती है। इनमें से उन वस्तुओं तथा भौतिक सेवाओं को निकाल देना होगा जिन्हें पहले गिना जा चुका है ताकि उनकी गणना दो बार न हो। उन वस्तुओं तथा सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जायगा जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ, एक नीकरानी को अपनी सेवा के बदले में प्राप्त होने वाला वेतन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जायगा। परन्तु यदि उसका भौतिक उसके साथ विवाह कर ले तो उसकी सेवा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि उसे अब वेतन नहीं मिल रहा है।

आलोचना—प्रो० पीगू ने मुद्रा के मापदण्ड के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की विचारधारा को अधिक निश्चित, व्यावहारिक तथा उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया है ताकि मार्शल की परिभाषा के एक बड़े दोष को दूर किया जा सके। परन्तु पीगू की विचारधारा सैद्धान्तिक आधार पर दोषपूर्ण है। इसकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

(1) वस्तुओं तथा सेवाओं में एक कृत्रिम भेद—मुद्रा में मापी जाने वाली और न मापी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं में कोई वास्तविक अन्तर न होकर केवल कृत्रिम भेद है। स्वयं पीगू के शब्दों में, “त्रय की जाने वाली वस्तुओं और त्रय न की जाने वाली वस्तुओं में परस्पर कोई आधारभूत अन्तर नहीं होता और त्रय न की जाने वाली सेवा क्रियाशील सेवा से परिवर्तित हो सकती है और इसकी विपरीत दशा भी सम्भव है।”³ यह स्वीकार कर लेने के पश्चात् भी इस प्रकार का भेद करना एक गलती है। वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक महत्व तो उनके द्वारा आर्थिक कल्याण की मात्रा को प्रभावित करने में है, न कि मुद्रा द्वारा मापे जाने में।

(2) राष्ट्रीय आय में अनिश्चितता—प्रो० पीगू की राष्ट्रीय आय की गणना से सम्बन्धित विचारधारा अनेक असंगतियों को जन्म देती है और राष्ट्रीय आय के क्षेत्रों को कुछ अनिश्चितता बना देती है। कृषि से प्राप्त आय उत्पादन के आधार पर नहीं बल्कि विप्रे की आधार पर आंकी जायगी। स्त्रियों द्वारा मजदूरी के उपलक्ष में किया गया कार्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा, परन्तु माँ अथवा पत्नी के रूप में उनके द्वारा किये गये कार्यों की गणना नहीं की जायगी। अवैतनिक कर्मचारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं आदि के कार्यों को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जायगा। यदि लोग अपनी उत्पादित वस्तुओं का उपभोग बढ़ा दें तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय आय कम हो गयी है और न ही उनके द्वारा सम्पूर्ण उत्पादित माल बेच देना राष्ट्रीय आय में वृद्धि का सूचक है। प्रत्येक सेवा का मुद्रा में मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सेवा के लिए मौद्रिक आय प्राप्त करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

(3) सकृचित क्षेत्र—प्रो० पीगू की विचारधारा के अनुसार न केवल अनेक प्रकार की वस्तुएँ तथा सेवाएँ राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं, बल्कि मुद्रा-रहित अर्थ व्यवस्था में तो इस विचारधारा का कोई महत्व ही नहीं रहता। विगेष रूप से अर्द्ध विकसित देशों में जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं के बहुत सारे भुगतान मुद्रा के माध्यम से नहीं चुकाये जाते हैं, वहाँ

1 “ the national dividend is that part of the objective income of the community including of course, income derived from abroad, which can be measured in money —A C Pigou *Economics of Welfare*, p 31

2 “ those goods and services should be included (double counting of course being avoided), and only those, that are actually sold for money —A C Pigou *Economics of Welfare*, p 32

3 “The bought and unbought kind do not differ from one another in any fundamental respect, and frequently an unbought service is transformed into a bought one, and vice versa —A C Pigou *Economics of Welfare*, p 32

राष्ट्रीय आय की गणना प्रो० पीगू की विचारधारा के अनुसार नहीं की जा सकती है। मुद्रा के मापदण्ड का सहारा लेकर प्रो० पीगू ने अपनी परिभाषा के क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक मकुचित कर दिया है।

इस प्रकार, प्रो० पीगू द्वारा प्रतिपादित परिभाषा संद्वान्तिक रूप से नुटिपूर्ण है और इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

फिशर की परिभाषा

इरविंग फिशर (Irving Fisher) ने मार्शल तथा पीगू से विलकुल भिन्न आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। जबकि मार्शल तथा पीगू ने वार्षिक उत्पत्ति के आधार पर परिभाषा दी है, फिशर न उपभोग की मात्रा को आधार माना है। फिशर के शब्दों में, "राष्ट्रीय लाभस अथवा आय के अन्तर्गत केवल उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अन्तिम उपभोक्ताओं को अपने भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त होती है। इस प्रकार एक पियानो या लवादा जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है बल्कि पूँजी में एक वृद्धि है। केवल उतनी ही सेवा जो इन वस्तुओं द्वारा मुझे इस वर्ष प्रदान की जायेगी, आय होगी।"¹

स्पष्ट है कि प्रो० फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश के वार्षिक उत्पादन से नहीं, बल्कि वार्षिक उपभोग की मात्रा से निश्चित होती है। यदि 1971 में दो हजार रुपये के मूल्य का एक पियानो तैयार किया जाता है तो मार्शल तथा पीगू के अनुसार दो हजार रुपये की राशि को 1971 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जायगा। परन्तु फिशर के अनुसार उस वर्ष में पियानो के उपभोग के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, न कि सम्पूर्ण दो हजार रुपये के मूल्य को। यदि पियानो का प्रयोग 20 वर्ष तक किया जा सकता है तो प्रति वर्ष पियानो के उपभोग का मूल्य 100 रुपये होगा। वार्षिक राष्ट्रीय आय में केवल 100 रुपये ही जोड़े जाने चाहिए।

आलोचना—देखने में प्रो० फिशर द्वारा प्रतिपादित परिभाषा मार्शल तथा पीगू की परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक तर्कपूर्ण तथा सही प्रतीत होती है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह परिभाषा भी त्रुटियाँ से रहित नहीं है।

(1) अनुविधाजनक—उत्पादकों की अपेक्षा उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और वे दूर-दूर तक फैले होते हैं। उनके द्वारा किये गये उपभोग की माप करना उत्पादन के माप की अपेक्षा अधिक कठिन कार्य है। वर्ष भर में उपभोग में आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची तैयार करना तथा कुल उपभोग के आंकड़े इकट्ठे करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है।

(2) व्यावहारिक—अधिकतर टिकाऊ वस्तुओं के जीवन का उचित अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी वस्तु का जीवन उसके प्रयोग करने के तरीके तथा बरती गयी सावधानी पर निर्भर करता है। वस्तुओं के स्वामित्व में परिवर्तन होते रहने के कारण उनके निर्माण की तिथि का पता लगाने में भी कठिनाई हो सकती है। व्यावहारिक रूप में यह ज्ञात करना बहुत कठिन होता है कि किसी वर्ष में उपभोक्ताओं को वस्तुओं से कितनी सेवा प्राप्त हुई है।

(3) दोहरी गणना—दोहरी गणना की सम्भावना इस परिभाषा में भी व्याप्त है। अतः यदि उपभोग के अनुमान लगा भी लिये जायें तो यह आवश्यक नहीं कि हमारे निष्कर्ष पूर्णतया सत्य हों।

उपर्युक्त व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण फिशर की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत कठिन है।

उपर्युक्त परिभाषाओं की तुलनात्मक श्रेष्ठता

मार्शल तथा पीगू द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ उत्पादन पर आधारित

1 " national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from human environment. Thus, a piano or an overcoat made for me this year is not a part of this year's income but an addition to capital. Only the services rendered to me during this year by these things are income —Irving Fisher *The Nature of Capital and Income*, p. 104

हैं। इन दोनों परिभाषाओं में अन्तर केवल इतना है कि राष्ट्रीय आय में प्रो० पीगू केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित करना चाहते हैं जिन्हें मुद्रा के मापदण्ड द्वारा नापा जा सकता है। दूसरी विचारधारा प्रो० फिशर की है जो उपभोग पर आधारित है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन तीनों परिभाषाओं में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौनसी है? वास्तव में, तीनों ही परिभाषाओं के अपने-अपने गुण दोष हैं। इनमें से किसी परिभाषा का सर्वश्रेष्ठ होना इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय की गणना का उद्देश्य क्या है। यदि हमारा उद्देश्य देश में आर्थिक कल्याण (economic welfare) की मात्रा की माप करना हो, तो प्रो० फिशर की परिभाषा उत्तम होगी। उपभोग-मूल्य पर आधारित होने के कारण फिशर की परिभाषा एक ऐसे भौतिक सूचक (objective index) को व्यक्त करती है जिसके सहारे आर्थिक कल्याण की माप की जा सकती है। यदि हमारा उद्देश्य आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारणों तथा विभिन्न घटकों (factors) पर विचार करना है, तो फिशर की परिभाषा की अपक्षा मार्शल तथा पीगू की परिभाषाएँ श्रेष्ठ होंगी। यह परिभाषाएँ उत्पादन की मात्रा पर आधारित हैं और भविष्य में उपभोग की मात्रा द्वारा ही निरिच्छत होती हैं। वास्तव में, आर्थिक कल्याण और आर्थिक कारण एक-दूसरे से कुल उपभोग (total consumption) के द्वारा सम्बन्धित होते हैं, न कि तत्कालीन उपभोग (immediate consumption) द्वारा।¹

जहाँ तक मासूल तथा पीगू की परिभाषाओं में परस्पर श्रेष्ठता का प्रश्न है, मार्शल की परिभाषा अधिक विस्तृत और सैदान्तिक दृष्टिकोण से अधिक उचित है। यथार्थ में, यदि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध उत्पादन की किसी प्रकार गणना हो सके तो सम्भवतः पीगू ने मार्शल के दृष्टिकोण को ही स्वीकार कर लिया होता। पीगू द्वारा दी गयी परिभाषा में त्रुटियाँ होने पर भी इसे अधिक व्यावहारिक कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पीगू की परिभाषा अपूर्ण होते हुए भी अधिक व्यावहारिक है इसलिए इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी कहा जा सकता है।
कुछ अन्य विचार

प्रो० पीगू के राष्ट्रीय आय सम्बन्धी दृष्टिकोण से मिलते जुलते विचार प्रो० कोलिन क्लार्क (Colin Clark) ने व्यक्त किये हैं। उनके शब्दों में, "किसी समय विशेष में राष्ट्रीय आय उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य द्वारा सूचित की जाती है जो उस समय विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का यह मूल्य उनके प्रचलित विकल्प-मूल्य पर निर्वाला जाता है। इसमें पूँजी की उस वृद्धि को जोड़ा जाता है जिसका मूल्य नवीन पूँजीगत माल के रूप में भुगतान कर दिया गया है। इसमें से पूँजीगत माल के क्षय तथा विकृष्टीकरण के व्यय को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार स्टॉक में नुद्ध जोड़े जाने वाले तथा उसमें घटाये जाने वाले तत्वों का मूल्य उनकी प्रचलित कीमतों के आधार पर लगाया जाता है।"²

उपर्युक्त परिभाषा के विपरीत प्रो० साइमन कुजनेट्स (Simon Kuznets) ने फिशर की परिभाषा से मिलते-जुलते विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार, 'राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं की वह विद्युद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन-प्रणाली में अन्तिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचती है अथवा देश की पूँजीगत वस्तुओं के स्टॉक में विद्युद्ध रूप में वृद्धि करती है।'³

भारत में राष्ट्रीय आय समिति ने सन् 1951 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था

1 'It is through total consumption and not immediate consumption that economic welfare and economic causes are linked together —A C Pigou *Economics of Welfare*
2 Colin Clark *The National Income*, pp 1-2
3 "National income is the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system into the hands of the ultimate consumers or into net additions to the country's stock of capital goods —Simon Kuznets *Economic Change*, p 143

कि "राष्ट्रीय आय के अनुमान से, बिना दोहरी गणना के, एक दो हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा का माप किया जाता है।"¹

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। शुद्ध मूल्य की गणना के लिए कुल मूल्य में से अपकर्ष (depreciation) घटा दिया जाता है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि कोई गणना दो बार न हो।

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी मुख्य धारणाएँ

राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण धारणाएँ (concepts) निम्नलिखित हैं

(1) कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product or G N P)—किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं (final goods and services) के मूल्यों के जोड़ को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन बातें महत्वपूर्ण हैं

1 कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वष भर में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। मौद्रिक मूल्य के आधार पर ही विभिन्न वर्षों में उत्पादन की मात्रा में तुलना की जाती है।

2 इसमें केवल अन्तिम वस्तुओं तथा अन्तिम सेवाओं के मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। माध्यमिक वस्तुओं तथा सेवाओं (intermediate goods and services) अर्थात् ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं, मूल्य को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। दोहरी गणना से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

3 कुल राष्ट्रीय उत्पादन में अनुत्पादक सौदे (unproductive transactions) को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय सौदे (अर्थात् स्टॉक्स एवं शेयर्स के क्रय-विक्रय), पुरानी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के सौदे तथा हस्तांतरण भुगतान (transfer payments) इत्यादि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में नहीं जोड़े जाते हैं।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाने के दो तरीके हैं

1 व्यय अथवा उत्पादन के दृष्टिकोण से अनुमान (Expenditure or Output Approach)—इसके अन्तर्गत चार प्रकार की राशियाँ जोड़ी जाती हैं (क) व्यक्तिगत उपभोग व्यय (Personal Consumption Expenditure) अर्थात् लोगों द्वारा निजी उपभोग पर किया गया कुल व्यय, (ख) सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय पर किया गया कुल व्यय (Government Purchases), (ग) कुल देशी निजी विनियोग (Gross Domestic Private Investment), तथा (घ) शुद्ध विदेशी विनियोग (Net Foreign Investment)।

2 आय दृष्टिकोण से अनुमान (Income Approach)—इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया व्यय मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ के रूप में लोगों की आय बन जाता है। परन्तु कुल व्यय में ऐसे दो तत्व सम्मिलित होते हैं जो लोगों को आय के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाते—प्रथम, परोक्ष कर (indirect taxes) तथा दूसरे पूंजीगत वस्तुओं की घिसाई के कारण हुआ मूल्य ह्रास (depreciation)। अतः आय दृष्टिकोण से लगाया गया अनुमान व्यय दृष्टिकोण से लगाये गये अनुमान की तुलना में कम बैठता है।

(2) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product or N N P)—कुल राष्ट्रीय उत्पादन (G N P) में से पूंजीगत वस्तुओं अर्थात् मशीनों आदि की घिसाई-पिटाई के कारण हुए मूल्य ह्रास को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। चूँकि इसकी गणना बाजार भावी से की जाती है इसलिए इसे 'बाजार-मूल्यों पर राष्ट्रीय आय' (National Income at Market Prices) भी कहते हैं। अतएव $NNP = GNP - Depreciation$

1 "A national income estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period, counted without duplication —National Income Committee, First Report, 1951

(3) साधन-लागत पर राष्ट्रीय आय (National Income at Factor Cost)—शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (NNP) में से उत्पत्ति के विभिन्न साधनों से प्राप्त लगान, व्याज, मजदूरी तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय के कुल जोड़ में से सरकार को दिये गये परोक्ष करों की राशि घटा देने से साधन-लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। यह तो हम बता ही चुके हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है। साधन-लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों की राशि को निकाल दिया जाता है तथा कुल वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन पर सरकार द्वारा दिये गये उपदान (subsidy) की राशि को जोड़ लिया जाता है। अतएव, National Income at Factor Cost = NNP or National Income at Market Prices — Indirect Taxes + Subsidies

(4) वैयक्तिक आय (Personal Income)—एक वर्ष की अवधि में उत्पत्ति के साधनों द्वारा कमायी गयी आय में से कई प्रकार की कटौतियों के पश्चात् देश में व्यक्तियों अथवा परिवारों को जिनकी आय वास्तव में प्राप्त होती है उसे वैयक्तिक आय कहते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार को दिये गये कर अथवा वेतनभोगियों से प्राविडेण्ट फण्ड आदि के रूप में की गयी कटौतियाँ राष्ट्रीय आय में से घटा दी जाती हैं। सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकार के भत्ते (allowances) जो किसी उत्पादन कार्य के बदले में नहीं दिये जाते, हस्तान्तरण भुगतान (transfer payments) कहलाते हैं। वैयक्तिक आय का अनुमान लगाने समय इनको राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया जाता है। अतएव, Personal Income = National Income — Social Security Contributions + Transfer Payments

(5) उपभोग्य आय (Disposable Income)—व्यक्ति या तथा परिवारों को उपलब्ध वैयक्तिक आय में से सरकार द्वारा लगाये गये वैयक्तिक करों (personal taxes) को निकाल देने के पश्चात् जो आय शेष बचती है उसे उपभोग्य आय कहते हैं, क्योंकि यह आय उपभोग पर व्यय की जा सकती है। अतः Disposable Income = Personal Income — Personal Taxes। परन्तु व्यवहार में इस प्रकार की आय पूर्णतः उपभोग पर ही व्यय नहीं की जाती है बल्कि इसका एक भाग सौम्य बचत के रूप में भी अपने पास रखा है। इसलिए, Disposable Income = Consumption + Saving

राष्ट्रीय आय के माप की विधियाँ

राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं

(1) उत्पादन-गणना विधि (Census of Production Method)—इसके अन्तर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। कुल उत्पादन में से पूंजी की घिसावट तथा मूल्य-ह्रास (depreciation) तथा माध्यमिक वस्तुओं (intermediate goods) का मूल्य घटा देने से शुद्ध उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है। इतग विवेका से प्राप्त आय जोड़ने से शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। उत्पादन-गणना विधि को वस्तु-सेवा विधि (Commodity Service Method) भी कहा जाता है, क्योंकि सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्या का योग अन्तिम उत्पादन योग (final products total) बनता है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है।

स्मरण रह कि उत्पादन-गणना विधि एक लम्बी और कठिन रीति है जो उन्हीं देशों में सफल होती है जहाँ उत्पादन के सही आँकड़े उपलब्ध होते हैं। इन विधि में यह विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है कि (1) किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य की दोहरी गणना न हो, (2) सम्पूर्ण उत्पादन में से पूंजी का मूल्य हान घटा दिया जाय, तथा (3) विदेशी लेन-देन को भी इसमें सम्मिलित किया जाय।

(2) आय-गणना विधि (Census of Income Method)—इस विधि के अन्तर्गत देश में उत्पात्ति के सभी साधनों की आय (लगान, मजदूरी, व्याज तथा लाभ) का जोड़ लगाया जाता है। गणना करते समय ऐसे भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता जिनसे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। इस विधि से देश में आय के वितरण की जानकारी प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह विधि विकसित देशों के लिए ही अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि आय-कर न देने वालों की आय का सही अनुमान लगाना एक अत्यन्त कठिन कार्य होता है।

(3) व्यय गणना विधि (Census of Expenditure Method)—राष्ट्रीय आय उपभोग व बचत के जोड़ के बराबर होती है। व्यय-गणना विधि के अन्तर्गत लोगों द्वारा उपभोग की गयी वस्तुओं का 'उपभोग मूल्य' ज्ञात किया जाता है और फिर इसमें उनकी कुल बचत का मूल्य जोड़ लिया जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोगों द्वारा उपभोग पर व्यय की गयी रकम का पता लगाना कठिन होता है और बचत का अनुमान लगाना भी सरल नहीं होता। यह कठिनाई अर्द्ध-विकसित देशों में और भी अधिक होती है जहाँ लोग बचत को अनुत्पादक रूप से संचित करते हैं।

(4) सामाजिक लेखा विधि (Social Accounting Method)—प्रो० रिचार्ड स्टोन (Richard Stone) द्वारा प्रतिपादित इस रीति के अनुसार देश की जनसंख्या को आय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक वर्ग के कुछ लोगों की आय ज्ञात कर एक औसत निकाल लिया जाता है। उस वर्ग की कुल जनसंख्या को इस अनुमानित औसत आय से गुणा कर देने पर उस वर्ग की सम्पूर्ण आय ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न वर्गों द्वारा प्राप्त कुल आय का योग राष्ट्रीय आय होता है।

सामाजिक लेखा रीति का प्रयोग तभी सम्भव हो सकता है जबकि सभी वर्गों के लोग तथा संस्थाएँ अपनी आय का सही हिस्सा-किताब रखें। अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ इस प्रकार के हिस्सा-किताब ठीक प्रकार से नहीं रखे जाते, इस रीति का प्रयोग सीमित रहना स्वाभाविक है।

उपर्युक्त विधियों के अनिश्चित राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कुछ अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। व्यावसायिक गणना विधि (Census of Occupation Method) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रो० कुजनेट्स (Kuznets) ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए तीन विधियों का उल्लेख किया है—वस्तु-सेवा विधि (Commodity Service Method), आय-प्राप्त विधि (Income Received Method), तथा उपभोग बचत विधि (Consumption-Saving Method)। इन विधियों का मिश्रित प्रयोग भी सम्भव होता है, जैसा कि डॉ० वी० के० आर० वी० राव ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में उत्पादन-विधि तथा आय-विधि का मिश्रित प्रयोग किया था। आजकल प्रायः उत्पात्ति-गणना विधि का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और व्यावहारिक है तथा इसमें दोहरी गणना का भय कम रहता है।

राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का महत्व

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों का महत्व आज के युग में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अर्थ-व्यवस्था के सभी अंग किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय आय के मूजन में निरन्तर लगे हुए हैं और राष्ट्रीय आय समस्त अर्थ-व्यवस्था का सही सूचक बनकर सामाजिक आय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय आय का ज्ञान मुख्यतः निम्नलिखित दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है—

(1) अर्थ-व्यवस्था का सही एवं व्यापक चित्र—किसी देश की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से उस देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हमें ज्ञात होता है कि देश में विभिन्न व्यवसायों की क्या दशा है तथा देश के प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय

साधनों का कहीं तक और वैसा उपयोग हो रहा है। न केवल राष्ट्रीय आय के स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है बल्कि यह भी पता चलता है कि देश में विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय आय का वितरण किम प्रकार हो रहा है। राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का औसत अनुमान लगाया जाता है और लोगों के जीवन-स्तर के बारे में काफी सही अनुमान प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) आर्थिक प्रगति की माप—किसी देश के व्यक्तियों, वर्गों तथा क्षेत्रों द्वारा की गयी आर्थिक प्रगति की सूचना राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से प्राप्त होती है। इनके अभाव में हमें रोजगार की स्थिति, विदेशी व्यापार की स्थिति अथवा औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन आदि को मापक के रूप में अपनाना होगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि ये सूचक राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के साथ काम कर सकते हैं, उनके स्थान पर नहीं। वाजकल सभी देशों में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाना आवश्यक समझा जाता है।

(3) आर्थिक नीति का निर्धारण—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों के आधार पर ही देश में सन्तुलित आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इनके आधार पर भविष्य के लिए भी अनुमान लगाये जाते हैं जो व्यावसायिक क्रियाओं को विकास तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा बजट बनाने समय कर-दान क्षमता (taxable capacity) निर्धारित करते समय भी राष्ट्रीय आय का ज्ञान आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि किन वर्गों तथा किन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

(4) आर्थिक प्रवृत्तियों को दिशा-निर्देशन—आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर अधिक भाग बचाकर विनियोग करना होता है। राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि स्थायित्वपूर्ण विकास के लिए कितना विनियोग करना होगा। इसी के अनुसार आर्थिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित होती हैं तथा विविध वित्तीय, मौद्रिक तथा मजदूरी एवं रोजगार सम्बन्धी नीतियाँ अपनायी जाती हैं। प्राकृतिक तथा अन्य साधनों के सही विदोहन एवं प्रयोग, नये साधनों की खोज, प्रतिस्थापन तथा उत्पादन-प्रणालियों में सुधार आदि से सम्बन्धित प्रवृत्तियाँ बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी स्थिति द्वारा प्रभावित होती हैं।

(5) तुलनात्मक समीक्षा—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सहायता से प्रत्येक वर्ग, क्षेत्र तथा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की तुलना अन्य वर्गों, क्षेत्रों तथा राष्ट्रों से की जा सकती है। एक ही वर्ग, क्षेत्र तथा देश की विभिन्न समयों में आर्थिक दशा की तुलना करने में भी इन आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

(6) राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण—हैबर्लर के शब्दों में, "अन्य बातें समान होने पर यदि राष्ट्रीय आय अधिक है तो आर्थिक कल्याण भी अधिक होगा।" चूँकि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का बैरोमीटर (barometer) माना जाता है, अतः आर्थिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी कुल कल्याण को अवश्य प्रभावित करती है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव उनका वातों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे उत्पादन का स्वरूप, लोगों का त्याग, आय का वितरण, देश में मौद्रिक प्रयोग की व्यापकता, लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रवृत्ति, इत्यादि। मौद्रिक आय (money income) बढ़ जाने पर भी यदि वास्तविक आय (real income) में वृद्धि नहीं होती तो आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार, यदि बढती हुई आय का अधिकांश भाग थोड़े-से लोगों में ही बँट जाता है तो आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से यह वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है।

1 "other things being equal, economic welfare is greater, if national income is greater."
—Haberler 'National Income, Saving and Investment 10 Studies in Income and Wealth, Vol II, p 140

राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सीमाएँ

राष्ट्रीय आय की गणना में सम्बन्धित अनेक कठिनाइयों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन कठिनाइयों के कारण ये आँकड़े एक मोटा-मा अनुमान माने जाते हैं। अतः इनके आधार पर किसी स्थिति का विलकुल सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और हमारे निष्कर्षों तथा विश्लेषणों में अन्तर आ सकता है।

अल्प-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय के अनुमान और भी अधिक अपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन देशों में अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग अमुद्रीकृत (non-monetised) होता है, अर्थात् बहुत कुछ विनिमय मुद्रा के प्रयोग के बिना ही होता है।

राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं की विविधता तथा गणना की विविध प्रणालियों के कारण विभिन्न देशों के राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की तुलना सम्भव नहीं होती है। सभी देशों की अर्थ-व्यवस्था में समान रूप में मौद्रिक व्यवस्था न होने के कारण उनके राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े समान आधार पर नहीं होते। मुद्रा की त्रय-शक्ति भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। आय के वितरण तथा उपभोग के स्वरूप में भी अन्तर होते हैं।

दूसरे प्रकार एक ही देश में भिन्न-भिन्न समय में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करना भी कठिनाइयों से रहित नहीं होता। समय-समय पर कीमत-स्तर में परिवर्तन होते रहने के कारण सालू कीमतों (current prices) में व्यक्त की गयी राष्ट्रीय अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना नहीं की जा सकती। कालान्तर में उपभोग के ढाँचे में परिवर्तन होने से भी तुलना में कठिनाई होती है। राष्ट्रीय आय में केवल उत्पादन का मूल्य प्रकट होता है, न कि उपभोग की मात्रा, जिस पर जीवन स्तर निर्भर करता है।

वास्तविकता यह है कि प्राकृतिक सुविधाओं द्वारा प्रदत्त लाभ, जनसाधारण के त्याग, विभिन्न सामाजिक सुविधाओं द्वारा प्राप्त सेवाओं के फल, प्रयत्नों तथा अवकाशों से प्राप्त लाभों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं।

भारत की राष्ट्रीय आय

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय के कुछ गैर-सरकारी अनुमान लगाये गये। सर्वप्रथम सन् 1868 में दादाभाई नौरोजी ने अनुमान लगाने का प्रयास किया था। उनका अनुमान था कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये थी। 1899 में विलियम टिगनी ने ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान 18 रुपये लगाया था। सन् 1900 के लिए लॉर्ड कर्जन का अनुमान 30 रुपये था। इसके उपरान्त कई अन्य अनुमान विभिन्न वर्षों में लगाये गये जिनमें फिण्डले शिराज, वाडिया तथा जोशी, साहू तथा खन्वाजा, वी० के० आर० थी० राव तथा आर० सी० देसाई द्वारा लगाये गये अनुमान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह स्पष्ट बन देना आवश्यक है कि येष्ट आँकड़ों पर आधारित न होने के कारण ये अनुमान अधिक विश्वसनीय नहीं थे। गणना के लिए अपनायी गयी रीति तथा आँकड़ों में अन्तर होने के कारण एक ही वर्ष में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आय के अनुमान अलग-अलग दिये गये। वास्तव में, इन अनुमानों को केवल मात्र पद्धति के दोष के रूप में स्वीकार किया जाता है, न कि तथ्यों की वास्तविकता के रूप में। डॉ० राव द्वारा दिये गये अनुमान अन्य सबसे अधिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनके अनुसार सन् 1925-26 में प्रति व्यक्ति आय 76 रुपये थी जो 1931-32 में 65 रुपये ही रह गयी। 1942-43 में यह 114 रुपये हो गयी।

राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee)—राष्ट्रीय आय की गणना के अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वस्त अनुमान लगाने के प्रयास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त ही किये गये। अगस्त 1949 में प्रो० पी० सी० महालनोबिस की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की गयी। प्रो० गाडगिल तथा डॉ० राव इस समिति के

सदस्य थे। प्रो० साइमन कुजनेट्स, श्री जे० आर० एन० स्टोन तथा डॉ० डकैमन जैसे विदेशी विशेषज्ञों की सलाह इस समिति को उपलब्ध थी।

राष्ट्रीय आय समिति के प्रमुख कार्य राष्ट्रीय आय तथा सम्बन्धित तथ्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना, राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार तथा नवीन आंकड़ों के सग्रह सम्बन्धी सुझाव देना तथा राष्ट्रीय आय सम्बन्धी शोध-कार्य के लिए सुझाव देना था। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अन्तिम रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट में सन् 1948-49 में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये। अन्तिम रिपोर्ट में 1948-49 के लिए मशोघिन अनुमान दिये गये तथा 1949-50 और 1950-51 की राष्ट्रीय आय के अनुमान एवं उनके विरलेपण प्रस्तुत किये गये। रिपोर्टों में राष्ट्रीय आय की धारणाओं, सांख्यिकीय श्रोतों, सामग्री एवं अनुमानों के निर्माण की विधि पर विचार किया गया था और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में प्रयुक्त मूलभूत आंकड़ों में सुधार के उपाय सुझाये गये थे। समिति ने अनुमान लगाने में वित्त मन्त्रालय में स्थापित राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit) की सहायता ली थी। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय आय का वार्षिक अनुमान लगाने का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) को सौंप दिया गया है जो प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय पर एक परिपत्र (Annual White Paper on National Income) प्रकाशित करता है।

परम्परागत तथा संशोधित श्रृंखलाएँ (Conventional and Revised Series)—1951 के पश्चात् केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित चानू तथा स्थिर (सन् 1948-49) कीमतों पर राष्ट्रीय आय के अनुमान राष्ट्रीय आय समिति द्वारा अपनाये गये विधियों पर ही आधारित थे। परन्तु समय-समय पर कार्य-विधि में सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते रहे। इनके आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने अगस्त 1967 में सन् 1960-61 से 1964-65 तक की अवधि के लिए चानू एवं स्थिर (1960-61) कीमतों पर राष्ट्रीय आय की संशोधित श्रृंखला (revised series) पर एक पुस्तिका प्रकाशित की। राष्ट्रीय आय के अनुमानों की परम्परागत श्रृंखला (conventional series) जिसका तेरहवाँ तथा अन्तिम परिपत्र मार्च 1966 में प्रकाशित किया गया था और जिसमें 1964-65 तक की राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये थे, राष्ट्रीय आय की संशोधित श्रृंखला प्रारम्भ हो जाने से समाप्त कर दी गयी है। इस प्रकार, भारत में इस समय राष्ट्रीय आय की दो श्रृंखलाएँ (series) उपलब्ध हैं।

(1) परम्परागत श्रृंखला जिसमें स्थिर कीमतों (constant prices) का आधार वर्ष (base year) 1948-49 है, तथा (2) संशोधित श्रृंखला, जिसमें स्थिर कीमतों का आधार वर्ष 1960-61 है। सन् 1960-61 तथा इसके बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आय के आंकड़े संशोधित श्रृंखला में ही उपलब्ध किये गये हैं।

संशोधित श्रृंखला के जन्तगत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के व्यावसायिक वर्षांकुरण में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। अर्थ-व्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए और व्यक्तिगत क्षेत्रों में कृषि व विद्युत् उत्पात्ति के लिए यथासम्भन्न अलग-अलग अनुमान लगाये गये हैं। संशोधित श्रृंखला में प्रथम बार कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति (GNP) के अनुमान बाजार-कीमतों (market prices) व साधन-लागत (factor cost) पर चानू कीमतों में तथा साधन-लागत पर स्थिर कीमतों में लगाये गये हैं। परम्परागत श्रृंखला में स्थिर (1948-49) कीमतों पर विद्युत् उत्पात्ति (NNP) क्षेत्र-स्तर (sector-level) पर ही प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु संशोधित श्रृंखला में स्थिर (1960-61) कीमतों पर विद्युत् उत्पात्ति उप क्षेत्र स्तर (sub-sector level) पर भी प्रस्तुत की गयी है।

सन् 1968-69 के लिए राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान लगाते समय केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1960-61 में 1967-68 तक के पहले दिये गये आंकड़ों में थोड़ा सुधार कर दिया है। राष्ट्रीय आय सम्बन्धी वर्तमान आंकड़े आगे की तालिका में दिये गये हैं।

विशुद्ध राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान

	1960-61	'61-62	'62-63	'63-64	'64-65	'65-66	'66-67	'67-68	'68-69
विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति (NNP)—साधन लागत पर—करोड़ रुपये									
1 चालू कीमतों पर	13294	14050	14873	17094	20061	20621	23624	28356	28583
2 1960-61 की कीमतों पर	13294	13763	14045	14845	15917	15021	15123	16586	16943
प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति (NNP)—रुपये									
1 चालू कीमतों पर	306.4	316.4	326.4	366.4	419.8	421.2	470.8	551.4	542.3
2 1960-61 की कीमतों पर	306.4	310.0	308.3	318.2	333.1	306.8	301.4	322.5	321.4
विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति के निर्देशांक									
1 चालू कीमतों पर	100.0	105.7	111.9	128.6	150.9	155.1	177.7	213.3	215.2
2 1960-61 की कीमतों पर	100.0	103.5	105.6	111.7	119.7	113.0	113.8	124.8	127.4
प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति के निर्देशांक									
1 चालू कीमतों पर	100.0	103.3	106.5	119.6	137.0	137.5	153.7	180.0	177.0
2 1960-61 की कीमतों पर	100.0	101.2	100.6	103.9	108.7	100.1	98.4	105.3	104.9

पंचवर्षीय योजनाओं के काल में राष्ट्रीय आय

योजना-काल में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए हमें परम्परागत तथा सशोधित दोनों ही श्रृंखलाओं का उपयोग करना पड़ता है। परम्परागत अनुमानों के अनुसार, प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय (स्थिर कीमतों पर) 8,850 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,480 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार 1950-51 से 1955-56 तक के पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वार्षिक वृद्धि की दर 3.5 प्रतिशत रही। इस काल में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 1960-61 में राष्ट्रीय आय 12,730 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार द्वितीय योजना-काल में राष्ट्रीय आय 21.7 प्रतिशत बढ़ी और वार्षिक वृद्धि-दर 4.0 प्रतिशत रही। प्रति व्यक्ति आय में लगभग 9.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। स्मरण रहे कि प्रथम योजना-काल में कीमत-स्तर नीचा रहने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि चालू कीमतों की अपेक्षा स्थिर कीमतों में अधिक हुई। दूसरे योजना काल में स्थिति इसके विपरीत थी।

सन् 1960-61 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आय के अनुमानों के लिए सशोधित श्रृंखला प्राप्त हो गयी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में कुल 14.4 प्रतिशत वृद्धि हुई और वार्षिक वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रही। योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई, परन्तु अन्तिम वर्ष सन् 1965-66 में 5.6 प्रतिशत की कमी हो गयी। 1965-66 में प्रति व्यक्ति आय लगभग वही थी जो 1960-61 में थी। राष्ट्रीय आय में जो थोड़ी सी वृद्धि हुई अनसर्वा म 2.5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि के कारण निम्नप्रभाव सी हो गयी। 1967-68 में राष्ट्रीय आय में 9.3 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु 1968-69 में केवल 2.4 प्रतिशत ही वृद्धि हुई। 1969-70 में 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1960-61 से 1969-70 तक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की औसत दर 3.5 प्रतिशत रही है।

स्मरण रहे कि 1960-61 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आय बहुत कुछ कृषि उत्पादन से प्रभावित होती रही है। प्रथम तीन वर्षों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि सन्तोपजनक न होने के कारण राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि कम हुई। चौथे वर्ष (1964-65) में कृषि-उत्पादन की स्थिति अच्छी होने के कारण राष्ट्रीय आय एकदम बढ़ गयी। सूखे के प्रभाव में 1965-66 में कृषि-उत्पादन में गिरावट आयी और साथ ही राष्ट्रीय आय भी गिर गयी। 1966-67 में भी स्थिति वैसी ही रहने के कारण राष्ट्रीय आय में 1.9 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि हुई। 1967-68 में कृषि उत्पादन


बढ़ा और राष्ट्रीय आय में भी 9.3 प्रतिशत की महान् वृद्धि हुई। नीचे की तालिका में 1960-61 के बाद के आठ वर्षों में राष्ट्रीय आय के विकास तथा कृषि और सगठित औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त आय के निर्देशांक प्रस्तुत हैं।

कुल राष्ट्रीय आय तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त आय के निर्देशांक
(1960-61-1968-69)

	1960-61	'61-62	'62-63	'63-64	'64-65	'65-66	'66-67	'67-68	'68-69
1. कुल राष्ट्रीय आय	100	103.7	105.7	111.9	119.8	113.1	114.0	124.2	126.5
2. कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र	100	101.0	98.3	101.1	110.2	94.1	94.0	110.8	109.6
3. धातु तथा बड़े जूतियाँ	100	109.5	122.9	132.5	141.8	145.8	147.5	146.3	155.0

[Source: Fourth Five Year Plan, 1969-74, p. 6]

NATIONAL INCOME (1960-61=100)



राष्ट्रीय आय के भावी अनुमान

द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय के भावी अनुमान प्रस्तुत किये गये थे। द्वितीय योजना के अनुसार सन् 1950-51 की तुलना में राष्ट्रीय आय सन् 1967-68 में तथा प्रति व्यक्ति आय 1973-74 में दुगुनी हो सकेगी। तृतीय योजना में अनुमान लगाया गया कि 1960-61 की स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय 1965-66 में 19,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 25,000 करोड़ रुपये तथा 1975-76 में 33,000-34,000 करोड़ रुपये होगी। प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 385 रुपये, 450 रुपये तथा 530 रुपये होगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विनियोग की दर में निरन्तर वृद्धि होते रहना आवश्यक समझा गया था।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तृतीय योजना-काल में राष्ट्रीय आय में सन्तोषजनक वृद्धि न हो सकी। 1966-67 के बाद के वर्षों में स्थिति में सुधार होने के बावजूद भी 1968-69 में कुल वास्तविक आय (aggregate real income) इतनी भी नहीं की जितनी कि तृतीय योजना में 1965-66 में होने का अनुमान था।

विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के लक्ष्यों के आधार पर चौथी योजना (1969-74) में अनुमान लगाया गया है कि योजना-काल में कुल उत्पादन में औसत 5.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि-दर होने की सम्भावना हो सकती है। परन्तु यह स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया है कि 1973-74 तक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में उतनी वृद्धि नहीं हो पायेगी जितना कि तृतीय योजना में अनुमान लगाया गया था। 1975-76 के लिए तृतीय योजना में दिये गये वास्तविक आय में वृद्धि

के लक्ष्य की प्राप्ति सम्भवतः इनके तीन या चार वर्ष पश्चात् ही हो पायेगी। 1967-68 की तुलना में 1980-81 तक राष्ट्रीय आय लगभग दोगुनी हो सकती है, परन्तु जनसंख्या-वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में केवल 53 प्रतिशत वृद्धि की ही सम्भावना है।¹

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ

राष्ट्रीय आय नमिनि ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में नामने आने वाली अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया था। मुख्यतः यह कठिनाइयाँ दो प्रकार की हैं—(1) धारणामूलक (conceptual), तथा (2) सांख्यिकीय (statistical)।

(1) धारणामूलक कठिनाइयाँ—राष्ट्रीय आय की गणना यह मानकर की जाती है कि देश में समस्त विनिमय मुद्रा के माध्यम में ही होता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था का एक बड़ा भाग बाजार में विक्रय नहीं आता जिसके कारण कुल उत्पादन का मूल्य आँकना कठिन हो जाता है। अशिधा तथा पिछड़ेपन के कारण अविभाज्य उत्पादन अपनी उत्पत्ति की मात्रा तथा मूल्य का हिमाव विताव नहीं रखते, केवल अनुमान ही लगाये जा सकते हैं। भारत में प्रायः एक व्यक्ति एक माथ कई व्यवसायों में लगा रहता है जिससे आय का ठीक अनुमान नहीं लग पाता है।

(2) सांख्यिकीय कठिनाइयाँ—राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी कठिनाई पर्याप्त आंकड़ा का जभाव है। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है, परन्तु कृषि तथा सहायक धंधों में लागत तथा आय के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों के उपभोग-व्यय तथा बचत के पर्याप्त आँकड़ों का भी अभाव है। देश में क्षेत्रीय अन्तर इतने अधिक हैं कि एक क्षेत्र के लिए लगाये गये अनुमान दूसरे क्षेत्र के लिए आधार नहीं बन पाते।

उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण ही भारत में अनेक अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय सम्बन्धी उपलब्ध आँकड़ों को सही नहीं मानते हैं। श्री नरोत्तम शाह के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में जिन deflators का प्रयोग किया जाता है वे नूटिपूर्ण हैं। अतः सही अनुमान प्राप्त नहीं हो पाते हैं। डॉ० के० एन० राज न राष्ट्रीय आय के अनुमानों की कई गम्भीर सीमाओं का उल्लेख किया है और अन्दाज लगाया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दिये गये अनुमानों से अधिक हुई है। प्रो० अशोक रत्न न भी राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सत्यता को स्वीकार नहीं किया है।

वास्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय आय के आँकड़ों में निरन्तर सुधार किया जाय और इस दिशा में सतत सगठनों तथा अनुसन्धान संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय। डॉ० राव के विचार में, भारत में सर्वप्रथम उचित ढंग से मुनियोजित बेंच मार्क सर्वे (bench mark survey) किये जायें जो दस-वर्षीय जनगणना के साथ मिलकर हमें आधार वर्ष की आय के सम्बन्ध में सही सूचना प्रदान कर सकें। इसके बाद प्रति वर्ष रैंडम सैम्पल सर्वे (random sample survey) किये जायें जो प्रत्येक व्यवसाय अथवा औद्योगिक श्रेणी में व्यक्तियों की सत्या और प्रति व्यक्ति आय में होने वाले परिवर्तनों को सूचित कर सकें। ये दोनों प्रकार के आँकड़े अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।²

भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, परन्तु इसके बावजूद राष्ट्रीय आय इतनी कम है कि देश में लोगों के लिए एक सम्मानजनक जीवन-स्तर की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जनसत्या में तीव्र वृद्धि की दर न राष्ट्रीय आय की वृद्धि के महत्व को कम कर दिया है क्योंकि इसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही मन्द गति में हुई है। देश में मुद्रा-स्फीति के कारण राष्ट्रीय आय की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण भाग

¹ Fourth Five Year Plan, 1969-74, pp 30-31

² Dr. V. K. R. V. Rao 'Some Suggestions for the Improvement of National Income Data in India', published in *Papers on National Income and Allied Topics*, Vol II, pp. 16

वेकार हो गया है। मौद्रिक आय की अपेक्षा वास्तविक आय में वृद्धि बहुत कम हुई है। राष्ट्रीय आय की कमी के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है वह है इसका न्यायोचित वितरण।

केन्द्रीय सांख्यिकीय सङ्गठन (CSO) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से आय के वितरण सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती और न ही वितरण सम्बन्धी कोई आँकड़े नियमित रूप में उपलब्ध हैं। देश में आर्थिक कल्याण की मात्रा तथा समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत कुछ आय के वितरण की स्थिति पर निर्भर करती है।

13 अक्टूबर, 1960 को योजना आयोग ने प्रो० पी० सी० महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति "The Committee on Distribution of Income and Levels of Living" नियुक्त की, जिसके निम्नलिखित कार्य निर्दिष्ट किये गये (1) प्रथम व द्वितीय योजना-काल में जीवन-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा करना, (2) गत वर्षों में आय व धन के वितरण की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, तथा (3) अर्थ-व्यवस्था के संचालन में धन व उत्पत्ति के माधनों के केन्द्रीकरण की जाँच करना। बाद में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की जाँच करना भी इसमें शामिल कर लिया गया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग फरवरी 1964 में प्रस्तुत किया, जिसमें इसको साँपे गये दूसरे तथा तीसरे कार्यों से सम्बन्धित तथ्यों पर प्रकाश डाला गया। समिति ने अपने अध्ययन में नेशनल सैम्पल सर्वे (National Sample Survey), व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद (National Council of Applied Economic Research), भारतीय सांख्यिकीय मन्त्रालय (Indian Statistical Institute), रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया आदि से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया है। व्यक्तिगत आय के वितरण की जाँच के लिए समिति ने श्री आयर व मुलर्जी, एच० एफ० लिडाल, ओम्का व भट्ट¹ एवं राष्ट्रीय परिषद (NCAER) द्वारा प्रस्तुत सामग्री का उपयोग किया है।

समिति की रिपोर्टों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि गत वर्षों में आर्थिक सत्ता कुछ इन्वे-गिने व्यक्तियों के हाथों में जाने की प्रवृत्ति रही है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों की शक्ति बढ़ी है। समिति ने भारतीय बैंकों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण का भी उल्लेख किया है। समिति ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों द्वारा करो की चोरी की जाती है जिससे आय का सकेन्द्रण बढ़ा है। देश में कुछ पूँजीपतियों ने बड़े उद्योगों की श्रृंखलाओं पर एकाधिकार कर लिया है। कृषि-भूमि के स्वामित्व में भी सकेन्द्रण बहुत बढ़ गया है। 1 प्रतिशत जनसंख्या के पास लगभग 16 प्रतिशत भूमि है और उच्चतम 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल कृषि-भूमि का 56 प्रतिशत भाग है, जबकि निम्नतम स्तर के 20 प्रतिशत लोग सर्वथा भूमिहीन हैं।

ओम्का व भट्ट के अनुसार, सन् 1956-57 में ऊपर के 10 प्रतिशत परिवारों के पास आय का 25 प्रतिशत भाग था और निम्नतम स्तर के 20 प्रतिशत परिवारों के पास आय का केवल 8.5 प्रतिशत भाग था। आयर व मुलर्जी के अनुमान भी इसमें मिलते-जुलते थे। एच० एफ० लिडाल (H F Lydall) के अनुसार 1955-56 में राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत भाग 1 प्रतिशत जनसंख्या को मिल रहा था, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल 2.5 प्रतिशत भाग मिल रहा था। राष्ट्रीय परिषद (NCAER) के एक अध्ययन "Urban Income and Saving" के अनुसार 1960 में ऊपर के 10 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास 42.4 प्रतिशत आय थी और नीचे के 20 प्रतिशत परिवारों के पास केवल 4 प्रतिशत आय थी। इन अनुमानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में आय तथा धन के वितरण में काफी अस-

1 ओम्का व भट्ट ने भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण का अध्ययन 1953-54 से 1956-57 तक के काल का किया है। दृष्टि, Reserve Bank of India Bulletin, September 1962, American Economic Review, September 1964

मानता है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में असमानता और भी अधिक है। स्मरण रह कि वितरण की असमानता व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से बहुत अधिक असमानताएँ पायी जाती हैं। परिणामस्वरूप देश में बढ़ती हुई आय से न तो सभी व्यक्तियों को और न ही सभी क्षेत्रों को समान रूप में लाभ हुआ है।

प्रो० डी० आर० गाडगिल के अनुसार 'किसी भी देश में जिन वर्गों के हाथ में वास्तविक सत्ता होती है उसके हितों के अनुसार नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इस आधार पर यह कहना सत्य है कि आज भारत में वास्तविक सत्ता आधुनिक समृद्धि व्यावसायिक तथा व्यापारिक वर्गों के हाथ में है और सभी आर्थिक नीतियाँ, उनके उद्देश्य कुछ भी हों, इस प्रकार व्यवस्थित हुई हैं कि उनका लाभ उन्हीं वर्गों को प्राप्त हुआ है।¹ वास्तविकता यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में मजदूरीवाद का ढोल पीटा जाता है परन्तु पूँजीवाद को संरक्षण तथा पापण मिलता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 राष्ट्रीय आय को परिभाषा दीजिए। इसकी गणना किस प्रकार की जा सकती है ?
[संकेत प्रथम भाग में माध्यम, पीगू तथा फिशर द्वारा दी गयी परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि आय कौनसा परिभाषा को अधिक उपयुक्त समझते हैं। दूसरे भाग में राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए।]
- 2 राष्ट्रीय आय की गणना करना क्यों आवश्यक है ? इसमें कौन कौनसी कठिनाइयाँ सामने आती हैं ?
[संकेत प्रथम भाग में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में गणना से सम्बंधित अनेक कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की अनेक सीमाएँ हैं।]
- 3 भारत की राष्ट्रीय आय की आधुनिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए तथा इसके वितरण की समस्या पर प्रकाश डालिए।
[संकेत प्रथम भाग में गत वर्षों में राष्ट्रीय आय में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। दूसरे भाग में यह स्पष्ट कीजिए कि भारत में आय के वितरण में बहुत अधिक असमानताएँ हैं और इनका हमारी आर्थिक नीतियों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है।]
- 4 भारत में राष्ट्रीय आय से सम्बंधित तथ्यों की विवेचना कीजिए।
[संकेत भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर गत वर्षों में हुए परिवर्तन तथा प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना से सम्बंधित कठिनाइयों का भी उल्लेख कीजिए और बताइए कि इस दिशा में कौन कौनसे सुधार किये गए हैं। देश में आय के वितरण में असमानताओं का भी उल्लेख कीजिए।]

“इस तथ्य के होते हुए भी कि विनियोगकर्ता तथा वचतकर्ता व्यक्तियों के दो पृथक वर्ग होते हैं जो पूर्ण रूप से परस्पर स्वतन्त्र रहकर निर्णय करते हैं, इनके सामूहिक आचरण का परिणाम यह होता है कि एक निश्चित अवधि के भीतर विनियोग तथा वचत समान मात्रा में होते हैं।”¹

—डरले डिलार्ड

आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर तथा रोजगार का स्तर निर्धारित करने में विनियोग की मात्रा का बहुत बड़ा हाथ होता है। विनियोग (investment) तथा वचत (savings) का एक-दूसरे से सम्बन्ध इतना घनिष्ठ होता है कि इन दोनों का अध्ययन प्रायः एक साथ किया जाता है। प्रो० केन्ज की विचारधारा के प्रभाव में अर्थशास्त्र में वचत तथा विनियोग के अध्ययन को बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। आर्थिक विकास की योजनाओं की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में वचत तथा विनियोग उपलब्ध होना आवश्यक समझा जाता है।

वचत

प्रो० केन्ज के अनुसार, “उपभोग पर किये गये व्यय से देशी आय ही वचत है।”² द्वारा शब्दों में, वचत आय का वह शेष है जो उपभोग सम्बन्धी व्यय करने के पश्चात् बच जाता है।

रंग प्रकार,

$$\text{वचत (S)} = \text{आय (Y)} - \text{उपभोग (C)}$$

$$\text{अथवा आय (Y)} = \text{उपभोग (C)} + \text{वचत (S)}$$

इस परिभाषा का गुण यह है कि यह व्यक्तिगत वचत तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय वचत पर समान रूप से लागू होती है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति की आय 1,000 रुपये है जिसमें से 800 रुपये वह उपभोग पर व्यय कर देता है तो उसकी वचत $1000 - 800 = 200$ रुपये होगी। इसी प्रकार, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय 20,000 करोड़ रुपये है और उपभोग पर कुल व्यय 18,000 करोड़ रुपये किया जाता है, तो उस राष्ट्र की सामूहिक अथवा राष्ट्रीय वचत $20,000 - 18,000 = 2,000$ करोड़ रुपये होगी। दोनों ही स्थितियों में वचत आय तथा उपभोग-व्यय के अन्तर के बराबर है।

प्राचीन अर्थशास्त्री समस्त राष्ट्रीय वचत को व्यक्तिगत वचतों का योगफल मान

1 “Despite the fact that investors and savers are, as a rule, two separate sets of persons who make their decisions freely and independently of one another, the net result of their collective behaviour is to invest and to save in the aggregate identical amounts during any given period”—D Dillard: *Economics of John Maynard Keynes*, p. 62

2 “Savings means the excess of income over expenditure of consumption”—J. M. Keynes *General Theory of Employment, Interest and Money*, p. 61.

समझते थे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि व्यक्तिगत वचत तथा सामाजिक वचत की परिभाषा एक ही है और सामाजिक वचत व्यक्तिगत वचतों का विशुद्ध परिणाम है, परन्तु ऐसा होते हुए भी दोनों प्रकार की वचतों में कुछ विरोध अन्तर है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत वचतों में वृद्धि होने से सदैव सामाजिक वचत में भी वृद्धि हो। प्रो० केन्ज ने अपनी पुस्तक 'General Theory' में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग-व्यय में कमी करके अपनी निश्चित आय में से अधिक वचत कर लेने पर उसकी व्यक्तिगत वचत तो बढ़ जाती है परन्तु सामाजिक वचत में कोई वृद्धि नहीं होती। वास्तव में, एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय दूसरों की आय होता है। एक निश्चित आय में से एक व्यक्ति द्वारा अधिक वचत कर लेने पर अन्य व्यक्तियों की आय उतनी ही कम हो सकती है जिसका उनकी वचत करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, केन्ज के विचार में एक व्यक्ति जितनी अधिक वचत करता है, समाज में अन्य व्यक्ति उमी माना में कम वचत कर पाते हैं। परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत वचत बढ़ने पर सामाजिक वचत में वृद्धि नहीं होती। स्मरण रहे कि केन्ज का वचत से अभिप्राय कुल जयवा सामूहिक वचत (aggregate or collective savings) से है।

वचत की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व

समस्त राष्ट्रीय वचत में कुल व्यक्तिगत वचत के अतिरिक्त कुल व्यावसायिक वचत तथा सरकारी वचत भी सम्मिलित होती है। किसी भी देश अथवा समाज में, जैसा कि पहले कहा गया है, लोगों की ऐच्छिक वचत उनकी आय का वह भाग होती है जिसको उपभोग के लिए व्यय नहीं किया जाता। इस प्रकार समाज में उपभोग-प्रवृत्ति (propensity to consume) तथा वचत-प्रवृत्ति (propensity to save) एक दूसरे पर आधारित होती है। एक में वृद्धि दूसरे में कमी उत्पन्न करती है। वास्तविकता यह है कि एक को प्रभावित करने वाले तत्वों का दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। वचत तथा उपभोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं।

(1) आय का स्तर (Level of Income)—सैद्धान्तिक रूप में वचत तथा उपभोग का स्तर किसी देश में राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि के साथ-साथ उपभोग-प्रवृत्ति प्रबल होती है, परन्तु समस्त आय के प्रतिशत के रूप में उपभोग व्यय कम हो जाते हैं। इससे वचत की दर अथवा प्रवृत्ति में वृद्धि होने की सम्भावना बढ़ जाती है। जिन देशों में आय का स्तर नीचा है, वहाँ लोगों की वचत करने की क्षमता भी कम है।

व्यावहारिक रूप में यह देखा गया है कि कम आय वाले कुछ देशों में भी वचत की प्रवृत्ति काफी अधिक है जबकि अधिक आय वाले कुछ देशों में वचत की प्रवृत्ति कम है।¹ यह भी आवश्यक नहीं कि आय में वृद्धि के साथ-साथ लोगों की वचत प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो। अतएव ऐसा सोचना गलत है कि वचत की मात्रा किसी एक विरोध तत्व पर निर्भर करती है। उस पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है।²

(2) तात्त्विक कारण (Objective Factors)—प्रो० केन्ज ने उपभोग तथा वचत की मात्रा को प्रभावित करने वाले कुछ तात्त्विक कारण बताये हैं जो निम्नलिखित हैं।

1 शुद्ध आय की मात्रा—कुल आय तथा शुद्ध आय में अन्तर उपभोग तथा वचत की मात्रा को प्रभावित करता है। व्यापारिक कम्पनियाँ तथा औद्योगिक संगठन अपनी सम्पूर्ण आय का वितरण नहीं करत। कुल आय का एक भाग कोष निधि अथवा अपकर्म (depreciation) खाते में जमा देने के पश्चात् ही असाधारणियों को लाभांश बाँटा जाता है। इस प्रकार उपभोग की मात्रा कुल आय की अपेक्षा शुद्ध आय की मात्रा से अधिक प्रभावित होती है।

2 कीमत स्तर—कीमत-स्तर में वृद्धि होने पर यदि लोगों की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उनकी वास्तविक आय (real income) गिर जाती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति

1 U N World Economic Survey, 1960, Chapter II, p 66, The Economic Survey of Asia and the Far East, 1961, p 52

2 T T Sethi Price Strategy in Indian Planning

करने के लिए लोगों को अन्य वस्तुओं पर उपभोग-व्यय कम करना पड़ता है। प्रभावपूर्ण माँग में बर्बादी के कारण आय तथा रोजगार का स्तर गिर जाता है। इन परिस्थितियों में वचत की मात्रा कम होना स्वाभाविक ही है।

3 **व्याज की दर**—कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि व्याज दर ऊँची होने पर लोगों में वचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और वे उपभोग-व्यय गिरा देते हैं। इसीलिए ऐसा सोचा जाता है कि यदि वचत को बढ़ाना है तो व्याज-दर का ऊँचा होना आवश्यक है। प्रो० केन्ज के विचार में वचत तथा व्याज-दर में बहुत अधिक निकट अथवा विस्वसनीय सम्बन्ध नहीं है।

4 **सरकार की कर-नीति**—आय, लाभ, सम्पत्ति तथा उत्पादन आदि पर करों का भार बढ़ा देने से वचत की प्रवृत्ति कम हो सकती है और उपभोग की प्रवृत्ति प्रबल। करों की अदा-यगी के लिए लोगों को वचत करने के लिए बाध्य (forced savings) तो किया जा सकता है, परन्तु ऐच्छिक वचत की मात्रा कम हो जाती है।

5 **भविष्य की सम्भावनाएँ**—यदि लोगों में भविष्य के लिए सुरक्षा की भावना रहती है, तो वे वचत करने के लिए अधिक चिन्ता नहीं करने और उनका उपभोग का स्तर ऊँचा होता है। इसके विपरीत, भविष्य की चिन्ता अधिक वचत करने के लिए प्रेरित करती है।

6 **आकस्मिक लाभ**—देग में राजनीतिक, आर्थिक अथवा अन्य किसी कारण से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने पर यदि लोगों को आकस्मिक लाभ प्राप्त होता है, तो उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इनके विपरीत, आकस्मिक हानि होने पर गनोबैज्ञानिक प्रभाव के कारण खर्चों में बर्बादी होने लगती है।

(3) **व्यक्तिगत कारण (Subjective Factors)**—उपभोग तथा वचत की प्रवृत्तियाँ कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी प्रभावित होती हैं। समाज में व्यक्ति निम्नलिखित भावनाओं से प्रेरित होकर अधिक बचत करते हैं

- 1 भविष्य के प्रति अधिक सतर्कता अथवा जागरूकता।
- 2 धनवान होकर समाज में शौरव, सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना।
3. भविष्य में जीवन-स्तर ऊँचा करने की भावना।
- 4 आत्म-निर्भर तथा स्वतन्त्र रहने की भावना।
- 5 वचत करने की आदत।
- 6 वचत की गयी धन-राशि पर व्याज के द्वारा आय प्राप्त करने की भावना।
- 7 भविष्य में विवाह, शिक्षा आदि निश्चित घटनाओं के लिए वचत करने की भावना।
- 8 साहसिक प्रवृत्ति के कारण व्यवसाय तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वचत की भावना।

स्पष्ट है कि व्यक्तिगत कारण व्यक्तियों की वचत की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। परन्तु व्यक्तिगत व्यवहार तथा भावनाएँ इतनी अनिश्चित होती हैं कि उनके प्रभाव के बारे में पहले से कुछ निश्चित रूप में कहना सम्भव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सरकार की वचत सम्बन्धी नीतियाँ पूर्णतः प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती हैं। उनकी सफलता बहुत कुछ अनिश्चित तत्वा पर निर्भर करती है।

वचत का महत्व

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व्यक्तिगत वचत में वृद्धि को ही कुल सामुदायिक वचत में वृद्धि का आधार मानते थे। वे न केवल व्यक्तिगत वचत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे बल्कि इसे व्यक्ति तथा समाज का महान् गुण समझते थे। इस विचारधारा के विपरीत प्रो० केन्ज ने व्यक्तिगत वचत का तीव्र विरोध किया और इसे एक सामाजिक बुराई (social evil) माना। स्मरण रहे कि केन्ज के विचार 1930 की महान् मन्दी से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित थे तथा उनका मुख्य उद्देश्य प्रभावपूर्ण माँग (effective demand) में वृद्धि के द्वारा रोजगार तथा आय के स्तर को ऊँचा करना था। केन्ज की 'जनरल थ्योरी' में वचत के वजाय उपभोग-व्यय को समाज के लिए अधिक अच्छा माना गया है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होता है।

वर्तमान परिस्थितियों में जब प्रत्येक देश आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए साधन जुटाने में अधिक प्रयत्नशील है, वचत के महत्व को फिर से स्वीकार कर लिया गया है। आर्थिक विकास के लिए आन्तरिक साधनों की व्यवस्था तथा लोगों को उपलब्ध अतिरिक्त न्य-शक्ति के नियन्त्रण करने के लिए वचत को प्रोत्साहन देना प्रत्येक विकासशील देश की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि वचत का उपयोग देश में विनियोग की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है तो उससे व्यक्ति तथा समाज दोनों को ही लाभ होता है। स्वर्ण आदि के रूप में यदि वचत का अनुत्पादक उपयोग किया जाय तो इसमें शायद व्यक्ति को तो कुछ लाभ हो जाय परन्तु समाज को कोई लाभ नहीं होता। विकास एवं स्थिरता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए न केवल वचत की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है, अपितु यह और भी अधिक आवश्यक है कि वचत का उपयोग देश में पूंजी-निर्माण तथा विनियोग की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाय।¹

विनियोग

विनियोग की परिभाषा देते हुए प्रो० केन्ज न 'General Theory' में लिखा है कि "इस (विनियोग) से हमारा अभिप्राय एक बाल के भीतर होने वाली उत्पादक क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से होना चाहिए।"² डब्ले डिग्लॉर्न ने केन्ज द्वारा दी गयी परिभाषा को अत्यधिक सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है कि "वास्तविक पूंजीगत आदेशों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि विनियोग है।"³ इस प्रकार विनियोग से हमारा अभिप्राय वास्तविक पूंजी-कोष में वृद्धि से होता है। दूसरे शब्दों में, विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं अर्थात् और अधिक आय कमाने वाली वस्तुओं के रूप में बचाकर रखा जाय। नये कारखाना की स्थापना, पहले से स्थापित व्यवसायों की क्षमता में वृद्धि, परिवहन के साधनों का विस्तार, कारखानों तथा कार्यालयों के भवनों का निर्माण आदि कार्य विनियोग कहे जाते हैं।

वचत के समान विनियोग का अध्ययन भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। व्यक्तिगत विनियोग के दो रूप हो सकते हैं—वित्तीय (financial) तथा वास्तविक (real)। जब कोई व्यक्ति अपनी वचत का प्रयोग किसी विद्यमान कम्पनी के अंश (shares) अथवा सरकारी ऋण पत्रों (securities) व बॉण्डों के खरीदने के लिए करता है तो यह वित्तीय विनियोग कहा जायगा। इसके विपरीत, यदि वह व्यक्ति किसी विद्यमान कम्पनी के पुराने शेयर खरीदने के बजाय अपनी वचत का प्रयोग नयी फैक्टरी अथवा नये मकान आदि के निर्माण के लिए करता है तो इससे वास्तविक पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी और इसे वास्तविक विनियोग कहा जायगा। वित्तीय विनियोग के परिणामस्वरूप समाज में वास्तविक पूंजी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि एक व्यक्ति शेयर खरीदता है तो कोई अन्य व्यक्ति उसे बेचता भी है जिससे समाज में कुल विनियोग की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती। वास्तविक विनियोग का प्रमुख लक्षण पूंजीगत आदेशों (capital assets) अथवा माल की मात्रा तथा स्टॉक में वृद्धि करना है। प्रो० केन्ज न वास्तविक विनियोग को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसमें वृद्धि होने पर समाज की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होती है तथा रोजगार का स्तर ऊँचा होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से विनियोग महत्वपूर्ण तभी होगा जब किसी नयी औद्योगिक कम्पनी, नये स्कूल, पुल, अस्पताल, फैक्टरी, आदि का निर्माण होने के कारण देश की वास्तविक पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है तथा समाज

- 1 "More saving not less is needed. The alternatives are inhibited growth, inflation, or a combination of the two. It has to be realized that saving is not merely a negative, mere non-spending, but the inescapable first-half of the completed positive act of investment." —Raghuvaraj Singh and T. T. Sethi *Monetary Economics*, p. 242
- 2 "we must mean by this (investment) the current addition to the value of the capital equipment which has resulted from the productive activity of the period" —J. M. Keynes *The General Theory of Employment, Interest and Money*, p. 62
- 3 "Investment is the net addition to the existing stock of real capital assets" —Dudley Dillard *The Economics of John Maynard Keynes*, p. 60

की उत्पादन-शक्ति बढ जाती है। इसलिए प्रो० केन्ज ने विनियोग शब्द का प्रयोग वास्तविक विनियोग के अर्थ में किया है। किसी देश में किसी समय कुल वास्तविक विनियोग की मात्रा निम्न प्रकार की पूंजी की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है।

- (1) स्थिर यन्त्र, मशीनें तथा अन्य अचल पूंजी।
- (2) कच्चे माल का स्टॉक तथा अन्य चल पूंजी।
- (3) आवासिक भवन।
- (4) सार्वजनिक निर्माण कार्य।
- (5) शुद्ध विदेशी विनियोग।

कुल तथा शुद्ध विनियोग (Gross and Net Investment)

कुल विनियोग से अभिप्राय किसी दिने हुए समय में अर्थ-व्यवस्था में कुल वास्तविक विनियोग की मात्रा से होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सम्पूर्ण वास्तविक विनियोग का उपयोग उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका कुछ भाग उत्पादन-सज्जा, मशीनों आदि की टूट-फूट तथा अचल पूंजी की घिसावट को ध्यान में रखते हुए अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन क्षमता को समान बनाये रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कुल विनियोग का कुछ भाग प्रतिस्थापन माँग का रूप धारण करता है।

शुद्ध विनियोग कुल विनियोग का वह भाग है जो अर्थ-व्यवस्था की कुल विद्यमान उत्पादन-क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि का सूचक है। कुल विनियोग तथा शुद्ध विनियोग में समानता तभी सम्भव है जब किसी अर्थ-व्यवस्था में टूट-फूट तथा घिसावट आदि के कारण पुरानी मशीनों तथा उत्पादन-सज्जा का प्रतिस्थापन करने की कोई समस्या न हो। परन्तु चूँकि वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता, इसलिए शुद्ध विनियोग कुल विनियोग के समान न होकर उससे कम होता है।

नियोजित तथा अनियोजित वास्तविक विनियोग (Planned and Unplanned Real Investment)

उत्पादन में वृद्धि तथा भविष्य में लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अर्थ-व्यवस्था में पूंजीगत पदार्थों का निर्माण जब सोच विचार कर किया जाता है, तो यह नियोजित अथवा ऐच्छिक विनियोग होता है। इसके विपरीत, बाजार में बिजली के अभाव में जब बिजनेसों के पास उत्पादित वस्तुओं का अवशेषित स्टॉक रह जाता है अथवा, केन्ज के शब्दों में, अधिक मात्रा में तरल पूंजी एकत्र हो जाती है, तो यह अनियोजित अथवा अनैच्छिक विनियोग है। यद्यपि कुछ अर्थशास्त्रियों ने विनियोग के इस अन्तर को महत्वपूर्ण माना है, केन्ज के विचार में इस अन्तर का कोई विशेष महत्व नहीं है।

प्रेरित तथा स्वायत्त विनियोग (Induced and Autonomous Investment)

प्रत्यक्ष रूप से आय द्वारा निर्धारित होने वाला विनियोग स्वायत्त विनियोग होता है। समाज में व्यक्तियों की उपभोग्य आय (disposable income) में वृद्धि होने पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए उद्यमकर्ता विनियोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार, प्रेरित विनियोग की मात्रा आय में वृद्धि बढेवा वमी के साथ-साथ बढती-घटती रहती है। दूसरे शब्दों में, प्रेरित विनियोग आय-सापेक्ष (income elastic) होता है। अल्पकाल में पूंजी-उत्पादन अनुपात के स्थिर होने के कारण आय तथा प्रेरित विनियोग के मध्य एक सीधा अनुपाती सम्बन्ध होता है।

स्वायत्त विनियोग आय के परिवर्तनों द्वारा प्रभावित नहीं होता है अर्थात् आय-निरपेक्ष (income inelastic) होता है। वह पूंजी-व्यय (capital expenditure) जो प्रत्यक्ष रूप में समर्थ माँग में होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, स्वायत्त विनियोग कहलाता है। नवीन प्रतियाएँ, आविष्कार, जनसंख्या की वृद्धि, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियाँ, धर्म आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि प्रमुख कारण स्वायत्त विनियोग की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार, आय की मात्रा स्थिर रहने पर स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन हो सकता है तथा आय में परिवर्तन होने पर भी स्वायत्त विनियोग की मात्रा स्थिर रह सकती है। आर्थिक विचार के उद्देश्य से मड़की का निर्माण, जन-कल्याण के लिए अस्पतालों का निर्माण, अनुसन्धान व विकास पर किया जाने वाला दीर्घकालीन विनियोग स्वायत्त विनियोग के उदाहरण हैं।

क्षेत्र में, प्रेरित विनियोग आय के स्तर तथा आय में परिवर्तनों, उपभोग-प्रवृत्ति, अचल पूंजी के स्टाक आदि आन्तरिक (endogenous) तत्वों द्वारा प्रभावित होता है जबकि स्वायत्त विनियोग बाह्य (exogenous) तत्वों से प्रभावित होता है। युद्धकालीन अथवा नियोजित अर्थ-व्यवस्था में स्वायत्त विनियोग की मात्रा लाभ-प्राप्ति की आशा में निर्धारित न होकर अन्य तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। अर्थ-व्यवस्था में कुल विनियोग प्रेरित तथा स्वायत्त विनियोग का योगफल होने के कारण इसकी मात्रा, स्पष्ट रूप में, आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के तत्वों द्वारा निर्धारित होती है।

विनियोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण

विनियोग की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व बचत को प्रभावित करने वाले तत्वों से संबंधित हैं। प्रो० केन्ज के विचारानुसार अर्थ-व्यवस्था में विनियोग की दर मुख्यतः दो प्रधान शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है—व्याज की दर, तथा पूंजी की सीमान्त उत्पादकता। इन दो के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी विनियोग की दर को प्रभावित करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार में कुल विनियोग की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं

(1) **व्याज की दर (Rate of Interest)**—व्याज की दर में परिवर्तन विनियोग की लागत को प्रभावित करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री विनियोग को व्याज-सापेक्ष (interest elastic) मानते थे। उनका विश्वास था कि व्याज दर में कमी होने पर विनियोग की लागत कम होती है और परिणामस्वरूप विनियोग की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत, व्याज-दर में वृद्धि होने से विनियोग में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए उन्होंने बैंक-दर को अधिक स्थिरता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मन्त्र माना था। तीसरी की महान् मन्दी के पूर्व केन्ज के भी यही विचार थे। परन्तु मन्दी काल की परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि व्याज की दर तथा विनियोग में ऐसा कोई निश्चित-तम सम्बन्ध नहीं है जितना कि समझा जाता था। केन्ज ने 'जनरल थ्योरी' में स्पष्ट रूप से कहा कि विनियोग इतना अधिक व्याज-सापेक्ष नहीं है जितना कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था। विशेष रूप से मन्दी-काल में केवल व्याज-दर में कमी करके विनियोग को नहीं बढ़ाया जा सकता। केन्ज ने व्याज की तुलना उस कुत्ते से की जो जल की गहराई में फँसे हुए बलहस को पानी की सतह पर खींच लाने में अमरुथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि व्याज की दर किन सीमा तक विनियोग की दर को प्रभावित करती है।

(2) **पूंजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital)**—पूंजी की सीमान्त उत्पादकता अथवा क्षमता से अभिप्राय नयी पूंजी से प्राप्त होने वाले सम्भावित लाभ की मात्रा से है। इसका निर्धारण उद्यमकर्ताओं की पूंजी परिसम्पत्ति (capital assets) से शक्ति में प्राप्त होने वाली आय सम्बन्धी आसनाओं द्वारा होता है। केन्ज के विचारानुसार विनियोग के लिए पूंजी की माँग को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पूंजी की सीमान्त उत्पादकता ही है। उद्यमकर्ता विनियोग सम्बन्धी निर्णय पूंजी की लागत (व्याज-दर) तथा उसी सम्भावित लाभ की मात्रा के आधार पर करता है। उद्यमकर्ताओं की लाभ सम्बन्धी आसनाएँ अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। अल्पकालीन आसनाएँ मूल्य, लाभ, माँग, वेतन व व्याज की दर आदि आन्तरिक तत्वों द्वारा प्रभावित होती हैं, जबकि दीर्घकालीन आसनाओं पर युद्ध, जनसंख्या की वृद्धि, आविष्कार, नवीन प्रतियाँ, विदेशी व्यापार, राजनीतिक परिस्थिति, ऋतु इत्यादि अनेक बाह्य कारणों का प्रभाव पड़ता है। राज्य की कर-नीति का भी पूंजी की सीमान्त उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(3) **विनियोग की सुविधाएँ (Facilities for Investment)**—व्याज की दर तथा पूंजी

की सीमान्त उत्पादकता के अतिरिक्त विनियोग की मात्रा इस बात से भी प्रभावित होती है कि देश में विनियोग के लिए कौन-कौनसे स्रोत उपलब्ध हैं। विनियोग के स्रोतों की न्यूनता अथवा बाहुल्य देश में आर्थिक स्थिति के स्तर पर निर्भर करता है। यदि अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास कम हुआ है, परन्तु प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों की कमी नहीं है, तो नये-नये क्षेत्रों में विकास के लिए पूंजी लगाने से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर सकने की सम्भावनाएँ अधिक होंगी। इन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप में विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार अर्द्ध-विकसित एव विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्थाओं में विनियोग की मात्रा में वृद्धि करने की अधिक सम्भावना रहती है।

(4) तकनीकी परिवर्तन एव सुधार (Technological Changes and Improvement)—विनियोग की मात्रा पर तकनीकी परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह प्रभाव किस प्रकार का होगा, यह परिवर्तन अथवा सुधार के स्वरूप पर निर्भर करता है। उत्पादन की नयी प्रविधि थम प्रधान (labour intensive) होने की स्थिति में विनियोग की मात्रा कम होगी, परन्तु उत्पादन की नयी प्रविधि पूंजी-प्रधान (capital intensive) होने पर विनियोग में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

(5) जनसंख्या की वृद्धि—जनसंख्या में वृद्धि, अन्य बातें समान रहने पर, उपभोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादक अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं और प्रेरित विनियोग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, जनसंख्या कम हो जाने पर उपभोग-वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने से उद्योगपतियों को विनियोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

(6) सरकारी नीति—किसी भी देश की सरकार की आर्थिक नीति विनियोग की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि सरकार की नीति उद्योगपतियों को भूमि, जल, विद्युत, ऋच्छा माल, आयात आदि के रूप में अनेक सुविधाएँ प्रदान करना है तो विनियोग में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। हम यह देख ही चुके हैं कि सरकार की कर-नीति का पूंजी की सीमान्त उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा अपनायी गयी विरोधात्मक नीति विनियोग की मात्रा में वृद्धि को रोकती है।

उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त विनियोग की मात्रा वेतन-दरों में परिवर्तन, ऋणों तथा परिस्थितियों में परिवर्तन, मातायात, विजली तथा कच्चे माल आदि की सुविधाओं से भी प्रभावित होती है।

बचत तथा विनियोग की समानता

बचतकर्ता तथा विनियोगकर्ता साधारणतया भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं और एक-दूसरे से पूर्णतया अलग तथा स्वतन्त्र रहकर बचत तथा विनियोग सम्बन्धी निर्णय करते हैं, परन्तु फिर भी समाज में बचत एव विनियोग एक-दूसरे के बराबर होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का भी विश्वास था कि बचत तथा विनियोग दोनों बराबर होते हैं। उनके मतानुसार बचत और विनियोग में समानता व्याज-दर में परिवर्तनों के द्वारा स्थापित होती है। इस सम्बन्ध में प्रो० केन्ज का विचार यह था कि बचत एव विनियोग की समता व्याज-दर से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों से स्थापित होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि आय के विश्लेषण के लिए प्रो० केन्ज की बचत तथा विनियोग क्रियाएँ (functions) उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि नीमत्तों के विश्लेषण में मार्शल द्वारा प्रतिपादित पूति एव मांग वक्र।

जैसा कि हम देख चुके हैं, बचत की मात्रा आय के स्तर पर आश्रित होती है। परन्तु यह भी पूर्णतया सत्य है कि स्वयं आय विनियोग द्वारा निर्धारित होती है। आय के विभिन्न स्तरों को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन स्तरों पर होने वाली बचतों के ठीक बराबर मात्रा में विनियोग किया जाय। बचत की मात्रा विनियोग की तुलना में अधिक होना वा अर्थ यह होता है कि उपभोग-व्यय में कमी हो गयी है। उपभोग-व्यय में कमी होने पर वस्तुओं के लिए मांग कम हो जाती है जिसके कारण उत्पादन तथा विनियोग की मात्रा में कमी होना स्वाभाविक ही है।

विनियोग में कमी होने पर आय कम हो जाती है। उपभोग-प्रवृत्ति के समान रहते हुए कम आय के कारण बचत की मात्रा में भी कमी हो जाती है। विनियोग में कमी होने के कारण आय में कमी होने का यह कम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि बचत और विनियोग एक-दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। प्रो० केन्ज के अनुसार विनियोग बचत को उसी मात्रा में बढ़ा देता है जिसमें वह स्वयं बढ़ता है। आय, बचत तथा विनियोग के मध्य वारस्परिक सम्बन्ध को केन्ज ने निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया है

$$\begin{array}{ll}
 Y=C+I & Y=Income \text{ (आय)} \\
 S=Y-C & C=Consumption \text{ (उपभोग)} \\
 \text{इसलिए } C+I=C+S & I=Investment \text{ (विनियोग)} \\
 \text{अतः} & S=Saving \text{ (बचत)} \\
 I=S &
 \end{array}$$

बचत तथा विनियोग की समानता को एक अन्य प्रकार में भी सिद्ध किया जा सकता है। विनियोग से अभिप्राय उपभोग वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर किये गये व्यय की राशि से है, इसलिए विनियोग राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उपभोग के अन्तर के बराबर है, अर्थात् $I=Y-C$, चूंकि आय और उपभोग के अन्तर को बचत कहते हैं, इसलिए $S=Y-C$, अतः $I=S$ ।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि बचत और विनियोग की समता पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर ही सम्भव होती है। प्रो० केन्ज ने इस दृष्टिकोण को सही स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार बचत तथा विनियोग का सम्बन्ध आय से है, इसलिए बचत और विनियोग पूर्ण रोजगार के स्तर से पूर्व ही सामान्यतः एक दूसरे के बराबर रह सकते हैं।

प्रत्याशित तथा वास्तविक बचत एवं विनियोग (Ex-ante and Ex-post Savings and Investment)

केन्ज ने वर्तमान आय तथा वर्तमान उपभोग के अन्तर को बचत कहा है। इसके विपरीत, रॉबर्टसन का विचार है कि वर्तमान आय वर्तमान में उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होती। उनके मतानुसार कल की आय और आज के उपभोग में अन्तर बचत है। इसी प्रकार कल की आय के ऊपर आज अर्जित आय का आधिक्य विनियोग है। रॉबर्टसन तथा स्टावहॉम सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों (Stockholm School of Economists) ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बचत तथा विनियोग प्रत्याशित (ex ante) तथा वास्तविक (ex-post) होते हैं। प्रत्याशित बचत से अभिप्राय आज के उपभोग तथा कल की आय के अन्तर से है। प्रत्याशित विनियोग आज की आय तथा उपभोग में अन्तर है।¹ दूसरे शब्दों में, प्रत्याशित बचत तथा प्रत्याशित विनियोग का सम्बन्ध बचत तथा विनियोग की उम मात्रा में होता है जो अवधि विशेष के आरम्भ में होती है। इसके विपरीत, अवधि विशेष के अन्त में बचत तथा विनियोग की मात्रा वास्तविक बचत तथा वास्तविक विनियोग होती है।

प्रत्याशित बचत तथा प्रत्याशित विनियोग को अपेक्षित (expected, intended or planned) बचत तथा अपेक्षित विनियोग भी कहा जा सकता है। एक प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था में जहाँ असरय बचतकर्ता तथा विनियोगकर्ता स्वतन्त्र रूप से एक-दूसरे में अलग रहकर बचत तथा विनियोग सम्बन्धी निर्णय करते हैं, प्रत्याशित बचत तथा प्रत्याशित विनियोग का एक-दूसरे के समान होना आवश्यक नहीं है। अवधि विशेष के आरम्भ (अथवा वर्तमान) में विनियोग की मात्रा बचत की मात्रा से अधिक हो सकती है। बैंको में उपलब्ध अधिक साख, नयी मुद्रा का मृजन अथवा बचतकर्ताओं द्वारा धन का निःसंचय (dishoarding) इस प्रकारके असन्तुलन के प्रमुख कारण हो सकते हैं। परिस्थितियाँ भिन्न होने पर ऐसा भी सम्भव है कि वर्तमान बचत वर्तमान विनियोग की तुलना में अधिक हो। स्पष्ट है कि प्रत्याशित बचत तथा प्रत्याशित विनियोग, अर्थात् अवधि विशेष के आरम्भ

1 Ex ante saving has been defined as "the difference between the consumption of the current period and the income of the immediately preceding period, Ex-ante investment is the difference between the income and consumption of the current period"—See Robertson's Article "Saving and Hoarding", *Economic Journal*, Vol. XLIII, September 1933, p. 399.

मे वचत तथा विनियोग, मे असमानता हो सकती है। परन्तु वास्तविक वचत तथा वास्तविक विनियोग, अर्थात् अवधि की समाप्ति पर वचत तथा विनियोग, सदा एक-दूसरे के समान होते हैं। यह समानता आय मे परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है। वचत तथा विनियोग की समागतता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित सारणी के द्वारा समझाया जा सकता है

(करोड़ रुपये में)

	1	2	3	4	5	x
उपभोग	120	120	127	131	134	140
प्रत्याशित विनियोग	60	70	70	70	70	70
कुल राष्ट्रीय आय (GNP)	180	190	197	201	204	210
प्रत्याशित वचत	60	63	66	67	68.5	70

समय अवधि 1 मे वचत तथा विनियोग मे समानता है, क्योंकि दोनों ही 60 करोड़ रुपये है। समय अवधि 2 मे विनियोग बढ़कर 70 करोड़ रुपये हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप कुल आय 180 करोड़ रुपये से बढ़कर 190 करोड़ रुपये हो जाती है और वचत भी बढ़कर 63 करोड़ रुपये हो जाती है। अब विनियोग की तुलना मे वचत कम है, परन्तु आय मे परिवर्तनों के कारण प्रत्याशित वचत मे वृद्धि का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि x अवधि के अन्त मे वचत बढ़कर 70 करोड़ रुपये नहीं हो जाती है, जो विनियोग की राशि के समान है।

वचत तथा विनियोग का प्रत्याशित तथा वास्तविक रूप मे अध्ययन उस प्रक्रिया को स्पष्ट करने मे सहायक होता है जिसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था मे वचत तथा विनियोग के मध्य सन्तुलन स्थापित होता है।

परीक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- वचत और विनियोग से क्या अभिप्राय है ? इनको प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए।
[सकेत प्रथम भाग मे वचत तथा विनियोग की परिभाषाओं के आधार पर उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग मे इनकी मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए।]
- समाज मे वचत तथा विनियोग के परस्पर सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। क्या यह सदा समान रहते हैं ?
[सकेत प्रथम भाग मे यह स्पष्ट रूप से समझाइए कि किस प्रकार वचत की विचारधारा के अनुसार आय मे परिवर्तनों के द्वारा वचत तथा विनियोग समान रहते हैं। दूसरे भाग मे यह बताइए कि प्रत्याशित वचत तथा प्रत्याशित विनियोग का एक-दूसरे के समान होना आवश्यक नहीं है, परन्तु वास्तविक वचत तथा वास्तविक विनियोग सदा एक-दूसरे के समान रहते हैं।]
- दिए गयीं लिखिए
 - वचत तथा विनियोग सम्बन्धी प्रतिष्ठित अध्यात्मिकता तथा केज की विचारधाराओं मे अन्तर,
 - नियोजित तथा अनियोजित वास्तविक विनियोग,
 - प्रतिष्ठित तथा स्वायत्त विनियोग,
 - पूर्वो की सीमान्त उत्पादकता तथा ब्याज-दर का विनियोग पर प्रभाव।

[सकेत प्रत्येक के अर्थ तथा एक-दूसरे मे अन्तर की उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से समझाइए।]

“पूँजीवादी विकास का स्तर जितना अधिक ऊँचा होगा, समाज की सम्पत्ति उतनी ही अधिक होगी और कुल धर्मजीवी जनमख्या की तुलना में सभी क्षत्रों में उद्योगों के लिए सुरक्षित धर्मसेना भी उतनी ही अधिक होगी।”¹

—ऐरिक रोल

बेरोजगारी

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अभिशाप बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी अथवा बेकारी वह परिस्थिति है जिसमें स्वस्थ, योग्य तथा कार्य करने के लिए उपयुक्त अवस्था वाले व्यक्तियों की प्रचलित मजदूरी की दर पर अपनी योग्यता के अनुकूल देश में कार्य नहीं मिल पाता है। इसमें बड़ी समस्या और क्या हो सकती है कि काम करने के योग्य तथा काम करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता। चूँकि राष्ट्रीय आय का स्तर देश में रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है, अतः बेरोजगारी राष्ट्रीय आय के स्तर को नीचे गिरा देती है।

बेरोजगारी के भेद

बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। इसके उल्लेखनीय स्वरूप निम्नलिखित हैं।

(1) अस्थायी बेरोजगारी (Casual Unemployment)—विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगे हुए धर्म की माँग प्रत्यक्ष न होकर व्युत्पादित माँग (derived demand) होती है, अर्थात् धर्म की माँग उत्पादन की मात्रा तथा स्थिति पर निर्भर करती है। स्वयं उत्पादन की मात्रा वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण माँग द्वारा निर्धारित होती है। किसी उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग कम हो जाने पर उसके उत्पादन की मात्रा कम करने पड़ती है। परिणामस्वरूप, उसमें लगे हुए कुछ धर्मिक बेकार हो जाते हैं। किन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी अस्थायी होती है। उत्पादन की मात्रा में पुनः वृद्धि होते ही उन धर्मिकों को रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार की बेकारी की समस्या विशेष रूप में निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के सामने आती है।

(2) मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—प्रत्येक देश में कुछ व्यवसायों का स्वरूप मौसमी होता है। उदाहरणतः कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। चीनी के कारखाने भी एक विशेष मौसम की समाप्ति पर बन्द हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए धर्म भी मौसमी होती है। परिणामस्वरूप, प्रति वर्ष धर्मिकों को कुछ समय तक बेकार रहना पड़ता है। चूँकि इस प्रकार की बेकारी मौसमी अथवा अस्थायी होती है, इसका उपचार गौण उद्योगों के विकास द्वारा किया जा सकता है जिनमें बेरोजगारी के मौसम में मजदूरों को रोजगार मिल सके।

(3) दीर्घकालीन अथवा संरचनात्मक बेरोजगारी (Long-term Structural

¹ “The higher the degree of capital development, the greater the wealth of society, the greater is the industrial reserve army in all its branches in relation to the total labouring population” —Erich Roll

Unemployment)—यदि श्रम की पूर्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही हो, परन्तु देश में उपलब्ध पूँजी की मात्रा सीमित हो, तो देश में बड़े कारखाना, व्यापार तथा यातायात आदि में अधिक मजदूरों का रोजगार नहीं मिल पाता है। अर्ध-व्यवस्था के इस प्रकार के ढाँचे में बेरोजगारी खुले रूप में विद्यमान रहती है तथा लम्बे समय तक रहती है। विकासशील देशों में बेरोजगारी का यही स्वरूप देखने को मिलता है।

(4) सघर्षक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)—श्रम बाजार की अपूर्णताओं (imperfections of the labour market) के कारण अस्थायी रूप से कार्य का न मिलना सघर्षक बेरोजगारी की स्थिति कहलाता है। सघर्षक बेरोजगारी के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे श्रम की अगतिशीलता, कच्चे माल का अभाव, मशीनों की खराबी, नयी उत्पादन-विधियों का अपनाया जाना, इत्यादि। विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन होने पर समायोजन करना पड़ता है जिसमें समय लगता है। इसलिए प्रत्येक विकासशील अर्ध-व्यवस्था में कुछ अंश में सघर्षक बेरोजगारी अवश्य रहती है। सर विलियम बैवरिज (Sir William Beveridge) ने कम से कम 3 प्रतिशत बेरोजगारी को आवश्यक स्वीकार किया है।

(5) शैल्पिक बेरोजगारी (Technological Unemployment)—प्रद्वैगिक (dynamic) अर्ध-व्यवस्थाओं के वर्तमान युग में उत्पादन-विधियाँ में अनुसन्धान बहुत व्यापक रूप से हो रहे हैं, जिनके प्रभाव में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी मशीनों का प्रयोग करना अथवा ऐसी उत्पादन-विधियों को अपनाना जिनमें अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, शैल्पिक बेरोजगारी को जन्म देता है। श्रम को पूँजी से प्रतिस्थापित करना शैल्पिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है।

(6) अर्द्ध-रोजगारी तथा अदृष्ट बेरोजगारी (Under employment and Disguised Unemployment)—अधिक योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा कम योग्यता का कार्य करना अथवा उसे उतने समय के लिए कार्य न मिल पाना जितना कि वह कर सकता है, अर्द्ध रोजगारी की स्थिति कहलाती है। भारत में कृषि-क्षेत्र में जनसंख्या के अधिक दबाव तथा अपर्याप्त भूमि के कारण श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग न हो पाना भारतीय कृषि की बहुत बड़ी समस्या है।

अर्द्ध विकसित अर्ध-व्यवस्थाओं में, विशेष रूप से कृषि-क्षेत्र में, उपलब्ध श्रम का एक अंश ऐसा होता है जिसकी आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि उसकी सीमान्त उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक (negative) होती है। यह अंश ऐसा है जिसे वहाँ से हटा देने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं पड़ती है। अतिरिक्त श्रम शक्ति का यह अंश अदृष्ट अथवा छिपी हुई बेरोजगारी का द्योतक होना है।

प्रो० रोडन (P N Rosenstein Rodan) ने अदृष्ट बेकारी को अर्द्ध-रोजगारी का ही एक रूप माना है। उनके अनुसार अर्द्ध-रोजगारी की तीन श्रेणियाँ होती हैं मौसमी अर्द्ध रोजगारी (seasonal under-employment), छिपी हुई अदृष्ट रोजगारी (disguised removable under-employment), तथा छिपी हुई न हटायी जा सकने वाली अर्द्ध-रोजगारी।

(7) स्वैच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)—स्वैच्छिक बेरोजगारी उस समय होती है जब मजदूर प्रचलित मजदूरी को स्वीकार न करके मजदूरी से कुछ कम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।¹ प्रचलित मजदूरी को स्वीकार न करके मजदूरों द्वारा हड़ताल करना स्वैच्छिक बेरोजगारी का एक उदाहरण है। कुछ लोग आलसी अमीरों तथा साधु-सन्यासियों आदि को स्वैच्छिक बेकार कहते हैं, परन्तु उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि उनकी बेकारी मजदूरी की प्रचलित दर के प्रति उपेक्षा के कारण न होकर अन्य कारणों से है।

1 'Voluntary unemployment exists when potential workers are unwilling to accept the going wage or wages slightly less than the going wage —Dillard *The Economics of J M Keynes*, p 20

(8) अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment)—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है और अनैच्छिक बेरोजगारी जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती। इसके विपरीत, केन्ज ने 'जनरल थ्योरी' में ऐच्छिक बेकारी को कोई महत्व नहीं दिया और प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न अनैच्छिक बेरोजगारी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। केन्ज के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो प्रचलित वास्तविक मजदूरी (real wage) की दर से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो, चाहे वह कम मौद्रिक मजदूरी (money wage) स्वीकार करने के लिए तैयार हो अथवा न हो। प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर भी यदि कोई व्यक्ति रोजगार चाहता है, परन्तु असफल रहता है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा।

(9) चक्रिय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यापार-चक्र (trade cycle) एक अनिवार्य तत्व है। तेजी (boom or prosperity) के पश्चात् मन्दी अथवा अवसाद (slump or depression) का ऋण प्रारम्भ होता है जिसमें कीमते गिरती हैं, उत्पादन में कमी होती है तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है। चक्रिय बेरोजगारी की यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक फिर से तेजी का आरम्भ नहीं होता। व्यापार-चक्रों का नियन्त्रण केवल नियोजित अर्थ-व्यवस्था में ही सम्भव है। इंग्लैण्ड में प्रो० केन्ज, अमेरिका में हैनसन (Alvin Hansen) तथा आस्ट्रेलिया में कोपलैण्ड (Copeland) ने व्यापार-चक्र के नियन्त्रण के लिए वित्तीय नीति (fiscal policy) के प्रयोग का समर्थन किया है।

स्मरण रहे कि अर्द्ध-विकसित देशों में बेकारी का स्वरूप विकसित देशों में बेरोजगारी के स्वरूप से भिन्न होता है। विकसित देशों में प्रायः सर्वाधिक बेरोजगारी अधिक होती है, अर्थात् बेरोजगारी अस्थायी होती है। अर्द्ध-विकसित देशों में कुछ लोग अस्थायी रूप से बेकार हो सकते हैं परन्तु अधिकांश बेकारी अर्थ-व्यवस्था के अल्प विकास तथा अवरोधन के कारण दीर्घकालीन अथवा सरचनात्मक होती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होती है और कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। अर्द्ध-बेकारी तथा अदृष्ट बेकारी की व्यापकता स्वाभाविक ही है। किसी भी अनियन्त्रित अर्थ व्यवस्था में अस्थायी बेरोजगारी से तो बचा ही नहीं जा सकता, परन्तु स्थायी अथवा दीर्घकालीन बेकारी किसी भी देश के लिए एक गम्भीर समस्या होती है।

बेरोजगारी के सिद्धान्त

बेरोजगारी से सम्बन्धित तीन प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं -

(1) प्रतिष्ठित विचारधारा (Views of Classical Economists)—प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों का विश्वास था कि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में स्थायी बेरोजगारी एक असम्भव स्थिति है। पूर्ण-रोजगार सामान्य स्थिति है और बेरोजगारी अस्थायी तथा अमाधारण तत्व होती है जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है।

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे० बी० से (J B Say) द्वारा प्रतिपादित 'बाजारों का नियम' (Law of Markets) इस विश्वास पर आधारित है कि पूर्ति अपने लिए माँग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है (supply creates its own demand)। इस नियम के अनुसार सामान्य अति-उत्पादन (general over-production) हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्पादन अथवा पूर्ति उतनी ही की जाती है जितनी उसके लिए माँग होती है। ऐसी स्थिति में सामान्य बेरोजगारी (general unemployment) का होना असम्भव है।

प्रो० जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) ने बताया कि लोगों द्वारा प्रस्तुत माँग उनको उपलब्ध श्रम-शक्ति की मात्रा तथा क्रय-शक्ति के उपयोग करने की इच्छा पर निर्भर करती है। मिल के विचारानुसार, ध्यावसायिक संकट की स्थिति में, प्रायः सट्टे की अधिकता के कारण, सम्भावना है कि सभी वस्तुओं की पूर्ति उनकी माँग से अधिक हो जाय। एक अन्य सम्भावना यह भी हो सकती है कि मजदूरों में भौगोलिक गतिशीलता (geographical mobility) के अभाव

में अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़ने की इच्छा न हो। पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति के लिए इन सभी परिस्थितियों पर विजय पाकर उन्हें हटाया जाय।

प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार यदि किसी अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी है तो उसके लिए स्वयं मजदूर बहुत कुछ उत्तरदायी होते हैं। यदि मजदूर अपनी उत्पादकता से अधिक मजदूरी मांगते हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। उनके द्वारा अपनी सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी स्वीकार कर लेने पर अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० पीगू ने प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थन में अपने तर्क देते हुए कहा है कि यद्यथमिक की मांग की दशाएँ निश्चित रूप से दी हुई हैं तो मजदूरी को दरे एक ऐसे स्तर पर आकर स्थिर हो जाती है जहाँ सभी श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। सभी प्रकार की बेरोजगारी अस्थायी होती है तथा उसके लिए मांग की दशाओं में परिवर्तन अथवा श्रम-बाजार की अपूर्णता उत्तरदायी है। अपने विचारों को व्यक्त करने में प्रो० पीगू ने निम्न फार्मूले का प्रयोग किया

$$N = \frac{qy}{w} \text{ अर्थात् } N \text{ (श्रमिकों की संख्या)} = \frac{q \text{ (मजदूरी के रूप में दिया गया राष्ट्रीय आय का भाग)} \times y \text{ (राष्ट्रीय आय)}}{w \text{ (मजदूरी दर)}}$$

अतः मजदूरी का दर में कमी करके श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है और w (मजदूरी-दर) स्वतः समायोजित होकर N (श्रमिकों की संख्या) के बराबर हो जाती है।

(2) मार्क्स का सिद्धान्त (Marxian Theory of Unemployment)—कार्ल मार्क्स ने 'पूँजी संचय के सामान्य नियम' (General Law of Capitalistic Accumulation) की विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। पूँजीवाद जितना अधिक विकसित होगा, देश में बेकारी का स्तर भी उतना ऊँचा होगा। पूँजी के संचय में वृद्धि के साथ परिवर्तनीय पूँजी (variable capital) भी बढ़ती है, परन्तु इसमें वृद्धि उतनी नहीं हो पाती जितनी स्थिर पूँजी (constant capital) में होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप उत्पादन की शैलिक विधियों में परिवर्तन होते रहते हैं। नयी-नयी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। परिणामतः उत्पादक द्वारा परिवर्तनीय पूँजी का स्थिर पूँजी से प्रतिस्थापन होता रहता है। मार्क्स के विचारानुसार परिवर्तनीय पूँजी का अनुपात गिर जाने के कारण ही पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बेकारी बनी रहती है।

स्थिर पूँजी का प्रयोग मशीनों आदि के खरीदने के लिए किया जाता है, जल्द ही परिवर्तनीय पूँजी में से मजदूरी चुकायी जाती है। परिवर्तनीय पूँजी का अनुपात गिर जाने पर रोजगार के अवसर भी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और बेरोजगारी फैलती है। श्रम की मांग गिर जाने से श्रमिकों की सुरक्षित सेना (Industrial Reserve Army) तैयार हो जाती है। इसमें अभिप्राय यह है कि यदि श्रम की मांग में कुछ वृद्धि होती भी है तो उसको सहज ही पूरा किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, मजदूरी-दर में वृद्धि असम्भव-सी ही होती है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या प्रायः तब तक बनी रहती है जब तक पूँजीवाद का उन्मूलन नहीं होता।

(3) केन्ज की विचारधारा (Keynes' Theory of Unemployment)—जॉर्डेन केन्ज ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बेरोजगारी सम्बन्धी विचारधारा की कटु आलोचना की है। केन्ज के मतानुसार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार कि पूर्ण स्वयं मांग उत्पन्न करती है जिसके कारण अनैच्छिक बेरोजगारी ही ही नहीं सचती, यथार्थ से बहुत दूर है। उनका यह विचार कि मजदूरी में बढ़ोती बरके रोजगार बढ़ाया जा सकता है, निराधार है। इसके विपरीत, प्रो० केन्ज ने मजदूरी-बढ़ोती की नीति को सैद्धान्तिक आधार पर अनुचित बताया है और व्यावहारिक आधार पर इसका विरोध किया है। श्रमिक सघ आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के अनिवार्य जग दन गये हैं और इनके द्वारा प्रत्येक बढ़ोती का विरोध किया जाता है। राज्यों द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी-नियमों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मजदूरी-बढ़ोती से बेरोजगारी की

समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। प्रो० केन्ज के मतानुसार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रचलित अर्नैचिडक बेरोजगारी ऊँची मजदूरियों के कारण नहीं, बल्कि प्रभावपूर्ण माँग (effective demand) की कमी के कारण होती है। अतः प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। केन्ज ने 'जनरल थ्योरी' में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 'केवल प्रभावपूर्ण माँग की अपर्याप्तता ही रोजगार में होने वाली वृद्धि को पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुँचने से पूर्व ही रोक सकती है और प्रायः रोकेंगी।'¹

प्रभावपूर्ण माँग का रोजगार के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रभावपूर्ण माँग वह बिन्दु है जिस पर सामूहिक माँग (aggregate demand) की रेखा सामूहिक पूर्ति (aggregate supply) की रेखा को काटती है। सन्तुलन की अवस्था में सामूहिक माँग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। सामूहिक पूर्ति, जो मुख्यतः पूर्ति की भौतिक दशाओं (physical conditions) पर निर्भर करती है, लगभग स्थिर रहती है (स्मरण रहे कि केन्ज की 'जनरल थ्योरी' का सम्बन्ध केवल अल्पकालीन स्थिति से है)। दूसरी ओर, कुल प्रभावपूर्ण माँग के अन्तर्गत दो बातें सम्मिलित होती हैं—उपभोग व्यय, तथा विनियोग व्यय। कुल पूर्ति के समान उपभोग की प्रवृत्ति भी अल्पकाल में मापेक्षिक रूप से स्थिर ही रहती है। इसलिए, रोजगार के स्तर में घटा-बढ़ी मुख्यतः विनियोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि केन्ज के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है, जिसका निर्धारण उपभोग की प्रवृत्ति तथा विनियोगों की मात्रा द्वारा होता है। यदि उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन न हो तो विनियोगों की मात्रा में घटा-बढ़ी के साथ-साथ रोजगार भी घटता-बढ़ता रहेगा। व्याज-दर में कमी तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप विनियोगों की मात्रा बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ने की तब तक कोई सम्भावना नहीं होती जब तक विनियोगों की मात्रा में कमी न हो।

पूर्ण रोजगार

पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि देश में सभी स्वस्थ, योग्य और क्षमतावान् व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। प्रत्येक दगा में कुछ अंश तक बेकारी अवश्य विद्यमान रहती है। प्रो० केन्ज के विचार में पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें अर्नैचिडक बेरोजगारी का अभाव रहता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी स्वैच्छिक बेरोजगारी सम्भव हो सकती है। उदाहरणार्थ, एक उन्नत और गतिशील अर्थ-व्यवस्था में सघर्षक तथा तकनीकी बेकारी से बचा नहीं जा सकता। बेकारी के डर से मशीनों का प्रयोग न करना अथवा थ्रिफिको में गतिशीलता न होना न तो सम्भव ही है और न ही हितकर। इसी प्रकार बहुत-से काम ऐसे होते हैं जिनमें मीसमी बेकारी से नहीं बचा जा सकता। अतएव, जैसा कि बँवरिज (Sir William Beveridge) का विचार है, प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में 3 से 5 प्रतिशत तक सघर्षक बेरोजगारी अवश्य ही होती है।

डिलार्ड ने शब्दों में, "पूर्ण रोजगार वह बिन्दु है जिसके आगे प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होने पर उत्पत्ति बेलेोचदार सिद्ध होती है।"² अभिप्राय यह है कि प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप जब उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार-स्तर ऊपर नहीं उठ पाते, तो यह पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है।

अर्थशास्त्रियों के लिए बेरोजगारी के दो पहलू मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं—एक तो बेकारी की मात्रा, तथा दूसरा बेकारी की अवधि। थोड़ी मात्रा में बेकारी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी सम्भव है। बेकारी का अधिक मात्रा में होना देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अधिक मात्रा में बेकारी यदि थोड़ी ही अवधि के लिए हो, अर्थात्

1 " the mere existence of an insufficiency of effective demand may, and often will, bring the increase of employment standstill before a level of full employment has been reached —J M. Keynes *General Theory of Employment, Interest and Money*.

2 " full employment is the point beyond which output proves inelastic in response to further increases in effective demand " —D Dillard. *The Economics of J M Keynes*, pp 234 35

इसका स्वरूप अस्थायी हो, तो इसे अधिक गम्भीर समस्या नहीं कहा जायगा। दीर्घकालीन अथवा स्थायी बेकारी किसी भी देश के लिए एक भयानक स्थिति होती है। निस्सन्देह, बेकारी एक आर्थिक बुराई है और इसका चाहे कोई भी स्वरूप हो, आर्थिक स्थायित्व, विकास तथा मानव-कल्याण की दृष्टि से इसका समाधान करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ण रोजगार की नीति अपनायी जाती है।

पूर्ण रोजगार की नीति

प्रो० केन्ज तथा उनके अनुगामी अर्थशास्त्रियों के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि रोजगार-स्तर को ऊपर उठा देती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने के दो उपाय हैं—(1) उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, तथा (2) विनियोग की मात्रा में वृद्धि। इनकी व्याख्या निम्न प्रकार है

(1) उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन (Stimulating Propensity to Consume)—उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि की जा सकती है। यह निर्विवाद है कि धनी लोगों की अपेक्षा गरीबों में उपभोग-प्रवृत्ति अधिक ऊँची होती है। अमीरों की आय बढ़ने पर उनके उपभोग-व्यय में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, बल्कि उनकी वचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके विपरीत, गरीबों की आय बढ़ने पर वे उपभोग-व्यय में वृद्धि करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, गरीबों की आय में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। धन तथा आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होने पर उपभोग प्रवृत्ति को स्वाभाविक रूप में प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए प्रो० केन्ज ने सुझाव दिया कि निर्धन व्यक्तियों पर लगाये गये अप्रत्यक्ष करों (indirect taxes) का बोझ कम किया जाय और धनी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष करों की दरें बढ़ायी जायें। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रो० केन्ज पूँजीवाद के समर्थक थे। उन्होंने आय के पुनर्वितरण की ओर संकेत तो किया, परन्तु इस पर अधिक जोर नहीं दिया। वह पूँजीवाद में केवल आवश्यक सुधार चाहते थे, इसको समाप्त करने के पक्ष में वह बर्दाश्त नहीं थे।

(2) विनियोग की मात्रा में वृद्धि (Increasing the Investment)—चूँकि अल्पकाल में उपभोग की मात्रा लगभग स्थिर ही रहती है, इसलिए प्रभावपूर्ण माँग तथा रोजगार-स्तर में परिवर्तन बहुत कुछ विनियोग की मात्रा द्वारा प्रभावित होते हैं। रोजगार की वृद्धि के लिए प्रो० केन्ज में उपभोग-वृद्धि की अपेक्षा विनियोग-वृद्धि पर अधिक जोर दिया है। विनियोग दो प्रकारका हो सकता है—व्यक्तिगत विनियोग, तथा सरकारी विनियोग। रोजगार में वृद्धि के लिए इन दोनों प्रकार के विनियोगों के प्रोत्साहन की नीति अपनायाना आवश्यक होता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते हैं

(क) व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहन (Encouraging Private Investment)—प्रो० केन्ज के अनुसार व्यक्तिगत विनियोगों की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है—पूँजी की सीमान्त उत्पादकता, तथा व्याज की दर। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्याज की दर की तुलना में अधिक होने पर ही व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्याज की दर नीची हो और पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ऊँची। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रो० केन्ज ने निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं

1 सुलभ मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy)—यदि देना में विनियोगकर्ता लाभ की आशा रखते हैं, तो सुलभ मुद्रा नीति अपनाकर विनियोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस नीति के अन्तर्गत सरकार केन्द्रीय बैंक के हस्तक्षेप के द्वारा व्याज दर को गिरा देती है और मुद्रा तथा साख का विस्तार करती है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि सुलभ मुद्रा नीति विनियोग बढ़ाने में सभी प्रभावपूर्ण होती है जब समाज में लाभ के लिए आगावादी दृष्टिकोण होता है। मन्दी-काल में नीची व्याज-दर

विनियोगों को प्रोत्साहित नहीं कर पाती है। कभी-कभी व्याज-दर को गिराना सम्भव भी नहीं हो पाता। प्रो० केन्ज भी इन कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं थे।

- 2 **कराधान-नीति (Taxation Policy)**—उत्पादकों पर कर-भार हलका कर देने से भी विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि करों की दर नीची होने से लाभ की सम्भावना बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में आय-कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों में कमी करना अधिक प्रभावपूर्ण होता है। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी करों की दर तथा मात्रा में कमी होने पर उनके पाम व्यय के लिए अधिक राशि बच रहती है जिसमें प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है और रोजगार का स्तर ऊँचा उठता है।
- 3 **एकाधिकार विरोधी नीति (Anti-Monopoly Policy)**—एकाधिकारी नये साहसियों के मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न करके उन्हें क्षेत्र के बाहर रखने का प्रयास करते हैं। उत्पादन-विधियों में सुधार तथा आविष्कार (innovations) भी एकाधिकारियों द्वारा दबा दिये जाते हैं और पेटेंट (patent) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एकाधिकार विरोधी नीति अपनाये जाने पर उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विनियोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 4 **विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहन की नीति (Policy of Encouraging Foreign Investment)**—विदेशी पूँजी के विनियोग का भी रोजगार-स्तर पर लगभग वैसे ही प्रभाव पड़ता है जैसा घरेलू पूँजी के विनियोग का प्रभाव होता है। विदेशी पूँजी के विनियोग में विनियोगकर्ता देश में भी परोक्ष रूप में रोजगार का स्तर बढ़ता है। विदेशों में विनियोगों पर लाभ मिलता है जिसमें राष्ट्रीय आय बढ़ती है। प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है तथा रोजगार का स्तर ऊँचा उठता है।

व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय अपनाते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विनियोगों की मात्रा वास्तविक लाभ अथवा पूँजी की वर्तमान वास्तविक उत्पादकता के द्वारा नियन्त्रित न होकर उत्पादक को भविष्य में लाभ की आशा (expected rate of profit) द्वारा निर्धारित होती है। चूँकि भविष्य की सम्भावनाओं को नियन्त्रित करना कठिन होता है, इसलिए पूँजी की कार्यक्षमता को प्रभावित करके विनियोगों को प्रोत्साहित करना भी एक कठिन कार्य है।

(ख) सरकार की विनियोग-नीति (Investment Policy of the Government)—

व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहित कर देना में पूर्ण रोजगार स्थापित करने की कठिनाइयों से प्रो० केन्ज परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने, विद्येपत मन्दी-काल में, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्यों (public works) को हाथ में लेने का सुझाव दिया। निर्माण कार्यों द्वारा उत्पन्न प्रभावपूर्ण माँग देश में उपभोग-प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत विनियोगों द्वारा बनायी गयी प्रभावपूर्ण माँग की कमी को पूरा करके पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक प्रभावपूर्ण माँग उत्पन्न करती है।

प्रो० केन्ज ने श्रम की समाज की दृष्टि से स्थिर लागत (overhead cost) माना है। इससे अभिप्राय यह है कि उत्पादन हो अथवा न हो, श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होती है। इस प्रकार, बेरोजगार लोग समाज पर भार होते हैं। इन लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, केन्ज से पूर्व अर्थशास्त्री बकारी को अर्थ व्यवस्था में अस्थायी असन्तुलन की स्थिति मानत थे। उन्होंने 'पम्प प्राइमिंग' (Pump Priming) के सिद्धान्त का समर्थन किया, जिसके अनुसार सरकार द्वारा अल्पकाल के लिए कुछ विनियोग करने से अर्थ-व्यवस्था सन्तुलन की स्थिति तक पहुँचने में सफल हो सकेगी और पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर लिया जायगा। प्रो० केन्ज ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। उनके विचारानुसार, अर्थ व्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर में पहले ही स्थायी सन्तुलन प्राप्त कर सकती है। अर्थ-व्यवस्था

को पूर्ण रोजगार की ओर गतिशील करने के लिए बार-बार विनियोग करने होंगे। गुणक सिद्धान्त (Multiplier Theory) की क्रियाशीलता के कारण सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक विनियोग गुणक गुने (multiplier times) के बराबर आय का उत्पादन करेगा, जिससे प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होगी तथा रोजगार स्तर ऊँचा उठेगा।

सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए वित्त की प्राप्ति के लिए प्रो० केन्ज ने सरकार द्वारा घाटे के बजट (deficit budget) की नीति अपनाने का सुझाव दिया। दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा किया गया व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक हो। घाटे की पूर्ति लोगों से ऋण लेकर की जा सकती है।

सरकार द्वारा किया गया विनियोग रोजगार बढ़ाने में तभी प्रभावपूर्ण होगा जब यह उन्हीं क्षेत्रों में किया जाय जिनमें निजी उद्योगपति पूँजी लगाने में सकोच करते हैं। गन्दी वस्तियों की सफाई और मकानों का निर्माण तथा नहरों, सड़कों, स्कूलों आदि का निर्माण ऐसे कार्य हैं जिनसे न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। केन्ज द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता पायी जाय।

स्पष्ट है कि रोजगार की वृद्धि के लिए उपभोग तथा विनियोग दोनों को ही बढ़ाना आवश्यक होता है। अतः हम दोनों ही दिशाओं से आक्रमण करके बेरोजगारी पर विजय पा सकते हैं।

पूर्ण रोजगार-नीति की आलोचना

प्रो० केन्ज की पूर्ण रोजगार-नीति के विरुद्ध नैतिकता एवं औचित्य की दृष्टि से कुछ कह सकना कठिन है, परन्तु कुछ रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों ने इनकी आलोचना में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं

(1) मुद्रा-स्फीति का भय—केन्ज की पूर्ण रोजगार-नीति की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसको अपनाने से मुद्रा-स्फीति की सम्भावना रहती है। व्याज की दर कम करने के लिए मुद्रा का प्रसार करना आवश्यक होता है। मन्दी-काल में केन्ज ने मुद्रा की मात्रा में विस्तार करने का सुझाव दिया था। आलोचकों के अनुसार मुद्रा-स्फीति का भय काल्पनिक नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्जवादी अर्थशास्त्री क्लेयिन (Klein) का विचार है कि यदि अर्थ-व्यवस्था नियोजित हो तथा नियोजकों को सरकार की अर्थ-नीति पर पूर्ण नियन्त्रण दे दिया जाय जिससे वे रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यकतानुसार व्यय कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त मात्रा में कर लगा सकें, तो मुद्रा-स्फीति का कोई भय नहीं रहता है।¹

(2) सार्वजनिक ऋण के भार में वृद्धि—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सार्वजनिक ऋणों द्वारा पूँजी प्राप्त करने का सुझाव केन्ज ने दिया था। इसे क्रियान्वित करने पर सार्वजनिक ऋण के भार में वृद्धि होगा स्वाभाविक है। आलोचक इसे अनुचित मानते हैं, क्योंकि भावी पीढ़ियों को इसका भार उठाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया गया सार्वजनिक ऋण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक किसी भी पहलू से अनुचित कहना युक्तिसंगत नहीं है। इससे एक ओर तो रोजगार में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय आय बढ़ती है। बटी हुई आय में से ही ऋण तथा व्याज की बदायगी हो जाती है और भावी पीढ़ियों पर कोई बोझ नहीं पड़ता।

(3) सुलभ मुद्रा-नीति की अप्रभावपूर्णता—आलोचकों का कहना है कि व्यावहारिक रूप में सुलभ मुद्रा-नीति मन्दी-काल में रोजगार बढ़ा सकने में प्रभावपूर्ण नहीं होती है। सन् 1930-40 में अमेरिका में व्याज-दर बहुत ही कम कर देने पर भी विनियोग की मात्रा में विशेष वृद्धि नहीं की जा सकी थी। इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि प्रो० केन्ज ने मन्दी का सामना करने

1 'If the economic planners are given complete control over the government fiscal policy so that they can spend when and where spending is needed to stimulate employment and tax when and where taxation is needed to halt upward price movements there will be no problem of associated inflationary dangers'—L. R. Klein *The Keynesian Revolution*

और रोजगार-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए मुलभ मुद्रा-नीति को कोई विनोप महत्व नहीं दिया था, बल्कि वाद में तो वह इसके प्रति उदासीन हो गये थे।

(4) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन—पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए मौद्रिक तथा आर्थिक नीतियों द्वारा सरकार को बड़े पैमाने पर अर्थ व्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों की नीति भी अर्थ-व्यवस्था में एक हस्तक्षेप ही है। आलोचकों का कहना है कि सरकारी हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सीमित कर देता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को थोड़ा सीमित करने से यदि रोजगार तथा आय के स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। प्रत्येक देश में लोग आर्थिक नियोजन के नियन्त्रण को बेरोजगारी कम करने के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं और फिर प्रो० केन्ज ने निजी उद्योगपतियों से प्रतियोगिता न करके केवल उन्हीं क्षेत्रों में विनियोग करने का सुभाव दिया था जिनमें निजी उद्योगपति पूँजी लगाने में सकुचाते हैं।

निष्कर्ष—बेरोजगारी निस्सन्देह एक बहुत बड़ी आर्थिक बुराई है। अतः रोजगार के स्तर को ऊँचा उठाने के विषय में दो मत नहीं हो सकते। पूर्ण रोजगार की नीति में न केवल बेरोजगारी कम की जा सकती है, बल्कि अर्थ-व्यवस्था की उन्नति में इससे अन्य कई प्रकार के ठोस लाभ प्राप्त होते हैं, जो निम्नलिखित हैं।

(1) रोजगार प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अन्य अनेक व्यक्तियों को गौण (secondary and tertiary) रोजगार प्रदान करता है जिसकी मात्रा रोजगार-गुणक (employment multiplier) की शक्ति पर निर्भर करती है।

(2) रोजगार बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

(3) पूर्ण रोजगार की व्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य सभी उन्नति करते हैं और हर क्षेत्र में सम्पन्नता अनुभव की जाती है।

(4) समाज की भावी आय में बढ़ती हुई गति से (cumulative) वृद्धि होती है।

परिक्षोपयोगी प्रश्न तथा उत्तरों के संकेत

- 1 बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? क्या राज्य सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने में समर्थ हो सकता है?
[संकेत प्रथम भाग में बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में बेरोजगारी के भेद बनाइए और उनके स्वरूप की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि समय, मौसम तथा अन्य प्रकार की अस्थायी बेरोजगारी सरकार दूर नहीं कर पाती है।]
- 2 बेरोजगारी सम्बन्धी केन्ज की विचारधारा समझाइए और इसकी प्रतिष्ठित विचारधारा से तुलना कीजिए।
[संकेत प्रो० केन्ज के रोजगार के सिद्धान्त की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। तदुपरान्त प्रतिष्ठित विचारधारा को समझाइए और इससे तथा केन्ज की विचारधारा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।]
- 3 पूर्ण रोजगार की परिभाषा कीजिए। इसकी प्राप्ति के लिए राज्य को किम नीति का पालन करना चाहिए?
[संकेत पूर्ण रोजगार का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी परिभाषा कीजिए। दूसरे भाग में उपभोग प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा विनियोग की मात्रा में वृद्धि करने की नीति तथा इसके सम्बन्धित विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए।]
- 4 पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए केन्ज ने कौनसी नीति सुझाई है? क्या इसके विरुद्ध भी कुछ तर्क दिये जा सकते हैं?
[संकेत स्पष्ट कीजिए कि रोजगार स्तर प्रभावपूर्ण भाग पर निर्भर करता है जो उपभोग प्रवृत्ति तथा विनियोग की मात्रा पर आधारित होती है। व्याज-दर में कमी तथा पूँजी की मात्रा में उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा व्यक्तिगत विनियोग प्रोत्साहित किये जा सकते हैं। इनके साथ सरकार द्वारा भी विनियोग किये जाने चाहिए। प्रो० केन्ज द्वारा प्रस्तुत पूर्ण रोजगार की नीति की दृष्टिवादी अन्तर्भाव्यता द्वारा आलोचना की जाती है। उनके द्वारा दिये गये तर्कों का उल्लेख कीजिए और बनाइए कि ये बहुत कुछ निराधार हैं।]

दिसम्बर 1971 में डालर का अवमूल्यन

15 अगस्त, 1971 को अमेरिका के राष्ट्रपति निकसन द्वारा घोषित आर्थिक नीति ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। समस्या का स्थायी हल ढूँढने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के सुझाव दिये जाने लगे, परन्तु अमेरिका की सहमति प्राप्त न हो सकी। 18 दिसम्बर, 1971 को वाशिंगटन में दस गैर-साम्यवादी अमीर बड़े राष्ट्रों (Group of Ten) के वित्त मन्त्रियों ने यह तय किया कि अमेरिकी डालर के 8.57 प्रतिशत अवमूल्यन के आधार पर मुद्राओं की नयी विनिमय-दरें निर्धारित की जायें। यह भी तय हुआ कि डालर के अवमूल्यन के साथ-साथ विश्व की प्रमुख मुद्राओं का पुनर्मूल्यन (revaluation) किया जाय। पुनर्मूल्यन की दरों का निर्धारण करना असहज-असह्य देशों की सरकारों पर छोड़ दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचपूर्ण बनाने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि मुद्राओं की निर्धारित विनिमय-दरों में 2.25 प्रतिशत तक के उतार-चढ़ाव की अनुमति दी जाय। अभी तक केवल 1 प्रतिशत तक के उतार-चढ़ाव ही किये जा सकते थे।

दस बड़े राष्ट्रों के उपर्युक्त निर्णय को राष्ट्रपति निकसन ने "विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौद्रिक समझौते" के रूप में स्वीकार किया है। अमेरिकी सरकार द्वारा स्वर्ण का अधिकृत मूल्य 35 डालर प्रति औंस से बढ़ाकर 38 डालर प्रति औंस कर दिया गया है। इन प्रकार, डालर का 7.9 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया है। इसके साथ ही, जापानों पर लगाया गया 10 प्रतिशत अति-भार (surcharge) भी हटा लिया गया है। चूंकि डालर के अवमूल्यन की तुलना में जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैण्ड, बेलजियम तथा स्वीडन की मुद्राओं का पुनर्मूल्यन अधिक हुआ है, इसलिए अनुमान है कि प्रमुख मुद्राओं के सम्बन्ध में डालर का औसत अवमूल्यन लगभग 12 प्रतिशत हो गया है। डालर के सम्बन्ध में जापान तथा जर्मनी की मुद्राओं का विनिमय मूल्य क्रमशः 16.88 तथा 13.57 प्रतिशत बढ़ गया है।

रुपये की विनिमय-दर

अगस्त 1971 के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट की स्थिति में भारतीय रुपये की स्वर्ण समता-दर अपरिवर्तित रही है। इसके अन्तर्गत एक रुपये का स्वर्ण मूल्य 0.118489 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के बराबर है। इस प्रकार, अवमूल्यन के पूर्व रुपये की डालर के साथ समता-दर (7.50 रुपये प्रति डालर) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विदेशी विनिमय-बाजार में रुपया स्टॉक में जोड़ दिया गया था। लन्दन के मुद्रा-बाजार में डालर-स्टॉक विनिमय-दरों में परिवर्तन के अनुसार रुपया-स्टॉक विनिमय-दर में भी परिवर्तन होना रहा है। डालर के अवमूल्यन के समय न्यून स्टॉक मध्यका दर (median rate) 18.9677 रुपये प्रति पौण्ड थी। डालर का अवमूल्यन हो जाने पर रुपये की विनिमय-दर वर्तमान स्तर पर जहाँ 18.9677 रुपये प्रति पौण्ड ही निश्चित कर दी गयी है। चूंकि पौण्ड की स्वर्ण समता-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसलिए डालर के सम्बन्ध में पौण्ड के मूल्य में उतनी ही वृद्धि हुई है जितना डालर का मूल्य गिरा है। डालर के अवमूल्यन के पश्चात् एक पौण्ड का मूल्य 2.6057 डालर हो गया है, जबकि पुरानी समता-दर 2.40 डालर प्रति पौण्ड थी। नयी डालर-स्टॉक दर के आधार पर रुपये की डालर के साथ विनिमय-दर 7.50 रुपये प्रति डालर के स्थान पर 7.279 रुपये प्रति डालर हो गयी है। इस प्रकार,

डालर के सम्बन्ध में रुपये का मूल्य 3 प्रतिशत बढ़ गया है, परन्तु रुपये की स्वर्ण के साथ समता-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रुपया-स्टर्लिंग दर, रुपया-डालर दर तथा अन्य मुद्राओं के साथ रुपये की विनिमय-दर में समय-समय पर 2.25 प्रतिशत तक कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

प्रभाव

भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा जिस आधार पर रुपये की नयी विनिमय-दर निर्धारित की गयी है उसका वास्तविक प्रभाव यह पडा है कि अगस्त 1971 की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में गिर गया है। वर्तमान समता-दरों के निर्धारण के पूर्व की रुपया स्टर्लिंग दर (जिसके आधार पर रुपये का विनिमय-मूल्य निर्धारित किया गया है) के अन्तर्गत अगस्त 1971 की तुलना में स्टर्लिंग का मूल्य रुपये के सम्बन्ध में 5.4 प्रतिशत बढ़ा हुआ था। स्पष्ट है कि वर्तमान विनिमय दर पर पुरानी समता-दर की तुलना में रुपये का स्टर्लिंग में मूल्य 5.4 प्रतिशत घट गया है। डालर के अवमूल्यन के पश्चात् डालर का मूल्य 6.90 रुपये होना चाहिए था। इसे 7.28 रुपये के करीब निर्धारित करने पर डालर के सम्बन्ध में भी रुपये का मूल्य वास्तव में 5.51 प्रतिशत कम निर्धारित हुआ है। जर्मन मार्क तथा जापानी येन की तुलना में रुपये का मूल्य लगभग क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत कम हो गया है।

डालर के अवमूल्यन से डालर की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा है। परन्तु इसके परिणाम-स्वरूप अमेरिका को अपने भुगतान-अनुदान की स्थिति में सुधार करने तथा रोजगार में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। जर्मनी तथा जापान आदि देशों के अमेरिका को निर्यात कुछ कम हो सकते हैं, परन्तु साथ ही उन्हें आयातों पर लगाये गये 10 प्रतिशत अति-भार हटाये जाने का भी लाभ प्राप्त होगा। जहाँ तक भारत तथा अन्य अर्द्ध-विकसित देशों का प्रश्न है, नयी समता-दरों उनके लिए लाभदायक तभी हो सकती है जब उनके निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में कमी हो। अभी से कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु अनुमान यह है कि नयी समता-दरों से भारत को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। भारत द्वारा डालर में लिये गये ऋणों के भार में कुछ कमी होगी, परन्तु जिन मुद्राओं का मूल्य बढ़ा है उनमें लिये गये ऋणों का भार बढ़ेगा। अकेले जापान से लिये गये ऋण के भार में ही अनुमानतः 40 मिलियन डालर के लगभग वृद्धि हो जायेगी।

वर्तमान परिस्थितियों में एक बात और स्पष्ट हो गयी है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को प्रभावित करने के बजाय स्वयं दस बड़े देशों के निर्णयों से प्रभावित होता है। बड़े देशों की कठपुतली के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उपयोगिता पर सन्देह किया जा सकता है।